

आर्थिक सर्वेक्षण दिल्ली 2023-24

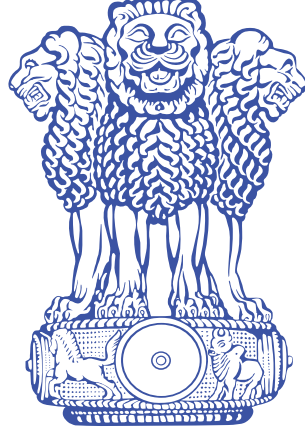


First of its kind school-university integrated
institution for excellence in sports education



Delhi
EV Policy





सत्यमेव जयते

आर्थिक सर्वेक्षण, दिल्ली 2023 - 24

योजना विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार
मार्च 2024

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना एवं परिचय	1
अर्थव्यवस्था और वित्त		
2.	राज्य की अर्थव्यवस्था	20
3.	योजनाओं / कार्यक्रमों / परियोजनाओं के लिए बजट	33
4.	सार्वजनिक वित्त	42
5.	व्यापार एवं वाणिज्य	77
6.	मूल्य प्रवृत्तियाँ	97
कृषि और पर्यावरण		
7.	कृषि और ग्रामीण विकास	107
8.	पर्यावरणीय सरोकार	120
आधारभूत संरचना क्षेत्र		
9.	औद्योगिक विकास	178
10.	दिल्ली में पर्यटन	195
11.	ऊर्जा	207
शहरी विकास क्षेत्र		
12.	परिवहन	221
13.	जल आपूर्ति एवं सीवरेज	241
14.	आवास एवं शहरी विकास	266
सामाजिक क्षेत्र		
15.	शिक्षा	298
16.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	328
17.	समाज कल्याण और सुरक्षा	365
18.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	408
जनसांख्यिकी और रोजगार		
19.	जनसांख्यिकी स्वरूप	414
20.	दिल्ली में गरीबी रेखा	432
21.	रोजगार और बेरोजगारी	441
22.	तालिकाएं	470

आर्थिक सर्वेक्षण, दिल्ली 2023-24 तैयार करने संबंधी टीम

टीम प्रमुख

डॉ. आशीष चंद्र वर्मा, प्र. सचिव (योजना)

श्रीमती निहारिका राय, सचिव (योजना)

टीम के सदस्य

श्री अजय कुमार	विशेष सचिव
श्री डी. बी. गुप्ता	निदेशक
श्री मनीष देव	संयुक्त निदेशक
श्री दीपक कुमार	संयुक्त निदेशक
श्री शान-ए-आलम	संयुक्त निदेशक
श्री अजय कुमार	उप निदेशक
श्री विनोद ठुकराल	उप निदेशक
डॉ. आशुतोष कुमार श्रीवास्तव	सहायक निदेशक
डॉ. अरविन्द यादव	सहायक निदेशक
श्री मुकेश शर्मा	सहायक निदेशक
श्री बाल कृष्ण	सहायक निदेशक
श्री किशोर चिलकोटि	सहायक निदेशक
श्री दीदार सिंह	सहायक निदेशक
श्री आशीष वर्मा	सहायक निदेशक
श्रीमती सुषमा शर्मा	सहायक निदेशक
श्री इंदर मोहन अरोड़ा	सांख्यिकीय अधिकारी
श्री संदीप कुमार	सांख्यिकीय अधिकारी
श्रीमती ऋचा डिमरी	सांख्यिकीय अधिकारी
श्री शाहीद खान	सांख्यिकीय अधिकारी
श्री मुकेश नरूला	सांख्यिकीय अधिकारी
सुश्री अनीता स्टीफन	सांख्यिकीय अधिकारी
श्री सुभाष चंदर	सांख्यिकीय अधिकारी
श्री अत्रि सिंह	सांख्यिकीय अधिकारी
श्री गजेंद्र सिंह	सांख्यिकीय अधिकारी
श्री प्रतीक जैन	सांख्यिकीय अधिकारी
श्रीमती कविता	सांख्यिकीय अधिकारी
श्री नवीन दुबे	सांख्यिकीय अधिकारी
श्री वैभव आनंद	सांख्यिकीय अधिकारी
श्री नीरज नारायण	सांख्यिकीय अधिकारी

सांख्यिकीय सहायक / तकनीकी सहायता

श्रीमती किरण चौहान, सुश्री तन्वी गाबा, श्रीमती कीर्ति आर्य, श्री शुभम गुप्ता, श्री अमित शर्मा, श्री मुनीश कुमार, सुश्री मनुमिता त्रिवेदी, श्रीमती ज्योत्सना तनेजा, सुश्री शिल्पी सिन्हा, श्री कपिल, श्री अमित, श्री मोहित ठुकराल, श्री सनी, श्री आशीष, श्री प्रदीप साहू, डॉ. जीतेन्द्र, श्री विकास

दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण, योजना विभाग के साथ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्य विभागों के टीम वर्क और सहयोग का परिणाम है। आर्थिक सर्वेक्षण में योजना विभाग और आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, दिल्ली सरकार से सचिव, निदेशक, विशेष सचिव, उप निदेशक, सहायक निदेशक, सांख्यिकीय अधिकारी और सांख्यिकीय सहायकों का महत्वपूर्ण योगदान शामिल हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण, माननीय मंत्री (योजना), दिल्ली सरकार के बहुमूल्य मार्गदर्शन से लाभान्वित हुआ है।

इसके अलावा, दिल्ली सरकार के विभागों वित्त, विकास, पर्यावरण, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, परिवहन, लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास, दिल्ली जल बोर्ड, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों का कल्याण, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण आदि ने अपने-अपने क्षेत्रों/अध्यायों में अहम योगदान दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण, इन विभागों, विशेष रूप से योजना और सांख्यिकीय संवर्ग, जीएनसीटीडी के अधिकारियों के बहुमूल्य समय, जुड़ाव और योगदान के लिए आभारी है। योजना विभाग, दिल्ली सरकार की प्रशासन और लेखा शाखा द्वारा प्रशासनिक सहायता दी गई है।

डॉ. आशीष चंद्र वर्मा
प्र. सचिव (योजना)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

अध्याय 1

प्रस्तावना

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दिल्ली की आर्थिक वृद्धि संभावनाएं आशाजनक विकास पथ के साथ उज्ज्वल हैं। सरकार के उपायों ने अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप दिया है और सुविधा-वंचित वर्गों को वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया है। व्यापक रणनीति से दिल्ली की आर्थिक क्षमता का और अधिक उपयोग संभव हो सकेगा और समृद्धि की ओर इसकी यात्रा को सहयोग मिलेगा।

2. दिल्ली एक स्मार्ट, सतत और समायोजी शहरी बुनियादी ढांचा सृजित कर भारत के डिजिटली सक्षम क्षेत्र के रूप में विकसित होने के लिए लगातार प्रगति कर रहा है। दिल्ली मास्टर प्लान-2041 दिल्ली को एक विकसित और सुगमता से रहने योग्य स्थान बनाना चाहता है जो हानिकारक बहिःस्राव, धुंएँ और ध्वनि प्रदूषण के बिना औद्योगिक विकास को बढ़ावा देते हुए स्वच्छ, उच्च प्रौद्योगिकी और दक्ष आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन सके।
3. दिल्ली विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राजधानी है। यह देश के सबसे बड़े महानगरों में एक तथा अंतरराष्ट्रीय राजनीति, व्यापार, संस्कृति और साहित्य का केंद्र है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय का लगभग तीन गुना है। दिल्ली में सेवा क्षेत्र का वर्चस्व रहा है जो इसकी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करता है। यह केंद्र शासित प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, गली-कूचों में स्थित दुकानों से लेकर बड़े बड़े ब्रैंड के वैभवपूर्ण शो रूम तक और तरह तरह के व्यंजनों के साथ एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है।
4. दिल्ली को दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। दिल्ली का प्रशासकीय ढांचा दोहरे कार्यक्षेत्र के अधीन है— केंद्र सरकार और राज्य सरकार के। दिल्ली में 11 जिले और 33 सबडिवीजन हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 1,483 वर्ग किलोमीटर है जिसमें 1114 वर्ग किलोमीटर शहरी और 369 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र है। इसकी सीमा पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश से और अन्य सभी दिशाओं में हरियाणा से लगती है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का केंद्र भी है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 द्वारा सृजित विशेष अंतर्राज्य क्षेत्रीय योजना क्षेत्र है। दिल्ली महानगरीय क्षेत्र में तीन स्थानीय निकाय हैं—दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी)।
5. दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय महत्व का स्मृति चिन्ह है, जिसकी स्थापना देश के शहीदों के त्याग और बलिदान के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति में वर्ष 2019 में की गयी थी। नई दिल्ली में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक के दो किलोमीटर के खंड राजपथ को एक नया नाम दिया गया है— कर्तव्य पथ। यह बदलाव सत्ता की ताकत का बोध कराने वाले शब्द राजपथ का जनता के स्वामित्व और सशक्तीकरण का प्रतीक कर्तव्य पथ बनने का उदाहरण है।
6. “एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य : वसुधैव कुटुम्बकम्” सूत्र वाक्य के साथ जी-20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में

आयोजित हुआ। इस बार भारत ने पहली दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण की। जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने भू-राजनीतिक मुद्दों तथा विकास और आर्थिक वृद्धि पर इनके प्रभावों पर विचार विमर्श का नेतृत्व किया। भारत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन, हरित विकास पहल, बहुपक्षीय वित्त पोषण, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और अंतरराष्ट्रीय कराधान पर केंद्रित घोषणा पत्र पर सर्वसहमति प्राप्त करने में सफल रहा।

राज्य की अर्थव्यवस्था

7. दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित और स्थिर मूल्यों पर हमेशा राष्ट्रीय औसत की तुलना में लगभग 2.5 गुणा अधिक रही है। वर्ष 2022-23 के दौरान दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 430120 रुपये के स्तर पर पहुंच गयी जो 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर 376217 रुपये थी। 2023-24 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 461910 रुपये है जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 7.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 के दौरान स्थिर मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय का अग्रिम अनुमान 258941 रुपये था जबकि वर्ष 2021-2022 में यह 244024 रुपये थी। 2023-24 के दौरान स्थिर मूल्यों पर दिल्ली की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय का अग्रिम अनुमान पिछले वर्ष की तुलना में 5.69 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, 273687 रुपये तक पहुंच जाने की आशा है।
8. दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक है। 2023-24 के दौरान सकल राज्य मूल्यवर्द्धित (प्रचलित मूल्यों पर) में इस क्षेत्र का योगदान 85.40 प्रतिशत है, इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का योगदान (13.02 प्रतिशत) और प्राथमिक क्षेत्र का (1.58 प्रतिशत) रहा। राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन और राज्य की आय में योगदान में तृतीयक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
9. वर्ष 2023-24 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली के जीएसडीपी का अग्रिम अनुमान 1107746 करोड़ रुपये हो जाने की आशा है जिसमें वर्ष 2022-23 के मुकाबले 9.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 के दौरान स्थिर मूल्यों पर दिल्ली के जीएसडीपी का अग्रिम अनुमान 672247 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था जो 2022-23 की तुलना में 7.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
10. दिल्ली में सफल व्यापक टीकाकरण अभियान के कारण अर्थव्यवस्था के सामान्य स्तर पर लौटने के साथ ही सेवा क्षेत्र, उपभोग और निवेश में तेजी से बहाली की आशा बंधी है। कोरोना काल के बाद दिल्ली में कुल आर्थिक गतिविधि बहाल हुई है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 में क्रमशः 8.76 प्रतिशत और 7.85 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दिल्ली की वास्तविक जीएसडीपी में सुधार हुआ है।

योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए बजट

11. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली को विश्वस्तरीय, समावेशी, उत्तरदायी और सबके लिए सुविधासंपन्न शहर बनाकर अपने नागरिकों की आकांक्षा पूरी करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। सरकार ने उच्च कोटि के स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन सुविधा और जन उपयोगी बुनियादी

ढांचे के साथ अपने नागरिकों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और जरूरतमंदों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण की व्यवस्था की है।

12. वर्ष 2023-24 का बजट 78,800 करोड़ रुपये का था जिसमें से 43,700 करोड़ रुपये रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार की स्कीम/कार्यक्रम/परियोजनाओं के लिए आवंटित किये गये। यह आवंटन 2022-23 (ब.अ.) के 43,600 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये अधिक था।

43,700 करोड़ रुपये का बजट आवंटन विभिन्न क्षेत्रों के बीच वितरित किया गया। आवंटन का बड़ा हिस्सा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों का ब्योरा इस प्रकार है:-

- (1) **परिवहन:-** स्कीम के तहत सबसे अधिक बजट आवंटन परिवहन क्षेत्र के लिए है - 9048 करोड़ रुपये (कुल स्कीम बजट का 21 प्रतिशत)। इसमें से प्रमुख आवंटन (i) 3061 करोड़ रुपये सड़क और पुलों के लिए (ii) 2250 करोड़ रुपये डीटीसी को जीआईए के लिए (iii) 1250 करोड़ रुपये कलस्टर बसों के व्यवहार्यता अंतराल के लिए (iv) 900 करोड़ रुपये बस टर्मिनल/डिपो इत्यादि के विकास के लिए है।
- (2) **शिक्षा:-** इस क्षेत्र के लिए 7565 करोड़ रुपये का बजट आवंटन (कुल स्कीम बजट का 17 प्रतिशत) है जिसमें से बड़ा आवंटन (i) 1710 करोड़ रुपये एमसीडी के लिए (ii) 783 करोड़ रुपये समग्र शिक्षा अभियान (iii) 550 करोड़ रुपये मौजूदा स्कूल भवनों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण के लिए (iv) 250 करोड़ रुपये शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए और (v) 263 करोड़ रुपये स्कूल यूनिफॉर्म सबसिडी के लिए हैं।
- (3) **जलापूर्ति और स्वच्छता:-** जलापूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र के लिए 6342 करोड़ रुपये का बजट आवंटन है जो कुल स्कीम बजट का 15 प्रतिशत है। इसमें से 2110 करोड़ रुपये का बड़ा आवंटन जलापूर्ति के लिए यमुना और जल निकायों के कायाकल्प के 85 करोड़ रुपये है, जिसमें और 3332 करोड़ रुपये सीवरेज और जलनिकासी प्रणाली के लिए शामिल है।
- (4) **आवासन और शहरी विकास** के लिए बजट आवंटन में 5462 करोड़ रुपये हैं जो कुल स्कीम बजट का 12 प्रतिशत है। इसमें (i) 1177 करोड़ रुपये अमृत 2.0 (पुनरुद्धार और शहरी कायापलट के लिए अटल मिशन) के तहत, (ii) 599 करोड़ रुपये एमसीडी के लिये, (iii) 1002 करोड़ रुपये अनधिकृत कॉलोनियों में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हैं।
- (5) **चिकित्सा और जन स्वास्थ्य :** इस क्षेत्र के लिए बजट आवंटन 4830 करोड़ रुपये है जो कुल स्कीम बजट का 11 प्रतिशत है।

13. आउटकम बजट 2023-24 में 22 प्रमुख विभागों का उल्लेख है जिसमें प्रमुख कार्यक्रम और स्कीम तथा प्रत्येक के लिए मुख्य आउटपुट और आउटकम संकेतक निर्दिष्ट किये गये हैं। यह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है कि संकेतक स्मार्ट यानी (विशिष्ट, मापन योग्य, उत्तरदायित्व निश्चित करने योग्य, वास्तविक और लक्षित) हों साथ ही ये विभिन्न विभागों की समान स्कीम और कार्यक्रमों से तुलना योग्य भी हों।

14. आउटकम बजट की स्थिति रिपोर्ट भी वार्षिक रूप से संकलित की जाती है जो आउटकम बजट की उपलब्धियों की स्थिति बतलाती है। निर्दिष्ट संकेतकों को 'ऑन ट्रैक' और 'ऑफ ट्रैक' रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है।

सार्वजनिक वित्त

15. दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर कर राजस्व और केंद्र से सहायता अनुदान/अन्य प्राप्तियां शामिल हैं। रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के कर राजस्व में जीएसटी (वस्तु और सेवाओं पर अन्य कर और प्रभार सहित), मूल्य संवर्द्धित कर (वैट), स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, राज्य आबकारी और मोटर वाहन कर के तहत प्राप्तियां शामिल हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान, ये कर सम्मिलित रूप से राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का 75.53 प्रतिशत थे। 2022-23 (अनंतिम) के दौरान दिल्ली सरकार के कर संग्रह में 18.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2021-22 में 36 प्रतिशत की वृद्धि रही थी। 2022-23 में कर राजस्व के सभी घटकों में सकारात्मक वृद्धि रही। 2023-24 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार के लक्षित कर संग्रह में 2022-23 (अनंतिम) की वास्तविक वृद्धि की तुलना में 13.10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। दूसरी तरफ, दिल्ली सरकार के गैर कर राजस्व में मुख्य रूप से विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा निवेश और सेवा प्रभार/शुल्क/जुर्माना इत्यादि शामिल हैं।
16. दिल्ली विधान सभा ने 31 मई 2017 को राज्य वस्तु और सेवा अधिनियम पारित किया था और इस प्रकार दिल्ली में जीएसटी 01.07.2017 से लागू हुआ। इसके परिणाम स्वरूप पूर्व में लागू वैट (पेट्रोलियम, शराब इत्यादि के अलावा) और अन्य कर जैसे मनोरंजन कर, विलासिता कर और केबल टीवी कर जीएसटी में समाहित हो गये। रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के व्यापार और कर विभाग ने सभी मौजूदा वैट डीलर्स को वस्तु और सेवा कर की नयी प्रणाली में सुचारु ढंग से लाने के लिए सभी प्रयास किये।
17. वर्ष 2013-14 में दिल्ली सरकार पर 32080.31 करोड़ रुपये का बकाया ऋण था जो इसके जीएसडीपी के 6.48 प्रतिशत के बराबर था। 31.03.2023 को बकाया ऋण राशि 40017.55 करोड़ रुपये थी जिससे ऋण-जीएसडीपी अनुपात 3.94 प्रतिशत पर आ गया। राजस्व प्राप्तियों और ब्याज भुगतान के अनुपात में भी कमी आयी और यह 2022-23 में 5.21 प्रतिशत हो गया जबकि 2012-13 में यह अनुपात 11.20 प्रतिशत था। इससे स्पष्ट है कि ऋण समस्या नियंत्रण में है। दिल्ली सरकार को 2022-23 के दौरान 3251.22 करोड़ रुपये जबकि 2021-22 के दौरान 5000 करोड़ रुपये का लघु बचत ऋण प्राप्त हुआ।
18. दिल्ली ने राजकोषीय अधिशेष की अपनी स्थिति बनाए रखी है। वर्ष 2022-23 (अनंतिम) में यह बढ़कर 14457 करोड़ रुपये हो गया जबकि 2021-22 में यह 3270 करोड़ रुपये था। 2022-23 के दौरान दिल्ली का राजकोषीय अधिशेष जीएसडीपी का 1.42 प्रतिशत था और 2023-24 (बजट अनुमान) में यह 0.52 प्रतिशत है।
19. पहले के केंद्रीय वित्त आयोगों की तरह ही दिल्ली पंद्रहवें वित्त आयोग (15वें सीएफसी) की संदर्भ शर्तों के दायरे में नहीं आ सका है। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2020-21 से लेकर 2025-26 तक की है। इसलिए राज्यों के लिए आयोग द्वारा की जाने वाली अनुशंसाएं, जिसमें केंद्रीय करों में

हिस्सा, स्थानीय निकायों के लिए सहायता अनुदान, राजस्व घाटा अनुदान, क्षेत्रीय अनुदान, आपदा राहत अनुदान इत्यादि शामिल हैं, दिल्ली को नहीं मिल सकेंगी। इस मुद्दे पर रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार पहले ही भारत सरकार से समुचित कदम उठाने का अनुरोध कर चुकी है ताकि दिल्ली को 16वें वित्त आयोग के दायरे में लाया जा सके। वर्तमान में दिल्ली को केंद्रीय करों में हिस्से के बदले केवल विवेकाधीन अनुदान मिलता है और यह भी 2001-02 से 325 करोड़ रुपये पर स्थिर है। वर्ष 2000-01 में रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के लिए सामान्य केंद्रीय सहायता 370 करोड़ रुपये थी और 22 वर्ष बाद भी यह (2022-23) 626 करोड़ रुपये है। इसके अलावा 2023-24 के बजट अनुमानों से 'केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बदले अनुदान' और 'केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता' को जोड़ दिया गया है, जो कि 2023-24 (ब.अ.) में 951 करोड़ रुपये हैं।

20. रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार समय समय पर गठित किये जा रहे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपने स्थानीय निकायों को राशि अंतरित कर रही है। दिल्ली में स्थानीय निकायों को राशि अंतरण का तीसरे दिल्ली वित्त आयोग (कार्यकाल 2006-07 से 2010-11) की सिफारिशों पर आधारित फॉर्मूला 2015-16 तक बढ़ा दिया गया था। रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार ने कैबिनेट निर्णय संख्या 2669 और 2670 दिनांक 01.01.2019 के द्वारा पांचवें दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशें 2016-17 से 2020-21 तक लागू करने और 2011-12 से 2015-16 तक निवल कर का अंतरण, चौथे के स्थान पर तीसरे दिल्ली वित्त आयोग के अनुसार जारी रखने का फैसला लिया।

व्यापार और वाणिज्य

21. व्यापार और वाणिज्य ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था की मजबूती में, कर राजस्व के रूप में महत्वपूर्ण योगदान और समाज के बड़े हिस्से को लाभकारी रोजगार मुहैया कराकर, केंद्रीय भूमिका निभायी है। दिल्ली उत्तर भारत में सबसे बड़ा व्यापार और उपभोग केंद्र है। व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में दिल्ली की विशेष पहचान है यानी कि इसकी आर्थिक गतिविधि का बड़ा हिस्सा कहीं और तैयार माल के पुनर्वितरण तथा स्थानीय बिक्री के लिए आयात और अन्य राज्यों को निर्यात किये जाने यानी अंतर्राज्यीय बिक्री से जुड़ा है। अपनी भौगोलिक स्थिति और अन्य ऐतिहासिक कारणों, बुनियादी ढांचा सुविधाओं की उपलब्धता इत्यादि की वजह से दिल्ली ने एक प्रमुख वितरण केंद्र का दर्जा हासिल कर लिया है।
22. दिल्ली में व्यापार, होटल और रेस्तरां से जीएसवीए वर्ष 2023-24 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर 117471 करोड़ रुपये रहा जो दिल्ली के कुल जीएसवीए का लगभग 12.05 प्रतिशत है (आधार वर्ष 2011-12)। दिल्ली के जीएसवीए में इस क्षेत्र का योगदान पिछले 13 वर्षों में 10 प्रतिशत से अधिक रहा है।

मूल्य रुझान

23. थोक मूल्य सूचकांक (डबल्यूपीआई) राष्ट्रीय स्तर पर थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में बदलाव मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। डबल्यूपीआई की वर्तमान श्रृंखला आधार वर्ष (2011-12 = 100) से तुलना के लिए एक अवधि के दौरान थोक मूल्यों में परिवर्तन दर्शाती है। भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मासिक बिक्री मूल्य सूचकांक (डबल्यूपीआई) संकलित करता है और जारी करता है।

24. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडबल्यू) का सामान्य उपयोग दैनिक उपभोग की आम वस्तुओं के खुदरा मूल्यों का रुझान मापने के लिए किया जाता है। श्रम ब्यूरो ने सितंबर 2020 से सीपीआई-आईडबल्यू की मौजूदा श्रृंखला के आधार 2001=100 को नये आधार 2016=100 में अद्यतन किया है। श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़ अद्यतन श्रृंखला के तहत भारत में दिल्ली सहित चुने हुए 88 केंद्रों/बाजारों के लिए मासिक आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित और जारी कर रहा है।
25. सूचकांक (सीपीआई-आईडबल्यू) 6 समूहों के लिए अलग से तैयार किया जाता है और इसके बाद प्रत्येक ग्रुप को भार देते हुए इसे संघटित किया जाता है। अद्यतन श्रृंखला 2016 = 100 के तहत सबसे अधिक भार खाने पीने की वस्तुओं के समूह को दिया गया है, 36.13 प्रतिशत पर। इसके बाद विविध को 26.26 प्रतिशत, ईंधन और प्रकाश को 7.05 प्रतिशत, वस्त्र और फुटवियर को 5.43 प्रतिशत, पान, सुपारी और मादक पदार्थ को क्रमशः 0.84 प्रतिशत तथा आवास 24.29 प्रतिशत पर।
26. दिल्ली में औद्योगिक श्रमिकों के लिए वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 46 अंक (3.7 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2022 के 125.7 से बढ़कर वर्ष 2023 में 130.3 हो गया। खाद्य और बीवरेज समूह का सूचकांक 2022 के 130.7 से बढ़कर 2023 में 136.7 हो गया, इसमें 6.0 (4.6 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गयी।

कृषि और ग्रामीण विकास

27. 2011-12 के मूल्यों पर दिल्ली के सकल राज्य मूल्य संवर्द्धित (जीएसवीए) के प्रतिशत संवितरण ने कृषि और सहयोगी सेक्टर में गिरावट का रुझान दर्शाया। स्पष्ट रूप से कहा जाये तो जीएसवीए में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत योगदान जारी मूल्यों पर 2011-12 के 0.94 प्रतिशत से कम होकर 2023-24 में 0.32 प्रतिशत हो गया।
28. दिल्ली में कुल सकल फसल क्षेत्र घटकर 2023-24 में 33069 हेक्टेयर हो गया जो 2012-13 के दौरान 35178 हेक्टेयर था। दिल्ली का शेष क्षेत्र विभिन्न अन्य उपयोगों जैसे गैर कृषि कार्यों, वन, उसर भूमि, न जोतने योग्य भूमि इत्यादि में प्रयुक्त हो रहा है। दिल्ली में कृषि क्षेत्र में कमी का मुख्य कारण तेजी से शहरीकरण और पेशे में बदलाव है, विशेषकर पिछले दो दशकों के दौरान।
29. पशुधन कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था के विकास पर असर डालता है। दिल्ली एक उपभोक्ता राज्य हो गया है जिसमें पशुधन और पशुधन उत्पादों की आपूर्ति अन्य राज्यों से की जा रही है।
30. दिल्ली में पशुदेखभाल संबंधी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए 48 सरकारी पशु अस्पताल, 29 पशु चिकित्सालय, 1 प्रयोगशाला, 1 किसान सूचना केंद्र और 2 चल क्लीनिक हैं। सरकारी पशु अस्पताल और औषधालयों में उपचार पाने वाले पशुओं की संख्या 2011-12 के 4,15,986 से बढ़कर 2022-23 में 5,49,198 हो गयी।, सितंबर 2023 तक 2,87,792 पशु सरकारी पशु अस्पताल और औषधालयों में उपचार ले चुके थे। इस बढ़ोतरी का कारण किसानों में शिक्षा और जागरूकता बढ़ना है।

पर्यावरणीय सरोकार

31. सरकार ने पर्यावरण में सुधार के लिए हाल में अनेक उपाय किये हैं। इन उपायों में वृक्षारोपण, निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन लगाना, पराली प्रबंधन के लिए आईएआरआई, पूसा से विकसित बायोडिकंपोजर को बढ़ावा देना, ताप बिजली संयंत्रों को बंद करना, यांत्रिक सड़क बुहारी मशीनों (एमआरएस) का उपयोग, जल छिड़काव यंत्रों और एंटी स्मॉग गनों का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करना, एकल उपयोग प्लास्टिक पर पाबंदी, ठोस कचरे का बेहतर प्रबंधन, अवजल उपचार, खुले में कूड़ा कचरा और सूखी पत्तियां जलाने पर प्रतिबंध, सीवेज प्रणाली में सुधार, स्वच्छ ईंधन अपनाने के साथ कड़े औद्योगिक उत्सर्जन नियम इत्यादि आते हैं।
32. वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार के लगातार प्रयासों से अच्छे दिनों (अच्छे/संतोषजनक/मध्यम दिन मिलकर) की संख्या 2018 के 158 से बढ़कर 2023 में, जनवरी से दिसंबर 2023 के दौरान 206 हो गयी है।
33. रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण के लिए वन और पेड़ों से घिरे क्षेत्र का दायरा बढ़ाने की पहल की है। भारतीय राज्य वन रिपोर्ट, 2021 के अनुसार सरकार की पहल के कारण वन और वृक्ष क्षेत्र का दायरा बढ़कर 342 वर्ग किलोमीटर हो गया है और कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनों का हिस्सा बढ़कर 23.06 प्रतिशत हो गया है।
34. दिल्ली पार्क औ उद्यान सोसायटी (डीपीजीएस) दिल्ली में पार्कों औ उद्यानों का रख-रखाव करती है। दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य के साथ इस काम में डीपीजीएस निवासी कल्याण संघों/गैर सरकारी संगठनों को शामिल करती है। वर्ष 2022-23 के दौरान 421 आरडब्ल्यू/एनजीओ की भागीदारी से 540 एकड़ क्षेत्र में 1877 पार्कों का रख-रखाव किया गया और वर्ष 2023-24 में (31.10.2023 तक) 403.66 एकड़ क्षेत्र में 1404 पार्कों की देख-रेख 276 आरडब्ल्यू/एनजीओ की भागीदारी से सुनिश्चित की गई।

उद्योग

35. दिल्ली नीति आयोग द्वारा किये गये आकलन के अनुसार, संधारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी)- 9- "समावेशी सतत औद्योगिकरण, नवाचार को बढ़ावा" पर एसडीजी भारत सूचकांक 3.0 रिपोर्ट में केंद्रशासित प्रदेशों में शीर्ष पर है।
36. जारी मूल्यों पर जीएसवीए अनुमानों के अनुसार विनिर्माण से होने वाली आय 2011-12 के 18907 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 (अ.अ.) में 45959 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि जीएसवीए में विनिर्माण का प्रतिशत योगदान 2011-12 के 6.24 प्रतिशत से घटकर 2023-24(अ.अ.) में 4.72 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान दिल्ली के कुल जीएसवीए में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान भी घटकर 2011-12 के 13.09 प्रतिशत से 2023-24 (अ.अ.) में 13.02 प्रतिशत पर आ गया।

दिल्ली में पर्यटन

37. भारत की राजधानी दिल्ली विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिए प्रमुख गंतव्यों में एक है। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट अ गलैस— 2022 के अनुसार 2022 में कुल विदेशी पर्यटकों के आगमन में दिल्ली 9.50 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ चौथे स्थान पर रहा। दिल्ली में और इसके आसपास कई महत्वपूर्ण विरासत स्थल हैं। दिल्ली पर्यटन क्षेत्र से भी आय अर्जित करता है।
38. दिल्ली सरकार ने हाल के वर्षों में स्मारक और विरासत स्थलों के लिए विभिन्न पहल की हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटक सूचना केंद्र स्थापित किया गया है।
39. दिल्ली पर्यटन विभाग राजधानी में अनेक मेले और उत्सवों का आयोजन करता है। राजधानी को न केवल विदेशी पर्यटकों बल्कि घरेलू पर्यटकों और दिल्ली के नागरिकों के लिए भी विशिष्ट पर्यटन और सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में दर्शाने के लिए अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। दिल्ली पर्यटन दिल्ली हाट आईएनए, दिल्ली हाट पीतमपुरा और दिल्ली हाट जनकपुरी (खानपान और शिल्प बाजार) तथा कॉफी होम भी संचालित करता है। दिल्ली पर्यटन का एक अनूठा उद्यान भी है जिसे 'गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज' नाम से जाना जाता है।

ऊर्जा

40. दिल्ली सरकार ने 2002 में बिजली संचरण और उत्पादन के निगमीकरण और विद्युत वितरण के निजीकरण के साथ बिजली क्षेत्र सुधार लागू किये। दिल्ली के बिजली परिदृश्य में संचरण और वितरण हानि में कमी, उपभोक्ता सेवाओं, संचरण और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। दिल्ली विद्युत बोर्ड समाप्त करने के बाद दिल्ली के बिजली प्रतिष्ठान में उत्पादन कंपनियों (इंद्रप्रस्थ बिजली उत्पादन कंपनी लिमिटेड— आईपीजीसीएल और प्रगति पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड— पीपीसीएल) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड से संचरण, और पांच वितरण कंपनियां— डिस्कॉम्स— बीवाईपीएल, बीआरपीएल, टीपीडीडीएल, एनडीएमसी, और एमईएस) की भागीदारी है।
41. दिल्ली में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। दिल्ली के हाइ लोड घनत्व वाला शहरी स्थान होने के कारण यहां बिजली उपभोग 2011-12 के 25593 मेगायूनिट से बढ़कर 2022-23 में 35042 मेगा यूनिट हो गया है। दिल्ली में घरेलू बिजली उपभोग अधिक होने और चरम की मौसम स्थितियां होने के कारण बिजली लोड पैटर्न और पीक लोड पैटर्न विशेष है। दिल्ली का बिजली क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में बिल्कुल अलग है, क्योंकि अन्य राज्यों को बिजली की कमी का सामना करना पड़ता है जबकि दिल्ली के पास बढ़ती मांग और पीक लोड पूरी करने के लिए बिजली आधिक्य है।
42. दिल्ली में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बिजली खरीद 40997 मेगा यूनिट रही। कुल बिजली खरीद का 09.65 प्रतिशत दिल्ली सरकार के बिजली संयंत्रों के उत्पादन से लिया गया, 90.35 प्रतिशत बिजली की खरीद केंद्र सरकार और अन्य स्रोतों से हुई। वर्ष 2022-23 में पीक अवधि की मांग बढ़कर 7695 मेगा वाट हो गई जबकि वर्ष 2013-14 में यह 5653 मेगावाट थी।

43. दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिजली का वितरण, 2012-13 के 21361 मिलियन यूनिट से बढ़कर 2022-23 में 30054 मिलियन यूनिट हो गया। इसी अवधि में दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 44.64 लाख से बढ़कर 68.51 लाख हो गई। बिजली क्षेत्र में सुधारों के बाद समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानि में महत्वपूर्ण कमी आई और यह 2002 (जुलाई 2002 से पहले) के सुधार पूर्व समय के 52 प्रतिशत से कम होकर 2022-23 में 6.42 प्रतिशत रह गया।
44. दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का राज्य संचरण केंद्र है। इस पर प्रणाली की जरूरतों के अनुसार ईएचवी नेटवर्क के उन्नयन, संचालन और रख-रखाव के अलावा 220 केवी और 400 केवी स्तर पर बिजली संचरण का उत्तरदायित्व है। विद्युत अधिनियम 2003 लागू होने के बाद दिल्ली में बिजली प्रणाली का एकीकृत संचालन सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के तहत एक नया विभाग— स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) गठित किया गया। इससे पहले एसएलडीसी दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड/दिल्ली विद्युत बोर्ड के संचालन और रख-रखाव विभाग का हिस्सा था। एसएलडीसी दिल्ली ने 1 जनवरी 2004 को काम शुरू किया था।
45. दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के बिजली संचरण नेटवर्क में 400 केवी के चार और 220 केवी के 41 सब-स्टेशन हैं और ये संचरण लाइनों से जुड़े हैं। मौजूदा नेटवर्क में दिल्ली के चारों ओर 400 केवी का घेरा है जो पूरी दिल्ली में फैले 220 केवी नेटवर्क से जुड़ा है। 2022-23 के दौरान इसकी कुल रूपांतरण क्षमता 400 केवी स्तर पर 5410 एमवीए और 220 केवी स्तर पर 14580 एमवीए है। 2022-23 के दौरान कुल ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई सर्किट किलोमीटर में 400 केवी स्तर पर 249.2 और 220 केवी स्तर पर 915.87 है।
46. दिल्ली सरकार ने ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (ईईएंडआरईएमसी) की स्थापना की है। यह केंद्र ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, बिजली मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी (एसडीए) के रूप में काम करता है। यह विभिन्न ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों को संचालित करता है। ईईएंडआरईएमसी ने राज्य नोडल एजेंसी के रूप में भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ मिलकर संबंधित परियोजनाएं कार्यान्वित की हैं।
47. नगर निगम के ठोस कचरे का निपटान एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। इस समस्या से निपटने के साथ-साथ बिजली उत्पादन के लिए दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर कचरे से ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं। एमसीडी और एनटीपीसी ने 12 मेगावॉट का कचरे से ऊर्जा संयंत्र लगाने का संयुक्त उद्यम तैयार किया है।
48. सितंबर 2023 तक नवीकरणीय ऊर्जा की कूल संस्थापित क्षमता 339 मेगावाट है (255 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन+84 मेगावाट कचरे से ऊर्जा उत्पादन)।

परिवहन

49. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आबादी 16.78 मिलियन (2011 की जनगणना के अनुसार) है। यह पर्यटन, शिक्षा और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है। रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार शहर में सुरक्षित

सुचारू, सस्ती, जनअनुकूल और कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।

50. दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के दो महत्वपूर्ण घटक हैं— बस परिवहन, मुख्यतः डीटीसी और क्लस्टर बसों द्वारा तथा डीएमआरसी का मेट्रो रेल। 2022-23 में डीटीसी बसों में दैनिक औसत यात्री संख्या 25.02 लाख और क्लस्टर बसों में 16.39 लाख थी।
51. मेट्रो लाइन के 64.751 किलोमीटर का काम फेज-1 के अंतर्गत और 123.30 किलोमीटर का काम फेज-2 (16.32 किलोमीटर एनसीआर में और 22.91 किलोमीटर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के सम्मिलित करके) के अंतर्गत पूरा हुआ। फेज-3 के तहत एनसीआर विस्तार में अतिरिक्त कॉरिडोर, जिसमें 110 स्टेशनों (एनसीआर के 30 स्टेशन के साथ 42.18 किलोमीटर लंबे मार्ग, 1 स्टेशन के साथ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का 2 किलोमीटर रूट) के साथ 162 किलोमीटर लंबे रूट का कार्य पूरा किया गया। फेज-4 के तहत 3 प्राथमिकता कॉरिडोर का काम शुरू हो चुका है।
52. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 31 मार्च 2023 को सड़कों पर मोटर वाहनों की कुल संख्या 0.34 प्रतिशत वृद्धि के साथ 79.45 लाख थी। दिल्ली सरकार द्वारा 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है और 2022-23 तक 62,59,214 वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। 2022-23 में प्रति एक हजार की आवादी पर वाहनों की संख्या 473 थी (2011 की जनगणना के अनुसार), इसमें 2021-22 की तुलना में कोई खास अंतर नहीं आया जब यह संख्या 472 थी।
53. दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लागू की गईं। रिंग रोड और आउटर रिंग रोड के—95.13 किलोमीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग— 37.50 किलोमीटर, शाखा सड़कें—298 किलोमीटर और 30 मीटर से कम चौड़ाई वाली 926 किलोमीटर सड़कें बनाई गईं।
54. एनसीआर में डीटीसी सबसे बड़ा सार्वजनिक परिवहन प्रतिष्ठान है। दिसंबर 2023 के अनुसार डीटीसी शहर के 489 रूटों पर और एनसीआर के 08 रूटों पर 4093 बसें परिचालित हैं। डीटीसी दिल्ली-काठमांडू के लिए अंतरराष्ट्रीय बस सेवा भी संचालित कर रही है। इसके अलावा 2841 बसें क्लस्टर योजना के तहत चलाई जा रही हैं।
55. वर्तमान में 63 बस डिपो (डीटीसी 40, क्लस्टर 23) और 16 बस टर्मिनल परिचालन में हैं। जिनमें से 11 बस डिपो (डीटीसी-8, क्लस्टर 3) का विद्युतीकृत किया जा चुका है। इसके अलावा 16 बस टर्मिनल भी प्रचालन में हैं।
56. रात्रि सेवा के लिए 27 रूटों पर 88 बसें चलाई जाती हैं। 30 रूटों पर व्यस्ततम समय के दौरान 30 महिला स्पेशल बसें भी चलाई जा रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2022-23 में डीटीसी की बसों में 8628 मार्शल और क्लस्टर बसों 2752 मार्शलों की तैनाती थी।
57. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली में विद्युत बसों को बढ़ावा देने का फैसला किया है इससे वाहनों के कारण होने वाले उत्सर्जन में कमी आएगी। भारत में विद्युत वाहनों के निर्माण और

तेजी से अपनाये जाने की योजना (फेम इंडिया) के तहत डीटीसी में दिसंबर 2023 तक 996 बिजली चालित बसें (डीटीसी-902, क्लस्टर-94) शुरू की जा चुकी हैं।

58. दिल्ली में डीटीसी/क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा की सुविधा है। 2022-23 के दौरान डीटीसी की बसों में 22 करोड़ और क्लस्टर बसों में 23.41 करोड़ महिला यात्रियों ने निशुल्क यात्रा की।

जलापूर्ति और सीवरेंज

59. एसडीजी-6 के अंतर्गत संधारणीय विकास लक्ष्यों में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है— सबसे लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना। दिल्ली सरकार साफ, सुरक्षित, पर्याप्त और सुलभ पीने का पानी तथा स्वच्छता तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वस्थ जीवन के लिए ये जन सुविधाएं सभी नागरिकों को उपलब्ध कराई जानी है। सरकार सभी घरों को चौबीसों घंटे साफ पानी उपलब्ध कराने, अधिक से अधिक मात्रा में अवजल और ठोस कचरे तथा सभी प्रकार के औद्योगिक बहिस्राव का उपचार सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।
60. दिल्ली सरकार ने जल कनेक्शन का मीटर रखने वाले प्रत्येक घरों को 20 किलोलीटर तक पानी निशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया है। लगभग 24.72 लाख उपभोक्ता इस योजना के लागू होने के बाद से लाभान्वित हो चुके हैं। हाल में सरकार ने एक सीमित अवधि के लिए सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराने की स्कीम शुरू की है। इसका उद्देश्य अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले अनिच्छुक निवासियों को अपने घरों को सीवर लाइन से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर शहर और यमुना नदी को स्वच्छ बनाना है। सीवर कनेक्शन के लिए आवश्यक विकास शुल्क से छूट देकर अधिक से अधिक घरों को सीवर कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
61. रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही है उपेक्षित और सुविधावंचित क्षेत्रों तक नियमित जलापूर्ति उपलब्ध कराना। कुल अनधिकृत कॉलोनियों के 97 प्रतिशत को इस दायरे में लाया गया है। शेष अनधिकृत कॉलोनियों को भी नियमित जलापूर्ति उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
62. जल और स्वच्छता क्षेत्र में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है— दिल्ली से बाहर के स्रोतों से जलापूर्ति बढ़ाना— जैसे हिमाचल प्रदेश में रेणुका बांध, उत्तराखंड में किशाउ और लखवार व्यासी बांध, तालाबों के संभरण से यमुना बाढ़ क्षेत्र से भूमिगत जल प्राप्त कर रहे हैं। जल पुनचक्रण, वर्षा जल संचयन, पानी का रिसाव रोके जाने, समुचित जल लेखांकन से गैर राजस्व जल की मात्रा में कमी लाने, बल्क मीटर लगाने जैसे उपायों से आंतरिक स्रोतों की क्षमता बढ़ाई जा रही है।
63. दिल्ली जल बोर्ड ने अपने प्रशासनिक कार्य क्षमता में सुधार किया है और पानी की मांग पूरी करने, कुशल जल वितरण प्रबंधन, समुचित जल लेखांकन, जीपीएस/जीपीआरएस के उपयोग से पारदर्शी टैंकर जल वितरण प्रणाली के लिए कई उपाये किए हैं।
64. दिल्ली के लगभग 93.5 प्रतिशत घरों को अब पाइप के जरिये जलापूर्ति हो रही है। गर्मियों के दौरान जल उत्पादन 1000 एमजीडी प्रतिदिन पर बनाए रखा जा रहा है। पानी की आपूर्ति मौजूदा

आपूर्ति नेटवर्क के जरिये होती है, जिसमें 15473 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन और 117 से अधिक भूमिगत जलाशय (यूजीआर) शामिल हैं। वर्तमान आपूर्ति नेटवर्क से दिल्ली की 21.5 मिलियन आवादी को जलापूर्ति की जा रही है। लगभग 1030 माइल्ड स्टील टैंकों के अलावा 250 नए खरीदे गए स्टेनलेस स्टील के टैंकर पानी के कमी वाले क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए मौजूदा टैंकों के बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं।

65. दिल्ली जल बोर्ड ने जल लेखांकन के लिए फ्लो मीटर लगाने की परियोजना शुरू की है। दिल्ली जल बोर्ड लगभग 3285 बल्क फ्लो मीटर अपनी प्राथमिक और द्वितीयक प्रणाली में लगा रहा है जो 100 मि.मी. व्यास से 1500 मि.मी. व्यास तक के हैं। लगभग 3236 फ्लो मीटर लगाए जा चुके हैं। दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय झंडेवालान में एक डेटा/एससीएडीए केंद्र स्थापित किया गया है जहां वास्तविक समय आधार पर ऑनलाइन डेटा प्राप्त किए जा रहे हैं। इससे वास्तविक समय निगरानी और बेहतर जल वितरण में मदद मिल रही है।
66. दिल्ली जल बोर्ड की स्थापित क्षमता में पिछले 15 वर्ष के दौरान 16.79 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 2009 में यह क्षमता 810 एमजीडी थी जो बढ़कर 2023 में 946 एमजीडी हो गई है।
67. जल शुल्क 'अधिक इस्तेमाल, अधिक भुगतान' के सिद्धांत पर आधारित है। वर्तमान जल शुल्क नीति पानी का अत्यधिक उपभोग या पानी बर्बाद करने वाले उपभोक्ताओं को हतोत्साहित करने वाली है। दिल्ली जल बोर्ड ने वर्ष 2022-23 के दौरान 1294.86 करोड़ रुपये संकलित किए हैं। 20 किलोलीटर प्रतिमाह पानी का उपभोग करने वाले और जल मीटर लगवा चुके दिल्ली जल बोर्ड के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है और उन्हें एक मार्च 2015 से पानी बिल भुगतान से पूरी तरह छूट दी गई है।
68. दिल्ली जल बोर्ड ने बिना मीटर वाली जलापूर्ति की मीटरिंग के उद्देश्य से जल मीटर लेने के लिए अपनी प्रणाली में सुधार किया है। वाटर कनेक्शन की मंजूरी के साथ जल मीटर आपूर्ति की मौजूदा प्रणाली में संशोधन किया गया है। अब उपभोक्ता खुले बाजार से अनुमोदित विशेषताओं वाले जल मीटर खरीद सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के त्रुटिपूर्ण मीटर प्रस्तुत करने वाले उपभोक्ताओं को इसके स्थान पर निजी जल मीटर लेने की अनुमति होगी और उन्हें या तो मीटर सिक्योरिटी का रिफंड लेने या बाद के जल प्रभार में इसे समायोजित करने का विकल्प दिया जाएगा।
69. दिल्ली जल बोर्ड अपने 64 जल निकायों का पुनरुद्धार कर रहा है। इनमें से 39 का पुनरुद्धार कार्य पूरा हो चुका है और 25 के लिए जल्दी ही निविदाएं जारी की जाएगी।
70. तिमारपुर ऑक्सीडेशन पौंड, द्वारका, पप्पनकला, रोहिणी, निलोठी में जल निकाय सृजन और रोशनआरा लेक का पुनरुद्धार कार्य शुरू किया जा रहा है।
71. दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी सीवेज उपचार क्षमता बढ़ाकर 31.03.2023 तक 632.26 एमजीडी कर ली है। जबकि 31.03.2001 को यह क्षमता 402.40 एमजीडी थी। दिल्ली जल बोर्ड की शाखीय, परिधीय सीवर नेटवर्क लगभग 10000 किलोमीटर का है। 200 किलोमीटर का मुख्य सीवर नेटवर्क भी है।

72. दिल्ली सरकार का लक्ष्य दिल्ली को एक ऐसे गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए संधारणीय, समावेशी और सबके लिए समान सुविधाओं से युक्त बनाना है, जो पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक रूप से सतत और सुलभ हो। मलिन बस्तियों के उन्नयन, बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा पर्याप्त जल स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधाजनक आवास तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। ये नागरिकों के उत्तम और स्वास्थ्यकर जीवन के लिए अनिवार्य घटक हैं।
73. दिल्ली में आवास बाजार की स्थिति जटिल है, जहां इसका बुनियादी आधार 'जमीन' केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और दिल्ली विकास प्राधिकरण और कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के माध्यम से भूमि अधिग्रहण और विकास उसकी जिम्मेदारी है। आवास की आपूर्ति और मांग के बीच बहुत बड़ा अंतर है, जिसकी भरपाई बड़े पैमाने पर गैर-विनियमित निजी क्षेत्र करता है। बड़े पैमाने पर आवास की कमी, अनेक परिवारों का बिना किसी आश्रय या अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं वाले आश्रय में रहना, मलिन बस्तियों की भारी आबादी, अनेक परिवारों के पास एक कमरे का आवास होना दिल्ली के आवास परिदृश्य की मुख्य पहचान है।
74. हाल के वर्षों में सरकार मुख्य रूप से सुविधा वंचित और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर अधिक ध्यान दे रही है। अनधिकृत कालोनियों में भारी सरकारी निवेश पारदर्शी और प्रभावी तरीके से किया गया है। इसका उद्देश्य सड़कों के विकास, जल निकासी और साफ-सफाई की व्यवस्था से लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। स्व-स्थाने मलिन बस्ती पुनर्वास परियोजनाओं का उद्देश्य इन बस्तियों में रह रहे लोगों को 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराना है। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं से लगभग 52,000 रिहायशी इकाइयों की स्थिति में सुधार होने का अनुमान है।
75. पहली मई, 2017 से दिल्ली सरकार ने भारत सरकार के रीयल एस्टेट (नियमन और विकास) अधिनियम 2016 के तहत रीयल एस्टेट (नियमन और विकास) अधिनियम लागू किया। इसका लक्ष्य रीयल एस्टेट क्षेत्र का नियमन सुनिश्चित करना और प्लॉटों, अपार्टमेंट या भवनों की बिक्री को प्रोत्साहित करना है ताकि उपभोक्ताओं के हित संरक्षित किए जा सकें। अधिनियम के तहत प्राधिकरण के निर्णयों, निर्देशों या आदेशों से संबंधित अपील की सुनवाई के लिए रीयल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का गठन किया जाएगा। यह अधिकरण पारदर्शिता, नागरिकों के प्रति जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन के लिए रीयल एस्टेट क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
76. दिल्ली का मूल ऐतिहासिक स्वरूप बनाए रखने और शाहजहांनाबाद पुनर्विकास निगम के माध्यम से पुरानी दिल्ली के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक व्यापक पुनर्विकास योजना तैयार की गई है। यह निगम उन शहरी विरासत स्थलों का संरक्षण करेगा जो स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और जिनका सामाजिक सांस्कृतिक महत्व है।
77. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन के तहत अनेक पहल की हैं। जैसे- घरों से कचरा एकत्र करना, स्रोत पर ही उन्हें अलग-अलग करना, कचरा उपचार संयंत्रों का

विकेन्द्रीकरण और एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोक लगाना। 11,104 मीट्रिक टन प्रतिदिन ठोस कचरा एकत्र किया गया और तीन कूड़ा स्थलों तथा प्रसंस्करण संयंत्रों तक भेजा गया। कुल कचरे के लगभग 47 प्रतिशत का प्रसंस्करण कचरे से ऊर्जा और कचरे से कंपोस्ट संयंत्रों के माध्यम से किया जाता है तथा शेष को तीन कूड़ा स्थलों पर डाल दिया जाता है।

78. रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने भलस्वा, गाजीपुर और ओखला कूड़ा स्थलों पर एकत्र कचरे के निपटान के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन के लिए राशि जारी की है। इन कूड़ा स्थलों पर लंबे समय से एकत्र किए जा रहे कचरे से लोगों के स्वास्थ्य और वातावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसका स्वीकार्य नियमों के तहत जल्दी से जल्दी वैज्ञानिक और पर्यावरण के लिए सुरक्षित निपटान किया जाना आवश्यक है। इन स्थानों से कूड़े का ढेर हटाने के बाद खाली हुई जमीन का उपयोग एकीकृत कचरा प्रसंस्करण और उपचार केंद्र के रूप में किया जा सकेगा। परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए इस स्थल के चारों ओर जैव विविधता पार्क भी विकसित किया जा सकेगा।

शिक्षा

79. 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर 86.2 प्रतिशत है, इसमें पुरुष साक्षरता दर 90.9 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 80.8 प्रतिशत है, जो 80.9 प्रतिशत पुरुष साक्षरता और 64.6 प्रतिशत महिला साक्षरता दर के साथ 73 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत से कहीं ज्यादा है। दिल्ली में साक्षरता में स्त्री-पुरुष अंतराल में कमी आई है और यह 2001 के 12.62 प्रतिशत से कम होकर 2011 में 10.1 प्रतिशत रह गई। 75वें एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली केरल के बाद साक्षरता दर में दूसरे स्थान पर है। केरल की साक्षरता दर 88.7 प्रतिशत है।
80. दिल्ली में 5488 मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं जिनमें 46.29 लाख बच्चों का नामांकन है। दिल्ली सरकार के कुल 1240 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं जो दिल्ली में चल रहे कुल स्कूलों का 22.59 प्रतिशत है। वर्ष 2022-23 के दौरान सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकन का हिस्सा दिल्ली के सभी स्कूलों के कुल नामांकन का 41.61 प्रतिशत रहा।
81. यूडीआईएसई+ रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार दिल्ली में शिक्षा के सभी स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) और निवल नामांकन अनुपात (एनईआर) अखिल भारतीय स्तर की तुलना में कहीं ज्यादा है।
82. शिक्षा निदेशालय ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 10वीं और 12वीं दोनों स्तरों पर सराहनीय परिणाम हासिल किए हैं। शिक्षा सत्र 2022-23 में सरकारी स्कूलों में उत्तीर्णता प्रतिशत 10वीं कक्षा के स्तर पर 91.1 प्रतिशत और 12वीं कक्षा के स्तर पर 94.1 प्रतिशत रहा।
83. शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा का अधिकार-आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षा सत्र 2023-24 में आर्थिक रूप से कमजोर और सुविधावंचित श्रेणी के बच्चों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन ड्रा का संचालन किया और निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर पर 35186 सीटें आवंटित की।

84. आबीआई की राज्य बजट विश्लेषण रिपोर्ट से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सभी राज्यों की तुलना में शिक्षा क्षेत्र के लिए लगातार सर्वाधिक बजटीय आवंटन कर रही है। 2023-24 के दौरान दिल्ली शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट के 21 प्रतिशत के निर्धारण के साथ शीर्ष पर रहा। इसके बाद छत्तीसगढ़ (18.2 प्रतिशत) और हिमाचल प्रदेश (17.6 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2023-24 में इस संदर्भ में राष्ट्रीय औसत 13.3 प्रतिशत था।
85. वर्ष 2021-22 के दौरान स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक की पायलट परियोजना के अनुभव के आधार पर डीजीएचएस और शिक्षा निदेशालय ने इस परियोजना को आगे बढ़ाया। प्रत्येक स्कूल के स्वास्थ्य क्लिनिक में 1 पीएचएनओ (जन स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी) और एनओ (नर्स ऑडलरी) नियमित आधार पर सप्ताह में 6 दिन और एक चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ/एसएमओ) प्रत्येक पांच स्कूल हेल्थ क्लिनिक के लिए होंगे। यह परियोजना सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं और एनीमिया, मायोपिया, किशोर उम्र में डायबिटीज जैसे रोगों के जल्द पता लगाने में मदद करती है।
86. उच्च शिक्षा निदेशालय के प्रतिभा सह माध्यम से जुड़े वित्तीय सहायता स्कीम के अंतर्गत आकलन वर्ष 2021-22 के 10650 विद्यार्थी वित्तीय वर्ष 2021-22 में लाभान्वित हुए। हालांकि यह स्कीम अभी दिल्ली उच्च और तकनीकी शिक्षा सहयोग स्कीम (दिल्ली उच्च शिक्षा सहायता ट्रस्ट के तहत) के रूप में संशोधित किए जाने के लिए प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव अभी कैबिनेट की मंजूरी के लिए सौंपा गया है।
87. दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 2020 में हुई। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय कौशल शिक्षा प्रदान करना और कौशल से जुड़े कार्यक्रमों का संचालन करना है, ताकि राष्ट्र के विकास के लिए प्रशिक्षित और रोजगार में लगाने योग्य मानव संसाधन विकसित करने की चुनौती का समाधान किया जा सके। वर्ष 2023-24 के दौरान विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता 7910 थी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

88. दिल्ली अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की समान और सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने तथा संचारी और गैर संचारी रोगों में कमी लाकर मृत्युदर कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
89. दिल्ली सरकार 4 स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा मॉडल लागू कर रही है। पहले और दूसरे स्तर पर मोहल्ला क्लिनिक और पॉलिक्लिनिक से प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। 31 मार्च 2023 को 92 अस्पताल, 39 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1658 औषधालय, 124 मैटर्निटी होम और उप-केंद्र, 46 पॉलिक्लिनिक, 1040 नर्सिंग होम, 405 विशेष क्लिनिक और स्वैच्छिक संगठन तथा 19 मेडिकल कॉलेज दिल्ली में उपलब्ध थे। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में बहुत बड़ा योगदान है। दिल्ली सरकार के 38 मल्टीस्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 174 एलोपैथिक औषधालय, 60 सीड प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र, 521 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, 30 पॉलिक्लिनिक, 55 आयुर्वेदिक औषधालय, 25 यूनानी औषधालय,

117 होम्योपैथी औषधालय और 46 स्कूल स्वास्थ्य क्लीनिक नागरिकों को स्वास्थ्य उपचार सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

90. सरकार ने दिल्ली आरोग्य कोष के माध्यम से सूचीबद्ध निजी स्वास्थ्य केंद्रों में निशुल्क रेडियोलॉजिकल नैदानिक सेवाएं और निशुल्क सर्जरी शुरू की है। रेडियोलॉजिकल निदानों और सर्जरी के लिए रोगियों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से सूचीबद्ध निजी स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफर किया जा रहा है। सड़क दुर्घटना, एसिड हमले/जलने की घटना के पीड़ित लोगों का भी उपचार दिल्ली आरोग्य कोष से किया जा रहा है।
91. भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी एसआरएस मई 2022 के आधार पर, शिशु मृत्युदर, नवजात मृत्युदर, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर जैसे महत्वपूर्ण संकेतकों के संदर्भ में दिल्ली 12, 9 और 14 की स्तर पर है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह क्रमशः 28, 20 और 32 है। इसी प्रकार 1.4 के कुल फर्टिलिटी रेट (टीएफआर) के साथ दिल्ली अखिल भारतीय स्तर पर 2.0 दर की तुलना में नीचे के स्तर पर है। यह आंकड़ा रिप्लेसमेंट रेट की उपलब्धि दर्शाता है।
92. शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव का स्तर प्राप्त करने के लिए मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को और प्रभावी और सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है। 2022 में संस्थागत प्रसव का अनुपात 94.02 प्रतिशत था। शत-प्रतिशत दर की उपलब्धि के लिए सभी आवश्यक उपाय अपनाए जाने की जरूरत है।
93. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य, टीबी नियंत्रण, कुष्ठरोग उपचार पर ध्यान केंद्रित किया गया है और यह कार्यक्रम दिल्ली में दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से लागू किए जा रहे हैं। दिल्ली एड्स नियंत्रण सोसायटी राष्ट्रीय एड्स रोकथाम कार्यक्रम लागू कर रही है। आयुष निदेशालय आईएसएम और होम्योपैथी की स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं सुनिश्चित करता है।

सामाजिक कल्याण और सुरक्षा

94. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, मुसीबतजदा महिलाएं, विशेष आवश्यकता वाले लोगों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम/स्कीम लागू कर रही है।
95. मौजूदा वर्ष के दौरान, वरिष्ठ नागरिकों (4.05 लाख लाभान्वित दिसंबर 2023 तक), मुसीबतजदा महिलाएं (3.75 लाख लाभान्वित दिसंबर 2023 तक), विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति (1.23 लाख लाभान्वित दिसंबर 2023 तक) की वित्तीय सहयोग योजना के लिए आवंटन लगभग 3206 करोड़ रुपए है। 60-69 वर्ष तक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिमाह 2000 रुपए और 70 वर्ष और ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिमाह 2500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों और मुसीबतजदा महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए का वित्तीय सहयोग दिया जाता है। एक नई स्कीम 'मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार वित्तीय सहायता' 2021-22 से शुरू

की गई जिसका उद्देश्य कोविड महामारी में परिवार की रोजी-रोटी कमाने वाले मुखिया की मृत्यु के बाद बचे सदस्यों के लिए प्रतिमाह 2500 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

96. महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए महिला और बाल विकास विभाग कुछ प्रमुख कार्यक्रम लागू कर रहा है जैसे-एकीकृत बाल विकास योजना, लाडली योजना, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, विधवाओं को उनकी बेटियों के विवाह और अनाथ लड़कियों के विवाह के लिए वित्तीय सहयोग। दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।
97. दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, किशोर न्याय, बाल मनोविज्ञान और उपेक्षित बच्चों की देखभाल से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए कार्यरत है।
98. दिल्ली सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 11220 रुपए प्रतिमाह और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 5610 रुपए प्रतिमाह की मानदेय राशि उपलब्ध करा रही है।
99. दिल्ली सरकार एससी/एसटी/ओबीसी/ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा एससी/ एसटी/ ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही हैं जैसे वित्तीय सहायता 'मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना' ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति प्रदान करना।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

100. दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंधन खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था के तहत समाज के वंचित वर्गों को खाद्यान्न मुख्यतः चावल, गेहूं और चीनी रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है। दिल्ली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू करने वाला पहला राज्य था। इसे भारत सरकार द्वारा अधिनियम लागू करने के तुरंत बाद पहली सितंबर 2013 से दिल्ली में लागू कर दिया गया।
101. दिल्ली सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ई-पीओएस और एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना जुलाई 2021 से लागू की है। इसके अनुसार एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड के अंतर्गत जुलाई 2021 से दिल्ली में सभी उचित मूल्यों की दुकानों तक पहुंच लागू किए जाने के बारे में आदेश 19 जुलाई 2021 को जारी किया गया। इसके जरिये सभी प्रवासी लाभार्थियों को, जो अपने मूल राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आते हैं, एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत ई-पीओएस के जरिये बायोमैट्रिक पहचान की पुष्टि के बाद राशन लेने की अनुमति है।
102. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सार्वजनिक वितरण नेटवर्क में 1997 उचित मूल्य की दुकानें हैं जो मार्च 2023 को 17.84 लाख डिजिटल खाद्य सुरक्षा कार्ड के जरिये 72.78 लाख आबादी को सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही थीं। यह खाद्य सुरक्षा कार्ड आधार से जुड़े होते हैं। दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न (10 किलो चावल, 25 किलो गेहूं) और एक किलो चीनी मिलती

है। पीएचएच श्रेणी के लाभार्थियों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्य (1 किलो चावल और 4 किलो गेहूं) मिलता है।

103. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक एनएफएस के सभी लाभार्थियों (72.78 लाख) को पांच किलो खाद्यान्न (4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल) प्रति माह उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार ने भी अंत्योदय अन्न योजना के सभी कार्ड धारकों (56,700 कार्ड धारक) को एक किलो चीनी निशुल्क उपलब्ध कराई।

जनसांख्यिकी स्वरूप

104. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या रिपोर्टों के अनुसार शहरीकरण की तेज गति के साथ ग्रामीण आबादी और ग्रामीण क्षेत्र लगातार कम होता जा रहा है। दिल्ली में 1901 के 53 प्रतिशत की तुलना में 2011 में 97 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में थी। यह राष्ट्रीय राजधानी में शहरीकरण की तेज वृद्धि का स्पष्ट संकेत है। दिल्ली की ग्रामीण जनसंख्या 1991 के 9.49 लाख से घटकर 2011 में 4.19 लाख रह गई है। शहरीकरण की इस गति के कारण दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्र के गांव की संख्या 1961 के 300 से कम होकर 2001 में 165 और 2011 में 112 रह गई है।
105. 1951 के बाद से पहली बार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आबादी की दशकीय वृद्धि दर में कमी आई और यह 2011 में 21.2 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि 2001 में यह 47.02 प्रतिशत थी। यह 2011 की जनगणना की एक अनोखी विशेषता थी, क्योंकि 1951 के बाद की सभी जनगणनाओं में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 50 प्रतिशत से अधिक रही है। केवल 2001 को छोड़कर जब यह 47 प्रतिशत थी। जनसंख्या में तेज वृद्धि से जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ा और यह 1991 के 6352 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2001 में 9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 2011 में 11320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया।
106. 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में जनसंख्या का घनत्व लगभग 11320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जबकि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 382 लोगों का था। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व वर्ष 2011 के दौरान सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक था।

दिल्ली में गरीबी रेखा

107. निर्धनता वह स्थिति है जब व्यक्ति या समुदायों को जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए संसाधनों, योग्यता और माहौल का अभाव होता है। यह वह स्थिति दर्शाती है जिसमें एक व्यक्ति आरामदायक जीवन के लिए पर्याप्त जीवन स्तर बनाए रखने में विफल हो जाता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 68वें दौर (जून 2011 से जुलाई 2012) के आधार पर नीति आयोग ने गांवों और शहरों में गरीबी रेखा कि राज्यवार रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके अनुसार दिल्ली में ग्रामीण गरीबी रेखा का स्तर 1145 रुपये और शहरों में 1134 रुपये होने का अनुमान व्यक्त किया। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह

प्रति व्यक्ति था। 2011–12 में दिल्ली में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की अनुमानित संख्या 16.96 लाख थी और यह संख्या दिल्ली की कुल आबादी का 9.91 प्रतिशत थी।

108. अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय, दिल्ली राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा समय-समय पर कराये गये प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर “लेबल एंड पैटर्न ऑफ हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑफ दिल्ली” नामक रिपोर्ट जारी करता है। एनएसएस 68वें दौर (जुलाई 2011 से जून 2012) रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रति व्यक्ति व्यय 3726.66 रुपए है, जिसमें 1461.54 रुपए खाद्य सामग्री पर और 2265.12 रुपए गैर खाद्य सामग्री पर व्यय किए जाते हैं।
109. दिल्ली सरकार ने 2015 से दिल्ली के नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल उपलब्धता, बिजली और महिला सुरक्षा क्षेत्रों में सब्सिडी उपलब्ध कराई है। सरकार द्वारा निर्धन वर्गों के उत्थान के लिए, महिलाओं के लिए निशुल्क बस सेवा अनेक कल्याणकारी स्कीम/कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

रोजगार और बेरोजगारी

110. भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021–जून 2022 के दौरान कराए गए आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार सभी आयुवर्ग में श्रमबल भागीदारी दर (प्रतिशत में) 34.8 और जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान 35.7 थी जबकि श्रमिक जनसंख्या अनुपात (प्रतिशत में) जुलाई 2021 से जून 2022 के दौरान 33.0 तथा जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान 35.0 था। सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार बेरोजगारी दर (प्रतिशत में) जुलाई 2021 से जून 2022 के दौरान 5.3 और जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान 1.9 थी।

अध्याय 2

राज्य अर्थव्यवस्था

1. उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे भरोसेमंद पैमाना रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (पूर्ववर्ती केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार उत्पादन लागत और बाजार मूल्यों पर जीडीपी की घोषणा करती रही है। जनवरी 2015 में सीएसओ ने अपने संशोधन में उत्पादन लागत पर जीडीपी को सकल मूल्य संवर्धन-जीवीए बुनियादी मूल्यों पर और बाजार मूल्यों पर जीडीपी के साथ प्रतिस्थापित कर दिया, जिसे अब केवल सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी कहा जाता है। यह मध्यवर्ती उपभोग (आउटपुट के आगे उत्पादन में प्रयुक्त और अंतिम उपभोग में प्रयुक्त नहीं) का मूल्य घटा कर अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन का मूल्य है। उत्पादन लागत, प्राथमिक मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर निवल उत्पादन (उत्पादन कर में से उत्पादन सब्सिडी घटाकर) कर और निवल उत्पाद करों (उत्पाद कर में से उत्पाद सब्सिडी घटा कर) के बीच के अंतर पर आधारित होता है। उत्पादन कर और उत्पादन सब्सिडी का भुगतान या प्राप्ति उत्पादन के संदर्भ में की जाती है और यह भू-राजस्व, स्टैम्प और पंजीकरण शुल्क जैसे उत्पादन वाल्यूम से पृथक होता है। दूसरी तरफ उत्पाद कर और उत्पाद सब्सिडी का भुगतान या प्राप्ति प्रति यूनिट या प्रति उत्पाद किया जाता है, जैसे उत्पाद कर, सेवा कर, जीएसटी, बिक्री कर, निर्यात और आयात शुल्क इत्यादि। उत्पादन लागत में केवल उत्पादन के विभिन्न घटकों को किया गया भुगतान शामिल होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई कर शामिल नहीं होता। बाजार मूल्यों तक पहुंचने के उद्देश्य से हमें उत्पादन लागत में कुल सब्सिडी को घटा कर कुल अप्रत्यक्ष करों को जोड़ना होगा। प्राथमिक मूल्य इनके बीच निर्धारित होता है : इनमें उत्पादन कर (उत्पादन सब्सिडी को घटा कर) शामिल होते हैं लेकिन उत्पाद कर (उत्पाद सब्सिडी को घटा कर) शामिल नहीं होते। इसलिए मार्केट मूल्य निर्धारित करने के लिए हमें उत्पाद कर (उत्पाद सब्सिडी घटा कर) को प्राथमिक मूल्यों में जोड़ना होता है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय/राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय प्राथमिक मूल्यों पर सकल मूल्य संवर्धन-जीवीए/जीएसवीए जारी करता है। इसलिए इसमें निवल उत्पादन कर शामिल होते हैं, लेकिन निवल उत्पाद कर शामिल नहीं होते। जीडीपी/जीएसडीपी (बाजार मूल्यों पर) के निर्धारण के लिए हमें प्राथमिक मूल्यों पर जीवीए में निवल उत्पाद कर जोड़ने होते हैं। इसलिए

उत्पादन लागत पर जीवीए+निवल उत्पादन कर =प्राथमिक मूल्यों पर जीवीए + निवल उत्पाद कर = बाजार मूल्यों पर जीडीपी।

- 1.1 राज्य घरेलू उत्पाद (एसडीपी), किसी राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर किसी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। इसे राज्य की आय भी कहा जाता है। एसडीपी की गणना या आकलन हमेशा मौद्रिक संदर्भ में की जाती है और यह प्रति व्यक्ति आय की गणना में प्रयुक्त होती है। राज्य की आर्थिक समृद्धि के मापन और अर्थव्यवस्था में आ रहे संरचनात्मक बदलाव के अध्ययन के लिए यह संकेतक का काम करता है। किसी समयावधि में एसडीपी आकलन आर्थिक विकास के स्तर पर बदलावों की सीमा और दिशा स्पष्ट करता है। सकल राज्य मूल्य संवर्धन (जीएसवीए) की संरचना अर्थव्यवस्था में किसी समयावधि में विभिन्न सेक्टरों की सापेक्ष स्थिति का अंदाजा उपलब्ध कराती है। जो न केवल अर्थव्यवस्था में हो रहे वास्तविक संरचनात्मक

बदलावों को इंगित करता है बल्कि समग्र आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने में भी सहायक होता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली की आय का एक बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र से आता है, जो भारतीय संघ के तेजी से विकसित हो रहे राज्यों के लिए विकास इंजन माना जाता है।

2. अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का असर और कमिक सुधार

- 2.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली में कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए सुरक्षित दूरी और पृथक्वास उपायों के कड़ाई से पालन के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत दिल्ली महामारी रोग, कोविड-19 विनियमन, 2020 जारी किया और पूरे रा.रा.क्षे. में सोमवार 23 मार्च 2020 की सुबह 6 बजे से मंगलवार 31 मार्च 2020 की मध्य रात्रि तक लॉकडाउन अधिसूचित किया। इसके बाद 24 मार्च 2020 को 21 दिन का सख्त राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित किया गया और बाद में इसे बढ़ा कर 31 मई 2020 तक कर दिया गया। भारत ने महामारी के आरंभिक चरण में मार्च से अप्रैल 2020 तक राष्ट्रव्यापी सख्त पूर्णबंदी लागू की। इसके बाद चरणबद्ध रूप से लॉकडाउन में छूट दी गई और रोकथाम उपायों में कुछ ढील दी गई।
- 2.2 अप्रैल-मई, 2021 में देश में कोविड-19 की दूसरी लहर आई जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मई, 2021 को डेल्टा वैरिएंट का नाम दिया और उसे कोविड के प्रमुख वैरिएंट के रूप में वर्गीकृत किया, जो विश्वभर में फैल रहा था। डेल्टा पूर्ववर्ती संक्रमण की तुलना में तेजी से फैला और इससे दुनिया में ज्यादा लोग चपेट में आए और मौतें भी ज्यादा हुईं। दिसंबर, 2021 और जनवरी, 2022 के दौरान ओमिक्रॉन नाम के नए वैरिएंट के साथ देशभर में कोविड-19 की तीसरी लहर आई। इससे 2021-22 के दौरान आर्थिक वृद्धि की गति धीमी पड़ गई।
- 2.3 पिछले तीन साल कोविड-19 महामारी के कारण विश्व अर्थव्यवस्था के लिए कठिन रहे हैं। वर्ष 2020, 2021 और 2022 में नए कोविड-19 वायरस के साथ बेजोड़ उथल-पुथल देखी गई और नतीजतन महामारी एक इस सदी में आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरी। महामारी अर्थव्यवस्था और समाज के लगभग हर वर्ग पर अपने व्यापक प्रभाव के कारण विशिष्ट रही है। महामारी ने अर्थव्यवस्था में आपूर्ति और मांग दोनों को प्रभावित किया है।
- 2.4 संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए अपनाए गए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का भारी आर्थिक मूल्य चुकाना पड़ा, क्योंकि इनके कारण लगभग पूरी आर्थिक गतिविधियां ठप्प हो गईं, उपभोग और इन्वेस्टमेंट पर अंकुश लग गया और साथ ही श्रम की आपूर्ति और उत्पादन में रुकावट आई। इस प्रकार कोविड-19 ने पूरे विश्व के लोगों का “जीवन” और “आजीविका” बचाने के कठिन संकट में डाल दिया, क्योंकि संक्रमण की वक्र रेखा को समतल करने के लिए उठाए गए कदमों ने वृहद आर्थिक मंदी की वक्र रेखा और गहरी कर दी।
- 2.5 ये महामारी एक जबरदस्त आर्थिक आघात के रूप में सामने आई, जिसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की आपूर्ति और मांग पक्ष दोनों को आघात पहुंचाया। बढ़ती हुई अनिश्चितता, कम होता भरोसा, आय में कमी, विकास की दुर्बल संभावनाएं, संक्रमण का भय, सभी प्रकार की संपर्क संवेदनशील गतिविधियों के बंद हो जाने के कारण व्यय विकल्पों में कमी, एहतियातन बचत करने की विवशता, व्यवसायों के बंद होने का जोखिम और इसके कारण उपभोग और निवेश में गिरावट से मांग पक्ष को भारी आघात पहुंचा। आर्थिक गतिविधियों के बंद हो जाने और श्रमिकों की आवाजाही पर पाबंदी से आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ा। आपूर्ति पक्ष में पहले क्रम के व्यवधान ने

मांग और आपूर्ति, दोनों पर दूसरे दौर का भी नकारात्मक असर डाला। आपूर्ति पर आरंभिक आघात के कारण पारिश्रमिक और आय में कमी आने से आगे भी समग्र मांग पर असर पड़ने और उत्पादन क्षमता प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है, जिससे आगे फिर आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। टीकाकरण से मृत्यु दर काफी हद तक कम करने में सफलता मिली, आर्थिक, गतिविधियां फिर शुरू करने का हौसला और दूसरी लहर से आई क्रमिक आर्थिक मंदी से उत्पादन में कमी रोकने में मदद मिली।

- 2.6 2020-21 के दौरान दिल्ली के जीएसडीपी में (स्थिर मूल्यों पर) 8.96 प्रतिशत का संकुचन कोविड-19 महामारी और उसे नियंत्रित करने के लिए किए गए रोकथाम उपायों के विशिष्ट प्रभाव को दर्शाता है। जबकि, प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार दिल्ली की अर्थव्यवस्था में 2022-23 में वास्तविक जीएसडीपी का 7.85 प्रतिशत विस्तार होने की उम्मीद है, जबकि 2020-21 के संकुचन के बाद वर्ष 2021-22 के लिए दूसरे संशोधित अनुमानों के अनुसार 8.76 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि हुई। इसका तात्पर्य यह है कि समग्र आर्थिक गतिविधियां महामारी से पहले के स्तर पर बहाल हो गई थीं। इसके अलावा, वर्ष 2023-24 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, दिल्ली की अर्थव्यवस्था में महामारी के विनाशकारी प्रभाव के बाद 7.39 प्रतिशत की वृद्धि के साथ तेजी से सुधार दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय स्तर के जीवीए/जीडीपी की तुलना में दिल्ली के जीएसवीए/जीएसडीपी में देखी गई वृद्धि की क्षेत्रवार स्थिति विवरण 2.1 में प्रस्तुत की गई है।

विवरण 2.1
अर्थव्यवस्था की क्षेत्रवार वृद्धि (स्थिर मूल्यों पर)

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
	दिल्ली	अखिल भारत	दिल्ली	अखिल भारत	दिल्ली	अखिल भारत	दिल्ली	अखिल भारत	दिल्ली	अखिल भारत
1. कृषि, वानिकी और मछली पालन	-2.30	6.2	-19.04	4.1	-8.88	3.5	0.51	4.0	4.61	1.8
2. खनन और खुदाई	9.49	-3.0	12.75	-8.6	-32.04	7.1	-22.41	4.6	9.34	8.1
3. विनिर्माण	4.96	-3.0	0.05	2.9	11.44	11.1	0.57	1.3	4.49	6.5
4. बिजली, गैस, जल आपूर्ति और उपयोग संबंधी अन्य सेवाएं	-6.20	2.3	-4.98	-4.3	9.63	9.9	-0.93	9.0	6.19	8.3
5. निर्माण	-2.19	1.6	-6.47	-5.7	23.38	14.8	12.10	10.0	7.46	10.7
6. व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण से जुड़ी सेवाएं	5.67	6.0	-24.44	-19.7	8.37	13.8	13.93	14.0	9.22	6.3
7. वित्तीय, जायदाद (संपत्ति), और पेशेवर सेवाएं	3.62	6.8	-0.60	2.1	6.74	4.7	5.64	7.1	5.44	8.9
8. लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	10.44	6.6	-3.90	-7.6	6.90	9.7	9.50	7.2	9.66	7.7
जीएसवीए/जीवीए बुनियादी मूल्यों पर	4.79	3.9	-7.99	-4.2	7.06	8.8	7.48	7.0	7.19	6.9
जीएसडीपी/जीडीपी बाजार मूल्यों पर	3.69	3.9	-8.96	-5.8	8.76	9.1	7.85	7.2	7.39	7.3

- 2.7 बड़े पैमाने पर सफल टीकाकरण अभियान से अर्थव्यवस्था की स्थिति फिर से सामान्य होने लगी है और सेवा क्षेत्र खपत और निवेश में तेजी से सुधार के आसार बन गए हैं। कुल मिलाकर, महामारी से पहले के स्तर से आगे बढ़ते हुए दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों में सुधार हुआ है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 में दिल्ली की वास्तविक जीएसडीपी में क्रमशः 8.76 प्रतिशत और 7.85

प्रतिशत की तीव्र रिकवरी हुई है, जो कम आधारभूत दुष्प्रभाव और अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित शक्तियों पर आधारित है।

3. प्रचलित मूल्यों पर आकलन

- 3.1 वर्ष 2019–20 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 792911 करोड़ रुपये आंका गया था, जो इससे पहले के वर्ष के मुकाबले 7.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता था। वर्ष 2020–21 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली के जीएसडीपी में 6.13 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 744277 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2021–22 में यह बढ़ कर 881336 करोड़ रुपये और 2022–23 के दौरान बढ़कर 1014688 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जिसमें पिछले वर्षों की तुलना में क्रमशः 18.41 और 15.13 प्रतिशत का इजाफा हुआ। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान अग्रिम अनुमानों के अनुसार दिल्ली के जीएसडीपी के 1107746 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचने की संभावना है, जो वित्तीय वर्ष 2022–23 के मुकाबले 9.17 प्रतिशत अधिक है। दिल्ली का निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) प्रचलित मूल्यों पर 2019–20 के दौरान 712842 करोड़ रुपये आंका गया था, जिसमें इससे पहले के वर्ष के मुकाबले 7.06 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 2020–21 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली का एनएसडीपी घट कर 657966 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 7.70 प्रतिशत की कमी रही। परन्तु, वर्ष 2021–22 के दौरान यह बढ़कर 782570 करोड़ रुपये और 2022–23 में बढ़कर 911639 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 18.94 प्रतिशत और 16.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2023–24 के अग्रिम अनुमानों से पता चलता है कि दिल्ली का एनएसडीपी बढ़कर 997171 करोड़ रुपये होने की संभावना है, जिसमें 2022–23 की तुलना में 9.38 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।
- 3.2 अधिकांश शहरी अर्थव्यवस्था में हुई सामान्य प्रक्रिया की भांति ही दिल्ली में सेवा क्षेत्र में बढ़ोत्तरी का रुझान है। वर्तमान मूल्यों पर दिल्ली के सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन (जीएसवीए) के प्रतिशत वितरण से पता चला है कि कुछ वर्षों में मामूली उतार-चढ़ाव के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में गिरावट का रुख है जबकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में मिलाजुला रुख रहा। खासकर दिल्ली में जीएसवीए के प्राथमिक क्षेत्र के प्रतिशत योगदान वर्तमान मूल्यों पर 2011–12 के 3.49 प्रतिशत से घटकर 2023–24 में 1.58 प्रतिशत रह गया। इसी अवधि में जीएसवीए में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान वर्तमान मूल्यों पर 13.09 प्रतिशत से घटकर 13.02 प्रतिशत हो गया जबकि तृतीयक (सेवा) क्षेत्र का जीएसवीए में योगदान वर्तमान मूल्यों पर 2011–12 के 83.42 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 85.40 प्रतिशत हो गया।

4. स्थिर मूल्यों पर आकलन (आधार वर्ष 2011–12)

- 4.1 दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2019–20 के दौरान 586168 करोड़ रुपये रिकार्ड किया गया था, जिसमें उससे पिछले वर्ष की तुलना में 3.69 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई। 2020–21 के दौरान स्थिर मूल्यों पर दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद घटकर 533634 करोड़ रुपये रह गया, जिसमें 8.96 प्रतिशत की कमी रही। परन्तु 2021–22 के दौरान यह बढ़कर 580396 करोड़ रुपये और 2022–23 के दौरान बढ़कर 625981 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें क्रमशः 8.76 प्रतिशत और 7.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। 2023–24 के दौरान दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम आकलन के अनुसार यह स्थिर मूल्यों पर 672247 करोड़ रुपये रिकॉर्ड किया गया, जिसमें 2022–23 की तुलना में 7.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दिल्ली का निवल राज्य घरेलू

उत्पाद (एनएसडीपी) स्थिर मूल्यों पर 2019-20 के दौरान 522031 करोड़ रुपये आंका गया था, जिसमें इससे पहले के वर्ष के मुकाबले 3.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 2020-21 के दौरान स्थिर मूल्यों पर दिल्ली का एनएसडीपी घट कर 465770 करोड़ रुपये रह गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 10.78 प्रतिशत की कमी रही। परन्तु, वर्ष 2021-22 के दौरान यह बढ़कर 507595 करोड़ रुपये और 2022-23 के दौरान बढ़ कर 548826 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 8.98 प्रतिशत और 8.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार दिल्ली का एनएसडीपी बढ़कर 590836 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचने की संभावना है, जिसमें वर्ष 2022-23 की तुलना में 7.65 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

- 4.2 2011-12 के मूल्यों पर दिल्ली के सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन (जीएसवीए) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में मामूली बदलाव को छोड़कर गिरावट का रुख रहा लेकिन द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में मिलाजुला रुख रहा। अधिक स्पष्ट शब्दों में, दिल्ली के जीएसवीए में प्राथमिक क्षेत्र का प्रतिशत योगदान जो 2011-12 के मूल्यों (स्थिर मूल्यों) पर 2011-12 में 3.49 प्रतिशत था, वह 2023-24 में घट कर 1.64 प्रतिशत रह गया। इसी अवधि में स्थिर मूल्यों पर दिल्ली के द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 13.09 प्रतिशत से बढ़कर 13.92 प्रतिशत हो गया। दिल्ली के जीएसवीए में सेवा क्षेत्र का प्रतिशत योगदान जो 2011-12 के मूल्यों पर 2011-12 में 83.42 प्रतिशत था वह 2023-24 में बढ़कर 84.44 प्रतिशत हो गया।
- 4.3 प्रचलित मूल्यों और 2011-12 के (स्थिर) मूल्यों के आधार पर पिछले 13 वर्षों में दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में जानकारी विवरण 2.2 में दी गयी है।

विवरण 2.2

दिल्ली का जीएसडीपी और एनएसडीपी-प्रचलित और स्थिर मूल्यों पर

(रुपये करोड़ में)

क्र.स.	वर्ष	जीएसडीपी बाजार मूल्यों पर		एनएसडीपी बाजार मूल्यों पर	
		प्रचलित	स्थिर (2011-12)	प्रचलित	स्थिर (2011-12)
1.	2011-12	343798	343798	314650	314650
2.	2012-13	391388	366628	357400	334193
3.	2013-14	443960	392908	404841	356528
4.	2014-15	494803	428355	448487	387639
5.	2015-16	550804	475623	500524	431730
6.	2016-17	616085	511765	558546	461592
7.	2017-18	677900	542015	613631	487631
8.	2018-19	738389	565327	665808	506332
9.	2019-20	792911	586168	712842	522031
10.	2020-21 (तीसरा सं.अ.)	744277	533634	657966	465770
11.	2021-22 (दूसरा सं.अ.)	881336	580396	782570	507595
12.	2022-23 (पहला सं.अ.)	1014688	625981	911639	548826
13.	2023-24 (अ.अ.)	1107746	672247	997171	590836

स्रोत : अर्थ और सांख्यिकीय निदेशालय, राराक्षे, दिल्ली सरकार

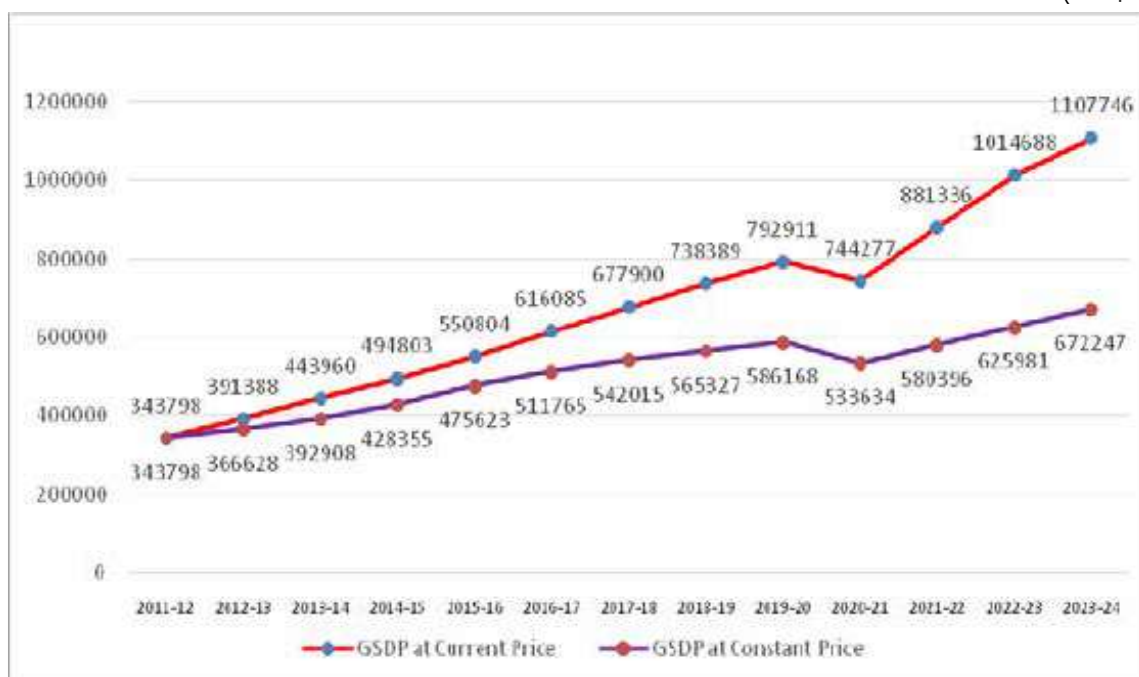
नोट : (तृ.सं.अ.)-तृतीय संशोधित आकलन, (द्वि.सं.अ.)-द्वितीय संशोधित आकलन, (प्र.सं.अ.)-प्रथम संशोधित आकलन, (अ.अ.)-अग्रिम आकलन

- 4.4 प्रचलित और स्थिर मूल्यों (2011-12) पर दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) चार्ट 2.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1

दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद— प्रचलित और स्थिर मूल्यों पर

(करोड़ रुपये)



4.5

पिछले 12 वर्षों के दौरान प्रचलित और 2011-12 के मूल्यों पर दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत वृद्धि विवरण 2.3 में दी गयी है।

विवरण 2.3

दिल्ली का जीएसडीपी और एनएसडीपी—प्रचलित और स्थिर मूल्यों पर

(प्रतिशत में)

क्र.स.	वर्ष	जीएसडीपी बाजार मूल्यों पर		एनएसडीपी बाजार मूल्यों पर	
		प्रचलित	स्थिर (2011-12)	प्रचलित	स्थिर (2011-12)
1.	2012-13	13.84	6.64	13.59	6.21
2.	2013-14	13.43	7.17	13.27	6.68
3.	2014-15	11.45	9.02	10.78	8.73
4.	2015-16	11.32	11.03	11.60	11.37
5.	2016-17	11.85	7.60	11.59	6.92
6.	2017-18	10.03	5.91	9.86	5.64
7.	2018-19	8.92	4.30	8.50	3.84
8.	2019-20	7.38	3.69	7.06	3.10
9.	2020-21	-6.13	-8.96	-7.70	-10.78
10.	2021-22	18.41	8.76	18.94	8.98
11.	2022-23	15.13	7.85	16.49	8.12
12.	2023-24	9.17	7.39	9.38	7.65

स्रोत : अर्थ और सांख्यिकीय निदेशालय, राराक्षे, दिल्ली सरकार

4.6 राज्य घरेलू उत्पाद के आकलन की संक्षिप्त पद्धति

- 4.6.1 अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र धरती से उत्पादों का निष्कर्षण अथवा अर्जन करता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कच्चे माल और बुनियादी खाद्यान्न का उत्पादन शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र से सम्बद्ध गतिविधियों में कृषि (आजीविका और वाणिज्यिक दोनों), खनन, वानिकी, खेती, चारागाह, शिकार और संग्रहण, मत्स्य उद्योग और खनन एवं उत्खनन शामिल हैं। इस क्षेत्र से सम्बद्ध कच्चे माल की पैकेजिंग और प्रसंस्करण को भी इस क्षेत्र का हिस्सा समझा जाता है। कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग के लिए जीएसवीए के अनुमान उत्पादन पद्धति से संकलित किए जाते हैं। खनन और उत्खनन उद्योग में जीएसवीए के अनुमान गैर-विभागीय उद्यम और प्राइवेट कोर्पोरेट उद्यमों से सम्बद्ध कंपनियों के वार्षिक वित्तीय ब्योरो से संकलित किए जाते हैं। कंपनियों के ये ब्योरे एमसीए 21 डेटाबेस से निकाले जाते हैं, जिसके लिए उत्पादन पद्धति अपनाई जाती है।
- 4.6.2 अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं, जो उपभोग के लिए तैयार, इस्तेमाल योग्य उत्पाद बनाते हैं; जिनमें विनिर्माण, निर्माण और विद्युत, गैस और जलापूर्ति और उपयोग संबंधी अन्य सेवाएं शामिल हैं। यह क्षेत्र आमतौर पर प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों से तैयार वस्तुओं का विनिर्माण करता है, या ऐसी वस्तुएं बनाता है, जो अन्य व्यवसायों द्वारा निर्यात, या घरेलू उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस क्षेत्र के जीएसवीए के आकलन के प्रयोजनों के लिए, समूची विनिर्माण गतिविधियों को मोटेतौर पर दो व्यापक खंडों में वर्गीकृत किया जाता है, ये हैं – विनिर्माण – ‘संगठित विनिर्माण’ और ‘असंगठित विनिर्माण’। संगठित विनिर्माण क्षेत्र के लिए अनुमानों के वास्ते गैर-विभागीय उद्यमों (एनडीई) के वार्षिक खातों, निजी कॉर्पोरेट सेक्टर के मामले में एमसीए डेटा बेस और अर्द्ध-निगमों के मामले में वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एसआई) के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। असंगठित विनिर्माण के अंतर्गत घरेलू उद्यम शामिल हैं। गैर-निगमित विनिर्माण उद्यमों के सकल मूल्य संवर्धन के श्रेणीवार आकलन संकलन के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 67वें दौर (गैर-निगमित उद्यम संबंधी) के सर्वेक्षण, 2010–11 और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 68वें दौर (रोजगार बेरोजगारी संबंधी) के सर्वेक्षण, 2011–12 के लिए प्रभावकारी श्रम लागत पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। विद्युत उप-क्षेत्र (गैर-विभागीय उद्यमों और निजी कोर्पोरेट क्षेत्र) में जीएसवीए के आकलन उत्पादन पद्धति का इस्तेमाल करते हुए तैयार किए जाते हैं। ये आकलन राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य में स्थित अन्य विद्युत प्रतिष्ठानों के वार्षिक लेखों के विश्लेषण के आधार पर लगाए जाते हैं। गैस के संदर्भ में जीएसवीए के अनुमान उद्यमिता दृष्टिकोण के जरिए संकलित किए जाते हैं। जलापूर्ति के लिए जीएसवीए के आकलन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए अलग अलग तैयार किए जाते हैं जिनमें गैर-विभागीय उद्यमों और निजी कोर्पोरेट संस्थाओं के मामले में उत्पादन पद्धति अपनाई जाती है। री-मेडिएशन और अन्य जनोपयोगी सेवाओं के लिए जीएसवीए के अनुमान रीसाइक्लिंग, सीवरेज और अन्य कचरा प्रबंधन सेवाओं की समग्र रूप में गणना करते हुए संकलित किए जाते हैं। समूची अर्थव्यवस्था के लिए लेखाबद्ध निर्माण के आकलन पहले वस्तु आपूर्ति दृष्टिकोण से लगाए जाते हैं। निजी निगमों के बारे में आकलन कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी कंपनियों के वित्तीय मानदंड के बारे में एमसीए-21 डेटा बेस द्वारा प्रदत्त जानकारी का इस्तेमाल करते हुए किए जाते हैं।
- 4.6.3 तृतीयक क्षेत्र की दिल्ली के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है और यह रोजगार क्षमता और राज्य की आय में योगदान, दोनों ही संदर्भों में अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग है। यह क्षेत्र व्यापक गतिविधियों को कवर करता है, जिनमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जैसे सर्वाधिक अत्याधुनिक क्षेत्र से लेकर असंगठित, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा दी जाने वाली सामान्य सेवाओं तक शामिल

हैं, जैसे सब्जी विक्रेता, फेरी वाले, रिक्शा चालक आदि की सेवाएं। औद्योगिक श्रेणियों के संदर्भ में, इस क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल और रेस्त्रां; परिवहन; भंडारण; संचार; वित्तीय सेवाएं; रीयल एस्टेट; रिहायशी और व्यावसायिक सेवाओं का स्वामित्व; लोक प्रशासन जैसे उप क्षेत्र; और शिक्षा, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य सहित अन्य सेवाएं आती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र खंड के लिए जीएसवीए वार्षिक रिपोर्टों/खातों और बजट दस्तावेजों के आर्थिक विश्लेषण के जरिए प्राप्त किया जाता है। प्राइवेट निगमों के आकलन एमसीए-21 डेटा बेस और असंगठित खंड एनएसएस सर्वेक्षणों के परिणामों का इस्तेमाल करते हुए संकलित किए जाते हैं।

5. प्रति व्यक्ति आय

- 5.1 दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर 2022-23 के दौरान 430120 रुपये पहुंच गई, जबकि 2021-22 में यह 376217 रुपये, 2020-21 में 322311 रुपये और 2019-20 में 355798 रुपये थी। अग्रिम अनुमानों के अनुसार दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर 461910 रुपये पर पहुंचने का अनुमान है। प्रचलित मूल्यों पर पिछले 12 वर्षों (2013-24) में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 11.12 प्रतिशत, 10.86 प्रतिशत, 8.47 प्रतिशत, 9.32 प्रतिशत, 9.36 प्रतिशत, 7.70 प्रतिशत, 6.41 प्रतिशत, 5.04 प्रतिशत, (-) 9.41 प्रतिशत, 16.72 प्रतिशत, 14.33 प्रतिशत और 7.39 प्रतिशत रही है।
- 5.2 दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में स्थिर मूल्यों पर 258941 रुपये रही जबकि 2021-22 में यह 244024 रुपये थी, अर्थात् इसमें 6.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2023-24 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 273687 रुपये पर रहने की संभावना है। इस प्रकार इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 5.69 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।
- 5.3 दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित और स्थिर दोनों ही मूल्यों पर राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5 गुना अधिक थी। पिछले 13 वर्षों में दिल्ली और समग्र भारत की प्रति व्यक्ति आय के बारे में जानकारी विवरण 2.4 में दी गयी है।

विवरण 2.4

2011-12 से 2023-24 के दौरान दिल्ली और भारत की प्रति व्यक्ति आय

(रुपये में)

वर्ष	प्रचलित मूल्य (आधार वर्ष 2011-12)		स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011-12)	
	दिल्ली*	अखिल भारतीय	दिल्ली*	अखिल भारतीय
2011-12	185001	63462	185001	63462
2012-13	205568	70983	192220	65538
2013-14	227900	79118	200702	68572
2014-15	247209	86647	213669	72805
2015-16	270261	94797	233115	77659
2016-17	295558	104880	244255	83003
2017-18	318323	115224	252960	87586
2018-19	338730	125946	257597	92133
2019-20	355798	132341	260559	94420
2020-21	322311	127065	228162	86054
2021-22	376217	148524	244024	92583
2022-23	430120	172276	258941	98374
2023-24	461910	185854	273687	104550

स्रोत : अर्थ और सांख्यिकीय निदेशालय, राराक्षे, दिल्ली सरकार

नोट : (तृ.सं.अ) - तृतीय संशोधित आकलन, (द्वि.सं.अ) - द्वितीय संशोधित आकलन, (प्र.स.अ.) - प्रथम संशोधित आकलन, (अ.अ.) - अग्रिम आकलन

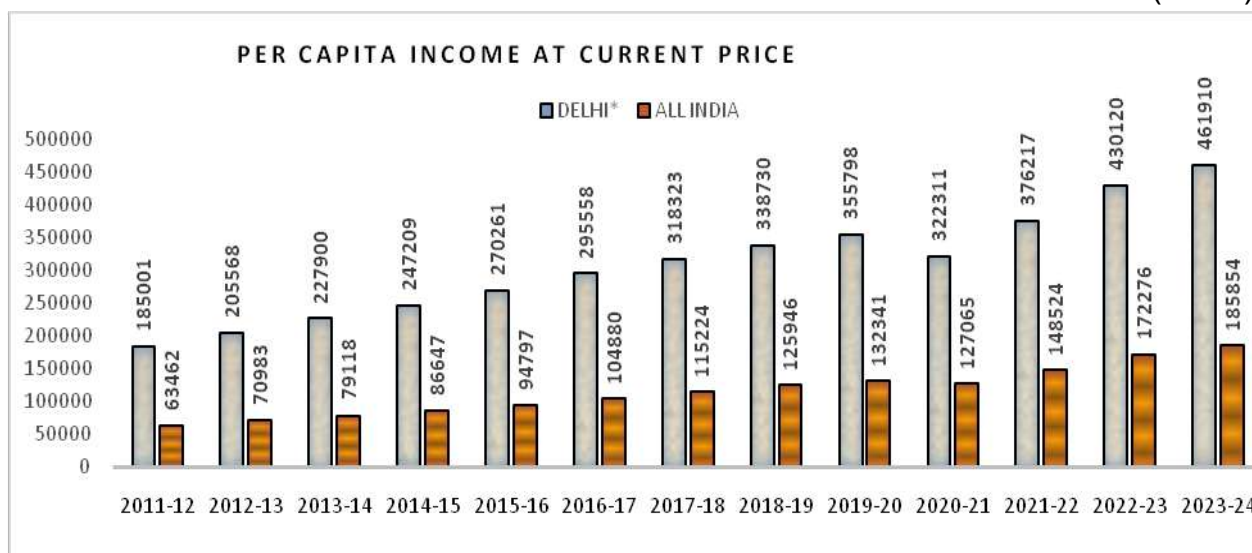
* राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा तैयार नवीनतम जनसंख्या अनुमानों का उपयोग किया गया है।

विवरण 2.4 से यह पता चलता है कि 2011-12 में प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 185001 रुपये थी, जो 2023-24 में बढ़कर 461910 रुपये हो गयी, अर्थात् इसमें 8.11 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज हुई। इसी अवधि के दौरान स्थिर मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में 3.46 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोत्तरी हुई। प्रचलित और स्थिर दोनों मूल्यों पर पिछले 13 वर्षों के दौरान दिल्ली और भारत की प्रति व्यक्ति आय संबंधी जानकारी क्रमशः चार्ट 2.2.1 और 2.2.2 में दी गयी है।

चार्ट 2.2.1

प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली और भारत की प्रति व्यक्ति आय

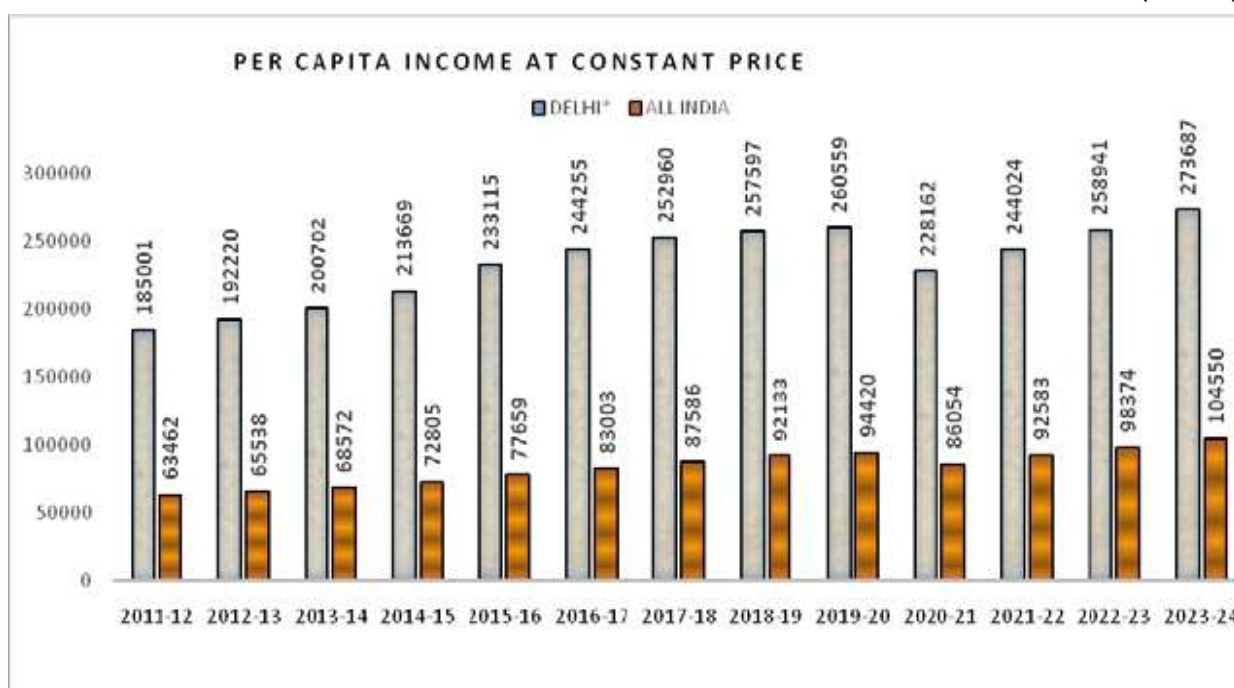
(रुपये में)



चार्ट 2.2.2

स्थिर मूल्यों पर दिल्ली और भारत की प्रति व्यक्ति आय

(रुपये में)



- 5.5 प्रचलित और स्थिर मूल्यों पर दिल्ली और राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर विवरण 2.5 में दी गयी है।

विवरण 2.5

2012-13 से 2023-24 के बीच दिल्ली और भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर
(प्रतिशत)

क्र.स	वर्ष	दिल्ली		भारत	
		प्रचलित	स्थिर (2011-12)	प्रचलित	स्थिर (2011-12)
1.	2012-13	11.12	3.90	11.9	3.3
2.	2013-14	10.86	4.41	11.5	4.6
3.	2014-15	8.47	6.46	9.5	6.2
4.	2015-16	9.32	9.10	9.4	6.7
5.	2016-17	9.36	4.78	10.6	6.9
6.	2017-18	7.70	3.56	9.9	5.5
7.	2018-19	6.41	1.83	9.3	5.2
8.	2019-20	5.04	1.15	5.1	2.5
9.	2020-21	-9.41	-12.43	-4.0	-8.9
10.	2021-22	16.72	6.95	16.9	7.6
11.	2022-23	14.33	6.11	16.0	6.3
12.	2023-24	7.39	5.69	7.9	6.3

स्रोत : अर्थ और सांख्यिकीय निदेशालय, राराक्षे, दिल्ली सरकार

6. सकल राज्य मूल्य संवर्धित (जीएसवीए) की क्षेत्रगत संरचना

- 6.1 दुनिया की अधिकतर शहरीकृत क्षेत्रों में आम रुझान के अनुरूप दिल्ली की आमदनी में भी प्रमुख योगदान सेवा क्षेत्र का है। सकल राज्य मूल्य संवर्धित (जीएसवीए) में क्षेत्रगत बढ़ोतरी के विशलेषण से भी इसी तथ्य का स्पष्ट पता चलता है। समग्र जीएसवीए में प्राथमिक क्षेत्र (जिसमें कृषि, पशुधन, वानिकी, मछली उद्योग, खनन और उत्खनन शामिल हैं) में पिछले 13 वर्षों में मामूली विचलन के साथ गिरावट का रुझान रहा है, कुछ गौण विचलनों को छोड़कर। द्वितीयक क्षेत्र के योगदान में मिश्रित रुझान रहा है। प्रचलित और स्थिर मूल्यों (2011-12) के संदर्भ में तीन अलग अलग क्षेत्रों, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और सेवा क्षेत्र में दिल्ली के जीएसवीए की संरचना 2011-12 से 2023-24 की अवधि के लिए विवरण 2.6 में दी गई है।

विवरण 2.6
दिल्ली में जीएसवीए की क्षेत्रगत संरचना (बुनियादी मूल्यों पर) –
प्रचलित और स्थिर मूल्यों (2011-12) पर

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	वर्ष	प्राथमिक		द्वितीयक		तृतीयक		कुल	
		करोड़ रु.	%	करोड़ रु.	%	करोड़ रु.	%	करोड़ रु.	%
1	2011-12								
	क. प्रचलित	10585.42	3.49	39682.08	13.09	252964.99	83.42	303232.49	100.00
	ख. स्थिर	10585.42	3.49	39682.08	13.09	252964.99	83.42	303232.49	100.00
2	2012-13								
	क. प्रचलित	10048.44	2.93	48498.08	14.17	284041.02	82.90	342587.54	100.00
	ख. स्थिर	9061.01	2.82	45118.64	14.06	266752.79	83.12	320932.43	100.00
3	2013-14								
	क. प्रचलित	12741.36	3.29	54262.39	14.07	318927.16	82.64	385930.91	100.00
	ख. स्थिर	10621.54	3.10	47802.34	13.99	283200.89	82.91	341624.77	100.00
4	2014-15								
	क. प्रचलित	12115.29	2.79	53246.72	12.26	368879.09	84.95	434241.10	100.00
	ख. स्थिर	11129.20	2.96	45154.35	12.01	319564.22	85.03	375847.77	100.00
5	2015-16								
	क. प्रचलित	9987.11	2.09	65194.32	13.62	403600.12	84.29	478781.54	100.00
	ख. स्थिर	11534.36	2.80	55107.47	13.41	344275.62	83.79	410917.45	100.00
6	2016-17								
	क. प्रचलित	9008.82	1.70	71615.66	13.48	450550.91	84.82	531175.39	100.00
	ख. स्थिर	10611.73	2.42	58147.77	13.28	369230.31	84.30	437989.81	100.00
7	2017-18								
	क. प्रचलित	9776.09	1.67	80986.80	13.80	496136.82	84.53	586899.72	100.00
	ख. स्थिर	11269.34	2.43	63186.70	13.65	388876.89	83.92	463332.93	100.00
8	2018-19								
	क. प्रचलित	13482.10	2.08	87160.20	13.45	547196.76	84.47	647839.05	100.00
	ख. स्थिर	13235.04	2.71	65940.96	13.49	409406.47	83.80	488582.47	100.00
9	2019-20								
	क. प्रचलित	13716.87	1.95	88309.93	12.54	602341.97	85.51	704368.77	100.00
	ख. स्थिर	14259.75	2.78	65837.21	12.86	431868.28	84.36	511965.23	100.00
10	2020-21								
	क. प्रचलित	12590.58	1.89	84910.15	12.73	569398.64	85.38	666899.37	100.00
	ख. स्थिर	15469.87	3.28	63682.88	13.52	391917.07	83.20	471069.82	100.00
11	2021-22								
	क. प्रचलित	13024.31	1.67	105790.55	13.59	659543.49	84.74	778358.35	100.00
	ख. स्थिर	10872.37	2.16	73187.88	14.51	420245.83	83.33	504306.08	100.00
12	2022-23								
	क. प्रचलित	14294.29	1.61	117509.55	13.20	758481.43	85.19	890285.26	100.00
	ख. स्थिर	8759.12	1.62	76323.08	14.08	456953.92	84.30	542036.12	100.00
13	2023-24								
	क. प्रचलित	15376.49	1.58	126897.06	13.02	832123.89	85.40	974397.43	100.00
	ख. स्थिर	9510.22	1.64	80859.48	13.92	490655.52	84.44	581025.22	100.00

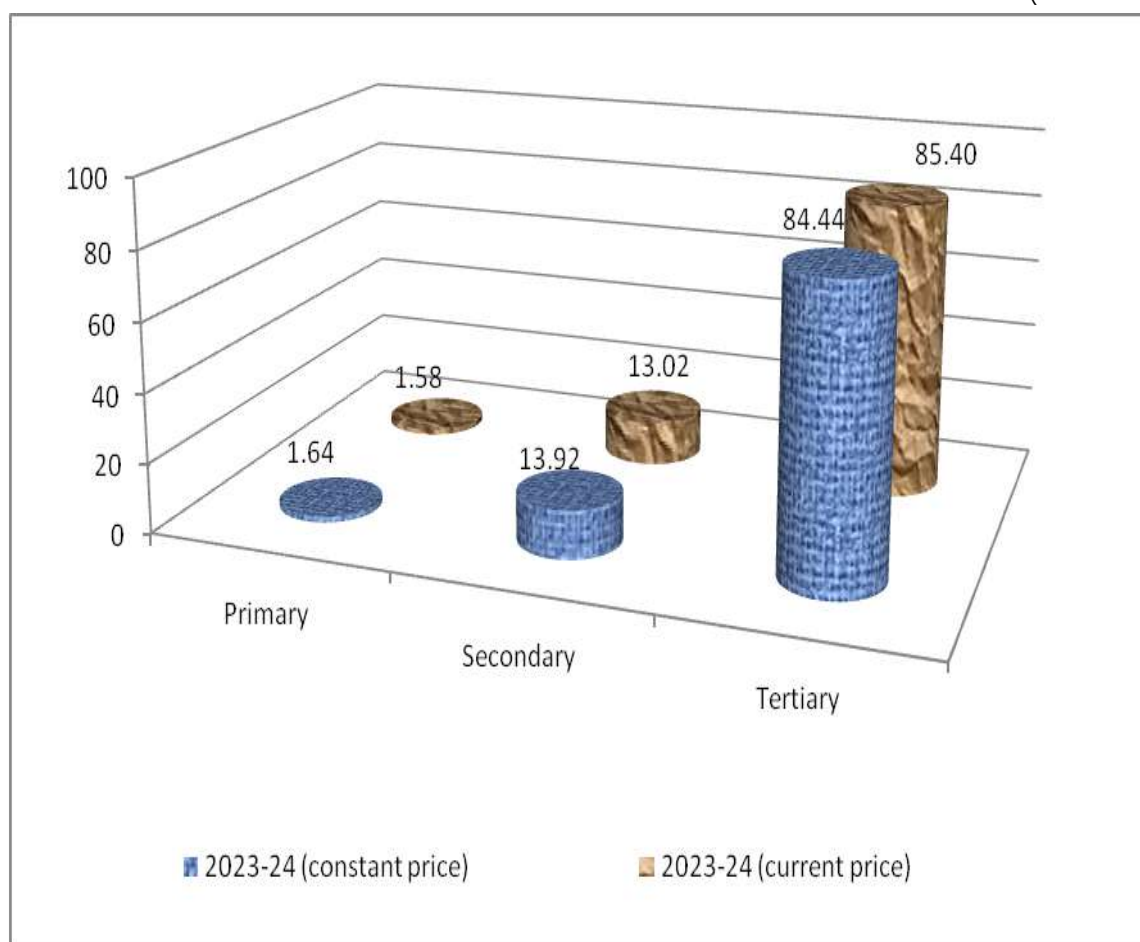
स्रोत : अर्थ और सांख्यिकीय निदेशालय, राराराक्षे, दिल्ली सरकार।
राजडिंग ऑफ के कारण संभव है कि जोड़ का मिलान न हो

- 6.2 विवरण 2.6 से पता चलता है कि 2011-12 में दिल्ली की आय में 83 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र की है, 14 प्रतिशत से कम द्वितीयक क्षेत्र की और 04 प्रतिशत से भी कम प्राथमिक क्षेत्र की रही है। अधिक स्पष्ट रूप में कहें तो प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, जो 2011-12 में 3.49 प्रतिशत था वह 2023-24 में घटकर 1.58 प्रतिशत रह गया। इसके विपरीत तृतीयक क्षेत्र का योगदान जो 2011-12 में प्रचलित मूल्यों पर 83.42 प्रतिशत था जो 2023-24 में बढ़कर 85.40 प्रतिशत हो गया। दिल्ली के जीएसवीए में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान जो 2011-12 में 13.09 प्रतिशत था, वह मामूली कमी के साथ 2023-24 में घटकर 13.02 प्रतिशत रह गया।
- 6.3 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रचलित मूल्यों और स्थिर मूल्यों (2011-12) पर दिल्ली के सकल राज्य मूल्य संवर्धित की क्षेत्रगत संरचना चार्ट 2.3 में दर्शायी गयी है।

चार्ट 2.3

प्रचलित और स्थिर मूल्यों (2011-12) पर दिल्ली के जीएसवीए की क्षेत्रगत संरचना

(प्रतिशत में)



- 6.4 दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित अन्य सांख्यिकीय जानकारी तालिका 2.1 से तालिका 2.4 के अंतर्गत दी गयी हैं।

अध्याय एक नजर में

➤	जनवरी 2015 में सीएसओ ने अपने सशोधन में जीडीपी को उत्पादन लागत पर, जीडीपी को सकल मूल्य संवर्धन-जीवीए बुनियादी मूल्यों पर और बाजार मूल्यों पर जीडीपी के साथ प्रतिस्थापित कर दिया, जिसे अब केवल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहा जाता है, जो सबसे भरोसेमंद पैमाना है।
➤	उत्पादन लागत पर जीवीए+निवल उत्पादन कर =प्राथमिक मूल्यों पर जीवीए + निवल उत्पाद कर = बाजार मूल्यों पर जीवीए
➤	प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार दिल्ली की अर्थव्यवस्था में, 2020-21 के संकुचन के बाद, 2023-24 में 7.39 प्रतिशत, 2022-23 में 7.85 प्रतिशत, 2021-22 में 8.76 प्रतिशत का इजाफा हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि समग्र आर्थिक गतिविधियां महामारी से पहले के स्तर पर बहाल हो गईं।
➤	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अग्रिम अनुमानों के अनुसार दिल्ली के जीएसडीपी के 1107746 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचने की संभावना है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुकाबले 9.17 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
➤	2023-24 के दौरान दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम आकलन के अनुसार यह स्थिर मूल्यों पर 672247 करोड़ रुपये रिकॉर्ड किया गया, जिसमें 2022-23 की तुलना में 7.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
➤	अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2023-24 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 461910 रुपये और स्थिर मूल्यों पर 273687 रुपये पर रहने की संभावना है।
➤	दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित और स्थिर दोनों ही मूल्यों पर राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5 गुना अधिक रही है।
➤	दिल्ली के जीएसवीए में प्राथमिक क्षेत्र के प्रतिशत योगदान वर्तमान मूल्यों पर 2011-12 के 3.49 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 1.58 प्रतिशत रह गया। इसी अवधि में तृतीयक (सेवा) क्षेत्र का जीएसवीए में योगदान वर्तमान मूल्यों पर 2011-12 के 83.42 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 85.40 प्रतिशत हो गया। दिल्ली के जीएसवीए में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान वर्तमान मूल्यों पर 2011-12 के 13.09 प्रतिशत से मामूली घटकर 2023-24 में 13.02 प्रतिशत रह गया।

अध्याय 3

योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए बजट

1. रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार दिल्ली को एक विश्व स्तरीय शहर में बदलने के लिए समर्पित है जो समावेशिता, इक्विटी और रहने लायक स्थितियों को बढ़ावा देकर अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और नागरिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक कल्याण, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और जरूरतमंद लोगों पर ध्यान केंद्रित करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के बजट का आकार 2014-15 के 36,766 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 78,800 करोड़ रुपये हो गया है। योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के आवंटन में भी पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, जो 2014-15 के 17,700 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 (ब.अ.) में 43,700 करोड़ रुपये हो गया।
2. दिल्ली में, आउटकम बजट का उपयोग कार्यनिष्पादन के उपकरण के रूप में किया जाता है जो बेहतर सेवा वितरण, निर्णय लेने में सुधार, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रदर्शन का समय-समय पर मूल्यांकन करने और बेहतर योजना प्रबंधन के माध्यम से बजट लागत को प्रभावी बनाने में मदद करता है। इसका कार्यान्वयन बेहतर योजना प्रबंधन के माध्यम से बजटीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग के द्वारा समग्र बजटीय ढांचे में लागत-प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है।
3. दिल्ली में वित्तीय वर्ष 2023-24 के आउटकम बजट में 22 विभाग शामिल हैं। प्रत्येक विभाग के भीतर, प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं की पहचान की गई और प्रत्येक योजना के लिए बारीकी से प्रमुख आउटपुट और परिणाम संकेतक स्थापित किए गए। यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि ये संकेतक स्मार्ट (विशिष्ट, मापने योग्य, श्रेय देने योग्य, यथार्थवादी और लक्षित) मानदंड पर आधारित हों और विभागों के भीतर और सभी विभागों में समान कार्यक्रमों और योजनाओं से तुलनीय हों।
4. दिल्ली सरकार आउटकम बजट की एक स्थिति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती है जो 'ऑन ट्रैक' और 'ऑफ ट्रैक' श्रेणियों के तहत आउटकम बजट के महत्वपूर्ण संकेतकों की स्थिति को स्पष्ट करती है।
5. जहां तक योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत निधियों के आवंटन और व्यय की स्थिति का संबंध है, यह अध्याय विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण, जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, सामाजिक क्षेत्रों, एजेंसीवार आदि के आंकड़े प्रदान करता है। 2016-17 तक बजट/व्यय को योजना-गैर योजना के रूप में वर्गीकृत किया गया था और इस अध्याय के तहत केवल योजना भाग पर चर्चा की गई है, क्योंकि 2017-18 से योजनाओं और स्थापना व्यय के तहत वर्गीकरण किया गया है। इस अध्याय में 2017-18 तथा उसके बाद के आंकड़ों में केवल योजना व्यय पर चर्चा की गई है।

पंचवर्षीय योजनाएं

6. विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुमोदित योजना परिव्यय और व्यय का विवरण 3.1 में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण 3.1

दिल्ली का पंचवर्षीय योजना का योजना परिव्यय और व्यय : 1951-2017

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजनाएं	योजना परिव्यय	कुल व्यय	योजना परिव्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय
1.	पहली पंचवर्षीय योजना 1951-1956	6.30	4.70	74.60
2.	दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-1961	17.00	15.37	90.41
3.	तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-1966	99.33	93.10	93.73
4.	चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-1974	168.77	155.16	91.94
5.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना 1974-1979	363.75	341.34	93.84
6.	छठी पंचवर्षीय योजना 1980-1985	1039.38	1041.95	100.25
7.	सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-1990	2537.34	2631.47	103.71
8.	आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-1997	4500.00	6208.32	137.96
9.	नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002	15541.28	13465.09	86.64
10.	दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007	23000.00	22646.00	98.46
11.	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012	54799.15	53478.86	97.95
12.	बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017	90000.00	70497.04	78.33

*नोट : 2014-15 से योजना परिव्यय में सी.एस.एस. भी शामिल है।

7. उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पहली पंचवर्षीय योजना के तहत व्यय केवल 4.70 करोड़ रुपये था जो 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कई गुना बढ़कर 70497.04 करोड़ रुपये हो गया।
8. 2017-18 में, नीति आयोग, भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया। 2017-18 से, राजस्व और पूंजीगत शीर्ष के तहत वर्गीकृत स्थापना और योजनाओं के तहत बजट तैयार किए जाते हैं।
9. 2017-18 से योजना/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के तहत बजट आवंटन और व्यय विवरण 3.2 में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण 3.2
दिल्ली का योजना/कार्यक्रम/परियोजना परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपये में)

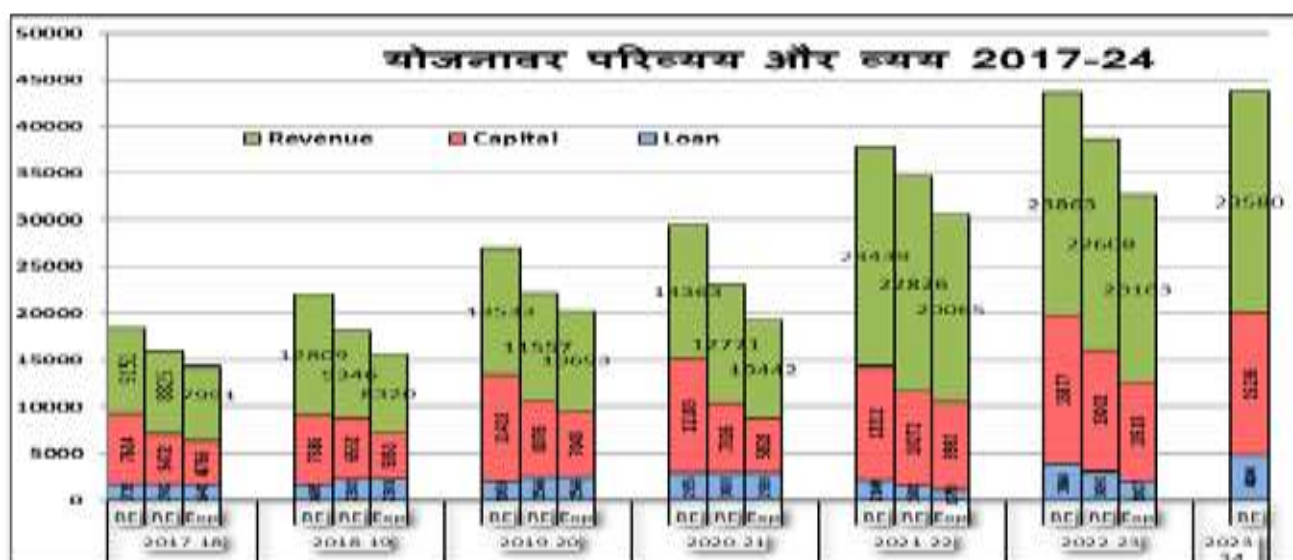
क्र.सं.	वर्ष	परिव्यय (ब.अ.)	परिव्यय (सं.अ.)	कुल व्यय	परिव्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय (सं.अ.)
1.	2017-18	18500	16000	14387	89.9
2.	2018-19	22000	18200	15672	86.1
3.	2019-20	27000	22200	20307	91.5
4.	2020-21	29500	23100	19259	83.4
5.	2021-22	37800*	34600	30531	88.2
6.	2022-23	43600	38700	32648	84.4
7.	2023-24	43700	-	-	-

*2021-22 में योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, क्योंकि कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों को "स्थापना बजट" (एफडी) से योजनाओं के बजट में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसमें परिवहन, ऊर्जा, नागरिक आपूर्ति, जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र संबंधी सब्सिडी और जीआईए शामिल हैं।

10. योजना/कार्यक्रम/परियोजनाओं के तहत व्यय वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमान में 91.5 प्रतिशत था जबकि कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020-21 में घटकर 83.4 प्रतिशत रह गया और उसके बाद 2021-22 में यह थोड़ा और बढ़ा।
11. वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक की योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत राजस्व, पूंजीगत एवं ऋण के अंतर्गत बजट एवं व्यय का वर्षवार आवंटन विवरण 3.3 में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण 3.3
दिल्ली का योजना/कार्यक्रम/परियोजना परिव्यय और व्यय
(राजस्व, पूंजी और ऋण के अंतर्गत)

(करोड़ रुपये में)



नोट : योजना/कार्यक्रमों/परियोजनाओं का पूंजी आवंटन अनुदान की विस्तृत मांग (डीडीजी) से मेल नहीं खा सकता क्योंकि योजना/कार्यक्रमों/परियोजनाओं में जीआईए पूंजी पूंजीगत भाग के अंतर्गत शामिल की जाती है जबकि डीडीजी में जीआईए पूंजी राजस्व भाग के अंतर्गत शामिल की जाती है।

12. राजस्व अनुभाग के तहत 2021-22 के दौरान बजट आवंटन 2017-18 में 50 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 62 प्रतिशत हो गया है, जिसका मुख्य कारण सब्सिडी और जीआईए को 'स्थापना बजट' से 'योजना बजट' में स्थानांतरित करना है।
13. योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए एजेंसी-वार व्यय विवरण 3.4 में प्रस्तुत किया गया है:

विवरण 3.4

योजना/कार्यक्रम/परियोजनाओं के लिए जारी एजेंसी-वार व्यय/राशि

(करोड़ रुपये में)

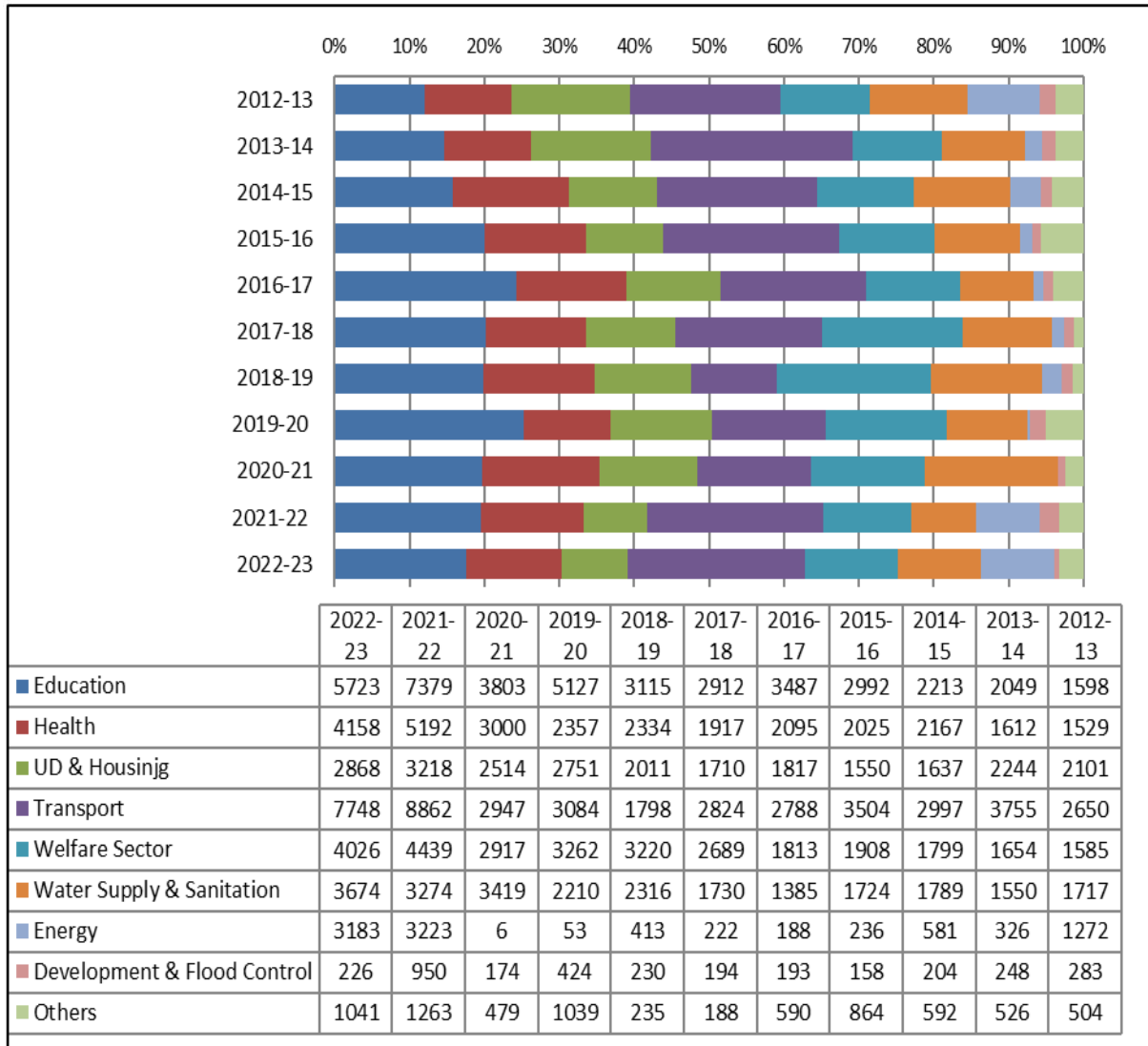
क्र. सं.	विभाग/एजेंसी	2017-18 (व्यय)	2018-19 (व्यय)	2019-20 (व्यय)	2020-21 (व्यय)	2021-22 (व्यय)	2022-23 (व्यय)	2022-23 (ब.अ.)
1.	जीएनसीटीडी के विभाग	10818.41	12310.99	15648.55	12989.32	26536.62	26116.07	35413.47
2.	उत्तरी दिल्ली नगर निगम	780.98	219.32	1009.48	1024.80	790.96	203.14	-
3.	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	535.98	117.12	595.92	555.00	507.56	104.24	-
4.	पूर्वी दिल्ली नगर निगम	423.31	299.17	661.57	537.60	470.90	170	-
5.	एमसीडी	-	-	-	-	-	2168.83	2659.36
6.	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	2.41	2.65	2.50	99.37	1.64	54.51	-
7.	दिल्ली जल बोर्ड	1730.00	2315.98	2210.00	3419.00	2164.27	3674.33	5442.00
8.	डीयूएसआइबी	96.25	406.70	178.89	633.26	58.54	155.69	185.17
9.	दिल्ली छावनी परिषद	0.15	0.10	0.11	0.30	0.28	0.78	-
	कुल	14387.47	15672.03	20307.02	19258.65	30530.77	3264.76	43700.00

14. योजना/कार्यक्रम/परियोजनाओं के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का क्षेत्रवार व्यय चार्ट 3.1 में प्रस्तुत किया गया है:

चार्ट 3.1

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का क्षेत्रवार व्यय

(करोड़ रुपये में)



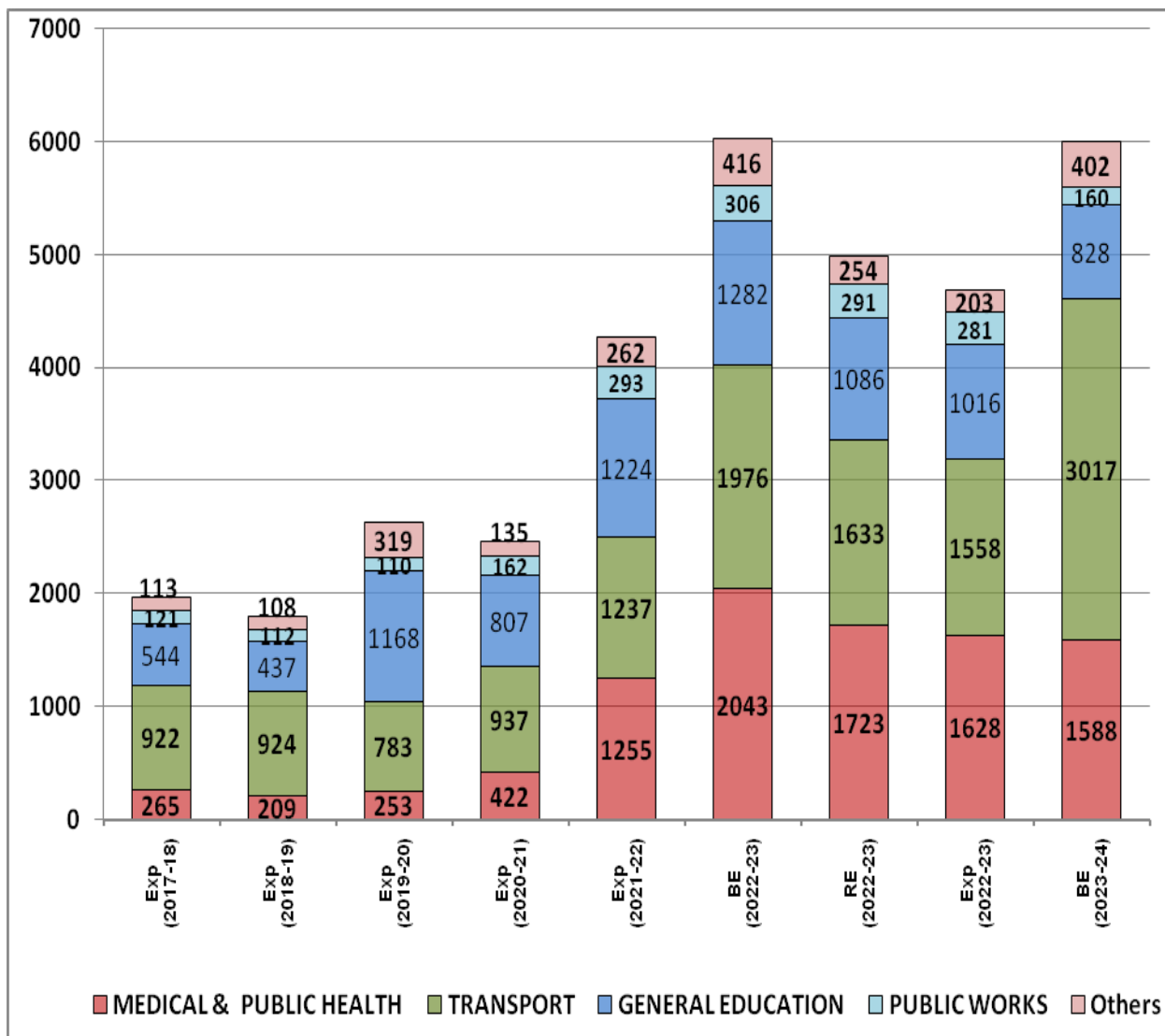
नोट: शिक्षा में सामान्य शिक्षा क्षेत्र (जिसमें उच्च शिक्षा भी शामिल है) तकनीकी शिक्षा क्षेत्र, कला और संस्कृति क्षेत्र, खेल और युवा सेवा क्षेत्र और मिड डे मील, डीटीटीई (श्रम और श्रम कल्याण क्षेत्र, एनसीसी (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली अभिलेखागार (पीडब्ल्यूडी) शामिल हैं)।

15. उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2022-23 के दौरान प्रमुख व्यय शिक्षा, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवहन तथा कल्याण क्षेत्रों पर किया गया है।
16. लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 से 2022-23 के दौरान कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं का पूंजीगत व्यय एवं वर्ष 2023-24 का बजट आवंटन विवरण 3.5 में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण 3.5

योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं का पूंजीगत व्यय एवं बजट आवंटन—(लोक निर्माण विभाग)

(करोड़ रुपये)

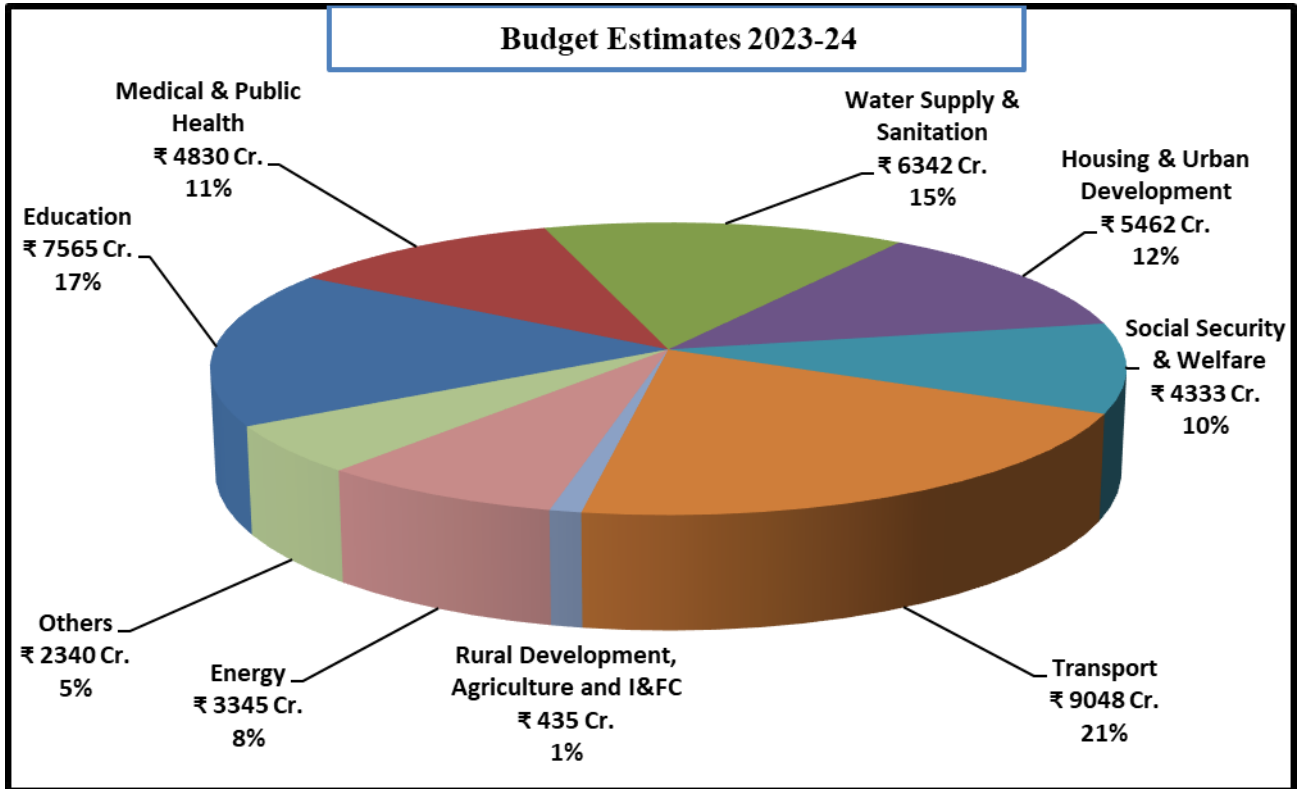


* इसमें कृषि और संबद्ध सेवाएं, महिला एवं बाल विकास और अजा/अजजा/अपिव क्षेत्र का कल्याण सहित अन्य शामिल है।

- योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं—2023—24 के प्राथमिकता वाले क्षेत्र का बजट आवंटन चार्ट 3.2 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 3.2

योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के प्राथमिकता क्षेत्र का बजट आवंटन-2023-24



* इसमें सामान्य शिक्षा क्षेत्र (जिसमें उच्च शिक्षा भी शामिल है) तकनीकी शिक्षा क्षेत्र, कला और संस्कृति क्षेत्र, खेल और युवा सेवाएं क्षेत्र और मिड डे मील, डीटीटीई (श्रम और श्रम कल्याण क्षेत्र, एनसीसी (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली अभिलेखागार (पीडब्ल्यूडी) शामिल हैं।

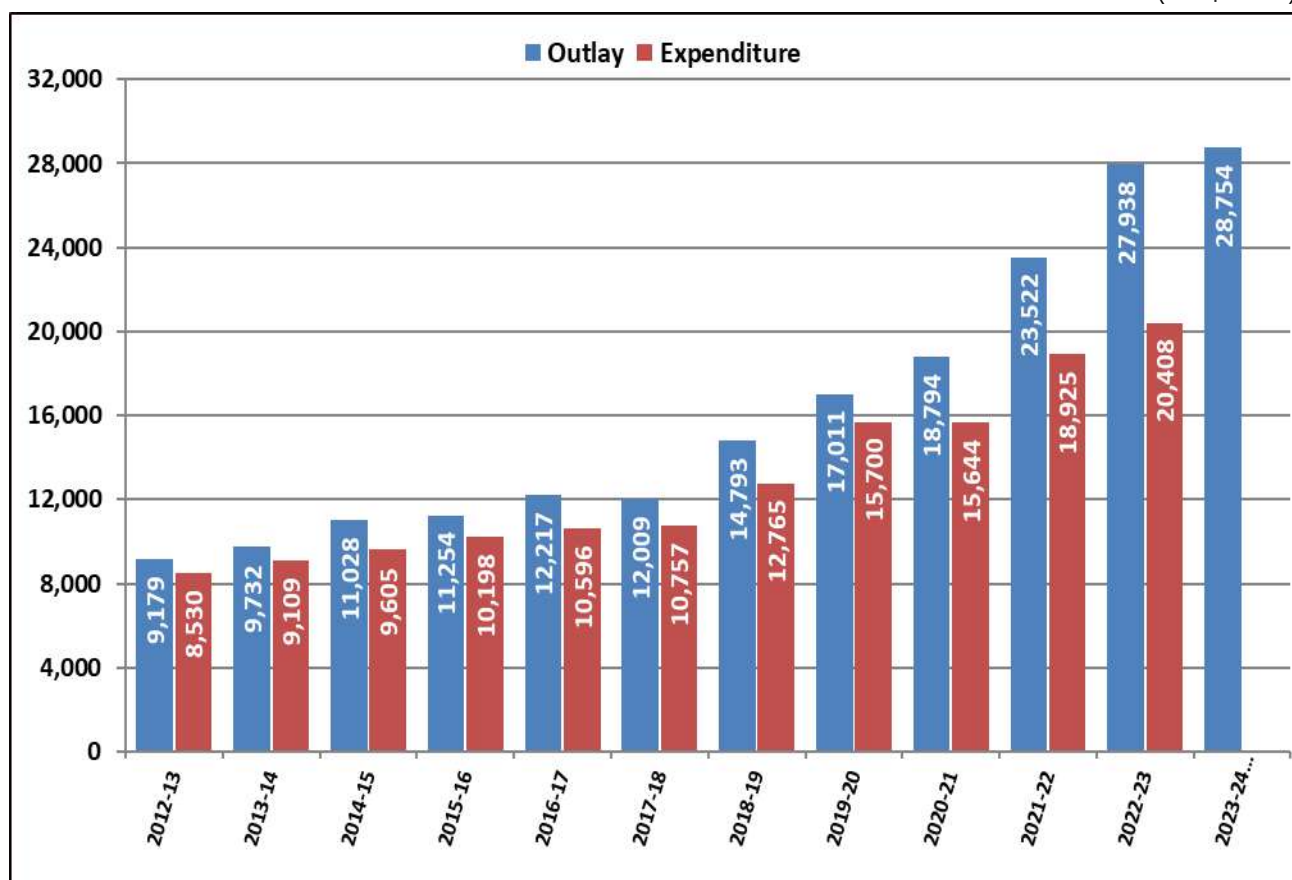
इसमें म. एवं बा वि, अजा/अजजा/अपिव कल्याण, सामाज कल्याण, नागरिक आपूर्ति, पोषण (एमडीएम को छोड़कर), श्रम और श्रमिक कल्याण (डीटीटीई को छोड़कर), वजन और माप (पीडब्ल्यूडी), श्रम और रोजगार (पीडब्ल्यूडी) शामिल हैं।

18. चार्ट 3.2 से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि परिवहन क्षेत्र को सबसे अधिक हिस्सा यानी 9048 करोड़ रुपया (21 प्रतिशत), आवंटित किया गया है, इसके बाद शिक्षा क्षेत्र को 7565 करोड़ रुपये (17 प्रतिशत) फिर जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र को 6342 करोड़ रुपये (15 प्रतिशत) का बजट आवंटन किया गया है फिर आवास, शहरी विकास को 5462 करोड़ रुपये (12 प्रतिशत) का, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को 4830 करोड़ रुपये (11 प्रतिशत) का फिर सामाजिक सुरक्षा और कल्याण क्षेत्र को 4333 करोड़ रुपये (10 प्रतिशत) का बजट आवंटन किया गया है और फिर ऊर्जा को 8 प्रतिशत बजट आवंटन किया गया है।
19. बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान और 2017-18 और उसके बाद से सामाजिक सेवा क्षेत्र के योजना/कार्यक्रमों के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. का परिचय एवं व्यय, चार्ट 3.3 में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल और युवा सेवाएं, कला और संस्कृति, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, श्रम और रोजगार, नागरिक आपूर्ति और पोषण क्षेत्र शामिल हैं।

चार्ट 3.3

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान और 2017-18 से सामाजिक सेवा क्षेत्र के योजना/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. का परिव्यय एवं व्यय

(करोड़ रुपये)



20. 10वीं, 11वीं, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली में सामाजिक सेवा क्षेत्र का आवंटन, विवरण 3.6 में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण 3.6

10वीं, 11वीं, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली में सामाजिक सेवा क्षेत्र का आवंटन

(करोड़ रुपये)

क्र. स.	पंच वर्षीय योजना 10वीं	कुल योजना परिव्यय (सं.अ.)	सा.से.क्षेत्र के तहत योजना परिव्यय (सं.अ.)	कुल परिव्यय में सा.से.क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी	कुल व्यय	सा.से.क्षेत्र के तहत व्यय	कुल व्यय में सा.से. क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी
1	10वीं (2002-2007)	24342.67	12353.24	50.74	22846.98	11050.42	48.36
2	11वीं (2007-2012)	55900.00	32338.40	57.85	53478.86	30547.74	57.12
3	12वीं (2012-2017)	78950.00	53410.89	67.65	70497.04	48038.52	68.14

21. सामाजिक सेवा क्षेत्र की योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं हेतु बजट आवंटन :

विवरण 3.7

सामाजिक सेवा क्षेत्र की योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं हेतु बजट आवंटन

(करोड़ रुपये)

क्र.स.	वर्ष	कुल योजना परिव्यय (सं.अ.)	सा.से.क्षेत्र के तहत योजना परिव्यय (सं.अ.)	कुल परिव्यय में सा.से.क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी	कुल व्यय	व्यय	कुल व्यय में सा.से.क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी
1.	2017-18	16000	12009	75.1	14387	10757	74.8
2.	2018-19	18200	14793	81.3	15672	12765	81.5
3.	2019-20	22200	17011	76.6	20307	15700	77.3
4.	2020-21	23100	18794	81.4	19259	15644	81.2
5.	2021-22	34600	21730	63.5	30531	18925	61.9
6.	2022-23	38700	23936	61.9	32648	20408	62.5
7.	2023-24	43700 (ब.अ.)	28754 (ब.अ.)	65.8			

सामाजिक क्षेत्र के आवंटन में 2017-18 से 2022-23 के दौरान सं.अ. के संदर्भ में बढ़ोतरी (यानी 12009 करोड़ से 23936 करोड़ की वृद्धि) की प्रवृत्ति रही है। हालांकि, प्रतिशत के लिहाज से इसमें 2021-22 और 2022-23 में गिरावट आई है। इसका कारण योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए बजट के कुल आकार में वृद्धि है। यह वृद्धि इस लिए हुई क्योंकि 2021-22 में मुख्य रूप से गैर-सामाजिक क्षेत्र के कुछ मदों (यानी परिवहन और ऊर्जा आदि) के संबंध में जीआईए और सब्सिडी को स्थापना बजट (एफडी) से योजना बजट में स्थानांतरित करने के कारण योजना बजट संशोधित किया गया था।

22. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के योजना परिव्यय और व्यय से संबंधित अन्य सांख्यिकीय जानकारी तालिका 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 और 3.7 में देखी जा सकती है।
23. दिल्ली सरकार ने हाल के वर्षों में दिल्ली के विकास में भारी निवेश किया है और सराहनीय आर्थिक प्रगति की है और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और नागरिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है और वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और जरूरतमंद लोगों के कल्याण पर विशेष ध्यान देते हुए सामान्य नागरिकों का कल्याण किया है।

अध्याय एक नज़र में

➤	दिल्ली के बजट का आकार 2014-15 के 36766 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 78800 करोड़ रुपये हो गया है।
➤	योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के तहत बजट के आवंटन में भी उत्कृष्ट वृद्धि देखी गई है, जो 2014-15 में 17700 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 (ब.अ.) में 43700 करोड़ रुपये हो गई है।
➤	2023-24 के दौरान, सबसे अधिक बजट आवंटन परिवहन क्षेत्र को किया गया है यानी 9048 करोड़ रुपये (21%), इसके बाद शिक्षा क्षेत्र को 7565 करोड़ रुपये (17%) और जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र को 6342 करोड़ रुपये (15%) का बजट आवंटन किया गया है।

सार्वजनिक वित्त

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के अनुसार दिसंबर 1993 से एक समेकित निधि बनायी गयी है जो भारत सरकार की निधियों से अलग है। दिल्ली सरकार की समस्त राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां इस निधि में जमा कराया जाती हैं और सरकार के सभी व्यय इसी निधि से पूरे किये जा रहे हैं।

2. रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार का व्यय बजट मुख्य रूप से अपने स्वयं के कर राजस्व से वित्तपोषित होता है, जिसमें जीएसटी, वैट, आबकारी, स्टाम्प शुल्क और मोटर वाहन कर से राजस्व संग्रह शामिल है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न मदों के तहत ऋण और अनुदान के रूप में भारत सरकार से गैर-कर राजस्व हस्तांतरण होता है। यहां यह बताना महत्वपूर्ण है कि 2022-23 में कुल कर राजस्व का लगभग 69.48 प्रतिशत जीएसटी और वैट से, 11.71 प्रतिशत आबकारी से, 12.72 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क से और 6.09 प्रतिशत एमवीटी से प्राप्त हुआ।
3. कर राजस्व के अलावा, केन्द्र से प्राप्त होने वाली अनुदान सहायता/अन्य प्राप्तियों में ये मद शामिल हैं: (1) केन्द्रीय करों और शुल्कों में हिस्सेदारी के बदले में मिलने वाला अनुदान (बजट अनुमान 2023-24 से इसे "सामान्य केन्द्रीय सहायता" के साथ जोड़ दिया गया है), (2) जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए क्षतिपूर्ति (जुलाई 2022 से यह रोक दी गई है, हालांकि, दिसंबर 2023 तक जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 1137.80 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार से प्राप्त हुई, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान के अनुसार पिछले वर्ष की बकाया 1500.00 करोड़ रुपये के प्रति प्रदान की गई थी) (3) केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए सहायता अनुदान (4) सामान्य केन्द्रीय सहायता (5) केंद्र शासित प्रदेश आपदा कार्रवाई कोष में योगदान (6) बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए ऋण-चंद्रावल में डब्ल्यूटीपी (7) 1984 के दंगा पीड़ितों को बढ़ा कर दिया गया मुआवजा।
4. इसी तरह दिल्ली सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थानीय निकायों/उपक्रमों/सरकारी कर्मचारियों आदि से ऋणों और अग्रिमों की वसूली तथा भारत सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) से लघु बचत ऋण शामिल है।
5. दिल्ली की समेकित निधि से होने वाले व्यय को मोटे तौर पर स्थापना और स्कीम/कार्यक्रमों/केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों (सीएसएस) सहित परियोजनाओं के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा, स्थापना और स्कीम/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के व्यय को राजस्व और पूंजी खाता शीर्षों के रूप में रखा जाता है। योजना और गैर योजना के अंतर्गत व्यय का वर्गीकरण वित्तीय वर्ष 2017-18 से समाप्त कर दिया गया और अब केवल राजस्व और पूंजी के अंतर्गत व्यय को वर्गीकृत किया जाता है।
6. दिल्ली सरकार के स्थापना राजस्व व्यय के अंतर्गत मुख्य रूप से वेतन और कार्यालय व्यय, भारत सरकार को ब्याज का भुगतान, स्थानीय निकायों को दी जाने वाली धनराशि, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों (पीएसईज)/संस्थाओं को दी जाने वाली अनुदान सहायता, राजस्व स्थापना

(गैर-योजना) मद में कुछ वस्तुओं/सेवाओं के खर्च को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सब्सिडी आदि शामिल हैं। दूसरी ओर दिल्ली सरकार के स्थापना पूंजी खर्च में भारत सरकार को ऋणों की अदायगी, स्थानीय निकायों/सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि को दिये जाने वाले ऋण/अग्रिम आदि शामिल हैं।

7. स्कीमों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत राजस्व खर्च में मुख्य रूप से उपकरणों की लागत/सहायता अनुदान, सेवा प्रभागों की अदायगी आदि शामिल हैं। दूसरी ओर, स्कीमों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय में जहां सरकारी विभागों द्वारा लागू की जा रही विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं का पूंजीगत परिव्यय जिनके साथ सार्वजनिक उपक्रमों की इक्विटी पूंजी आदि शामिल है वहीं इसमें स्थानीय निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों आदि को लाभप्रद कार्यक्रमों/परियोजनाओं को उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण और अग्रिम भी शामिल हैं।
8. दिल्ली विधानसभा ने 31 मई, 2017 को राज्य वस्तु एवं सेवा अधिनियम पारित किया और इस तरह 1.07.2017 से दिल्ली में जीएसटी लागू हो गया। परिणामस्वरूप, पूर्ववर्ती वैट (पेट्रोलियम, शराब आदि कुछ वस्तुओं को छोड़ कर) और अन्य कर जैसे मनोरंजन कर, विलासिता कर और केबल टीवी कर जीएसटी के अंतर्गत समाहित हो गए। रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार के व्यापार और कर विभाग ने सभी वर्तमान वैट व्यापारियों के वस्तु एवं सेवाकर की नई व्यवस्था में सुचारु परिवर्तन के लिए सभी उपाय किए। मुद्रित वाउचरों के जरिए संबद्ध जानकारी का सम्प्रेषण, सहायता वाहनों की तैनाती, व्यापारियों से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत सम्पर्क, प्रमुख बाजारों में शिविरों का आयोजन, बाजारों में जीएसटी सहायता समितियों का गठन आदि ऐसे महत्वपूर्ण उपाय थे, जो व्यापार और कर विभाग द्वारा किए गए।
9. दिल्ली सरकार के कर संग्रह में 2022-23 (अनंतिम) में 18.35 प्रतिशत की सुदृढ़ बढ़ोतरी हुई, जबकि 2021-22 के दौरान 36 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई थी। 2022-23 (अनंतिम) में स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क (भू राजस्व सहित) में 15.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जीएसटी (वैट और विलासिता एवं मनोरंजन आदि अन्य करों सहित) की वसूली में 32.19 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज हुई। राज्य उत्पाद शुल्क में 1.10 प्रतिशत की सुदृढ़ बढ़ोतरी हुई। मोटर वाहन कर वसूली में सर्वाधिक 47.47 प्रतिशत का इजाफा हुआ। 2023-24 में कर वसूली में उससे पिछले वर्ष की तुलना में 12.30 प्रतिशत वृद्धि हुई।
10. दिल्ली सरकार को 2022-23 (अनंतिम) में 3251.22 करोड़ रुपये का लघु बचत ऋण मिला जबकि 2021-22 में यह ऋण 5000 करोड़ रुपये का था।
11. पिछले केन्द्रीय वित्त आयोगों की तरह दिल्ली को पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग (15वें सीएफसी) की सिफारिशों के दायरे से बाहर रखा गया है जिसका कार्यकाल 2020-21 से 2025-26 तक का है। इस तरह, संभव है कि पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा राज्यों के लिए की गयी सिफारिशों का लाभ दिल्ली को प्राप्त न हो। इन सिफारिशों में केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी, बुनियादी और निष्पादन अनुदान के रूप में स्थानीय निकायों को अनुदान, राजस्व घाटा अनुदान, क्षेत्रगत अनुदान, आपदा राहत अनुदान आदि शामिल हैं। इस मुद्दे पर रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार भारत सरकार से पहले ही अनुरोध कर चुकी है कि वह दिल्ली को 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के दायरे में शामिल करने के लिए उपयुक्त उपाय करे। वर्तमान में दिल्ली को केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी के बदले में सिर्फ विवेकाधीन अनुदान मिलता है जो 2001-02 से 325 करोड़ रुपये के स्तर पर ठहरा

हुआ है। 2000-01 में रा.रा.क्षे. दिल्ली को सामान्य केन्द्रीय सहायता 370 करोड़ रुपये मिली थी, जबकि 22 वर्षों के बाद, 2022-23 में भी यह 626 करोड़ रुपये मिली है। इसके अलावा 2023-24 के बजट अनुमानों से 'केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी के बदले अनुदान' और 'केंद्र शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता' को जोड़ दिया गया है, जो कि 2023-24 (ब.अ.) में 951 करोड़ रुपये हैं।

12. दूसरी ओर संविधान की अपेक्षाओं के अनुसार रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार समय-समय पर गठित किये जाने वाले दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को धनराशि आबंटित कर रही है। दिल्ली में स्थानीय निकायों को धनराशि आबंटित करने का वर्तमान फार्मूला तीसरे दिल्ली वित्त आयोग (जिसका कार्यकाल 2006-07 से 2010-11 था) की सिफारिशों पर आधारित है, जिसका 2015-16 तक विस्तार किया गया था। दिल्ली सरकार ने 2011-12 से 2015-16 और 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए क्रमशः चौथे और पांचवे दिल्ली वित्त आयोग का गठन किया और इन दोनों आयोगों ने रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने दिनांक 01.09.2019 के कैबिनेट के निर्णय संख्या 2669 और 2670 के तहत पांचवे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए लागू करने का निर्णय किया और 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए कर प्राप्तियों का हस्तांतरण तीसरे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी रखने का निर्णय किया क्योंकि सरकार ने चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं करने का फैसला किया है। यह निर्णय भी किया गया कि 2011-12 से 2015-16 की अवधि (चौथे दि.वि.आ. की अवधि) के लिए दिल्ली नगर निगमों, दिल्ली छावनी बोर्ड और नई दिल्ली नगर परिषद को तीसरे दिल्ली वित्त आयोग के फार्मूले के अनुसार किए गए धन हस्तांतरण को अंतिम समझा जाएगा और कोई वसूली नहीं की जाएगी।
13. दिल्ली सरकार ने 1 मार्च 2015 से घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी योजना लागू की है जिसके अंतर्गत प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वालों को मौजूदा दरों में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है और 400 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वालों को मौजूदा दरों में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। अब, दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से मौजूदा बिजली सब्सिडी योजना के स्थान पर स्वैच्छिक सब्सिडी योजना (वी.एस.एस.) शुरू की है और इसे 01 अक्टूबर, 2022 से केवल उन उपभोक्ताओं के लिए लागू किया गया है जिन्होंने सब्सिडी के विकल्प का चयन किया था। तदनुरूप सरकार ने 2022-23 के दौरान इस मद में 3161.22 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। सरकार ने दिल्ली में प्रत्येक घरेलू जल उपभोक्ता को हर महीने 20 हजार लीटर पानी मुफ्त उपलब्ध कराने की एक योजना भी मार्च 2015 से लागू की है। तदनुरूप सरकार ने 2022-23 के दौरान जल उपभोक्ताओं को निःशुल्क जल मुहैया कराने में आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को 466.41 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।
14. दिल्ली ने अपने राजस्व अधिशेष को लगातार बरकरार रखा है। 2022-23 (अनंतिम) में यह 14456.90 करोड़ रुपये रहा जबकि 2021-22 में यह 3269.92 करोड़ रुपये था। 2023-24 (ब.अ.) के लिए बजट राजस्व अधिशेष 5768.69 करोड़ रुपये है जो जीएसडीपी का 0.52 प्रतिशत है।
15. निजी ऑपरेटरों द्वारा व्यक्तिगत रूप से चलाई जाने वाली प्राइवेट स्टेज कैरिज बसों के स्थान पर कंपनियों द्वारा क्लस्टर बसें चलाने की एक नयी योजना संचालित की जा रही है ताकि दिल्ली में बसों से सफर करने वालों को बेहतर सेवा और सुरक्षा प्राप्त हो सके। योजना के अनुसार सरकार को संचालन लागत और इस योजना से होने वाली आमदनी के बीच के अंतर की भरपाई करनी

पड़ती है। इस तरह फिलहाल दिल्ली सरकार डीटीसी और क्लस्टर बस योजना, दोनों के संचालन घाटे और रियायती बस पासों के लिए सब्सिडी की भरपाई कर रही है। इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार ने अक्टूबर, 2019 से डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की है। तदनुसार, 2022-23 के दौरान, सरकार ने डीटीसी को 200.00 करोड़ रुपये और महिलाओं को मुफ्त यात्रा देने के लिए खर्च को पूरा करने के लिए क्लस्टर बसों को 200.00 करोड़ रुपये जारी किए। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने 2022-23 (अनंतिम) के दौरान रियायती पास के लिए डीटीसी को 50.00 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की।

16. दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने 2010-11 से अपनी संचालन लागत को पूरा करने में कामयाबी हासिल कर ली है। 2010-11 से उसे किसी भी तरह की सहायता नहीं दी जा रही है, परन्तु दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली जल बोर्ड को ऋण प्रदान किया जा रहा है। 2012-13 से 2015-16 के दौरान बोर्ड ने राजस्व अधिशेष की स्थिति बनाए रखी। परन्तु, 2016-17 से 2022-23 और 2023-24 (ब.अ.) के दौरान यह स्थिति राजस्व घाटे में परिवर्तित हो गई।
17. रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 10 जुलाई, 2010 को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) का गठन किया। बोर्ड झुग्गी-झोंपड़ी क्षेत्रों को अधिसूचित करने, इस तरह की बस्तियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, झुग्गी-झोंपड़ीवासियों के पुनर्वास आदि के कार्य में लगा है। 2022-23 के दौरान रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार ने वेतन और अन्य प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए बोर्ड को 319.15 करोड़ रुपये का अर्थोपाय ऋण प्रदान किया।
18. मार्च 2023 के अंत में दिल्ली पर 40017.55 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया था जिसमें डीवीबी/डेसू की बकाया देनदारियों को पूरा करने के लिए भारत सरकार से 2013-14 में गैर-योजना ऋण के रूप में प्राप्त 3326.39 करोड़ रुपये की देनदारी भी शामिल थी। इस तरह 2022-23 में दिल्ली सरकार की बकाया देनदारियां जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) का 3.94 प्रतिशत थीं।
19. भारत सरकार से रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को धन का प्रवाह 2022-23 (अनंतिम) में बढ़कर 14759.29 करोड़ रुपये हो गया, जबकि 2021-22 में यह 8467.31 करोड़ रुपये था। दिल्ली को 2022-23 के दौरान केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों (सीएसएस) के तहत दी जाने वाली राशि घट कर 981.79 करोड़ रुपये रह गई, जो 2021-22 में 991.93 करोड़ रुपये थी, जबकि 2022-23 के दौरान 'केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बदले अनुदान' के रूप में 325 करोड़ रुपये और सामान्य केंद्रीय सहायता के रूप में 626 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसके अलावा जीएसटी के कार्यावन्धन के लिए दिया जाने वाला क्षतिपूर्ति अनुदान 2021-22 के 6445.96 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 12817.02 करोड़ रुपये हो गया। 2022-23 के दौरान 1984 के दंगा पीड़ितों के मद में 9.49 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ।
20. दिल्ली सरकार का राजकोषीय अधिशेष वर्ष 2022-23 (अनंतिम) में 4565.32 करोड़ रुपये रहा जो कि जीएसडीपी का 0.45 प्रतिशत है, जबकि 2021-22 में राजकोषीय घाटा 7021.42 करोड़ रुपये था, जो कि जीएसडीपी का 0.80 प्रतिशत था।
21. इस तरह वर्ष 2022-23 के दौरान दिल्ली का समग्र व्यय उसकी आय की तुलना में लगभग 3101.37 करोड़ रुपये कम था।

22 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) :

- 22.1 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) लाभ प्रदान करने की व्यवस्था को बदलने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य बैंक खातों के जरिए सब्सिडी/लाभ सीधे लाभार्थियों को अंतरित करना है। सीधे लाभ वितरित होने से रिसाव कम करने, लाभार्थियों के लिए विकल्पों में वृद्धि और लाभार्थी तथा राज्य सरकार के बीच बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने में मदद मिलेगी।
- 22.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य पारदर्शिता लाना और भारत सरकार तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा प्रायोजित निधियों के वितरण में चोरी रोकना है। डीबीटी के अंतर्गत लाभ या सब्सिडी लाभार्थियों के आंकड़ों की जांच और प्रमाणन के बाद सीधे उनके खाते में अंतरित की जाती है। जांच के लिए आधार संख्या अथवा बायोमीट्रिक इन्पुट का इस्तेमाल किया जाता है और बैंक खाता ब्यौरे को उसके साथ जोड़ दिया जाता है।
- 22.3 रा.रा.क्षे. दिल्ली में कुल 105 कार्यक्रम डीबीटी के अंतर्गत कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जिनमें से 40 केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम हैं और 65 राज्य की स्कीमें हैं।
- 22.4 दिसम्बर 2023 तक कुल 96.76 प्रतिशत लाभार्थियों (98.92 प्रतिशत लाभार्थी केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत और 79.33 प्रतिशत राज्य की स्कीमों के अंतर्गत) को आधार के साथ जोड़ा जा चुका था। प्रशिक्षण और तकनीकी निदेशालय (डीटीटीई) द्वारा लागू की जा रही डीबीटी योजनाओं को छोड़कर केंद्र प्रायोजित विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों में लाभार्थियों को भुगतान केवल पीएफएमएस पोर्टल के जरिए किया जा रहा है।
- 22.5 आधार से सम्बद्ध डीबीटी भुगतान प्रणाली लागू किए जाने से समाज कल्याण विभाग, अजा/अजजा/अपिव विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को कुल 154.11 करोड़ रुपये की बचत हुई।
- 22.6 दिल्ली डीबीटी पोर्टल को लाइव बनाया गया है और भारत डीबीटी पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। डीबीटी कार्यान्वयन विभाग दिल्ली डीबीटी पोर्टल पर हर महीने कार्यक्रम वार डीबीटी संबंधी आंकड़े अपलोड करते हैं, जिनकी महीने में एक बार डीबीटी मिशन द्वारा जांच की जाती है।
- 23 दिल्ली सरकार की निधियों के अंतर-प्रवाह और बहिर्गमन का ब्यौरा और उनकी कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय विशेषताएं निम्नांकित अनुच्छेदों में दी गई हैं :-

24. राजस्व प्राप्ति

- 24.1 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-2011 के दशक के दौरान दिल्ली की आबादी में 21.20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गयी जबकि इसी अवधि में अखिल भारतीय आबादी की वृद्धि का प्रतिशत 17.67 रहा। इस तरह बढ़ी हुई जनसंख्या वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए सरकार के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह दिल्ली के लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विकास परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए धन की आवश्यकता की पूर्ति के वास्ते अपने राजस्व में बढ़ोतरी करे।
- 24.2 राजस्व प्राप्ति को मोटे तौर पर कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और केन्द्र सरकार की ओर से सहायता अनुदान और अन्य प्राप्ति में बांटा जा सकता है। दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्ति की स्थिति विवरण 4.1 और चार्ट 4.1 तथा 4.2 में दी गयी है। (अधिक जानकारी के लिए तालिका 4.1 देखें)

विवरण 4.1
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियां

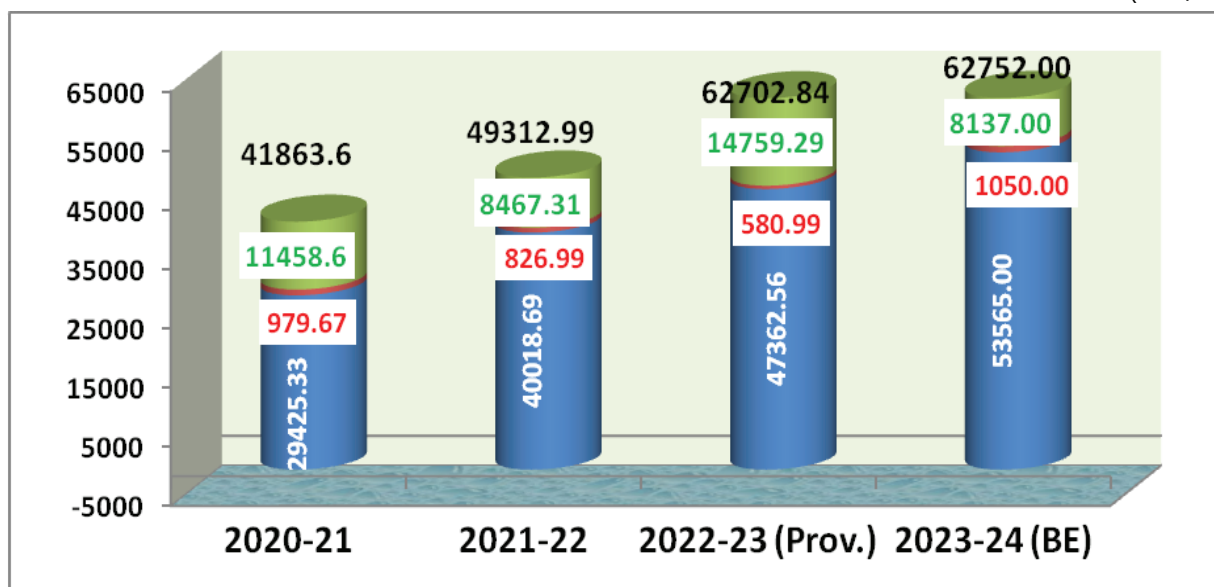
(करोड़ रु.)

क्र सं.	मद	2012-13	2019-20	टीजीआर 2012-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अंतिम)	2023-24 (ब.अ.)
1.	स्टाम्प स्टेम्प और पंजीयन (भूमि राजस्व सहित)	3098.07	4609.01	7.20	3552.98	5212.09	6022.91	6000.00
2.	राज्य आबकारी	2869.74	5068.01	8.83	4108.15	5487.58	5547.97	7365.00
3.	वैट	15803.69	5474.67	-15.78	4411.20	5099.46	5582.06	5700.00
4.	राज्य वस्तु और सेवा कर	NA	19464.95	0.00	15676.15	22263.43	27324.11	31500.00
5.	वाहनों पर कर	1240.18	1948.09	7.51	1676.18	1955.68	2884.08	3000.00
6.	माल एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	419.84	1.14	-52.21	0.67	0.45	1.44	0.00
क	कर राजस्व (1 से 6)	23431.52	36565.87	7.09	29425.33	40018.68	47362.56	53565.00
ख	गैर-कर राजस्व	626.93	1096.89	4.97	979.67	826.99	580.99	1050.00
ग	केंद्र से अनुदान और अन्य प्राप्तियां	1502.52	9473.05	25.97	11458.60	8467.31	14759.29	8137.00
घ	कुल राजस्व प्राप्तियां (क से ग तक)	25560.97	47135.81	8.99	41863.60	49312.99	62702.84	62752.00

स्रोत : 1. 2012-13 से 2021-22 के आंकड़े रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्तीय लेखे से हैं।
2. 2022-23 और 2023-24 के आंकड़े रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार के बजट दस्तावेज से लिए गए हैं।
नोट : टीजीआर – ट्रेंड ग्रोथ रेट (प्रतिशत)

चार्ट 4.1
2020-21 से 2023-24 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रु.)

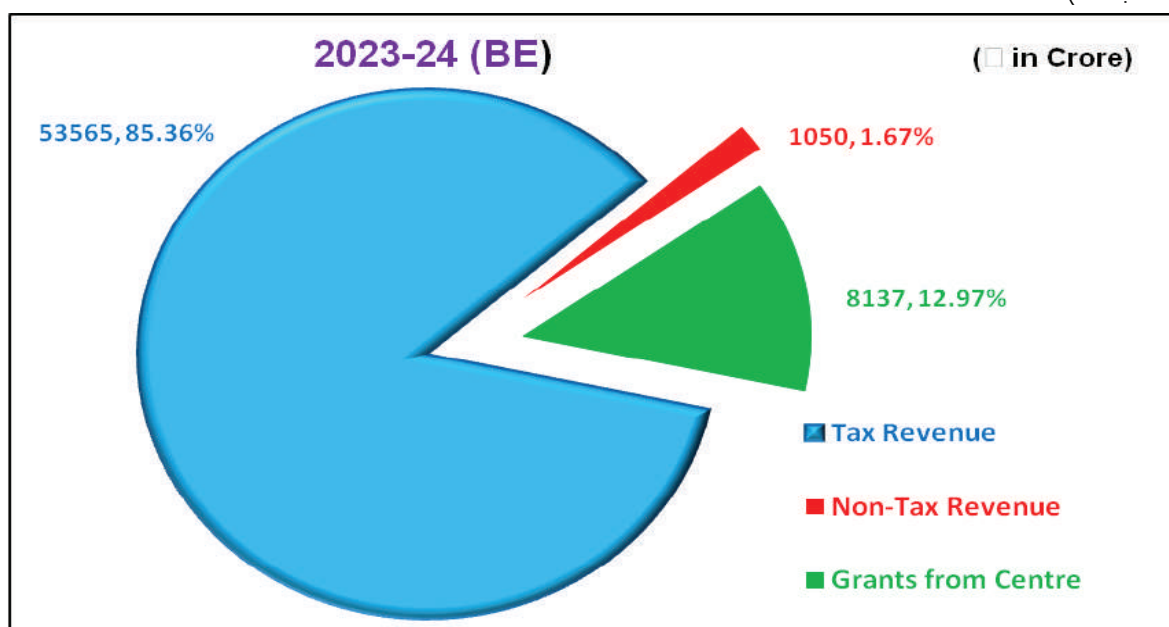


- 24.3 2022-23 में दिल्ली सरकार की कुल राजस्व वसूली 62702.84 करोड़ रु. (जीएसडीपी का 6.18 प्रतिशत) थी जबकि 2021-22 में यह 49312.99 करोड़ रु. (जीएसडीपी का 5.60 प्रतिशत) थी। 2022-23 (अनंतिम) के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 27.15 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण कर राजस्व वसूली में बढ़ोतरी था। यहां यह उल्लेख करना भी संगत है कि 2022-23 के दौरान, कर संग्रह में 18.35 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि 2021-22 के दौरान यह वृद्धि 36 प्रतिशत थी। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के स्वयं के गैर कर राजस्व में भी 2022-23 के दौरान 29.75 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई जबकि 2021-22 में यह गिरावट 15.58 प्रतिशत थी। केंद्र से मिलने वाले अनुदानों/अन्य प्राप्तियों में 2022-23 में केंद्र से अनुदान और अन्य प्राप्तियों में 74.31 प्रतिशत का इजाफा हुआ, जबकि 2021-22 के दौरान इस मद में 26.11 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई थी। वर्ष 2023-24 (ब.अ.) के लिए 62752.00 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.08 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

चार्ट 4.2

2023-24 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रु.)



- 24.4 चार्ट 4.2 में 2023-24 (ब.अ.) के दौरान कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और केन्द्र से सहायता अनुदान/अन्य प्राप्तियां दर्शायी गई हैं। 2023-24 में दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियों का मुख्य स्रोत स्वयं का कर राजस्व था जो 53565 करोड़ रुपये (85.36 प्रतिशत) रहा। इसके बाद केन्द्र से अनुदान/अन्य प्राप्तियों के रूप में 8137 करोड़ रु. (12.97 प्रतिशत) और गैर-कर राजस्व के रूप में 1050 करोड़ रुपये (1.67 प्रतिशत) का स्थान था।

25. कर राजस्व

- 25.1 2023-24 (ब.अ.) में दिल्ली सरकार का लक्षित कर राजस्व 53565 करोड़ रु. रखा गया था जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 12.30 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान था। दिल्ली सरकार का कर राजस्व 2022-23 में 47362.56 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 4.67 प्रतिशत) था जबकि 2021-22 में यह 40018.68 करोड़ रु. (जीएसडीपी का 4.54 प्रतिशत) था। दिल्ली के कर राजस्व में 2022-23 में 18.35 प्रतिशत की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी दर्ज हुई जबकि 2021-22 में यह 36 प्रतिशत की सकारात्मक

वृद्धि हुई थी। 2022-23 के दौरान दिल्ली के कर राजस्व की मुख्य मदों में वस्तु एवं सेवा कर (जिनमें वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर, मनोरंजन, सट्टेबाजी और विलासिता कर भी शामिल है) था, जिससे 27325.55 करोड़ रुपये (57.69 प्रतिशत) आमदनी हुई, इसके बाद मूल्य संवर्धित कर (वैट) का स्थान था, जिससे 5582.06 करोड़ रुपये (11.79 प्रतिशत) प्राप्त हुए, इसके बाद राज्य आबकारी, जिससे 5547.97 करोड़ रु. (11.71 प्रतिशत), स्टांप और पंजीयन शुल्क से 6022.91 करोड़ रु. (12.72 प्रतिशत), मोटर वाहन कर से 2884.08 करोड़ रुपये (6.09 प्रतिशत) की आमदनी शामिल है। 2018-19 से 2022-23 (अनंतिम) के दौरान विभिन्न करों की वसूली का ब्यौरा निम्नलिखित विवरण 4.2 में दिया गया है। (कृपया चार्ट 4.3 और तालिका 4.1 देखें)।

विवरण 4.2

दिल्ली सरकार की कर वसूली : 2019-2020 से 2022-2023 (अनंतिम)

(करोड़ रु.)

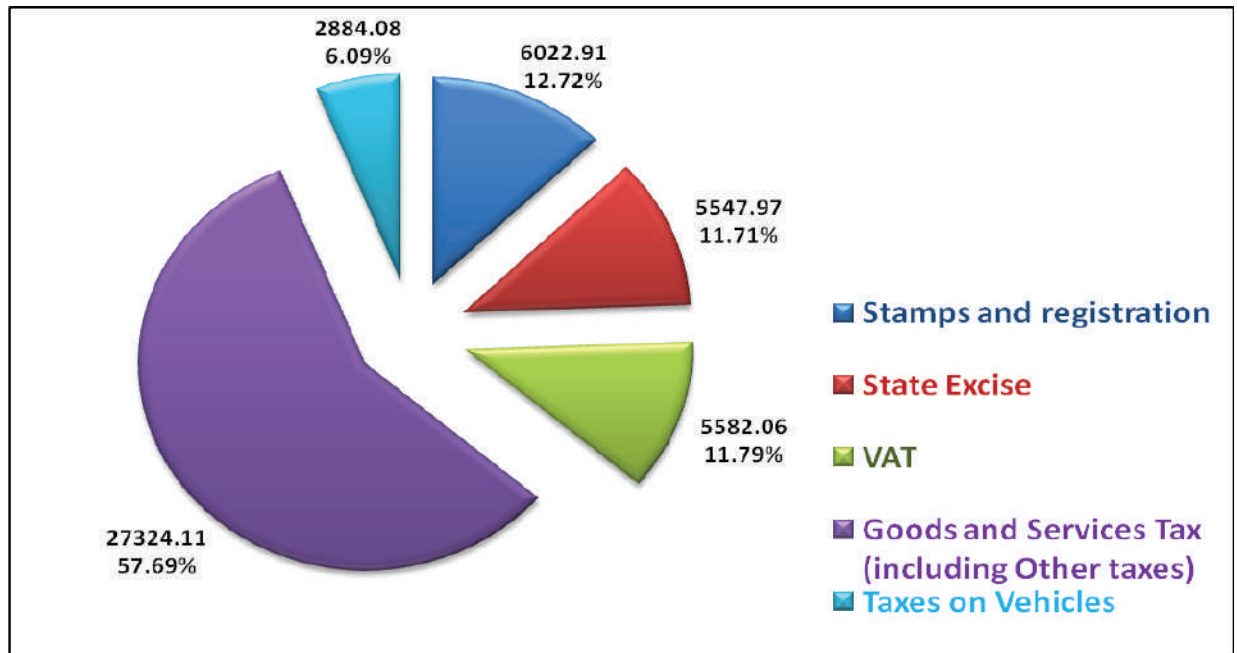
क्र सं.	मद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अनंतिम)
		वास्तविक			अनंतिम	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि प्रतिशत			
1.	स्टाम्प और पंजीयन (भू राजस्व सहित)	4609.01	3552.98	5212.09	6022.91	3.37	-22.91	46.70	15.56
2.	राज्य आबकारी	5068.01	4108.15	5487.58	5547.97	0.79	-18.94	33.58	1.10
3.	वैट	5474.67	4411.2	5099.46	5582.06	-6.98	-19.43	15.60	9.46
4.	राज्य वस्तु और सेवा कर *	19464.95	15676.15	22263.43	27324.11	1.45	-19.46	42.02	22.73
5.	वाहनों पर कर	1948.09	1676.18	1955.68	2884.08	-5.19	-13.96	16.67	47.47
6.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	1.14	0.67	0.45	1.44	-89.34	-41.23	-32.84	220.00
कर राजस्व (1 से 6)		36565.87	29425.33	40018.68	47362.56	-0.16	-19.53	36.00	18.35

नोट: * - अन्य कर जुलाई 2017 से जीएसटी में प्रमुख रूप से शामिल हैं।

चार्ट 4.3

2022-23 (अनंतिम) में दिल्ली सरकार का कर राजस्व

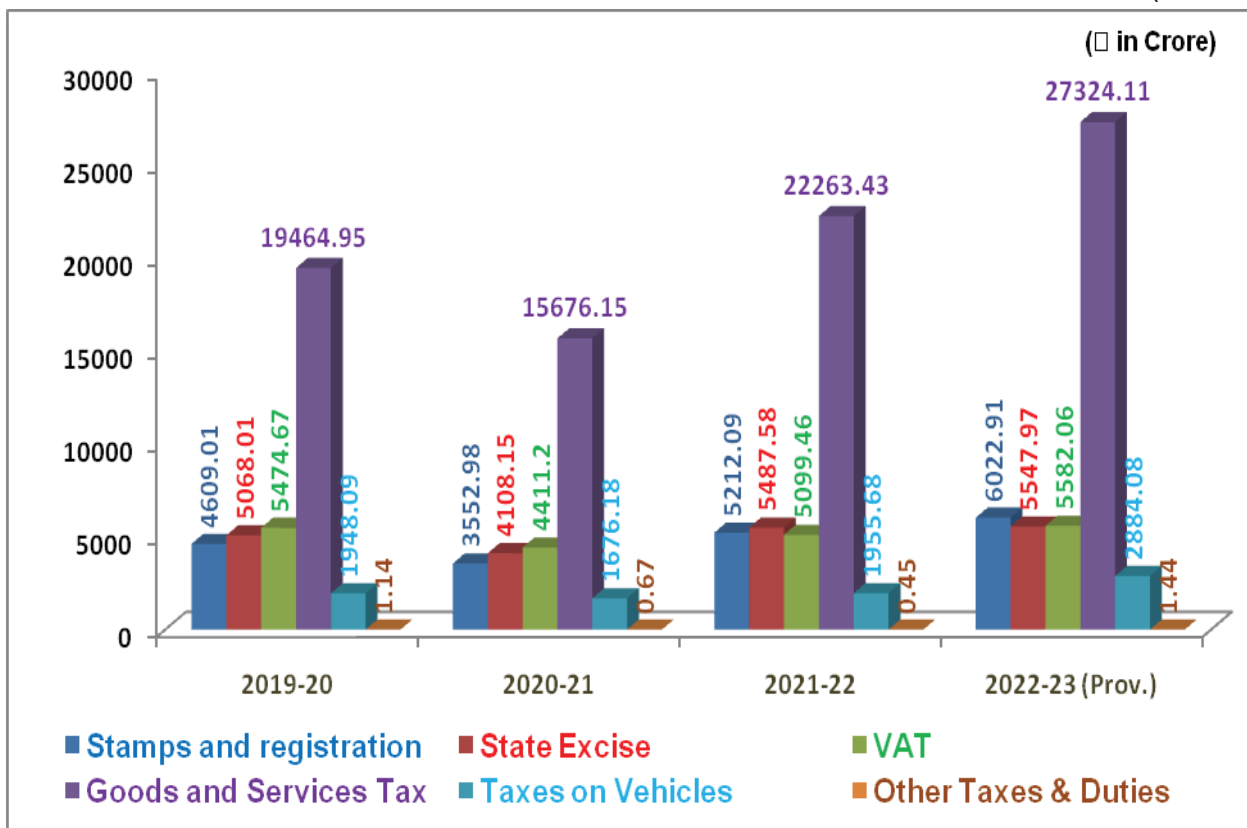
(करोड़ रु.)



25.2 2019-20 से 2022-23 के दौरान विभिन्न करों की वर्षवार वसूली की स्थिति और आय में उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी क्रमशः चार्ट 4.4 और विवरण 4.3 में दर्शायी गई है।

चार्ट 4.4
कर वसूली 2019-20 से 2022-23) (अनंतिम)

(करोड़ रु)



विवरण 4.3
2019-20 से 2022-23 (अनंतिम) तक विभिन्न करों की प्रतिशत हिस्सेदारी

(प्रतिशत)

क्र सं	मद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
		वास्तविक			अनंतिम
1.	स्टाम्प और पंजीयन (भू राजस्व सहित)	12.60	12.08	13.02	12.72
2.	राज्य आबकारी	13.87	13.96	13.71	11.71
3.	वैट	14.97	14.99	12.74	11.79
4.	राज्य वस्तु और सेवा कर	53.23	53.27	55.64	57.69
5.	वाहनों पर कर	5.33	5.70	4.89	6.09
6.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	100.00	100.00	100.00	100.00

स्रोत : वर्ष 2019-20 से 2021-22 के आंकड़े राराक्षे दिल्ली सरकार के वित्तीय लेखों से और 2022-23 के आंकड़े प्रधान लेखा कार्यालय से लिए हैं।

- 25.3 2022-23 (अनंतिम) के दौरान कर राजस्व में 18.35 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई जबकि 2021-22 में इसमें 36 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि हुई थी। 2022-23 (अनंतिम) में स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क (भू-राजस्व सहित) में 15.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2021-22 के दौरान इसमें 46.70 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि हुई थी। राज्य आबकारी में 2021-22 के दौरान 33.58 प्रतिशत की सकारात्मक बढ़ोतरी हुई थी, जबकि 2022-23 दौरान यह घट कर 1.10 प्रतिशत रह गई। 2022-23 के दौरान राज्य वस्तु एवं सेवा कर में भी 22.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2021-22 के दौरान इसमें 42.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। मूल्य सवर्धित कर-वैट में भी 2022-23 के दौरान 9.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2021-22 के दौरान यह वृद्धि 15.60 प्रतिशत थी। इसी प्रकार मोटर वाहन कर वसूली में 2022-23 के दौरान 47.47 प्रतिशत जबर्दस्त वृद्धि दर्ज हुई, जबकि 2021-22 के दौरान यह वृद्धि 16.67 प्रतिशत थी। इनके अलावा, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य करो और शुल्कों में 2022-23 के दौरान 220.0 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज हुई, जिसमें 2021-22 के दौरान 32.84 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि हुई थी।

26. गैर-कर राजस्व

- 26.1 दिल्ली सरकार का अपना गैर-कर राजस्व मुख्य रूप से उसके द्वारा अपने स्थानीय निकायों और उपक्रमों को दिये गये ऋणों व अग्रिमों पर मिलने वाले ब्याज, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों पर किये गये निवेश से मिले मुनाफे और लाभांश तथा विभिन्न सरकारी विभागों से वसूले गये सेवा प्रभार/शुल्क/जुर्माने आदि से प्राप्त होता है। विवरण 4.4 और चार्ट 4.5 में दिल्ली सरकार के अपने गैर-कर राजस्व की स्थिति दर्शायी गयी है।

विवरण 4.4

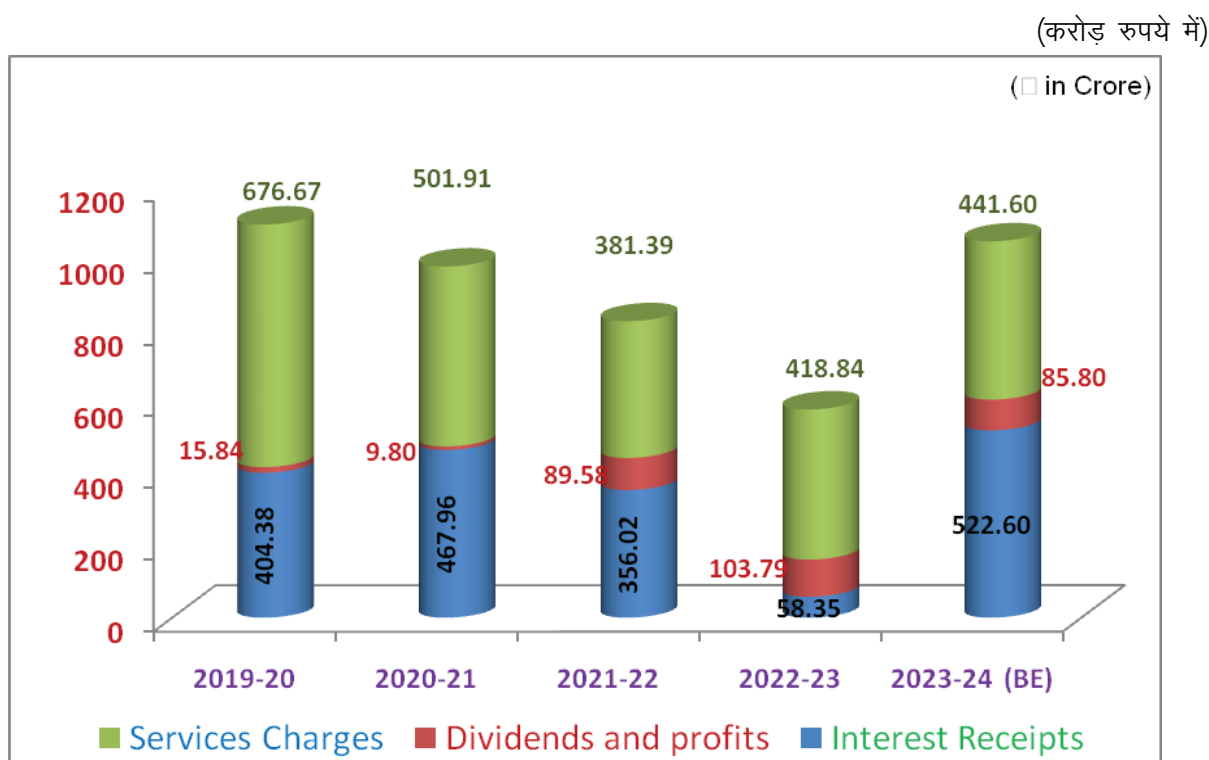
2019-20 से 2023-24 (ब.अ.) के दौरान रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार का स्वयं का गैर-कर राजस्व

(करोड़ रु.)

क्र सं	मद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
		वास्तविक			(अनंतिम)	ब.अ.
1.	ब्याज प्राप्तियां	404.38	467.96	356.02	58.35	522.60
2.	लाभांश और मुनाफा	15.84	9.80	89.58	103.79	85.80
3.	सेवा प्रभार	676.67	501.91	381.39	418.84	441.60
	कुल	1096.89	979.67	826.99	580.99	1050.00

स्रोत : विभिन्न वर्षों के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्तीय लेखे और बजट दस्तावेज।

चार्ट 4.5
स्वयं के गैर-कर राजस्व का वर्गीकरण



- 26.2 वर्ष 2023-24 (ब.अ.) के लिए गैर कर राजस्व के अंतर्गत बजटीय वसूली 1050 करोड़ रुपये रही। 2022-23 में दिल्ली का स्वयं का गैर-कर राजस्व 580.99 करोड़ रुपये रहा (जीएसडीपी का 0.06 प्रतिशत), जबकि 2021-22 के दौरान यह 826.99 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 0.09 प्रतिशत) रहा। 2022-23 के दौरान दिल्ली सरकार के स्वयं गैर-कर राजस्व में सेवा प्रभार के रूप में 418.84 करोड़ रुपये (72.09 प्रतिशत) शामिल हैं। इसके बाद ब्याज के रूप में 58.35 करोड़ रुपये (10.04 प्रतिशत) की आय हुई थी तथा लाभांश व मुनाफे के तौर पर 103.79 करोड़ रुपये (17.87 प्रतिशत) मिले थे।

27. केन्द्र से सहायता अनुदान/प्राप्तियां

- 27.1 राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र ने उन्हें विशेष श्रेणी और सामान्य श्रेणी वाले राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया है। यह वर्गीकरण आमतौर पर राज्यों के विकास कार्यक्रमों/योजनाओं के उनके राजस्व आधार, सीमावर्ती इलाके आदि के मानदंडों पर आधारित है।
- 27.2 केन्द्र की ओर से दिल्ली को मिलने वाली अनुदान सहायता/प्राप्तियों में केन्द्रीय करों में उसकी भागीदारी के एवज में दिया जाने वाला विवेकाधीन अनुदान, खास उद्देश्यों के लिए स्थापना अनुदान जैसे केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने/वैट लागू करने/जीएसटी के कार्यान्वयन के एवज में क्षतिपूर्ति, दिल्ली के वार्षिक परिव्यय (योजना) के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में अनुदान तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए अनुदान शामिल हैं। इसके अलावा जुलाई 2022 से दिल्ली को जीएसटी मुआवजे का भुगतान बंद कर दिया गया है और दिसंबर 2023 तक जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 1137.80 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान के अनुसार भारत सरकार से मिलने वाली 1500.00 करोड़

रुपये की बकाया राशि से संबंधित थे। 2019-20 से 2023-24 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली को केन्द्र से मिलने वाले सहायता अनुदान का ब्यौरा विवरण 4.5 में दिया गया है।

विवरण 4.5

2019-20 से 2023-24 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार को केन्द्र से सहायता अनुदानअन्य प्राप्तियां

(करोड़ रु.)

क्र.स.	मद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अनंतिम)	2023-24 (ब.अ.)
1.	केन्द्रीय करो में हिस्सेदारी के बदले अनुदान	325.00	325.00	325.00	325	0.00
2.	1984 के दंगा पीड़ितों को बढ़ा हुआ मुआवजा	0.00	0.00	3.43	9.49	2.00
3.	जीएसटी के कार्यावन्यन के लिए प्रतिपूर्ति	7436.00	5521.65	6445.96	12817.02	3802.00
4.	डीडीआरएफ	0.00	161.49	75.00	0.00	15.00
5.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	472.00	626.00	626.00	626.00	951.00
6.	केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम	1169.48	1441.46	991.93	981.79	3167.00
7.	अन्य अनुदान	70.56*	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए ऋण-चंद्रावल में डब्ल्यूटीपी	225.00	0	0	0	200.00
9.	आईजीएसटी हस्तांतरण वापसी और आईजीएसटी अनुपात	0.00	3383.00	0.00	0.00	0.00
कुल अनुदान		9698.04	11458.6	8467.32	14759.30	8137.00
जीएसटीपी के प्रतिशत के रूप में अनुदान		1.22	1.54	0.96	1.45	0.73

स्रोत: विभिन्न वर्षों के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्तीय लेखे और बजट दस्तावेज।

* 70.56 करोड़ में से, 69.26 करोड़ वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एनएफएसए के तहत इंटर स्टेट मूवमेंट और खाद्यान्नों के प्रबंधन और उचित मूल्य डीलरों के मार्जिन के लिए रा.रा. क्षे. दिल्ली सरकार को केन्द्रीय सहायता के तहत प्राप्त हुए और 1.30 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विधि और न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त हुए, जो दिल्ली में 02 विशेष न्यायालयों की स्थापना से संबंधित थे।

27.3 दिल्ली सरकार को 2022-23 (अनंतिम) में 14759.30 करोड़ रुपये सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुए, जबकि 2021-22 में उसे इस मद में 8467.32 करोड़ रुपये मिले थे।

28. कर वृद्धिशीलता

28.1 कर वृद्धिशीलता से पता चलता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में वृद्धि के आधार पर मापी जा रही अर्थव्यवस्था में कर राजस्व के संदर्भ में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। निम्नलिखित विवरण में 2018-19 से 2023-24 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार की कर वसूली में तेजी को दर्शाया गया है।

विवरण 4.6
दिल्ली में कर वृद्धिशीलता

क्र.सं.	मद	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अनंतिम)	2023-24 (ब.अ.)
1.	स्टाम्प और पंजीयन (भू राजस्व सहित)	0.93	0.46	3.74	2.54	1.03	-0.04
2.	राज्य आबकारी	1.45	0.11	3.09	1.82	0.07	3.57
3.	राज्य वस्तु और सेवा कर	4.58*	0.19	3.17	2.28	1.50	1.67
4.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-10.75					
5.	वैट	-5.29	-0.95	3.17	0.85	0.63	0.23
6.	वाहनों पर कर	-0.32	-0.70	2.28	0.91	3.14	0.44
कुल		0.28	-0.02	3.18	1.95	1.21	1.43

28.2 2022-23 के दौरान दिल्ली की कर वृद्धिशीलता-1.21 थी, जबकि 2021-22 के दौरान यह 1.95 अंक थी। 2019-20 के दौरान कर वृद्धिशीलता सबसे कम स्तर पर थी।

29. कर संग्रह के प्रयास

29.1 दिल्ली देश के सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में से एक है, लेकिन भारत सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के रूप में वर्गीकृत राज्यों में स्वयं के करों/जीएसडीपी अनुपात (4.67 प्रतिशत) के मामले में वह 2022-23 में 27वें स्थान पर रहा।

29.2 भारत सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के रूप में वर्गीकृत राज्यों में 2022-23 (ब.अ.) में कर/जीएसडीपी अनुपात के संदर्भ में प्रमुख राज्य इस प्रकार रहे— उत्तर प्रदेश (9.8 प्रतिशत), पुदुचेरी, गोवा (9.5 प्रतिशत), तेलंगाना (9.3 प्रतिशत), जम्मू कश्मीर (8.0 प्रतिशत), महाराष्ट्र (7.7 प्रतिशत), राजस्थान (7.2 प्रतिशत) केरल, (7.0 प्रतिशत) हरियाणा (6.7 प्रतिशत)। 2023-24 (ब.अ.) के दौरान का दिल्ली का कर/जीएसडीपी अनुपात 4.84 प्रतिशत रहा। निम्नांकित विवरण में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में दिल्ली के कर राजस्व की स्थिति अर्थात सभी राज्यों के बीच उसका स्थान दर्शाया गया है।

विवरण 4.7
दिल्ली और सभी राज्यों के जीएसडीपी/जीडीपी के प्रतिशत
के रूप में कर राजस्व की तुलना

(करोड़ रु.)

क्र सं.	वर्ष	दिल्ली		सभी राज्य	
		कर राजस्व	जीएसडीपी का प्रतिशत	कर राजस्व	जीएसडीपी का प्रतिशत
1.	2013-14	25919	5.84	712419	6.46
2.	2014-15	26604	5.38	779278	6.43
3.	2015-16	30225	5.49	847145	6.30
4.	2016-17	31140	5.05	912911	6.01
5.	2017-18	35717	5.27	1130460	6.69
6.	2018-19	36625	4.96	1214840	6.49
7.	2019-20	36566	4.61	1223993	6.09
8.	2020-21	29425	3.95	1171878	5.91
9.	2021-22	40019	4.54	1472520	6.27
10.	2022-23 (अनंतिम)	47363	4.67	1802296	6.62
11.	2023-24 (ब.अ.)	53565	4.84	2123047	7.16

स्रोत: 1) भारतीय रिजर्व बैंक - स्टेट फाइनेंसिंस एंड स्टडी आफ बजट (दिल्ली के सिवाय सभी राज्य)

2) दिल्ली के मामले में आंकड़े 2013-14 से 2021-22 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखा, और 2022-23 के लिए प्रधान लेखा कार्यालय और 2023-24 के लिए बजट दस्तावेज से लिए गए हैं।

30. राजस्व व्यय

- 30.1 दिल्ली सरकार के राजस्व व्यय में वेतन, कार्यालय खर्च, संस्थाओं/स्थानीय निकायों को योजना और गैर-योजना अनुदान सहायता/सब्सिडी और भारत सरकार को ब्याज की अदायगी आदि शामिल हैं। दिल्ली सरकार की राजस्व खर्च की स्थिति विवरण 4.8 और चार्ट 4.6 में प्रदर्शित की गयी है।

विवरण 4.8

2014-15 से 2023-24 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार का राजस्व व्यय (स्थापना और स्कीम/परियोजनाएं)

(करोड़ रु.)

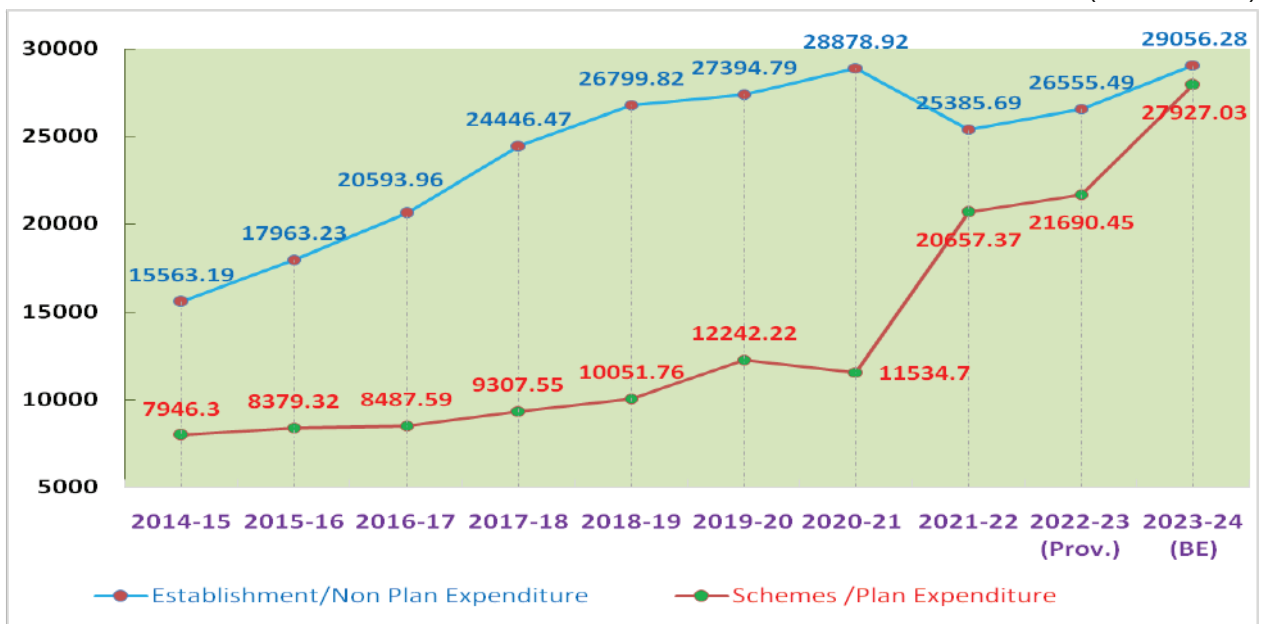
क्र सं	वर्ष	स्थापना व्यय	स्थापना व्यय (अर्थात् कॉलम 3) में से ब्याज भुगतान	कार्यक्रम/स्कीम/परियोजनाएं	कुल राजस्व व्यय (3)+(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2014-15	15563.19	2774.00	7946.30	23509.49
2.	2015-16	17963.23	2809.81	8379.32	26342.55
3.	2016-17	20593.96	2882.52	8487.59	29081.55
4.	2017-18	24446.47	2870.67	9307.55	33754.02
5.	2018-19	26799.82	2867.11	10051.76	36851.58
6.	2019-20	27394.79	2751.87	12242.22	39637.02
7.	2020-21	28878.92	2873.83	11534.70	40413.62
8.	2021-22	25385.69	3274.24	20657.37	46043.06
9.	2022-23	26555.49	3266.36	21690.45	48245.94
10.	2023-24 (ब.अ.)	29056.28	3094.32	27927.03	56983.31

स्रोत : 2014-15 से 2021-22 के लिए आंकड़े रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखा, और 2022-23 के लिए प्रधान लेखा कार्यालय और 2023-24 के लिए बजट दस्तावेज से लिए गए हैं।

चार्ट 4.6

2014-15 से 2016-17 और 2017-18 से 2023-24 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार का राजस्व खर्च (योजना और गैर योजना) (कार्यक्रम/स्कीम और स्थापना)

(करोड़ रुपये में)



नोट: वित्त वर्ष 2017-18 के बाद से योजना / गैर योजना द्विभाजन को राजकोषीय सुधार के रूप में दूर किया गया था।

- 30.2 दिल्ली सरकार का कुल राजस्व व्यय 2022-23 (अनंतिम) में 48245.94 करोड़ रु. था और इसकी वृद्धि दर 4.78 प्रतिशत थी। विवरण 4.9 में वर्ष 2018-19 से 2022-23 (अनंतिम) दौरान राजस्व व्यय में प्रतिशत वृद्धि दर्शायी गयी है।

विवरण 4.9

दिल्ली सरकार के राजस्व खर्च में वृद्धि

(प्रतिशत)

मद	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल राजस्व व्यय	9.18	7.56	1.96	13.93	4.78

31. भारत सरकार को ब्याज का भुगतान

- 31.1 वर्ष के दौरान सरकार की ब्याज की देनदारी पिछले साल के इसके बकाया कर्ज की राशि पर निर्भर है। दिल्ली सरकार ने 2022-23 (अनंतिम) में 3266.36 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान किया जो वर्ष के दौरान इसके कर राजस्व का 6.90 प्रतिशत है। मार्च 2023 के अंत तक दिल्ली सरकार पर कर्ज की बकाया देनदारी 40017.55 करोड़ रुपये की थी और इसमें डीवीबी/डेसू की बकाया देनदारियों को चुकता करने के लिए 2013-14 में भारत सरकार से मिला 3326.39 करोड़ रुपये का गैर-योजना ऋण भी शामिल था। 2013-14 में भारत सरकार से मिले 3326.39 करोड़ रुपये के उक्त गैर-योजना ऋण के भुगतान के बारे में अंतिम रूप से फैसला नहीं हो पाया है। रा. रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से उक्त राशि को अनुदान सहायता में परिवर्तित करने का बार बार अनुरोध किया है। कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में दिल्ली सरकार की ब्याज भुगतान की स्थिति निम्नलिखित विवरण में प्रदर्शित की गयी है।

विवरण 4.10

कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में दिल्ली सरकार का ब्याज भुगतान

(करोड़ रुपये)

क्र.स.	वर्ष	राजस्व	ब्याज भुगतान	(%)
1.	2012-13	23431.52	2862.88	12.22
2.	2013-14	25918.69	2824.29	10.90
3.	2014-15	26603.90	2774.00	10.43
4.	2015-16	30225.16	2809.81	9.30
5.	2016-17	31139.89	2882.52	9.26
6.	2017-18	35717.02	2870.67	8.03
7.	2018-19	36624.67	2867.11	7.82
8.	2019-20	36565.87	2751.87	7.52
9.	2020-21	29425.33	2873.83	9.77
10.	2021-22	40018.69	3274.24	8.18
11.	2022-23 (अनंतिम)	47362.56	3266.36	6.90
12.	2023-24 (ब.अ.)	53565.00	3094.32	5.78

32. स्थानीय निकायों को धनराशि हस्तांतरण

- 32.1 दिल्ली में स्थानीय निकायों (जैसे दिल्ली नगर निगम या इसकी उत्तराधिकारी संस्थाओं और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद) को धनराशि का आवंटन दिल्ली वित्त आयोग (डीएफसी) की सिफारिशों के आधार पर सरकार के फैसले से किया जा रहा है। स्थानीय निकायों को धनराशि के आवंटन के तहत बुनियादी करों में भागीदारी (यानी दिल्ली सरकार की शुद्ध कर आय में हिस्सेदारी)

और शिक्षा, पुनर्वास बस्तियों आदि के रख-रखाव जैसे विशिष्ट कार्यों के लिए गैर-योजना (2016-17 तक और उसके बाद 2017-18 से स्थापना) अनुदान शामिल है। दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी) की गणना स्थानीय निकाय के रूप में नहीं होती मगर उसको भी धनराशि का आबंटन दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जा रहा है।

32.2 2006-11 तक के कार्यकाल वाले तीसरे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली सरकार के फैसले से तय किए गए स्थानीय निकायों के लिए धन हस्तांतरण फार्मूले को 2011-12 से 2016-17 के लिए भी बढ़ा दिया गया है। तीसरे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिल्ली सरकार को करों से मिलने वाली 4 प्रतिशत शुद्ध राशि स्थानीय निकायों को उनकी बुनियादी कर हिस्सेदारी के रूप में हस्तांतरित की गई जबकि शुद्ध कर आय की 5 प्रतिशत राशि शिक्षा/पुनर्वास बस्तियों का खर्च पूरा करने के लिए (गैर-योजनागत 2016-17 तक और उसके बाद 2017-18 से स्थापना) अनुदान के रूप में दी जा रही है। इसी तरह शुद्ध कर आमदनी की 1.5 प्रतिशत राशि नगरपालिका सुधार निधि में दिल्ली नगर निगम के उत्तराधिकारियों और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के लिए उनकी आमदनी और खर्च में सुधार की शर्त पर उपलब्ध करायी गई। चौथे दिल्ली वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंप दी, परन्तु उस पर विचार नहीं किया गया। इसके बाद रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने दिनांक 01.01.2019 के कैबिनेट के निर्णय संख्या 2669 और 2670 के तहत पांचवे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए लागू करने का निर्णय किया। पहले, दूसरे और तीसरे दिल्ली वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान स्थानीय निकायों को धन हस्तांतरण दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है।

विवरण 4.11

दिल्ली में स्थानीय निकायों को धनराशि का हस्तांतरण

(करोड़ रु.)

क्र सं	ब्यौरा	प्रथम दिल्ली वित्त आयोग की अवधि (1996-01)	द्वितीय दिल्ली वित्त आयोग की अवधि (2001-06)	तृतीय दिल्ली वित्त आयोग की अवधि (2006-11)		
				2006-08 (दूसरे डीएफसी की सिफारिश के आधार पर)	2008-11 (तीसरे डीएफसी की सिफारिश के आधार पर)	2006-11 कुल
1.	सहायता अनुदान					
	क. एमसीडी	644.53	1380.34	1035.11	2577.74	3612.85
	ख. एनडीएमसी	48.83	91.50	64.42	170.67	235.09
	ग. डीसीबी	4.82	7.08	3.89	14.31	18.20
	घ. कुल	698.18	1478.92	1103.42	2762.72	3866.14
2.	बुनियादी कर में हिस्सेदारी					
	क. एमसीडी	872.01	1576.83	1151.18	1456.30	2607.48
	ख. एनडीएमसी	44.60	51.13	38.09	39.92	78.01
	ग. डीसीबी	11.15	22.93	12.30	18.67	30.97
	घ. कुल	927.76	1650.89	1201.57	1514.89	2716.46
3.	कुल					
	क. एमसीडी	1516.54	2957.17	2186.29	4034.04	6220.33
	ख. एनडीएमसी	93.43	142.63	102.51	210.59	313.10
	ग. डीसीबी	15.97	30.01	16.19	32.98	49.17
	घ. कुल	1625.94	3129.81	2304.99	4277.61	6582.60

32.3 तीसरे दिल्ली वित्त आयोग के कार्यकाल (2006-11) के दौरान स्थानीय निकायों को 6582.60 करोड़ रुपये संवितरित किये गये जिससे दूसरे दिल्ली वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान संवितरित राशि में 110.32 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित होती है। तीसरे आयोग के कार्यकाल में

- 32.5 दिनांक 01.01.2019 के कैबिनेट के निर्णय संख्या 2670 के अनुसार यह तय किया गया कि पांचवे डीएफसी की सिफारिशों के अनुसार कर राजस्व की निवल प्राप्ति स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जायेगी। इस प्रकार यह तय किया गया कि निवल कर संग्रह का 12.5 प्रतिशत धन हस्तांतरित किया जायेगा। इसमें 6 प्रतिशत बुनियादी कर समुद्देशन होगा और 6.5 प्रतिशत क्षेत्र विषयक अनुदान जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी विकास अनुदान शामिल होंगे। तदनुरूप 2019-20 से 2023-24 (ब.अ.) में स्थानीय निकायों को धन का हस्तांतरण/आवंटन इस प्रकार रहा :-

विवरण 4.12(ख)

**दिल्ली में स्थानीय निकायों को वर्ष 2019-20 से 2023-24 (ब.अ.)
के दौरान स्थानीय निकायों को धन हस्तांतरण**

(करोड़ रु.)

क्र सं	ब्योरा	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अंतिम)	2023-24 (ब.अ.)
(अ)	बुनियादी कर समुद्देशन	2520.70	2068.73	1670.40	2265.88	2492.47
क	उत्तरी दिननि	872.03	764.81	619.11	573.61	0.00
ख	दक्षिणी दिननि	409.52	405.26	328.06	303.95	0.00
ग	पूर्वी दिननि	1207.68	864.83	700.07	648.62	0.00
घ	एकीकृत दि.न.नि	0.00	0.00	0.00	702.65	2451.72
ङ	नदिनप	17.57	20.07	12.02	21.98	24.18
च	दिछबो	13.90	13.76	11.14	15.07	16.57
(ब)	क्षेत्र विषयक अनुदान (1+2+3)	2269.58	2217.06	1771.34	2652.56	2659.35
1	शिक्षा क्षेत्र (एमडीएम सहित)*	1516.43	1322.34	1184.43	1677.19	1713.22
क	उत्तरी दिननि	661.33	607.01	532.51	12.87	0.00
ख	दक्षिणी दिननि	460.92	403.94	379.41	10.55	0.00
ग	पूर्वी दिननि	391.57	309.72	270.59	12.06	0.00
घ	एकीकृत दि.न.नि	0.00	0.00	0.00	1635.42	1713.22
ङ	नदिनप	2.50	1.37	1.65	5.51	0.00
च	दिछबो	0.11	0.30	0.27	0.78	0.00
2	स्वास्थ्य क्षेत्र	260.75	231.62	182.80	430.43	346.69
क	उत्तरी दिननि	135.75	110.65	87.30	27.69	0.00
ख	दक्षिणी दिननि	55.00	56.17	44.30	14.07	0.00
ग	पूर्वी दिननि	70.00	64.80	51.20	16.21	0.00
घ	एकीकृत दि.न.नि	0.00	0.00	0.00	372.46	346.69
ङ	नदिनप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	शहरी विकास क्षेत्र	492.40	663.10	404.11	544.94	599.44
क	उत्तरी दिननि	212.40	307.13	171.12	162.60	0.00
ख	दक्षिणी दिननि	80.00	94.89	83.82	79.65	0.00
ग	पूर्वी दिननि	200.00	163.08	149.17	141.75	0.00
घ	एकीकृत दि.न.नि	0.00	0.00	0.00	160.94	599.44
	कुल अनुदान (अ+ब)	4790.28	4285.79	3441.74	4918.44	5151.82

* नोट: एमडीएम के लिए रिलीज में अनुदान का केंद्रीय हिस्सा शामिल है

संवितरित कुल 6582.60 करोड़ रुपये में से 6220.33 करोड़ रुपये (94.5 प्रतिशत) दिल्ली नगर निगम को दिये गये और 313.10 करोड़ रुपये (4.8 प्रतिशत) एनडीएमसी को और 49.17 करोड़ रुपये (0.7 प्रतिशत) दिल्ली छावनी बोर्ड को संवितरित किये गये।

- 32.4 दिल्ली नगर निगम का तीन हिस्सों में विभाजन किया गया था और दिल्ली सरकार की 13 जनवरी, 2012 की अधिसूचना के तहत उत्तर दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम बनाये गये थे ताकि दिल्ली के निवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मिल सकें। निम्नलिखित विवरण से 2013-14 से 2018-19 (अनंतिम) की अवधि में स्थानीय निकायों को धनराशि के आबंटन को वर्षवार दर्शाया गया है।

विवरण 4.12 (क)
दिल्ली में स्थानीय निकायों को वर्षवार धन हस्तांतरण

(करोड़ रु.)

क्र सं	ब्यौरा	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	प्राथमिक शिक्षा	1058.97	1108.98	1116.90	1291.54	1340.22	1113.19
क	उत्तरी दिननि	452.59	462.81	475.96	550.56	571.36	474.68
ख	दक्षिणी दिननि	345.66	353.46	363.50	420.48	436.36	362.52
ग	पूर्वी दिननि	228.96	234.14	240.79	278.53	289.05	240.14
घ	नदिनप	28.12	33.45	32.25	36.94	38.24	31.55
ङ	दिछबो	3.64	25.12	4.40	5.03	5.21	4.30
2	माध्यमिक शिक्षा (नदिनप)	35.01	37.25	40.23	46.00	47.61	39.28
3	स्कूल भवन के रख रखाव के लिए	42.39	47.47	48.70	55.68	57.65	47.55
क	उत्तरी दिननि	18.68	20.92	21.46	24.54	25.40	20.95
ख	दक्षिणी दिननि	14.26	15.97	16.39	18.73	19.40	16.00
ग	पूर्वी दिननि	9.45	10.58	10.85	12.41	12.85	10.60
4	पुनर्वास कालोनियों का रख रखाव	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.01
क	उत्तरी दिननि	44.06	44.06	44.06	44.06	44.06	33.05
ख	दक्षिणी दिननि	33.65	33.65	33.65	33.65	33.65	25.24
ग	पूर्वी दिननि	22.29	22.29	22.29	22.29	22.29	16.72
5	पूँजी आस्तियों का रख रखाव	43.77	41.01	50.29	57.50	59.51	49.40
क	उत्तरी दिननि	16.11	18.04	18.51	21.16	21.90	18.07
ख	दक्षिणी दिननि	16.11	18.04	18.51	21.16	21.90	18.07
ग	पूर्वी दिननि	10.17	11.39	11.68	13.37	13.83	11.71
घ	नदिनप	1.38	-6.46	1.59	1.81	1.88	1.55
6	घोबी घाट का निर्माण	0.10	0.10	0.10	0.10	0.0	0.0
7	बुनियादी कर समुद्देशन	804.50	893.66	958.90	1022.43	1093.94	2364.99
क	उत्तरी दिननि	270.25	302.66	332.93	332.64	367.48	894.72
ख	दक्षिणी दिननि	346.70	388.29	398.36	455.50	471.44	388.94
ग	पूर्वी दिननि	146.04	163.55	179.91	179.75	198.57	1034.76
घ	नदिनप	26.19	22.00	30.10	34.41	35.62	29.39
ङ	दिछबो	15.32	17.16	17.60	20.13	20.83	17.18
8	नगरीय सुधार निधि (एमआरएफ)	0.00	0.00	0.00	374.00	446.34	490.00
क	उत्तरी दिननि	0.00	0.00	0.00	145.30	लागू नहीं	लागू नहीं
ख	दक्षिणी दिननि	0.00	0.00	0.00	118.00		
ग	पूर्वी दिननि	0.00	0.00	0.00	110.70		
	कुल (एमआरएफ को छोड़कर अंतरण)	2084.74	2228.47	2315.12	2573.25	2698.93	3689.42

स्रोत : प्रधान लेखा अधिकारी, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार

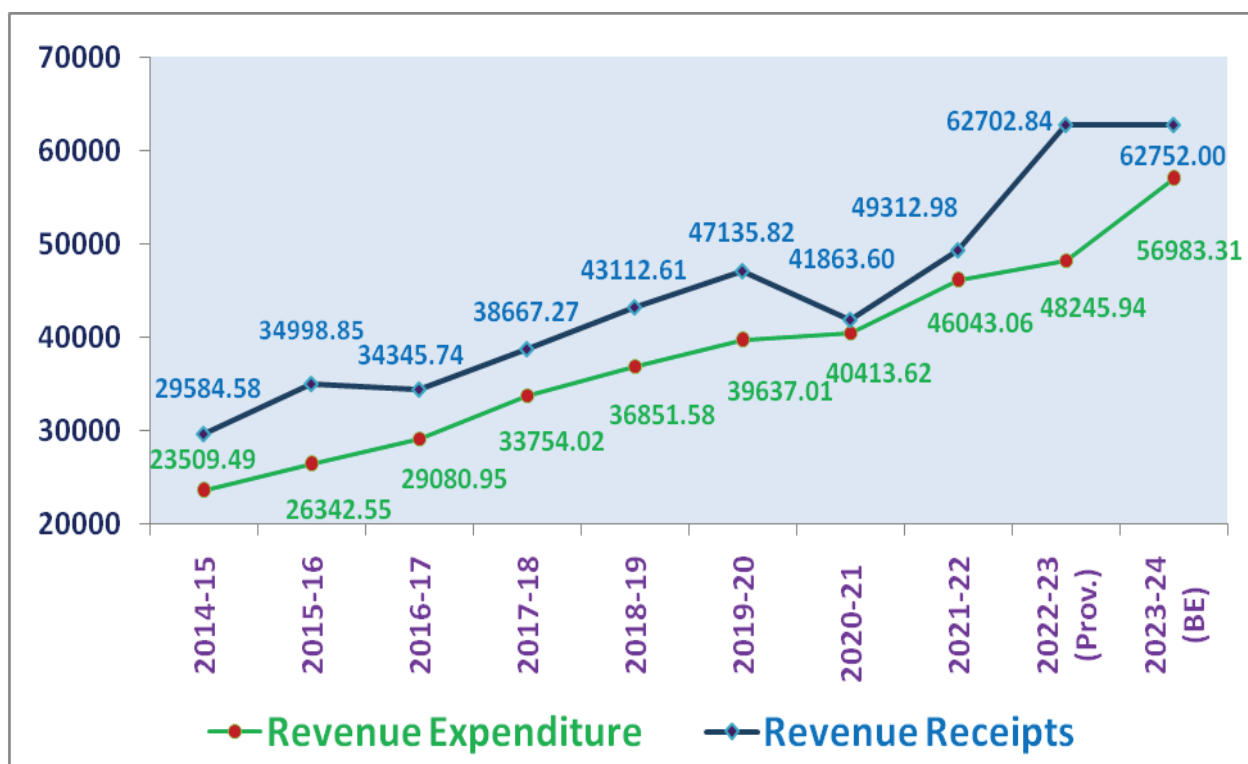
- 32.6 2022-23 (अनंतिम) के दौरान, कुल 4918.44 करोड़ रुपये स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए गए थे, जिसमें से 776.77 करोड़ रुपये (15.79 प्रतिशत) की राशि उत्तरी दिल्ली नगर निगम, 408.22 करोड़ रुपये (8.30 प्रतिशत) दक्षिण दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित की गई। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लिए 818.64 करोड़ रुपये (16.64 प्रतिशत), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड को क्रमशः 27.49 करोड़ रुपये (0.56 प्रतिशत) और 15.85 करोड़ रुपये (0.32 प्रतिशत) हस्तांतरित किए गए। स्थानीय निकायों को हस्तांतरण के लिए 2023-24 (ब.अ.) में 5151.82 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया था।

33. राजस्व अधिशेष

- 33.1 दिल्ली की एक खास विशेषता यह है कि इसके पास लगातार राजस्व अधिशेष की स्थिति रही है। 2023-24 (ब.अ.) में दिल्ली का राजस्व अधिशेष 5768.69 करोड़ रुपये था। चार्ट 4.7 में 2014-15 से 2023-24(ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व खर्च की स्थिति दर्शायी गयी है।

चार्ट 4.7
दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय

(करोड़ रुपये)



- 33.2 2014-15 से 2023-24 (ब.अ.) की अवधि के दौरान दिल्ली और देश के अन्य तमाम राज्यों की राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व खर्च और राजस्व अधिशेष/घाटे की स्थिति का ब्योरा विवरण 4.13 में दिया गया है। इसके अलावा चार्ट 4.8 में दिल्ली सरकार के राजस्व अधिशेष को दर्शाया गया है।

विवरण 4.13

वर्ष 2014-15 से 2023-24 (ब.अ.) के दौरान सभी राज्यों और
साराक्षेत्र दिल्ली सरकार का राजस्व अधिशेष/घाटा

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	वर्ष	राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)		राजकोषीय अधिशेष (+)/घाटा (-)	
		दिल्ली	सभी राज्य	दिल्ली	सभी राज्य
1.	2014-15	6075	-45704	219	-327190
2.	2015-16	8656	-5380	1322	-420670
3.	2016-17	5264	-40490	-1051	-534330
4.	2017-18	4913	-18840	113	-410490
5.	2018-19	6261	-17769	2147	-462770
6.	2019-20	7499	-121495	-417	-524710
7.	2020-21	1450	-371222	-6708	-804574
8.	2021-22	3270	-102032	-7021	-654678
9.	2022-23 (अनंतिम)	14457	-125385	4565	-923810
10.	2023-24(ब.अ.)	5769	-34919	-10386	948261
राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)				एसडीपी/जीडीपी का प्रतिशत)	
1.	2014-15	1.23	-0.37	0.04	-2.63
2.	2015-16	1.57	-0.04	0.24	-3.05
3.	2016-17	0.85	-0.26	-0.17	-3.47
4.	2017-18	0.72	-0.11	0.02	-2.40
5.	2018-19	0.85	-0.09	0.29	-2.45
6.	2019-20	0.95	-0.60	-0.05	-2.61
7.	2020-21	0.19	-1.87	-0.90	-4.06
8.	2021-22	0.37	-0.43	-0.80	-2.79
9.	2022-23 (अनंतिम)	1.42	-0.46	0.45	-3.39
10.	2023-24 (ब.अ.)	0.52	-0.12	-0.94	3.20

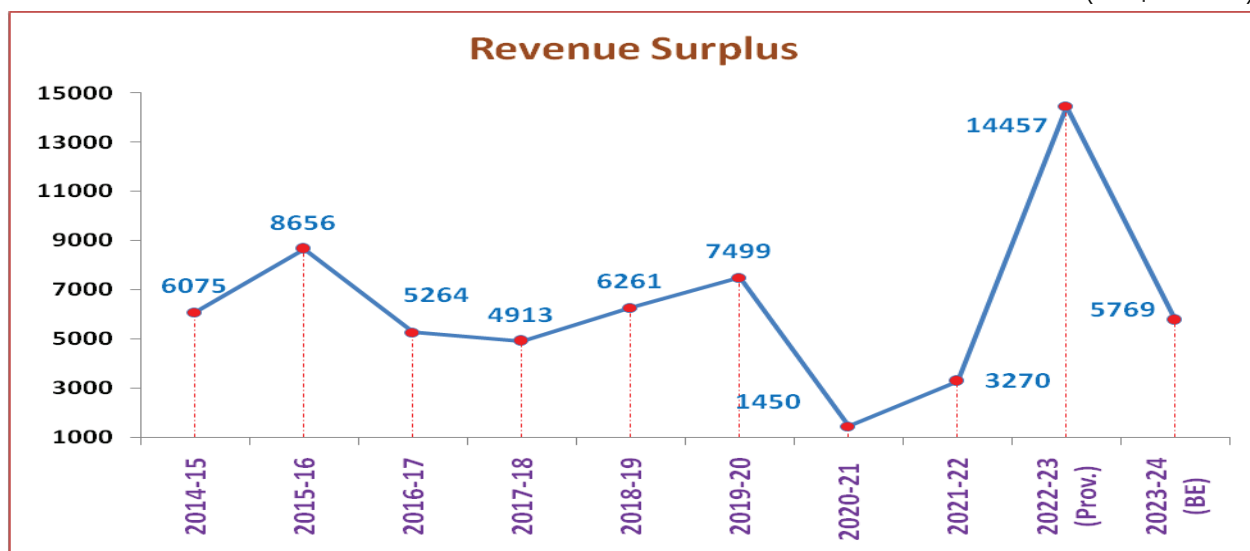
स्रोत : 1. वित्त लेखा, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार, बजट दस्तावेज (2023-24 (ब.अ.) से।

2. भारतीय रिजर्व बैंक-स्टेट फाइनेंस-ए स्टडी आफ बजट्स

चार्ट 4.8

वर्ष 2014-15 से 2023-24 (ब.अ.) के दौरान
दिल्ली सरकार का राजस्व अधिशेष

(करोड़ रुपये में)



34. पूंजी प्राप्तियां

- 34.1 दिल्ली सरकार की पूंजी प्राप्तियों में राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) से प्राप्त ऋण, स्थानीय निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों/सरकारी कर्मचारियों आदि से ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली आदि शामिल हैं। दिल्ली सरकार की पूंजी प्राप्तियों के बारे में सूचना निम्नलिखित विवरण में दी गयी है।

विवरण 4.14

वर्ष 2018-19 से 2023-24 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार की पूंजी प्राप्तियां

(करोड़ रु.)

क्र स	स्रोत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अनंतिम)	2023-24 (ब.अ.)
1.	लघु बचत ऋण	1906.34	2800.00	4540.60	9500.00	5000.00	3251.22	10000.00
2.	ब्लॉक ऋण-जीएसटी प्रतिपूर्ति में कमी के बदले	0.00	0.00	0.00	5865.00	6192.67	0.00	0.00
3.	ऋण और अग्रिमों की वसूली	690.42	1643.90	822.65	631.48	622.78	1257.66	621.99
4	ईएपी के तहत ऋण	0.00	80.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.01
कुल पूंजी प्राप्तियां		2596.76	4523.90	5588.25	15996.48	11815.45	4508.88	10622.00

स्रोत : 1. वर्ष 2018-19 से 2021-22 के आंकड़े राराक्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त लेखा से लिए गये हैं।

2. वर्ष 2022-23 (अनंतिम) के आंकड़े प्रधान लेखा कार्यालय और 2023-24 के आंकड़े राराक्षेत्र दिल्ली सरकार के बजट दस्तावेज से लिए गए हैं।

- 34.2 2022-23 (अनंतिम) के दौरान दिल्ली सरकार की पूंजी प्राप्ति 4508.88 करोड़ रुपये थी जबकि इससे पहले वर्ष 2021-22 में पूंजी प्राप्तियां 11815.45 करोड़ रुपये थीं। 2022-23 (अनंतिम) में पूंजीगत प्राप्तियों में कमी का एक प्रमुख कारण है वर्ष के दौरान लघु बचत ऋण की राशि कम होना था जिसके अंतर्गत 3251.22 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि 2021-22 के दौरान इस मद में 5000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत सरकार से जीएसटी प्रतिपूर्ति के बदले कोई ब्लॉक ऋण प्राप्त नहीं हुआ जबकि 2021-22 में इस मद में 6192.67 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। 2022-23 (अनंतिम)के दौरान ऋण और अग्रिमों की वसूली 1257.66 करोड़ रुपये रही, जबकि 2021-22 में यह 622.78 करोड़ रुपये थी। 2023-24 (ब.अ.) के लिए बजटीय पूंजी प्राप्तियां 10622.00 करोड़ रुपये रहीं।

35. पूंजी खर्च

- 35.1 दिल्ली सरकार का पूंजी खर्च योजना और गैर-योजना मदों (2016-17 तक) के अंतर्गत होता था। 2017-18 से यह स्कीमों/परियोजनाओं और स्थापना व्यय के रूप में किया जाने लगा है। योजना मद के अंतर्गत आने वाले पूंजी खर्च में सरकार की विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं का पूंजी परिव्यय तथा विकास परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए स्थानीय संस्थाओं/उपक्रमों को दिए गए ऋण तथा अग्रिम शामिल हैं, जबकि गैर-योजना पूंजी खर्च में मुख्य रूप से भारत सरकार को कर्ज

की अदायगी और स्थानीय निकायों आदि को दिए गए गैर-योजना ऋण, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं। विवरण 4.15 और चार्ट 4.9 में दिल्ली सरकार के पूंजी प्राप्तियां और संवितरण को दर्शाया गया है।

विवरण 4.15

2017-18 से 2023-24 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार का पूंजी व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	स्रोत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अनंतिम)	2023-24 (ब.अ.)
1.	योजना/ कार्यक्रम व्यय*	4883.93	5566.94	8037.59	7688.59	9688.96	10092.10	15772.97
2.	गैर योजना/ स्थापना और प्रशासन व्यय*	2288.90	3827.37	3511.65	4365.83	5440.32	5772.31	6043.72
	किस ऋण अदायगी के संदर्भ में	1682.43	3636.35	2811.10	3265.17	4215.16	4715.16	5040.29
कुल पूंजी व्यय		7172.83	9394.31	11549.24	12054.42	15129.28	15864.41	21816.69

स्रोत : 1. वर्ष 2017-18 से 2021-22 के आंकड़े राराक्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त लेखा से लिए गये हैं।

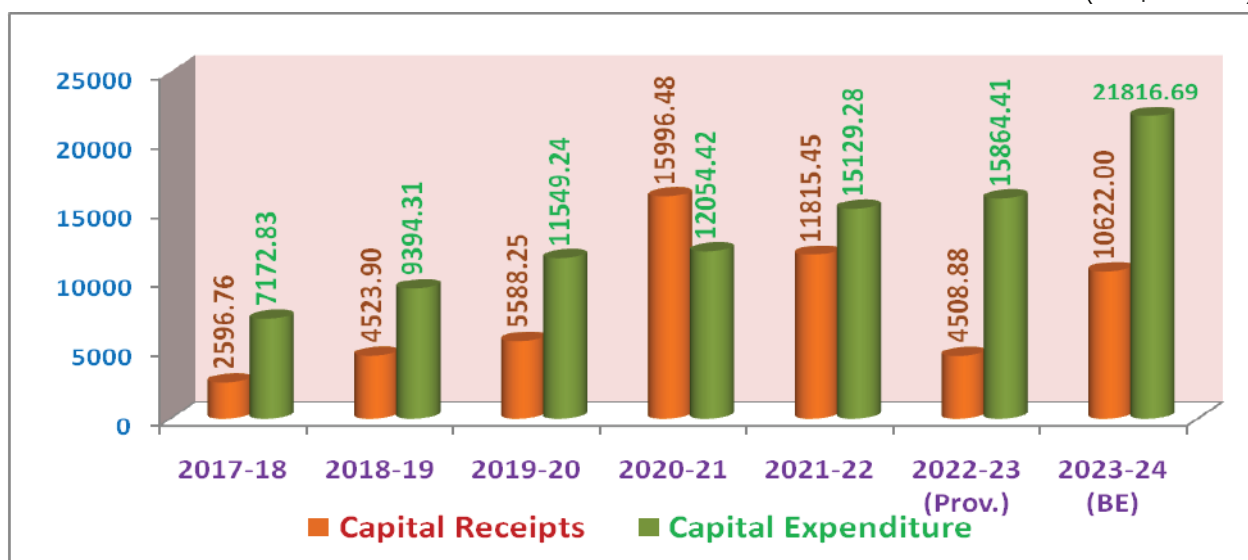
2. वर्ष 2022-23 (अनंतिम) के आंकड़े प्रधान लेखा कार्यालय और 2023-24 (ब. अ.) के आंकड़े राराक्षेत्र दिल्ली सरकार के बजट दस्तावेज से लिए गए हैं।

*2017-18 से योजना और गैर योजना का विलय कर दिया गया; योजना के स्थान पर अब कार्यक्रम/परियोजनाएं और गैर योजना के स्थान पर स्थापना व्यय के रूप में वर्गीकरण किया गया है

चार्ट 4.9

2017-18 से 2023-24 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार की पूंजी प्राप्तियां और पूंजी व्यय

(करोड़ रुपये में)



- 35.2 2022-23 (अनंतिम) के दौरान दिल्ली सरकार का कुल पूंजी खर्च 15864.41 करोड़ रुपये था जो 64110.35 करोड़ रुपये के कुल व्यय का 24.75 प्रतिशत है। वर्ष 2022-23 (अनंतिम) के दौरान 15864.41 करोड़ रुपये के कुल पूंजी खर्च में से स्कीमों/परियोजनाओं के अंतर्गत व्यय 10092.10

करोड़ रुपये (63.61 प्रतिशत) और बाकी 5772.31 करोड़ रुपये (36.39 प्रतिशत) स्थापना और प्रशासन मद के अंतर्गत व्यय हुआ। 2023-24 (ब.अ.) के लिए कुल बजटीय पूंजी व्यय 21816.69 करोड़ रुपये रहा, जो 78800 करोड़ रुपये के कुल व्यय का 27.69 प्रतिशत है।

36. सार्वजनिक ऋण

- 36.1 विवरण 4.16 से दिल्ली सरकार के बकाया कर्ज और उसकी कर्ज चुकाने संबंधी देनदारियों को दर्शाया गया है।

विवरण 4.16

2013-14 से 2022-23 के दौरान रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार के सार्वजनिक ऋण

(करोड़ रु.)

क्र.सं	वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में बकाया ऋण	प्राप्त राशि	अदा की गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया
1.	2013-14	29242.70	4162.90	1325.29	32080.31
2.	2014-15	32080.31	1764.32	1346.72	32497.91
3.	2015-16	32497.91	2241.13	1435.18	33303.86
4.	2016-17	33303.86	1695.53	1654.62	33344.77
5.	2017-18	33344.77	1906.34	1682.43	33568.68
6.	2018-19	33568.68	2800.00	3636.35	32732.33
7.	2019-20	32732.33	4540.60	2811.10	34461.83
8.	2020-21	34461.83	9500.00	3265.17	40696.66
9.	2021-22	40696.66	5000.00	4215.16	41481.50
10.	2022-23 (अनंतिम)	41481.50	3251.22	4715.17	40017.55

स्रोत : 1. वर्ष 2013-14 से 2022-23 के आंकड़े रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार की 2023-24 की विस्तृत अनुदान मांगों से लिए गये हैं।

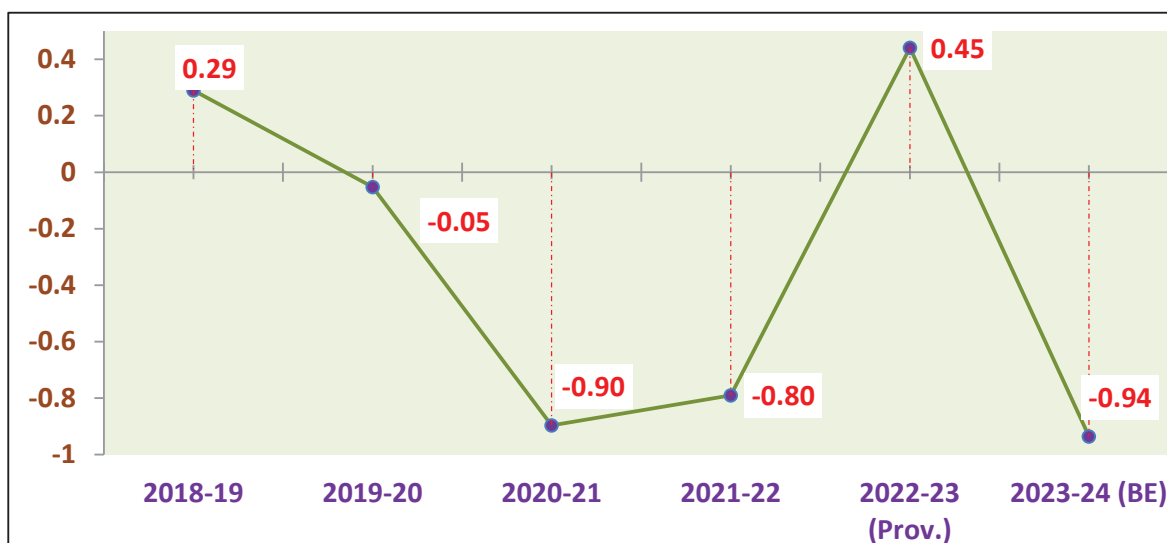
- 36.2 मार्च 2023 के अंत तक दिल्ली सरकार पर 40017.55 करोड़ रुपये के कर्ज बकाया थे जिसमें 2013-14 के दौरान प्राप्त हुआ 3326.39 करोड़ रुपये का बिजली क्षेत्र ऋण भी शामिल था। इस तरह के बकाया कर्ज राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) से लघु बचत ऋण प्राप्त होने की वजह से पैदा होते हैं। इसी तरह 2013-14 में डेसू/डीवीबी की बकाया देनदारियों को पूरा करने के लिए भी भारत सरकार से बिजली ऋण प्राप्त किया गया। इन बकाया कर्जों की वजह से दिल्ली सरकार ने 2022-23 में भारत सरकार को ब्याज के रूप में 3266.36 करोड़ रुपये और 4715.17 करोड़ रुपये के मूलधन का भुगतान किया।

37. राजकोषीय घाटा/अधिशेष

- 37.1 राजकोषीय घाटा सारांश रूप में एक ऐसा सांख्यिकीय माप है जो सभी स्रोतों से सरकार की शुद्ध उधार लेने की आवश्यकताओं को इंगित करता है। दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 7021.41 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा दर्ज किया, जबकि 2022-23 में 4565.31 करोड़ रुपये को राजकोषीय अधिशेष दर्ज हुआ। चार्ट 4.10 में 2018-19 से 2023-24 (ब.अ.) के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा/अधिशेष दर्शाया गया है। परन्तु, सरकार ने 2023-24 (ब.अ.) के दौरान 10385.72 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा दर्शाया है, जो जीएसडीपी का 0.97 प्रतिशत है।

चार्ट 4.10

वर्ष 2018-19 से 2023-24 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली के जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल वित्तीय घाटा/अधिशेष



38. प्राथमिक घाटा

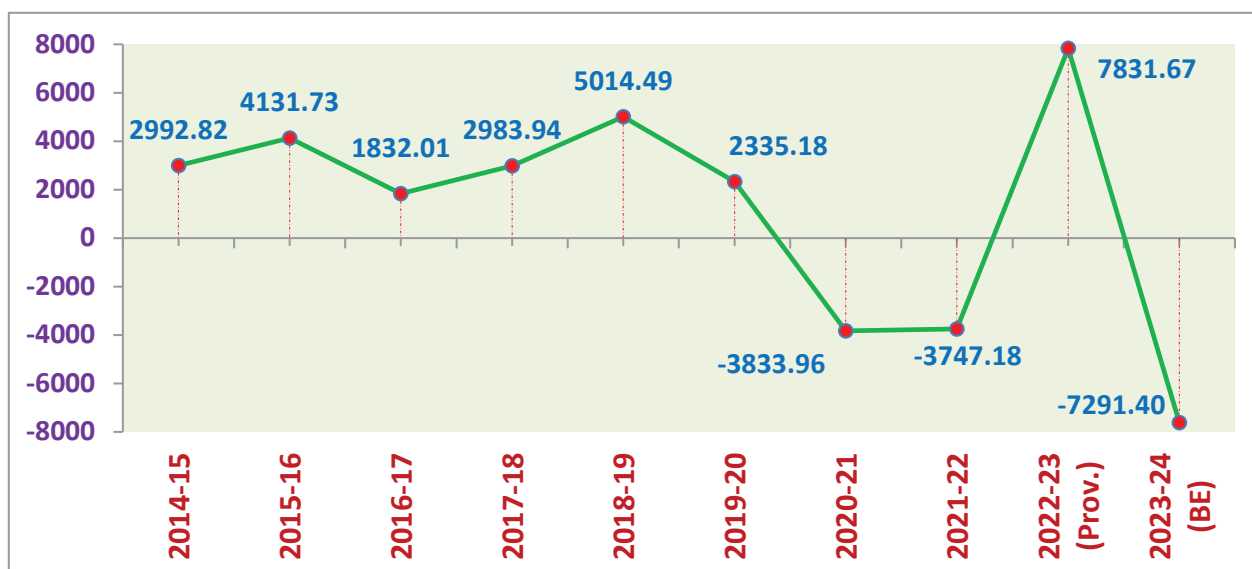
38.1

प्राथमिक घाटा (यानी ब्याज भुगतान का निवल राजकोषीय घाटा) कुल मौजूदा खपत और निवेश खर्च को पूरा करने के लिए सरकार की कर्ज हासिल करने की शुद्ध आवश्यकताओं का पैमाना है। दिल्ली सरकार का प्राथमिक घाटा 2021-22 में 3747.17 करोड़ रुपये दर्ज हुआ जबकि 2022-23 के दौरान 7831.68 करोड़ रुपये प्राथमिक अधिशेष रहा। परन्तु, दिल्ली सरकार ने 2023-24 (ब.अ.) के दौरान 7291.40 करोड़ रुपये का प्राथमिक घाटा दर्शाया है। चार्ट 4.11 में 2014-15 से 2023-24 (ब.अ.) तक दिल्ली सरकार के प्राथमिक घाटे/अधिशेष को दिखाया गया है।

चार्ट 4.11

2014-15 से 2023-24 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार का प्रारंभिक घाटा/अधिशेष

(करोड़ रुपये में)



39. सरकारी कंपनियों को सहायता

- 39.1 दिल्ली में सरकारी कंपनियों के वित्तीय कार्य निष्पादन का सरकार के वित्तीय संसाधनों पर असर पड़ता है, क्योंकि इन कंपनियों के वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए उन्हें ऋण/अनुदान/सब्सिडी के रूप में स्थापना व्यय सहायता मुहैया करायी जाती है। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली सरकार की स्कीमो/परियोजनाओं के लिए वार्षिक परिव्यय हेतु संसाधन उसी अनुपात में कम हो जाते हैं। दिल्ली में विभिन्न सार्वजनिक कंपनियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता इस प्रकार है:

(क) दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी)

- 39.1.1 दिल्ली परिवहन निगम को संचालनात्मक घाटा हो रहा है और उसी के अनुसार दिल्ली सरकार को वित्तीय सहायता देकर घाटे की भरपाई करनी पड़ रही है। दिल्ली परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति और उसे दिल्ली सरकार की ओर से दी जाने वाली गैर-योजना सहायता को विवरण 4.17 और चार्ट 4.12 में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण 4.17

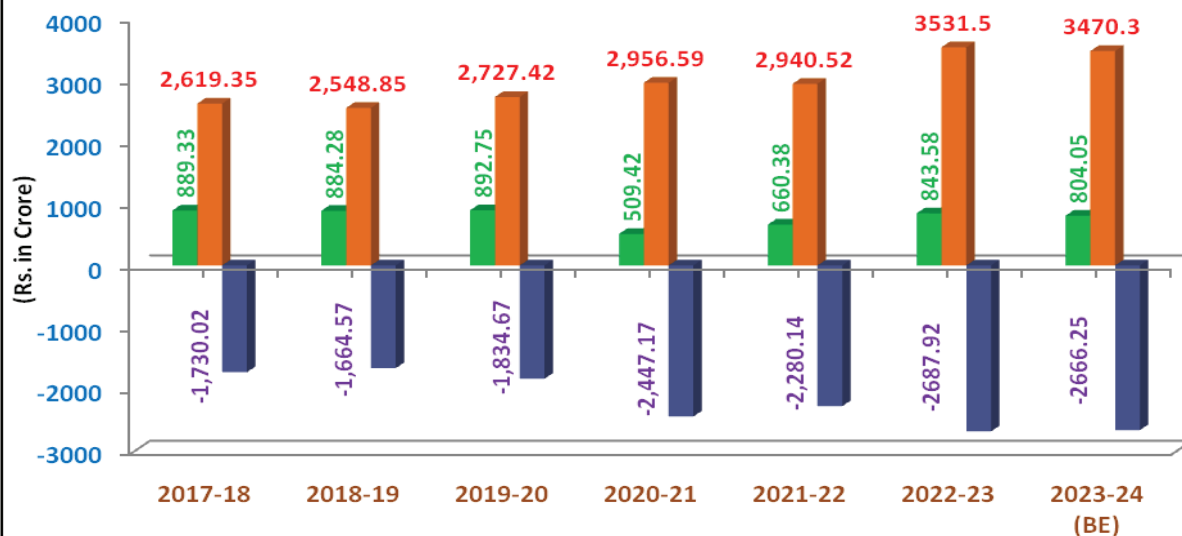
डीटीसी की वित्तीय स्थिति और दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता

(करोड़ रुपये में)

क्र. स.	मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अंतिम)	2023-24 (ब.अ.)
1.	आमदनी	889.33	884.28	892.75	509.42	660.38	843.58	804.05
2.	संचालन लागत	2,619.35	2,548.85	2,727.42	2,956.59	2,940.52	3531.50	3470.30
3.	संचालन हानि (1-2)	-1,730.02	-1,664.57	-1,834.67	-2,447.17	-2,280.14	-2687.92	-2666.25
4.	सारांश दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहायता							
(क)	अनुदान	2,007.00	1,825.00	2,030.00	2,475.00	2,320.00	2350.00	2250.00
(ख)	निशुल्क/रियायती पास के लिए सब्सिडी	60.80	61.54	50.98	18.40	38.46	50.00	50.00
(ग)	महिला यात्रियों की निशुल्क यात्रा के लिए सब्सिडी	0.00	0.00	105.76	92.84	130.48	200.00	150.00

चार्ट 4.12
दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की वित्तीय स्थिति

(करोड़ रु.)



39.1.2 दिल्ली परिवहन निगम का संचालन घाटा (यानी राजस्व प्राप्तियों में से स्थापना खर्च को घटा कर और ब्याज भुगतान तथा मूल्यवृद्धि को छोड़कर) 2023-24 (ब.अ.) में 2666.25 करोड़ रुपये रहा जबकि 2022-23 (अनंतिम) में 2687.92 करोड़ रुपये था। 2010-11 तक दिल्ली सरकार डीटीसी की कार्यशील हानियों को ऋण देकर पूरा करती थी। लेकिन यह तरीका 2011-12 से बदल दिया गया है और कार्यशील घाटे को पूरा करने के लिए ऋण की बजाय अनुदान दिया जा रहा है।

39.1.3 इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार ने डीटीसी की ब्याज संबंधी देनदारी की वसूली का पुराना तरीका भी बदल दिया है और उसके स्थान पर 2011-12 से ब्याज को ऋण में तब्दील किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली सरकार अपने निर्देश पर डीटीसी द्वारा जारी किये जाने वाले मुफ्त/रियायती पासों की लागत की भरपाई के लिए सब्सिडी भी देती है। 2022-23 (अनंतिम) में दिल्ली सरकार ने डीटीसी को रियायती पासों के लिए 50 करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध करायी।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)

39.2.1 1 जनवरी, 2010 से संशोधित जल प्रभार लागू करने के बाद से फिलहाल दिल्ली जल बोर्ड अपने कामकाजी खर्चों को अपने ही संसाधनों से पूरा कर रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने 2010-11 से दिल्ली सरकार से कोई गैर-योजना सहायता की मांग नहीं की है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में घरेलू पानी उपभोक्ताओं को मार्च 2015 से हर महीने 20 हजार लीटर पानी मुफ्त उपलब्ध कराने की लोकप्रिय सब्सिडी योजना भी लागू की है। उपभोक्ताओं को निःशुल्क पानी उपलब्ध कराने की लागत के रूप में दिल्ली सरकार ने 2022-23 में 466.41 करोड़ रुपये (ब.अ. 600 करोड़ रुपये) की सब्सिडी दिल्ली जल बोर्ड को उपलब्ध करायी।

39.2.2 दिल्ली जल बोर्ड की वित्तीय स्थिति और दिल्ली सरकार द्वारा उसे उपलब्ध करायी जाने वाली पूंजी परियोजना सहायता का ब्यौरा विवरण 4.18 तथा चार्ट 4.13 में दिया गया है।

विवरण 4.18

डीजेबी की वित्तीय स्थिति 2017-18 से 2023-24(ब.अ.) में

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (सं.अ.)	2023-24 (ब.अ.)
1	राजस्व प्राप्तियां							
	क. जल और सीवरज सुविधाएं	2018.69	1944.33	2215.74	1824.83	1516.30	2549.12	2530.67
	ख. अन्य सुविधाएं	217.50	267.70	815.81	1273.09	1289.03	1792.89	1642.05
	कुल राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	2236.19	2212.03	3031.55	3097.92	2805.33	4342.01	4172.72
2	राजस्व व्यय							
	क. स्थापना	1669.38	1766.93	1852.75	1806.50	1905.67	2321.27	2612.38
	ख. बिजली/पावर	604.18	558.14	613.12	653.96	694.66	775.00	815.75
	ग. कच्चा जल लागत	26.10	23.73	20.42	28.10	28.85	25.00	35.00
	घ. संपत्ति कर और अन्य	89.96	97.33	65.39	63.05	0.00	23.00	12.00
	ड. मरम्मत और रखरखाव	175.03	297.35	306.48	358.64	433.24	478.58	561.19
	च. सामान्य भंडार और रसायन,	17.42	29.71	26.11	31.18	39.12	40.35	51.80
	छ. अन्य व्यय — उपभोक्ताओं को बकाया पर रिबेट	-	-	-	3.92	--	-	-
	ज. उपभोक्ताओं को एलपीएससी पर रिबेट	-	-	491.33	23.44	-	408.31	-
	कुल राजस्व व्यय (क से ज तक)	2582.07	2773.19	3375.60	2968.79	3101.54	4071.51	4088.12
3	घटाएं—गैर योजना सहायता (अर्थात्पाय के लिए सहायता)	-	-	-	900.00	900.00	900.00	900.00
	कार्यशील अधिशेष/घाटा (ऋण प्रभार और मूल्यहास को छोड़कर) (1-2-3)	-345.88	-561.16	-344.05	-770.87	-1196.21	-629.50	-815.40
4	कार्यक्रम/परियोजनाएं/योजना आय और व्यय							
	क. पूंजी आय (धन जारी)	1730.00	2315.98	2359.50	3584.00	1561.77	3205.62	4839.50
	ख. अमृत आय	137.01	-	145.46	-	72.78	111.14	131.62
	कुल पूंजी आय (क+ख)	1867.01	2315.98	2504.96	3584.00	1634.55	3316.76	4971.12
	क. पूंजी व्यय	1546.24	1893.84	2181.75	2048.68	2390.17	3479.36	4839.50
	ख. अमृत व्यय	65.53	90.14	92.06	44.44	50.62	103.47	25.38
	कुल पूंजी व्यय (क+ख)	1611.77	1983.98	2273.81	2093.12	2440.79	3582.83	4864.88

स्रोत : बजट बुक, दिल्ली जल बोर्ड (उपचयित आधार पर प्रदान किया गया डेटा)

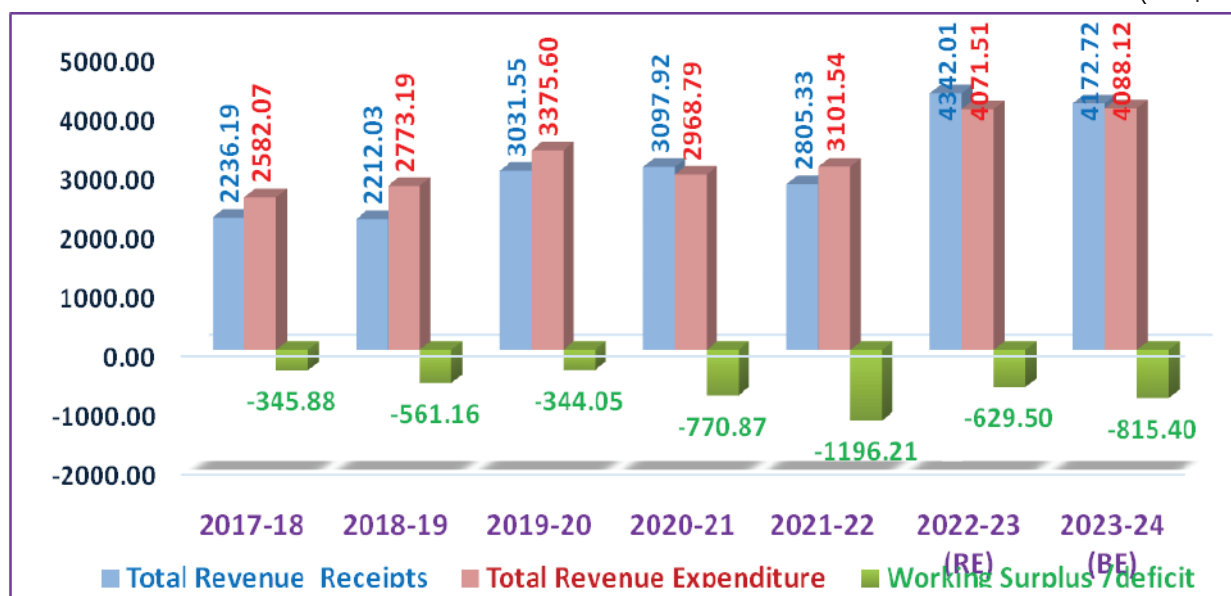
#नोट नमामि गंगे और वाईएपी-III जैसी केंद्रीय शेयर योजना को उपरोक्त निधि प्राप्ति (आय) और व्यय से बाहर रखा गया है। (अमृत में वार्षिक वर्ष 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक हुआ व्यय)

39.2.3 उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2023-24 (ब.अ.) के लिए दिल्ली जल बोर्ड को 815.40 करोड़ रुपये का कार्य संचालन घाटा हुआ। इसके अलावा, दिल्ली जल बोर्ड को 2017-18 से 2022-23 (सं.अ.) तक लगातार संचालन घाटा हुआ — 345.88 करोड़ रुपये (2017-18), 561.16 करोड़ रुपये (2018-19), 344.05 करोड़ रुपये (2019-20), 770.87 करोड़ रुपये (2020-21) और 1196.21 करोड़ रुपये (2021-22) 629.50 करोड़ रुपये (2022-23 : सं.अ.)।

चार्ट 4.13

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की वित्तीय स्थिति-2017-18 से 2023-24 (ब.अ.)

(करोड़ रु.)



(ग) बिजली कंपनियां

39.3.1 दिल्ली में बिजली क्षेत्र में 2002 से भारी बदलाव हुए हैं। दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) के नाम से पुकारे जाने वाले एकमात्र राज्य बिजली बोर्ड के स्थान पर समूचे क्षेत्र को 6 स्वतंत्र कंपनियों में बांटा गया है जिनमें 3 बिजली वितरण कंपनियां (बीएसईएस-राजधानी, बीएसईएस-यमुना और डीपीडीडीएल), एक ट्रांसमिशन कंपनी (दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड-डीटीएल), एक विद्युत उत्पादन कंपनी (इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लि.-आईपीजीसीएल) और एक होल्डिंग कंपनी (दिल्ली पावर कंपनी लि.-डीपीसीएल) शामिल हैं। पूर्ववर्ती दिल्ली विद्युत बोर्ड के विभाजन के बाद एक अन्य विद्युत कंपनी अर्थात प्रगति पावर कॉर्पोरेशन कंपनी लि.-पीपीसीएल) अस्तित्व में आई। बीवाईपीएल बीआरपीएल और टीपीडीडीएल प्राइवेट कंपनियां हैं, जबकि डीटीएल, आईपीजीसीएल और पीपीसीएल सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां हैं।

39.3.2 वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिल्ली में बिजली कनेक्शन की संख्या 68.51 लाख थी, जिसमें से 57.43 लाख घरेलू कनेक्शन थे जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में घरेलू कनेक्शन की संख्या का 58.00 लाख होने का अनुमान है। दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में विद्युत सब्सिडी के लिए 3161.22 करोड़ रुपये की राशि जारी की और वित्तीय वर्ष 2023-24 (ब.अ.) के लिए 3250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

39.3.3 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने मौजूदा बिजली सब्सिडी को स्वैच्छिक सब्सिडी योजना (वीएसएस) में परिवर्तित कर दिया है और इसे 1 अक्टूबर, 2022 से उन उभोक्ताओं के लिए लागू कर दिया है जो सब्सिडी के विकल्प का चयन करेंगे।

सब्सिडी को वित्तीय वर्ष 2023-24 तक अर्थात 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है।

विवरण 4.18 (अ)
2015-16 से 2023-24 तक जारी सब्सिडी का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

वर्ष	स्लेब	प्रति यूनिट सब्सिडी	जारी की गई कुल राशि
2015-16 to 2017-18			
अप्रैल 2015 से मार्च 2018	0—200 यूनिटे 201—400 यूनिटे	रु.2.00 /— रु. 2.975 /— (अर्थात ऊर्जा प्रभार पर 50 प्रतिशत सब्सिडी)	रु.1442.75 (वि.व. 2015-16) रु.1577.94 (वि.व. 2016-17) रु.1676.70 (वि.व. 2017-18)
2018-19			
अप्रैल 2018 से मार्च 2019	0-400 यूनिटे	रु. 2.00/- (100 यूनिट /प्रति माह तक उपभोग पर प्रति कनेक्शन /प्रति माह रु.100 की अतिरिक्त सब्सिडी)	रु. 1699.29 (वि.व. 2018-19)
2019-20			
अप्रैल 2019 से जुलाई 2019	0-400 यूनिटे	रु. 2.00/- (100 यूनिट /प्रति माह तक उपभोग पर प्रति कनेक्शन /प्रति माह रु.100 की अतिरिक्त सब्सिडी)	रु. 2405.59
अगस्त 2019 से मार्च 2020	0-200 यूनिटे	समूची राशि सब्सिडी के जरिए अदा की जाएगी।	
	201-400 यूनिटे	रु. 800 /प्रतिमाह सब्सिडी के रूप में अदा किए जाएंगे।	
2020-21 to 2023-24			
अगस्त 2020 से मार्च 2024	0-200 यूनिटे	समूची राशि सब्सिडी के जरिए अदा की जाएगी।	रु.2939.99 (वि.व. 2020-21) रु.3250.00 (वि.व. 2021-22)
	201-400 यूनिटे	रु. 800 /प्रतिमाह सब्सिडी के रूप में अदा किए जाएंगे।	रु.3161.22 (वि.व. 2022-23) रु.3250 (वि.व. 2023-24 के लिए प्रावधान)

40 स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन

- 40.1 नागरिक प्रशासन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को पांच इलाकों में बांटा गया है जो एक-दूसरे से अलग, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इनके नाम हैं उत्तर दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड। अब, प्रथम तीन नगर निकायों, पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) और दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को 22 मई, 2022 को फिर से दिल्ली नगर निगम के रूप में एकीकृत कर दिया गया है। 2011 की जनगणना पर आधारित दिल्ली नगर निगम, नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड के क्षेत्रफल और जनसंख्या घनत्व के आंकड़े विवरण 4.19 में दिये गये हैं।

विवरण 4.19

दिल्ली में स्थानीय निकायों का अनुमानित क्षेत्रफल और जनसंख्या घनत्व

(अनुमानित)

क्र.स.	स्थानीय निकाय	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	जनसंख्या (लाख)	जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी लोग)
1.	दिल्ली नगर निगम	1397.29	164.20	11751
2.	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	42.74	2.58	6032
3.	दिल्ली छावनी बोर्ड	42.97	1.10	2568
	कुल	1483.00	167.88	11320

- 40.2 2018-19 से 2023-24 (ब.अ.) के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के प्रारंभिक शेष, प्राप्तियों, व्यय और अंतिम शेष की स्थिति को विवरण 4.20 और चार्ट 4.14 में प्रदर्शित किया गया है।

विवरण 4.20

2018-19 से 2023-24 (ब.अ.) के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की वित्तीय स्थिति

(करोड़ रु. में)

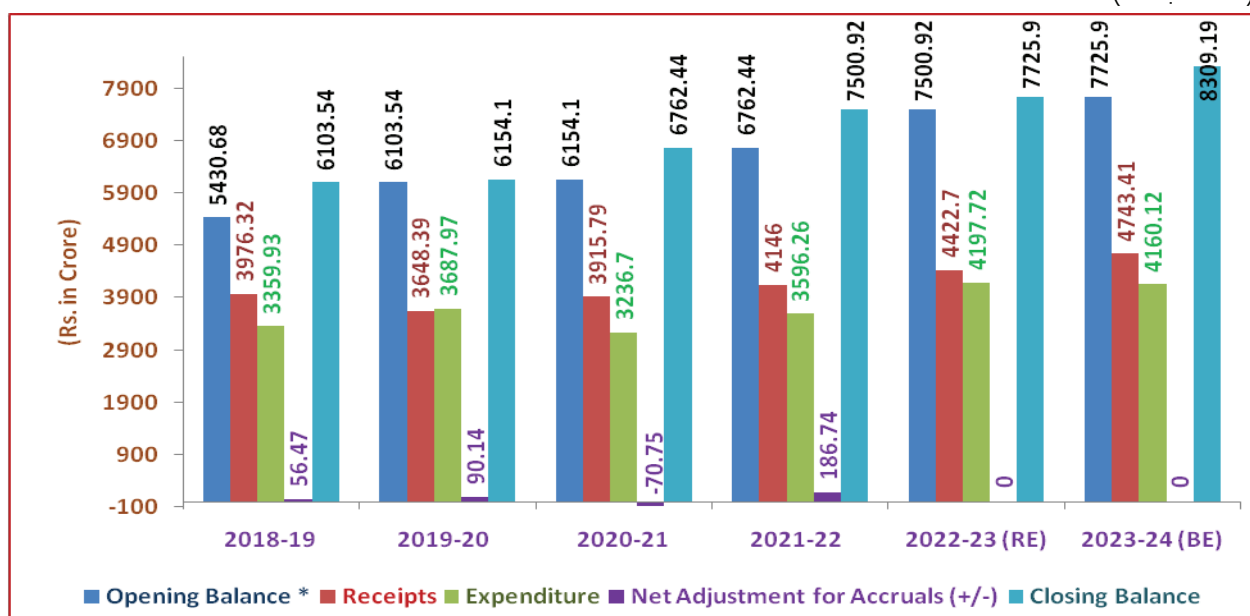
क्र.स.	मद	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (स.अ.)	2023-24 (ब.अ.)
1.	प्रारंभिक शेष *	5430.68	6103.54	6154.10	6762.44	7500.92	7725.90
2.	प्राप्तियाँ	3976.32	3648.39	3915.79	4146.00	4422.70	4743.41
3.	व्यय	3359.93	3687.97	3236.70	3596.26	4197.72	4160.12
4.	उपचित के लिए निवल समायोजन (+/-)	56.47	90.14	-70.75	186.74	0.00	0.00
5.	अंतिम शेष	6103.54	6154.10	6762.44	7500.92	7725.90	8309.19

स्रोत : नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद

चार्ट 4.14

2018-19 से 2023-24 (ब.अ.) के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की वित्तीय स्थिति

(करोड़ रु. में)



- 40.3 निम्नलिखित विवरण 4.21 में तीनों संगठनों यानी उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के गैर योजना आय और व्यय के विवरण को वर्ष 2017-18 से 2023-24 (ब.अ.) तक दर्शाया गया है।

विवरण 4.21(क)

दिननि का 2017-18 से 2022-23(ब.अ.) के दौरान गैर-योजना आय और व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (3 पूर्ववर्ती दिननि)
उत्तरी दिल्ली नगर निगम							
1	प्रारंभिक शेष	464.54	366.85	83.91	38.93	0.10	142.06
2 (क)	प्राप्तियां	3490.74	3993.81	3816.50	3874.62	3901.36	431.8
(ख)	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग)	आंतरिक उधार	0.00	0.00	482.50	126.19	944.05	0.00
3	कुल प्राप्तियां (क+ख+ग)	3490.74	3993.81	4299.00	4000.81	4845.41	431.8
4	व्यय	3588.43	4276.75	4343.98	4039.64	4703.45	566.88
5	अंतिम शेष	366.85	83.91	38.93	0.10	142.06	6.98
दक्षिण दिल्ली नगर निगम							
1	प्रारंभिक शेष	1295.97	1366.51	1454.90	1319.80	604.05	420.48
2	प्राप्तियां	4048.06	4040.49	3698.51	2755.96	3529.49	460.17
3	व्यय	3977.52	3952.10	3833.61	3471.71	3713.06	456.4
4	अंतिम शेष	1366.51	1454.90	1319.80	604.05	420.48	424.25
पूर्वी दिल्ली नगर निगम							
1	प्रारंभिक शेष	172.35	273.12	365.38	453.09	329.11	7.56
2	प्राप्तियां	1738.38	2393.28	2073.92	1493.77	1452.33	272.77
3	व्यय	1637.61	2301.02	1986.21	1617.75	1773.88	226.76
4	अंतिम शेष	273.12	365.38	453.09	329.11	7.56	53.57

स्रोत : दिल्ली नगर निगम

- 40.4 निम्नांकित विवरण 4.21(ख) में दिल्ली नगर निगम (दिननि) का वर्ष 2022-23 (स.अ.) से 2023-24 (ब.अ.) तक गैर योजना आय और व्यय दर्शाया गया है।

विवरण 4.21 (ख)

दिननि का 2022-23(स.अ) और 2022-23(ब.अ.) के दौरान गैर-योजना आय और व्यय

क्र स	मद	2022-23 (स.अ)	2023-24 (ब.अ)
1	प्रारंभिक शेष	484.8	508.23
2	प्राप्तियां	14827.73	15523.96
3	व्यय	14804.30	16024.46
4	अंतिम शेष	508.23	7.73

स्रोत : दिल्ली नगर निगम

41. दिल्ली सरकार का कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए वार्षिक परिव्यय हेतु वित्त पोषण

- 41.1 दिल्ली की वार्षिक योजना के लिये वित्त पोषण का तरीका लगभग वैसा ही है जैसा अन्य राज्यों में है। लेकिन दिल्ली को विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा राज्यों के लिए की गयी सिफारिशों का फायदा नहीं मिलता और यह अपनी योजना के वित्तपोषण के लिए बाजार से उधार/अनुबंधित ऋण/भविष्य निधि आदि का सहारा भी नहीं ले सकता। निम्नलिखित विवरण 4.22 में 2018-19 से 2023-24 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली की संसाधन उपलब्धियां दर्शायी गई हैं।
- 41.2 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 2017-18 से योजना व्यय और गैर-योजना व्यय का विलय कर दिया गया। अतः अब वर्गीकरण योजना के स्थान पर कार्यक्रम/परियोजना और गैर योजना के स्थान पर स्थापना किया गया है।

विवरण 4.22 (क)

2018-19 से 2023-24 के दौरान संसाधनों की उपलब्धियां (ब.अ.)

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	मद	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अंतिम)	2023-24 (ब.अ)
1	कर राजस्व (1 से 5)	36624.67	36565.87	29425.34	40018.69	47362.56	53565.00
i	वैट/एसजीएसटी	25072.32	24939.62	20087.35	27362.89	32907.61	37200.00
a	वैट	5885.75	5474.67	4411.20	5099.46	5582.06	5700.00
b	एसजीएसटी	19186.57	19464.95	15676.15	22263.43	27324.11	31500.00
ii	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	4458.73	4609.01	3552.98	5212.09	6022.91	6000.00
iii	मोटर वाहनों पर कर	2054.75	1948.09	1676.18	1955.68	2884.08	3000.00
iv	राज्य आबकारी	5028.19	5068.01	4108.15	5487.58	5547.97	7365.00
v	अन्य कर	10.68	1.14	0.67	0.45	1.44	0.00
क	मनोरंजन कर (केबल टीवी कर समेत)	1.86	0.09	0.04	0.00	0.15	0.00
ख	सट्टेबाजी कर	-1.13	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
ग	विलासिता कर	9.95	1.04	0.64	0.36	1.28	0.00
घ	अन्य प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
2	स्वयं गैर कर राजस्व	644.17	1096.89	979.67	826.99	580.99	1050.00
3	पूंजी प्राप्तियां	1643.90	822.65	631.48	622.78	1257.66	621.99
4	केंद्रीय करों में हिस्सेदारी	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	0.00
5	जीएसटी/ वैट/ सीएसटी क्षतिपूर्ति	4182.00	7436.00	5521.65	6445.96	12817.02	3802.00
6	केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम	807.03	1169.48	1441.46	991.93	981.79	3167.00
7	भारत सरकार से अन्य अनुदान/प्राप्तियां	529.74	542.56	4170.49	704.43	635.49	1168.01
8	लघु बचत निधि	2800.00	4540.60	9500.00	5000.00	3251.22	10000.00
9	ईएपी के तहत ऋण	80.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले ब्लॉक ऋण	0.00	0.00	5865.00	6192.67	0.00	0.00
11	प्रारंभिक शेष	2972.52	4363.14	5900.94	11292.98	11249.08	5426.00
12	कुल निधियां	50609.03	57087.19	63761.03	72421.43	78460.80	78800.00
13	कुल व्यय	46245.89	51186.26	52468.04	61172.34	64110.35	78800.00
i	स्थापना एवं प्रशासन व्यय	30627.19	30906.45	33244.75	30826.01	32327.80	35100.00
क	राजस्व	26799.82	27394.79	28878.92	25385.69	26555.49	29056.28
ख	पूंजी	3827.37	3511.65	4365.83	5440.32	5772.31	6043.72
ii	कार्यक्रम व्यय	15618.70	20279.81	19223.29	30346.33	31782.55	43700.00
क	राजस्व	10051.76	12242.22	11534.70	20657.37	21690.45	27927.03
ख	पूंजी	5566.94	8037.59	7688.59	9688.96	10092.10	15772.97

विवरण 4.22 (ख)

2013-14 से 2016-17 के दौरान संसाधनों की उपलब्धियां

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
A	कर राजस्व	25918.69	26603.90	30225.16	31139.89
1	वैट	17925.71	18289.31	20245.82	21144.24
2	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क (भू राजस्व सहित)	2969.08	2841.67	3434.11	3145.94
3	मोटर वाहनों पर कर	1409.27	1558.83	1607.01	1808.78
4	राज्य आबकारी	3151.63	3422.39	4237.69	4251.40
5	वस्तु और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (ए से सी तक)	463.00	491.70	700.53	789.53
क	मनोरंजन कर (केबल टीवी कर समेत)	146.14	150.84	241.28	264.07
ख	सट्टेबाजी कर	10.10	9.88	19.28	33.29
ग	विलासिता कर	306.76	330.98	439.97	492.17
ख	स्वयं गैर कर राजस्व	659.14	632.55	515.40	380.69
1	ब्याज	379.35	350.52	82.53	81.39
2	लाभांश और लाभ		12.90	12.32	11.28
3	सेवा प्रभार और अन्य	279.79	269.13	420.55	288.02
ग	केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी	325.00	325.00	325.00	325.00
घ	भारत सरकार से गैर योजना अनुदान	1.91	2.95	2580.02	793.72
ङ	राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	26904.74	27564.40	33645.58	32639.30
च	निवल गैर योजना राजस्व व्यय	14904.25	15563.19	17963.23	20585.32
छ	वर्तमान राजस्व शेष (ङ - च)	12000.49	12001.21	15682.35	12053.98
ज	विविध पूंजी प्राप्तियां (1-2)	-777.86	-1169.64	-2214.27	-2361.99
1	पूंजी प्राप्तियां	4129.30	227.61	83.42	212.49
2	गैर योजना पूंजी व्यय	4907.16	1397.25	2297.69	2574.48
झ	लघु बचत ऋण	836.50	1764.32	2241.13	1695.53
ञ	दिल्ली के स्वयं संसाधन (छ+ज+झ)	12059.13	12595.89	15709.21	11387.52
ट	केन्द्रीय योजना सहायता	1075.95	1550.19	1303.27	1706.44
ठ	भारत सरकार से अन्य अनुदान	0.00	470.00	50.00	0.00
ड	वार्षिक योजना के लिए समग्र संसाधन (प्रारंभिक शेष छोड़कर) (ञ+ट+ठ)	13135.08	14616.08	17062.48	13093.96
ढ	प्रारंभिक शेष	1985.74	880.64	1517.06	3644.94
ण	वार्षिक योजना के लिए समग्र संसाधन (प्रारंभिक शेष सहित) (ड+ढ)	15120.82	15496.72	18579.54	16738.90
त	योजना व्यय/परिव्यय	14240.19	13979.66	14934.60	14103.56
1	योजना	13927.49	13378.95	14145.70	13204.54
2	केन्द्र प्रायोजित योजना	312.70	600.71	788.90	899.02
थ	संसाधन अधिशेष (ण-त)	880.63	1517.06	3644.94	2635.34

आध्याय एक नजर में

➤	दिल्ली सरकार की सभी राजस्व और पूंजी प्राप्तियां एक समेकित निधि में जमा की जाती हैं और सभी सरकारी व्यय इस निधि से किए जाते हैं।
➤	2022-23 में कुल राजस्व व्यय का करीब 69.48 प्रतिशत जीएसटी और वैट, 11.71 प्रतिशत आबकारी और 12.72 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क और 6.09 प्रतिशत एमवीटी से प्राप्त हुआ।
➤	दिल्ली विधानसभा ने 31 मई, 2017 को राज्य माल एवं सेवा अधिनियम पारित किया और इस तरह 01.07.2017 से दिल्ली में जीएसटी लागू हुआ। परिणामस्वरूप, पूर्ववर्ती वैट (पेट्रोलियम, शराब आदि वस्तुओं को छोड़कर) और अन्य कर जैसे, मनोरंजन कर, विलासिता कर और केबल टीवी शुल्क जीएसटी में समाहित हो गए।
➤	दिल्ली सरकार के कर संग्रह में 2022-23 (अनंतिम) में 18.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जबकि इसकी तुलना में 2021-22 के दौरान 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई थी। वर्ष 2023-24 के लिए कर वसूली का लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में 12.30 प्रतिशत अधिक निर्धारित किया गया।
➤	2000-01 में रा.रा.क्षे. दिल्ली के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता 370 करोड़ रुपये थी, जो 22 वर्ष बाद 2022-23 में भी 626 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा 2023-24 के बजट अनुमानों से 'केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी के बदले अनुदान' और 'केन्द्र शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता' को जोड़ दिया गया है, जो कि 2023-24 (ब.अ.) में 951 करोड़ रुपये है।
➤	दिल्ली ने निरंतर राजस्व अधिशेष की स्थिति बनाई रखी है; 2022-23 (अनंतिम) के दौरान यह 14456.90 करोड़ रुपये दर्ज हुई जबकि 2021-22 में यह 3269.92 करोड़ रुपये थी। 2023-24 (ब.अ.) के दौरान बजटीय राजस्व अधिशेष 5768.69 करोड़ रुपये लक्षित है, जो जीएसडीपी का 0.52 प्रतिशत है।
➤	2022-23 के दौरान, सरकार ने महिलाओं की निशुल्क यात्रा की भरपाई के लिए डीटीसी को 200 करोड़ रुपये और क्लस्टर बसों को 200 करोड़ रुपये जारी किए।
➤	मार्च 2023 के अंत में दिल्ली का बकाया ऋण 40017.55 करोड़ रुपये था जिसमें 2013-14 के दौरान डीवीबी/डेसू की बकाया देनदारियों के लिए भारत सरकार से प्राप्त 3326.39 करोड़ रुपये का गैर योजना ऋण भी शामिल है। इस प्रकार 2022-23 में दिल्ली सरकार का बकाया ऋण जीएसडीपी का 3.94 प्रतिशत था।
➤	दिसम्बर 2023 तक कुल मिलाकर 96.76 प्रतिशत लाभार्थियों (सीएसएस के अंतर्गत 98.92 प्रतिशत और राज्य योजनाओं के तहत 79.33 प्रतिशत) को आधार से जोड़ा गया। डीटीडी द्वारा कार्यान्वित की जा रही डीबीटी स्कीमों को छोड़कर, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत लाभार्थियों को विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के लिए सभी भुगतान डीबीटी के जरिए पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं।
➤	2022-23 के दौरान दिल्ली सरकार का कुल राजस्व संग्रह 62702.84 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 6.18 प्रतिशत) था, जबकि 2021-22 के दौरान यह 49312.98 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 5.60 प्रतिशत) रहा।
➤	2022-23 (अनंतिम) में दिल्ली सरकार की पूंजी प्राप्तियां 4508.88 करोड़ रुपये रहीं जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष 2021-22 के दौरान ये 11815.45 करोड़ रुपये थीं। 2022-23 (अनंतिम) के दौरान पूंजी राजस्व में कमी का मुख्य कारण लघु बचत ऋण में कमी था, जो 3521.22 करोड़ रुपये रहे, जबकि 2021-22 के दौरान इस मद में 5000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

➤	दिल्ली सरकार का कुल पूंजी व्यय 2022-23 (अनंतिम) 15864.41 करोड़ रुपये था, जो 64110.35 करोड़ रुपये के कुल व्यय का 24.75 प्रतिशत है।
➤	दिल्ली सरकार का राजकोषीय अधिशेष 2022-23 के दौरान 4565.31 करोड़ रुपये रहा, जबकि 2021-22 के दौरान 7021.42 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा था।
➤	दिल्ली सरकार का प्राथमिक अधिशेष 2022-23 के दौरान 7831.67 करोड़ रुपये दर्ज हुआ जबकि 2021-22 के दौरान 3747.17 करोड़ रुपये का प्राथमिक घाटा था। परन्तु, दिल्ली सरकार ने 2023-24 (ब.अ.) के दौरान 7291.40 करोड़ रुपये का प्राथमिक घाटा दर्शाया है।
➤	वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिल्ली में कुल 68.51 लाख बिजली कनेक्शन थे, जिनमें से 57.43 लाख घरेलू कनेक्शन थे, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में करीब 60.00 लाख घरेलू कनेक्शन होने का अनुमान है। दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3161.22 करोड़ रुपये जारी किए और वित्तीय वर्ष 2023-24 (ब.अ.) के लिए 3250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया।

अध्याय 5

व्यापार और वाणिज्य

व्यापार और वाणिज्य ने कर राजस्व उपलब्ध करा कर और समाज के एक बड़े वर्ग को लाभकारी रोजगार देकर दिल्ली की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। दिल्ली उत्तर भारत में सबसे बड़ा व्यापार और उपभोग केंद्र है। इसने व्यापार के प्रवेशद्वार के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है यानी इसकी आर्थिक गतिविधियों का बड़ा हिस्सा कहीं और उत्पादित तथा स्थानीय बिक्री के अलावा अन्य राज्यों को भेजे जाने के लिये लाये गये सामान के पुनः वितरण से जुड़ा है। अपनी भौगोलिक स्थिति और अन्य ऐतिहासिक तथ्यों तथा बुनियादी ढांचा सुविधाओं की उपलब्धता के कारण दिल्ली ने एक प्रमुख वितरण केंद्र का दर्जा हासिल कर लिया है। यह इस तथ्य से प्रमाणित है कि दिल्ली में आयातित ईंधन का 49 प्रतिशत, खाद्यान्न का 47 प्रतिशत, लोहा और इस्पात का 44 प्रतिशत तथा फल और सब्जियों की आवक का 78 प्रतिशत देश के अन्य भागों के साथ साथ बाहरी देशों को भी निर्यात किया जाता है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 दस्तावेज यह तथ्य सामने रखता है कि दिल्ली के थोक बाजारों में विशेषकर कपड़ा, वाहनों के कलपुर्जे और मशीनरी, स्टेशनरी, खाने पीने की चीजें तथा लोहा और स्टील सहित लगभग 27 वस्तुओं का व्यापार होता है।

2. गैर कृषि उत्पादों में व्यापार

- 2.1. गैर कृषि उत्पादों का “विकास के लिये व्यापार” कार्यक्रम (टीडीपी) मजबूत औद्योगिक आधार बनाये रखने में विकासशील देशों की क्षमता बढ़ाने के लिये व्यापार उदारीकरण, उनके आर्थिक ढांचे में विविधता लाने, वैश्विक व्यापार के गतिशील क्षेत्रों में भागीदारी तथा औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार सृजन पर ध्यान देता है। इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय बाजार में विकासशील देशों के निर्यात की पहुंच बढ़ाने, शुल्क, सब्सिडी, स्थानीय विषय और निष्पादनगत आवश्यकताओं, निर्यात करों और नियमों के उपयोग की क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान दिया जाता है। मूल्य संवर्धित कर (वैट), जनगणना से प्राप्त कार्यबल डेटा और राज्य सकल घरेलू उत्पाद संबंधी अनुमान इस क्षेत्र के सापेक्षिक महत्व का सार्थक आकलन उपलब्ध कराते हैं। वित्तवर्ष 2023–24 (अग्रिम अनुमान) के दौरान दिल्ली में व्यापार, होटल और रेस्त्रां से प्रचलित मूल्य पर 117471 करोड़ रुपये की आय हुई, जो दिल्ली के सकल राज्य मूल्य संवर्धित (आधार वर्ष 2011–12) का लगभग 12.05 प्रतिशत है। पिछले 13 वर्ष के दौरान भी दिल्ली के सकल राज्य मूल्य संवर्धित (जीएसवीए) में इस क्षेत्र का योगदान 10 प्रतिशत से अधिक रहा है। दिल्ली में दिल्ली मूल्य संवर्धित कर के तहत पंजीकृत डीलरों की संख्या और प्राप्तियों की जानकारी विवरण 5.1(क) और 5.1 (ख) में दी गयी है।
- 2.2. विवरण 5.1 (क) और 5.1 (ख) से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 2022–23 में पंजीकृत डीलरों की संख्या बढ़कर 1289536 (डीवैट के तहत 2974 और जीएसटी के तहत 1286562) हो गई, जो 2007–08 में 384020 (स्थानीय अधिनियम के तहत 206359 और केंद्रीय अधिनियम के तहत 177661) थी। इसी अवधि के दौरान, राजस्व 8744.39 करोड़ रुपये से बढ़कर 47016.96 करोड़ रुपये हो गया।

विवरण 5.1 (क)

दिल्ली में बिक्री कर अधिनियम/डीवैट/जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत डीलरों की संख्या

वर्ष	पंजीकृत डीलरों की संख्या			
	स्थानीय अधिनियम के तहत	केन्द्रीय अधिनियम के तहत	डी वैट	जीएसटी
2007-08	206359	177661	-	-
2008-09	212665	183918	-	-
2009-10	223927	195466	-	-
2010-11	234839	205623	-	-
2011-12	248829	219187	-	-
2012-13	286951	255901	-	-
2013-14	250450	231678	-	-
2014-15	283139	262438	-	-
2015-16	308534	295318	-	-
2016-17	400156	373090	-	-
2017-18	-	-	6803	653041
2018-19	-	-	350	809827
2019-20	-	-	257	946688
2020-21	-	-	लागू नहीं	1052849
2021-22	-	-	2622	1190976
2022-23	-	-	2974	1286562

विवरण 5.1 (ख)

दिल्ली में बिक्री कर अधिनियम/डीवैट/जीएसटी के अंतर्गत प्राप्तियां

क्र. सं.	वर्ष	कर संग्रहण (सकल)			(करोड़ रु)	
		स्थानीय बिक्री कर	केन्द्रीय बिक्री कर	एसजीएसटी*	आईजीएसटी	कुल
1.	2007-08	7528.89	1215.50	-	-	8744.39
2.	2008-09	8833.44	1125.68	-	-	9959.12
3.	2009-10	10065.41	1892.91	-	-	11958.32
4.	2010-11	11365.88	3071.96	-	-	14437.84
5.	2011-12	12614.82	2150.25	-	-	14765.07
6.	2012-13	14489.26	1727.42	-	-	16216.68
7.	2013-14	16499.72	1748.68	-	-	18248.4
8.	2014-15	16596.65	1983.68	-	-	18580.33
9.	2015-16	18418.35	4654.16	-	-	23072.51
10.	2016-17	19718.33	2943.62	-	-	22661.95
11.	2017-18 #	11135.18	1802.51	8121.65	5659.95	26719.29
12.	2018-19 \$	6157.10	182.10	15052.16	8608.28	29999.64
13.	2019-20 @	5810.58	149.83	19424.70	7896.78	33281.89
14.	2020-21 *	4445.11	135.49	20290.51	7672.61	32543.72
15.	2021-22 **	5079.11	169.97	11328.54	11998.58	41214.82
16.	2022-23***	5772.22	144.19	13618.48	14665.05	47016.96

स्रोत- व्यापार और कर विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

उपरोक्त केन्द्रीय बिक्री कर आंकड़े में 690.53 करोड़ रुपये की राशि शामिल है, जो वर्ष 2017-18 के दौरान केन्द्रीय बिक्री कर के तहत भारत सरकार से मुआवजे के रूप में प्राप्त हुई और 157.00 करोड़ रुपये की राशि एसजीएसटी कर आंकड़े में शामिल है, जो भारत सरकार से वर्ष 2017-18 के दौरान मुआवजे के रूप में प्राप्त हुई।

\$ 4182.00 करोड़ रुपये की राशि एसजीएसटी कर आंकड़े में शामिल है, जो वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुई।

@ 7436.00 करोड़ रुपये की राशि एसजीएसटी कर आंकड़े में शामिल है, जो भारत सरकार से मुआवजे के रूप में प्राप्त होती है।

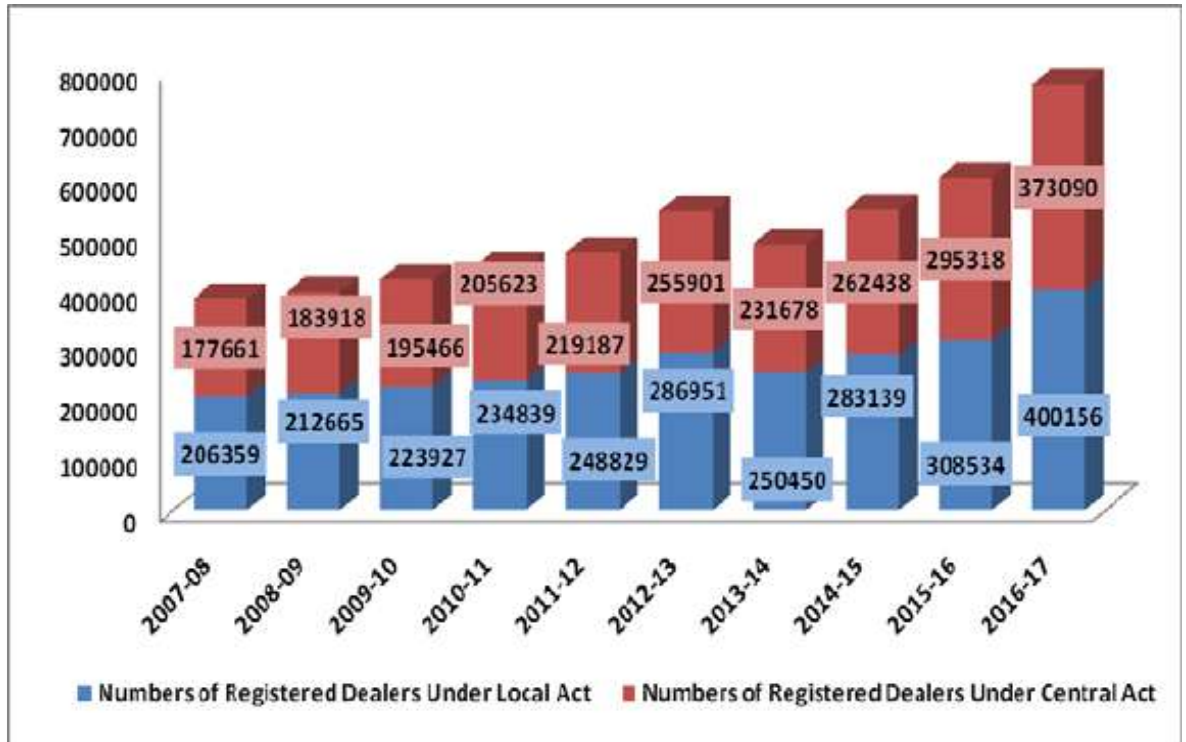
* इसमें 5521.66 करोड़ रुपये भारत सरकार से मुआवजे के रूप में और 5865.00 करोड़ रुपये मुआवजे से ऋण के रूप में शामिल है।

** इसमें 6445.95 करोड़ रुपये भारत सरकार से मुआवजे के रूप में और 6192.67 करोड़ रुपये मुआवजे से ऋण के रूप में शामिल है।

*** इसमें वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त राजस्व हानि (जीएसटी) के बदले मुआवजे के रूप में 12817.02 करोड़ रुपये शामिल हैं।

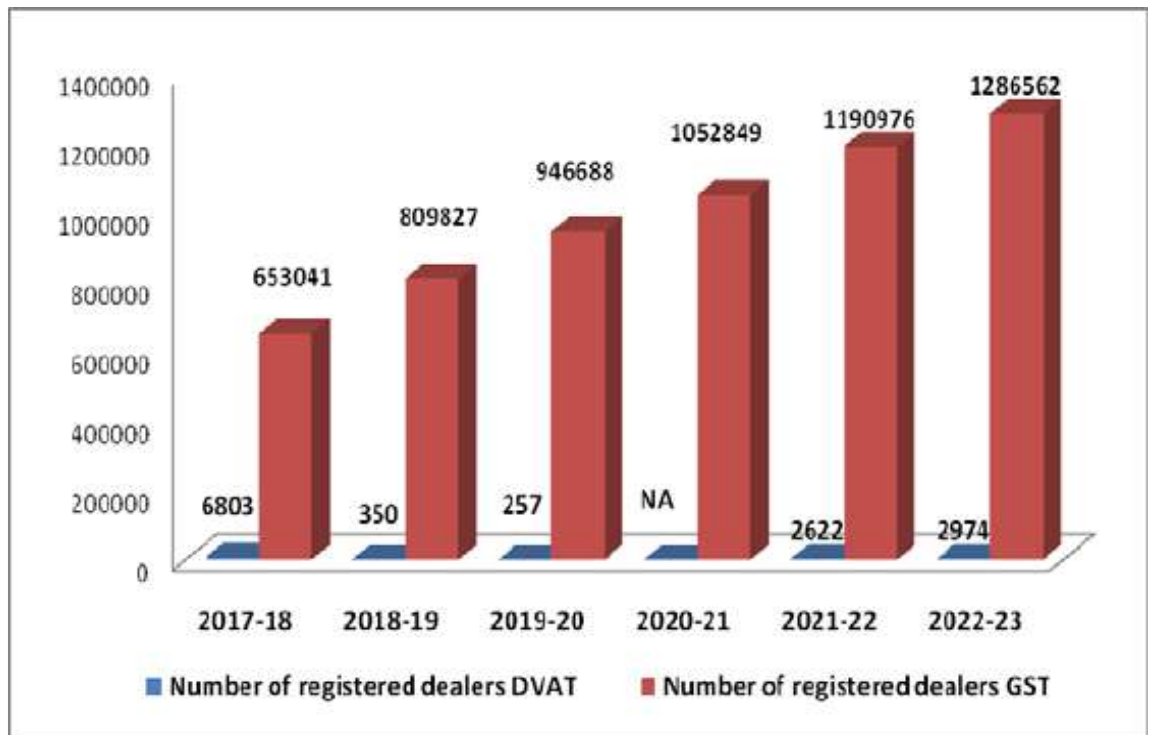
चार्ट 5.1 (क)

दिल्ली में 2007-08 से 2016-17 तक बिक्री कर अधिनियम के तहत पंजीकृत डीलरों की संख्या



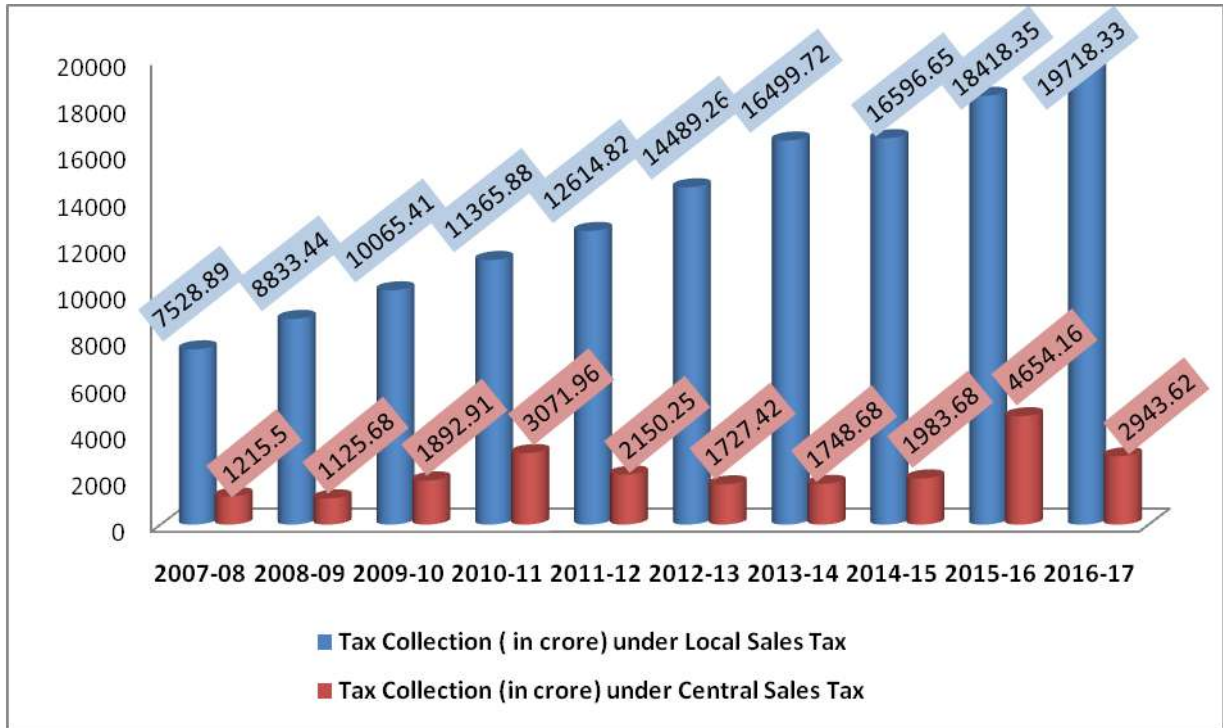
चार्ट 5.1 (ख)

दिल्ली में 2017-18 से 2022-23 तक डीवैट/जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत डीलरों की संख्या



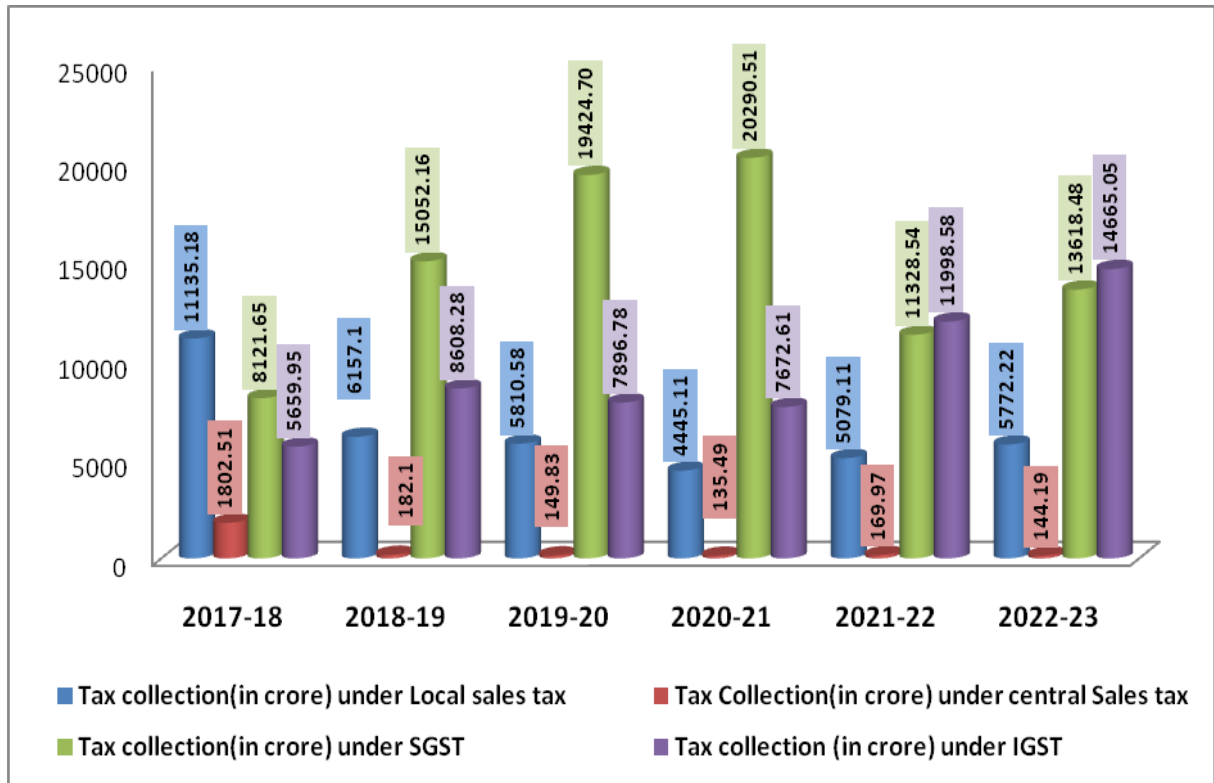
चार्ट 5.2 (क)
2006-07 से 2016-17 तक प्राप्तियां (स्थानीय और केंद्रीय बिक्री कर)

(करोड़ रुपए में)



चार्ट 5.2 (ख)
2017-18 से 2022-23 तक प्राप्तियां (स्थानीय, बिक्री कर, एसजीएसटी, जीएसटी)

(करोड़ रुपये में)



3. आर्थिक गणना

- 3.1. आर्थिक गणना किसी निर्दिष्ट समय में किसी राज्य/देश की भौगोलिक सीमा के भीतर संचालित उद्यम संबंधी समस्त गतिविधियों की संपूर्ण गणना है जिससे उद्यमों की आधिकारिक गणना और उनकी विशेषताओं का पता चलता है। उद्यम गतिविधियों का अर्थ है उन वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन और/या वितरण से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां जिनका उत्पादन केवल स्वयं के उपभोग के लिये नहीं किया जा रहा है। फसल उत्पादन और वृक्षारोपण, लोक प्रशासन, रक्षा और अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों को छोड़कर, सभी आर्थिक गतिविधियां—कृषि या गैर कृषि उत्पादन और/या वितरण और सेवाओं से जुड़ी गतिविधियां इसके दायरे में आती हैं। आर्थिक गणना में शामिल गैर कृषि गतिविधियों में खनन और उत्खनन, विनिर्माण और बिजली, गैस और जलापूर्ति, मल जल निकासी, कचरा प्रबंधन, निर्माण, खुदरा और थोक व्यापार, परिवहन और भंडारण, निवास और खाद्य व्यवस्था सेवा, सूचना और संचार, वित्तीय और बीमा, रियल एस्टेट, व्यावसायिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, प्रशासनिक और सहयोग सेवा, शिक्षा, मानव स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य, कला और मनोरंजन आदि क्षेत्र आते हैं।
- 3.2. छठी आर्थिक गणना केन्द्रीय क्षेत्र की योजना थी, जिसे वर्ष 2013 के दौरान दिल्ली के अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय ने कार्यान्वित किया। इसमें दिल्ली की भौगोलिक सीमा में कृषि क्षेत्र की सभी उद्यम गतिविधियां (फसल उत्पादन और वृक्षारोपण को छोड़कर) और गैर-कृषि गतिविधियां शामिल हैं। वर्ष 2013 में रा.रा. क्षेत्र दिल्ली में संचालित प्रतिष्ठानों की संख्या 8,75,308 थी। इनमें से केवल 1.42 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में थे जबकि शेष 98.58 प्रतिशत शहरी इलाकों में थे। छठी आर्थिक गणना में दिल्ली की वार्षिक वृद्धि दर 1.94 प्रतिशत रही। लेकिन 2005 की आर्थिक गणना के मुकाबले 1,17,565 प्रतिष्ठान इकाइयों की वृद्धि हुई। कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में इकाइयों की संख्या की दृष्टि से 7008 (0.80 प्रतिशत) इकाइयां कृषि क्षेत्र में और 8,68,300 (99.20 प्रतिशत) गैर-कृषि क्षेत्र में स्थापित की गयीं। कुल प्रतिष्ठानों में से 4,77,498 (54.55 प्रतिशत) स्व स्वामित्व (ओएई) वाले उपक्रम थे जबकि 3,97,810 (45.45 प्रतिशत) में कम से कम एक व्यक्ति वैतनिक कामगार था। विभिन्न प्रतिष्ठानों में नियोजित व्यक्तियों से पता चलता है कि 30,19,781 लोग 8,75,308 प्रतिष्ठानों में, 3.45 कर्मचारी प्रति प्रतिष्ठान के औसत से नियोजित थे। कुल लोगों में से 27,610 (0.91 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित थे जबकि 29,92,171 (99.09 प्रतिशत) दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे थे। प्रतिष्ठानों के प्रकार की दृष्टि से 19.72 प्रतिशत ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत थे जिनमें और कोई व्यक्ति पारिश्रमिक पर कामगार नहीं था यानी ये ओएई श्रेणी के प्रतिष्ठान थे और 80.28 प्रतिशत ऐसे में नियोजित थे जिनमें कम से कम एक कामगार पारिश्रमिक पर था। पारिश्रमिक पर कामगार वाले प्रतिष्ठानों में औसतन 6.09 व्यक्ति एक प्रतिष्ठान में नियोजित थे जबकि ओएई प्रतिष्ठानों में यह संख्या 1.25 थी।

विवरण 5.2
प्रतिष्ठानों और कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों का प्रकार	प्रतिष्ठानों की संख्या		
		ग्रामीण	शहरी	कुल
1	कृषि प्रतिष्ठान (फसल उत्पादन और वृक्षारोपण को छोड़कर)			
(क)	सभी प्रतिष्ठान	1,144	5,864	7,008
	i) स्वयं संचालित प्रतिष्ठान—(ओएई)	825	3,560	4,385
	ii) प्रतिष्ठान (वैतनिक)	319	2,304	2,623
(ख)	सामान्यतः कार्यरत व्यक्ति			
	i) कुल	2,761	13,763	16,524
	ii) वैतनिक	661	4,995	5,656
	iii) औसत कर्मचारी	2.41	2.35	2.36
II	गैर कृषि प्रतिष्ठान			
(क)	सभी प्रतिष्ठान	11,297	8,57,003	8,68,300
	i) स्वयं संचालित प्रतिष्ठान—(ओएई)	8,090	4,65,023	4,73,113
	ii) प्रतिष्ठान (वैतनिक)	3,207	3,91,980	3,95,187
(ख)	सामान्यतः कार्यरत व्यक्ति			
	i) कुल	24,849	29,78,408	30,03,257
	ii) वैतनिक	11,483	19,76,251	19,87,734
	iii) औसत कर्मचारी	2.20	3.48	3.46
III	कृषि प्रतिष्ठान (फसल उत्पादन और वृक्षारोपण को छोड़कर)			
(क)	सभी प्रतिष्ठान	12,441	8,62,867	8,75,308
	i) स्वयं संचालित प्रतिष्ठान—(ओएई)	8,915	4,68,583	4,77,498
	ii) प्रतिष्ठान (वैतनिक)	3,526	3,94,284	3,97,810
(ख)	सामान्यतः कार्यरत व्यक्ति			
	i) कुल	27,610	29,92,171	30,19,781
	ii) वैतनिक	12,144	19,81,246	19,93,390
	iii) औसत कर्मचारी	2.22	3.47	3.45

स्रोत : छठी आर्थिक गणना रिपोर्ट

इसके अतिरिक्त, प्रमुख आर्थिक गतिविधि-समूह के आधार पर रोजगार और प्रतिष्ठानों का वितरण विवरण 5.3 में दर्शाया गया है।

विवरण 5.3
प्रमुख आर्थिक गतिविधि समूहवार प्रतिष्ठानों और रोजगार का वितरण

प्रमुख आर्थिक गतिविधि समूह	प्रतिष्ठान			रोजगार		
	स्वचालित प्रतिष्ठान—(ओआई)	दिहाड़ी चालित प्रतिष्ठान	कुल	स्वचालित प्रतिष्ठान—(ओआई)	दिहाड़ी चालित प्रतिष्ठान	कुल
कृषि गतिविधियां						
फसल उत्पादन और वृक्षारोपण से भिन्न कृषि संबंधी गतिविधियां	115	120	235	162	588	750
पशुधन	4,202	2,423	6,625	7,409	7,797	15,206
वानिकी और काष्ठ	35	65	100	42	435	477
मत्स्य उद्योग और जलजीव पालन	33	15	48	47	44	91
उप-जोड़ (1)	4,385	2,623	7,008	7,660	8,864	16,524
गैर-कृषि गतिविधियां						
खनन और उत्खनन	-	-	-	-	-	-
विनिर्माण	58,318	97,632	1,55,950	86,397	916,616	1,003,013
विद्युत गैस स्टीम और एयरकंडिशनिंग आपूर्ति	383	927	1,310	475	15,836	16,311
जलापूर्ति, सीवरज, कचरा प्रबंधन और सुधार गतिविधियां	1,106	725	1,831	1,496	5,807	7,303
निर्माण	21,972	3,124	25,096	24,413	17,608	42,021
थोक बिक्री व्यापार, खुदरा व्यापार और मोटर वाहन एवं मोटर साइकिल मरम्मत	7,536	19,864	27,400	9,882	89,462	99,344
थोक बिक्री व्यापार (जो उपरोक्त में कवर न किया गया हो)	10,344	21,114	31,458	13,311	96,323	109,634
खुदरा व्यापार (जो ऊपर कवर न किया गया हो)	1,95,779	1,16,051	3,11,830	240,456	407,043	647,499
परिवहन और भंडारण	53,148	19,424	72,572	56,618	122,384	179,002
आवास और खाद्य सेवा गतिविधियां	28,312	19,739	48,051	35,236	106,481	141,717
सूचना और संचार	5,524	5,433	10,957	6,643	47,524	54,167
वित्तीय और बीमा गतिविधियां	2,542	6,507	9,049	2,964	59,449	62,413
भू संपदा गतिविधियां	13,804	9,327	23,131	16,550	29,502	46,052
व्यावसायिक, वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियां	5,708	13,132	18,840	6,802	90,377	97,179
प्रशासनिक और सहायता सेवा गतिविधियां	4,882	10,110	14,992	6,886	67,567	74,453
शिक्षा	15,037	11,791	26,828	18,340	122,846	141,186
मानव स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य गतिविधियां	5,520	10,919	16,439	6,625	111,627	118,252
कला, मनोरंजन, खेल और मनोविनोद एवं मनोरंजन	1,807	1,206	3,013	2,403	9,583	11,986
अन्य सेवा गतिविधियां जो अन्यत्र वर्गीकृत न की गई हों	41,391	28,162	69,553	52,280	99,445	151,725
उप-जोड़ (2)	4,73,113	3,95,187	8,68,300	587,777	2,415,480	3,003,257
कुल (उप-जोड़) (1)+ (उप-जोड़) (2)	4,77,498	3,97,810	8,75,308	5,95,437	24,24,344	30,19,781

स्रोत : छठी आर्थिक गणना रिपोर्ट

4. दिल्ली में असंगठित क्षेत्र की भूमिका

4.1. व्यापारिक क्षेत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय ने 1997 में भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 53वें दौर (राज्य प्रतिदर्श) के तहत दिल्ली में असंगठित व्यापारिक गतिविधियों का सर्वेक्षण कराया। सर्वेक्षण में दो प्रकार के उद्यमों को शामिल किया गया, स्व संचालित व्यापारिक उद्यम(ओएटीई)—यानी परिवार के सदस्यों द्वारा बिना बाहरी श्रमिक लगाए चलाये जा रहे उद्यम और नॉन डायरेक्टरी व्यापारिक उद्यम (एनडीटीई), यानी ऐसे उद्यम जिनमें कम से कम एक वैतनिक कामगार नियमित आधार पर बाहर से लिया गया था, लेकिन परिवार के सदस्यों सहित 6 से कम कामगार कार्यरत थे। सर्वे रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि दिल्ली में असंगठित व्यापारिक उद्यमों की कुल संख्या 1.99 लाख थी और उनमें 3.18 लाख व्यक्ति नियोजित थे। दिल्ली की अर्थ व्यवस्था में इस क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्द्धित योगदान 1.01 लाख प्रति उद्यम प्रति वर्ष मापा गया। 1997 के बाद इस सेक्टर में इस संदर्भ में कोई प्रतिदर्श सर्वेक्षण नहीं कराया गया।

4.2. विनिर्माण क्षेत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय ने वर्ष 2005–06 के दौरान, भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 62वें दौर (राज्य प्रतिदर्श) के तहत दिल्ली में असंगठित विनिर्माण उद्यमों का सर्वे कराया। इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2005–06 में असंगठित विनिर्माण उद्यमों की संख्या 1.01 लाख थी और इनमें से 15040 (15 प्रतिशत) उद्यम स्वसंचालित-ओई (यानी ऐसे उद्यम जिनमें कोई वैतनिक कामगार नहीं लगाया गया था) थे और 85700 (85 प्रतिशत) ऐसे प्रतिष्ठान थे, जिनमें कम से कम एक वैतनिक कामगार था। असंगठित विनिर्माण क्षेत्र में कुल 4.82 लाख कर्मचारी नियोजित थे। असंगठित विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्य संवर्धन प्रति वर्ष प्रति उद्यम 3.26 लाख रुपये मूल्य का हुआ। इस क्षेत्र में प्रति श्रमिक प्रति वर्ष मूल्य संवर्धन करीब 0.68 लाख रुपये रहा। ओई क्षेत्र में प्रति उद्यम प्रति वर्ष मूल्य संवर्धन 0.81 लाख रुपये और प्रतिष्ठानों में 3.69 लाख रुपये रहा।

4.3. सेवा क्षेत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अर्थ और सांख्यिक निदेशालय ने जुलाई 2006 और जून 2007 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 63वें दौर (राज्य प्रतिदर्श) के अंतर्गत असंगठित सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में सर्वेक्षण कराया। इस क्षेत्र में कुल उद्यमों की संख्या 239447 थी और इनमें से 147281 (61.51 प्रतिशत) स्व-संचालित उद्यम (यानी ऐसे उद्यम जिनमें कोई वैतनिक कामगार नहीं था) था और 92166 (38.49 प्रतिशत) ऐसे थे, जिनमें कम से कम एक वैतनिक कामगार बाहर से लगाया गया था। असंगठित सेवा क्षेत्र में कुल 6.44 लाख कर्मचारी नियोजित थे। असंगठित सेवा क्षेत्र में सकल मूल्य संवर्धन प्रति उद्यम प्रतिवर्ष 2.87 लाख रुपये मूल्य का हुआ। इस क्षेत्र में प्रति कामगार प्रति वर्ष मूल्य संवर्धन करीब 106895 रुपये रहा। ओई उद्यमों में प्रति श्रमिक प्रति वर्ष मूल्य संवर्धन 70372 रुपये और प्रतिष्ठानों में 119996 रुपये रहा।

4.4. गैर-निगमित गैर-कृषि उद्यमों (विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र) का सर्वेक्षण

गैर-निगमित गैर-कृषि क्षेत्र के उद्यमों (विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र) के लिए जुलाई 2015 से जून 2016 तक कराए गये 73वें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (राज्य प्रतिदर्श) के अनुसार ऐसे उद्यमों की संख्या 810722 थी। क्षेत्रवार विवरण नीचे दिया गया है:

प्रमुख गतिविधि श्रेणी	उद्यमों की संख्या								
	ग्रामीण			शहरी			दिल्ली		
	ओई	प्रतिष्ठान	सभी	ओई	प्रतिष्ठान	सभी	ओई	प्रतिष्ठान	सभी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
विनिर्माण	2950	160	3110	45154	69854	115008	48104	70014	118118
व्यापार	5553	2314	7867	214565	208132	422697	220118	210446	430564
अन्य सेवाएं	7599	3052	10651	160512	90877	251389	168111	93929	262040
कुल	16102	5526	21628	420231	368863	789094	436333	374389	810722
कुल का	1.99	0.68	2.67	51.83	45.50	97.33	53.82	46.18	100

इन उद्यमों में आमतौर पर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या 19.60 लाख थी। क्षेत्रवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

प्रत्येक प्रमुख गतिविधि श्रेणी के लिये उद्यमों के प्रकार और क्षेत्र के अनुसार कामगारों की संख्या :

प्रमुख गतिविधि श्रेणी	उद्यमों की संख्या								
	ग्रामीण			शहरी			दिल्ली		
	ओई	प्रतिष्ठान	सभी	ओई	प्रतिष्ठान	सभी	ओई	प्रतिष्ठान	सभी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
विनिर्माण	2957	1449	4405	60817	357028	417846	63774	358477	422251
व्यापार	5744	5783	11527	280090	664567	944657	285834	670350	956184
अन्य सेवाएं	7906	7191	15098	194957	371679	566636	202863	378870	581734
कुल	16607	14423	31030	535865	1393274	1929139	552471	1407697	1960169

सर्वेक्षण के अनुसार आय और उत्पाद दृष्टिकोण पर आधारित क्षेत्रवार, प्रति उद्यम और प्रति श्रमिक सकल मूल्य सवर्धन (जीवीए) (रुपये में) नीचे दिया गया है :

गतिविधि	घटक आय दृष्टिकोण		उत्पाद दृष्टिकोण	
	जीवीए/उद्यम	जीवीए/श्रमिक	जीवीए/उद्यम	जीवीए/श्रमिक
विनिर्माण	672626	188156	677522	189526
व्यापार	626532	271405	632173	273848
अन्य सेवाएं	480529	216411	484457	218180
सभी	573438	237151	578303	239163

5. कृषि उत्पादों का विपणन

5.1. आधुनिक विपणन व्यवस्था के अंतर्गत कृषि उपज को उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले एक हाथ से दूसरे हाथ तक यानी हस्तांतरण या विनिमय की समूची श्रृंखला से गुजरना पड़ता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कृषि विपणन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, जो बिक्री योग्य कृषि उत्पाद पैदा करने के निर्णय से आरंभ होती है और उसमें प्रणाली की विपणन व्यवस्था के सभी पक्ष, कार्यात्मक और संस्थागत, दोनों शामिल होते हैं। ये तकनीकी और आर्थिक कसौटी पर आधारित होते हैं और उनमें फसल बुआई से पहले और कटाई बाद के तमाम कार्य जैसे फसल समेटना, उसकी ग्रेडिंग करना, भंडारण, ढुलाई और वितरण शामिल हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसमें तीन महत्वपूर्ण कार्यों को शामिल माना है:

- संग्रहण या असेम्बलिंग (संकेंद्रण)
- उपभोग के लिए तैयार करना (प्रोसेसिंग) और
- वितरण

5.2. दिल्ली में कृषि उपज का विपणन, विनियमित बाजारों के नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए कृषि उपज विपणन (नियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (डीएएमबी) नाम के शीर्ष संगठन की स्थापना 1977 में की गयी थी। 1998 में इस अधिनियम के स्थान पर नया अधिनियम लाया गया। बोर्ड विभिन्न कृषि उपज मंडियों की देख-रेख और उन पर नियंत्रण का काम करता है तथा बुनियादी सुविधाओं के विकास के जरिए कृषि उपज के बेहतर विपणन को प्रोत्साहित करता है। इस समय दिल्ली में 7 प्रमुख थोक मंडियां काम कर रही हैं। ये हैं:

1. कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी), (एमएनआई) आजादपुर
2. कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी), नरेला
3. कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी), नजफगढ़
4. कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी), केशोपुर
5. कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी), शाहदरा
6. एफपी एंड ईएमसी, गाजीपुर
7. फूल बाजार, महरौली

6. दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (डीएएमबी)

6.1 डीएएमबी की स्थापना 1977 में दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (नियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत की गयी थी। बाद में इसका स्थान दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (नियमन) अधिनियम, 1998 ने ले लिया। यह अधिनियम कृषि उपज के क्रय-विक्रय और भंडारण तथा प्रसंस्करण के बेहतर विनियमन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कृषि-उपज मंडियों और उनसे जुड़े बाजारों की स्थापना या प्रासंगिक गतिविधियों के लिए की गयी थी। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कृषि उत्पादों की व्यापारिक गतिविधि को नियमित करने के लिए एक संगठनात्मक ढांचे की व्यवस्था की गयी है। दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड इस संगठनात्मक व्यवस्था में शीर्षस्थ निकाय है और इसके प्रमुख कार्यों में संबद्ध क्षेत्रों के लिए मंडियों में सामान्य सुधारों की व्यवस्था

करना और कृषि उपज के लिए ग्रेडिंग एवं मानकीकरण सुविधाएं प्रदान करना शामिल हैं। दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (डीएएमबी) की वित्तीय स्थिति मजबूत है और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता या अनुदान की आवश्यकता नहीं पड़ती। डीएएमबी की पिछले 9 वर्षों की आय और व्यय संबंधी जानकारी विवरण 5.4 में दी गई है।

विवरण 5.4

2014-15 से 2022-23 के दौरान दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)

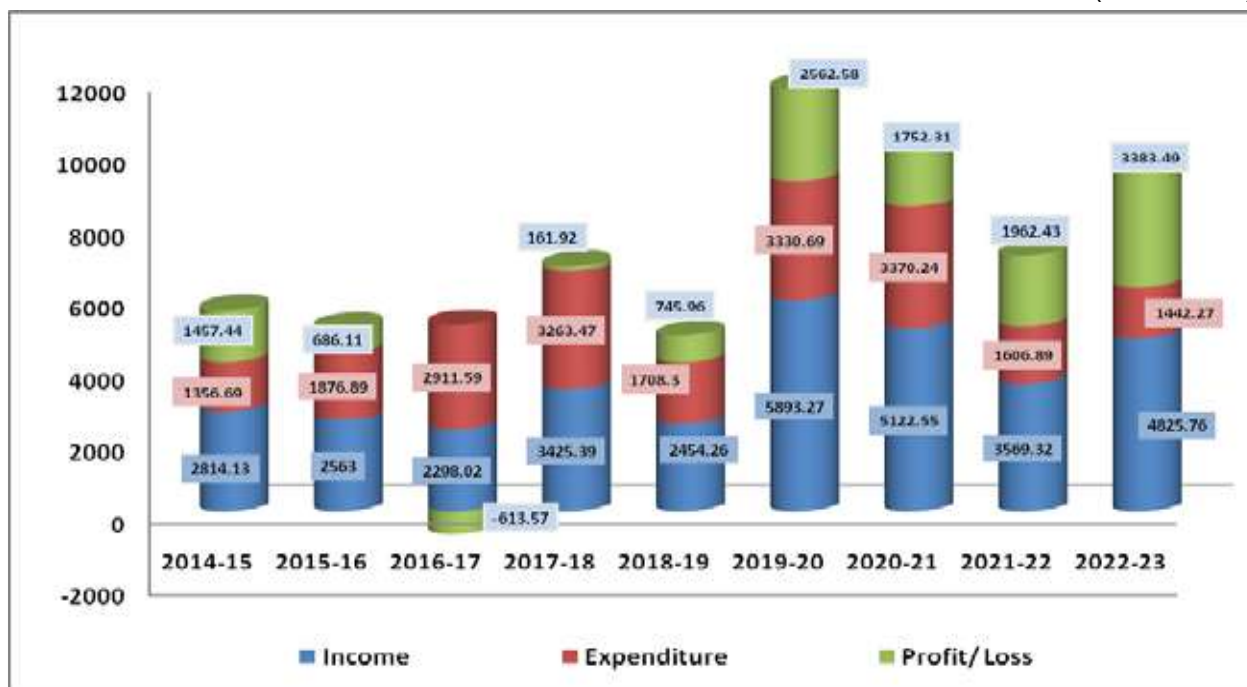
क्र. स.	ब्यौरा	वर्ष								
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	आय	2814.13	2563	2298.02	3425.39	2454.26	5893.27	5122.55	3569.32	4825.76
2.	व्यय	1356.69	1876.89	2911.59	3263.47	1708.30	3330.69	3370.24	1606.89	1442.27
3.	लाभ/हानि	1457.44	686.11	(-) 613.57	161.92	745.96	2562.58	1752.31	1962.43	3383.49

- 6.2 विवरण 5.4 से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि डीएएमबी की आय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 48.26 करोड़ रुपये हो गई, जो उससे पिछले वर्ष 35.69 करोड़ रुपये थी। इसी प्रकार, लाभ भी पिछले वर्ष के 19.62 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 33.83 करोड़ रुपये हो गया। विवरण से, यह निर्धारित किया जा सकता है कि बाजार 2016-17 को छोड़कर सभी अवधि में लाभ में रहा है। उपरोक्त वित्तीय विवरण बाजार की स्वस्थ स्थिति को दर्शाता है।

चार्ट 5.3

2014-15 से 2022-23 के दौरान डीएएमबी की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)



7. एमएनआई आजादपुर की कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी)

- 7.1 एमएनआई आजादपुर की कृषि उपज विपणन समिति के अंतर्गत आजादपुर फल एवं सब्जी मंडी एशिया में फल और सब्जियों की सबसे बड़ी मंडी है और यह विश्व की सबसे बड़ी मंडियों में से

एक है। आजादपुर मंडी सेब, केला, संतरा, और आम जैसे फलों और आलू, प्याज, लहसुन, तथा अदरक जैसी सब्जियों के राष्ट्रीय वितरण केन्द्र के रूप में काम करती है। समिति किसानों के लिए उत्पादक शेड भी उपलब्ध कराती है, ताकि वे अपनी उपज वहां लाकर सीधे खरीददारों को बेच सकें और इस तरह बिचौलियों का हस्तक्षेप समाप्त किया जा सके। पिछले नौ वर्षों के दौरान इस मंडी की वित्तीय स्थिति की जानकारी विवरण 5.5 में दी गई है:

विवरण 5.5

2014-15 से 2022-23 की अवधि में एपीएमसी आजादपुर की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)

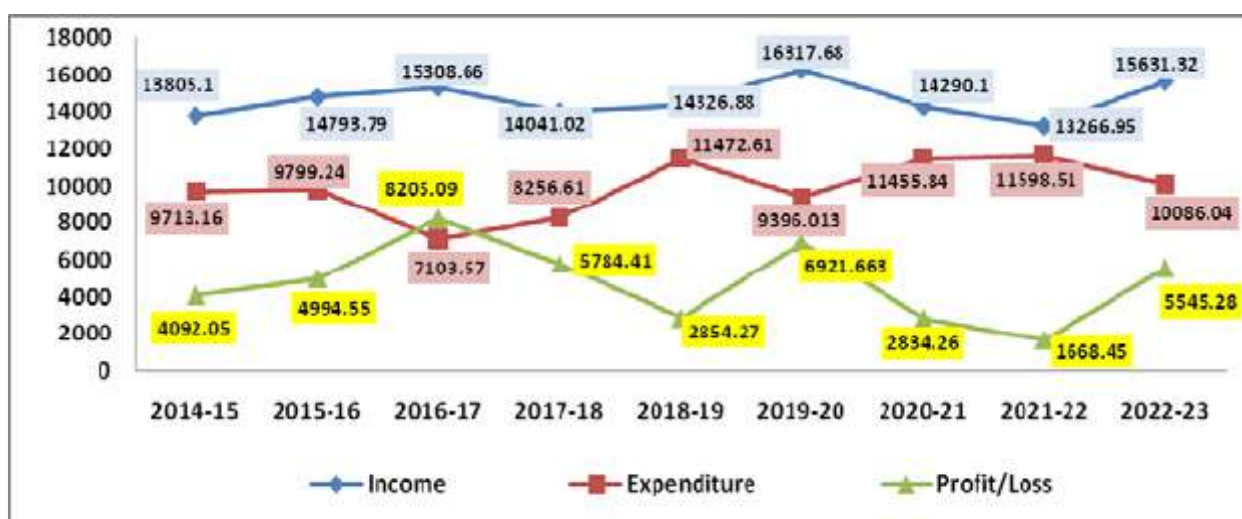
क्र.स.	शेष	2014-	2015-	2016-	2017-18	2018-	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
I	आय	13805.1	14793.79	15308.66	14041.02	14326.88	16317.68	14290.10	13266.95	15631.32
II	व्यय	9713.16	9799.24	7103.57	8256.61	11472.61	9396.013	11455.84	11598.51	10086.04
III	लाभ/हानि	4092.05	4994.55	8205.09	5784.41	2854.27	6921.663	2834.26	1668.45	5545.28
IV.	आवक (लाख टन में)									
क	फल	21.4	22.5	20.74	23.16	21.50	20.62	17.07	18.46	21.48
ख	सब्जिया	25.16	23.8	22.23	25.85	26.14	24.35	20.21	18.60	20.99
ग	कुल	46.56	46.3	42.97	49.01	47.64	44.97	37.28	37.06	42.47

- 7.2 विवरण 5.5 से पता चलता है कि उपरोक्त सभी अवधियों में मंडी की वित्तीय स्थिति सशक्त रही है। मंडी का मुनाफा 2022-23 में बढ़कर 55.45 करोड़ रुपये हो गया, जो उससे पिछले वर्ष 2020-21 में 16.68 करोड़ रुपये था। 2022-23 में मंडी में आवक में भी पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई। यह बाजार वित्तीय दृष्टि से रा.रा.रा.क्षे. दिल्ली की सबसे सशक्त बाजार समिति के रूप में उभरा है।

चार्ट 5.4

2014-15 से 2022-23 की अवधि में एपीएमसी (एमएनआई) आजादपुर की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये)



8. कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी), नरेला

- 8.1 एपीएमसी, नरेला के अंतर्गत लगभग 4 एकड़ क्षेत्र में फैले खाद्यान बाजार की स्थापना 1959 में की गयी और यह दिल्ली में अनाज की सबसे बड़ी नियमित मंडी है। मंडी के अधिसूचित जिंसों में धान, गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, ज्वार, गुड़, चीनी, खांडसारी आदि शामिल हैं। इस मंडी में आवक मुख्य

रूप से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली से होती है। एपीएमसी नरेला का अधिसूचित बाजार क्षेत्र एपीएमसी-शाहदरा और एपीएमसी-नजफगढ़ के बाजार क्षेत्र को छोड़ कर रा.रा.क्षेत्र दिल्ली के सारे इलाके को कवर करता है। एपीएमसी नरेला में अनाज की आवक और पिछले नौ वर्षों के दौरान मंडी की वित्तीय स्थिति की जानकारी विवरणी 5.6 में दी गयी है।

विवरणी 5.6

2014-15 से 2022-23 के दौरान एपीएमसी नरेला की वित्तीय स्थिति

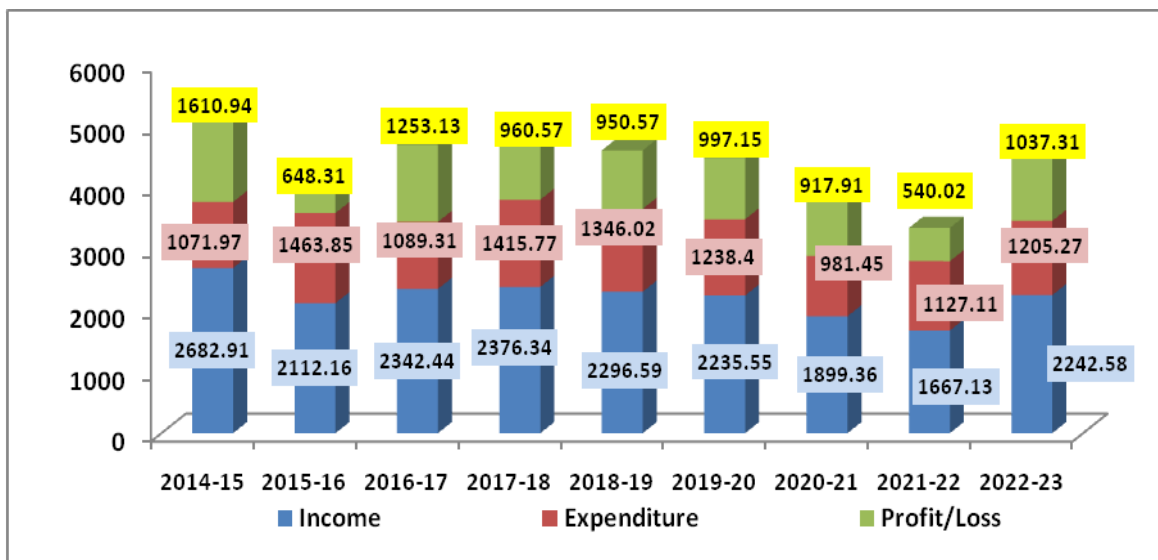
(लाख रुपये में)

क्र. स.	शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	आय	2682.91	2112.16	2342.44	2376.34	2296.59	2235.55	1899.36	1667.13	2242.58
2.	व्यय	1071.97	1463.85	1089.31	1415.77	1346.02	1238.40	981.45	1127.11	1205.27
3.	लाभ/हानि	1610.94	648.31	1253.13	960.57	950.57	997.15	917.91	540.02	1037.31
4.	अनाज की आवक (लाख टन)	6.03	6.48	5.31	6.16	5.42	-	4.12	3.70	4.01

- 8.2 विवरण 5.6 से पता चलता है कि एपीएमसी नरेला की अमादनी में 2015-16 से 2017-18 तक निरन्तर वृद्धि हुई और उसके बाद 2018-19 से 2021-22 तक इसमें लगातार कमी आई। परन्तु, 2022-23 में आमदनी, उससे पिछले वर्ष की 16.67 करोड़ रुपये की तुलना में, बढ़कर 22.43 करोड़ रुपये हो गई। इसी प्रकार, 2022-23 में लाभ भी, पिछले वर्ष के 5.40 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 10.37 करोड़ रुपये हो गया। 2022-23 में आवक 4.01 लाख टन दर्ज की गई है। 2014-15 से 2022-23 के दौरान एपीएमसी नरेला की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी चार्ट 5.5 में दर्शाई गई है।

चार्ट 5.5

2014-15 से 2022-23 के दौरान एपीएमसी नरेला की वित्तीय स्थिति



9. कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी), नजफगढ़

- 9.1 करीब 12 एकड़ में बाजार क्षेत्र के साथ एपीएमसी, नजफगढ़ की स्थापना भी 1959 में की गयी। इसमें धान, गेहूं, चना, बाजरा, ज्वार, मक्का, गुड़, चीनी, खांडसारी जैसे कृषि जिनसों का विपणन होता है। मंडी की कुल आवक में सबसे बड़ा हिस्सा हरियाणा से आने वाली जिनसों का होता है,

जिसकी भागीदारी 95 प्रतिशत है और बाकी 5 प्रतिशत जिन्स दिल्ली से आते हैं। पिछले नौ वर्षों में एपीएमसी नजफगढ़ की वित्तीय स्थिति और अनाज की आवक संबंधी जानकारी विवरण 5.7 में दी गई है।

विवरण 5.7

2014-15 से 2022-23 की अवधि में एपीएमसी नजफगढ़ की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र.स.	शाष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	आय	340.24	300.59	317.1	389.44	514.94	437.62	363.62	392.85	416.20
2.	व्यय	606.1*	531.4	405.91	707.14	348.91	405.38	394.54	313.58	416.20
3.	लाभ/हानि	(-) 265.88	(-) 230.81	(-)88.81	(-)317.70	166.03	32.24	(-)30.92	79.27	0
4.	अनाज की आवक (लाख टन)	1	1.2	0.99	1.03	1.24	1.38	1.06	0.90	0.90

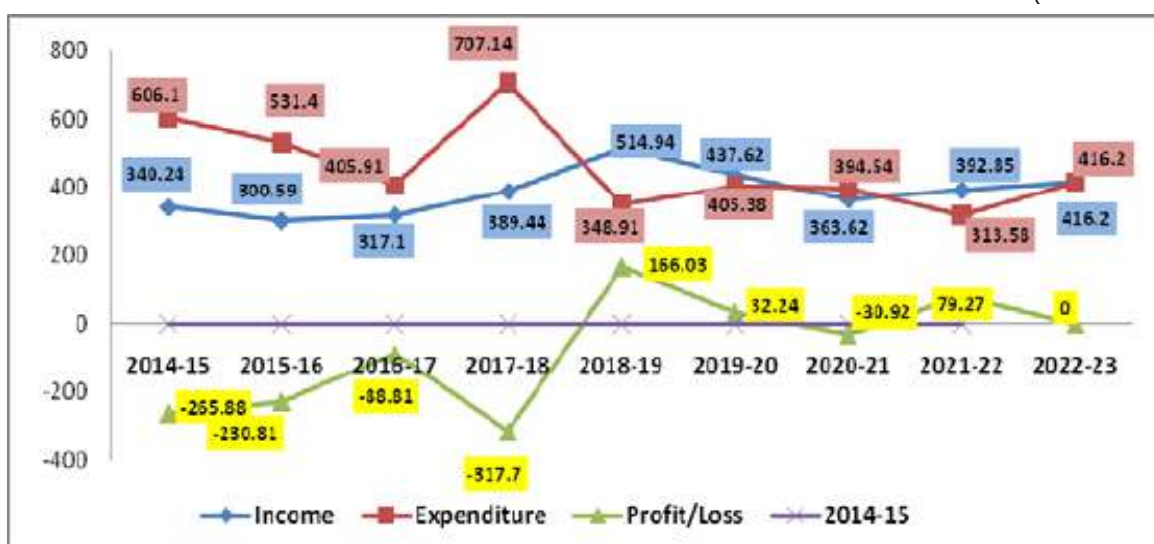
*खर्च में वृद्धि वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 में सेवानिवृत्ति पर किये गए भुगतानों में भारी बढ़ोतरी के कारण हुई।

- 9.2 विवरण 5.7 से पता चलता है कि एपीएमसी, नजफगढ़ में अनाज की आवक 2017-18 की 1.03 लाख टन से बढ़कर 2019-20 में 1.38 लाख टन हो गई। परन्तु 2020-21 से इसमें कमी आई। 2022-23 में आवक उससे पिछले वर्ष के समान थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसे कोई लाभ नहीं हुआ। 2014-15 से 2022-23 की अवधि में एपीएमसी नजफगढ़ की वित्तीय स्थिति चार्ट 5.6 में दर्शायी गई है।

चार्ट 5.6

2014-15 से 2022-23 की अवधि में एपीएमसी, नजफगढ़ की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये)



10. कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी), शाहदरा

- 10.1 कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी), शाहदरा को फल और सब्जीमंडी गाजीपुर का नया नाम दिया गया है। 37.03 एकड़ क्षेत्र के साथ कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी), शाहदरा, गाजीपुर से कार्य करती है। इसमें फल एवं सब्जियां, चारा, अनाज, चीनी एवं खांडसारी जैसे जिन्सों का

व्यापार होता है। मंडी का कुल भू-क्षेत्रफल 37.03 एकड़ है। पिछले नौ वर्षों में मंडी की आय एवं व्यय तथा आवक संबंधी जानकारी विवरण 5.8 में दी गई है।

विवरण 5.8

2014-15 से 2022-23 की अवधि में एपीएमसी शाहदरा की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)

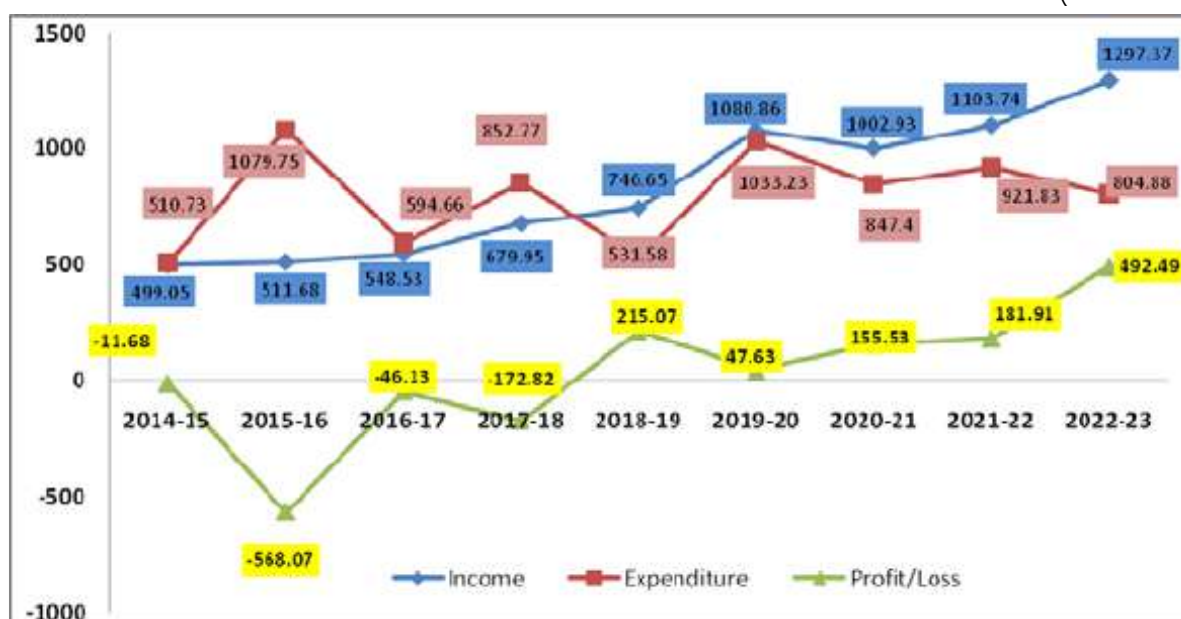
क्र.सं.	शाख	वर्ष								
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	आय	499.05	511.68	548.53	679.95	746.65	1080.86	1002.93	1103.74	1297.37
2.	व्यय	510.73	1079.75	594.66	852.77	531.58	1033.23	847.40	921.83	804.88
3.	लाभ/हानि	(-)-11.68	(-)-568.07	(-)-46.13	(-)-172.82	215.07	47.63	155.53	181.91	492.49
4.	फल एवं सब्जियों की आवक (लाख टन)	2.57	2.57	3.79	4.03	4.76	4.45	4.13	5.34	5.45

- 10.2 विवरण 5.8 से अनुमान लगाया जा सकता है कि 2022-23 के दौरान एपीएमसी, शाहदरा की आय में पिछले वर्ष की तुलना में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है, जो 2021-22 की 1.81 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 4.92 करोड़ रुपये हो गई। इसी प्रकार पिछले वर्ष तुलना में चालू वर्ष में आय में वृद्धि दर्ज हुई। एपीएमसी शाहदरा की वित्तीय स्थिति चार्ट 5.7 में दर्शायी गई है।

चार्ट 5.7

2014-15 से 2022-23 के दौरान एपीएमसी, शाहदरा की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)



11. कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी), केशोपुर

- 11.1 2001 में स्थापित केशोपुर कृषि उत्पाद विपणन समिति का बाजार क्षेत्र 15.58 एकड़ में फैला है। इसमें 244 दुकानें हैं जो फल एवं सब्जियों का विपणन करती हैं। पिछले नौ वर्षों के दौरान कृषि

उपज विपणन समिति (एपीएमसी), केशोपुर की वित्तीय स्थिति की जानकारी विवरण 5.9 में दी गई है।

विवरण 5.9

2014-15 से 2022-23 के दौरान एपीएमसी केशोपुर की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)

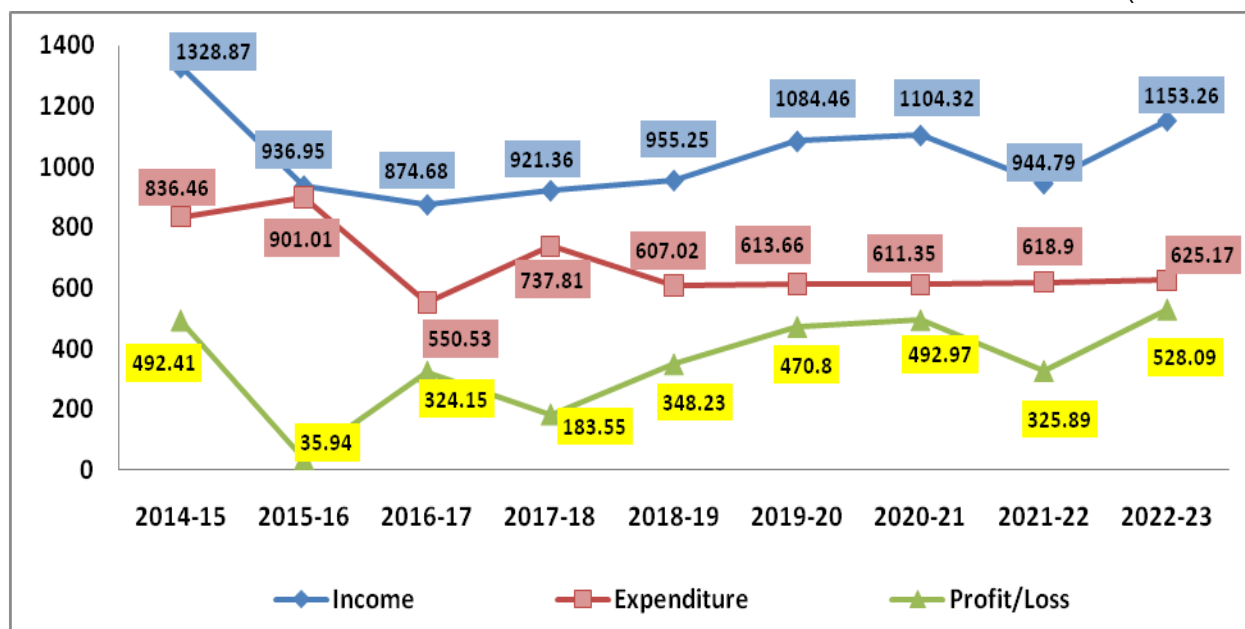
क्र.स.	शेष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	आय	1328.87	936.95	874.68	921.36	955.25	1084.46	1104.32	944.79	1153.26
2.	व्यय	836.46	901.01	550.53	737.81	607.02	613.66	611.35	618.90	625.17
3.	लाभ/हानि	492.41	35.94	324.15	183.55	348.23	470.80	492.97	325.89	528.09
4.	फल एवं साब्जिया की आवक (लाख टन)	2.41	2.44	3.62	3.28	3.79	3.21	2.77	2.72	2.79

- 11.2 विवरण 5.9 से पता चलता है कि एपीएमसी केशोपुर की वित्तीय स्थिति में अध्ययन में शामिल 2020-21 तक की समूची अवधि के दौरान सकारात्मक रुझान रहा है। 2017-18 से 2020-21 की अवधि में मंडी की आय और लाभ में निरन्तर वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2021-22 में आय और व्यय, दोनों में पिछले वर्ष की तुलना में कमी दर्ज हुई। परन्तु, वर्ष 2022-23 में पिछले वर्ष की तुलना में इसकी आमदनी में फिर से इजाफा हुआ। एपीएमसी केशोपुर की आमदनी और वित्तीय स्थिति का विवरण चार्ट 5.8 में दिया गया है।

चार्ट 5.8

2014-15 से 2022-23 के दौरान एपीएमसी केशोपुर की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये)



12. मछली, मुर्गा एवं अंडा विपणन समिति (एफपी एंड ईएमसी), गाजीपुर

- 12.1 वर्ष 1992 में स्थापित मछली, मुर्गा एवं अंडा विपणन समिति, गाजीपुर का संबंध मछली, पोल्ट्री और अंडों के कारोबार से है। इस समय गाजीपुर मंडी में 88 दुकानें पोल्ट्री उत्पादों के लिये और 196

दुकानें मछली बाजार के लिए बनायी गयी हैं। मछली बाजार 60,000 वर्गमीटर और पोल्ट्री बाजार 15.808 एकड़ में फैला है। पिछले नौ वर्षों में गाजीपुर मंडी में पोल्ट्री तथा अन्य उत्पादों यानी चिकन, अंडे और मछली की आवक संबंधी जानकारी विवरण 5.10 में दी गयी है।

विवरण 5.10

2014-15 से 2022-23 के दौरान गाजीपुर में पोल्ट्री उत्पादों और मछली की आवक

क्र.स.	वर्ष	कुल आवक (टन में)		
		पोल्ट्री	मछली	कुल
1.	2014-2015	86922	58873	145795
2.	2015-2016	109918	56774	166692
3.	2016-2017	108039	54153	162192
4.	2017-2018	105451	55287	160738
5.	2018-2019	91622	55610	147232
6.	2019-2020	90009	55225	145234
7.	2020-2021	71576	50464	122040
8.	2021-2022	73903	56502	130405
9.	2022-2023	86784	53737	140521

- 12.2 विवरण 5.10 से यह देखा जा सकता है कि गाजीपुर में कुल आवक (मछली और मुर्गी) में 2015-16 से 2020-21 तक हर वर्ष कमी आयी जबकि 2021-22 और 2022-23 की अवधि में इसमें वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2022-23 में कुल आवक 140521 टन रही। 2014-15 से 2022-23 के दौरान एफपी एंड ईएमसी गाजीपुर की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी विवरण 5.11 में प्रस्तुत की गई है।

विवरण 5.11

2014-15 से 2022-23 के दौरान एफपीएंडईएमसी गाजीपुर की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये)

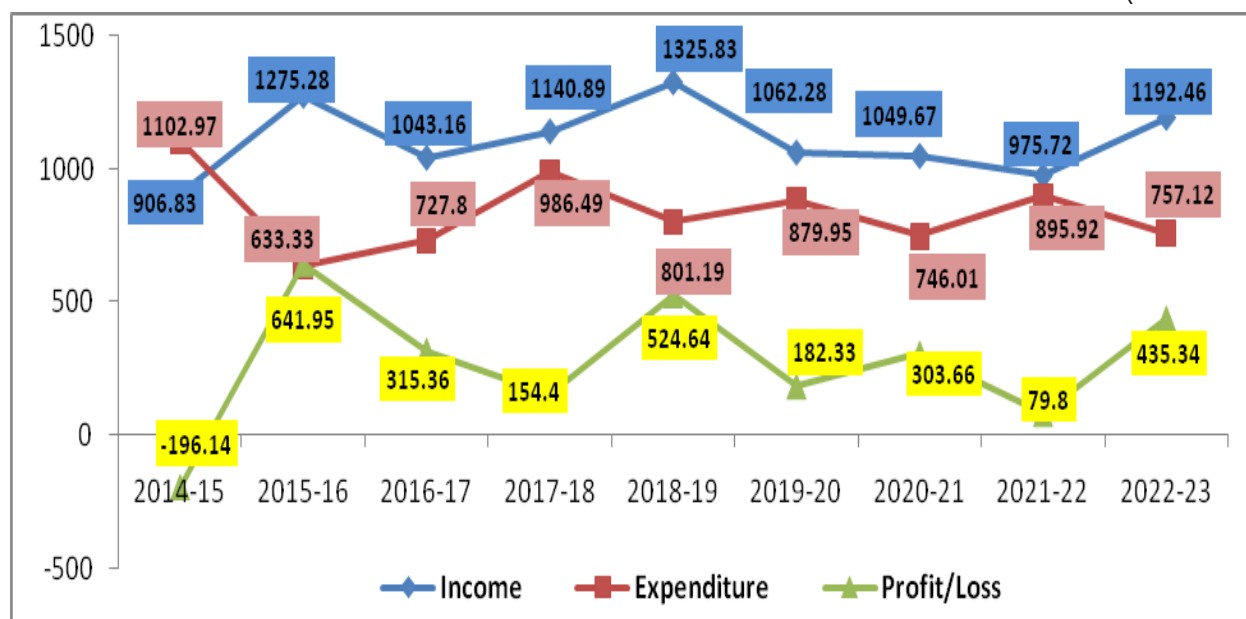
क्र.स.	शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	आय	906.83	1275.28	1043.16	1140.89	1325.83	1062.28	1049.67	975.72	1192.46
2.	व्यय	1102.97	633.33	727.8	986.49	801.19	879.95	746.01	895.92	757.12
3.	लाभ/हानि	(-)196.14	641.95	315.36	154.40	524.64	182.33	303.66	79.80	435.34

- 12.3 मछली, मुर्गा एवं अंडा विपणन समिति, गाजीपुर की वित्तीय स्थिति के बारे में विवरण 5.11 से यह बात साफ है कि 2022-23 के दौरान समिति का लाभ बढ़कर 11.92 करोड़ रुपये हो गया, जो उससे पिछले वर्ष 9.75 करोड़ रुपये था। इसी तरह लाभ पिछले वर्ष के 0.79 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 4.35 करोड़ रुपये हो गया। एफपीईएमसी गाजीपुर की वित्तीय स्थिति चार्ट 5.9 में दर्शायी गई है।

चार्ट 5.9

2014-15 से 2022-23 के दौरान एफपीएंडईएमसी, गाजीपुर की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये)



13. फूल विपणन समिति (एफएमसी), महरौली

- 13.1 फूल विपणन समिति ने 1997 से महरौली की अपनी मुख्य मंडी में कार्य करना शुरू किया। इसकी दो उप-मंडियां दिल्ली के फतेहपुरी और कनॉट प्लेस में थीं। महरौली की फूल मंडी को अब फूलों के कारोबार की प्रमुख मंडी घोषित किया गया है। फूलों का व्यापार अभी अस्थाई आधार पर एक स्थान अर्थात् फल और सब्जी मंडी गाजीपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है। महरौली स्थित प्रमुख मंडी तथा फतेहपुरी और कनॉटप्लेस की उपमंडियों की अधिसूचना रद्द घोषित कर दी गयी है। गाजीपुर को फूल व्यापार के लिए प्रमुख मंडी घोषित किया गया है। पिछले नौ वर्षों के दौरान इस समिति की आय/व्यय की जानकारी विवरण 5.12 में दी गयी है।

विवरण 5.12

2014-15 से 2022-23 के दौरान फूल मार्केट समिति महरौली की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र.स.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	आय	240.96	315.58	378.72	541.16	602.89	496.61	553.21	626.31	798.84
2.	व्यय	278.23	367.01	325.92	412.81	436.36	544.47	357.83	513.01	556.42
3.	लाभ/हानि	(-)37.27	(-)51.43	52.8	128.35	166.53	(-)47.86	195.38	113.30	242.42

- 13.2 विवरण 5.12 से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 2022-23 में, उससे पिछले वर्ष की तुलना में एफएमसी की आय, व्यय और लाभ में वृद्धि हुई है। समिति को 2022-23 के दौरान 2.42 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है।

विवरण 5.13

फूल विपणन समिति आईएफसी गाजीपुर में 2014-15 से 2022-23 के दौरान फूलों की आवक

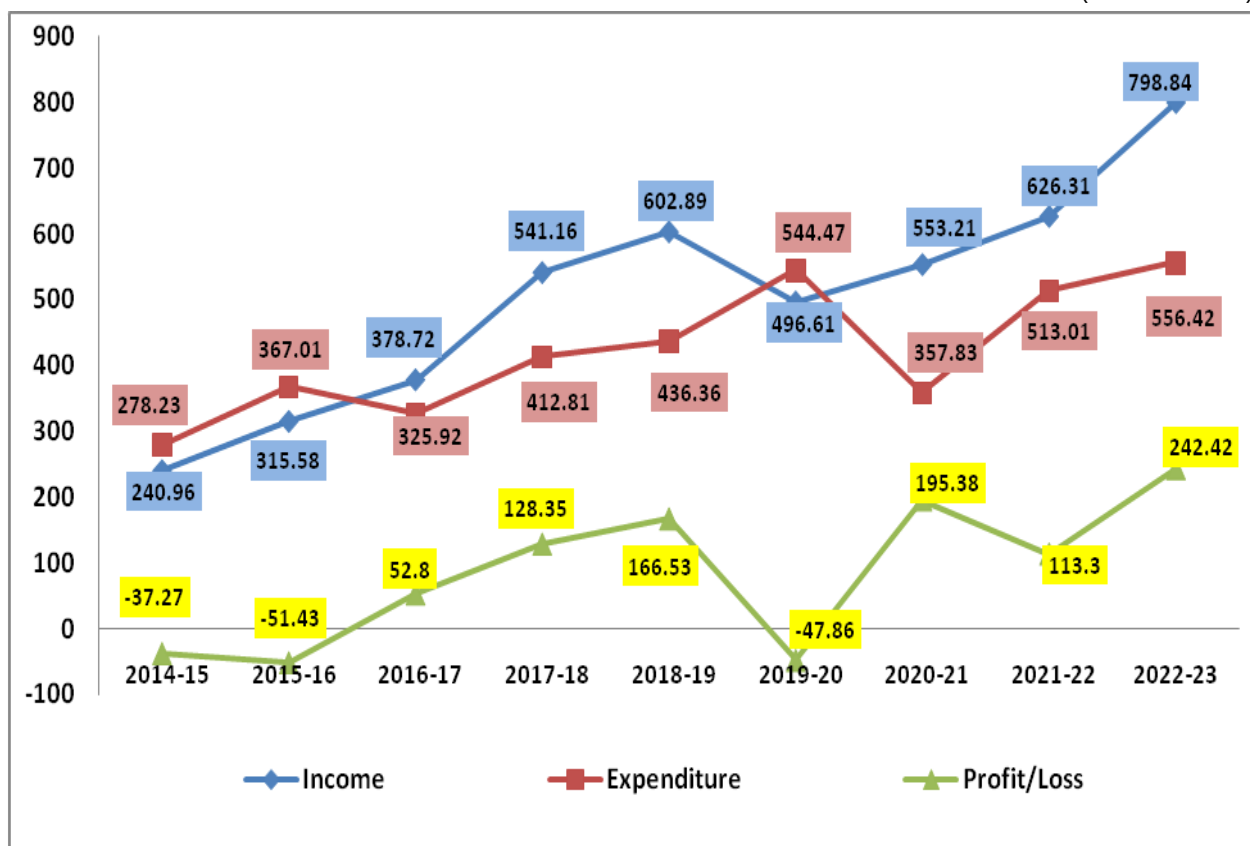
वर्ष	फूल (बंडलों में)	फूल (संख्या में)	फूल (किलोग्राम)
2014-15	21212317	2221936	16470084
2015-16	20809760	2343992	19278616
2016-17	20076602	3529900	18686228
2017-18	26025962	23957774	20998495
2018-19	34347071	50833753	174028340
2019-20	27223246	54886803	24984656
2020-21	11644235	22765953	14774663
2021-22	18603054	38607100	23368739
2022-23	25374960	47801668	26594063

- 13.3 विवरण 5.13 से यह देखा जा सकता है कि फूलों की आवक 2014-15 से 2018-19 तक बढ़ती रही है और 2019-20 से 2020-21 के दौरान इसमें कमी आयी है। परन्तु, वर्ष 2021-22 से इसमें फिर से वृद्धि हुई है। 2014-15 से 2022-23 के दौरान एफएमसी महारौली की वित्तीय स्थिति चार्ट 5.10 में दर्शायी गई है।

चार्ट 5.10

2014-15 से 2022-23 के दौरान फूल मार्केट समिति महारौली की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)



अध्याय एक नजर में

➤	2022–23 (अग्रिम अनुमान) में दिल्ली में व्यापार, होटल और रेस्तरां से आय प्रचलित मूल्यों पर 117471 करोड़ रुपये थी, जो दिल्ली के सकल राज्य मूल्य वर्धित (आधार वर्ष 2011–12) का लगभग 12.05 प्रतिशत है। पिछले 13 वर्षों के दौरान दिल्ली के सकल राज्य मूल्य वर्धन में इस क्षेत्र का योगदान 10 प्रतिशत से अधिक था।
➤	2007–08 में पंजीकृत डीलरों की संख्या 384020 (स्थानीय अधिनियम के तहत 206359 और केंद्रीय अधिनियम के तहत 177661) थी, जो 2022–23 में बढ़कर 1289536 (डीवैट के तहत 2974 और जीएसटी के तहत 1286562) हो गई। इसी अवधि के दौरान, राजस्व रुपये 8744.39 करोड़ से बढ़कर रुपये 47016.96 करोड़ हो गया।
➤	दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (डीएमबी) की स्थापना दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम 1976 के तहत 1977 में की गई। यह शीर्ष निकाय है। इसे बाद में 1998 में एक नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
➤	डीएमबी की आय 2022–23 में उससे पिछले वर्ष की 35.69 करोड़ की तुलना में बढ़कर 48.26 करोड़ रह गई है। इसी तरह लाभ भी पिछले वर्ष के लाभ 19.62 करोड़ से बढ़कर 2022–23 में 33.83 करोड़ हो गया।
➤	एमएनआई आजादपुर की कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) के तहत आजादपुर फल और सब्जी बाजार एशिया में सबसे बड़ा और दुनिया में सबसे बड़े सब्जी बाजारों में से एक है।
➤	एपीएमसी नरेला के तहत अनाज मंडी, जो लगभग 4 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है, 1959 में स्थापित की गई, जो खाद्यान्न के लिए दिल्ली में सबसे बड़ा विनियमित बाजार है।
➤	लगभग 12 एकड़ के मुख्य बाजार क्षेत्र के साथ एपीएमसी नजफगढ़ 1959 में स्थापित किया गया था और इसमें धान, गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, ज्वार, गुड़, चीनी, खांडसारी आदि खाद्यान्न शामिल हैं।
➤	शाहदरा की कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) के पास 37.03 एकड़ क्षेत्र है जो गाजीपुर से संचालित हो रहा है और इसमें फल और सब्जियां, चारा, अनाज, चीनी और खांडसारी शामिल हैं।
➤	केशोपुर की कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) की स्थापना 2001 में 15.58 एकड़ क्षेत्र में की गई थी। इसमें फलों और सब्जियों की 244 दुकानें हैं।
➤	1992 में स्थापित मछली, कुक्कुट और अंडा विपणन समिति, गाजीपुर मछली, मुर्गी और अंडे से संबंधित है। वर्तमान में गाजीपुर में पोल्ट्री मार्केट की 88 और मछली मार्केट की 196 दुकानें हैं।

मूल्य प्रवृत्तियां

श्रम ब्यूरो श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, इसकी स्थापना के बाद से इसे अन्य बातों के अलावा औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन, रखरखाव और प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीपीआई-आईडब्ल्यू को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और आईएलओ के दिशानिर्देशों के अनुसार संकलित किया गया है और सीपीआई-आईडब्ल्यू का प्रसार विशेष डेटा प्रसार मानक (एसडीडीएस) के अनुपालन है। यह उक्त महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी किया जाता है। सीपीआई-आईडब्ल्यू श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संकलित और जारी किए जाते हैं और जनसंख्या क्षेत्रों के लिए विशिष्ट हैं।

- 1.1 औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई-आईडब्ल्यू, एक प्रमुख आर्थिक संकेतक है, यह एक आधार वर्ष के संदर्भ में किसी दिए गए क्षेत्र में एक औसत कामकाजी वर्ग के परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के एक निश्चित सेट के संबंध में समय-समय पर खुदरा कीमतों में सापेक्ष परिवर्तनों को मापता है। सीपीआई-आईडब्ल्यू का उपयोग मुख्य रूप से मंहगाई भत्ते (डीए) के विनियमन और निर्धारण के लिए किया जाता है, जो बड़ी संख्या में केंद्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है और साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में कामगारों को निर्धारित रोजगार में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और संशोधन के लिए भी दिया जाता है, अतः सरकारी खजाने पर इसका महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा सीपीआई आंकड़ों का व्यापक इस्तेमाल मंहगाई के बृहत् आर्थिक संकेतकों के रूप में भी किया जाता है और सरकार एवं केन्द्रीय बैंकों द्वारा मंहगाई और मूल्य स्थिरता नियंत्रण के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है।
- 1.2 सितंबर, 2020 के महीने से श्रम ब्यूरो ने सीपीआई-आईडब्ल्यू (2001=100) की मौजूदा शृंखला के आधार को नए आधार 2016=100 में अपडेट कर दिया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याओं के निर्माण के मुख्य घटक भार और मूल्य हैं। आधार अवधि के दौरान प्रत्येक वस्तु पर वास्तविक व्यय का हिस्सा, भार होता है और इंडेक्स बास्केट में रखी गई वस्तुओं के संबंध में आधार मूल्य 2016 के दौरान वस्तुओं की कीमतों का वार्षिक औसत है।
- 1.3 सीपीआई के संकलन के लिए अपनाए गए मूल्य की परिभाषा वह मूल्य है जो किसी उपभोक्ता/औद्योगिक श्रमिक को निर्दिष्ट इकाई के लिए निर्दिष्ट वस्तु/किस्म के लिए, चयनित बाजार की चयनित दुकान में भुगतान करना होता है। इसमें बिक्री कर, आदि जैसे सभी कर शामिल हैं, और रियायत और छूट शामिल नहीं हैं, जो सभी ग्राहकों के लिए सार्वभौमिक रूप से लागू हैं। यह खुले बाजार में प्रचलित वास्तविक मूल्य है जिस पर खरीदार और विक्रेता के बीच लेनदेन होता है। हालांकि, काला बाजार या अनधिकृत मूल्य सूचकांक संख्याओं के संकलन में नहीं लिए गए हैं। राशन की वस्तुओं के मामले में उचित मूल्य लिया जाता है।
- 1.4 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) एक निर्दिष्ट अवधि में निर्दिष्ट वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों में परिवर्तन को इंगित करता है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) थोक बिक्री स्तर पर वस्तुओं के सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है। डब्ल्यूपीआई प्राथमिक पैमाना है

जिसका इस्तेमाल महंगाई का पता लगाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में, निर्दिष्ट समयावधि के दौरान निर्दिष्ट श्रेणी की वस्तुओं या सेवाओं के मूल्यों में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। मूल्य सूचकांकों के अनेक संभावित उपयोग होते हैं। सूचकांक का इस्तेमाल मूल्यों में परिवर्तन मापने या रहन-सहन की लागत का आकलन करने में किया जा सकता है।

कुछ जाने माने मूल्य सूचकांक इस प्रकार हैं :-

- I. थोक मूल्य सूचकांक – अखिल भारतीय (डब्ल्यूपीआई)
- II. औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू)
- III. कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल)
- IV. ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आरएल)

- 1.5 आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी परिवर्तन का असर उत्पादन की मात्रा और उपभोग के पैटर्न, दोनों पर पड़ता है। मूल्यों में बदलाव का प्रभाव आम लोगों के जीवन स्तर और विशेष कर निर्धनों की जीवन स्थितियों पर पड़ता है। इसलिए, मूल्य व्यवहार पर निरंतर निगरानी रखना अत्यंत अनिवार्य है। सांख्यिकीय दृष्टि से मूल्य सूचकांक एक निर्दिष्ट अवधि में मूल्यों में परिवर्तन का आकलन करता है। मूल्य सूचकांकों की गणना थोक बिक्री स्तर और खुदरा बिक्री स्तर पर की जाती है।
- 1.6 थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) एकमात्र सामान्य सूचकांक है, जो व्यापक तौर पर मूल्यों में उतार चढ़ाव का आकलन करता है और सभी प्रकार के व्यापार और लेनदेन में वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तनों का द्योतक है। इसे आमतौर पर अर्थव्यवस्था में महंगाई की दर के संकेतक के रूप में समझा जाता है। डब्ल्यूपीआई की मौजूदा शृंखलाएं आधार वर्ष (2011-12=100) की तुलना में एक निश्चित अवधि के भीतर थोक मूल्यों में परिवर्तन दर्शाती हैं। 2016-17 से 2022-23 की अवधि में थोक मूल्य सूचकांक की वर्षवार तुलना तालिका 6.1 में दी गयी है।

2. थोक मूल्य सूचकांक के संकलन की पद्धति

- 2.1 थोक मूल्य, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर किसी वस्तु के बल्क व्यापार के निर्दिष्ट मूल्य को प्रस्तुत करता है। भारत में 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए थोक मूल्य सूचकांक की संशोधित (वर्तमान) शृंखला ने अभी तक प्रचलित डब्ल्यूपीआई शृंखला का स्थान ले लिया है, जिसका आधार वर्ष 2004-05 था। मौजूदा शृंखला भारत गणितीय औसत के सिद्धांत पर आकलित की गयी है।
- 2.2 मूल्य सापेक्षकों की गणना प्रतिशत अनुपातों के रूप में की जाती है, जिसे वर्तमान मूल्यों के संदर्भ में आधार अवधि में प्रचलित मूल्यों की तुलना में आकलित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक किस्म/कोटेशन के लिए मूल्य सापेक्ष की गणना वर्तमान मूल्य को समानुरूप आधार अवधि (2011-12) के मूल्य से विभाजित करते हुए और इस तरह प्राप्त होने वाली संख्या को 100 से गुणा करके की जाती है। वस्तु विशेष के लिए चुनी हुई किस्मों/कोटेशनों के सापेक्ष मूल्य की सामान्य गणितीय औसत के आधार पर वस्तु सूचकांक आसानी से तैयार किया जा सकता है। वस्तुओं के उप समूहों/समूहों/प्रमुख समूहों के लिए संकेतक उनसे संबद्ध शीर्षों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं/उप समूहों/समूहों के संकेतकों की भारत गणितीय औसत के आधार पर तय किए जाते हैं। थोक व्यापार और लेनदेन का प्रतिनिधि होने और साप्ताहिक आधार पर उपलब्ध होने के कारण

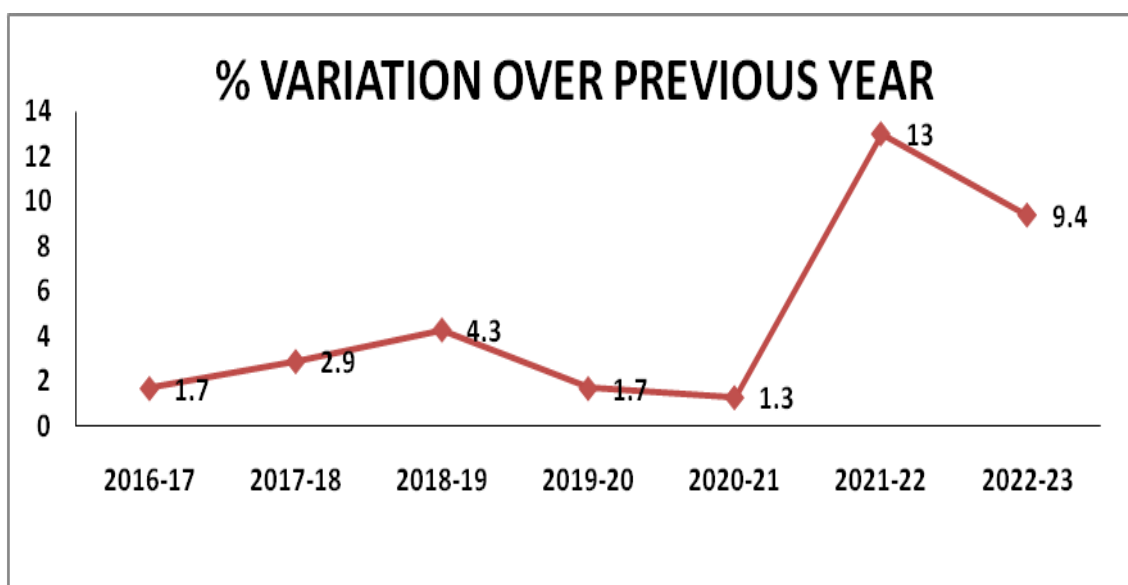
थोक मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल परंपरागत दृष्टि से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के आकलन के लिए किया जाता है।

2.3 पिछले 07 वर्षों में मंहगाई की दर संबंधी जानकारी चार्ट 6.1 में दी गयी है।

चार्ट 6.1

भारत में मंहगाई की दर (थोक मूल्य सूचकांक) 2016-17 से 2022-2023

(प्रतिशत)



2.4 बृहत् आर्थिक एकीकरण की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की गतिविधियों का प्रभाव विश्व के सभी भागों में पहुंचने लगा है। इसके साथ ही इस एकीकरण की बदौलत वैश्विक बाजारों में विकासशील देशों को अधिक महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करने के अवसर मिलने लगे हैं। इस संदर्भ में मौजूदा दशक में विकासशील देशों का महत्व बढ़ गया है क्योंकि भोजन, ऊर्जा और सामग्री की उनकी बढ़ती मांग के कारण लगता है कि मौजूदा वस्तु बाजार में मूल्य बढ़ रहे हैं।

2.5 खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोत्तरी आज देश के समक्ष सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दों में से एक है। मूल्य वृद्धि की कठिनाइयां समूचे भारत में और समाज के सभी वर्गों द्वारा महसूस की जा रही हैं। खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में इस बढ़ोत्तरी का लाभ किसान या फसल उगाने वालों को नहीं पहुंच रहा है क्योंकि बाजार में भारी विसंगतियां हैं। मांग-आपूर्ति विसंगतियां और अक्षम आपूर्ति व्यवस्था की वजह से उत्पादक और अंतिम उपभोक्ता के बीच मूल्यों में व्यापक अंतराल पैदा हो रहा है।

2.6 इसके अतिरिक्त उत्पादन और उत्पादकता में कमी, बाजार में प्रचलित अक्षमताएं—सरकारी खरीद में समन्वित प्रयासों का अभाव, भंडारण सुविधाएं पर्याप्त न होने के कारण वस्तुओं की बर्बादी, आदि ऐसे मुद्दे हैं जिनसे खाद्य वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। मौजूदा दौर में सरकारी गतिविधियों के अंतर्गत खाद्य उत्पादन और उत्पादकता में सुधार, कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने आदि उपायों पर बल दिए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2015 से 2022 तक दिल्ली में कुछ आवश्यक वस्तुओं के औसत थोक मूल्यों संबंधी जानकारी विवरण 6.1 में दी गयी है।

विवरण 6.1
दिल्ली में चुनी हुई वस्तुओं के औसत थोक मूल्य –2015–22

क्र.स.	वस्तु	यूनिट	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	गेहू (308)	प्रति क्विंटल	1770	1800	1900	2100	2150	2100	2050	2240
2.	चना (ग्रारा)	प्रति क्विंटल	4200	4690	4500	4550	4300	4325	5600	5600
3.	चावल (बासमती)	प्रति क्विंटल	6300	6500	6800	7600	8150	7450	7650	7600
4.	दाल अरहर (धुली हुई)	प्रति क्विंटल	10200	11820	7000	7100	5450	8875	10200	9950
5.	दाल मूंग (छिलका)	प्रति क्विंटल	8425	9050	6800	6950	5700	8987	9900	9650
6.	दाल उड़द (छिलका)	प्रति क्विंटल	10200	11720	6900	6900	7800	9025	9800	9300
7.	सरसों का तेल (कच्ची घानी)	15 कि.ग्रा. टिन	1390	1490	1350	1400	1450	1790	2625	2500
8.	घी (देसी) नम्बर 1	15 कि.ग्रा. टिन	5250	6800	10000	10500	16000	7500	7400	6500
9.	घी (वनस्पति)	15 कि.ग्रा. टिन	1000	1200	1250	1275	1265	1400	1770	2400
10.	केरोसिन ऑयल	प्रति लीटर	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
11.	हार्ड कोक	प्रति 40 कि.ग्रा.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
12.	मांस	प्रति क्विंटल	22500	34500	28000	32000	40000	45000	49000	55000
13.	अंडे	प्रति 100 संख्या	400	540	400	425	450	500	500	450
14.	मिर्च (लाल)	प्रति क्विंटल	NA	9500	12000	12500	13500	17000	19000	21500
15.	हल्दी	प्रति क्विंटल	9500	9800	9000	9500	11000	10500	11000	11000
16.	चीनी	प्रति क्विंटल	3825	4150	3800	3500	3575	3580	3550	3600
17.	गुड़	प्रति क्विंटल	2900	4000	4200	4400	4200	4000	4250	5000
18.	आलू	प्रति क्विंटल	1675	1800	750	850	1500	2200	780	1300
19.	प्याज (खुष्क)	प्रति क्विंटल	1000	2375	1600	1200	950	2200	2185	1300

स्रोत : कृषि विपणन निदेशालय, राराक्षे दिल्ली सरकार

3. औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू)

- 3.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आमतौर पर रोजमर्रा उपभोग की जाने वाली नियत वस्तुओं के खुदरा मूल्यों की प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार, द्वारा चुने हुए बाजारों, जैसे तिलक नगर, सब्जी मंडी, शाहदरा, यमुना विहार/भजनपुरा, मंगोलपुरी, आजादपुर, बवाना, नजफगढ़, कोटला मुबारकपुर, गोविन्दपुरी/कालकाजी और समयपुर बादली से साप्ताहिक और मासिक आधार पर आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य एकत्र किए जाते हैं। इन मूल्यों को श्रम ब्यूरो भेज दिया जाता है, ताकि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन किया जा सके। श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़, दिल्ली सहित भारत में 88 चुने हुए केंद्रों के लिए मासिक आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित एवं जारी करता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वर्तमान शृंखला का संकलन 2016=100 को आधार वर्ष मानकर किया जा रहा है। 2001=100 के आधार वाली पुरानी शृंखला के स्थान पर सितम्बर 2020 से 2016=100 के आधार वाली नई शृंखला अपना ली गयी है। 2016=100 के आधार वाली वर्तमान शृंखला में ऊपर वर्णित औद्योगिक श्रमिकों

के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े संग्रह करने के लिए दिल्ली में चुने हुए 11 बाजारों को शामिल किया गया है।

- 3.2 श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ ने अब 2001=100 आधार वर्ष की पुरानी श्रृंखला के स्थान पर नया आधार वर्ष प्रस्तावित किया गया है। 2016=100 आधार वर्ष वाली नई श्रृंखला के लिए, मूल्यों के संकलन की प्रक्रिया एक साथ शुरू कर दी गई है। नई श्रृंखलाओं के लिए पांच नए बाजार (बवाना, नजफगढ़, तिलक नगर, भजनपुरा/यमुनाविहार और कोटला मुबारकपुर) शामिल किए गए हैं और दो वर्तमान/पुराने बाजारों (रानीबाग और मोतीनगर) को निकाल दिया गया है।
- 3.3 इस संदर्भ में यह उल्लेख करना उचित है कि श्रम ब्यूरो चंडीगढ़, श्रम और रोजगार मंत्रालय, ने पत्र संख्या 114/1/2013-सीपीआई दिनांक 03 नवंबर, 2020, के तहत सीपीआई (आईडब्ल्यू) के लिए नए आधार वर्ष 2016=100 को मंजूरी प्रदान की और उसके परिणाम स्वरूप नई श्रृंखला 2016=100 की शुरुआत हुई और मौजूदा श्रृंखला (पुरानी श्रृंखला) आधार वर्ष 2001=100 को 03 नवंबर 2020 से बंद कर दिया गया।

विवरण 6.2

दिल्ली में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 2016=100)

क्र.स.	समूह	वरीयता (प्रतिशत)	2022	2023	प्रतिशत परिवर्तन
1.	खाद्य एवं पेय पदार्थ	36.13	130.7	136.7	4.6
2.	पान, सुपारी, तंबाकू और मादक पदार्थ	0.84	138.7	143.9	3.7
3.	वस्त्र और फुटवियर	5.43	151.7	159.4	5.1
4.	आवास	24.29	120.4	123.0	2.2
5.	ईंधन और प्रकाश	7.05	117.1	121.4	3.7
6.	विविध	26.26	120.1	124.3	3.5
सामान्य सूचकांक		100.00	125.7	130.3	3.7

स्रोत : श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़।

* डेटा जनवरी 2023 से नवंबर 2023 तक (11 महीने) की अवधि से संबंधित है।

- 3.4 सूचकांक को छह समूहों के लिए अलग से तैयार किया गया है और फिर प्रत्येक समूह को वरीयता प्रदान करके संयुक्त किया गया है। उच्चतम वरीयता 36.13 प्रतिशत खाद्य एवं पेय पदार्थ समूह को दी गई है, इसके बाद विविध वस्तुओं को 26.26 प्रतिशत, आवास 24.29 प्रतिशत, ईंधन और प्रकाश 7.05 प्रतिशत, वस्त्र और फुटवियर 5.43 प्रतिशत, और पान, सुपारी, तंबाकू तथा नशीले पदार्थों को 0.84 प्रतिशत वरीयता दी गई। दिल्ली में 2021, 2022 और 2023* के दौरान औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की जानकारी विवरण 6.2 में प्रस्तुत की गई है।
- 3.5 विवरण 6.2 से पता चलता है कि वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2022 में 125.7 पर था जो 2023 में बढ़कर 130.3 पर पहुंच गया, अर्थात् इसमें 4.6 अंकों की वृद्धि दर्ज हुई। दिल्ली में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बढ़ोत्तरी 2022 की तुलना में 2023 के दौरान 3.7 प्रतिशत दर्ज हुई।

- 3.6 खाद्य एवं पेय पदार्थ समूह का सूचकांक 2022 में 130.7 से बढ़कर 2023 में 136.7 हो गया, जिसमें 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पान, सुपारी, तंबाकू और नशीले पदार्थों का सूचकांक 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 138.7 से बढ़कर 143.9 हो गया, वस्त्र और फुटवियर समूह का सूचकांक 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 151.7 से बढ़कर 159.4 हो गया। आवास सूचकांक भी 2.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 120.4 से बढ़कर 123.0 हो गया है। ईंधन और प्रकाश का सूचकांक 2022 में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 117.1 से बढ़कर 121.4 हो गया। विविध समूह के अंतर्गत सूचकांक 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 120.1 से बढ़कर 124.3 अंक हो गया। इस प्रकार वर्ष 2023 में मुद्रास्फीति दर में सबसे अधिक वृद्धि वस्त्र और फुटवियर समूह में हुई है।

4. अन्य महानगरों में मूल्य स्थिति

- 4.1 देश में अधिकांश नागरिकों के लिए महंगाई एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। विकास का मतलब है हमारे बच्चों के लिए बेहतर जीवन। पिछले कुछ वर्षों में आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। “प्याज, आलू और गेहूं जैसी कुछ चीजों में मौसमी उतार-चढ़ाव, प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में खराब मौसम, परिवहन संबंधी अड़चनों, ढुलाई लागत में बढ़ोतरी और इन चीजों के भंडार में कमी की वजह से दामों में वृद्धि को छोड़कर, अधिकतर आवश्यक वस्तुओं के खुदरा दामों में भारत के सभी महानगरों में स्थिरता का रुझान देखा गया है। 2019 से 2023 के दौरान भारत के महानगरों में औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में जानकारी विवरण 6.3 में दी गयी है।

विवरण 6.3

भारत के महानगरों में 2019–2023 के दौरान औद्योगिक मजदूरों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(औसत वार्षिक सूचकांक)

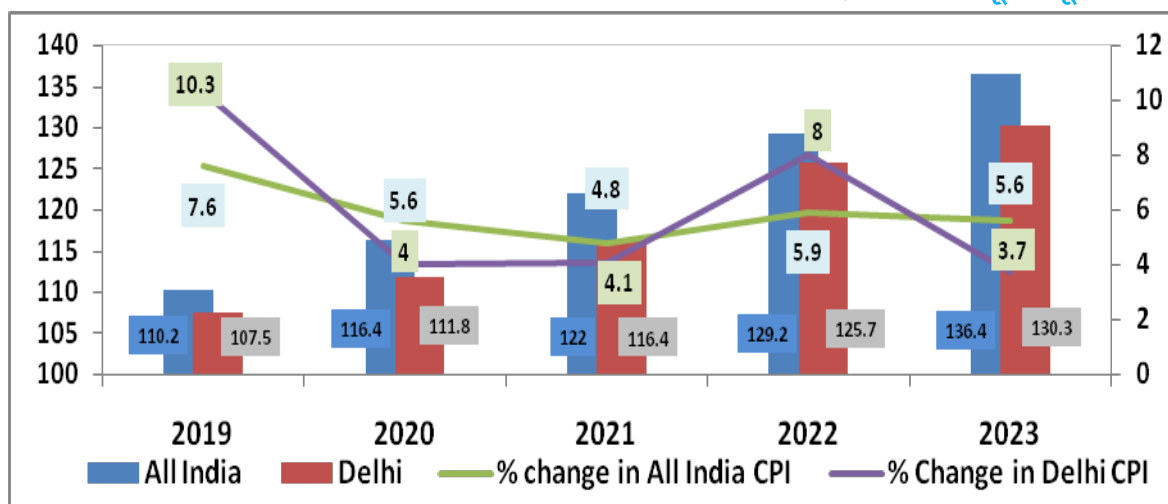
क्र सं	वर्ष	अखिल भारत	प्रतिशत परिवर्तन	दिल्ली	प्रतिशत परिवर्तन	कोलकाता	प्रतिशत परिवर्तन	चेन्नई	प्रतिशत परिवर्तन	मुंबई	प्रतिशत परिवर्तन
1.	2019	110.2	7.6	107.5	10.3	118.6	5.0	113.4	5.3	107.2	6.2
2.	2020	116.4	5.6	111.8	4.0	124.2	4.7	118.2	4.2	112.3	4.8
3.	2021	122.0	4.8	116.4	4.1	126.0	1.4	122.5	3.6	116.6	3.8
4.	2022	129.2	5.9	125.7	8.0	137.4	9.0	127.3	3.9	122.7	5.2
5.	2023	136.4	5.6	130.3	3.7	139.6	1.6	135.1	6.1	127.7	4.1

स्रोत : लेबर ब्यूरो चंडीगढ़

- 4.2 विवरण 6.3 में यह बात ध्यान देने की है कि वर्ष 2022 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) अखिल भारतीय स्तर पर 129.2 के स्तर पर रहा। सबसे उच्च सूचकांक कोलकाता के लिए 137.4 था जबकि उसके बाद क्रमशः चेन्नई के लिए 127.3, दिल्ली के लिए 125.7 और मुंबई के लिए 122.7 रहा। पूरे भारत में वर्ष 2023 के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या (सामान्य) 136.4 दर्ज की गई। कोलकाता के लिए, यह क्रमशः 139.6, उसके बाद चेन्नई 135.1, दिल्ली 130.3 और मुंबई 127.7 रहा। 2022 और 2023 के दौरान भारत में मेट्रो शहरों के औद्योगिक श्रमिकों के लिए समूह-वार मूल्य सूचकांक संबंधी जानकारी तालिका 6.2 में प्रस्तुत की गई है।
- 4.3 2019 से 2023 के दौरान दिल्ली और चुने हुए महानगरों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक चार्ट 6.2 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 6.2

2019-23 में दिल्ली और अन्य महानगरों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक



5. आधार वर्ष 2016 = 100 के साथ सीपीआई (आईडब्ल्यू) की नई शृंखला

- 5.1 विवरण 6.4 से देखा जा सकता है कि नए आधार वर्ष (2016=100) के अनुसार, वर्ष 2022-2023 के दौरान महानगरों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य), सबसे कम मुद्रास्फीति की दर चेन्नई में (4.5 प्रतिशत) रही, जबकि सबसे अधिक कोलकाता में (8.2 प्रतिशत) दर्ज हुई। इसके बाद अन्य मेट्रो शहरों में दिल्ली (7.9 प्रतिशत) और मुंबई (5.2 प्रतिशत) का स्थान है। वर्ष 2022-2023 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर मुद्रास्फीति की दर 6.1 प्रतिशत रही।

विवरण 6.4

अखिल भारतीय स्तर पर महानगरों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (वित्तीय वर्ष-वार)

(नया आधार वर्ष 2016 =100)

	2021-22	2022-23	प्रतिशत में
अखिल भारतीय	123.6	131.1	6.1
दिल्ली	118.3	127.6	7.9
मुम्बई	118.0	124.1	5.2
चेन्नई	123.5	129.0	4.5
कोलकाता	128.2	138.7	8.2

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2012=100 आधार पर जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधी आंकड़े।

- 5.2 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हर महीने 2012=100 के आधार पर सीपीआई (ग्रामीण, शहरी, संयुक्त) जारी कर रहा है। दिल्ली और अखिल भारत में सीपीआई (संयुक्त) पर आधारित मुद्रास्फीति दरों की महीनेवार तुलनात्मक स्थिति विवरण 6.5 (जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 के महीनों के लिए), विवरण 6.6 (जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 के महीनों के लिए), विवरण 6.7 (जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 के महीनों के लिए) और विवरण 6.8 (जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के महीनों के लिए) में दर्शायी गयी है।

विवरण 6.5

दिल्ली और अखिल भारत में सीपीआई (संयुक्त) पर आधारित महंगाई दर जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक (नए आधार वर्ष 2012 के साथ)

वर्ष	महीना	दिल्ली (प्रतिशत)	अखिल भारत (प्रतिशत)
2020	जनवरी	4.69	7.59
2020	फरवरी	3.46	6.58
2020	मार्च	2.88	5.84
2020	अप्रैल	*	7.22
2020	मई	*	6.27
2020	जून	1.69	6.23
2020	जुलाई	3.6	6.73
2020	अगस्त	3.58	6.69
2020	सितंबर	4.78	7.27
2020	अक्टूबर	3.85	7.61
2020	नवंबर	3.36	6.93
2020	दिसंबर	1.23	4.59
वार्षिक मुद्रास्फीति दर		3.31	6.63

* मुद्रास्फीति की दर की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि वर्ष 2020 के लिए कोविड महामारी के कारण एनएसओ द्वारा डेटा प्रदान नहीं किया गया है।

विवरण 6.6

दिल्ली और अखिल भारत में सीपीआई (संयुक्त) पर आधारित महंगाई दर जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक (नए आधार वर्ष 2012 के साथ)

वर्ष	महीना	दिल्ली (प्रतिशत)	अखिल भारत (प्रतिशत)
2021	जनवरी	1.83	4.06
2021	फरवरी	2.94	5.03
2021	मार्च	3.49	5.52
2021	अप्रैल	*	4.23
2021	मई	*	6.30
2021	जून	6.86	6.26
2021	जुलाई	5.28	5.59
2021	अगस्त	5.31	5.30
2021	सितंबर	4.89	4.35
2021	अक्टूबर	6.15	4.48
2021	नवंबर	7.04	4.91
2021	दिसंबर	6.55	5.66
वार्षिक मुद्रास्फीति दर		5.03	5.14

* मुद्रास्फीति की दर की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि वर्ष 2021 के लिए कोविड महामारी के कारण एनएसओ द्वारा डेटा प्रदान नहीं किया गया है।

विवरण 6.7

दिल्ली और अखिल भारत में सीपीआई (संयुक्त) पर आधारित महंगाई दर जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक (नए आधार वर्ष 2012 के साथ)

वर्ष	महीना	दिल्ली (प्रतिशत)	अखिल भारत (प्रतिशत)
2022	जनवरी	6.14	6.01
2022	फरवरी	5.70	6.07
2022	मार्च	5.75	6.95
2022	अप्रैल	6.58	7.79
2022	मई	5.57	7.04
2022	जून	5.06	7.01
2022	जुलाई	4.13	6.71
2022	अगस्त	4.16	7.00
2022	सितंबर	4.03	7.41
2022	अक्टूबर	2.99	6.77
2022	नवंबर	2.17	5.88
2022	दिसंबर	2.98	5.72
वार्षिक मुद्रास्फीति दर		4.61	6.70

विवरण 6.8

दिल्ली और अखिल भारत में सीपीआई (संयुक्त) पर आधारित महंगाई दर जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक (नए आधार वर्ष 2012 के साथ)

वर्ष	महीना	दिल्ली (प्रतिशत)	अखिल भारत (प्रतिशत)
2023	जनवरी	3.27	6.52
2023	फरवरी	3.64	6.44
2023	मार्च	3.44	5.66
2023	अप्रैल	2.22	4.70
2023	मई	1.53	4.31
2023	जून	1.98	4.87
2023	जुलाई	3.78	7.44
2023	अगस्त	3.09	6.83
2023	सितंबर	2.24	5.02
2023	अक्टूबर	2.48	4.87
2023	नवंबर	3.10	5.55
2023	दिसंबर*	2.95	5.69
वार्षिक मुद्रास्फीति दर		2.81	5.65

* अस्थायी

अध्याय एक नजर में

➤	औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) प्रमुख आर्थिक संकेतकों में से एक है, जो आधार वर्ष के संदर्भ में श्रमिक वर्ग के औसत परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के निश्चित समूह के संबंध में निर्दिष्ट क्षेत्र एवं समयावधि में खुदरा कीमतों में सापेक्ष परिवर्तन को मापता है।
➤	सीपीआई के संकलन के लिए अपनाई गई मूल्य की परिभाषा वह मूल्य है जो एक उपभोक्ता/औद्योगिक कार्यकर्ता को निर्दिष्ट इकाई के लिए निर्दिष्ट वस्तु/किस्म के लिए चयनित बाजार की चयनित दुकान में भुगतान करना पड़ता है। इसमें बिक्री कर आदि जैसे सभी कर शामिल हैं, और छूट और रियायतें शामिल नहीं हैं, जो सभी ग्राहकों के लिए सार्वभौमिक रूप से लागू हैं।
➤	थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) एकमात्र सामान्य सूचकांक है जो व्यापक रूप से कीमतों में उतार-चढ़ाव को पकड़ता है और सभी व्यापार और लेनदेन में वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव का संकेतक है। इसे आम तौर पर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर के संकेतक के रूप में समझा जाता है।
➤	सितंबर, 2020 के महीने से श्रम ब्यूरो ने सीपीआई-आईडब्ल्यू (2001=100) की पुरानी श्रृंखला के आधार को नए आधार वर्ष 2016=100 में अपडेट किया है।
➤	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) किसी समयावधि में निर्दिष्ट वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों में परिवर्तन का प्रतिबिंब है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) थोक स्तर पर वस्तुओं के सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है।

अध्याय 7

कृषि और ग्रामीण विकास

रा.रा.क्षे.दिल्ली में तीव्र शहरीकरण और व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र में बढ़ोतरी के कारण कृषि गतिविधियां लगातार कम हो रही हैं। ग्रामीण गांवों की संख्या भी कम हो रही है और यह संख्या 1981 में 214 से घटकर 2019 की अधिसूचना में 35 हो गई है।

- 1.1 दिल्ली के सकल राज्य संवर्द्धित मूल्य (जीएसवीए) के प्रतिशत संवितरण में 2011–12 के मूल्यों पर कृषि और अनुषंगी क्षेत्र के योगदान में कमी की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अधिक स्पष्ट करें, तो दिल्ली के सकल राज्य संवर्द्धित मूल्य (जीएसवीए) में कृषि क्षेत्र का योगदान 2011–12 के 0.94 प्रतिशत की तुलना में 2023–24 में घटकर 0.32 प्रतिशत रह गया।

2. जोतों का प्रकार

दिल्ली में कृषि जोत पद्धति और कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाए जा रहे क्षेत्र के बारे में जानकारी पिछली कृषि जनगणना 2015–16 के अनुसार उपलब्ध है। दिल्ली में कृषि गणना 2015–16 के अनुसार क्रियाशील कृषि जोतों की कुल संख्या में कृषि गणना 2010–11 की तुलना में 1.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्रियाशील कृषि जोत में 20.35 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि लघु आकार समूह के लिए है और 21.65 प्रतिशत की अधिकतम कमी मध्यम आकार समूह में है। 2015–16 की कृषि गणना के अनुसार, दिल्ली में कुल क्रियाशील भूमि में 2010–11 की तुलना में कुल क्रियाशील भूमि में 2.21 प्रतिशत की कमी नजर आती है। क्रियाशील कृषि जोत के क्षेत्र में 27.95 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि लघु आकार समूह के लिए है और 19.39 प्रतिशत की अधिकतम कमी मध्यम आकार समूह के लिए है।

3. दिल्ली में भूमि उपयोग का स्वरूप

कुल फसल क्षेत्र जो 2012–13 में 35178 हैक्टेयर था, वह 2023–24 में घट कर 33069 (अनुमानित) हैक्टेयर रह गया। दिल्ली के बाकी क्षेत्र अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे गैर-कृषि प्रयोजनों, जंगल, परती भूमि, जोती न जा सकने वाली भूमि आदि। दिल्ली में खेती के क्षेत्र में कमी का मुख्य कारण विशेषकर पिछले दो दशकों के दौरान तेजी से हो रहा शहरीकरण और रोजगार शैली में बदलाव है। इससे दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र के योगदान में कमी आयी है। दिल्ली में जमीन के उपयोग के स्वरूप के बारे में जानकारी तालिका 7.1 में दी गयी है।

4. फसल सघनता

- 4.1 फसल सघनता कृषि के विकास की सूचक है और इसका सीधा संबंध सिंचाई सुविधाओं से है। यह सकल फसल क्षेत्र और शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत अनुपात है जो किसी कृषि वर्ष के दौरान एक ही क्षेत्र से कई फसलें उगाने को संदर्भित करता है। यदि एक वर्ष में एक फसल उगाई गई है तो फसल तीव्रता का सूचकांक 100 है। सूचकांक जितना अधिक होगा, भूमि उपयोग की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। फसल सघनता का सुनिश्चित सिंचाई के साथ प्रत्यक्ष सह-संबंध है, जो किसानों को अधिक फसलें उगाने और उर्वरकों तथा अधिक पैदावार देने वाले (एचवाईवी) बीजों का

अधिक इस्तेमाल करने में सक्षम बनाती है। पिछले 12 वर्षों में दिल्ली में फसल सघनता के बारे में जानकारी विवरण 7.1 में दी गई है।

विवरण 7.1
2012-13 से 2023-24 के दौरान दिल्ली में फसल सघनता

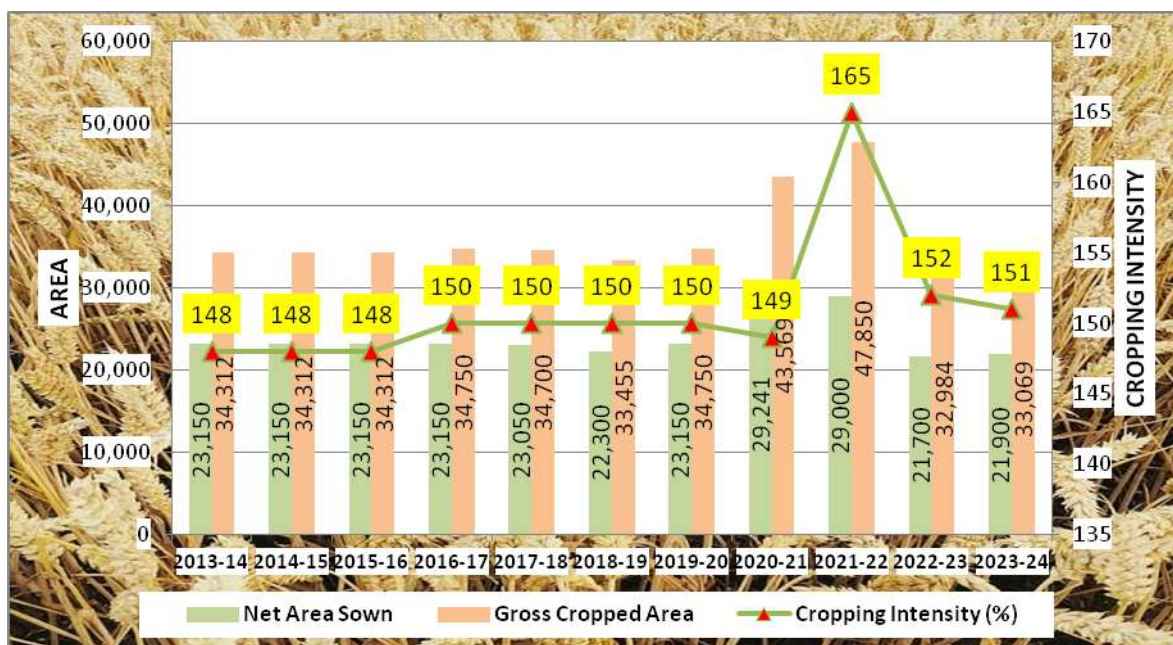
(हैक्टेयर में)

क्र. सं.	वर्ष	विशुद्ध बुआई क्षेत्र	सकल फसल क्षेत्र	फसल सघनता (प्रतिशत)
1.	2012-13	23,118	35,178	152
2.	2013-14	23,150	34,312	148
3.	2014-15	23,150	34,312	148
4.	2015-16	23,150	34,312	148
5.	2016-17	23,150	34,750	150
6.	2017-18	23,050	34,700	150
7.	2018-19	22,300	33,455	150
8.	2019-20	23,150	34,750	150
9.	2020-21	29,241	43,569	149
10.	2021-22	29,000	47,850	165
11.	2022-23	21,700	32,984	152
12.	2023-24	21,900	33,069	151

* (सब्जियों, फूलों की खेती को छोड़कर)

स्रोत : विकास विभाग, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार और दिल्ली सांख्यिकी पुस्तिका

चार्ट 7.1
दिल्ली में फसल सघनता



- 4.2 विवरण 7.1 से यह देखा जा सकता है कि फसल सघनता, वर्ष 2021-22 को छोड़कर, जिसमें यह 165 प्रतिशत थी, 150 प्रतिशत के आसपास स्थिर बनी हुई है।

5. फसल पद्धति

- 5.1 फसल पद्धति किसी जमीन पर बोई जाने वाली फसलों का क्रमिक संयोजन है। खरीफ में धान, ज्वार (चारा) तथा बाजरा और रबी में गेहूं तथा सरसों दिल्ली की प्रमुख फसलें हैं। सब्जियों की खेती पूरे वर्ष चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। 2022–23 के दौरान कुछ चुनी हुई फसलों का क्षेत्र, उत्पादन और उपज संबंधी जानकारी नीचे विवरण 7.2 में दी गई है।

विवरण 7.2

2022–23 में दिल्ली में फसलों का क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता

क्र.सं.	फसल	क्षेत्र (हेक्टेयर)	उत्पादन (मीट्रिक टन)	उत्पादकता (कि.ग्रा प्रति हेक्टेयर)
1.	गेहूं	17,350	80,678	4,650
2.	जौ	50	200	4,000
3.	बाजरा	1,430	4,648	3,250
4.	मक्का	5,622	25,861	4,600
5.	धान	3,000	2,850	950

स्रोत :1. विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

2. दिल्ली सांख्यिकी पुस्तिका, डीईएस, जीएनसीटीडी

- 5.2 विवरण 7.2 से यह देखा जा सकता है कि 2022–23 के दौरान दिल्ली में गेहूं उत्पादन की मुख्य खाद्य फसल थी।
- 5.3 वर्तमान में उच्च मूल्य-संवर्द्धित कृषि गतिविधियों की तुलना में पारम्परिक खेती से आमदनी बहुत कम है। इसीलिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार किसानों को सब्जियां, फूल और मशरूम आदि उगाने के लिए प्रेरित कर रही है।

6. किसान प्रशिक्षण

किसान प्रशिक्षण एवं शिक्षा केंद्र के कार्यक्रमों और फसल अवशेष प्रबंधन के तहत पराली प्रशिक्षण के अंतर्गत 2022–23 के दौरान आयोजित 41 प्रशिक्षण और प्रदर्शन शिविरों में 675 किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

7. बागवानी/फूलों की खेती

- 7.1 बागवानी फलों, सब्जियों, मसालों, मशरूम और फूलों के उत्पादन से संबंधित प्रमुख विविध गतिविधि है। बागवानी निदेशालय जागरूकता लाने के लिए योजनाएं चला रहा है और फूलों तथा सब्जियों की खेती, वर्मी-खाद, जैविक खेती आदि के बारे में आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन कर रहा है। 2022–23 में आयोजित 79 किसान गोष्ठियों में 1975 किसानों को बागवानी फूलों की खेती की नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। द्वारका, पटपड़गंज, हौजरानी, लिबासपुर, मसूदाबाद, चिल्ला और खड़-खड़ी नहर में नर्सरियां मुख्य रूप से सब्जियों के बीज तथा पौद, मशरूम उत्पादन, वर्मी कम्पोस्ट, सजावटी फूलों के पौधों, औषधीय पौधों आदि के विकास/उत्पादन से संबंधित हैं। दिल्ली में 2022–23 और 2023–24 (नवंबर, 2023 तक) उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है:-

विवरण 7.3

बागवानी/फूलों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र और पैदावार

क्र.सं.	मदों का ब्यौरा	2022-23		2023-24	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (नवम्बर 2023 तक)
1.	फूलों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर में)	6530	6054	6530	4292
2.	सब्जियों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर में)	23500	23757	23500	18882
3.	फलों/सब्जियों की पैदावार (मी.टन में)	370500	371941	370500	209716
4.	ग्राम सभा/सामुदायिक/सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण (संख्या)	1000	1060	-	-

स्रोत : बागवानी यूनिट, पर्यावरण विभाग रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

विवरण 7.4

बीजों, पौधों, पौध और वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन

क्र.सं	विवरण	2022-23		2023-24	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (नवम्बर 2023 तक)
1	सजावटी पौधे (संख्या में)	37000	32162	37000	20180
2	बलबस पौधों के बल्ब (संख्या में)	4000	6600	4000	-
3	फूलों की पौध (संख्या में)	300000	231550	300000	179200
4	फूलों के बीज (कि.ग्रा. में)	40	85800	40	20
5	सब्जियों की पौध (संख्या में)	600000	313046	600000	159220
6	सब्जियों के बीज (कि.ग्रा. में)	700	-	700	15
7	वर्मी कम्पोस्ट (कि.ग्रा. में)	40000	50380	400000	30525
8	औषधीय पौधे (संख्या में)	20000	11680	20000	13630

स्रोत : बागवानी इकाई, पर्यावरण विभाग, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार

- 7.2 दिल्ली में फसलों के क्षेत्र में निरंतर गिरावट के कारण, कम भूमि पर सब्जियों और हर्बल फसलों की खेती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हाइड्रोपोनिक्स की आधुनिक तकनीकों को लोकप्रिय बनाया जाएगा। इसी तरह, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन (एनबीएचएम-सीएसएस) को रा.रा.क्षे. दिल्ली में आरंभ करने की योजना है। माह दिसंबर-2022 में केवीके उजवा के माध्यम से मधुमक्खी पालन पर जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया।
- 7.3 किसानों की आय तथा रोजगार बढ़ाने और बड़े पैमाने पर लोगों की जरूरतें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, दिल्ली में फलों और सब्जियों के लिए 'एकीकृत आपूर्ति शृंखला निर्माण' परियोजना को, "एकीकृत विकास बागवानी मिशन" के साथ एकीकृत किया गया है, जो दिल्ली में पहले से ही संचालित है। इसका उद्देश्य बिचौलियों को हटाना और उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर तथा आसानी से सब्जियां और फल उपलब्ध कराना है।

8. मृदा परीक्षण और मृदा सुधार

रा.रा.क्षे.दिल्ली के किसानों के मृदा और जल नमूनों के परीक्षण के लिए सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। विवरण 7.5 में उल्लिखित लक्ष्यों के संदर्भ में 2022-23 और 2023-24 के दौरान (अक्टूबर, 2023 तक) हासिल गतिविधियाँ/मापदंड निम्न प्रकार हैं:

विवरण 7.5

मृदा जांच और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना

क्र.सं	गतिविधियाँ (संख्या में)	2022-23		2023-24	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (अक्टूबर 2023 तक)
1.	मृदा नमूनों की जांच	400	674	400	510
2.	जल नमूनों की जांच	45	30	45	58
3.	जारी किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्ड	400	615	400	1370

9. दिल्ली में सिंचाई

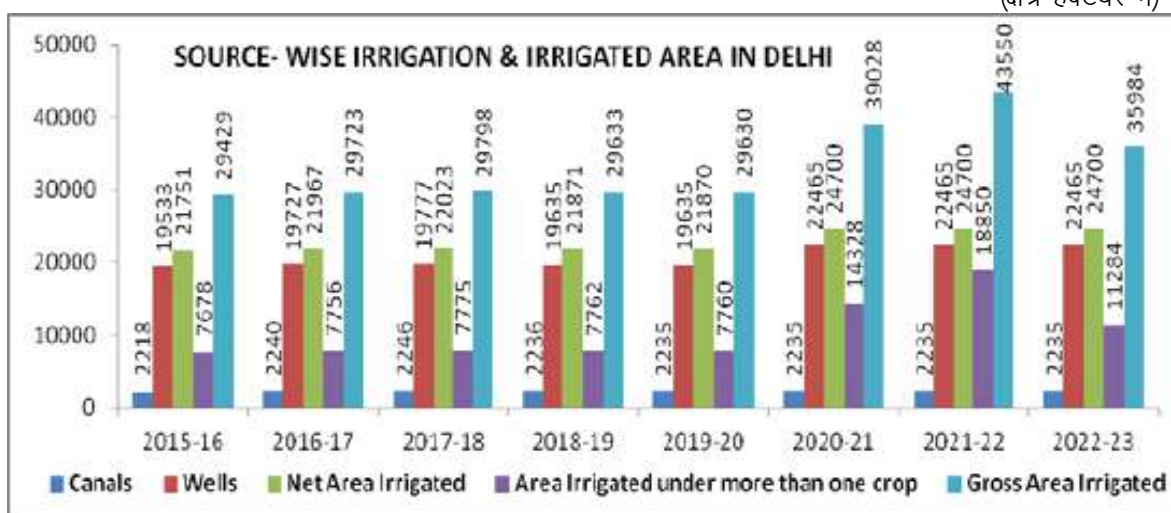
9.1 दिल्ली में सिंचाई मुख्य रूप से भूजल से और आंशिक रूप से सतही जल से होती है। भूजल से होने वाली सिंचाई उथले और गहरे सरकारी ट्यूबवैलों से होती है जबकि सतही जल से होने वाली सिंचाई कॉरोनेशन पिलर, ओखला और केशोपुर स्थित मौजूदा सीवेज उपचार संयंत्र में उपचारित पानी से होती है। पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली का पानी भी सिंचाई में इस्तेमाल किया जाता है।

9.2 दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में बड़ी तेजी से हो रहे शहरीकरण की वजह से सिंचाई के अंतर्गत खेती योग्य क्षेत्र दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। दिल्ली के मास्टर प्लान 2022 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी समूची दिल्ली के शहरीकरण का प्रस्ताव किया है। इसलिए भविष्य में सिंचाई क्षेत्र में किसी तरह की बढ़ोतरी संभव नहीं है। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में सिंचाई और सिंचित क्षेत्र का स्रोतवार विवरण तालिका 7.3 (परिशिष्ट) में दिया गया है :

चार्ट 7.2

दिल्ली में सिंचाई और सिंचित क्षेत्र का स्रोतवार विवरण

(क्षेत्र हैक्टेयर में)



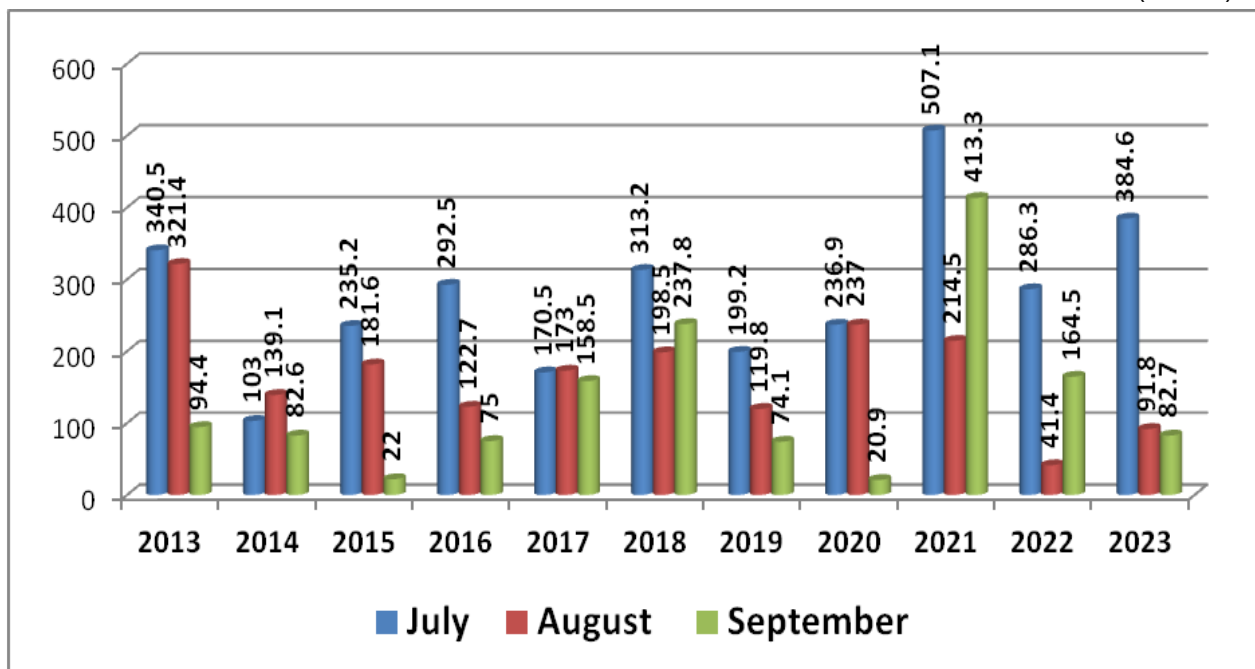
स्रोत: राजस्व और विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

दिल्ली सांख्यिकीय हैंडबुक, डीईएस, रा.रा.क्षे.दि.स.

- 9.3 वर्षा भी दिल्ली में सिंचाई के अन्य मुख्य स्रोतों में से एक है। आम तौर पर, दिल्ली में वर्षा तीन महीनों, अर्थात् जुलाई, अगस्त और सितंबर में संकेंद्रित होती है। दिल्ली में पिछले तेरह वर्षों के दौरान विशेष रूप से जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में वर्षा का विवरण तालिका 7.4 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 7.3
दिल्ली में वर्षा (जुलाई से सितम्बर)

(मि.मी में)



स्रोत: क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली और दिल्ली सांख्यिकीय हैंडबुक

- 9.4 उपरोक्त ग्राफ से देखा जा सकता है कि 2021 के दौरान दिल्ली में बारिश तीनों महीनों के दौरान सामान्य से अधिक थी। हालांकि, 2014 और 2019 में इन तीनों महीनों के दौरान वर्षा सामान्य से कम हुई थी।

10. पशुधन

- 10.1 कृषि क्षेत्र में पशुधन एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित करता है। पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें घरेलू पशुओं की देखभाल की जाती है जो मुख्य रूप से प्रोटीन स्रोत के लिए भोजन और खाद्य उत्पादों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तेजी से हो रहे शहरीकरण और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भोजन/चारा/चरागाह भूमि की सीमित उपलब्धता के कारण पशुपालन का दायरा लगातार कम होता जा रहा है। दिल्ली एक उपभोक्ता राज्य बन गया है जिसमें अन्य राज्यों से पशुधन और पशुधन उत्पादों की आपूर्ति की जा रही है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुधन की संख्या, 19वीं पशुधन गणना (2012) की 3,66,397 से घटकर 3,07,267 रह गई। वर्तमान में पशुपालन इकाई 78 पशु चिकित्सा अस्पतालों, औषधालयों और प्रयोगशाला के नेटवर्क के माध्यम से पशुधन और साथी जानवरों को पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है।

- 10.2 2012 और 2019 के दौरान दिल्ली में पशुधन की गणना के बारे में जानकारी विवरण 7.8 में प्रस्तुत की गई है।

विवरण 7.8

दिल्ली में पशुधन और इसका विकास : 2012 और 2019

क्र.स.	पशुधन	पशुधन गणना (संख्या)		वृद्धि (%) / गिरावट (%)	
		2012	2019	2012-2019 के दौरान	प्रति वर्ष
1.	गाय	86,433	1,24,638	44.2	6.31
2.	भैंस	1,62,142	1,57,675	-2.75	-0.39
3.	भेड़	932	2,003	115	16.42
4.	बकरियां	30,470	17,085	-44	-6.28
5.	अन्य	86,420	5,866	-93	-13.28
	कुल	3,66,397	3,07,267	-16.13	-2.30

- 10.3 विवरण 7.8 से अनुमान लगाया जा सकता है कि दिल्ली में पशुधन में नकारात्मक वृद्धि (-16.13 %) दर्ज हुई है। पशुधन की सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि 16.42 प्रतिशत, भेड़ों में दर्ज हुई। इसी प्रकार, गायों के मामले में 6.31 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर, अन्य मवेशियों में भी सर्वाधिक नकारात्मक वृद्धि -13.28 प्रतिशत वार्षिक दर्ज हुई, बकरियों में -6.28 प्रतिशत और भैंसों में -0.39 प्रतिशत नकारात्मक वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। पशुधन की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण कृषि और संबद्ध गतिविधियों में गिरावट और दिल्ली में तेजी से शहरीकरण को माना जा सकता है।

11. पशु चिकित्सा सुविधाएं

- 11.1 दिल्ली में पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए 48 सरकारी पशु चिकित्सालय, 29 पशु औषधालय, 1 प्रयोगशाला, 1 किसान सूचना केंद्र और 2 चल क्लिनिक हैं। मुख्य उद्देश्य संक्रामक/संपर्गज रोगों को नियंत्रित करना है जैसे हेमोरहाजिक सेप्टीसीमिया (गलघोटू) और मुंह तथा खुरपका, रेबीज आदि। पशुपालकों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। पालम स्थित रोग निदान प्रयोगशाला में पशु रोग निदान सुविधा उपलब्ध है। नमूनों की जांच निःशुल्क की जाती है। सरकारी पशु चिकित्सालय/औषधालय में उपचारित पशुओं की संख्या वर्ष 2011-12 की 4,15,986 से बढ़कर वर्ष 2022-23 के दौरान 5,49,198 हो गई जबकि सितंबर 2023 तक 2,87,792 पशुओं का उपचार किया गया। दिल्ली में प्रदान की जा रही पशु चिकित्सा सेवाओं की जानकारी विवरण 7.9 और 7.10 में प्रस्तुत की गई है।

विवरण-7.9
दिल्ली में 2011-12 से 2023-24 के दौरान पशुचिकित्सा सेवाएं

क्र.सं.	वर्ष	पशुचिकित्सा केन्द्र (संख्या)				उपचारित पशु
		अस्पताल (एक पशुचिकित्सा पोली क्लिनिक सहित)	औषधालय	निजी क्लीनिक	प्रयोगशाला अनुसंधान केन्द्र	
1.	2011-12	46	28	250	2	415986
2.	2012-13	47	28	250	1	391152
3.	2013-14	47	28	---	-	378359
4.	2014-15	47	28	---	-	367518
5.	2015-16	47	28	---	2	412363
6.	2016-17	47	28	---	2	438504
7.	2017-18	49	26	---	2*	469474
8.	2018-19	49	26	---	2*	460769
9.	2019-20	48	29	---	2*	582242
10.	2020-21	48	29	---	2*	511562
11.	2021-22	48	29	---	2*	510999
12.	2022-23	48	29	---	2*	549198
13.	2023-24	48	29	---	2*	2,87,792 (सितंबर 2022 तक)

*1 प्रयोगशाला और 1 किसान सूचना केंद्र
स्रोत : विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार

- 11.2 सुदूर क्षेत्रों में पशुओं के उपचार की सुविधा के लिए दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम जिले में दो (02) मोबाइल पशु चिकित्सा क्लीनिक कार्यरत हैं। विभाग द्वारा पशु चिकित्सालय तीस हजारी में एक 24x7 आपातकालीन सेवाएं तथा वीएच गाजीपुर और वीएच पालम में पूर्वाह्न प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक दो सेवाएं संचालित की जा रही हैं।

विवरण-7.10
भौतिक उपलब्धियां 2022-23 और 2023-24 के दौरान

क्र.सं.	गतिविधि	लक्ष्य 2022-23	उपलब्धि 2022-23	लक्ष्य 2023-24	उपलब्धि 2023-24 (सितम्बर 2023 तक)
1.	बीमार पशुओं का उपचार (लाख में)	6.00	5.49	6.00	2.88
2.	हैमरेजिक सेप्टिसीमिया और एफएमडी रोग से बचाव के टीके	एचएस-1.3 लाख (1 बार)	80,380	एचएस-1.53 लाख (1 बार)	6,610
		एफएमडी-2.5 लाख (2 बार चालू छह महीने का अंतराल)	2,744	एफएमडी-2.5 लाख (छह महीने के अंतराल पर दो बार)	1,07,841
		ब्रुसेल्लोसिस-0.10 लाख	6,156		5,118
3.	एंटी रेबीज़ टीके	1 लाख	70,453	1 लाख	34,206
	डीएलएचपीपीआई टीके	लागू नहीं	21364	लागू नहीं	11,177
4.	गो-सदनों में रखे गए पशु	22000	16,650	22000	18,031
5.	बांझपन उपचार के मामले	25000	13,692	25,000	7,557
6.	प्रयोगशाला में जांच के मामले	-	1,915	5,000	1,291

स्रोत : पशु चिकित्सा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार

12. स्वायत्त/सहायता अनुदान संस्थान

12.1 दिल्ली पशु कल्याण बोर्ड (डीएडब्ल्यूबी)

डीएडब्ल्यूबी एसपीसीए के 11 जिलों के लिए पर्यवेक्षी निकाय है, यह उन्हें पूंजीगत कार्यों (जिला एसपीसीए कार्यालय भवनों और अस्पतालों का निर्माण) के लिए वित्त सहित वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। डीएडब्ल्यूबी पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पालतू जानवरों की दुकानों और कुत्ते के प्रजनन और विपणन केंद्रों के पंजीकरण के लिए भी जिम्मेदार है। इसके अलावा, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई)/डीएडब्ल्यूबी द्वारा मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं/पशु कल्याण संगठनों को वित्तीय सहायता बढ़ाने का भी प्रावधान है जो वास्तविक और व्यावहारिक रूप से पशु कल्याण गतिविधियों में शामिल हैं।

12.2 जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए दिल्ली सोसायटी (एसपीसीए)

एसपीसीए, जानवरों के प्रति क्रूरता अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को लागू कर रहा है। तीस हजारी में डीएसपीसीए के तहत अस्पताल, जानवरों को आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। डीएसपीसीए पीसीए अधिनियम, 1960 के तहत जब्त संपत्ति वाले जानवरों को भी रखता है। यह जानवरों के प्रति प्रेम और करुणा के लिए जनता में जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। 2022–23 के दौरान 12419 पशु मुक्त कराए गए, 122 वाहन जब्त किए गए और 10,72,060 रुपये जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, पीसीए अधिनियम, 1960 के तहत सितंबर 2023 तक 2,389 पशुओं को बचाया गया, 48 वाहनों को जब्त किया गया और 2,95,200 रुपये एकत्र किए गए।

12.3 गौशाला/गौसदन

दिल्ली कृषि मवेशी संरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 10 के अनुसरण में, वर्ष 1995 में 05 गौशालाओं/गौसदनों की स्थापना की गई। वर्तमान में, चार गौसदन (1) श्री कृष्ण गौसदन, सुल्तानपुर डबास (2) गोपाल गौसदन, हरेवली (3) डाबर हरे कृष्णा गौसदन, सुरहेड़ा (4) मानव गौसदन, रेवला खानपुर काम कर रहे हैं और लगभग 18031 गायों और उनकी संतानों की देखभाल की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की गौशालाओं/गौसदनों में मवेशियों के स्वास्थ्य के रखरखाव और पशुओं के उचित भोजन, पानी, आश्रय आदि के उद्देश्य से गैर सरकारी संगठनों को प्रति दिन प्रति मवेशी 20/- रुपये की दर से सहायता अनुदान का भुगतान किया जाता है।

13 मछली पालन

13.1 मात्स्यिकी इकाई का कार्य पंजाब मत्स्य उद्योग अधिनियम, 1914 और भारतीय मत्स्य उद्योग अधिनियम, 1897 के प्रावधानों के तहत मछली पकड़ने संबंधी गतिविधियों का नियमन करना तथा इसके विनाशकारी तौर-तरीकों और अंधाधुंध मछली पकड़ने पर रोक लगाना है। मछली के बीज और मछलियों के उत्पादन के बारे में वर्षवार जानकारी विवरण 7.11 में दी गयी है।

विवरण 7.11

दिल्ली में 2011-12 से 2022-23 तक मत्स्य-बीज और मछली उत्पादन

क्र.स.	वर्ष	मत्स्य-बीज उत्पादन (लाख)	मछली उत्पादन (टन)
1.	2011-12	13.00	740
2.	2012-13	15.25	690
3.	2013-14	18.25	680
4.	2014-15	16.20	675
5.	2015-16	16.20	710
6.	2016-17	16.15	740
7.	2017-18	20.00	801
8.	2018-19	2.02	785
9.	2019-20	15.00	860
10.	2020-21	--	758
11.	2021-22	--	725
12.	2022-23	--	339

स्रोत : विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार

- 13.2 तेजी से शहरीकरण के कारण दिल्ली में मत्स्य गतिविधियों में तेजी से कमी आई है। बायो-प्लॉक कल्चर, री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, (आरएएस), सजावटी मछली प्रजनन/खेती और पैदावार-परवर्ती कार्यों के बुनियादी ढांचे के विकास आदि के लिए उच्च तकनीक वाली मत्स्य गतिविधियों की पर्याप्त गुंजाइश है। इन गतिविधियों से किसानों की आय में काफी वृद्धि होगी। इससे दिल्ली में स्थानीय युवाओं, मछुआरों, अजा/अजजा समुदायों और उद्यमियों के लिए रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। तदनुसार, विभाग तालाब बायो-प्लॉक (04) की लाभार्थी उन्मुख परियोजनाओं को लागू कर रहा है। बायो-प्लॉक कल्चर सिस्टम 25 टैंक (01) और री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, (आरएएस) (01), समूह दुर्घटना बीमा योजना (जीएआईएस) के तहत चालू वर्ष 2023-24 में 382 मछुआरों का 5 लाख रुपये का बीमा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) द्वारा किया गया है। सितंबर, 2023 तक 29 लाभार्थी विभिन्न चरणों में विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं।

14. ग्रामीण विकास

जनगणना 2011 के अनुसार, दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 वर्ग किमी था, जिसमें से दिल्ली का ग्रामीण क्षेत्र 369.35 वर्ग कि.मी. (24.91प्रतिशत) है। दिल्ली की 2.5 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में रह रही थी। कोई भी अर्थव्यवस्था जैसे-जैसे प्रगतिशील अवस्था की ओर बढ़ती है, ग्रामीण क्षेत्र स्वतः ही शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं, फलस्वरूप गांवों की संख्या और ग्रामीण आबादी कम हो जाती है। दिल्ली में गांवों की संख्या 1951 में 304 से घटकर 2011 में 112 हो गई। पिछले सात दशकों के दौरान गांवों, ग्रामीण आबादी के बारे में जानकारी विवरण 7.12 में प्रस्तुत की गई है।

विवरण 7.12

दिल्ली की ग्रामीण आबादी 1951-2011

क्र.स.	वर्ष	गांव (संख्या)	जनसंख्या		
			ग्रामीण	कुल	कुल जनसंख्या में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत
1	1951	304	3,06,938	17,44,072	17.60
2	1961	276	2,99,204	26,58,612	11.25
3	1971	243	4,18,675	40,65,698	10.30
4	1981	214	4,52,206	62,20,406	7.27
5	1991	199	9,49,019	94,20,644	10.07
6	2001	165	9,44,727	138,50,507	6.82
7	2011	112	4,19,042	167,87,941	2.50

स्रोत : दिल्ली सांख्यिकीय हैंडबुक, डीईएस, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार

15. दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड

- 15.1** कैबिनेट निर्णय संख्या 2520 दिनांक 13.11.2017 के अनुसार दिनांक 20.12.2017 के आदेश द्वारा दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड (डीआरडीबी) के स्थान पर 'दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड (डीवीडीबी)' का गठन किया गया।
- 15.2** दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड दिल्ली के सभी ग्रामीण और शहरी गांवों में बुनियादी ढांचा विकास के बारे में वहां के निवासियों के अनुरोध पर निर्वाचित प्रतिनिधियों (संसद सदस्यों/विधायकों) के साथ विचार करता है। यह परियोजनाओं की प्राथमिकताओं के बारे में अनुशंसा करता है और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। बोर्ड के कार्यों में निम्नांकित शामिल हैं।
- (क) दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा ढांचागत खामियों का अध्ययन करना।
- (ख) परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर विचार करना और प्राथमिकता निर्धारित करते हुए तत्संबंधी अनुशंसा करना।
- (ग) कार्यों के स्वरूप और यदि कोई अतिव्यापकता हो तो उसकी जांच करना, ताकि सेवाओं के प्रावधान में सुधार लाया जा सके और जनशिकायतों का निबटारा शीघ्र हो सके।
- (घ) समय-समय पर परियोजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और ऐसी परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन के मामले में सरकार के संगठनों और विभागों के बीच प्रभावी समन्वय के लिए उपायों की सिफारिश करना।
- (ङ) डीवीडीबी द्वारा रा.रा.क्षे. दिल्ली के ग्रामीण और शहरी गांवों में लाल डोरा क्षेत्रों के अंतर्गत सिजरा सड़कों तथा सरकारी भूमि पर सार्वजनिक सेवाओं के बारे में निम्नांकित प्रकार के कार्यों की अनुशंसा की जाएगी, परंतु, किसी भी तरह की अनधिकृत कालोनियों और डीयूएसआईबी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली पुनर्वास कालोनियों तथा झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों के बारे में बोर्ड अनुशंसा नहीं करेगा :
- एप्रोच सड़कों/संपर्क सड़कों/ग्रामीण सड़कों का निर्माण।
 - निकासी सुविधाओं का निर्माण।
 - शमशान भूमि, पार्क, खेल के मैदान, व्यायामशाला, ग्राम पुस्तकालय आदि का विकास।
 - तालाबों और जल निकायों का विकास।
 - चौपालों, बारातघरों, सामुदायिक केंद्रों का निर्माण/मरम्मत/रख-रखाव।
 - पेयजल सुविधा, गलियों में प्रकाश आदि जरूरतों के अनुरूप अन्य कार्य।

15.3 कार्य भूमिधरिसंपत्ति स्वामित्व वाली एजेंसी द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। कार्य उस निष्पादन एजेंसी द्वारा किया जाएगा जिसने इसे पहले किया था या किसी अन्य एजेंसी द्वारा भूमिधरिसंपत्ति स्वामित्व वाली एजेंसीपिछली कार्यकारी एजेंसी, जैसा भी मामला हो, से एनओसी प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा।

15.4 अब तक डीवीडीबी की नौ बैठकें हो चुकी हैं और बोर्ड द्वारा अनुमोदित माननीय सांसदोंविधायकों के परियोजना प्रस्तावों का विवरण इस प्रकार है

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	29.12.2017	104	120.26
2.	19.01.2018	349	434.17
3.	12.02.2018	380	309.72
4.	13.04.2018	132	126.71
5.	23.05.2018	104	143.59
6.	23.08.2018	278	211.58
7.	14.12.2018	127	174.97
8.	11.01.2019	95	105.31
9.	09.10.2019	--	--
10.	28.06.2021	--	--
11.	21.12.2021	644	793.30
12.	07.07.2022	49	70.74
13.	25.01.2023	273	392.84
14.	25.05.2023	242	443.58
15.	28.08.2023	284	245.13
	कुल	3,061	3,571.90

स्रोत: विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

15.5 वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए, आईडीआरयूवी योजना के लिए आरडी यूनिट को 127 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया था। प्रमुख शीर्ष 4515 के तहत और प्रमुख शीर्ष 2515 के तहत, आरडी यूनिट ने 2023–24 (31.10.2023 तक) के दौरान 412.92 करोड़ रुपये की राशि की 364 परियोजनाओं/योजनाओं को मंजूरी दी। 2023–24 (31.10.2023 तक) में निष्पादन एजेंसियों को 355 परियोजनाओं के लिए कुल 103.28 करोड़ रुपये की राशि और पिछले वर्ष की परियोजना के लिए 16 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया।

16. ग्राम विकास समितियां (वीडीसी)

गांवों में उपलब्ध सुविधाओं, अपेक्षित सुविधाओं का मूल्यांकन करने के लिए आधार सर्वेक्षण करने में डीवीडीबी की सहायता करने और समग्र विकास की आवश्यकता वाले ग्रामीण/शहरी गांवों में प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान करने के लिए, डीवीडीबी द्वारा दिल्ली के प्रत्येक ग्रामीण और शहरी गांव के लिए ग्राम विकास समितियों (वीडीसीज़) का गठन कर सकता है। माननीय विधायकों की विधिवत अनुशंसा पर डीवीडीबी के अनुमोदन के बाद ग्राम विकास इकाई द्वारा अभी तक 349 समितियों के गठन के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं।

अध्याय एक नज़र में

➤	दिल्ली के जीएसवीए में प्रचलित मूल्यों पर कृषि क्षेत्र का प्रतिशत योगदान 2011-12 के 0.94 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 0.32 प्रतिशत रह गया।
➤	दिल्ली में कुल सकल फसल क्षेत्र 2023-24 में घटकर 33069 (अनुमानित) हेक्टेयर रह गया जो 2012-13 के दौरान 35178 हेक्टेयर था। दिल्ली के शेष क्षेत्रों का उपयोग विभिन्न अन्य उपयोगों जैसे गैर-कृषि उद्देश्यों, जंगल, परती भूमि, बंजर भूमि आदि के लिए किया जा रहा है।
➤	किसान प्रशिक्षण एवं शिक्षा केंद्र के प्रोग्रामर्स और फसल अवशेष प्रबंधन के तहत पराली प्रशिक्षण के तहत, 2022-23 के दौरान आयोजित 41 प्रशिक्षण और प्रदर्शन शिविरों में 675 किसानों ने प्रशिक्षण प्रदान किया।
➤	2022-23 में आयोजित 79 किसान गोष्ठियों में 1975 किसानों को बागवानी/फूलों की खेती की नवीनतम तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया गया।
➤	दिल्ली में गांवों की संख्या 1951 में 304 से घटकर 2011 में 112 रह गई।

पर्यावरणीय सरोकार

दिल्ली अपनी लगतार बढ़ती आबादी की तुलना में सीमित संसाधनों के साथ उत्तर भारत का एक भूमिबद्ध शहर है। दिल्ली का तेज शहरीकरण और इसके आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां पर्यावरण समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। पर्यावरणीय समस्याओं में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जैव विविधता में लगातार आ रही कमी और ध्वनि प्रदूषण प्रमुख चुनौतियां हैं। इनके अलावा दिल्ली में पर्यावरण के प्रति अन्य गंभीर चुनौतियों में जोखिमपूर्ण कचरा, बायोमेडिकल कचरा, निर्माण, विध्वंस और इलेक्ट्रॉनिक कचरा शामिल है।

- 1.1 दिल्ली में वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी सड़कों के निर्माण की तुलना में अधिक तेजी से हो रही है। बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियों के अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और पड़ोसी राज्यों में सर्दियों के दौरान कृषि अवशेष (पराली) जलाये जाने से वायु प्रदूषण की समस्या और भी बढ़ जाती है। यह भी देखा गया है कि दिल्ली के पर्यावरण पर विभिन्न मौसम— संबंधी घटनाओं का भी अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गर्मियों में, राजस्थान से आने वाली धूल भरी आंधी से वायु की गुणवत्ता पर और भी दुष्प्रभाव पड़ता है।
- 1.2 सरकार ने पर्यावरण की स्थिति में सुधार के लिए हाल में अनेक उपाय किए हैं, जिनमें वृक्षारोपण पर व्यापक ध्यान केंद्रित करना, निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग-गन लगाना, पराली प्रबंधन के लिए आईएआरआई पूसा द्वारा विकसित बायो-डीकम्पोजर को बढ़ावा देना, ताप बिजली संयंत्रों को बंद करना, मैकेनिकल रोड स्वीपर्स (एमआरएस) और जल छिड़काव उपकरण (डब्ल्यूएस) लगाना, इलेक्ट्रिक वाहन नीति का कार्यान्वयन, एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध, ठोस कचरे का बेहतर प्रबंधन, अवजल उपचार, कचरा/सूखी पत्तियां खुले में जलाने पर रोक लगाना और सीवेज प्रणाली में सुधार, कड़े औद्योगिक उत्सर्जन मानदंड लागू करना शामिल हैं।
- 1.3 दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक नए मंच की शुरुआत की है, जिस पर ग्रीन वार रूम, जिसे ग्रीन दिल्ली ऐप कहा जाता है, के जरिए निगरानी रखी जाती है। यह ऐप उपयोगकर्ता के अनुरूप है, जहां दिल्ली के 28 सरकारी विभागों/एजेंसियों को एक मंच पर लाया गया है। इसका इस्तेमाल एंड्रायड और आईओएस मोबाइल फोन रखने वाले, दोनों ही उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है।
- 1.4 वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए विभागों के समन्वित प्रयासों से दिल्ली में 'अच्छे दिनों' (उत्तम/संतोषजनक/मध्यम दिन मिलाकर) की संख्या 2018 के 158 से बढ़कर जनवरी से दिसंबर 2023 के दौरान 206 हो गई है।
- 1.5 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा किए गए उपायों से 1997 के बाद से वन और वन क्षेत्र में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। 2021 में यह क्षेत्र बढ़कर 342 वर्ग किलोमीटर हो गया, जिसमें वन क्षेत्र की हिस्सेदारी शहर के कुल क्षेत्रफल में 23.06 प्रतिशत हो गई। राज्यों के बीच कुल भौगोलिक क्षेत्र के

प्रतिशत हिस्से के रूप में सर्वाधिक वृक्षाच्छादन (9.91 प्रतिशत) की दृष्टि से दिल्ली दूसरे स्थान पर है। 13.16 प्रतिशत के साथ पहला स्थान चंडीगढ़ का है।

2. परिवेशी वायु गुणवत्ता

- 2.1 वायु प्रदूषण के संदर्भ में दिल्ली का शहरी पर्यावरण अत्यंत जटिल है और उसे पीएम₁₀, पीएम_{2.5} और नाइट्रोजन आक्साइड (एनओ₂) के गंभीर वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में 2015 से 2023 (दिसंबर तक) के दौरान वर्षवार वार्षिक औसत परिवेशी वायु गुणवत्ता स्तरों की जानकारी नीचे विवरण 8.1 में दर्शायी गई है।

विवरण 8.1

दिल्ली में परिवेशी वायु गुणवत्ता स्तर : 2015–23

विभिन्न प्रदूषकों का दि.प्र.नि.स. के सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों (सीएएक्यूएमएस) से वर्षवार औसत 2015–2023								
वर्ष	PM ₁₀ (ug/m ³)	PM _{2.5} (ug/m ³)	SO ₂ (ug/m ³)	NO ₂ (ug/m ³)	O ₃ (ug/m ³)	NH ₃ (ug/m ³)	CO (mg/m ³)	C ₆ H ₆ (ug/m ³)
मानक	60 (ug/m ³)	40 (ug/m ³)	50 (ug/m ³)	40 (ug/m ³)	100** (ug/m ³)	100 (ug/m ³)	2** (mg/m ³)	5 (ug/m ³)
2015	295	133	17.54	71.96	45.11	43.97	1.51	4.41
2016	303	137	20.52	71.63	39.78	43.16	1.84	6.28
2017	277	130	23.28	74.01	43.60	37.99	2.07	5.20
2018	277	128	18.61	50.00	38.57	40.00	1.52	3.10
2019	230	112	14.76	48.18	34.69	37.80	1.44	4.25
2020	187	101	13.54	40.30	35.74	36.17	1.27	3.34
2021	221	113	12.79	42.31	32.57	40.65	1.34	2.91
2022	223	103	10.51	41.83	32.05	43.41	1.29	2.18
2023***	219	106	7.69	35.43	26.31	43.55	1.26	1.38

* 2015 से 2017 तक शहर की औसत की गणना चार केंद्रों के लिए और 2018–2023 से 24 केंद्रों के लिए की गई।

** 8 घंटे के लिए और एक घंटे के लिए ओ₃ 180 (ug/m³) और सीओ 4 (mg/m³) है।

*** 2023 (दिसंबर तक)

स्रोत: दिप्रनिस

- 2.2 **प्रदूषण की माप के लिए पार्टिकुलेट मैटर :** प्रदूषण की माप का एक तरीका पार्टिकुलेट मैटर की माप करना है। पार्टिकुलेट मैटर बुनियादी तौर पर अत्यंत सूक्ष्म कणों और अम्ल, रसायन, गैस, पानी, धातु, धूल-कण, जैसे तरल सूक्ष्म बूंदों का मिश्रण होता है। इनके मापन से शहर के प्रदूषण का अंदाजा मिलता है। इसे हम पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम कहते हैं।
- 2.3 **पार्टिकुलेट मैटर (पीएम₁₀) :** सभी निगरानी स्थलों पर वार्षिक औसत निर्धारित मानक 60 माइक्रोग्राम घनमीटर से अधिक हो गया है।

- 2.4 **पर्टिकुलेट मैटर (पीएम_{2.5})** : सभी निगरानी स्थलों पर वार्षिक शहर औसत निर्धारित मानक 40 माइक्रोग्राम घनमीटर से अधिक हो गया है।
- 2.5 **सल्फर डाइ ऑक्साइड (एसओ₂)** : सभी निगरानी स्थलों का वार्षिक औसत निर्धारित स्तर 50 माइक्रोग्राम घनमीटर के भीतर दर्ज हुई।
- 2.6 **नाइट्रोजन डाईआक्साइड (एनओ₂)** : कुछ निगरानी केंद्रों पर वार्षिक औसत 40 माइक्रोग्राम/घन मीटर के निर्धारित मानदंड से बढ़ गया।
- 2.7 **कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ)** : सभी निगरानी केंद्रों पर इसकी वार्षिक शहर औसत निर्धारित मानदंड अर्थात् 2 माइक्रोग्राम/घनमीटर के भीतर रहा।
- 2.8 **ओज़ोन (ओ₃)** : सभी निगरानी केंद्रों में वार्षिक शहर औसत निर्धारित मानदंड अर्थात् 100 माइक्रोग्राम/घनमीटर (8 घंटे के लिए) के भीतर रहा।
- 2.9 **दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति** ने 24 स्थलों पर 24 ऑनलाइन सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों के जरिए वायु की गुणवत्ता पर निगरानी रखी, जिसकी जानकारी विवरण 8.2 में दी गई है।

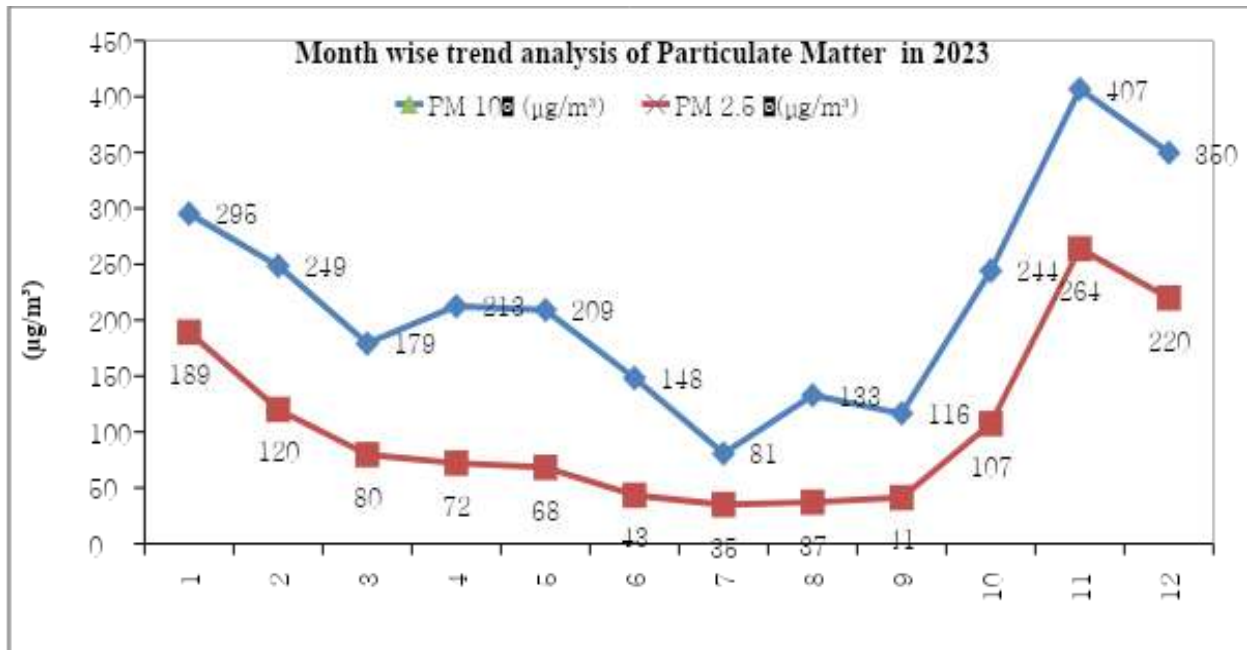
विवरण 8.2

दिल्ली में स्थापित सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र (सीएएक्यूएमएस)

क्र.सं.	सीएएक्यूएमएस का नाम	क्र सं	सीएएक्यूएमएस का नाम
1	मेजर ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम	13	पूठ खुर्द बवाना
2	जवाहरलाल नेहरू नेशनल स्टेडियम	14	अलीपुर
3	डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज	15	श्री अरविंदो मार्ग
4	नेहरू नगर	16	जहांगीरपुरी
5	पटपड़गंज	17	पूसा
6	अशोक विहार	18	द्वारका
7	मुडका	19	वजीरपुर
8	रोहिणी	20	शाहदरा
9	नरेला	21	आनन्द विहार
10	सोनिया विहार	22	मंदिर मार्ग
11	ओखला	23	पंजाबी बाग
12	नजफगढ़	24	आर के पुरम

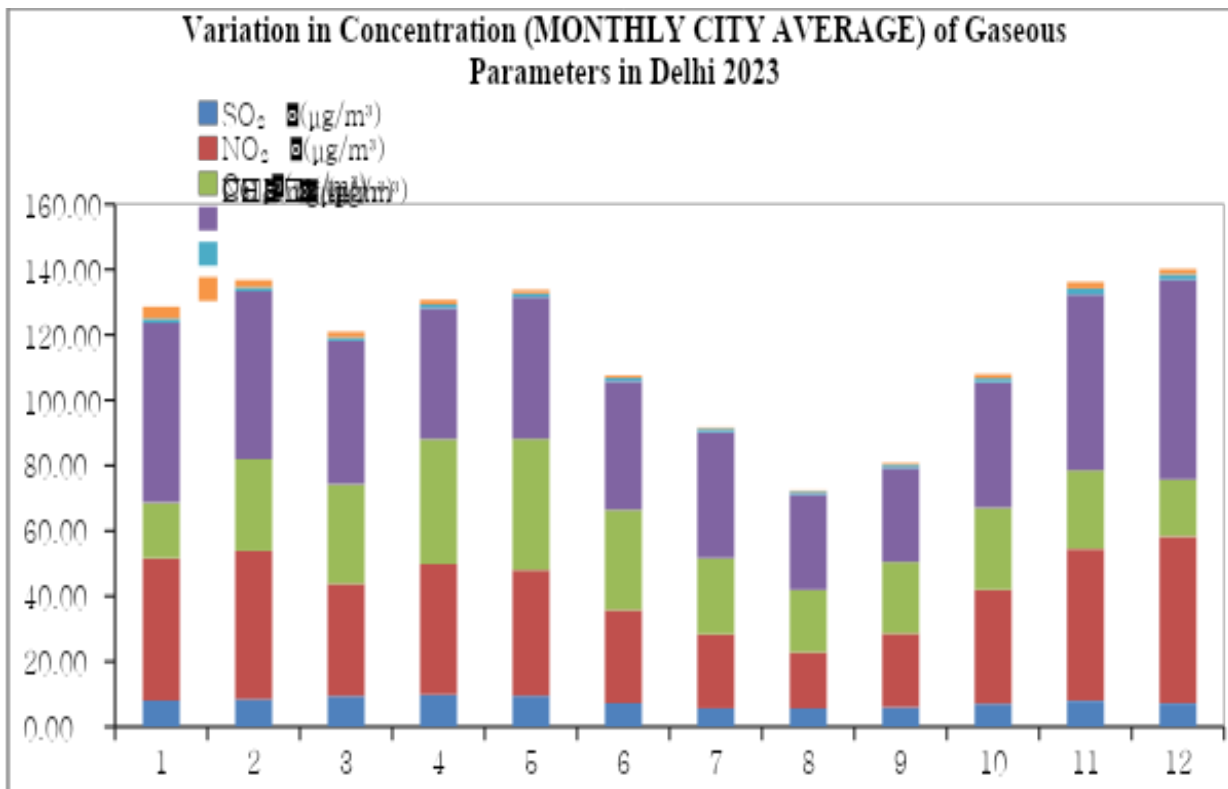
वास्तविक समय वायु गुणवत्ता निगरानी आंकड़े दिप्रनिस की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।

चार्ट 8.1
दिल्ली में बड़े प्रदूषकों का मासिक शहर औसत-2023



स्रोत: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (दि.प्र.नि.स.)

चार्ट 8.2



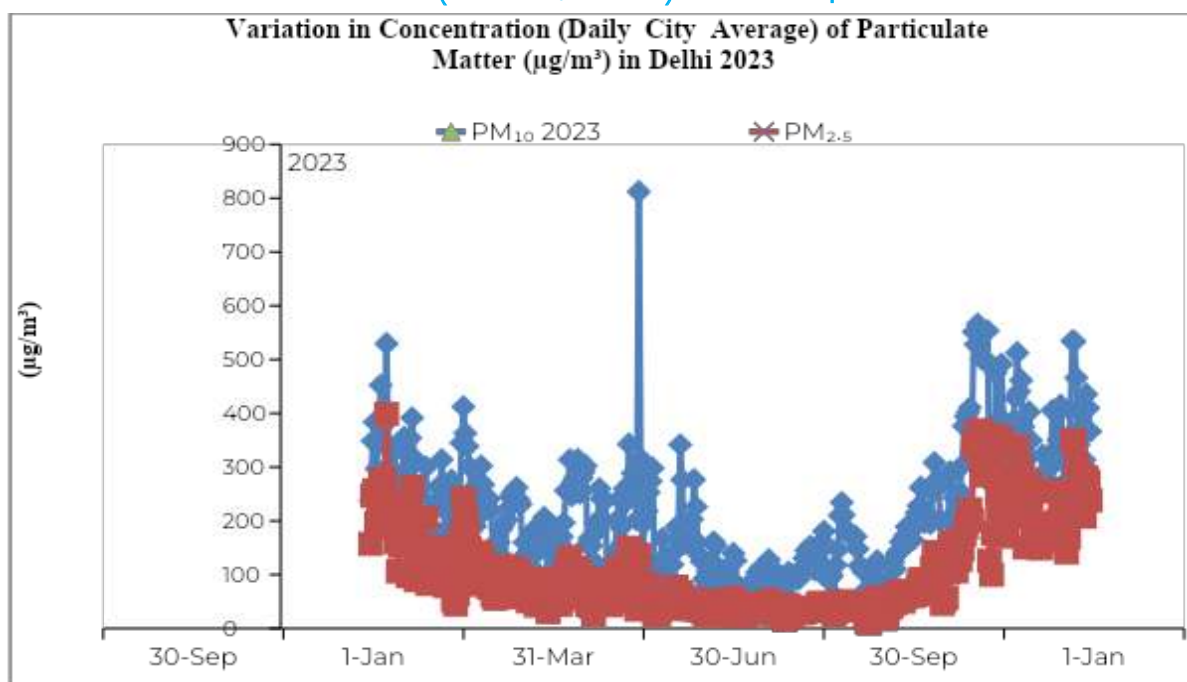
स्रोत: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (दि.प्र.नि.स.)

2.10 वायु प्रदूषण नियंत्रण

चार्ट 8.3 पहली जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक पीएम_{2.5} और पीएम₁₀ के स्तर में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। पीएम_{2.5} और पीएम₁₀ के लिए औसत संकेंद्रण क्रमशः 106 माइक्रोग्राम घनमीटर और 219 माइक्रोग्राम घनमीटर रहा। पीएम₁₀ का सर्वोच्च स्तर 16 मई 2023 को रिकॉर्ड किया गया, जब यह 812 माइक्रोग्राम घनमीटर पर पहुंच गया। हालांकि उसी दिन पीएम_{2.5} का स्तर 137 माइक्रोग्राम घनमीटर रिकॉर्ड किया गया।

चार्ट 8.3

दिल्ली में 2023 के दौरान पार्टिकुलेट मैटर (माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर) के संकेंद्रण (दैनिक शहर औसत) में उतार-चढ़ाव



स्रोत: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (दि.प्र.नि.स.)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्रोत अंशापन अध्ययन जैसे अनुसंधान 2016 में आईआईटी कानपुर और 2018 में ऊर्जा अनुसंधान संस्थान— टेरी द्वारा किया गया। दिल्ली में सर्दियों के दौरान परिवेशी पार्टिकुलेट मैटर का स्रोत अंशापन आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया, 2020 में पर्यावरण की वायु संवाहन क्षमता का अध्ययन स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्टिटेक्चर द्वारा किया गया। इन अध्ययनों से दिल्ली में प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों के बारे में अपेक्षित जानकारी मिली जिसका उपयोग प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम गतिविधियों के लिए किया गया।

2.11 दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय :-

2.11.1 ग्रीष्मकालीन कार्य योजना :

14 सूत्रीय गर्मियों की कार्य योजना 2023 (अप्रैल से सितंबर 2023) लागू की गई जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए मुख्य स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया गया। जैसे— 30 से अधिक हितधारक विभागों द्वारा धूल नियंत्रण, औद्योगिक प्रदूषण, ठोस कचरा प्रबंधन, वृक्षारोपण अभियान, वृक्ष

प्रतिरोपण नीति, वास्तविक समय स्रोत अंशापन अध्ययन, खुले में कचरा जलाना, नगर वन क्षेत्र का विकास, शहरी कृषि, दिल्ली में झील/तालाव का विकास, दिल्ली में पार्को (हरित पार्क) का विकास, ई-कचरा ईको पार्क, ईको-क्लब गतिविधियां और पड़ोसी राज्यों की सरकारों के साथ समन्वय के उपाय लागू किए गए।

निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और खुले में कचरा जलाने की रोकथाम के लिए प्रवर्तन टीमों की तैनाती की गई।

2.11.2 सर्दियों की कार्ययोजना :

दिल्ली सरकार द्वारा सर्दियों की कार्ययोजना 2023-24 लागू की गई जिसमें 1 अक्टूबर 2023 से 29 फरवरी 2024 तक के लिए 15 कार्य योजनाएं शामिल हैं, जो सर्दियों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार की लक्षित कार्रवाई की जानकारी देते हैं।

सर्दियों की कार्ययोजना 2023-24 (1 अक्टूबर 2023 से 29 फरवरी 2024 तक) में मुख्य रूप से वायु प्रदूषण नियंत्रण के मुख्य उपायों जैसे- पराली जलाने पर रोक, धूल प्रदूषण नियंत्रण, वायु प्रदूषण नियंत्रण, खुले में कचरा जलाने पर पाबंदी, औद्योगिक प्रदूषण के प्रमुख स्थलों पर निगरानी जैसे उपायों पर ध्यान दिया गया है, जिन्हें सरकारी विभागों/नगर निगमों द्वारा लागू किया जाना है और प्रतिदिन की कार्रवाई रिपोर्ट पर्यावरण विभाग को सौंपी जानी है। सर्दियों की कार्ययोजना 2023-24 लागू किए जाने के बारे संबंधित हितधारक विभागों से दैनिक आंकड़ों की रिपोर्ट ली जा रही है।

2.11.3 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) लागू किया जाना : दिल्ली भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत आता है। इस कार्यक्रम के तहत वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के अंतर्गत परिवेशी वायु गुणवत्ता के संदर्भ में विभिन्न सेक्टरों (परिवहन/सड़क धूल/कचरा और वायोमास जलाने) इत्यादि की रोकथाम के लिए कई उपाय लागू किए जा रहे हैं। 2025 तक पार्टिकुलेट मैटर (पीएम10 और पीएम 2.5) में 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य है।

एनसीएपी के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार को 2021-22 के लिए 11.24 करोड़ रुपए, 2022-23 के लिए 22.50 करोड़ रुपए और 2023-24 के लिए 9.93 करोड़ रुपए मिले हैं। इस राशि का उपयोग 14 यांत्रिक सड़क बुहारी उपकरण, 28 जल छिड़काव यंत्र/एंटी स्मॉग गन और 2 गड्ढे भरने की मशीन की खरीद, यातायात मार्गों से लगे हरित क्षेत्र के विकास और उनके रख-रखाव, पत्थर बिछाने तथा निर्माण और निर्माण गिराये जाने से निकलने वाले मलबे के प्रबंधन पर किया जा रहा है।

2.11.4 पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए बायो-डिकंपोजर प्रौद्योगिकी : कृषि और अनुसंधान संस्थान पूसा ने फसल अवशेषों को डिकंपोज करने के लिए अपनी बायो डिकंपोजर प्रौद्योगिकी विकसित की है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के दिनांक 10.06.2021 की निर्देश संख्या 10, दिनांक 16.08.2021 की निर्देश संख्या 32 और दिनांक 16.09.2021 की निर्देश संख्या 40 के अनुपालन में पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण संबंधी कार्य योजना 2023-24 आयोग को सौंपी गई है। 2023-24 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 4350 एकड़ गैर बासमती धान क्षेत्र में

बायो-डिकंपोजर (4000 एकड़ में तरल बायो डिकंपोजर+ 1000 एकड़ में रेडीमेड पाउडर बायो डिकंपोजर) छिड़काव का लक्ष्य रखा है। 28.10.2023 से उत्तर, उत्तर पश्चिम, पश्चिम, मध्य और दक्षिण-पश्चिम जिलों में 4189 एकड़ छिड़काव हो चुका है।

2.11.5 खुले में कूड़ा कचरा जलाने वालों पर निगरानी और उनके खिलाफ कार्रवाई :

- i. खुले में जैव और ठोस कचरा जलाना वायु प्रदूषण बढ़ाने वाला मुख्य घटक है, विशेषकर सर्दियों के दौरान। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 'वर्द्धमान कौशिक बनाम भारत सरकार और अन्य' शीर्षक से ओ.ए. संख्या 21/2014 में अपने विभिन्न आदेशों के द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्देश जारी किए हैं।
- क. राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 28 अप्रैल 2015 के अपने आदेश से किसी प्रकार का कचरा, प्लास्टिक कचरा, रबड़ और इस प्रकार की अन्य सामग्री खुले में जलाने के खिलाफ निम्नलिखित दंडात्मक पाबंदी लगाई है :
“इस प्रकार की सामग्री जलाने के लिए वास्तविक रूप से दोषी पाया गया व्यक्ति और/या इसे रोक नहीं पाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 15 के तहत मुआवजा चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा और उसे तुरंत 5 हजार रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा।”
- ii. खुले में कचरा जालने की रोकथाम के लिए वर्ष 2023 में सर्दियों के दौरान 611 गश्ती टीमों की तैनाती की गई। हितधारक विभागों के साथ समन्वय से खुले में कचरा जलाने के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है।
- iii. कूड़ा जमा करने के स्थलों पर आग लगने की रोकथाम के लिए विस्तृत नियम लागू किए गए हैं, जिनसे ऐसी घटनाओं की संख्या 2017 के 159 से कम होकर 2023 में केवल 1 रह गई।
- iv. दिसंबर 2024 तक तीनों कूड़ा स्थलों पर लगभग 203 लाख मीट्रिक टन कचरे का जैव निपटान किए जाने की योजना है। इससे भविष्य में कूड़ा स्थलों पर आग लगने की रोकथाम पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। प्रतिदिन 10 हजार मीट्रिक टन से अधिक कचरे के प्रसंस्करण के लिए 65 ट्रोमेल मशीनें लगाई गई हैं।
- v. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने सर्दियों के दौरान अलाव जलाने पर रोक के उद्देश्य से सुरक्षा प्रहरियों और निर्माण श्रमिकों को इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराने के लिए आरडब्ल्यूए के साथ बैठकें की हैं।

2.11.6 धूल नियंत्रण उपायों का उल्लंघन करने वालों पर निगरानी और उनके खिलाफ कार्रवाई :

- i. दिनांक 11.06.2021 को जारी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की निर्देश संख्या 21 के अनुपालन में—एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीएसआईआईडीसी, डीडीए, एनसीआरटीसी, आईएंडएफसीडी, एनडीएमसी, डीसीबी, सीपीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, डीएमआरसी और डीजेबी में 12 धूल नियंत्रण और प्रबंधन प्रकोष्ठों का गठन सड़क स्वामित्व/रख-रखाव/निर्माण एजेंसियों द्वारा किया गया है ताकि राष्ट्रीय

राजधान क्षेत्र में धूल नियंत्रण उपायों की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। मासिक/तिमाही कार्रवाई रिपोर्ट वायु गुणवत्ता प्रबंधन समिति को भेजी जा रही है।

- ii. डीपीसीसी ने नियमों का उल्लंघन करने वाली निर्माण परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लागू की है।
- iii. सड़क धूल के नियंत्रण के लिए लगभग 85 सड़क बुहारी मशीनें (एमआरएस), 375 जल छिड़काव यंत्र/टैंकर लगाए गए हैं। 2023 की सर्दियों के दौरान सड़कों पर उड़ने वाली धूल की रोकथाम के लिए 262 (215 चल और 47 स्थिर) एंटी स्मॉग गन लगाए गए। एजेंसियों को चरणबद्ध कार्रवाई योजना-जीआरएपी लागू होने तक निगरानी के लिए जीपीएस के साथ डबल शिफ्ट में मशीनें संचालित करने का निर्देश दिया गया है।
- iv. संबंधित विभागों के साथ समन्वय से निर्माण और निर्माण गिराये जाने के स्थलों तथा खुले क्षेत्रों में धूल नियंत्रण नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए 591 गश्ती टीमों की तैनाती की गई है।
- v. डीपीसीसी ने सितंबर 2021 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन समिति के निर्देशों के अनुपालन में 500 वर्ग मीटर और अधिक के प्लॉटों के निर्माण और निर्माण गिराये जाने के स्थलों के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया है। 500 वर्ग मीटर से अधिक के 1114 निर्माण स्थलों ने, अपने धूल नियंत्रण उपायों के सेल्फ ऑडिट के लिए, इस वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराया है (इनमें से 496 स्थलों पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है)।
- vi. निर्माण और निर्माण गिराये जाने की गतिविधियों के लिए धूल नियंत्रण उपाय जारी किए गए हैं। इनमें वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की नीति के अनुरूप निर्माण स्थल क्षेत्र के अनुपात में एंटी स्मॉग गनों की पर्याप्त संख्या, ठेकेदार और अन्य हितधारक विभागों की तैनाती का उल्लेख है।
- vii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का पर्यावरण विभाग एमसीडी को इनकी तैनाती से संबंधित प्रस्ताव लागू करने के लिए राशि उपलब्ध कराएगा— (i) एंटी स्मॉग गन के साथ जल छिड़काव मशीनें (ii) जल छिड़काव यंत्र और एंटी स्मॉग गन, डंप वाहन और वॉटर टैंकर के साथ जुड़ी यांत्रिक रोड बुहारी मशीनें। यह राशि ओपेक्स मॉडल के तहत 18.11.2023 के मंत्रिमंडलीय निर्णय संख्या 3134 के अनुसार अनुमोदित अनुदान सहायता के रूप में होगी।

2.11.7 ओ.ए. संख्या 21/2014 में एनजीटी का आदेश/निर्णय : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (के.प्र.नि.बो) को त्रैमासिक कार्रवाई रिपोर्ट भेजी जा रही है।

2.11.8 व्यापक कार्य योजना (सीएपी) का कार्यान्वयन : माननीय एनजीटी ने दिल्ली के संबंध में वायु गुणवत्ता नियंत्रण समिति (एक्यूएमसी) के गठन का निर्देश दिया ताकि वह वायु प्रदूषण नियंत्रण की कार्य योजना तैयार करे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के अनुसार रा.रा.क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक कार्य योजना (सीएपी) के संदर्भ में त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के समीक्षाधीन है।

- 2.11.9 **इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन** : दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार और स्वच्छ ईंधन/बिजली चालित वाहनों के लिए आपूर्ति श्रृंखला इकोसिस्टम तैयार करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली विद्युत वाहन नीति-2020 अधिसूचित की गई है। इस नीति का उद्देश्य 2024 तक सभी नए वाहनों में 25 प्रतिशत बिजली चालित वाहन सुनिश्चित करना है।
- 2.11.10 **पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध** : दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने अपने 06.10.2023 के अपने आदेश द्वारा दिल्ली पुलिस को दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों और आतिशबाजी के निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से आपूर्ति सहित) और पटाखे जलाने पर 01.01.2024 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं।
- 2.11.11 **दिल्ली में प्रवेश करने वाले हल्के और भारी और वाणिज्यिक वाहनों पर शुल्क लगाना** : माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 09.10.2015 और 16.12.2015 के आदेश के अनुपालन में दिल्ली आने वाले हल्के और भारी वाणिज्यिक माल वाहक वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) लगाया जाता है।
- 2.11.12 **शहर की हरियाली** : इस वर्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने हरित एजेंसियों द्वारा 1 करोड़ पौधे लगाने (सात लाख पौधों के निःशुल्क वितरण सहित) का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2023 में (दिसंबर तक) 74 लाख पौधे/झाड़ियां/बांस के पौधे लगाए गए। लक्ष्य 95.04 लाख पौधे लगाने का था जिसका 78 प्रतिशत हासिल कर लिया गया। 7.36 लाख पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया, लक्ष्य केवल सात लाख पौधों के वितरण का था। इस प्रकार 105 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति हुई। हरित क्षेत्र और पौध रोपण के नियमित अनुपालन संबंधी रिपोर्ट वायु गुणवत्ता प्रबंधन समिति को सौंपी जा रही है। वन विभाग द्वारा किए गए पौध रोपण के तीसरे पक्ष की ऑडिट से स्पष्ट होता है कि पौध रोपण के बाद लगभग 78 प्रतिशत पौधे अच्छी तरह पनपे।
- 2.11.13 **चरणबद्ध कार्रवाई योजना (जीआरएपी) का क्रियान्वयन** : दिल्ली में वायु गुणवत्ता की प्रतिकूल स्थितियों के अनुसार एनसीआर के लिए जीआरएपी को अब चार अलग अलग चरणों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के जरिए दर्शाया जाता है। ये चरण इस प्रकार हैं :

(i) खराब श्रेणी : 201–300

(ii) बहुत खराब श्रेणी : 301–400

(iii) गंभीर श्रेणी : 401–450

(iv) अत्यंत गंभीर : एक्यूआई 450 से अधिक

स्वीकार्य स्तरों के उल्लंघन के बाद जीआरएपी पूर्वव्यापी रूप से लागू करने के बजाय वायु गुणवत्ता पूर्वानुमानों के आधार पर सक्रिय रूप से लागू किया जाता है। वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान मॉडल के अनुमानों के आधार पर जीआरएपी को कम से कम दो-तीन दिन पहले लागू किया जाना चाहिए।

रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा 06.10.2023 की निर्देश संख्या 77 द्वारा अधिसूचित संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के I–IV चरणों के तहत शुरू की गई सभी कार्रवाई लागू कर रही है और उच्चतम स्तर पर इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

दिनांक 06.10.2023, 21.10.2023, 02.11.2023, 05.11.2023 और 18.11.2023, 28.11.2023, 22.12.2023, 01.01.2024 के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेशों के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा जीआरएपी के तहत चरण 1 से चरण 4 में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दैनिक कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को नियमित रूप से सौंपी जा रही है।

2.11.14 वायु प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों का स्थल पर ही नियंत्रण : इसके लिए 13 अधिक प्रदूषण फैलाने वाले स्थलों की पहचान की गई है। यह स्थल हैं— नरेला, बवाना, मुंडका, वजीरपुर, रोहिणी, आर. के. पुरम, ओखला फेज—दो, जहांगीरपुरी, आनंद विहार, विवेक विहार, पंजाबी बाग, अशोक विहार और द्वारका। इनका चुनाव पीएम_{2.5} और पीएम₁₀ के वार्षिक संकेंद्रन के आधार पर किया गया है। वायु प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों की पहचान और उनका उपशमन करने के लिए विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं, जैसे प्लास्टिक और कचरा, मलबा/निर्माण एवं विध्वंस से उत्सर्जित ठोस कचरे को हटाना, सड़क पैच और गड्ढों की मरम्मत, भीड़भाड़ वाले यातायात स्थलों पर आवागमन सुगम बनाने के उपाय, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग और सड़कों पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था, प्रदूषित और अनधिकृत उद्योगों को बंद करना, बायो—मास जलाए जाने और निर्माण एवं विध्वंस मलबा डंप करने, हरियाली विकास आदि के संबंध में नियमों के उल्लंघन की जांच करने के लिए रात को गश्त करना आदि।

पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 13 अत्यधिक प्रदूषण की आशंका वाले स्थलों पर 4555 से अधिक प्रदूषण स्रोतों की पहचान की है। संबंधित विभाग और निगरानी द्वारा ऑनलाइन समाधान के लिए ग्रीन दिल्ली एप पर मिली शिकायतों और मुद्दों का समाधान किया जा रहा है।

लोक निर्माण विभाग को पर्यावरण विभाग की निधि से सभी 13 गंभीर प्रदूषण की आशंका वाले क्षेत्रों में धूल नियंत्रण के लिए 200 एंटी मोबाईल स्मॉग गन आवंटित करने का निर्देश दिया गया था। दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए सर्दियों के दौरान अधिक प्रदूषण वाले स्रोतों पर विशेष ध्यान देते हुए, मुख्य सचिव द्वारा 13.10.2023 के विस्तृत आदेश द्वारा 11 जिलों में जिला समन्वयकों की नियुक्ति की गई है। जिला समन्वयकों को प्रदूषण नियंत्रण नियम कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। विभिन्न कार्रवाईयों को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से अतिरिक्त 26 डीएनआईसीएस अधिकारियों की नियुक्ति अधिक प्रदूषण की आशंका वाले स्थलों पर रात—दिन के निरीक्षण दौरे के लिए की गई। समन्वयकों द्वारा साप्ताहिक रिपोर्ट सौंपी गई। दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नियमित समीक्षा भी की गई।

2.11.15 स्मॉग टॉवर की स्थापना : उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.01.2020 के आदेश के अनुपालन में आनंद विहार बस टर्मिनल और बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर्स स्थापित किया जाना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस में स्मॉग टॉवर 23.08.2021 को लगा दिया गया। आईआईटी बॉम्बे द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार 20 मीटर के लिए सक्षमता लगभग 48—56 प्रतिशत, 21 से 99 मीटर के लिए 30—34 प्रतिशत, 100 से 199 मीटर के लिए 12 से 13 प्रतिशत तथा 300 मीटर और 500 मीटर के लिए 16 प्रतिशत थी।

- 2.11.16 **औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण :** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण मंक उद्योगों का योगदान अन्य स्रोतों की तुलना में मामूली है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी उद्योगों, जिनमें बॉयलर/भट्टी है, को पाइपड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) में बदलने के निर्देश दिए गए हैं। 1866 उद्योग पीएनजी/स्वीकृत ईंधन में बदल दिए गए हैं, अस्वीकृत ईंधनों के इस्तेमाल की कारगर ढंग से जांच की जाती है ताकि उद्योगों से उत्सर्जित प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके।
- 2.11.17 **ऊंची इमारतों की छतों पर संशोधित एंटी स्मॉग वाटर गन का प्रयोग:** दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल के निर्देशों के अनुपालन में भवन स्वामित्व/निर्माण एजेंसियों जैसे एमसीडी, डीसीबी, डीडीए, एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी, एनबीसीएस और सीपीडब्ल्यूडी को एंटी स्मॉग वाटर गन लगाने के लिए 125 ऊंची इमारतों की पहचान करने को कहा गया है ताकि सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण की प्रभावी रोकथाम की जा सके। ऊंची इमारतों के शीर्ष पर संशोधनों के साथ एंटी-स्मॉग गन के उपयोग के लिए हितधारक विभागों द्वारा अब तक 56 इमारतों की पहचान की गई है। कुल 98 (सरकारी और निजी) इमारतों पर एंटी स्मॉग गन लगाए जा चुके हैं।
- 2.11.18 **जन-जागरूकता :**
- दिल्ली में विद्यालयों और महाविद्यालयों के ईको क्लबों के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय जागरूकता के प्रसार में शामिल किया गया है।
 - डीपीसीसी द्वारा सरकारी और निजी निर्माण एजेंसियों के साथ आयोजित बैठक 25.09.2023 को दिल्ली सचिवालय में हुई। बैठक में निर्माण और निर्माण गिराये जाने के स्थलों पर धूल नियंत्रण की रोकथाम के लिए 14 सूत्रीय दिशा-निर्देश लागू करने पर विचार-विमर्श हुआ।
 - डीपीसीसी ने वायु प्रदूषण और गुणवत्ता पर असर डालने वाले विभिन्न मुद्दों और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नीतिगत निर्देशों/आदेशों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 27.09.2023 को महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ बैठक के जरिये संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया। वायु प्रदूषण की रोकथाम में निवासी कल्याण संघों, अस्पतालों, उद्योगों, सड़क स्वामित्व एजेंसियों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की भूमिका की भी जानकारी दी गई।
 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा 20.10.2023 को दिल्ली सरकार के विभागों और एजेंसियों के लिए 'रन अगेस्ट पॉल्यूशन' कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
 - दिल्ली में वाहन प्रदूषण पर अंकुश के लिए रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ जन जागरूकता अभियान का आयोजन 26.10.2023 को आईटीओ चौक पर, 28.10.2023 को बारह खंभा रोड मोड़ पर और 30.10.2023 को चंदगीराम अखाड़ा मोड़ पर किया गया।
 - रेडियो जिंगल्स, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से लोगों तक लगातार जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है।
 - ग्रीन दिल्ली एप्लिकेशन पर 90 प्रतिशत से अधिक और एमसीडी 311 के एप पर 80 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।

2.11.19 सीएक्यूएम के निर्देशों का अनुपालन :

भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 28 अक्टूबर, 2020 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर एक आयोग का गठन अध्यादेश के माध्यम से किया। सड़क धूल प्रबंधन, अस्थगित स्रोतों से वायु प्रदूषण के शमन और यातायात प्रबंधन के बारे में आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं और विभिन्न हितधारक विभागों के समन्वय से आवधिक कार्रवाई रिपोर्टें तैयार कर आयोग को मासिक/तिमाही आधार पर सौंपी गई। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुरूप जीआरएपी के तहत कार्रवाई लागू की गई।

इस दिशा में किए गए प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं:

- क. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेष / पराली जलाने पर रोक के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है।
- ख. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर और अधिक के निर्माण और निर्माण गिराये जाने के स्थलों के स्व-आकलन के लिए विकसित वेब पोर्टल-धूल प्रदूषण नियंत्रण 07.09.2021 से शुरू किया गया है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि निर्माण गतिविधियों में धूल नियंत्रण उपाय लागू किए जा रहे हैं। नियामक एजेंसियों को बेहत निगरानी में भी मदद मिलेगी।
- ग. सड़क स्वामित्व/निर्माण एजेंसियों द्वारा धूल नियंत्रण और प्रबंधन प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। इनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट मासिक और तिमाही आधार पर आयोग को भेजी जाती है।
- घ. 15 वर्ष और 10 वर्ष से पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसकी रिपोर्ट दैनिक आधार पर आयोग को भेजी जाती है।
- ङ. निर्माण और निर्माण गिराये जाने के स्थलों का सख्ती से निरीक्षण किया जाता है और संबंधित डेटा मासिक और तिमाही आधार पर आयोग को भेजा जाता है।
- च. केवल स्वीकृत ईंधन के इस्तेमाल संबंधी आदेश के अनुपालन के लिए उद्योगों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है और कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को मासिक आधार पर भेजी जाती है।
- छ. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की नीति के अनुरूप की गई कार्रवाई पर नजर रखी जाती है और मासिक कार्रवाई रिपोर्ट भेजी जाती है।
- ज. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा वायु प्रदूषण पर अंकुश के लिए लागू सुरक्षा और प्रवर्तन नियमों की निर्धारित रूप-रेखा के अनुसार निम्नलिखित प्रमुख बिन्दुओं पर कार्रवाई की तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से आयोग को भेजी जाती है।
 - i. वाहन उत्सर्जन
 - ii. कूड़ा स्थलों में आग लगने की घटनाएं
 - iii. वायोमास/नगर निगम ठोस कचरे को जलाना
 - vi. सड़क की धूल
 - v. निर्माण स्थलों से धूल उत्सर्जन
 - vi. हरित क्षेत्र

2.12 दिल्ली सरकार द्वारा नई पहल :

2.12.1 पर्यावरण विभाग एमसीडी को इनकी तैनाती से संबंधित प्रस्ताव लागू करने के लिए राशि उपलब्ध कराएगा— (I) एंटी स्मॉग गन के साथ जल छिड़काव मशीनें (II) जल छिड़काव यंत्र और एंटी स्मॉग गन, डंप वाहन और वॉटर टैंकर के साथ जुड़ी यांत्रिक रोड बुहारी मशीनें। पर्यावरण विभाग से दिल्ली नगर निगम को यह राशि ओपेक्स मॉडल के तहत 18.11.2023 के मंत्रिमंडलीय निर्णय संख्या 3134 के अनुसार अनुमोदित अनुदान सहायता के रूप में होगी।

2.12.2 **जमीनी स्तर पर उपायों को मजबूती से लागू करना :** वायु गुणवत्ता से जुड़े मुद्दों के समाधान और पूरी दिल्ली में संतोषजनक वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वायु प्रदूषण रोकथाम का विस्तृत आदेश, सर्दियों में अधिक प्रदूषण वाले स्रोतों पर विशेष ध्यान देते हुए, 13.10.2023 को जारी किया गया है। प्रमुख निर्देश इस प्रकार हैं:

- (i) दिल्ली नगर निगम के सभी उपायुक्तों और एनडीएमसी के सचिव को 13 गंभीर प्रदूषण वाले स्रोतों पर विशेष ध्यान देते हुए पूरी दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय गहन करने का निर्देश दिया गया है। इनमें सभी उत्तरदायी विभागों / एजेंसियों के साथ समन्वय से यांत्रिक सड़क बुहारी, जल छिड़काव, स्थिर/जल एंटी स्मॉग गन से स्मॉगिंग, टूटी-फूटी सड़कों की मरम्मत, फुटपाथों पर ईंट बिछाया जाना, यातायात जाम कम करने जैसे उपाय लागू करना शामिल हैं, ताकि दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार, विशेषकर अधिक प्रदूषण वाले स्रोतों में सुधार सुनिश्चित हो।
- (ii) जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाने के लिए प्रत्येक राजस्व जिले में एक निगरानी समिति बनाई गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिल्ली में सर्दियों में 31.01.2024 तक वायु प्रदूषण रोकथाम के लक्षित उपाय मिशन मोड में लागू किए जाएं। इस प्रकार की 11 निगरानी समितियां होंगी जिनमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे— :

क. समन्वयक

ख. जिला मजिस्ट्रेट

ग. पुलिस उपायुक्त (यातायात)/अपर पुलिस आयुक्त (यातायात)

घ. उपायुक्त, एमसीडी या सचिव एनडीएमसी, जैसी भी स्थिति हो

ङ. मुख्य अभियंता, डीडीए

च. मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी

छ. संबंधित डीसीएफ/डीएफओ

ज. डीएनआईसीएस प्रोवेशनर

झ. सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट

ञ. जेई (पर्यावरण), डीपीसीसी

ट. परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारी

ठ. डिस्कॉम्स के प्रतिनिधि (मुख्य अभियंता रैंक के समतुल्य)

2.12.3 जीआरएपी कार्यान्वयन पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत दिशा-निर्देश

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार जीआरएपी के तहत तत्काल कार्रवाई के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत निम्नलिखित निर्देश, माननीय उप राज्यपाल के अनुमोदन से, 23.11.2023 को जारी किए गए :

1. वायु गुणवत्ता के गंभीर स्तर में पहुंचने के साथ चरणबद्ध कार्रवाई योजना (जीआरएपी) चरण-3 लागू;
कक्षा पांच तक के बच्चों के लिए स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं नहीं होंगी, कक्षाएं ऑनलाइन चलाई जाएंगी।
2. वायु गुणवत्ता के अत्यंत गंभीर स्तर में पहुंचने पर जीआरएपी चरण-4 लागू;
 - i. कक्षा ix और xi तक सभी कक्षाएं ऑफलाइन नहीं चलेंगी, ये ऑन लाइन चलाई जाएंगी।
 - ii. सभी सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे, 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे।
 - iii. सभी महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान और गैर आपात वाणिज्यिक गतिविधियां बंद रहेंगी।

कार्यबल का गठन : एमसीडी, परिवहन विभाग, दिल्ली यातायात पुलिस, डीपीसीसी, पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों का 6 सदस्यीय कार्यबल जीआरएपी के तहत निर्धारित कार्रवाई लागू किए जाने की निगरानी के लिए गठित किया गया। प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई नियमित रूप से तय की गई।

2.12.4 प्रदूषण नियंत्रण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

- i. **जन शिकायतों के निपटान के लिए ग्रीन दिल्ली ऐप और ग्रीन वॉर रूम :** दिल्ली सरकार ने दिल्ली की 28 एजेंसियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एन्ड्रॉयड और आईओएस मोबाईल फोल इस्तेमाल करने वालों के लिए ग्रीन दिल्ली ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप पर अपलोड की गई शिकायतों पर ग्रीन वॉर रूम के जरिये नजर रखी जाती है। अब तक इस ऐप के माध्यम से 71000 से अधिक शिकायतें मिल चुकी हैं और इनमें 90 प्रतिशत से अधिक का समाधान किया जा चुका है।
- ii. **समीर ऐप और सोशल मीडिया :** समीर ऐप और सोशल मीडिया पर मिली सभी शिकायतों का निपटान दैनिक आधार पर समुचित सतर्कता के साथ किया जाता है। सभी शिकायतें संबंधित विभागों को समय से भेज दी जाती हैं और उच्च स्तर पर इनके समाधान पर नजर रखी जाती है।
- iii. **धूल प्रदूषण नियंत्रण स्व आकलन वेब पोर्टल :** दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 500 वर्ग मीटर और अधिक के प्लॉटों के निर्माण और निर्माण गिराये जाने की परियोजनाओं के लिए 01.10.2021 से धूल नियंत्रण स्व आकलन वेब पोर्टल (dustcontroldpcc.delhi.gov.in) शुरू किया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के 11.06.2021 के निर्देशों के अनुपालन में विकसित इस पोर्टल की औपचारिक शुरुआत 07.10.2021 को की गई। धूल नियंत्रण उपायों के साथ-साथ इस पोर्टल के प्रभावी प्रबंधन के लिए 400 से अधिक परियोजना संचालकों को परियोजना स्थल पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया।

2.12.5 **दमकलों का इस्तेमाल :** दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग को जीआरएपी अवधि के दौरान जल छिड़काव से सड़कों पर धूल को दबाने के लिए 13 गंभीर प्रदूषण स्रोतों पर दमकलों की प्रणालीबद्ध तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

2.12.6 **सुरक्षा प्रहरियों के लिए विद्युत हीटर का प्रबंध :** चरणबद्ध कार्रवाई योजना के अनुपालन में डीएम/एसडीएम को निवासी कल्याण संघों के साथ जागरूकता बैठकें आयोजित करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सुरक्षा कर्मियों को इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराया जाए, ताकि सर्दियों में खुले में बायोमास और ठोस कचरा जलाने की रोकथाम हो सके। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी विभागों को सुरक्षा प्रहरियों और निर्माण श्रमिकों तक इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराने और आगे तक यह निर्देश पहुंचाने को कहा गया है।

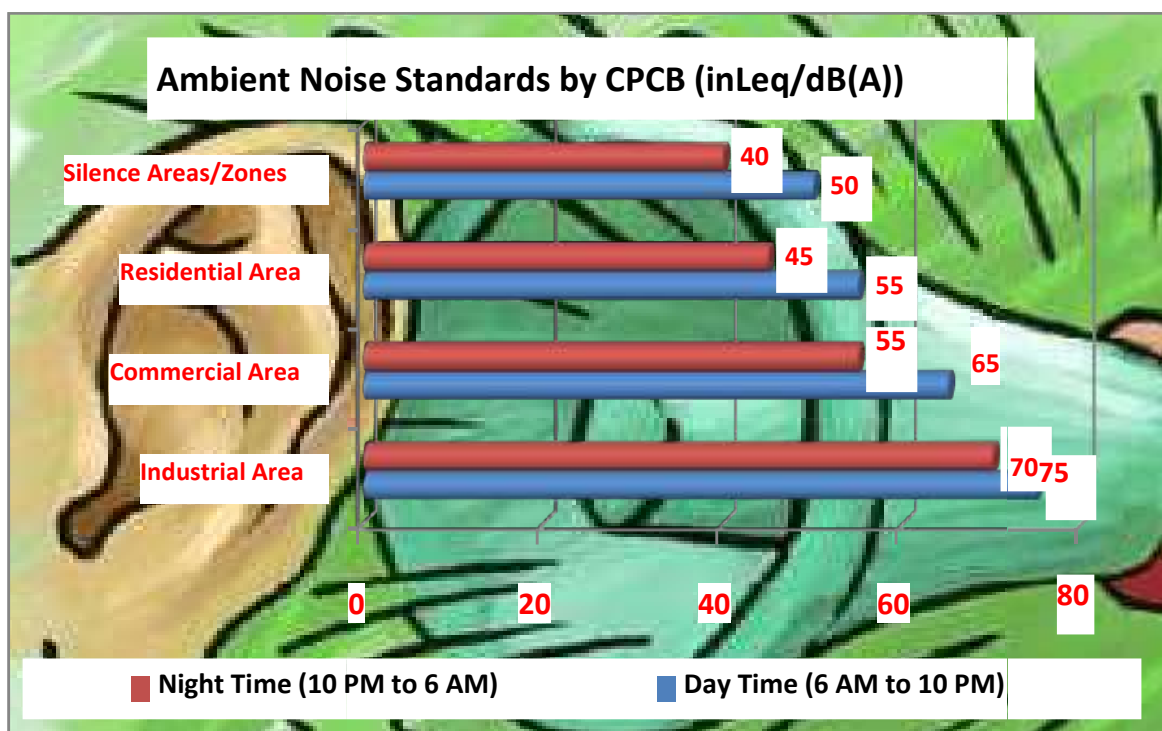
2.13 दिल्ली की परिवेशी वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले एनसीआर राज्यों से संबंधित मुद्दे हैं:

- एनसीआर में ऑनलाइन डेटा देने वाले वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों की स्थापना।
- पड़ोसी राज्य यह सुनिश्चित करें कि सभी निर्माण स्थलों पर धूल उड़ने से रोकने के तरीके अपनाए जाएं, ताकि निर्माण स्थलों से धूल उत्सर्जन पर नियंत्रण रखा जा सके।
- दिल्ली के पड़ोसी क्षेत्रों में कचरे को खुले में जलाए जाने को सख्ती के साथ रोका जाना चाहिए।
- दिल्ली के निकटवर्ती कृषि क्षेत्रों में धान अवशेषों को जलाए जाने पर रोक लगाई जानी चाहिए।
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की निर्देश संख्या 78 के अनुपालन में सार्वजनिक परिवहन वाहनों को सीएनजी में बदलना :
- **बीएस-6 वाहनों का पंजीकरण :** दिल्ली में केवल बीएस-6 अंतर-राज्यीय वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश की अनुमति होगी।
- एनसीआर राज्यों में ईंटों के भट्टे बंद किए जाएं/अथवा उनका उत्सर्जन नियंत्रित किया जाए।
- **दिल्ली से इतर क्षेत्रों में जाने वाले ट्रकों के प्रवेश को हतोत्साहित करना :** माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण पहले ही निर्देश दे चुका है कि दस वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों को एनसीआर में चलने की अनुमति नहीं होगी।
- दिल्ली में कचरे से निकले ईंधन (आरडीएफ) और पुराने अपशिष्ट स्थलों से जैव खनन का निपटान।

3. ध्वनि प्रदूषण

3.1 **त्यौहारों के दौरान और सार्वजनिक स्थानों में सामाजिक आयोजनों में तेज़ आवाज़ में लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल से प्रभावित क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण में अत्यधिक बढ़ोतरी होती है।** दिल्ली सरकार ने 100 या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों, 1000 से ज्यादा विद्यार्थियों वाले शिक्षा संस्थानों, सभी अदालत परिसरों, सभी सरकारी परिसरों के चारों ओर 100 मीटर के क्षेत्र को शांत क्षेत्र/ज़ोन घोषित किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न क्षेत्रों में परिवेशी ध्वनि प्रदूषण की स्वीकार्य सीमा के बारे में जानकारी प्रकाशित की है। ये निर्धारित ध्वनि मानक चार्ट 8.4 में दर्शाये गये हैं।

चार्ट 8.4
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित परिवेशी ध्वनि मानक (एलईक्यू/डीबी(ए) में)



स्रोत : ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) विनियम, 2000, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार।

नोट : 1. दिन के समय सवेरे 6 बजे से रात 10 बजे और रात के समय रात 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक।

2. शांत क्षेत्र के अन्तर्गत अस्पतालों, शिक्षा संस्थानों, अदालतों, धार्मिक स्थलों या अन्य परिसरों के 100 मीटर के दायरे में आने वाले ऐसे सभी स्थान शामिल हैं, जिन्हें सक्षम प्राधिकरण ने शांत क्षेत्र घोषित किया हो।

3.2 दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने हाल ही में दिल्ली में 31 (26 नए+5 पुराने) ध्वनि निगरानी केंद्रों के साथ ध्वनि निगरानी नेटवर्क को मजबूत किया है। ये स्टेशन विभिन्न भूमि उपयोग क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं।

- सात स्टेशन शांत क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनमें शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल शामिल हैं।
- 11 स्टेशन कमर्शियल जोन में स्थित हैं, जिनमें बाजार और स्टेडियम शामिल हैं।
- आठ स्टेशन आवासीय क्षेत्र में स्थित हैं।
- पाँच स्टेशन औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हैं।

3.3 2023 के दिसंबर महीने तक दिन के समय वास्तविक समय परिवेशी ध्वनि प्रदूषण स्तर का वार्षिक औसत अलीपुर स्टेशन पर 52.5 डीबी(ए) से करोलबाग स्टेशन पर 74.2 डीबी (ए) दायरे में था।

3.4 रात में वास्तविक समय परिवेशी ध्वनि प्रदूषण स्तर का वार्षिक औसत 2023 में दिसंबर माह तक अलीपुर में 48.4 डीबी(ए) से आनंद विहार में 65.8 डीबी (ए) तक था।

3.5 ध्वनि लिमिटर अधिसूचना :

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 21 नवंबर 2019 को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम-2000 के विनियम-3 के उप नियम (3) और विनियम 5 के उप-नियम (3) के तहत, विनियम 2 के खंड (ग) के साथ पठित, ध्वनि लिमिटर अधिसूचना जारी की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसी भी समारोह में ऐसा कोई ऑडियो सिस्टम या पब्लिक एड्रेस सिस्टम प्रयुक्त/स्थापित नहीं किया जाए, जिसमें ध्वनि लिमिटर न लगाया गया हो।

3.6 ध्वनि संबंधी शिकायतें दर्ज करने के लिए मंच

यदि कोई ध्वनि संबंधी नियमों का उल्लंघन करता है और अत्यधिक शोर उत्सर्जित करता है तो नागरिकों द्वारा उसकी शिकायत निम्नांकित के जरिए की जा सकती है:-

- ग्रीन दिल्ली ऐप
- वेबसाइट : ngms.delhi.gov.in
- हेल्पलाइन नम्बर-155271

4. जल प्रदूषण

4.1 दिल्ली के अस्तित्व का आधार यमुना नदी को भारी प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में यमुना नदी का समूचा हिस्सा मुख्य रूप से गैर-उपचारित मल-जल और समुचित उपचार न किए गए औद्योगिक बहिस्त्राव के प्रवाह के कारण बुरी तरह प्रदूषित हो रहा है।

- दिल्ली में पल्ला से बदरपुर (दिल्ली-हरियाणा सीमा) तक 48 किलोमीटर हिस्सा।
- वजीराबाद (वजीराबाद बांध से नीचे की ओर) से असगरपुर गांव (ओखला बांध के बाद) तक 26 किलोमीटर हिस्सा, जो नदी की कुल लंबाई का 2 प्रतिशत से भी कम है, नदी में प्रदूषण का करीब 76 प्रतिशत भार वहन करता है।
- हरियाणा से नजफगढ़ नाले में आ रहे अवजल और उत्तर प्रदेश से शाहदरा नाले में आने वाले अवजल सहित यमुना नदी में 22 नाले गिरते हैं।
- हरियाणा राज्य द्वारा जल अभाव के समय हथिनी कुंड से 10 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। परंतु, इसमें से अधिकांश हिस्सा जलाभाव मौसम के दौरान वजीराबाद तक पहुंचते पहुंचते या तो वाष्पीकृत हो जाता है अथवा उसे जमीन सोख लेती है। अतः यह पानी की वांछित गुणवत्ता $< 3 \text{ mg/l}$ & $\text{DO} \geq 5 \text{ mg/l}$ से कम बीओडी हासिल करने के लिए विलयन संबंधी आवश्यकता पूरा करने में पर्याप्त नहीं होता है।

4.2 **यमुना नदी की जल गुणवत्ता :** दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति 8 स्थानों — पल्ला वजीराबाद, आईएसबीटी पुल, आईटीओ पुल, निजामुद्दीन पुल, ओखला बैराज, ओखला बैराज पर आगरा नहर, असगर पुर (शाहदरा और तुगलकाबाद नाले के मिलने के बाद) में यमुना नदी के जल की गुणवत्ता की जांच करती है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 06.12.2023 को ओए संख्या 06/2012 में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष, 'निजामुद्दीन पश्चिम संघ बनाम भारत सरकार और अन्य' के मामले में पेश रिपोर्ट में निम्नलिखित सहित विभिन्न टिप्पणियां की हैं :

- दिल्ली खंड में यमुना नदी की जल गुणवत्ता संबंधी आंकड़े दर्शाते हैं कि केवल दो स्थल पल्ला और वजीराबाद नहाने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण विनियम 1986 के तहत अधिसूचित प्राथमिक जल गुणवत्ता कसौटी को पूरा करते हैं। वजीराबाद से नीचे आने पर यमुना नदी की जल गुणवत्ता खराब होने लगती है। वजीराबाद से नीचे आने वाली धारा में चार स्थलों पर घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा शून्य हो जाती है तथा आईएसबीटी, आईटीओ, निजामुद्दीन, ओखला यू/एस और असगरपुर— इन 5 स्थलों पर यह बीओडी, फीकल कॉलीफॉर्म और फीकल स्टैप्टोकोकाई के संदर्भ में निर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करती।
- वजीराबाद के डाउन स्ट्रीम में यमुना नदी की जल गुणवत्ता में गिरावट के मुख्य कारण ताजा पानी उपलब्ध नहीं होना और नदी में गिरने वाले नालों से अवजल स्राव है।
- यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए वजीराबाद और ओखला बैराज में ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है।
- डीपीसीसी ने पल्ला में यमुना जल में अमोनिया की सांद्रता के मापन के लिए भी ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित की है। इससे हरियाणा से अवजल/औद्योगिक बहिस्स्राव के कारण पानी की गुणवत्ता में गिरावट की स्थिति में वजीराबाद में दिल्ली जल बोर्ड के जल उपचार संयंत्र को समय से चेतावनी जारी करने में मदद मिलेगी।

4.3 दि.प्र.नि.स. यमुना नदी (8 स्थानों पर) और उत्तर प्रदेश से आने वाले इंद्रापुरी और साहिबाबाद नालों सहित यमुना नदी में गिरने वाले 28 नालों और 8 अन्य स्थानों पर यमुना जल की गुणवत्ता की मासिक जांच करती है। विवरण 8.3 (8 स्थानों पर) और 8.4 (28 नालों) में अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक की अवधि में यमुना नदी के जल की औसत गुणवत्ता दर्शायी गई है। यमुना नदी की ताजा जल गुणवत्ता जांच रिपोर्टों से पता चलता है कि 'सी' श्रेणी की जल गुणवत्ता के संदर्भ में बीओडी और डीओ जैसे जल गुणवत्ता मानदंड केवल पल्ला, जो वजीराबाद बैराज की ऊपरी धारा है, में निर्धारित मानदंड के अनुसार हैं।

4.4 डीओ का सर्वोच्च औसत पल्ला में 8.57 माइक्रो ग्राम/लीटर और सबसे कम असगरपुर में (शाहदरा और तुगलकाबाद नालों के मिलने के बाद) 0.20 माइक्रो ग्राम प्रति लीटर है। अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक विभिन्न स्थानों पर यमुना नदी के औसत जल गुणवत्ता का विस्तृत विवरण तालिका 8.3 में उपलब्ध है।

4.5 नालों के जल गुणवत्ता निगरानी परिणामों से पता चलता है कि अधिकतर नाले जैव रसायन आक्सीजन मांग (बीओडी), रासायनिक आक्सीजन मांग (सीओडी) और समग्र आस्थगित ठोस (टीएसएस) के संदर्भ में मानदंड पूरे नहीं करते हैं। दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक 28 नालों की औसत गुणवत्ता तालिका 8.4 में उपलब्ध है।

4.6 अनधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज प्रणाली की स्थिति

दिल्ली जल बोर्ड ने अनधिकृत बस्तियों में सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराने की एक योजना तैयार की है। दिल्ली में, लगभग 82% आबादी पहले से ही सीवरेज नेटवर्क से जुड़ी हुई है और शेष 18 प्रतिशत क्षेत्र (मुख्य रूप से अनधिकृत कॉलोनी और झुग्गी-झोपड़ी बस्तियां) सीवर रहित क्षेत्रों में आती हैं। दिल्ली में 1799 अनधिकृत कॉलोनियां हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने इनमें सीवरेज प्रणाली स्थापित करने की समयसीमा उपलब्ध करा दी है।

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई, अनधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज नेटवर्क की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है :—

क्र.सं.	विवरण	समग्र स्थिति (संख्या)	समयसीमा/ टिप्पणियां
1.	बिछाई गई और चालू की गई सीवर लाइन	1030	बिछाई गई/चालू
2.	बिजारी सीवर नेटवर्क कार्य	296	नवंबर, 2024
3.	कॉलोनियां जहां एनओसी की प्रतीक्षा है/ओ जोन	161	वन विभाग/डीडीए से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने के बाद काम शुरू किया जाएगा
4.	कॉलोनियां जहां विकेंद्रीकृत एसटीपी के साथ सीवरेज नेटवर्क बिछाया जाना है	311	डीडीए/राजस्व विभाग से डीएसटीपी के लिए भूमि आवंटन और अधिग्रहण के बाद काम शुरू होगा
	कुल	1799	

4.7 यमुना नदी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए उपाय— अवजल उपचार

- अनुमानित उत्सर्जित अवजल — 3600 एमएलडी (792 एमजीडी) (990 एमजीडी जलापूर्ति का 80 प्रतिशत)
- कार्यरत अवजल उपचार संयंत्र (एसटीपी) — 37 (20 स्थानों पर)
- 37 कार्यरत अवजल उपचार संयंत्रों की क्षमता — 3033 एमएलडी (677 एमजीडी) (उत्सर्जित अवजल का 84.2 प्रतिशत)
- मौजूदा 37 एसटीपी की क्षमता का उपयोग — 565 एमजीडी (84.7 प्रतिशत)
- उपचार क्षमता में अंतराल—125 एमजीडी (15.8 प्रतिशत)
- उपचार अंतराल —227 एमजीडी (28.7 प्रतिशत)
- जून 2024 तक एसटीपी की कुल क्षमता — 814 एमजीडी (667+147 एमजीडी) (दिसंबर 2024 तक)।
- दिसंबर 2024 तक एसटीपी की कुल क्षमता — 922 एमजीडी (667+255 एमजीडी)

- मार्च 2025 तक एसटीपी की कुल क्षमता -964.5 एमजीडी (667+297.5 एमजीडी)

4.8 प्रस्तावित सीवेज उपचार संयंत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली में अवजल उपचार क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित चार सेक्टर में काम कर रहा है :

- 70 एमजीडी कुल क्षमता के मौजूदा 3 एसटीपी का पुनरुद्धार (कोंडली फेज-2 (25 एमजीडी)-परीक्षण और परीक्षण दौर के अंतर्गत तथा कार्यरत एसटीपी की कुल 667 एमजीडी क्षमता में शामिल), रिठाला फेज-1 (40 एमजीडी) और यमुना विहार फेज-2 (10 एमजीडी से 15 एमजीडी) (क्षमता संवर्द्धन-45 एमजीडी)
- शेष 18 मौजूदा एसटीपी का उन्नयन और क्षमता वृद्धि (10 एमजीडी क्षमता का कोरोनेशन पिलर फेज-3 एसटीपी कार्यरत, क्षमता संवर्द्धन-113.5 एमजीडी)
- 47 एमजीडी अतिरिक्त क्षमता के साथ तीन नए एसटीपी का निर्माण (ओखला (124 एमजीडी, प्रगति 94.7 प्रतिशत, काम पूरा होने के लिए संशोधित समय सीमा मार्च 2024), दिल्ली गेट (10 एमजीडी)-भूमि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा/डीडीए से डीजेबी को हस्तांतरित की जाएगी तथा सोनिया विहार (07 एमजीडी), 81.58 प्रतिशत प्रगति, कार्य पूरा होने की संशोधित समय सीमा- दिसंबर 2023)
- 92 एमजीडी की कुल क्षमता के साथ 40 नए डीएसटीपी का निर्माण (60 एमजीडी क्षमता के 26 डीएसटीपी विभिन्न स्थानों पर और 32 एमजीडी क्षमता के 14 डीएसटीपी नजफगढ़ ड्रेनेज जोन) (57.57 एमजीडी क्षमता के 29 डीएसटीपी दिसंबर 2024 तक और 34.43 एमजीडी क्षमता के 11 डीएसटीपी भूमि आवंटन के 12 महीने बाद लगाए जाएंगे)

4.9 मौजूदा एसटीपी के उन्नयन का ब्योरा

दिल्ली जल बोर्ड के 37 चालू एसटीपी में से 10 एसटीपी बीओडी/टीएसएस : 10/10 एमजी/लीटर के लिए बनाए गए हैं और 20 एसटीपी की स्थिति, जिनकी डीपीसीसी के निर्धारित मानकों यानि बीओडी/टीएसएस : 10/10 मिलीग्राम प्रति लीटर के अनुरूप पुनरुद्धार/उन्नयन/क्षमता वृद्धि की जानी है, निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

20 एसटीपी की स्थिति जिनका पुनरुद्धार/उन्नयन किया जा रहा है/किया जाना है

क्र.सं.	एसटीपी का नाम	मौजूदा क्षमता (एमजीजी में)	संवर्धित क्षमता (एमजीजी में)	स्थिति (10.12.2023 को समग्र प्रगति)	समय-सीमा
1.	रिटाला फेज -I	40	40	94.75%	मार्च, 2024
2.	यमुना विहार फेज - II	10	15	89%	मार्च, 2024
3.	रिटाला फेज -II	40	40	100%	पुनरुद्धार/उन्नयन
4.	कोंडली -IV	45	45	76 %	फरवरी, 2024
5.	पप्पनकलां फेज -I	20	30	28%	मार्च, 2024
6.	निलोठी फेज -I	40	60	28%	
7.	नजफगढ़	5	5	37%	
8.	केशोपुर फेज -II	20	20	37%	
9.	केशोपुर फेज -III	40	60	37%	
10.	रोहिणी सेक्टर 25	15	25	39%	
11.	नरेला	10	15	39%	
12.	कोरोनेशन पिलर फेज -I और II	20	20	39%	
13.	कोरोनेशन पिलर फेज -III	10	10	39%	
14.	ओखला फेज - V	16	16	निधि के अभाव के कारण इन्हें स्थगित रखा गया है।	दिसंबर, 2024
15.	घिटोरनी	5	7.5		मार्च, 2025
16.	वसंतकुंज	5	7.5		
17.	महरौली	5	7.5		
18.	यमुना विहार फेज - I	10	15	लगातार चौथी निविदा जारी की जा चुकी है, निर्णय के अनुसार नई निविदा आमंत्रित की जाएगी।	मार्च, 2025
19.	केशोपुर फेज - I	12	18		दिसंबर, 2024
20.	यमुना विहार फेज-III	25	55	अनुमान के अनुमोदन के लिए फाइनल प्रक्रियाधीन	मार्च, 2025
	कुल	393	511.5	मार्च 2025 तक 118.5 एमजीजी का संवर्धन	

4.10 इंटरसेप्टर सीवर परियोजना (आईएसपी)

दिल्ली जल बोर्ड ने इन नालों में गिरने वाले 108 छोटे नालों की ट्रेपिंग के लिए 3 बड़े नालों (नजफगढ़ नाला, पूरक नाला और शाहदरा नाला) के साथ इंटरसेप्टर सीवर बिछाने की प्रक्रिया शुरू की। कॉलोनीयों/अन्य स्रोतों से उत्पन्न और 108 छोटे नालों के जरिए आने वाला लगभग 242 एमजीडी अवजल उपर्युक्त बड़े नालों तक पहुंचने से पहले रोका जाएगा और उसे अवजल के उपचार के लिए, क्षमता से कम उपयोग किए गए मौजूदा एसटीपी/नए एसटीपी में पहुंचा दिया जाएगा। वाईएपी-3 के तहत 242.16 एमजीडी के समूचे प्रवाह को रिटाला तथा कोंडली एसटीपी के पुनरुद्धार के बाद दिसंबर 2024 तक रोक दिया जाएगा और उसका उपचार किया जाएगा।

ट्रैप किया जाने वाला कुल प्रवाह	फरवरी 2023 के दौरान ट्रैपिंग प्रावधान	नवंबर 2023 में समग्र स्थिति, ट्रैपिंग प्रावधान	काम पूरा होने की समय सीमा	टिप्पणियां
1100.86 एमएलडी (242 एमजीडी)	-	1082 एमएलडी (238 एमजीडी)	पूरा कर लिया गया	1082 एमएलडी (238 एमजीडी) में से लगभग 1045 एमएलडी (230 एमजीडी) ट्रैप कर उपचारित किया जा रहा है। यमुना कार्य योजना-3 के तहत रिठाला और कौंडली एसटीपी के पुनरुद्धार के बाद मार्च 2024 तक पूरा प्रवाह ट्रैप कर उपचारित किया जाएगा

4.11 नालों का अवरोधन

22 बड़े नाले यमुना नदी में गिरते हैं, संक्षिप्त ब्योरा इस प्रकार है :

- 10 नालों को रोका गया है/नवंबर 2023 में डीपीसीसी प्रयोगशाला द्वारा कोई प्रवाह नहीं पाया गया।
- 2 नालों (दिल्ली गेट नाला और सेन नर्सिंग होम नाला) को आंशिक रूप से ट्रैप किया गया है।
- 2 नाले (नजफगढ़ और शाहदरा) बड़े नाले हैं और तकनीकी रूप से पूरे नाले का प्रवाह रोकना संभव नहीं है, हालांकि इन नालों को इंटरसेप्टर सीवर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, जहां कमान क्षेत्र के तहत उपनालों का प्रवाह रोका गया है/रोका जाएगा और उपचारित किया जाएगा।
- शेष 8 नालों के मामले में उपचार के लिए सीवर/एसटीपी तक प्रवाह को रोका जाना/स्थानांतरित किया जाना है।

विवरण 8.3

यमुना नदी में गिरने वाले बड़े नाले

यमुना नदी में गिरने वाले बड़े नाले	22
तकनीकी रूप से रोका जाना संभव नहीं	2 [नजफगढ़ और शाहदरा] उपनालों को रोकने की इंटरसेप्टर सीवर परियोजना के तहत लाए गए।
पहले से रोके गए नाले/कोई प्रवाह नहीं	10 [मैगजीन रोड, स्वीपर कॉलोनी, खैबर पास, मेटकाल्फ हाउस, टांगा स्टैंड, मोआत नाला (विजय घाट), सिविल मिलिट्री, दिल्ली गेट, नाला नंबर 14 और तहखंड नाला और अबुल फजल नाला]
शेष नालों को ट्रैप किया जाना है	10 [सेन नर्सिंग होम, दिल्ली गेट, आईएसबीटी नाला, (मोरी गेट नाला), सोनिया विहार नाला, कैलाश नगर नाला, जैतपुर नाला, तुगलकाबाद नाला शास्त्री पार्क ड्रेन, बारापुला और महारानी बाग]

क) **सेन नर्सिंग होम नाला** : इस नाले के अवजल के उपचार के लिए 10 एमएलडी (2.2 एमजीडी) का एक अवजल उपचार संयंत्र कार्यरत है। इस नाले से ओवर फ्लो भी देखा गया है। सेन नर्सिंग होम नाला रिंग रोड ट्रंक सीवर में रोका जाता है, इसके कारण रिंग रोड ट्रंक सीवर में काफी गाद जम चुका है। आईआईपीए, आईटीओ में अवजल का ओवर फ्लो अकसर देखा जाता है। रिंग रोड सीवर से गाद हटाने की कार्ययोजना तैयार की गई है और इसकी समय-सीमा 2024 रखी गई है। रिंग रोड पंपिंग स्टेशन निर्माणाधीन है और इसके जून 2024 तक चालू हो जाने की आशा है।

- ख) **आईएसबीटी नाला (कुदसिया बाग/मोरीगेट नाला):** इस नाले का अवजल नेहरू विहार एसपीएस ले जाया जाएगा, कोरोनेशन पिलर अवजल उपचार संयंत्र में उपचार के लिए आईएसबीटी कश्मीरी गेट पर प्रस्तावित एसपीएस से एक मेन लाइन बिछाने के बाद। इस कार्य के लिए आदेश 23.12.2022 को जारी कर दिया गया है और काम चल रहा है (12.12.2023 तक लगभग 48 प्रतिशत काम हो चुका था)। इसके मार्च 2024 में पूरा हो जाने की आशा है (पहले समयसीमा सितंबर 2023 रखी गई थी)।
- ग) **सोनिया विहार नाला (यमुना के पूर्वी तट पर) :** सोनिया विहार नाले के अवजल उपचार के लिए 31.8 एमएलडी (7 एमजीडी) के अवजल उपचार संयंत्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है (10.12.2023 तक लगभग 81.58 प्रतिशत काम हो चुका था)। कार्य पूरा होने की संशोधित समयसीमा दिसंबर 2023 रखी गई थी।
- घ) **कैलाश नगर नाला (यमुना के पूर्वी तट पर) :** दिल्ली जल बोर्ड ने एमसीडी से, यमुना नदी में छोड़े जाने से पहले, इस नाले में बिना जांच के अवजल पंप किया जाना रोकने का अनुरोध किया है।
- ङ) **शास्त्री पार्क नाला (यमुना बैंक के पूर्वी तट पर) :** बुलंद मस्जिट एसपीएस में जाने से पहले दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आंशिक रूप से रोका जाता है। पंप हाउस का शेष प्रवाह एमसीडी द्वारा टैप किया जाता है।
- च) **महारानी बाग नाला :** सीवी रमन मार्ग ट्रंक सीवर में 09—10 एमएलडी प्रवाह रोकने का काम पूरा कर लिया गया है। लगभग 20 एमएलडी का शेष प्रवाह ओखला अवजल उपचार संयंत्र में उपचार के लिए बारापुला नाले की प्रस्तावित योजना के तहत टैप किया जाएगा। इसका कार्य प्रगति पर है (10.12.2023 तक लगभग 54 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था)। यह कार्य मार्च 2024 तक पूरा किया जाना है।
- छ) **जैतपुर नाला :** दिल्ली जल बोर्ड द्वारा इस नाले के प्रवाह को बाटला हाउस फेज-2 स्कीम में बिछाई जा रही सीवररेज प्रणाली में रोका जाएगा।
- ज) **तुगलकाबाद नाला (कालकाजी नाला इस नाले में मिला दिया गया है) :** ओखला (मौजूदा फेज-1, 2,3 और 4 एसटीपी के स्थान पर) में 124 एमजीडी का एकीकृत अवजल उपचार संयंत्र निर्माणाधीन है। 10.12.2023 तक इसका 94.7 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। काम पूरा होने की संशोधित समयसीमा मार्च 2024 है।
- झ) **बारापुला नाला :** ओखला एसटीपी तक लाने के लिए इसका प्रवाह मार्ग इंटरसेप्टर सीवर लाइन बिछाकर बदले जाने का प्रस्ताव है। कार्य प्रगति पर है (10.12.2023 तक लगभग 54 प्रतिशत काम हो चुका था) और इसे मार्च 2024 तक पूरा किया जाना है।
- ञ) **नजफगढ़ नाला :** नजफगढ़ नाले में लगभग 463 एमजीडी प्रवाह आता है। इसमें वर्तमान में 252 एमजीडी में अवजल उपचार संयंत्रों से उपचारित स्राव शामिल हैं। हरियाणा से 105 एमजीडी गैर उपचारित स्राव बादशाहपुर और डीडी-6 नालों के जरिये प्रवाहित किया जा रहा है। नजफगढ़ नाले में पूरक नाला सहित 126 उप नाले गिरते हैं। इन 126 उप नालों में से 26 का प्रवाह निर्बाध है,

इन्हें दिसंबर 2023 तक चरणबद्ध ढंग से ट्रैप किया जाएगा। शेष 4 उप नालों में से दो डीडीए से संबंधित हैं। पूरक नाले में गिरने वाले 110 उप नाले हैं। इनमें से लगभग 29 सब नालों का प्रवाह रोका नहीं गया है इन्हें चरणबद्ध ढंग से ट्रैप किया जाएगा। शेष उपनालों को उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद दो महीनों के अंदर ट्रैप किया जाएगा।

- ट) **शाहदरा नाला** : शाहदरा नाले में लगभग 105 एमजीडी का कुल प्रवाह गिरता है जिसमें से 50 एमजीडी (45 प्रतिशत) गैर उपचारित अवजल है, जिसे उत्तर प्रदेश द्वारा साहिबाबाद इंदिरापुरी और बनथाला नालों से छोड़ा जाता है। नजफगढ़ और शाहदरा नालों में 230 उप नाले गिरते हैं। इनमें से 2 उप नाले निर्बाध थे जिनका प्रवाह दिसंबर 2023 तक रोका जाना था।

4.12 दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मौजूदा एसटीपी का पुनरुद्धार/उन्नयन और नए एसटीपी का निर्माण

क्र.सं.	एसटीपी का नाम	क्षमता संवर्धन (एमजीडी में)	समय सीमा
मल जल उपचार संयंत्र			
1.	70 एमजीडी क्षमता का कोरोनेशन पिलर (नया एसटीपी) (तैयार और चालू) कोरोनेशन पिलर एसटीपी एक अत्याधुनिक एसटीपी है जिसमें बीओडी/टीएसएस के नवीनतम मानक : 10/10 एमजी/प्रति लीटर, बायोगैस से बिजली उत्पादन के साथ नाइट्रोजन और फासफोरस हटाने की विशेष क्षमता सहित।	-	15.03.2022. को कार्य पूरा हुआ और चालू किया गया। इस एसटीपी से 40 एमजीडी की अतिरिक्त क्षमता सृजित हुई, जिसे 632 एमजीडी के मौजूदा 37 एसटीपी की कुल क्षमता में शामिल कर लिया गया है।
2.	124 एमजीडी का ओखला (नया संयंत्र) (निर्माणाधीन) (31.12.2023 तक 94.7 प्रतिशत काम पूरा।) नया ओखला एसटीपी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी होगा। बीओडी/टीएसएस के नवीनतम मानक : 10/10 एमजी/प्रति लीटर, बायोगैस से बिजली उत्पादन के साथ नाइट्रोजन और फासफोरस हटाने की विशेष क्षमता सहित। यह संयंत्र सौर ऊर्जा के उपयोग से गाद सुखाने की प्रक्रिया के माध्यम से श्रेणी-ए पैथोजेन मुक्त गाद सृजित करेगा।	30	मार्च, 2024 (पहले समय सीमा जून 2023 थी)
3.	7 एमजीडी क्षमता का सोनिया विहार (नया एसटीपी) (निर्माणाधीन) (31.12.2023 तक 82.5 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था)	07	मार्च, 2024
4.	10 एमजीडी क्षमता का दिल्ली गेट (नया एसटीपी) डीडीए और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भूमि आवंटित की जानी है। मंत्रालय ने दिनांक 20.07.23 के पत्र द्वारा दिल्ली जल बोर्ड से प्रस्तावित भूमि/योजना से अनधिकृत ढांचा हटाने का अनुरोध किया है। मंत्रालय ने दिनांक 14.09.23 के पत्र द्वारा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा यथा स्थाने भूमि आवंटन स्वीकार करने का अनुरोध किया। एसटीपी के निर्माण के लिए ढांचा हटाए जाने की जरूरत है। मध्यक्षेत्र के डीएम ने एक बैठक बुलाई जिसमें डीडीए ने सूचित किया कि धार्मिक ढांचा हटाने की अनुमति मिल गई है और इसे हटाने का निर्देश दिया गया है।	10	भूमि आवंटन के 12 महीने बाद
5.	25 एमजीडी क्षमता का कौडली फेज-2 संयंत्र (31.12.2023 तक 96.43 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था) 24.06.2023 को लिक्विड लाइन आरंभ	-	मार्च, 2024 (परीक्षण और परीक्षण दौर के तहत तथा 667 एमजीडी क्षमता में शामिल)

क्र.सं.	एसटीपी का नाम	क्षमता संवर्धन (एमजीडी में)	समय सीमा
6.	40 एमजीडी क्षमता का रिठाला फेज-1 संयंत्र (पुनरोद्धार और उन्नयन के लिए निर्माणाधीन) (31.12.2023 तक 98.5 प्रतिशत तक कार्य पूरा)	40	जनवरी, 2024
7.	40 एमजीडी क्षमता का यमुना विहार फेज-2 संयंत्र (10 से 15 एमजीडी, पुनरोद्धार और उन्नयन के लिए निर्माणाधीन, वर्तमान में चालू) (10.12.2023 तक 89 प्रतिशत काम पूरा)	05	मार्च, 2024
	अवजल उपचार संयंत्रों की क्षमता में कुल संवर्धन	92	
40 नए प्रस्तावित विकेंद्रीकृत अवजल उपचार संयंत्रों की स्थिति (92 एमजीडी)			
क.	60 एमजीडी कुल क्षमता के 26 डीएसटीपी		
	18 डीएसटीपी (भूमि आवंटित)		29 डीएसटीपी (57.57 एमजीडी) – दिसंबर 2024 तक
	8 डीएसटीपी (भूमि आवंटित की जानी है)		
ख.	14 डीएसटीपी नजफगढ़ ड्रेनेज जोन में, कुल क्षमता 32 एमजीडी		11 डीएसटीपी (34.43 एमजीडी) – भूमि आवंटन के 12 महीने बाद
	11 डीएसटीपी (भूमि आवंटित)		
	03 डीएसटीपी (भूमि आवंटित की जानी है)		
	कुल 113.5 एमजीडी के शेष 18 मौजूदा एसटीपी का उन्नयन/संवर्धन	113.5	दिसंबर, 2024
	कुल संवर्धन जून 2024 तक	147	
	कुल संवर्धन दिसंबर 2024 तक	255	
	कुल संवर्धन मार्च 2025 तक	297.5	
	समग्र कुल क्षमता मार्च 2025 तक	667 + 297.5 =964.5 एमजीडी	

4.13 नालों में सीवेज का यथास्थाने जैवोपचार/पादपोचार

- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ओए सं. 06/2012 के आदेशों के अनुरूप दिल्ली के सभी नालों के जैवोपचार और पादपोचार के लिए दिनांक 17 मार्च 2020 के आदेश द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एकीकृत नाला प्रबंधन प्रकोष्ठ (आईडीएमसी) का गठन किया गया।
- आईडीएमसी में दिल्ली के सभी नालों के अभिकरणों (डीओए) के सदस्य हैं।
- आईडीएमसी की नियमित बैठकें होती हैं और अब तक ऐसी 15 बैठकें हो चुकी हैं।
- नाला एजेंसियां (डीओए ने) कोष की उपलब्धता के आधार पर अपने कार्ययोजना प्रस्तुत की है/प्रस्तुत कर रहे हैं।

दिल्ली में नाला स्वामित्व एजेंसियों द्वारा अपने नालों में अवजल के जैवोपचार और पादपोचार के लिए किए गए उपायों की जानकारी निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

क्रं. सं.	नाला स्वामित्व एजेंसियां	किए गए उपाय/प्रोजेक्ट्स	समयसीमा
1.	एमसीडी	- शाहदरा झील के अवजल के उपचार के लिए झील पार्क में नीरी द्वारा डिजाइन की गई 3 एमएलडी की आद्रभूमि/उपचार प्रणाली निर्मित की गई। - चिराग दिल्ली ड्रेनेज प्रणाली (पुष्पविहार मुख्य नाला, एमबी रोड से प्रेस इनक्लेब रोड तक, लगभग 1.90 किलोमीटर लंबाई में पूरा हो चुका है) में पादपोचार के लिए पायलट परियोजना यह प्रोजेक्ट वर्तमान में परिचालन और रख-रखाव के चरण में है। जो कार्यपूरा होने की तिथि से पांच वर्ष तक चलेगा। इससे बीओडी (~80%) और सीओडी (~70%) कमी पाई गई। - महाराणा प्रताप आईएसबीटी के निकट 350 मीटर लंबे तथा 3.70 मीटर X 1.75 मीटर चौड़े कुदसिया पार्क नाले (टाइप-3 नाला) का अवजल उपचार अभी योजना चरण में है।	पूरा हो चुका पूरा हो चुका योजना चरण में
2.	एनडीएमसी	एनडीएमसी क्षेत्र में गिरने वाले कुशक नाले का अवजल जैवोपचार चरण में है।	चालू है
3.	डीसीबी	स्राव कम (1.5 एमएलडी तक) होने के कारण 6 नालों में रसायनों से यथा-स्थाने उपचार	चालू है
4.	डीडीए	- कालिंदी जैव विविधता पार्क 6 किलोमीटर की लंबाई और 1-3 किलोमीटर की चौड़ाई के 200 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। - अवजल के उपचार के लिए 11 निर्मित आद्र भूमि तैयार की जा रही है। - दो आद्र भूमि- एक किलोकरी नाले के निकट (10-12एमएलडी) और दूसरा धोबीघाट नाले पर (12-15 एमएलडी) निर्मित किए गए हैं और कार्यरत हैं - महारानी बाग नाले पर निर्मित तीसरा वेटलैंड पूरा होने वाला है। 8 निर्मित वेटलैंड का काम सराय काले खां से फरीदाबाद तक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तेज सड़क निर्माण के कारण रोक दिया गया है।	11 निर्मित वेटलैंड में से 2 कार्यरत हैं।
5.	पीडब्ल्यूडी	2.5 एमएलडी क्षमता का जैवोपचार संयंत्र छतरपुर में लगाया गया है। - छत्रपाल स्टेडियम के मुख्य गेट और आजाद पुर मेट्रो स्टेशन के बीच 0.75 एमएलडी क्षमता का जैवोपचार संयंत्र लगाने का काम जारी है। - पीडब्ल्यूडी के शेष नालों का जैवोपचार जगह की कमी और नालों के छोटे आकार के कारण संभव नहीं है।	पूरा कर लिया गया
6.	आईएंडएफसी विभाग	परामर्शदाताओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार दो प्रमुख नालों (नजफगढ़ और शाहदरा नाला) में पादपोचा/जैवोपचार भारी प्रवाह, भूमिगत सीमा इत्यादि के कारण संभव नहीं है।	
7.	डीएसआईआई डीसी	पादपोचा/जैवोपचार नालों के छोटे आकार के कारण संभव नहीं है।	

4.14 सीवेज और मलजल तथा गाद प्रबंधन (सेप्टेज मैनेजमेंट):

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग, द्वारा 12.11.2018 को सेप्टेज प्रबंधन विनियम 2018 अधिसूचित किए गए (21.11.2018 को राजपत्र में प्रकाशित) हैं। जिनपर दिल्ली जल बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय निकायों/नगर निगमों को, अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करनी है।

दिल्ली जल बोर्ड ने अब तक 160 लाइसेंस प्राप्त वेंडर (एम्प्टीर्स) को सेप्टिक टैंकों से सीवेज के संग्रह और लाने के लिए पंजीकृत किया है। तथा सेप्टेज लेने के लिए 86 एसपीएस/एसटीपी को चिन्हित किया है।

एजेंसी	दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अधिकृत सेप्टेज उठाने वाले वाहनों की संख्या (31.01.2023 को)	वेंडर से सेप्टेज लेने के लिए कार्यरत एसपीएस की संख्या	नवंबर 2023 में एकत्र किया गया और उपचारित किया गया सेप्टेज	दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उपचारित सेप्टेज (26.11.2023 को)
दि.ज.बो.	160	86	3.68 करोड़ लीटर	178.6 करोड़ लीटर

नवंबर 2023 में औसतन 12.26 लाख लीटर सेप्टेज प्रतिदिन एकत्र किया गया और दिल्ली जल बोर्ड के अवजल उपचार संयंत्रों में उपचारित किया गया। सेप्टेज कचरे के संग्रह, परिवहन और निस्तारण के लिए दिल्ली जल बोर्ड सेप्टेज प्रबंधन विनियम 2018 के संदर्भ में की गई कार्रवाई की जिला मजिस्ट्रेटों की 05.12.2023 की रिपोर्ट की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है:

- सेप्टेज प्रबंधन समितियों की कुल बैठकों की संख्या— 136
- नालों इत्यादि में अनधिकृत रूप से सेप्टेज डालते पाए गए वाहनों, टैंकरों की संख्या— 64
- पकड़े गए वाहनों/टैंकरों की संख्या—63
- जारी चालान/नोटिसों की संख्या— 57
- लगाए गए पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माने की कुल राशि—17.19 लाख
- प्राप्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल राशि— 17.19 लाख

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 22.04.2022 के आदेश ओए संख्या 365/2021 द्वारा 'शमशेर सिंह बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार' के मामले में गठित सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश श्री एस.के. गर्ग की अध्यक्षता और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और दिल्ली जल बोर्ड के सदस्यों वाली संयुक्त समिति ने दिनांक 17.12.2022 को माननीय अधिकरण को अपनी अंतरिम प्रगति रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में अधिकरण के दिनांक 21.12.2022 के आदेश में निहित निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

दिनांक 27.01.2023 के आदेश द्वारा राजस्व विभाग के संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति में दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त सदस्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शहरी विकास सचिव सदस्य सह संयोजक हैं। इस समिति का उद्देश्य दिल्ली जल बोर्ड सेप्टेज प्रबंधन विनियम 2018 की समीक्षा करना है ताकि इन्हें अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

28.02.2023 को हुई समिति की बैठक की रिपोर्ट, मौजूदा दिल्ली जल बोर्ड सेप्टेज प्रबंधन विनियम 2018 में प्रस्तावित संशोधनों के साथ, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 04.05.2023 को हुई बैठक में अनुमोदित कर दी गई और यह प्रक्रियाधीन है।

डीपीसीसी ने भी 27.03.2023 को जल अधिनियम 1974 की धारा 33 (ए) के तहत, जुर्माना लगाने सहित, निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं :

- (क) अनधिकृत (गैर लाइसेंस शुदा) कंपनियों द्वारा सेप्टेज डाले जाने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन जब्त कर लिया जाएगा।
- (ख) अधिकृत लाइसेंस प्राप्त कंपनी द्वारा निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर सेप्टेज डाले जाने पर प्रति उल्लंघन 50 हजार रुपए का जुर्माना होगा।
- (ग) सेप्टेज डालने के लिए गैर लाइसेंस शुदा वेंडर/वाहन की सेवाएं लेने वाले व्यक्ति पर प्रति उल्लंघन 10 हजार रुपए का जुर्माना होगा।

इन निर्देशों के अनुसार राजस्व विभाग (डीएम कार्यालयों में नायब तहसीलदार से नीचे रैंक का अधिकारी न हो), दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर, एमसीडी में सेनेटरी इंस्पेक्टर और दिल्ली जल बोर्ड तथा आईएफसीडी के जुनियर इंजीनियर दंड और जुर्माना लगाने के लिए सक्षम होंगे।

4.15 नालों और यमुना नदी में ठोस अपशिष्ट बहाने की रोकथाम:

- नालों में ठोस कचरा डालने पर रोक लगाने के लिए सभी संबंधित विभागों/एजेंसियों को मुख्य सचिव के दिनांक 09.01.2019 के और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग के दिनांक 15.01.2019 के आदेश के तहत नियमों का उलंघन किए जाने, यमुना नदी में पूजा सामग्री/फूल आदि बहाए जाने पर 5000 रुपये और निर्माण सामग्री/मलबा डालने पर 50,000 रुपये के पर्यावरण जुर्माना लगाने और कार्रवाई करने को कहा गया है।

4.16 यमुना नदी के बाढ़ की आशंका वाले समतल क्षेत्र का संरक्षण

- माननीय एनजीटी के दिनांक 13.01.2015 के आदेशों के अनुसार, यमुना नदी के बाढ़ आशंकित क्षेत्र को संरक्षित किया जाना है। इन क्षेत्रों से डीडीए द्वारा अनधिकृत आवासन/बस्तियों/अतिक्रमण को हटाया जाना है और इनमें खाद्य फसलों की खेती वर्जित है। यमुना नदी के बाढ़ के मैदान की सुरक्षा और अतिक्रमण को रोकने के लिए डीडीए द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है और की जा रही है :

बाढ़ आशंकित समतल क्षेत्र का सीमांकन और यहां से अवैध अतिक्रमण हटाना :

- (क) **25 वर्ष में 1 बाढ़ मैदान का सीमांकन और बोलार्ड तथा बाड़ लगाना:** यमुना नदी के बाढ़ आशंकित समतल क्षेत्र का सीमांकन वजीराबाद से जैतपुर तक नदी के दोनों ओर किया गया है। सीमांकन कार्य पूरा हो चुका है। 591 बोलार्ड (जीपीएस चिह्नित), 375 फ्लैग पोस्ट और 27 साइन बोर्ड वजीराबाद बैराज से जैतपुर तक लगाए गए हैं।
- (ख) **अवैध रूप से ठोस अपशिष्ट डालने की रोकथाम के लिए निजी एजेंसियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था :** डीडीए ने वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तक अवैध रूप से मलबा डालने और अतिक्रमण की रोकथाम के लिए, संवेदनशील स्थलों पर चौबीसों घंटे निगरानी के लिए तीन शिफ्टों में 125 सुरक्षा गार्डों की तैनाती की है। सुरक्षा गार्डों और गश्ती वाहनों की जीपीएस निगरानी की जा रही है।
- (ग) **इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली की स्थापना :** वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तक यमुना नदी के बाढ़ आशंकित समतल क्षेत्र में अवैध रूप से मलबा डालने और अतिक्रमण की रोकथाम के लिए 27 स्थानों पर 93 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं।

- (घ) **बाढ़ आशंकित क्षेत्र से अतिक्रमण हटाना और निर्माण गिराना** : डीडीए ने यमुना नदी के समतल क्षेत्र में 661.22 हेक्टेयर जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई है।
- (च) **निर्माण और विध्वंस मलबा हटाया जाना** : बाढ़ आशंकित मैदानी भागों में डाला गया 54,960 मीट्रिक टन निर्माण और विध्वंस मलबा आईएल और एफएस स्थल तक पहुंचाया गया है या इसे डीडीए द्वारा यमुना प्रोजेक्ट के विकास में इस्तेमाल किया गया है।
- (छ) **यमुना नदी के बाढ़ आशंकित समतल क्षेत्र का पुनरुद्धार और पुनर्बहाली** : डीडीए यमुना नदी के बाढ़ आशंकित समतल क्षेत्रों का पुनरुद्धार कर रहा है। डीडीए के कार्यक्षेत्र में आने वाले जोन ओ का पूरा हिस्सा 10 प्रोजेक्ट्स के तहत लाया गया है। इसमें कालिंदी कुंज कॉलोनी के निकट जैव विविधता पार्क का विकास भी शामिल है।

4.17 मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध:

- डीपीसीसी ने त्यौहारों के मौसम में प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 की उपधारा 33 ए के तहत दिशा-निर्देश 13.10.2021 को जारी किए थे। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार यमुना नदी में प्रतिमाओं के विसर्जन की अनुमति नहीं है।

4.18 अपशिष्ट प्रबंधन :

- 28 अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों/इकाईयों की संख्या : 29330
- 13 सीईटीपी से जुड़े 17 अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्रों में (28 अनुमोदित क्षेत्रों में से) ईटीपी वाली अनुमोदित उद्योगों/इकाईयों की संख्या : 26011
- सीईटीपी रहित (व्यक्तिगत ईटीपी वाले) 11 अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्रों में (28 अनुमोदित क्षेत्रों में से) ईटीपी वाली उद्योगों/इकाईयों की संख्या : 3339
- 28 अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों/इकाईयों की संख्या : 1369
- 13 सीईटीपी से जुड़े 17 अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्रों (28 अनुमोदित क्षेत्रों में से) में जल प्रदूषक उद्योगों/इकाईयों की संख्या : 1069
- सीईटीपी रहित (व्यक्तिगत ईटीपी वाले) 11 अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्रों 28 अनुमोदित क्षेत्रों में से) में जल प्रदूषक उद्योगों/इकाईयों की संख्या : 272
- 28 अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्र (व्हाइट कैटेगिरी के उद्योगों/इकाईयों, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान, जिनके लिए डीपीसीसी की सहमति जरूरी नहीं, को छोड़कर) में उद्योगों/इकाईयों से सृजित प्रवाह की मात्रा : 9.65 एमएलडी

- 17 अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्रों (28 अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्रों में) में सीईटीपी रहित उद्योगों /इकाईयों (व्हाइट कैटेगरी के उद्योगों/इकाईयों, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान, जिनके लिए डीपीसीसी की सहमति जरूरी नहीं, को छोड़कर) से उत्सर्जित निःस्सरण मात्रा : 25.57 एमएलडी
- 11 अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्रों (28 अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्रों में) में सीईटीपी रहित उद्योगों /इकाईयों (व्हाइट कैटेगरी के उद्योगों/इकाईयों, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान, जिनके लिए डीपीसीसी की सहमति जरूरी नहीं, को छोड़कर) से उत्सर्जित निःस्सरण की मात्रा : 4.08 एमएलडी
- टीपीडी में उद्योगों से उत्सर्जित हानिकर कचरे की मात्रा : 11.36 टीपीडी (सीईटीपी सहित)
- ईटीपी की संख्या और कुल क्षमता (वर्तमान/निर्माणाधीन का विवरण : 1369 ईटीपी/प्रस्तावित)
- ईटीपी की अनुपालन स्थिति
- सीईटीपी की संख्या और कुल क्षमता : 13
- (निर्माणाधीन/प्रस्तावित) क्षमता 212.3 एमएलडी
- उपयोग 64.078 एमएलडी (30.2 प्रतिशत)

4.19 यमुना नदी पुनरुद्धार के लिए उच्च स्तरीय समिति

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिनांक 20.09.2018, ओए संख्या 673/2018 के निर्देशों के अनुसार यमुना नदी के प्रदूषित भागों का पुनरुद्धार किया जाना है जिससे कम से कम केवल नहाने के लिए पानी का उपयोग हो सके। निम्नलिखित गुणवत्ता के अनुरूप पुनरुद्धार किया जाना है :

गुणवत्ता मानक	उपलब्ध किया जाने वाला मानक
बीओडी	$\leq 3 \text{ mg/l}$
घुलनशील ऑक्सीजन (डीओ)	$\geq 5.0 \text{ mg/l.}$
टोस अपशिष्ट	$\leq 500 \text{ MPN/100ml.}$

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने यमुना नदी में प्रदूषण की रोकथाम के सिलसिले में 'अश्विनी यादव बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार' मामले में दिनांक 09.01.2023 के ओए संख्या 21/2023 से एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है जिसमें दिल्ली के मुख्य सचिव संयोजक और दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों— सिंचाई, वन और पर्यावरण, कृषि और वित्त विभाग के सचिव, दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीडीए के उपाध्यक्ष, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के सचिव या उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति (अपर सचिव रैंक से नीचे न हों), वन विभाग के महानिदेशक या उनके द्वारा मनोनीत (उप महानिदेशक रैंक से नीचे न हो), सचिव, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो अपर सचिव पद से नीचे न हो, जल शक्ति मंत्रालय के सचिव या उनके मनोनीत व्यक्ति जो अपर सचिव रैंक से नीचे न हो, महानिदेशक, एमएमसीजी और अध्यक्ष सीपीसीबी शामिल हैं।

इस उच्च स्तरीय समिति से दिनांक 27.01.2021 के ओए संख्या 06/2012 (मनोज मिश्रा बनाम भारत सरकार और अन्य के मामले में) तथा अन्य संबंधित मामलों से, जुड़े सभी मुद्दों से निपटने को कहा गया।

उच्च स्तरीय समिति ने दिनांक 20.01.2023 को हुई अपनी पहली बैठक के बाद प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए नोडल अधिकारी सहित, यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए विभागवार विस्तृत कार्य योजना तैयार की। दिनांक 27.01.2023 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव द्वारा उपरोक्त कार्य योजना के कार्यान्वयन और निर्देशों के पालन के लिए आदेश जारी किया गया। इस कार्य योजना की प्रति और 27.01.2023 के मुख्य सचिव के आदेश की प्रति माननीय अधिकरण को 31.01.2023 को सौंप दी गई।

उच्च स्तरीय समिति ने दिनांक 14.02.2023, 14.03.2023, 21.04.2023, 09.06.2023, 10.08.2023 और 10.10.2023 को अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी और सातवीं बैठकों में यमुना नदी के पुनरुद्धार की कार्ययोजना के सभी बिन्दुओं पर विचार-विमर्श हुआ और विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की। माननीय हरित अधिकरण को 31.01.2023, 05.07.2023, 16.10.2023 और 21.12.2023 को स्थिति रिपोर्ट सौंपी गई।

4.20 यमुना कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए शामिल/जिम्मेदार एजेंसियां/विभाग

- दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (आईएफसीडी), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), वन विभाग, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), उद्योग विभाग, दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीएसआईआईसी), शहरी विकास विभाग, स्थानीय प्राधिकरण और नगर निगम।

5 अपशिष्ट प्रबंधन

5.1 नगर निगम के ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन:

शहर के ठोस अपशिष्ट को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप प्रबंधित किया जाना है। इन नियमों में, स्थानीय अधिकारियों और ग्राम पंचायतों, शहरी विकास विभाग, अपशिष्ट उत्पादकों, जिला मजिस्ट्रेट और अन्य विभागों/एजेंसियों/मंत्रालयों के कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है। दिल्ली में 5 स्थानीय निकाय/नगर निगम अपने संग्रह, प्रसंस्करण और निपटान सहित समुचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। शहर के ठोस कचरे के उत्पादन, प्रसंस्करण और निपटान का विवरण निम्नलिखित तालिका 8.4 में दिया गया है:

विवरण 8.4

शहर के ठोस कचरे का उत्सर्जन, प्रोसेसिंग और निपटान

क्र.सं.	विवरण	एमसीडी	एनडीएमसी	डीसीबी	कुल
1.	कुल नगरीय ठोस कचरा (एमएसडब्ल्यू) उत्सर्जन (टीपीडी) में	11000	311	65	11376
2.	वार्डों की संख्या	250	14 (सर्कल)	8	258 वार्ड+14 सर्कल
3.	एमएसडब्ल्यू उठाना/संग्रहण (प्रतिशत में)	100%	100%	100%	लागू नहीं
4.	एमएसडब्ल्यू का स्रोत पर पृथक्करण (प्रतिशत में)	100% (12 वार्ड में) 80-100% (70 वार्ड में) 60-80% (12 वार्ड में) 40-60% (81 वार्ड में) 20-40% (46 वार्ड में) 10-20% (29 वार्ड में)	सभी 14 सर्कल में शत प्रतिशत	सिविलियन क्षेत्र में 90 प्रतिशत	लागू नहीं
5.	एमएसडब्ल्यू प्रसंस्करण केंद्र की कुल क्षमता (एमआरएफ सहित)				8224.5 टीपीडी (72.3%)
6.	कुल एमएसडब्ल्यू प्रसंस्करण (ताजा निकला ठोस कचरा+एमआरएफ)				7354.8 टीपीडी (64.7%)
7.	कम्पोस्ट गड्डों के जरिये निस्तारण (258 गड्डे)				549.4 टीपीडी
8.	एमआरएफ से पुनरुत्पन्न				322 टीपीडी
9.	एमएसडब्ल्यू प्रसंस्करण क्षमता अंतराल				3147.5 टीपीडी (27.7%)
10.	एमएसडब्ल्यू प्रसंस्करण अंतराल				4021.2 टीपीडी (35.3 %)
11.	मौजूदा चार डब्ल्यूटीई संयंत्रों की क्षमता (बिजली उत्पादन क्षमता 84 मेगावाट)				6550 टीपीडी
	टिप्पणी : अधिकांश पांच सितारा और चार सितारा होटलों और 50 विस्तर या अधिक की क्षमता वाले बड़े अस्पतालों ने जैविक कचरा कन्वर्टर लगा लिया है।				

(क) शहर के ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान केंद्र :

बवाना में 2000 टीपीडी शहरी ठोस कचरे के प्रसंस्करण के लिए एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन केंद्र हैं, जिसमें कचरे से ऊर्जा संयंत्र, कम्पोस्ट संयंत्र और इंजीनियर्ड सेनेटरी लैंड फिल हैं। दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) द्वारा तेहखंड में एक इंजीनियर्ड सेनेटरी लैंडफिल विकसित की जा रही है।

2000 टीपीडी के लिए एक एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र को पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) द्वारा एनटीपीसी के साथ घोंडा गुजरान में संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव था परंतु, माननीय एनजीटी द्वारा गठित प्रधान समिति ने इस केंद्र के लिए अनुमति नहीं दी है, क्योंकि यह यमुना नदी के बाढ़ आशंकित मैदानी क्षेत्र में पड़ता है।

अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने के संयंत्र:

दिल्ली में 4 अलग-अलग स्थानों ओखला, गाजीपुर, बवाना और तेहखंड में 6550 टीपीडी क्षमता के अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र (डब्ल्यूटीई प्लांट) हैं। लगभग 3000 टीपीडी क्षमता का एक ऐसा नया संयंत्र नरेला-बवाना में प्रस्तावित है। ओखला स्थित वर्तमान डब्ल्यूटीई की क्षमता 1950 टीपीडी से बढ़ा कर 2950 टीपीडी (23 से 40 मेगावाट) करने का प्रस्ताव है। ओखला में मौजूदा डब्ल्यूटीई के विस्तार के लिए जन सुनवाई 16.08.2022 को की गई और 24.08.2022 को जन सुनवाई की कार्यवाई की गई और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरणीय मंजूरी जारी कर दी। 2000 टीपीडी का एक अन्य कचरे से ऊर्जा संयंत्र गाजीपुर में प्रस्तावित है, 2027 तक इसके

पूरा हो जाने की आशा है। उपरोक्त प्रस्तावित परियोजन के चालू हो जाने से 2027 तक डब्ल्यूटीई संयंत्रों की क्षमता 6550 टीपीडी से बढ़ कर 12550 टीपीडी हो जाएगी।

दिल्ली में मौजूदा संचालित कचरे से ऊर्जा संयंत्रों की जानकारी इस प्रकार है ::

विवरण 8.5

दिल्ली में वर्तमान में संचालित अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने के संयंत्र

क्र. सं.	अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र और आपरेटर का नाम	मौजूदा क्षमता	
		अपशिष्ट प्रसंस्करण (टीपीडी में)	बिजली उत्पादन क्षमता (मेगावाट में)
1.	ओखला में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र (मैसर्स तिमारपुर ओखला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लि., ओल्ड एनडीएमसी कम्पोस्ट साइट, ओखला द्वारा संचालित)	1950	23
2.	गाजीपुर में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र (मैसर्स ईस्ट दिल्ली वेस्ट प्रोसेसिंग कं.लि., गाजीपुर द्वारा संचालित)	1300	12
3.	बवाना में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र (मैसर्स दिल्ली एमएसडब्ल्यू सोल्यूशन्स लि., नरेला बवाना रोड, बवाना)	1300	24
4.	तेहखंड में अपशिष्ट से विद्युत परियोजना लिमिटेड, तेहखंड, दिल्ली	2000	25
कुल		6550	84

विवरण 8.6

दिल्ली में प्रस्तावित अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण केंद्र

क्र सं	एमएसडब्ल्यू संयंत्र	संख्या	स्थान	स्थानीय निकाय	क्षमता संवर्धन (टीपीडी में)	पूरा करने की समय सीमा
1.	नरेला—बवाना में नया कचरे से ऊर्जा संयंत्र	1	नरेला—बवाना	एमसीडी	3000	2026
2	गाजीपुर में नया कचरे से ऊर्जा संयंत्र	1	गाजीपुर	एमसीडी	2000	2027
3	ओखला में मौजूदा डब्ल्यूटीई संयंत्र का विस्तार	1	ओखला	एमसीडी	1000 (1950 टीपीडी से 2950 टीपीडी)	दिसंबर 2024 (पर्यावरणीय मंजूरी जारी)
4.	बायो सीएनजी संयंत्र	1	ओखला	एमसीडी	300 टीपीडी (200 टीपीडी के बंद कम्पोस्ट संयंत्र के स्थान पर)	जून 2024
5.	कम्प्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) संयंत्र	1	घोघा डेयरी	एमसीडी	100 टीपीडी	दिसंबर 2024 (आईजीएल ने यह काम सौंपा है)
6.	जैविक कचरा कन्वर्टर	8	एनडीएमसी क्षेत्र	एनडीएमसी	8 (प्रत्येक 1 टीपीडी के 8 संयंत्र)	दिसंबर, 2023
7.	विकेंद्रीकृत कम्पोस्टर प्लांट	1	विश्वास नगर	एमसीडी	1 टीपीडी	जनवरी, 2024
		1	न्यू अशोक नगर		1 टीपीडी	
	कुल	15			6410 टीपीडी (एमसीडी— 6402 एनडीएमसी— 8)	

टिप्पणी : 1. नांगली डेरी स्थित बायो सीएनजी संयंत्र (215 टीपीडी, अक्टूबर 2023 से परीक्षण के अधीन) और गोयला डेरी 215 टीपीडी और घोघा डेरी (290 टीपीडी) के संयंत्र मार्च 2024 तक पूरा कर लिए जाने का प्रस्ताव है (यह संयंत्र मुख्य रूप से डेरी से उत्सर्जित कचरे के लिए हैं और एमसीडी के कुल 11000 टीपीडी ठोस कचरे उत्सर्जन में शामिल नहीं हैं)।

2. तेहखंड में एक इंजीनियर्ड सेनेटरी लैंडफिल (एसएलएफ) निर्माणाधीन है (समयसीमा दिसंबर 2023)

5.2 दिल्ली में तीन कूड़ा स्थलों से कचरा (पुराना एमएसडब्ल्यू) निस्तारण से संबंधित राष्ट्रीय हरित अधिकरण की ओए संख्या 519/2019 और ओए संख्या 386/2019

- दिल्ली में 3 कूड़ा स्थल गाजीपुर, भलस्वा और ओखला में हैं, जहाँ पिछले कई वर्षों से जमा किया जा रहा नगर निगम का ठोस कचरा अब लगभग 28 मिलियन टन का ढेर बन गया है।

तीन कूड़ा स्थलों गाजीपुर, भलस्वा और ओखला में कूड़े के ढेर की जैव खनन स्थिति

(30.11.2023 को)

कूड़ा स्थल	जमा कूड़े की मात्रा (जुलाई 2019) (लाख टन)	जैव खनित कचरे की कुल मात्रा (अक्टूबर 2019 से 30 नवंबर 2023 तक) (लाख टन)	नवंबर 2023 में जैव खनित कचरे की कुल मात्रा (लाख टन)	कूड़ा ढेर (जून 2022 में झोन से मात्रात्मक आकलन*) *जमीन के ऊपर (लाख टन)	जुलाई 2022 से 30 नवंबर 2023 तक डाला गया ताजा कचरे/गाद/मलबा (लाख टन)	जुलाई 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जैव खनित कूड़े की कुल मात्रा (लाख टन)	जकूड़ा स्थल पर शेष कूड़े की मात्रा (लाख टन)	कार्यरत ट्रामेल्स की संख्या	शत-प्रतिशत कूड़ा निस्तारण की संशोधित समयसीमा (पहले की समयसीमा -मई 2024)
भलस्वा	80	50.98 (63.73 %) (3349.54 टीपीडी)	2.37 (7900 टीपीडी)	73	12.65 (2442.08 टीपीडी)	26.11 (5040.54 टीपीडी)	59.54	22	2024
गाजीपुर	140	21.56 (15.4 %) (1416.56 टीपीडी)	0.04 (133.3 टीपीडी)	85	9.13 (1762.55 टीपीडी)	10.30 (1988.42 टीपीडी)	83.83	25	2024
ओखला	60	35.90 (59.83 %) (2358.74 टीपीडी)	1.07 (3566.7 टीपीडी)	45	8.13 (1569.5 टीपीडी)	17.59 (3395.75 टीपीडी)	35.54	11	2024
कुल	280	108.44 (38.73%) (7124.84 टीपीडी)	3.48 (11600 टीपीडी)	203	29.91 (5774.13 टीपीडी)	54.00 (10424.71 टीपीडी)	178.91	58	

एमसीडी ने स्वच्छ भारत मिशन-2.0 के तहत प्रत्येक कूड़ा स्थल पर प्रतिमीटर 745 रुपये की दर से 30 लाख मीट्रिक टन (45 लाख मीट्रिक टन तक विस्तार योग्य) के लिए एकीकृत कार्य सौंपा है।

5.3 बायोमेडिकल कचरा

5.3.1 दिल्ली में 2023 में करीब 29.155 टीपीडी बायो मेडिकल कचरा उत्सर्जित हुआ (कोविड कचरे को छोड़कर)। दिल्ली में चिकित्सा प्रतिष्ठानों से उत्सर्जित बायोमेडिकल कचरे के उपचार के लिए निम्नांकित 63 टीपीडी क्षमता 2 संयुक्त बायो मेडिकल कचरा उपचार केंद्र (सीबीडब्ल्यूटीएफ) कार्यरत हैं :-

- मैसर्स बायोटिक वेस्ट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित संयंत्र जो 46 एसएसआई इंडस्ट्रियल एरिया, जीटीके रोड, दिल्ली में स्थित है।
- मैसर्स एसएमएस वाटर ग्रेस, बीएमडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित संयंत्र जो दिल्ली जल बोर्ड के निलोठी एसटीपी के निकट स्थित है।

- 5.3.2 इन संयुक्त बायोमेडिकल कचरा उपचार केंद्रों में बायोमेडिकल कचरे के उपचार और निपटान के लिए इंसीनेटर्स, ऑटोक्लेव और श्रेडर्स लगे हैं तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली और ऑनलाइन निगरानी प्रणाली भी संस्थापित की है। कोविड कचरे सहित बायो मेडिकल कचरे का निपटान बायो मेडिकल कचरा प्रबंधन विनियम 2016 के प्रावधानों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।

5.4 इलेक्ट्रॉनिक कचरा

- 5.4.1 सीपीसीबी ने उत्पादकों और उत्पादन उत्तरदायी संगठनों (पीआरओ) को विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) अधिकार मंजूर किए हैं और इसके अनुपालन और उल्लंघन की डीपीसीसी द्वारा निगरानी की जा रही है। कोई उल्लंघन होने पर सीपीसीबी को आगे की कार्रवाई के लिए सूचित किया जाता है।
- 5.4.2 डीपीसीसी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इन नियमों के तहत तीन रिफर्बीशर और 2 डिस्मेंटलर को अधिकार जारी किए हैं।
- 5.4.3 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली में ई-कचरा प्रबंधन के लिए एक ई-कचरा ईको पार्क विकसित करने का विचार किया था। इस कार्य के लिए डीएसआईआईडीसी नोडल विभाग बनाया गया है। ई-कचरा ईको पार्क के लिए चरणवार रूप से ये उपाय किए जा सकते हैं। 1. पहला कदम पार्क के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट प्रबंधन परामर्शदाता की सेवाएं सुनिश्चित करना है। यह काम किया जा चुका है और मेसर्स ई एंड वाई कंपनी एलएलपी को खुली ई निविदा के जरिये कार्य सौंपा गया है। संचालन समिति ने कार्य मॉडल मंजूर कर लिया है।

5.5 भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन विनियम 2016, संशोधित 2018

ये नियम उत्पादकों, शहरी स्थानीय निकायों, शहरी विकास विभागों, स्थानीय प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति सहित विभिन्न हितधारकों को जिम्मेदारी सौंपते हैं।

निर्धारित प्राधिकरण	आदेश
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नियंत्रण समिति	पंजीकरण, निर्माण और पुनर्चक्रण
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के शहरी विकास विभाग के संबंधित प्रभारी सचिव	कचरा पैदा करने वाले, प्लास्टिक की थैलियों, शीट्स या इस प्रकार की अन्य वस्तुओं के इस्तेमाल पर रोक
गांवों में संबंधित ग्राम पंचायत, प्राधिकारी होंगी	कचरा पैदा करने वाले, प्लास्टिक की थैलियों, शीट्स या इस प्रकार की अन्य वस्तुओं के इस्तेमाल पर रोक
जिला मजिस्ट्रेट	क्षेत्रीय सीमा में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम लागू करने में प्राधिकारियों की सहायता करना

प्लास्टिक कचरा उत्पादन की स्थिति: 1035 टन / दिन (लगभग)

5.6 एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

- 12.08.2021 को अधिसूचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (संशोधन) विनियम 2021 के नियम 4 (2) क और ख के अनुसार पॉलिस्टिरिन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल उपयोग प्लास्टिक का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पहली जुलाई 2022 से प्रतिबंधित रहेगा। : (क) प्लास्टिक की स्टिक के साथ ईयर बड, बैलून के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के बने झंडे, कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम स्टिक, पॉलिस्टिरिन, सजावटी थर्मोकोल : (ख) प्लास्टिक प्लेट, कप, ग्लास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों पर लपेटने या पैकिंग की फिल्म, आमंत्रण पत्र और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रॉन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टायरर (कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक से बनी चीजों को छोड़कर)।
- इसके अलावा मंत्रालय ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016 और अब तक संशोधित प्रावधानों के तहत प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं, 19 एकल प्लास्टिक उपयोग (एसयूपी) वस्तुओं पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगा दिया है।
- प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016 में किए गए सभी संशोधन अगस्त 2021, सितंबर 2021 और फरवरी 2022 में लागू कर दिए गए। अब इन नियमों को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 के रूप में जाना जाएगा।

दिल्ली में एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपीज़) पर रोक लगाने और एसयूपी के विकल्प को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण विभाग द्वारा की गई कार्रवाई :

विशेष कार्य बल : पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव, दिल्ली की अध्यक्षता में विशेष कार्य बल का गठन किया।

दिल्ली में एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन पर व्यापक कार्य योजना (सीएपी) : स्थानीय निकायों से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को मिली जानकारी के आधार पर तैयार की गई है और कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारक विभागों/एजेंसियों को वितरित की गई है।

सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) योजना : शिक्षा, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबीज), पर्यावरण विभाग, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) आदि सहित सभी हितधारक विभागों द्वारा लागू किए जाने के लिए आईईसी योजना तैयार की गई।

एसयूपी वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का परामर्श : रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों में एसयूपी वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की सलाह जारी की गई थी। पर्यावरण विभाग ने शिक्षा निदेशालय और प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार से इस सलाह पर अमल शुरू करने और इसे स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच व्यापक रूप में प्रचारित करने का अनुरोध किया।

एकल उपयोग प्लास्टिक और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 पर ऑनलाइन प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम : मई, 2022 से सितंबर, 2022 के बीच यूएलबी, औद्योगिक संघों और वाणिज्यिक इकाइयों, इको-क्लबों (स्कूल और कॉलेज) और राजस्व विभाग, डीपीसीसी प्रवर्तन अधिकारियों और मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के साथ विभिन्न ऑनलाइन प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

अनुसंधान एवं विकास अध्ययन : विभाग ने विभिन्न अनुसंधान एवं विकास अध्ययन करने के प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी किया है जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए उपयोगी होगा। प्लास्टिक पर विशेष रूप से निम्नलिखित अध्ययन प्रस्तावित हैं :

- दिल्ली में एकल उपयोग प्लास्टिक के बारे में अध्ययन
- दिल्ली में यमुना प्रदूषण पर अध्ययन
- दिल्ली में यमुना नदी और भूजल में सूक्ष्म प्लास्टिक पर अध्ययन

प्लास्टिक विकल्प मेला : पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने स्टार्टअप्स/उद्यमियों/एसएचजी/व्यापारी/निर्माता/संगठनों/संस्थानों आदि को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) के विकल्पों के बारे में 1 से 3 जुलाई, 2022 तक 3 दिवसीय 'प्लास्टिक विकल्प मेले' का आयोजन किया।

डीपीसीसी ने जागरूकता अभियान चलाए, प्रिंट मीडिया में सार्वजनिक नोटिस जारी किए, 28 औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक सर्वेक्षण किया, औद्योगिक संगठनों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ बैठकें कीं, औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया और नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों को बंद किया और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम आदि के बारे में प्रवर्तन अधिकारियों के लिए हैंडबुक वितरित कीं।

- दिल्ली सरकार ने दिनांक 23.10.2012 की अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, बिक्री, भंडारण, उपयोग, आयात और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया था। अखिल भारतीय प्लास्टिक उद्योग संघ (डब्ल्यूपीसी 7012/2012) द्वारा इस अधिसूचना को दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। 05.12.2016 को, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.08.2017 के अंतरिम आदेश के माध्यम से मामले को माननीय एनजीटी को स्थानांतरित कर दिया। एनजीटी ने रा.रा.क्षे. दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम के नोन-कंपोजिटेबल प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और निर्देश दिया कि इसका उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में प्रति उल्लंघन 5000/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

5.7 निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन

- दिल्ली में निर्माण और इमारतों को ढहाए जाने से लगभग 6000 टीपीडी कचरा उत्सर्जित होता है।
- वर्तमान में निर्माण और इमारतों को ढहाए जाने से उत्पन्न कचरे के प्रोसेसिंग/रीसाइकलिंग के लिए 5 संयंत्र लगाए गए हैं, जिनकी संस्थापित क्षमता 5150 टीपीडी (जहांगीर पुरी- बुराडी-2000 टीपीडी, रानीखेड़ा-1000 टीपीडी, शास्त्री पार्क-1000 टीपीडी, बक्करवाला-1000 टीपीडी और रानीखेड़ा डीएमआरसी संयंत्र-150 टीपीडी) तेहखंड ओखला में अतिरिक्त 1000 टीपीडी का केंद्र

प्रस्तावित है।

- मौजूदा और प्रस्तावित प्रसंस्करण केंद्रों के साथ, उम्मीद है कि दिल्ली में उत्पन्न पूरे सी एंड डी कचरे को वैज्ञानिक और समुचित तरीके से प्रबंधित किया जाएगा।
- निर्माण और इमारतों को ढहाए जाने से उत्पन्न मलबे से संसाधित सामग्री का उपयोग टाइलें/फुटपाथ ब्लॉक बनाने और तैयार-मिश्रित कंक्रीट आदि के लिए भी किया जाता है।

5.8 खतरनाक कचरा

- कुल खतरनाक कचरा उत्सर्जन : 4260.587 एमटी/वर्ष (11.67 टीपीडी)
- खतरनाक कचरा उत्सर्जित करने वाले उद्योगों की संख्या : 2714
- बवाना स्थित टीएसडीएफ की उपचार क्षमता : 178 टीपीडी (सुरक्षित लैंडफिल)
- 54.79 टीपीडी (उपचार/स्थिरीकरण के बाद लैंडफिल) 12 (इनसिनरेशन)
- खतरनाक कचरे की औसत मात्रा : 69.957 टीपीडी (नवंबर 2023)
- टीएसडीएफ

बवाना में खतरनाक कचरे के लिए टीएसडीएफ

दिल्ली के खतरनाक कचरे के निपटान के लिए बवाना क्षेत्र में उपचार भंडारण और निपटान केंद्र (टीएसडीएफ) की स्थापना की गई है। डीपीसीसी द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 04.03.2022 को वायु और जल अधिनियमों के तहत संचालन की सहमति और खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचालन) नियम, 2016 के तहत सुरक्षित लैंडफिल (एसएलएफ), इंसीनरेशन और संबद्ध गतिविधियों के लिए प्राधिकृत किया गया। टीएसडीएफ प्रचालन में है।

6 जलवायु परिवर्तन उपशमन उपाय

- 6.1 दिल्ली सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के मुद्दे पर दिल्ली जलवायु परिवर्तन कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना की तर्ज पर है।
- 6.2 जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों वाले निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई है और जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना में व्यापक कार्यनीतियां बनाई गई हैं
 - (क) अधिक ऊर्जा सक्षमता
 - (ख) सतत परिववास
 - (ग) हरित भारत
 - (घ) जल मिशन
 - (ङ) कार्यनीतिक जानकारी
 - (च) सौर मिशन
- 6.3 पर्यावरण विभाग ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एसएपीसीसी में संशोधन के लिए उपलब्ध कराए गए सामान्य फ्रेमवर्क दिशानिर्देशों के अनुसार दिल्ली की राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यवाई योजना (एसएपीसीसी) में संशोधन के लिए डूशे गैसलचौफ फर इंटरनेशनल जूसामेनार्बेट (जिज-इंडिया) को नियुक्त किया है। दिल्ली के लिए जलवायु परिवर्तन पर

राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) का संशोधन पेरिस समझौते, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और प्रचलित राष्ट्रीय नीतियों और मिशनों के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के अनुरूप है। संशोधित एसएपीसीसी रिपोर्ट में 2030 तक लक्षित शमन और अनुकूलन कार्रवाई बिंदु शामिल हैं। एसएपीसीसी— दिल्ली का संशोधन प्रगति पर है।

7 ग्रीन दिल्ली ऐप

7.1 नागरिकों को जानकारी देने, उनमें जागरूकता पैदा करने और उनकी शिकायतों के निपटान के लिए एकल मंच प्रदान करने के वास्ते ग्रीन दिल्ली ऐप विकसित किया गया है। प्रदूषण से संबंधित विभिन्न अपराधों के संबंध में दिल्ली के नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 29.10.2020 को ग्रीन दिल्ली ऐप की शुरुआत की। ग्रीन दिल्ली ऐप पर अपलोड की गई शिकायतों पर निगरानी के लिए दिल्ली सचिवालय में चौबीसों घंटे कार्यरत ग्रीन वार रूम (जीडब्ल्यूआर) स्थापित किया गया है। ग्रीन दिल्ली ऐप का उद्देश्य वायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित शिकायतों का समाधान करना है।

7.2 ग्रीन दिल्ली ऐप पर 31.12.2023 तक 74419 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 66,863 का समाधान 28 एजेंसियों द्वारा कर दिया गया और केवल 10.15 प्रतिशत शिकायतें लंबित हैं।

ग्रीन वार रूम के कुशल कामकाज के लिए, निम्नलिखित 5 हितधारक उत्तरदायी हैं:

1. **प्रभारी जीडब्ल्यूआर** : प्रभारी अधिकारी जीडब्ल्यूआर के समग्र संचालन के लिए जिम्मेदार है।
2. **डीपीसीसी प्रशिक्षु** : जीडब्ल्यूआर के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए जिम्मेदार।
3. **एजेंसियों के नोडल अधिकारी** : अपने विभागों के भीतर शिकायतों के समयबद्ध समाधान के लिए जिम्मेदार।
4. **डीपीसीसी इंजीनियर्स** : डीपीसीसी के सेल प्रभारी अधिकारी शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे डिफॉल्ट के मामले में शिकायतों के निवारण के लिए जिम्मेदार एजेंसियों पर ईडीसी लगाने सहित कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं।
5. **ग्रीन दिल्ली ऐप आईटी टीम (डीपीसीसी)** : ग्रीन दिल्ली ऐप डैशबोर्ड और जीडब्ल्यूआर की अन्य आईटी आवश्यकताओं का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है।

8 दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन्स सोसायटी (डीपीजीएस)

8.1 दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन्स सोसायटी (डीपीजीएस) दिल्ली में उद्यानों और बागों का रख-रखाव करती है। डीपीजीएस दिल्ली में उद्यानों के रख-रखाव और विकास में निवासी कल्याण संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को शामिल करती है, ताकि दिल्ली में हरियाली बढ़ाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। यह आरडब्ल्यूए/गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 2.11.2020 से वित्तीय सहायता में वृद्धि की गई। संशोधित दरों के अनुसार एसटीपी रहित पार्कों और उद्यानों के रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता रु 2 लाख प्रति एकड़ से बढ़ाकर रु 2.55 लाख प्रति एकड़ और एसटीपी सहित पार्कों के मामले में 2.80 लाख रुपये प्रति एकड़ तथा एसटीपी की रखरखाव लागत के बिना नए पार्कों के निर्माण/विकास के लिए प्रति एकड़ 3.55 लाख रुपये

कर दी गई। दिल्ली में विकेन्द्रित एसटीपी की स्थापना के लिए एकबारगी वित्तीय सहायता 2 लाख रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 3.50 लाख रु प्रति एकड़ कर दी गयी है जिसके लिए सम्बद्ध भूमि का स्वामित्व रखने वाली एजेंसी, दिल्ली जल बोर्ड और क्षेत्र के विधायक से अनापत्ति प्रमाणपत्र आवश्यक होता है।

8.2 वर्ष 2021–22 और 2022–23 तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 (31.10.2023 तक) के दौरान डीपीजीएस का कार्य निष्पादन:

- वर्ष 2021–22 के दौरान 518 एकड़ जमीन में पार्को और उद्यानों के रखरखाव के लिए 941 लाख रुपए वित्तीय सहायता दी गई, जिसके अंतर्गत 368 आरडब्ल्यूए/एनजीओ की भागीदारी के साथ 1560 पार्क शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2022–2023 में 540 एकड़ भूमि में 421 आरडब्ल्यूए/एनजीओ की भागीदारी से 1877 पार्क के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2023–2024 के दौरान (31.10.2023 तक) डीपीजीएस ने 403.66 एकड़ भूमि में 276 आरडब्ल्यूए/एनजीओ की भागीदारी से 1404 पार्क के विकास के लिए 417 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की।

2023–24 के लिए लक्ष्य

- डीपीजीएस ने 2023–24 के दौरान 500 निवासी कल्याण संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के साथ 600 एकड़ क्षेत्र में 2000 उद्यानों का लक्ष्य रखा है।
- डीपीजीएस नर्सरी से निशुल्क पौध वितरण
- वर्ष 2021–22 के दौरान डीपीजीएस नर्सरी में 2,90,257 पौधे खरीदे/उगाए गए तथा रखरखाव किया गया और वितरित किए गए। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 3,50,330 पौधे खरीदे/उगाए गए तथा रखरखाव किया गया और दिल्ली में पौधरोपण के लिए शैक्षणिक संस्थाओं/सशस्त्र सेनाओं और आम लोगों को वितरित किए गए। वर्ष 2023–24 (31.10.2023 तक) डीपीजीएस नर्सरी में 99341 पौधे खरीदे/उगाए गए तथा रखरखाव किया गया तथा पौध रोपण के लिए वितरित किए गए। वर्ष 2023–24 के दौरान 250000 पौधों के निःशुल्क वितरण का लक्ष्य रखा गया है।
- विकेन्द्रित एसटीपी की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता
- डीपीजीएस द्वारा निवासी कल्याण संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को विकेन्द्रित एसटीपी (मल–जल उपचार संयंत्रों) की स्थापना के लिए 3.50 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसके लिए सम्बद्ध भूमि स्वामित्व एजेंसी, दिल्ली जल बोर्ड और क्षेत्र के विधायक से अनापत्ति प्रमाणपत्र आवश्यक होता है।
- डीपीजीएस हरित गतिविधियों में अन्य एजेंसियों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है।
- दिल्ली में जल निकायों का जीर्णोद्धार।
- वेटलैंड अथॉरिटी ऑफ दिल्ली (दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन्स सोसाइटी) दिल्ली में 31.07.2023 तक सूचीबद्ध 1045 जल निकायों के संरक्षण, संरक्षण और प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी है, जिनमें से 1018 जल निकायों का मानचित्रण किया गया है। वेटलैंड (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत एक संक्षिप्त दस्तावेज की वैधानिक आवश्यकता है, जिसे 16 सम्बद्ध विभागों/भू-स्वामित्व वाली एजेंसियों के साथ समन्वय के माध्यम से 710 जल निकायों के लिए तैयार किया गया है।

- वेटलैंड्स के संरक्षण में नागरिकों की भागीदारी और जनभागीदारी वेटलैंड मित्र की नियुक्ति की घोषणा के माध्यम से की जाती है, वर्तमान में, वेटलैंड प्राधिकरण के साथ 112 वेटलैंड मित्र वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन गतिविधियों के लिए प्रो-बोनों आधार पर दिल्ली की वेटलैंड्स की सुरक्षा और बहाली में लगे हुए हैं।

9. दिल्ली में वन

- 9.1 दिल्ली को 1.679 करोड़ जनसंख्या के साथ-साथ राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 23.06 प्रतिशत हरित क्षेत्र की हिस्सेदारी के साथ देश के सबसे हरित शहरों में से एक और विश्व में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर होने का अनूठा गौरव प्राप्त है (इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2021)। दिल्ली सरकार पारिस्थितिकी और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से दिल्ली में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
- 9.2 चैंपियन और सेठ वर्गीकरण के अनुसार दिल्ली के वन प्रकार मोटे तौर पर दो समूहों में आते हैं:
- (i) उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन (समूह 5) और (ii) उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन (समूह 6)। दिल्ली की वनस्पति कटीली झाड़ियों वाली है, जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है।
- 9.3 दिल्ली के वन क्षेत्र में राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुरूप वृद्धि हो रही है। वननीति में कम से कम कुल क्षेत्र के एक तिहाई हिस्से का वन क्षेत्र के तहत होना आवश्यक है। दिल्ली में वन क्षेत्र बढ़ाने की अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि यहां सीमित वन भूमि है, जिसमें वन क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा किए गए उपायों के परिणाम स्वरूप पिछले 10 वर्षों से दिल्ली के वन क्षेत्र और हरित क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो निम्नांकित विवरण 8.7 से स्पष्ट है :

विवरण 8.7

वन और हरित क्षेत्र 1997-2021

(वर्ग किलोमीटर)

क्र.	वर्ष	वन और वृक्षाच्छादित क्षेत्र	क्षेत्र में सम्पूर्ण वृद्धि	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1.	1997	26	--	1.75
2.	1999	88	62	5.93
3.	2001	151	63	10.20
4.	2003	268	117	18.07
5.	2005	283	15	19.09
6.	2009	299.58	16.58	20.20
7.	2011	296.20	-3.38	19.97
8.	2013	297.81	1.61	20.08
9.	2015	299.77	1.96	20.22
10.	2017	305.41	5.64	20.59
11.	2019	324.44	19.03	21.88
12.	2021	342.00	17.56	23.06

स्रोत : राज्य वन रिपोर्ट 2021

- 9.4 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पर्यावरण को हरा-भरा रखने के लिए वनों और वृक्षाच्छादित क्षेत्र में बढ़ोतरी करने के उपाय किए हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप पिछले 10 वर्षों

से दिल्ली के वन और हरित क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2021 में दिल्ली में वन और हरित क्षेत्र की जानकारी विवरण 8.8 में दी गई है।

विवरण 8.8
दिल्ली का वन और वृक्षाच्छादित क्षेत्र

(वर्ग किलोमीटर)

दिल्ली में वन और वृक्षाच्छादित क्षेत्र में बदलाव	2021 मूल्यांकन
भौगोलिक क्षेत्र	1483
अत्यंत गहन वन	6.72
सामान्य गहन वन	56.60
मुक्त वन	131.68
(ए) कुल वन	195.00
(कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत)	13.15
(बी) वृक्षाच्छादित क्षेत्र	147
(कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत)	9.91
कुल वन और वृक्षाच्छादित क्षेत्र (ए+बी)	342
(भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत)	23.06

स्रोत : राज्य वन रिपोर्ट, 2021

- 9.5 इंडिया स्टेट फारेस्ट रिपोर्ट 2021 से पता चलता है कि बहुत घने वन आवरण में 70 प्रतिशत से अधिक चंदवा (कैनोपी) हैं, मध्यम घने वन आवरण में 40 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक चंदवा है। ये वास्तविक कार्बन सिंक हैं। ऐसे घने जंगलों का निरंतर रूप से बढ़ना एक अच्छा संकेत है क्योंकि इनसे शहर की कार्बन सोखने की क्षमता बढ़ती है। 10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के कैनोपी कवर वाले खुले जंगल, दिल्ली में 131.68 वर्ग किमी क्षेत्र को कवर करते हैं। (विवरण 8.10)
- 9.6 दिल्ली में मौजूदा हरित आवरण के नुकसान को कम करने के लिए काटे जाने वाले/प्रत्यारोपित किए जाने वाले पेड़ों की संख्या को युक्तिसंगत बनाया गया है। साथ ही पौधरोपण अभियान भी चलाया गया। नए पौधों की गिनती नहीं की गई है क्योंकि वे चंदवा की दृष्टि से बहुत छोटे हैं। वे कम से कम पांच से 10 साल की अवधि के बाद ही मध्यम घने जंगल या बहुत घने जंगल में आएंगे।
- 9.7 जहाँ तक वृक्षों के आच्छादन का संबंध है, सड़कों के किनारे विरल वनस्पति या छोटे पैमाने पर वृक्षारोपण के साथ अन्य राज्यों के बीच दिल्ली कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में दूसरा सबसे बड़ा वृक्ष आच्छादित राज्य है,
- 9.8 **प्रमुख बड़े शहरों में वन क्षेत्र :**

देश के सात प्रमुख बड़े शहरों में दिल्ली का वन क्षेत्र सबसे अधिक 194.24 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद मुंबई (110.77 वर्ग किलोमीटर) और बेगलुरु (89.02 वर्ग किलोमीटर) का स्थान है। (विवरण 8.9)

विवरण 8.9
प्रमुख बड़े शहरों में वन क्षेत्र (आईएसएफआर 2021)

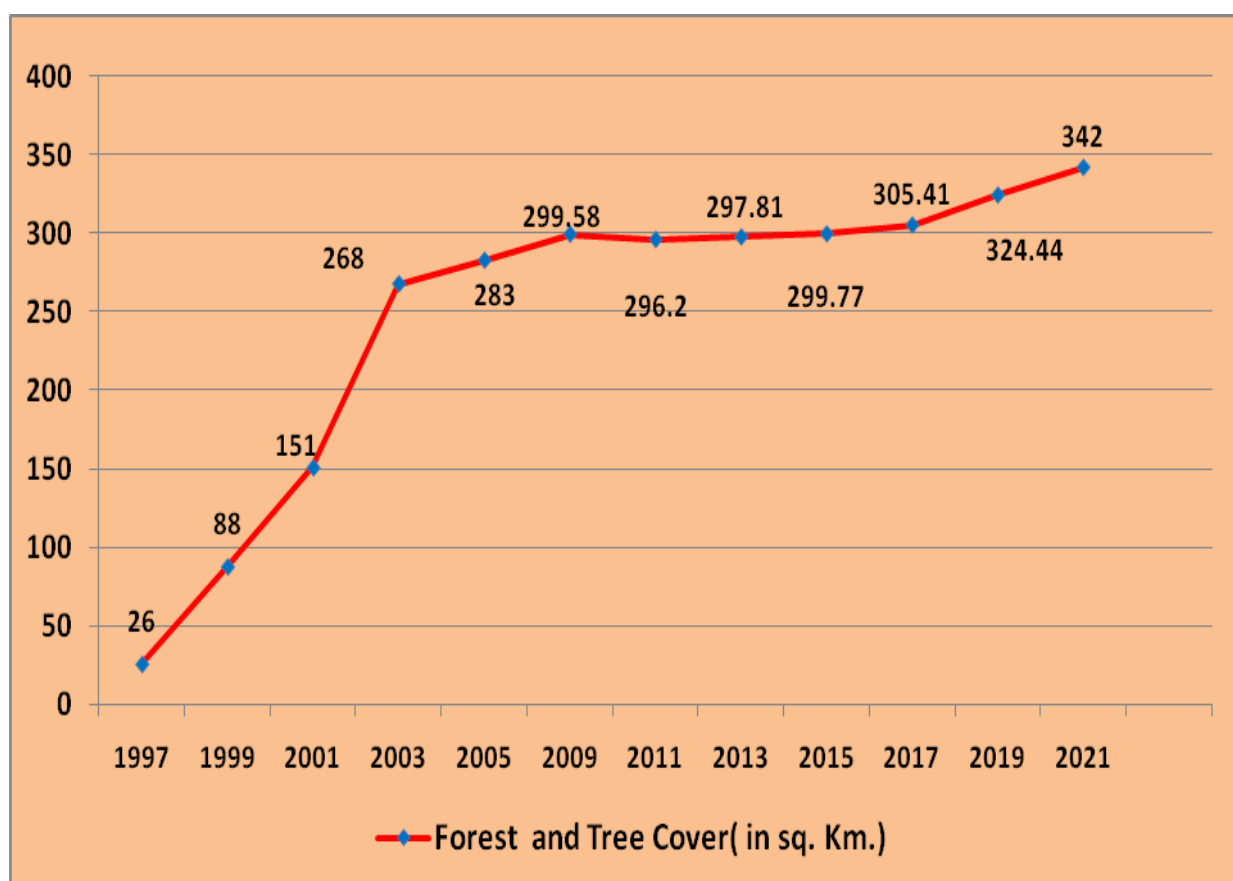
(क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में)

क्रं.स.	नम	डिजिटाइज्ड बाउंड्री के अनुसार क्षेत्र	अत्यंत गहन वन	मध्यम गहन वन	मुक्त वन	कुल वन क्षेत्र	कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत	झाड़ियां
1	अहमदाबाद	455.32	0.00	1.59	7.82	9.41	2.07	4.85
2	बंगलुरु	1307.35	0.00	12.66	76.36	89.02	6.81	14.87
3	चेन्नई	430.07	0.00	7.66	15.04	22.70	5.28	1.77
4	दिल्ली	1540.63	6.74	56.34	131.15	194.24	12.61	0.45
5	हैदराबाद	634.18	0.00	17.68	64.13	81.81	12.90	29.96
6	कोलकाता	186.55	0.00	0.10	1.67	1.77	0.95	0.00
7	मुंबई	435.91	0.00	51.13	59.65	110.77	25.41	0.00
	कुल	4990.01	6.74	147.16	355.82	509.72	10.21	51.90

स्रोत : राज्य वन रिपोर्ट, 2021

*2021 में एनआईसी दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराई गई डिजिटाइज्ड बाउंड्री की शेप फाइल।

चार्ट 8.5
दिल्ली का वन और वृक्षाच्छादित क्षेत्र 1997-2021



9.9 दिल्ली के वन क्षेत्र और कुल भौगोलिक क्षेत्र की जिलावार जानकारी विवरण 8.10 में दी गई है।

विवरण 8.10
दिल्ली में जिलावार वनाच्छादित क्षेत्र-2021

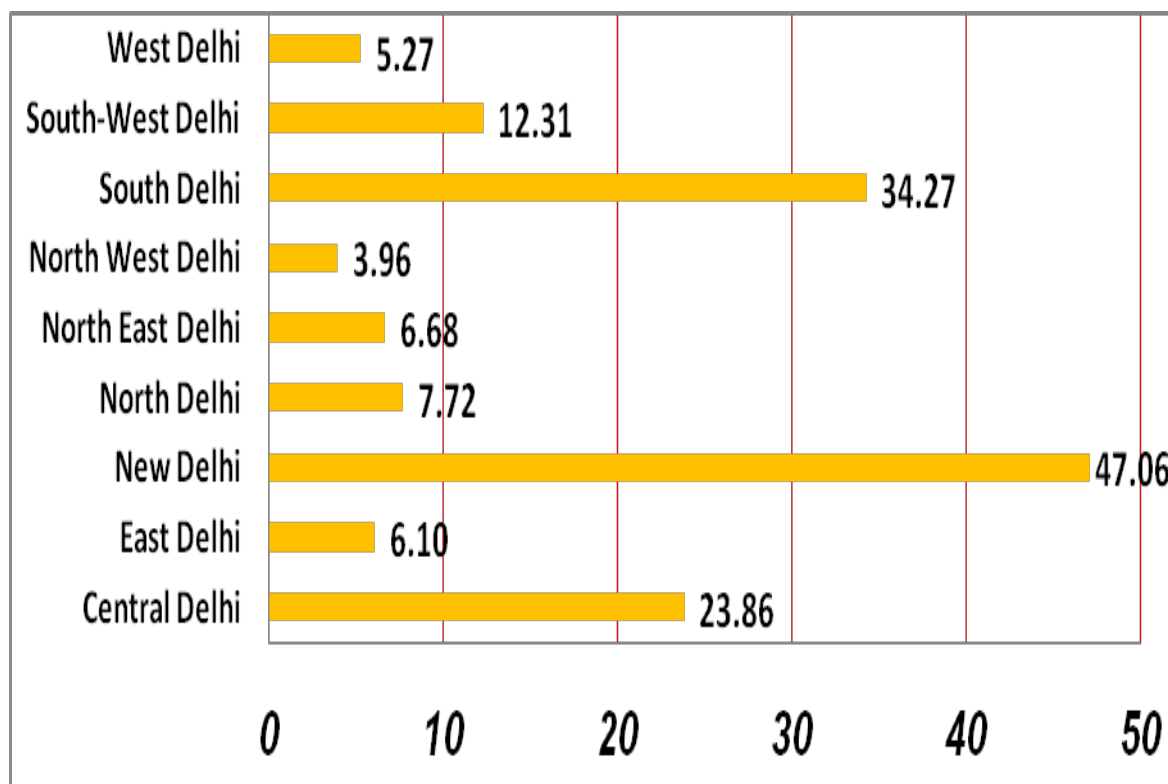
(वर्ग कि.मी.)

क्र.सं.	जिले	भौगोलिक क्षेत्र	वनाच्छादित क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत
1.	मध्य दिल्ली	21	5.01	23.86
2.	पूर्वी दिल्ली	63	3.84	6.10
3.	नई दिल्ली	35	16.47	47.06
4.	उत्तरी दिल्ली	61	4.71	7.72
5.	उत्तर पूर्वी दिल्ली	62	4.14	6.68
6.	उत्तर-पश्चिमी दिल्ली	443	17.53	3.96
7.	दक्षिण दिल्ली	247	84.64	34.27
8.	दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली	421	51.81	12.31
9.	पश्चिमी दिल्ली	130	6.85	5.27
	कुल	1483	195.00	13.15

स्रोत: राज्य वन रिपोर्ट, 2019

दिल्ली के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जिलावार वन क्षेत्र प्रतिशत से संबंधित जानकारी चार्ट 8.5 में भी दर्शाई गई है।

चार्ट 8.5
दिल्ली में भौगोलिक क्षेत्र के वनाच्छादित क्षेत्र का जिलावार प्रतिशत-2021



रित क्षेत्र में वन कवर

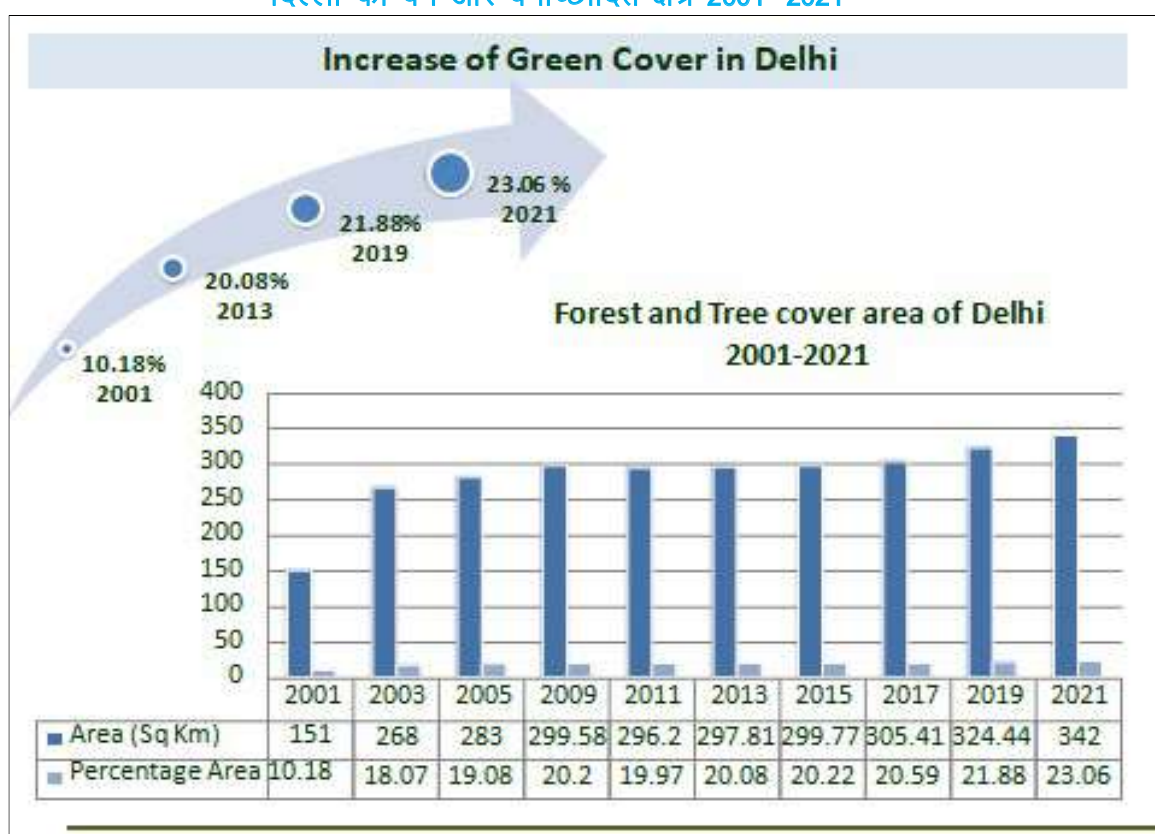
अति घने वन	3.19 वर्ग किलोमीटर
मध्यम सघन वन क्षेत्र	16.05 वर्ग किलोमीटर
खुले वन	39.93 वर्ग किलोमीटर
उप जोड़	59.17 वर्ग किलोमीटर

ग्रीनवाश के बाहर वृक्षाच्छादन:

अति घने वन	3.53 वर्ग किलोमीटर
मध्यम सघन वन क्षेत्र	40.55 वर्ग किलोमीटर
खुले वन	91.75 वर्ग किलोमीटर
उप जोड़	135.83 वर्ग किलोमीटर
कुल वन कवर	195 वर्ग किलोमीटर
वृक्षाच्छादन	147 वर्ग किलोमीटर
कुल वन और वनाच्छादित क्षेत्र	342 वर्ग किलोमीटर
राज्य का भौगोलिक क्षेत्र	23.06 प्रतिशत

चार्ट 8.6

दिल्ली का वन और वनाच्छादित क्षेत्र 2001-2021

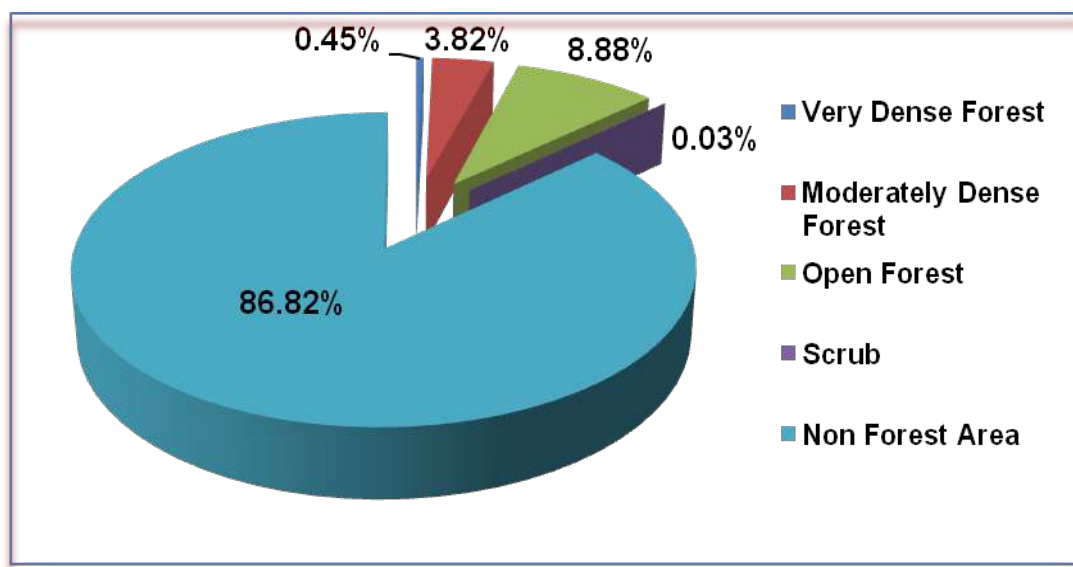


9.10

वनों की संरचना उनके घनत्व के संदर्भ में चार्ट 8.7 में दर्शाई गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कुल भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 0.45 प्रतिशत पर बहुत घना वन, 3.82 प्रतिशत के अधिक पर मध्यम सघन वन, 8.88 प्रतिशत के अधिक पर खुला वन और 0.03 प्रतिशत से अधिक पर झाड़ियां फैली हैं, जो लगभग नगण्य हैं।

चार्ट 8.7

राज्य दिल्ली का वन और वनाच्छादित क्षेत्र (प्रतिशत) की संरचना 2021 में



स्रोत: राज्य वन रिपोर्ट, 2021

9.11 वनों से बाहर वृक्षों का विस्तार :

वनों से बाहर वृक्ष से तात्पर्य उन वन संसाधनों से है जो सरकारी रिकॉर्ड में परिभाषित जंगलों से बाहर पाए जाते हैं। दर्ज वन क्षेत्र से बाहर का वन कवर आरएफए या ग्रीन वॉश की सीमाओं से निकाला जाता है। बाहर के वन क्षेत्र का आकलन दर्ज वन क्षेत्र (आरएफए) के बाहर के वन कवर और वृक्ष कवर का योग के रूप में होता है। जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है—

विवरण 8.11

वन क्षेत्र के बाहर वृक्षों का दायरा (टीओएफ)

(वर्ग कि.मी.)

आरएफए/जीडब्ल्यू के बाहर वन कवर	वृक्ष कवर	टीओएफ की सीमा
136	147	283

स्रोत: राज्य वन रिपोर्ट, 2021

10. दिल्ली के आर्द्र भूमि प्राधिकरण द्वारा जल संरक्षण

- 10.1 दिल्ली आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन 23 अप्रैल 2019 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत किया गया था। प्राधिकरण ने 16 जल निकायों से संबंधित एजेंसियों के समन्वय से जल निकायों के संरक्षण और पुनरुद्धार कार्य की रूपरेखा तैयार की है।
- 10.2 दिल्ली में 1040 जल निकायों का पता लगाने और समन्वय का कार्य 16 जल निकायों के स्वामित्व वाली एजेंसियों के साथ समन्वय से पूरा किया गया है।

- 10.3 दिल्ली के सात जिलों की मॉडेल तालाब (उत्तरी, उत्तर-पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिणी-पश्चिमी, नई दिल्ली, उत्तर पूर्व और पश्चिम) के लिए पहचान की गई है। मॉडेल तालाबों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और दिल्ली आर्द्र भूमि प्राधिकरण द्वारा सभी जिला मजिस्ट्रेटों को भेजी गई है।
- 10.4 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्धारित प्रारूप में संक्षिप्त दस्तावेजों की प्रस्तुति आर्द्र भूमि नियम 2017 के तहत एक वैधानिक आवश्यकता है। इस दस्तावेज में पारिस्थितिकीय तंत्र और जल निकायों की प्रबंधन चुनौतियों का उल्लेख होता है। दिल्ली में 685 जल निकायों के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार कर लिया गया है।
- 10.5 माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सभी आर्द्र भूमियों के रख-रखाव की कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया था। ये कार्य योजनाएं, जिनमें संरक्षण कार्यों का प्रावधान है, 685 जल निकायों के लिए तैयार कर ली गई है।
- 10.6 आर्द्र भूमि के संरक्षण में जनभागीदारी आर्द्रभूमि मित्रों के माध्यम से सुनिश्चित की गई जो ऐसी भूमि के संरक्षण और रख-रखाव में प्राधिकरण की मदद कर सकते हैं।
- 10.7 आर्द्र भूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम 2017 के अनुसार दिल्ली में विश्व संसाधन संस्थान में मुख्य अर्थशास्त्री डॉ मधु वर्मा की अध्यक्षता में 6 आर्द्र भूमि विशेषज्ञों की तकनीकी समिति 01.07.2021 को बनाई गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 09.05.2019 को पांच महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि घोषित की गई और संजय झील को मंत्रालय द्वारा एक संभावित रामसर स्थल (दिनांक 22.09.2021 की विज्ञप्ति) के रूप में घोषित किया गया। आर्द्र भूमि प्राधिकरण ने तत्काल अधिसूचित करने के लिए 10 जल निकायों को प्राथमिकता सूची में रखा है। ये इस प्रकार हैं : संजय लेक, हौजखास लेक, भलस्वा झील, स्मृति वन (कोंडली), स्मृति वन (वसंत कुंज), नजफगढ़ झील, वेलकम झील, दरियापुर कलां, सुल्तानपुर डबास और पूठ कलां (सरदार सरोवर झील)।
- 10.8 आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन विनियम 2017 के अनुसार दिल्ली आर्द्र भूमि प्राधिकरण के तहत एक शिकायत समिति का गठन 01.07.2021 को किया गया। इसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र के तहत पड़ने वाले आर्द्र भूमि क्षेत्र के बारे में लोगों द्वारा की गई शिकायतों को आर्द्र भूमि प्राधिकरण तक पहुंचाना है।
- 10.9 आर्द्र भूमि प्राधिकरण की भावी योजना जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन के बारे में कम लागत की तकनीक से संबंधित प्रोटोकॉल तैयार करना है और तैयार दस्तावेजों के अनुसार भू-स्वामित्व वाली एजेंसियों द्वारा आर्द्र भूमि को प्राथमिकता के आधार पर अधिसूचित किया जाना सुनिश्चित करना है। इस प्रकार दिल्ली में दीर्घावधि के लिए आर्द्र भूमि के संरक्षण की योजना बनाई गई है।

विवरण 8.12
दिल्ली में आर्द्र भूमि

प्राकृतिक आर्द्र भूमि	मानव निर्मित आर्द्र भूमि
नजफगढ़ झील	भलस्वा झील
संजय झील	हौजखास झील
वेलकम झील	स्मृति वन झील (कोंडली)
टिकड़ीखुर्द झील	पूठकलां (सरदार पटेल झील)
स्मृति वन (वसंत कुंज)	दरियापुर कलां (खसरा संख्या. 107(19-17)

10.10 आग की आशंका वाले वन क्षेत्र

रा.रा.क्षे. दिल्ली में आग की आशंका वाले विभिन्न वन क्षेत्रों का भौगोलिक क्षेत्र 195 वर्ग किलोमीटर हैं ।

10.11 दिल्ली में वृक्ष की मुख्य प्रजातियां

10.11.1 वन वेधशाला से प्राप्त संख्या में दिल्ली की शीर्ष पांच वृक्ष प्रजातियों का व्यास श्रेणीवार वितरण निम्नांकित विवरण 8.13 में दिया गया है :

विवरण 8.13

(वर्ग किलोमीटर)

क्र सं	प्रजातियां	10—30	30—60	>60
1.	प्रोसोपिश जूलिफलोरा	475	25	6
2.	अकाशिया लेंटिक्यूलरिस	172	8	0
3.	अजादिरैचता इंटेग्रिफैलिया	45	18	0
4.	होलोपटेलिया इंटेग्रिफोलिया	33	4	0
5.	फाइक्स वाइरेने	6	8	0

स्रोत: राज्य वन रिपोर्ट, 2021

10.12.2 वनों के बाहरी क्षेत्र की प्रमुख वृक्ष प्रजातियां

दिल्ली में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वनों के बाहरी क्षेत्र की शीर्ष पांच वृक्ष प्रजातियां निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं—

विवरण 8.14

दिल्ली में वन से बाहर (ग्रामीण) क्षेत्र की पांच शीर्ष वृक्ष प्रजातियां

क्रम संख्या	प्रजातियां	सापेक्ष बहुलता प्रतिशत में
1.	प्रोसोपिश जूलिफलोरा	29.52
2.	अजादिरैचता इंडिका	13.06
3.	यूकेलिप्टिस एसपीपी	8.07
4.	ल्यूसेनिया ल्यूकोसेफला	7.72
5.	फाइक्स एसपीपी	5.29

स्रोत: राज्य वन रिपोर्ट, 2021

विवरण 8.15

दिल्ली में वन से बाहर (शहरी) क्षेत्र की पांच शीर्ष वृक्ष प्रजातियां

क्रम संख्या	प्रजातियां	सापेक्ष बहुलता प्रतिशत में
1.	अजादिरैचता इंडिका	10.77
2.	प्रोसोपिश जूलिफ्लोरा	8.11
3.	पोयलथिया लॉगिफोलिया	6.20
4.	मोरस एसपीपी	6.03
5.	फाइकस रेलिगॉसा	5.80

स्रोत: राज्य वन रिपोर्ट, 2021

11. असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य

असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य दक्षिण दिल्ली में तुगलकाबाद किले के निकट स्थित है। वन्यजीव अभयारण्य की विविध वनस्पतियों को दिल्ली के महानगरीय संस्कृति के श्वास का आधार समझा जाता है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इसका उद्देश्य दिल्ली और सूरजकुंड (दिल्ली-हरियाणा सीमा) के बीच के क्षेत्र में वन्यजीवों की संरक्षा करना है। दक्षिणी वन क्षेत्र (रिज) की कानूनी स्थिति 1986 तक अनिश्चित समझी जाती थी, जब असोला, शाहपुर और मैदानगढ़ी (2679.29 एकड़) गांव की सामूदायिक भूमि को अधिसूचित किया गया जबकि भाटी क्षेत्र (2166.28 एकड़) की जमीन को 1991 में और तुगलाकाबाद ग्रामीण क्षेत्र को 1992 में अधिसूचित किया गया।

असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का घर है। यह अभयारण्य पक्षियों की विविधता के लिए जाना जाता है। यहां पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियां हैं। सर्दियों के दौरान नीली झील में काले पंख वाले स्टिल्ट और गुच्छेदार बत्तख जैसी प्रवासी प्रजातियां आती हैं। असोला भाटी कई स्तनधारी जंतुओं का घर है— जैसे कि भारतीय तेंदुआ (पेंथेरा पार्डस), धारीदार लकड़बग्घा (हायना), नीलगाय (बोसेलाफिस ट्रैगोकैमेलस), गोल्डन जैकल (कैनिस ऑरियस) और भारतीय साही (हिस्ट्रिक्स इंडिका)। कैमरा ट्रैपिंग अध्ययनों से अभयारण्य में कम से कम 8 तेंदुओं की पहचान करने में मदद मिली है। बंगाल मॉनितर लिजर्ड (वरनस बेंगालेंसिस), इंडियन रॉक पायथन (पायथन मोलरस), इंडियन कोबरा (नाजा नाजा), तेंदुआ गेको (यूबलफेरिस मैक्यूलरियस) जैसे सरीसृप भी यहां पाए जा सकते हैं। असोला भाटी के विविध प्रयावासों में झाड़ियाँ, घास के मैदान और चट्टानी इलाके शामिल हैं जो समृद्ध जैव विविधता में सहयोग देते हैं, जो इसे दिल्ली के शहरी परिदृश्य के बीच एक बलुमूल्य अभयारण्य बनाते हैं।

वन विभाग ने अभयारण्य में ईको पर्यटन को बढ़ावा दिया है। यहां आने वाले दर्शक पशुओं और वनस्पतियों की समृद्ध प्रजातियों के साथ-साथ विविध प्रयावासों को भी देख सकते हैं। नीली झील एक आदर्श शांत स्थल है जहां पक्षियों के साथ-साथ प्राकृतिक चारागाह उपलब्ध है। पर्यटकों को स्थल का आनंद उठाने और पर्याप्त जानकारी के लिए पगडंडियां और साइकिल ट्रैक तथा संरक्षण जानकारी केंद्र बनाए गए हैं। असोला भाटी तितली पार्क में विविध प्रकार की रंग-बिरंगी तितलियां हैं। यहां स्थित तीन नर्सरियां औषधि पौधों सहित विभिन्न प्रकार के पौधे उगा रही हैं।

अभयारण्य का खूबसूरत प्राकृतिक माहौल शहर के व्यस्त जीवन से बिल्कुल अलग, शांत, सुरम्य वातावरण उपलब्ध कराता है तथा दिल्ली की समृद्ध प्राकृतिक धरोहर से परिचित कराता है।

11.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वन और वन्य जीव विभाग के अंतर्गत शहरी वनों का ब्योरा :

दिल्ली में अधिक हरित क्षेत्र और पर्यावरण पर इसका अनुकूल प्रभाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन और वन्य जीव विभाग ने निम्नलिखित स्थलों पर वन क्षेत्र सृजित किया है और करने की योजना बनाई है।

दिल्ली में विकसित नगर वन

क्र सं	शहरी वन क्षेत्रों के नाम
1.	मित्राऊं नगर वन क्षेत्र-पॉकेट ए
2.	मित्राऊं नगर वन क्षेत्र-पॉकेट बी
3.	नसीरपुर नगर वन
4.	अलीपुर नगर वन
5.	मखमेलपुर नगर वन
6.	कुतुबगढ़ नगर वन
7.	मामुरपुर तितली पार्क
8.	ताज एनक्लेव नगर वन
9.	कॉलोनी नगर वन के निकट शास्त्री पार्क
10.	गढी मांडू पॉकेट ए2 नगर वन
11.	शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के निकट नगर वन
12.	आईटीओ चुंगी लूप संख्या-4 के पास नगर वन
13.	बटरफ्लाई पार्क, तुगलकाबाद
14.	अरावली अरण्य केंद्र, तुगलकाबाद
15.	हौज रानी नगर वन
16.	आया नगर वन
17.	जोनापुर नगर वन
18.	डेरा मांडी नगर वन
19.	छतरपुर नगर वन
20.	शिकारपुर नगर वन

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार के वन और वन्य जीव विभाग के अंतर्गत नगर वन के चित्र



हौजरानी नगर वन



गढी मांडु नगर वन



नसीपुर नगर वन



अलीपुर नगर वन



आईटीओ चुंगी नगर वन



मुखमेलपुर नगर वन

12. प्रमुख उपलब्धियाँ (2023–24, दिसंबर 2023 तक) :

- 12.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का वन और वन्यजीव विभाग हरित क्षेत्र और वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन पर तेजी से काम कर रहा है। दिल्ली में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए हरित कार्य योजना के तहत प्रत्येक वर्ष पौधरोपण अभियान चलाया जाता है। इस कार्य योजना को वन और वन्यजीव विभाग एक नोडल एजेंसी के रूप में 20 से अधिक अन्य हरित एजेंसियों के सहयोग से लागू करता है। प्रत्येक वर्ष हरित कार्ययोजना का लक्ष्य सभी हरित एजेंसियों के साथ परामर्श से तय किया जाता है। वर्ष 2022 के दौरान पौधरोपण की उपलब्धि 47.64 लाख (8.12 लाख पौधे, 30.19 लाख झाड़ियों के पौधे, 0.29 लाख बांस के पौधे तथा 9.03 लाख पौधों के वितरण सहित) दर्ज की गई, जबकि लक्ष्य 42.93 लाख पौधरोपण का था।

वर्ष 2023–24 के दौरान (दिसंबर 2023 तक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वन और वन्यजीव विभाग ने अन्य हरित एजेंसियों के साथ मिलकर 82.13 लाख पौधे (14.67 लाख पौधे, 56.

53 लाख झाड़ियां और 3.22 लाख बांस के पौधे और आम लोगों को 7.71 लाख पौधों के वितरण सहित) लगाए, जबकि लक्ष्य 55.59 लाख पौधों का था।

**दिल्ली की सभी हरित एजेंसियों द्वारा पिछले 10 वर्ष में पौधरोपण
(पौधों के निःशुल्क वितरण सहित)**

क्र. स.	वर्ष	पौध रोपण	वितरण	कुल
1.	2014-15	9,66,032	6,46,857	16,12,889
2.	2015-16	9,73,822	6,77,626	16,51,448
3.	2016-17	21,04,246	3,71,419	24,75,665
4.	2017-18	16,08,105	3,74,000	19,82,105
5.	2018-19	24,59,730	4,36,086	28,95,816
6.	2019-20	23,45,274	5,24,242	28,69,516
7.	2020-21	25,80,144	6,60,678	32,40,822
8.	2021-22	27,75,539	7,20,109	34,95,648
9.	2022-23	38,60,955	9,03,261	47,64,216
10.	2023-24	74,42,660	7,71,838	82,14,498

वन विभाग द्वारा 2016-17 से 2023-24 (दिसंबर 2023 तक) के दौरान पौध रोपण

क्र सं	वर्ष	वन विभाग द्वारा पौध रोपण (लाख में)
1.	2016-17	2.96
2.	2017-18	1.29
3.	2018-19	4.51
4.	2019-20	5.21
5.	2020-21	5.48
6.	2021-22	5.67
7.	2022-23	10.80
8.	2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	15.93

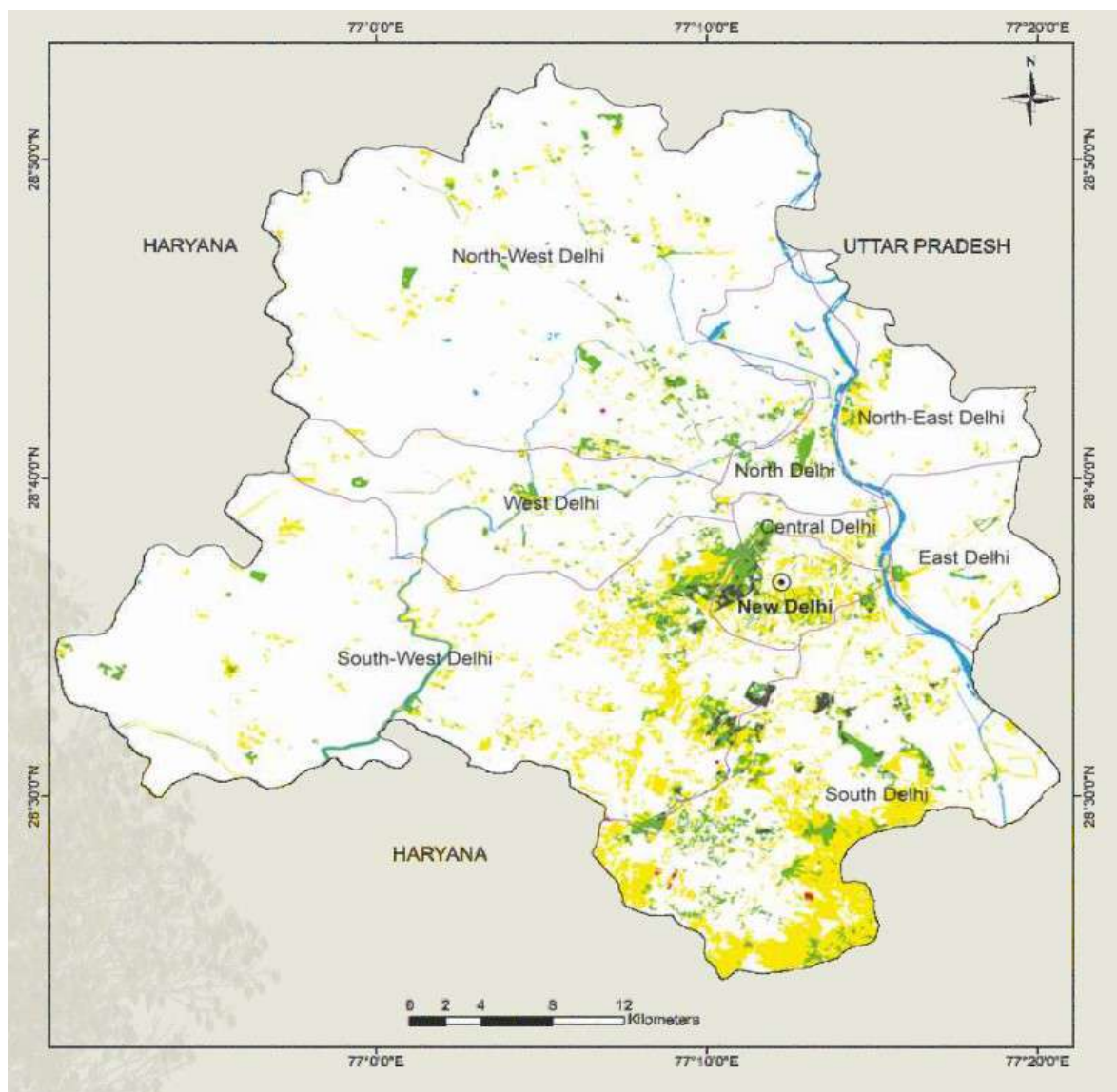
- 12.2 दिल्ली में अपक्षरित वन्य क्षेत्र की पारिस्थितिकीय बहाली मौजूदा वित्तीय वर्ष (2023-24) के तहत की जा रही है। सेंट्रल रिज और कुछ अन्य वन्य क्षेत्रों में विलायती कीकर (प्रोसोपिस जूलीफलोरा) और लैनटाना कामेरा जैसी हमलावर प्रजातियों के समाप्त होने के बाद अरावली की जैव विविधता की बहाली तथा देशी प्रजातियों के पौध रोपण का काम किया जा रहा है। सेंट्रल रिज के 118,83 हेक्टेयर क्षेत्र को विभाग द्वारा पारिस्थितिकीय बहाली के लिए चुना गया है। यहां 1.62 लाख पौधे, झाड़ियां और लताएं लगाई जाएगी। जैनपुर, जिंदपुर, ईसापुर, मित्राऊं, दौराला, नजफगढ़ और कमला नेहरू रिज के लगभग 110 वन हेक्टेयर वन क्षेत्र में 1.58 लाख पौधे लगाकर पारिस्थितिकीय बहाली की जाएगी।
- 12.3 वन विभाग की नर्सरियों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जारी है, इनमें पॉलीहाउस, ग्रीन हाउस, पक्के बेड, मदर बेड, वर्मीकम्पोस्ट चौंबर, पत्तियों से खाद तैयार करने के चौंबर बनाए जा रहे हैं और जल छिड़काव यंत्र लगाया जा रहा है। तुगलकाबाद, आईटीओ, कमला नेहू रिज, मामुरपुर पूठ कलां और खाकरखरी जटमल स्थित नर्सरियों का आधुनिकीकरण कर दिया गया है।
- 12.4 व्यापार सुगमता और आम लोगों का जीवन सुगम बनाने के लिए वन विभाग ने विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। इनमें दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम (वृक्ष गिराने संबंधी संबंधी आवेदनों के

लिए), हरित कार्य योजना (पौधरोपण), दिल्ली निःशुल्क पौध (पौध वितरण)स ई-वन लेख (भूमि की स्थिति), शिकायतें (शिकायतों की सुनवाई के लिए), इंटर्नशिप, हेल्पलाइन, प्रशिक्षण, असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य में प्रवेश पोर्टल शामिल हैं।

- 12.5 2022–23 के दौरान दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1994 के तहत 28 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मौजूदा वर्ष में अब तक 6 परियोजनाएं ई वन पोर्ट के जरिये मंजूर की जा चुकी हैं।
- 12.6 भूमि दिल्ली जैसे अत्यधिक आवादी वाले शहरों के लिए एक मूल्यवान संसाधन हैं। विभाग वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने और वन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है। इन्हें संरक्षित वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जा रहा है। विभाग भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत वन भूमि की अधिसूचना की प्रक्रिया में है। अब तक लगभग 314.6 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना है। छतरपुर और रंगपुरी गांव के लिए फेज-1 अधिसूचना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत जारी की जा चुकी है।
- 12.7 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत 175.15 हेक्टेयर क्षेत्र के 16 संरक्षित वनों को अधिसूचित किया गया है और 13.46 हेक्टेयर से 3 संरक्षित वनों को 2023–24 के दौरान अधिसूचित किया गया है।
- 12.8 **वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं:**
- (i) एबीडब्ल्यूएलएस और रजोकरी प्रत्येक में दो वन्यजीव पारगमन बचाव केंद्र की स्थापना।
 - (ii) बचाए गए बंदरों को भोजन देने के लिए असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य में 14 श्वंदर फीडिंग पॉइंट हैं ताकि वे अभयारण्य से बाहर न जाएं और मनुष्यों के पर्यावास में प्रवेश न करें।
 - (iii) जंगली जानवरों के लिए जल स्रोत के रूप में और मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए अभयारण्य के अंदर विभिन्न जल निकायों का निर्माण।
 - (iv) एबीडब्ल्यूएलएस में पशु चिकित्सा केंद्र की स्थापना।
 - (v) एबीएलडब्ल्यूएलएस में बटरफ्लाई पार्क, अरावली वन केंद्र, अरावली देशी पौधों की नर्सरी, ऊंची वृक्षों के पौध की नर्सरी, साइकिल ट्रैक की स्थापना।
 - (vi) विभाग ने कैमरा ट्रैप तकनीक के माध्यम से जंगली जानवरों का दस्तावेजीकरण शुरू किया है और यह पता चला है कि अभयारण्य में अन्य जंगली जानवरों के साथ 8 तेंदुएं हैं।
 - (vii) सभी चार प्रभागों में वन्यजीव बचाव दस्ते स्थापित किए गए हैं। दस्ते में पशु संचालक और वन्यजीव रक्षक शामिल हैं। दस्ता नियमित रूप से वन्यजीवों से संबंधित मामले और वन्य जीव के व्यापार से संबंधित शिकायतों की जांच, अवैध रूप से वन जीवों को रखना या खरीद-बिक्री करना तथा संबंधित सुराग जुटाने का काम करता है। बचाए गए जानवरों को पहले पुनर्वास केंद्र में रखा जाता है और फिर पशु चिकित्सा टीम द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने के बाद जंगल में छोड़ दिया जाता है।
 - (viii) वन्यजीव अनुभाग ने संरक्षण शिक्षा केंद्र की स्थापना शुरू की है, जिसका उद्देश्य वन्यजीव रक्षकों और वन रक्षकों को व्यावहारिक तकनीकों से लैक करना और बड़े पैमाने पर दिल्ली के नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करना है।
 - (ix) भारतीय वन्यजीव संस्थान और एसएसीओएन के सहयोग से एबीडब्ल्यूएलएस और नजफगढ़ में कई प्रबंधन और संरक्षण परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

- 12.9 विभाग ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिनमें विश्व पर्यावरण दिवस, वन महोत्सव-2023 और वन्यजीव सप्ताह 2023 शामिल हैं।

चार्ट 8.7
दिल्ली में वनाच्छादन मानचित्र



अध्याय एक नजर में

➤	दिल्ली सरकार ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार और वाहनों के नए खंड के लिए संपूर्ण आपूर्ति-श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए 'दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2020' लागू की है। यह नीति 2024 तक सभी नए वाहनों में 25 प्रतिशत बैटरी चालित वाहन सुनिश्चित करेगी।
➤	2021 में वन और वृक्ष क्षेत्र बढ़कर 342 वर्ग किमी हो गया, जिससे कुल क्षेत्रफल में वनों की हिस्सेदारी 23.06 प्रतिशत हो गई। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में हरित क्षेत्र की दृष्टि से चंडीगढ़ (13.16 प्रतिशत) के बाद दिल्ली (9.91 प्रतिशत) का दूसरा स्थान है।
➤	दिल्ली पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत वायु प्रदूषण रोकथाम उपायों के तहत विभिन्न क्षेत्रों (परिवहन/सड़क धूल/कचरा और वायोमास जलाने) में अनेक उपायों से परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। इन उपायों से 2025 तक पार्टिकुलेट मैटर (पीएम ₁₀ और पीएम _{2.5}) में 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य है।
➤	दिल्ली के सभी तीन कूड़ा स्थलों पर दिसंबर 2024 तक लगभग 203 लाख मीट्रिक टन कचरे को जैव खनित करने की योजना है। इससे भविष्य में कूड़ा स्थलों में आग लगने की घटनाओं में बड़े पैमाने पर कमी होगी। 10000 मीट्रिक टन से अधिक कूड़ा प्रतिदिन प्रसंस्कृत करने के लिए 65 ट्रोमेल मशीनें लगाई गई हैं।
➤	वर्ष 2023-24 के दौरान दिल्ली सरकार ने 4350 एकड़ गैर बासमती क्षेत्र में बायो डिकम्पोजर छिड़काव का लक्ष्य रखा है। 20.10.2023 से उत्तरी, उत्तरी पश्चिमी, पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी पश्चिमी जिलों में 4189 एकड़ खेतों में छिड़काव किया जा चुका है।
➤	डीपीसीसी ने 06.10.2012 को दिल्ली पुलिस को सभी प्रकार की आतिशबाजी के निर्माण, भंडारण, बिक्री, (ऑन लाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से डिलिवरी सहित) और जलाने पर 01.01.2024 तक पूरी तरह प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
➤	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 2023 में हरित एजेंसियों के माध्यम से लगभग 1 करोड़ (सात लाख पौधों के निःशुल्क वितरण सहित) पौधे/झाड़ियां लगाने की योजना बनाई थी। दिसंबर 2023 तक 74 लाख पौधे/झाड़ियां/बांस के पौधे लगाए जा चुके थे, जबकि लक्ष्य 95.04 लाख पौधों का था (78 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त)। इस दौरान 7.36 लाख पौधे निःशुल्क वितरित किए गए, लक्ष्य सात लाख पौधों के वितरण का था (105 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त)।
➤	1799 अनधिकृत कालोनियां हैं, जिनमें से 706 में सीवर लाइनें बिछा दी गई हैं और चालू कर दी गई हैं, जबकि 448 कालोनियों में कार्य प्रगति पर है। 161 कालोनियों को अनापत्ति प्रमाणपत्र/ओजोन प्रमाणपत्र प्रतीक्षित है।
➤	दिल्ली जल बोर्ड ने तीन प्रमुख नालों में गिरने वाले 108 उप नालों का प्रवाह रोकने के लिए इंटरसेप्टर सीवर बिछाने की प्रक्रिया शुरू की है। कॉलोनी/अन्य स्रोतों से उत्पन्न और 108 उप नालों से आने वाले लगभग 242 एमजीडी अवजल को उपरोक्त प्रमुख नालों तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाएगा और इसे अवजल उपचार के लिए मौजूदा कम उपयोग वाले एसटीपी/नए एसटीपी में भेज दिया जाएगा। यमुना कार्य योजना- III के तहत रिठाला और कोंडली एसटीपी के पुनरुद्धार के बाद दिसंबर 2024 तक 242.16 एमजीडी के पूरे प्रवाह को रोका और उपचारित किया जाएगा।
➤	बायो मेडिकल कचरा उपचार केंद्रों की कुल क्षमता 63 टन/प्रतिदिन है और उनमें बायो मेडिकल कचरे के उपचार और निपटान के लिए इनसिनरेटर्स, ऑटोक्लेव और श्रेडर्स हैं।
➤	दिल्ली में 1854 पंजीकृत प्लास्टिक विनिर्माण या पुनःचक्रणयूनिटें हैं।

➤	पर्यावरण विभाग और डीपीसीसी ने 1 से 3 जुलाई 2022 के दौरान 3 दिन के “प्लास्टिक विकल्प मेले” का आयोजन किया, जिसका लक्ष्य स्टार्ट अप्स/उद्यमियों/स्वयं सहायता समूहों/ व्यापारियों/ विनिर्माताओं / संगठनों/ संस्थानों आदि को एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्प विकसित करने के लिए प्रेरित करना था।
➤	सात बड़े शहरों में, दिल्ली का वन क्षेत्र सबसे अधिक 194.24 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद मुंबई 110.77 वर्ग किलोमीटर और बेंगलुरु 89.02 वर्ग किलोमीटर, का स्थान है।
➤	आर्द्र भूमि प्राधिकरण ने आकार और जल गुणवत्ता तथा अतिक्रमण से मुक्ति के आधार पर सौंदर्यकरण के लिए 100 जल निकायों की प्राथमिकता तय की है।
➤	वर्ष 2023-24 के दौरान अक्टूबर 2023 तक वन और वन्यजीव विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने अन्य हरित एजेंसियों के साथ मिल कर 70.78 लाख पौधे लगाए और दिल्ली की आम जनता को 6.78 लाख पौधे निःशुल्क वितरित किए।
➤	व्यापार सुगमता और आम लोगों के जीवन में आसानी बढ़ाने के लिए वन और वन्य जीव विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने विभिन्न ऑन लाइन पोर्टल शुरू किए हैं। ये हैं— दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, हरित कार्य योजना, दिल्ली निःशुल्क पौधे, ई वन लेख, शिकायत, इंटर्नशिप, हेल्पलाइन, प्रशिक्षण और असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य में प्रवेश।
➤	वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न पर्यावरण गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें विश्व पर्यावरण दिवस, वन महोत्सव 2023 और विश्व वन्यजीव सप्ताह 2023 शामिल हैं।

औद्योगिक विकास

दिल्ली में औद्योगिक विकास मुख्य रूप से तृतीयक क्षेत्र से संचालित होता है और यह आय में तेज वृद्धि का आधार उपलब्ध कराता है। दिल्ली देश का एक प्रमुख व्यापार केंद्र है और यहां व्यापार संवर्द्धन के लिए उत्कृष्ट सार्वजनिक अवसंरचना, ज्ञान आधारित और हाइटेक सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए एक सुचारु वातावरण और संपर्क संचार सुविधाएं हैं। दिल्ली देश के सर्वाधिक सक्रिय वाणिज्यिक और व्यावसायिक केंद्रों में है। यहां की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय से लगभग तिगुनी है। दिल्ली एक लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण भी है, साथ ही यहां गली पटरी की सस्ती दुकानों से लेकर बड़े बड़े ब्रैंड के आलीशान शोरूम सहित खरीदारी के विभिन्न विकल्प भी उपलब्ध हैं।

1. वृद्धि सांख्यिकी

- दिल्ली सतत विकास लक्ष्यों-एसडीजी में देश में अग्रिम वाहक श्रेणी में आता है, यह नीति आयोग-“एसडीजी इंडिया इंडेक्स” एंड डैशबोर्ड 2021-22” के अनुसार है।
- व्यवसाय सुधार कार्ययोजना स्कीम के अंतर्गत अच्छी प्रगति, यह 2020 में “उभरता व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र श्रेणी के तहत है।
- दिल्ली ने व्यवसाय सुधार कार्य योजना स्कीम के तहत अच्छी प्रगति की और 2019 में 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 12वें स्थान पर रहा है।

2. बुनियादी ढांचा विवरण

- दिल्ली में बुनियादी ढांचा तथा संस्थागत स्थापना का सृजन और पुनर्विकास, दिल्ली राज्य औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा शहर के कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में कंफर्मिंग और नॉन कंफर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के जरिये हुआ है।
- दिल्ली में 29 नियोजित औद्योगिक क्षेत्र और चार फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर हैं और राज्य सरकार ने पुनर्विकास के लिए 25 नॉन कंफर्मिंग क्षेत्र अधिसूचित किए हैं।

3. छठी आर्थिक जनगणना के अनुसार दिल्ली में प्रतिष्ठानों और रोजगार का विकास

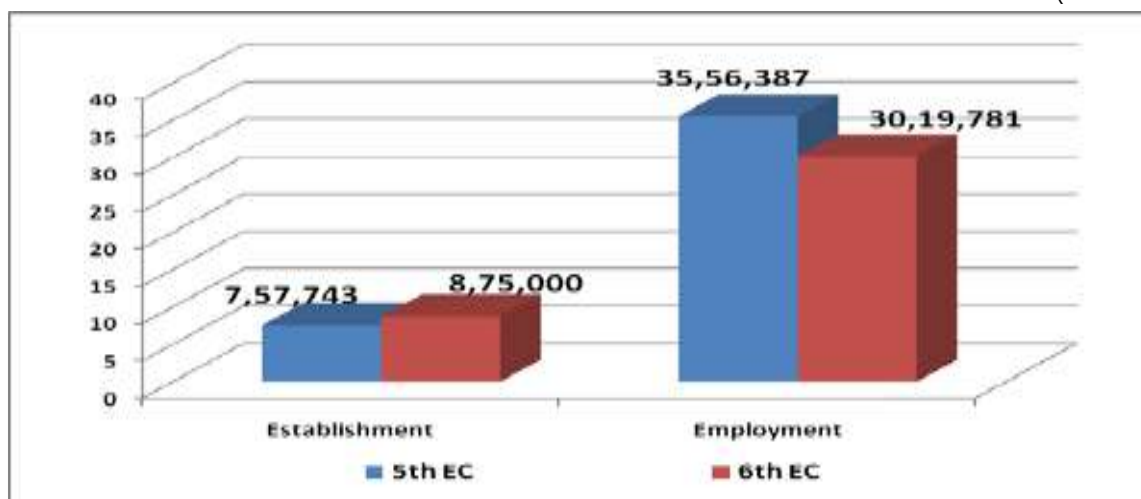
- 3.1 छठी आर्थिक गणना 2013 के अनुसार दिल्ली में कुल 8.75 लाख औद्योगिक प्रतिष्ठान कार्यरत थे। इनमें से 1.42 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 98.58 प्रतिशत शहरी इलाकों में थे। छठी आर्थिक गणना के अनुसार वार्षिक विकास दर 1.94 प्रतिशत दर्ज की गयी और 2005 में हुई पांचवीं आर्थिक गणना के मुकाबले छठी आर्थिक गणना में 1.18 लाख प्रतिष्ठानों की वृद्धि हुई। कुल औद्योगिक प्रतिष्ठानों में से 54.55 प्रतिशत ओन एकाउंट उद्यम (ओई) थे और 45.45 प्रतिशत प्रतिष्ठान में कम से कम एक बाहर से पारिश्रमिक पर लिया गया कामगार {प्रतिष्ठान (एच)} था। 30.20 लाख लोग 8.75 लाख प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे थे और प्रत्येक प्रतिष्ठान में औसतन 3.45 कर्मचारी थे। कुल

कर्मचारियों में से 0.9 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत थे और 99.1 प्रतिशत दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे थे। कुल प्रतिष्ठानों में से 8.05 प्रतिशत का प्रबंधन महिला उद्यमियों के पास था।

3.2 निम्नांकित चार्ट 9.1 में पांचवीं (2006) और छठी (2013) आर्थिक गणना के अनुसार 2005–13 के दौरान औद्योगिक प्रतिष्ठानों और इनमें नियुक्त कामगारों की संख्या दर्शायी गयी है:

चार्ट 9.1
प्रतिष्ठानों और रोजगार में वृद्धि

(लाख में)



उपर्युक्त चार्ट स्पष्ट करता है कि पांचवीं से छठी आर्थिक गणना की अवधि के दौरान हालांकि प्रतिष्ठानों की संख्या 7,57,743 से बढ़कर 8,75,000 हो गई है, लेकिन काम करने वाले लोगों की संख्या 35,56,387 से घटकर 30,19,781 पर आ गई है। ऐसा सख्त प्रदूषण नियमों सहित अन्य अनेक कारणों से बड़े पैमाने पर रोजगार वाले प्रतिष्ठान दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों/राज्यों में चले जाने से हुआ है।

3.3 छठी आर्थिक गणना के अनुसार प्रतिष्ठानों और उनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या का जिलेवार ब्यौरा निम्नांकित है।

विवरण 9.1

जिले	प्रतिष्ठान की संख्या	नियोजित व्यक्तियों की संख्या
मध्य	1,50,671	5,99,058
पश्चिम	1,06,726	3,13,574
उत्तर-पश्चिम	93,297	2,86,189
उत्तर-पूर्व	86,597	1,83,313
पूर्व	80,061	2,15,979
दक्षिण-पूर्व	75,049	3,52,562
उत्तर	73,724	3,18,960
शाहदरा	71,738	2,29,663
दक्षिण	57,126	1,45,304
दक्षिण-पश्चिम	42,166	1,05,954
नई दिल्ली	38,153	2,69,225
कुल	8,75,308	30,19,781

विवरण 9.2

मौजूदा मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन (जीएसवीए) की क्षेत्रगत संरचना

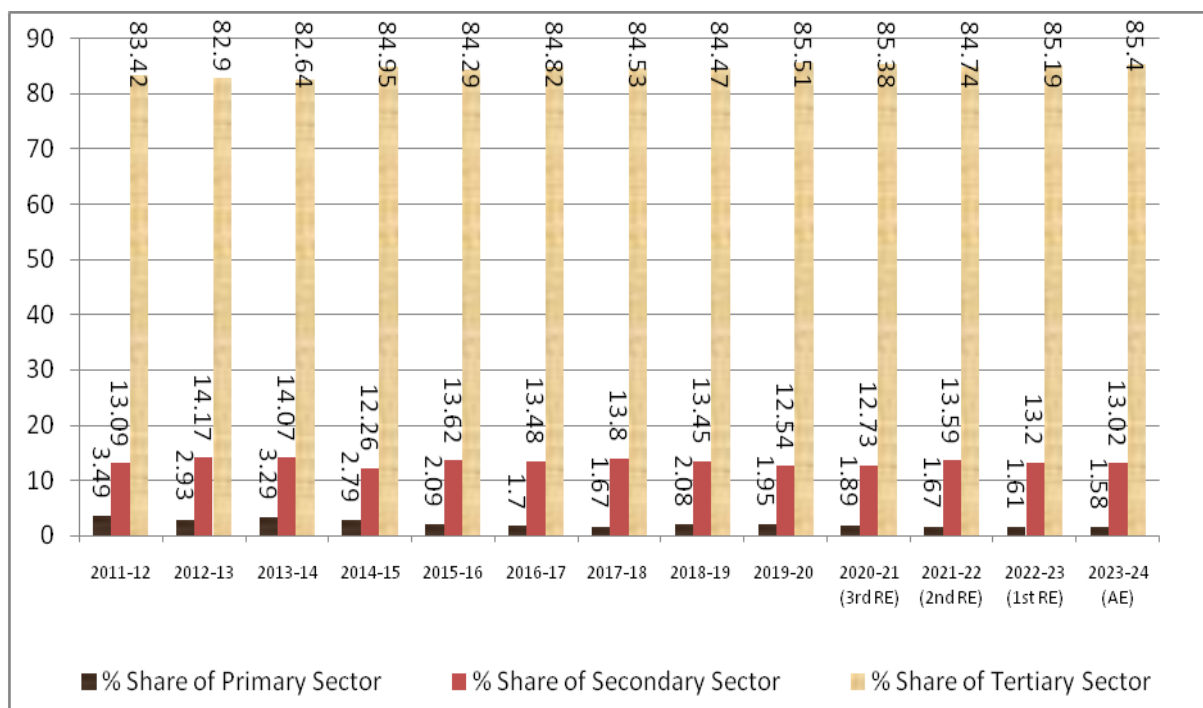
वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी	द्वितीयक क्षेत्र प्रतिशत हिस्सेदारी	तृतीयक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी
2011-12	3.49	13.09	83.42
2012-13	2.93	14.17	82.90
2013-14	3.29	14.07	82.64
2014-15	2.79	12.26	84.95
2015-16	2.09	13.62	84.29
2016-17	1.70	13.48	84.82
2017-18	1.67	13.80	84.53
2018-19	2.08	13.45	84.47
2019-20	1.95	12.54	85.51
2020-21 (तीसरा स.अ.)	1.89	12.73	85.38
2021-22 (दूसरा स.अ.)	1.67	13.59	84.78
2022-23 (पहला स.अ.)	1.61	13.20	85.19
2023-24 (अ.अ.)	1.58	13.02	85.40

टिप्पणी : (तीसरा स.अ.) – तृतीय संशोधित अनुमान, (दूसरा स.अ.) – दूसरा संशोधित अनुमान, (पहला स.अ.) – प्रथम संशोधित अनुमान, (अ.अ.) अग्रिम अनुमान

- 3.4 वर्ष 2022–23 और वर्ष 2023–24 के लिए मौजूदा मूल्यों पर जीएसवीए का अग्रिम अनुमान और पहला संशोधित अनुमान स्पष्ट करता है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र (फसल, पशुधन, वानिकी और लकड़ी, मत्स्य पालन, खदान और उत्खनन) का योगदान आधार वर्ष 2011–12 में 3.49 प्रतिशत की हिस्सेदारी की तुलना में दोनों वर्षों में कम होकर क्रमशः 1.61 प्रतिशत और 1.58 प्रतिशत रह गया है।
- 3.5 मौजूदा मूल्यों पर जीएसवीए स्पष्ट करता है कि द्वितीयक क्षेत्र (विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति तथा अन्य उपयोगी सेवाएं और निर्माण) का योगदान आधार वर्ष 2011–12 के 13.09 प्रतिशत से घटकर 2022–23 (अग्रिम अनुमान) में 13.20 प्रतिशत और 2023-24 में 13.02 प्रतिशत हो गया है।
- 3.6 अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र (व्यापार, होटल और रेस्त्रा, रेलवे, परिहन, भंडारण, संचार, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, स्वास्थ्य और अन्य सेवाएं) के योगदान में मामूली वृद्धि हो रही है। मौजूदा मूल्यों पर जीएसवीए दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का योगदान आधार वर्ष 2011–12 में 83.42 प्रतिशत था जो वर्ष 2022–23 (पहला संशोधित अनुमान) के दौरान 85.19 प्रतिशत और वर्ष 2023–24 (अग्रिम अनुमान) में बढ़कर 85.40 प्रतिशत हो गया है।

चार्ट 9.2

राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी
(मौजूदा मूल्य पर सकल राज्य मूल्य संवर्धित)



4. विनिर्माण क्षेत्र द्वारा सकल राज्य मूल्य संवर्धित (जीएसवीए) में योगदान

- 4.1 विनिर्माण उपक्षेत्र दिल्ली की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान करता है। विनिर्माण से जीएसवीए मौजूदा मूल्यों पर वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के दौरान क्रमशः 44,014 करोड़ और 45,959 करोड़ रहने का अनुमान है। पूर्व वर्ष के अनुमानों की तुलना में क्रमशः 6.80 प्रतिशत और 4.42 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। इसी प्रकार नियत मूल्यों पर जीएसवीए वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 में क्रमशः 32453 करोड़ रुपए और 33909 करोड़ रुपए है, पूर्व वर्षों की तुलना में इसमें 0.57 प्रतिशत और 4.49 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि है। अनुमानों के अनुसार मौजूदा मूल्यों पर 2022-23 के लिए एनएसवीए 38,489 करोड़ रुपए है, पिछले वर्ष की तुलना में 7.13 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ और नियत मूल्यों पर पिछले वर्ष के मुकाबले 0.15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 28335 करोड़ रुपए है। वर्ष 2023-24 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार एनएसवीए मौजूदा मूल्यों पर 40033 करोड़ रुपए था, पिछले वर्ष के मुकाबले 4.01 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ और नियत मूल्यों पर यह पिछले वर्ष के मुकाबले 4.34 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 29564 करोड़ रुपए था।
- 4.2 विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धित (जीएसवीए) का विवरण 9.3 में दर्शाया गया है।

विवरण 9.3

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	विनिर्माण	द्वितीयक क्षेत्र	प्राथमिक मूल्यों पर कुल जीएसवीए	बाजार मूल्य पर कुल जीएसडीपी	विनिर्माण की प्रतिशत हिस्सेदारी		जीएसवीए में द्वितीयक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी
					कुल जीएसवीए	द्वितीयक क्षेत्र का कुल जीएसवीए	
2011-12	18907	39682	303232	343798	6.24	47.65	13.09
2012-13	23350	48498	342588	391388	6.82	48.15	14.17
2013-14	25338	54262	385931	443960	6.57	46.69	14.07
2014-15	23385	53247	434241	494803	5.39	43.92	12.26
2015-16	31195	65194	478782	550804	6.52	47.85	13.62
2016-17	30117	71616	531175	616085	5.67	42.05	13.48
2017-18	30680	80987	586900	677900	5.23	37.88	13.80
2018-19	32192	87160	647839	738389	4.97	36.93	13.45
2019-20	33637	88310	704369	792911	4.78	38.09	12.54
2020-21 (तीसरा स.अ.)	33581	84910	666899	744277	5.04	39.55	12.73
2021-22 (दूसरा स.अ.अ.)	41213	105791	778358	881336	5.29	38.96	13.59
2022-23 (पहला स.अ.)	44014	117510	890285	1014688	4.94	37.46	13.20
2023-24 (अ.अ.)	45959	126897	974397	1107746	4.72	36.22	13.02

स्रोत: डीईएस द्वारा जीएसवीए अनुमान।

टिप्पणी— (तीसरा स.अ.) – तृतीय संशोधित अनुमान, (दूसरा स.अ.) – द्वितीय संशोधित अनुमान, (पहला स.अ.) प्रथम संशोधित अनुमान, (अ.अ.) – अग्रिम अनुमान

- 4.3 विवरण 9.3 से स्पष्ट है कि विनिर्माण क्षेत्र से आय वर्ष 2011–12 के 18907 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 45959 करोड़ रुपए हो गई है। जीएसवीए में विनिर्माण क्षेत्र का प्रतिशत योगदान 2011–12 के 6.24 प्रतिशत से कम होकर 2023–24 में 4.72 प्रतिशत रह गया है। इसी अवधि के दौरान दिल्ली के कुल जीएसवीए में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011–12 के 13.09 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023–24 (अ.अ.) में 13.02 प्रतिशत हो गया है।

5. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

दिल्ली में कुल 3,93,877 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पंजीकृत हैं। इनमें 3,65,849 सूक्ष्म उद्यम, 25,091 लघु और 2,937 मध्यम उद्यम हैं।

स्रोत: रा.रा.क्षे.दि.स. का उद्योग आयुक्त कार्यालय-31.12.2022 तक

6. कार्यशील कारखाने

पिछले 12 वर्षों में दिल्ली में पंजीकृत कारखानों की संख्या और उनमें काम करने वाले कामगारों की अनुमानित संख्या के आंकड़े विवरण 9.4 में दिये गये हैं।

विवरण 9.4

कारखानों और उनमें काम करने वाले कामगारों की अनुमानित संख्या

क्र. सं.	वर्ष	कारखाने	कामगारों की अनुमानित संख्या
1.	2011	8,219	3,78,361
2.	2012	8,557	3,92,270
3.	2013	8,821	4,03,270
4.	2014	8,968	4,16,927
5.	2015	8,954	4,15,278
6.	2016	8,978	4,16,833
7.	2017	9,059	4,20,156
8.	2018	9,121	4,19,578
9.	2019	8,622	4,03,517
10.	2020	8,643	4,04,602
11.	2021	8,613	4,02,733
12.	2022	8,690	4,04,169

स्रोत : दिल्ली सांख्यिकी पुस्तिका

विवरण 9.4 से यह स्पष्ट है कि दिल्ली में कार्यशील फैक्ट्रियों की संख्या 2011 के 8219 से बढ़कर 2022 में 8690 हो गयी है। इसी तरह इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे कामगारों की अनुमानित संख्या 2011 के 3,78,361 से बढ़कर 2022 में 4,04,169 हो गयी है। दिल्ली की इन फैक्ट्रियों में प्रति फैक्ट्री औसतन 47 व्यक्ति कार्य कर रहे थे।

- 6.1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पर्यावरण संबंधी विभिन्न नियम लागू किये जाने के कारण दिल्ली की कई औद्योगिक इकाइयां सुरक्षा संबंधी मानदंडों को पूरा नहीं कर पा रही हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि या तो ये इकाइयां बंद हो गयी हैं या पड़ोसी राज्यों में चली गयी हैं। इन उद्योगों में काम करने वाले कर्मियों की अनुमानित संख्या अपेक्षाकृत धीमी रफ्तार से बढ़ी है, जबकि 2019 में यह कम हो गई है।
- 6.2 2017 से 2022 के दौरान पंजीकृत कारखानों की उद्योगवार संख्या और उनमें कार्यरत कामगारों का ब्यौरा विवरण 9.5 में दिया गया है।

विवरण 9.5

उद्योगवार पंजीकृत कारखाने और उनमें कार्यरत कर्मचारियों की अनुमानित संख्या

क्र.सं.	उद्योग	कारखाने					अनुमानित कर्मचारी				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1.	खाद्य उत्पाद	350	142	141	137	139	21921	8894	8,849	8,598	8,723
2.	पेय पदार्थ, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	53	34	34	36	36	2981	1913	1,913	2,025	2,025
3.	टेक्सटाइल उत्पाद	2008	1519	1,514	1,507	1,490	138788	104978	1,04,738	1,04,209	1,03,033
4.	काष्ठ उत्पाद, फर्नीचर और फिक्सचर्स	273	98	97	99	97	10702	3842	3,800	3,880	3,801
5.	कागज और कागज उत्पाद, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग और अनुषंगी	795	587	594	595	603	30608	22600	22,940	22,978	23,286
6.	चमड़ा और चमड़ा फर उत्पाद (मरम्मत छोड़ कर)	303	139	140	145	143	13182	6047	6,100	6,318	6,230
7.	रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद	699	754	754	754	806	15712	16942	16,942	16,942	18,110
8.	रसायन और रसायन उत्पाद (पेट्रोलियम और कोयले को छोड़कर)	290	173	174	172	172	11815	7048	7,100	7,019	7,019
9.	गैर-धात्विक खनिज उत्पाद	73	11	12	12	12	1002	151	250	250	250
10.	बुनियादी धातु और मिश्रधातु उद्योग	517	775	770	756	755	7900	11842	11,607	11,396	11,380
11.	धातु उत्पाद और हिस्से पुर्जे मशीनरी और परिवहन उपकरण – इलेक्ट्रिकल उपकरणों सहित मशीन उपकरण	1928	757	760	759	760	76428	30007	30,154	30,115	30,154
12.	विद्युत, गैस और स्ट्रीम वाटर वर्क्स और आपूर्ति	132	195	206	206	206	6896	10187	10,692	10,692	10,692
13.	ईंधन, 47 रसायन, परफ्यूमरी, सिरामिक्स ग्लास में थोक व्यापार	99	0	2	5	7	900	0	105	263	323
14.	लोक प्रशासन और रक्षा सेवाएं	9	47	47	46	46	7655	39976	39,976	39,126	39,126
15.	स्वच्छता सेवाएं	20	31	31	30	27	590	915	915	886	797
16.	पूँजीगत सामान की मरम्मत और मरम्मत सेवाएं	570	219	224	217	238	32387	12441	12,691	12,556	13,100
17.	विविध अनिर्दिष्ट समूह	1002	3141	3,143	3,137	3,153	40111	125734	1,25,830	1,25,480	1,26,120
	कुल	9121	8622	8,643	8,613	8,690	419578	403517	4,04,602	4,02,733	4,04,169

स्रोत: श्रम आयुक्त कार्यालय, रा.रा.क्षे.वि.स.

- 6.3 उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि दिल्ली में फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या तीन प्रमुख उद्योग समूहों में पंजीकृत हैं (1) कपड़ा उत्पाद, (2) बुनियादी धातु और मिश्र धातु (3) धातु उत्पाद और कलपूर्ज मशीनरी।

7. उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण

- 7.1 फैक्टरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों अनुसार यदि किसी फैक्टरी में 10 या अधिक श्रमिक काम करते हैं और विद्युत का इस्तेमाल करते हैं तो उसका पंजीकरण अधिनियम की धारा 2एम (i) के तहत किया जाता है, 20 या इससे अधिक श्रमिकों वाले और विद्युत का इस्तेमाल नहीं करने वाले उद्योगों का पंजीकरण अधिनियम की धारा 2एम (ii) के तहत किया जाता है। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत फैक्ट्रियों के लिए किया जाता है।

विवरण 9.6
दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख संकेतक

क्र. सं.	प्रमुख संकेतक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1.	पंजीकृत कारखाने (संख्या)	2,928	2,852	2,639	2,459	2,459	2,355
2.	पूँजी						
क	अचल पूँजी	6,532	6,922	6,973	6,630	7,41,082	6,74,927
ख	कार्यशील पूँजी	11,391	9,126	8,990	5,543	5,93,530	6,29,442
	कुल	17,923	16,048	15,963	12,173	1,334,612	1,304,369
3.	रोजगार						
क	कामगार	76,697	74,747	75,172	70,414	74,685	70,845
ख	कामगारों से भिन्न	41,406	39,035	36,604	34,732	35,817	35,589
	कुल	1,18,103	1,13,782	1,11,776	1,05,146	1,10,502	1,06,434
4.	मानव दिवस (लाख में)	355	343	339	319	335	316
	कुल परिलब्धियां (करोड़ रुपये में)	2,778	2,793	2,897	2,910	3,33,505	3,42,728

स्रोत: उद्योग विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. दिल्ली सांख्यिकीय पुस्तिका

8. औद्योगिक एस्टेट

8.1 औद्योगिक एस्टेट/क्षेत्रों का परिचालन और रखरखाव:-

दिल्ली में 29 नियोजित औद्योगिक क्षेत्र और 4 प्लैटिड फैक्टरी परिसर हैं। इसके अलावा 25 नॉन-कन्फर्मिंग औद्योगिक बस्तियों को विकास के लिए अधिसूचित किया गया है। सभी औद्योगिक क्षेत्रों को दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) के तहत लाने के लिए 28 मार्च 2011 को दिल्ली औद्योगिक विकास परिचालन और रखरखाव (डीआईडीओएम) अधिनियम 2010 अधिसूचित किया गया।

- 8.2 4 प्लैटेड फैक्टरी परिसर सहित 33 औद्योगिक क्षेत्रों में से केवल 24 औद्योगिक क्षेत्र/एस्टेट दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम को सौंपे गए हैं। इन 24 औद्योगिक क्षेत्रों में से केवल 12 क्षेत्रों का लीज प्रशासन डीएसआईआईडीसी के पास है और शेष 12 औद्योगिक क्षेत्रों का प्रशासन डीडीए के पास (क्योंकि इन्हें अभी डीएसआईआईडीसी को स्थानांतरित नहीं किया गया है) है। इन 12 औद्योगिक क्षेत्रों में राजस्व संग्रह और विभिन्न प्रकार के जुर्माने/प्रभार लगाने का अधिकार डीडीए या संबंधित एमसीडी के पास है।
- 8.3 12 औद्योगिक क्षेत्र/एस्टेट/एफएफसी के लीज का प्रशासनिक कार्य मुख्य रूप से औद्योगिक स्टेट प्रबंधन संभाग डीएसआईआईडीसी देखता है। 13 वर्ष (2013-14 से 2026 तक) की अवधि के दौरान सभी प्रकार के प्रबंधन सेवा और विकास के लिए नरेला और बवाना क्षेत्र का प्रबंधन सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी. पी.) मोड में डीएसआईआईडीसी द्वारा दो कंसेशनर्स के माध्यम से किया जा रहा है।
- 8.4 चार औद्योगिक क्षेत्रों—मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 और 2, मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-3 और जीटीके औद्योगिक क्षेत्र में कच्ची सड़कों के पुनर्विकास/निर्माण का काम पूरा हो गया है। कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र और ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-3 (शेष कार्य) में कच्ची सड़कों के पुनर्विकास/निर्माण का दायित्व डीएसआईआईडीसी को सौंपा गया है और कार्य प्रगति पर है।
- 8.5 रिहायसी क्षेत्रों से उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए बवाना औद्योगिक क्षेत्र के फेज-2 का विकास डीएसआईआईडीसी द्वारा भोरगढ़ में 431.50 एकड़ के क्षेत्र में वर्ष 2010 में किया गया था।
- 8.6 भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संकुल विकास के लिए सूक्ष्म, लघु उद्यम-संकुल विकास कार्यक्रम की योजना (एमएसई-सीडीपी) बनाई है। इस योजना के तहत अनुदान सहायता के लिए डीएसआईआईडीसी द्वारा आठ औद्योगिक क्षेत्रों/ प्लैटेड फैक्ट्री की पहचान उन्नयन और पुनर्विकास के लिए की गई है। 6 औद्योगिक क्षेत्रों में पहले चरण का काम पूरा हो गया है और शेष 2 औद्योगिक क्षेत्रों (मुंडका-उत्तरी और नेताजी सुभाष विहार, टिकरी कला) में काम जारी है।

9. नॉन कन्फॉर्मिंग क्षेत्रों में औद्योगिक समूहों का विकास

- 9.1 दिल्ली मास्टर प्लान 21 की अधिसूचना के बाद तीन वर्ष के अंदर 25 नॉन कन्फॉर्मिंग क्षेत्रों के संबंधित सोसायटी / संघ द्वारा इन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाना था। इस योजना में स्थानीय निकायों द्वारा लेआउट योजनाओं की तैयारी और अनुमोदन पर सब्सिडी देना शामिल है।
- 9.2 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग के रोजगार बजट प्रस्ताव के अनुरूप नॉन कन्फॉर्मिंग क्षेत्रों में अधिसूचित औद्योगिक/गोदाम क्लस्टरों की पुनर्विकास के लिए मंत्रीपरिषद ने एक लेआउट योजना बनाने का फैसला किया है।
- 9.3 उद्योग विभाग/डीएसआईआईडीसी ने आर्किटेक्ट सलाहकारों की नियुक्ति और इन क्षेत्रों के संघों से आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एमसीडी को पुनर्विकास लेआउट योजना जमा करने की समय सीमा 31 मई, 2024 निर्धारित की गई है।

10. दिल्ली वित्त निगम (डीएफसी)

10.1 दिल्ली वित्त निगम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केन्द्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्थित उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नई औद्योगिक इकाईयां और साथ ही वर्तमान इकाईयों को शिपिंग, विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधिकरण और पुनर्वास के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। बिजली की कम खपत और उत्पादन की मात्रा को बढ़ावा देने के लिए इन इकाईयों को प्रौद्योगिकी के उन्नयन और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों इत्यादि के लिए भी ऋण दिया जाता है। डीएफसी छोटे सड़क परिवहन संचालकों को वाणिज्यिक वाहनों के लिए भी ऋण देता है। डीएफसी, दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल शहर बनाने के लिए ऋण देकर औद्योगिक इकाईयों को नए स्थान पर लगाए जाने में भी मदद करता है।

10.2 पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान निगम के प्रदर्शन से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है।

विवरण 10.7

दिल्ली वित्त निगम का कार्यनिष्पादन: वर्ष 2018-19 से 2022-2023 तक

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	मंजूरी	संवितरित राशि
2018-19	0.80	0.79
2019-20	0.87	0.15
2020-21	0.17	0.58
2021-22	3.31	2.79
2022-23	0.12	0.12

स्रोत: उद्योग विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

11. स्व-वित्तियोजना के तहत शेड्स

डीएसआईआईडीसी ने स्व-वित्तियोजना के अंतर्गत भी 456 औद्योगिक शेड्स का निर्माण निम्नांकित स्थलों पर किया है।

विवरण 9.8

स्व वित्तियोजना के तहत औद्योगिक शेड्स

क्र सं	परिसर का नाम	शेड्स की संख्या	स्वीकृत उद्योग
1.	कीर्ति नगर पैकिंग परिसर	226	टिम्बर और पैकिंग से संबंधित
2.	मंगोलपुरी इंजीनियरिंग परिसर	94	लाइट इंजीनियरी
3.	ओखला कम्प्यूटर परिसर	31	कम्प्यूटर से संबंधित
4.	रोहतक रोड औद्योगिक परिसर	105	सामान्य

स्रोत: उद्योग विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

12. साझा बहिष्प्राव अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) का निर्माण

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में डीएसआईआईडीसी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई), के सहयोग से इस परियोजना का निष्पादन किया है। डीएसआईआईडीसी ने वजीरपुर, मंगोलपुरी,

लारेंस रोड, नरेला, बवाना, झिलमिल, बादली, मायापुरी, नांगलोई, ओखला, जीटीए औद्योगिक क्षेत्र, अशोक नगर, एसएमए राजस्थानी उद्योग नगर, जहांगीर पुरी और नारायणा में 13 सीईटीपी का निर्माण पूरा किया है।

13. खतरनाक कचरा प्रबंधन केंद्र का गठन

डीपीसीसी ने पूरी परियोजना— शोधन, भंडारण और निस्तारण केंद्र (टीएसडीएफ) के लिए बवाना में सुरक्षित कूड़ास्थल (एसएलएफ) भट्टी (23-02-2026 तक वैध) की मंजूरी 04-03-2022 को दी थी। टीएसडीएफ केंद्र पूरी तरह कार्यरत है।

14. दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (डीकेवीआईबी)

डीकेवीआईबी रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार में एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन 1983 में हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 का विस्तार करके किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य खादी और ग्राम उत्पादों बढ़ावा देना और इनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना है। दिल्ली के. यह निम्नलिखित दो रोजगार सृजन योजनाएं लागू करता है—

क. **राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना** (आरजीएसआरवाई)— यह योजना वैयक्तिक उद्यमियों, व्यापार पेशेवरों, कारीगरों इत्यादि को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। योजना के तहत तीन लाख रुपए की वित्तीय सहायता ऋण रूप में परियोजना लागत के 15 प्रतिशत सब्सिडी के साथ प्रदान की जाती है,, जो प्रति उद्यमी 75,00 रुपए तक होनी चाहिए।

विवरण 9.9

आरजीएसआरवाई की प्रगति

क्र.सं.	मद	उपलब्धियां	
		2021-22	2022-23
1.	लक्ष्य		
	क.) मामलों की संख्या	25	08
	ख) राशि (लाख रुपए में)	78.00	21.00
2.	वितरित / वित्तपोषित मामलों का ब्योरा		
	क.) मामलों की संख्या	15	05
	ख) वितरित राशि (लाख रुपए में)	38.85	13.95

स्रोत: उद्योग विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

ख. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)** विनिर्माण क्षेत्र के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 50.00 लाख रु. और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के लिए 20.00 लाख रु. है। यदि कुल परियोजना लागत इन सीमाओं से अधिक है, तो शेष राशि बैंकों द्वारा बिना किसी सरकारी सब्सिडी के प्रदान की जा सकती है। पीएमईजीपी योजना के तहत ऋण आवेदन करने के लिए कोई आय मानदंड नहीं हैं। ब्योरा इस प्रकार है :

पीएमईजीपी के तहत लाभार्थियों की श्रेणियां	लाभार्थियों का अंशदान (परियोजना लागत का)	सब्सिडी की दर (परियोजना लागत की)	
क्षेत्र (परियोजना स्थल/इकाई)		शहरी	ग्रामीण
सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
विशेष श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी, दिव्यांग, अल्पसंख्यक/महिलाएं/पूर्व सैनिक इत्यादि)	05%	25%	35%

स्रोत: उद्योग विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

नोट :-

- क) लाभार्थियों की पहचान कार्यान्वयन एजेंसियों और बैंकों द्वारा जिला स्तर पर की जाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 (डी) के तहत परिभाषित 'आपदा' से प्रभावित घोषित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं/घटनाओं से प्रभावित लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ख) दिल्ली में वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान पीएमईजीपी के तहत भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों और लक्ष्यों का विवरण नीचे दिया गया है।

विवरण 9.10 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	वर्ष	लक्ष्य		बैंकों द्वारा दिए गए ऋण	
		संख्या	मार्जिन राशि	संख्या	राशि (मार्जिन राशि)
1.	2021-22	104 01*	326.65 12.55*	केवीआईबी	52
				केवीआईसी	45
				कुल	97
2.	2022-23	91 01*	286.94 9.74*	केवीआईबी	18
				केवीआईसी	54
				कुल	72
				केवीआईबी	102.51
				केवीआईसी	192.10
				कुल	294.61
				केवीआईबी	97.81
				केवीआईसी	373.32
				कुल	471.13

स्रोत: उद्योग विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

* वर्तमान पीएमईजीपी इकाई (एक परियोजना) के उन्नयन के लिए दूसरा ऋण।

- ग) **विपणन गतिविधियां/प्रदर्शनी:** इसके अलावा, डीकेवीआईबी कारीगरों/व्यक्तिगत उद्यमियों को विपणन मंच प्रदान करता है। बोर्ड ने दिल्ली सरकार के विभिन्न कार्यालयों से रद्दी/खरपतवार सामग्री एकत्र करना भी शुरू कर दिया है।

15. नए औद्योगिक क्षेत्रों/केंद्रों का विकास:

15.1 रानीखेड़ा, मुंडका में बहु-स्तरीय विनिर्माण केंद्र का विकास:

रानीखेड़ा- मुंडका में 147 एकड़ से भी अधिक जमीन पर बहुमंजिली इमारतों के साथ विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी पार्क के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। इस परियोजना से लगभग डेढ़ लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 13 लाख 50 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

डीएसआईआईडीसी निर्माण गतिविधियां शुरू करने से पहले रा.रा.क्षे.दि.स. से परियोजना की स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

15.2 बपरोला दिल्ली में डेटा सेंटर की स्थापना

रा.रा.क्षे.दि.स. ने स्टार्टअप और मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों दोनों के लिए निर्मित स्थान की पेशकश करके दिल्ली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बापरोला में खाली भूमि को इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी में बदलने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त, सरकार पड़ोसी राज्यों की नीतियों के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है।

15.3 कंझावाला में नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास

डीएसआईआईडीसी द्वारा कंझावाला में नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2008 में लगभग 920 एकड़ जमीन ली गई। नए औद्योगिक क्षेत्र की योजना में किसानों द्वारा माननीय उच्च/जिला न्यायालय में दाखिल कानूनी भूमि विवाद को लेकर बाधा आई। मौजूदा समय में जमीन के मालिकाना हक को लेकर लगभग 30 एसएलपी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

16. कारोबार सुगमता

- कारोबार करने में भारत का प्रदर्शन दो शहरों —दिल्ली और मुंबई के आकलन पर आधारित होता है। दिल्ली में कारोबारी माहौल में सुधार के साथ भारत विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में उछाल के साथ 2017 के 130वें स्थान से 2020 में 63वें स्थान पर आ गया है। यह भारत जैसे विशाल और विविध किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए कई व्यापार सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके लिए नियामक व्यवस्थाओं को सुविधाजनक बनाया जा रहा है और निवेशक अनुकूल व्यापारिक माहौल सृजित किया जा रहा है।
- डीबीआर 2020 में दिल्ली का प्रदर्शन, व्यवसाय शुरू करने, निर्माण परमिट और बिजली सुविधा प्राप्त करने और कर भुगतान के संदर्भ में मुंबई से बेहतर रहा है। मुंबई संपत्ति पंजीकरण संकेतक में दिल्ली से आगे रहा है।

17. व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी)

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) देश में व्यवसायिक और नियामक व्यवस्थाओं में सुधार के अपने प्रयासों के तहत व्यापार सुधार कार्य योजना के माध्यम से कई सुधार लागू कर रहा है। यह सुधार राज्य सरकारों की भागीदारी से लागू किए जा रहे हैं और उद्योग विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बीआरएपी के साथ सहयोग समन्वय कर रहा है।

- कारोबार सुगमता के तहत व्यापार सुधार कार्य योजना 2014 में लागू की गई और अब तक पांच आंकलन संचालित किए जा चुके हैं। डीपीआईआईटी ने 2020 तक के रैंकिंग जारी कर दिए हैं। नवीनतम आंकलन के अनुसार दिल्ली 'उभरते व्यवसाय पारिस्थितिकीय प्रणाली' श्रेणी के अंतर्गत है।
- बीआरएपी के तहत वर्तमान कार्य योजना 2022 में व्यवसाय और नागरिकों से संबंधित सुधार के बारे में 352 अनुशंसाय हैं। बीआरएपी 2022 के 352 सुधारों को दो भागों में बांटा गया है—

कार्ययोजना—क में व्यवसाय संबंधी 261 सुधार हैं

कार्ययोजना—ख में नागरिकों से संबंधित 91 सुधार हैं।

बीआरएपीके तहत दिल्ली में लागू प्रमुख सुधारों में कुछ इस प्रकार है—

- दिल्ली –केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली (दिल्ली-सीआईएस)
- म्यूटेशन प्रक्रिया को पंजीकरण प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया गया है।
- अद्यतन डेटा की रियल टाइम पहुंच के लिए एकीकृत पोर्टल विकसित किया गया है।
- साइनेज लाइसेंस एमसीडी द्वारा स्व प्रमाणन आधार पर दिए जाते हैं।
- निर्माण पूरा हो जाने के बाद एकल संयुक्त निरीक्षण।
- दिल्ली (समयबद्ध सेवा आपूर्ति के लिए आपूर्ति संबंधित नागरिक अधिकार) अधिनियम लागू किए जाने के लिए ईएसएलए तंत्र विकसित किया गया है।

नियामक अनुपालन अनिवार्यताओं को कम से कम करना (आरसी)

कुल 552 अनुपालन कम किए गए हैं, 38 प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाया गया है। दिल्ली में इस संदर्भ में लागू किए गए प्रमुख सुधारों में कुछ इस प्रकार हैं:

- उद्यमियों के लिए शीघ्र समाधान—** उद्यमियों से संबंधित सेवाएं, लाइसेंस प्राप्त करना जैसे सामान्य व्यापार लाइसेंस, पशु चिकित्सा लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस, तहबाजारी और हॉकिंग लाइसेंस इत्यादि प्राप्त करना सरल बनाया गया है।
- ट्रांसपोर्टों के लिए सुगमता—** लाइसेंस, बस पास और अन्य लाइसेंस जारी करना ऑनलाइन सुलभ बनाया गया है।
- आवश्यक कनेक्शन प्राप्त करने में आसानी —** 16 अनुपालनों को सरल बनाकर, दिल्ली जल बोर्ड ने पानी और सीवर कनेक्शन (सभी नागरिकों और व्यवसायों द्वारा प्राप्त एक महत्वपूर्ण सेवा) प्राप्त करना बहुत आसान बना दिया है।
- औषधि विक्रेताओं/निर्माताओं के लिए स्व प्रमाणन।

18. निर्यात प्रोत्साहन

रा.रा.क्षे.दि.सरकार ने एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल के माध्यम से प्रत्येक राजस्व जिले के लिए अद्वितीय उत्पादों की पहचान की है। 08 जिलों ने अपने संबंधित ओडीओपी के लिए अग्रणी निर्माताओं/विक्रेताओं/नर्यातकों की पहचान की है। उत्पादों को बढ़ाने और क्षमता निर्माण के लिए, उद्योग विभाग नवंबर 2023 में शाहदरा से शुरू होकर पश्चिम जिले तक विस्तार करते हुए सभी जिलों में क्षमता निर्माण कार्यशालाओं की योजना बना रहा है।

इसके अलावा, उद्योग विभाग निरंतर विकास, नवाचार और प्रतिबद्धता के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली निर्यात इकाइयों को मान्यता देने के लिए 2023 से 'राज्य निर्यात पुरस्कार' शुरू करने की योजना बना रहा है।

19. पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने सूक्ष्म स्तर के खाद्य उद्यमियों, एफपीओ/एसएजी/सहकारी समितियों का समर्थन करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना नामक एक योजना शुरू की। दिल्ली में यह योजना डीएसआईआईडीसी के माध्यम से लागू की गई है। दिल्ली में योजना का फंडिंग पैटर्न केंद्र, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश— 60:40 है। 150 आवेदन बैंक द्वारा स्वीकृत हैं तथा 122 आवेदन बैंक स्तर पर लंबित हैं।

20. स्टार्ट अप को बढ़ावा

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार भारत में एक शीर्ष केंद्र के रूप में पहचान अर्जित करते हुए नवाचार और स्टार्टअप को प्राथमिकता देती है। इसके लिए उसने प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उभरते उद्यमियों को विविध सहायता प्रदान करके एक अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी है। यह नीति निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों को पूरा करने के लिए बनाई गई है:

शिक्षा और शिक्षा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, पर्यटन और आतिथ्य, परिवहन और लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोटिव (विद्युत वाहन, ऑटोनोमस कार और संबंधित वाहन), व्यवसायों और नागरिकों को जोड़ने के लिए ई-प्रशासन, फिनटेक, ई-कचरा प्रबंधन, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, हरित प्रौद्योगिकी, जैव-फार्मा और चिकित्सा उपकरण, आईटी और आईटीईएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सॉफ्टवेयर एज-ए-सर्विस, जैव प्रौद्योगिकी, ऑग्युमेंटेड रियलिटी, हाइड्रोजन जैसे उभरते ऊर्जा क्षेत्र इत्यादि। इस नीति के तहत अन्य के अलावा निम्न योजना बनाई गई है।

1. **बुनियादी ढांचा और सहयोग** जैसे इन्क्यूबेटर हब नेटवर्क, अनुसंधान और विकास केंद्र, फैब्रिकेशन लैब नेटवर्क और सह कार्यक्षेत्र नेटवर्क और एक स्टार्टअप पोर्टल विकसित करना जो दिल्ली स्टार्टअप नीति के तहत जानकारी और प्रोत्साहन मांगने वाले लोगों, स्टार्टअप उद्यमों और इन्क्यूबेटर के लिए एक स्थल पर सहयोग उपलब्ध करा सके।

2. **जागरूकता और पहुंच**— दिल्ली सरकार लोगों के बीच उद्यमिता को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए शहरवार आयोजन जैसे स्टार्टअप उत्सव और हैकथॉन का आयोजन करती है। स्टार्टअप प्रणाली को प्रोत्साहन देने और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतिस्पर्धाओं का भी आयोजन किया जाएगा।

21. पुनर्विकास के लिए अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में औद्योगिक क्लस्टरों की अधिसूचना

वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित औद्योगिक क्लस्टर अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पुनर्विकास के लिए अधिसूचित किए गए हैं।

- 21.1 दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों के अनुरूप नॉनकॉर्मिंग क्षेत्र में गोदाम-क्लस्टर के पुनर्विकास के लिए मुंडका (उत्तर) को अधिसूचित किया गया।
- 21.2 नेताजी सुभाष विहार, टिकरी कलां को दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के तहत शामिल प्रावधानों के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पुनर्विकास के लिए अधिसूचित किया गया।

22. पीएम गति शक्ति एनएमपी

रा.रा.क्ष. दिल्ली सरकार का उद्योग विभाग, बीआईएसएजी-एन और अन्य हितधारक विभागों के साथ समन्वय करके पीएम गति शक्ति पोर्टल पर आवश्यक परतों को अद्यतन करने की सुविधा प्रदान कर रहा है।

इसके अलावा, इसने पहले से ही प्रशासनिक संरचनाएं बनाई हैं, यानी, सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस), नेटवर्किंग योजना समूह (एनपीजी), और तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू)। भूमि राजस्व सहित 28 डेटा परतों को पीएम गति शक्ति एनएमपी पोर्टल पर अपडेट किया जा रहा है।

अध्याय एक नजर में

➤	दिल्ली में 29 नियोजित औद्योगिक क्षेत्र और 4 प्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स हैं और राज्य सरकार ने पुनर्विकास के लिए 25 नॉन कन्फॉर्मिंग क्षेत्रों को अधिसूचित किया है।
➤	नीति आयोग के अनुसार 'एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22' में दिल्ली देश में फ्रंट रनर श्रेणी में आती है।
➤	दिल्ली की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण उप-क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है।
➤	दिल्ली में कुल 3,93,877 एमएसएमई पंजीकृत हैं, जिनमें 3,65,849 सूक्ष्म उद्यम, 25,091 लघु और 2,937 मध्यम उद्यम शामिल हैं।
➤	दिल्ली के कारोबारी माहौल में सुधार के कारण, भारत को विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 2020 में डीबीआर 2017 में 130 से 63 वें स्थान पर पहुंचने में मदद मिली है, जो भारत जैसे आकार के किसी भी बड़े और विविध देश के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है।

➤	भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सूक्ष्म स्तर के खाद्य उद्यमियों, एफपीओ/एसएजी/सहकारी समितियों को समर्थन देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना नाम से एक योजना शुरू की थी।
➤	दिल्ली सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उभरते उद्यमियों को विविध सहायता प्रदान करके एक अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली स्टार्टअप नीति को मंजूरी दे दी है।
➤	दिल्ली सरकार ने एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल के माध्यम से प्रत्येक राजस्व जिले के लिए अद्वितीय उत्पादों की पहचान की है। 08 जिलों ने अपने संबंधित ओडीओपी के लिए अग्रणी निर्माताओं/विक्रेताओं/निर्यातकों की पहचान की है

दिल्ली में पर्यटन

दिल्ली में समृद्ध और अद्वितीय सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत है, जो वास्तविक अखिल भारतीय स्वरूप और सभी के लिए बेजोड़ गंतव्य है। दिल्ली स्मारकों, संग्रहालयों, धार्मिक स्थलों, खरीदारी स्थलों की विस्तृत विविधता और अग्रणी भोजन अनुभवों से लेकर कई पर्यटक आकर्षण प्रदान करता है।

1.1 यात्रा करने के लिए कुछ प्रमुख स्थान और संजोने योग्य गतिविधियां इस प्रकार हैं:

- **हुमायूँ का मकबरा:** दिल्ली में यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है, जिसे मुगल सम्राट हुमायूँ के लिए वर्ष 1570 में बनाया गया था, यह उपमहाद्वीप का पहला भव्य राजवंशीय उद्यान मकबरा है। यह मकबरा निजामुद्दीन दरगाह के पास यमुना नदी के तट पर बनाया गया था। यह 30 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और भव्य चार बाग— (एक फारसी शैली का उद्यान जिसमें जल—सरणी मार्गों से जुड़े ताल हैं) का एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है।

इस स्मारक का अनोखा अष्टकोणीय आकार इसे मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक बनाता है।

- **लाल किला :** दिल्ली में यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल, लाल किला के नाम से जाना जाता है, यह देश का गौरव है। यह एक ऐतिहासिक किला है, जो शहर के प्राचीन भाग में स्थित है। लाल किला, 200 वर्षों तक शहर पर शासन करने वाले मुगल सम्राटों के लिए प्राथमिक निवास स्थान था। मुगलों ने लाल किले में 1856 तक निवास किया था। यह ऐतिहासिक स्मारक मुगलों का राजनीतिक केंद्र भी रहा।

लाल किले का निर्माण वर्ष 1639 में मुगल बादशाह शाहजहाँ के शासनकाल में किया गया था। इसे शाहजहाँ की किलाबन्द राजधानी शाहजहाँनाबाद के महल की तर्ज पर बनाया गया था। लाल पत्थर से निर्मित इसकी विशाल बंद दीवारों के कारण इसे लाल किला कहा जाता था। यह महल न केवल शाहजहाँ की स्थापत्य प्रतिभा को प्रदर्शित करता है, बल्कि उस समय की इस्लामी वास्तुकला की एक अच्छी तस्वीर भी पेश करता है।

- **कुतुब—मीनार:** दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कुतुब—मीनार, लाल और बफ स्टैंडस्टोन से बनी भारत में सबसे ऊंची मीनार है। इसके आधार पर चौड़ाई 14.32 मीटर, शीर्ष पर लगभग 2.75 मीटर और ऊंचाई 72.5 मीटर है।

कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईसवी में प्रार्थना के लिए मुअज्जिन (संदेशवाहक) के उपयोग के लिए मीनार की नींव रखी और पहली मंजिल बनाई, जिसमें उसके उत्तराधिकारी और दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश (1211–36 ईसवी) द्वारा तीन और मंजिलें जोड़ी गईं। सभी मंजिलें एक प्रक्षेपित बारजा

से घिरी हुई हैं और पत्थर के कोष्ठकों द्वारा समर्थित हैं, जिन्हें हनि-काम्ब डिजाइन से सजाया गया है, यह पहली मंजिल में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

- **राष्ट्रीय संग्रहालय:** प्राचीन काल से मध्यकाल तक भारत के समृद्ध ऐतिहासिक अतीत की झलक पाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है।
- **अमृत उद्यान:** राष्ट्रपति भवन के उद्यान, दिल्ली के अन्य खूबसूरत उद्यानों की तरह पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। सर्दियों में दिल्ली बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का घर बन जाता है जो इसे इको-टूरिज्म के दृष्टिकोण से जोड़ता है।
- **गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज:** गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज की संकल्पना जनता के लिए अवकाश स्थान के शहर की आवश्यकता पूरी करने के लिए की गई थी। यह बीस एकड़ का स्थल है, जो सैदुलाजाब गांव में स्थित है।
- **गुरु तेग बहादुर स्मारक:** इस परिसर का निर्माण 11.87 एकड़ के क्षेत्र में सिंघू बॉर्डर पर किया गया है, जिसमें 24 मीटर ऊंचा केंद्रीय प्रवेश द्वार है, जिसके आधार पर पंखुड़ियां गुरु और उनकी ताकत का प्रतिनिधित्व करती हैं और तीन "सी" मेहराब उनके तीन अनुयायियों को दर्शाते हैं और एकात्मक स्तंभ 10 सिख गुरुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन पर उनके कथन अंकित हैं।
- **कलाम मेमोरियल:** आईएनए दिल्ली हाट में स्थित कलाम मेमोरियल, पीपुल्स प्रेसिडेंट के प्रति हमारे अटूट प्रेम का एक उपयुक्त प्रमाण है।
- **टिकरी कला में आजाद हिंद ग्राम पर्यटक परिसर:** इस कॉम्प्लेक्स को दिल्ली पर्यटन द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण अवकाश स्थान और सड़क के किनारे सुविधाएं बनाने के लिए विकसित किया गया था।
- **दिल्ली हाट (आईएनए, जनकपुरी, पीतमपुरा):** दिल्ली हाट एक सामाजिक-सांस्कृतिक परिसर है, जिसमें 'बाजार' जैसा अहसास है। यह शिल्प, भोजन और संस्कृति के आनंदमय मिश्रण के साथ पारंपरिक साप्ताहिक बाजार का एक शहरी संस्करण है। इन 3 हाटों में कई त्योहार आयोजित किए जाते हैं।
- **लोटस टेम्पल:** लोटस टेम्पल दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। यह दुनिया के सात प्रमुख बहाई मंदिरों में से एक है। नेहरू प्लेस के पूर्वी हिस्से में स्थित, बहाई मंदिर दिल्ली 1986 में बनाया गया था और तब से यह अपनी संरचनात्मक सुंदरता और ऐक्य के प्रतीक से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है।
- **राष्ट्रीय युद्ध स्मारक (एनडब्ल्यूएम):** राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नागरिकों की जीत और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। एनडब्ल्यूएम एक राष्ट्रीय स्मारक है जो स्वतंत्र भारत के सशस्त्र संघर्षों में लड़ने वाले भारतीय सेना के सैनिकों को सम्मान देने और उनका स्मरण करने के लिए बनाया गया है।



1.2 दिल्ली में अन्य पर्यटन स्थल जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं:

अक्षरधाम मंदिर, बिड़ला मंदिर, प्रधानमंत्री संग्रहालय, इंडिया गेट, इस्कॉन मंदिर, जामा मस्जिद, जंतर मंतर, संसद भवन, पुराना किला, राष्ट्रपति भवन, सफदरजंग मकबरा, गुरुद्वारा बंगला साहिब, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक, कर्तव्य पथ।

1.3 दिल्ली में मनोरंजन स्थल, उद्यान और जैव विविधता पार्क:

मनोरंजन स्थल: दिल्ली संग्रहालय, मूवी थिएटर, थिएटर और ऑडिटोरियम, आर्ट गैलरीज, एडवेंचर स्पोर्ट्स, शहर के विभिन्न पार्क, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य।

उद्यान: सेंट्रल पार्क राजीव चौक, डियर पार्क, बुद्ध जयंती पार्क, इंद्रप्रस्थ पार्क, तालकटोरा गार्डन, स्वर्ण जयंती पार्क और नेहरू पार्क, लोधी गार्डन।

जैव विविधता पार्क: यमुना जैव विविधता पार्क, अरावली जैव विविधता पार्क, कमला नेहरू जैव विविधता पार्क, तिलपथ घाटी जैव विविधता पार्क, नीला हौज।

1.4 अन्य गतिविधियां

➤ जल क्रीड़ा गतिविधियाँ:

डीटीटीडीसी दिल्ली में 03 झीलों में नौका विहार की सुविधा प्रदान करता है:

1. नैनी झील (मॉडल टाउन)
2. भलस्वा झील
3. संजय झील

➤ स्पर्धाएँ और त्योहार:

सांस्कृतिक पर्यटन का संवर्धन, पर्यटन भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण घटक है। तदनुसार, सामान्य रूप से हमारे देश और विशेष रूप से दिल्ली की समृद्ध विरासत को समय-समय पर विभिन्न त्योहार और आयोजन जैसे कि गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल, फूड फेस्टिवल, इत्र और सुगंधी मेला, चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल, डांडिया फेस्टिवल, कवि सम्मेलन, दिवाली महोत्सव, उत्तर पूर्व सांस्कृतिक महोत्सव, पश्चिमी संगीत महोत्सव, कॉमेडी नाइट्स, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आदि के माध्यम से पेश किया गया है।

2. दिल्ली पर्यटन विभाग का कार्य निष्पादन

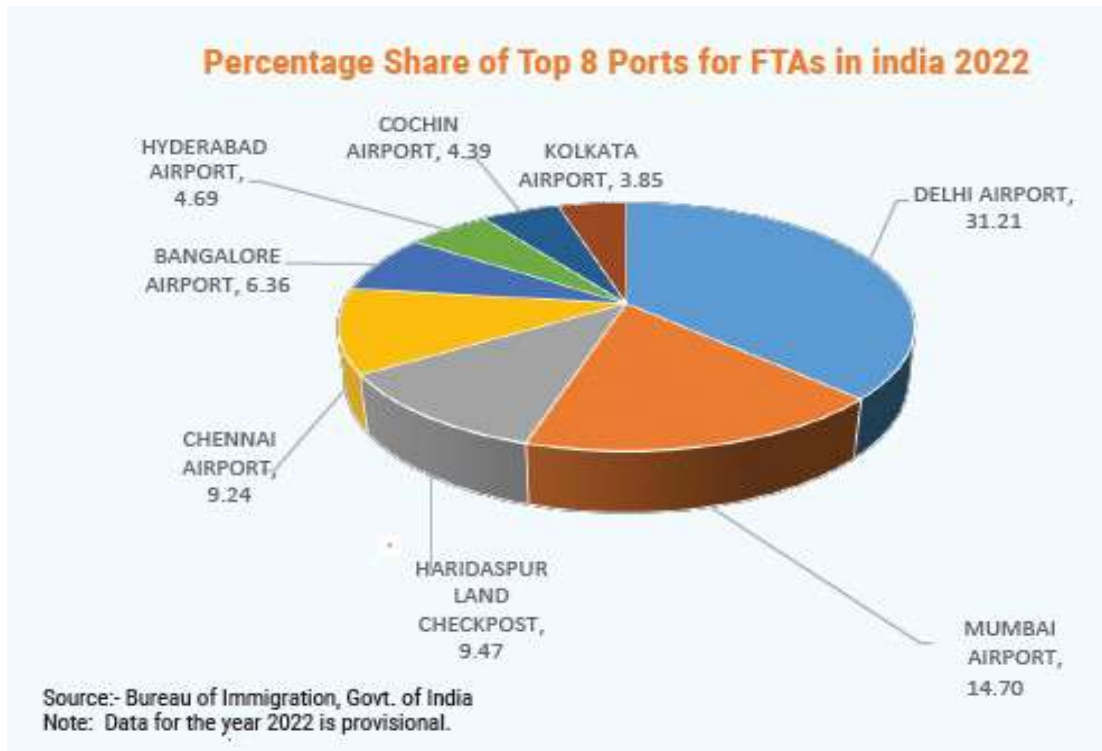
2.1 भारत की राजधानी विदेशी और घरेलू दोनों प्रकार के पर्यटकों के लिए प्रमुख आगमन स्थलों में से एक है। यह राज्य देश के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। भारत पर्यटन सांख्यिकी की प्रभा-2022 के अनुसार, दिल्ली में 2022 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन (एफ.टी.ए) लगभग 19.32 लाख (31.21%) दर्ज किया गया है। भारत में 2022 में राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार विदेशी पर्यटकों के आगमन (एफ.टी.ए) की संख्या की जानकारी विवरण 10.1 में दी गई है।

विवरण 10.1

2022 में भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिए शीर्ष 8 अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट

क्र.स.	अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट	एफटीएज	प्रतिशत हिस्सेदारी
1.	दिल्ली (हवाई अड्डा)	19,32,425	31.21
2.	मुंबई (हवाई अड्डा)	9,09,866	14.70
3.	हरिदासपुर भुमि जाँच चौकी	5,86,140	9.47
4.	चेन्नई (हवाई अड्डा)	5,72,197	9.24
5.	बैंगलोर (हवाई अड्डा)	3,93,552	6.36
6.	हैदराबाद (हवाई अड्डा)	2,90,201	4.69
7.	कोचीन (हवाई अड्डा)	2,72,068	4.39
8.	कोलकाता (हवाई अड्डा)	2,38,135	3.85
	कुल शीर्ष 8	51,94,584	80.05
	अन्य	9,96,815	19.95
	कुल योग	61,91,399	100.00

स्रोत : इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लान्स-2022, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार



2.2 2022 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या विवरण 10.2 में दी गई है:

विवरण 10.2
2022 में विदेशी पर्यटकों के आगमन में
भारत के शीर्ष 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की हिस्सेदारी

रैंक	राज्य/संघ राज्य	2022 में विदेशी पर्यटकों के आगमन	
		मिलियन	प्रतिशत हिस्सेदारी
1	गुजरात	1.78	20.70
2	महाराष्ट्र	1.51	17.60
3	पश्चिम बंगाल	1.04	12.08
4	दिल्ली	0.82	9.50
5	उत्तर प्रदेश	0.65	7.56
6	तमिलनाडु	0.41	4.74
7	राजस्थान	0.40	4.62
8	केरला	0.35	4.02
9	पंजाब	0.33	3.8
10	मध्य प्रदेश	0.20	2.38
	शीर्ष 10 का कुल योग	7.47	87.03
	अन्य	1.11	12.97
	कुल	8.59	100

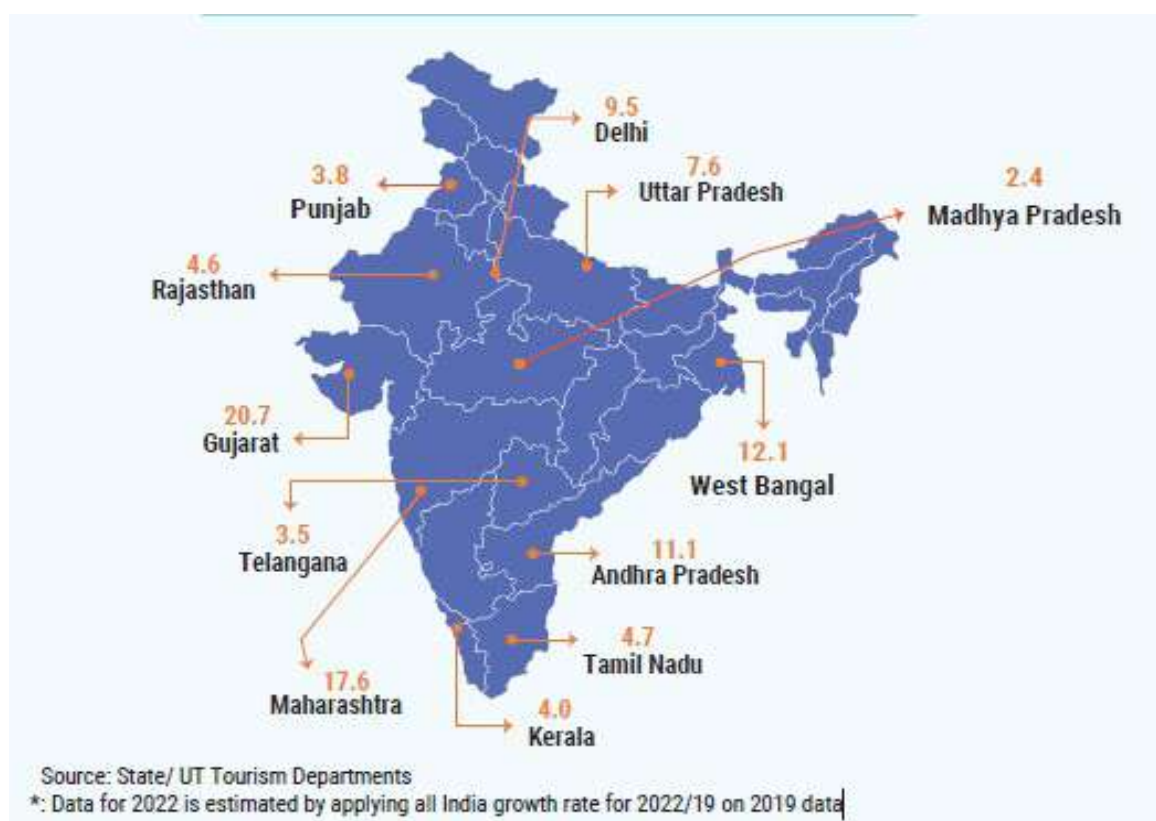
स्रोत: राज्य/संघ राज्य पर्यटन मंत्रालय

2022 के आंकड़ों का अनुमान, 2019 के आंकड़ों के आधार पर 2022/19 के लिए अखिल भारतीय विकास दर लागू करके लगाया गया है।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि दिल्ली ने 2022 में 9.5 प्रतिशत की कुल हिस्सेदारी के साथ विदेशी पर्यटकों की समग्र यात्राओं में चौथा स्थान हासिल किया।

चार्ट 10.2

2022 में विदेशी पर्यटकों की यात्राओं में प्रतिशत हिस्सेदारी



वित्तीय वर्ष 2022–23(फरवरी 2023 तक) के दौरान सबसे अधिक भारतीय पर्यटकों वाले, एएसआई के अधीन शीर्ष 10 केंद्रीय संरक्षित स्मारक

क्र.सं.	स्मारक	अंतर्देशीय फुटफॉल (लाख में)
1	ताज महल	45.13
2	लाल किला	22.01
3	सूर्य मंदिर, कोणार्क	21.33
4	आगरा का किला	15.99
5	कुतुब मीनार	15.24
6	गोलकुंडा किला	14.06
7	स्मारकों का समूह, मामल्लपुरम	13.84
8	एलोरा की गुफाएँ	13.32
9	रबिया दुरानी का मकबरा (बीबी का मकबरा)	10.85
10	हुमायूँ का मकबरा	10.81



3. घरेलू पर्यटक

राज्य में आने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या भी दिल्ली में लगातार बढ़ रही है: 2012 में यह लगभग 1.85 करोड़ थी, जो 2019 में बढ़कर 3.65 करोड़ हो गई। परन्तु, 2021 में यह घटकर 1.06 करोड़ रह गई (भारतीय पर्यटन सांख्यिकी, 2022)।

4. दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी):

पर्यटन क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन डीटीटीडीसी द्वारा किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य दिल्ली में पर्यटन का विकास करना और उसे प्रोत्साहित करना है।

डीटीटीडीसी की पर्यटन परियोजनाएं

- पर्यटक सूचना केंद्र
- दिल्ली हाटरू (1) आईएनए, (2) पीतमपुरा, (3) जनकपुरी (खाद्य और शिल्प बाजार)
- गार्डन ऑफ फाइव सेंसिज
- एन एच-1 पर गुरु तेग बहादुर स्मारक
- प्रकृति बाजार
- डॉ. कलाम मेमोरियल
- बाबा खड़क सिंह मार्ग पर कॉफी होम
- आजाद हिन्द ग्राम
- संजय झील, मयूर विहार में सॉफ्ट एडवेंचर पार्क



दिल्ली हाट



जनकपुरी



गार्डन ऑफ फाइव सेंसिज



गुरु तेग बहादुर मेमोरियल



नेचर बाज़ार



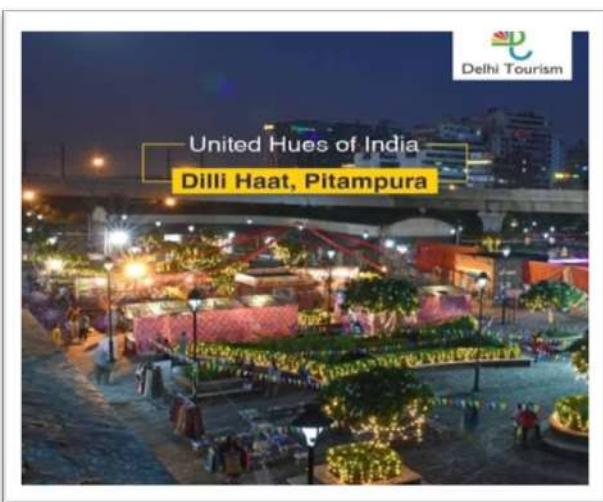
कलाम मेमोरियल



कॉफी होम कनॉट प्लेस



दिल्ली हाट: आईएनए



दिल्ली हाट पीतमपुरा



आजाद हिंद ग्राम

दिल्ली अपनी समृद्ध विरासत और संस्कृति के लिए जानी जाती है। अनुभवात्मक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डीटीडीसी द्वारा विभिन्न हॉन्टेड और हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जा रहा है, जो इस प्रकार हैं—

1. देखो अपना सी पी
2. दिल्ली का दिल देखो
3. शाहजहानाबाद वॉक (पुरानी दिल्ली)
4. फूड वॉक (पुरानी दिल्ली)
5. कुतुब मीनार और महरौली पुरातत्व पार्क की सैर
6. हौज खास की सैर
7. मालचा महल भुतहा सैर
8. फिरोज शाह कोटला भुतहा सैर

5. डीटीटीडीसी का यात्रा प्रभाग:

डीटीटीडीसी ने अपने यात्रा प्रभाग की स्थापना नवंबर 1996 में की थी और इसने टिकटिंग में नियमित संचालन शुरू किया था। ट्रेवल डिविजन अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकट जारी करने के उद्देश्य से इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) का सदस्य बना, साथ ही ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएएआई) और ट्रेवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीएएफआई) का सदस्य होने के नाते यह भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय का भी सदस्य बना।

5.1 मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना :

यह योजना भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत, दिल्ली के 17,252 वरिष्ठ नागरिकों ने नवंबर, 2023 तक विभिन्न तीर्थ स्थलों (रामेश्वरम-मदुरै, तिरुपति-बालाजी, जगन्नाथपुरी-कोणार्क-भुवनेश्वर, द्वारिकाधीश-नागेश्वर-सोमनाथ, शिरडी-शनि-शिंगणापुर-त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन-ओंकारेश्वर, बोधगया-सारनाथ, अजमेर-पुष्कर-उदयपुर-हल्दीघाटी-नाथद्वारा, मथुरा-वृंदावन-आगरा-फतेहपुर सीकरी, हरिद्वार-ऋषिकेश-नीलकंठ, अमृतसर-वाघा बॉर्डर-आनंदपुर साहिब, वैष्णो देवी-जम्मू और अयोध्या, दिल्ली-वेलनकन्नी-दिल्ली, दिल्ली-करतारपुर साहिब-दिल्ली) के 15 टूर किए।

5.2 मोबाइल ऐप "देखो मेरी दिल्ली" का विकास :

दिल्ली टूरिज्म मोबाइल ऐप पर्यटन क्षेत्र को एक नया प्रतिमान प्रदान करता है। यह पर्यटकों, आगंतुकों, सभी हितधारकों और दुनिया भर के लोगों को न केवल दिल्ली में पर्यटन स्थलों तक आसान पहुंच प्रदान करता है, बल्कि उन्हें रचनात्मक तरीके से संलग्न भी करता है।

यह दिल्ली में पर्यटन के सभी पहलुओं के लिए एक शिक्षाप्रद ऑल-इन-वन ऐप है। यह एसआई और दिल्ली पर्यटन परियोजनाओं के सभी स्मारकों के लिए टिकट बुकिंग को सक्षम बनाता है। हाल ही में इस मोबाइल ऐप में डीडीए द्वारा विकसित बांससेरा पार्क, भारत दर्शन पार्क, एमसीडी द्वारा विकसित वेस्ट टू वंडर पार्क को जोड़ा गया है। यह मोबाइल ऐप राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक उपयोगी गाइड साबित होता है जो दिल्ली के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करता है। गूगल मैप्स के साथ इसका एकीकरण पर्यटकों को पर्यटन स्थलों तक आसानी से मार्गनिर्देशन करने में मदद करता है।

5.3 दिल्ली फिल्म नीति :

दिल्ली टूरिज्म ने 13.05.2022 को दिल्ली फिल्म नीति (डीएफपी)-2022 अधिसूचित और प्रारंभ की है। इसका लक्ष्य फिल्मों के माध्यम से दिल्ली के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रोफाइल को ब्रांड बनाना है। डीएफपी-2022 के तहत एक अनूठी पहल, यानी ई-फिल्म क्लियरेंस का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत दिल्ली में फिल्म शूटिंग सुविधा के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन सिंगल विंडो अनुमोदन तंत्र कायम किया गया है, जो व्यापार में सुगमता के लक्ष्य के अनुरूप 20 से अधिक हितधारक विभागों से एक सहज, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन मंजूरी प्रदान करता है।

इसकी स्थापना के बाद से इस पोर्टल के माध्यम से फिल्म शूटिंग के लिए 71 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 38 आवेदनों को मंजूरी दे दी गई। पोर्टल पर 500 से अधिक फिल्मी स्थानों का भंडार भी उपलब्ध है, जिसे अधिक फिल्म शूटिंग स्थानों के लिए प्रोडक्शन हाउस के अनुरोध के अनुसार आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली को भारत में एक पसंदीदा फिल्म गंतव्य बनाने के उद्देश्य से, इस नीति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रचारित किया जा रहा है।

6 दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी (डीआईएचएम एंड सीटी):

संस्थान को 2002-03 में डिग्री स्तर के कॉलेज के रूप में अपग्रेड किया गया था ताकि वह होटल और आतिथ्य प्रबंधन में डिग्री प्रदान कर सके।

वर्तमान में कॉलेज की कुल क्षमता 399 सीटों की है अर्थात् बीएससी (एचएचए) पाठ्यक्रम में 311 विद्यार्थी हैं जिसके लिए संस्थान नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी से संबद्ध है जो कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के तहत एक शीर्ष निकाय है और 88 छात्र पांच विषयों में डेढ़ वर्षीय व्यापार डिप्लोमा पाठ्यक्रम अर्थात् खाद्य उत्पादन, बेकरी और कन्फेक्शनरी, फ्रंट ऑफिस, खाद्य और पेय सेवा और हाउसकीपिंग जिसके लिए संस्थान तकनीकी शिक्षा बोर्ड, जीएनसीटीडी से संबद्ध है। निर्माणाधीन छात्रावास में लड़कों के लिए 118 सीटें और लड़कियों के लिए 42 सीटों की पर्याप्त व्यवस्था है।

7. सरकार द्वारा की गई पहल

7.1 दिल्ली के प्रवेश स्थलों का सौंदर्यीकरण :

दिल्ली सरकार ने सभी प्रवेश बिंदुओं के सौंदर्यीकरण और दिल्ली में आगन्तुकों को सौंदर्यपरक अनुभूति कराने के लिए प्रवेश द्वारों के निर्माण की अवधारणा योजना तैयार की है।

7.2 ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम :

- 7.2.1 यह योजना अक्टूबर, 2007 के महीने में शुरू हुई और वर्ष 2023-24 के दौरान जारी रखी जा रही है ताकि दिल्ली आने वाले पर्यटकों को बजट आवास प्रदान किया जा सके और पारंपरिक भारतीय घर और संस्कृति का आनंद लिया जा सके और परिवारों के पक्ष और सुरक्षा का विश्वास भी प्राप्त किया जा सके व सुखद यादों के साथ वापसी की जाए। दिल्ली में ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट आवास में, सुविधाओं की दो श्रेणियां, सिल्वर और गोल्ड है। सिल्वर और गोल्ड श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का विवरण निम्न है:

सिल्वर और गोल्ड श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध बुनियादी सुविधाएं

सुविधाएं	सिल्वर	गोल्ड
कमरे का फ्लोर एरिया	120 वर्ग फुट	200 वर्गफुट
बाथ रूम का आकार	30 वर्ग फुट	40 वर्ग फुट
वाशिंग मशीन	अनिवार्य नहीं	अनिवार्य
कमरे में रेफ्रिजरेटर	अनिवार्य नहीं	अनिवार्य
एक्सटेंशन के साथ टेलीफोन	अनिवार्य नहीं	अनिवार्य

- 7.2.2 ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत योजनान्तर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठानों में अग्निशमन यंत्र, डबल बेड, एसी, टेलीफोन की सुविधाओं के साथ भली-भांति सुसज्जित कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं। किसी भी प्रतिष्ठान को अधिकतम 06 कक्ष दिये जा सकेंगे।
- 7.2.3 इस योजना के तहत दिनांक 31.03.2023 एवं 30.09.2023 की स्थिति के अनुसार दर्ज गोल्ड एवं सिल्वर श्रेणी के प्रतिष्ठानों और पंजीकृत कक्षों की कुल संख्या तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 का लक्ष्य नीचे दिया गया है:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान स्थिति		2023-24 के लिए लक्ष्य		30.09.2023 तक स्थिति		30.09.2023 तक स्थिति (03 वर्ष का संचयी)	
	प्रतिष्ठानों की संख्या	कमरों की संख्या	प्रतिष्ठानों की संख्या	कमरों की संख्या	प्रतिष्ठानों की संख्या	कमरों की संख्या	प्रतिष्ठानों की संख्या	कमरों की संख्या
सिल्वर	213	1095	235	1210	118	619	501	2587
गोल्ड	5	30	5	25	3	17	32	163
कुल	218	1125	240	1235	121	636	533	2750

नोट: 'ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र तीन साल के लिए जारी किया जाता है।

अध्याय एक नज़र में

➤	2022 के दौरान शीर्ष 8 अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट के अनुसार दिल्ली में 19.32 लाख (31.21 प्रतिशत) विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीएज) दर्ज किए गए।
➤	दिल्ली ने 2022 में कुल विदेशी पर्यटक यात्राओं में 9.50 प्रतिशत की कुल हिस्सेदारी के साथ चौथा हासिल किया।

सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) यानी संधारणीय विकास लक्ष्य-संयुक्तराष्ट्र द्वारा सबके लिये साफ सुरक्षित पानी, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा की समान उपलब्धता तथा असमानता कम करने के वैश्विक विकास एजेंडे के रूप में घोषित किया गया है। सरकार को एसडीजी-7 के तहत सबके लिये सुलभ, सतत, भरोसेमंद और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है।

- 1.1 जुलाई 2002 में बिजली क्षेत्र में सुधारों के बाद अन्य दिल्ली में राज्यों की तुलना में बिजली की स्थिति काफी बेहतर हुई है। अब आवश्यकता है प्रत्येक उपभोक्ता के लिये हर दिन चौबीसों घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति बनाये रखना तथा बिजली शुल्क को स्थिर स्तर पर रखते हुए प्रत्येक उपभोक्ता के लिये बिजली सुलभ बनाना। इसके निम्नलिखित तरीकों से अनेक उपाय किये गये हैं, जैसे लोड शेडिंग रोकना, घरेलू उपभोक्ताओं, कृषि उपभोक्ताओं (किसानों) के लिये बिजली दरों में छूट, 1984 के सिख दंगा पीड़ितों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में न्यायालय परिसर के भीतर वकील चैम्बर्स के लिये लोड पर विचार किये बिना विशेष सबसिडी देना।
- पूरी बिल राशि पर प्रतिमाह 200 यूनिट तक की बिजली खपत मुफ्त।
 - प्रतिमाह 201 से 400 यूनिट तक की खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिये प्रतिमाह 800 रुपये तक सबसिडी।
 - दिल्ली में कृषि कनेक्शन के लिये तय प्रभार पर 105 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह की दर से मौजूदा शुल्क पर बिजली सबसिडी उपलब्ध कराना।
 - 1984 के सिख दंगा पीड़ितों के लिये लोड पर विचार किये बिना, 400 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत पर, तय प्रभार, ऊर्जा प्रभार, पीपीएसी, सभी उपप्रभार और बिजली कर सहित पूरी बिल राशि की शत प्रतिशत सबसिडी तथा सभी लंबित बिजली बिलों की माफी।
 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में न्यायालय संकुल के सभी परिसरों के वकील चैम्बर्स तक बिजली सबसिडी योजना का विस्तार।
 - पिछले दो दशक में लोड शेडिंग घट कर सबसे निचले स्तर, कुल उपभोग के 0.019 प्रतिशत पर लायी गयी है।
- 1.2 दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी होने और उत्तरी क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र होने के कारण यहां बिजली की मांग बहुत अधिक है। यहां के लोगों की समृद्धि जीवन के प्रत्येक पक्ष में बिजली की विविध मांग उत्पन्न करती है। देश के सभी महानगरों की तुलना में दिल्ली में घरेलू बिजली की दरें सबसे कम हैं। बड़े पैमाने पर अनधिकृत कॉलनियों को नियमित किये जाने से व्यापकता और परिमाण में लोड बढ़ने को भी बिजली उपभोग में वृद्धि का कारण माना जा सकता है। बेहतर सड़क परिवहन, दूरसंचार, नियमित विद्युत आपूर्ति और आर्थिक नीतियों के कारण औद्योगिक और सेवा गतिविधियां बढ़ी हैं और इनसे बिजली की मांग में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में ऊर्जा क्षेत्र की प्राथमिकता मुख्य रूप से निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाये रखना और बिजली की बढ़ती मांग का ध्यान रखना है। दिल्ली में 2015 के बाद से बिजली की कीमत नहीं बढ़ायी गयी हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान दिल्ली में लगभग 49.40 लाख (कुल घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के 77.16 प्रतिशत से भी ज्यादा) घरों को बिजली सबसिडी मिल रही है।

- 1.3 दिल्ली में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। उच्च लोड घनत्व का शहरी क्षेत्र होने के नाते दिल्ली में बिजली उपभोग 2011-12 के 25593 मेगा यूनिट से बढ़कर 2022-23 में 35042 मेगा यूनिट हो गया है। कुल उपभोक्ताओं में घरेलू उपभोक्ताओं की अधिकता और मौसम अतिरेक होने के कारण दिल्ली का अपना विशिष्ट लोड पैटर्न और पीक लोड की समस्या है। अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली में बिजली क्षेत्र की स्थिति भी अलग है, जहां अन्य राज्यों में बिजली कमी की समस्या है वहीं दिल्ली ने बढ़ती मांग और पीक लोड की जरूरत पूरी करने के लिये अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था की है।

2. बिजली उत्पादन

- 2.1 इंद्रप्रस्थ बिजली उत्पादन कंपनी (आईपीजीसीएल) और प्रगति बिजली निगम लिमिटेड (पीपीसीएल) दिल्ली में निम्नलिखित बिजली संयंत्रों का प्रबंधन कर रही हैं जिनकी कुल स्थापित उत्पादन क्षमता 1791.2 मेगावाट की है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र आईपी बिजली केंद्र और राजघाट बिजली घर वाणिज्यिक रूप से बंद हो चुके हैं और पर्यावरणीय चिंताओं को लेकर परिचालित नहीं हैं। गैस टरबाइन पावर स्टेशन (जीटीपीएस) का बिजली खरीद समझौता मार्च 2021 में एक्सपायर हो चुका है। परन्तु, बिजली केंद्र के प्रचालन के रणनीतिक महत्व को देखते हुए डीईआरसी ने दिनांक 24.03.2021 के आदेश द्वारा, जीटीपीएस को केवल घरेलू गैस पर, 90 मेगावाट उत्पादन की अनुमति दे दी है। बाद में डीईआरसी ने दिनांक 09.10.2021 और 21.10.2021 के आदेश द्वारा 24-03-2021 के अपने की समीक्षा की और जीटीपीएस को किसी भी उपलब्ध गैस पर 90 मेगावाट उत्पादन की अनुमति दे दी और इसके बाद से जीटीपीएस को आरएलएनजी (पुनःगैसीकृत तरल प्राकृतिक गैस नहीं) पर सिस्टम से नियमित आधार पर अनुसूची मिल रही है।
- 2.23 अरावली बिजली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने हरियाणा के झज्जर में 1500 मेगावाट का कोयला आधारित इंदिरा गांधी सुपर थर्मल बिजली संयंत्र स्थापित किया था जो एनटीपीसी लिमिटेड, आईपीजीसीएल और हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है जिसमें इनकी इक्विटी साझेदारी 50:25:25 के अनुपात में है। उत्पादित बिजली दिल्ली और हरियाणा द्वारा बराबर बराबर बांट ली जाती है। इस संयंत्र का वाणिज्यिक प्रचालन 26 अप्रैल 2013 को शुरू हुआ था। संयंत्र के चरण-1 के तहत 500 मेगावाट क्षमता की 3 इकाइयां हैं जो पूरी तरह लागू हो चुकी हैं। भविष्य में चरण-II के अंतर्गत 1320 मेगावाट (2 x 660 मेगावाट) क्षमता बढ़ाये जाने का प्रावधान है।
- 2.3 750 मेगावाट की एक नयी गैस आधारित कंबाईंड साइकिल गैस टर्बाइन (सीसीजीटी) प्रगति 2 परियोजना प्रगति बिजली निगम लिमिटेड द्वारा बमनौली में प्रस्तावित है। गैस उपलब्ध नहीं होने के कारण सरकार ने फिलहाल इसे स्थगित रखा है।

विवरण 11.1
दिल्ली में बिजली उत्पादन की संस्थापित क्षमता

(30 सितंबर, 2023 की स्थिति)

क्र.सं.	कंपनी/पावर स्टेशन	ईंधन	इकाइयां
1.	इन्द्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल)		
	क. गैस टरबाइन पावर स्टेशन (जीटीपीएस)	गैस	2 x 30 मेगावाट (जीटीएस) + 1 x 30 मेगावाट (एसटीजी) = 90 मेगावाट
2.	प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल)		
	क. प्रगति-1 पावर स्टेशन	गैस	2 x 104 मेगावाट (जीटीएस) + 1 x 122 मेगावाट ((एसटीजी) = 330 मेगावाट
	ख. प्रगति-3 पावर स्टेशन, बवाना	गैस	4 x 216 मेगावाट (जीटीएस) + 2 x 253.6 मेगावाट ((एसटीजी =1371.2 मेगावाट
	कुल	--	1791.2 मेगावाट

स्रोत : इन्द्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड और प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड

3. प्लांट लोड फैक्टर

- 3.1 बिजली उद्योग में प्लांट लोड फैक्टर किसी बिजलीघर के अधिकतम आउटपुट की तुलना में उसकी सकल उत्पादन क्षमता का पैमाना है। प्लांट लोड फैक्टर और उपलब्धता घटक के संदर्भ में दिल्ली सरकार के स्वामित्व वाले बिजलीघरों का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है।

विवरण 11.2
दिल्ली के बिजली संयंत्रों में 2011-23 के दौरान प्लांट लोड फैक्टर/उपलब्धता फैक्टर

(प्रतिशत)

क्र.सं.	वर्ष	राजघाट पावर हाउस	गैस टरबाइन प्लांट	प्रगति-1 पावर स्टेशन	प्रगति-3 पावर स्टेशन	औसत
1.	2011-12	69.01 (68.37)	52.21 (79.41)	88.32 (92.61)	38.36 (68.65)	69.14 (82.31)
2.	2012-13	67.04 (66.94)	55.28 (84.22)	86.77 (90.50)	30.24 (88.04)	54.15 (85.71)
3.	2013-14	32.12 (67.55)	44.01 (85.76)	83.90 (92.62)	9.16 (95.69)	33.71 (91.13)
4.	2014-15	35.82 (56.50)	39.59 (68.80)	63.91 (85.62)	18.60 (92.32)	29.49 (91.52)
5.	2015-16	23.57* (55.88)*	19.69 (74.81)	53.11 (90.25)	15.87 (64.55)	21.77 (72.88)
6.	2016-17	--	29.41 (82.84)	62.46 (90.62)	17.04 (80.70)	26.31 (82.94)
7.	2017-18	--	24.48 (83.07)	67.63 (92.64)	24.60 (74.11)	31.79 (78.25)
8.	2018-19	--	25.35 (81.29)	52.43 (88.36)	30.14 (71.99)	33.22 (76.02)
9.	2019-20	--	21.15 (86.46)	52.76 (96.95)	33.33 (89.26)	34.91 (90.16)
10.	2020-21	--	19.39 (87.17)	53.26 (93.24)	27.60 (92.54)	30.77 (91.92)
11.	2021-22	---	28.07 (52.52)	52.70 (93.83)	26.68 (93.12)	31.55 (91.21)
12.	2022-23	--	42.07 (91.79)	29.59 (91.06)	21.63 (91.91)	24.12 (91.75)
13.	2023-24 (सितम्बर 2023 तक)	--	38.88 (87.02)	47.41 (94.85)	17.81 (93.72)	24.32 (93.60)

स्रोत : इन्द्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड और प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड

*आंकड़े डीईआरसी के दिनांक 21.10.2021 के आदेश के अनुसार, केवल एपीएम गैस पर 90 मेगावाट के लिए

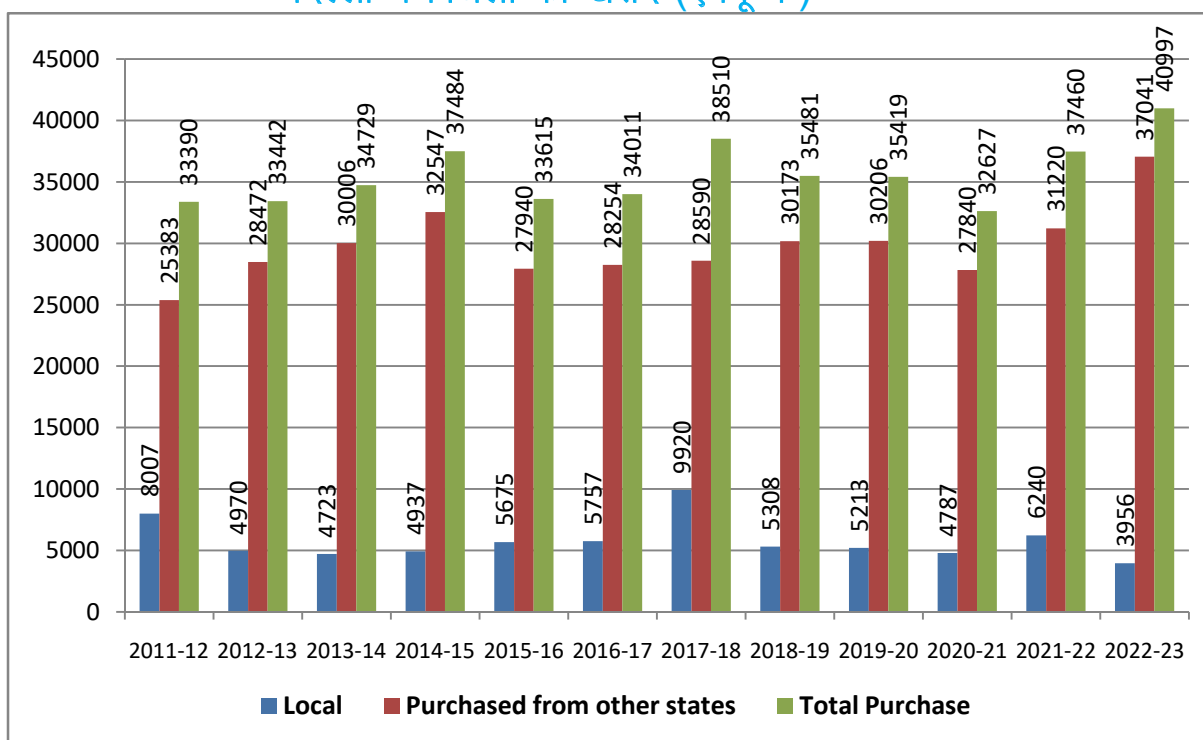
- 3.2 विवरण 11.2 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आइपीजीसीएल और पीपीसीएल के बिजलीघरों ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 91 प्रतिशत से अधिक औसत उपलब्धता हासिल की। लेकिन प्लांट लोड फैक्टर के निम्न रहने का कारण संस्ती घरेलू गैस की उपलब्धता कम होने और आयातित आरएलएनजी की ऊंची दर से प्रणाली नियंत्रण से इसका कम मात्रा में प्राप्त होना है।

3.3 बिजली खरीद

दिल्ली में वित्त वर्ष 2022-23 में बिजली की कुल खरीद 40997 एमयू है। इसमें से 09.65 प्रतिशत दिल्ली सरकार के अपने बिजलीघरों से प्राप्त हुई है वहीं 90.35 प्रतिशत केन्द्र सरकार और अन्य स्रोतों से खरीदी गयी है। पिछले 10 वर्षों में बिजली खरीद के बारे में जानकारी चार्ट 11.1 में दी गयी है।

चार्ट 11.1

दिल्ली में बिजली की खरीद (एमयू में)



स्रोत : एसएलडीसी (राज्य लोड डिस्पैच सेंटर)

3.4 बिजली वितरण

दिल्ली में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को बिजली का वितरण 2012-13 के 21361 मिलियन यूनिट से बढ़ कर 2022-23 में 30054 मिलियन यूनिट हो गया है। 2012-13 से 2022-23 के दौरान दिल्ली में बिजली का श्रणी वार उपभोग विवरण 11.3 और चार्ट 11.2 में प्रदर्शित किया गया है।

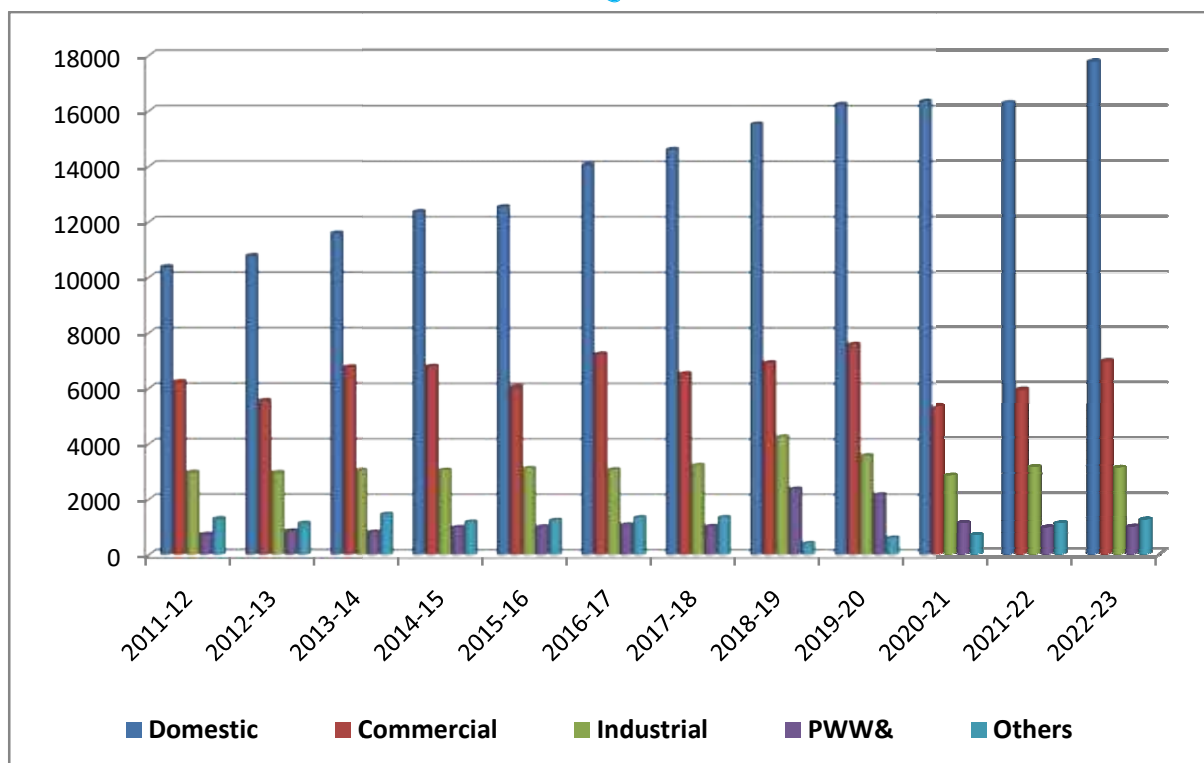
विवरण 11.3 दिल्ली में विद्युत वितरण

	दिल्ली में विद्युत वितरण का पैटर्न (मिलियन यूनिट में)										
वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
घरेलू	10796	11609	12386	12560	14060	14627	15541	16253	16360	16330	17779
वाणिज्यिक	5569	6786	6814	6053	7257	6550	6942	7606	5314	5920	6970
औद्योगिक	2979	3064	3068	3135	3088	3243	4271	3597	2819	3127	3104
पीडब्ल्यू डब्ल्यू और स्ट्रीट लाइट	870	838	1007	1027	1098	1042	2389	2185	1106	944	971
अन्य	1147	1484	1202	1262	1362	1368	425	625	666	1099	1229
कुल	21361	23781	24477	24037	26865	26830	29568	30266	26264	27420	30054

स्रोत : डिस्कॉम्स

* एनडीएमसी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के डेटा नहीं सौंपे हैं इसलिये हमने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ट्रू-अप पिटीशन उपयोग में लिया है।

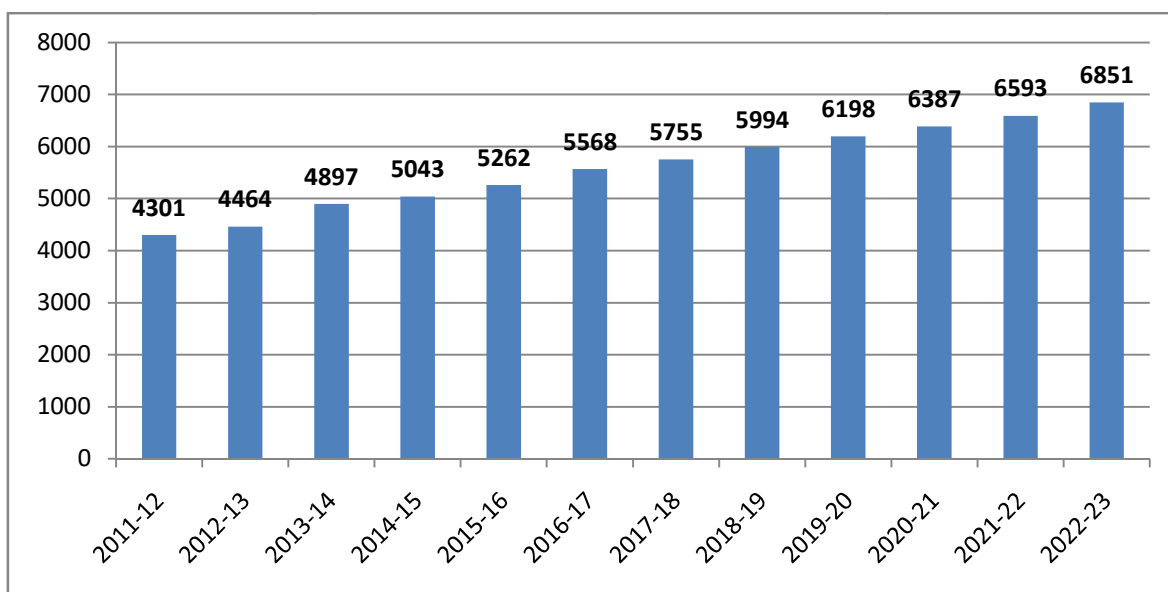
चार्ट 11.2 दिल्ली में विद्युत वितरण



- 3.5 2011-12 से 2022-23 के दौरान दिल्ली में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 43.01 लाख से बढ़कर 68.51 लाख हो गयी। पिछले 12 वर्षों में दिल्ली में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि चार्ट 11.3 में दिखाई गयी है।

चार्ट 11.3

दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं की वृद्धि (हजार में)

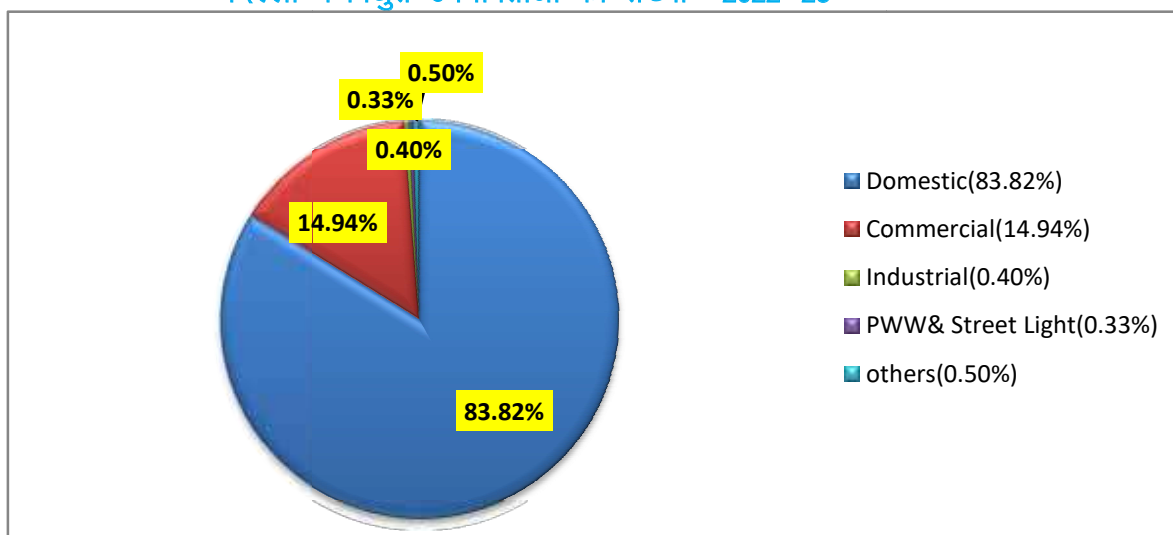


स्रोत : डिस्कॉम्स

- 3.6 2011-12 से 2022-23 के दौरान दिल्ली में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 43.01 लाख से बढ़कर 68.51 लाख हो गयी। दिल्ली में 2011-12 से 2022-23 तक बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में 25.50 लाख की वृद्धि हुई है। विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या संबंधी जानकारी चार्ट 11.4 में दी गयी है।

चार्ट 11.4

दिल्ली में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या : 2022-23



स्रोत : डिस्कॉम्स

4. समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक क्षति (ए.टी.एंड सी.)

एटी.एंडसी. क्षति विद्युत प्रणाली में शामिल ऊर्जा यूनिटों और वास्तव में बेची गई यूनिटों के बीच का अंतर है। विद्युत क्षेत्र में सुधारों के बाद दिल्ली में सकल तकनीकी और वाणिज्यिक क्षति (एटी एंड सी) में काफी कमी आयी है और यह 2002 (जुलाई 2002 से पूर्व) के सुधार पूर्व स्तर 52 प्रतिशत से

घटकर 2022-23 में 6.42 प्रतिशत पर आ गयी है। ट्रांसमिशन और वितरण क्षति में भुगतान वसूली न हो पाने के कारण होने वाली हानियां शामिल नहीं हैं। एटी एंड सी क्षति विद्युत वितरण कारोबार की समग्र दक्षता का वास्तविक पैमाना है क्योंकि इसमें तकनीकी और वाणिज्यिक दोनों तरह की क्षति को शामिल किया जाता है।

एटी एंड सी क्षति में कमी विवरण 11.4 में प्रदर्शित की गयी है।

विवरण 11.4
दिल्ली में एटी एंड सी क्षति-बिजली क्षेत्र सुधार परवर्ती अवधि

(प्रतिशत)

क्र.स.	वर्ष	बीवाईपीएल	बीआरपीएल	टीपीडीडीएल
1.	2011-12			
	क. लक्ष्य	18.00	15.00	15.33
	ख. उपलब्धि	22.07	18.11	11.49
2.	2012-13			
	क. लक्ष्य	16.82	14.16	12.50
	ख. उपलब्धि	22.14	17.74	10.73
3.	2013-14			
	क. लक्ष्य	15.66	13.33	12.00
	ख. उपलब्धि	22.19	16.93	10.56
4.	2014-15			
	क. लक्ष्य	14.50	12.50	11.50
	ख. उपलब्धि	18.93	13.65	10.42
5.	2015-16			
	क. लक्ष्य	13.33	11.67	11.00
	ख. उपलब्धि	15.66	12.08	9.37
6.	2016-17			
	क. लक्ष्य	--	--	11.00
	ख. उपलब्धि	12.70	10.69	9.09
7.	2017-18			
	क. लक्ष्य	13.00	10.93	8.84
	ख. उपलब्धि	10.67	9.43	8.26
8.	2018-19			
	क. लक्ष्य	12.13	8.00	8.65
	ख. उपलब्धि	8.98	8.07	7.83
9.	2019-20			
	क. लक्ष्य	--	9.95	8.46
	ख. उपलब्धि	8.66	8.52	7.79
10.	2020-21			
	क. लक्ष्य	---	8.56	8.36
	ख. उपलब्धि	7.46	6.87	6.44
11.	2021-22			
	क. लक्ष्य	---	8.46	8.26
	ख. उपलब्धि	7.23	7.67	6.69
12.	2022-23			
	क. लक्ष्य	---	8.36	8.16
	ख. उपलब्धि	6.43	6.46	6.36

स्रोत : डिस्कॉम्स

5. विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) द्वारा बुनियादी ढांचे में पूंजी निवेश

बिजली की मांग बढ़ने से विद्युत ढांचे में सुधार की मांग भी बढ़ी है। दिल्ली में बिजली स्थितियों में सुधार के लिए तीनों कंपनियां बिजली ट्रांसफार्मरों, ईएचवी केबल्स, संस्थापना और 11 केवी फीडर्स, शंट कैपेसिटर्स आदि ढांचागत घटकों में बढ़ोतरी कर रही हैं। वित्त वर्ष 2011-12 में दिल्ली में बिजली क्षेत्र में सुधार शुरू किए जाने के बाद से तीनों डिस्कॉम कंपनियों द्वारा किए गए पूंजी निवेश की जानकारी विवरण 11.5 में दी गई है।

विवरण 11.5
बिजली कंपनियों द्वारा दिल्ली में सृजित बुनियादी ढांचा

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	वर्ष	बीवाईपीएल	बीआरपीएल	टीपीडीडीएल	कुल
1.	2011-12	99.96	119.00	346.46*	565.42
2.	2012-13	133.23	301.00	357.27*	791.50
3.	2013-14	172.75	287.55	342.97*	803.27
4.	2014-15	184.87	308.00	318.51*	811.38
5.	2015-16	231.68	346.00	362.75*	940.43
6.	2016-17	247.03	371.00	455.11	1073.14
7.	2017-18	343.86	564.83	479.34	1388.03
8.	2018-19	338.28	499.55	569.53	1407.36
9.	2019-20	247.2	635.60	567.63	1450.43
10.	2020-21	300.93	620.58	501.39	1422.90
11.	2021-22	239.71	545.97	415.76	1201.44
12.	2022-23	289.63	744.75	447.65	1482.03
	कुल	2829.13	5343.83	5164.37	13337.33

स्रोत : डिस्कॉम्स

टिप्पणी: यह डेटा केवल वितरण का पूंजीकरण दर्शाता है।

6. बिजली ट्रांसमिशन

- 6.1 दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य पारेषण संस्था है जो 220 केवी और 400 केवी स्तर पर विद्युत पारेषण के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा प्रणालीगत आवश्यकताओं के अनुसार ईएचवी नेटवर्क के उन्नयन, प्रचालन और रखरखाव संबंधी कार्य भी कंपनी को सौंपे गए हैं। विद्युत अधिनियम 2003 लागू होने के बाद स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) नाम के एक नए विभाग का सृजन दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के अंतर्गत किया गया है। यह दिल्ली में विद्युत प्रणाली का समेकित प्रचालन सुनिश्चित करने वाला एक शीर्ष निकाय है। पहले यह विभाग दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड/दिल्ली विद्युत बोर्ड के प्रचालन एवं अनुरक्षण विभाग का एक हिस्सा था। एसएलडीसी दिल्ली ने 1 जनवरी, 2004 को अपना कामकाज प्रारंभ किया। एसएलडीसी रीयल टाइम में लोड डिस्पैच जैसे कार्यों, एससीएडीए प्रणाली के प्रचालन एवं रखरखाव और ऊर्जा लेखांकन के लिए उत्तरदायी है। इसका लक्ष्य एनआरएलडीसी (उत्तर क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर) के साथ तालमेल कायम करते हुए विश्वसनीयता, सुरक्षा और सुदृढ़ वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर किफायती रूप से राज्य के भीतर और अन्य राज्यों के साथ विद्युत हस्तांतरण को अंजाम देना है।

- 6.2 दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के विद्युत ट्रांसमिशन नेटवर्क के अंतर्गत 400 केवी के 4 और 220 केवी के 41 सब-स्टेशन तथा उससे जुड़ी ट्रांसमिशन लाइनें शामिल हैं। वर्तमान नेटवर्क में दिल्ली इर्द-गिर्द स्थापित 400 केवी रिंग स्टेशन शामिल हैं जो समूचे शहर में फैले 220 केवी नेटवर्क के साथ जुड़े हैं। वर्ष 2022-23 तक दिल्ली ट्रांसमिशन संस्था के नेटवर्क की जानकारी विवरण 11.6 में दी गई है।

विवरण 11.6
दिल्ली ट्रांसमिशन नेटवर्क : 2022-23

क्र सं	विवरण	400 केवी स्तर	220 केवी स्तर
1.	सब स्टेशनों की संख्या	4	42
2.	ट्रांसफार्मेशन क्षमता (एमवीए में)	5410	14580
3.	ट्रांसमिशन लाइनें (सर्किट किलोमीटर में लंबाई)	249.118	915.87

स्रोत : दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड/एसएलडीसी

- 6.3 पिछले 10 वर्षों के दौरान पारेषण हानि और लोड शेडिंग में कमी जैसे कई कारणों से बिजली की प्रणालीगत उपलब्धता में सुधार हुआ है। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के कार्य निष्पादन की जानकारी विवरण 11.7 में दी गई है।

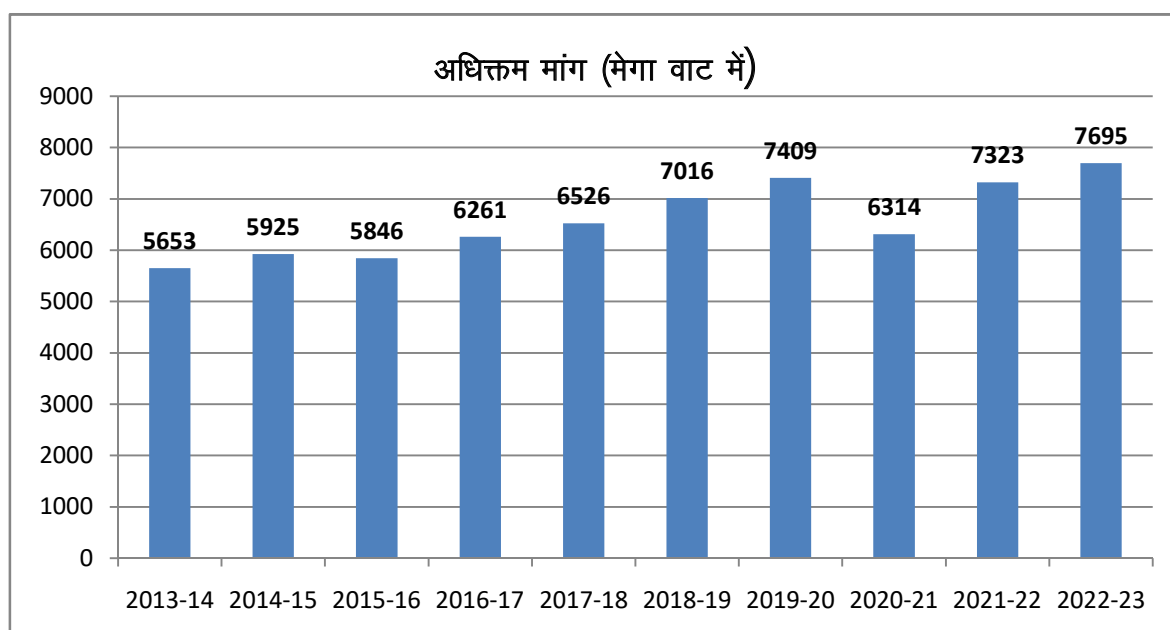
विवरण 11.7
2013-2023 के दौरान दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड का कार्य निष्पादन

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	पूरी की गई पीक मांग (मेगावाट में)	5653	5925	5846	6261	6526	7016	7409	6314	7323	7695
2.	लोड वृद्धि (प्रतिशत)	0.19	4.81	-1.33	7.10	4.23	7.51	5.60	-14.78	15.98	5.07
3.	ऊर्जा खपत (मिलियन यूनिट में)	28021	29035	29416	30797	31874	32354	33082	29534	31116	35042
4.	शेडिंग (मिलियन यूनिट में)	77	117	42	32	19	17.84	10.85	5.512	6.006	10.049
5.	शेडिंग ऊर्जा खपत के प्रतिशत रूप में	0.27	0.40	0.14	0.10	0.06	0.05	0.033	0.019	0.019	0.028
6.	ट्रांसमिशन हानियां (प्रतिशत)	0.95	0.69	0.85	0.98	0.84	0.92	0.90	0.88	0.88	0.84
7.	प्रणाली उपलब्धता (प्रतिशत में)	97.43	98.60	99.03	98.01	99.35	99.11	98.95	99.30	99.037	99.598

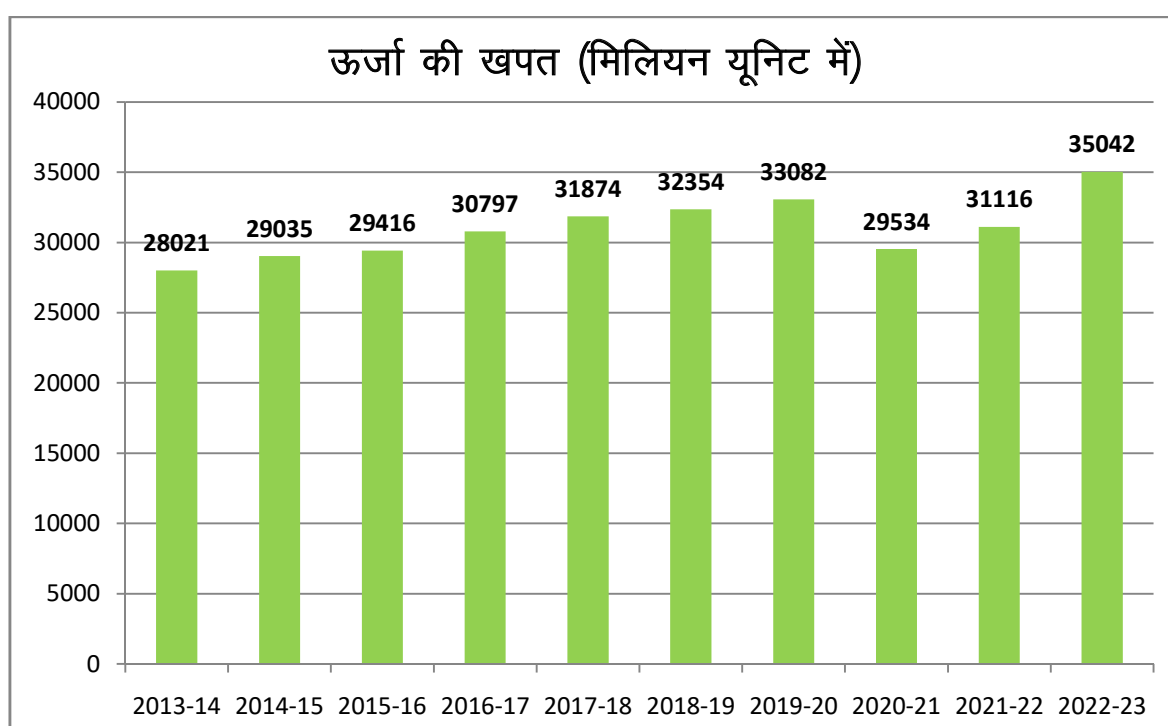
स्रोत : दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड/एसएलडीसी

- 6.4 विवरण 11.7 से पता चलता है कि विद्युत की पीक मांग (व्यस्ततम समय में मांग का सर्वोच्च स्तर) 2013-14 के 5653 मेगावाट से बढ़कर 2022-23 में 7695 मेगावाट हो गया। 2013-14 से 2022-23 के लिए ऊर्जा की खपत में वार्षिक औसत वृद्धि लगभग 2.87 प्रतिशत रही है। 2013-14 से 2022-23 की अवधि में औसत प्रणाली उपलब्धता 98.842 प्रतिशत है। पूरी की गई अधिकतम मांग के संबंध में जानकारी मेगावाट में और ऊर्जा उपभोग की जानकारी मिलियन यूनिट में क्रमशः चार्ट 11.5 और 11.6 में दर्शायी गई हैं।

चार्ट 11.5
दिल्ली में पूरी की गई अधिकतम मांग (मेगा वाट में)



चार्ट 11.6
दिल्ली में ऊर्जा की खपत (मिलियन यूनिट में)



6.5 भारत की 20वीं इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) रिपोर्ट के खंड-3 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के मांग पूर्वानुमान को शामिल किया गया है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कराये गये 20वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) की रिपोर्ट में मार्च-2023 के अंत तक दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 7770 मेगावाट होने का अनुमान लगाया गया था जबकि वास्तव में 7695 मेगावाट दर्ज किया गया। रिपोर्ट में ऊर्जा की आवश्यकता संबंधी पूर्वानुमान

से पता चलता है कि 2023–24 तक कुल मांग 8164 मेगावाट पर पहुंच सकती है लेकिन मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए 22.8.2023 को पीक मांग 7438 मेगावाट दर्ज की गई।

एनसीआर के लिए ऊर्जा की आवश्यकता और अधिकतम लोड पूर्वानुमान-19वां और 20वां ईपीएस

	2021-22 (वास्तविक)	2022-23 (वास्तविक)	2023-24
ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	31116	35042	37346
पीक लोड (मेगावाट)	7323	7695	8164

7 प्रमुख ट्रांसमिशन परियोजनाएं

- 7.1 समूचे विद्युत नेटवर्क के बारे में रीयल टाइम यानी समसामयिक आंकड़ों तक निरंतर पहुंच बनाए रखने के लिए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन (एससीएडीए) प्रणाली लागू की गयी है। दिल्ली में बिजली की भावी मांग को भरोसेमंद और कुशल तरीके से पूरा करने के लिए कई नई और संवर्द्धन ट्रांसमिशन नेटवर्क परियोजनाएं पर अमल किया जा रहा है। इनमें करीब 200 करोड़ रुपये लागत की नयी और नेटवर्क संवर्द्धन ट्रांसमिशन परियोजना (400/220 के वी) भी शामिल है। दिल्ली में बिजली आपूर्ति में सुधार के लिये 2023–24 की अवधि के लिये बिजनेस प्लान में 400 केवी स्तर पर कोई क्षमता वृद्धि की योजना नहीं है।

8. नवीकरणीय ऊर्जा

- 8.1 दिल्ली में सौर ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 27.09.2016 को दिल्ली सौर नीति-2016 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य 2025 तक सौर ऊर्जा से 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करना है। नीति में 500 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल वाली सरकारी इमारतों की छतों में अनिवार्य रूप से सौर प्रणालियां स्थापित करना है। आवासीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तीन साल के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन की पेशकश की गयी है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने 31 मई, 2019 को वर्चुअल और नेट मीटरिंग दिशानिर्देश जारी किये हैं। इस समय सितम्बर 2023 तक 255 मेगावाट क्षमता की सौर प्रणालियां स्थापित की जा चुकी हैं।
- 8.2 ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र (ईईएंडआरईएमसी) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) बिजली मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली में राज्य द्वारा नामित एजेंसी के रूप में कार्य करता है और दिल्ली में ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा गतिविधियां संचालित करता है जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
- लोकनिर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से ईईएंडआरईएम सेंटर ने जी.बी. पंत अस्पताल के बीईई स्टार रेटेड उपकरणों की रिट्रोफिटिंग का काम शुरू किया है।
 - व्यावसायिक भवनों के लिये ऊर्जा संरक्षण कोड: - भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने वर्ष 2017

में देश के व्यावसायिक भवनों के लिये ईसीबीसी कोड तैयार किया है। डीडीए द्वारा यूबीबीएल में ईसीबीसी का प्रावधान किया गया है।

- 8.3 राज्य की एजेंसी के रूप में ईईएंडआरईएम सेंटर को दिल्ली शहर में नयी और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से क्रियान्वित करना है। इस समय भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सीएफए योजना के दूसरे चरण अंतर्गत दिल्ली बिजली वितरण कंपनियों द्वारा आवासीय क्षेत्र में 12 मेगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता सृजित करने के लिए कार्य किया जा रहा है।
- 8.4 105 मीटर या इससे अधिक आकार के भूखंडों पर बनी इमारतों में सौर प्रणालियां स्थापित करना दिल्ली भवन उपविधानों के अनुसार अनिवार्य कर दिया गया है।
- 8.5 दिल्ली में सौर प्रणालियों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए कैबिनेट द्वारा एक नई सौर ऊर्जा नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई है और इसके लिए राजपत्र अधिसूचना अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन है। इस नीति के तहत रिहायशी, व्यावसायिक और संस्थागत सेक्टरों के लिये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त एक हाइब्रिड आरईएससीओ मॉडल भी प्रस्तावित किया गया है। तीन वर्ष में 500 मेगावाट की लक्षित क्षमता का प्रस्ताव किया गया है।
- 8.6 शहरी ठोस कचरे का निपटान बड़ी गंभीर चुनौती है। इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा एमसीडी और एनटीपीसी ने कचरे से 12 मेगावाट के ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए संयुक्त उपक्रम गठित किया है।

30.09.2023 तक

	नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता	
सौर ऊर्जा उत्पादन	255 मेगावाट	
कचरे से ऊर्जा	84 मेगावाट	कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र:- तिमारपुर-ओखला (23 मेगावाट) गाजीपुर (12 मेगावाट) नरेला-बवाना (24 मेगावाट) तेहखंड- 25 मेगावाट
कुल	339 मेगावाट	

9. ऊर्जा क्षेत्र में सरकारी निवेश

- 9.1 दिल्ली सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में निवेश का उद्देश्य ट्रांसमिशन और ट्रांसफार्मेशन क्षमता और विद्युत उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ उपभोक्तों के लिए बिजली शुल्क को किफायती बनाना है। पिछले पांच वर्षों में सरकार द्वारा इस क्षेत्र में निवेश से उतार-चढ़ाव की रुझान का पता चलता है। दिल्ली में ऊर्जा क्षेत्र में 2011-12 से 2022-23 की अवधि के दौरान निवेश का हिस्सा विवरण 11.8 में दर्शाया गया है।

विवरण 11.8
ऊर्जा क्षेत्र में सरकारी व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	वर्ष	योजनाओं एवं परियोजनाओं पर व्यय		
		कुल व्यय	ऊर्जा क्षेत्र	कुल योजना व्यय में ऊर्जा व्यय का प्रतिशत
1.	2011-12	13642.54	1833.26	13.44
2.	2012-13	13237.51	1271.61	9.61
3.	2013-14	13964.28	326.00	2.33
4.	2014-15	13979.68	581.26	4.16
5.	2015-16	14960.54	235.52	1.57
6.	2016-17	14355.03	187.77	1.31
7.	2017-18	14401.00	221.85	1.54
8.	2018-19	15672.03	413.18	2.64
9.	2019-20	20307.02	52.86	0.26
10.	2020-21	19223.29	5.72	0.03
11.	2021-22	30346.33	3274.32	10.79
12.	2022-23	31782.54	3182.21	10.01

स्रोत : डीई-लेखा पीएओ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

- 9.2 सरकार घरेलू उपभोक्ताओं, कृषि उपभोक्ताओं (किसानों), 1984 के सिख दंगा पीड़ितों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के न्यायालय परिसर में वकील चैम्बर्स को भी विशेष सब्सिडी देने पर खर्च कर रही है। पिछले 9 वर्षों के दौरान बिजली पर सब्सिडी व्यय इस प्रकार रहा:

विवरण 11.9
जारी सब्सिडी (2015-16 से दिसम्बर 2023 तक)

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राशि
2015-16	1442.76
2016-17	1577.94
2017-18	1676.70
2018-19	1699.29
2019-20	2405.59
2020-21	2939.99
2021-22	3250.00
2022-23	3161.22
2023-24 (दिसम्बर 2023 तक)	2426.85

स्रोत : विद्युत विभाग (सब्सिडी शाखा)

अध्याय एक नजर में

➤	दिल्ली में ऊर्जा क्षेत्र की प्राथमिकता मुख्य रूप से निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाये रखना और बिजली की बढ़ती मांग का ध्यान रखना है। दिल्ली में 2015 के बाद से बिजली की कीमत नहीं बढ़ायी गयी हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान दिल्ली में लगभग 49.40 लाख घरों को बिजली सबसिडी मिल रही थी।
➤	दिल्ली के उच्च लोड घनत्व का शहरी क्षेत्र होने के कारण बिजली उपभोग 2011-12 के 25593 मेगा यूनिट से बढ़कर 2022-23 में 35042 मेगा यूनिट हो गया है।
➤	दिल्ली में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 409907 मिलियन यूनिट बिजली खरीद, जिसमें से लगभग 09.65 प्रतिशत दिल्ली सरकार के बिजली संयंत्र स्रोतों से और 90.35 प्रतिशत केंद्र सरकार और अन्य स्रोतों से।
➤	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने विद्युत पारेषण नेटवर्क स्थापित किया है जिसमें ट्रांसमिशन लाइन से जुड़े 400 केवी के चार और 220 केवी के 41 सबस्टेशन शामिल हैं।
➤	अधिकतम मांग 2013-14 के 5653 मेगावाट से बढ़कर 2022-23 में 7695 मेगावाट हो गयी।
➤	दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिये बिजली वितरण 2012-13 के 21361 मिलियन यूनिट से बढ़कर 2022-23 में 30054 मिलियन यूनिट हो गया है। इसी अवधि के दौरान दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 44.64 लाख से बढ़कर 68.51 लाख हो गयी है।
➤	विद्युत क्षेत्र में सुधारों के बाद दिल्ली में सकल तकनीकी और वाणिज्यिक क्षति (एटी एंड सी) में काफी कमी आयी है और यह 2002 (जुलाई 2002 से पूर्व) के सुधार पूर्व स्तर 52 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 6.42 प्रतिशत पर आ गयी है।
➤	सितंबर 2023 तक नवीकरणीय ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता 339 मेगावाट थी जिसमें 255 मेगावाट सौर संयंत्रों से और 84 मेगावाट कचरे से ऊर्जा संयंत्रों से था।

परिवहन

भारत में परिवहन क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। विशेषकर दिल्ली में इस क्षेत्र पर काफी दबाव है। इसलिए योजनाकारों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है कि एकीकृत और सतत शहरी परिवहन प्रणाली के लिए सभी समावेशी संकेतकों की समीक्षा की जाए। अनियोजित शहरीकरण और वाहनों की बढ़ती संख्या वाले दिल्ली जैसे किसी शहर में मेट्रो रेल और बस परिवहन जैसी व्यापक प्रणालियों के सतत उपयोग पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ऐसे में एकीकृत परिवहन रणनीति अत्यंत आवश्यक है, ताकि परिवहन के विभिन्न माध्यमों को कुशलता से एकीकृत किया जाए, जिससे सतत परिवहन सुविधाजनक हो सके। योजनाकारों का लक्ष्य शहरों में समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ, सुरक्षित, सुगम्य, तीव्र, आरामदायक, भरोसेमंद और सतत आवागमन सुविधा सुनिश्चित करना है। इसके लिए यह समानरूप से महत्वपूर्ण है कि परिवहन की इन सभी उप प्रणालियों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय निरंतरता पर मनन किया जाए और समझा जाए।

- 1.1 दिल्ली की सामाजिक आर्थिक विविधता के कारण आबादी का बड़ा भाग अभी भी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग नहीं कर रहा है। निजी कारों और दोपहिया वाहनों के बढ़ते उपयोग के कारण वायु गुणवत्ता में गिरावट और यातायात सुरक्षा के लिए भारी समस्या पैदा हो गई है। कई शहरी इलाकों में सड़क/गलियों में भीड़-भाड़ और यातायात जाम काफी बढ़ गया है और दिल्ली भारत में ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) का सबसे बड़ा उत्सर्जक शहर बना हुआ है। इसलिए दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को और अधिक कुशल और प्रभावी बनाने की जरूरत है।
- 1.2 शहरों में सतत सुचारु सार्वजनिक परिवहन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं:
 - सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को प्राथमिकता एवं व्यापक गतिशीलता के लिए सक्षम बनाना।
 - पैदल आवागमन, साइकिल, बस, मेट्रो और रेल जैसे माध्यमों को शामिल कर एक बहु मॉडल और एकीकृत आवागमन प्रणाली विकसित करना।
 - वायु गुणवत्ता में गिरावट संबंधी समस्याओं की रोकथाम के लिए अधिक सुलभ, सतत और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी/ईंधन (सीएनजी वाहन, हाइब्रिड, विद्युत वाहन इत्यादि) अपनाना।

2. परिवहन बुनियादी ढांचा

2.1 सड़क नेटवर्क

दिल्ली में सड़क नेटवर्क का विकास और रख-रखाव लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली में विभिन्न एजेंसियों के रख-रखाव के तहत आने वाले सड़क नेटवर्क की लंबाई विवरण 12.1 में दी गई है।

विवरण 12.1

दिल्ली में एजेंसीवार सड़क नेटवर्क की स्थिति

(31 मार्च, 2023 तक, लंबाई लेन कि.मी. में)

क्र सं	एजेंसी	सड़क लंबाई
1.	दिल्ली नगर निगम	12703.95
2.	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	1290
3.	डीएसआईआईडीसी	2428
4.	आई एंड एफसी	357.39
5.	डीडीए	435*
6.	लोक निर्माण विभाग (दिल्ली सरकार)	
	क. राष्ट्रीय राजमार्ग	35
	ख. अन्य सड़कें	1345

स्रोत : दिल्ली सांख्यिकी हैण्डबुक : 2023

2.2 सड़क अवसंरचना

2.2.1 पैदल पारपथ सुविधाएं—फुटओवर ब्रिजेज (एफओबीज)

दिल्ली जनसंख्या और वाहन घनत्व दोनों के मामले में दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है। बढ़ती शहरी आबादी के साथ, सड़कों पर पैदल यात्रियों की आवाजाही के साथ-साथ वाहन घनत्व में भी वृद्धि हो रही है, जिससे सड़कों के साथ-साथ दोनों तरफ यातायात के सुचारु प्रवाह के लिए पैदल मार्ग के संदर्भ में उचित बुनियादी ढांचे और सुविधा की मांग बढ़ रही है। दिल्ली में, वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही के बीच टकराव से बचने और वाहनों और पैदल चलने वालों की बिना किसी रुकावट के दुर्घटना-मुक्त आवाजाही की सुविधा के लिए बड़ी संख्या में एफओबीज का निर्माण किया गया है।

निम्नलिखित एफओबीज निर्माणाधीन हैं और 31.03.2024 तक पूरा होने की संभावना है:—

- अदचीनी गांव में श्री अरबिंदो मार्ग
- हौजखास एन्क्लेव (पद्मिनी एन्क्लेव के पास)
- पीटीएस बस स्टॉप पर श्री अरबिंदो मार्ग
- नवनिर्मित कोर्ट भवन और तीस हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स, बुलेवार्ड रोड के बीच फुट ओवर ब्रिज का निर्माण
- गणेश चौक आरओबी-36 रोड पर सड़क के पार पैदल चलने वालों के लिए सीढ़ियों और लिफ्टों के साथ फुट ओवर ब्रिज का निर्माण

2.2.2 फ्लाईओवर और ब्रिज/कॉरिडोर

फ्लाईओवर और ब्रिज/कॉरिडोर ब्रिज का उपयोग/निर्माण अक्सर वहां किया जाता है, जहां भारी यातायात की भीड़ होती है या जहां सड़कें विभिन्न स्तरों पर मिलती हैं। वे किसी क्षेत्र में वाहनों को अधिक तेजी से और कुशलता से चलने की सुविधा प्रदान करके यातायात की भीड़ को कम करने

में मदद कर सकते हैं। उनसे चौराहों पर टकराव के जोखिम को कम करके सुरक्षा में सुधार भी किया जाता है।

कई बुनियादी सड़क ढांचा परियोजनाएं (जैसे फ्लाईओवर, पुल, कॉरिडोर, अंडरपास इत्यादि) नीचे दी गई हैं:

- **एलिवेटेड कॉरिडोर बारापूला चरण-III :** सराय काले खां से मयूर विहार चरण- III तक का विस्तार 1260.63 करोड़ रुपये (निविदा लागत 964 करोड़ रुपये) के लिए स्वीकृत किया गया था। अक्टूबर, 2023 तक 880.11 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। कार्य प्रगति पर है और शेष 9341 वर्गमीटर भूमि अधिग्रहण अंतिम चरण में है। अक्टूबर, 2023 तक 82 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। काम अस्थायी अनुमान के अनुसार 31.12.2024 तक पूरा होने की संभावना है।
- **आईआईटी से एनएच-8 तक बाहरी रिंग रोड का कॉरिडोर सुधार भाग क- पूर्व में मौजूदा मुनिरका फ्लाईओवर को पश्चिम में आर्मी आरआर अस्पताल से आगे तक जोड़ने वाले पोर्टल स्ट्रैक्चर पर फ्लाईओवर। भाग ख-बीजे मार्ग और आंतरिक सड़क के जंक्शन पर अंडरपास :** पूर्व में मौजूदा मुनिरका फ्लाईओवर को बाहरी रिंग रोड पर पश्चिम में आर्मी आरआर अस्पताल से आगे तक जोड़ने वाले पोर्टल स्ट्रैक्चर पर (भाग-क) फ्लाईओवर के निर्माण की परियोजना (भाग-ख) बीजे मार्ग और इनर रिंग रोड के जंक्शन पर अंडरपास को 364.87 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई है। अक्टूबर, 2023 तक 345.20 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। परियोजना पूरी हो गई है और यातायात के लिए खोल दी गई है।
- **मथुरा रोड पर आश्रम चौक के निकट अंडरपास का निर्माण :** इस परियोजना की अनुमानित लागत, सेवाओं के स्थानांतरण सहित, 77.92 करोड़ रुपये है। अक्टूबर 2023 तक 75.60 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। परियोजना पूरी हो गई है और यातायात के लिए खोल दी गई है।
- **रामपुरा में (i) एनएच-10 (ii) त्रिनगर/इंद्रलोक और (iii) कर्मपुरा दिल्ली में पुलों का निर्माण कार्य :** त्रि-नगर/इंद्रलोक, कर्मपुरा और रामपुरा, दिल्ली में नजफगढ़ नाले पर पुल के निर्माण के साथ, पहले से निर्मित पुल के क्षेत्र को छोड़कर पूरे आरओडब्ल्यू को कवर किया जा सकेगा, साथ ही पुल के दोनों ओर सड़क सुधार कार्य, जिनमें जल निकासी योजना, फुटपाथ आदि शामिल होंगे। इस परियोजना के लिए 85.90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत मंजूर की गई थी। अक्टूबर, 2023 तक 70.46 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। कार्य पूरा हो चुका है और जनता के लिए खोल दिया गया है।
- **आश्रम फ्लाईओवर से डीएनडी फ्लाईओवर तक फ्लाईओवर का विस्तार :** एफओबी रैंप, फुटपाथ, सड़क, संकेतक, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी और अन्य संबंधित कार्य : इस परियोजना की अनुमानित लागत 164.84 करोड़ रुपये है। अक्टूबर, 2023 तक 161.91 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं। कार्य पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।
- **पंजाबी बाग फ्लाईओवर और राजागार्डन फ्लाईओवर के बीच एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर विकास और स्ट्रीट नेटवर्क :** इस परियोजना की अनुमानित लागत 352.32 करोड़ रुपए है। अक्टूबर, 2023

तक 174.31 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। निर्माण कार्य 28.02.2024 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

- आनंद विहार आरओबी से अप्सरा बॉर्डर आरओबी दिल्ली तक रोड नंबर 56, ग्रेड सेपरेटर/फ्लाईओवर का निर्माण : परियोजना की अनुमानित लागत 372.04 करोड़ रुपए है। अक्टूबर, 2023 तक 201.27 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। निर्माण कार्य 31.03.2024 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
- ओआरआर न्यू मुकरबा चौक पर जैक पुशिंग प्री-कास्ट आरसीसी बॉक्स द्वारा अंडरपास का निर्माण: इस परियोजना की अनुमानित लागत 59.50 करोड़ रुपये है। अक्टूबर, 2023 तक 9.54 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं; कार्य 30.06.2024 तक पूरा होने की संभावना है।
- गोपालपुर रेडलाइट-जगतपुर ब्रिज पर आउटर रिंग रोड पर हाफ अंडर पास का निर्माण कार्य: इस परियोजना पर अनुमानित लागत 38.17 करोड़ रुपये आंकी गई है। अक्टूबर, 2023 तक 36.10 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं। कार्य पूरा हो चुका है और जनता के लिए खोल दिया गया है।
- पूरे आरओडब्ल्यू को कवर करने के लिए बसई दारापुर में नजफगढ़ नाले पर पुल को चौड़ा करने का काम : परियोजना की अनुमानित लागत 48.60 करोड़ रुपए है। अक्टूबर, 2023 तक 46.06 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं। कार्य पूरा हो चुका है और जनता के लिए खोल दिया गया है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग-10 पर नांगलोई के निकट नजफगढ़ नाले पर पुलों को चौड़ा करने के काम: परियोजना की अनुमानित लागत 42.21 करोड़ रुपए है। अक्टूबर, 2023 तक 37.82 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं। कार्य पूरा हो चुका है और जनता के लिए खोल दिया गया है।
- गाज़ीपुर ड्रेन से शमशान घाट, गाज़ीपुर डेयरी फार्म रोड, दिल्ली तक गाज़ीपुर ड्रेन हिंडन नहर पर स्लिप रोड ब्रिज (कौंडली ब्रिज पर) प्रदान करना —परियोजना लागत 25.43 करोड़ रुपये है। 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। अक्टूबर, 2023 तक 24.70 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। कार्य पूर्ण होने की लक्ष्य तिथि 31.03.2024 है।
- आईटीओ से आश्रम तक यातायात के लिए सराय काले खां में अतिरिक्त हॉफ फ्लाईओवर का निर्माण— इस कार्य के लिए 27.04.2022 को 66.55 करोड़ की राशि मंजूरी की गई थी। फ्लाईओवर पूरा हो चुका है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। अक्टूबर, 2023 तक 40.51 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।
- रोड साइनेज, इलेक्ट्रिकल वर्क्स, ड्रेनेज, आरओडब्ल्यूएच और संबद्ध कार्यों आदि के तहत नंद नगरी और गगन सिनेमा जंक्शन पर फ्लाईओवर और मंगल पांडे मार्ग के लोनी चौक पर अंडरपास का निर्माण — इस परियोजना की मंजूरी राशि 341.20 करोड़ रुपये है। अक्टूबर 2023 तक 53.35 करोड़ का खर्च हो चुका है; कार्य 31.07.2024 तक पूरा होने की संभावना है।

2.2.3 बस टर्मिनल और डिपो

इस परियोजना का उद्देश्य बस से यात्रा करने वालों के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना है। दिल्ली में 23 क्लस्टर बस डिपो और 40 डीटीसी बस डिपो हैं, जिनमें एक डीटीसी डिपो सावदा घेवरा में निर्माणाधीन है और कुल 11 बस डिपो (डीटीसी-8, क्लस्टर-3) विद्युतीकृत हैं। दिल्ली में 17 बस टर्मिनल हैं जिनमें से 16 चालू हैं।

2.2.4 अंतराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी)

दिल्ली में मौजूदा समय में तीन अंतराज्यीय बस टर्मिनल कार्यरत हैं – कश्मीरी गेट, सराय कालेखां और आनंद विहार। कश्मीरीगेट आईएसबीटी का नवीनीकरण किया गया है और इसे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। सराय काले खां और आनंद विहार आईएसबीटी की परियोजनाएं लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनः विकसित की जाएगी ताकि उनका आरआरटीएस परियोजनाओं से एकीकरण किया जा सके।

2.2.5 रेल नेटवर्क

देश के रेल मानचित्र पर दिल्ली एक प्रमुख जंक्शन है और मुख्य महानगरों के साथ सीधे जुड़ा है। दिल्ली में पांच मुख्य रेलवे स्टेशन हैं : नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, सराय रोहिल्ला और आनंद विहार। इनके अलावा पटपड़गंज और तुगलकाबाद में कंटेनर डिपो हैं। दिल्ली डिविजन हर दिन 496 यात्री ट्रेनों और 210 मालगाड़ियों को संभालता है (स्रोत: उत्तर रेलवे <https://nr.indianrailways.gov.in/>)

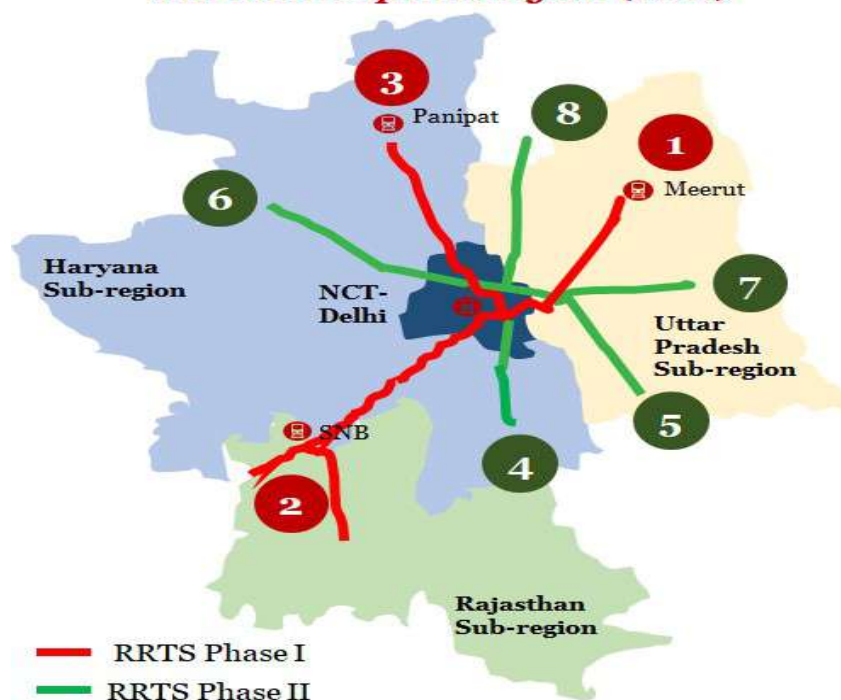
2.3 रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस)

विभिन्न मुद्दों को हल करने, निरंतर बढ़ती आबादी की अपेक्षाएं पूरी करने के साथ-साथ एनसीआर की आर्थिक क्षमता को उजागर करने और आवागमन की मांग पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए परिवहन पर कार्यात्मक योजना-2032 में प्रमुख क्षेत्रीय केंद्रों को जोड़ने के लिए रेल आधारित उच्च गति, उच्च आवृत्ति क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) पर विशेष जोर देने के साथ मल्टी-मॉडल परिवहन प्रणाली के विकास की सिफारिश की थी।

आरआरटीएस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए मल्टीमॉडल एकीकृत आवागमन समाधान प्रदान करेगा। यह महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लाएगा, जैसे प्रदूषण, यात्रा समय एवं वाहन-संचालन लागत में कमी, सड़क पर दबाव और भीड़भाड़ को कम करके (सार्वजनिक परिवहन के मॉडल शेयर में वृद्धि) संचयन लाभ, बेहतर उत्पादकता के कारण बचत, श्रम और उद्योगों के उत्पादन में सुधार, अप्रत्यक्ष और प्रेरित रोजगार और पूरे एनसीआर की जीडीपी में वृद्धि।

एक बार पूरा होने पर, डीएमआरसी और आरआरटीएस नेटवर्क चरण-I सहित दिल्ली की व्यापक पारगमन प्रणाली की लंबाई 748 किमी होगी जो लंदन क्रॉस रेल, हांगकांग एमटीआर और पेरिस आरईआर की लंबाई से अधिक है।

National Capital Region (NCR)



तीन प्राथमिकता वाले आरआरटीएस कॉरिडोर दिल्ली में एक सामान्य एलिवेटेड टर्मिनस स्टेशन सराय काले खां से शुरू करने की योजना है। यह कॉमन टर्मिनस स्टेशन तीन गलियारों के बीच अंतर-कनेक्टिविटी/अंतर-संचालन की सुविधा प्रदान करेगा।

दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर: दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर 15 आरआरटीएस स्टेशनों के साथ 82.15 किमी लंबा है। 03 आरआरटीएस स्टेशनों के साथ इस कॉरिडोर के दिल्ली हिस्से की लम्बाई 13 किमी (लगभग) है। कुल परियोजना लागत 30,274 करोड़ रुपये है और रा. रा.क्षे. दिल्ली सरकार का योगदान 1260 करोड़ रुपये है जो पहले ही एनसीआरटीसी को जारी किया जा चुका है। परियोजना को मार्च, 2019 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित किया गया।

विवरण 12.2

दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए जीएनसीटीडी द्वारा वर्षवार जारी धनराशि

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2018-19 में जारी धन	2023-24 में जारी धन	कुल
1.	इक्विटी के बदले अनुदान	86	179	265
2.	इक्विटी के बदले में अधीनस्थ ऋण	172	358	530
3.	अधीनस्थ ऋण (केन्द्रीय कर)	3	137	140
4.	अधीनस्थ ऋण (राज्य कर)	4	226	230
5.	अधीनस्थ ऋण (सरकारी भूमि)	0	95	95
	कुल	265	995	1260*

* 1260 करोड़ रुपये में से 765 करोड़ रुपये ईसीसी फंड से जारी किए गए हैं।

- यह गलियारा दिल्ली, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर और मेरठ के शहरी केंद्रों को जोड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और यात्रियों को यात्रा में आराम मिलेगा। साहिबाबाद (यूपी) से दुहाई डिपो (यूपी) तक आरआरटीएस प्राथमिकता खंड (17 किमी) 20 अक्टूबर 2023 को चालू हो गया है। पूर्ण दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर का वाणिज्यिक संचालन

जून-2025 तक चालू हो जाएगा। अक्टूबर, 2023 तक दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर की भौतिक प्रगति 67.3 प्रतिशत और वित्तीय प्रगति 59.99 प्रतिशत है।

- दिल्ली-गुड़गांव-रेवाड़ी-अलवर कॉरिडोर:** आरआरटीएस कॉरिडोर को तीन चरणों में लागू किया जाएगा (चरण -1: दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी (शाहजहांपुर-नीमरना-बहरोड़) शहरी परिसर, चरण -2: एसएनबी शहरी परिसर-सोतानाला रीको औद्योगिक क्षेत्र और चरण-3: एसएनबी अर्बन कॉम्प्लेक्स-अलवर)। दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी कॉरिडोर को दिल्ली-अलवर कॉरिडोर के चरण-I में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कॉरिडोर करीब 107 किमी लंबा होगा और इसमें 16 आरआरटीएस स्टेशन होंगे। इस कॉरिडोर के दिल्ली हिस्से में 22.23 किमी (भूमिगत 22 किमी और एलिवेटिड 0.23 किमी) है, जिसमें 03 आरआरटीएस स्टेशन आईएनए, मुनिरका और एयरोसिटी (सराय काले खां के अलावा) हैं। परियोजना को पूरा करने की अनुमानित लागत 37,987 करोड़ रुपये है और रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का योगदान 3,261 करोड़ रुपये अनुमानित है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने इस गलियारे के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 100 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह दिल्ली, गुरुग्राम, मानेसर, धारुहेड़ा, भिवाड़ी, रेवाड़ी और शाहजहानाबाद, नीमराणा, बहरोड़ (एसएनबी) क्षेत्र के शहरों और निवेश क्षेत्रों को जोड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, यात्रियों को यात्रा में आराम मिलेगा और आर्थिक विकास में तेजी आएगी।
- दिल्ली-पानीपत आरआरटीएस कॉरिडोर:** 17 आरआरटीएस स्टेशनों के साथ इस आरआरटीएस कॉरिडोर की कुल मार्ग लंबाई 103.02 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर का दिल्ली हिस्से 36.2 किमी लंबा (6.5 किमी भूमिगत और 29.7 किमी एलिवेटिड) है और इसमें इंद्रप्रस्थ, कश्मीरी गेट, बुरारी क्रॉसिंग, मुकरबा चौक और अलीपुर में पांच आरआरटीएस स्टेशन (सराय काले खां के अलावा) हैं। प्रस्तावित कॉरिडोर दिल्ली, गन्नौर, समालखा और पानीपत के सघन विकास क्षेत्र से होकर गुजरता है। कुल परियोजना लागत 29,389 करोड़ रुपये है जिसमें रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का हिस्सा 2,443 करोड़ रुपये शामिल है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने इस कॉरिडोर के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 50 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

3. सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में शामिल संस्थान और निकाय :

संस्थान/निकाय				
डीटीसी दिल्ली परिवहन निगम (एसी, नॉन एसी और ई-बसों का संचालन)	डीआईएमटीएस दिल्ली इंटीग्रेटिड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लिमि. (क्लस्टर स्कीम बसों का संचालन करता है)	डीटीआईडीसी दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमि. (अंतर्राज्यीय बस अड्डा टर्मिनलों का संचालन करता है)	एनसीआरटीसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआर का संतुलित एवं स्थायी शहरी विकास सुनिश्चित करता है)	डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कोर्पोरेशन (दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो रेल का प्रबंधन करता है)

3.1 मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) :

मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य सड़क परिवहन प्रणाली से समुचित रूप से जुड़ी प्रदूषण रहित और कुशल रेल आधारित परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराना है।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड का पंजीकरण 03 मई 1995 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। इसमें भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की समान इक्विटी भागीदारी है। फेज-1 से फेज-3 तक का काम पूरा हो चुका है जबकि फेज-4 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दिल्ली मेट्रो का वर्तमान नेटवर्क 350.12 किलोमीटर का है जिसमें एनसीआर का 58.5 किलोमीटर, एयरपोर्ट लाइन का 22.91 किलोमीटर और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का 2 किलोमीटर का विस्तार शामिल है। चरण-IV के पूरा होने के बाद एनसीआर लाइनों सहित मेट्रो लाइनों की कुल लंबाई लगभग 463 किलोमीटर होगी। चरणवार विवरण इस प्रकार है:—

डीएमआरसी-फेज 1

- डीएमआरसी के फेज-1 का काम वर्ष 2002 में शुरू हुआ था और वर्ष 2006 में पूर्ण हुआ। इस परियोजना की लागत 10,571 करोड़ रुपए थी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का हिस्सा 1,777 करोड़ रुपए है।
- फेज-1 के तहत कुल लंबाई 64.75 किलोमीटर की है और इसमें 59 स्टेशन हैं।

डीएमआरसी-फेज 2

- डीएमआरसी के फेज 2 का निर्माण कार्य वर्ष 2005 में 19,231 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का हिस्सा 4,691 करोड़ रुपए है। इस फेज का काम वर्ष 2012 में पूरा हुआ।
- फेज-2 की कुल लंबाई 123.3 किलोमीटर है जिसमें 22.91 किलोमीटर हाईस्पीड एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन और 16.32 किलोमीटर एनसीआर लाइन है। इनमें 86 स्टेशन (जिनमें से 13 स्टेशन एनसीआर लाइन पर) हैं।

डीएमआरसी-फेज 3

- डीएमआरसी के फेज 3 का निर्माण कार्य वर्ष 2012 में 39,785 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का हिस्सा 8,407 करोड़ रुपए था। फेज-3 का काम वर्ष 2021 में पूरा हुआ।

- फेज-3 की कुल लंबाई 162.07 किलोमीटर है (इसमें 42.18 किलोमीटर एनसीआर और 2 किमी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का विस्तार शामिल है)। इसमें 110 स्टेशन (30 स्टेशन एनसीआर में और एक स्टेशन एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन विस्तार के अंतर्गत) हैं।

विवरण 12.3
डीएमआरसी फेज-3 का विवरण

क्र. सं.	लाइन	कॉरिडोर का नाम	लम्बाई (किमी)	स्टेशनों की संख्या
1.	लाइन 2	विस्तार : जहांगीरपुरी-बादली	4.373	3
2.	लाइन 5	विस्तार : मुंडका-टिकरी बॉर्डर	6.308	4
3.	लाइन 6	विस्तार रू केंद्रीय सचिवालय-कश्मीरी गेट	9.272	7
4.	लाइन -7	मजलिस पार्क- शिव विहार	59.242	38
5.	लाइन -8	जनकपुरी पश्चिम-कालिंदीकुंज	33.499	23
6.	लाइन -9	द्वारका-नजफगढ़	4.303	3
7.	लाइन -9	ठांसा बस स्टैंड तक विस्तार	0.891	1
		उप-योग (दिल्ली)	117.89	79
		एनसीआर में		
1.	लाइन 6	विस्तार : बदरपुर-फरीदाबाद	13.56	9
2.	लाइन 5	विस्तार : टिकरी बॉर्डर- बहादुरगढ़	4.88	3
3.	लाइन 6	एस्कॉर्ट्स मुजेशर - बल्लभगढ़	3.35	2
4.	लाइन 8	कालिंदीकुंज - बॉटनिकल गार्डन	3.96	2
5.	लाइन 1	दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा गाजियाबाद	9.64	8
6.	लाइन 3	नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी	6.80	6
		उप-योग (एनसीआर)	42.18	30
		कुल	160.07	109
7.	एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का विस्तार	द्वारका सेक्टर -21 से द्वारका सेक्टर-25	2.008	1

डीएमआरसी-फेज 4

- चरण- IV में 3-3 कॉरिडोर के दो भाग हैं। पहले भाग में, प्राथमिकता वाले 03 कॉरिडोर का निर्माण वर्ष 2020-21 में शुरू हुआ, जिसकी कुल परियोजना लागत 24,949 करोड़ रुपये है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की हिस्सेदारी 5,887 करोड़ रुपये है जिसमें अतिरिक्त 244 कारों की लागत शामिल है। नवंबर, 2023 तक चरण-IV के प्राथमिकता वाले 03 कॉरिडोर की भौतिक प्रगति 43.75% है।
- डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो चरण-IV के शेष 3-कॉरिडोरों के लिए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की है, जिसकी कुल परियोजना लागत 13011.26 करोड़ रुपये है, जिसमें रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की हिस्सेदारी 3082.89 करोड़ रुपये है।

- मौजूदा ब्रॉड-गेज लाइन को कुंडली (हरियाणा) तक विस्तारित करने पर विचार करते हुए रिठाला-नरेला कॉरिडोर के लिए अलग विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की गई है।

विवरण 12.4

डीएमआरसी-फेज 4 का विवरण

क्र.सं.	कॉरिडोर का नाम	लंबाई (कि.मी)	स्टेशनों की संख्या
फेज-4 (पहले तीन प्राथमिकता कॉरिडोर)			
1.	मजलिस पार्क-बुरारी- मौजपुर	12.32	8
2.	आर.के.आश्रम - जनकपुरी (दक्षिण)	29.26	22
3.	एयरोसिटी - साकेत- तुगलकाबाद	23.62	15
	सब टोटल	65.20	45
फोज- 4 (अन्य 3 कॉरिडोर)			
1.	लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक	12.38	10
2.	इंद्रलोक दृ इंद्रप्रस्थ	8.39	8
3.	रिठाला - बवाना-नरेला (मेट्रो लाइट)	26.46	21
	सब टोटल	47.23	37
	कुल	112.43	84

विवरण 12.5

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा एमआरटीएस चरण-IV (3 प्राथमिकता कॉरिडोर) के लिए वर्ष-वार जारी की गई धनराशि

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	इक्विटी	भूमि के लिए एस.डी.	राज्य करों के लिए एस.डी.	केन्द्रीय करों के लिए एस.डी.	कुल
	रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार का शेयर	2664.9	1223.6	1243.31	755.14	5886.95
जारी धनराशि						
1	2018-19	50.00	100.00	-	50.00	200.00
2	2019-20	150.01	1,123.6	-	50.00	1,323.61
3	2020-21	500.00	0	125.00	125.00	750.00
4	2021-22	800.00	0	200.00	150.00	1150.00
5	2022-23	797.50	0	50.00	50.00	897.50
6	2023-24 (अक्टूबर, 2023 तक)	165.00	0.00	50.00	50.00	265.00
7	कुल जारी	2462.51	1,223.6	425.00	475.00	4,586.11
8	वित्तीय वर्ष 2022-23 में डीएमआरसी द्वारा खर्च न की गई एवं वापस हस्तांतरित की गई धनराशि	454.69	312.96	200.00	200.00	1167.65
9	जारी निवल	2007.82	910.64	225.00	275.00	3418.46

- 2022-23 के दौरान दर्ज की गई औसत दैनिक यात्री यात्रा लगभग 46 लाख है। दिल्ली में मेट्रो ट्रेनें सुबह 6:00 बजे से रात लगभग 11:00 बजे तक चलती हैं। ट्रेन की आवृत्ति व्यस्त समय में 2 मिनट 44 सेकंड से लेकर गैर-व्यस्त समय में 10 मिनट तक होती है। वर्ष-वार औसत दैनिक सवारी/यात्री यात्रा के संबंध में जानकारी विवरण 12.6 में प्रस्तुत की गई है।

विवरण 12.6

औसत दैनिक यात्री संख्या और कोचों की संख्या (एयर पोर्ट लाइन और रैपिड मेट्रो सहित)

वर्ष	दैनिक यात्री	परिचालित रूट (किमी)	रोलिंग स्टॉक (कोचों की संख्या)
2013-14*	22,04,908	188.05	1,282
2014-15*	24,02,850	191.12	1,306
2015-16*	26,15,050	209.97	1,392
2016-17*	28,00,792	209.97	1,468
2017-18*	25,87,271	249.46	1,888
2018-19*	25,93,090	342.07	2188
2019-20**	27,80,000***	359.23	2,242
2020-21** (07.09.2020 – 31.03.2021)	8,78,000***	359.23	2,280
2021-22	25,16,068***	360.98	2,282
2022-23	46,26,592***	362.27	2,304

स्रोत: परिवहन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

* एयरपोर्ट लाइन सहित। डीएमआरसी ने 30.06.2013 के व्यावसायिक परिचालन समय की समाप्ति से परिचालन अपने हाथ में ले लिया है।

** रैपिड मेट्रो भी शामिल है। डीएमआरसी ने 22.10.2019 को इसका संचालन अपने हाथ में ले लिया है।

*** यात्री यात्रा (यात्री यात्रा किसी यात्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले कॉरिडोर की संख्या के संदर्भ में मेट्रो यात्रा की गणना करती है।)

3.2 दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी)

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार डीटीसी के लिए बसों की खरीद और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए इक्विटी पूंजी जारी करती है। नवम्बर 2023 तक डीटीसी के पास 40 डिपो का बुनियादी ढांचा है। दिसंबर 2023 तक डीटीसी के बेड़े में 4,346 बसें हैं जिनमें 1231 एसी सीएनजी लो फ्लोर बसें और 1960 नोन-एसी सीएनजी लो-फ्लोर बसें हैं तथा 1155 एसी लो फ्लोर (बिजली चालित) बसें थीं। डीटीसी एनसीआर में सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है। 2022–2023 में लगभग 25.02 लाख यात्रियों ने प्रतिदिन डीटीसी में सफर किया और इसकी बसों ने प्रतिदिन 6.43 लाख किलोमीटर की दूरी तय की है। डीटीसी प्रतिदिन 489 सिटी रूटों पर और एनसीआर के 08 रूटों पर 34,455 (औसतन) फेरे लगाती है। डीटीसी दिल्ली–काठमांडू मार्ग पर अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा का संचालन भी करती है। डीटीसी का कार्य-निष्पादन विवरण 12.7 में और गतिविधि-वार स्थिति विवरण 12.8 में दर्शायी गई है।

विवरण 12.7

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) का कार्यनिष्पादन

क्र.सं	वर्ष	बेड़ा (संख्या में)	बेड़े का उपयोग (प्रतिशत में)	वाहन उपयोग (किमी / बस / दिन)	लोड फैक्टर (संख्या में)	प्रति बस प्रतिदिन यात्री सफर (संख्या में)	दैनिक औसत यात्री (लाख में)
1.	2017-18	3,951	85.69	191	83.83	878	29.86
2.	2018-19	3,849	84.62	195	81.34	915	30.15
3.	2019-20	3,762	85.04	193	86.17	1,033	33.31
4.	2020-21	3,760	76.95	180	69.50	423	12.24
5.	2021-22	3,762	85.27	201	64.94	487	15.62
6.	2022-23	3,937	83.42	194	81.67	756	25.02

स्रोत: परिवहन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. और डीटीसी के परिचालन आंकड़े

विवरण 12.8

दिल्ली परिवहन निगम की गतिविधियाँ : 2017-18 से 2021-22

क्र.स.	विवरण	प्रकार	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	बेड़े में कुल बसें (अंत में)	नॉन-एसी	2,506	2,505	2,504	2,504	2381
		एसी	1,275	1,257	1,256	1,256	1256
		स्टैंडर्ड	68	-	-	-	-
		इलेक्ट्रिक एसी	-	-	-	2	300
		कुल	3849	3,762	3,760	3,762	3937
2.	सड़क पर बसें (दैनिक औसत)	नॉन -एसी	2,197	2,149	1,963	2,113	2057
		एसी	1,071	1,073	931	1,093	1051
		स्टैंडर्ड	27	-	-	-	-
		इलेक्ट्रिक एसी	-	-	-	-	202
		कुल	3,295	3,222	2,894	3,206	3310
3.	यात्रियों की संख्या (करोड़ में)	नॉन- एसी	84.96	85.66	31.41	39.51	60.64
		एसी	24.35	36.16	13.27	17.51	25.98
		स्टैंडर्ड	0.74	-	-	-	-
		इलेक्ट्रिक एसी	-	-	-	-	4.71
		कुल	110.15	121.82	44.68	57.02	91.33
4.	दैनिक औसत यात्री (लाख में)	नॉन- एसी	23.28	23.4	8.6	10.82	16.61
		एसी	6.67	9.88	3.64	4.8	7.12
		स्टैंडर्ड	0.2	-	-	-	-
		इलेक्ट्रिक एसी	-	-	-	-	1.29
		कुल	30.15	33.29	12.24	15.62	25.02
5.	किलोमीटर संचालित (करोड़ में)	नॉन- एसी	15.68	14.96	12.3	15.19	14.43
		एसी	7.57	7.76	6.69	8.36	7.58
		स्टैंडर्ड	0.15	-	-	-	-
		इलेक्ट्रिक एसी	-	-	-	-	1.45
		कुल	23.4	22.72	18.99	23.55	23.46
6.	किलोमीटर संचालित दैनिक औसत (लाख में)	नॉन- एसी	4.3	4.09	3.37	4.16	3.95
		एसी	2.07	2.12	1.83	2.29	2.08
		स्टैंडर्ड	0.04	-	-	-	-
		इलेक्ट्रिक एसी	-	-	-	-	0.40
		कुल	6.41	6.21	5.2	6.45	6.43
7.	प्रति 10000 बसों पर ब्रेक-डाउन	नॉन- एसी	710	806	472	766	1270
		एसी	898	1029	627	885	1447
		स्टैंडर्ड	735	-	-	-	-
		इलेक्ट्रिक एसी	-	-	-	-	166
		कुल	781	880	522	807	1259
8.	दुर्घटनाएं	नॉन -एसी	79	83	55	65	75
		एसी	45	35	12	30	41
		स्टैंडर्ड	1	-	-	-	-
		इलेक्ट्रिक एसी	-	-	-	-	2
		कुल	125	118	67	95	118
9.	अंतरराज्यीय बस रूट सेवा	-	8	7	7	7	8
10.	डी.टी.सी. वर्कशॉप	-	2	2	1	1	-
11.	डी.टी.सी. डिपो	-	39	35	35	36	37

स्रोत: परिवहन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

दिल्ली सरकार डीटीसी और क्लस्टर बसों के लिए विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों जैसे छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि को रियायती बस पास प्रदान कर रही है। रियायत राशि की प्रतिपूर्ति रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा की जाती है। इसके अलावा, दिल्ली में सभी समूह/उम्र की महिला यात्रियों के लिए (डीटीसी और क्लस्टर बसों में) यात्रा निःशुल्क है। 2022-23 में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा कुल 224.80 करोड़ रुपये की (डीटीसी रियायती पास 24.80 करोड़ रुपये और गुलाबी पास के लिए 200 करोड़ रुपये) प्रतिपूर्ति की गई।

3.2 दिल्ली एकीकृत बहु-मॉडल ट्रांजिट प्रणाली लिमिटेड (डीआईएमटीएस)

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत 2011-12 में ब्लूलाइन प्राइवेट स्टेट कैरिज सिस्टम के प्रतिस्थापन के लिए प्राइवेट स्टेज कैरिज सर्विस के निगमीकरण की योजना शुरू की। क्लस्टर योजना सकल-लागत मॉडल (ओपेक्स मॉडल) पर आधारित है, जहां बेड़े मालिकों को फेयर बॉक्स इनप्लो के बावजूद परिचालन मापदंडों के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाता है। इस योजना के तहत दिल्ली के 657 स्टेज कैरिज बस रूटों को 14 अलग-अलग क्लस्टर में बांटा गया है। दिसंबर, 2023 तक, जीएनसीटीडी में 14 क्लस्टरों के तहत 2,841 क्लस्टर बसें (एसी सीएनजी-750, नॉन-एसी सीएनजी-1,997 और 94 ई-बसें) परिचालन में हैं। क्लस्टर बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन (ईटीएम) आधारित स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (एफएसीएस) पूरी तरह से लागू की गई है। क्लस्टर बसों का प्रदर्शन डेटा नीचे दिया गया है:-

विवरण 12.9
क्लस्टर बसों का कार्यनिष्पादन

क्र सं	वर्ष	बेड़ा (संख्या में)	बेड़े का उपयोग (प्रतिशत में)	वाहन उपयोग (किमी/ बस/दिन)	लोड फैक्टर (संख्या में)	प्रति बस प्रतिदिन यात्री सफर (संख्या में)	दैनिक औसत यात्री (लाख में)
1.	2017-18	1744	97.16	205.15	81	753	11.65
2.	2018-19	1,803	98.66	211.02	88	760	12.24
3.	2019-20	2,910	96.48	202.10	89	841	17.71
4.	2020-21	3,191	98.88	214.05	67	308	8.51
5.	2021-22	3310	99.01	217.10	68	351	9.87
6.	2022-23	3293	97.18	204.82	81	513	16.39

स्रोत: परिवहन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. और डीआईएमटीएस लिमिटेड

* लोड फैक्टर की गणना केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी) के फॉर्मूले का उपयोग करके की जाती है।

- **फीडर बस सेवा**—फीडर बस सेवा का संचालन 1 अप्रैल, 2023 से परिवहन विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने डीएमआरसी से अपने हाथ में ले लिया है और फीडर बस सेवा के संचालन की निगरानी के लिए डीआईएमटीएस को एकीकृत तंत्र (आईएम) के रूप में नियुक्त किया गया है। 02 क्लस्टरों से 94 फीडर बस सेवाएं संचालित की जा रही हैं।
- **डीटीसी और क्लस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाना** : सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में हार्डवेयर लगाने (3 आईपी सीसीटीवी कैमरा, 7 इंच की स्क्रीन, 10 पैनिक बटन, हूटर और स्ट्रोब, ड्राइवर और कंडक्टर सीट से संवाद के आदान-प्रदान की सुविधा, जीपीएस के साथ एमएनवीआर) का काम पूरा हो गया है।

- **डीटीसी की रात्रि बस सेवा में बढ़ोतरी (रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक)**
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डीटीसी अपने बस चालक और अन्य कर्मचारियों के लिए नियमित आधार पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। 27 रूटों पर 88 रात्रि सेवा बसें चल रही हैं। 30 लेडीज स्पेशल बसें 30 रूटों पर व्यस्त समय में चलाई जा रही हैं। सभी बसों में 25 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं (जैसे लो-फ्लोर बसों में 10 सीट और स्टैंडर्ड फ्लोर बसों में 12 सीट) वर्ष 2020-21 से 2022-23 का तुलनात्मक ब्यौरा विवरण 12.10 में दिया गया है।

विवरण 12.10

डीटीसी बसों की कार्य निष्पादन

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
रात्रि सेवा बसों की संख्या	88	88	88
रात्रि सेवा रूटों की संख्या	27	27	27
सिविल डिफेंस मार्शल और होमगार्ड की संख्या	9,286	8,968	8628*
लेडीज स्पेशल बस रूट की संख्या	30	30	30
महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत	25	25	25

स्रोत: परिवहन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

* 3527 होमगार्ड और 101 भूपूसे शामिल हैं।

- **बसों में मार्शलों की तैनाती :**
रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार ने 29.10.2019 से सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में दोनों पारियों में मार्शल तैनात करने का फैसला किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 31.10.2023 तक क्लस्टर बसों में 2752 मार्शलों और डीटीसी बसों में 8628 मार्शल और होमगार्ड की तैनाती की गई।

3.4 दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीटीआईडीसी)

दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीटीआईडीसी) की स्थापना शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास, कार्यान्वयन, संचालन और रख-रखाव के उद्देश्य से की गई है। मौजूदा समय में तीन आईएसबीटी-कश्मीरी गेट, आनंद विहार और सराय काले खां-संचालन में हैं और ये डीटीआईडीसी के नियंत्रण में हैं। डीटीआईडीसी द्वारा 1,993 बस क्यू शेल्टर (बीक्यूएस) का भी रखरखाव किया जा रहा है। परिवहन विभाग के अंतर्गत सभी डिपो और अन्य सिविल और विद्युत बुनियादी ढांचे का रखरखाव डीटीआईडीसी द्वारा किया जा रहा है।

3.5 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी)

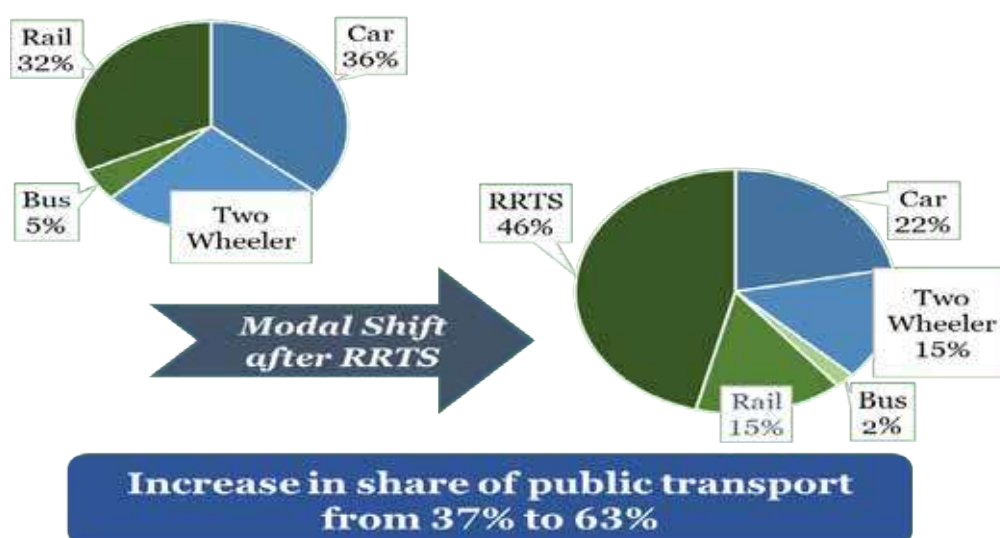
एनसीआरटीसी आरआरटीएस के कार्यान्वयन के लिए 2011 में भारत सरकार तथा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। इसका संचालन राज्य सरकारों की भागीदारी से किया जाता है, जबकि मेट्रो रेल परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संचालित की जाती हैं। आरआरटीएस एक समाजोन्मुखी, बहु-राज्यीय, केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है जिसे बेहतर कनेक्टिविटी और पहुंच के माध्यम से संतुलित और टिकाऊ शहरी विकास के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है।

4. प्रमुख संकेतकों की उपलब्धि/प्रगति

● मोटर वाहन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वर्ष 31 मार्च, 2023 को मोटर वाहनों की कुल संख्या 79.45 लाख थी। इसमें 2021-22 की तुलना में 0.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दिल्ली सरकार ने दस वर्ष से पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया है। इस वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने वर्ष 2022-23 तक 62,59,214 वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया। दिल्ली में मोटर वाहनों की संख्या में श्रेणीवार वृद्धि विवरण 12.11 में दर्शाया गई है।

Share of Public Transport



विवरण 12.11

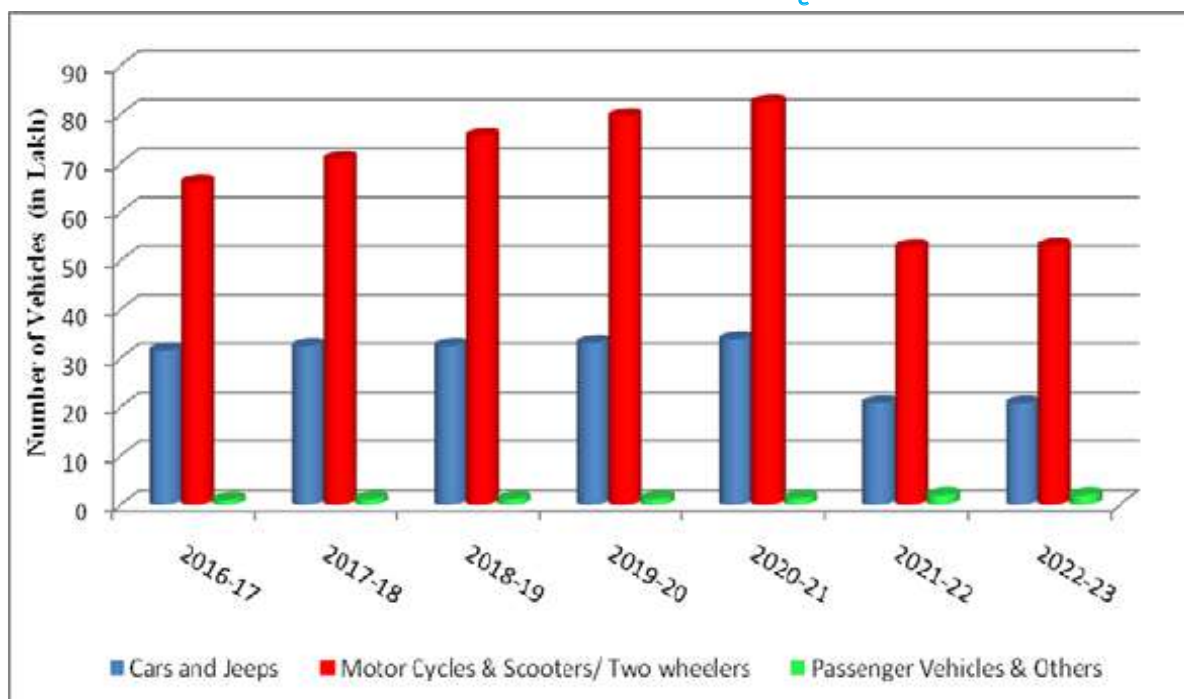
वाहनों की संख्या में श्रेणीवार वृद्धि

क्र सं	विवरण	वाहनों की संख्या						
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	कार और जीप	31,52,710	32,46,637	32,49,670	33,11,579	33,84,736	20,76,113	20,71,115
2.	मोटर साइकिल और स्कूटर/दुपहिया	66,07,879	70,78,428	75,56,002	79,59,753	82,39,550	52,68,685	52,94,900
3.	एम्बुलेंस	3,059	3,220	2,358	2,287	2,289	1,145	1,172
4.	ऑटो रिक्शा (सवारी)	1,05,399	1,13,074	1,13,240	1,14,891	1,14,869	93,578	93,654
5.	टैक्सी	1,18,308	1,18,060	1,09,780	1,22,476	1,12,401	85,033	83,278
6.	बसें	35,206	35,285	32,218	33,302	33,294	17,522	17,232
7.	अन्य सवारी वाहन	59,759	76,231	81,422	85,477	91,887	1,14,504	1,18,506
8.	ट्रैक्टर, सामान ढुलाई वाहन (सभी प्रकार के) और अन्य	3,00,437	3,15,080	2,46,861	2,63,112	2,74,324	2,61,318	2,65,739
	कुल	1,03,82,757	1,09,86,015	1,13,91,551	1,18,92,877	1,22,53,350	79,17,898	79,45,596*

स्रोत: परिवहन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

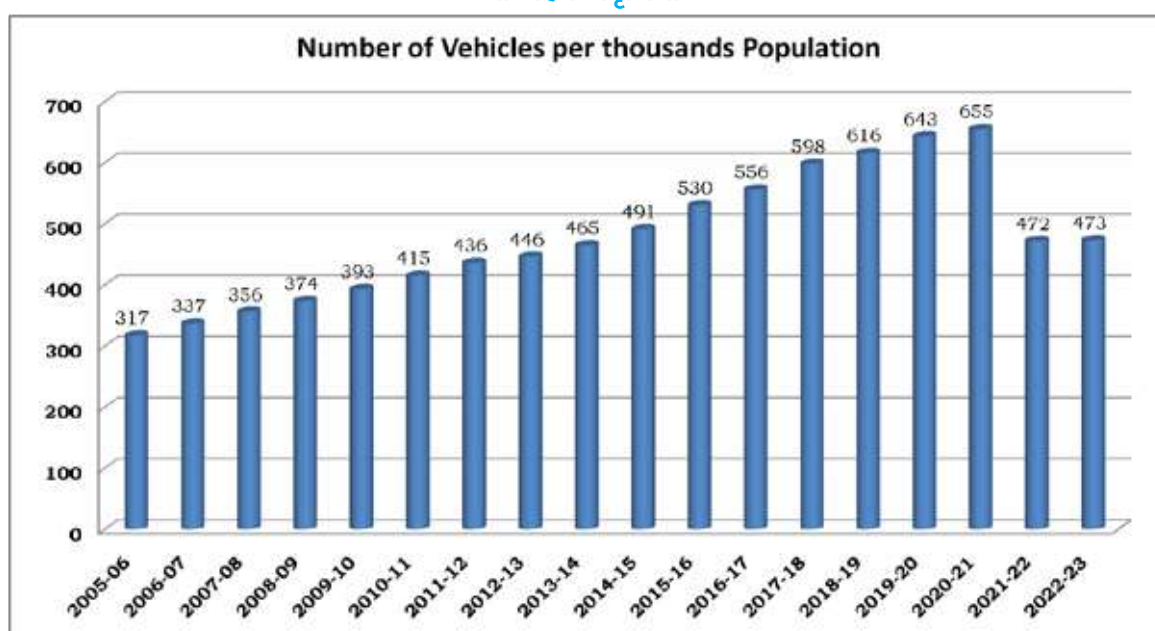
* दिल्ली सरकार ने 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया है। इसलिए 2022-23 तक 62,59,214 वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।

चार्ट 12.1
दिल्ली में वाहनों की संख्या में वृद्धि



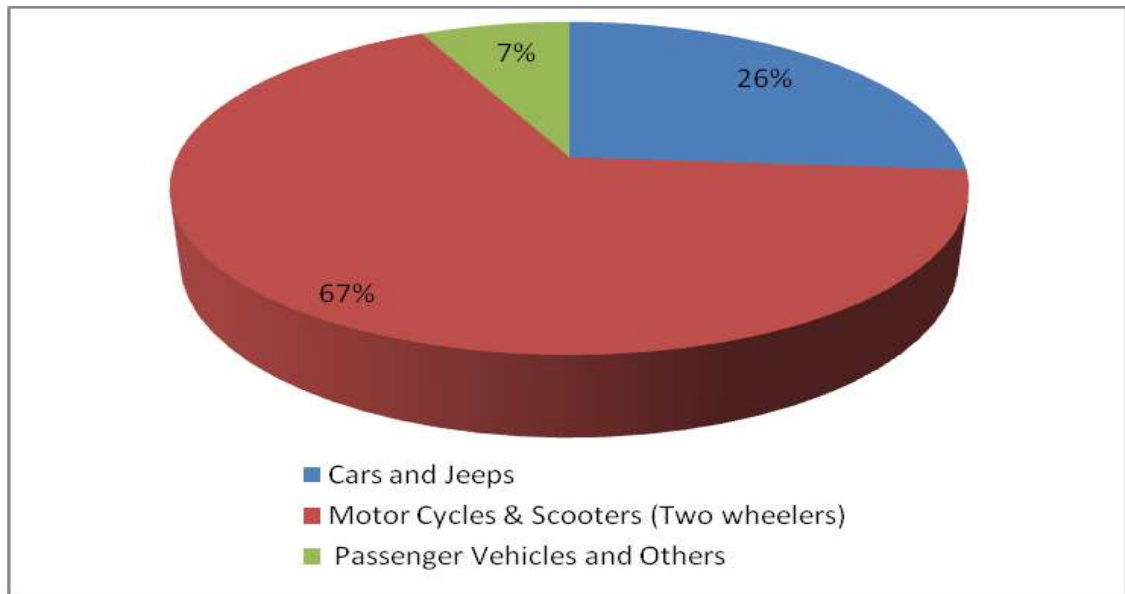
- वर्ष 2022-23 के दौरान प्रति 1000 की आबादी पर वाहनों की संख्या 473 रही जबकि 2021-22 में यह 472 थी। वार्षिक वृद्धि दर से संबंधित ब्यौरा चार्ट 12.2 में दिया गया है।

चार्ट 12.2
परिवहन प्रवृत्तियां



- दिल्ली भारत में निजी मोटरवाहनों का केंद्र है। दिल्ली में कुल मोटरचालित वाहनों की संख्या 79.45 लाख है। कुल पंजीकृत मोटरवाहनों में 26 प्रतिशत से अधिक संख्या कारों और जीपों की है, जबकि कुल पंजीकृत वाहनों में करीब 66.64 प्रतिशत दुपहिया वाहन हैं। दिल्ली में 2022-23 के दौरान मोटर वाहनों का प्रतिशत चार्ट 12.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 12.3
वाहनों की संख्या (2021-22) का प्रतिशत



- दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हैं वाहन और दिल्ली में पंजीकृत वाहनों की संख्या समान नहीं है क्योंकि दिल्ली में पंजीकृत वाहन दिल्ली एनसीआर में चल रहे हैं और दिल्ली एनसीआर के वाहन दिल्ली में चल रहे हैं।
- परिवहन विभाग दिल्ली में वाहनों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के प्रयास कर रहा है। इसके लिए ऐसे वाहनों को भी हिसाब में लिया जा रहा है जो किसी वजह से चलने योग्य नहीं है और अन्य राज्यों से दिल्ली में आये हैं या दिल्ली से अन्य राज्यों में चले गये हैं।

5. चालू योजनाएं और नई पहल

5.1 विद्युत वाहन नीति :

दिल्ली विद्युत वाहन नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में बिजली चालित वाहनों के उपयोग में तेजी लाना और इनके लिए आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करना है। इसके लिए बिजली वाहनों की खरीद में प्रोत्साहन, पुराने वाहन हटाने पर प्रोत्साहन, ऋणों पर ब्याज में छूट, रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से छूट और चार्जिंग तथा बैटरी बदलाव स्टेशन स्थापित करने में तेजी लाई जा रही है। विद्युत वाहन खरीद और पुराने वाहनों की बिक्री पर प्रोत्साहन राशि के संवितरण के लिए सॉफ्टवेयर शुरू किया गया है।

इस नीति का उद्देश्य ड्राइविंग, बिक्री, वित्त पोषण, विद्युत वाहनों की सर्विसिंग और चार्जिंग क्षेत्र में रोजगार सृजन में सहयोग करना भी है।

5.2 विद्युत वाहनों की बिक्री : 7 अगस्त 2020 से सितम्बर 2023 तक 1,44,405 विद्युत चालित वाहनों की बिक्री हो चुकी है।

53 **ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी :** 07.08.2020 से पंजीकृत ई-रिक्शा के लिए पूरी तरह ऑनलाइन सब्सिडी प्रदान की जा रही है। दिल्ली में प्रथम से अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों को यह सब्सिडी संवितरित की जा रही है।

5.4 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ईवी चार्जिंग और स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं।

- परिवहन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने 3 वर्षों के भीतर दिल्ली भर में 18,000 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग पॉइंट की तैनाती के लिए एक व्यापक ईवी चार्जिंग और स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य योजना तैयार की है।
- सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों का पता लगाने के लिए उपभोक्ताओं को श्वन दिल्लीश मोबाइल ऐप सुविधा प्रदान की गई है।
- परिवहन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने नीति के आदेश के अनुसार एक खुला, सार्वजनिक स्वामित्व वाला डेटाबेस स्थापित किया है।

5.5 **चार्जिंग सुविधाओं की स्थिति**

- दिल्ली में सितम्बर, 2023 तक कुल 4793 चार्जिंग प्वाइंट्स और 318 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कार्यरत थे।

5.6 **विद्युत बसें :**

- भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में विद्युत वाहन तेजी से अपनाए जाने और विनिर्माण की एक स्कीम – (फेम इंडिया) वर्ष 2015 में तैयार की थी ताकि विद्युत और हाईब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा सके और इनका सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पूरी तरह से विद्युत चालित बसें चलाने का फैसला किया है, जिससे वाहनों से होने वाला प्रदूषण काफी कम किया जा सकेगा।
- कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड– सीईएसएल की ग्रैंड चौलेंज योजना के माध्यम से 1500 इलेक्ट्रिक बसें (921 फेम II योजना और 579 गैर-फेम II) प्रस्तावित की गईं। इसके बाद, अब तक (दिसंबर, 2023) 996 ई-बसें शामिल की गई हैं और इन्हें 08 डीटीसी इलेक्ट्रिक डिपो और 03 क्लस्टर इलेक्ट्रिक डिपो से संचालित किया जा रहा है।
- इनके अलावा, 1040, 9 मीटर लो फ्लोर (400 मिमी) एसी इलेक्ट्रिक-बसें वेट लीज पर, और 2400, 12 मीटर लो फ्लोर (400 मिमी) एसी इलेक्ट्रिक बसें ड्राई लीज पर शामिल करने का प्रस्ताव है।

6. **महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा सुविधा**

रा.रा. क्षे दिल्ली सरकार द्वारा डीटीसी/क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा सुविधा 29 अक्टूबर 2019 से दी जा रही है। एसी और नॉन एसी बसों में 10 रुपये मूल्य का एकल यात्रा पास मौजूदा समय में गुलाबी रंग के टिकट के रूप में जारी किया जा रहा है। डीटीसी इन पासों को प्रिंट करवा रही है और क्लस्टर बसों के लिए डीआईएमटीएस को दे रही है। डीटीसी और डीआईएमटीएस दोनों इन टिकटों का समुचित हिसाब रख रहे हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान 22

करोड़ महिला यात्रियों ने डीटीसी और 23.41 महिला यात्रियों ने क्लस्टर बसों में निशुल्क यात्रा की।

7. परिवहन सेवाओं का सुधार पैकेज

परिवहन विभाग ने सभी सार्वजनिक सेवाएं फेसलेस यानी संपर्क रहित उपलब्ध कराने की बड़ी पहल की है। आवेदकों को केवल ड्राइविंग टेस्ट या वाहन उपयुक्तता प्रमाणपत्र लेने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होना होगा। इससे विभाग का लोगों के साथ कम से कम व्यक्तिगत संपर्क होगा।

- 7.1 **फेसलेस सेवाएं :** मौजूदा समय में 47 सेवाएं (12 आरसी सेवा, 17 परमिट और फिटनेस सेवा, 16 डीएल सेवाएं, पहले चरण में) पूरी तरह फेसलेस डिलिवरी मोड में कर दी गई हैं और अक्टूबर 2023 तक 30 लाख से अधिक आवेदकों को इस कार्यक्रम से लाभ हुआ है। शेष दो सेवाएं (क) वाहनों के बदलने के लिए एलओआई जारी करना (ख) पीएसवी रिप्लेसमेंट के लिए नो ड्यूज प्रमाणपत्र, दूसरे चरण में प्रक्रियाधीन हैं) जल्द ही इसी तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे जनता के साथ विभाग का व्यक्तिगत संपर्क कम हुआ है।

ई-शासन पहल के रूप में परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, परमिट जारी करने, रोड टैक्स संग्रह, वाहनों के लिए फैंसी/पसंदीदा पंजीकरण संख्या आवंटित करने, उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने, प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रमाणपत्र जारी करने का काम फेसलेस बनाया गया है।

- 7.2 **ऑन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट** और टेस्ट पास करने के बाद ई-लर्नर लाइसेंस जारी करने का काम ऑनलाइन किया जाता है। निजी वाहनों के डीलरों (दोपहिया और चार पहिया) को पंजीकरण प्राधिकरणों के रूप में अधिकृत किया गया है, जिससे वाहन मालिक द्वारा नए वाहनों की डिलिवरी लेते समय ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डीलर से तुरंत प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा सभी पंजीकरण प्रमाणपत्र और ड्राइविंग लाइसेंस एम-परिवहन मोबाइल एप और डिजिटलॉकर में इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराये गए हैं।

- 7.3 **महिला चालकों की भर्ती :** परिवहन विभाग भारी मोटर वाहनों को डीटीसी और क्लस्टर बस बेड़े में शामिल करने के लिए निशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है। अनेक महिला चालकों को डीटीसी में शामिल किया गया है। इसी प्रकार ब्लू स्मार्ट, ओला, उबर आदि कैब समूहों में ड्राइवर के रूप में भर्ती होने के लिए महिलाओं को निशुल्क एलएमवी प्रशिक्षण देने के लिए स्वीकृति दी जा रही है।

- 7.4 **स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक :** ऐसे ट्रैकों की स्थापना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों के ड्राइविंग कौशल के जांच के लिए की गई है। ये ट्रैक सीसीटीवी कैमरे, सेंसर इत्यादि से पूरी तरह लैस होते हैं। इस प्रकार के ड्राइविंग कौशल परीक्षाओं में मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता। दिल्ली में 13 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पहले ही स्वचालित बना दिए गए हैं, जो शकूर बस्ती, राजा गार्डन, मयूर विहार, रोहिणी सेक्टर 28, हरि नगर, बुराड़ी में दो केंद्र, लोनी रोड, द्वारका सेक्टर 22, झडौदा कलां, विश्वास नगर और सराय काले खां तथा लाडो सराय में कार्यरत हैं।

अध्याय एक नजर में

➤	40 डीटीसी और 23 क्लस्टर बस डिपो संचालन में हैं और एक डीटीसी डिपो, जिसका नाम सावदा घेवरा है, निर्माणाधीन है। कुल 11 बस डिपो (डीटीसी-8, क्लस्टर-3) विद्युतीकृत हैं।
➤	भारत के रेल मानचित्र पर दिल्ली एक प्रमुख जंक्शन है जो सभी प्रमुख महानगरीय शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है। पटपड़गंज और तुगलकाबाद में कंटेनर डिपो के अलावा पांच मुख्य रेलवे स्टेशन हैं, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हज़रत निज़ामुद्दीन, सराय रोहिला और आनंद विहार।
➤	मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो प्रदूषण रहित और कुशल रेल-आधारित परिवहन प्रणाली प्रदान कर रही है, जो सड़क परिवहन प्रणाली के साथ उचित रूप से एकीकृत है। वर्तमान में, दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 350.12 किलोमीटर का है जिसमें एनसीआर का 58.5 किलोमीटर, एयरपोर्ट लाइन का 22.91 किलोमीटर और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का 2 किलोमीटर का विस्तार शामिल है।
➤	मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य गैर-प्रदूषणकारी और कुशल रेल-आधारित परिवहन प्रणाली प्रदान करना है, जो सड़क परिवहन प्रणाली के साथ उचित रूप से एकीकृत है।
➤	दिल्ली भारत में निजी मोटर चालित वाहनों का केंद्र है। दिल्ली में कुल मोटर चालित वाहन 79.45 लाख हैं। कुल पंजीकृत मोटर चालित वाहनों में कार और जीप की हिस्सेदारी लगभग 26% है, जबकि कुल पंजीकृत वाहनों में दोपहिया वाहन लगभग 66.64% हैं।
➤	सितंबर 2023 तक दिल्ली में 1,44,405 ई-वाहन पंजीकृत किए गए हैं (07.08.2020 से)। उपभोक्ताओं को सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों का पता लगाने के लिए श्वन दिल्ली मोबाइल ऐप सुविधा प्रदान की गई है। सितंबर 2023 तक दिल्ली में कुल 4793 चार्जिंग पॉइंट और 318 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन चालू हैं।
➤	कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड-सीईएसएल की ग्रैंड चैलेंज योजना के माध्यम से 1500 इलेक्ट्रिक बसें (921 फेम II योजना और 579 गैर-फेम II) प्रस्तावित की गईं। इसके बाद, अब तक (दिसंबर, 2023) 996 ई-बसें शामिल की गई हैं और इन्हें 08 डीटीसी इलेक्ट्रिक डिपो और 03 क्लस्टर इलेक्ट्रिक डिपो से संचालित किया जा रहा है। इनके अलावा, 1040, 9 मीटर लो फ्लोर (400 मिमी) एसी इलेक्ट्रिक-बसें वेट लीज पर, और 2400, 12 मीटर लो फ्लोर (400 मिमी) एसी इलेक्ट्रिक बसें ड्राई लीज पर शामिल करने का प्रस्ताव है।
➤	2022-23 के दौरान 22 करोड़ महिला यात्रियों ने डीटीसी में और 23.41 करोड़ ने क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की।
➤	मौजूदा समय में 47 सेवाएं (12 आरसी सेवा, 17 परमिट और फिटनेस सेवा, 16 डीएल सेवाएं, पहले चरण में) पूरी तरह फेसलेस डिलिवरी मोड में कर दी गई हैं और अक्टूबर 2023 तक 30 लाख से अधिक आवेदकों को इस कार्यक्रम से लाभ हुआ है। शेष दो सेवाएं (क) वाहनों के बदलने के लिए एलओआई जारी करना (ख) पीएसवी रिप्लेसमेंट के लिए नो ड्यूज प्रमाणपत्र, दूसरे चरण में प्रक्रियाधीन हैं) जल्द ही इसी तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी।
➤	ब्लू स्मार्ट, ओला, उबर आदि कैब समूहों में ड्राइवर के रूप में भर्ती होने के लिए महिलाओं को निशुल्क एलएमवी प्रशिक्षण देने के लिए स्वीकृति दी जा रही है।

जला आपूर्ति और सीवरेज

साफ-स्वच्छ, पर्याप्त और सुलभ पेयजल तथा स्वास्थ्य अनुकूल सफाई व्यवस्था वे बुनियादी जनसेवाएं हैं जिन्हें सरकार को नागरिकों के स्वस्थ जीवन के लिये सुनिश्चित करना चाहिये। सरकार सभी घरों तक हर दिन चौबीसों घंटे स्वच्छ पानी पहुंचाने का लगातार प्रयास करती रही है। साथ ही अवजल और ठोस कचरे तथा औद्योगिक बहिःस्राव का अधिक से अधिक उपचार भी सुनिश्चित करती है। एसडीजी-6 के अंतर्गत संधारणीय विकास लक्ष्य के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में एक है —“सबके लिये जल की उपलब्धता और सतत प्रबंधन तथा स्वच्छता”।

1.1 दिल्ली सरकार ने मीटर युक्त जल प्रबंध वाले सभी घरों को 20 किलोलीटर तक पानी निःशुल्क देना सुनिश्चित किया है। यह स्कीम शुरू होने के बाद से लगभग 24.72 लाख उपभोक्ता इससे लाभान्वित हुए हैं। बोर्ड ने प्रस्ताव संख्या 1187 दिनांक 26.10.21 द्वारा जल मीटर सहित 15 मि.मी सर्विस पाईप कनेक्शन का नया वॉटर कनेक्शन लगाने, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मौजूदा कनेक्शन के प्रचालन और रखरखाव और जहां आवश्यक हो मीटर संभाग द्वारा लगाये जाने (07 वर्ष के प्रचालन और रखरखाव वाले आईट्रॉन और एराड वाटर मीटर को छोड़कर) की नीति को स्वीकृति दी।

1.2 इसके अलावा बोर्ड ने निर्णय लिया है कि:

(i) वॉटर कनेक्शन शुल्क, एमसीडी द्वारा संपत्ति कर के लिये कॉलोनियों के श्रेणीकरण के अनुसार, इस प्रकार श्रेणीवार विभाजित किया जायेगा :

• घरेलू कनेक्शन के लिये:

क्र.सं.	कॉलोनी श्रेणी	पानी के नये कनेक्शन के लिये शुल्क
1.	ए.बी.सी	रुपये 4000/-
2.	डी एवं ई	रुपये 2000/-
3.	एफ,जी,एच एवं ग्रामीण क्षेत्र के गांव	रुपये 1000/-

• व्यावसायिक उद्देश्य के लिये कनेक्शन शुल्क संबंधित कॉलनी श्रेणी में घरेलू शुल्क से दुगुना होगा।

(ii) वाटर कनेक्शन की स्वीकृति के साथ ही सीवर कनेक्शन अपने आप मंजूर हो जायेगा। अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा

(iii) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा त्रुटिपूर्ण जलमीटर भी बदला जाएगा 07 वर्ष के प्रचालन और रखरखाव वाले आईट्रॉन और एराड वाटर मीटर को छोड़कर)।

(iv) अवसंरचना शुल्क जहां व्यवहार्य हो लगाया जायेगा और कोई अन्य प्रभार, अग्रिम, सिक्योरिटी, आरआर शुल्क, मीटर सिक्योरिटी इत्यादि नये कनेक्शन के बिल में प्रभारित नहीं किया जायेगा।

1.3 जल और स्वच्छता क्षेत्र में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं में दिल्ली से बाहर के स्रोतों, जैसे हिमाचल प्रदेश में रेणुका बांध, उत्तराखंड में किशाऊ बांध तथा लखवार व्यासी बांध से जलापूर्ति बढ़ाना; तालाबों के पुनर्भरण के जरिए यमुना के बाढ़ वाले क्षेत्रों से भूमिगत जल प्राप्त करना; पानी के पुनःचक्रण, जल संचयन, पानी का रिसाव बंद करना, आदि उपायों के माध्यम से

आंतरिक स्रोतों का संवर्द्धन; पानी के समुचित इस्तेमाल का मूल्यांकन, बल्क मीटर लगाने आदि उपायों के ज़रिए गैर-राजस्व जल में कमी लाना, आदि शामिल हैं। अब तक पानी की व्यवस्था रहित और अपर्याप्त व्यवस्था हो पाने वाले क्षेत्रों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करना रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सरकार ने ऐसे क्षेत्रों में नियमित रूप से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की है और दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को इस दायरे में शामिल किया है, यह संख्या ऐसी कुल कालोनियों का लगभग 97 प्रतिशत (वन/एएसआई/अव्यवहार्य/पता न लगने योग्य के तहत आने वाली 113 कॉलोनियों को छोड़कर)। शेष अनधिकृत कालोनियां को भी यथाशीघ्र पर्याप्त जलापूर्ति व्यवस्था के दायरे में लाया जाएगा।

- 1.4 इन सबके बावजूद जल और स्वच्छता क्षेत्र में अब भी ऐसे अनेक मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, जैसे अत्यधिक दोहन से भूमिगत जल का स्तर कम होना, कुछ स्थानों पर अत्यधिक अमोनिया, नाइट्रेट, फ्लोराइड, क्षारीयता, लोहा, सल्फेट इत्यादि के उच्च स्तर टीडीएस के कारण जलापूर्ति में वितरण के दौरान होने वाला नुकसान (जो लगभग 58 प्रतिशत गैर-राजस्व जल) है; वर्षा जल संचयन बड़े पैमाने पर लागू करना; पंपिंग स्टेशन तक मल-जल कचरे के असमान प्रवाह के कारण अपर्याप्त मल-जल उपचार क्षमता; नई बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए भूमि की अनुपलब्धता; मल-जल पाइप का पेयजल पाइप से मिल जाना इत्यादि।
- 1.5 दिल्ली अपने निवासियों की करीब 90 प्रतिशत पेयजल की मांग पूरी करने के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। यह शहर अर्ध-शुष्क क्षेत्र में स्थित होने के कारण काफी हद तक अपने आंतरिक और भूजल संसाधनों के अतिरिक्त गंगा बेसिन, यमुना उप-थाले और सिंधु-थाले से कच्चे पानी पर निर्भर है। वितरण से पहले पानी को उपचारित किया जाता है। फिर तरल और ठोस अपशिष्ट दोनों बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। सभी तरल और ठोस अपशिष्टों को उपचारित करने की अपेक्षा की जाती है और फिर उनका निपटान या पुनःचक्रण किया जाता है। हालांकि दिल्ली दोनों प्रकार के अपशिष्टों का उपचार और पुनःचक्रण एक सीमित क्षमता में कर पाती है और कुछ का प्रवाह अन्य राज्यों में कर दिया जाता है। उचित सीमा से परे शहर के विस्तार से, पानी और स्वच्छता जैसी दो सर्वाधिक बुनियादी सेवाओं के प्रावधान पर असहनीय दबाव पड़ता है।
- 1.6 दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी कार्य और निगरानी प्रणाली तथा जल और मल-जल प्रबंधन में सुधार किया है। कुशल प्रशासन के सकारात्मक परिणामों के कारण, कमजोर आर्थिक स्थिति के बावजूद, राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई है। दिल्ली जल बोर्ड ने बिल जारी करने, ऑनलाइन भुगतान करने और भारी बिलों की शिकायतों के समाधान की व्यवस्था के लिए “सेवा-ऐप” की शुरुआत की है ताकि उपभोक्ताओं को कुशल और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें और दिल्ली के नागरिकों में अधिक से अधिक विश्वास पैदा किया जा सके। दिल्ली जल बोर्ड के राजस्व में वृद्धि का मुख्य श्रेय जिन उपायों को जाता है उनमें सशुल्क पानी के मूल्य में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी, पानी कनेक्शन/मीटर की संख्या में वृद्धि, पिछले बकाया के एकमुश्त भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को दी गयी सुविधा और कई स्थानों पर पानी का रिसाव बंद किया जाना शामिल हैं। इनके अलावा भी बोर्ड ने अपना राजस्व बढ़ाने के कई कदम उठाए जैसे पानी के टैंकरों पर विज्ञापन दिए गए, अपनी परिसंपत्तियों को किराये पर दिया, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल शुरू किया गया और वाटर एटीएम, “टॉयलेट टू टैप” तथा पानी के टैंकरों की जीपीएस के ज़रिए निगरानी जैसी नयी/अभिनव शुरुआत की गई।

- 1.7 दिल्ली के करीब 93.5 प्रतिशत घरों को अब पाइप के जरिए जलापूर्ति की जा रही है। गर्मी के मौसम में जल उत्पादन निरंतर 1000 एमजीडी बनाए रखा जा रहा है। दिल्ली की करीब 2 करोड़ 15 लाख आबादी को जलापूर्ति नेटवर्क के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिसमें 15 हजार 473 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें और 117 से अधिक भूमिगत जलाशय शामिल हैं। पानी की किल्लत वाले इलाकों में सप्लाई में और सुधार के लिए किराये पर लिए गये 1030 माइल्ड स्टील टैंकरों के अलावा 250 नये खरीदे गये स्टेनलेस स्टील टैंकरों का भी पहले से मौजूद संसाधनों में उपयोग किया जा रहा है।

2 पानी की आवश्यकता

- 2.1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 60 गैलन पानी उपलब्ध कराने के मानदंड के आधार पर रा.रा.क्षे. दिल्ली में मौजूदा समय में 2 करोड़ 15 लाख की आबादी के लिए जल की कुल आवश्यकता 1290 एमजीडी है। विभिन्न इस्तेमाल के लिए प्रति व्यक्ति जल आवश्यकता मानदंड नीचे विवरण 13.1 में दिया गया है।

विवरण 13.1

जल आवश्यकता विवरण—दिल्ली जल बोर्ड

क्र सं	विवरण	पानी की आवश्यकता
1.	घरेलू	172 एलपीसीडी
2.	औद्योगिक, वाणिज्यिक और सामुदायिक आवश्यकता, 45000 लीटर प्रति हेक्टेयर प्रति दिन पर आधारित	47 एलपीसीडी
3.	अग्नि सुरक्षा, कुल मांग के 1 प्रतिशत पर आधारित	3 एलपीसीडी
4.	बढ़ती जनसंख्या और होटल तथा दूतावासों जैसे विशेष उपयोग में	52 एलपीसीडी
	कुल	274 एलपीसीडी 275 (60 जीपीसीडी)

(एलपीसीडी—प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और जीपीसीडी—प्रति व्यक्ति प्रतिदिन गैलन)

स्रोत : दिल्ली जल बोर्ड

- 2.2 पीने के साथ-साथ अन्य उपयोग में भी लिए जाने से अधिक मात्रा में पेयजल की आवश्यकता पड़ती है। इसे कम करने के लिए फैसला किया गया है कि भविष्य के नियोजित विकास, शौचालय फ्लशिंग के लिए पानी की जरूरत समुचित रूप से उपचारित पुनःचक्रित पानी से की जाएगी और पेयजल की उपलब्धता अधिकतम 40 जीपीसीडी (180 एलपीसीडी) तक रखी जाएगी। आवासीय और गैर आवासीय निर्माणों में शौचालय फ्लशिंग के लिए पानी की जरूरतों का आकलन 75 एलपीसीडी है, जिसकी पूर्ति दोहरी पाइपिंग प्रणाली से गैर पेयजल पुनःचक्रित पानी के उपयोग से की जाएगी। अनुमान है कि इससे प्रति व्यक्ति पेयजल आवश्यकता कम होकर 2031 तक 55 जीपीसीडी और 2041 तक 50 जीपीसीडी पर आ जाएगी। इसके अनुसार दिल्ली में घरेलू उपयोग के लिए पेयजल की मांग वर्ष 2031 तक 2 करोड़ 48 लाख की अनुमानित आबादी के लिए 1364 एमजीडी (55 जीपीसीडी) होगी और वर्ष 2041 तक तीन करोड़ की अनुमानित आबादी के लिए यह 1500 एमजीडी रहेगी। इसमें औद्योगिक कार्यों तथा बागवानी/कृषि कार्यों के लिए आवश्यक पानी की मांग शामिल नहीं है, इसकी पूर्ति अपेक्षित गुणवत्ता के अवजल के पुनःचक्रण से की जाएगी।

3. जलापूर्ति क्षमता

विवरण 13.2
जल शोधन संयंत्रों की संस्थापित क्षमता : 2009–2023

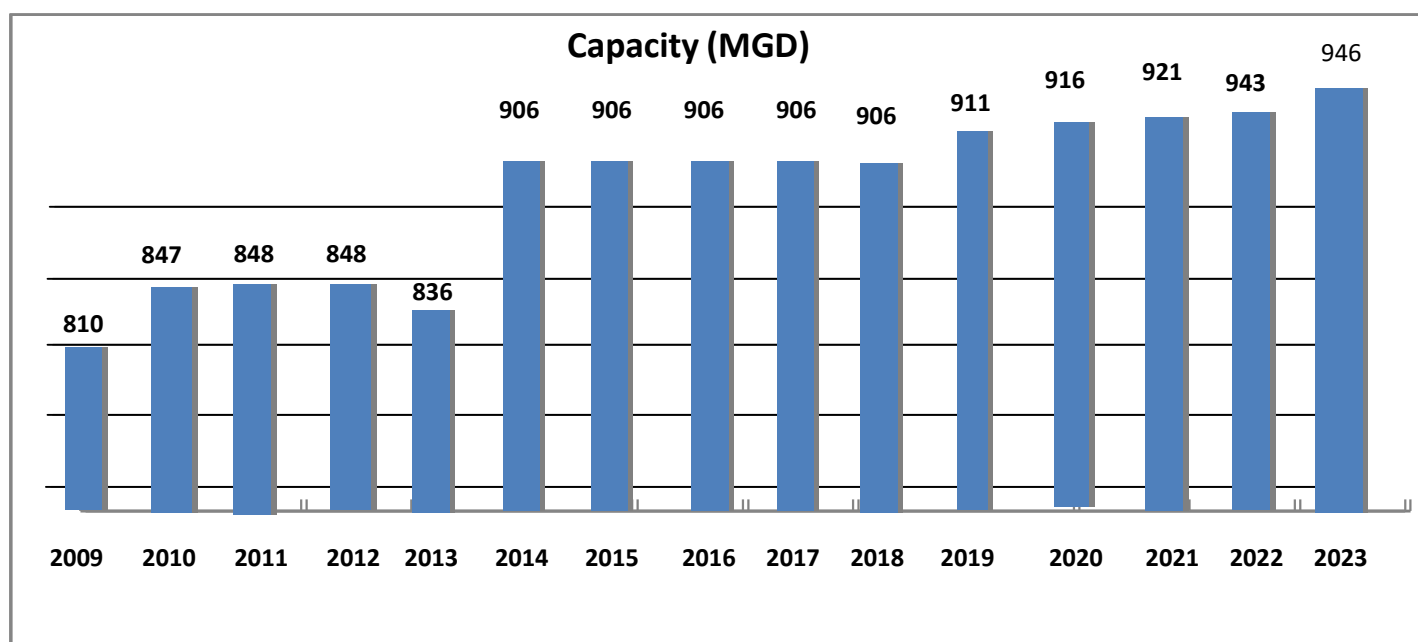
क्र.सं.	संयंत्र का नाम	क्षमता (एमजीडी)														
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	चंद्रावल वाटर हाउस I और II	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
2.	वजीराबाद I, II और III	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
3.	हैदरपुर	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4.	उत्तर शाहदरा (भागीरथी)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	बवाना	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
6.	नांगलोई	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
7.	सोनिया विहार	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
8.	रैनी वेल और ट्यूबवेल	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	85	90	95	117	120
9.	भागीरथी, हैदरपुर और वजीराबाद में जल का पुनः चक्रण	--	37	37	37	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
10.	राष्ट्रमंडल खेल गांव	--	--	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.	ओखला	--	--	--	--	--	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
12.	द्वारका	--	--	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	कुल	810	847	848	848	836	906	906	906	906	906	911	916	921	943	946

स्रोत : दिल्ली जल बोर्ड (एमजीडी- 10 लाख गैलन प्रतिदिन)

- 3.1 दिल्ली में 2009–23 के दौरान जल शोधन की संस्थापित क्षमता चार्ट 13.1 और 13.2 में प्रदर्शित की गई है। बोर्ड की संस्थापित क्षमता में पिछले 15 वर्षों में 16.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2009 में यह क्षमता 810 एमजीडी थी जो 2023 में बढ़कर 946 एमजीडी हो गयी।

चार्ट 13.1

दिल्ली के जल उपचार संयंत्रों की संस्थापित क्षमता : 2009–2023



3.2 तीन नये जल शोधन संयंत्र – द्वारका (50 एमजीडी), बवाना (20 एमजीडी) और ओखला (20 एमजीडी) 2015 में लगाये गये थे। डीएसबी कैनल से 30 प्रतिशत संचरण हानि के स्थान पर नये सीएलसी से केवल 5 प्रतिशत की संचरण हानि होने से कच्चे पानी की उपलब्धता में बचत हुई है।

4 जल खपत

वर्ष 2022–23 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को जल बोर्ड द्वारा की गई जलापूर्ति और वसूल किए गए शुल्क की जानकारी नीचे विवरण-13.3 में दी गई है।

विवरण 13.3

श्रेणीवार जल कनेक्शन, बिक्री और बिक्री प्रतिशत

क्र.स.	श्रेणी	कनेक्शन (लाख में)		बिक्री (एमजीडी)		बिक्री प्रतिशत	
		2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
1.	घरेलू (सक्रिय)	25.80	26.82	418.95	391.46	93.02	92.30
2.	वाणिज्यिक और संस्थागत (सक्रिय)	0.82	0.81				
3.	एनडीएमसी और एमईएस को आपूर्ति (सक्रिय)	-	-	31.44	30.17	6.98	7.70
	कुल			450.39	421.63	100.00	100.00

स्रोत : दिल्ली जल बोर्ड

5 जलापूर्ति स्रोत

क. दिल्ली जल बोर्ड को हरियाणा से सीएलसी, डीएसबी नहर और यमुना नदी के बहाव से निम्नांकित विवरण के अनुसार कच्चा पानी मिलता है:

1. सीएनसी: मुनक से 719 क्यूसेक जारी / दिल्ली में 683 क्यूसेक प्राप्त
2. डीएसबी: दिल्ली में 330 क्यूसेक
3. यमुना नदी: 120 क्यूसेक

कुल = 1133 क्यूसेक (612.5 एमजीडी)

ख. गंगा जल की आपूर्ति गंगा कैनाल/भागीरथी के लिए मुराद नगर रेगुलेटर (200 क्यूसेक) और सोनिया विहार (270 क्यूसेक) जल शोधन संयंत्रों से होती है।

कुल=470 क्यूसेक (254.08 एमजीडी)

ग. 117 एमजीडी भूजल की आपूर्ति यमुना बाढ़ क्षेत्र और दिल्ली के अन्य स्थानों पर लगे रैनी वेल/ट्यूब वेल के जरिये होती है।

6 भू-जल

- 6.1 पानी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और सीमित भू-सतह जल संसाधन, वजीराबाद में कच्चे पानी के स्रोतों में लगातार प्रदूषण और भूजल स्रोतों पर निर्भरता बढ़ने के कारण नए ट्यूबवेल लगाने की योजना बनाई गई ताकि स्वीकृत सीमा में पेयजल की उपलब्धता भूजल को सतह जल से मिला कर पूरी की जा सके। हालांकि भूजल की गुणवत्ता में लगातार कमी देखी जा रही है। इस कमी को रोकने के लिए माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओए/496/2016 के आदेश के अनुसार गठित निगरानी समिति के सुझावों के अनुरूप प्रयास संबंधित प्रभागों द्वारा किए जा रहे हैं। इन सुझावों में जल निकायों को फिर से सक्रिय करना और गैर कानूनी बोरवेल को सील करने जैसे उपाय शामिल हैं। दिल्ली जल बोर्ड का गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग नियमित रूप से भूमिगत जल गुणवत्ता की निगरानी करता है ताकि पेयजल उपयोग के लिए इसकी उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके।
- 6.2 दिल्ली के विभिन्न भागों में दिल्ली जल बोर्ड के 5169 ट्यूबवेल काम कर रहे हैं। इसके अलावा यमुना नदी से लगे 11 रैनी वेल चालू हैं। यमुना नदी का बाढ़ क्षेत्र और नजफगढ़ लेक के निकट के क्षेत्र में सतत आधार पर जल निकासी की संभावना तलाशी जा रही है। चालू और प्रस्तावित ट्यूबवेल की स्थिति इस प्रकार है:-

स्थान	प्रस्तावित ट्यूबवेल की संख्या	टिप्पणी
नोएडा मोड	7	ट्यूबवेल का काम पूरा, लेकिन यह स्थल जीरो जोन में आने के कारण बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा में।
अक्षरधाम	8	ट्यूबवेल का काम पूरा, आईजीएल गैस पाइपलाइन पार करने के लिये गेल से अनुमति की प्रतीक्षा में पानी की लाइन का काम रुका। यह स्थल जीरो जोन में आने के कारण बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा में।
बवाना डबल्यूटीपी परिसर 15 ट्यूबवेल (3.0 एमजीडी)	बवाना डबल्यूटीपी परिसर 15 ट्यूबवेल	कार्य प्रगति पर और परीक्षण के चरण में।
निलोठी (100) और नजफगढ़ (50)	150	लगाए गए ट्यूबवेल-63 निलोठी -52 और पप्पनकला-11 नजफगढ़: आई एंड एफसी विभाग से मंजूरी प्राप्त चरण-1 वन विभाग से मंजूरी मिली चरण-2 वन विभाग से मंजूरी की प्रतीक्षा जिला परामर्श समिति की अनुमति प्राप्त
ओखला डबल्यूटीपी	7	कार्य सौंपे जाने की प्रक्रिया में
भलस्वा लेक	150	i) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अनुमान संशोधन और कार्य सौंपा जाना है। ii) भूमि उपलब्धता/भू स्वामित्व प्राधिकरणों से मंजूरी के अधीन
रोहिणी डबल्यू डबल्यू टीपी	85	i) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अनुमान संशोधन और कार्य सौंपा जाना है। ii) भूमि उपलब्धता/भू स्वामित्व प्राधिकरणों से मंजूरी के अधीन
ओखला डबल्यू डबल्यू टीपी	85	i) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अनुमान संशोधन और कार्य सौंपा जाना है। ii) भूमि उपलब्धता/भू स्वामित्व प्राधिकरणों से मंजूरी के अधीन
द्वारक डबल्यू टीपी	45	i) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अनुमान संशोधन और कार्य सौंपा जाना है। ii) भूमि उपलब्धता/भू स्वामित्व प्राधिकरणों से मंजूरी के अधीन
चिल्ला	35	i) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अनुमान संशोधन और कार्य सौंपा जाना है। ii) भूमि उपलब्धता/भू स्वामित्व प्राधिकरणों से मंजूरी के अधीन

उत्तर पश्चिमी दिल्ली में भाटी माईन्स और नहर प्रणाली के जरिये भू जल संभरण के लिये व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन भी किया गया है।

6.3 दिल्ली जल बोर्ड 64 जल निकायों के पुनरुद्धार का काम कर रहा है जिनमें 39 का काम पूरा हो चुका है और 25 के लिये जल्दी ही निविदा जारी की जायेगी। तिमार पुर तालाब, द्वारका, पप्पनकला, रोहिणी, निलोठी और रोशनआरा झील के पुनरुद्धार का काम किया जा रहा है।

6.4 जल निकायों को पुनर्जीवित करने के प्रतिष्ठित कार्य का उद्देश्य वर्तमान जल निकायों की सफाई, इनका पारिस्थितिकीय महत्व बहाल करना और दीर्घावधि के लिये सतत प्रबंधकीय व्यवस्था करना है।

7. मुनक से हैदरपुर तक समानांतर नहर

यमुना नदी और पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से जल-आपूर्ति की मौजूदा व्यवस्था में ताजेवाला हैडवर्क्स से छोड़े गए पानी का 30-50 प्रतिशत रिसाव की वजह से रास्ते में ही बर्बाद हो जाता है। इस बर्बादी को रोकने के लिए हरियाणा ने दिल्ली सरकार की ओर से मुनक से हैदरपुर तक एक पक्की समानांतर नहर का निर्माण किया है। इस केन्द्रीय संपर्क नहर के चालू हो जाने से मुनक से छोड़े गए मौजूदा पानी से दिल्ली में पानी की उपलब्धता 180 क्यूसेक बढ़ी है और द्वारका (50 एमजीडी), बवाना (20 एमजीडी) और ओखला (20 एमजीडी) के जल शोधन संयंत्र चालू हो गये हैं।

दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली के लिये जल संसाधनों में बढ़ोतरी की योजना बनायी है। इसके लिये दोहरी रणनीति अपनायी जा रही है जिसमें भूजल और नदी (सतह के) जल संसाधनों को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है, वहीं जल संरक्षण उपाय बढ़ाने, वर्षा जल संचयन पहल, जल निकायों की बहाली पर भी जोर दिया जा रहा है। भू जल संसाधनों में वृद्धि जहां केवल दिल्ली के हाथों में है, वहीं नदी जल संसाधनों में बढ़ोतरी की पहल/प्रस्ताव पड़ोसी राज्यों और केंद्र सरकार के सहयोग और रचनात्मक समन्वय पर निर्भर है। यमुना नदी पर जल भंडारण राष्ट्रीय राजधानी तक अतिरिक्त कच्चे पानी की उपलब्धता इसके नियोजित और व्यवस्थित विकास के लिये महत्वपूर्ण है।

यमुना और इसकी सहायक नदियों पर रेणुकाजी, लखवार और किशाऊ बांध निर्माण की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इन बहुउद्देश्यीय बांध परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित किया गया है। रेणुकाजी बांध हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के दधारु में यमुना की शाखा गिरि नदी पर बनाया जाना है। परियोजना का मुख्य कार्य हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू किया गया है और इसके 2028 तक पूरा हो जाने की संभावना है। किशाऊ बांध टोन्स नदी पर प्रस्तावित है। यह भी उत्तराखंड के देहरादून जिले और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना की सहायक नदी है। लखवार बांध उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी पर बनाया जा रहा है।

दिल्ली नदियों पर बन रही इन भंडारण परियोजनाएं के शीघ्र और समयबद्ध कार्यान्वयन पर बल दे रहा है। इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित किये जाने से केंद्र सरकार जल घटक लागत का 90 प्रतिशत वहन करेगी और नदी थाले के राज्यों को 12 मई 1994 में हुए समझौते के अनुसार यमुना जल में अपने वार्षिक जल आवंटन के अनुपात में केवल 10 प्रतिशत वहन करना होगा।

प्रत्येक थाले राज्य को 12.05.1994 के समझौता ज्ञापन के अनुसार यमुना जल का वार्षिक और अंतरिम मौसमी आवंटन नीचे दिया गया है। इनका नियंत्रण समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार होता है।

क्र स	राज्य	आवंटन (बीसीएम)			वार्षिक आवंटन (बीसीएम)
		जुलाई से अक्टूबर	नवंबर से फरवरी	मार्च से जून	
1.	हरियाणा	4.107	0.686	0.937	5.730
2.	उत्तर प्रदेश	3.216	0.343	0.473	4.032
3.	राजस्थान	0.963	0.070	0.086	1.119
4.	हिमाचल प्रदेश	0.190	0.108	0.080	0.378
5.	दिल्ली	0.580 (1926 क्यूसेक)	0.068 (232 क्यूसेक)	0.076 (255 क्यूसेक)	0.724 (809 बनेमब)
कुल		9.056	1.275	1.652	11.983

स्रोत : 12 मई 1994 का एमओयू

टिप्पणी : उत्तर प्रदेश के लिये निर्धारित 4.032 बीसीएम के वार्षिक आवंटन में से यूपी और उत्तराखंड के लिये संभावित वार्षिक आवंटन 3.575 बीसीएम और 0.457 बीसीएम है। (बीसीएम— बिलियन क्यूबिक मीटर)

12 मई 1994 का समझौता ज्ञापन प्रावधान करता है कि अनुमानित मात्रा से कम उपलब्धता वाले वर्ष में पहले दिल्ली का पेयजल आवंटन पूरा किया जायेगा और शेष पानी अन्य थाला राज्यों के बीच उनके आवंटन के अनुपात में वितरित किया जायेगा। प्रावधान में यह भी शामिल है कि पीने के उद्देश्य से जल आवंटन उपभोग योग्य पेयजल आवश्यकता के लिये है।

रेणुकाजी और लखवार बांधों पर अंतरराज्यीय समझौतों पर क्रमशः 28.08.2018 और 11.01.2019 को हस्ताक्षर किए गए। किशाऊ एमपीपी पर अभी हस्ताक्षर होना है। यूवाईआरबी द्वारा वितरित संशोधित मसौदा समझौते पर सभा थाला राज्यों से मंजूरी ली जा रही है। यूवाईआरबी के प्रस्ताव में 14-07-2023 को वितरित संशोधित मसौदे के संशोधनों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अनुमोदन की मांग की गई है, जो अभी विचाराधीन है। नदी पर भंडारण परियोजना 16.01.2017 को गठित हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के संयुक्त उपक्रम मेसर्स किशाऊ कॉरपोरेशन लिमिटेड (केसीएल) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

तीनों परियोजनाओं की भंडारण क्षमता लगभग 2168 मिलियन क्यूबिक मीटर (1301 मिलियन यानी 130 करोड़ 19 लाख गैलन प्रतिदिन) है जिसमें लगभग 514 एमसीएम (309 एमजीडी), 330 एमसीएम (198 एमजीडी) और 1324 एमसीएम (794 एमजीडी) क्रमशः रेणुकाजी, लखवार और किशाऊ बांध परियोजनाओं से है। दिल्ली पहले ही रेणुका बांध परियोजना के लिये हिमाचल प्रदेश को 214.84 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका है। दिल्ली ने इन परियोजनाओं में अपनी आनुपातिक जल घटक लागत की सीड मनी के रूप में 7.79 करोड़ रुपये और 8.10 करोड़ रुपये क्रमशः लखवार और किशाऊ बांध परियोजनाओं के लिये दिये हैं।

नदी जल भंडारण की ये तीन परियोजनाएं पूरी हो जाने पर यमुना जल मौसमी आवंटन उपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा संशोधित किया जायेगा और दिल्ली को भंडारण से यमुना जल का अपना हिस्सा 12.05.1994 के समझौता ज्ञापन और इन राष्ट्रीय परियोजनाओं पर अंतरराज्यीय समझौतों के अनुसार मिलेगा। दिल्ली ने रेणुकाजी बांध परियोजना के लिए बिजली घटक की लागत का 90 प्रतिशत वहन करने पर सहमति व्यक्त की है। रेणुकाजी बांध परियोजना पर अंतरराज्यीय समझौते में दिल्ली की पेयजल जरूरतों के लिए आवंटन को प्राथमिकता दी है और अपर यमुना नदी बोर्ड द्वारा रेणुकाजी बांध परियोजना के समझौते के अनुरूप दिल्ली को यमुना के पानी का आवंटन बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रेणुकाजी बांध परियोजना समझौते में शामिल हैं:

- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने परियोजना के लिए बिजली लागत का 90 प्रतिशत वहन करने पर सहमति व्यक्त की है।
- पनबिजली के संदर्भ में यदि हिमाचल प्रदेश चाहे तो अन्य लाभार्थी राज्य (राज्यों) से अलग अलग किए गए परस्पर/बहुपक्षीय समझौतों के जरिए, उत्पादित बिजली और उसकी लागत साझा कर सकता है।
- रेणुकाजी बांध परियोजना के तहत भंडारण के निर्माण से उपलब्ध अतिरिक्त जल का नियमन अपर यमुना नदी बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इस बांध के निर्माण से उपलब्ध होने वाला अतिरिक्त जल अपर यमुना नदी बोर्ड द्वारा निकाले गए समाधान के अनुरूप दिल्ली को पेयजल आवश्यकता पूरी करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह

व्यवस्था केवल तब तक के लिए होगी, जब तक अपर यमुना संभरण क्षेत्र में अन्य भंडारण जैसे लखवार और किशाऊ बहु-उद्देशीय परियोजनाएं पूरी नहीं हो जाती। तब रेणुकाजी बांध से जल निकासी 12.05.1994 को राज्यों के बीच हुए समझौते के अनुसार यमुना जल के वार्षिक आवंटन को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। समझौते के तहत अंतरिम मौसमी आवंटन को अपर यमुना नदी बोर्ड द्वारा तदनुसार संशोधित किया जाएगा और अनुमोदन के लिए अपर यमुना समीक्षा समिति (यूवाईआरसी) को सौंपा जाएगा।

8. जल लेखांकन और लेखा-परीक्षण

8.1 जेआईसीए की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010-11 में आंका गया एनआरडब्ल्यू 64.80 प्रतिशत था और जेआईसीए ने दिल्ली जल बोर्ड के समग्र नेटवर्क को प्रणाली में सुधार और एनआरडब्ल्यू में कमी के लिए 1010 डीएमए (1500 से 2000 कनेक्शन के आकार) में विभाजित करने का प्रस्ताव किया था। दिल्ली जल बोर्ड अब पूरे नेटवर्क में डीएमए कार्य लागू करने जा रहा है। इसकी स्थिति इस प्रकार है:

- मौजूदा समय में मालवीय नगर और नांगलोई में 2 पीपीपी क्षेत्रों में डीएमए बनाने और एनआरडब्ल्यू में कमी लाने सहित कई सुधार कार्य प्रगति पर हैं। मालवीय नगर में सभी 9 डीएमए, नांगलोई में कुल 35 डीएमए में से 20 डीएमए और वसंत विहार में 5 डीएमए का कार्य पूरा हो चुका है और बाकी के काम प्रगति पर हैं। मालवीय नगर पीपीपी एरिया में एनआरडब्ल्यू 68 प्रतिशत से घट कर 30.6 प्रतिशत पर आ गया है। नांगलोई में 79 प्रतिशत से 53 प्रतिशत पर और वसंतकुंज में 24 प्रतिशत से 8 प्रतिशत पर आ गया है।
- दिल्ली जल बोर्ड ने 2016 में डीएमए बनाने के चरण-1 का कार्य शुरू किया था। इसके तहत 33 (पुनर्गठित 39) डीएमए लिए गए थे, जिन्हें आगे बढ़ा कर 96 (पुनर्गठित 102) कर दिया गया था।
- चन्द्रावल डब्ल्यूटीपी कमान क्षेत्रों में जेआईसीए वित्तपोषित परियोजनाओं में 170 डीएमए की योजना बनाई गई है।
- दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली के बाकी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकास और डीएमए सृजित करने के उद्देश्य से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने के लिये परामर्शदाताओं की सेवा ली थी। ये सभी डीपीआर प्राप्त हो गयी है और इन रिपोर्टों को चरणों में लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। दिल्ली को निम्नलिखित तीन भागों में बांटा जायेगा और प्रत्येक भाग के लिये अलग से निविदा जारी की जायेगी।
 1. यमुना पार क्षेत्र (पूर्वी दिल्ली यानी पूर्वी और उत्तर-पूर्वी जोन)
 2. उत्तरी दिल्ली (पश्चिम और उत्तर – पश्चिम क्षेत्र)
 3. दक्षिणी दिल्ली (दक्षिण और दक्षिण-पश्चिमी जोन)

कॉन्ट्रैक्टर बुनियादी ढांचा विकास, प्रचालन, रखरखाव, जलापूर्ति नेटवर्क के लिये एससीएडीए, गैर राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) में कमी लाने, जिला मीटर्ड क्षेत्र (डीएमए) तथा यूजीआर और बीपीएस सहित जलापूर्ति नेटवर्क प्रबंधन, बिलिंग और राजस्व संग्रह इत्यादि तथा उपऊभोक्ताओं से जुड़ी अन्य सभी सेवाओं के लिये उत्तरदायी होगा। प्रस्तावित 24X7 अनुबंध का अधिकार क्षेत्र प्राथमिक यूजीआर से बढ़ाकर हाउस सर्विस कनेक्शन तक कर दिया गया है।

यमुना पार क्षेत्र में एचएएम मॉडल पर दीर्घावधि प्रचालन और प्रबंधन के साथ चौबीसों घंटे जलापूर्ति और सीवेज नेटवर्क सुधार के परियोजना कार्य के लिये निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर से निविदाएं आमंत्रित करने के लिये एनआईटी शर्तों को संशोधित किया जा रहा है।

इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड ने गैर राजस्व जल कम करने के लिये हाउस सर्विस कनेक्शन का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया है तथा बेहतर जल लेखांकन के लिये मौजूदा खराब मीटरों को बदलने सहित उपभोक्ता जल मीटर बदलने का काम किया जा रहा है।

- 8.2 दिल्ली जल बोर्ड ने जल लेखांकन और परीक्षण के लिए फ्लो मीटर लगाने की परियोजनाएं शुरू की हैं। दिल्ली जल बोर्ड 100 मिमी व्यास से 1500 मिमी व्यास की प्राथमिक और द्वितीयक प्रणाली में लगभग 3285 बल्क फ्लो मीटर लगा रहा है। लगभग 3236 फ्लो मीटर लगा दिए गए हैं। एक डेटा/एससीएडीए केंद्र झंडेवालान में स्थापित किया गया है, जहां वास्तविक समय आधार पर ऑनलाइन डेटा प्राप्त किया जा रहा है। इससे वास्तविक समय आधार पर निगरानी और पानी का समुचित वितरण सुनिश्चित करने में मदद मिल रही है।
- 8.3 1 अप्रैल, 2023 को कुल 1.15 लाख कनेक्शन बिना मीटरों के थे। पानी मीटर नहीं लगाए जाने की स्थिति से संबंधित मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पानी का बिल प्रतिमाह 25 कि.ली. के न्यूनमत उपभोग या जेडआरओ द्वारा आकलन, जो भी अधिक हो पर जारी किया जाएगा, जब तक कि ऐसे कनेक्शन पर मीटर न लगा दिए जाए।
- 8.4 दिल्ली जल बोर्ड ने बिना मीटर के जलापूर्ति के मापन के लिए जल मीटर प्राप्त करने की प्रणाली सुचारु बनाने के उपाय किए हैं। जल कनेक्शन की मंजूरी के साथ वाटर मीटर सप्लाई किए जाने की मौजूदा प्रणाली में संशोधन किया गया है और अब उपभोक्ता, बाजार से स्वीकृत निर्धारित मानदंडों के अनुरूप वाटर मीटर खरीद सकते हैं। जिन उपभोक्ताओं के यहां दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लगाये गये मीटर खराब हैं उन्हें इस बात की छूट दी गई है कि वे खराब मीटर के स्थान पर प्राइवेट वाटर मीटर लगवा लें और जमा कराई गई मीटर की धरोहर राशि वापस ले लें या उसे भविष्य में जल शुल्क में समायोजित करा लें।

9. जल शुल्क

- 9.1 मौजूदा शुल्क 'अधिक इस्तेमाल के लिए अधिक भुगतान' के सिद्धांत पर आधारित है। वर्तमान जल शुल्क नीति पानी की अत्यधिक खपत करने वाले या पानी बर्बाद करने वाले उपभोक्ताओं के लिए प्रतिरोधक के रूप में काम करती है। दिल्ली जल बोर्ड 2022-23 के दौरान 1294.86 करोड़ रुपये की वसूली कर चुका है।
- 9.2 दिल्ली जल बोर्ड ने 594 प्रतिष्ठानों में वर्षा जल संचयन सुविधा उपलब्ध कराई है। दिल्ली जल बोर्ड का वर्षा जल संचयन प्रकोष्ठ लोगों/संस्थानों को वर्षा जल संचयन के लिए तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराता है। दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों की सुविधा के लिए अपनी वेबसाइट पर भी वर्षा जल संचयन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है।
- 9.3 दिल्ली जल बोर्ड के संशोधित शुल्क नियमों (मार्च 2016) के अनुसार वर्षा जल संग्रह प्रणाली के

चालू हालत में होने पर पानी के बिलों में 10 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। इसका इंतजाम न होने पर पानी का बिल तब तक 1.5 गुना अधिक देना पड़ेगा जब तक ऐसी प्रणाली स्थापित नहीं कर दी जाती। ये प्रावधान 100 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर लागू होंगे। हालांकि जुर्माना इंजीनियरिंग शाखा के 26.07.2023 के आदेश के अनुसार 30.09.2023 तक स्थगित कर दिया गया है।

9.4 वर्तमान जल शुल्क की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

- मौजूदा जल-शुल्क के दो भाग हैं। इनमें एक है सेवा प्रभार और दूसरा है मात्रात्मक जल खपत प्रभार। ये शुल्क क्रमशः 01.12.2004 और 01.04.2005 से लागू हैं। जिन कालोनियों/क्षेत्रों में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर सेवाएं प्रदान की गई हैं/उनका रख-रखाव किया जा रहा है, वहां जल खपत प्रभार का 60 प्रतिशत सीवर रख-रखाव प्रभार के रूप में वसूल किया जाता है।
- अनेक आवासीय परिसरों वाली किसी कालोनी/ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के लिए बल्क कनेक्शन के मामले में जल प्रभार की गणना समय-समय पर लागू घरेलू दरों पर प्रति आवासीय इकाई-वार की जाएगी।

9.5 01.02.2018 से प्रभावी जल शुल्क

श्रेणी -I (घरेलू कनेक्शन)

मासिक उपभोग (किलो लीटर में)	सेवा शुल्क (रु.में)	मात्रात्मक शुल्क (प्रति किलो लीटर रु. में)
20 तक	146.41	5.27
20-30	219.62	26.36
>30	292.82	43.93
(+) सीवर रखरखाव शुल्क : जल मात्रात्मक शुल्क का 60 प्रतिशत		

श्रेणी -II (गैर घरेलू कनेक्शन) व्यावसायिक/औद्योगिक

मासिक उपभोग (किलोलीटर में)	सेवा शुल्क (रुपये में)	मात्रात्मक शुल्क प्रति किलोलीटर (रुपये में)
0-06	146.41	17.57
06-15	292.82	26.35
15-25	585.64	35.14
25-50	1024.87	87.85
50-100	1171.28	140.56
>100	1317.69	175.69
जोड़ सीवर रखरखाव शुल्क, मात्रात्मक प्रभार का 60 प्रतिशत		

9.5.1 पानी के नये कनेक्शन की मंजूरी प्रक्रिया का सरलीकरण

दिल्ली के सभी क्षेत्रों में पानी/सीवर के नए कनेक्शन के लिए मंजूरी प्रक्रिया सरल कर दी गई है। अब पानी/सीवर कनेक्शन की स्वीकृति आसानी से मिल रही है। इसके लिए केवल पिछले 3

महीने का बिजली बिल, अपने किसी एक पहचान सत्यापन प्रमाणपत्र और घरेलू कनेक्शन के लिए स्वघोषित/हलफनामों के साथ जमा करने की जरूरत है। इसके अलावा 06.10.2020 से पानी और सीवर कनेक्शन के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जा रहा है।

9.5.2 वर्षा जल संरक्षण/अवजल पुनःचक्रण प्रणाली का प्रावधान

- i. शहर के अनेक भागों में भूजल संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो चुका है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण अत्यधिक मात्रा में निकाले जा रहे पानी के मुकाबले नए भूजल संग्रहण का स्तर बहुत कम है, इसलिए भूजल संसाधनों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता है और इसकी सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की जरूरत है।
- ii. इसलिए वर्षा जल संचयन को पानी बचाने के एक सरल, प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल उपाय के रूप में देखा जा रहा है और यह भूजल का स्तर बनाए रखने का एक सरल समाधान है। शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (दिल्ली संभाग), ने 100 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्र के प्लॉट पर बनने वाली सभी नई इमारतों में वर्षा जल संरक्षण अनिवार्य कर दिया है। प्रतिदिन 10,000 लीटर और अधिक के न्यूनतम डिस्चार्ज वाली इमारतों में बागवानी के उद्देश्य से अवजल पुनःचक्रण प्रणाली भी अनिवार्य कर दी गई है।
- iii. वर्षा जल संचयन और अवजल पुनःचक्रण नियमों का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने 100 वर्ग मीटर से अधिक और 500 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट/परिसंपत्तियों के लिए दिल्ली जल और सीवर (शुल्क और मीटरिंग) विनियम 2012 के नियम 50 में निम्नलिखित संशोधन दिनांक 19.08.2019 के प्रावधान संख्या 829 द्वारा मंजूर किए हैं।
- iv. 100 वर्ग मीटर या इससे अधिक के प्लॉट की परिसंपत्तियों के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली अनिवार्य होगी, चाहे परिसंपत्ति 28.07.2001 से पहले बनी हो तो भी। ऐसी परिसंपत्तियों के मालिकों को वर्षा जल संचयन प्रणाली इस बारे में सार्वजनिक नोटिस जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अंदर यानी 25.09.2020 तक लगानी थी (इस बारे में सार्वजनिक नोटिस 19.09.2019 और 26.09.2019 को जारी हुआ था)। यदि 28.07.2001 से पहले बनी परिसंपत्ति वाले उपभोक्ता इस अनिवार्य प्रावधान का पालन समय सीमा में नहीं कर पाते हैं, तो संबंधित उपभोक्ता श्रेणी के लिए लागू शुल्क दर तब तक डेढ़ गुना तक बढ़ा दिया जाएगा, जब तक कि प्रणाली लगा नहीं ली जाती और संबंधित जोनल राजस्व अधिकारी को इसकी सूचना नहीं दे दी जाती।
- v. 28.07.2001 के बाद निर्मित 100 वर्ग मीटर या अधिक की परिसंपत्तियों के मामले में, जिन भू-स्वामी ने वर्षा जल संचयन प्रावधान किए जाने के बारे में संबंधित जोनल राजस्व अधिकारी को 31.03.2020 तक सूचना नहीं दी थी, उनके लिए यह समय-सीमा बढ़ाकर 30.09.2022 किया गया और अब 30.09.23 कर दिया गया है। ऐसा नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित उपभोक्ता श्रेणी के लिए लागू शुल्क दर तब तक डेढ़ गुना तक बढ़ा दिया जाने का निर्देश है, जब तक कि प्रणाली लगा नहीं ली जाती और संबंधित जोनल राजस्व अधिकारी को इसकी सूचना नहीं दे दी जाती।
- vi. उपर्युक्त (iv) और (v) के अलावा बोर्ड उन सभी उपभोक्ताओं के पानी कनेक्शन काट सकता है, जो वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाने या संबंधित जोनल राजस्व अधिकारी को समय सीमा के भीतर

सूचना देने में विफल रहते हैं। यह प्रावधान 100 वर्ग मीटर और ऊपर की सभी परिसंपत्तियों पर लागू होगा, लेकिन तभी, जब दोनों मामलों में दी गई समय सीमा समाप्त हो गई हो।

- vii. मौजूदा और नव-निर्मित परिसंपत्तियों में नए पानी/सीवर कनेक्शन की मंजूरी वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाने पर ही दी जाएगी। इस बारे में कार्य क्षमता/पर्याप्तता की जांच जोनल कार्यालय द्वारा किया जायेगा और इसके बाद वर्षा जल संचयन प्रकोष्ठ द्वारा पर्याप्तता प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा।
- viii. 10,000 लीटर या अधिक के प्रतिदिन न्यूनतम अवजल डिस्चार्ज वाली नवनिर्मित परिसंपत्तियों/इमारतों में नए जल/सीवर कनेक्शन की मंजूरी संबंधित रखरखाव प्रभाग द्वारा प्रदान की जाएगी।
- ix. 100 वर्ग मीटर से अधिक लेकिन 500 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट/परिसंपत्तियों के बारे में उपर्युक्त (vii) प्रावधान का क्रियान्वयन (iv) और (v) में दी गई समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी लागू होगा।
- x. उन मामलों में, जहां वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाना किसी भी कारण से तकनीकी रूप से संभव नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित मामलों में उचित निर्णय लेंगे।

9.6 झुग्गी झोपड़ी बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मीटर वाले कनेक्शन के लिये जल शुल्क:—

प्रतिमाह 20 किलोलीटर तक पानी का उपभोग करने वाले और चालू मीटर रखने वाले दिल्ली जल बोर्ड के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को शत प्रतिशत सबसिडी दी जाती है और जल प्रभार, मल जल प्रबंधन शुल्क, सेवा प्रभार, मीटर किराया (जहां व्यवहार्य हो) सहित पानी के बिल के भुगतान से 01.01.2014 से 31.03.2014 तक और इसके बाद 01.03.2015 से पूरी तरह छूट दी गयी है।

10 वर्षा जल संचयन

- 10.1 आवास और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने जल शक्ति अभियान के तहत शहरी जल संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वर्षा जल संचयन पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्षा जल संचयन के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी सरकारी इमारतों (केंद्रीय/राज्य/यूएलबी) में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था हो। दिशा निर्देशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में जिन इमारतों की मंजूरी दी जाए, उन सब में जल संचयन की व्यवस्था भवन उपनियमों के अनुसार हो। शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन प्रणाली का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में शहरी स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- 10.2 100 वर्गमीटर और अधिक के सभी प्लॉट के लिए छत पर वर्षा जल संचयन व्यवस्था भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत अनिवार्य बनाई गई है। इसके क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने वर्षा जल संचयन प्रणाली लागू करने और नहीं करने पर पानी बिलों में अपने शुल्क विनियमों के अनुसार छूट और दंड के प्रावधान किए हैं।

10.3 वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली जल और सीवर शुल्क और मीटरिंग विनियम जुलाई, 2012 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :

अध्याय-2 का विनियम 8 (डी) में प्रावधान है कि वर्षा जल संचयन, अवजल पुनःचक्रण या दोनों के लिए शुल्क में निम्नलिखित छूट दी जाएगी :

- i. 100 वर्गमीटर या अधिक के प्लॉट/परिसंपत्तियों के लिए जिसमें वर्षा जल संरक्षण या अवजल पुनः चक्रण प्रणाली की व्यवस्था की गई है, कुल बिल राशि में 10 प्रतिशत की छूट और दोनों प्रणालियों की व्यवस्था और कार्यान्वयन के लिए 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- ii. यदि वर्षा जल संचयन प्रणाली की व्यवस्था सोसायटी द्वारा की गई है, तो उस सोसायटी का प्रत्येक सदस्य पानी के बिल में उपर्युक्त छूट का पात्र होगा।
- iii. क्षेत्र के जोनल इंजीनियर द्वारा प्रत्येक दो वर्ष पर प्रमाणपत्र की समीक्षा से पहले वर्षा जल संचयन प्रणाली के कार्य का निरीक्षण किया जाएगा।
- iv. दिल्ली जल बोर्ड ने अपने 594 प्रतिष्ठानों में वर्षा जल संचयन प्रणाली लागू की है और अधिक में लागू करने का लक्ष्य रखा है। 4549 स्कूलों/कॉलेजों में से 4144 में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली लगा दी गई है। 405 स्कूलों/कॉलेजों में यह प्रणाली तो निर्माणाधीन है या इसे कार्यान्वित किया जा रहा है और 231 स्कूल कॉलेजों में विभिन्न कारणों से इसका कार्यान्वयन व्यवहार्य नहीं है, जैसे भू जल स्तर 5 मीटर तक होना या स्थान उपलब्ध नहीं होना।
- v. मांग पक्ष से समुचित प्रबंधन के लिए लोगों को पीने के पानी के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड में एक जल संचयन प्रकोष्ठ बनाया गया है, जो लोगों को वर्षा जल संचयन प्रणाली लागू करने के लिए तकनीकी सहयोग मुहैया करा रहा है। इस प्रकोष्ठ से टेलीफोन नंबर (011-23541223 और 011-23558264) पर संपर्क कर आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
- vi. दिल्ली मंत्रिमंडल के 02.07.2019 के निर्णय 2709 के अनुसार सभी सरकारी विभागों को अपनी इमारतों में वर्षा जल संचयन प्रबंध करने होंगे। दिल्ली जल बोर्ड को उन सरकारी इमारतों में यह प्रणाली लगाने का दायित्व सौंपा गया है, जिनका प्रबंधन लोक निर्माण विभाग रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के जिम्मे नहीं है। लोक निर्माण विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली क्षेत्र के रख-रखाव वाली दिल्ली सरकार की इमारतों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्वयं लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाई जाएगी।
- vii. दिल्ली जल बोर्ड ने नागरिकों को जागरूक करने के लिए वर्षा जल संचयन के बारे में समुचित जानकारी विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, दृश्य, कार्यशालाएं, प्रदर्शनी, संगोष्ठी, पुस्तिका, पत्रियों इत्यादि द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। दिल्ली के प्रत्येक राजस्व जिले में जल शक्ति केंद्र बनाये गये हैं जिनसे लोग अपने क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाने की जानकारी/मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जल शक्ति केंद्रों में तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा इस प्रणाली के कार्यान्वयन के बारे में दिल्ली जल बोर्ड की पहल और नहीं लगाने पर दंड प्रावधानों की जानकारी दी जायेगी। जल शक्ति केंद्रों का विवरण दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

- viii. दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों को वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाने के बारे में समुचित जानकारी देने के लिये सेवा प्रदाता/परामर्शदाताओं को सूचीबद्ध किया है। सेवा प्रदाताओं/परामर्शदाताओं की सूची दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

10.4 प्रोत्साहन

- i. दिल्ली जल बोर्ड ने अपने उपभोक्ताओं को वर्षा जल संचयन के लिए पानी बिल में 10 प्रतिशत की छूट का प्रोत्साहन दिया है। यह छूट 100 वर्ग मीटर और अधिक के प्लॉट पर लागू होगी। वर्ष वार छूट का ब्योरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	अवधि	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	01.07.2017 से 31.03.2018	13.6
2.	01.04.2018 से 31.03.2019	21.44
3.	01.04.2019 से 31.03.2020	23.32
4.	01.04.2020 से 31.03.2021	27.88
5.	01.04.2021 से 31.03.2022	20.22
6.	01.04.2022 से 31.03.2023	47.45
	कुल	153.91

- ii. दिल्ली क्षेत्र के जोनल इंजीनियरिंग शाखा द्वारा प्रत्येक दो वर्ष पर प्रमाणपत्र की समीक्षा से पहले वर्षा जल संचयन प्रणाली के कार्य का निरीक्षण किया जाएगा।

10.5 दंड

सभी उपभोक्ताओं के लिए चाहे वे किसी भी उपभोक्ता श्रेणी में आते हों, शुल्क में डेढ़ गुना बढ़ोतरी के रूप में वर्षा जल संचयन संबंधी दंड लागू होगा, यदि उनके पास 500 वर्ग मीटर या इससे बड़ा प्लॉट हो और उन्होंने 01.07.2017 (द्वारका उपनगर के संदर्भ में यह दंड 01.11.2018 से प्रभावी होगा) तक वर्षा जल संचयन प्रणाली लागू न की हो। वर्षा जल संरक्षण संबंधी दंड को इंजीनियरिंग शाखा के दिनांक 26.07.2023 को जारी निर्देशों के अनुसार 30.09.2023 तक स्थगित कर दिया गया है।

10.6 अपवाद

जिन क्षेत्रों में मानसून वर्षा के बाद जमीन की सतह पर 5 मीटर से भी कम खुदाई करने पर पानी निकल आता है, वहां वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाने की सिफारिश नहीं की गई है। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन प्रणाली नहीं लगाने पर दिल्ली जल बोर्ड के उपभोक्ताओं पर दिल्ली जल और सीवर (शुल्क और मीटरिंग) विनियम 2012 के अनुसार दंड लागू नहीं होगा। इन इलाकों में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पीने से इतर उपयोग के लिए उपचारित वर्षा जल का भंडारण किया जा सकता है।

10.7 जल संरक्षण

- i. दिल्ली में लगभग 15473 किलोमीटर जलापूर्ति पाइप का नेटवर्क है। इनमें से काफी बड़ा हिस्सा काफी पुराना हो चुका है और इनसे रिसाव के कारण भारी नुकसान की आशंका है। सामान्य रूप से पानी का नुकसान उत्पादित जल से उपभोग में लाई गई मात्रा यानी शुल्क प्रभारित पानी को घटा कर निकाला जाता है। दिल्ली के मामले में उपभोग में लाए गए पानी और रिसाव के कारण होने वाले नुकसान की बिल्कुल सटीक गणना नहीं की जा सकती है, क्योंकि अधिकांश घरों में चालू मीटर नहीं हैं।
- ii. दिल्ली जलबोर्ड ने रिसाव के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इस समस्या के समाधान के लिए रिसाव का पता लगाने और जांच के लिए प्रकोष्ठ (एलडीआई) का गठन किया है। बोर्ड ने 2023-24 के दौरान (सितंबर 2023 तक) 78 किलोमीटर लंबी पुरानी, क्षतिग्रस्त और रिसाव वाली मुख्य जल लाइनों को बदल दिया है।
- iii. दिल्ली जल बोर्ड ने चार प्रमुख जल शोधन संयंत्रों— हैदरपुर, भागीरथी, चंद्रावल, वजीराबाद और नांगलोई के प्रक्षिप्त जल के पुनःचक्रण का एक कार्यक्रम तैयार किया है। हैदरपुर, भागीरथी, चंद्रावल, वजीराबाद और नांगलोई में पुनःचक्रण संयंत्र का काम पूरा होने के बाद इन पांच जलशोधन संयंत्रों से बिना किसी अतिरिक्त कच्चे जल के करीब 47 एमजीडी अतिरिक्त जलापूर्ति उपलब्ध हो सकती है। बवाना में भी 2 एमजीडी का पुनःचक्रण संयंत्र प्रस्तावित है।

11 मल-जल उपचार क्षमता

- 11.1 व्यक्तियों और समुदाय की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त स्वच्छता आवश्यक है। दिल्ली जल बोर्ड सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। दिल्ली जल बोर्ड की मल-जल उपचार क्षमता 31 मार्च, 2001 के 402.40 एमजीडी से बढ़कर 31 मार्च, 2023 को 632.26 एमजीडी हो गई। मल-जल उपचार क्षमता और उसके इस्तेमाल के प्रतिशत की जानकारी विवरण 13.4 में दी गई है।

विवरण 13.4

मल-जल उपचार क्षमता और उसका इस्तेमाल

(एमजीडी)

क्र. स.	मल-जल उपचार संयंत्रों के नाम	क्षमता (एमजीडी)		31.03.2023 को वास्तविक उपचार क्षमता	% इस्तेमाल
		31.03.2001	31.03.2023		
1.	ओखला	140.00	140.00	138.47	98.91
2.	केशोपुर	72.00	72.00	70.56	98.00
3.	कोरोनेशन पिलर	46.00	90.00	55.82	62.02
4.	रिठाला	40.00	40.00	37.44	93.60
5.	कौंडली I, II, III, IV	45.00	65.00	53.96	83.02
6.	यमुना विहार I, II	10.00	45.00	41.00	91.11
7.	वसन्त कुंज	5.00	5.00	4.86	97.20
8.	घिटोनी	5.00	5.00	2.00	40.00

9.	पप्पनकलां	20.00	40.00	29.00	72.50
10.	नरेला	10.00	10.00	9.90	99
11.	नजफगढ़	5.00	5.00	4.40	88
12.	दिल्ली गेट	2.20	17.20	15.40	89.53
13.	सेन नर्सिंग होम	2.20	2.20	2.20	100
14.	रोहिणी	0.00	15.00	12.00	80.00
15.	निलोटी	0.00	60.00	53.14	88.57
16.	महरौली	0.00	5.00	4.9	98
17.	सीडब्ल्यूजी विपेज	0.00	1.00	0.8	80
18.	मेलरबंद	0.00	0.66	0.52	78.79
19.	कापसहेड़ा	0.00	5.00	4.9	98
20.	चिल्ला	0.00	9.00	8.8	97.78
	कुल	402.40	632.26	550.07	87.00

- 11.2 उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि दिल्ली में 31 मार्च, 2023 तक मल-जल उपचार संयंत्रों की क्षमता का उपयोग प्रतिशत लगभग 87 प्रतिशत था। मल-जल उपचार संयंत्र विभिन्न कारणों से अपनी पूर्ण स्थापित क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। इन कारणों में एसटीपी तक मल-जल का बहाव कम होना, ट्रंक तथा पेरिफेरल सीवर लाइन को अब तक इन एसटीपी से न जोड़ा जाना और जिन मुख्य सीवर लाइनों में गाद जमा है उनकी पुनर्स्थापना और सफाई का काम पूरा न हो पाना आदि शामिल हैं। वर्तमान में मल-जल उत्सर्जन करीब 792 एमजीडी = (990 जल उत्पादन x 0.8) है, और मात्र लगभग 550 एमजीडी मल-जल का ही उपचार हो पाता है।
- 11.3 दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत करीब दस हजार किलोमीटर लंबी शाखायुक्त, परिधीय सीवर लाइनों का नेटवर्क है। इसके अतिरिक्त 200 किलोमीटर लंबी ट्रंक यानी मुख्य सीवर लाइन का नेटवर्क भी है। ट्रंक और परिधीय सीवर लाइन में बदलाव/उसमें जमा कीचड़ साफ करने का कार्य अभी चल रहा है।
- 11.4 अनुमानित जलापूर्ति आवश्यकता और अवजल उत्सर्जन के बारे में जानकारी विवरण 13.5 में दी गई है।

विवरण 13.5

अनुमानित जलापूर्ति आवश्यकता और अवजल उत्सर्जन

क्र.स.	ब्योरा	मात्रा (एमएलडी)						
		2004	2005	2006	2011	2021	2023	2024
1.	कुल जल मांग	2685	3763	4090	5181	6272	5856	5891
2.	कुल निवल जल आपूर्ति	2265	2362	2461	3573	5259	4540	4540
3.	उत्सर्जित अवजल	1812	3010	3272	4144	5017	3632	3632*
4.	सीईटीपी में उपचारित	200	217	234	346	755	दि ज बो से संबंधित नहीं	दि ज बो से संबंधित नहीं
5.	जल-मल से बचे जल का अनुपात	14%	13%	13%	10%	5%	19%	18%
6.	जल-मल क्षेत्र से बाहर	254	302	302	294	210	210	210
7.	निवल उत्सर्जित अवजल	1358	1722	1798	2218	3242	3632	3632
8.	छानकर प्राप्त जल	518	518	518	518	518	908	908
9.	उपचार के लिए प्राप्त कुल अवजल	1876	2240	2316	2736	3760	4540	4540

* सीपीएचईईओ नियम के अनुसार निवल जलापूर्ति का 80 प्रतिशत

विवरण 13.6

दिल्ली में 2007- 2021 की अवधि में जलापूर्ति और सीवरेज कार्यक्रमों पर खर्च का विवरण

(करोड़ रुपये)

क्रसं.	ब्योरा	जलापूर्ति	सीवरेज	कुल
1.	अनुमोदित परियोजना (2007-2012)	4361.50	3132.50	7494.00
2.	जारी धनराशि			
	क. 2007-08	962.01	383.96	1345.97
	ख. 2008-09	1015.17	441.73	1456.90
	ग. 2009-10	1080.35	568.55	1648.90
	घ. 2010-11	1089.14	527.93	1608.07
	ड. 2011-12	1033.02	528.02	1561.04
	कुल (क+ख + ग +घ +ड)	5179.69	2450.19	7620.88
3.	अनुमोदित परियोजना (2012-17)	6087.00	4913.00	11000.00
4.	जारी धनराशि			
	क. 2012-13	964.97	752.4	1717.37
	ख. 2013-14	796.77	753.23	1550.00
	ग. 2014-15	854.5	934.5	1789.00
	घ. 2015-16	646.5	1077.43	1723.93
	ड. 2016-17	850.15	534.5	1384.65
	कुल (क+ख + ग +घ + ड.)	4112.89	4052.06	8164.95
5.	अनुमोदित परियोजना (2017-18)	939.00	816.00	1755.00
	बजट अनुमान (2017-18)			
6.	जारी राशि 2017-18	999.50	730.50	1730.00
7.	अनुमोदित परियोजना	1258.00	1092.00	2350.00
	2018-19 – बजट अनुमान			
8.	जारी राशि 2018-19	1271.37	1044.61	2315.98
क्रसं.	ब्योरा	जलापूर्ति	सीवरेज	कुल
9.	अनुमोदित परियोजना	1463.4	906.6	2370.00
	2019-20 – बजट अनुमान			
10.	जारी राशि 2019-20	1340.65	1018.85	2359.50
11.	अनुमोदित परियोजना	1624.4	2379.6	4004.00
	2020-21 – बजट अनुमान			
12.	जारी राशि 2020-21	1319.40	2264.60	3584.00
13.	अनुमोदित परियोजना	1251.42	1700.01	2951.43
	2021-22 – बजट अनुमान			
14.	जारी राशि 2021-22	769.50	1123.26	1892.76
15.	अनुमोदित परियोजना	3183.86	3160.64	6344.50
	2022-23 – बजट अनुमान			
16.	जारी राशि 2022-23	1501.23	1670.21	3171.44
17.	अनुमोदित परियोजना	1507.11	3406.49	4913.60
	2023-24 – बजट अनुमान			

(सब्सिडी छोड़कर - नमामि गंगे परियोजना, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन और वाईएपी।।। राज्य हिस्सा)

- 11.5 विवरण 13.6 से यह स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली जल बोर्ड को जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए जारी राशि 2007-08 के 1346 करोड़ रुपये से बढ़ कर 2022-23 में 3171 करोड़ रुपये हो गई है।

12 अवजल का पुनः उपयोग

- 12.1 शहर और इसके आस-पास शोधित अवजल का दोबारा इस्तेमाल मुख्य रूप से सिंचाई, बागवानी और औद्योगिक कार्यों के लिए किया जा रहा है। बिजली संयंत्रों में कूलिंग यानी उन्हें ठंडा रखने के लिए भी अब शोधित अवजल की मांग की जा रही है। इसके इस्तेमाल के अन्य विकल्पों में भूमिगत-जल का पुनर्भरण, कच्चे जल के स्रोतों तक वापसी और उपचारित अवजल का पुनर्उपयोग अन्य प्रयोजनों, जैसे शौचालयों में फ्लशिंग से मैला बहाने और रेलवे, बसों तथा निर्माण उद्योग में धुलाई आदि के लिए शामिल हैं।
- 12.2 वर्तमान में दिल्ली जल बोर्ड बिजली संयंत्रों और सीपीडब्ल्यूडी के साथ-साथ रोहिणी क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई विभाग को करीब 89 एमजीडी उपचारित अवजल उपलब्ध कराता है। ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं जिनसे आने वाले वर्षों में उपचारित जल की आपूर्ति 89 एमजीडी से बढ़ जाए। दिल्ली में विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपचारित अवजल की आपूर्ति की जानकारी विवरणी 13.7 में दी गई है।

विवरण 13.7

विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपचारित अवजल की आपूर्ति

क्र.सं.	विवरण	यूनिट (एमजीडी)
1.	केशोपुर एसटीपी से सिंचाई, बागवानी आदि के लिए आपूर्ति किया जाने वाला उपचारित उत्सर्जित जल	5.5
2.	ओखला एसटीपी से सीपीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग को बागवानी/सिंचाई प्रयोजन के लिए	37.00
3.	कोरोनेशन पिलर एसटीपी से भलस्वा स्थित डीडीए गोल्फ कोर्स, निर्माण प्रयोजनों के लिए गैमन इंडिया, पल्ला स्थित लघु सिंचाई विभाग	21.52
4.	रिठाला एसटीपी से पीपीसीएल को उसके बवाना संयंत्र के लिए और एनडीपीएल को उसके रोहिणी संयंत्र के लिए डीडीए को बागवानी के लिये	7.15
5.	वसंतकुंज से संजय वन को	3.40
6.	महरौली एसटीपी से गार्डन आफ सेवन सेंसेज	3.40
7.	दिल्ली गेट और सेन नर्सिंग होम एसटीपी से पीपीसीएल को	4.80
8.	निलोठी एसटीपी से बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग को सिंचाई प्रयोजनों के लिए	0.50
9.	पप्पनकलां एसटीपी से डीडीए को सिंचाई के लिए	1.83
10.	कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज एसटीपी से डीडीए को बागवानी के लिए	0.12
11.	यमुना विहार से एसटीपी को बागवानी के लिए	0.50
12.	नरेला से प्राइवेट एजेंसी को वाहनों की धुलाई के लिए	0.05
13.	नजफगढ़ से डब्ल्यूटीपी द्वारका को बागवानी के लिए	0.07
14.	चिल्ला एसटीपी से एसटीपी की आंतरिक बागवानी के लिए	0.20
15.	कोंडली एसटीपी से डीडीए, पीपीसीएल को बागवानी के लिए	3.0
	कुल	89 (एमजीडी)

- 12.3 दिल्ली विकास प्राधिकरण 4,451 हैक्टेयर खुले क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार है, जिनकी सिंचाई ट्यूबवेलों से की जाती है। इसी तरह दिल्ली नगर निगमों, केंद्र सरकार की परिसंपत्तियों, प्राइवेट परिसंपत्तियों, सड़क

के किनारे बनी हरित पट्टियों और खेल स्टेडियमों आदि में भी खुले स्थान हैं जिनकी सिंचाई की जाती है। हरित क्षेत्र का रखरखाव और देखभाल करने वाली विभिन्न एजेंसियों की जानकारी विवरणी 13.8 में दर्शायी गयी है।

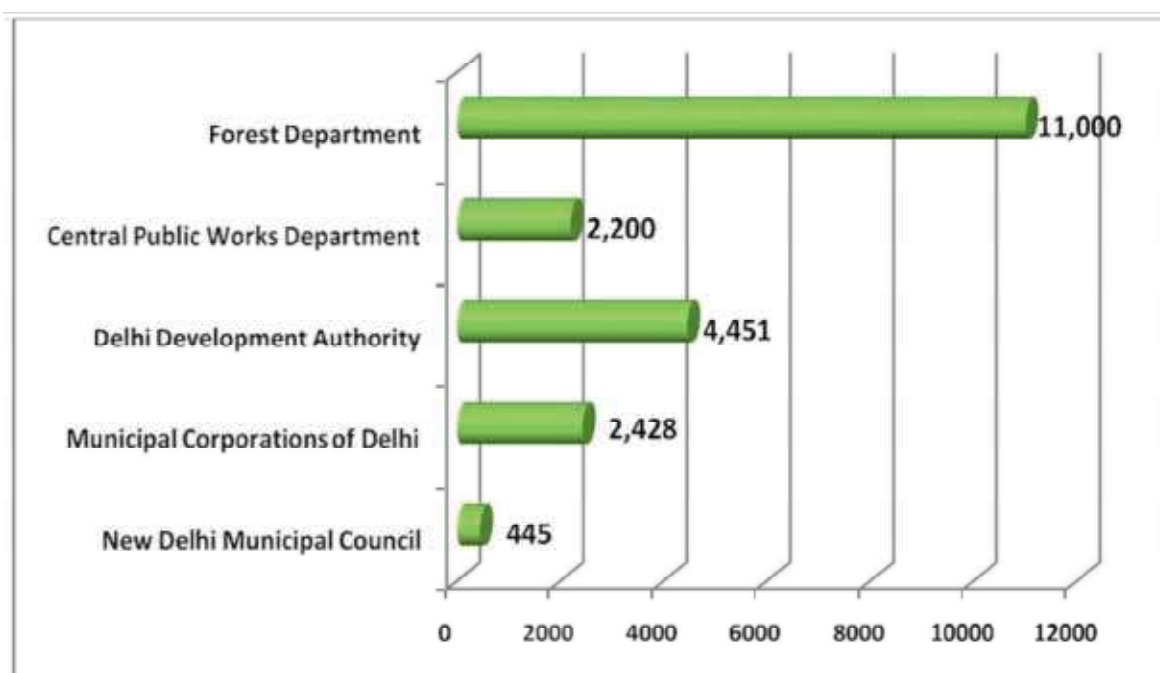
विवरण 13.8
विभिन्न एजेंसियों की देखरेख में हरित क्षेत्र

क्र.स.	एजेंसी	हरित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	प्रतिशत
1.	एनडीएमसी	445	2.17
2.	दिल्ली नगर निगम	2,428	11.83
3.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	4,451	21.69
4.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	2,200	10.71
5.	वन विभाग	11,000	53.60
	कुल	20,524	100.00

स्रोत : दिल्ली जल बोर्ड

दिल्ली में विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रबंधित हरित क्षेत्र का ब्योरा चार्ट 13.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 13.2
विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रबंधित हरित क्षेत्र



- 12.4 इंटरसेप्टर सीवर प्रोजेक्ट (आईसीपी) का उद्देश्य यमुना नदी में प्रदूषण से निपटना है। इसके तहत 108 नालियों को ट्रैप किया गया है, प्रावधान इनके जरिये हो रहे 242 एमजीडी प्रवहन को नियंत्रित करना है। इस प्रस्तावित मात्रा में से लगभग 238 एमजीडी (98.35 प्रतिशत) को ट्रैप किया जा चुका है। इससे लगभग 220 एमजीडी अवजल को विभिन्न एसटीपी में उपचारित किया जा रहा है। हालांकि आईसीपी के तहत भौतिक कार्य लगभग पूरा हो चुका है लेकिन सीवेज की पूरी मात्रा का वास्तविक उपचार रिठाला और कोंडली एसटीपी के पूरा हो जाने के बाद ही संभव होगा।

सीवर प्रणाली में कालोनी/श्रेणीवार प्रगति की जानकारी विवरणी 13.9 में दी गई है।

विवरण 13.9

सीवर प्रणाली में कॉलोनी/श्रेणीवार प्रगति

क्र. स.	कॉलोनी/श्रेणी	कालोनियों की कुल संख्या	सीवर प्रणाली वाली कालानियों की कुल संख्या	जलापूर्ति व्यवस्था वाली कॉलोनियां
1.	अनधिकृत नियमित कॉलोनी	567	557	567
2.	शहरी गांव	135	130	135
3.	ग्रामीण गांव	219	55	193
4.	अनधिकृत कॉलोनियां	1799	783	1630
5.	पुनर्वास कॉलोनियां	44	44	44

13. जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी चुनौतियां

13.1 **भूजल में गिरावट** : दिल्ली में भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण घटता जलस्तर चिंता का कारण है। कई स्थानों पर यह भूमि के स्तर से 20 से 30 मीटर नीचे चला गया है। कुछ क्षेत्रों में टीडीएस, अमोनिया, नाइट्रेट, फ्लोराइड, क्षारीयता, लोहा और सल्फेट इत्यादि का उच्चस्तर अनुशंसित सीमा से अधिक पाया गया है। ये सभी, पर्याप्त उपचार के बिना मानव उपभोग के लिए अस्वास्थ्यकर हैं।

13.2 उपचार और गणवत्ता प्रबंधन

जलक्षेत्र

नवीनतम संशोधनों के साथ बीआईएस : 10500-2012 के अनुसार सुचारु पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल उपचार संयंत्रों में 9 प्रयोगशालाएं चौबीसों घंटे कार्यरत हैं। इनके द्वारा कच्चे पानी से शुरू होकर उपचार के विभिन्न चरणों में पानी की गुणवत्ता पर नजर रखी जाती है। दिल्ली जल बोर्ड की भी 8 जोनल प्रयोगशालाएं हैं जो उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले पानी की गुणवत्ता पर निगरानी के लिए राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं। यमुना नदी जल का सर्वे भी नियमित आधार पर किया जा रहा है।

दिल्ली जल बोर्ड विभिन्न स्रोतों से लगभग 1700 जल नमूना, भौतिक, रासायनिक और जीवाणुगत विश्लेषण के लिए, प्रतिदिन लेता है। इनमें जल उपचार संयंत्रों (सभी चरणों में), जलाशयों, ट्यूबवेल, रेनीवेल, टैंकर, सार्वजनिक जल नल, वितरण नेटवर्क, घर इत्यादि शामिल हैं। प्रयोगशाला में परीक्षण किए जाने वाले आवश्यक मानकों में रंग, गंध, पीएच स्तर, धुंधलापन, विद्युत संचालकता, टीडीएस, क्षारीयता, भारीपन, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, घुलनशील ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अवशोषण, क्लोराइड, लोहा, फ्लोराइड, क्रोमियम, साइनाइड, क्लोरीन, अवशिष्ट क्लोरीन, अवशिष्ट एल्यूमिना इत्यादि शामिल हैं।

दिल्ली जल बोर्ड पानी (जल उपचार संयंत्रों, भूमिगत स्रोतों, भूमिगत जलाशयों और वितरण नेटवर्क) का परीक्षण स्वतंत्र बाहरी एजेंसी जैसे— राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी), सीएसआईआर, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भी सुनिश्चित करता है।

उपभोक्ताओं से भी नियमित रूप से जल नमूना जोनल फील्ड स्टाफ द्वारा संग्रहित और परीक्षित किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा पानी समुचित रूप से स्वच्छ और प्रदूषण रहित है।

जल नमूनों का संग्रहण और परीक्षण एसीडब्ल्यू/सीडब्ल्यू/निदेशक (टीएंडक्यूसी)के निरीक्षण में योग्यता प्राप्त गुणवत्ता नियंत्रण कर्मियों द्वारा किया जाता है। पिछले चार वर्षों के दौरान असंतोषजनक पाए गए नमूनों का प्रतिशत पांच से भी कम है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों के दायरे में है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्गीकरण के अनुसार 0-2 प्रतिशत 'कम जोखिम और निरोधक उपायों की जरूरत नहीं' की श्रेणी में आता है, इसी प्रकार 3-5 प्रतिशत 'मध्यवर्ती जोखिम श्रेणी और कम प्राथमिकता के आधार पर निरोधक उपाय अपेक्षित' की श्रेणी में आता है।

दिल्ली जल बोर्ड की प्रयोगशालाएं, भारी धातुओं सहित गहन तत्व विश्लेषण के लिए, नवीनतम आईसीपी-ओईएस, जैविक अपमिश्रण के परीक्षण के लिए गैस क्रोमैटोग्राफी, टीओसी विश्लेषक, एचपीएलसी से कीटनाशक विश्लेषण, जेलडाल उपकरण से कुल नाइट्रोजन परीक्षण और आरटी-पीसीआर से उन्नत सूक्ष्म जैविक विश्लेषण के साथ उन्नत बनाई गई है। दिल्ली जलबोर्ड की तीन प्रयोगशालाएं पहले से ही एनएबीएल से प्रत्यायित हैं। 5 प्रयोगशालाओं को आईएसओ 9001:2015 प्रमाणपत्र मिल चुका है। दिल्ली जल बोर्ड ने जल और अवजल परीक्षण के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं विकसित की हैं। इनमें एक प्रयोगशाला वजीराबाद जल उपचार संयंत्र में और एक ओखला संयंत्र में है। प्रयोगशालाओं में एलआईएमएस सॉफ्टवेयर का भी उपयोग किया गया है। स्वच्छ पर्यावरण के लिए पहल के रूप में दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी प्रयोगशालाओं में हरित रसायन यानि ग्रीन कैमिस्ट्री शुरू की है।

दिल्ली जल बोर्ड की कुछ प्रमुख पहलों में हैं :

1. जल और अवजल प्रयोगशालाओं का एकीकरण
2. चौबीस नमूना वैन/वाहनों की हायरिंग
3. वजीराबाद में यथास्थाने अमोनिया का उपचार
4. रेनीवेल डब्ल्यू-2 में लौह और गंदलापन निस्तारण
5. पांच जल उपचार संयंत्रों में आईवोटी आधारित ट्यूबवेल निगरानी प्रणाली
6. ट्यूबवेल से प्रदूषक तत्व को हटाया जाना
7. दो संयंत्रों में ऑनलाइन आईओटी आधारित एलओएच और आरओएफ
8. वजीराबाद और हैदरपुर जल उपचार संयंत्रों के सभी निरीक्षण बॉक्सों में ऑनलाइन गंदलापन मापन
9. दो जल उपचार संयंत्रों के फिल्टर हाउस का उन्नयन/सुधार
10. वजीराबाद संयंत्र में सूक्ष्म जैविक परीक्षणों के लिए एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला आरंभ होने की स्थिति में है

अवजल सेक्टर

दिल्ली जल बोर्ड वर्तमान में अपने एसटीपी में प्रवाह गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय कर रहा है। डीपीसीसी के विनियमों के अनुसार अवजल निरीक्षण और मूल्यांकन के अपेक्षित मानकों के बनाए रखने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की आठ गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं। वजीराबाद से ओखला बैराज तक यमुना नदी जल के सर्वेक्षण का काम भी नियमित आधार पर किया जा रहा है।

किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं :

1. दिल्ली जल बोर्ड ने रासायनिक प्रदूषकों का पता लगाने के लिए कम लागत की आईओटी आधारित इन हाउस टेक्नोलॉजी विकसित की है, ताकि बीओडी/टीएसएस का स्तर 10/10 से नीचे रखा जा सके। यह प्रौद्योगिकी तीन एसटीपी में शुरू की गई है— 16 एमजीडी ओखला एसटीपी, 25 एमजीडी यमुना विहार एसटीपी और 10 एमजीडी यमुना विहार एसटीपी, जहां दिल्ली जल बोर्ड बीओडी/टीएसएस को 10:10 से नीचे रख सकता है।
2. दिल्ली जल बोर्ड ने एसटीपी में अवजल की सैंपलिंग के लिए रिमोट नियंत्रित स्वचालित सैंपलिंग इकाईयां भी विकसित की हैं। इनसे उपचार क्षमता की निगरानी की जा सकती है।
3. एलआईएमएस समर्थित उन्नत रिपोर्टिंग क्षमता, स्वचालित अलर्ट के साथ डेटा आधारित निर्णय क्षमता। इससे निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रवाह गुणवत्ता प्रबंधन के समुचित उपायों के लिए प्रक्रिया नियंत्रण मानक संबंधी वास्तविक समय फीडबैक भी प्राप्त होता है।

- 13.3 **पानी के इस्तेमाल के प्रति गैर-जिम्मेदार रवैया:** दिल्ली जल बोर्ड के आउटकम बजट (2023–24 की दूसरी तिमाही) के अनुसार कुल वितरण नुकसान लगभग 52.35 प्रतिशत है जबकि विकासशील देशों में यह 10 से 20 प्रतिशत तक है। जल आपूर्ति प्रणाली के विभिन्न चरणों— रिसाव और चोरी के अलावा शोधन संयंत्रों और परिवहन तथा वितरण प्रणाली में बड़े पैमाने पर पानी का नुकसान होता है।
- 13.3 **नुकसान को बढ़ावा देने वाले प्रचलन** नल का पानी पीने योग्य नहीं होने के कारण लोग पानी साफ करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) सिस्टम का उपयोग करते हैं। आरओ से, प्रयुक्त जल का लगभग 40–60 प्रतिशत बर्बाद होता है।
- 13.4 **प्राकृतिक संसाधनों की उपेक्षा:** बरसात के मौसम के दौरान, दिल्ली में सड़कों पर पानी भर जाता है और नालों से बाहर बहने लगता है। वर्षा जल संचयन बहुत कम होता है, जिसके कारण पानी जैसे कीमती संसाधन की बरबादी होती है।
- 13.5 **जन-जागरूकता :** जन-जागरूकता तथा जल संरक्षण और इसके वैज्ञानिक उपयोग के प्रति लोगों की भूमिका वर्तमान में संतोषजनक नहीं है।

अध्याय एक नजर में

➤	दिल्ली सरकार ने मीटर युक्त जल कनेक्शन वाले प्रत्येक परिवार को 20 किलोलीटर तक जीवन रक्षक बहुमूल्य पानी निःशुल्क देना सुनिश्चित किया है। इस योजना के शुरू होने के बाद से लगभग 24.72 लाख उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं।
➤	पिछले 15 वर्ष के दौरान दिल्ली जल बोर्ड की संस्थापित क्षमता में 16.79 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 2009 में यह क्षमता 810 एमजीडी थी जो 2023 में बढ़कर 946 एमजीडी हो गयी है।
➤	दिल्ली जल बोर्ड 64 जल निकायों का पुनरुद्धार कर रहा है जिनमें से 39 जल निकायों का पुनरुद्धार कार्य पूरा हो चुका है और 25 के लिये निविदा जल्दी ही दी जायेगी।

➤	दिल्ली जल बोर्ड ने अपने 594 प्रतिष्ठानों में वर्षा जल संचयन सुविधा उपलब्ध करायी है।
➤	दिल्ली जल बोर्ड ने रिसाव के कारण होने वाले नुकसान को कम से कम करने के लिये रिसाव का पता लगाने का प्रकोष्ठ (एलडीआई सेल) गठित किया है। इसकी मदद से 2023-24 (सितंबर 2023 तक) 78 किमी पुरानी, जर्जर हो चुकी और लीकेज वाली मुख्य लाईन बदली गयी है।
➤	दिल्ली जल बोर्ड की मलजल उपचार क्षमता 31 मार्च 2001 के 402.40 एमजीडी से बढ़कर 31 मार्च 2023 को 632.26 एमजीडी हो गयी। दिल्ली जल बोर्ड के पास लगभग 10000 किलोमीटर की शाखीय और परिधीय सीवर लाईन है। इसके अलावा 200 किमी ट्रंक सीवर लाईन का नेटवर्क भी है।
➤	दिल्ली जल बोर्ड लगभग 89 एमजीडी उपचारित अवजल की आपूर्ति सिंचाई विभाग, बिजली संयंत्रों और लोकनिर्माण विभाग की सिंचाई जरूरतों और रोहिणी क्षेत्र में डीडीए और बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई विभाग के लिए करता है। आने वाले वर्षों में उपचारित अवजल की आपूर्ति 89 एमजीडी से बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

आवास और शहरी विकास

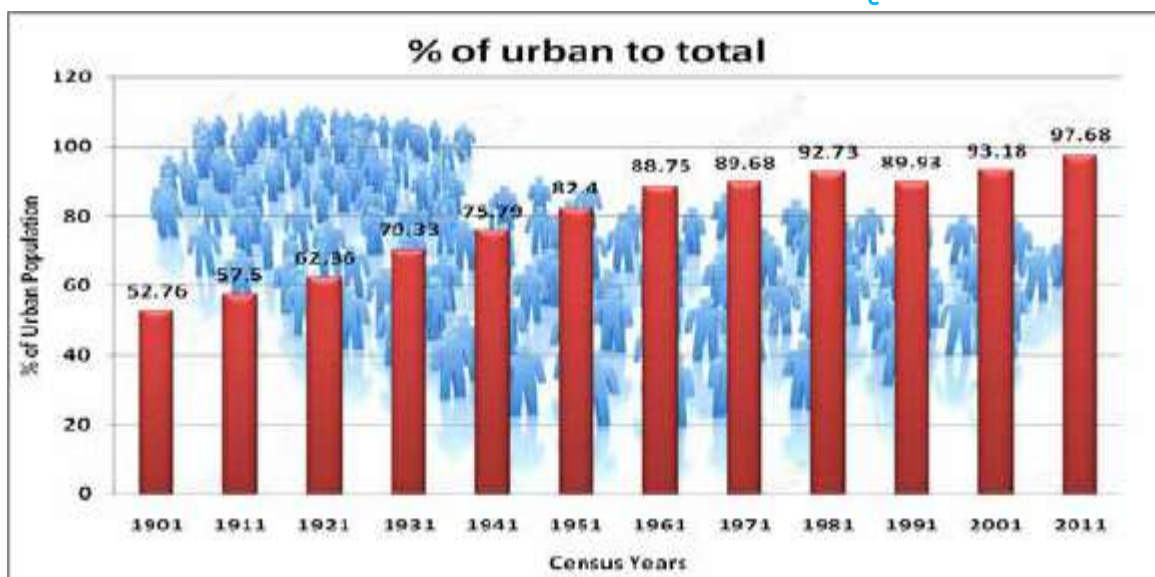
दिल्ली सरकार का लक्ष्य राजधानी दिल्ली को पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक रूप से सतत-सुलभ जीवन गुणवत्ता के साथ संधारणीय, समावेशी और सबके लिये समान सुविधा सक्षम बनाना है। मलिन बस्तियों के विकास, सभी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता तथा पर्याप्त जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधाजनक आवास पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। ये नागरिकों के बेहतर और स्वास्थ्यकर जीवन के लिये अनिवार्य घटक हैं।

- 1.1 निर्धन और मध्य आय वर्ग के लिए सुलभ आवास दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या है। समुचित आवासों का अभाव, बेघरों के रहन-सहन की दयनीय स्थिति, झुग्गी झोंपड़ियों के साथ मलिन बस्तियों की बड़ी संख्या, अनधिकृत कालोनियां और शहर में लगातार अन्य राज्यों से लोगों का आना—ये सब मिल कर आम लोगों के जीवन स्तर पर असर डालते हैं तथा अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं और आवासन की समस्या पैदा होती है।
- 1.2 दिल्ली में आवास स्थिति जटिल है, जहां इसका बुनियादी आधार 'जमीन' केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से भूमि अधिग्रहण और विकास उसकी जिम्मेदारी है। आवास की आपूर्ति और मांग के बीच बहुत बड़ा अंतर है, जिसकी भरपाई बड़े पैमाने पर गैर-विनियमित निजी क्षेत्र करता है। बड़े पैमाने पर आवास की कमी, अनेक परिवारों का बिना किसी आश्रय या अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं वाले आश्रय में रहना, मलिन बस्तियों की अधिक आबादी, अनेक परिवारों के पास एक कमरे का आवास होना दिल्ली के आवास परिदृश्य की मुख्य पहचान है।
- 1.3 हाल के वर्षों में सरकार मुख्य रूप से सुविधा वंचित और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर अधिक ध्यान दे रही है। अनधिकृत कालोनियों में भारी सरकारी निवेश पारदर्शी और प्रभावी तरीके से किया गया है। इसका उद्देश्य सड़कों के विकास, जल निकासी और साफ-सफाई की व्यवस्था से लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। *स्व-स्थाने मलिन बस्ती पुनर्वास* परियोजनाओं का उद्देश्य इन बस्तियों में रह रहे लोगों को 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराना है। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं से आवास क्षेत्र में सुधार होगा।
- 1.4 पहली मई, 2017 को दिल्ली सरकार ने भारत सरकार के रीयल एस्टेट (नियमन और विकास) अधिनियम 2016 के तहत रीयल एस्टेट (नियमन और विकास) प्राधिकरण का गठन किया। इसका लक्ष्य रीयल एस्टेट क्षेत्र का नियमन सुनिश्चित करना और प्लॉटों, अपार्टमेंट या भवनों की बिक्री को प्रोत्साहित करना है ताकि उपभोक्ताओं के हित संरक्षित किए जा सकें। प्राधिकरण के निर्णयों, निर्देशों या आदेशों से संबंधित अपील की सुनवाई के लिए रीयल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का गठन जाएगा। यह प्राधिकरण पारदर्शिता, नागरिकों के प्रति जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन के लिए रीयल एस्टेट क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- 1.5 आवास और शहरी विकास दिल्ली की विकास योजना प्रक्रिया में प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। दिल्ली में भूमि विकास और सार्वजनिक आवास व्यवस्था के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण एकमात्र उत्तरदायी एजेंसी है। आवास की लगातार बढ़ती मांग की तुलना में अपर्याप्त निर्माण के कारण मलिन बस्तियों, अनधिकृत कालोनियों और अतिक्रमण की समस्या स्थायी चुनौती बनी हुई है।
- 1.6 दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 2011 में 11,320 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर था, जो देश के अन्य भागों की तुलना में सबसे अधिक है। हालांकि 1991–2001 के दौरान 47.02 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर के मुकाबले 2001–2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में कमी आई है और यह 21.20 प्रतिशत हो गया। दिल्ली मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र है, इसके कुल क्षेत्रफल (1483 वर्ग किलोमीटर) का 75 प्रतिशत हिस्सा शहरी अधिक्षेत्र में आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र में आबादी का घनत्व 14698 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। दिल्ली की 16.37 मिलियन आबादी, अर्थात् कुल जनसंख्या (16.79 मिलियन) का 98 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रह रही है। दिल्ली का अत्यधिक शहरी स्वरूप सार्वजनिक सेवा वितरण/नागरिक बुनियादी ढांचा प्रणाली, जैसे जलापूर्ति, मल प्रवहन और जल निकासी, ठोस कचरा प्रबंधन, सुलभ आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं आदि, पर भारी दबाव डालता है, जिससे शहर की सरकार के समक्ष बड़ी चुनौती उत्पन्न होती है।
- 1.7 दिल्ली की एक तिहाई आबादी अवमानक आवासीय स्थितियों में रह रही है, जिनमें 675 मलिन और झुग्गी झोंपड़ी बस्तियां, 1797 अनधिकृत कालोनियां, पुराने जर्जर क्षेत्र और 362 गांव शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अक्सर सुरक्षित, समुचित आवासीय और बुनियादी सेवाओं का अभाव रहता है। अनुमानों के अनुसार दिल्ली को 2021 (मास्टर प्लान-2021) तक 24 लाख नई आवासीय इकाइयों की आवश्यकता पड़ेगी, इनमें से 54 प्रतिशत मकान आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूह के लिए आवश्यक होंगे। करीब 42 प्रतिशत आवासीय इकाइयां अर्थात् करीब 10 लाख मकान मौजूदा आवासीय क्षेत्रों के सघनीकरण और पुनर्विकास के जरिए मुहैया कराने होंगे। इसके अंतर्गत मलिन बस्तियों का स्व-स्थाने पुनर्वास, आंतरिक विकास, अनधिकृत कालोनियों को नियमित बनाना और उनका पुनर्विकास करना तथा पुराने आवासीय क्षेत्रों का सघनीकरण और उन्नयन किया जाएगा।
- 1.8 शहरी बुनियादी सुविधाएं शहरी जीवन शैली की जीवन-रेखा हैं। इसके तहत सबके लिए पीने के पानी की उपलब्धता, चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति, मल-जल निकासी व्यवस्था, साफ-सफाई और शौचालय की व्यवस्था की जानी है, जो निर्धन आबादी वाले क्षेत्रों, जैसे मलिन बस्तियों, गांवों, अनधिकृत कालोनियों, पुनर्वास कालोनियों, आदि में विशेष रूप से अनिवार्य है। निर्धन आबादी में विशेष रूप से नगर निगम सेवाओं और कचरा प्रबंधन की आवश्यकता है ताकि शहर को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर रखा जा सके। इसके लिए ठोस कचरा प्रबंधन, साफ-सफाई और सार्वजनिक स्थलों, पार्कों और सड़कों की नियमित देखभाल व्यवस्था की समीक्षा जरूरी है। वर्षा जल के समुचित संरक्षण और पानी के उपयोग में री-साइकलिंग नीति अपनाने तथा जल निकासी, सिंचाई और शहरी कृषि के लिए नवाचारी तरीके अपनाते हुए अवजल और बाढ़ के पानी को परिसंपत्ति के रूप में बदला जा सकता है।
- 1.9 पिछली 12 जनगणनाओं के दौरान दिल्ली में शहरीकरण की तीव्र वृद्धि और शहरी आबादी में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति चार्ट 14.1 में दर्शायी गई है।

चार्ट 14.1

1901-2011 के दौरान दिल्ली में शहरीकरण की प्रवृत्ति



2 दिल्ली में आवासीय स्थितियां

2.1 जनसंख्या वृद्धि, प्रवास और भूमि की उपलब्धता की चुनौतियों के बावजूद पिछले कुछ समय से दिल्ली में आवास की स्थिति में वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में आवास की स्थिति नीचे विवरण 14.1 में दर्शायी गई है।

विवरण 14.1

क्र. स.	आवास सूची मद	पूर्ण संख्या			प्रतिशत		
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
क	गणना आवासों की संख्या						
1	गणना आवासों की कुल संख्या	46,05,555	1,24,422	44,81,133	100.0	100.0	100.0
2	रिक्त गणना आवासों की कुल संख्या	5,12,691	22,556	4,90,135	11.1	18.1	10.9
3	प्रयुक्त गणना आवासों की कुल संख्या	40,92,864	1,01,866	39,90,998	88.9	81.9	89.1
ख	प्रयुक्त गणना आवासों की संख्या						
	प्रयुक्त गणना आवासों की कुल संख्या	40,92,864	1,01,866	39,90,998	100.0	100.0	100.0
1	आवास के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे गणना आवासों की कुल संख्या	31,76,329	75,234	31,01,095	77.6	73.8	77.7
2	आवास एवं अन्य उपयोग	1,37,575	3,458	1,34,117	3.4	3.4	3.4
3	दूकान/कार्यालय	3,77,299	3,022	3,74,277	9.2	3.0	9.4
4	स्कूल/कॉलेज आदि	9,709	279	9,430	0.2	0.3	0.2
5	होटल/लॉज/गेस्ट हाउस आदि	7,754	60	7,694	0.2	0.1	0.2
6	अस्पताल/औषधालय आदि	7,853	113	7,740	0.2	0.1	0.2
7	फैक्टरी/वर्कशॉप/वर्कशेड आदि	90,945	829	90,116	2.2	0.8	2.2
8	पूजा स्थल	8,668	354	8,314	0.2	0.3	0.2
9	अन्य गैर-आवासीय इस्तेमाल	2,37,244	17,713	2,19,531	5.8	17.4	5.5
10	प्रयुक्त बंद गणना मकानों की संख्या	39,488	804	38,684	1.0	0.8	1.0

स्रोत : भारत की जनगणना-2011

- 2.2 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में 46.1 लाख रिहायशी भवनों में से केवल 40.9 लाख मकान प्रयुक्त किए जा रहे थे और प्रयुक्त मकानों में से भी 77.6 प्रतिशत भवनों का इस्तेमाल रिहायशी प्रयोजनों के लिए किया जा रहा था। अन्य उपयोग के अंतर्गत इन आवासीय इकाइयों में से 9.2 प्रतिशत का इस्तेमाल दुकानों/कार्यालयों के लिए किया जा रहा था और 5.8 प्रतिशत पूरी तरह गैर-रिहायशी प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। दिल्ली में मकानों की गुणवत्ता में पिछले दशकों में सुधार आया है क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार जहां “अच्छे” मकान 58 प्रतिशत थे, वे 2011 में बढ़ कर 66 प्रतिशत हो गए। करीब एक तिहाई मकानों को छिटपुट मरम्मत की आवश्यकता थी और केवल 3 प्रतिशत ऐसे थे, जिनकी हालत बहुत खराब थी और उनके लिए व्यापक मरम्मत आवश्यक थी।
- 2.3 दिल्ली में मकानों की उपलब्धता पिछले वर्षों में बढ़ी है। फिर भी, मकान की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर अभी बना हुआ है। सामान्य मूल्यांकन के अंतर्गत इस अंतराल का अनुमान परिवारों की संख्या और आवासीय इकाइयों की संख्या के बीच अंतर के आधार पर लगाया जाता है।
- 2.4 राष्ट्रीय स्थिति की तुलना में यह अंतर गणना रिपोर्टों के अनुसार है। दिल्ली में मकानों की कमी की स्थिति में 2001 से 2011 में सुधार हुआ, लेकिन सुधार की दर धीमी रही। हालांकि इस परिभाषा में आवासीय और भीड़भाड़ की स्थितियां शामिल नहीं हैं। दिल्ली और भारत में 1991, 2001 तथा 2011 में आवासीय भवनों और परिवारों की स्थिति की जानकारी विवरण 14.2 में दी गई है।

विवरण 14.2

1991, 2001 और 2011 के दौरान भारतद और दिल्ली में आवासीय भवन और परिवार

(लाख में)

क्र.स.	वर्ष	परिवार	आवासीय भवन	परिवारों की संख्या और आवासीय भवनों के बीच अंतर
1.	1991			
	दिल्ली	18.62	17.14	1.48
	भारत	1520.10	1470.10	50.00
2.	2001			
	दिल्ली	25.54	23.17	2.37
	भारत	1919.64	1792.76	126.88
3	2011			
	दिल्ली	33.41	31.76	1.65
	भारत	2466.93	2360.52	106.41

स्रोत : परिवारों और सुविधाओं संबंधी तालिकाएं, भारत की जनगणना, गृह मंत्रालय 1991, 2001 और 2011

- 2.5 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में परिवारों को वितरित मकानों के प्रकार के अनुसार 60.19 प्रतिशत परिवारों को ‘अच्छे’, 36.19 प्रतिशत परिवारों को “संतोषजनक”, और शेष 3.62 प्रतिशत परिवारों को “खराब” स्तर के मकान उपलब्ध थे। सर्वेक्षण से पता चलता है कि मकानों की ढांचागत संरचना के अनुसार 99.10 प्रतिशत पक्के मकान, 0.68 प्रतिशत अर्द्ध-पक्के मकान और 0.22 प्रतिशत कच्चे मकान थे।

विवरण 14.3
गणना मकानों की स्थिति

क्र. सं.	आवास सूची मद	पूर्ण संख्या			प्रतिशत		
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1.	अच्छे	21,81,500	43,489	21,38,011	65.8	55.3	66.1
2.	रहने योग्य	10,39,572	32,234	10,07,338	31.4	40.9	31.1
3.	जीर्ण शीर्ण	92,832	2,969	89,863	2.8	3.8	2.8
	कुल आवास	33,13,904	78,692	32,35,212	100.0	100.0	100.0

स्रोत : भारत की जनगणना 2011

- 2.6 **आवास संकुचन** : दिल्ली में 60 प्रतिशत से अधिक परिवार एक कमरे और दो कमरे की आवासीय इकाईयों में रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार औसत परिवार आकार यदि 2.5 व्यक्ति प्रति कमरा हो, तो उसे आवास संकुचन स्तर से ऊपर कहा जाता है। औसत परिवार आकार प्रति कमरा 5 व्यक्ति आवास संकुचन है जो चिंता का विषय है। (तालिका 14.4)
- 2.7 **मकान का स्वामित्व** : 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में मकानों का स्वामित्व स्तर भी काफी ऊंचा है, जहां लगभग 68 प्रतिशत परिवारों के पास अपने मकान हैं। जिलावार वितरण से पता चलता है कि नई दिल्ली को छोड़कर सभी जिलों में अपना मकान रखने वाले परिवारों का अनुपात काफी ऊंचा है। नई दिल्ली में अधिसंख्य सरकारी क्वार्टर और राजनयिक एन्क्लेव स्थित हैं। प्रवासी लोग आमतौर पर किराए के मकानों में रहते हैं। शहर में स्थायित्व हासिल करने से पहले कम से कम शुरुआती दौर में यह बात विशेष रूप से लागू होती है। स्वामित्व वाले मकानों में बढ़ोतरी से शहर में स्थायित्व प्रक्रिया के बढ़ने का पता चलता है।

विवरण 14.4

जिला	स्वामित्व स्थिति		
	अपने मकान में रहने वाले परिवार	किराए पर रहने वाले परिवार	अन्य परिवार
साराक्षे दिल्ली	68.2	28.2	3.6
उत्तर-पश्चिम	72.5	24.1	3.4
उत्तर	69.2	26.4	4.3
उत्तर-पूर्वी	75.3	23.3	1.4
पूर्वी	68.3	28.6	3.1
नई दिल्ली	13.0	56.6	30.4
मध्य	70.7	24.7	4.6
पश्चिम	73.1	23.4	3.5
दक्षिण-पश्चिम	58.1	38.0	3.8
दक्षिण	63.5	32.8	3.7

स्रोत : भारत की जनगणना-2011

- 2.8 दिल्ली में मकानों का स्वामित्व स्तर भी काफी ऊंचा है, जहां 68 प्रतिशत परिवार अपने मकानों में और 28 प्रतिशत किराए के मकानों में रहते हैं (जनगणना 2011)। जिलावार आंकड़ों (विवरण 14.4) से पता चलता है कि उत्तरी जिलों में दक्षिणी जिलों की तुलना में स्वामित्व वाले मकानों की संख्या अधिक है। नई दिल्ली एकमात्र ऐसा जिला है, जिसमें स्वामित्व वाले मकानों से अधिक किराए के मकानों की संख्या है।

विवरण 14.5
मकानों के प्रकार के अनुसार परिवार

क्र.स	मकान का प्रकार	ढाँचे की स्थिति			
		अच्छा	संतोषजनक	खराब	कुल
1.	पक्का	2374529 (99.91)	1403898 (98.25)	134292 (94.03)	3912719 (99.10)
2.	अर्ध पक्का	2051 (0.09)	21214 (1.48)	3592 (2.51)	26857 (0.68)
3.	सभी कच्चे	0 (0)	3837 (0.16)	4941 (0.21)	8778 (0.22)
4.	कुल	2376580 (60.19)	1428949 (36.19)	142825 (3.62)	3948359

स्रोत : दिल्ली में आवासों की स्थिति, एनएसएस 69वां दौर जुलाई-2012 दिसंबर-2012, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार।

नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

2.9 विवरण 14.5 में मकानों के ढाँचे के प्रकार और प्रत्येक प्रकार में परिवारों की संरचना स्थिति के बारे में जानकारी अलग से दी गई है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल परिवारों में से 99.18 प्रतिशत परिवार पक्के मकानों में, 0.01 प्रतिशत परिवार अर्द्ध पक्के मकानों में और 0.81 प्रतिशत परिवार कच्चे मकानों में रह रहे थे।

2.10 **स्लम और अनियोजित आवास** : दिल्ली सरकार ने 2014 में मलिन बस्तियों और झुग्गी झोंपड़ी कालोनियों का सर्वेक्षण कराया था और यह अनुमान लगाया था कि ऐसी बस्तियों में करीब 3.3 लाख परिवार (मोटे तौर पर 17 लाख आबादी) रह रहे थे, जो दिल्ली की कुल जनसंख्या का लगभग 10 प्रतिशत हैं। हाल के वर्षों में दिल्ली में विकास की तीव्र गति ने रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को यहां प्रवास के लिए प्रेरित किया है।

विवरण 14.6
अनियोजित आवासीय इकाइयां और जनसंख्या का वितरण

(1)	(2)	(3)
झुग्गी बस्ती	झुग्गी झोंपड़ी बस्तियां 755 (करीब 3 लाख रिहायशी इकाइयां अपेक्षित हैं) आबादी 17 लाख	सरकारी भूमि अतिक्रमण (राज्य सरकार : 30 प्रतिशत, केंद्र सरकार 70 प्रतिशत)
पुनर्वास कालोनियां	कालोनियां 82 (45+37) प्लॉट 2,67,859 आबादी निर्दिष्ट नहीं।	शहर के विस्तारित क्षेत्र में समाहित, आश्रय समेकन की स्थिति बेहतर, लेकिन समुचित सेवाओं का अभाव।
अनधिकृत कालोनियां	कालोनियां 1797 आबादी 40 लाख	मास्टर प्लानों का उल्लंघन करके अवैध कालोनियां बनाई गई, जिनमें भूमि का मालिकाना हक स्पष्ट नहीं है।
अधिसूचित स्लम क्षेत्र (कटरे)	कटरे 2423, आबादी 20 लाख	स्लम क्षेत्र (परिष्कार एवं मंजूरी) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित। इनमें निवासी स्थायी लाइसेंस आधार पर रह रहे हैं।
शहरीकृत गांव	शहरीकृत गांव 135 (227 ग्रामीण गांव हैं, जो अभी शहरी के रूप में अधिसूचित नहीं किए गए हैं)	दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अंतर्गत अधिसूचित
बेघर और फुटपाथ पर रहने वाले	16,000 व्यक्ति	-

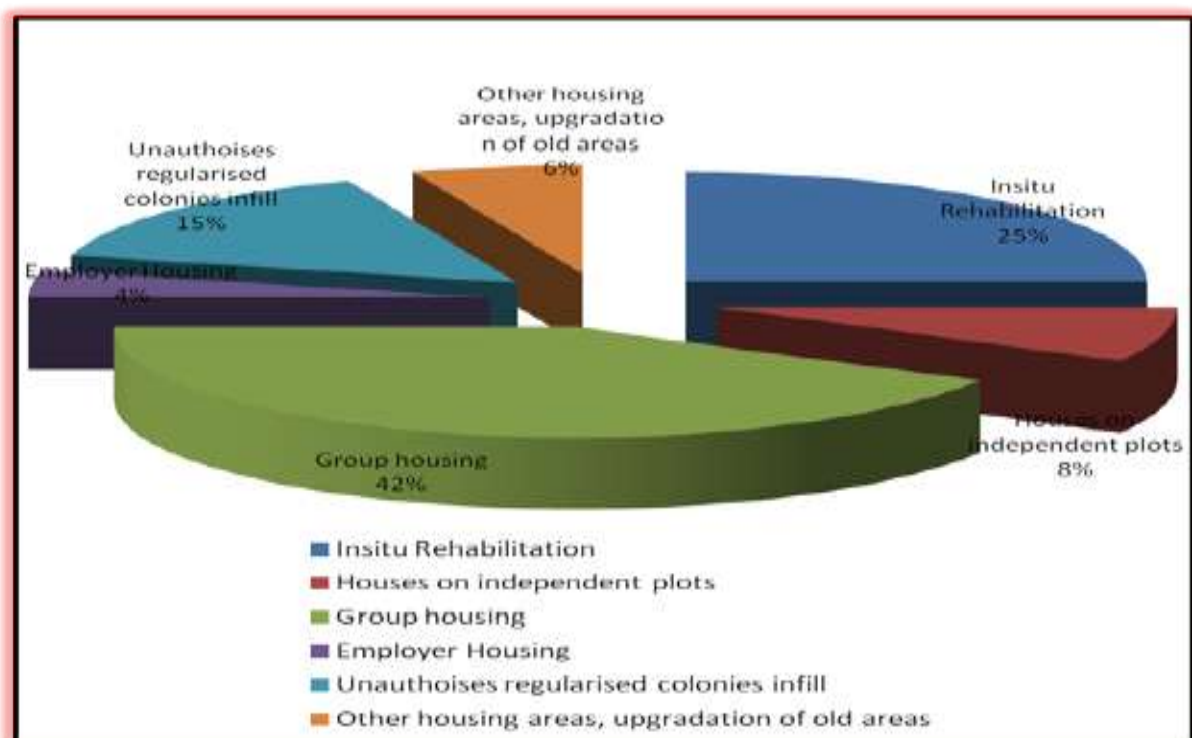
स्रोत : दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड

2030 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य हासिल करने के लिए कुल 48 लाख मकान बनाने/बेहतर करने होंगे। कुल मकानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत होगी।

2.11 दिल्ली सरकार आवास क्षेत्र में योगदान करने वाले अनेक पक्षों में एक एजेंसी है, क्योंकि भूमि, भूमि विकास और सरकारी आवास दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के तहत है। परंतु, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किए जाने के साथ ही दिल्ली सरकार समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए मकानों के निर्माण में शामिल हुई है। परंतु, लक्षित आबादी के अति विशाल आकार को देखते हुए इस तथ्य के कारण सरकारी प्रयास सीमित ही रहेंगे, क्योंकि भूमि की उपलब्धता और आवंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन है। 2021 तक अनुमानित 2 करोड़ 30 लाख की जनसंख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए 2001–2021 की अवधि से सम्बद्ध दिल्ली मास्टर प्लान दस्तावेज (एमपीडी–2021) में 20 लाख नई आवासीय इकाइयां जोड़ने की योजना है, जिनमें से 54 प्रतिशत इकाइयां आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की श्रेणी के लिए होंगी।

2.12 मास्टर प्लान दस्तावेज 2021 के अनुसार आवास क्षेत्र के अनुमान नीचे दिए गए हैं।

चार्ट 14.2
एमपीडी 2021 के अंतर्गत आवास संबंधी अनुमान



3 **मुख्यमंत्री आवासयोजना (एमएमएवाई)** झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार ने कम लागत और सब्सिडी वाले मकान उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों सहित शहरी निर्धन लोगों के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी से सुलभ मकानों के जरिए आवास संबंधी आवश्यकताएं पूरी करना है।

- 4 **बुनियादी सुविधाएं** समावेशी शहर का प्रमुख लक्ष्य यह होता है कि उसमें सभी नागरिकों के लिए जलापूर्ति, स्वच्छता, बिजली और परिवहन जैसी बुनियादी सेवाओं तक उनकी समुचित पहुंच का प्रावधान हो। 2017-18 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में बिजली लगभग हर घर में पहुंचाई जा चुकी है और स्वच्छता तक पहुंच के मामले में भी, पूरी तरह से अनधिकृत बस्तियों को छोड़कर, उल्लेखनीय सफलता हासिल की गई है। दिल्ली में बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता, में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। 2001 और 2011 के दौरान उपलब्ध सभी सुविधाओं की स्थिति विवरणी 14.7 में देखी जा सकती है।

विवरण 14.7

दिल्ली में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता

क्र सं	मद	2001 जनगणना (लाख में)	कुल परिवारों का प्रतिशत	2011 जनगणना (लाख में)	कुल परिवारों का प्रतिशत
1.	विद्युत	23.72	92.86	33.11	99.1
2.	शौचालय सुविधा	19.91	77.96	29.91	89.5
3.	विद्युत एवं शौचालय सुविधा	18.74	73.77	29.80	89.2
4.	विद्युत उपलब्ध लेकिन शौचालय सुविधा नहीं	4.98	19.49	3.31	9.9
5.	शौचालय उपलब्ध लेकिन विद्युत नहीं	1.17	4.59	0.11	0.3
6.	विद्युत और शौचालय सुविधाएं दोनों नहीं	0.65	2.55	0.19	0.6
7.	जलापूर्ति				
(i)	पाइप के जरिए जलापूर्ति	19.24	75.33	27.17	81.3
(ii)	हैंडपंप/ट्यूबवेल	5.60	21.91	4.58	13.7
(iii)	कुएं	0.01	0.04	0.03	0.1
(iv)	अन्य स्रोत (नदी/नहर/तालाब)	0.69	2.72	1.63	4.8

स्रोत : जनगणना 2011

5 अनधिकृत कालोनियां

- 5.1 सरकार दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले नागरिकों का जीवन सुगम बनाने और सड़क, सड़क किनारे की नालियां और गड्ढों को भर कर समुचित स्वास्थ्य परिस्थिति सुनिश्चित करने के साथ साथ न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार भारी सार्वजनिक निवेश कर रही है।
- 5.2 अनुमान है कि दिल्ली में 1797 अनधिकृत कालोनियां हैं, जिन्हें सरकार की नीति के अनुसार नियमित किया जाना है। इन कालोनियों में करीब 40 लाख आबादी है, जिसे बुनियादी सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध करा कर प्रभावी रूप से विकसित किए जाने की आवश्यकता है।
- 5.3 दिल्ली सरकार और उसकी एजेंसियां, दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी), सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली जलबोर्ड, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली के नगर निगम नियमित अनधिकृत कालोनियों में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 2008 में 895 अनधिकृत कालोनियों को अस्थाई नियमन प्रमाणपत्र प्रदान किए थे।

- 5.4 आई एंडएफसी विभाग को 48 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों और नालियों के निर्माण के लिए गैर-अधिकृत कालोनियों के विकास कार्य का जिम्मा नवंबर 2017 से अलग अलग चरणों में सौंपा गया।
- 5.4.1 विभाग ने अभी तक पात्र कालोनियों के लिए 4793.8 करोड़ रुपये की लागत से 1627 योजनाएं तैयार की हैं। इन योजनाओं में मौजूदा नालियों की मरम्मत/ऊंचा उठाने और कुछ स्थानों पर नई नालियों का निर्माण कार्य शामिल है। गलियों का विकास आर.एम.सी. सड़कों के रूप में किया जा रहा है जहां सीवर और पानी की लाइने बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है अथवा तीन वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जायेगा। अन्य मामलों में क्षेत्र के माननीय विधायक की अनुशंसा के अनुसार इंटर लॉकिंग टाइल्स अथवा कोलतार की सड़कें बनाई जा रही हैं।
- 5.4.2 2023-24 के दौरान अनधिकृत कालोनियों में 902 बस्तियों की 1553 योजनाओं के लिए करीब 4534.64 करोड़ रुपये के व्यय और मंजूरी संबंधी प्रशासनिक अनुमोदन जारी कर दिए गए हैं। कुल जारी 1553 ए/ए और ई/एस में से 1415 कार्य सौंपे जा चुके हैं और इनमें से 1036 कार्य अब तक पूरे कर लिए गए हैं। 379 कार्य प्रगति पर हैं और 28 कार्यों को विभिन्न कारणों से रोक दिया गया है/अनुबंध खत्म कर दिया गया है या रद्द कर दिया गया है। 110 कार्य निविदा/अनुमान स्तर पर हैं। शेष कार्य मार्च 2024 से पहले पूरा कर लिये जाने का लक्ष्य है।
- 5.4.3 अब तक 2754.44 करोड़ रुपये का कुल व्यय किया जा चुका है। वित्त वर्ष 2018-19 में 75.78 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2019-20 में 696.38 करोड़ रुपये व्यय किये गये। वित्त वर्ष 2020-21 में 665.25 करोड़ रुपये और वर्ष 2021-22 के दौरान 563.24 करोड़ रुपये, और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 598.98 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वित्त वर्ष 2023-23 में अक्टूबर माह तक 154.81 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है।
- 5.5 डीएसआईआईडीसी एक दशक से अधिक समय से दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों में ढांचागत विकास कार्य कर रहा है। दिसंबर 2015 में सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार यह निर्णय किया गया था कि विकास कार्य सभी अनधिकृत कालोनियों में संचालित किए जाने चाहिए।
- 5.5.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान इलेक्ट्रिक पार्ट सहित 340.55 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य पूरे किए गए जबकि 30 नवंबर 2023 तक 40 कालोनियों में 144.33 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य प्रगति पर थे।

6 दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी-डूसिब)

- 6.1 दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की स्थापना दिल्ली शहरी आवास सुधार बोर्ड अधिनियम 2010 के अंतर्गत की गई है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को रा.रा.क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों के पुनः स्थापन/पुनर्वास के कार्यक्रम, जैसे पर्यावरण सुधार, स्लम बस्तियों के पुनः स्थापन और स्व-स्थाने विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी मनोनीत किया गया है।

- 6.2 डूसिब मुख्यरूप से स्लम बस्तियों में गुणात्मक सुधार और शहर में स्लम वासियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यह शहरी निर्धनों/ स्लम निवासियों को स्लम एवं झुग्गी झोंपड़ी निवासी पुनर्वास नीति के तहत आवास के प्रावधान सम्बन्धी कार्यों को अंजाम देता है। इन कार्यों में विशेष परिस्थितियों, जैसे मकानों/कटरों के जोखिमपूर्ण/मानव आवास के लिए अनुपयुक्त हो जाने की स्थिति में, निर्मित फ्लैटों का प्रावधान करना शामिल है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में न्यूनतम नागरिक बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, स्नान घर और बस्ती विकास केन्द्र (सामुदायिक केंद्र) प्रदान करने पर ध्यान देता है।
- 6.3 डूसिब की व्यापक गतिविधियां इस प्रकार हैं :
- रैन बसेरों का निर्माण, प्रबंधन और रख-रखाव।
 - जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत स्लम निवासियों के लिए आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के तहत कम लागत के मकानों का निर्माण और मुख्यमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत डूसिब, दिल्ली सरकार और उसकी एजेंसियों की जमीन पर बसी मौजूदा स्लम और झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों का स्व-स्थाने पुनर्वास।
 - अनधिकृत निवासियों का स्थानांतरण और पुनर्वास
 - झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों का स्व-स्थाने उन्नयन।
 - शहरी स्लम बस्तियों में पर्यावरण सुधार।
 - भुगतान करके इस्तेमाल योग्य जन सुविधा (शौचालय) परिसरों का निर्माण, प्रचालन एवं प्रबंधन। 01.01.2018 से शौचालयों का इस्तेमाल निःशुल्क बना दिया गया है।
 - बस्ती विकास केन्द्रों/समुदाय भवनों का निर्माण एवं प्रबंधन।
 - कटरों का संरचनागत सुधार और पुनर्वास।
- 6.4 स्व-स्थाने पुनर्विकास यह सुनिश्चित करने का समुचित विकल्प होगा कि विकास के कारण रोजगार की उपलब्धता, या कार्य स्थल पर पहुंचने में समय की हानि या आय में कमी न हो। पुनःस्थापन के मामले में आवागमन की सुविधा प्रदान करने अथवा आजीविका के साधनों के सृजन पर ध्यान दिया जाएगा। परन्तु, मलिन बस्तियों के विकास का क्रियान्वयन राज्य/शहर की वित्तीय और संसाधनगत उपलब्धि के अनुसार चरणबद्ध ढंग से किया जाना चाहिए।
- 6.5 मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत, झुग्गी झोंपड़ी निवासियों के लिए पुनर्वास नीति के प्रावधानों के कार्यान्वयन के अंतर्गत, डूसिब स्लम निवासियों के स्व-स्थाने पुनर्वास के लिए कार्य कर रहा है।

6.6 स्लम और झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों को खुले में शौच से मुक्त बनाना

- 6.6.1 दिल्ली में 675 स्लम और झुग्गी झोंपड़ी बस्तियां हैं, जिनमें 3 लाख से अधिक झुग्गियां हैं। इन बस्तियों में 15 लाख लोग रहते हैं। जे.जे. बस्तियों में स्वास्थ्यकर स्थितियां बनाए रखने और स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए झुग्गी झोंपड़ी निवासियों में खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति दूर करने की तत्काल आवश्यकता महसूस करते हुए, डूसिब ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में “भुगतान एवं उपयोग जन सुविधा परिसर” के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों और स्नानघरों की सुविधा प्रदान कर रहा है। वर्तमान में डूसिब इन झुग्गी झोंपड़ी

बस्तियों में हाउस कीपिंग के क्षेत्र में संलग्न प्रतिष्ठित एजेंसियों के माध्यम से पक्का/प्रीफैब/एमटीवी/पोर्टेबल केबिनों में 20000 से अधिक डब्ल्यूसी सीटों का रखरखाव कर रहा है। इन ओ एंड एम एजेंसियों का रखरखाव अनुबंध पहले से ही विस्तारित अवधि पर है और इनके लिए नई निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। डूसिब उन स्थानों के लिए भी पोर्टेबल क्यूबिकल शौचालय प्रदान कर रहा है जहां जल और मलव्ययन सुविधाएं नहीं हैं। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की 20वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 1 जनवरी 2018 से स्लम निवासियों के लिए ये सभी सामुदायिक शौचालय दिन-रात एवं सातों दिन निःशुल्क कर दिए गए हैं।

शौचालयों के लिए उठाए गए कदम:

डूसिब ने झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में शौचालय प्रदान करने की इस प्रक्रिया में कुछ उपाय किए हैं और नये शौचालयों में उन्हें लागू किया जायेगा, जो इस प्रकार हैं:-

- शौचालय परिसरों में दिव्यांगजनों के अनुकूल वाटर क्लोसेट (डब्ल्यूसी) प्रदान करना।
- पुरुषों और महिलाओं के लिए एक-एक डब्ल्यूसी रातभर खुला रखना।
- दिल्ली नगर निगम से ग्रहण किए गए पुराने जीर्ण-शीर्ण शौचालयों का पूर्ण जीर्णोद्धार और बेहतर मरम्मत एवं रखरखाव के लिए परिष्कृत मानदंड के अनुरूप मौजूदा शौचालयों का उन्नयन करना।
- झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में शौचालयों परिसरों के लिए नये डिजाइन तैयार करने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई और इस प्रतियोगिता के आधार पर प्रस्तावित परिसरों के बाहरी रूपाकार में सुधार किया गया ताकि वे देखने में अच्छे लगे।
- वर्तमान शौचालयों परिसरों में सभी डब्ल्यूसी सीटों के साथ टैप वाटर की व्यवस्था करना ताकि इस्तेमालकर्ताओं के लिए स्वास्थ्यकर सुविधाओं में सुधार लाया जा सके।
- सभी संकेतकों का मानकीकरण, परिष्कार किया गया और उन्हें अधिक सूचनाप्रद बनाया गया।
- नियमित निरीक्षणों के लिए विशेष टीम तैनात करते हुए शौचालय परिसरों पर कड़ी निगरानी रखी गई।
- ऐसे स्थानों के लिए योजनाबद्ध पोर्टेबल मोबाइल शौचालय जहां जल और मल-जल व्ययन की सुविधाएं नहीं हैं।
- शौचालयों के इस्तेमाल के बारे में लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए समुदाय को जागरूक बनाने की प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की सहायता ली जायेगी।
- झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों के निवासी 01.01.2018 से इस सुविधाओं का इस्तेमाल निःशुल्क कर रहे हैं। पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं।

7 आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास (बीएसयूपी)

- 7.1 भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के उप-मिशन-2 के अंतर्गत शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) उपलब्ध कराने के लिए 52584 आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए डीएसआईआईडीसी की 8, डूसिब की 6 परियोजनाओं और न.दि.न.प. की 1 परियोजना के लिए 2750.91 करोड़ रुपये की संशोधित लागत का अनुमोदन किया था। इनमें

से 24524 प्लैटों का निर्माण पूरा हो चुका है और 28060 प्लैट निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। अब तक केवल 4833 प्लैटों का आबंटन किया गया है। कम संख्या में प्लैट अधिकृत करने के पीछे वजह यह है कि आवासीय इकाई प्राप्त करने के लिए पात्रता दर बहुत कम रखी गई है, आसपास अपेक्षित ढांचागत सुविधाओं का अभाव है और, आवंटितों में स्थानांतरण के बाद अपनी आजीविका खोने की आशका होती है। झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के स्व-स्थाने विकास से संबंधित अन्य मुद्दों में कालोनी का विकास होने तक जेजे निवासियों को वैकल्पिक आवास प्रदान करने के लिए भूमि का अभाव शामिल है।

7.2

डूसिब ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये द्वारका, सुल्तानपुरी और सावदा घेवरा में 10684 मकान बनवाये हैं। इस वर्ग के लिये 7400 मकान भलस्वा में निर्माणाधीन हैं। एजेंसियों को जल्द निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया जा रहा है। इसका पालन न करने पर शर्तों के अनुरूप उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सावदा घेवरा में 4060 इकाइयों में कुछ मामूली खामियों को दूर करना और बिजली का कुछ काम बाकी है। डीएसआईआईडीसी ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 17600 मकान बनवाये हैं और दिल्ली के विभिन्न स्थानों जैसे पूठखुर्द चरण- 2 और चरण- 3 और टिकरीकलां में 16600 मकान निर्माणाधीन हैं। 52,584 मकानों में से 4833 आवंटित कर दिये गये हैं (2153 झुग्गी झोपड़ी निवासियों को, 1144 मकान 1985 के पंजीकृतों को और 1536 सीआईएसएफ को)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 08.07.2020 के अपने फैसले से प्रावधान किया कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत मौजूदा पूरे हो चुके या अधूरे खाली मकानों को शहरी प्रवासियों/निर्धनों के लिये सस्ते किराये के आवासीय परिसरों के रूप में इस्तेमाल किया जायेगा।

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने कई बार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से अनुरोध किया है कि स्लम पुनर्वास के लिये निर्मित आवासीय परिसर को झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के स्थानांतरण/पुनर्वास के लिये उपयोग में लेने की अनुमति दी जाये, जहां डूसिब एआरएचसी की नोटिफिकेशन से पहले जमा किये गये पुनःस्थानांतरण शुल्क/लाभार्थी अंशदान को देखते हुए भूमि स्वामित्व एजेंसियों/लाभार्थियों/झुग्गी झोपड़ी निवासियों के प्रति दायित्वबद्ध है। 9104 प्लैट को प्रतिबद्ध पुनःस्थानांतरण में उपयोग किये जाने के बाद, 9535 प्लैट परस्पर सहमत शर्तों पर डीडीए को सौंपे जायेंगे, 16600 अधूरे प्लैट सहित 28872 प्लैट डूसिब और डीएसआईआईडीसी द्वारा उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार एआरएचसी योजना के तहत इस्तेमाल किये जायेंगे।
- इन अनुरोधों और विभिन्न समीक्षा बैठकों के बाद दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल ने डी ओ संख्या 14(10/आरएन/2022/40/21) दिनांक 11.03.2022 द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से इस अनुरोध पर विचार करने का आग्रह किया।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये, जेएनएनयूआरएम के तहत शुरू किये गये/निर्मित मकान लंबे समय से आवंटित नहीं किये जाने से संबंधित— एफएओ 36/2021, नीता भारद्वाज और अन्य बनाम कमलेश शर्मा शीर्षक वाला मामला, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 01.06.2022 के आदेश द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को सौंपा और इसे दिनांक 06.07.2022 के लिये एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका के रूप में एलडी.खंडपीठ को दिये जाने को कहा गया।

- दिल्ली के माननीय उपमुख्यमंत्री ने डी.ओ. दिनांक 02.08.2022 द्वारा माननीय आवासन और शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार से जेएनएनयूआरएम के तहत डूसिब और डीएसआईआईडीसी द्वारा निर्मित 47511 पूर्ण/अपूर्ण खाली प्लैटों के उपयोग संबंधी लंबित मामले के शीघ्र समाधान का आग्रह किया। इस पत्र द्वारा रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से इन चार विकल्पों में से किसी एक को चुनने का अनुरोध किया।

विकल्प 1: परस्पर सहमति के आधार पर डीडीए को 9,535 इकाईयां सौंपे जाने से छूट। डूसिब के पास 9,104 प्लैट्स की प्रतिबद्ध जिम्मेदारी है जिनके लिये पुनःस्थानांतरण शुल्क, भूमि स्वामित्व एजेंसियों या लाभार्थियों द्वारा, पहले ही जमा कराये जा चुके हैं, इसलिये इन 9,104 प्लैटों के उपयोग की अनुमति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की स्वीकृत नीति (एआरएचसी की नोटिफिकेशन से पहले) के अनुरूप दी जा सकती है। जहां तक शेष 28872 प्लैटों का सवाल है, इनका उपयोग एआरएचसी के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा किया जा सकता है, जिसके लिये यह केंद्र सरकार के दिनांक 08.07.2020 के निर्णय और दिनांक 31.12.2020 के सर्कुलर के अनुसार रियायतग्राही का चयन करेगी।

विकल्प 2: डीडीए भारत सरकार की एआरएचसी योजना लागू करने के लिये सभी 47511 प्लैट ले सकता है जिनके लिये डीडीए को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भूमि की कीमत अदा करनी होगी और राज्य की हिस्सेदारी देनी होगी।

विकल्प 3: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय उन 9104 प्लैट को छोड़ दे जिनके लिये पुनःस्थानांतरण शुल्क भू स्वामित्व एजेंसियों या लाभार्थियों द्वारा पहले ही जमा कराये जा चुके हैं। शेष 38,407 प्लैट का उपयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, भारत सरकार की एआरएचसी योजना के तहत कर सकती है।

विकल्प 4: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, डूसिब और डीएसआईआईडीसी द्वारा निर्मित सभी 47511 प्लैटों का पूर्ण स्वामित्व और निर्णय का अधिकार ले सकती है जिसके लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी उसे स्थानांतरित करनी होगी। आगे के परिणाम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के फैसलों पर निर्भर करेंगे।

7.3 हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपी(सी) 9470/2022 और सीएम एपीपीएल 30607/2022 और 30608/2022 में याचिकाकर्ता बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में आदेश दिनांक 18.09.2023 द्वारा निम्नलिखित निर्देश बिंदु जारी किये गये हैं:

- एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जाएगी, जिसमें शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, डीयूएसआईबी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष और डीएसआईडी के अध्यक्ष शामिल होंगे। इस समिति को पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का काम सौंपा जाएगा। पात्र लाभार्थियों को 9,104 निर्मित प्लैटों के आवंटन के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। समिति के सदस्यों को, निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक समझे जाने पर संबंधित सरकारी प्रभागों या विभागों से अतिरिक्त अधिकारियों को शामिल करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

- समिति आवासों के आबंटन के लिए एक स्पष्ट और संक्षिप्त नीति बनाएगी, विशेष रूप से एआरएचसी और पुनर्वास नीति, 2015 के बारे में उठाई गई चिंताओं को संबोधित करेगी। उन लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिन्होंने पहले ही अपना बकाया भुगतान कर दिया है और जिन्हें आश्रय की सख्त जरूरत है।
- समिति सहयोग और स्पष्ट एवं कार्रवाई योग्य परिणामों पर जोर देते हुए शेष निर्माण तथा मरम्मत कार्य की भी निगरानी करेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को, शेष निर्माण और मरम्मत कार्य को पूरा करने की समयसीमा और कार्यप्रणाली का विवरण देते हुए तुरंत एक कार्य योजना तैयार करने और समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
- प्रासंगिक एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि सभी मकान पानी, सीवेज और बिजली सहित आवश्यक नागरिक सुविधाओं से लैस हों। दिल्ली जल बोर्ड को सीवेज कनेक्शन और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिजली केबल बिछाने को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित बिजली आपूर्ति कंपनी को भी शामिल किया जाएगा। इस आदेश के जारी होने के तीन महीने के भीतर की गई कार्रवाई के विवरण संबंधी रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- संभावित लाभार्थियों से जुड़ने के लिए एक उप-समिति या एक समर्पित टीम का गठन किया जाना चाहिए। विशेष रूप से सुविधाओं की कमी के बारे में उनकी चिंताओं को संबोधित किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये आवास केवल संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि वास्तव में शहरी गरीबों के लिए घर हैं।
- उच्चाधिकार प्राप्त समिति इस आदेश के जारी होने के 15 दिनों के भीतर पहली बैठक आयोजित करने का प्रयास करेगी और आवश्यकता पड़ने पर आगे की बैठकें आयोजित करना जारी रखेगी। वे इस न्यायालय में एक द्विमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें ऊपर उल्लिखित प्रत्येक क्षेत्र में हुई प्रगति का विवरण होगा।
- पात्र लाभार्थियों की रुचि की कथित कमी को दूर करने के लिए, एक लक्षित जन जागरूकता अभियान शुरू किया जाना चाहिए, जिसमें उन्हें घरों की उपलब्धता और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बताया जाए।
- अदालत को पूरी उम्मीद है कि ये निर्देश लंबे समय से चले आ रहे इस मुद्दे के समाधान का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारे समाज के शहरी गरीबों को सिर ढकने के लिए छत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें वे घर उपलब्ध कराए जाएंगे जिनके वे हकदार हैं। हम इन निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन की उम्मीद करते हैं और आने वाले महीनों में प्रगति पर सकारात्मक रिपोर्ट की प्रतीक्षा करेंगे।
- परिणाम की रिपोर्टिंग और आगे के निर्देशों के लिए 18 दिसंबर 2023 को सूचीबद्ध।

7.4 उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में, विशेष सचिव—। (यूडी), रा.रा.क्षे. द्वारा दिनांक 18.09.2023 के आदेश द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया।

- 7.5 पूरे हो चुके प्लैट, आवंटित प्लैट और अधिगृहीत प्लैटों सहित प्लैट निर्माण का एजेंसीवार ब्योरा विवरण 14.8 में देखा जा सकता है:

विवरण 14.8

डूसिब, डीएसआईआईडीसी और एनडीएमसी की परियोजना के अंतर्गत प्लैटों का सारांश

क्र. स.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	निर्मित होने वाली यूनिटों की संख्या	पूर्ण निर्मित यूनिटों की संख्या	आवंटित यूनिटों की संख्या	अधिकृत यूनिटों की संख्या	यूनिट आवंटन का ब्योरा
डूसिब							
1.	सेक्टर 16 बी, फेज-2, द्वारका के स्लम निवासियों के लिए 980 (जी+4) पांच मंजिला ईडब्ल्यूएस मकानों का निर्माण (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख-10.03.2012) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख-31.07.2014)	50.69	980	980	934	934	नोट-1 देखें
2.	साइट नम्बर-2, सेक्टर 16 बी, द्वारका के स्लम निवासियों के लिए (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) 736 चार मंजिला कम लागत के ईडब्ल्यूएस मकानों का निर्माण (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख-18.12.2009) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख-20.09.2013)	21.70	736	736	0	0	शून्य
3.	साइट नम्बर-2, सेक्टर 16 बी, द्वारका के स्लम निवासियों के लिए (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) 288 चार मंजिला कम लागत के ईडब्ल्यूएस मकानों का निर्माण (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख-18.12.2009) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख-05.12.2013)	8.45	288	288	44	44	नोट-2 देखें
4.	ए-3, सुल्तानपुरी के स्लम निवासियों के लिए 1060 (जी+4) पांच मंजिला मकानों का निर्माण (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख-10.03.2012) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख-31.03.2016)	52.55	1060	1060	0	0	शून्य

क्र. स.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	निर्मित होने वाली यूनिटों की संख्या	पूर्ण निर्मित यूनिटों की संख्या	आवंटित यूनिटों की संख्या	अधिकृत यूनिटों की संख्या	यूनिट आवंटन का ब्यौरा
5.	सावदा घेवरा फेज-3 के स्लम निवासियों के लिए (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) 7620 (जी+4) पांच मंजिला ईडब्ल्यूएस मकानों का निर्माण (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख-10.03. 2012) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख-01.07. 2017)	407.68	7620	3560	1144	216	नोट-3 देखें
6.	पॉकेट-2 भलस्वा जहांगीरपुरी के स्लम निवासियों के लिए (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) 7400 (जी+4) पांच मंजिला ईडब्ल्यूएस मकानों का निर्माण (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख-01.08. 2012) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख-कार्य प्रगति पर है)	459.18	7400	0	0	0	शून्य
डीएसआईआईडीसी							
7.	बवाना-नरेला-भोरगढ़ (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख-फरवरी 2007 से फरवरी 2008) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख-दिसम्बर 2008 से मई 2011)	152.1	3868	3868	327	326	
8.	घोघा-बापरौला (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख-अगस्त 2007 से फरवरी 2008) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख-दिसम्बर 2010 से फरवरी 2013)	257.98	7104	7104	848	851	नोट-4 देखें
9.	बापरौला फेज-2 (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख-फरवरी 2008) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख-फरवरी 2013)	98.45	2144	2144	1536	1536	
10.	बवाना (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख-अगस्त 2007) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख-दिसम्बर 2010)	28.87	704	704	0		

क्र. स.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	निर्मित होने वाली यूनिटों की संख्या	पूर्ण निर्मित यूनिटों की संख्या	आवंटित यूनिटों की संख्या	अधिकृत यूनिटों की संख्या	यूनिट आवंटन का ब्यौरा
11.	पूठ खुर्द फेज-1 (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख-अक्टूबर 2011) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख-अक्टूबर 2016)	222.05	3840	3840	0		
12.	पूठ खुर्द फेज-2 (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख-मई 2012) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख-दिसम्बर 2016 में 35 प्रतिशत (निर्धारित कार्य का) निर्माण कार्य पूरा)	272.06	4560	0	0		
13.	पूठ खुर्द फेज-3 (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख-अक्टूबर 2011) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख-मार्च 2019 में 65 प्रतिशत (निर्धारित कार्य का) निर्माण कार्य पूरा)	363.08	6300	0	0		
14.	टिकरी कलां (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख-दिसम्बर 2012) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख-मार्च 2019 में 50 प्रतिशत (निर्धारित कार्य का) निर्माण कार्य पूरा)	334.18	5740	0	0		
न.दि.न.प.							
15.	बक्करवाला (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख-जून 2013) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख- 31. 03.2016)	21.89	240	240	0		
कुल		2750.91	52584	24524	4833	3907	
नोट 1	934 पलैट आवंटित किए गए थे और आवंटियों को सभी 934 पलैट का कब्जा दे दिया गया लेकिन दो वर्ष बाद 8 पलैटों का आवंटन रद्द कर दिया गया। अब आवंटन रद्द 7 पलैटों को 15 दिन के अंदर खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है।						
नोट 2	44 पलैट झुग्गी निवासियों को आवंटित किए गए।						
नोट 3	7620 पलैटों में से 4060 पलैटों में मामूली खामियां दूर करने और कुछ विद्युत कार्य बकाया हैं। पूर्ण किए गए 3560 पलैटों में से 1144 पलैट 1985 की पंजीकरण योजना के अंतर्गत आवंटित किए गए, परन्तु 1144 आवंटियों में से 216 को पलैटों का कब्जा दिया गया है।						
नोट 4	3 पलैट सामाजिक कार्य के लिए लीज आधार पर आंगनवाड़ी को दे दिए गए। बपरौला में 624 (608 जोड़ 16) पलैट सीआईएसएफ को आवंटित किये जाने है।						

- 8.1 डूसिब का मुख्य उद्देश्य फुटपाथ पर सोने वाले पूरी तरह बेघर लोगों को आश्रय प्रदान करना है। वर्तमान में डूसिब 198 रैन बसेरों का प्रचालन और प्रबंधन कर रहा है, जिनमें 16964 बेघर लोगों के ठहरने की क्षमता है। डूसिब “आश्रय प्रबंधन एजेंसियों” के माध्यम से दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर ‘शेल्टर होम्स’ का प्रचालन और प्रबंधन कर रहा है, जो दिन रात काम करते हैं। वर्ष के अन्य भागों की तुलना में सर्दी में बेघर लोगों की अधिक संख्या को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर वाटर प्रूफ पैगोड़ा टेंट लगा कर यह क्षमता बढ़ा दी जाती है। इन शेल्टर होम्स का प्रचालन और प्रबंधन दिल्ली सरकार की नियोजित स्कीमों में से एक के तहत आवंटित निधि के साथ किया जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार विभिन्न स्थानों पर पैगोड़ा टेंट लगाने के लिए निविदा आमंत्रित की गयी है और ये आश्रय 15.11.23 से 15.03.24 तक संचालित रहेंगे। सड़कों, फुटपाथों, पुलों के नीचे पटरी आदि पर सोने वाले बेघर लोगों को डूसिब के रैन बसेरों में स्थानांतरित करने के लिए प्रतिबद्ध टीम तैनात की जाती हैं। महिलाओं, बच्चों, परिवारों, विशेष रूप से सक्षम महिलाओं, नशे की लत के शिकार लोगों के रिकवरी शेल्टर के लिये विशेष व्यवस्था की गयी है।
- 8.2 इन रैन बसेरों का प्रबंधन आश्रय प्रबंधन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जाता है। दिल्ली में सर्दियों के मौसम के दौरान बेघर लोगों को बचा कर रैन बसेरों तक लाने के लिए बचाव दलों की भी तैनाती की गई है। ये रैन बसेरे बेघरों के इस्तेमाल के लिए हर दिन चौबीसों घंटे खुले रहते हैं, और निशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ठंड के दौरान नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे कार्यरत रहता है और किसी भी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 23378789, 23370560 (लैंडलाइन), 8527898295 (मोबाइल नंबर) और ईमेल dusibnightsshelters@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा डूसिब ने बेघर लोगों का पता लगा कर उन्हें सुरक्षित स्थल तक पहुंचाने के लिए “रैन बसेरा” नाम से मोबाइल ऐप भी शुरू किया है।
- 8.3 प्रत्येक रैन बसेरे में पर्याप्त संख्या में कम्बल, दरियों, जूट की चटाइयों, चादर, तकिए, गद्दों, पीने का पानी/वाटर कूलर/मयूर जग/वाटर डिस्पेंसर, बिजली कनेक्शन, इमरजेंसी लाइट, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन यंत्रों का प्रबंध होता है। इन रात्रि आश्रय गृहों में गर्मियों के दौरान आराम और सुविधा के लिए डेजर्ट कूलरों का प्रबंध किया गया है, जबकि सर्दियों में वाटर हीटर/गीजर का प्रबंध अधिकांश स्थायी रैन बसेरों में किया जाता है। अधिकांश स्थायी रैन बसेरों में मनोरंजन के लिए कलर टीवी सेट भी प्रदान किए जाते हैं। रैन बसेरों में रहने वाले लोगों को दिन में तीन बार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

9. यमुना पार क्षेत्र विकास बोर्ड

- 9.1 यमुना पार क्षेत्र के समुचित, तीव्र और स्थाई विकास के लिए एक सलाहकार बोर्ड के रूप में 1994 में यमुना पार क्षेत्र विकास बोर्ड (टीवाईएडीबी) की स्थापना की गई थी। बोर्ड यमुना पार क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए निर्माण कार्यों का अनुमोदन और अनुशंसा करता है। यमुना पार क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं के विकास में अनेक एजेंसियां शामिल हैं जैसे – दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग। बोर्ड के गठन के बाद से बुनियादी ढांचा विकास से जुड़ी अधिकांश गतिविधियां बोर्ड द्वारा समन्वित की जाती हैं।

- 9.2 बोर्ड यमुना पार क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए सरकार को बुनियादी ढांचा विकास से जुड़े मुद्दों पर भी परामर्श देगा ताकि यमुना पार क्षेत्र और रा.रा.क्षे. दिल्ली के अन्य क्षेत्रों के बीच विकास असमानता दूर की जा सके। 2009-10 से 2022-23 के दौरान यमुना पार क्षेत्र विकास बोर्ड (टीवाईएडीबी) का एजेंसीवार व्यय विवरण 14.8 में दर्शाया गया है।

विवरण 14.8

टीवाईएडीबी का एजेंसीवार व्यय: 2009-10 से 2022-23

(करोड़ रुपये में)

क्र सं	एजेंसी का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	दि.ज.बो.	23.00	17.00	15.75	15.72	3.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	एमसीडी	40.00	39.93	60.00	70.00	109.86	80.00	30.00	-	21.90	34.86	29.47	6.94	9.21	4.07
3.	पीडब्ल्यूडी	0.01	-	0.47	4.82	0.05	0.09	-	-	-	-	2.98	-	-	-
4.	आई एण्ड एफसी	15.00	9.78	10.00	18.93	19.99	22.71	-	-	6.52	11.50	8.20	0.68	0.74	1.43
5.	शहरी विकास	-	-	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	डूसिब	-	-	-	-	-	5.50	-	2.00	-	3.16	3.83	-	-	0.10
7.	डीएसआईआईडीसी	-	-	-	-	-	-	-	-	1.43	-	-	-	-	-
	कुल	78.01	66.71	88.72	109.47	132.90	110.30	30.00	2.00	29.85	49.52	44.48	7.62	9.95	5.60

10 पुराने दिल्ली शहर का विकास

पुरानी दिल्ली क्षेत्र का ऐतिहासिक धरोहर स्वरूप बनाए रखने और उसके पर्यावरण में सुधार के लिए एक व्यापक पुनर्विकास योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक विरासत क्षेत्रों के नवीकरण और रख-रखाव में सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों तथा पेशेवरों को सक्रिय रूप में शामिल किया गया है। पुरानी दिल्ली का विकास सुनिश्चित करने के लिए शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम की स्थापना की गई है। निगम की प्रमुख गतिविधियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निर्मित और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण को प्रोत्साहित करना शामिल है, जिसे सभी नागरिकों द्वारा संरक्षित और पोषित किये जाने तथा बनाए रखने की आवश्यकता है। निगम बिना कोई लाभ कमाए वास्तुशिल्पीय दृष्टि से महत्वपूर्ण और सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से मूल्यवान शहरी धरोहर की संरक्षा करता है।

11 केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस)

11.1 पुनरुद्धार और शहरी कायापलट के लिये अटल मिशन (अमृत 1.0) :

स्कीम का नाम	पुनरुद्धार और शहरी कायापलट के लिये अटल मिशन (अमृत 1.0)
राज्य/सीएसएस स्कीम	सीएसएस स्कीम (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय)
वित्त पोषण रूपरेखा	100% केंद्रीय वित्त पोषित

स्कीम ब्योरा

- पुनरुद्धार और शहरी कायापलट के लिए अटल मिशन (अमृत) भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री ने 25 जून, 2015 को किया था।

- ये मिशन अभी विस्तारित चरण में है जो 31.03.2024 को समाप्त होगा।
- इस मिशन की प्राथमिकता प्रत्येक घर में सीवर कनेक्शन सहित जल और सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना में वर्षा जल निकासी, हरियाली और उद्यानों का विकास, शहरी परिवहन जिसमें रास्तों का निर्माण, साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, फुट-ओवर ब्रिज, गैर-मोटर चालित परिवहन और मल्टीलेवल पार्किंग जैसे घटक भी शामिल हैं। कुल एसएएपी का 2.50 प्रतिशत हरित परियोजनाओं के लिये रखा जाना अनिवार्य है।
- अमृत केंद्र प्रायोजित स्कीम है जिसके लिये शत प्रतिशत राशि केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है। यह राशि तीन किस्तों में 20:40:40 के अनुपात में जारी की जाती है।

वित्तीय प्रगति

- भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से 674 करोड़ रुपए की कुल राशि प्राप्त हुई है और समग्र परियोजना निधि कार्यान्वयन एजेंसियों— एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड और एनडीएमसी को जारी कर दी गई हैं।
- विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों ने 539 करोड़ रुपए के कुल व्यय की रिपोर्ट दी है और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को 517.35 करोड़ रुपए का उपयोग प्रमाणपत्र सौंप दिया गया है।

कार्यान्वयन की स्थिति

- अमृत के तहत कुल 27 परियोजनाएं अनुमोदित की गयी और अब 18 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और 08 परियोजनाएं पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में हैं। (जारी परियोजनाओं की सूची संलग्न हैं।)
- भौतिक प्रगति 76 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक : 06 परियोजनाएं (3 दिल्ली जल बोर्ड, 3 एमसीडी)
- भौतिक प्रगति 51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक : 01 परियोजना (1 एमसीडी)
- भौतिक प्रगति 50 प्रतिशत से कम : 01 परियोजना (1 दिल्ली जल बोर्ड)
- एक परियोजना एनडीएमसी द्वारा रद्द कर दी गई है।

11.2 पुनरुद्धार और शहरी कायापलट के लिये अटल मिशन 2.0 (अमृत 2.0) :

स्कीम का नाम	पुनरुद्धार और शहरी कायापलट के लिये अटल मिशन 2.0 (अमृत 2.0)
राज्य/सीएसएस स्कीम	सीएसएस स्कीम (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय)
वित्त पोषण रूपरेखा	100% केंद्रीय वित्त पोषित

स्कीम ब्योरा

- पुनरुद्धार और शहरी कायापलट के लिए अटल मिशन 2.0 (अमृत 2.0) का उद्देश्य 500 अमृत शहरों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति, शत-प्रतिशत सीवर और सीवरेज सुविधा उपलब्ध कराकर सभी शहरों को जल सुरक्षित करने का लक्ष्य प्राप्त करना है।

- जल निकायों को विकसित और पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से मिशन अमृत सरोवर भी अमृत 2.0 का हिस्सा है।
- स्कीम के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को कुल परियोजना निधि आवंटन 2885.00 करोड़ रुपए का है, जिसमें 168.27 करोड़ रुपए जल निकायों के पुनरुद्धार/हरित क्षेत्र के लिए हैं। प्रशासनिक और कार्यालय व्यय निधि 93.00 करोड़ रुपए है।
- यह राशि 20:40:40 के अनुपात में तीन किस्तों में जारी की जाएगी।

वित्तीय प्रगति

- राज्य जल कार्रवाई योजना (एसडब्ल्यूएपी) के पहले भाग के अंतर्गत 28 परियोजनाएं हैं जिन पर 1064.97 करोड़ रुपए (केवल पूंजीगत व्यय लागत) मंत्रालय द्वारा 27.10.2022 को मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय सहायता की पहली किस्त-211.4059 करोड़ रुपए आवासन और शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त हो गई है और यह राशि कार्यान्वयन एजेंसियों को आवंटित/जारी कर दी गई है।
- अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत 93.023 करोड़ रुपए लागत की जल निकाय पुनरुद्धार की 38 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च समिति ने 04.07.2022 को इसे मंजूरी दी। मंत्रालय से राशि जारी किया जाना है।

भौतिक प्रगति

- योजना के पहले भाग के अंतर्गत कुल 28 परियोजनाएं मंजूर की गई थीं, जिनकी स्थिति इस प्रकार है :

कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमोदित परियोजना	अनुबंध आवंटन	डीपीआर/नआईटी चरण	पूरी कर ली गई	रद्द कर दी गई
दिल्ली जल बोर्ड	10	01	08	0	1
एमसीडी	18	04	14	0	0
कुल	28	05	22	0	1

- अमृत सरोवर के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है :-

कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमोदित परियोजना	अनुबंध आवंटन	डीपीआर/नआईटी चरण	पूरी कर ली गई	रद्द कर दी गई
दिल्ली जल बोर्ड	18	00	18	00	00
एमसीडी	20	13	06	00	01
कुल	38	13	24	00	01

11.3 स्मार्ट सिटी मिशन

स्कीम का नाम	स्मार्ट सिटी मिशन
राज्य/सीएसएस स्कीम	सीएसएस स्कीम (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय)
वित्त पोषण रूपरेखा	100% केंद्रीय वित्त पोषित

स्कीम ब्योरा

- भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वर्ष 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य नागरिकों की उन सभी जरूरतों को पूरी करने का प्रावधान करना है जिनकी रूपरेखा शहरी योजनाकार शहरी इको सिस्टम विकसित करते समय तैयार करते हैं। मुख्य रूप से यह व्यापक विकास के चार स्तंभों पर आधारित होता है – संस्थागत, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा। यह एक दीर्घावधि लक्ष्य हो सकता है और शहर ऐसा बुनियादी ढांचा विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास करते हुए स्मार्ट उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं।
- नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जनवरी 2016 में इसके पहले चरण में एक स्मार्ट सिटी के रूप में चुनी गयी। इसके बाद जुलाई 2016 में एनडीएमसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के रूप में विशेष प्रयोजन व्यवस्था (एसपीवी) शामिल की गयी।
- कंपनी ने अपने मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन के अनुरूप काम शुरू कर दिया है। ई गवर्नेंस और एम-गवर्नेंस, सूचना प्रसार, बिजली वितरण और सौर ऊर्जा कुछ व्यापक क्षेत्र हैं जिनमें एनडीएमसी अपनी परियोजनाएं लागू कर रही है।

वित्तीय प्रगति

- नई दिल्ली नगर पालिका परिषद स्मार्ट सिटी मिशन को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से 343.00 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है और एनडीएमसी ने 349.00 करोड़ रुपये का अंशदान किया है। प्राप्त राशि से एनडीएमसी स्मार्ट सिटी मिशन में कुल 567.70 करोड़ रुपये का व्यय किया है।

भौतिक प्रगति

- स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कुल 122 परियोजनाएं तय की गई हैं। इनमें 94 पूरी हो चुकी हैं और 28 पूरी की जा रही हैं।

11.4 एनयूएलएम के तहत राज्य शहरी आजीविका मिशन, दिल्ली मिशन स्वराज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारी के संदर्भ में अद्यतन डेटा/सूचकांक इस प्रकार हैं :

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। राराक्षे दिल्ली सरकार का शहरी विकास विभाग दिल्ली में एनयूएलएम की गतिविधियों में समन्वय के लिए राज्य सरकार का नोडल विभाग है। इसके अतिरिक्त एनयूएलएम के अंतर्गत विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर निगरानी के लिए मिशन स्वराज को राज्य शहरी आजीविका मिशन (एसयूएलएम) के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य लाभप्रद स्व-रोजगार और कुशल दिहाड़ी रोजगार के अवसरों तक पहुंच कायम कर शहरी निर्धन परिवारों

की गरीबी और असुरक्षा दूर करना है। गरीबों के लिए जमीनी स्तर पर मजबूत संस्थाएं निर्मित करने से उनकी आजीविका में सतत आधार पर समुचित सुधार होगा। मिशन का उद्देश्य शहरी बेघरों को आवश्यक सेवा सुविधाओं के साथ आश्रय उपलब्ध कराना भी है। इसके अतिरिक्त यह मिशन शहरी फेरी वालों और रेहड़ी पटरी वालों को समुचित स्थान, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल तथा उभरते बाजारों तक पहुंच उपलब्ध कराकर उनकी आजीविका संबंधी चिंताओं का समाधान करता है।

एनयूएलएम के तहत 6 घटक इस प्रकार हैं:—

1. कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार

एनयूएलएम के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के जरिये रोजगार (ईएसटी एण्ड पी) घटक का लक्ष्य अकुशल शहरी निर्धनों को प्रशिक्षण प्रदान करना और उनके मौजूदा कौशल का उन्नयन करना है। इस कार्यक्रम के तहत शहरी निर्धनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे स्वरोजगार उद्यम स्थापित कर सकें और निजी क्षेत्र में वेतन रोजगार प्राप्त कर सकें। ईएसटी एण्ड पी कार्यक्रम का लक्ष्य है बाजार की जरूरत के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हुए स्थानीय कौशल की मांग और उपलब्धता के बीच अंतराल दूर करना है।

कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के जरिये रोजगार (ईएसटी एण्ड पी) कार्यक्रम का व्यापक लक्ष्य स्थायी आजीविका के लिए कौशल के रूप में शहरी निर्धनों को एक प्रकार की संपत्ति प्रदान करना और उन्हें संरचनाबद्ध, बाजारोन्मुखी प्रमाणित पाठ्यक्रमों के जरिये वेतन रोजगार और/या स्वरोजगार अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाकर उनकी आमदनी में बढ़ोत्तरी करना है। इससे वे अंततः उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने और स्थायी आधार पर शहरी गरीबी दूर करने में मदद मिलेगी। इस तरह समावेशी विकास सुनिश्चित होगा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रशिक्षित शहरी निर्धनों का योगदान बढ़ेगा।

2. शहरी बेघरों के लिए आश्रय

एनयूएलएम कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय घटक का लक्ष्य शहरी बेघर आबादी को जलापूर्ति, स्वच्छता, सुरक्षा और संरक्षा जैसी बुनियादी और अवसंरचना सुविधाओं सहित स्थायी आश्रय की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करना; शहरी निर्धनों के विशेष कमजोर समूहों जैसे आश्रित बच्चों, वृद्धों, दिव्यांगजनों, मानसिक रोगियों और गंभीर बीमारियों से स्वस्थ हुए लोगों की जरूरतें पूरी करना और इसके लिए आश्रय स्थलों के विशेष वर्ग निर्मित करना तथा उनसे संबद्ध विशेष सेवाओं का प्रावधान करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बेघर आबादी को उनसे संबद्ध विभिन्न पात्रताओं तक पहुंच भी प्रदान की जाती है जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस), पहचान, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, सस्ते आवास आदि। इसके अलावा, राज्य सरकार और बेघरों के समूहों सहित स्वयं सेवी संगठनों द्वारा विकास के लिए ढांचे और फ्रेमवर्क तैयार करने, आश्रय स्थलों का प्रबंधन और निगरानी तथा बेघर व्यक्तियों के लिए बुनियादी सेवाएं भी सुनिश्चित की जाती हैं।

दिल्ली में इस घटक का कार्यान्वयन दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) द्वारा किया जा रहा है। शहर में चार नये शेल्टरों के निर्माण, 13 मौजूदा शेल्टरों में सुधार और शेल्टरों के प्रचालन एवं प्रबंधन के लिए व्यय को मंजूरी दी गई है।

3. सामाजिक गतिशीलता और संस्थागत विकास :

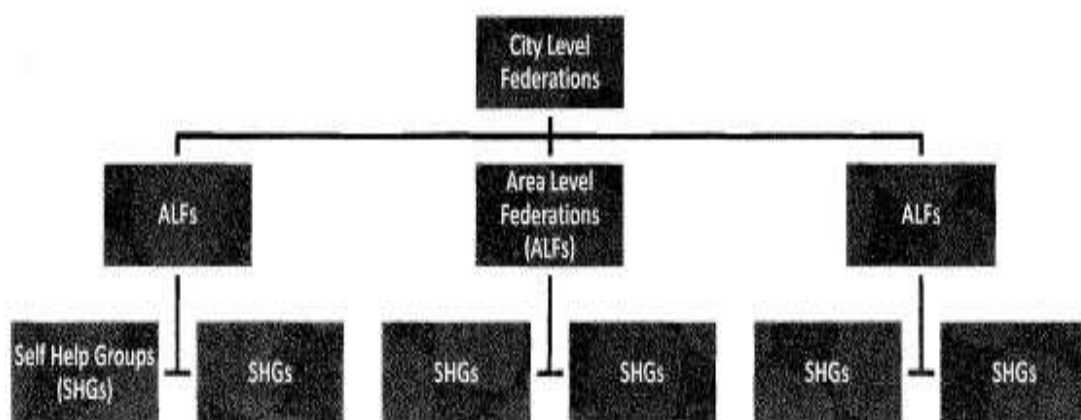
एनयूएलएम के अंतर्गत शहरी निर्धन परिवारों को तीन-स्तरीय रूपरेखा में गतिशील करने का प्रावधान है, जहां स्वयं सहायता समूह गठित किए जाते हैं और इन समूहों को बेहतर सामाजिक और आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए शहर के स्तर पर संगठित किया जाता है।

समुदाय के स्तर पर: 10–20 सदस्यों को स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के रूप में एकजुट किया जाता है।

एरिया स्तर पर: ऐसे 10–20 स्वयं सहायता समूहों के एरिया स्तरीय परिसंघ बनाए जाते हैं ताकि वे बैंक सुविधाओं, समूहों के बीच परस्पर लेन-देन, उच्चस्तरीय संगठनों के साथ संपर्क कायम करने जैसे बड़े मुद्दों से सामूहिक रूप से निपट सकें और स्वयं सहायता समूहों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के बारे में अपने हित में अधिक अधिकार हासिल कर सकें।

शहर के स्तर पर: एरिया स्तरीय परिसंघ (एएलएफ) मिलकर शहर स्तर के परिसंघ (सीएलएफ) बनायेंगे। शहर स्तरीय परिसंघों से अपेक्षा की जायेगी कि वे एएलएफ, सदस्य एसएचजी, नगर प्रशासन और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करें ताकि शहरी निर्धनों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके।

एसएचजी और उनके परिसंघों के निर्माण में प्रेरक भूमिका निभाने और एनयूएलएम के अंतर्गत एसएचजी सदस्यों के वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त पंजीकृत एजेंसियां अथवा एसएचजी के पहले से स्थापित परिसंघ अथवा गैर सरकारी संगठनों को संसाधन संस्था (रिसोर्स ऑर्गनाइजेशन आरओ) के रूप में संलग्न किया जाता है। संसाधन संस्था की भूमिका स्वयं सहायता समूहों के गठन और उनके विकास में सहायता करना है। इन्हें बैंक संपर्क, एरिया स्तरीय और शहर स्तरीय परिसंघों की स्थापना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा शहरी स्थानीय निकायों के साथ संपर्क कायम करने में भूमिका अदा करनी होगी।



4. स्वरोजगार कार्यक्रम

इस घटक का लक्ष्य शहरी निर्धनों/समूहों को उनके कौशल, प्रशिक्षण, रुचि और स्थानीय स्थितियों के अनुरूप लाभकारी स्वरोजगार उद्यम/सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। यह घटक शहरी निर्धनों को स्व-सहायता समूहों को बैंक ऋण तक आसान पहुंच और

इन ऋणों पर ब्याज सब्सिडी भी उपलब्ध कराने में मदद करता है। इसके अलावा यह प्रौद्योगिकी, विपणन और अन्य सहायक सेवाओं के माध्यम से उद्यमी समूहों, स्व सहायता समूह के सदस्यों और शहरी रेहड़ी-पटरी वालों/फेरी वालों को उनकी आजीविका में सहयोग भी देता है।

अपर्याप्त रोजगार में लगे और बेरोजगार शहरी निर्धनों को बिनिर्माण, सेवा क्षेत्र और अन्य व्यवसायों से स्थानीय मांग से संबंधित छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

व्यक्तिगत और सामूहिक उद्यम स्थापित करने में शहरी निर्धनों को उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता बैंक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी के रूप में होती है। व्यक्तिगत या सामूहिक उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज दर या इससे अधिक पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। 7 प्रतिशत और ब्याज की मौजूदा दर के बीच का अंतर बैंकों को एनयूएलएम के तहत उपलब्ध करा दिया जाता है। व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों के लिए अधिकतम यूनिट प्रोजेक्ट लागत 2 लाख रुपए और समूह उद्यम के लिए 10 लाख रुपए है। संभावित लाभार्थी— शहरी निर्धन की उम्र ऋण के लिए आवेदन करते समय 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

एनयूएलएम का यह घटक राजस्व जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। प्रत्येक राजस्व जिला स्तर पर व्यक्तिगत और समूह उद्यमों की सिफारिश के लिए जिला कार्यबल समितियों का गठन संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में किया गया है।

5. शहरी रेहड़ी-पटरी वालों को सहायता:

रेहड़ी-पटरी वाले शहरों की अनौपचारिक व्यवस्था के पिरामिड में सबसे निचले स्तर पर महत्वपूर्ण खंड निर्मित करते हैं। यह व्यवसाय स्वरोजगार का एक माध्यम उपलब्ध कराता है और शहरी निर्धनता दूर करने के उपाय के रूप में काम करता है। रेहड़ी-पटरी विक्रय का शहरी आपूर्ति श्रृंखला में भी प्रमुख स्थान है और यह निर्धनों सहित आबादी के सभी वर्गों को वस्तु और सेवाओं तक कम खर्चीली और आसान पहुंच उपलब्ध कराता है। इस प्रकार रेहड़ी-पटरी व्यवसाय शहरी क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

शिक्षा और कौशल का निम्न स्तर, औपचारिक ऋण और उद्यम सहयोग तक सीमित पहुंच के कारण रेहड़ी-पटरी वालों के लिए उभरते बाजारों तक पहुंच बना पाने की क्षमता सीमित हो जाती है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शहरी स्ट्रीट वेंडर्स की चिंताओं का समाधान उन्हें समुचित स्थान, संस्थागत ऋण, उन्नत कौशल और सामाजिक सुरक्षा संपर्क उपलब्ध कराकर करता है।

इस घटक का उद्देश्य बहु आयामी उपायों से शहरी रेहड़ी-पटरी वालों की समस्याओं का समाधान करना है। इनमें, रेहड़ी-पटरी वालों का सर्वे और पहचान पत्र जारी करना, शहरी रेहड़ी-पटरी व्यवसाय योजनाओं का विकास, शहर में रेहड़ी-पटरी के इलाकों का बुनियादी ढांचा विकास, प्रशिक्षण और कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, ऋण तक पहुंच और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संपर्क आता है।

रेहड़ी-पटरी वालों के अधिक समावेशी और समुचित विकास में शहरी स्थानीय निकाय बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। प्रत्येक निकाय को इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी होती है।

6. नवाचारी एवं विशेष परियोजनाएं (आईएंडएसपी)

इस घटक के अंतर्गत परियोजनाओं का उद्देश्य समयबद्ध कार्यक्रम लागू करना होगा। जिनका शहरी निर्धनता उन्मूलन प्रयासों पर व्यापक प्रभाव पड़ सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 1020 लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने की परियोजना मंजूर की है। एसयूएलएम दिल्ली इसी प्रकार की परियोजना तिहाड़ जेल में लागू कर रही है।

क्र. सं.	मद/स्कीम/गतिविधि का नाम	उपलब्धियां (01.04.2023 से 30.11.2023)
1.	कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार (ईएसटीएंडपी)	प्रमाणित लाभार्थियों की संख्या 86
2.	सामाजिक गतिशीलता और संस्थागत विकास-एसएमएंडआईडी	स्व सहायता समूहों का गठन 123
		चक्रिय निधि का संवितरण 155
3.	स्व रोजगार कार्यक्रम (एसईपी)	एसईपी (आईएंडजी) के तहत सहयोग 38
4.	नवाचारी और विशेष परियोजनाएं (आईएंडएसपी)	तिहाड़ जेल में प्रशिक्षित लाभार्थी 1020

एसएलएम दिल्ली ने घटक के संबंधित नियमित कार्य के अलावा शहरी निर्धनों की आजीविका के अवसर बढ़ाने और कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न नवाचारी उपाय किए हैं।

- तिहाड़ जेल के कौशल प्रशिक्षित कैदियों का प्रमाणन और प्लेसमेंट शुरू किया गया है।
- दिल्ली के सभी 11 जिलों में स्व सहायता समूहों को बारी-बारी से सचिवालय पर साप्ताहिक स्टॉल उपलब्ध कराए गए हैं।
- एनयूएलएम को अमृत योजना से जोड़कर जल दिवाली शुरू की गई है।
- भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में स्व सहायता समूहों को स्टॉल उपलब्ध कराए गए ताकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर बाजार संपर्क का अवसर मिल सके।
- 1 से 11 नवंबर 2013 के बीच दिल्ली के विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न मॉलों में स्व सहायता समूहों को स्टॉल उपलब्ध कराया गया।
- स्व सहायता समूहों का कौशल बढ़ाने के लिए निपट के साथ क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पहल प्रक्रियाधीन है।
- दिल्ली में स्व सहायता समूहों के लिए आजीविका पहल के रूप में एनयूएलएम के तहत एक एसएचजी कैंटीन दक्षिणी जिले में शुरू किया गया है।
- स्व सहायता समूहों ने स्वच्छ भारत मिशन की पहल 3आर-कियोस्क (रि-यूज, रि-साइकिल और रिड्यूज) में भाग लिया।

11.5 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 1.0

11.5.1 स्कीमो का संक्षिप्त विवरण

भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 2.10.2014 को पांच वर्ष की अवधि के लिए स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। बाद में इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया। इस मिशन के मुख्य घटक इस प्रकार हैं:

स्कीम के लक्ष्य और उद्देश्य

1. खुले में शौच से मुक्ति
2. मैला ढोने का प्रचलन समाप्त करना
3. आधुनिक और वैज्ञानिक नगर निगम ठोस कचरा प्रबंधन
4. स्वच्छ और स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना
5. स्वच्छता और इसके स्वास्थ्य से जुड़े होने के बारे में जागरूकता बढ़ाना
6. पूंजीगत व्यय तथा प्रचालन और प्रबंधन क्षेत्र में निजी सेक्टर के लिए अनुकूल माहौल सृजित करने में शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाना।

(i) विभिन्न घटक :

1. घरेलू शौचालय
2. सामुदायिक शौचालय
3. सार्वजनिक शौचालय और पेशाब घर (खुले में शौच से मुक्ति)
4. ठोस कचरा प्रबंधन
5. सूचना शिक्षा संचार और जन जागरूकता
6. क्षमता निर्माण तथा प्रशासनिक और कार्यालय व्यय

(ii) वित्त पोषण रूपरेखा

योजना निधि के लिए केंद्र की 75 प्रतिशत वित्तीय साझेदारी के साथ राज्य को 25 प्रतिशत तथा सूचना शिक्षा संचार और क्षमता निर्माण कोष के लिए केंद्र की 80 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ 20 प्रतिशत अंशदान करना होगा। पूरी मिशन अवधि के लिए दिल्ली को निर्धारित केंद्रीय वित्तीय सहायता विवरण 14.15 में दी गई है:-

विवरण 14.15

स्वच्छ भारत मिशन निधि (1-0) का घटकवार विवरण

(रुपये करोड़ में)

	आईएचएचटी	सीटी	एसडब्ल्यूएम	आईईसी	सीबी	कुल
तय राशि	50.16	5.15	263.68	24.61	6.15	349.76
जारी राशि	25.08	5.15	169.715	15.84	0.82	216.605
प्रयुक्त केंद्रीय अंशदान	24.29	5.147	168.005	13.24	0.43	211.112
शहरी स्थानीय निकायों के पास शेष राशि/अप्रयुक्त के रूप में लौटाई गई राशि	0.79	0.003	1.71	2.60	0.39	5.493*

(आईएचएचटी - घरेलू शौचालय, सीटी-सामुदायिक शौचालय, एसडब्ल्यूएम-ठोस कचरा प्रबंधन, आईईसी-सूचना शिक्षा और संचार और सीबी-क्षमता निर्माण)

*= 5.493 करोड़ रुपए की अप्रयुक्त शेष राशि में से 2.50 करोड़ रुपए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 2022-23 में जारी की गई।

11.5.2 खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) और कचरा मुक्त शहर (जीएफसी) स्टार रेटिंग स्थिति

31.12.2023 को

एजेंसी का नाम	ओडीएफ+++ और जल + स्थिति	जीएफसी स्टार रेटिंग
एनडीएमसी	जल + प्राप्त	5 स्टार प्राप्त और 7 स्टार के लिए आवेदन
उत्तरी डीएमसी	ओडीएफ+ प्राप्त ओडीएफ+++ के लिए आवेदन	18/03/2022 को जीएफसी के लिए आवेदन
दक्षिणी डीएमसी	ओडीएफ+++ प्राप्त	3 स्टार रेटिंग के लिए आवेदन
पूर्वी डीएमसी	ओडीएफ+ प्राप्त ओडीएफ+++ के लिए आवेदन	18/03/2022 को जीएफसी के लिए आवेदन
डीसीबी	ओडीएफ+++ प्राप्त	1 स्टार रेटिंग प्राप्त

11.5.3 ठोस कचरा प्रबंधन

एकल उपयोग (सिंगल यूज) प्लास्टिक उपयोग को हतोत्साहित करना:

- प्लास्टिक का संग्रह नवीन उपायों जैसे प्लास्टिक लाओ, थैला पाओ, बरतन भंडार आदि के माध्यम से समुदाय को शामिल करके किया जा रहा है। “बॉटल्स फॉर चेंज” (बिसलेरी के सहयोग से), प्लॉग रन रैलियों आदि पहलों के माध्यम से प्लास्टिक कचरे के संग्रह और इसे अलग करने के महत्व के बारे में बड़े पैमाने पर जनता को जागरूक किया जा रहा है। इस तरह एकत्र किए गए प्लास्टिक कचरे को अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों में भेजा जा रहा है।
- इसके अलावा, निजी क्षेत्र की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व-सीएसआर गतिविधियों और समुदाय के सहयोग से विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। उदाहरण के लिए 2020 में आईपीसीए (एक स्वयंसेवी संगठन) के साथ मेरा 10 कि.ग्रा. प्लास्टिक अभियान के अंतर्गत 6367 किग्रा. प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया और ओएनजीसी के सहयोग से बॉटल क्रशर मशीनों की स्थापना की गई है। उत्तरी दि.न.नि. ने कचरा कैफे की स्थापना की है और निगम करोल बाग में प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र भी बना रहा है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ-साथ सामग्री रिकवरी सुविधाएं (एमआरएफ) भी स्थापित की गई हैं।
- प्लास्टिक कचरा प्रबंधन विनियम, 2016 (2018 में संशोधित) के लिए उपविधान अधिसूचित किए गए हैं।
- एनजीटी के आदेश के अनुसार एसयूपी पर कारगर ढंग से रोक लगाने के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है।
- दिनांक 24.02.2021 को हुई प्रगति बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में केवल एक बार इस्तेमाल (सिंगल यूज) किए जाने वाले प्लास्टिक को एक अभियान के तहत खत्म करने के उपाय करने के लिए राराक्षे दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय विशेष कार्य दल का गठन किया गया है। इसके अलावा, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम (पीडब्लूएमआर), 2016 के अनुसार प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के स्तर पर शहर स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है।
- एकल उपयोग प्लास्टिक में कमी लाने के लिए अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (शहरी विकास) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इसका लक्ष्य एकबारगी प्रयुक्त प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए विभिन्न एजेंसियों/हितधारकों के बीच प्रभावी निगरानी और समन्वय करना है। समिति की अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं।

11.5.4 कचरा मुक्त रेटिंग

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने 5 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग हासिल की है।

11.5.5 स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग

- (i) **स्वच्छ सर्वेक्षण की वर्षवार सर्वे रिपोर्ट** : स्वच्छता और साफ सफाई के विभिन्न मानकों पर शहरों की रैंकिंग के लिए भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित सर्वेक्षण—स्वच्छ सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट विवरण 14.16 में दी गई है:-

विवरण 14.16

शहरी स्थानीय निकाय	श्रेणी	स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रैंकिंग	स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	(1-3 लाख आबादी श्रेणी)	1	3
उत्तरी दिल्ली नगर निगम	10 लाख से उपर आबादी ; (कुल 48 शहरों में)	45	37
दक्षिण दिल्ली नगर निगम		31	28
पूर्वी दिल्ली नगर निगम		40	34
दिल्ली छावनी बोर्ड	छावनी बोर्ड में	3	5

- (ii) **ठोस कचरा प्रबंधन की भौतिक प्रगति**

विवरण 14.17

दिल्ली में कचरा संबंधी स्थिति (मी.ट.प्र.दि.)

शहरी स्थानीय निकाय	नगर निगम ठोस कचरा उत्सर्जित (मी.ट.प्र.दि.)	निपटान किया गया कचरा (मी.ट.प्र.दि.)	नगर निगम ठोस कचरा निपटान केन्द्र (एमडब्ल्यू)	सेनेटरी लैंड फिल पर डाला गया कचरा (मी.ट.प्र.दि.)	डीपीआर के अनुसार कचरा स्थल उपचार के लिए लक्षित तिथि
पूर्वी दिल्ली नगर निगम	2600	550 एमटीपीडी पुनःचक्रण योग्य एमआरएफ के जरिये, 50 एमटीपीडी कंपोस्टिंग/बायो मेथनाइजेशन से	12 (एमडब्ल्यू) डब्ल्यूटीई संयंत्र, गाजीपुर (क्षमता 1300 एमटीपीडी) संयंत्र की ओवरहॉलिंग पूरी हो चुकी है और जुलाई 2022 से काम कर रहा है।	2000 (गाजीपुर एसएलएफ)	31.12.2024
उत्तरी दिल्ली नगर निगम	4500	2300	24 (एमडब्ल्यू) डब्ल्यूटीई	2400 (भलखा एसएलएफ)	31.07.2024
एपीएमसी	200	0			
दक्षिण दिल्ली नगर निगम	3500	2050	क्षमता 2050 एमटीपीडी ऊर्जा उत्पादन डब्ल्यूटीई संयंत्र से 21(एमडब्ल्यू)	1450 एसडीएमसी (ओखला एसएलएफ)	31.12.2024
दिल्ली छावनी बोर्ड	72	41		31 (ओखला एसएलएफ)	लागू नहीं
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद	232	232	डब्ल्यूटीई 1, डब्ल्यूटीसी 55, ओडब्ल्यूसी 24, बायोगैस 6, एमआरएफ 2	-	लागू नहीं
कुल	11,104	5,223	57 (एमडब्ल्यू)	5,881 (एसएलएफ पर)	

मी.ट.प्र.दि - मीट्रिक टन प्रति दिन, एसएलएफ- सेनेटरी लैंड फिल, डब्ल्यूटीई-कचरा से ऊर्जा, डब्ल्यूटीसी - कचरे से कम्पोस्ट, एमडब्ल्यू-मेगावाट और एमएसडब्ल्यू-नगर ठोस कचरा।

(iii) नगरीय ठोस कचरे के लिए प्रस्तावित क्षमता संवर्धन

विवरण 14.18

एजेंसी	
पूर्वी दिल्ली नगर निगम	—उत्पादन — 2600 मीट्रिक टन प्रतिदिन निपटान 600 मीट्रिक टन प्रतिदिन, डब्ल्यूटीई गाजीपुर में (121 मेगावाट) अंतराल — —2000 मीट्रिक टन प्रतिदिन एकीकृत निपटान केन्द्र, 2000 मीट्रिक टन (1200 एमटीपीडी बायोमिथेनाइजेशन+600 एमटीपीडी डब्ल्यूटीई के लिए+200 एमटीपीडी इन्वर्टेड वेस्ट के लिए) पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा घोड़ा, गुजरान में एनटीपीसी के संयुक्त उपक्रम में विकसित की जानी है। आंशिक कार्य नवीकरण के तहत। हालांकि जमीन संबंधी मुद्दे के कारण परियोजना रुकी है। डीडीए के साथ भूमि आवंटन मुद्दा उठाया जा रहा है।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम	—उत्पादन 4500 मीट्रिक टन प्रतिदिन नरेला-बवाना डब्ल्यूटीसी में 2300 मीट्रिक टन प्रतिदिन का निपटान (24 मेगावाट और 70 मीट्रिक टन कम्पोस्ट) अंतराल 2200 मीट्रिक टन प्रतिदिन कंपोस्टिंग/बिजली उत्पादन और तेल के माध्यम से 100 प्रतिशत नगरपालिका अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नवीकरण के तहत आंशिक कार्य
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	उत्पादन 3500 मीट्रिक टन प्रतिदिन (16 मेगावाट) निपटान 2050 एमटीई ओखला अंतराल 1450 एमटीपीडी तेहखंड में 2000 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का एसबीएम वित्त पोषित संयंत्र जो निर्माणाधीन है। नवीकरण के तहत आंशिक कार्य
एनडीएमसी	उत्पादन 232 मीट्रिक टन प्रतिदिन निपटान 232 डब्ल्यूटीई ओखला इसके अलावा लगभग 12 मीट्रिक टन प्रतिदिन 125 कम्पोस्ट गड्डों और 5 बायो मिथेनाइजेशन द्वारा प्रसंस्कृत
दिल्ली छावनी बोर्ड	72 मीट्रिक टन प्रतिदिन निपटान 41 मीट्रिक टन प्रतिदिन अंतराल 31 मीट्रिक टन प्रतिदिन, कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं।

(iv) कचरा ढेर उत्सर्जक

विवरण 14.19

दिल्ली में कचरा उत्सर्जन स्थिति (एमटीपीडी)

शहरी स्थानीय निकाय	पहचान संख्या	उत्सर्जित कचरा (एमटीपीडी)	निस्तारित कचरा (एमटीपीडी)
एमसीडी	1424	236	71
एनडीएमसी	25	15	4.5
कुल	10449	251	76.5

11.6 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0

11.6.1 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 का विवरण इस प्रकार है :-

मिशन के लक्ष्य	कचरे को गीले और सूखे में अलग-अलग करने का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के साथ सभी शहरों के लिए कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करना, हर घर तक जाकर कूड़ा एकत्र करने का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना, कचरे का शत-प्रतिशत वैज्ञानिक प्रबंधन, सभी कूड़ा स्थलों और गाद सहित प्रयुक्त पानी का उपचार ताकि जल/भूमिगत जल प्रदूषित न हो।
	स्वच्छ भारत मिशन गतिविधियों के माध्यम से वायु प्रदूषण में कमी लाना
	एकल उपयोग प्लास्टिक में चरणबद्ध रूप से कमी
	स्वच्छ अभ्यासों को जन आंदोलन बनाने के लिए बड़े पैमाने पर नागरिकों से संपर्क
	मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थाओं की क्षमता बढ़ाना

वित्त पोषण के लिए मिशन के घटक	कचरा निपटान केंद्र, कम्पोस्टिंग संयंत्र, आरडीएफ प्रसंस्करण केंद्र, कूड़ा स्थलों के जैव प्रबंधन सहित ठोस कचरा प्रबंधन घरों के लिए निजी शौचालयों, सामुदायिक शौचालय और सार्वजनिक शौचालयों, पेशाब घरों का निर्माण और अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलना गाद हटाने के संयंत्र, नालों का मार्ग बदलकर और अवजल उपचार संयंत्रों के निर्माण से प्रयुक्त जल का प्रबंधन सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) तथा अभ्यास परिवर्तन संचार (बीसीसी) पहल जैसे सोशल मीडिया के जरिये, मिशन के उद्देश्यों के प्रचार-प्रसार के प्रबंधन के लिए पेशेवरों की हायरिंग कर्मचारियों के प्रशिक्षण, पेशेवरों की हायरिंग, कार्यशाला और व्याख्यान, मिशन प्रबंधन इकाईयों के गठन के माध्यम से क्षमता निर्माण
मिशन के परिणाम	सभी शहरों को कम से कम 3 स्टार कचरा मुक्त या उच्च रैंकिंग प्रमाणन सभी शहरों को कम से कम ओडीएफ+ दर्जा प्राप्त एक लाख से कम आबादी वाले सभी शहर कम से कम ओडीएफ++ बने एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में कम से कम 50 प्रतिशत को जल+ दर्जा प्राप्त ह।
मिशन की अवधि	1 अक्टूबर 2021 से 1 अक्टूबर 2026
दिल्ली (विधानमंडल सहित केंद्र शासित प्रदेश) के लिए वित्तीय साझेदारी	दिल्ली के लिए भारत सरकार से घटकवार वित्त पोषण 692.6 करोड़ रुपए है विधानमंडल के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 80 प्रतिशत : 20 प्रतिशत वित्तीय साझेदारी निर्धारित केंद्र और विधानमंडल के साथ केंद्र शासित प्रदेश के बीच आईएचएचएल के लिए वित्तीय साझेदारी 4000 रुपए:1333 रुपए के अनुपात में होगी सीटी/पीटी/पेशाब घर/प्रयुक्त जल प्रबंधन और स्वच्छ भारत मिशन के लिए वित्तीय साझेदारी 80:20 के अनुपात में होगी आईईसी और सीबी के लिए भी वित्तीय साझेदारी 80:20 के अनुपात में रहेगी।
प्राप्त निधि का ब्योरा	भारत सरकार से संबंधित घटकों के तहत निम्नलिखित राशि प्राप्त हुई है: क) क्षमता निर्माण के लिए 10 लाख रुपए (18/02/2022) ख) कचरा ढेर निस्तारण के लिए ठोस कचरा प्रबंधन के तहत 174.24 करोड़ रुपए (28/03/2022) ग) आईईसी और जन जागरूकता के तहत 2.50 करोड़ रुपए (28/03/2022) घ) ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 16.579 करोड़ रुपए (28/03/2022) ङ) ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 36.546 करोड़ रुपए (06/04/2022) च) ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 235.31 करोड़ रुपए (14/11/2023) उपर्युक्त निधियों के तहत 80:20 के अनुपात में राज्य का हिस्सा, उपर्युक्त केंद्रीय निधियों के साथ शहरी स्थानीय निकायों/एमसीडी को जारी किया जा चुका है।

11.6.2 वित्तीय प्रगति स्वच्छ भारत मिशन निधि (2.0) का घटकवार ब्योरा

(करोड़ रुपए में)

	सीटी/पीटी	यूडब्ल्यूएम	एसडब्ल्यूएम	आईईसी	सीबी	कुल
निर्धारित केंद्रीय हिस्सा (सीएस)	10.00	0	1152.60	15.00	15.00	1192.60
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सीएस	0	0	409.75	0	0.10	174.54
एमसीडी को जारी सीएस	0	0	174.36	0	0.06	174.42
राज्य का हिस्सा (एसएस) जारी	0	0	43.59	0	0	43.59
शहरी स्थानी निकायों/एमसीडी को जारी कुल निधि	0	0	217.95	0	0.06	218.01
प्रयुक्त सीएस	0	0	174.36	0	0	174.36
प्रयुक्त एसएस	0	0	43.59	0	0	43.59
कुल उपयोग	0	0	217.95	0	0	217.95
यूएलबी/एमसीडी के पास शेष सीएस	0	0	0	0	0.06	0
यूएलबी/एमसीडी के पास शेष एसएस	0	0	0	0	0	0
एमसीडी के पास कुल अप्रयुक्त राशि	0	0	0	0	0.06	0.06

(सीटी-सामुदायिक शौचालय, पीटी-सार्वजनिक शौचालय, यूडब्ल्यूएम-प्रयुक्त जल प्रबंधन, एसडब्ल्यूएम-ठोस कचरा प्रबंधन, आईईसी-सूचना शिक्षा और संचार और सीबी-क्षमता निर्माण)

अध्याय एक नजर में

➤	दिल्ली सरकार का लक्ष्य दिल्ली को ऐसे गुणवत्तापूर्ण जीवन के साथ सबके लिये सतत, समावेशी और समान बनाना है जो पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक रूप से संधारणीय और सुलभ हो।
➤	सड़क, जलनिकासी व्यवस्था और स्वच्छता सेवाओं में विकास के जरिये अनधिकृत कॉलोनियों में सर्वाधिक पारदर्शी और कुशल ढंग से भारी सार्वजनिक निवेश किया गया है ताकि लोगों के जीवनस्तर में लगातार सुधार हो सके।
➤	दिल्ली में आवास व्यवस्था में पिछले दशकों में काफी सुधार हुआ है। अच्छे मकानों की संख्या 2001 के 58 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 66 प्रतिशत हो गयी है। लगभग एक तिहाई मकानों में मामूली मरम्मत की जरूरत है और केवल 3 प्रतिशत मकान जर्जर स्थिति में है जिनमें काफी काम किया जाना है। 2022 तक सबके लिये मकान का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये 4.8 मिलियन मकान बनाये जाने/उन्नत किये जाने की जरूरत है। कुल व्यवस्था का 54 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए होगा।
➤	डीएसआईआईडीसी एक दशक से भी अधिक समय से दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी ढांचा विकास का काम कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 340.55 करोड़ रुपये की लागत से बिजली सहित अन्य काम पूरा किया गया। जबकि 30 नवंबर 2023 तक 40 कॉलोनियों में 144.33 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा काम जारी था।
➤	झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के पुनर्वास के लिये मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पुनर्वास नीति के प्रावधान लागू करने के लिये डूसिब स्लम निवासियों के स्व स्थाने पुनर्वास के लिये काम कर रहा है।
➤	अमृत योजना एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है जिसके लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संदर्भ में शत प्रतिशत राशि केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है। यह राशि 20:40:40 के अनुपात में तीन किस्तों में जारी की जाती है।
➤	मिशन स्वराज को एनयूएलएम के तहत विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिये शहरी आजीविका मिशन (एसयूएलएम) के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
➤	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का दूसरा चरण 01 अक्टूबर 2021 को, पांच वर्ष की अवधि के लिये लागू किया गया। एसबीएम (शहरी) 2.0 मुख्य रूप से पहले चरण के दौरान प्राप्त स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन परिणामों को सतत रखने तथा सृजित गति को और तेज करने पर ध्यान देगा। दिल्ली ने खुले में शौच से मुक्त शहर – ओडीएफ दर्जा हासिल कर लिया है।

अध्याय 15

शिक्षा

शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका इस्तेमाल आप विश्व को बदलने में कर सकते हैं

. नेल्सन मंडेला

किसी देश का भविष्य उसके विद्यालयों की कक्षाओं में गढ़ा जाता है। एक प्रभावी शिक्षा प्रणाली लागू करना शिक्षा के प्रति समग्र दृष्टिकोण जैसे सब के लिए समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना, अनुकूल पाठ्यक्रम पर बल देने से साथ शिक्षा को आनंदप्रद अनुभव बनाने की शैक्षणिक तकनीक और संवाद प्रक्रिया शामिल करने पर आधारित है। इसलिए शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य रचनात्मकता, निर्णय लेने की क्षमता, संप्रेषण क्षमता, समन्वय, नेतृत्व और टीमवर्क की भावना विकसित करना होना चाहिए।

- 1.2 नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान के नियमन, संचालन और संवर्द्धन में प्रणालीबद्ध और संस्थागत सुधार पर बल देती है। इसके अलावा पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सुलभता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देती है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार पहले से ही समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और वर्ष 2030 (जैसा कि सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-04)-2030 एजेंडे में दर्शाया गया है) तक सबके लिए जीवनपर्यन्त अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास कर रही है।
- 1.3 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार शिक्षा क्षेत्र में भारी सार्वजनिक निवेश के जरिए विद्यार्थी को एक बेहतर मनुष्य बनाने की दिशा में लगातार अथक प्रयास कर रही है। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों में मानवीय मूल्यों का विकास करना और उन्हें देश का उत्तरदायी नागरिक बनाना है। सरकार के कुल वार्षिक बजट का लगभग एक चौथाई हिस्सा स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए तथा दिल्ली में शिक्षा से संबंधित बुनियादी सुविधाओं में विकास के लिए रखा गया है। बजट व्यय का लक्ष्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, शिक्षकों में उच्च कौशल सृजित करना, नवाचारी शिक्षण विधियों को प्रोत्साहित करना तथा खेल कूद प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है।
- 1.4 शिक्षा निदेशालय का लक्ष्य दिल्ली में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, सतत और समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हाल के वर्षों में कई नई पहल की गई हैं। इनमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचा सुविधाओं का विकास और आसपास के माहौल को बेहतर बनाना, शिक्षण में सुधार, सतत संपर्क प्रयासों से माता-पिता/समुदाय को शामिल करना, गहन शिक्षक प्रशिक्षण और सबसे बढ़ कर लक्षित शिक्षण विधियों से सीखने में कठिनाई वाले बच्चों की मदद करना और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना, शिक्षण सामग्री और आकलन साधनों की री-डिजाइनिंग शामिल है।
- 1.5 दिल्ली के शिक्षा मॉडल की, न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में व्यापक सराहना हो रही है। स्कूली शिक्षा प्रणाली में शिक्षण से संबंधित अभिनव कार्यनीतियों ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल को अनूठा बना दिया है, जिसके माध्यम से पढ़ाई लिखाई को अधिक रुचिकर और आनंददायक बना कर बच्चों के

शिक्षण अनुभव में लगातार सुधार लाया जा रहा है। हैपीनेस पाठ्यक्रम ने बच्चों में सहानुभूति, विवेकपूर्ण सोच विचार, समस्याओं को हल करने का तरीका, समाज में सार्थक संबंध विकसित करने के लिए संवाद और सहयोग जैसे कौशल विकसित करने में मदद की है। स्कूलों में चुनौती, मिशन बुनियाद, प्रगति शिक्षण सामग्री, स्पोकन इंग्लिश कक्षाएं जैसे कई गुणवत्तापूर्ण सुधार कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

- 1.6 दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ऊंची गुणवत्ता की बुनियादी ढांचा सुविधाओं— जैसे स्मार्ट क्लास, तरणताल, कक्षा पुस्तकालय, व्यावसायिक प्रयोगशालाएं और इन जैसी अन्य सुविधाओं ने इन स्कूलों को निजी स्कूलों के समकक्ष बना दिया है। बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर, प्राथमिकता-2 के तहत लगभग 20 हजार समकक्ष अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण पूरा किया गया और उन्हें कार्यात्मक बनाया गया। एक और अतिरिक्त कक्षा का निर्माण कार्य जोरों पर है। इसके अलावा लगभग 28 नए स्कूल भवनों का निर्माण अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पूरा किया गया और 09 नए स्कूल भवनों के निर्माण के लिए डीटीटीडीसी को मंजूरी जारी कर दी गई है और काम जोरों पर है।
- 1.7 28 सितंबर 2021 को दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य बच्चों को सच्चा देशभक्त बनाना है। केजी से 12वीं कक्षा तक के इस पाठ्यक्रम में भारतीय संविधान में निहित समानुभूति, सहिष्णुता और भाइचारा की भावना पर बल दिया जाता है। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में सामूहिक दायित्व की भावना विकसित करता है। वर्ष 2022-23 के दौरान शत-प्रतिशत स्कूलों ने अपने सिलेबस में देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू कर दिया है।
- 1.8 बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार का सुचारु माहौल सृजित करने के लिए माता-पिता, बच्चों और शिक्षकों के बीच व्यापक बैठकों के आयोजन, स्कूल प्रबंधन समितियों के पुनर्गठन से सद्भावपूर्ण संबंध विकसित किया गया है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और स्कूल लीडर्स को विश्व के कुछ सर्वाधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से सीखने का अवसर प्रदान किया गया है। इनमें अन्य संस्थानों के अलावा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय और एनआईआई सिंगापुर शामिल हैं। शिक्षा क्षेत्र में सरकार के सतत और अथक प्रयासों से परीक्षा परिणामों में सरकारी स्कूलों के बच्चों के पास होने का प्रतिशत काफी बढ़ा है। वर्ष 2022-23 में यह सेकेंडरी स्तर पर (91 प्रतिशत) और उच्चतर माध्यमिक स्तर (94 प्रतिशत) रहा।
- 1.9 शिक्षा क्षेत्र में सरकार की कुछ महत्वपूर्ण कार्यनीतियों से गुणवत्तापूर्ण तथा सुलभ शिक्षा तक सबकी पहुंच, स्कूल ड्रॉपआउट रोकथाम, विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की उपस्थिति में सुधार के लिए उनकी उपस्थिति पर ऑनलाइन निगरानी, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के पैटर्न पर राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण के लिए शिक्षण परिणामों का समय-समय पर आकलन, शिक्षा विज्ञान और पाठ्यक्रम में लगातार शोध तथा सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए उच्च कौशल सृजन, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी स्तर पर नामांकन में बढ़ोतरी और प्रति वर्ष शिक्षा क्षेत्र को वार्षिक बजट का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित करना सुनिश्चित हुआ है।
- 1.10 (i) शिक्षा क्षेत्र में निवेश से इस क्षेत्र को मुख्य प्राथमिकता देने का सरकार का निर्णय निम्नलिखित विवरण 15.1 से स्पष्ट है।

विवरण 15.1

दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय

(करोड़ रुपये में)

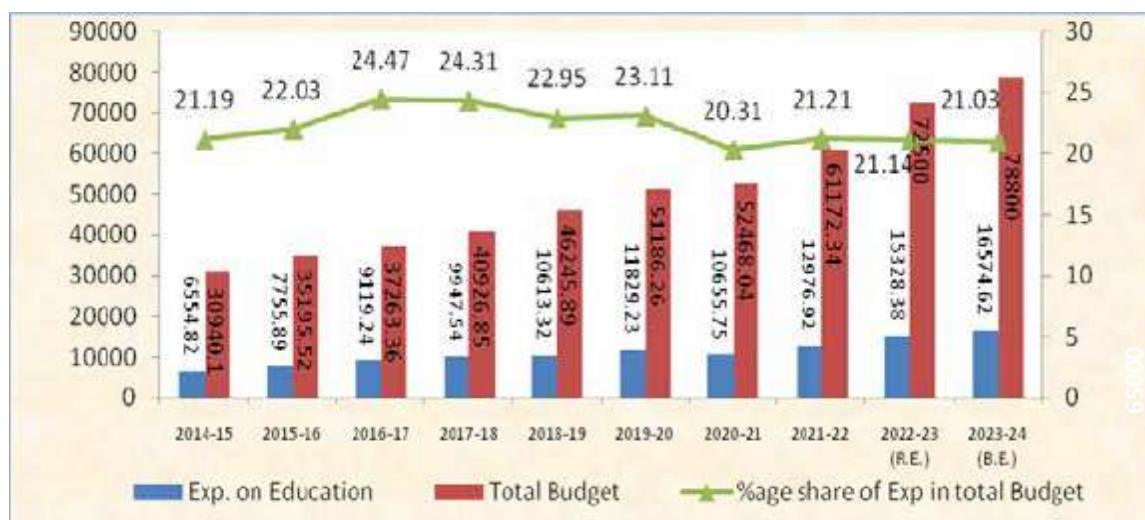
क्र.स.	वर्ष	शिक्षा पर व्यय	कुल बजट	कुल बजट में व्यय की प्रतिशत हिस्सेदारी	प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली का जीएसडीपी	दिल्ली के जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय
1.	2014-15	6554.82	30940.10	21.19	494803	1.32
2.	2015-16	7755.89	35195.52	22.03	550804	1.41
3.	2016-17	9119.24	37263.36	24.47	616085	1.48
4.	2017-18	9947.54	40926.85	24.31	677900	1.47
5.	2018-19	10613.32	46245.89	22.95	738389	1.44
6.	2019-20	11829.23	51186.26	23.11	792911	1.49
7.	2020-21	10655.75	52468.04	20.31	763435	1.40
8.	2021-22	14420.15	67000.00	21.52	904642	1.59
9.	2022-23 (आर. ई.)	15506.75	75800.00	20.46	1043759	1.49
10.	2023-24 (बी.ई.)	16574.62	78800.00	21.03	1107746	1.50

स्रोत : बजट दस्तावेज और डीईएस

(ii) खेल-कूद तथा कला और संस्कृति सहित शिक्षा का कुल व्यय (योजना और गैर-योजना) 2014-15 के 6554.82 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 16574.62 करोड़ रुपये हो गया है। 2023-24 में दिल्ली सरकार के कुल बजट में शिक्षा क्षेत्र पर व्यय 21.03 प्रतिशत है। वर्ष 2023-24 में शिक्षा क्षेत्र पर व्यय दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.5 प्रतिशत है। शिक्षा व्यय में वर्षवार वृद्धि चार्ट 15.1 में दर्शायी गई है।

चार्ट 15.1

शिक्षा पर व्यय



2. शिक्षा पर राज्यों का व्यय-भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य के बजट विश्लेषण के अनुसार

2.1 भारतीय रिजर्व बैंक की राज्य बजट विश्लेषण रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि देश के सभी राज्यों में से रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा क्षेत्र पर व्यय कर रही है। 2023-24 के, शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट अनुमान के 21 प्रतिशत के साथ शीर्ष पर था। इसके बाद

छत्तीसगढ़ (18.2 प्रतिशत) और फिर हिमाचल प्रदेश (17.6 प्रतिशत) का स्थान था। 2023-24 में राष्ट्रीय औसत 13.3 प्रतिशत था।

- 2.2 राज्यों के बजट विश्लेषण पर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में दिल्ली का बजट आवंटन सर्वाधिक है। नीचे दिए गए विवरण 15.2 में पिछले 8 वर्षों में कुछ राज्यों के समग्र व्यय में से शिक्षा पर हुए खर्च का हिस्सा प्रदर्शित किया गया है।

विवरण 15.2
समग्र व्यय में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (आर.ई.)	2023-24 (बी.ई.)
1.	गुजरात	14.5	14.1	14.0	13.7	13.6	13.2	14.7	12.9
2.	हरियाणा	13.7	13.4	13.2	13.5	13.0	12.2	12.2	11.0
3.	कर्नाटक	12.5	12.0	11.4	12.4	10.8	11.2	11.6	10.2
4.	केरल	16.2	16.3	15.1	15.2	11.4	14.3	12.2	12.3
5.	महाराष्ट्र	17.7	17.0	15.6	17.2	15.6	15.8	14.3	14.9
6.	असम	22.0	21.6	21.8	19.4	20.7	17.5	16.4	16.3
7.	हिमाचल प्र.	15.2	17.6	16.5	16.2	15.7	15.7	16.9	17.6
8.	छत्तीसगढ़	19.6	18.5	17.4	18	16.8	16.9	17.4	18.2
9.	तमिलनाडु	13.0	14.4	13.9	15	13.3	12.3	12.5	12.1
10.	उत्तर प्रदेश	16.7	14.8	12.4	14.6	14.5	13.6	11.2	12.5
11.	दिल्ली	24.2	24.2	22.8	23.1	20.3	21.2	21.1	21.0
	अखिल भारत	14.7	15.0	14.4	15.1	14.3	13.9	13.5	13.3

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक वेबसाइट पर राज्य बजट विश्लेषण रिपोर्ट (दिसंबर 2023)

3. साक्षरता

- 3.1 साक्षरता दर को 7 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर लोगों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक व्यक्ति, जो पढ़ सकता है और किसी भी भाषा में सरल संदेश, उसे समझते हुए लिख सकता है, उसे साक्षर माना जाता है।
- 3.2 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में साक्षरता दर 86.2 प्रतिशत थी। इसमें पुरुष साक्षरता दर 90.9 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 80.8 प्रतिशत थी। यह 73 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 64.6 प्रतिशत थी। दिल्ली में साक्षरता में स्त्री-पुरुष अंतराल 2001 के 12.62 प्रतिशत से कम होकर 2011 में 10.1 प्रतिशत पर आ गया।
- 3.3 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), भारत सरकार ने “परिवार सामाजिक उपभोग : शिक्षा” पर एनएसएस की 75वीं रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें 8000 गांवों और 6000 शहरी प्रखंडों में 1.13 लाख परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। यह रिपोर्ट जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच प्राप्त डेटा पर आधारित है।

- 3.4 75वीं एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली 88.7 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ केरल के बाद दूसरे स्थान पर है। दिल्ली में पुरुष साक्षरता दर 93.7 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 82.4 प्रतिशत है। ये दोनों दरें अखिल भारतीय साक्षरता दर से अधिक हैं। देश की औसत साक्षरता दर 77.7 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 84.7 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 70.3 प्रतिशत है।
- 3.5 दिल्ली में साक्षरता में लगातार सुधार हो रहा है और इसके साथ ही साक्षरता अंतराल कम होता जा रहा है। यह सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए सुधार के लिए शिक्षा क्षेत्र में किए गए अथक प्रयासों का परिणाम है। महिला और पुरुष दोनों साक्षरता दर में बढ़ोतरी का रुख है। 1991 में 75.29 प्रतिशत की साक्षरता दर बढ़ कर 2011 में 86.2 प्रतिशत हो गई और वर्ष 2017-18 में और बढ़ोतरी के साथ 88.7 प्रतिशत पर पहुंच गई। लेकिन पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच 11 प्रतिशत का अंतराल अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है, जिसका समाधान जरूरी है।

4. शैक्षिक संस्थानों का नेटवर्क और सभी प्रबंधन द्वारा संचालित स्कूलों में नामांकन

सभी प्रकार के प्रबंधन जैसे स्थानीय निकायों, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और निजी क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों के नेटवर्क की जानकारी विवरण 15.3 में दर्शायी गयी है :

विवरण 15.3

क्र सं	संकेतक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	शैक्षिक संस्थान							
	पूर्व प्राथमिक+प्राथमिक	2735	2745	2718	2682	2653	2594	2492
	मिडिल	940	933	905	872	867	855	826
	माध्यमिक	393	400	374	367	359	357	357
	उच्च माध्यमिक	1684	1704	1736	1769	1783	1801	1842
	कुल	5796	5772	5760	5726	5691	5666	5619
2.	स्कूलों में नामांकन (लाख में)							
	पूर्व प्राथमिक+प्राथमिक	20.83	20.63	20.79	21.08	20.01	20.08	20.50
	मिडिल	11.27	11.21	11.23	11.39	11.53	11.91	11.67
	माध्यमिक	7.41	7.00	7.31	7.27	7.62	7.25	7.33
	उच्च माध्यमिक	4.92	5.09	4.86	5.02	5.63	6.48	6.79
	कुल	44.43	43.93	44.19	44.76	44.79	45.72	46.29
3.	अध्यापक							
	पूर्व प्राथमिक+प्राथमिक	28989	28048	27662	27040	26244	26262	25623
	मिडिल	12657	12392	12431	12905	11865	10657	10776
	माध्यमिक	9401	9512	9805	9829	9202	8563	8859
	उच्च माध्यमिक	97224	97291	105848	107944	104893	106118	110780
	कुल	148271	147243	155746	157718	152004	151600	156038
4.	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात	30	30	28	28	29	30	30

स्रोत : शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

5. दिल्ली सरकार के शैक्षिक संस्थानों का नेटवर्क और पंजीकरण

- 5.1 दिल्ली में 5488 मान्यता प्राप्त स्कूल हैं जिनमें लगभग 46.29 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं। दिल्ली सरकार, दिल्ली में कुल 1240 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं, जो दिल्ली में चलने वाले कुल स्कूलों का 22.59% है, जबकि, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकन का हिस्सा 2022-23 के दौरान दिल्ली के सभी स्कूलों के कुल नामांकन का 41.61% है।
- 5.2 दिल्ली सरकार के अंतर्गत संचालित विद्यालयों की संख्या और नामांकन की स्थिति विवरण 15.4 दी गई है।

विवरण 15.4

क्र सं	संकेतक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
क	दिल्ली सरकार के स्कूलों की संख्या	1017	1019	1022	1026	1027	1047	1039
	कुल नामांकन (लाख में)	15.28	14.81	14.98	15.19	16.20	17.62	17.85
	लड़के	7.18	6.91	7.01	7.13	7.74	8.63	8.71
	लड़कियां	8.10	7.90	7.97	8.00	8.46	8.99	9.15
ख	सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या	211	208	207	204	204	203	201
	कुल नामांकन (लाख में)	1.57	1.55	1.49	1.45	1.43	1.42	1.41
	लड़के	0.83	0.82	0.78	0.75	0.74	0.74	0.74
	लड़कियां	0.74	0.73	0.71	0.70	0.69	0.68	0.67

स्रोत : शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.सरकार

- 5.3 राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्वच्छता, सुरक्षा, बिजली, शौचालय और पीने के पानी की सुविधा में सुधार सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। सभी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा, शौचालय, चारदिवारी और बिजली कनेक्शन उपलब्ध हैं। नीचे दी गई तालिका से संकेत मिलता है कि खेलकूद मैदान जैसी कुछ सुविधाओं में सुधार की गुंजाइश है।

विवरण 15.5

दिल्ली के स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति

निम्नांकित सुविधाओं वाले स्कूलों का प्रतिशत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
खेल का मैदान	87.37	88.06	85.89	88.28	93.27	96.47	96.30
चारदिवारी	99.90	99.88	100	100.00	100.00	100.00	100.00
लड़कियों के लिए शौचालय	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00
लड़कों के लिए शौचालय	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00
पेयजल सुविधा	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00
विद्युत कनेक्शन	99.90	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00
कम्प्यूटर सुविधा	87.18	88.82	89.26	97.56	100.00	100.00	98.74

स्रोत: यूजीआईएसई 2021-22

6. सकल दाखिला अनुपात (जीईआर)/निवल दाखिला अनुपात (एनईआर)

- 6.1 सकल दाखिला अनुपात की गणना किसी निर्दिष्ट कक्षा या कक्षाओं के समूह में निर्दिष्ट आयु समूह के विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात के रूप में की जाती है। दूसरी ओर निवल दाखिला अनुपात निर्दिष्ट शैक्षिक स्तर के लिए आधिकारिक आयु समूह का दाखिला है, जो उस आयु समूह की संबंधित आबादी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है।
- 6.2 यूडीआईएसई+ रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 में दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा में सकल दाखिला अनुपात शिक्षा के सभी स्तरों पर अखिल भारतीय स्तर की तुलना में अधिक है। विभिन्न स्तरों पर जीईआर नीचे दिया गया है—

विवरण 15.6

शिक्षा वर्ष 2021-22 में सकल नामांकन अनुपात

शिक्षा स्तर	दिल्ली			अखिल भारत		
	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
प्राइमरी	112.41	120.05	115.88	102.12	104.82	103.39
अपर प्राइमरी	128.25	131.73	129.86	94.45	94.90	94.67
एलिमेंट्री,	118.34	124.50	121.15	99.28	101.06	100.13
सेकेंडरी	110.45	112.15	111.24	79.72	79.40	79.56
हायर सेकेंडरी	91.18	99.46	95.01	56.95	58.23	57.56

(स्रोत : यूडीआईएसई+ रिपोर्ट)

- 6.3 निवल नामांकन अनुपात (एनईआर) : नीचे दी गई तालिका में यह देखा जा सकता है कि 2021-22 के दौरान निवल दाखिला अनुपात-एनईआर में दिल्ली की स्थिति में सुधार आया और यह सभी स्तरों पर राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। इस प्रकार विवरण 15.6 और 15.7 दर्शाते हैं कि दिल्ली जीईआर और एनईआर के संदर्भ में अखिल भारतीय आंकड़ों से काफी आगे है।

विवरण 15.7

शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में निवल नामांकन अनुपात

शिक्षा का स्तर	दिल्ली			अखिल भारत		
	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
प्राइमरी	97.47	100	100	87.35	90.00	88.60
अपर प्राइमरी	97.24	100	98.4	71.00	71.66	71.32
एलिमेंट्री,	100	100	100	89.67	91.49	90.54
सेकेंडरी	70.40	72.92	71.7	47.89	48.00	47.94
हायर सेकेंडरी	56.72	62.36	59.3	33.54	34.95	34.22

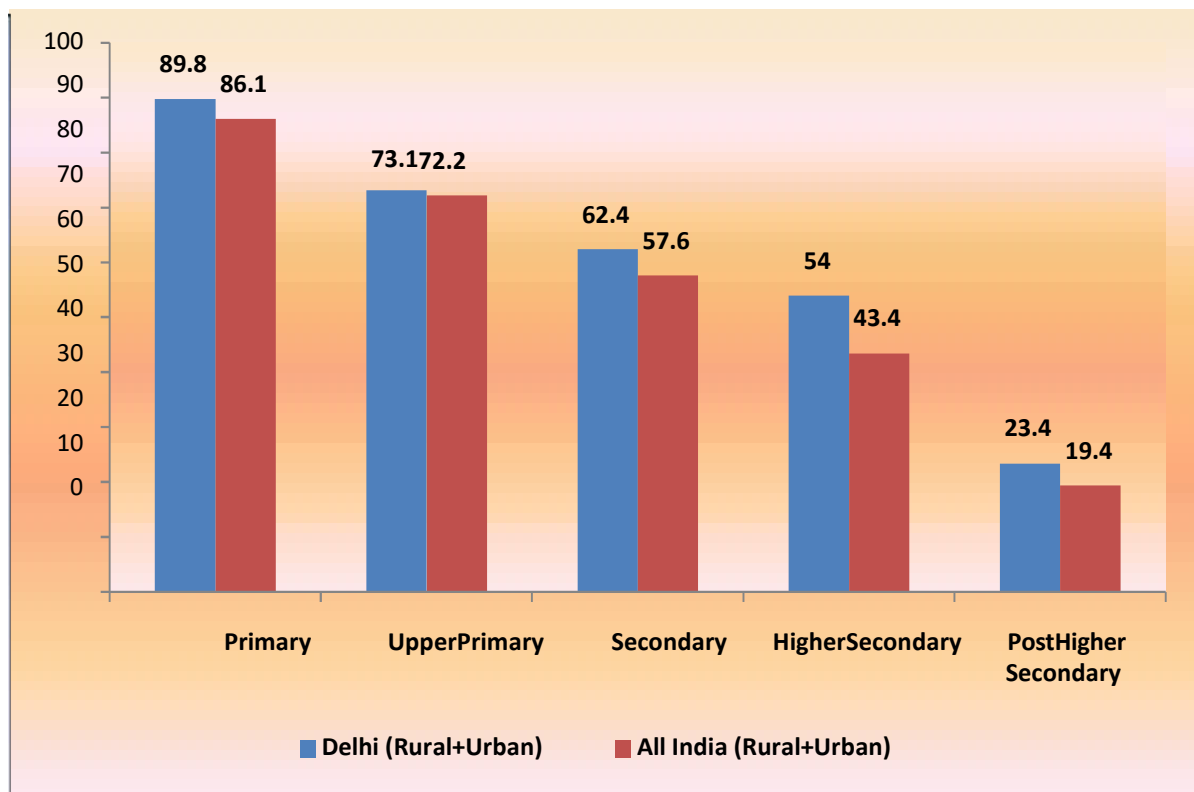
6.4 75वें एनएसएस सर्वेक्षण (जुलाई 2017–जून 2018) के अनुसार दिल्ली और अखिल भारत का निवल उपस्थिति अनुपात विवरण 15.8 में दर्शाया गया है।

विवरण : 15.8

शिक्षा का स्तर	दिल्ली (ग्रामीण+शहरी)			अखिल भारत (ग्रामीण+शहरी)		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
प्राइमरी	92.8	85.5	89.8	86.8	85.1	86.1
अपर प्राइमरी	80.3	65.8	73.1	72.5	71.8	72.2
सेकेंडरी	57.9	71.0	62.4	57.9	57.3	57.6
हायर सेकेंडरी	56.0	50.9	54.0	43.9	42.7	43.4
पोस्ट हायर सेकेंडरी	20.3	27.5	23.4	21.1	17.6	19.4

विवरण 15.8 और चार्ट 15.2 दर्शाते हैं कि दिल्ली का निवल उपस्थिति अनुपात (एनएआर) सभी स्तरों पर अखिल भारतीय एनएआर से अधिक है।

चार्ट 15.2



7. विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियां

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षणिक उपलब्धियों और परिणामों के आकलन के लिए कराया जाता है ताकि प्राथमिक स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया जा सके। एनएएस रिपोर्ट 2021 के अनुसार दिल्ली में कक्षा 8 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों का प्रदर्शन सभी विषयों में राष्ट्रीय औसत से अधिक था, जबकि कक्षा 3 और कक्षा 5 में यह प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से कम था। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लड़कियों ने लड़कों की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विषयवार और कक्षावार औसत प्रदर्शन विवरण 15.9 में दर्शाया गया है।

विवरण : 15.9

विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों का प्रदर्शन

(प्रतिशत में)

निम्नांकित में प्रवीणता	दिल्ली			राष्ट्रीय औसत		
	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तीसरी कक्षा						
गणित	46	47	47	57	57	57
पर्यावरण विज्ञान	47	49	48	57	58	57
भाषा	51	53	52	61	63	62
पांचवीं कक्षा						
गणित	39	37	38	44	44	44
पर्यावरण विज्ञान	44	45	44	48	49	48
भाषा	51	53	52	54	56	55
आठवीं कक्षा						
भाषा	55	61	58	52	54	53
गणित	37	35	36	36	36	36
विज्ञान	41	42	42	40	39	39
सामाजिक विज्ञान	39	40	39	39	39	39
दसवीं कक्षा						
आधुनिक भारतीय भाषा	47	50	48	41	42	41
गणित	36	34	35	33	32	32
विज्ञान	40	41	41	35	35	35
सामाजिक विज्ञान	45	45	45	38	37	37
अंग्रेजी	57	60	58	43	43	43

स्रोत : राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021

8. सकल नामांकन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी

वर्ष 2014-15 से 2022-23 के दौरान दिल्ली में स्कूली शिक्षा में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी विवरण 15.10 में दर्शाया गया है।

विवरण : 15.10 स्कूली शिक्षा में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी

वर्ष	स्कूल (नामांकन लाख में)	प्राथमिक और मिडल	माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक	कुल
2014-15	निजी स्कूल में दाखिले	9.94	3.53	13.47
	कुल दाखिले	31.99	12.14	44.13
	कुल दाखिलों में निजी स्कूलों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	31.07	29.08	30.52
2015-16	निजी स्कूल में दाखिले	10.34	3.62	13.96
	कुल दाखिले	32.22	12.08	44.30
	कुल दाखिलों में निजी स्कूलों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	32.09	29.96	31.51
2016-17	निजी स्कूल में दाखिले	14.06	3.69	17.75
	कुल दाखिले	32.10	12.33	44.43
	कुल दाखिलों में निजी स्कूलों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	43.80	29.93	39.95
2017-18	निजी स्कूल में दाखिले	14.51	3.81	18.32
	कुल दाखिले	31.85	12.08	43.93
	कुल दाखिलों में निजी स्कूलों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	45.56	31.54	41.70
2018-19	निजी स्कूल में दाखिले	14.94	3.87	18.81
	कुल दाखिले	32.03	12.17	44.20
	कुल दाखिलों में निजी स्कूलों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	46.64	31.80	42.56
2019-20	निजी स्कूल में दाखिले	15.17	3.92	19.09
	कुल दाखिले	32.47	12.29	44.76
	कुल दाखिलों में निजी स्कूलों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	46.72	31.90	42.65
2020-21	निजी स्कूल में दाखिले	13.85	3.97	17.82
	कुल दाखिले	31.54	13.26	44.80
	कुल दाखिलों में निजी स्कूलों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	43.91	29.94	39.78
2021-22	निजी स्कूल में दाखिले	11.18	3.81	14.99
	कुल दाखिले	31.99	13.73	45.72
	कुल दाखिलों में निजी स्कूलों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	38.76	28.04	35.54
2022-23	निजी स्कूल में दाखिले	13.21	3.82	17.03
	कुल दाखिले	32.17	14.12	46.29
	कुल दाखिलों में निजी स्कूलों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	41.06	27.06	36.79

स्रोत : शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.वि.स.

विवरण 15.10 में दर्शाए गए आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि दिल्ली में प्राइमरी और मिडिल स्तर पर कुल नामांकन में निजी स्कूलों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई और यह वर्ष 2014-15 के 31.07 प्रतिशत से बढ़ कर 2019-20 में 46.72 प्रतिशत हो गई और 2021-22 के दौरान कम होकर 38.76 प्रतिशत पर आ गई। 2022-23 के दौरान यह फिर बढ़कर 41.06 हो गई। इसी प्रकार सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर नामांकन में हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 के 29.08 प्रतिशत से बढ़ कर 2019-20 में 31.90 प्रतिशत हो गई और 2022-23 के दौरान यह कम होकर 27.06 प्रतिशत पर आ गई।

9. दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कार्य निष्पादन – उत्तीर्णता प्रतिशत

9.1 2015-2022 के दौरान दिल्ली में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों ही स्तरों पर विद्यार्थियों के उत्तीर्णता प्रतिशत संबंधी जानकारी विवरण 15.11 में दी गयी है :

विवरण 15.11

दिल्ली और भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड –सीबीएसई के परिणामों का उत्तीर्णता प्रतिशत :
2016-2023

क्षेत्र	कक्षा स्तर	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
दिल्ली	सेकेंडरी	89.25	92.44	68.90	71.58	82.6	97.5	97.00	91.1
	सीनियर सेकेंडरी	88.91	88.27	90.64	94.24	97.9	99.9	98.00	94.1
अखिल भारत	सेकेंडरी	96.21	93.06	86.70	91.10	91.4	99.04	94.40	93.1
	सीनियर सेकेंडरी माध्यमिक	83.05	82.02	83.01	83.40	88.7	99.37	92.71	87.3

स्रोत : शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.वि.स.

9.2 उपरोक्त विवरण से अनुमान लगाया जा सकता है कि उच्च माध्यमिक स्तर पर दिल्ली का उत्तीर्णता प्रतिशत पिछले आठ वर्षों के दौरान अखिल भारतीय स्तर से ऊंचा रहा है। सीनियर और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में सरकार ने कई गुणात्मक सुधार किए हैं जैसे 'चुनौती', 'मिशन बुनियाद' 'प्रगति अध्ययन सामग्री, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, हैपीनेस पाठ्यक्रम इत्यादि शुरू किए हैं और सेकेंडरी स्तर पर भी परीक्षा परिणाम में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है।

विवरण 15.12
स्कूली शिक्षा क्षेत्र में निवेश

(करोड़ रुपये में)

क्र. स	वर्ष	शिक्षा पर व्यय	दिल्ली का कुल बजट	कुल बजट में शिक्षा व्यय की प्रतिशत	वर्तमान मूल्यों पर दिल्ली का जीएसडीपी	दिल्ली के जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा व्यय
1.	2014-15	6145.03	30940.10	19.86	494803	1.24
2.	2015-16	7178.57	35195.52	20.40	550804	1.30
3.	2016-17	8561.85	37263.36	22.98	616085	1.39
4.	2017-18	9208.77	40926.85	22.50	677900	1.36
5.	2018-19	9837.51	46245.89	21.27	738389	1.33
6.	2019-20	11081.09	51186.26	21.65	792911	1.40
7.	2020-21	9912.11	52468.04	18.89	763435	1.33
8.	2021-22	11841.86	61172.34	19.36	881336	1.34
9.	2022-23 (आर. ई.)	13741.72	72500.00	18.95	1014688	1.35
10.	2023-24 (बी.ई.)	14872.62	78800.00	18.87	1107746	1.34

स्रोत : बजट दस्तावेज और डीईएस

2023-24 में दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में शिक्षा व्यय 1.34 प्रतिशत है।

10. दिसंबर 2022 तक शैक्षणिक उपलब्धियां

- 10.1 शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में 10वीं और 12वीं दोनों के परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। सरकारी स्कूलों में उत्तीर्णता प्रतिशत 12वीं में 94.18 और 10वीं स्तर पर 91.11 प्रतिशत रहा।
- 10.2 शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान, 15 नए सरकारी स्कूल खोले गए हैं (6 एसओएसई और 9 सरकारी स्कूल), 7 विशेष स्कूल समाज कल्याण विभाग से ले लिए गए हैं और 3 सहायता प्राप्त स्कूल भी डीओई में ले लिए गए हैं।
- 10.3 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत, शिक्षा निदेशालय ने आर्थिक रूप के कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग श्रेणी के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन ड्रा संचालित किया और गैर सहायता वाले मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए 31111 सीटें आबंटित की गईं।
- 10.4 मार्च 2021 में स्थापित दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (डीबीएसई) ने अब तक अस्तित्व के प्रारंभिक चरण में 47 स्कूलों को संबद्ध किया है। बोर्ड ने दिल्ली के स्कूलों में अत्याधुनिक शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन उपकरण विकसित करने के लिए इंटरनेशनल बैकलॉरिएट (आईबी) के साथ साझेदारी की।
- 10.5 कक्षा नौवीं से बारहवीं तक लगभग 8399 विद्यार्थियों के नामांकन के साथ 36 विशिष्ट उत्कृष्टता स्कूल (एसओएसई) एसटीईएम, मानविकी, प्रदर्शन और दृश्य कला, उच्च-स्तरीय 21 वीं सदी के कौशल और सशस्त्र बल तैयारी स्कूल के डोमेन में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन

दूरस्थ विधि के माध्यम से पढ़ाई का अवसर प्रदान करने के लिए दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल, लाजपत नगर की स्थापना की गई है।

- 10.6 राज्य स्तरीय टीएलएम, गणित की कक्षा शिक्षण पद्धति के रूप में शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करने के एजेंडे के साथ प्रतियोगिता का आयोजन त्यागराज स्टेडियम में सफलतापूर्वक किया गया, जिसमें 1000 से अधिक स्कूलों और 10000 शिक्षकों ने भाग लिया।
- 10.7 कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) की तैयारी के इच्छुक बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सभी प्रमुख विषयों में द्विभाषी प्रश्नों के साथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट पोर्टल विकसित किया गया था।
- 10.8 एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम (ईएमसी) 2019 में दिल्ली सरकार के स्कूलों के लिए ग्रेड 9–12 के लिए पेश किया गया था। बिजनेस ब्लास्टर्स ग्रेड 9 और 12 के लिए ईएमसी का एक व्यावहारिक घटक है, जहां भाग लेने वाले विद्यार्थियों को 2000 रुपये की प्रारंभिक राशि दी जाती है ताकि वे एक व्यावसायिक विचार के साथ आगे आएँ और लाभ कमाने या अपने पड़ोस में वास्तविक जीवन में किसी सामाजिक समस्या को हल करने के लिए अपनी उद्यमशीलता मानसिकता का उपयोग करते हुए इसे लागू करें।

शैक्षणिक सत्र 2022–23 के लिए, लगभग 2.03 लाख विद्यार्थियों ने स्कूल स्तरीय पैनल के सामने 41000 व्यावसायिक विचार प्रस्तुत किए। बिजनेस ब्लास्टर के 672 विद्यार्थियों सहित शीर्ष 106 टीमों को 33 नामित केंद्रों पर पैनलिस्ट के माध्यम से चुना गया है। सत्र 2022–23 के बिजनेस ब्लास्टर की शीर्ष 106 टीमों के 97 विद्यार्थियों को रा.रा.क्षे. दिल्ली के शीर्ष 7 विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया गया है। 2023–24 के दौरान, व्यवसाय योजना प्रस्तुत करने वाले दिल्ली सरकार के स्कूलों (अब तक एमआईएस के अनुसार) के 79 प्रतिशत पात्र विद्यार्थियों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के तहत प्रारंभिक धन के रूप में 2000 रुपये प्राप्त हुए हैं।

10.9 मिशन बुनियाद

मिशन बुनियाद के तहत सत्र 2023–24 के दौरान आधारभूत गतिविधियाँ अप्रैल महीने में नियमित स्कूल समय के दौरान आयोजित की गईं और इसे चरण-1 कहा गया। अगला चरण-2 मई-जून, 2023 के दौरान ग्रीष्मकालीन शिविर के रूप में शुरू किया गया था। मूल्यांकन के लिए चरण-2 डेटा शिक्षा निदेशालय को सभी एफएलएन विषयों में और सुधार के लिए मार्गदर्शन करता है। विद्यार्थियों और अभिभावकों की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक रही है क्योंकि समर कैंप में विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति लगभग 64 प्रतिशत थी। समर कैंप के दौरान विद्यार्थियों को प्रति दिन 30 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से जलपान उपलब्ध कराया गया।

10.10 स्कूल पुस्तकालयों में सुधार

क. 'स्कूल पुस्तकालयों का सुधार – आपूर्ति और सामग्री' शीर्षक के तहत पुस्तकों की खरीद:

- सरकार के सभी शिक्षा निदेशालय के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों / कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए सामान्य पढ़ने वाली ₹794.26 लाख की राशि की और विषय की पढ़ाई के लिए कुल 7,07,677 पुस्तकें खरीदी गईं। स्कूल पुस्तकालयों के लिए गुणवत्तापूर्ण, विविध और समावेशी पुस्तकों की खरीद पारदर्शी और समान अवसर आधारित तंत्र के माध्यम से की गई।

- सरकारी स्कूलों द्वारा पुस्तकों की खरीद के लिए मेगा बुक फेयर- 6 ऑनलाइन मोड में वर्ष 2022-23 में आयोजित किया गया था।
- पुस्तकों के बारे विद्यार्थियों और शिक्षकों से सुझाव भी आमंत्रित किए गए और इन्हें मेगा बुक फेयर-6 के ऑनलाइन मॉड्यूल में खरीद के लिए शामिल किया गया। यह देश में एक अनूठी पहल है।

ख. सरकारी स्कूलों में बार कोड की सुविधा:

शिक्षा निदेशालय के 2 सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों में बारकोड सुविधा प्रायोगिक आधार पर लागू की गई है।

10.11 क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के 20 सरकारी स्कूलों में प्रायोगिक परियोजना के तौर पर विद्यालय स्वास्थ्य क्लिनिक

यह शिक्षा निदेशालय और डीजीएचएस का संयुक्त उद्यम है। प्रत्येक स्कूल हेल्थ क्लिनिक में सप्ताह में 06 दिनों के लिए नियमित आधार पर एक पीएचएनओ (सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी) और एक एनओ (नर्स अर्दली) होता है और प्रत्येक 05 स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक के लिए एक चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ/एसएमओ) होता है। यह परियोजना सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है और एनीमिया, मायोपिया, किशोरावस्था में मधुमेह आदि जैसी बीमारियों का शीघ्र पता लगाने में सहायक है। प्रत्येक विद्यार्थी की स्क्रीनिंग के संबंध में रिपोर्ट डीओई के स्वास्थ्य पोर्टल पर रखी जाती है।

ख. स्कूल स्वास्थ्य और आरोग्यता कार्यक्रम (एसएच एंड डब्ल्यूपी)

स्कूल स्वास्थ्य और आरोग्यता कार्यक्रम (एसएचडब्ल्यूपी) को आयुष्मान भारत (जीओआई) के तहत दिल्ली के शिक्षा निदेशालय और परिवार कल्याण निदेशालय के संयुक्त प्रयासों से कार्यान्वित किया जा रहा है।

एसएचडब्ल्यूपी के तहत कवर किए गए कुल स्कूल: जिला पश्चिम ए और पश्चिम बी के 142 स्कूलों के 283 शिक्षकों को एसएचडब्ल्यू एम्बेसेडर के रूप में 11 मॉड्यूल पर प्रशिक्षित किया गया था। जुलाई 2023 में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 55 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया। जिला स्तर पर एसएचडब्ल्यूपी प्रशिक्षण के विकेंद्रीकरण के संबंध में डीओई और डीएफडब्ल्यू हितधारकों के साथ 2 नवंबर 2023 को राज्य अभिसरण बैठक आयोजित की गई थी।

10.12 समावेशी शिक्षा

वर्ष 2022-23 के दौरान 359 स्कूल नहीं जाने वाले दिव्यांग बच्चों को घर पर ही शिक्षा उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2022-23 में लगभग 1486 स्कूल छोड़ने वाले दिव्यांग बच्चों की पहचान की गई। शिक्षा निदेशालय के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे दिव्यांग बच्चों (सीडब्ल्यूडी) को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करने के वास्ते अतिरिक्त 14 संसाधन केंद्रों की निविदा प्रक्रिया चल रही है।

इसके अलावा, शिक्षा निदेशालय के सरकारी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हर साल जुलाई/अगस्त महीने के दौरान विशेष शिक्षा शिक्षकों द्वारा दिव्यांग बच्चों की स्क्रीनिंग और पहचान की जाती है। शिक्षा निदेशालय के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों को उचित आवास

प्रदान करने के लिए विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना (सीडब्ल्यूएसएन) शैक्षिक मूल्यांकन के तुरंत बाद विकसित की जाती है और बच्चों की प्रगति के मूल्यांकन के बाद समय-समय पर इसकी समीक्षा/संशोधन किया जाता है। वर्तमान कार्यक्रम में संशोधन या तदनुसार नए लक्ष्य निर्धारित किए जाने हैं। 100 प्रतिशत दिव्यांग बच्चों के लिए आईईपी तैयार किए जा रहे हैं और दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के सरकारी स्कूलों में लागू किए जा रहे हैं।

10.13 खेलों में उपलब्धियां

- अगस्त 2022 में ब्रिटेन में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में दिल्ली के सात खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं।
- 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हांगझू चीन में आयोजित एशियाई खेल 2023 में दिल्ली के खिलाड़ियों ने 11 पदक जीते।
- सत्र 2023-24 के लिए दिनांक 16.10.2023 से 20.10.2023 तक अखिल भारतीय सिविल सेवा टूर्नामेंट (योग, कबड्डी, कुश्ती और खो-खो शामिल हैं) का आयोजन किया गया था।
- 66वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन भारत के विभिन्न शहरों में वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में किया गया जिसमें दिल्ली राज्य ने 127 पदक प्राप्त किये और पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा।

10.14 समग्र शिक्षा

समग्र शिक्षा (सीएसएस) के प्रमुख कार्यक्रम के तहत:

- विशेष प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) के 816 एसटीसी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माता-पिता के लिए विद्यार्थी अभिभावक परामर्श किया गया और उन्हें अपने बच्चों के जीवन में शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। इससे विद्यार्थियों को शिक्षा निदेशालय के नियमित सरकारी स्कूलों की मुख्यधारा में शामिल करने में मदद मिलेगी।
- एनईपी 2020 विद्यारंभ की सिफारिशों के अनुसार, एससीईआरटी, दिल्ली की सहायता से ग्रेड 1 के शिक्षार्थियों के लिए तीन महीने का प्ले आधारित स्कूल मॉड्यूल तैयार किया गया है।
- विशेष आवश्यकता वाले लगभग 4000 बच्चों को विकलांगता प्रमाणपत्र के अलावा यूडीआईडी कार्ड जारी किया गया है।
- शिक्षा निदेशालय ने अपने इतिहास में पहली बार 2022-23 के दौरान दिव्यांग बच्चों के लिए राज्य और जिला स्तरीय पैरा स्पोर्ट्स मीट आयोजित करने की पहल की है।
- शिक्षा निदेशालय स्कूलों में पढ़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की चिकित्सीय जरूरतें पूरी करने और फिजियो-थेरेपी, व्यावसायिक थेरेपी, स्पीच थेरेपी और व्यवहार संशोधन जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए, संसाधन केंद्र विकसित किए गए हैं।

10.15 एससीईआरटी:

- इसने सभी विषयों में दिल्ली सरकार के स्कूलों के पीजीटी और टीजीटी के लिए एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 'द नॉलेज एक्सपीडिशन' शुरू की है।

- इनसेट सेल एससीईआरटी ने एचओएस और शिक्षा निदेशालय तथा एमसीडी शिक्षकों के लिए भारत के प्रसिद्ध संस्थानों (आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम कोझिकोड, अविष्कार पालमपुर, ईएफएलयू हैदराबाद, टीआईएसएस मुंबई, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी मंडी, संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली) के सहयोग से प्रशिक्षण का आयोजन किया।

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ईसीसीई पर प्रशिक्षित करने के लिए आंगनवाड़ी के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया था। सत्र 2023–24 के दौरान 2000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

11. नई पहल/गतिविधियां (2023–24)

11.1 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के बारे में विद्यार्थियों द्वारा विकसित सामग्री के साथ ई-पत्रिकाओं पर एक प्रायोगिक परियोजना शिक्षा निदेशालय के 30 चुने हुए सरकारी स्कूलों में शुरू की गई है।

11.2 ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया :

विद्यार्थियों और अभिभावकों की सुविधा के लिए प्रवेश प्रक्रिया को ऑफलाइन से ऑनलाइन में बदल दिया गया है।

11.3 स्पोकन इंग्लिश सेल :

विदेशी भाषा शिक्षण एक ऐसी परियोजना है जो कक्षा 6–8 के विद्यार्थियों को ऐसा अवसर प्रदान करती है जिसमें वे वैश्विक सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त कौशल के रूप में जर्मन, फ्रेंच, जापानी और स्पेनिश भाषा सीख सकते हैं। इस परियोजना को दिल्ली भर के 58 सरकारी स्कूलों में चलाया जा रहा है।

विद्यार्थी-संचालित ई-पत्रिका:

दिल्ली के सभी 1000 से अधिक सरकारी स्कूलों में लागू की जा रही ई-पत्रिका का विषय संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 'सतत विकास लक्ष्य' (एसडीजी) है।

11.4 व्यावसायिक शिक्षा/कौशल शिक्षा:

नई शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के आलोक में, शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, ने सभी सरकारी स्कूलों (एसओएसई, एसओई, विशेष स्कूल, आरपीवीवी और मिडिल स्कूलों को छोड़कर) में वर्तमान सत्र 2023–24 से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पैटर्न पर एनएसक्यूएफ (राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क) के तहत व्यावसायिक/कौशल विषय शुरू किए हैं। वर्तमान सत्र 2023–24 में 4 लाख से अधिक विद्यार्थी विभिन्न कौशल विषयों में नामांकित हैं।

11.5 गणित अभियान (मिशन मैथेमैटिक्स)

यह परियोजना शिक्षा निदेशालय की दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जरूरत आधारित शैक्षणिक सहायता और कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा शिक्षाशास्त्र के रूप में शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री (टीएलएम) के विकास का उपयोग करके कक्षा प्रक्रिया में बदलाव पर केंद्रित है।

शिक्षकों के लिए राज्य स्तरीय गणित टीएलएम प्रतियोगिता के आयोजन के साथ मिशन गणित-2023 सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। मिशन मैथमेटिक्स का प्रभाव शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत गणित में विद्यालयों के सीबीएसई के दसवीं कक्षा के परिणामों में दिखायी दिया। बुनियादी गणित में उत्तीर्ण प्रतिशत में लगभग 12 प्रतिशत (74.90 प्रतिशत से 86.77 प्रतिशत) उछाल आया और इसके परिणामस्वरूप शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत कक्षा 10 के समग्र परिणाम में 81.27 से 85.84 तक सुधार हुआ यानी इसमें लगभग 5% की वृद्धि हुई। मिशन गणित को सत्र 2023-24 के लिए आठवीं से दसवीं कक्षा तक बढ़ा दिया गया है।

11.6 एससीईआरटी:

- इस वर्ष एससीईआरटी द्वारा शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत सभी नए भर्ती/पदोन्नत स्कूल प्रमुखों (लगभग 600), सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और एमसीडी के प्रधानाचार्यों/प्रभारियों के लिए देश के प्रमुख संस्थानों यानी आईआईएम/टीआईएसएस आदि में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है।
- दिल्ली राज्य एनईपी 2020 की सिफारिशों और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ) 2023 के अनुसार प्रारंभिक बचपन देखभाल शिक्षा (ईसीसीई) और स्कूल शिक्षा (एसई) के लिए राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा (एससीएफ) के विकास की प्रक्रिया में है।
- वैश्विक परिप्रेक्ष्य विकसित करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने के लिए एमसीडी और शिक्षा निदेशालय के स्कूल प्रमुखों, शिक्षकों और डीआईटी/एससीईआरटी के शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए कैम्ब्रिज, फिनलैंड, सिंगापुर आदि में अंतर्राष्ट्रीय दौरे प्रस्तावित हैं।

12. उच्च शिक्षा

- 12.1 सतत आर्थिक और सामाजिक विकास में उच्च शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। ज्ञान उच्च शिक्षा की धुरी है। ज्ञान सृजन में निवेश और इसका प्रसार उच्च पारिश्रमिक वाले रोजगार और उत्पादकता वृद्धि की मुख्य कुंजी है। उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान के माध्यम से ज्ञान सृजित किया जाता है, शिक्षण के माध्यम से इसका प्रसार होता है और विद्यार्थियों द्वारा यह ग्रहण किया जाता है। उच्च शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को विभिन्न कार्यक्रम उपलब्ध कराते हैं जिनका उद्देश्य उन्हें विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए तैयार करना, लंबे समय तक उसमें बने रहने में सक्षम बनाना और वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलावों के अनुरूप बने रहने में सहयोग करना है।

सरकार बुनियादी ढांचा और फैकल्टी में निवेश, वंचित समुदायों के मुख्य धारा में समावेशन के लिए प्रशासनिक सुधार और संस्थागत बदलावों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती रही है। उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल में कई नवाचारी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जैसे इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना और विद्यार्थियों की उद्यमिता प्रतिभा विकसित करना। शैक्षणिक संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाकर कौशल विकास को बढ़ावा देना सरकार का प्राथमिकता क्षेत्र है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट में उच्च शिक्षा के लिए 819.29 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

- 12.2 दिल्ली में वर्ष 2022-23 में कुल 232 उच्च शिक्षा संस्थान थे। जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है—

विवरण 15.14
दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थान

क्र सं	संस्थान संस्थान	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	विश्वविद्यालय	12	12	12	13	13	14	16	16
2.	विश्वविद्यालय के रूप में समकक्ष संस्थान	12	11	11	11	11	9	8	8
3.	राष्ट्रीय महत्व के संस्थान	3	4	4	4	4	5	6	6
4.	सामान्य शिक्षा संबंधी कॉलेज	84	84	85	90	90	91	90	90
5.	व्यावसायिक शिक्षा संबंधी कॉलेज	100	102	107	100	100	103	125	112
	कुल	211	213	219	218	218	222	245	232

स्रोत : एआईएसएचई पोर्टल; विश्वविद्यालय पत्र (डीयू और जीजीएसआईपीयू)

- 12.3 विवरण 15.14 से पता चलता है कि दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थानों में से करीब 48 प्रतिशत व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद करीब 39 प्रतिशत संस्थान सामान्य शिक्षा के लिए महाविद्यालयों की श्रेणी में और बाकी 13 प्रतिशत विश्वविद्यालय/समकक्ष विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं।

विवरण 15.15
उच्च शिक्षा में कुल दाखिले (2018-19 से 2021-22)

(लाख में)

वर्ष	उच्च शिक्षा में कुल दाखिले		महिलाओं के दाखिले		दखिलों में महिलाओं का प्रतिशत	
	दिल्ली	अखिल भारत	दिल्ली	अखिल भारत	दिल्ली	अखिल भारत
2018-19	10.77	373.99	5.28	181.89	49.02	48.63
2019-20	10.99	362.53	5.43	177.19	49.41	48.88
2020-21	10.89	383.04	5.33	185.47	48.94	48.42
2021-22	11.33	403.23	5.55	192.07	48.98	47.63

स्रोत : उच्च शिक्षा के बारे में अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) पोर्टल सर्वे वर्ष 2020-21

- 12.4 विवरण 15.15 से स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा में सभी स्तरों पर महिलाओं के दाखिलों की संख्या पिछले वर्ष के समान बनी रही है।

विवरण 15.16
उच्च शिक्षा में विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों में स्त्री-पुरुष समानता सूचकांक

स्तर	2021-22	
	दिल्ली	अखिल भारत
स्नातक	0.90	0.90
स्नातकोत्तर	1.41	1.24
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	0.79	0.80
एम.फिल.	1.06	1.83
पी-एच.डी	0.87	0.86
डिप्लोमा	0.87	0.56
सर्टिफिकेट	0.95	0.90
एकीकृत	0.62	0.85

स्रोत : उच्च शिक्षा में नामांकन के बारे में अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट 2021-22 के आंकड़ों के आधार पर परिकलित

- 12.5 स्त्री-पुरुष समानता सूचकांक (जीपीआई) उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाली महिलाओं का पुरुष दाखिले की तुलना में अनुपात है। यह शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर स्त्री-पुरुष समानता की स्थिति दर्शाता है, समाज में महिलाओं के सशक्तीकरण को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण संकेतक है। इस सारणी से स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली में स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. और डिप्लोमा स्तर पर जीपीआई राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है।

12.6. दिसंबर 2022 तक उच्च शिक्षा के संदर्भ में प्रमुख उपलब्धियां:

12.6.1 गुरु गविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

यह एक शिक्षण और संबद्धता प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय है जिसका स्पष्ट उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही उच्च शिक्षा के उभरते क्षेत्रों में अध्ययन, अनुसंधान और विस्तार कार्य को सुविधाजनक बनाना और बढ़ावा देना है, उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन अध्ययन, चिकित्सा, फार्मसी, नर्सिंग, शिक्षा, आदि।

प्रमुख परियोजना :

पूर्वी दिल्ली को शिक्षा पर प्राथमिकता के साथ एक शिक्षा केंद्र में बदलने के उद्देश्य से 8 जून 2023 को सूरजमल विहार में गुरु गोबिंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू) के नवनिर्मित पूर्वी दिल्ली परिसर का उद्घाटन किया गया है। परियोजना की लागत 386.83 करोड़ रुपये थी, जिसमें रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की हिस्सेदारी 41 करोड़ रुपये थी। यह इमारत 100 प्रतिशत हरित परिसर है और इसमें निवल-शून्य ऊर्जा खपत है।

इस परिसर में एक इन्द्रप्रस्थ इन्क्यूबेशन सेंटर है जो 2,400 छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करेगा। नया परिसर शुरू में दो स्कूलों, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स (यूएसएआर) और यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिजाइन एंड इनोवेशन (यूएसडीआई) के साथ शुरू करने की योजना बना रहा है।

द्वारका सेक्टर 16-सी में जीजीएसआईपीयू के दूसरे चरण के परिसर के निर्माण का एक अन्य प्रस्ताव भी प्रक्रिया में है

12.6.2 डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

डॉ. आम्बेडकर विश्वविद्यालय का लक्ष्य सामाजिक विज्ञान और मानविकी में अनुसंधान और शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है। यह विश्वविद्यालय उत्कृष्टता के साथ डॉ. आम्बेडकर के समानता तथा सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से प्रेरित है। एयूडी उच्च शिक्षा तक पहुंच और सफलता के बीच स्थायी और प्रभावी संबंध बनाने को अपना मिशन मानता है।

प्रमुख परियोजना :

एयूडी ने धीरपुर और रोहिणी में क्रमशः लगभग 20 हेक्टेयर और 7.3 हेक्टेयर के आवंटित भूखंडों पर दो नए विश्वविद्यालय परिसर विकसित करने की योजना बनाई है। प्रस्ताव को ईएफसी द्वारा 10.05.2022 को आयोजित बैठक में मंजूरी दे दी गई है। धीरपुर परिसर की अनुमानित लागत 1199.02 करोड़ रुपये है और रोहिणी परिसर की अनुमानित लागत 1107.56 करोड़ रुपये है। आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद दोनों परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि 3 वर्ष है। धीरपुर परिसर का निर्माण पूरा होने के बाद, वहां 16040 विद्यार्थियों और रोहिणी परिसर में 9900 विद्यार्थियों को सुविधाएं प्रदान किए जाने का अनुमान है।

12.6.3 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय का प्राथमिक उद्देश्य ऐसी व्यापक और अंतर-विषयी कानूनी शिक्षा विकसित करना और प्रदान करना है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक हो। इस शिक्षा के माध्यम से, एनएलयू का लक्ष्य कानूनी और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना और कानून के शासन और भारत के संविधान में निहित उद्देश्यों को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली को चार बिंदु पैमाने पर ए ग्रेड मान्यता दी है। एनएलयू दिल्ली को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के अंतर्गत 2023 की रैंकिंग में कानून श्रेणी में दूसरा स्थान दिया गया है।

प्रमुख परियोजना :

एनएलयू दिल्ली के द्वारका में विद्यार्थियों के लिए छात्रावास/स्टूडियो अपार्टमेंट सहित नए भवन के निर्माण की योजना बना रहा है।

12.6.4 दिल्ली खेलकूद विश्वविद्यालय

दिल्ली सरकार ने, सक्षम मानव संसाधन तैयार करने के अपने घोषित उद्देश्य के अनुसार, इच्छुक युवा विद्यार्थियों को खेल, शारीरिक गतिविधियों और मनोरंजन का प्रशिक्षण एवं शिक्षण प्रदान करने और शारीरिक फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है।

वर्तमान में, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लुडलो कैसल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 4, शामनाथ मार्ग, दिल्ली में कार्य कर रही है। टैलेंट स्काउटिंग के पूरा होने के बाद 2023-24 में कुल 180 विद्यार्थियों को दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल के लिए चुना गया है, जिसे दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जा रहा है।

प्रमुख परियोजना :

विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर घेवरा मोड़, ग्राम हिरणकूदना (मुंडका के पास), दिल्ली में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

12.6.5 दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय

दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना 26 जनवरी 2022 को दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022 (2022 का दिल्ली अधिनियम 02) के माध्यम से की गई है। विश्वविद्यालय स्कूल स्तर पर शैक्षिक अध्ययन, नेतृत्व और नीति जैसे क्षेत्रों में सेवा पूर्व और सेवा कालीन, दोनों चरणों में दक्षता विकसित करने के प्रति समर्पित है।

वर्तमान में, डीटीयू आउटराम लेन कैंपस, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली में कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय वर्तमान में 2023-24 के लिए प्रवेश और अन्य पाठ्यक्रमों/कार्यक्रम की मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

प्रमुख परियोजना :

स्थान का चयन होने के बाद दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी भवन का निर्माण शुरू किया जाएगा। डीटीयू ने भूमि आवंटन के लिए डीडीए से अनुरोध किया है।

12.6..6 डीएचई ट्रस्ट के अंतर्गत योजनाएं :

"प्रतिभा एवं अर्थोपाय संबंधी वित्तीय सहायता योजना" को दिल्ली उच्च और तकनीकी शिक्षा सहायता योजना (दिल्ली उच्च शिक्षा सहायता ट्रस्ट के तहत) के नाम से संशोधित किया जा रहा है:

'दिल्ली हायर एजुकेशन एंड ट्रस्ट' की निधि से वित्त पोषित "प्रतिभा एवं अर्थोपाय संबंधी वित्तीय सहायता योजना" के तहत, दिल्ली के 9 राज्य विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड रखने वाले विद्यार्थी ट्यूशन फीस की 100% वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकते हैं। जो विद्यार्थी खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, वे ट्यूशन फीस के 50% तक का लाभ उठा सकते हैं और जिन विद्यार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये से 6.00 लाख रुपये के बीच है, वे ट्यूशन शुल्क के 25% के बराबर लाभ उठा सकते हैं। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी के पास पिछली कक्षा में 60%अंक होने चाहिए और अजा/अजजा विद्यार्थियों के लिए अंकों में 5% की छूट दी गई है।

2022-24 की अवधि में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के कुल 10650 विद्यार्थियों ने इस योजना का लाभ उठाया जबकि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में 6820 विद्यार्थी लाभान्वित हुए थे।

परंतु, उपरोक्त योजना को अब "दिल्ली उच्च और तकनीकी शिक्षा सहायता योजना" (दिल्ली उच्च शिक्षा सहायता ट्रस्ट के तहत) के रूप में परिवर्तित/संशोधित करने का प्रस्ताव है, जो वर्तमान में कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना :

उच्च शिक्षा निदेशालय वर्ष 2015-16 से 'दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास विकास गारंटी योजना' नाम का एक कार्यक्रम भी संचालित कर रहा है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी 10 लाख रुपये तक का शैक्षिक ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए बैंकों को गारंटी 'दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास ऋण गारंटी फंड ट्रस्ट' के पास सीमित निधि के माध्यम से प्रदान की जाती है।

यह योजना वर्ष 2016-17 के दौरान, वेब पोर्टल (www.studentloan.delhi.gov.in) पर शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत दिल्ली से दसवीं और बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी दिल्ली में या दिल्ली के बाहर (भारत के भीतर) स्थित विश्वविद्यालय/संस्थान में उच्च शिक्षा के लिए सरकार से शिक्षा ऋण प्राप्त करने के वास्ते ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 37 आवेदन प्राप्त हुए जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसके अंतर्गत 56 आवेदन प्राप्त हुए थे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 03 आवेदकों को 13.46 लाख रुपये के ऋण मंजूर किए गए।

13 तकनीकी शिक्षा

- 13.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने युवाओं और कार्यशील आबादी के कौशल विकास संवर्द्धन के लिए अनेक पहल की हैं। इसका उद्देश्य उद्योगों में कुशल मानव शक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर पाटना, वर्तमान नवाचारी सोच और उद्यमिता को बढ़ावा देना, तकनीकी और व्यवसायिक प्रशिक्षण की रूपरेखा तय करना, विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता बढ़ाना और इन्क्यूबेशन

केंद्रों की स्थापना करना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तकनीकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों को विशेष अनुसंधान सहायता के माध्यम से अधिक से अधिक शोध के लिए प्रोत्साहित करती रही है।

13.2 प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीटीई) को उद्योगों की आवश्यकताएं पूरी करने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के नियोजित विकास के लिए प्रशिक्षित तकनीकी कौशल प्राप्त मानव शक्ति उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है। विभाग ने तकनीकी शिक्षा विकास और कौशल विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। इस उद्देश्य के लिए उच्च शिक्षा बुनियादी ढांचा विकास, नए पाठ्यक्रम शामिल करने, बेहतर रोजगार अवसर और उद्यमिता विकास के उद्देश्य से सुलभ और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने और फैकल्टी विकास कार्यक्रम जैसे कई उपाय किए गए हैं।

13.3 दिल्ली सरकार ने तकनीकी शिक्षा में छह राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। ये हैं— दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू), इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्ल्यू), इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईआईटी-डी), दिल्ली औषधि विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय (डीपीएसआरयू), नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनएसयूटी) और दिल्ली कौशल उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू)। इनके अलावा प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक डिग्री स्तर का संस्थान (कला महाविद्यालय), 8 पॉलिटेक्निक (निजी और सहायता प्राप्त) और 52 आईटीआई (राजकीय और निजी) जैसे कुल 60 तकनीकी संस्थान—सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और पीएचडी तक की डिग्री सहित विभिन्न स्तरों पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। विवरण नीचे दिया गया है।

13.3.1 दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू)

दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (डीटीयू), जिसे पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (डीसीई) के नाम से जाना जाता था, दिल्ली, भारत में एक राज्य विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1941 में दिल्ली पॉलिटेक्निक के रूप में हुई थी। संस्थान को 1963 में शिक्षा मंत्रालय से दिल्ली प्रशासन को सौंप दिया गया और 1965 में इसका नाम बदलकर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 1952 से 2009 तक दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध था। 2009 में, कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इस प्रकार इसका नाम बदलकर दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कर दिया गया।

दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बी.टेक), बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बी. टेक इवनिंग), बैचलर ऑफ आर्ट्स (ऑनर्स) इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ डिजाइन (बी.डेस), मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.टेक) जैसे कई पाठ्यक्रम संचालित करती है। इसके अलावा विश्वविद्यालय द्वारा मास्टर ऑफ साइंस (एम.एससी), मास्टर ऑफ डिजाइन (एम.डिजाइन), डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) का संचालन भी किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय का लक्ष्य विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और संबद्ध क्षेत्रों के उभरते क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना और इन्क्यूबेशन, उत्पाद विकास और प्रौद्योगिकी तथा उद्यमिता हस्तांतरण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। 2023–24 के दौरान विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता 4303 सीटों की है।

- 13.3.2 **नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनएसयूटी)** दिल्ली में एक राज्य विश्वविद्यालय है। यह इंजीनियरी, विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन के क्षेत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों में हाइटेक पाठ्यक्रम संचालित करता है। विश्वविद्यालय सक्षम नवाचारी तथा राष्ट्र और समाज सेवा में अग्रणी नेता तैयार करने के लिए अनुसंधान और विकास परामर्श तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम भी संचालित करता है। शैक्षणिक वर्ष 2023–24 के दौरान इस विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता 3494 विद्यार्थियों की है।
- 13.3.3 **दिल्ली औषधि विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय (डीआईपीएसआरयू)**, एक राज्य विश्वविद्यालय और देश का पहला फार्मसी विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय ने शिक्षा सत्र 2015–16 से काम करना शुरू किया। यह शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एक उत्कृष्ट संस्थान है जो चिकित्सा/स्वास्थ्य और औषधि विज्ञान में विभिन्न डिप्लोमा, यूजी, पीजी और पीएचडी पाठ्यक्रम में अनुसंधान की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। 2023–24 के दौरान इस विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता 1002 सीटों की है।
- 13.3.4 **इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्ल्यू)** की स्थापना मई 2013 में दिल्ली राज्य विधानमंडल अधिनियम 9, 2012 के तहत की गई थी। विश्वविद्यालय जीवन और कार्य के बीच संतुलन बनाते हुए इंजीनियरिंग विज्ञान, प्रबंधन, व्यावसायिक शिक्षा, वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्टता के माहौल को बढ़ावा देता है और इन क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के शैक्षिक अनुभव को बहुआयामी और समग्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आईजीडीटीयूडब्ल्यू विज्ञान, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और प्रबंधन की विभिन्न शाखाओं में प्रशिक्षण और शिक्षण, अनुसंधान-उन्मुख केंद्र के रूप में कुशलतापूर्वक कार्य करता है जो पूरे देश की महिलाओं के बीच अनुसंधान आधारित ज्ञान की उन्नति और प्रसार को बढ़ावा देता है।
- विश्वविद्यालय का कार्यनीतिक लक्ष्य उद्योग से संबंधित अनुसंधान और नवाचारों को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना है। वर्तमान में आईजीडीटीयूडब्ल्यू में 08 विभाग हैं और यह कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, एआई और एमआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और ऑटोमेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वास्तुकला और प्रबंधन में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रम संचालित करता है। 2023–24 के दौरान विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता 1400 सीटों की है।
- 13.3.5 **दिल्ली इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी-डी)**, की स्थापना दिल्ली अधिनियम 2007 के तहत 2008 में की गई थी। इसे अनुसंधान और विकास तथा डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया। इस संस्थान ने सुदृढ़ शोध संस्कृति विकसित की है और नवाचारी शिक्षा कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया है। आईआईटी की दिल्ली में वर्तमान समय में 6 विभाग कार्यरत हैं – कम्प्यूटर साइंस, इलेक्ट्रानिक्स और संचार, कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी, मानव केंद्रित डिजाइन, सामाजिक विज्ञान और मानविकी तथा गणित। ये संस्थान एक समुदाय के रूप में सतत विकास और रूपांतरण की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है तथा वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थान का दर्जा हासिल कर रहा है। वर्ष 2023–24 के दौरान इस विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता 824 सीटों की है।
- 13.3.6 **दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू)** की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अगस्त 2020 में की गई थी। इसका लक्ष्य विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय कौशल शिक्षा से लैस करना है ताकि वे बेहतर रोजगार पा सकें और उद्यमिता क्षमता विकसित कर सकें।

डीएसईयू का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण में मौजूदा अंतराल को भरकर युवाओं और उद्योगों के लिए अनुकूल स्थिति लाना है। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम उद्योगों की आवश्यकताओं से प्रेरित हैं और इनसे स्नातकों को अपनी करियर में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक तैयारी में मदद मिलेगी। विश्वविद्यालय दिल्ली में अपने 19 कैंपस के माध्यम से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। शिक्षा वर्ष 2023-24 में इसकी प्रवेश क्षमता 7910 सीटों की है।

तकनीकी शिक्षा में सीटों की उपलब्धता प्रवेश चाहने वालों की तुलना में सीमित है और दिल्ली सरकार बुनियादी ढांचे में विकास कर प्रवेश क्षमता बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है। प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता विवरण 15.17 में दर्शाई गई है। पिछले छह वर्षों में इसकी सीटों की क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है और यह 2018-19 की 7432 से बढ़कर 2023-24 में 19293 हो गई है।

विवरण 15.17

कॉलेजों और विश्वविद्यालय में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता

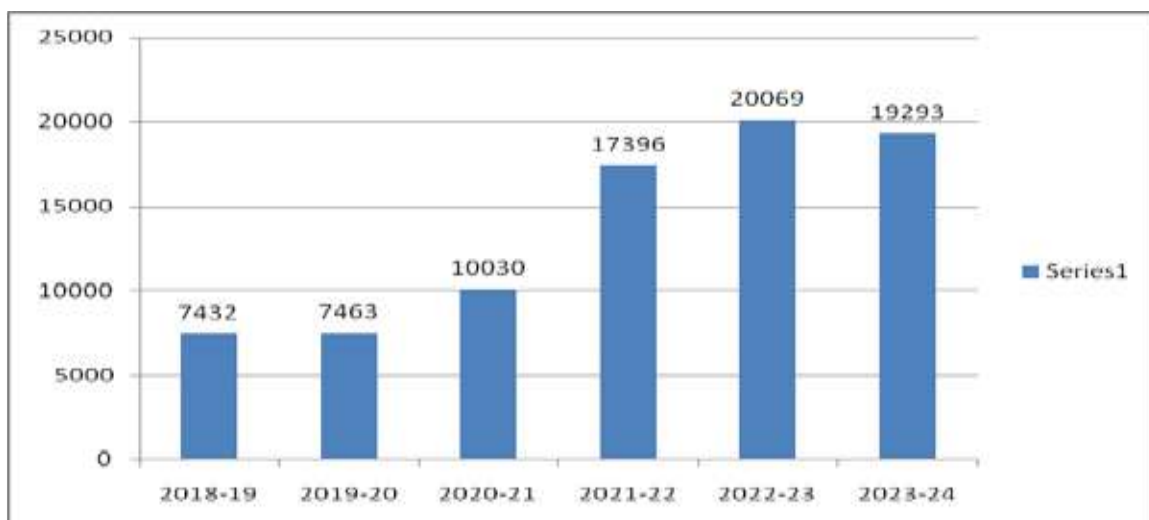
क्र.सं.	संस्थान	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) (पूर्वी परिसर सहित)	3814	3790	5000	5100	4596	4303
2.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनएसयूटी)	1175	1521	1696	2788	3946	3494
3.	इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्ल्यू)	618	710	1113	1275	1275	1400
4.	इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईआईटी-डी)	612	660	859	878	934	824
5.	जीबी पंत राजकीय इंजीनियरी कॉलेज (जीबीपीजीईसी)	210	220	NIL	--	---	---
6.	आम्बेडकर उच्च संचार प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान (एआईएसीटीएंडआर)	252	270	--	--	---	---
7.	चौधरी ब्रह्म प्रकाश राजकीय इंजीनियरी कालेज (सीएच. बीपीजीईसी)	134	180	250	--	---	---
8.	दिल्ली उपकरण इंजीनियरी संस्थान (डीआईटीई)	138	140	180	--	---	---
9.	दिल्ली औषधि विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (डीआईपीएसएआर)	241	150	--	--	---	---
10.	दिल्ली औषधि विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय (डीपीएसआरयू)	310	410	530	1097	1137	1002
11.	कला महा विद्यालय (सीओए)	343	343	402	Nil	248	360
12.	दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू)	--	--	--	6258	7933	7910
कुल		7432	7463	10030	17396	20069	19293

टिप्पणी :

1. एआईएसीटीएंडआर और सीएच. बीपीजीईसी का एनएसयूटी में विलय कर दिया गया है, और इनका डेटा एनएसयूटी में दर्शाया गया है।
2. डीआईपीएसएआर को डीपीएसआरयू के साथ मिला दिया गया है और डेटा डीपीएसआरयू में दर्शाया गया है।
3. डीआईटीई और जीबीपीजीईसी का विलय डीएसईयू में कर दिया गया है और डेटा अलग से दर्शाया गया है।

चार्ट 15.3

महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता



विवरण 15.18

2018-19 से 2023-24 के दौरान दिल्ली में तकनीकी संस्थान

क्र सं	तकनीकी संस्थान	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	19	19	19	19	19	19
2.	औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र	63	40	33	33	33	33
3.	प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र	1	1	NA	0	0	0
4.	व्यवसायिक खंड संस्थान	1	1	--	0	0	0
5.	प्रौद्योगिकी संस्थान (पॉलीटेक्निक)	19	19	18	8	8	8
6.	विश्वस्तरीय कौशल उन्नयन केंद्र	7	7	7	0	0	0
कुल		110	87	77	60	60	60

स्रोत : तकनीकी शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

टिप्पणी : प्रौद्योगिकी संस्थान (पॉलिटेक्निक) और डब्ल्यूसीएससी को वर्ष 2021-22 के दौरान डीएसइयू में मिला दिया गया।

विवरण 15.19
दिल्ली के तकनीकी संस्थानों में विद्यार्थी : 2018-19 से 2023-24

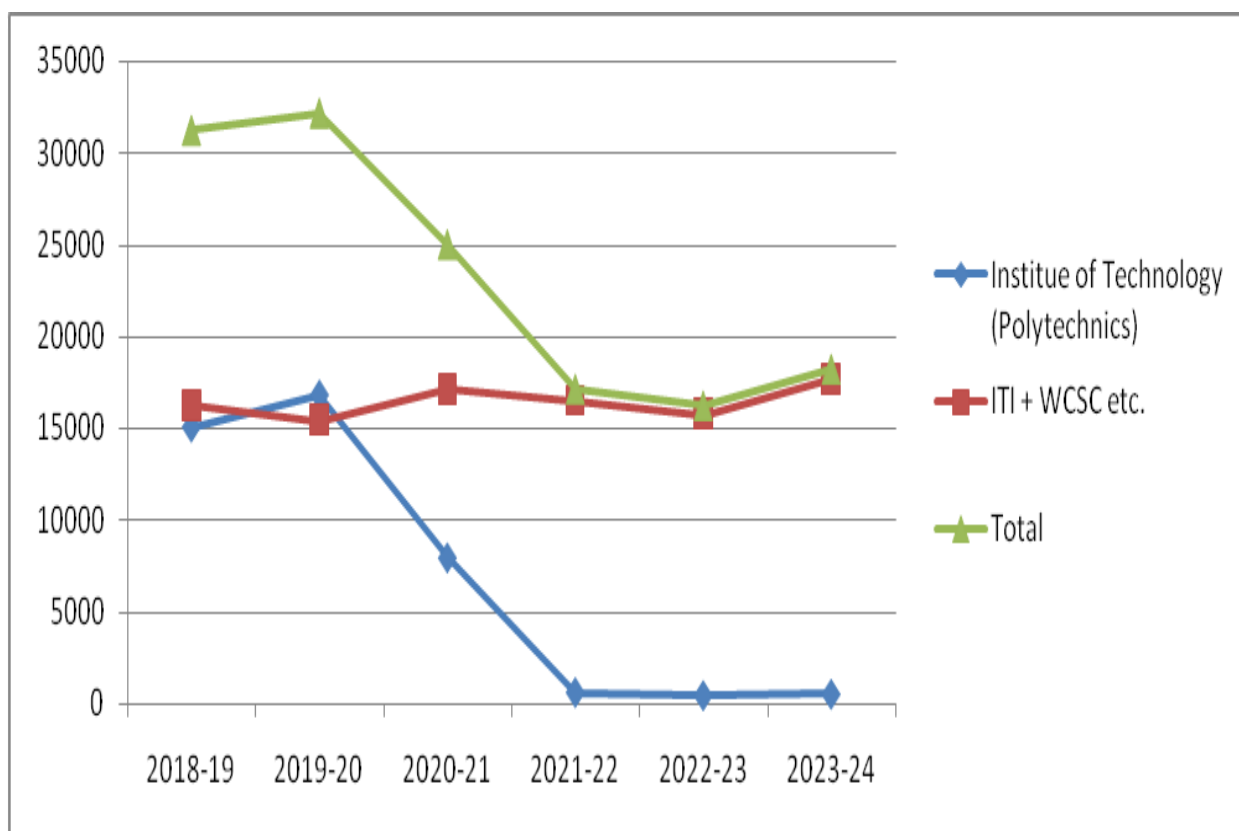
क्र सं	तकनीकी संस्थान	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	11792	10241	10960	11020	11336	12072
2.	औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र	3672	3720	6128	5478 (लगभग)	4408	5500
3.	बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र	754	765	एनए	एनए	एनए	एनए
4.	व्यवसायिक खंड संस्थान	0	0	--	--	--	-
5.	प्रौद्योगिकी संस्थान (पॉलिटेक्निक)	15023	16770	7934	637 (निजी)	473 (निजी)	542 (Govt. Aided + Private)
6.	विश्वस्तरीय कौशल उन्नयन केंद्र	683	690	शून्य	--	--	--
कुल		251	186	1022	135	217	214

स्रोत : तकनीकी शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्ष. दिल्ली सरकार

टिप्पणी 1. प्रौद्योगिकी संस्थान (पॉलिटेक्निक) और डब्ल्यूसीएससी को वर्ष 2021-22 के दौरान डीएसईयू में मिला दिया गया।

2. 04-01-2023 को पॉलिटेक्निक में दर्शाए गए विद्यार्थी डीटीटीई के तहत निजी संस्थानों के हैं।

चार्ट : 15.4
2018-19 से 2023-24 तक दिल्ली के तकनीकी संस्थानों में विद्यार्थी की संख्या





इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने युवाओं को नए उद्यमों की स्थापना (स्टार्ट अप्स) के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें रोजगार खोजने वाले की बजाए रोजगार देने में सक्षम बनाने के लिए राज्य इन्क्यूबेशन नीति मंजूर की है। 11 इन्क्यूबेशन सेंटर पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक तकनीकी और उच्च शिक्षा संस्थान को अपेक्षित बुनियादी ढांचा कायम करने, कम्प्यूटरों आदि की खरीद और सहयोग एवं नवाचार का वातावरण बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया था। इन्क्यूबेशन नीति की धारा 8 के अनुसार कंपनियों का गठन इन्क्यूबेटर्स के लिए होल्डिंग कंपनी के रूप में किया गया है और प्रतिभागी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि परिसर के भीतर इन्क्यूबेशन सेंटरों की स्थापना में सहायता मिले। मौजूदा समय तक कुल 274 इन्क्यूबेट, इन केंद्रों में काम कर रहे थे। संस्थानवार सूची नीचे दी गई है—

सरकारी सहयोग/कोष का उपयोग कर रहे विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में स्थापित इन्क्यूबेशन केंद्र/स्टार्टअप की अद्यतन स्थिति

क्र.स.	इन्क्यूबेशन केंद्र का नाम	30 नवंबर 2022 सा स्टार्टअप की संख्या	2022 तक जारी बुनियादी निधि	30 नवंबर 2023 सा स्टार्टअप की संख्या	2023 तक जारी बुनियादी निधि
1.	एआईएसीटीआर इन्क्यूबेशन और अनुसंधान फाउंडेशन	5	1.52 करोड़	5	1.52 करोड़
2.	स्टार्ट फाउंडेशन में एएनडीसी	13	2.29 करोड़	26	2.29 करोड़
3.	एयूडी इन्क्यूबेशन नवाचार और उद्यमिता केंद्र	14	3.16 करोड़	14	3.16 करोड़
4.	बीपीआईबीएस ज्ञान और नवाचार फाउंडेशन	3	1.67 करोड़	33	1.67 करोड़
5.	डीपीएसआरयू इनोवेशन और इन्क्यूबेशन फाउंडेशन (डीआईआईएफ)	15	2.53 करोड़	31	2.53 करोड़
6.	डीटीयू इनोवेशन एंड इन्क्यूबेशन फाउंडेशन	33	1.86 करोड़	65	1.86 करोड़
7.	आईजीडीटीयूडब्ल्यू-अन्वेषण फाउंडेशन	17	2.75 करोड़	30	2.75 करोड़
8.	आईआईआईटी-दिल्ली इनोवेशन एंड इन्क्यूबेशन सेंटर	28	3.06 करोड़	27	3.06 करोड़
9.	एनएसयूटी इन्क्यूबेशन और इनोवेशन फाउंडेशन (एनएसयूटी-आईआईएफ)	12	2.18 करोड़	12	2.18 करोड़
10.	एसएससीबीएस इनोवेशन एंड इन्क्यूबेशन फाउंडेशन (एसआईआईएफ)	19	2.76 करोड़	31	2.76 करोड़
11.	डीआईटीई	0	0.83 करोड़	0	0.83 करोड़
	कुल	159	लगभग 24.61 करोड़	274	लगभग 24.61 करोड़

2023–24 (दिसंबर, 2023 तक) में तकनीकी शिक्षा के संबंध में प्रमुख विशेषताएं:

1. शिक्षा के विभिन्न विषयों में गुणवत्ता को बढ़ावा देना और जनसांख्यिकीय अनुकूलता का लाभ उठाना; राष्ट्रीय विकास के लिए विकासशील, प्रशिक्षित और रोजगार योग्य मानव संसाधन की चुनौती का समाधान करने के लिए दिल्ली कौशल और उद्यमी विश्वविद्यालय (डीएसईयू) कौशल उन्मुख कार्यक्रम डिजाइन और प्रदान करता है। डीएसईयू ने कौशल विकास के अनुरूप उभरते क्षेत्रों के नए पाठ्यक्रम पेश किए हैं।
2. समाज में कंप्यूटर शिक्षा और डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए पेटिएम फाउंडेशन के सहयोग से नई लैब ऑन व्हील सुविधाएं स्थापित करने के लिए लैब ऑन व्हील (बस) खरीदी गई है। छात्र और छात्राओं के नवनिर्मित छात्रावास पूरी तरह से सुसज्जित और चालू हैं और सभी चार विभाग अर्थात् एप्लाइड गणित, कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी को नवनिर्मित शैक्षणिक ब्लॉक (शैक्षणिक खंड-3 एवं शैक्षणिक खंड-4) में स्थानांतरित कर दिया गया है।
3. जीबी पंत इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण 526 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। इससे डिप्लोमा और डिग्री कार्यक्रमों में 3000 विद्यार्थियों को समायोजित करने के लिए 193641.41 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र जुड़ जाएगा। वित्तीय बोली खोली जा चुकी है और कार्य आवंटित कर दिया गया है।
4. डीएसईयू ने प्रौद्योगिकी संस्थान के बुनियादी ढांचे के उत्थान और प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए कार्रवाई शुरू की है। पीडब्ल्यूडी और डीटीटीडीसी काम को अंजाम दे रहे हैं।
5. डीपीएसआरयू अनुसंधान आधारित पाठ्यक्रमों को जोड़कर विस्तार कर रहा है और कुछ प्रिसिजन सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस यानी सेंटर फॉर प्रिसिजन मेडिसिन, डीएसआईआर प्रोजेक्ट और डीआईआईएफ प्रोजेक्ट डीबीटी-बीआईआरएसी बायो-नेस्ट-बायो-इनक्यूबेटर सेंटर की स्थापना की है, जिसमें फाइटो-फार्मास्युटिकल उत्पाद विकास की सुविधा है। यह सुविधा स्टार्ट-अप के लिए खुली है। अक्टूबर 2023 में विद्यार्थियों के साथ-साथ आस-पास के समाज के निवासियों के बीच आहार में बाजरा के स्वास्थ्य लाभ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए डीपीएसआरयू के बी. फार्मा आयुर्वेद विभाग द्वारा बाजरा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
6. आईटीआई शाहदरा में 10,000 विद्यार्थियों के लिए नए ब्लॉक के निर्माण का संशोधित प्रस्ताव माननीय प्रभारी मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया और मामला विचाराधीन है।
7. डीएसईयू को सुल्तानपुर माजरा में 1.61 हेक्टेयर नई भूमि आवंटित की गई है। आस-पड़ोस के विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए नए परिसर का निर्माण किया जाएगा।

अध्याय एक नजर में

➤	नयी शिक्षा नीति 2020 भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में बहुविषयक अकादमिक और अनुसंधान के नियमन, संचालन और संवर्द्धन में प्रणालीबद्ध और संस्थागत सुधार पर बल देती है।
➤	दिल्ली में 5488 मान्यता प्राप्त स्कूल हैं जिसमें लगभग 46.29 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। दिल्ली में दिल्ली सरकार के कुल 1240 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं जो यहां चल रहे कुल स्कूलों का 22.59 प्रतिशत हैं। जबकि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकन वर्ष 22-23 के दौरान हुए कुल नामांकन का 41.61 प्रतिशत है।
➤	स्कूली शिक्षा प्रणाली में उच्च स्तर की अभिनव शिक्षण कार्यनीतियों ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल को अनूठा बना दिया है। इस मॉडल के तहत शिक्षा रोचक और आनंदप्रद होने से बच्चों के शिक्षण अनुभव में लगातार सुधार हो रहा है।
➤	शिक्षा निदेशालय ने अपने इतिहास में पहली बार 2022-23 के दौरान दिव्यांग बच्चों के लिए राज्य और जिला स्तरीय पैरा स्पोर्ट्स प्रतियोगिता आयोजित की।
➤	“प्रोजेक्ट वॉयसेज” शिक्षा निदेशालय के सभी स्कूलों में कक्षा 3 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिये शुरू किया जा रहा है ताकि वे बोल कर अपने विचारों को अभिव्यक्ति दे सकें। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों में कौशल विकसित करने का प्रयास है जिससे वे निर्भीक होकर वाद विवाद, धारा प्रवाह बोलने, भाषण तथा वर्तनी उच्चारण इत्यादि में निपुण हो सकें।
➤	दिल्ली राज्य एनईपी 2020 की सिफारिशों और एनसीएफ 2023 के अनुसार प्रारंभिक बचपन देखभाल शिक्षा (ईसीसीई) और स्कूल शिक्षा (एसई) के लिए राज्य पाठ्यक्रम ढांचे (एनसीएफ) के विकास की प्रक्रिया में है।
➤	सरकार बुनियादी ढांचा और फैकल्टी में निवेश, वंचित समुदायों के समावेशन के लिये संचालन प्रशासन और संस्थागत सुधारों के माध्यम से गुणवत्ता पूर्ण उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती रही है।
➤	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने युवाओं में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिये राज्य इनक्यूबेशन नीति अनुमोदित की है ताकि वे अपना स्टार्ट अप लगा सकें और रोजगार की तलाश करने के बदले रोजगार प्रदान करने की क्षमता विकसित कर सकें।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

प्रस्तावना

स्वास्थ्य राष्ट्र की समृद्धि और खुशहाली के लिए अनिवार्य है। इसका आर्थिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि स्वस्थ आबादी दीर्घायु और अधिक उत्पादक होती है। यह एक महत्वपूर्ण मानव विकास सूचकांक है और राज्य के समग्र विकास के लिए अत्यंत अनिवार्य है। रा.रा.क्षे. दिल्ली ने स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी है और देश की राजधानी की कार्यनीति में लोगों की बेहतर स्वास्थ्य देखभाल को अनिवार्य घटक समझा गया है।

2. इलाज से परहेज बेहतर है, यह ऐसी नीति है जो सभी के लिए सुलभ सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की ओर ले जाती है। बीमारियों की रोकथाम और उपचार के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। समग्र, मानवीय और रोगी केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को सुलभ और सबके लिए उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। “स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सबके लिए प्रत्येक आयु में स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना” सतत विकास लक्ष्यों में से एक है और रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार स्वास्थ्य संकेतकों संबंधी सतत विकास लक्ष्यों के तहत ये लक्ष्य हासिल करने के लगातार प्रयास कर रही है।
3. स्वास्थ्य एक बुनियादी, निर्विवाद मानवाधिकार है—एक ऐसा अधिकार जो सरकार के लिए आय, सामाजिक समूहों, इलाकों या सामाजिक वर्ग का भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों को प्रदान करना अनिवार्य है। बड़े पैमाने पर शहरी शहर—राज्य दिल्ली में स्वास्थ्य प्रणाली को अनेक ज्वलंत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले, राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण की योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसके उपभोक्ताओं में संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और पड़ोसी राज्यों के संक्रामक जिले शामिल हैं, अतः उनकी संख्या वास्तव में अधिवासित आबादी से कई गुना अधिक है। दूसरे, मौजूदा कानून और नियम अक्सर सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलुओं के बारे में कई एजेंसियों, जैसे राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निकाय और केंद्र सरकार, द्वारा अतिव्यापी कार्रवाई का कारण बनते हैं।
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने अपने लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाने में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। दिल्ली ने विभिन्न स्तरों पर विश्वसनीय स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राष्ट्रीय राजधानी स्वास्थ्य देखभाल के विकास में सबसे आगे रही है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा बुनियादी से तृतीयक तक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
5. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के नागरिकों को निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली 2015 में निम्नलिखित तरीके से पुनर्गठित किया गया था:—
 - क. मोहल्ला क्लीनिक (आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक)
 - ख. मल्टी स्पेशलिटी क्लीनिक (पॉलीक्लिनिक)
 - ग. मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल (पहले माध्यमिक स्तर के अस्पताल कहलाते थे)
 - घ. सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (पहले तृतीयक स्तर के अस्पताल कहलाते थे)

6. 31.03.2023 तक, दिल्ली सरकार 38 मल्टीस्पेशलिटी और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों, 174 एलोपैथिक डिस्पेंसरियों, 60 मूलभूत प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्रों, 521 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिकों, 30 पॉलीक्लिनिकों, 55 आयुर्वेदिक औषधालयों, 25 यूनानी औषधालयों, 117 होम्योपैथिक औषधालयों और 46 स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिकों के माध्यम से दिल्ली के नागरिकों को निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान कर रही है।
7. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के हरसंभव उपाय कर रही है। इसके लिए मजबूत निदान सेवाओं के अलावा कई आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक और पॉलीक्लिनिक बनाए गए हैं। दिल्ली सरकार मौजूदा सरकारी अस्पतालों के विस्तार और रीमॉडलिंग के जरिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है। दिल्ली के सभी निवासियों को दिल्ली सरकार के पैनल में शामिल कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में एमआरआई, सीटी, पीईटीसीटी, टीएमटी इको जैसी रेडियोलॉजिकल निदान सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार के जनस्वास्थ्य केंद्रों से रेफर किया जाना जरूरी है। दिल्ली सरकार सरकारी अस्पतालों से रेफर किए जाने के बाद पैनल में मौजूद निजी अस्पतालों में सर्जरी के लिए निःशुल्क सर्जरी योजना भी संचालित कर रही है। कुछ चुने हुए सरकारी अस्पतालों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।
8. दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने को समर्पित एजेंसी है। यह दिल्ली में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ तालमेल रखती है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार 31.03.2023 को 1022 औषधालयों (कुल 1658 औषधालयों में से, लगभग 61.4 प्रतिशत), के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के मामले में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। 2015-16 से 2022-23 के दौरान सभी स्तरों पर उपलब्ध स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की जानकारी विवरण 16.1 में दी गई है।

विवरण 16.1

2015-2016 से 2022-23 के दौरान दिल्ली में बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं

क्रस	स्वास्थ्य संस्थान	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	अस्पताल*	94	83	88	88	88	88	89	92
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	5	7	7	7	7	12	48	39
3.	औषधालय**	1507	1240	1298	1432	1585	1575	1621	1658
4.	प्रसूति गृह एवं उप केंद्र***	265	193	230	251	224	134	128	124
5.	पॉलीक्लिनिकस	42	48	54 \$	55	56	52\$	44	46
6.	नर्सिंग होम	1057	1057	1160	1172	1151	1119	1050	1040
7.	विशेष क्लिनिक	27	14	124	167	305	388@	508	405
8.	मेडिकल कॉलेज	17	17	17	17	17	19#	19	19
	कुल	3014	2659	2978	3189	3433	3387	3507	3423

स्रोत : स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

* दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी, सीजीएचएस, रेलवे, ईएसआई, रक्षा अस्पताल आदि सभी सरकारी अस्पताल (एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और टीबी क्लिनिक) शामिल, लेकिन प्रसूतिगृह और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल नहीं।

** सरकार के सभी स्तरों के एलोपैथिक, आयुष औषधालय, मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक शामिल हैं।

*** प्रसूति गृह, प्रसूति केंद्र/उप केंद्र शामिल हैं।

+ इसमें दिल्ली सरकार के पॉलीक्लिनिक शामिल हैं, जो वर्ष के दौरान दिल्ली सरकार के औषधालयों को परिवर्तित करके बनाए गए हैं।

/ चेस्ट क्लिनिक और वीडि क्लिनिक शामिल हैं।

रु केवल स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम (एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बीयूएमएस और बीडीएस) के तहत चल रहे कॉलेज।

9. उपरोक्त विवरण से यह देखा जा सकता है कि दिल्ली में चिकित्सा संस्थानों की संख्या कुल मिला कर स्थिर रही है। 31.03.2023 को दिल्ली में 3423 चिकित्सा संस्थान हैं। नए स्वास्थ्य केंद्रों के विस्तार की धीमी गति के पीछे कई कारण हैं जैसे भूमि की अनुपलब्धता, कार्मिकों की कमी और एजेंसियों की बहुलता आदि। इसके अलावा सभी अस्पताल विशेष रूप से दिल्ली के बड़े अस्पतालों में रोगियों का भारी कार्यभार रहता है।
10. 2022-23 में दिल्ली में चिकित्सा संस्थानों की संख्या एवं बिस्तर क्षमता की एजेंसीवार जानकारी विवरण 16.2 में दी गई है।

विवरण 16.2

दिल्ली में चिकित्सा संस्थानों की संख्या और बिस्तरों की क्षमता का एजेंसीवार विवरण

क्र स	एजेंसियां	2022-23	
		संस्थान	स्वीकृत बिस्तर
1.	दिल्ली सरकार	40	14244
2.	दिल्ली नगर निगम	47	3372
3.	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	2	242
4.	भारत सरकार (डीजीएचएस, सीजीएचएस, रेलवे, ईएसआई, सेना अस्पताल, एलआरएस संस्थान)	19	9386
5.	अन्य स्वायत्त निकाय (पटेल चेस्ट इंस्टिट्यूट), आईआईटी अस्पताल, एम्स, एनआईटीआरडी (पूर्ववर्ती एलआरएस)	5	3786
6.	प्राइवेट नर्सिंग होम्स/अस्पताल/स्वैच्छिक संगठन	1037+3 V.O.	26636+20
	कुल	1153	57686

स्रोत: स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार.

11. **2015-16 से बिस्तर क्षमता में वृद्धि** : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की अनुशंसा के अनुसार अस्पतालों में जनसंख्या और बिस्तर अनुपात प्रति 1000 आबादी पर 5 बिस्तर का होना चाहिए। परंतु, दिल्ली में 2022-23 में यह अनुपात 2.70 रहा, जो डब्ल्यूएचओ मानदंड से काफी नीचे है। चिकित्सा संस्थाओं में 2015-16 से बिस्तरों की संख्या में वृद्धि और बिस्तर-आबादी अनुपात नीचे विवरण 16.3 में दिया गया है :

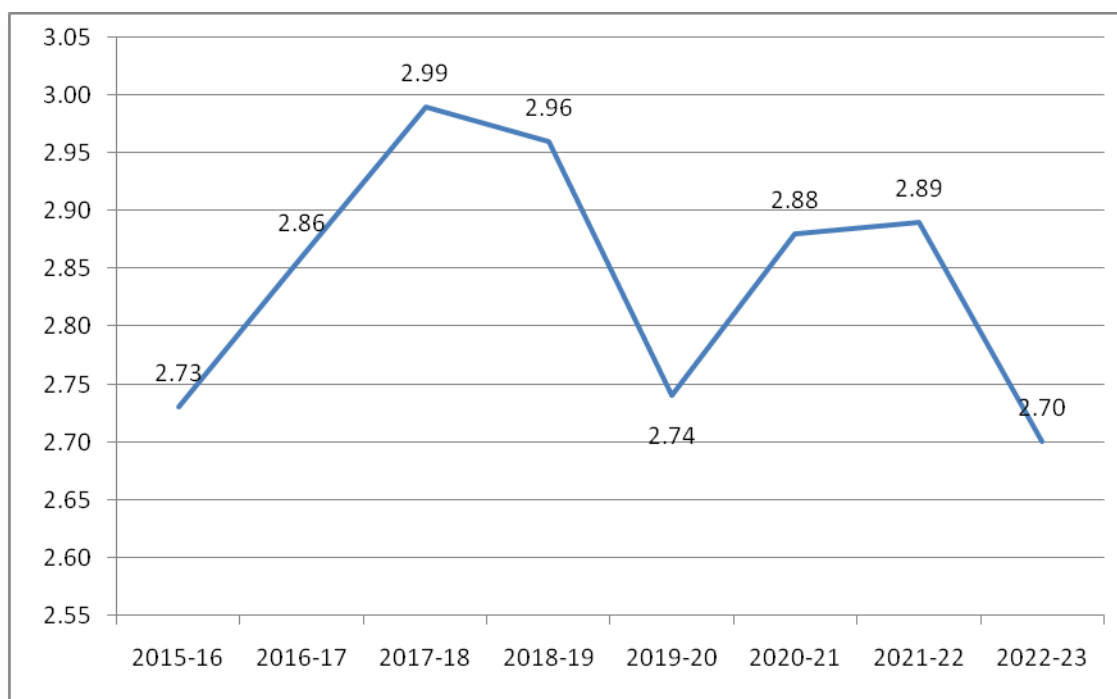
विवरण 16.3

दिल्ली में चिकित्सा संस्थाओं में बिस्तरों की संख्या और आबादी एवं बिस्तरों का अनुपात : 2015-2016 से 2022-23

क्र सं	वर्ष	अस्पताल बिस्तरों की संख्या		
		जनसंख्या (संख्या में)	स्वीकृत बिस्तर	प्रति 1000 व्यक्ति पर बिस्तर
1.	2015-16	183140	49969	2.73
2.	2016-17	186640	53329	2.86
3.	2017-18	191287	57194	2.99
4.	2018-19	194793	57709	2.96
5.	2019-20	198299	54321	2.74
6.	2020-21	201805	58156	2.88
7.	2021-22	203535	58960	2.89
8.	2022-23	213590	57686	2.70

स्रोत : स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

चार्ट 16.1
दिल्ली में बिस्तर आबादी अनुपात (प्रति 1000 व्यक्तियों पर बिस्तर)



12. वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में, दिल्ली में चिकित्सा संस्थाओं, 1153 सरकारी और प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों और अस्पतालों में स्वीकृत बिस्तरों की संख्या घट कर 57686 रह गई, जबकि 31.03.2022 को यह 58,960 थी। दिल्ली में बिस्तरों की स्वीकृत क्षमता में, विशेष रूप से भारत सरकार और दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित अस्पतालों में कमी आई है। भारत सरकार के अस्पतालों में यह संख्या 2021-22 में 9544 थी, जो 2022-23 में घटकर 9386 रह गई। इसी अवधि में दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित अस्पतालों में यह संख्या 2022-23 में घट कर 3372 रह गई, जो 2021-22 में 3625 थी। दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में स्वीकृत बिस्तर क्षमता में कोई बदलाव नहीं हुआ है और 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान यह 14244 पर स्थिर रही है। दिल्ली सरकार, भारत सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थानों में बिस्तरों का प्रतिशत क्रमशः 24.7 प्रतिशत, 22.8 प्रतिशत, 6.3 प्रतिशत है जबकि प्राइवेट नर्सिंग होम्स/अस्पतालों/स्वयंसेवी संगठनों के अंतर्गत बिस्तरों की संख्या का प्रतिशत 46.2 रहा है। जाने माने सरकारी अस्पतालों के अतिरिक्त दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सबसे अधिक रही है। नई परियोजनाओं के अलावा दिल्ली सरकार ने मौजूदा अस्पतालों को नया रूप देने/विस्तार करने के प्रयास किए हैं ताकि उपलब्ध प्लोर एरिया रेशो के अनुसार नये बिस्तर जोड़े जा सकें।
13. राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्माणाधीन अस्पतालों की स्थिति : वर्तमान में 11 अस्पताल निर्माणाधीन हैं। परियोजनाओं की एक सूची विवरण 16.4 में दी गई है, जिसमें बिस्तरों की संख्या, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तारीख, परियोजना लागत आदि ब्यौरा दर्शाया गया है।

विवरण 16.4
दिल्ली में निर्माणाधीन अस्पतालों का ब्यौरा

क्र.सं.	अस्पताल का नाम	निर्माणाधीन परियोजना का विवरण
1.	मादीपुर में अस्पताल परियोजना	- बिस्तरों की संख्या 200 से बढ़ाकर 691 बिस्तर की गई। 06.12.2019 को 691 बिस्तरों के लिए ईएफसी द्वारा 320.07 करोड़ रुपये की प्रारंभिक अनुमानित राशि मंजूर की गई। - टाइल्स, ग्रेनाइट आदि फिनिशिंग कार्य सभी तलों पर प्रगति पर है। - कंक्रीट फुटपाथ, कर्ब स्टोन बिछाने, पेवर ब्लॉक और स्टॉर्म वॉटर लाइन आदि जैसे विकास कार्य प्रगति पर हैं। - बाहरी पत्थर और एसीपी क्लैडिंग, स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग का काम प्रगति पर है। - इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कार्य भी प्रगति के उन्नत चरण में हैं। - बढ़ी हुई लागत के लिए आरपीई मंजूरी के लिए भेजे गए प्रस्ताव की प्रतीक्षा है। - पूरा होने की लक्ष्य तिथि 31.05.2024, आरपीई मंजूरी के अधीन है। - भौतिक प्रगति : 90 प्रतिशत
2.	सिरसपुर में अस्पताल परियोजना	- संशोधित प्रस्ताव में 2716 बिस्तरों वाला अस्पताल भवन (ब्लॉक ए 1164 बिस्तर + ब्लॉक बी 1552 बिस्तर) शामिल है। चरण (1) में 1164 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। - सिरसपुर में 1164 बिस्तरों वाले नए अस्पताल के निर्माण के लिए 487.54 करोड़ रुपये की प्रारंभिक अनुमान राशि को ईएफसी द्वारा 10/12/2019 को मंजूरी दे दी गई है।) - ब्लॉक "ए" – संरचना का काम पूरा हो गया है, आंतरिक बाहरी फिनिशिंग का काम, टाइल/ग्रेनाइट का काम, अग्नि जांच द्वार का काम प्रगति पर है। - ब्लॉक 'सी' :- फिनिशिंग और छत पर वॉटर प्रूफिंग का काम प्रगति पर है। - ईएसएस- संरचना का काम पूरा हो चुका है, फिनिशिंग और वॉटर प्रूफिंग का काम प्रगति के अग्रिम चरण में है। - बाहरी विकास कार्य जैसे सड़क कार्य, सीवरेज/स्टॉर्म वॉटर बिछाना, जल आपूर्ति लाइन और चारदीवारी का कार्य प्रगति पर है। - पूरा होने की लक्षित तिथि : 30.06.2024 - भौतिक प्रगति : 77 प्रतिशत
3.	विकासपुरी (हस्तसाल) में अस्पताल परियोजना	- बिस्तर की संख्या को 200 बिस्तर वाले अस्पताल से संशोधित कर 691 बिस्तर कर दिया गया है। - अस्पताल के निर्माण के लिए 691 बिस्तरों के लिए 319.51 करोड़ रुपये की प्रारंभिक अनुमानित राशि को ईएफसी द्वारा 06.12.2019 को मंजूरी दे दी गई है। - सबसे ऊपरी मंजिल यानी 8वीं मंजिल की ढलाई चल रही है। संरचना लगभग पूरी हो चुकी है। - पूर्णता की लक्षित तिथि : 31.12.2024. - भौतिक प्रगति 45 प्रतिशत
4.	ज्वालापुरी (नांगलोई) में अस्पताल परियोजना	- अस्पताल परियोजना की बिस्तर क्षमता को 200 बिस्तर वाले अस्पताल से संशोधित कर 691 बिस्तर कर दिया गया है। - अस्पताल के निर्माण के लिए 691 बिस्तरों के लिए 319.65 करोड़ रुपये की प्रारंभिक अनुमान राशि को ईएफसी द्वारा 06.12.2019 को मंजूरी दे दी गई है। - संरचना आरसीसी और चिनाई का काम पूरा हो गया। - बाहरी विकास, स्वच्छता स्थापना का काम लगभग पूरा हो चुका है। बाहरी मुखौटा विकास और विद्युत कार्य प्रगति के उन्नत चरण में है। - पूरा होने की लक्षित तिथि 30.06.2024, आरपीई मंजूरी के अधीन। - लागत में वृद्धि के लिए आरपीई मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया, मंजूरी की प्रतीक्षा है। - भौतिक प्रगति 90 प्रतिशत

क्र.सं.	अस्पताल का नाम	निर्माणाधीन परियोजना का विवरण
5.	शालीमार बाग	• बिस्तरों की संख्या : 1430 • मुख्य भवन का संरचनात्मक कार्य पूरा हो गया। फायर पेंट, आंतरिक विभाजन की दीवारें, बाहरी मुखौटा, शौचालय का काम, विद्युत सेवाएं और परिष्करण कार्य आदि काफी हद तक पूरे हो चुके हैं। • पूरा होने की लक्षित तिथि: जुलाई-2023 से कार्य रुका हुआ है। पूरा होने का संशोधित अनुमान की मंजूरी पर निर्भर करता है, यानी 6 महीने का समय। • भौतिक प्रगति : 76 प्रतिशत
6.	किराड़ी	• बिस्तरों की संख्या : 458 • भूकंप के दौरान मिट्टी के द्रवीकरण के कारण योजनाबद्ध मूल नींव को पाइल फाउंडेशन में बदलने की आवश्यकता पड़ी। • इसके अलावा डीजीएचएस ने आईसीयू अस्पताल को सामान्य अस्पताल में बदलने का निर्णय लिया है, जिसके लिए सामान्य अस्पताल की व्यापक आवश्यकताओं का अभी भी डीजीएचएस से इंतजार किया जा रहा है। • पूरा होने की लक्षित तिथि: जुलाई-2023 से रुकी हुई स्थिति में कार्य। पूरा होने का संशोधित अनुमान की मंजूरी पर निर्भर करता है, यानी 6 महीने के समय और अस्पताल के विवरण को अंतिम रूप देने पर निर्भर करता है।
7.	सुल्तानपुरी	• बिस्तरों की संख्या : 527 • मुख्य भवन का संरचनात्मक कार्य पूरा हो गया। फायर पेंट, इंटरनल ड्राई पार्टिशन वॉल, बाहरी मुखौटा, शौचालय का काम आदि काफी हद तक पूरा हो चुका है। • पूरा होने की लक्षित तिथि: जुलाई-2023 से कार्य रुका हुआ है। पूरा होने का संशोधित अनुमान की मंजूरी पर निर्भर करता है, यानी 6 महीने का समय। • भौतिक प्रगति : 76 प्रतिशत
8.	चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय	• बिस्तरों की संख्या : 596 • मुख्य संरचनात्मक और अन्य कार्य काफी हद तक पूरे हो चुके हैं। • पूरा होने की लक्षित तिथि: जुलाई-2023 से कार्य रुका हुआ है। पूरा होने का संशोधित अनुमान की मंजूरी पर निर्भर करता है, यानी 6 महीने का समय। • भौतिक प्रगति : 88 प्रतिशत
9.	जीटीबी अस्पताल	• बिस्तरों की संख्या : 1912 • संरचना का काम 50: पूरा हो चुका है और आंशिक संरचना का काम लगभग पूरा हो चुका है। • पूरा होने की लक्षित तिथि : जुलाई-2023 से रुकी हुई स्थिति में काम। पूरा होने का संशोधित अनुमान की मंजूरी पर निर्भर करता है, यानी 6 महीने का समय • भौतिक प्रगति : 82 प्रतिशत
10.	सरिता विहार	• बिस्तरों की संख्या : 200 (मातृ एवं शिशु अस्पताल, पहले सरिता विहार अस्पताल की परिकल्पना 336 बिस्तरों वाले आईसीयू अस्पताल के रूप में की गई थी।) • मुख्य भवन का संरचनात्मक कार्य पूरा हो गया है। आंतरिक विभाजन, फायर पेंट, बाहरी मुखौटा, विद्युत सेवाएं और परिष्करण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। • ग्राउंड फ्लोर पर काम रुका हुआ है। • पूरा होने की लक्षित तिथि: जुलाई-2023 से कार्य रुका हुआ है। पूरा होने का संशोधित अनुमान की मंजूरी पर निर्भर करता है, यानी 6 महीने का समय। • भौतिक प्रगति : 83 प्रतिशत
11.	रघुबीर नगर	• बिस्तरों की संख्या : 1577 • ब्लॉक-ए, बी, सी और डी में स्टील संरचना का निर्माण पूरा हो गया है। ब्लॉक-ए में आरसीसी स्लेब पूरा हो गया है/बी और डी-ब्लॉक में अभी बाकी है। • कोविड-19, वृक्ष प्रत्यारोपण और काटने की अनुमति आदि के कारण कार्य में देरी हुई। • पूरा होने की लक्षित तिथि : जुलाई-2023 से काम रुका हुआ है। पूरा होने का संशोधित अनुमान की मंजूरी पर निर्भर करता है, यानी 6 महीने का समय। • भौतिक प्रगति : 49 प्रतिशत

स्रोत : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और डीजीएचएस, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार

14. उपरोक्त के अलावा, दिल्ली सरकार ने एफएआर मानदंडों के अनुसार मौजूदा बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए 15 मौजूदा अस्पतालों को फिर से तैयार करने का फैसला किया है। अस्पतालों की री-मॉडलिंग पूरी होने के बाद करीब 6000 नए बिस्तर जोड़े जाएंगे। रीमॉडलिंग की 15 परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है।

विवरण 16.5

नया रूप दिये जाने/विस्तारित किये जाने वाले अस्पताल

क्र. सं.	अस्पताल का नाम	प्रारंभिक आकलन/लागत (करोड़ में)	बिस्तरों की मौजूदा संख्या	प्रस्तावित नए बिस्तर	नया रूप दिए जाने/विस्तार के बाद कुल बिस्तर	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
1.	एलएन अस्पताल (नया ब्लॉक)	533.91	0	1570	1570	61
2.	एसआरएचसी (कैंसर और मैटरनिटी ब्लॉक)	276.41	200	573	773	20 (कार्य बंद रहने के बाद 1 फरवरी 23 में निर्माण कार्य फिर शुरू हुआ)
3.	डॉ बी आर अम्बेडकर	194.91	500	463	963	78
4.	जेपीसीएच	189.77	339	221	560	अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ
5.	भगवान महावीर	172.79	360	384	744	40 (कार्य निष्पादन की संभावना के बाद निर्माण कार्य बंद)
6.	गुरु गोविंद सिंह	172.03	100	472	572	99
7.	एलबीएस – नया मातृ और शिशु ब्लॉक	143.73	100	460	560	77
8.	संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल	117.78	300	362	662	100
9.	आचार्य श्री भिक्षु	94.38	100	270	370	99
10.	आरटीआरएम	86.31	100	270	370	82
11.	दीप चंद बंधु	69.36	284	200	484	98 (केवल आंशिक कार्य किया गया)
12.	अरुणा आसफ अली	55.36	100	51	151	केवल ओपीडी ब्लॉक का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद काम बंद
13.	श्री दादा देव मातृ एवं शिशु	53.44	106	175	281	72
14.	लोक नायक अस्पताल (कैजुवेल्टी ब्लॉक)	58.71	190	194	384	39
15.	हेडगेवार आरोग्य संस्थान	210.24	200	372	572	अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ

स्रोत :स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और डीजीएचएस, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार

15. दिल्ली में सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों के मेडिकल कॉलेज : दिल्ली में 19 मेडिकल कॉलेज विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों (एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी) में स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहे हैं। इन कॉलेजों के स्थापना वर्ष, वार्षिक प्रवेश, पाठ्यक्रम आदि का ब्यौरा विवरण 16.6 में दिया गया है।

विवरण 16.6
मेडिकल कॉलेजों की सूची और सीटों की संख्या

क्र.स.	चिकित्सा संस्थान का नाम/ विश्वविद्यालय से संबद्धता	पाठ्यक्रम	वार्षिक सीटें
1.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल, नई दिल्ली (दिल्ली विश्वविद्यालय)	यूजी, एमबीबीएस पीजी (एमडी/एमएस/एमडीएस) एसएस (डीएम/एम.सीएच)	240 177 8
2.	आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कालेज एवं अस्पताल, करोल बाग, दिल्ली (दिल्ली विश्वविद्यालय)	बीएएमएस बीयूएमएस एमडी (यूनानी) एमडी (आयुर्वेद)	75 75 13 18
3.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली (स्वायत्त)	एमबीबीएस एमडी/एमएस डीएम/एमसीएच बी.एससी (एच) नर्सिंग बी.एससी (पोस्ट बेसिक) नर्सिंग एम.एससी/एम.बायोटेक /एम.एससी नर्सिंग बी.एससी पैरा मेडिकल कोर्स	125+7 (विदेशी नागरिक) 1106+107 (विदेशी नागरिक/प्रायोजित) 560 (ओपन) +131 (प्रायोजित) = फेलोशिप 86+39 (प्रायोजित) 96+5 (विदेशी नागरिक/प्रायोजित) 30 ओपन + 20 (सेवाकालीन) + 1 (विदेशी नागरिक/प्रायोजित) 107 (ओपन) + 10 (प्रायोजित) + 1 (विदेशी नागरिक/प्रायोजित) 58
4.	मौलाना आजाद मेडिकल कालेज	एमबीबीएस पीजी (एमडी/एमएस/डिप्लोमा) डीएम/एमसीएच	250 247 6
5.	नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली (दिल्ली विश्वविद्यालय)	बीएचएमएस एमडी (होम्यो)	125 09
6.	हमदर्द आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, (जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय)	एमबीबीएस एमडी/एमएस	150 49
7.	विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, दिलशाद गार्डन, दिल्ली (दिल्ली विश्वविद्यालय)	एमबीबीएस एमडी/एमएस/एमडीएस बीएससी (एमटी) रेडियोलॉजी एमएससी (रेडियोलॉजी)	170 197 19 06
8.	मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान, (दिल्ली विश्वविद्यालय)	बीडीएस एमडीएस	50 22
9.	डा. बी. आर. सूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मोती बाग, (इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय)	बीएचएमएस एमडी (होम्योपैथी)	63 6
10.	वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, (इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय)	एमबीबीएस एमडी/एमएस/डीएम डीएम/एम.सीएच बी.एससी एमएलटी बी.एससी एमआईटी बीपीओ कोर्स	170 310 (स्वीकृत- 325) 43 25 12 16
11.	आर्मी कॉलेज आफ मेडिकल साइन्स (इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय)	एमबीबीएस	100
12.	दंत्य चिकित्सा संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली (जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय)	बीडीएस	50

क्र.स.	चिकित्सा संस्थान का नाम/ विश्वविद्यालय से संबद्धता	पाठ्यक्रम	वार्षिक सीटें
13.	ईएसआईसी डेंटल कॉलेज, रोहिणी, (इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय)	बीडीएस	62
14.	चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान, नजफगढ़, (इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय)	बीएमएस एमडी	125 51
15.	दिल्ली नगर निगम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, (इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय)	एमबीबीएस	60
16.	यूनानी चिकित्सा शिक्षा और शोध विद्यालय तथा सम्बद्ध मजीदा यूनानी अस्पताल, (जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय)	बीयूएमएस एमडी (यूनानी चिकित्सा)	50 09
17.	डॉ. बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर मेडिकल कॉलेज रोहिणी (इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय)	एमबीबीएस	125
18.	ईएसआई-पीजी एमआईएसआर, बसई दारा पुर, (इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय)	एमडी/एमएस/डीएम (पल्मोनरी मेडिसिन)	31
19.	एबीवीआईएमएस, डा. आरएमएल अस्पताल, (इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय)	एमबीबीएस एमडी, डीएम, एमएस, एमसीएच डीएनबी	100 241

स्रोत : डीजीएचएस, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार

16. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (स्कीम/कार्यक्रम) में दिल्ली सरकार की व्यय हिस्सेदारी के बारे में जानकारी विवरण 16.7 में दी गई है।

विवरण 16.7

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली सरकार का स्कीम/कार्यक्रम/परियोजना व्यय

(रुपये करोड़)

क्र. स.	वर्ष	सभी स्कीमों/कार्यक्रमों पर कुल व्यय	स्कीम/कार्यक्रम/ परियोजनाओं पर व्यय	प्रतिशत व्यय
1.	2015-16	14960.54	1999.63	13.37
2.	2016-17	14355.03	2074.26	14.45
3.	2017-18	14400.99	1906.65	13.24
4.	2018-19	15672.03	2325.08	14.84
5.	2019-20	20307.02	2357.68	11.61
6.	2020-21	19258.65	3000.12	15.58
7.	2021-22	30530.77	4938.01	16.17
8.	2022-23	32647.60	4158.11	12.74

स्रोत : योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनावार व्यय दस्तावेज

17. उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए स्कीम/कार्यक्रम/परियोजनाओं के अंतर्गत दिल्ली सरकार का सार्वजनिक व्यय पिछले 7 वर्षों में बढ़ कर दो गुना से अधिक हो गया है। यह 2015-16 के 1999.63 करोड़ रुपये की तुलना में 2022-23 में बढ़कर 4158.11 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 2019-20 को छोड़कर यह सभी

स्कीमों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के व्यय का करीब 13 प्रतिशत रहा। इसके अलावा 2020-21 और 2021-22 की कोविड अवधि के दौरान यह कुल खर्च का करीब 16 प्रतिशत था।

विवरण 16.7 (क)

दिल्ली में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर प्रतिव्यक्ति व्यय

(रुपये में)

वर्ष	स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रति व्यक्ति व्यय
2015-16	1962.36
2016-17	2133.03
2017-18	2455.37
2018-19	2795.83
2019-20	2867.25
2020-21	3133.46
2021-22	4361.87
2022-23 (सं.अ.)	4439.62

स्रोत : रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार के वार्षिक वित्तीय ब्यौरे और एमओएसपीआई द्वारा 01.08.2023 को परिकल्पित जनसंख्या अनुमान

- 18 उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर प्रतिव्यक्ति व्यय पिछले 2021-22 में बढ़कर 4362 रुपये हो गया, जो वर्ष 2015-16 के दौरान 1962 रुपये था। इस प्रकार इसमें पिछले 6 वर्षों में 2.22 गुना वृद्धि हुई है।
- 19 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के संदर्भ में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर व्यय : जीएसडीपी के संदर्भ में दिल्ली सरकार के स्थापना और स्कीम/कार्यक्रम पर व्यय के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण व्यय में तेजी से वृद्धि हुई है, जो 2021-22 में तेजी से बढ़ कर 1.03 प्रतिशत हो गया, जो 2020-21 में 0.86 प्रतिशत था।

विवरण 16.7 (ख)

जीएसडीपी के संदर्भ में चिकित्सा पर व्यय

वर्ष	मौजूदा मूल्यों पर जीएसडीपी (करोड़ रुपये में)	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर कुल व्यय (करोड़ रुपये में)	स्वास्थ्य पर जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यय
2015-16	550803.70	3634.28	0.66
2016-17	616085.06	4031.01	0.65
2017-18	677900.04	4733.21	0.70
2018-19	738389.43	5495.48	0.74
2019-20	792911.27	5744.54	0.72
2020-21	744277.00	6396.65	0.86
2021-22	881336.00	9073.13	1.03
2022-23 (सं.अ.)	1014688.00	9409.78	0.93

स्रोत : वार्षिक वित्तीय ब्यौरे, अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार 2022-2023 प्रथम संशोधित अनुमान, 2021-2022 द्वितीय संशोधित अनुमान, 2020-2021 तृतीय संशोधित अनुमान

शिशु और मातृ स्वास्थ्य :

- 20 भारत के महापंजीयक कार्यालय ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) और नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण (एसआरएस) के निष्कर्षों के आधार पर जन्मदर, मृत्युदर, शिशु मृत्युदर (नवजात और जन्म के बाद शिशु मृत्यु दर), 5 वर्ष से कम आयु वर्ग में मृत्यु दर और प्रजनन दर के बारे में विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण संकेतक जारी किये हैं। निम्नांकित विवरणों – 16.8 से 16.11 तक में इनसे संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं।

विवरण 16.8

दिल्ली में जन्म-मृत्यु संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़े

वर्ष	जन्म दर (सीआरएस)	मृत्यु दर (सीआरएस)	गतिविधियों की प्रतिदिन औसत संख्या		शिशु मृत्यु दर				
			जन्म	मृत्यु	नवजात मृत्यु दर		प्रसवोत्तर मृत्यु दर	शिशु मृत्यु दर	
					(सीआरएस)	(एसआरएस)		(सीआरएस)	(एसआरएस)
2015	20.30	6.76	1025	341	16	14	7	23	18
2016	20.16	7.53	1036	387	13	12	8	21	18
2017	19.13	7.10	1006	373	14	14	7	21	16
2018	18.55	7.44	994	399	15	10	8	24	13
2019	18.35	7.29	1002	398	16	8	8	24	11
2020	14.85	7.03	824	390	14	9	7	20	12
2021	13.13	8.28	745	470	15	लागू नहीं	8	24	लागू नहीं
2022	14.24	6.07	823	351	16	लागू नहीं	8	24	लागू नहीं

स्रोत : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी वार्षिक रिपोर्ट, डीईएस, दिल्ली और नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट, भारत सरकार

विवरण 16.9

दिल्ली और सम्पूर्ण भारत में पांच साल से कम आयु वर्ग में मृत्यु दर

क्र सं	वर्ष	दिल्ली	भारत
1.	2015	20	43
2.	2016	22	39
3.	2017	21	37
4.	2018	19	36
5.	2019	13	35
6.	2020	14	32

स्रोत : एसआरएस, मई 2022, भारत के महापंजीयक का कार्यालय (संदर्भ वर्ष 2020)

विवरण 16.10

प्रजनन दर संकेतक

संकेतक	आयु समूह वर्ष	2015	2016	2017	2018	2019	2020
आयु विषयक प्रजनन दरें	15-19	3.5	3.4	3.2	3.2	3.9	2.6
	20-24	139.6	81.5	84	74.1	52.4	64.8
	25-29	114.7	131.2	125.2	114.7	94.1	99.0
	30-34	52.9	71.6	63.2	65.7	80.6	69.8
	35-39	17.6	21.3	21.2	24.6	39.1	23.9
	40-44	4.7	8.9	6.2	8.0	17.7	11.2
	45-49	2.4	2.3	1.8	1.7	4.6	1.8
कुल प्रजनन दर		1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4

स्रोत : एसआरएस मई 2022, भारत के महापंजीयक का कार्यालय (संदर्भ वर्ष 2020)

विवरण 16.11

कुशल स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा प्रसव और संस्थागत प्रसव

वर्ष	कुशल स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति में प्रसव अनुपात	संस्थागत प्रसव (प्रतिशत)
2015	87.06	84.41
2016	87.98	86.74
2017	89.2	89.10
2018	90.37	90.28
2019	91.20	91.15
2020	92.84	91.94
2021	92.42	91.21
2022	94.83	94.02

स्रोत : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी वार्षिक रिपोर्ट, डीईएस, दिल्ली

- 21 विवरण 16.8 से 16.11 तक यह स्पष्ट है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट की प्रवृत्ति रही है और भारत की प्रवृत्ति से कहीं बेहतर है। इसी प्रकार, प्रजनन दर में भी गिरावट का रुख है। पिछले कुछ वर्षों में इन दरों में लगातार गिरावट निश्चित रूप से यह स्थापित करती है कि दिल्ली सरकार बाल एवं मातृ स्वास्थ्य के मामले में इष्टतम स्तर हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लक्ष्य 2030 तक रोकी जा सकने वाली मौतों को शून्य तक कम करना है। दिल्ली के मामले में, आईएमआर और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, दोनों लगातार कम हो रहे हैं और एसआरएस के अनुसार क्रमशः 12 और 14 के आसपास बने हुए हैं।

विवरण 16.11 से यह भी स्पष्ट है कि दिल्ली में संस्थागत प्रसव की हिस्सेदारी और कुशल स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जन्म का अनुपात लगातार बढ़ रहा है, जो वर्ष 2022 में क्रमशः 94.02 और 94.83 प्रतिशत हो गया है।

22. मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए विभिन्न उपायों का कार्यान्वयन :

- **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) :** इस योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल परिवारों से संबंधित गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत बीपीएल, अजा, अजजा परिवारों की गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए रुपये 600/- (शहरों में) और रुपये 700/- (गांवों में) की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है और गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को घर में प्रसव के लिए 500/- रुपये दिए जाते हैं। सभी स्वास्थ्य केन्द्र पात्र जेएसवाई लाभार्थी अर्थात् अजा/अजजा/बीपीएल परिवारों से संबद्ध गर्भवती महिलाओं (पीडब्ल्यू) को प्रसव-पूर्व क्लिनिक में दाखिला देते हैं और फिर उन्हें चाइल्ड हेल्थ (आरसीएच) पोर्टल पर पंजीकृत करते हैं। वे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण और अन्य दस्तावेज प्राप्त करते हैं और प्रसव के बाद उसे जेएसवाई भुगतान करते हैं। भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी के खाते में किया जाता है।

2022-23 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 2698 लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया।

- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके):** इसका उद्देश्य सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में रिपोर्टिंग करने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को किसी भी जाति या आर्थिक स्थिति के बावजूद

सामान्य प्रसव और सीजेरियन ऑपरेशन के लिए, प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर जटिलताओं के लिए और बीमार शिशुओं (जन्म से 1 वर्ष तक) के लिए मुफ्त और कैशलेस सेवाएं प्रदान करना है। योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं के परिवारों द्वारा किए गए फुटकर खर्च के बोझ को कम करना है। योजना के तहत कोई भी नकद लाभ सीधे लाभार्थी को प्रदान नहीं किया जाता है। प्रसव स्वास्थ्य सुविधाओं को जेएसएसके के तहत वित्तपोषित किया जाता है ताकि वे गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं को मुफ्त सेवाएं प्रदान कर सकें, इसके लिए विभिन्न मदों के तहत यानी आहार, दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों, नैदानिक, रक्त आधान, परिवहन और उपयोगकर्ता शुल्क यदि कोई हो, जो प्रसव स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा लगाया जाता हो।

2022-23 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 301823 (275272 गर्भवती महिलाओं और 26551 बीमार शिशुओं) लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया।

- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) :** इस अभियान के तहत, सभी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिला को उपयुक्त नैदानिक सेवाओं के साथ गुणवत्ता पूर्ण देखभाल प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य प्रसव पूर्व देखभाल में सुधार करना और उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान करना है ताकि उनका अविलंब उचित उपचार शुरू किया जा सके और आईएमआर और मातृ मृत्यु दर कम किया जा सके। दूसरी और तीसरी तिमाही की अवधि में आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं की सूची आशा कार्यकर्ताओं द्वारा हर महीने की 9 तारीख से पहले तैयार की जाती है ताकि सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में उनकी जांच सुनिश्चित हो सके।
- **किलकारी कार्यान्वयन—**गर्भवती महिला लाभार्थियों को आरसीएच पोर्टल में नामांकित होने पर विभिन्न विषयों जैसे—जन्मपूर्व जांच, पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता और टीकाकरण आदि पर उपयुक्त वीडियो मैसेज उनके मोबाइल फोन पर भेजे जा रहे हैं, ताकि उन्हें सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा सके। गर्भावस्था के चौथे महीने से बच्चे की एक वर्ष की आयु तक संदेश भेजे जाते हैं।

किलकारी कार्यक्रम की शुरुआत से वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक इसके अंतर्गत कुल 20,49,923 विशिष्ट लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया। 2022-23 के दौरान 62,882 लाभार्थियों ने लिस्नरशिप पूरी की।

- **लक्ष्य कार्यान्वयन :** (लेबर रूम और गुणवत्ता सुधार पहल) – स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 11 दिसंबर 2017 को निम्नांकित उद्देश्यों के साथ महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लक्ष्य का शुभारंभ किया :—
 - (i) मातृ और नवजात रुग्णता और मृत्यु में कमी लाना।
 - (ii) प्रसव के दौरान और प्रसव के तत्काल बाद देखभाल गुणवत्ता में सुधार लाना।
 - (iii) सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं के लाभार्थी संतुष्टिकरण में वृद्धि सकारात्मक प्रसव अनुभव और सम्मानपूर्वक मातृत्व देखभाल (आरएमसी) सुनिश्चित करना।

इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं:

- लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थियेटरों का मानकीकरण।

- जन्म संबंधी देखभाल कार्यनीतियों के बारे में लेबर रूम स्टाफ के ज्ञान और कौशल का उन्नयन।
- मातृत्व सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों का कौशल बढ़ाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय कौशल प्रयोगशालाओं में दक्ष/दक्षता प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- सम्मानपूर्वक प्रसूति मातृ देखभाल पर ध्यान केन्द्रित करना और प्रसव के समय जन्म साथी की अनुमति देना एक और पहल है, जिस पर अमल किया जा रहा है।
- 7 जिला अस्पतालों, यानी पंडित मदन मोहन अस्पताल, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, आचार्य श्री भिक्षु राजकीय अस्पताल, गुरु गोबिंद सिंह राजकीय अस्पताल, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, श्री दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय और दीन दयाल उपाध्याय को लक्ष्य के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है।
- **मातृ मृत्यु निगरानी और आवश्यक कार्रवाई :** राज्य में होने वाली सभी मातृ मृत्यु की स्वास्थ्य केन्द्र, जिला और राज्य स्तर पर समीक्षा की जाती है ताकि कमियों की पहचान की जा सके और रोकथाम योग्य मातृ मृत्यु से बचने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। मातृ एवं प्रसव पूर्व मृत्यु निगरानी एवं कार्रवाई (एमपीसीडीएसआर) पोर्टल पर मातृ मृत्यु संबंधी आंकड़े दर्ज किए जाते हैं और समुदाय के स्तर पर उनकी समीक्षा करना है।

2022-23 के दौरान पोर्टल पर दर्ज कुल 611 मातृ मृत्यु में से 559 मामलों की समीक्षा की गई।

23. अनिवार्य टीकाकरण कार्यक्रम :

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में से एक है, जो मुख्य रूप से 0-5 वर्ष की आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 13 टीका निवारक बीमारियों (वीटीडी) से सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे यह रुग्णता और मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाने में योगदान करता है। कार्यक्रम से हर वर्ष लगभग 3 लाख शिशुओं और 3.25 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ होने की उम्मीद है। सेवाएँ लगभग 600 सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रदान की जाती हैं, जिनमें सरकारी औषधालय इसे सप्ताह में दो बार और सरकारी अस्पताल सभी कार्य दिवसों पर प्रदान करते हैं। इसके अलावा, लगभग 60 से 70 प्रतिशत टीकाकरण कवरेज संपर्क सत्र स्थलों के माध्यम से हासिल किया जाता है। कार्यक्रम का लक्ष्य पात्र बच्चों का 100 प्रतिशत पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करना है।

100 प्रतिशत टीकाकरण कवरेज और सुरक्षा प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए, सभी गैर-टीकाकृत और आंशिक रूप से टीकाकरण वाले लाभार्थियों तक पहुंचने और नियत तथा संपर्क सत्रों में संवर्धित टीकाकरण सेवाओं के माध्यम से उनके उचित टीकाकरण को पूरा करने के लक्ष्य से गहन मिशन इंद्रधनुष आदि जैसे अभियान चलाए जाते हैं।

2022-23 में 93 प्रतिशत पात्र बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कवरेज (1 वर्ष की आयु तक दिए गए सभी टीके) किया गया। कुल 3,01,790 के लक्ष्य की तुलना में 2,79,972 बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कवरेज किया गया है।

सरकार खसरा-रुबेला (एमआर) उन्मूलन लक्ष्य की दिशा में भी आक्रामक रूप से काम कर रही है। लक्ष्य प्राप्त करने के रोडमैप के एक भाग के रूप में, राज्य ने फरवरी-मार्च 2023 में 9 महीनों से 5 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को खसरा रुबेला की अतिरिक्त खुराक प्रदान करते हुए खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें अनुमानित लक्ष्य के 100 प्रतिशत से अधिक का टीकाकरण किया गया। 23 अक्टूबर तक एचएमआईएस डेटा के अनुसार एमसीवी 1 और एमसीवी 2 कवरेज 90 प्रतिशत से अधिक है।

सभी लाभार्थियों के टीकाकरण रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से को-विन की तर्ज पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बनाए गए एक पोर्टल, यू-विन पोर्टल को अपग्रेड करके टीकाकरण सेवाओं के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। यह पोर्टल जनवरी 2023 में रा.रा.क्षे. दिल्ली के दक्षिण और उत्तर-पश्चिम जिलों में कार्यान्वयन के प्रायोगिक चरण में था, जो अब सभी 11 जिलों में सार्वभौमिक हो गया है।

इसके अलावा, टीके और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन के साथ-साथ टेम्परेचर लॉगर्स के माध्यम से सभी कोल्ड चेन उपकरणों के तापमान की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी भी ई-विन पहल के तहत नियमित रूप से की जा रही है। ई-विन तापमान की निगरानी (कोल्ड चेन उपकरण में तापमान लॉगर्स के माध्यम से), सिस्टम को मजबूत करने, कार्यक्रम संचालन में सुधार और टीकों तथा लॉजिस्टिक्स की स्टॉक स्थिति की वास्तविक समय दृश्यता के लिए प्रौद्योगिकी का अभिनव उपयोग प्रदान करता है।

यूआईपी के कार्यान्वयन के अलावा, अनुभाग एईएफआई निगरानी और कारण मूल्यांकन और वीपीडी निगरानी भी लागू कर रहा है। राज्य एवं जिला स्तर पर निगरानी की नियमित समीक्षा की जा रही है। एईएफआई निगरानी में गुणवत्ता प्रबंधन नई दिल्ली और उत्तर पूर्व जिलों में शुरू किया गया है। 'बुखार के साथ दाने' की निगरानी को मजबूत किया जा रहा है, जिसमें सभी जिले दो से अधिक खसरा रहित, रुबेला रहित डिस्कार्ड दर रिपोर्ट कर रहे हैं, जो खसरा रुबेला निगरानी के लिए अपनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

24. बाल स्वास्थ्य सेवाएं / कार्यक्रम

- क. **लेवल-2 (द्वितीयक स्तर) को मजबूत करना, विशेष नवजात देखभाल सेवाएं (एसएनसीयू) :** बीमार नवजातों (जन्म से 28 दिन की अवधि के) की सेवा और उपचार के लिए 33 सार्वजनिक अस्पतालों में बीमार शिशुओं की गहन देखभाल के लिए एसएनसीयू की व्यवस्था है। 30 अस्पतालों को विशेष नवजात देखभाल यूनिटों (एनएनसीयू) का दर्जा दिया गया है, जो दूसरे स्तर और उससे ऊपर की देखभाल प्रदान करते हैं। 3 सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान नवजातों के लिए स्टेबिलाइजिंग यूनिटों के रूप में कार्यरत हैं।
- ख. **नवजात देखभाल कॉर्नर (एनबीसीसी) :** राज्य में सभी 59 लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटरों में नवजात देखभाल कॉर्नर नवजात की अनिवार्य देखभाल सुनिश्चित कर रहे हैं।
- ग. **कंगारू मातृ देखभाल (केएमसी) :** प्रथम चरण के दौरान 33 यूनिटों में कंगारू मातृ देखभाल शुरू की गई है और बाद में इसका विस्तार सभी डिलिवरी प्वाइंट्स पर किया जाएगा।

घ. **पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) :** चार अस्पतालों में पोषण पुनर्वास केंद्र काम कर रहे हैं ताकि कुपोषण से गंभीर रूप से पीड़ित (एसएएम) बच्चों की देखभाल की जा सके। वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिल्ली के एनआरसी केंद्रों में 1078 एसएएम रोगियों का उपचार किया गया।

ङ. **गहन अतिसार नियंत्रण पखवाड़ा (आईडीसीएफ)**— गहन अतिसार नियंत्रण पखवाड़ा (आईडीसीएफ) 2014 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य अतिसार के दौरान जीवन रक्षक ओआरएस, जिक गोणियों की बेहतर कवरेज प्रदान करना और उचित बाल आहार पद्धतियां अपनाना था। दिल्ली ने 5 से 17 जून, 2023 तक राज्य भर में आईडीसीएफ-2023 का आयोजन किया, जिसे 21 जून 2023 तक बढ़ाया गया। बच्चों और जनता को संवेदनशील बनाने और जागरूकता लाने के लिए राज्य भर के स्कूलों में 1 से 7 जुलाई 2023 तक हाथ धोने की गतिविधियाँ आयोजित की गईं। दिल्ली ने शहरी स्वास्थ्य और पोषण दिवस (यूएचएनडी) के अवसर पर ओआरएस तैयार करने की विधि का प्रदर्शन करने जैसी गतिविधियां और सभी जिलों में केंद्रित समूह परिचर्चाएं आयोजित कीं। अतिसार नियंत्रण पखवाड़ा (आईडीसीएफ) अभियान पर जागरूकता पैदा करने के लिए मुनादी कराई गई। आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठकें की गईं। इस पखवाड़े के दौरान केंद्रों और समुदायों में स्वास्थ्य वार्ताएं आयोजित की गईं। व्यापक पहुंच हासिल करने के लिए जनसंपर्क माध्यम और आउटडोर सूचना शिक्षा संचार (आईसी) गतिविधियां भी शुरू की गईं।

2023 में बच्चों में अतिसार की रोकथाम और प्रबंधन गतिविधियां आयोजित करने वाले जिलों की संख्या/कुल जिलों की संख्या	11/11
राज्य में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या	1195130
उन बच्चों की संख्या, जिन्हें ओआरएस (घोल) प्रदान किया गया।	1183543
पखवाड़े के दौरान अतिसार पीड़ित बच्चों की संख्या	17827
अतिसार पीड़ित बच्चों की संख्या, जिन्हें ओआरएस दिया गया।	17827
अतिसार पीड़ित बच्चों की संख्या जिन्हें 14 दिन के लिए जिक प्रदान किया गया।	17222
जोखिम के संकेत मिलने और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा अस्पतालों में रेफर किए गए बच्चों की संख्या	214

च **मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम (एमएए)** — एमएए स्तनपान संकेतकों में सुधार के लिए जागरूकता अभियान पर ध्यान केंद्रित करता है सभी 59 डिलीवरी प्वाइंटों पर प्रशिक्षण प्रदान करना और अपने संस्थानों में बाल देखभाल में शामिल स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के कौशल में सुधार करना और माताओं की बैठकों के दौरान माताओं और गर्भवती च महिलाओं को शीघ्र स्तनपान शुरू करने से छह महीने तक सिर्फ स्तनपान कराने के लिए प्रेरित करने, उम्र बढ़ने के बाद इष्टतम और उम्र के अनुरूप पूरक आहार की समय पर शुरुआत करने के लिए आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जागरूक करना। 2022-23 के दौरान एमएए कार्यक्रम के तहत कुल 1,94,503 नवजात शिशुओं को प्रारंभिक स्तनपान (जन्म के एक घंटे के भीतर) शुरू करने की सूचना मिली है।

छ **एस .ए.ए.एन.एस. (सांस) (निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई) :**

बचपन में होने वाला निमोनिया पांच साल से कम उम्र के बच्चों में सबसे अधिक संक्रामक और घातक बना हुआ है, जिससे भारत में पांच साल से कम उम्र के 16.2 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु होती है (सांस 2022- गाइडेंस नोट)। भारत में बचपन में निमोनिया के कारण मृत्यु दर को कम करने के

लिए कार्रवाई तेज करने के लक्ष्य के साथ, निमोनिया कार्यक्रम में दृश्यता और स्थिरता लाने के लिए सांस कार्यक्रम को संस्थागत बनाया गया था। निमोनिया के कारण बाल रुग्णता और मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम 12 नवंबर से 28 फरवरी तक अभियान के रूप में चलाया जाता है।

- कार्यक्रम देखभाल करने वालों को शुरुआती संकेतों और लक्षणों को पहचानने और निमोनिया के समय पर रेफरल और उपचार के लिए तुरंत देखभाल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह स्वास्थ्य केंद्र और एफएलडब्ल्यू स्तर पर आवश्यक दवा की उपलब्धता भी सुनिश्चित करता है।
- सांस पर सभी जिला अधिकारियों को जागरूक भी किया गया है। जिला/सुविधा/सामुदायिक स्तर पर किए गए आईईसी के साथ-साथ निमोनिया के मामलों के उपचार और समय पर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में रेफर करने के लिए सांस को सफलतापूर्वक लागू किया गया।
- सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रदर्शन और कार्यान्वयन के लिए उपचार एल्गोरिदम के दिशानिर्देश सभी सुविधाओं के साथ उपलब्ध हैं।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान चार महीने तक चलने वाले सांस अभियान के अंतर्गत कुल 2,89,424 घरों का दौरा किया गया जहां एमसीपी कार्ड का उपयोग करके परामर्श दिया गया, आशा द्वारा लक्षणों और लक्षणों के लिए पांच साल से कम उम्र के 2,45,506 बच्चों का मूल्यांकन किया गया, निमोनिया से पीड़ित पांच साल से कम उम्र के 17,995 बच्चों का ओपीडी में इलाज किया गया और गंभीर निमोनिया वाले पांच साल से कम उम्र के 6,143 बच्चों को भर्ती करके इलाज किया गया।

ज. बाल मृत्यु समीक्षा-सीडीआर : बाल स्वास्थ्य वितरण तंत्र में कमियों का पता लगाने और सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए दिल्ली में सभी जिलों में सीडीआर कार्यक्रम शुरू किया गया है। दिल्ली में अपेक्षाकृत शिशु मृत्यु दर कम है और उनमें निरंतर कमी आ रही है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य शिशु मृत्यु दर में और कमी लाते हुए इसे न्यूनतम संभव स्तर पर लाना है। बाल मृत्यु समीक्षा के लिए जिला स्तर पर कार्य बल अधिसूचित किए गए हैं और बैठकें आयोजित की जा रही हैं। 2022-23 के दौरान बच्चों की मृत्यु के 2937 मामलों की समीक्षा की गई और 398 मौखिक शव परीक्षण किए गए।

झ. नवजात जांच- मिशन एनईईवी परियोजना व्यापक नवजात जांच कार्यक्रम (मिशन एनईईवी) का उद्देश्य राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत गतिविधियों के हिस्से के रूप में दिल्ली राज्य के विभिन्न संस्थानों में सभी नवजात शिशुओं का समग्र मूल्यांकन करना है। 31 सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रसव केंद्र मिशन एनईईवी के तहत गतिविधियों की रिपोर्टिंग और संचालन कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में मिशन नीव के तहत 120021 नवजात शिशुओं की जांच की गई।

ञ. जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (डीईआईसी) :

- विकास संबंधी हानि बच्चों में एक आम समस्या है जो लगभग 10 प्रतिशत बच्चों में होती है और भारत में ऐसे वर्ग की संख्या तेजी से बढ़ते वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है।

शीघ्र पता लगाने, उपाय करने और पुनर्वास के महत्व की अनदेखी नहीं की जा सकती और इसके लिए एक बहु-विषयक टीम के अंतर-विषयी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

- इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए डीईआईसी की स्थापना की जा रही है ताकि स्वास्थ्य जांच के दौरान स्वास्थ्य समस्याओं का पता चलने वाले बच्चों को रेफरल सहायता प्रदान की जा सके, मुख्य रूप से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए जहां उपचार व्यवस्था में काम करने वाले विभिन्न विषयों से प्रशिक्षित पेशेवर एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं।
- 4डी (दोष, कमियाँ, बीमारियाँ, विकलांगता सहित विकास संबंधी देरी) को कम करने के लिए पहले चरण में 5 केंद्रों में डीईआईसी की योजना बनाई गई है, जिसका उद्देश्य शीघ्र पता लगाना, विकलांगता को कम करना और सामुदायिक स्तर पर एक पारिवारिक केंद्र के साथ सामाजिक और व्यावसायिक पुनर्वास प्रदान करना है।
- **उत्कृष्टता केंद्र—** प्रारंभिक उपाय केंद्र— लोक नायक अस्पताल (सीओई—ईआईसी—एलएनएच) :
— एलएन अस्पताल में सीओई—ईआईसी अक्टूबर 2021 से चालू है, जो 4डी (दोष, कमी, रोग, विकासात्मक देरी और विकलांगता) से पीड़ित पहचाने गए बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2022–23 में कुल 9533 बच्चों का प्रबंधन किया गया।
- स्वामी दयानंद अस्पताल में डीईआईसी मार्च 2023 से कार्य कर रहे हैं।
- 2 और डीईआईसी को जल्द ही कार्यात्मक बनाने की योजना बनाई गई है।

ट. स्तनपान प्रबंधन इकाई (एलएमयू):

- विशेष स्तनपान से पांच साल से कम उम्र के बच्चों की 13 प्रतिशत मौतों को रोका जा सकता है।
- दूसरे उदाहरण में, जब बच्चा समय से पहले जन्म, कमजोरी, बीमारी या किसी अन्य कारण से सीधे स्तनपान करने में असमर्थ होता है, तो माँ का अपना दूध निकाल कर संगृहीत किया जा सकता है और फिर आवश्यकता के अनुसार बच्चे को पिलाया जा सकता है।
- इन सभी साक्ष्यों का संज्ञान लेते हुए, लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने के लिए 5 जिला अस्पतालों की पहचान की गई है।

ठ. बाल चिकित्सा ओपीडी, वार्ड, एसएनसीयू/एनआईसीयू और एनआरसी का मुस्कान प्रमाणन :- 6 केंद्रों की पहचान की गई है और 4 ने वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुस्कान के तहत राज्य प्रमाणन प्राप्त किया है।

किशोरों के अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक

2014 में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने किशोरों के स्वास्थ्य और विकासात्मक मुद्दों के समाधान के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) नाम का व्यापक कार्यक्रम शुरू किया। इसे तीन बिंदुओं – सुविधा आधारित, स्कूल आधारित और समुदाय आधारित के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

दिल्ली में किशोर आबादी लगभग 40.0 लाख है जो इसकी पूरी आबादी का लगभग 21 प्रतिशत है। यह एक बड़े अवसर का प्रतिनिधित्व करता है और यदि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में पर्याप्त निवेश किया जाए तो यह राज्य के सामाजिक और आर्थिक भाग्य को बदल सकता है।

किशोरों के स्वास्थ्य और विकास की जरूरतों को पूरा करने की रणनीति के एक हिस्से के रूप में दिल्ली में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) के रूप में एक कार्यनीति अपनाई गई है। आरकेएसके किशोर स्वास्थ्य और विकास आवश्यकताओं की देखभाल की निरंतरता पर आधारित कार्यनीति है, जिसमें विभिन्न किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक (एएफएचसी) के माध्यम से और सामुदायिक स्तर पर सूचना, वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान भी शामिल है। इसका उद्देश्य किशोरों को निवारक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक, परामर्श और रेफरल सेवाओं का एक सम्मिश्रण प्रदान करना है।

स्कूल स्वास्थ्य और आरोग्य कार्यक्रम (एसएचडब्ल्यूपी)

एसएचडब्ल्यूपी भारत में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। दिल्ली में इसे शिक्षा निदेशालय और परिवार कल्याण निदेशालय के बीच एक संयुक्त पहल द्वारा लागू किया गया है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, बच्चों को स्वयं और समाज के विकास में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए तैयार करने, प्रेरित करने और समर्थन देने की परिकल्पना करता है। कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे बच्चों और किशोरों को जीवन के शुरुआती दिनों में स्वस्थ व्यवहार प्राप्त करने और विवेकपूर्ण विकल्प चुनने में सक्षम बनाना है। स्कूल इस महत्वपूर्ण समूह तक पहुंचने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में, स्कूलों के दो शिक्षकों को बच्चों और किशोरों से संबंधित 11 विषयों पर 4 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है (जिन्हें बाद में स्वास्थ्य और कल्याण राजदूत – एचडब्ल्यूए कहा जाता है)। इसके अलावा, इन एचडब्ल्यूए से साप्ताहिक सत्र आयोजित करके स्कूली बच्चों के साथ प्रासंगिक विषयों पर चर्चा करने की अपेक्षा की जाती है।

एसएचडब्ल्यूपी प्रशिक्षण

वित्तीय वर्ष 2023–2024 में, 285 प्रशिक्षित स्वास्थ्य और कल्याण प्रतिनिधि के माध्यम से पश्चिम ए और पश्चिम बी के 143 स्कूलों में स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम चालू है। राज्य ने कार्यक्रम के प्रचार के लिए आईईसी सामग्री (पोस्टर और बैनर) और अन्य वस्तुएं (टी शर्ट, बैग, बैज और प्रश्न बॉक्स) प्रदान की हैं।

स्कूलों में कवरेज

स्वास्थ्य और कल्याण राजदूत विद्यार्थियों (कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं) के साथ साप्ताहिक कक्षा सत्र आयोजित करते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण प्रतिनिधि 4.24 लाख किशोरों को कवर करते हुए छात्रों के साथ कक्षा और असेंबली सत्र आयोजित करते हैं।

साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरक (डब्ल्यूआईएफएस)

राज्य में सभी बच्चों और किशोरों (6 माह से 19 वर्ष) के लिए आईएफए अनुपूरक कार्यक्रम शुरू किया गया है और सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से इसे मजबूत किया जा रहा है। किशोरों में एनीमिया का प्रसार उच्च बना हुआ है (लड़कियों में 51.6 प्रतिशत और लड़कों में 18.9 प्रतिशत) और इससे आक्रामक तरीके से निपटने की जरूरत है। लक्ष्य शुरुआत में एनीमिया की व्यापकता में 3 प्रतिशत वार्षिक कमी लाना है। किशोरावस्था के दौरान आयरन की कमी से एनीमिया के साथ या उसके बिना, शारीरिक कार्य क्षमता में कमी, एकाग्रता कम होने और शैक्षणिक उपलब्धि में कमी आने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

यह परियोजना शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली के साथ-साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 1259 स्कूलों (दिल्ली सरकार और सहायता प्राप्त) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, फॉर्म में आईएफए अनुपूरक "ब्लू" टैबलेट किशोर लड़कियों और लड़कों को पूरे वर्ष वैकल्पिक रूप में प्रत्येक बुधवार और गुरुवार को दी जाती हैं। स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को आगे की आपूर्ति के लिए जिलों में 2.04 करोड़ आईएफए ब्लू टैबलेट वितरित की गई हैं। किशोरावस्था के दौरान आयरन की कमी से एनीमिया के साथ या उसके बिना, शारीरिक कार्य क्षमता में कमी, एकाग्रता कम होने और शैक्षणिक उपलब्धि में कमी आने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी स्कूलों में द्विवार्षिक कृमि मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। मृदा संचारित हेल्मिन्थ (आंतों के कीड़े) बच्चों और किशोरों में कुपोषण और एनीमिया के कारणों में से एक हैं और बड़े पैमाने पर कृमि मुक्ति (उम्र के अनुरूप एलेबेंडाजोल टैबलेट की खुराक का उपयोग करके बीमारी रोकना) व्यक्तिगत और समुदाय के साथ-साथ काम के बोझ को कम करने के लिए एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीका है। इससे व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता बनाए रखने में भी मदद मिलती है। यह परियोजना रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के साथ-साथ महिला और बाल विकास विभाग के निकट समन्वय में कार्यान्वित की जा रही है।

दिशा क्लीनिक – किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक (एएफएचसी) – किशोरों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए दिल्ली पहल

स्वास्थ्य केन्द्र आधारित : एएफएचसी स्वास्थ्य केन्द्र आधारित हैं और दिल्ली सरकार के औषधालयों (डीजीडीज) से लेकर अस्पतालों तक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के सभी स्तरों पर काम कर रहे हैं और इसे दिल्ली में दिशा (किशोरों के स्वास्थ्य की सुरक्षा में दिल्ली पहल) के माध्यम से कार्यान्वित

किया जाता है। ये एक निश्चित दिन पर निश्चित समय (शनिवार को दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक) के साथ आयोजित किए जाते हैं। यहां किशोरों को सेवाएं प्रशिक्षित सेवा प्रदाता (चिकित्सा अधिकारी, एएनएम और परामर्शदाता) के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

स्वास्थ्य केन्द्र आधारित नैदानिक और परामर्श सेवाओं में एएफएचसी लक्ष्यों के मुख्य 'अनुकूल' घटकों में निजता और गोपनीयता बनाए रखना, किशोरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना, उन्हें समझने की क्षमता प्रदान करना न कि उनका मूल्यांकन करना, शामिल है। वर्तमान में, दिल्ली में लगभग 58 एएफएचसी हैं।

किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस (एएच एवं डब्ल्यूडी)

किशोरों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर तिमाही में इसका आयोजन किया जाता है। यह युवाओं को विभिन्न किशोर स्वास्थ्य मुद्दों और नजदीकी एएचएफसी में उपलब्ध सेवाओं के बारे में जागरूक करने और स्वास्थ्य वार्ताओं और परिचर्चाओं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक आदि जैसी गतिविधियों के माध्यम से जानकारी प्रदान करने और विभिन्न मिथकों और गलत धारणाओं को दूर करने में भी मदद करता है।

सरकारी स्कूलों में किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस (एएच एवं डब्ल्यूडी) मनाने के लिए 1259 एएचडब्ल्यूडी के लिए धनराशि की मांग की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 12 एएचडब्ल्यूडी आयोजित किए गए। जिलों को धनराशि आवंटित कर दी गई है और सभी एएच एवं डब्ल्यूडी राज्य भर में आयोजित होने की उम्मीद है। गतिविधि को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रासंगिक दिशानिर्देश साझा किए गए हैं।

26

एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यक्रम

सभी आयु समूहों में हीमोग्लोबिन के स्तर का पता लगाने के लिए परीक्षण, उपचार, बातचीत और ट्रेक (टी4) एनीमिया शिविर आयोजित करना।

- आयरन प्रचुर आहार को बढ़ावा देना।
- आयरन की कमी के अलावा एनीमिया में योगदान देने वाले सभी रोकथाम योग्य कारणों की निगरानी की जाती है।
- डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर द्वारा देखभाल बिंदु उपचार।
- सभी हल्के और मध्यम एनीमिक का इलाज पूरी लगन से करें ताकि गंभीर एनीमिया न हो।
- डब्ल्यूआईएफएस चिकित्सीय खुराक के लिए आईएफए (सीरप, गोली, इंजेक्टेबल) की मजबूत मांग और आपूर्ति श्रृंखला रखरखाव।
- गंभीर और अत्यधिक रक्त की कमी के लिए निर्दिष्ट सुविधाओं के लिए समय पर रेफरल।
- सरकारी अस्पतालों में थैलेसीमिया निदान और संपूर्ण एनीमिया प्रोफाइल के लिए प्रयोगशाला सुविधाओं की उपलब्धता।
- एचएमआईएस प्रारूपों में उचित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।

- एएमबी कार्यक्रम को मजबूत करने और सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों सहित सभी सेवा प्रदाताओं का समय-समय पर पूर्वाभिमुखीकरण और जागरूकता प्रशिक्षण।
- ई-प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और एएमबी डैशबोर्ड पोर्टल का इष्टतम उपयोग।
- गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए दिल्ली में सभी सरकारी अस्पतालों और प्रसूति गृहों में टी4 एनीमिया कक्ष और औषधालयों में टी4 एनीमिया कर्नर चालू हैं।
- एनएफएचएस-5 के अनुसार पांच साल से कम उम्र के 69.2 प्रतिशत बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए, भारत सरकार के एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 6-59 महीने के आयु वर्ग के बच्चों के लिए आईएफए अनुपूरण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

इसके अलावा 6 से 10 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए आईएफए अनुपूरक पहल भी शुरू की गई है।

27. परिवार कल्याण कार्यक्रम

परिवार नियोजन का लक्ष्य दिल्ली के सभी व्यक्तियों और दम्पतियों को बच्चों की वांछित संख्या का अनुमान लगाने और उन्हें प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करना है, ताकि वे बच्चों के जन्म में स्वस्थ अंतराल और जन्म का समय तय करने के लिए अपनी पसंद की विधि चुन सकें और उस तक पहुंच सकें। इससे बहु-आयामी प्रयासों के माध्यम से माँ और बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सकेगा।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत भी कई योजनाएं चलती हैं, हर साल दो अभियान चलाए जाते हैं: विश्व जनसंख्या दिवस (27 जून से 24 जुलाई) और पुरुष नसबंदी पखवाड़ा (21 नवंबर से 4 दिसंबर)।

स्व-देखभाल किट (एससीके) – एससीके स्व-देखभाल को मजबूत करने और परिवार नियोजन में सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक अभिनव रणनीति है। इसमें कंडोम, आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियाँ और गर्भावस्था परीक्षण किट का पिक अवे मोड में प्रावधान शामिल है।

नई पहल किट (एनपीके) – पहले बच्चे में देरी के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए नवविवाहित जोड़ों को एनपीके दिया जा रहा है। किट में गर्भ निरोधकों, हैंडबिल, जोड़ों के लिए उपयोगी वस्तुओं के नमूने शामिल हैं।

हाल ही में, राज्य ने अंतरा कार्यक्रम के तहत छह जिलों में दो नए गर्भनिरोधक – सबडर्मल सिंगल रॉड इम्प्लांट्स और सबक्यूटेनियस – एमपीए शुरू किए हैं, जिन्हें हाल ही में 2023 में भारत सरकार द्वारा गर्भनिरोधक बास्केट में शामिल किया गया था। दिल्ली में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी निम्नलिखित विवरण 16.12 में प्रस्तुत की गई है।

विवरण 16.13
परिवार कल्याण कार्यक्रम

क्र स	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	परिवार कल्याण केंद्र, पीपी इकाइयों सहित	एफपी केंद्र अब अस्पतालों में काम कर रहे हैं		NR	41	41	41	41	44
2.	अंतर-गर्भाशय गर्भ निरोधक उपकरणों का इस्तेमाल	80293	84370	78459	75403	94572	64685	80818	100895
3.	नसबंदी	17383	18869	17004	17531	18392	7884	11655	11412
	क. पुरुष	901	1323	491	499	740	78	314	375
	ख. महिला	16482	17546	16513	17032	17652	7806	11341	11037
4.	ग. गर्भ निरोधक गोлия (चक्र)	185499	199092	189107	173691	162564	134613	167867	185279
5.	कंडोम (संख्या)	5709	6880	5726	5625	5388	4206	5467	6055

स्रोत : डीएफडब्ल्यू-एचएमआईएस पोर्टल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

28. डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी वेक्टर जन्य बीमारियां

28.1 चिकनगुनिया की स्थिति :

- वर्तमान वर्ष के दौरान 25.11.2023 तक दिल्ली में चिकनगुनिया के 38 मामले दर्ज किए गए।
- 2023 में चिकनगुनिया से कोई मौत दर्ज नहीं हुई।

28.2 डेंगू की स्थिति :

- चालू वित्त वर्ष के दौरान 25.11.2023 तक डेंगू के 7493 मामले दर्ज किए गए।
- चालू वर्ष में 25.11.2023 तक डेंगू से 07 लोगों की मृत्यु हुई।

28.3 मलेरिया की स्थिति :

- चालू वर्ष के दौरान 25.11.2023 तक 378 मामले दर्ज किए गए।
- 2023 में मलेरिया से कोई मौत दर्ज नहीं हुई।

विवरण 16.13
वेक्टर जन्य बीमारियों का विवरण

वर्ष	चिकनगुनिया के मामले	चिकनगुनिया से मौत	डेंगू के मामले	डेंगू से मौत	मलेरिया के मामले	मलेरिया से मौत
2018	165	0	2798	4	473	0
2019	293	0	2036	2	713	0
2020	111	0	1072	1	228	1
2021	89	0	9613	23	167	0
2022	48	0	4469	9	263	1
2023	38	0	7493	7	378	0

स्रोत : डीएमसी (वेक्टरजन्य बीमारियों के लिए नोडल एजेंसी) की 25.11.2023 की रिपोर्ट

28.4 उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 2018 के बाद से चिकनगुनिया के कारण कोई मौत नहीं हुई है और 2020 और 2022 में मलेरिया के कारण केवल दो मौतों की सूचना मिली। यह राज्य स्वास्थ्य मिशन के तहत स्थानीय निकायों और सरकार द्वारा किए गए उपायों के कारण संभव हुआ है। 2018 से डेंगू के मामलों और मौतों में भारी अंतर है।

रेडियो और प्रिंट विज्ञापनों के माध्यम से डेंगू और अन्य वीबीडी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आईसीसी (प्रचार) अभियान जुलाई और अगस्त 2023 के दौरान चलाया गया था, इस संदर्भ में—

- 12 अलग-अलग अखबारों (6 हिंदी, 2 अंग्रेजी, 2 उर्दू और 2 पंजाबी) में 25.07.2023 से 4 सप्ताह के लिए क्वार्टर पेज रंगीन विज्ञापन जारी किए गए।
- रेडियो जिंगल के दो राउंड 5 एफएम चैनलों पर प्रसारित किए गए। दिनांक 28.07.2023 से एक सप्ताह के लिए एवं 18.08.2023 से एक और सप्ताह के लिए।
- स्वास्थ्य सुविधाओं में फ्लेक्स चार्ट/साइन बोर्ड का प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक, मुनादी, आईसीसी वितरण, पोस्टर प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी आदि के माध्यम से समुदाय और स्कूलों में जागरूकता।
- वीबीडी की बेहतर निगरानी के परिणामस्वरूप बेहतर रिपोर्टिंग हुई।
- सरकार और निजी स्वास्थ्य केंद्रों की ओर से आईएचआईपी (एक आईटी सक्षम वास्तविक समय पोर्टल) पर वीबीडी मामलों की दैनिक रिपोर्टिंग।
- ट्रांसमिशन सीजन के दौरान समय पर वीबीडी मामलों की दैनिक निगरानी।

29. एचआईवी/एड्स

29.1 दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी दिल्ली सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जो एचआईवी संक्रमण को रोकने और इसके नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम पर अमल कर रही है। इसका उद्देश्य इस रोग की दीर्घकालीन चुनौतियों से निपटने की राज्य की क्षमता को सुदृढ़ करना भी है। दिल्ली में 2022 में वयस्कों (15 से 49 वर्ष) में एचआईवी संक्रमण की मौजूदगी का स्तर 0.32 प्रतिशत था और 58563 व्यक्ति एचआईवी के साथ जी रहे थे, जबकि 2961 नए एचआईवी संक्रमितों का पता चला और एचआईवी से संबंधित 1121 मौतें हुईं।

29.2 वर्ष 2022-23 के दौरान दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के अंतर्गत आने वाले केन्द्रों/सुविधाओं में करीब 820695 लोगों (3,08,776 गर्भवती महिलाओं और 511919 अन्य महिलाओं) की एचआईवी संक्रमण की जांच के लिए स्क्रीनिंग की गयी। इनमें से 6172 संक्रमित मामलों का पता चला और 227 नए मामले गर्भवती महिलाओं में पाए गए।

29.3 दिल्ली में 31 मार्च 2023 को एचआईवी (पीएलएचआईवी) के साथ रह रहे 37,590 व्यक्ति 12 एंटी रेट्रो वायरल ट्रीटमेंट (आर्ट) केंद्रों में सक्रिय देखभाल के तहत हैं, इनमें से 4995 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नए पंजीकृत हुए हैं।

- 29.4 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली में एआरटी केंद्रों पर एंटी रेट्रोवायरल उपचार प्राप्त करने वाले पात्र व्यक्तियों के उपचार अनुपालन में सुधार के लिए पीएलएचआईवीएस/सीएलएचआईवीएस को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना 2012 से दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। 31 मार्च 2023 तक कुल 6215 लाभार्थियों को इस योजना में संचयी रूप से नामांकित किया गया है और उनमें से 5471 लाभार्थी पीएफएमएस पर सक्रिय हैं और वित्तीय सहायता योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

30. राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में दिल्ली का प्रदर्शन

- 30.1 क्षय रोग हमारे देश की सर्वाधिक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है क्योंकि यह लोगों को गरीबी और बीमारी के दुष्चक्र में फंसा देती है, और समुदाय की आर्थिक एवं सामाजिक वृद्धि को रोकती है। दिल्ली में क्षय रोग आज भी स्वास्थ्य की एक बड़ी समस्या बना हुआ है और हमारी 40 प्रतिशत आबादी क्षय रोग के जीवाणुओं से संक्रमित है और यदि उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ती है तो उनके इस रोग की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है।
- 30.2 दिल्ली संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को डॉट्स रणनीति के साथ 1997 से कार्यान्वित कर रहा है। दिल्ली राज्य आरएनटीसीपी कार्यक्रम का 01.04.2013 से एनआरएचएम (डीएसएचएम) में विलय कर दिया गया। दिल्ली राज्य आरएनटीसीपी विकेंद्रीकृत लचीली पद्धति से 25 चेस्ट क्लिनिकों के जरिए चलाया जा रहा है, जो डीटीसी के समकक्ष हैं। 25 चेस्ट क्लिनिकों में से 12 दिल्ली नगर निगम द्वारा, 10 रा.रा.क्षे.दि.स. 1 एनडीएमसी, 1 भारत सरकार और 1 चेस्ट क्लिनिक गैर-सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा है। दिल्ली देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एक स्वयंसेवी संगठन रामकृष्ण मिशन को एक जिले में एनटीईपी संचालित करने का दायित्व सौंपा गया है। गैर सरकारी संगठन और निजी चिकित्सक आरएनटीसीपी को लागू करने में बड़े पैमाने पर भागीदारी कर रहे हैं।
- 30.3 एनटीईपी दिल्ली विभिन्न पक्षों (एनडीएमसी, एमसीडी, भारत सरकार और दिल्ली सरकार) के साथ शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत एकीकृत है। दिल्ली सरकार के औषधालयों के डीईओ, चिकित्सा अधिकारियों/कर्मचारी राज्य बीमा निगम के चिकित्सा अधिकारियों और आशा कार्यकर्ताओं को राज्य स्तर पर संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया है।
- 30.4 रा.रा.क्षे. दिल्ली में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) सेवाओं का एकीकरण मोहल्ला समितियों के साथ किया गया है।
- 30.5 दवाओं के प्रति संवेदनशील और दवा प्रतिरोधी टीबी का निदान और उपचार एनटीईपी के तहत सभी प्रतिभागियों द्वारा रोगियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।
- 30.6 200 रैन बसेरों में रहने वाले बेघर लोगों के लिए टीबी नियंत्रण सेवाएं संचालित हैं। रैन बसेरों के कर्मचारियों को सामुदायिक टीबी डॉट कार्यक्रम और बलगम के नमूने एकत्र करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

- 30.7 स्वैच्छिक संगठन डीटीबीए द्वारा फुटपाथ पर रहने वालों/बेघर लोगों के लिए मोबाइल टीबी क्लिनिक उपलब्ध कराए गए हैं। जनवरी 2015 से दिल्ली के सभी चेस्ट क्लिनिकों में सभी क्षय रोगियों के लिए मधुमेह जांच शुरू की गई। मल्टीड्रग-रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस (एमडीआर-टीबी) के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक संगठन द्वारा परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- 30.8 'आशा किरण' में बेघरों के बीच आशंकित क्षय मामलों के अग्रिम परीक्षण द्वारा बाल चिकित्सा मामलों के लिए गुणवत्तापूर्ण क्षय रोग निदान किया जाता है। एनटीईपी टीबी हेल्थ विजिटर (टीबीएचवी) और लैब टेक्निशियन्स (एलटीज) द्वारा तिहाड़ जेल में एनटीईपी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
- 30.9 ट्रक चालक, रैन बसेरों, फुटपाथ पर रहने वालों और कारागार सहित झुग्गी झोंपड़ी/अनधिकृत कालोनियों में रहने वालों की गहन टीबी जांच की जाती है।
- 30.10 यूनियन, आर के मिशन, डीएफआईटी, टीबी अलर्ट और जीएलआरए गैर सरकारी संगठनों द्वारा एमडीआर टीबी रोगियों को पोषण और परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
- 30.11 एनटीसीपी के तहत दिल्ली में 190 निदान केंद्र और 551 उपचार केंद्र हैं। दवा प्रतिरोधी टीबी के निदान के लिए 3 सीएंडडीएसटी प्रयोगशालाओं में एलपीए, लिक्विड कल्चर और सोलिड कल्चर सेवाएं उपलब्ध हैं। दवा प्रतिरोधी टीबी (डीआरटीबी) के रोगियों के लिए डाट्स+ सेवाएं 4 नोडल केंद्रों और 25 जिला दवा प्रतिरोधी टीबी केंद्रों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। टीबी का शीघ्र पता लगाने के लिए 25 चेस्ट क्लिनिक/चिकित्सा महाविद्यालयों में 32 कार्टरिज बेस्ड न्यूक्लियक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (सीबीएनएएटी) प्रयोगशालाएं (जैनएक्सपर्ट) काम कर रही हैं। उपचार शुरू करने के लिए सभी टीबी रोगियों के वास्ते डीएसटी के अलावा सीबीएनएएसी द्वारा टीबी का शीघ्र पता लगाने संबंधी सेवा सभी रोगियों (विशेष रूप से बच्चों, एचआईवी पॉजिटिव रोगियों और दवा प्रतिरोधी टीबी की जांच वाले रोगियों को) को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।
- 30.12 पहली नवंबर 2017 से दिल्ली में दैनिक पथ्य व्यवस्था की शुरुआत।
- 30.13 1997 से डॉट्स (टीबी के उपचार के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित रणनीति) और वर्ष 2008 से डॉट्स+ लागू करने का पूर्ण कवरेज हासिल करने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य है। दवा प्रतिरोधी टीबी के उपचार की दवा के लिए बेसलाइन एसएलडीएसटी पूरे राज्य में 2014 की दूसरी तिमाही से लागू की गई। दूसरी पंक्ति की औषधि के लिए विस्तारित डीएसटी राज्य में अप्रैल 2016 में लागू की गई। एमडीआर टीबी के उपचार के लिए नई दवा – बेडाक्विलिन का उपयोग पूरे राज्य में 2016 में शुरू किया गया।
- 30.14 निक्षय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के तहत निगरानी और नियंत्रण के लिए टीबी रोगियों की लाइव रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन वेब आधारित प्रणाली है।
- 30.15 इस वैश्विक महामारी के खात्मे के लिए 2025 तक शून्य मृत्यु के लक्ष्य के साथ टीबी मुक्त राष्ट्र का लक्ष्य रखा गया है।

- 30.16 हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। तदनुसार टीबी जागरूकता गतिविधियाँ जैसे सामुदायिक बैठकें, नुक्कड़ नाटक, स्कूल स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियाँ जैसे क्षय रोग पर पेंटिंग प्रतियोगिता/निबंध प्रतियोगिता/क्षय रोग पर भाषण प्रतियोगिता आदि, जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए नुक्कड़ नाटक, रोड रैली, अस्पतालों के ओपीडी में आईईसी सामग्री वितरण/ डिस्पेंसरी/मोहल्ला क्लिनिक, अस्पतालों के डॉक्टरों, निजी देखभाल प्रदाताओं, नर्सिंग स्टाफ से जुड़े चिकित्सा विद्यार्थी, स्वास्थ्य संदेशों को चित्रित करने वाली वॉल पेंटिंग, मेट्रो स्टेशनों आदि में जागरूकता अभियान विश्व क्षय रोग दिवस से एक सप्ताह पहले और एक सप्ताह बाद दिल्ली राज्य में आयोजित किए गए थे।
- 30.17 सितंबर और अक्टूबर 2023 में दिल्ली में आयुष्मान भवः अभियान आयोजित किया गया था। इस अभियान के दौरान, आयुष्मान भवः स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया था, जहां दूसरे सप्ताह में संचारी रोगों के बीच टीबी से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया गया था। इस स्वास्थ्य मेले के दौरान, क्षय रोग की आशंका वाली आबादी में टीबी की जांच और परीक्षण की व्यवस्था की गई, टीबी के वर्तमान रोगियों के लिए सभी लंबित डीबीटी भुगतान को मंजूरी दी गई, क्षय रोग के सक्रिय रोगियों का पता लगाने और उनकी जांच और उपचार करने तथा पात्र व्यक्तियों के लिए टीपीटी प्रारंभ करने, जागरूकता बढ़ाने, आईईसी गतिविधियों का आयोजन, टीबी रोगी सहायता समूह बैठकें, परिवार देखभालकर्ता प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। 2 अक्टूबर 2023 को आयुष्मान सभा आयोजित की गई, जिसमें टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष स्वास्थ्य वार्ताएं आयोजित की गईं। पंचायत/वार्ड स्तर पर हितधारकों को महत्वपूर्ण संकेतकों के प्रति जागरूक बनाया गया। अभियान के दौरान नि-क्षय मित्रों को भी सम्मानित किया गया।

विवरण 16.14

दिल्ली राज्य आरएनटीसीपी का कार्य निष्पादन

संकेतक	2017	2018	2019
सार्वजनिक क्षेत्र से अधिसूचित टीबी रोगी	60772	76182	79828
वार्षिक टीबी अधिसूचित दर (सार्वजनिक)	332 प्रति लाख	414 प्रति लाख	434 प्रति लाख
निजी क्षेत्र से अधिसूचित टीबी रोगी	5121	15561	28088
वार्षिक टीबी अधिसूचना दर (निजी)	28 प्रति लाख	84 प्रति लाख	153 प्रति लाख
पलमोनरी टीबी रोगियों का प्रतिशत	58%	56%	58%
एक्स्ट्रा पलमोनरी टीबी रोगियों का प्रतिशत	42%	44%	42%
नए टीबी रोगियों का प्रतिशत	86%	84%	86%
पहले उचारित टीबी रोगियों का प्रतिशत	14%	16%	14%
सूक्ष्म जैविक रूप से पुष्ट मामलों का प्रतिशत	43%	45%	52%
उपचार से नैदानिक मामलों का प्रतिशत	57%	55%	48%
सूक्ष्म जैविक रूप से पुष्ट नए रोगियों में सफलता दर	85%	86%	86%
सूक्ष्म जैविक रूप से पुष्ट पहले उपचारित रोगियों की सफलता दर	71%	72%	73%
नए टीबी रोगियों में सफलता दर	94%	94%	95%
नैदानिक रूप से पूर्व उपचारित टीबी रोगियों में सफलता दर	88%	88%	89%

स्रोत : स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

विवरण 16.14(1)

कार्यक्रम निष्पादन निगरानी संबंधी भारत सरकार के नए संकेतकों के अनुसार
दिल्ली राज्य एनटीईपी की उपलब्धियाँ

संकेतक	2020	2021	2022	जनवरी 2023 से सितंबर 2023
सार्वजनिक क्षेत्र से अधिसूचित टीबी रोगी	59746	68236	76831	58002
टीबी अधिसूचना (सार्वजनिक) में प्राप्त लक्ष्य का प्रतिशत	75%	85%	110%	97%
निजी क्षेत्र से अधिसूचित टीबी रोगी	27291	35589	29719	18814
टीबी अधिसूचना (निजी) में प्राप्त लक्ष्य का प्रतिशत	91%	119%	99%	84%
ज्ञात एचआईवी स्थिति (सार्वजनिक) के साथ टीबी अधिसूचित मरीजों का प्रतिशत	81%	88%	89%	84%
ज्ञात एचआईवी स्थिति (निजी) के साथ टीबी अधिसूचित मरीजों का प्रतिशत	66%	65%	62%	36%
यूडीएसटी के साथ टीबी अधिसूचित मरीजों का प्रतिशत (सार्वजनिक)	64%	39%	41%	45%
यूडीएसटी के साथ टीबी अधिसूचित मरीजों का प्रतिशत (निजी)	49%	40%	20%	26%
उपचार की सफलता दर (सार्वजनिक)	73%	75%	79%	77%
उपचार की सफलता दर (निजी)	54%	63%	61%	55%
निक्षय पोषण योजना के तहत पात्र लाभार्थियों का प्रतिशत	58%	61%	68%	64%
निदान किए गए एमडीआर रोगियों में से उपचार शुरू किये गये रोगियों का प्रतिशत	86.5%	89%	87%	86%

स्रोत : स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

31. प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान

भारत के राष्ट्रपति ने 9 सितंबर, 2022 को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। भारत में दुनिया की आबादी का 20 प्रतिशत से थोड़ा कम है, लेकिन दुनिया के कुल टीबी रोगियों का 25 प्रतिशत से अधिक है। टीबी से प्रभावित ज्यादातर लोग समाज के गरीब तबके से आते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार सभी देशों ने वर्ष 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की परिकल्पना सभी सामुदायिक हितधारकों को एक साथ लाने के लिए की गई है ताकि वे टीबी के उपचार पर सहयोग कर सकें और टीबी उन्मूलन की दिशा में देश की प्रगति को गति दे सकें।

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य टीबी रोगियों के उपचार के परिणाम में सुधार के लिए अतिरिक्त रोगी सहायता प्रदान करना है, 2025 तक टीबी को समाप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अवसरों का लाभ उठाने के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना है। (निक्षय)– (नि-अंत, क्षय) राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत टीबी नियंत्रण के लिए वेब सक्षम रोगी प्रबंधन प्रणाली है। निक्षय मित्र सहकारी समितियां, कॉर्पोरेट, निर्वाचित प्रतिनिधि, संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन, राजनीतिक दल और व्यक्ति आदि हो सकते हैं।

निक्षय 2.0 का अपेक्षित परिणाम :—

- तपेदिक के खिलाफ लड़ाई में समाज की सक्रिय भागीदारी में वृद्धि।
- उपचार कास्केड के समर्थन में समुदाय की भागीदारी से कलंक को कम करने में मदद मिलेगी।
- तपेदिक के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाना।
- टीबी रोगी के लिए बेहतर पोषण से उपचार के बेहतर परिणाम मिलेंगे।
- सह-रुग्णता वाले रोगियों को अतिरिक्त निदान सहायता।
- टीबी रोगी के परिवार के लिए होने वाले खर्च में कमी।

दिल्ली में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की स्थिति :-

- निक्षय मित्रों की संख्या- 531
- निक्षय मित्रों की संख्या सहमत/मरीजों से जुड़ी - 517
- पहले से पोषाहार सहायता प्राप्त रोगियों की संख्या - 32147

32. आयुष निदेशालय

स्वास्थ्य सेवा वितरण में दवाओं की वैकल्पिक प्रणालियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने और इन प्रणालियों में स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान और शिक्षा का प्रसार सुनिश्चित करने के लिए मई, 1996 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के एक हिस्से के रूप में दिल्ली सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा प्रणाली का एक अलग विभाग स्थापित किया गया था। 2013 में, इसका नाम बदलकर आयुष निदेशालय कर दिया गया, जहां आयुष के अंतर्गत आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा तथा होम्योपैथी शामिल हैं। आयुष निदेशालय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :

- आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी उपचार प्रदान करने वाली दिल्ली में फैले 197 औषधालयों (आयुर्वेदिक-55, यूनानी-25 और होम्योपैथिक-117) के नेटवर्क के माध्यम से सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है।
- चार शैक्षिक संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के माध्यम से आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी में गुणवत्ता और मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करता है।
- आयुर्वेद और यूनानी दवाओं के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम के तहत लाइसेंसिंग और विनियमन।
- स्कूली शिक्षा कार्यक्रमों, मीडिया अभियानों और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से आयुष प्रणालियों के महत्व के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना।

आयुष की कार्य प्रणाली के संदर्भ में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा निम्नांकित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं :

- सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी के लिए अलग विभाग / निदेशालय के निर्माण के बाद 1996 में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा के औषधि नियंत्रण प्रकोष्ठ को 1997 में औषधि नियंत्रण विभाग से इस निदेशालय में स्थानांतरित कर दिया। सहायक औषधि नियंत्रक (आयुर्वेद) और सहायक औषधि नियंत्रक (यूनानी) को क्रमशः आयुर्वेद और यूनानी दवाओं के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी के रूप में अधिसूचित किया गया है। कुल 116 नियमित आयुष निर्माण इकाइयाँ हैं जिनमें से 85 आयुर्वेदिक इकाइयाँ और 31 नियमित यूनानी इकाइयाँ हैं। 20.12.2023 तक 17 नियमित संयुक्त आयुर्वेदिक और यूनानी इकाइयाँ और 5 आयुर्वेदिक ऋण लाइसेंस और 10 यूनानी ऋण लाइसेंस प्राप्त इकाइयाँ हैं।
- सरकार ने डॉ. बी. आर. सूर होम्योपैथिक कॉलेज का अधिग्रहण किया था, जहाँ 63 सीटों के साथ होम्योपैथी में डिग्री कोर्स संचालित किया जाता है। इस अस्पताल में इनडोर मरीजों के लिए भी 50 बेड की व्यवस्था की गई है। ओपीडी सेवाओं के अलावा एक्स-रे, प्रयोगशाला सेवाएं और अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। अंशकालिक अतिथि संकाय में योग प्रशिक्षक की नियुक्ति की गई है और प्रत्येक विषय में 3 छात्रों के प्रवेश के साथ मेडिसिन और मटेरिया मेडिक्स के उपचार में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 2023 से शुरू हो गया है। फिजियोथेरेपिस्ट और आहार विशेषज्ञ को भी अंशकालिक के रूप में नियुक्त किया गया है। यूजी और पीजी दोनों छात्रों के लिए शिक्षण और नैदानिक प्रशिक्षण के लिए अंशकालिक नेत्र विशेषज्ञ, ईएनटी विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ भी नियुक्त किए गए हैं। नेत्र ओपीडी भी पूरी तरह कार्यरत है।
- सरकार ने 1998 में दिल्ली तिब्बिया कॉलेज (अधिग्रहण) अधिनियम 1998 के तहत आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज और अस्पताल का प्रबंधन भी अपने हाथ में ले लिया था। यह कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध है और 150 विद्यार्थियों (की प्रवेश क्षमता) के साथ बीएएमएस और बीयूएमएस डिग्री (बीएएमएस के लिए 75 और बीयूएमएस के लिए 75) प्रदान कर रहा है। यह संस्थान आयुर्वेद में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी चला रहा है, जिसमें 18 छात्र हैं, कायाचिकित्सा, शरीर क्रिया और पंचकर्म विषय में 4-4 और द्रव्य गुण में 6 छात्र हैं। यूनानी में 04 विभागों में पीजी पाठ्यक्रम 13 सीटों (मुनाफेनल अज़े, कबालत वा अमराज़-ए-निस्वान और मोआलाजात प्रत्येक पाठ्यक्रम में 03 सीटें और इल्मुल सैदला 04 सीटें) के साथ और 300 बिस्तर का इनडोर केंद्र भी संचालित किया जा रहा है।
- भारतीय चिकित्सा और पैरामेडिकल प्रशिक्षण के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में परीक्षा निकाय की स्थापना की गई है, जो नर्सिंग देखभाल, पंचकर्म आदि परीक्षाओं के लिए पैरामेडिकल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अध्ययन के वास्ते पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगा।
- नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बीएचएमएस डिग्री प्रदान कर रहा है और इसमें 125 सीटें हैं और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के लिए 09 सीटें हैं। इस संस्थान में एक बाह्य रोगी विभाग है जो प्रतिदिन 450 रोगियों की देखभाल करता है और रोगियों के होम्योपैथिक उपचार के लिए 100 बिस्तरों वाली इनडोर सुविधा है। आईपीडी और ओपीडी रोगियों के लिए फिजियोथेरेपी और योग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। एनएचएमसी मिशन 23, आयुष्मान भव:

अभियान आदि के हिस्से के रूप में जनता और रोगियों के लिए गतिविधियों, स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों/वार्ताओं का आयोजन करता है।

- चौ. ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान, खेड़ा डाबर, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के तहत एक स्वायत्त आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है। संस्थान में बीएएमएस के लिए 125 और एमडी (आयुर्वेद) के लिए 51 सीटें हैं। संस्थान से जुड़ा 210 बिस्तरों वाला अस्पताल अपने अनुभवी और योग्य डॉक्टरों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

33. दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन

दिल्ली में भारत में सबसे अच्छा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा है, जो प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल प्रदान कर रहा है। दिल्ली उपचार के लिए सबसे परिष्कृत और अत्याधुनिक तकनीक प्रदान करती है और गुणवत्तापूर्ण उपचार प्राप्त करने के लिए राज्यों के लोग आते हैं। इसके बावजूद, राज्य के सामने कुछ बाधाएँ और चुनौतियाँ हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का असमान वितरण है जिसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों का उपयोग पूरी तरह नहीं हो पाता जबकि कुछ क्षेत्रों में सुविधाओं का अभाव है। इस प्रकार, दिल्ली सरकार सेवा से वंचित क्षेत्रों में बुनियादी पीयूएचसी खोलकर और स्वास्थ्य वितरण प्रणाली में संरचनात्मक सुधारों को लागू करके स्वास्थ्य वितरण के नेटवर्क का विस्तार करने का प्रयास कर रही है।

दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन निम्नलिखित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करता है: —

- (i) प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य: —
 - आरएमएनसीएच + ए
 - मिशन फ्लेक्सीपूल
 - टीकाकरण
 - आयोडीन की कमी से होने वाले रोग (एनआईडीडीसीपी)
- (ii) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम):—
 - संरचनात्मक सुदृढीकरण
 - मानव संसाधन अंतराल दूर करना और प्रबंधन संरचना
 - आशा/रोगी कल्याण समिति महिला आरोग्य समिति के माध्यम से समुदायों के साथ जुड़ना)
 - एचएमआईएस और आईटी पहल
 - राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम
- (iii) संचारी रोग कार्यक्रम:—
 - एकीकृत रोग निगरानी परियोजना (आईडीएसपी)
 - राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी)
 - राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी)
 - राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी)

- राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी)
- राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी)

(iv) गैर संचारी रोग कार्यक्रम:-

- कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्टोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस)
- दृष्टिबाधितता नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीबी)
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी)
- बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई)
- बधिरता की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीसीडी)
- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी)
- राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनओएचपी)
- प्रशामक देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीपीसी)
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी)
- जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीएचसीएच)

राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई और 11 जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयां भारत सरकार से प्राप्त राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के अनुमोदन के अनुसार इन कार्यक्रमों को लागू करती हैं।

कुछ प्रमुख उपलब्धियां:

- (क) **उपयोग न किए गए/कम-सेवित क्षेत्रों का कवरेज:** राज्य भर में लगभग सभी गैर-सेवित/अल्प-सेवित क्षेत्रों की पहचान की गई है। इस पहल के तहत 60 मूलभूत प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र (पीयूएचसीज) स्थापित किए गए हैं।
- (ख) **मोबाइल डेंटल क्लिनिक:** 2 मोबाइल डेंटल क्लिनिक और 4 मोबाइल डेंटल आईईसी वैन का संचालन मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज (एमआईडीएस) द्वारा दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से किया जा रहा है।
- (ग) **एंबुलेंस का संचालन:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मानदंडों के अनुसार डीएसएचएम के माध्यम से खरीदी गई 215 बुनियादी जीवन रक्षक एम्बुलेंस/रोगी परिवहन एम्बुलेंस के संचालन के लिए केंद्रीकृत दुर्घटना ट्रॉमा सेवाओं में सहायता की जा रही है।
- (घ) **स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस):** अंतिम स्रोत से सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य/संकेतक आधारित जानकारी प्राप्त करने और गतिविधियों की योजना बनाने और निगरानी में सहायता करने के लिए रिपोर्ट/प्रवृत्तियां तैयार करने के लिए समर्पित वेब पोर्टल। इस वेब आधारित पोर्टल पर केन्द्र स्तर पर उत्पन्न डेटा मासिक आधार पर लिए जाते हैं। वर्तमान में, दिल्ली सरकार, एमसीडी, सीजीएचएस और ईएसआई, एनडीएमसी, स्वायत्त, गैर सरकारी संगठन और अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों (औषधालय और अस्पताल) मासिक आधार पर एचएमआईएस पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ निजी अस्पताल और नर्सिंग होम भी एचएमआईएस पोर्टल पर रिपोर्ट कर रहे हैं।

स्वास्थ्य नीतियों और रणनीतियों की निगरानी और योजना बनाने के लिए राज्य और भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।

ड) सामुदायिक प्रक्रियाएं

आशा : मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) की मदद से स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली को समुदाय से जोड़ा गया है। ये प्रेरित महिला स्वयंसेवी हैं जिनका विकेंद्रीकृत तरीके से परिभाषित दिशानिर्देशों के अनुसार चयन किया जाता है। प्रत्येक 2000 की आबादी (400 परिवारों) पर एक आशा का चयन किया जाता है। वर्तमान में राज्य में संवेदनशील क्षेत्रों (स्लम, जेजे क्लस्टर, अनधिकृत कॉलोनियों और पुनर्वास कॉलोनियों) में ग्यारह जिलों में वितरित 6212 आशा कार्यकर्ता हैं।

इन आशा कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ उठाने के लिए समुदाय के सदस्यों को एकजुट करने और सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल में प्रशिक्षित किया गया है। वे पहचान की गई माताओं और नवजात शिशुओं के लिए घर पर देखभाल भी प्रदान करते हैं और उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की त्वरित पहुंच के लिए बीमार व्यक्तियों की सहायता करते हैं। वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन में भी मदद करते हैं, वरिष्ठ नागरिकों और एनसीडी की जांच की सुविधा प्रदान करते हैं। इन आशाओं को उनके प्रदर्शन के अनुसार प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। राज्य द्वारा बनाए गए वेब आधारित आईटी प्लेटफॉर्म की मदद से उन पर निगरानी रखी जाती है और भुगतान किया जाता है। दिल्ली पहला राज्य है जिसने आशा योजना के लिए इस तरह के व्यापक आईटी प्लेटफॉर्म का संचालन किया है। उनके योगदान ने स्वास्थ्य संकेतकों, विशेष रूप से मातृ और परिवार नियोजन संकेतकों को बेहतर बनाने में मदद की है। साथ ही मोतियाबिंद के ऑपरेशन जैसी गतिविधियों में भी तेजी आई है।

प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एनआईओएस द्वारा आयोजित लिखित और मौखिक परीक्षा के माध्यम से एक मान्यता प्रक्रिया से गुजरना होता है।

(च) सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम-एनक्यूएपी का कार्यान्वयन: डीएसएचएम के तहत, अस्पतालों और पीयूचसी को गुणवत्ता आश्वासन की प्रक्रिया में पहचाने गए अंतराल को भरने के लिए धन प्रदान किया जाता है। चिन्हित अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के अनुपालन के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सात (7) अस्पतालों ने राष्ट्रीय स्तर का एनक्यूएस प्रमाणीकरण हासिल किया है, जिनमें से पांच (5) अस्पताल राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्य प्रमाणित हैं। तीन (3) पीयूचसी एनक्यूएस प्रमाणित हैं। एक (1) डीएच को एनक्यूएस के तहत राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन के लिए लिया जा रहा है। 6 पीयूचसी राज्य प्रमाणित हैं। 9 डीएच और 52 पीयूचसी राज्य प्रमाणीकरण से गुजर रहे हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत एनक्यूएस का एक उपसमूह, कायाकल्प कार्यक्रम सभी दिल्ली सरकार और एमसीडी अस्पतालों और पीयूचसी और एमसीडब्ल्यू केंद्रों में लागू किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत, सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं को मान्यता दी जाती है और उन्हें मौद्रिक प्रोत्साहन दिया जाता है। इससे स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं, स्वच्छता और रोगी अनुभव के स्तर में सुधार हुआ है।

2022-23 में 43 अस्पतालों में से 32 अस्पतालों ने कायाकल्प मूल्यांकन में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हैं। अंतिम स्कोर में "मेरा अस्पताल" स्कोर के 15 प्रतिशत वेटेज के नए मानदंड को शामिल करने से यह संख्या (32 अस्पताल) घटकर 29 अस्पताल हो गई है। कुल 418 पीयूएचसी (दिल्ली सरकार और एमसीडी) का मूल्यांकन किया गया था, जिनमें से 93 पीयूएचसी ने कायाकल्प कार्यक्रम के तहत बाहरी मूल्यांकन में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

34. दिल्ली आरोग्य कोष (डीएके)

दिल्ली आरोग्य कोष (डीएके) का गठन दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2011 में घातक बीमारियों से पीड़ित ऐसे निर्धन रोगियों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के वास्ते एक अलग सोसायटी के रूप में किया गया था, जिनका उपचार दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित अस्पताल या राज्य सरकार के तहत स्वायत्त अस्पताल में चल रहा हो और जिन्हें लघु शल्य चिकित्सा, इमेजिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायलिसिस आदि उपचार की आवश्यकता हो। वर्ष 2017-18 में, सरकार ने डीएके के माध्यम से सड़क दुर्घटना, एसिड अटैक और थर्मल बर्न इंजरी के पीड़ितों के लिए हाई-एंड डायग्नोस्टिक्स, सर्जरी और मेडिको लीगल पीड़ितों के इलाज की सेवाएं शुरू कीं, जिसमें मरीजों को सूचीबद्ध निजी स्वास्थ्य केंद्रों में भेजने और डीएके के माध्यम से सरकार द्वारा मरीजों के चिकित्सा उपचार के बिलों की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। 2022-23 के दौरान कुल 1,15,358 पात्र रोगियों ने हाई-एंड डायग्नोस्टिक परीक्षण का लाभ उठाया। इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान 2216 पात्र रोगियों ने मुफ्त डायलिसिस और 5218 पात्र रोगियों ने विभिन्न प्रकार की निर्दिष्ट सर्जरी की योजना का लाभ उठाया। इसके अलावा, इस अवधि में सड़क दुर्घटना/एसिड हमले के लगभग 3698 पीड़ितों ने कैथलेस उपचार का लाभ उठाया।

35. केंद्रीकृत दुर्घटना और आघात सेवाएँ (कैट्स)

केंद्रीकृत दुर्घटना और आघात सेवा (कैट्स) सरकार का शत-प्रतिशत वित्त पोषित स्वायत्त निकाय है। दिल्ली सरकार, 1991 से दिल्ली में 24x7x365 एम्बुलेंस सेवा प्रदान कर रही है। कैट्स दिल्ली में दुर्घटना और आघात पीड़ितों, गर्भवती महिलाओं को प्रसव और प्रसव के बाद परिवहन, बलात्कार पीड़ितों, एसिड हमलों के मामलों, अंतर अस्पताल स्थानांतरण, आदि के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा प्रदान करता है,। टोल फ्री नंबर "102" डायल करके कैट्स की एम्बुलेंस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। कैट्स का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना और आघात पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करना और समय पर चिकित्सा सहायता के अभाव में लोगों की जान बचाना है।

सड़क पर एंबुलेंस की समग्र उपलब्धता में सुधार, समय पर शीघ्र सेवा प्रदान करने, गुणवत्ता पूर्ण कार्मिक उपलब्ध कराने, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और पर्यवेक्षण की आवश्यकता पूरी करने के लिए कैट्स ने जुलाई, 2016 से अपने एम्बुलेंस के संचालन और रखरखाव को आउटसोर्स किया। आउटसोर्स एजेंसी कार्मिक भर्ती और प्रशिक्षण, एंबुलेंस और उसके उपकरणों के रखरखाव, वैधानिक अनुपालन, वार्षिक फिटनेस, बीमा, ईंधन, चिकित्सा और अन्य उपभोग्य वस्तुएं, आदि के लिए जिम्मेदार है। भुगतान कार्यनिष्पादन आधारित सेवा स्तर समझौते से सम्बद्ध है। कैट्स मॉडर्न कंट्रोल रूम दुनिया के सबसे उन्नत एम्बुलेंस सर्विस कंट्रोल रूम में से एक है। आधुनिक नियंत्रण कक्ष की अवसंरचना, विशेषताएं और कार्यात्मक आउटपुट सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार हैं।

वर्तमान में कैट्स कुल 380 एम्बुलेंस का संचालन कर रहा है। 380 एम्बुलेंस में से 240 कैट्स के स्वामित्व वाली हैं जिन्हें आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से संचालित किया जा रहा है और 140 एम्बुलेंस को निविदा प्रक्रिया के बाद जेम के माध्यम से किराए पर लिया गया है। 380 एम्बुलेंस के उपलब्ध बेड़े के साथ, कैट्स 15 मिनट से कम समय में, बिना किसी विफलता के, सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाए रखते हुए कैट्स नियंत्रण कक्ष में प्राप्त सभी कॉल अटैंड करने में सक्षम है।

प्रमुख निष्पादन संकेतक

कॉल संबंधी वर्ष वार आंकड़े

वर्ष	कुल कॉल	शिफ्ट किए गए रोगियों की संख्या	शिफ्ट किए गए रोगियों का प्रतिशत
2017	230095	164296	71.4
2018	365021	232614	63.7
2019	277612	172698	62.2
2020	403818	262867	65.0
2021	558701	394001	70.5
2022	611076	461472	75.5
2023 (30.11.2023 तक)	615214	452647	73.5

36. औषधि नियंत्रण विभाग

दिल्ली का औषधि नियंत्रण विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अधीन एक नियामक विभाग है। यह एलोपैथिक दवाओं, होम्योपैथिक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों की बिक्री के लिए विनिर्माण को नियंत्रित करता है। इनके अलावा, विभाग रक्त बैंकों, दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए परीक्षण प्रयोगशाला और दवाओं की रीपैकिंग के विनियमन को भी नियंत्रित करता है। यह होम्योपैथिक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों सहित दवाओं के खुदरा और थोक को भी नियंत्रित करता है। विभाग अपराधों का पता लगाने के लिए विशेष रूप से, नकली और मानक गुणवत्ता वाली (एनएसक्यू) दवाओं/सौंदर्य प्रसाधन/चिकित्सा उपकरणों की आवाजाही और बिक्री का पता लगाने के लिए निरीक्षण और छापेमारी भी करता है।

सिस्टम को जनता के लिए अधिक सुविधाजनक और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए, अधिकारियों के साथ जनता की कम बातचीत और अधिक पारदर्शिता के लिए, दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, द्वारा विकसित नई ऑनलाइन प्रणाली यानी नेशनल ड्रग्स लाइसेंसिंग सिस्टम को अपनाया है। दवाओं/सौंदर्य प्रसाधनों के लिए बिक्री/विनिर्माण लाइसेंस के अनुदान/नवीनीकरण और परीक्षण प्रयोगशाला की मंजूरी से संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन बनाने के लिए भारत सरकार केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के साथ समन्वय कर रही है। विभाग ने अंतरराष्ट्रीय मानकों और एनएबीएल मान्यता के अनुरूप दिल्ली के लॉरेंस रोड स्थित औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए कदम उठाए हैं।

दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने फार्मास्यूटिकल नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रति शून्य सहनशीलता अपनाई है और चूककर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 01.04.

2022 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान 23 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस रद्द कर दिए, जो अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए गए थे। विभाग दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के विभिन्न निर्माताओं और बिक्री दुकानों से दवाओं के नमूने नियमित रूप से एकत्र करके बाजार में चल रही दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता पर नियमित रूप से नजर रख रहा है। 01.04.2022 से 31.03.2023 तक विभाग ने औषधियों/सौंदर्य प्रसाधनों के 639 नमूने एकत्र किये। जिनमें से 21 नमूनों को सरकारी विश्लेषक द्वारा मानक गुणवत्ता का घोषित नहीं किया गया। इसके अलावा, विभाग ने 01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि में 04 मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू की, जहां उल्लंघन की प्रकृति गंभीर थी।

विभाग नियमित रूप से औचक निरीक्षण कर विभिन्न थोक/खुदरा दुकानों की गतिविधियों पर भी नजर रख रहा है। 01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि में विभाग ने 655 फर्मों में से 211 मामलों में उल्लंघन पाया, जिसके लिए दोषी फर्मों के खिलाफ उनके लाइसेंस निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई शुरू की गई।

विभाग मादक द्रव्यों की अवैध बिक्री में लिप्त अपराधियों का संयुक्त रूप से पता लगाने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के साथ घनिष्ठ समन्वय में भी काम कर रहा है। इसके अलावा विभाग आदत बनाने वाली दवाओं के उपयोग से संबंधित खतरों से संबंधित संदेश फैलाने के लिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है।

इसके अलावा, यह विभाग विभिन्न व्यापारियों की गतिविधियों पर नजर रख रहा है जो अनुसूची एच और एच1 श्रेणी (विशेष रूप से आदत बनाने वाली और दोहरे उपयोग वाली दवाओं) के तहत आने वाली ऐसी दवाओं की बिक्री में शामिल हैं। विभाग विशेष रूप से नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की श्रेणी के अंतर्गत आने वाली प्रिस्क्रिप्शन दवाओं (अनुसूची एच और एच1) की बिक्री के लिए औषधि नियम, 1945 के अनुपालन की जांच करने के लिए विशेष अभियान भी चलाता है। औषधि नियम, 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली फर्मों/अपराधियों के खिलाफ औषधि नियम, 1945 के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। विभाग ने 01.04.2023 से 31.08.2023 की अवधि के दौरान 57 फर्मों के खिलाफ निलंबन और रद्द करने की कार्रवाई की है। अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ की गई संयुक्त छापेमारी के दौरान एनडीपीएस अधिनियम के तहत उनके लाइसेंस रद्द किए गए और 5 एफआईआर दर्ज की गई।

37. आगे का रास्ता

दिल्ली की स्वास्थ्य शक्ति इसकी मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में निहित है, विशेष रूप से बुनियादी स्तर यानी प्राथमिक स्वास्थ्य (मोहल्ला क्लीनिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) पर आधारित है। राष्ट्रीय राजधानी में सभी वंचित समुदायों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार करने की आवश्यकता है। नई और मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार उन्नत करने की जरूरत है। आने वाले वर्षों में एक लचीले स्वास्थ्य क्षेत्र के महत्व और राष्ट्रीय राजधानी के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणामों को स्वीकार करते हुए, स्वास्थ्य देखभाल में प्राप्त उपलब्धियों को और मजबूत करने तथा बनाए रखने की आवश्यकता है। सरकार प्रमुख बीमारियों से लड़ना जारी रखेगी और सभी व्यक्तियों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे, सेवाओं और कर्मचारियों में निवेश करेगी।

अध्याय एक नज़र में

➤	दिल्ली के नागरिकों को निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए 31.03.2023 तक, 38 मल्टीस्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 174 एलोपैथिक औषधालय, 60 मूलभूत प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र, 521 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक, 30 पॉलीक्लिनिक, 55 आयुर्वेदिक औषधालय, 25 यूनानी औषधालय, 117 होम्योपैथिक औषधालय और 46 स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक हैं।
➤	दिल्ली में चिकित्सा संस्थानों की संख्या 2021-22 में 3307 से बढ़कर 2022-23 में 3423 हो गई है।
➤	2022-23 में दिल्ली में बिस्तर जनसंख्या अनुपात 2.70 पर बना हुआ है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से काफी कम है
➤	स्वास्थ्य पर दिल्ली सरकार का प्रति व्यक्ति व्यय वर्ष 2015-16 के 1962 रुपये से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 4362 रुपये हो गया है, जो पिछले छह वर्षों के दौरान लगभग 2.22 गुना है।
➤	दिल्ली के मामले में, आईएमआर और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू5एमआर) दोनों लगातार घट रहे हैं और एसआरएस के अनुसार क्रमशः 12 और 14 के आसपास बने हुए हैं।
➤	दिल्ली में संस्थागत प्रसव की हिस्सेदारी और कुशल स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जन्म के अनुपात में थोड़ी वृद्धि हुई है और वर्ष 2022 में यह क्रमशः 94.02 प्रतिशत और 94.83 प्रतिशत थी।
➤	2022-23 के दौरान जननी सुरक्षा योजना के तहत कुल 2698 लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया।
➤	2022-23 के दौरान जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत कुल 301823 (275272 गर्भवती महिलाओं और 26551 बीमार शिशुओं) को लाभ प्रदान किया गया।
➤	2022-23 में 93 प्रतिशत पात्र बच्चों को पूर्ण टीकाकरण कवरेज (1 वर्ष की आयु तक दिए गए सभी टीके) प्राप्त हुए। कुल 3,01,790 के लक्ष्य के मुकाबले 2,79,972 बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया।
➤	31 मार्च 2023 तक दिल्ली के 12 एआरटी केंद्रों में एचआईवी (पीएलएचआईवी) से पीड़ित 37590 व्यक्ति सक्रिय देखभाल में हैं, जिनमें से 4995 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान नए पंजीकृत हुए थे।
➤	दिल्ली में अनुमानित वयस्क एचआईवी प्रसार (15-49 वर्ष) 0.32 प्रतिशत है, जिसमें 58563 व्यक्ति एचआईवी के साथ जी रहे हैं, वर्ष 2022 में एचआईवी संक्रमण के 2961 नए मामले सामने आए और एचआईवी से लगभग 1121 लोगों की मौत हुई।
➤	पीएलएचआईवीएस/सीएलएचआईवीएस को वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत कुल 6215 लाभार्थी नामांकित किए गए जिनमें से 5471 लाभार्थी पीएफएमएस पर सक्रिय हैं और 31 मार्च 2023 तक लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
➤	शून्य मृत्यु दर के साथ 2025 तक टीबी मुक्त राष्ट्र और वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
➤	वर्ष 2023 के दौरान (नवंबर, 2023 तक) कुल 615214 कॉल की तुलना में 452647 मरीजों को स्थानांतरित किया गया।
➤	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने फार्मास्युटिकल नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रति शून्य सहनशीलता अपनाई है और चूककर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। 01.04.2022 से 31.03.2023 तक विभाग ने औषधियों/सौंदर्य प्रसाधनों के 639 नमूने एकत्र किये थे, जिनमें से 21 नमूनों को सरकारी विश्लेषक द्वारा मानक गुणवत्ता का नहीं पाया गया।

समाज कल्याण और सुरक्षा

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत जन कल्याण के लिए आदर्श शासन के मानदंड निर्धारित करते हैं और इन मानदंडों को राज्य द्वारा कानून बनाने के लिए लागू किए जाने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 41 यह निर्दिष्ट करता है कि “राज्य आर्थिक क्षमता और विकास सीमाओं के भीतर काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने तथा बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता तथा अभाव की अन्य स्थिति में सरकारी सहायता उपलब्ध कराने के प्रभावी प्रावधान करेगा”। वास्तविक लक्ष्य समाज कल्याण और नागरिकों की जीवन यापन स्थिति में सुधार करना है।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निर्दिष्ट समाज कल्याण की भावना के अनुरूप समाज के कमजोर वर्गों, उपेक्षित समूहों और दिव्यांगता ग्रस्त लोगों के कल्याण की योजनाओं/कार्यक्रमों पर अपने विभागों के माध्यम से अमल सुनिश्चित कर रही है ताकि उनकी बेहतर देखभाल और मदद की जा सके। इस संबंध में, निम्नलिखित विभाग समाज कल्याण और सुरक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 - (i) महिला और बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों से संबंधित विषयों को देखता है।
 - (ii) समाज कल्याण विभाग दिव्यांग लोगों, वृद्ध और बेसहारा लोगों की सेवा के लिए योजनाएं/कार्यक्रम संचालित करता है। इसके अलावा यह विभाग दिव्यांगों के लिए अवसर उपलब्ध कराता है और विभाग के कल्याणकारी उपायों के बारे में आम लोगों में जागरूकता पैदा करता है। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, समाज कल्याण विभाग ने अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वयन के लिए विकेंद्रीकृत किया है।
 - (iii) अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग दिल्ली के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग निवासियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

3. महिला और बाल विकास के लिए योजनाएं और कार्यक्रम

3.1 सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 स्कीम (पहले समेकित बाल विकास कार्यक्रम) :

यह आंशिक रूप से केंद्र प्रायोजित स्कीम है, जिसे 2 अक्टूबर, 1975 को लागू किया गया था। मौजूदा समय में यह योजना बच्चों की शुरुआती देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक विशिष्ट कार्यक्रमों में एक है। यह कार्यक्रम बच्चों और देखभाल करने वाली माताओं के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रमुख प्रतीक है। आईसीडीएस एक तरफ विद्यालय-पूर्व शिक्षा की चुनौती का समाधान करने और दूसरी तरफ कुपोषण, रुग्णता, सीखने की कम क्षमता और मृत्यु दर के दुष्चक्र को तोड़ने में सहायता करता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार इस कार्यक्रम को भारत सरकार की मदद से दिल्ली में कार्यान्वित कर रही है। आईसीडीएस कार्यक्रम 6 सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें पूरक पोषण आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, सम्प्रेषण सेवाएं, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा

और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा शामिल हैं। ये सेवाएं 10,897 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पूरक पोषण घटक के लिए 50:50 और पोषण घटक के अलावा अन्य घटकों के लिए 60:40 के अनुपात में लागत साझा की जाती है। इसके लाभार्थियों में 0-6 वर्ष की आयु समूह के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताएं शामिल हैं।

3.2 दिल्ली में समेकित बाल विकास स्कीम के अंतर्गत राजधानी के विभिन्न भागों में 95 परियोजनाएं 10,897 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित की जा रही हैं, जिनके अंतर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्गों से संबंधित 12.70 लाख और 2023-24 के दौरान (अक्टूबर, 2023 तक) 11.59 लाख बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को लाभ पहुंचाया गया। इसके अतिरिक्त, 2022-23 में 5.80 लाख बच्चों और महिलाओं तथा 2023-24 के दौरान (सितंबर, 2023 तक) 6.94 लाख बच्चों और महिलाओं को 10,897 आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए पूरक पोषक (आईसीडीएस के अंतर्गत) आहार दिया गया। वर्तमान में एक बच्चे के पूरक पौष्टिक आहार पर रोजाना 8 रुपये, प्रति महिला 9.50 रुपये और कुपोषण के शिकार प्रति बच्चे के पोषाहार पर 12 रुपये प्रतिदिन लागत आती है और ये (अक्टूबर 2018 से) साल में 300 दिन उपलब्ध कराया जा रहा है।

3.3 दिल्ली सरकार ने मार्च, 2022 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा कर 12720/- रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायकों का मानदेय बढ़ा कर 6810 रुपये प्रति माह कर दिया है।

3.4 लाडली योजना

दिल्ली सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत जनवरी 2008 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा से जुड़ी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसकी पात्रता-शर्त यह है कि बच्ची का जन्म दिल्ली में हुआ हो, उसके माता-पिता आवेदन करने की तारीख से पहले कम से कम तीन साल से दिल्ली में रह रहे हों और उनकी वार्षिक पारिवारिक आमदनी एक लाख रुपये से अधिक न हो। इसके अंतर्गत विभिन्न चरणों पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता इस प्रकार है :

- योजना के अंतर्गत पहली जनवरी 2008 को या इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में किसी अस्पताल/नर्सिंग होम में पैदा हुई बालिका के नाम बैंक में 11,000 रुपये जमा करा दिये जाते हैं। अगर बालिका अस्पताल या नर्सिंग होम के अलावा घर/किसी अन्य स्थान पर पैदा हुई हो तो खाते में 10000 रुपये जमा कराए जाते हैं।
- पहली, छठी और नौवीं कक्षा में प्रवेश, दसवीं कक्षा पास करने और बारहवीं कक्षा में प्रवेश के समय भी खाते में 5-5 हजार रुपये जमा कराये जाते हैं।
- कुल योगदान/जमा राशि का प्रावधान अस्पताल में जन्म के मामले में रु. 36,000/- और अस्पताल से बाहर जन्म होने की स्थिति में रु. 35,000/- होगा, बशर्ते बालिका ने सभी निर्धारित कक्षाओं में दाखिला लिया हो।

- जब बालिका 18 साल की हो जाती है और नियमित छात्रा के रूप में दसवीं कक्षा पास कर लेती है या बारहवीं कक्षा तक नियमित विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई करती है तो परिपक्वता राशि ली जा सकती है।
- सितंबर 2023 तक इस योजना के अंतर्गत 12.72 लाख बालिकाओं का पंजीकरण कराया जा चुका है, जिनमें से 3,56,033 बालिकाएं अंतिम परिपक्वता राशि के रूप में कुल रु. 665.39 करोड़ (2009-10 से 2023-24) प्राप्त कर चुकी हैं।
- 2021-22 के दौरान 62,749 पंजीकरण, 76,798 नवीकरण किए गए और 25,085 बालिकाओं को परिपक्वता राशि अदा की गई।
- 2022-23 के दौरान 64,408 पंजीकरण, 1,05,288 नवीकरण किए गए और 16,294 बालिकाओं को परिपक्वता राशि अदा की गई।
- 2023-24 के दौरान 19,986 पंजीकरण, 7,260 नवीकरण किए गए और 16,294 बालिकाओं को परिपक्वता राशि अदा की गई।

लाडली योजना के अंतर्गत 2008-09 से वर्षवार वित्तीय अंशदान प्रावधान अर्थात् बजट आवंटन और व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

विवरण 17.1
अंशदान का वर्षवार वित्तीय प्रावधान

क्र.सं	वर्ष	बजट (करोड़ रुपये में)	व्यय (करोड़ रुपये में)
1.	2008-09	86.38	86.44
2.	2009-10	87.00	86.97
3.	2010-11	110.00	89.26
4.	2011-12	93.00	92.90
5.	2012-13	105.50	103.00
6.	2013-14	113.00	112.29
7.	2014-15	96.00	95.64
8.	2015-16	103.27	101.92
9.	2016-17	106.00	96.67
10.	2017-18	101.87	100.65
11.	2018-19	100.00	97.54
12.	2019-20	100.00	85.30
13.	2020-21	100.00	89.10
14.	2021-22	90.00	89.95
15.	2022-23	100.00	99.69
16.	2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	100.00	42.95
कुल		1592.02	1470.27

स्रोत : महिला और बाल विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

- लाडली योजना के अंतर्गत पंजीकरण और नवीकरण की स्थिति

विवरण 17.2

पंजीकरण और नवीकरण की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	पंजीकरणों की संख्या	भुगतान की गई राशि (करोड़ रु. में)	नवीकरणों की संख्या	भुगतान की गई राशि (करोड़ रु. में)
1.	2008-09	125337	74.17	--	--
2.	2009-10	139823	83.57	--	--
3.	2010-11	105737	64.85	15367	7.68
4.	2011-12	106585	63.57	54216	27.11
5.	2012-13	96800	59.71	63805	31.90
6.	2013-14	89246	54.96	97620	48.84
7.	2014-15	82669	51.71	102466	52.83
8.	2015-16	74846	45.99	99366	55.30
9.	2016-17	68193	40.98	97284	55.97
10.	2017-18	67070	40.15	102489	59.98
11.	2018-19	60803	35.88	103703	60.95
12.	2019-20	46660	27.69	94338	56.49
13.	2020-21	61546	34.98	87000	52.11
14.	2021-22	62749	36.12	76798	48.39
15.	2022-23	64408	37.03	105288	66.96
16.	2023-24 (सितंबर 2023 तक)	19986	12.92	7260	44.11
	कुल	1272458	764.58	1107000	668.62

स्रोत : महिला और बाल विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

- लाडली योजना के अंतर्गत पंजीकरण और नवीकरण की स्थिति

विवरण 17.3

पंजीकरण और नवीकरण की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	परिपक्वता भुगतान की संख्या	भुगतान की गई राशि (करोड़ रु. में)
1.	2009-10	1640	0.87
2.	2010-11	19135	10.66
3.	2011-12	11212	6.67
4.	2012-13	11247	9.71
5.	2013-14	20980	26.8
6.	2014-15	20091	30.17
7.	2015-16	47766	63.84
8.	2016-17	37748	67.60
9.	2017-18	34717	70.45
10.	2018-19	25411	53.41
11.	2019-20	29097	63.75
12.	2020-21	20861	50.22
13.	2021-22	25085	70.03
14.	2022-23	34749	83.42
15.	2023-24 (सितंबर 2023 तक)	16294	43.29
	कुल	356033	665.39

स्रोत : महिला और बाल विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

3.5 बाल अधिकार आयोग

बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 वर्ष 2006 में लागू हुआ। इस अधिनियम में बच्चों के खिलाफ अपराधों अथवा बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन और उनसे जुड़े अन्य मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए राज्य आयोग और बाल अदालतें गठित करने का प्रावधान है। इसके अनुसार सितंबर, 2008 में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। आयोग बाल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, बाल विकास, किशोर न्याय, उपेक्षित/सुविधावंचित बच्चों, दिव्यांग बच्चों, मुसीबत में फंसे बच्चों से संबंधित मुद्दों तथा बाल मनोविज्ञान और बच्चों से संबंधित कानूनी मुद्दे देखता है। विभाग ने प्रत्येक जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत को बाल अदालत के रूप में अधिसूचित किया है ताकि उनमें बच्चों के खिलाफ अपराधों या बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 25 के उल्लंघन के मामलों की सुनवाई की जा सके।

3.6 बाल कल्याण समितियां

किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015; देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों को निपटाने और उनकी बुनियादी जरूरतें पूरा करने तथा उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की स्थापना करना अनिवार्य बनाता है। सीडब्ल्यूसी की संरचना और कामकाज किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और तत्संबंधी नियमों, के अनुसार होगा। इसके अनुपालन में दिल्ली में 10 बाल कल्याण समितियों की स्थापना की गई।

मिशन वात्सल्य हर जिले में सीडब्ल्यूसी की स्थापना में सहायता करने और उनका प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को बुनियादी ढांचा और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। बाल कल्याण समिति समय-समय पर संशोधित किशोर न्याय अधिनियम/नियमों में निर्धारित कार्यों और भूमिकाओं का निष्पादन करेगी। योजनान्तर्गत समिति के अध्यक्ष एवं चार सदस्यों को यात्रा/बैठक भत्ता अथवा मानदेय प्रदान किया जायेगा।

3.7 किशोर न्याय बोर्ड

किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015; प्रत्येक जिले में कम से कम एक किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) की स्थापना करना अनिवार्य बनाता है, जो कानून के साथ संघर्ष में बच्चों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए एक प्राधिकरण के रूप में काम करता है। जेजेबी की संरचना और कामकाज किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार होगा। इसके अनुसार में दिल्ली में 6 जेजेबी की स्थापना की गई है।

मिशन वात्सल्य हर जिले में जेजेबी की स्थापना में सहायता और उनका प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को बुनियादी ढांचा और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। किशोर न्याय बोर्ड समय-समय पर संशोधित किशोर न्याय अधिनियम/नियमों में निर्धारित कार्यों और भूमिकाओं का निष्पादन करेगा। जेजेबी अपनी बैठकें संप्रेक्षण गृह के परिसर में आयोजित करेगा। योजनान्तर्गत बोर्ड के दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों को यात्रा/बैठक भत्ता अथवा मानदेय प्रदान किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जेजेबी में दिन-प्रतिदिन के काम के लिए एक

सहायक-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। जिले में सहायक-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर की सांकेतिक योग्यता किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में वर्णित की गई है। जेजेबी की बैठकें संप्रेक्षण गृह परिसर में आयोजित की जाएंगी।

पॉक्सो (बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम) अधिनियम के तहत विशेष अदालतें

विभाग ने प्रत्येक जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालतों को, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आयोग 2005 की धारा 25 के तहत बाल अधिकारों के उल्लंघन और बाल यौन अपराध की घटनाओं की सुनवाई के लिए बाल अदालत के रूप में अधिसूचित किया है।

जेजेबी के लिए बुनियादी ढांचा: संप्रेक्षण गृहों में जेजेबी के लिए दो कमरों की व्यवस्था होगी और प्रत्येक कमरे का आकार 300 वर्ग फुट होगा। यदि किसी मौजूदा संप्रेक्षण गृह परिसर के भीतर अपेक्षित स्थान उपलब्ध है, तो वह बोर्ड को प्रदान किया जाएगा। परन्तु, जिन जिलों में कोई संप्रेक्षण गृह नहीं है या मौजूदा संप्रेक्षण गृह में जेजेबी के लिए जगह नहीं है, तो मिशन के तहत वहां जेजेबी के लिए उपयुक्त परिसर बनाने या किराए पर लेने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। बोर्ड एक कमरे में अपनी बैठक करेगा जबकि दूसरे कमरे का उपयोग बच्चों और उनके परिवारों के लिए प्रतीक्षालय के रूप में किया जाना चाहिए। बोर्ड परिसर में सद्भावपूर्ण माहौल होना चाहिए। जिस समिति कक्ष में बोर्ड की बैठकें होती हैं, वहां बच्चों के अनुकूल माहौल होगा। आवश्यक फर्नीचर, कंप्यूटर और अन्य बुनियादी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रतीक्षा क्षेत्र में बच्चों के लिए इनडोर मनोरंजन सुविधाओं के साथ-साथ शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। संप्रेक्षण गृह जहां जेजेबी अपनी कार्यवाही आयोजित करता है, बैठक के दिन जेजेबी को परामर्शदाता और चपरासी की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। डीसीपीयू जहां आवश्यक होगा कानूनी और परामर्श सहायता भी प्रदान करेगा।

3.8 बाल देखभाल संस्थान (सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित) :

महिला और बाल विकास विभाग ने देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा कानूनी प्रक्रिया में फंसे बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किशोर न्याय (देखभाल और बाल संरक्षण) अधिनियम, 2015 के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार 25 बाल संस्थान गठित किए हैं। इन संस्थानों में निम्नांकित शामिल हैं :

- बालकों के लिए 02 सम्प्रेक्षण गृह
- बालिकाओं के लिए 01 सम्प्रेक्षण गृह
- बालकों के लिए 01 संरक्षण गृह
- बालिकाओं के लिए 01 संरक्षण गृह
- बालकों के लिए 01 विशेष गृह
- 01 विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी
- बालकों और बालिकाओं के लिए 16 बाल गृह
- बालकों और लड़कियों के लिए 2 आपटर केयर होम।

उपरोक्त के अलावा, वर्तमान में 70 गैर-सरकारी संगठन भी दिल्ली में बाल देखभाल संस्थान संचालित कर रहे हैं। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत पंजीकृत इन संस्थानों में बालक और बालिकाओं के लिए बाल गृह, विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियां, ओपन शेल्टर और स्वास्थ्य सुविधा केंद्र शामिल हैं।

3.9 मिशन वात्सल्य (केंद्र प्रायोजित योजना)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए नोडल मंत्रालय है। अन्य मंत्रालयों और संगठनों के साथ समन्वय करते हुए, कानून, नीति और योजनाबद्ध उपायों के माध्यम से बाल कल्याण की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय बाल नीति, (2013 में संशोधित), और बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016 ने बाल कल्याण और संरक्षण के लिए नीतिगत रूपरेखा निर्धारित की। भारतीय संसद ने बच्चों के पक्ष में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जैसे कई ऐतिहासिक कानून पारित किए हैं। भारत ने महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जैसे कि बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और दत्तक ग्रहण संबंधी हेग कन्वेंशन, जिनका लक्ष्य देश में किशोर न्याय प्रणाली का व्यवस्थित विकास और उसकी मजबूती सुनिश्चित करना है।

मिशन वात्सल्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप विकास और बाल संरक्षण प्राथमिकताओं को कार्यरूप देने का रोडमैप है। 'कोई बच्चा पीछे न छोटे' के आदर्श वाक्य के साथ, यह किशोर न्याय देखभाल और सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के साथ बाल अधिकारों के प्रति समर्थन और जागरूकता पर बल देता है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधान और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, मिशन के कार्यान्वयन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करते हैं। 2009-10 से पहले, मंत्रालय के तहत तीन योजनाएं लागू की जा रही थीं, अर्थात् i) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए किशोर न्याय के कार्यक्रम; ii) बेघर बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम; और iii) बाल गृह (शिशु गृह) सहायता योजना। सभी तीन योजनाओं को एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना में शामिल किया गया था। मंत्रालय द्वारा आईसीपीएस को 2009-2010 से लागू किया गया था। 2017 में इस योजना का नाम बदलकर "बाल संरक्षण सेवा" योजना कर दिया गया। सीपीएस योजना को अब 2021-22 से मिशन वात्सल्य के तहत शामिल कर लिया गया है।

3.9.1 लक्ष्य: भारत में प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, उन्हें अपनी पूरी क्षमता का पता लगाने में सक्षम बनाने के लिए अवसर सुनिश्चित करना और सभी पक्षों में विकसित होने में उनकी सतत सहायता करना। मिशन वात्सल्य, अंतिम उपाय के रूप में बच्चों के संस्थानीकरण के सिद्धांत के आधार पर कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देता है।

3.9.2 मिशन: बच्चों के लिए आयु और विकास के विभिन्न चरणों से गुजरने के दौरान संवेदनशील, मददगार और अनुकूल इको सिस्टम को बढ़ावा देना। देश के सभी जिलों में बाल कल्याण और

संरक्षण समितियों के संस्थागत ढांचे और वैधानिक और सेवा वितरण संरचनाओं को मजबूत करके ऐसा करने की परिकल्पना की गई है। जबकि कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की समस्याओं का समाधान वैधानिक और सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था के तहत किया जाना है, स्थानीय विकास योजनाओं और संबंधित बजटों के साथ एकीकृत सामुदायिक स्तर पर बाल कल्याण और संरक्षण के मुद्दों पर समान जोर दिया जाना है। इस प्रकार, यह परिकल्पना की गई है कि संस्थागत ढांचे के तहत समितियां सहयोग समर्थन, जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण और समुदाय में एक मजबूत बाल अनुकूल व्यवस्था बनाने में वैधानिक और सेवा प्रदान करने की व्यवस्थाओं में सहायक होंगी। मिशन का लक्ष्य है: i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों को सहारा देना और उनका भरण-पोषण करना; ii) विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान विकसित करना; iii) नवोन्मेषी समाधानों को प्रोत्साहित करने की सुविधा प्रदान करना; iv) समन्वित कार्रवाई को मजबूत करना।

3.9.3 उद्देश्य :

मिशन वात्सल्य के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- (i) मिशन के तहत संचालित सभी गतिविधियों और कार्यों में बाल हित को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की योजना में बच्चों को वरीयता देना।
- (ii) परियोजनाओं और कार्यक्रमों की तैयारी या कार्यान्वयन में बच्चे का सर्वोत्तम हित और खुशहाल पारिवारिक वातावरण में बढ़ने का अधिकार सुनिश्चित करने के उपाय करना और इस कार्य में परिवारों को सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा की मदद देना।
- (iii) बच्चों के विकास, संरक्षण और भागीदारी के अधिकार सुनिश्चित करना।
- (iv) राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था और आपातकालीन सम्पर्क, परिवार और समुदाय के दायरे में गैर-संस्थागत देखभाल, के साथ-साथ संस्थागत देखभाल परामर्श और सहायता सेवाओं को मजबूत करना।
- (v) सभी स्तरों पर उचित अन्तर-क्षेत्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बच्चों को निर्बाध सेवा उपलब्ध कराने के समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सभी संबद्ध प्रणालियों के साथ समन्वय और नेटवर्क मजबूत करना।
- (vi) परिवार और सामुदायिक स्तर पर बाल संरक्षण के लिए परिवारों और समुदायों को तैयार करना, ताकि वे बच्चों को दुष्प्रभावित करने वाले जोखिमों और कमजोरियों की पहचान कर सकें और उन्हें संकट एवं दुर्व्यवहार से बचाने के लिए निवारक उपाय कर सकें।
- (vii) कानून के दायरे में बच्चों की सहायता के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- (viii) सभी स्तरों पर सहायता और सेवा प्रदाताओं की क्षमता मजबूत करना।

- (ix) जन जागरूकता बढ़ाना, बाल अधिकारों, कमजोरियों और सरकार द्वारा प्रायोजित संरक्षण के उपायों के बारे में जनता को जागरूक करना और बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए सभी स्तरों पर समुदाय को शामिल करना।
- (x) स्पष्ट परिभाषित उपलब्धियों और परिणामों के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर प्रगति पर निगरानी रखना, और
- (xi) बच्चों के कल्याण के लिए ध्यान देने योग्य मुद्दों, समुचित गतिविधियों के कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा के लिए नियमित निगरानी के उद्देश्य से गांव के स्तर पंचायत और स्थानीय निकायों तथा वार्ड और शहरी क्लस्टर स्तर पर शहरी निकायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मिशन वात्सल्य को केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के बीच निर्धारित लागत साझा अनुपात के अनुसार केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा।

3.10 कारागार में सजा काट रहे माता-पिता के बच्चों के लिए वित्तीय सहायता, शिक्षा और कल्याण योजनाएं

रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार ने कारागार में सजा काट रहे माता-पिता के बच्चों के लिए वित्तीय सहायता, शिक्षा और कल्याण कार्यक्रम अगस्त, 2014 में अधिसूचित किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे बच्चे को मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है जिनके जीवित माता या पिता अथवा दोनों कारागार में हों। वित्तीय सहायता पहले बच्चे को 3500/- रुपये प्रति माह और दूसरे बच्चे के लिए अतिरिक्त 3000/- रुपये (यदि 3 या उससे अधिक बच्चे होंगे तो अधिकतम राशि 6500/- रुपये प्रति माह होगी, जो प्रत्येक बच्चे के कल्याण के लिए प्रयुक्त की जाएगी)। यह सहायता बच्चों के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने अथवा माता पिता के कारगार से छूटने, इनमें जो भी पहले हो, तक के लिए दी जाएगी। परंतु, यदि कोई बच्चा किसी उपयुक्त संस्थान में रह रहा होगा तो ऐसा बच्चा अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2015-16 से 2023-24 के दौरान आवंटित निधि, खर्च की गई राशि और कवर किए गए लाभार्थियों का ब्योरा नीचे विवरण 17.4 में दिया गया है।

विवरण 17.4

कारागार में सजा काट रहे माता-पिता के बच्चों के लिए वित्तीय सहायता, शिक्षा और कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2015-16	30.00	22.45	228
2016-17	30.00	22.11	166
2017-18	30.00	22.18	63
2018-19	30.00	16.60	52
2019-20	30.00	18.36	50
2020-21	30.00	15.92	51
2021-22	30.00	18.36	49
2022-23	28.00	15.20	73
2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	28.00	17.18	70

स्रोत : महिला और बाल विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

3.11 दिल्ली में महिलाओं से संबंधित जनसांख्यिकीय ब्यौरा

2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में महिलाओं की आबादी 77.77 लाख थी जो कुल जनसंख्या का 46.41 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की आबादी कुल जनसंख्या का 48.46 प्रतिशत है। दिल्ली में महिला साक्षरता दर 80.34 प्रतिशत है जबकि पुरुष साक्षरता दर 91.03 प्रतिशत और कुल साक्षरता दर 86.34 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की साक्षरता दर 63.46 प्रतिशत है।

3.12 विपत्तिग्रस्त महिलाओं को वित्तीय सहायता :

महिला और बाल विकास विभाग 'विपत्तिग्रस्त महिलाओं के लिए पेंशन' कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। इसके अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त और बेसहारा महिलाओं को मासिक आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवाओं को मासिक पेंशन के रूप में आमदनी का नियमित स्रोत प्रदान करने के लिए वर्ष 2007-08 से चलायी जा रही है। वर्तमान में यह वित्तीय सहायता 18 वर्ष या अधिक की उन महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह की दर से दी जाती है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आमदनी आय एक लाख रुपये से कम हो और जो पिछले पांच वर्ष से दिल्ली की निवासी हों।

विपत्तिग्रस्त महिलाओं को वित्तीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 2015-16 से 2023-24 के दौरान आवंटित निधि, किए गए व्यय और कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा नीचे विवरण 17.5 में दिया गया है।

विवरण 17.5

विपत्तिग्रस्त महिलाओं को वित्तीय सहायता कार्यक्रम की उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (करोड़ में)	व्यय (करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या
2015-16	267.58	267.58	1,58,603
2016-17	318.00	317.48	1,76,778
2017-18	513.50	513.27	2,05,079
2018-19	654.45	642.16	2,38,049
2019-20	765.50	738.90	2,50,073
2020-21	895.50	821.83	2,81,267
2021-22	998.00	904.61	3,12,272
2022-23	1141.50	1034.09	3,48,965
2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	1113.50	833.06	3,74,516

स्रोत : महिला और बाल विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

3.13 बेसहारा लड़कियों/विधवाओं की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता

इस योजना के अंतर्गत विधवाओं को अपनी बेटी की शादी करने के लिए 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह स्कीम बेसहारा लड़कियों की शादी के लिए भी लागू होती है। लाभार्थी का दिल्ली का वास्तविक निवासी होना जरूरी है। यह सहायता किसी परिवार की दो लड़कियों की शादी के लिए ही दी जाती है। परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए। सहायता की वर्तमान दर 30,000 रुपये है।

इस योजना के अंतर्गत 2015-16 से 2023-24 के दौरान आवंटित निधि, किए गए व्यय और कवर किए गए लाभार्थियों का ब्यौरा नीचे विवरण 17.6 में दिया गया है।

विवरण 17.6

बेसहारा लड़कियों और विधवाओं की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता योजना की उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2015-16	990.00	983.00	3612
2016-17	990.00	981.90	3273
2017-18	860.00	854.00	2830
2018-19	1200.00	1000.80	3336
2019-20	1300.00	667.80	2239
2020-21	1300.00	763.58	2573
2021-22	900.00	779.10	2597
2022-23	1300.00	890.10	2967
2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	1100.00	687.48	2303

स्रोत : महिला और बाल विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

3.14 कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल

विभाग ने कामकाजी महिलाओं और युवा लड़कियों के रहने के लिए सुरक्षित और सुलभ जगह प्रदान करने के लिए रा.रा. क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर कामकाजी महिला हॉस्टल स्थापित किए हैं। विभाग ने दिल्ली में (द्वारका, तुगलकाबाद, पीतमपुरा, दिलशाद गार्डन, वसंत गांव, जनकपुरी) में विभिन्न स्थानों पर नए कामकाजी महिला हॉस्टल स्थापित करने/निर्माण करने की योजना बनाई है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के तहत 2546 महिलाओं की क्षमता के साथ 17 कामकाजी महिला हॉस्टल संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कामकाजी महिला हॉस्टलों में कुल 1460 महिलाएं रह रही थीं।

3.15 महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005

महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को लागू करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग नोडल एजेंसी है। यह कानून 26.10.2006 से लागू हुआ और इसका उद्देश्य ऐसी महिलाओं के अधिकारों का अधिक प्रभावी संरक्षण करना है जो अपने परिवार के भीतर ही किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार हैं। कानून के अंतर्गत घरेलू हिंसा के तहत वास्तविक दुर्व्यवहार या गैर-कानूनी तरीके से दहेज की मांग करके पीड़िता या उसके संबंधियों को परेशान करना शामिल है। इस अधिनियम को लागू करने के लिए विभाग ने दिल्ली के सभी जिलों के प्रतिनिधित्व के लिए 15 संरक्षण अधिकारी नियुक्त किये हैं। 2021-22 और 2023-24 के दौरान संरक्षा अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए घरेलू हिंसा मामलों की रिपोर्ट (डीआईआर) निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष 2021-22 – 5564

वित्तीय वर्ष 2022-23-7696

वित्तीय वर्ष 2023-24-1740 (सितंबर 2023 तक)

3.16 गर्भवती और स्तनपान कराने वाली (निराश्रित) महिलाओं के लिए शेल्टर होम्स (आश्रय गृह)

महिला और बाल विकास विभाग ने विशेष रूप से संकटग्रस्त महिलाओं के लिए जो गर्भवती या बच्चों को दूध पिलाने वाली हैं, सराय रोहिल्ला और जहांगीरपुरी में दो आश्रय गृह बनाए हैं। इन गृहों में निःशुल्क भोजन और आवास, चिकित्सा सुविधा विशेषकर प्रसव पूर्व और प्रसव बाद देखभाल उपलब्ध कराई जाती है। सराय रोहिल्ला आश्रय गृह में 14 और जहांगीरपुरी आश्रय गृह में 10 महिलाओं को रखे जाने की क्षमता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उक्त गृहों में महिलाओं को दी गई सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 – 59 (35 महिलाएं+24 बच्चे)

वित्तीय वर्ष 2022-23 – 58 (30 महिलाएं+28 बच्चे)

वित्तीय वर्ष 2023-24 – 58 (34 महिलाएं+24 बच्चे) (सितंबर 2023 तक)

3.17 स्वाधार गृह योजना (सीएसएस)

स्वाधार गृह योजना केंद्र प्रायोजित “महिला संरक्षण और सशक्तिकरण योजना” की एक उपयोजना है।

“स्वाधार गृह” योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- संकटग्रस्त और बिना किसी सामाजिक और आर्थिक सहायता प्राप्त महिलाओं के आश्रय, भोजन, कपड़े, चिकित्सा उपचार और देखभाल की बुनियादी जरूरतें पूरा करना।
 - उन्हें वह भावात्मक शक्ति पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाना, जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने के कारण बाधित हो गई हैं।
 - उन्हें कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना ताकि वे परिवार/समाज में अपने समायोजन के लिए कदम उठा सकें।
 - आर्थिक और भावात्मक रूप से उनका पुनर्वास करना।
 - संकटग्रस्त महिलाओं की विभिन्न आवश्यकताओं को समझने और उन्हें पूरा करने वाली सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करना।
 - उन्हें गरिमा और दृढ़ विश्वास के साथ अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने में सक्षम बनाना।
- ये स्वाधार गृह हैं (i) अखिल भारतीय महिला सम्मेलन द्वारा संचालित बापनू घर और (ii) महिला दक्षता समिति द्वारा संचालित स्नेहालय। स्वाधार गृह की क्षमता प्रत्येक घर में 30 सदस्यों को रखने की है।

लाभार्थियों में विधवाएं, अपने परिवारों और रिश्तेदारों द्वारा परित्यक्त महिलाएं, जेल से रिहा की गई महिला कैदी और पारिवारिक सहायता से वंचित महिला, प्राकृतिक आपदाओं से बचने वाली महिलाएं, आतंकी/उग्रवादी हिंसा की शिकार महिलाएं और इसी तरह कठिन परिस्थितियों में रखी गई महिलाएं शामिल हैं, जिनके पास कोई पारिवारिक समर्थन और आजीविका के लिए कोई भी आर्थिक साधन नहीं है। यह योजना लाभार्थी महिलाओं को आश्रय, भोजन, वस्त्र, परामर्श, चिकित्सा और कानूनी सहायता एवं देखभाल प्रदान करती है। दिल्ली सरकार के माध्यम से भारत सरकार इन गृहों को शत-प्रतिशत धनराशि प्रदान करती है। उक्त दो स्वाधार गृहों में विगत दो वर्षों के दौरान भर्ती किए गए सदस्यों की संख्या नीचे दी गई है:

वित्त वर्ष 2021-22 – 145 (114 महिलाएं + 31 बच्चे)

वित्त वर्ष 2022-23 – 290 (224 महिलाएं + 66 बच्चे)

3.18 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) : मातृत्व लाभ योजना

भारत सरकार पहली जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कार्यान्वित कर रही है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप देश के सभी जिलों में लागू की गई है। इसके अंतर्गत मां और बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार और पारिश्रमिक हानि, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति के लिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

3.18.1 लक्ष्य :

- योजना का उद्देश्य पारिश्रमिक नुकसान के आंशिक मुआवजे के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करना है ताकि महिला पहले बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके।
- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की स्वास्थ्य संबंधी आदतों में सुधार करना।
- यह योजना दूसरी बालिका के लिए अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन प्रदान करके बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने का भी प्रयास करती है।
- समाज के सामाजित और आर्थिक रूप से सुविधा वंचित वर्गों के निर्धारण की कसौटी इस प्रकार है, इनके लिए अपेक्षित दस्तावेज भी जरूरी हैं :

- i. अनुसूचित जाति और जनजातियों की महिलाएं
- ii. आंशिक रूप से (40 प्रतिशत) या पूरी तरह अक्षम (दिव्यांग) महिलाएं
- iii. बीपीएल राशनकार्ड धारक महिलाएं
- iv. आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी महिलाएं
- v. ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं
- vi. किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थी महिला किसान
- vii. मनरेगा रोजगार कार्ड धारक महिलाएं
- viii. महिलाएं जिनके परिवार की कुल आय आठ लाख रुपए वार्षिक से कम है
- ix. गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं/आंगनवाड़ी सहायिकाएं और आशा बहनें
- x. राशन कार्ड
- xi. केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य श्रेणी

3.18.2 लक्षित लाभार्थी

पीएमएमवीवाई योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं (पीडब्ल्यू) और स्तनपान कराने वाली माताओं (एलएम) को पहले दो जीवित बच्चों के लिए लाभ प्रदान करना है, बशर्ते कि दूसरी संतान बालिका हो। परन्तु, जो लोग इस समय लागू किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना के तहत लाभ के हकदार नहीं होंगे।

गर्भवती और दूध पिलाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिका/आशा कार्यकर्ता भी योजना की शर्तों को पूरा करने पर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की हकदार हैं।

3.18.3 लाभ:पात्रता मानदंड

क्र.सं	जन्म का क्रम	पात्रता की शर्तें
1	प्रथम शिशु	- गर्भावस्था के पंजीकरण पर 3000/-रुपये की पहली किस्त दी जाती है। - जन्म के पंजीकरण पर और टीकाकरण का पहला चक्र पूरा होने पर 2000/-रुपये की दूसरी किस्त दी जाती है।
2	दूसरा शिशु	दूसरा शिशु यदि बालिका हो तो 6000/-रुपये की पहली किस्त दी जाती है।

गर्भपात या मृत शिशु पैदा होने की स्थिति में लाभार्थी को अगली गर्भावस्था के लिए नई लाभार्थी माना जाएगा।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत लाभार्थी को मिलने वाली राशि सीधे उनके बैंक/डाक खाने के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण विधि से हस्तांतरित कर दी जाएगी। पात्र लाभार्थी किसी भी समय आवेदन कर सकती हैं, लेकिन यह समय गर्भावस्था के 730 दिन से पहले का होना चाहिए। एमसीपी कार्ड में पंजीकृत एलएमपी, इस संदर्भ में विचार के लिए गर्भावस्था की तिथि होगी। यदि किसी लाभार्थी महिला को अपनी दूसरी गर्भावस्था में जुड़वा/तीन बच्चे या चार बच्चे पैदा होते हैं और इनमें से एक या अधिक के बालिका होने की स्थिति में महिला को वंदन योजना 2.0 के नियमों के अनुसार दूसरी बालिका शिशु के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

3.18.4 मौजूदा स्थिति

योजना के आरंभ (जनवरी 2017) से अक्टूबर 2023 तक प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में नामांकित लाभार्थियों की संख्या 4,43,220 हो गई और इस अवधि में कुल 171.23 करोड़ रुपये की धनराशि (जनवरी 2017 से अक्टूबर 2023) वितरित की जा चुकी थी। 2023-24 में (अक्टूबर 2023 तक) पहला शिशु 26,798 लाभार्थियों ने और दूसरा शिशु 12,495 लाभार्थियों ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया और इस अवधि के दौरान 6.92 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

3.19. मिशन पोषण 2.0 (सीएसएस)

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य बच्चों, किशोर बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली महिलाओं के कुपोषण की चुनौतियों से निपटना है। इसके लिए भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाकर तथा स्वास्थ्य, आरोग्य और रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने के अनुकूल उपायों से स्थिति में परिवर्तन लाया जाता है।

3.19.1 मिशन पोषण 2.0 में एकीकृत बाल बिकास सेवाओं (आईसीडीएस)-आंगनवाड़ी सेवा, पूरक पोषण कार्यक्रम, पोषण अभियान और राष्ट्रीय क्रेच स्कीम को साथ लाया गया है।

- 3.19.2 पोषण 2.0 मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चे के आहार मानदंडों, एसएएम/एमएएम के लिए उपचार प्रोटोकॉल और आरोग्यता पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि बौनापन और एनीमिया के अलावा कुपोषण और भार में कमी की समस्या दूर की जा सके। यह कार्यक्रम 'पोषण ट्रैकर' द्वारा समर्थित है, जो एक नया, मजबूत आईसीटी केंद्रीकृत प्रणाली डेटा है।
- 3.19.3 पोषण अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और 6 वर्ष तक के बच्चों की माताओं के पोषण परामर्श के बारे में क्षेत्र कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण, सामुदायिक एकजुटता और व्यवहार परिवर्तन शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके अपने लक्ष्य प्राप्त करना है। इसके अंतर्गत पोषण प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण 1000 दिन की अवधि के दौरान लाभार्थियों तक बेहतर पहुंच की सुविधा के लिए सामुदायिक पोषण और स्वास्थ्य के लिए कार्य निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- 3.19.4 सभी 10897 कार्यात्मक आंगनवाड़ी केंद्र पोषण ट्रैकर ऐप पर पंजीकृत हैं। वर्तमान में लगभग कुल 6.94 लाख लाभार्थियों को पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत किया गया है और कुल 97.06% लाभार्थियों का आधार सत्यापन किया गया है और लगभग 89.5% लाभार्थियों का पोषण ट्रैकर पर मोबाइल सत्यापन किया गया है, जिनमें 68,643 गर्भवती माताएं, 56,796 स्तनपान कराने वाली माताएं, 0-6 वर्ष की आयु के 5,69,201 बच्चे शामिल हैं।
- 3.19.5 पोषण अभियान योजना के तहत 2022-23 में 743.22 लाख रुपये और 2023-24 में (सितम्बर, 2023 तक) 221.4 लाख रुपये खर्च किए गए।

3.20 दिल्ली महिला आयोग

दिल्ली महिला आयोग की स्थापना 1996 में की गई थी, इसका उद्देश्य संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं को उपलब्ध करायी गयी सुरक्षा के उल्लंघन के मामलों को देखना है। आयोग अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कार्य करता है, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

- **महिला पंचायत**-कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्तर पर पहुंचने के लिए जमीनी स्तर पर महिला पंचायतों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 65 महिला पंचायतों की स्थापना की गई थी जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में (सितंबर, 23 तक) 53 महिला पंचायतों की स्थापना की गई।
- **मोबाइल हेल्पलाइन**: दिल्ली महिला आयोग ने एक मोबाइल हेल्पलाइन शुरू की है जो 11 जिलों में 23 मोबाइल वैन चला रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, कुल 52,138 मामले सामने आए और तत्संबंधी कार्रवाई में मोबाइल वैन इस्तेमाल की गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में (सितंबर, 2023 तक) कुल 30,747 मामले सामने आए और उनमें मोबाइल वैन इस्तेमाल की गई।
- **संकट मोचन केंद्र (सीआईसी)** - यह दुष्कर्म पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए एक सहायता प्रणाली है। सीआईसी का लक्ष्य और उद्देश्य उन पीड़ितों के लिए समर्थन/सहायता बढ़ाना है जहां दुष्कर्म का आघात उनके मानस पर एक अमिट दुष्प्रभाव बन जाता है। सीआईसी गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से संचालित होते हैं जो पीड़ित और उसके परिवार को आघात से निपटने के

लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। संकट मोचन केंद्र कार्यक्रम आउटसोर्स आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

- **दुष्कर्म संकट प्रकोष्ठ** : इस प्रकोष्ठ का प्रमुख दायित्व दुष्कर्म पीड़िताओं और उनके परिवार वालों को तत्काल राहत, भावनात्मक सहयोग और परामर्श तथा प्राथमिकी दर्ज करने और आगे की कार्रवाई पर नजर रखने में सहायता प्रदान करना है ताकि वे हमले से हुए सदमे से उबर सकें। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के समय से लेकर मामले को अंतिम मुकाम पर पहुंचाने तक यौन दुष्कर्म पीड़िता को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, कुल 13,715 और 2023-24 बलात्कार पीड़िताओं को परामर्श एवं चिकित्सा सहायता प्रदान की गई और कुल 30602 बलात्कार पीड़ितों को आश्रय/कानूनी सहायता प्रदान की गई। चालू वित्त वर्ष यानी 2022-23 में सितंबर 2022 तक कुल 3224 बलात्कार पीड़ितों को परामर्श और चिकित्सा सहायता प्रदान की गई और कुल 7625 बलात्कार पीड़ितों को आश्रय/कानूनी सहायता प्रदान की गई।
- **‘181’ संकट ग्रस्त महिलाओं के लिए हेल्पलाइन-181** महिला हेल्पलाइन का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को 24 घंटे तत्काल और आपातकालीन सहायता प्रदान करना है। यह फोन, रेफरल, मार्गदर्शन और परामर्श के माध्यम से संकट और गैर-संकट हस्तक्षेप की सुविधा के लिए एक टोल फ्री टेलीकॉम सेवा है। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के निर्देश पर दिनांक 11.02.2016 के आदेश द्वारा ‘181’ संकट ग्रस्त महिलाओं के लिए हेल्पलाइन को कर्मचारियों सहित दिल्ली महिला आयोग को स्थानांतरित कर दिया गया था। दिल्ली महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 181 महिला हेल्पलाइन पर 5,09,185 फोन कॉल प्राप्त हुई जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में (सितंबर, 2022 तक) 4,95,345 फोन कॉल निपटाए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग ने फोन कॉल से निपटने और बातचीत के दौरान किए जाने वाले अन्य उपायों के संबंध में महिला हेल्पलाइन के टेली-कॉलर के वास्ते मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है।

3.22 वन स्टॉप सेंटर

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रत्येक जिले में सखी-वन स्टॉप सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम तैयार किया है। यह केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित है। डीएम/डीसी कार्यालय के निगरानी क्षेत्राधिकार के तहत निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक छत के नीचे एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए ये केंद्र देश भर में स्थापित किए जाएंगे।

प्रत्येक जिले में सखी-वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं/हिंसा से दुष्प्रभावित महिलाओं को पांच आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

सखी वन स्टॉप सेंटर के तहत महिला लाभार्थियों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं-

- (i) मनो-सामाजिक परामर्श,
- (ii) कानूनी सहायता,

- (iii) पुलिस सुविधा,
- (iv) चिकित्सा देखभाल और
- (v) एक छत के नीचे पांच बिस्तरों वाला अस्थायी आश्रय।

रा.रा.क्षे. दिल्ली में, प्रत्येक जिले में एक और कुल 11 सखी-वन स्टॉप सेंटर, स्थापित किए गए हैं। सभी सखी केंद्रों को नवंबर और दिसंबर, 2019 के महीने में चालू कर दिया गया था। धन सीधे जिलाधीश/जिला आयुक्त कार्यालय द्वारा संचालित एक अलग बैंक खाते में प्रदान किया जाता है। सभी 11 सखी वन स्टॉप सेंटर की अद्यतन सूची नीचे दी गई है:-

रा.रा.क्षे. दिल्ली में सखी-ओएससी केंद्रों की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	सखी – वन स्टॉप सेंटर का पता और ईमेल पता
1	शाहदरा	सखी – वन स्टॉप सेंटर, आईएचबीएस अस्पताल परिसर, शाहदरा, दिल्ली –110095
2	पूर्व	सखी – वन स्टॉप सेंटर, लालबहादुर शास्त्री अस्पताल, गेट नंबर 3, खिचड़ीपुर, दिल्ली –110091
3	दक्षिण पूर्व	सखी – वन स्टॉप सेंटर, डीएम का कार्यालय दक्षिण पूर्व दिल्ली लाजपत नगर IV, पुराना गार्गी कॉलेज भवन, एलएसआर के पीछे, दिल्ली-110024
4	दक्षिण	सखी – वन स्टॉप सेंटर, पं. मदन मोहन मालवीय अस्पताल पहली मंजिल, छात्रावास ब्लॉक, मालवीय नगर, दिल्ली –110068
5	दक्षिण पश्चिम	सखी-वन स्टॉप सेंटर, पहली और दूसरी मंजिल, छात्रावास ब्लॉक, दादा देव अस्पताल परिसर, पालम रोड, डाबड़ी मोड़, विजय एन्क्लेव, नई दिल्ली-110045
6	नयी दिल्ली	सखी – वन स्टॉप सेंटर, व्यायामशाला, ग्राम सभा भवन, समालखा गांव, दिल्ली –110037
7	उत्तर	सखी – वन स्टॉप सेंटर, बाबू जग जीवन राम अस्पताल परिसर, जहांगीरपुरी, दिल्ली –110033
8	पश्चिम	सखी – वन स्टॉप सेंटर, अधीक्षक निवास निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, हरि नगर, दिल्ली-110064
9	केंद्रीय	सखी-वन स्टॉप सेंटर, कमरा नंबर 201-207, दूसरी मंजिल, स्पेशल वार्ड, एलएनजेपी अस्पताल, गेट नंबर 2, बहादुर शाहजफर मार्ग, दिल्ली-110002
10	उत्तर पश्चिम	सखी – वन स्टॉप सेंटर, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल, रोहिणी, सेक्टर-06, दिल्ली-110085
11	उत्तर-पूर्वी	सखी वन स्टॉप सेंटर, दूसरी मंजिल, जगप्रवेश चंद्र अस्पताल, शास्त्री पार्क, दिल्ली –53

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 4,387 लाभार्थियों और चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 (सितंबर 2023 तक) 3,516 लाभार्थियों को 11 सखी वन स्टॉप सेंटरों द्वारा सहायता प्रदान की गई।

3.23 सूर्योदय

नशाबंदी का उद्देश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में भली-भांति स्पष्ट किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस नीति के मुख्य प्रणेता थे। नशा करने वाले व्यक्ति का शारीरिक,

मानसिक, बौद्धिक और आर्थिक पतन होता है और इस हानि का कोई विकल्प नहीं है। हाल के दिनों में शराब ने सभी बाधाओं को पार कर लिया है और यह समाज के सभी वर्गों यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और संभ्रांत वर्गों, विशेषकर युवाओं के घरों तक पहुंच गई है। समाज में शराब पीने के हानिकारक प्रभाव होते हैं और यह परिवार और रूपी संस्थान को बाधित करके संपूर्ण सामाजिक संरचना को कमजोर करता है और विकास प्रक्रिया की प्राथमिकताओं को भी विकृत करता है।

शराबबंदी का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, निषेध निदेशालय ऐसे उपाय अपनाता है जो लोगों को शराब के दुष्प्रभावों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे के बारे में प्रचार के विभिन्न तरीकों जैसे कि झुगगी झोंपड़ी बस्तियों में प्रदर्शनियों के आयोजन के माध्यम से जागरूक करने में सहायक होते हैं। मेलों/उत्सवों, नुक्कड़ नाटक, मैजिक शो, लघु फिल्मों, कियोस्क, होर्डिंग्स, बैकलिट खंभे, बैनर, बस बैक पैनल, बस क्यू शेल्टर, कंप्यूटर एनीमेशन डिस्प्ले सिस्टम के माध्यम से नशा की लत के खिलाफ प्रचार के उपाय किए गए। पुनर्वास समूहों और शराब सेवन की आशंका वाले अन्य क्षेत्रों में स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से लोक संपर्क कार्यक्रमों के जरिए भी इस दिशा में प्रयास किए गए।

सूर्योदय योजना:

निषेध निदेशालय ने एक नई योजना 'सूर्योदय' योजना तैयार की है जो सामुदायिक सहयोग पर केंद्रित है, जो नशीली दवाओं की समस्याओं से जुड़े सामुदायिक जोखिम और सुरक्षात्मक कारकों का आकलन कर सकती है।

लक्ष्य और उद्देश्य:

नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों का सेवन देश के सामाजिक ताने-बाने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली एक गंभीर समस्या है। नशे की लत न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि उनके परिवार और पूरे समाज को भी प्रभावित करती है। हाल ही में, युवा पीढ़ी में नशीली दवाओं के दुरुपयोग का खतरा पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। दिल्ली राज्य ने दिल्ली परियोजना-सूर्योदय में मादक द्रव्यों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए एकीकृत बहुउद्देश्यीय प्रणाली के विकास के लिए एक कार्य योजना तैयार की है ताकि निवारक शिक्षा, जागरूकता सृजन, समस्या की पहचान, परामर्श, उपचार और नशीली दवाओं पर निर्भर व्यक्तियों के पुनर्वास और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और केंद्र और राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं का क्षमता निर्माण किया जा सके।

ओडीआईसी और 5 सीपीएलआई केंद्रों की स्थापना:

सूर्योदय योजना के तहत निषेध निदेशालय, दिल्ली के कैचमेंट/नशे की आशंका वाले इलाकों में शराब की मांग में कमी के लिए सूर्योदय योजना के तहत 4 आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) और 5 समुदाय आधारित पीयर एलईडी इंटरवेंशन (सीपीएलआई) केन्द्र संचालित कर रहा है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:—

क्र.सं	संगठन	ओडीआईसी	सीपीएलआई
1.	एक्सप्रेसन चिल्ड्रेन होम्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, 38 पॉकेट-1 जसोला विहार, दिल्ली-110025	जिला- दक्षिण पूर्व स्थान : गोविंदपुरी	जिला- दक्षिण (1) स्थान: खानपुर (2) स्थान: नेब सराय
2.	भारतीय परिवर्द्धन संस्था, मकान नं. आर-38 ईस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110091	जिला- उत्तर पूर्व स्थान: शाहदरा	जिला- उत्तर पूर्व स्थान: शास्त्री पार्क
3.	मानव परोपकारी संस्था, मकान नंबर 736 कापसहेड़ा गांव, दिल्ली 110037	जिला- दक्षिण पश्चिम स्थान: मोहम्मदपुर	जिला- दक्षिण पूर्व स्थान: बदरपुर
4.	मुस्कान फाउंडेशन ए-136, सेक्टर-19 द्वारका, दिल्ली-110075	जिला- नई दिल्ली स्थान: पहाड़गंज	जिला- उत्तर पश्चिम स्थान: बवाना, जे जे कॉलोनी

सुल्तानपुरी वेलनेस/ओएसटी सेंटर:

निदेशालय सुल्तानपुरी में ओएसटी केंद्र चला रहा है जिसमें स्थानीय समुदाय के युवाओं और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की मदद से बच्चों सहित नशे की लत से पीड़ित लोगों का दवाओं, परामर्श और मनोवैज्ञानिक विधियों के माध्यम से इलाज किया जाता है। सुल्तानपुरी में पहचाने गए लगभग 429 युवाओं को सुल्तानपुरी एकीकृत केंद्र के तहत विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से नामांकित किया गया, जिनमें योग, पुस्तकालय सेवाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, नशा मुक्ति, परामर्श और अन्य गतिविधियों शामिल थीं, जो उन बच्चों/युवा वयस्कों की भलाई के लिए संचालित की गईं, जिन्हें नशीली दवाओं/अन्य मनोदैहिक पदार्थों की लत पड़ गई थी या ऐसे जोखिम की आशंका थी। सुल्तानपुरी परियोजना को प्रायोगिक रूप में विकसित किया गया था ताकि इस केंद्र से मिली सीख का उपयोग अन्य जिलों में अन्य केंद्रों को विकसित करने के लिए किया जा सके।

लघु फिल्म/वृत्तचित्र/पोस्टर पैम्फलेट के माध्यम से जागरूकता सृजन:

सहेली समन्वय केंद्र और आंगनवाड़ी केंद्रों के मंच का उपयोग करते हुए शिक्षाप्रद प्रचार सामग्री का वितरण करके महिलाओं, युवा बच्चों के बीच जागरूकता लाने पर जोर दिया गया है और लघु फिल्मों भी विकसित की गईं तथा विभिन्न हॉटस्पॉट पर प्रदर्शित की गईं ताकि निवारक उपायों को मजबूत किया जा सके।

3.23 सहेली समन्वय केन्द्र (एसएसके):

सहेली संवाद – इन केंद्रों के पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता “अपनों की बात अपनों के साथ” के आदर्श वाक्य के साथ महिलाओं और बच्चों तक पहुंचते हैं! “स्वास्थ्य और पोषण, बाल विकास, बाल यौन शोषण, टीकाकरण आदि ऐसे मुद्दों पर संवाद किया जाता है, जो महिलाओं, किशोरों और बच्चों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसका लक्ष्य मानदंडों और प्रथाओं पर चर्चा के माध्यम से

जागरूकता फैलाना है। महिलाओं/किशोर लड़कियों से संबंधित मुद्दों पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संबद्ध क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया जाता है;

- i) सॉफ्ट स्किल/कौशल विकास, आजीविका प्रशिक्षण आदि पर सत्र।
- ii) डिजिटल साक्षरता
- iii) स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा पोषण, जल, स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर जागरूकता।
- iv) महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित सरकार के कार्यक्रमों पर परिचर्चा।
- v) महिलाओं/लड़कियों के प्रति हिंसा, भेदभाव, लैंगिक रुढ़िवादिता, शिशु अनुपात में गिरावट, सुरक्षा और अन्य संबंधित विधान और कानूनी मुद्दों के प्रति लैंगिक जागरूकता।
- vi) महिलाओं में नेतृत्व कौशल, सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना।
- vii) महिलाओं और बच्चों तथा किशोर अपराध से संबंधित कानूनी मुद्दे।
- viii) महिला प्रकोष्ठ।
- ix) योग के लाभों के बारे में जागरूकता।
- x) आर्थिक मार्गदर्शन के लिए बैंकर और डाकघर कर्मचारी।
- xi) आजीविका कार्यक्रम के लिए स्वैच्छिक संगठनों के विशेषज्ञ।
- xii) मासिक धर्म स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, पोषण और मनो-सामाजिक स्वास्थ्य पर जागरूकता।

क्र. स	वित्तीय वर्ष	संवाद की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1.	वित्तीय वर्ष 2022-23	30990	374818
2.	वित्तीय वर्ष 2023-24 (अगस्त, 2023 तक)	12910	188930
	कुल (अगस्त 2023 तक)	43900	563748

3.24 एसएसके— आंगनवाड़ी छाया केंद्र

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उन्हें कार्यबल में शामिल होने में मदद पहुंचाने के लिए, डे केयर एवं क्रेच सेवाएं या तो एसएसके के माध्यम से या ऐसे बच्चों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे नजदीकी क्रेच में नामांकित करके प्रदान की जाती हैं। इससे न केवल महिलाओं को काम के लिए बाहर जाने में सहायता मिलती है बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि उनके बच्चे ऐसे वातावरण में रहें, जो सुरक्षित और स्वच्छ हो और उनकी अच्छी देखभाल की जाए, भलिभांति भोजन प्रदान किया जाए और उन्हें रचनात्मक कार्यों में संलग्न रखा जाए।

कामकाजी महिलाओं के लिए क्रेच/डेकेयर सुविधाओं की मांग और आपूर्ति के बीच तालमेल के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया। विभाग द्वारा चलाए जा रहे मौजूदा क्रेचों का 100: निरीक्षण किया गया और ऐसे शिशु केंद्रों को सहेली समन्वय केंद्रों के साथ जोड़ कर स्थानांतरित किया गया, जिनका इस्तेमाल कम हो पा रहा था। इसका लक्ष्य शिशु केंद्रों को उजागर करना और उनके इस्तेमाल में सुधार लाना था।

महिलाओं और लड़कियों के लिए समन्वय एवं सुविधा केंद्र के रूप में सेवा करने के लिए विभाग द्वारा पूरी दिल्ली में सहेली समन्वय केंद्र स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में, दिल्ली में 500 एसएसके कार्यरत हैं। एसएसके के भीतर कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए शिशु केंद्र के रूप में कार्य

करने के लिए आंगनवाड़ी छाया केंद्रों की परिकल्पना एसएसके के चार स्तंभों में से एक के रूप में की गई थी।

47 सहेली समन्वय केंद्रों में आंगनवाड़ी छाया केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि समुदाय में 6 माह से 6 वर्ष की आयु वर्ग के कमजोर बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सकारात्मक समाजीकरण जैसी सेवाएं प्रदान की जा सकें।

3.25 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (बीबीबीपी)

बीबीबीपी योजना 22 जनवरी, 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के त्रि-मंत्रालयी प्रयास के रूप में शुरू की गई थी। अब, लड़कियों के बीच उच्च शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान और जागरूकता कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को भी भागीदार के रूप में जोड़ा गया है। खेल के क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, लड़कियों के बीच खेल प्रतिभा की पहचान करने और उनके कौशल को बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया या केंद्र/राज्य सरकारों की किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के तहत उपयुक्त अधिकारियों के साथ जोड़ने के लिए उचित कार्यक्रम विकसित किया जाएगा। बीबीबीपी का घटक बहु-क्षेत्रीय उपायों के माध्यम से देश के सभी जिलों को कवर करेगा, जबकि वर्तमान में यह 405 जिलों में चालू है। घटक का लक्ष्य शून्य-बजट विज्ञापन और जमीनी प्रभाव वाली गतिविधियों पर अधिक खर्च को प्रोत्साहित करना होगा, जैसे लड़कियों के बीच खेल को बढ़ावा देना, आत्मरक्षा शिविर, लड़कियों के लिए शौचालय का निर्माण, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना, पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के बारे में जागरूकता आदि।

प्राथमिक	• युवा और नवविवाहित दम्पति तथा संभावित माता पिता • किशोर (बालक और बालिकाएं) और युवा • परिवार और समुदाय
द्वितीयक	• स्कूल और आंगनवाड़ी • मेडिकल डॉक्टर/चिकित्सक, प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर आदि • अधिकारी, पंचायती राज संस्थाएं/शहरी स्थानीय निकाय, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता • महिला संगठन और स्वयं सहायता समूह, सिविल सोसायटी संगठन, मीडिया, उद्योग, धर्म गुरु आदि

बीबीबीपी योजना का उद्देश्य निम्नांकित लक्ष्य हासिल करना है:

- जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) में हर साल 2 अंक का सुधार,
- अस्पताल में प्रसव के प्रतिशत में सुधार या 95% या उससे अधिक की दर पर कायम रहना,
- पहली तिमाही एएनसी पंजीकरण में प्रति वर्ष 1% की वृद्धि, और

- iv. माध्यमिक शिक्षा स्तर पर दाखिलों और लड़कियों/महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण में प्रवेश में प्रति वर्ष 1% की वृद्धि।
- v. माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के बीच स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति पर अंकुश रखना।
- vi. सुरक्षित मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

जिला मजिस्ट्रेटों के कार्यालयों द्वारा बीबीबीपी योजना के तहत की जाने वाली गतिविधियाँ:

- लैंगिक समानता पर केंद्रित सांस्कृतिक गतिविधियाँ।
- बच्चियों के लिए "अन्नप्राशन" समारोह।
- खेलकूद गतिविधियाँ।
- "हम किसी से कम नहीं" थीम पर निबंध, भाषण, वाद-विवाद, पोस्टर मेकिंग और ड्राइंग प्रतियोगिता।

4. वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और कमजोर व्यक्तियों के लिए कल्याण कार्यक्रम :

- 4.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 2006 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीति को मंजूरी दी थी। इसके अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। इस नीति के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य उन्हें वृद्धावस्था की समस्याओं से निपटने में सक्षम बनाने के लिए सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत नागरिक समाज के सहयोग से सरकारी विभागों को रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करने के उपाय भी किए जाते हैं ताकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं को उपयोगकर्ताओं के अधिक अनुकूल और उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। दिल्ली सरकार के पास लोगों को वृद्धावस्था के लिए तैयार करने के वास्ते एक सार्वजनिक शिक्षा तंत्र भी होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे शान से जीवन जीने में सक्षम हों और अपने बाद के वर्षों में वित्तीय रूप से सुरक्षित रहें।

4.2 वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता (वृद्धावस्था पेंशन)

- 4.2.1 यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा लागू की जा रही है। योजना के तहत आवेदन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन किये जाते हैं। इस योजना के तहत, पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी के आधार नंबर या खाता संख्या के अनुसार बैंक में लाभार्थियों के बचत खातों में मासिक आधार पर वित्तीय सहायता भेजी जाती है। दिल्ली के ऐसे नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है और जिनके परिवार (आवेदक और पति या पत्नी) की आय रुपये 1,00,000/- प्रति वर्ष से कम है, इस योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र हैं। इसके लिए उनके पास पांच वर्ष से दिल्ली के निवासी होने का प्रमाणपत्र होना चाहिए। आवेदक के पास अधिसूचना में वर्णित वैध पहचान प्रमाणपत्र भी होना चाहिए। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता की मात्रा रुपये 2500/- प्रति माह है। 60-69 वर्ष की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए, यह रुपये 2000/- प्रति माह है। अजा/अजजा/अल्पसंख्यक वर्ग (60-69 वर्ष के बीच

की आयु) के लाभार्थियों को संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर सामान्य पेंशन के अलावा रुपये 500/— प्रति माह की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। यह दर फरवरी 2017 से प्रभावी है (पहले यह 1500/— और 1000/— प्रति माह थी)।

- 4.2.2 2012-13 से 2023-24 के दौरान दिल्ली में वरिष्ठ नागरिक को पेंशन योजना के तहत निधि के आवंटन, किए गए व्यय और कवर किए गए लाभार्थियों के बारे में जानकारी विवरण 17.7 में प्रस्तुत की गई है।

विवरण 17.7

वरिष्ठ नागरिक को पेंशन योजना का प्रदर्शन

क्र सं	वर्ष	परिव्यय (करोड़ में)	व्यय (करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	2012-13	563.20	558.34	386068
2.	2013-14	541.00	537.88	375668
3.	2014-15	558.00	532.24	331881
4.	2015-16	608.79	607.79	388471
5.	2016-17	682.00	638.48	381849
6.	2017-18	1065.00	984.72	437896
7.	2018-19	1299.00	1255.90	441999
8.	2019-20	1344.00	1342.63	463945
9.	2020-21	1324.00	1137.34	424920
10.	2021-22	1578.50	1406.45	452458
11.	2022-23	1650.00	1211.10	406830
12.	2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	1644.50	830.64	405397

स्रोत : समाज कल्याण विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

4.3 ओल्ड एज होम्स (वृद्धाश्रम)

- 4.3.1 'ओल्ड एज होम्स बनाने' की योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐसा स्थान प्रदान करना है जहां वे सद्भावपूर्ण वातावरण में गरिमापूर्वक रह सकें। दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग 04 वृद्धावस्था आश्रम संचालित कर रहा है—बिंदापुर, वजीरपुर, कांति नगर और ताहिरपुर।

4.3.2 वृद्धावस्था आश्रम में निम्नांकित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं :-

- सरकार द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों में निःशुल्क रहने/भोजन की व्यवस्था।
- चिकित्सा देखभाल और परामर्श तथा
- मनोरंजन सुविधाएं और पुनर्वास कार्यक्रम

4.3.3 वृद्धावस्था आश्रम इन लोगों के लिए हैं :

- वरिष्ठ नागरिक अर्थात् 60 वर्ष और उससे ऊपर आयु के लोग।
- ऐसे व्यक्ति जिन्हें सहायता देने वाला या देखभाल करने वाला कोई न हो।
- ऐसे व्यक्ति जो किसी संक्रामक/संचारी रोग से पीड़ित न हों। और
- रा.रा.क्षे. दिल्ली के निवासी।

4.4 वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन सुविधाएं

- 4.4.1 दिल्ली सरकार दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और समग्र विकास के प्रति वचनबद्ध है, जिसके लिए मनोरंजन केंद्रों की एक योजना चलाई जा रही है। यह दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और समग्र विकास के लिए अवसर प्रदान करती है। वरिष्ठ व्यक्ति के लिए मनोरंजन केंद्र विश्राम की सुविधाएं प्रदान करता है, फुरसत के क्षणों में सामाजिक संपर्क के अवसर प्रदान करता है जो वरिष्ठ नागरिकों को उनके परिवारों के साथ मेल-जोल करने में मदद करता है।
- 4.4.2 कुल 150 मनोरंजन केंद्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए हैं।

4.5 भरणपोषण न्यायाधिकरण

- 4.5.1 माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 और माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण दिल्ली नियम, 2010 के तहत दिल्ली में 11 अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित किये हैं।
- 4.5.2 इन न्यायाधिकरणों की स्थापना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण-पोषण और संपत्ति के संबंध में कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग, इन न्यायाधिकरणों के गैर-आधिकारिक सदस्यों की नियुक्ति करता है और उन्हें बैठक भत्ता प्रदान करता है।

4.5.3 अपीलीय प्राधिकरण

- दिल्ली सरकार ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के संदर्भ में सभी 11 जिलों में अपीलीय न्यायाधिकरण अधिसूचित एवं गठित किए हैं। प्रत्येक जिले में अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख पीठासीन अधिकारी के रूप में डीएम होता है और उनके साथ दो गैर-सरकारी सदस्य होते हैं जिनमें से एक महिला होनी चाहिए।
- भरण पोषण एवं अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत और निपटाए गए मामलों से संबंधित डेटा सम्बद्ध एडीएम/डीएम के पास उपलब्ध है।
- दिल्ली के सभी 11 जिलों में 2014-15 और 2019-20 की अवधि में भरण पोषण न्यायाधिकरणों में दाखिल किए गए और निपटाए गए मामलों की कुल संख्या की जानकारी नीचे विवरण 17.8 में दी गई है।

विवरण 17.8

भरण पोषण ट्राइब्यूनल में दाखिल मामलों और निपटाए गए मामलों की संख्या

वर्ष	दर्ज मामले	निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में बकाया मामले
2014-15	361	321	40
2015-16	433	363	70
2016-17	233	191	42
2017-18	623	152	471
2018-19	724	407	317
2019-20	397	245	152

स्रोत : समाज कल्याण विभाग रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

5. दिव्यांग-जनों का कल्याण

- 5.1 भारत का संविधान दिव्यांग-जनों सहित सभी व्यक्तियों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है। समाज कल्याण विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिव्यांग-जनों के कल्याण के लिए एक नोडल विभाग है। विभाग 'दिव्यांगजन को स्वयं अपनी सहायता करने में सक्षम बनाने के लिए मदद' करने के तथ्य में विश्वास रखता है।
- 5.2 दिल्ली सरकार अपनी विभिन्न पहल और कार्यक्रमों के जरिए दिव्यांगजनों को पूरी सहायता प्रदान कर रही है ताकि वे भागीदारीपूर्ण जीवन जी सकें और हर प्रकार से समान रूप से समाज में शामिल हो सकें। 1995 के पूर्व अधिनियम के स्थान पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आने के साथ दिव्यांगजन कल्याण के दायरे में 21 नए प्रकार की विकलांगता शामिल की गई है। 1995 के अधिनियम में केवल 7 प्रकार की विकलांगता शामिल थी।
- 5.3 दिव्यांगजन के कल्याण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग गृह संचालित कर रहा है :-
- बौद्धिक रूप से अस्वस्थ लोगों के लिए 6 गृह।
 - कालेज जाने वाले दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए एक छात्रावास।
 - एक प्रशिक्षण सह-उत्पादन केंद्र।
 - दिव्यांगों के लिए एक आश्रय कार्यशाला।
- 5.4 "राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुनर्वास कार्यक्रम" (एनपीआरपीडी) के अंतर्गत दो तरह के शिविरों का आयोजन किया जाता है जैसे सामान्य विकलांगता शिविर और विशेष विकलांगता शिविर। ये शिविर समाज कल्याण विभाग द्वारा दिल्ली के सभी जिलों में लगाए जाते हैं। सामान्य विकलांगता शिविर प्रत्येक जिले में अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय से आयोजित किए जाते हैं, जिनमें दिव्यांगजन को विकलांगता प्रमाणपत्र, डीटीसी पास, उपायुक्त कार्यालय द्वारा पहचानपत्र, एकीकृत स्कूल रेलवे रियायत पास के लिए पंजीकरण आदि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और दिव्यांगजन को निःशुल्क सहायता एवं उपकरण प्रदान करने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाते हैं।
- 5.5 दिल्ली में दिव्यांगजनों के कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 2014-15 से 2023-24 की अवधि में आवंटित धन, किए गए व्यय, आयोजित शिविरों और लाभार्थियों के बारे में जानकारी विवरण 17.9 में दी गई है :

विवरण 17.9
राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुनर्वास कार्यक्रम की उपलब्धियां

क्र.स.	वर्ष	व्यय (लाख रुपये)	संख्या	
			शिविर	लाभार्थी
1	2014-15	6.83	08	3242
2	2015-16	9.37	14	5000
3	2016-17	3.49	11	6000
4	2017-18	0.21	-	-
5	2018-19	0.00	-	-
6	2019-20	3.00	05	2600
7	2020-21	-	-	-
8	2021-22	4.74	07	4000
9	2022-23	--	--	--
10	2023-24 (नवंबर 2023 तक)	6.51	30	

स्रोत : समाज कल्याण विभाग रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार)

- 5.6 कोविड के प्रकोप के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में कोई सामान्य विकलांगता शिविर आयोजित नहीं किया गया। इसलिए इस लेखा शीर्ष के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया। प्रशासनिक कारणों से वित्त वर्ष 2022-23 में सामान्य विकलांगता शिविरों का आयोजन नहीं किया जा सका।
- 5.7 समाज कल्याण मंत्रालय दिव्यांगजनों के लिए वित्तीय सहयोग योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अंतर्गत 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले लोगों को आजीवन (जन्म से मृत्यु तक) 2500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है। इनके पास आवेदन देने से पहले कम से कम 5 वर्ष तक दिल्ली में रहने का आवास प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। आवेदकों के परिवार की आय 100,000 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह दर फरवरी 2017 से लागू है (पहले यह 1500 रुपये प्रति माह थी)।
- 5.8 विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 2010-11 से 2023-24 की अवधि में आवंटित धन, किए गए व्यय और लाभार्थियों के बारे में जानकारी 17.10 में दी गई है :

विवरण 17.10

दिल्ली में विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता

क्र.सं.	वर्ष	परिव्यय (करोड़ रुपये)	व्यय (करोड़ रुपये)	लाभार्थियों की संख्या
1	2010-11	26.50	17.86	25691
2	2011-12	28.50	27.52	26622
3	2012-13	58.00	57.41	36809
4	2013-14	78.00	75.82	45471
5	2014-15	92.00	78.68	41043
6	2015-16	108.71	108.42	60657
7	2016-17	137.00	135.52	71581
8	2017-18	200.00	196.03	76263
9	2018-19	265.00	262.26	87196
10	2019-20	291.35	290.02	95324
11	2020-21	317.35	279.17	101750
12	2021-22	405	370.00	111790
13	2022-23	397.00	347.22	113039
14	2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	448.03	266.46	123071

स्रोत : समाज कल्याण विभाग रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

- 5.9 दिल्ली सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के सुविधाजनक पुनर्वास के लिए 5 हॉफ-वे/लॉग-वे स्टे-होम्स बनाए हैं, जिनके मानसिक रोग पर अस्पताल में उपचार के बाद नियंत्रण पा लिया गया हो। ये स्टे होम्स द्वारका (01 इकाई), रोहिणी सेक्टर-3 (02 इकाई), रोहिणी सेक्टर 22 (01 इकाई) और नरेला (01 इकाई) में हैं।
- 5.10 इन स्टे होम्स में से 4 हॉफ-वे होम्स कार्यरत/स्थापित हैं (इनमें से पहले तीन होम, वर्ष 2017 से और द्वारका में स्थित क्र.सं. 4 का शेष होम नम्बर- दिसम्बर, 2021 से काम कर रहा है)। मौजूदा समय में इन स्टे-होम्स में निम्नलिखित संख्या में लोग रह रहे हैं।

क्र.सं.	नाम और पता	अनुमोदित संख्या	वर्तमान संख्या (सदस्य)
1.	'नव किरण'-1 (महिलाओं के लिए) रोहिणी सेक्टर 3 में	40	39
2.	'नव किरण'-2 (महिलाओं के लिए) रोहिणी सेक्टर 3 में	40	37
3.	'नव चेतना' -(पुरुषों के लिए) रोहिणी सेक्टर 22 में	-	-
4.	नव रचना (महिलाओं के लिए) द्वारका सेक्टर-3	50	19

रोहिणी सेक्टर - 22 में 'नव चेतना' (पुरुषों के लिए) का वर्तमान में नवीनीकरण किया जा रहा है और इन हाफवे होम्स के निवासियों को द्वारका सेक्टर -3 में नव रचना (पुरुष) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

6. परिवार लाभ योजना

- 6.1 गरीब परिवार में रोजी-रोटी कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाने पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत एकबारगी सहायता प्रदान की जाती है। उस परिवार को 20,000 रुपये की सहायता दी जाती है। ऐसा करते समय यह ध्यान में नहीं रखा जाता कि मौत किस कारण (प्राकृतिक या दुर्घटना आदि) से हुई है। मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए अर्थात् मृत्यु के समय कमाने वाले की परिभाषा परिवार के उस सदस्य के रूप में की गई है, जिसकी आमदनी का अनुपात परिवार की आय में सबसे अधिक हो।
- 6.2 राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 2011-12 से 2023-24 की अवधि में आवंटित धन, किए गए व्यय और लाभार्थियों का ब्यौरा विवरण 17.11 में दिया गया है।

विवरण 17.11

राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम की उपलब्धियां

क्र.सं.	वर्ष	परिव्यय (करोड़ रुपये)	व्यय (करोड़रुपये)	लाभार्थियों की संख्या
1	2010-11	2.15	2.08	2077
2	2011-12	2.58	2.53	2534
3	2012-13	2.70	2.69	2694
4	2013-14	3.10	2.83	2827
5	2014-15	3.60	3.37	3372
6	2015-16	5.50	5.39	5396
7	2016-17	7.00	7.00	7000
8	2017-18	12.62	9.01	4510
9	2018-19	14.00	11.61	5840
10	2019-20	24.70	21.30	10729
11	2020-21	29.70	27.23	13676
12	2021-22	34.67	33.43	15623
13	2022-23	34.67	29.25	14706
14	2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	35.67	19.33	10618

स्रोत : समाज कल्याण विभाग रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

7. कुष्ठ रोगियों का कल्याण

कुष्ठ रोग पीड़ित लोगों के लिए कुष्ठ पुनर्वास केन्द्र की स्थापना वर्ष 1980-81 में की गयी। सितंबर 2018 से समाज कल्याण विभाग कुष्ठ पुनर्वास केन्द्र के लाभार्थियों को 3000 रुपये मासिक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है (पहले यह राशि 1800 रुपये प्रति माह थी)। अधिकतर लाभार्थी दिल्ली के विभिन्न इलाकों, जैसे ताहिरपुर (यमुनापार), आर.के. पुरम, श्रीनिवासपुरी और पटेल नगर आदि इलाकों में रहते हैं। कुष्ठ पीड़ितों की सबसे बड़ी कालोनी ताहिरपुर में है जहां इन लोगों के लिए आश्रय कार्यशाला और प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र भी है।

विभाग, इन केन्द्रों में उत्पादन गतिविधियों के लिए सुविधा भी प्रदान करता है ताकि कुष्ठ रोगी आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी होकर जीवन यापन कर सकें। इन केन्द्रों में विभाग की ओर से हथकरघा बुनाई, जूते और चॉक बनाने और मोमबत्ती बनाने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। अभी लगभग 372 लाभार्थियों को 3000 रुपये प्रति माह की दर से भत्ता मिल रहा है।

7.1 मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार वित्तीय सहायता योजना

मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार वित्तीय सहायता योजना वित्त वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के कारण परिवार के लिए आजीविका कमाने वाले सदस्य की मौत पर परिवार को 2500/- रुपये प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई।

योजना के तहत पात्रता की शर्तें और पेंशन की राशि नीचे दी गई है।

परिस्थिति (परिवार के कामकाजी सदस्य की कोविड-19 के कारण मृत्यु)	पात्र आश्रित	राशि
पति	पत्नी	रुपये 2500/- प्रति माह आजीवन
पत्नी	पति	रुपये 2500/- प्रति माह आजीवन
एकल माता-पिता (अन्य की मृत्यु पहले ही हो चुकी हो (कोविड के कारण या अन्यथा)/ विलग/ तलाकशुदा	25 वर्ष से कम आयु की सभी संतान	रुपये 2500/- प्रति माह मृतक की प्रत्येक संतान को 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक
पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो चुकी हो	25 वर्ष से कम आयु की प्रत्येक संतान यदि कोई संतान न हो तो पिता या माता	रुपये 2500/- प्रति माह मृतक की प्रत्येक संतान को 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। रुपये 2500/- प्रति माह आजीवन (माता या पिता के मामले में केवल एक को सहायता मिलेगी)
अविवाहित कामकाजी पुत्र/पुत्री	पिता या माता	रुपये 2500/- प्रति माह आजीवन
भाई/बहन	आश्रित भाई/बहन यदि वे शारीरिक या मानसिक दृष्टि से दिव्यांग हों	रुपये 2500/- प्रति माह आजीवन

विवरण 17.12

मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार वित्तीय सहायता योजना की उपलब्धियां

क्र.सं	वर्ष	परिव्यय (करोड. रुपये में)	व्यय (करोड. रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	2021-22	41	17.24	10425
2.	2022-23	34.00	33.76	11570
3.	2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	45.00	26.73	11891

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) और कौशल प्रशिक्षण एजेंसियों के सहयोग से दिल्ली में बेघर भिखारियों के लिए कौशल विकास। अवधि: मार्च'23 से सितंबर'23 तक

जी-20 शिखर सम्मेलन के आलोक में, जिसके दौरान 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों, जिनमें उनके संबंधित विदेश मंत्री और राष्ट्रपति शामिल थे, को 1-2 मार्च, 2023 को और उसके बाद सितंबर 2023 में दिल्ली में बुलाया गया था। अंतर्विभागीय समिति की स्थापना की गई। माननीय उपराज्यपाल और मुख्य सचिव के निर्देशों के तहत काम करने वाली इस समिति को बेसहारा भिखारियों के पुनर्वास और पुनर्वास के लिए कार्यनीति तैयार करने की अनिवार्य जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस समिति के घटकों में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी), दिल्ली पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग समेत अन्य शामिल हैं।

महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग के सहयोग से डीयूएसआईबी और इसकी आश्रय प्रबंधन एजेंसियों (एसएमए) द्वारा संयुक्त रूप से एक सर्वेक्षण 21-23 दिसंबर, 2022 तक संलग्न प्रारूप का उपयोग करके निर्दिष्ट स्थानों पर किया गया था। इस सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप लगभग 1,312 बेघर भिखारियों से संबंधित डेटा एकत्र किया गया, जिसका उद्देश्य उनके स्थानांतरण और पुनर्वास की सुविधा प्रदान करना था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग को डीयूएसआईबी संचालित नाइट शेल्टरों में विस्थापित बेघर भिखारियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने पर प्रमुखता से ध्यान दिया जा रहा है।

8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यकों का कल्याण

- 8.1 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की कुल आबादी (167.88 लाख) में अनुसूचित जातियों (अजा) की आबादी 28.12 लाख है, जो दिल्ली की कुल आबादी का 16.75 प्रतिशत है। रा.रा.क्षे दिल्ली में अनुसूचित जनजाति (अजजा) की आबादी नहीं है, क्योंकि शहर में किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। दिल्ली पिछड़ा आयोग ने दिल्ली में 65 जातियों को अन्य पिछड़े वर्गों (अपिव) के रूप में अधिसूचित किया है, किन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी के बारे में कोई प्रामाणिक आकलन उपलब्ध नहीं है। पिछली चार जनगणनाओं में दिल्ली की स्थानीय निकायवार अनुसूचित जाति आबादी सम्बन्धी जानकारी नीचे विवरण 17.13 में दी गई है।

विवरण 17.13

अनुसूचित जाति की स्थानीय निकायवार आबादी: 1981-2011

क्र. स.	स्थानीय निकाय	1981	1991	2001	2011
1.	दिल्ली नगर निगम				
	पुरुष	5,89,317	9,40,191	12,24,992	14,53,597
	महिला	4,81,000	7,85,560	10,44,156	12,92,608
	कुल	10,70,317	17,25,751	22,69,148	27,46,205
2.	नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी)				
	पुरुष	20,967	30,043	29,919	26,545
	महिला	15,512	23,887	25,294	23,062
	कुल	36,479	53,930	52,213	49,607
3.	दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी)				
	पुरुष	8,266	8,456	10,271	8,658
	महिला	6,581	6,699	8,623	7,839
	कुल	14,847	15,155	18,894	16,497
4.	कुल योग	11,21,643	17,94,836	23,43,255	28,12,309

स्रोत: दिल्ली सांख्यिकी हैंड बुक

- 8.2 1961-1991 के दौरान दिल्ली की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर करीब 53 प्रतिशत रही, जो 1991-2001 की अवधि में घट कर 47 प्रतिशत और 2001-2011 के दशक में और भी घट कर 21.20 प्रतिशत रह गई। 1991-2001 में अनुसूचित जातियों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1961-1991 की दिल्ली की कुल जनसंख्या वृद्धि दर से ऊपर रही, परंतु 2001 की जनगणना में यह प्रवृत्ति एकदम विपरीत हो गई जब कुल जनसंख्या वृद्धि दर 47 प्रतिशत की तुलना में आबादी में 30.56 प्रतिशत वृद्धि हुई। 2011 की जनगणना के दौरान इसमें फिर कमी आई और यह 2001-2011 की अवधि में कुल जनसंख्या वृद्धि दर यानी 21.20 प्रतिशत की तुलना में 20.02 प्रतिशत दर्ज हुई।

दिल्ली में पिछले छह दशकों में अनुसूचित जाति की आबादी में वृद्धि की जानकारी विवरण 17.14 में दी गई है।

विवरण 17.14

दिल्ली में अनुसूचित जाति की आबादी में दशकीय बढ़ोतरी

क्र. स.	जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या में वृद्धि (प्रतिशत)	अनुसूचित जाति की आबादी में वृद्धि (प्रतिशत)
1.	1961	52.44	63.73
2.	1971	52.93	86.12
3.	1981	53.00	76.44
4.	1991	51.45	60.00
5.	2001	47.02	30.56
6.	2011	21.20	20.02

स्रोत : जनगणना हैंडबुक-2011, भारत के महापंजीयक

- 8.3 दिल्ली में पिछली 7 जनगणनाओं के दौरान अनुसूचित जाति की आबादी का ग्रामीण-शहरी वर्गीकरण विवरण 17.15 में दिया गया है।

विवरण 17.15
अनुसूचित जाति की शहरी-ग्रामीण आबादी

क्र.स.	जनगणना वर्ष	शहरी	ग्रामीण	कुल
1.	1951	1,44,619	63,993	2,08,612
2.	1961	2,72,243	69,312	3,41,555
3.	1971	5,30,699	1,04,999	6,35,698
4.	1981	10,17,631	1,04,012	11,21,643
5.	1991	15,87,127	2,07,709	17,94,836
6.	2001	21,54,877	1,88,378	23,43,255
7.	2011	27,30,126	82,183	28,12,309

स्रोत: जनगणना हैडबुक-2011, भारत के महापंजीयक

- 8.4 दिल्ली की आबादी और अनुसूचित जातियों की कुल आबादी का साक्षरता दर विवरण 17.16 में प्रदर्शित किया गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जातियों में साक्षरता का स्तर लगातार बढ़ता गया है और यह 1961 के 20.86 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 70.85 प्रतिशत और 2011 में बढ़ कर 78.89 प्रतिशत हो गई। हालांकि 2011 में अनुसूचित जाति की आबादी की साक्षरता दर दिल्ली की साक्षरता दर 86.20 प्रतिशत से कम थी। लेकिन यह 63.07 प्रतिशत की साक्षरता की राष्ट्रीय दर से काफी ऊंची थी।

विवरण 17.16
दिल्ली में कुल जनसंख्या और अनुसूचित जाति आबादी की साक्षरता दर

(प्रतिशत)

क्र.स.	वर्ष	कुल आबादी			अनुसूचित जाति की आबादी		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	1961	60.75	42.55	52.75	32.15	6.80	20.86
2.	1971	63.71	47.75	56.61	39.22	14.32	28.15
3.	1981	68.40	53.07	61.54	50.21	25.89	39.30
4.	1991	82.01	66.99	75.29	68.77	43.82	57.60
5.	2001	87.33	74.71	81.67	80.77	59.07	70.85
6.	2011	90.90	80.80	86.20	86.77	70.01	78.89

स्रोत : जनगणना हैडबुक-2011, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त

- 8.5 दिल्ली में 2011 में अनुसूचित जाति कार्मिकों की संख्या 9.01 लाख थी, जो कुल कार्मिक आबादी (55.87 लाख) का 16.14 प्रतिशत थी। अनुसूचित जातियों की 28.12 लाख की आबादी में से 32.06 प्रतिशत अजा आबादी नियोजित है जबकि दिल्ली की कुल आबादी 31.60 प्रतिशत नियोजित है।

9. रा. रा. क्षे. दिल्ली की अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)

अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जाति उप योजना अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। 1970 के मध्य में विशेष घटक योजना (एससीपी) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) शुरू की गई थी। एससीपी जिसे अब एससीएसपी कहा जाता है, बजट का एक अभिन्न अंग है, जिसके लिए

अनुसूचित जाति के सामाजिक-आर्थिक विकास में अंतर को पाटने के स्पष्ट उद्देश्यों के साथ प्रावधान किए जा रहे हैं।

अनुसूचित जाति उप योजना की अवधारणा की शुरुआत भारत के तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) तैयार करने के समय की गई थी, जिसका उद्देश्य राज्य योजना के कुल आवंटन में से, कम से कम, राज्य में अनुसूचित जातियों की आबादी के प्रतिशत अनुपात में धन का प्रावधान करते हुए, अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए एससीएसपी के तहत, भौतिक एवं वित्तीय, दोनों संदर्भों में, पर्याप्त लाभ सुनिश्चित करना था। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि अनुसूचित जातियों की ऐतिहासिक उपेक्षा को देखते हुए उनके विकास की जरूरतों और प्राथमिकताओं के कारण, उनकी जनसंख्या के प्रतिशत की तुलना में योजना परिव्यय के बड़े अनुपात की आवश्यकता होगी।

पहले के दिशा-निर्देशों के अनुसार, दिल्ली की अनुसूचित जाति की आबादी, यानी 16.75 प्रतिशत, के अनुपात में धनराशि मांग बुक में निर्धारित करना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि यह धनराशि सीधे अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए काम में ली जाए।

विभाज्य श्रेणी को छोड़कर, जिसमें विशिष्ट योजनाओं के तहत परिव्यय और व्यय शामिल हैं, एससीएसपी के तहत निधियों के निर्धारण और लेखांकन के लिए दिल्ली सरकार द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान पद्धति, अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति समुदाय को शेष योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तहत धन के प्रवाह और लाभ की धारणा पर आधारित है और अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए लक्षित उपाय के रूप में इस पर विचार करना और व्याख्या करना मुश्किल है। इसके अलावा, विभाज्य श्रेणी के तहत विशिष्ट योजनाएँ शहर की आबादी के अन्य वर्गों की भी जरूरतें पूरा करती हैं और कुछ योजनाओं में, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के विशिष्ट डेटा प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

इस बीच, वित्तीय वर्ष 2017-18 और नीति आयोग द्वारा (16.11.2018 को की गई चर्चा के रिकॉर्ड के आधार पर) 20.11.2017 और 14.01.2019 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए जाने के बाद से बजट निर्माण में योजना और गैर-योजना के अंतर को हटाने के मामले में और विकास हुआ है। इसका अध्ययन किया जा रहा है।

विवरण 17.17 स्वीकृत परिव्यय और एससीएसपी घटक

(करोड़ रुपये)

क्र.स.	वर्ष	स्वीकृत परिव्यय	एससीएसपी घटक	प्रतिशत
1.	2010-11	11400	1931.56	16.94
2.	2011-12	14200	2419.95	17.04
3.	2012-13	15000	2760.46	18.40
4.	2013-14	16000	3003.25	18.77
5.	2014-15	16700	2797.25	16.75
6.	2015-16	19000	3470.39	18.27
7.	2016-17	20600	3603.86	17.49
8.	2017-18*	18500	3773.84	20.39
9.	2018-19	22000	4232.31	19.24
10.	2019-20	27000	5181.77	19.19
11.	2020-21	29500	5447.08	18.46
12.	2021-22	37800	6495.14	17.18

*2017-18 से योजना और गैर-योजना का विलय कर दिया गया है।

स्रोत : अजा/अजजा/अपिवकल्याण विभाग

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए 2007-2008 से 2023-2024 में लागू की गई योजनाओं की प्रगति की संक्षिप्त जानकारी विवरण 17.18 में दी गई है।

विवरण 17.18

अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए लागू योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति

(करोड़ रुपये)

क्र.स.	वार्षिक योजना	स्वीकृत परिव्यय	योजना व्यय	उपलब्धि (प्रतिशत)
1.	2007-08	50.75	50.06	98.64
2.	2008-09	50.02	49.22	98.40
3.	2009-10	45.85	41.72	90.99
4.	2010-11	89.60	71.12	79.38
5.	2011-12	250.00	233.66	93.46
6.	2012-13	325.00	277.70	85.45
7.	2013-14	330.00	254.77	77.20
8.	2014-15	314.00	234.55	74.70
9.	2015-16	378.00	297.03	78.58
10.	2016-17	385.00	116.07	30.15
11.	2017-18	366.00	282.43	77.17
12.	2018-19	333.00	268.23	80.55
13.	2019-20	396.90	295.26	74.39
14.	2020-21	265.00	47.66	17.98
15.	2021-22	465.72	214.725	46.106
16.	2022-23	222.00	169.51	76.35
	2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	246.00	37.18	15.11

11. अजा/अजजा/अपिव समुदायों के लिए शैक्षिक विकास कार्यक्रम

11.1 मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना

अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध बच्चों/विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेशनरी खरीदने के वास्ते मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना चलाई जा रही है (पहले इसे स्टेशनरी की खरीद और मेरिट स्कॉलरशिप के लिए वित्तीय सहायता योजना के नाम से जाना जाता था)।

उद्देश्य: योजना का उद्देश्य कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लक्षित समूह को छात्रवृत्ति प्रदान करना है ताकि वे अपनी पढ़ाई के लिए आवश्यक खर्चों को वहन करने में सक्षम हो सकें।

पात्रता: शिक्षा निदेशालय से संबद्ध सभी सरकारी/सरकार से सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलों/केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नेशनल ओपन स्कूल के विद्यार्थी और एन.डी.एम.सी./दिल्ली छावनी परिषद, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से संबद्ध स्कूलों के 9वीं से 12 कक्षा तक के अजा/अजजा/अपिव के विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं।

नई योजना का विवरण इस प्रकार है:

- क) आवेदक को रा.रा.क्षे. दिल्ली का निवासी होना चाहिए।
- ख) IX से X कक्षा के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक और XI से XII कक्षा के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं।
- ग) वार्षिक पारिवारिक आय के लिए वार्षिक आय सीमा मानदंड – भारत सरकार की अधिसूचना के तहत ईडब्ल्यूएस आय सीमा के समान 8 लाख रुपये है। यदि विद्यार्थी ने पिछली कक्षा में 75 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आय सीमा लागू नहीं होगी।
- घ) आवेदक को एसडीएम/उपायुक्त (राजस्व), रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार द्वारा विद्यार्थी या उसके पिता के नाम पर जारी जाति प्रमाण पत्र (अजा/अजजा/अपवि) अपलोड करना चाहिए। परन्तु, अनुसूचित जाति के लाभार्थी के लिए दिल्ली का अधिवास प्रमाण पत्र रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी होने पर ही स्वीकार किया जाएगा और बाहरी राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र अस्वीकार्य होगा।
- ङ) किसी विशेष वर्ग के पुनरावर्तक इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- च) बैंक खाता विद्यार्थी के नाम पर होना चाहिए (माता-पिता/अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाता भी अनुमेय है), जो सक्रिय हो और विद्यार्थी के आधार नम्बर से जुड़ा हो।

छात्रवृत्ति राशि-

कक्षा IX से X – रुपये 5000/- प्रति वर्ष

कक्षा XI से XII – रुपये 10000/- प्रति वर्ष

विवरण 17.19

उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना की उपलब्धियां

क्र.	वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या (विद्यार्थी)
1	2021-22	18.17	24971
2	2022-23	11.23	15491
3	2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	1.56	3599

11.2 कॉलेज/विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए योग्यता स्कॉलरशिप

दिल्ली सरकार कॉलेज/व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को 12000/-रुपये वार्षिक से 24000/- रुपये वार्षिक और डे- स्कॉलर को 8000 रुपये से 15000 रुपये वार्षिक, पाठ्यक्रम के आधार पर मैरिट स्कॉलरशिप भी प्रदान कर रही है। अजा/अजजा समुदायों के विद्यार्थियों के मामले में परिवार की आय की सीमा लागू नहीं होती जबकि अपिव से संबद्ध विद्यार्थियों के मामले में परिवार की वार्षिक

आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना की उपलब्धियां विवरण 17.20 में दर्शायी गई हैं।

विवरण 17.20

कॉलेज/विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए योग्यता स्कॉलरशिप स्कीम की उपलब्धियां

क्र.स.	वर्ष	व्यय (करोड रुपये)	लाभार्थियों की संख्या (विद्यार्थी)
1.	2013-14	5.80	7163
2.	2014-15	6.78	13898
3.	2015-16	7.00	11086
4.	2016-17	2.93	3011
5.	2017-18	3.21	3658
6.	2018-19	1.54	1704
7.	2019-20	1.31	1564
8.	2020-21	0.58	596
9.	2021-22	1.31	1412
10.	2022-23	1.61	1563
11.	2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	0.74	815

स्रोत : अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग

11.3 पब्लिक स्कूलों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस की भरपाई

अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के मामले में दिल्ली सरकार पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस और अन्य अनिवार्य फीस अदा करती है, बशर्ते, परिवार की आय 3 लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो। अधिकतम फीस भरपाई 48000 रुपये या वास्तविक फीस, जो भी कम हो, की जाती है। इस योजना की उपलब्धियों का ब्योरा विवरण 17.21 में दिया गया है:-

विवरण 17.21

पब्लिक स्कूलों में अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों को ट्यूशन फीस की भरपायी योजना की उपलब्धियां

क्र.सं.	वर्ष	संशोधित परिव्यय (करोड रुपये)	व्यय (करोड रुपये)	लाभार्थियों की संख्या (विद्यार्थी)
1.	2012-13	9.50	9.50	6,816
2.	2013-14	18.30	18.00	15,442
3.	2014-15	34.00	31.80	26,777
4.	2015-16	37.00	33.19	21,090
5.	2016-17	42.00	5.18	1893
6.	2017-18	56.00	38.62	29435
7.	2018-19	43.00	39.88	25904
8.	2019-20	53.00	50.57	25414
9.	2020-21	48.00	14.58	5916
10.	2021-22	83.50	61.57	24716
11.	2022-23	79.38	75.00	28315
12.	2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	52.00	19.20	6860

स्रोत : अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहयोग (ऑफलाइन मोड)

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विदेश में उच्च अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की छात्रवृत्ति योजना कैबिनेट के निर्णय संख्या 2736 दिनांक 29.08.2019 के तहत अनुमोदित की गई थी।

उद्देश्य: इस योजना में अध्ययन के निम्नलिखित निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के माध्यम से विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए चुने हुए 100 उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

क्र. सं.	अध्ययन क्षेत्र
1	इंजीनियरी और प्रबंधन
2	विशुद्ध विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान
3	कृषि विज्ञान और चिकित्सा
4	अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य, लेखाविधि और वित्त
5	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान

न्यूनतम योग्यता:

- क) पीएचडी के लिए— संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि में 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड।
- ख) स्नातकोत्तर उपाधि के लिए— संबद्ध स्नातक डिग्री में 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड।
- (i) आयु:

संबंधित वर्ष की कट-ऑफ तिथि के अनुसार 30 (तीस) वर्ष से कम
- (ii) आय सीमा:

सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय रुपये : 8,00,000/- (आठ लाख रुपये प्रति वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (iii) **पात्रता मानदंड**
 - उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।
 - “उम्मीदवार दिल्ली का अधिवासी होना चाहिए।” या “उम्मीदवार को दिल्ली का वास्तविक निवासी होना चाहिए, जिसके पास दिल्ली में कम से कम पिछले पांच साल के निवास का कोई दस्तावेजी सबूत हो”
 - किसी भी माता-पिता/अभिभावक की केवल एक संतान को लाभ का पात्र समझा जाएगा और इसके लिए उम्मीदवारों से एक स्व-प्रमाणन की आवश्यकता होगी।
 - सेवारत उम्मीदवार को अपने आवेदन नियोक्ता द्वारा जारी किए गए “अनापत्ति प्रमाणपत्र” (एनओसी) के साथ उचित माध्यम से अग्रेषित करने होंगे।
 - उम्मीदवार इस योजना के तहत उसी स्तर (स्नातकोत्तर/पीएचडी) के पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता का पात्र नहीं होगा, जिसके लिए उसने भारत या विदेश में किसी भी विश्वविद्यालय से पहले ही योग्यता प्राप्त कर ली है।

(iv) वित्तीय सहायता के साथ छात्रवृत्ति की अवधि

पीएच.डी पाठ्यक्रम के लिए 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, परन्तु पाठ्यक्रम की समूची अवधि के लिए अधिकतम रुपये 20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र) दिए जाएंगे। इसी प्रकार स्नातकोत्तर उपाधि के लिए 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष अथवा वास्तव में खर्च की गई राशि, इनमें से जो भी कम हो, दी जाएगी। परन्तु, अधिकतम राशि रुपये 10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र) होगी।

निर्धारित वित्तीय सहायता पाठ्यक्रम/अनुसंधान पूरा होने, अथवा निम्नांकित अवधि, इनमें जो भी पहले हो, उस तक दी जाएगी।

क) पीएच.डी-04 वर्ष (चार वर्ष)

ख) स्नातकोत्तर उपाधि-02 वर्ष (दो वर्ष)

- (i) वित्तीय सहायता विदेशी विश्वविद्यालय में उम्मीदवार के प्रवेश की पुष्टि होने के बाद ही जारी की जाएगी, जो अपेक्षित दस्तावेज, जैसे आवेदन प्रपत्र/प्रवेश प्रस्ताव, वीजा, पासपोर्ट, आवेदक का बैंक ब्यौरा आदि अथवा विभाग द्वारा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन होगी।

उपरोक्त के अलावा, योजना के अंतर्गत उम्मीदवारों को अन्य अनिवार्य औपचारिकताएं भी पूरी करनी होंगी।

विवरण 17.22

वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान "अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विदेश में उच्च अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता" योजना का कार्य निष्पादन

क्र.स.	वर्ष	कुल आवेदन प्राप्त	व्यय (करोड़ रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या (विद्यार्थी)
1	2021-22	1	0	0
2.	2022-23	3	0.05	1
3.	2023-24 (दिसंबर 2023 तक)	1	0.05	2

उपरोक्त सभी योजनाओं को 31.10.2016 से आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभार्थी भुगतान (डीबीटी) प्रणाली में बदल दिया गया है। इसके अलावा, उपरोक्त छात्रवृत्ति योजनाओं के सभी आवेदन 2016-17 से दिल्ली के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आमंत्रित किए गए हैं ("विदेश में उच्च अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता" योजना को छोड़कर)। सभी छात्रवृत्ति योजनाएं दिल्ली सरकार की ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जन सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी पहल के तहत आती हैं। विभाग द्वारा आवेदकों के मार्गदर्शन/सहायता के लिए हेल्प डेस्क/कॉल सेंटर नम्बर 1031 भी प्रारंभ किया गया है।

11.5 अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सुविधाएं

11वीं कक्षा और उससे ऊपर अध्ययनरत अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध विद्यार्थियों को पढ़ने का उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए दिलशाद गार्डन, दिल्ली में छात्रावास सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। छात्रावास में सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए माता पिता की आय 2 लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। लड़कों के छात्रावास में 100 छात्रों और लड़कियों के छात्रावास में 60 छात्राओं की क्षमता है। 2022-23 में 159.37 लाख रुपये खर्च किये गये।

अजा/अपिव/अल्पसंख्यक श्रेणी के कमजोर वर्गों और अनाथों के लिए आवासीय विद्यालय विभाग, भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसिज (केआईएसएस) और दिल्ली सरकार के बीच हुए समझौते के तहत संयुक्त रूप से, ईसापुर गांव में अजा/अपिव/अल्पसंख्यक बच्चों और अनाथ बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय का संचालन कर रहा है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं

- केआईएसएस विद्यालय को प्रति विद्यार्थी 5000/-रुपये की दर से आवर्ती अनुदान।
- विद्यालय में सभी बुनियादी सुविधाएं।
- विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, वर्दी, लेखन सामग्री, पाठ्य पुस्तकें, आवास, भोजन और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं।

विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, भोजनालय और शौचालय ब्लॉक पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माणाधीन हैं और इनके शीघ्र पूरा होने की संभावना है। नए स्कूल भवन के निर्माण का प्रस्ताव बनाया जा रहा है, जो पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया जाने वाला अपनी तरह का अनोखा भवन होगा। 2013-14 से 2022-23 की अवधि के लिए योजना का प्रदर्शन विवरण 17.23 में प्रस्तुत किया गया है

विवरण 17.23

अजा/अपिव/अल्पसंख्यक जैसे कमजोर वर्गों/अनाथों के लिए आवासीय विद्यालय कार्यक्रम की उपलब्धियां

वर्ष	बजट आवंटन (करोड़ रुपये में)	व्यय (करोड़ रुपये में)	विद्यार्थी दाखिल/कक्षा
2013-14	2.50	2.53	269/ कक्षा I-III
	6.63	6.33	
2014-15	5.00	1.87	353/ कक्षा I-IV
	2.00	0.58	
2015-16	4.0	2.25	369/ कक्षा I-V
	2.0	0.74	
2016-17	4.00	2.82	473/ कक्षा I-VI
	1.00	-	
2017-18	4.00	3.36	562/ कक्षा II-VII
	1.50	0.74	
2018-19	4.00	0.00	600/ कक्षा I-VIII
	5.00	0.60	
2019-20	7.70	7.65 (दिसम्बर तक)	682/ कक्षा I-IX
	5.00	3.56	
2020-21	4.50	00	708/ कक्षा I-IX
	3.50	2.80	
2021-22	5.00	3.08	789/ कक्षा I-IX
	6.00	3.85	
2022-23	7.43	6.87	836/ कक्षा I-IX
	3.00	0.41	
2023-24	6.00	0.00	805/ कक्षा I-IX
	3.00	0.00	

स्रोत : अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग

11.7 जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना (एससीएसपी)

विभाग ने मंत्रिमंडलीय निर्णय संख्या 2526 दिनांक 12.12.2017 के द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना वर्ष 2018-19 में आरंभ की। योजना के तहत विभाग यूपीएससी/एसएससी इत्यादि से संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए अनुसूचित जाति के योग्य विद्यार्थियों को सूचीबद्ध संस्थानों के माध्यम से कोचिंग उपलब्ध कराता है।

2021-22 के दौरान 15000 विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा, विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश, न्यायिक सेवाएं, इंजीनियरी और चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश, रक्षा सेनाएं (सीडीएस/एनडीए), अन्य तकनीकी सेवाएं, एसएससी, डीएसएसएसबी, बैंक, रेलवे आदि का प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की गई। वर्तमान में 9208 विद्यार्थी इस योजना के अंतर्गत पहले ही दाखिला ले चुके हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 13295 विद्यार्थियों ने विभिन्न कोचिंग संस्थानों में दाखिला लिया। इनमें से, 3881 विद्यार्थियों ने इंजीनियरी/मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए दाखिला लिया और 1303 विद्यार्थियों ने संबद्ध परीक्षाओं (374 ने जेईई और 929 ने नीट परीक्षा) में अर्हता प्राप्त की। अन्य परीक्षाओं के लिए कोचिंग कक्षाएं सितम्बर-अक्टूबर 2022 में पूरी हो रही हैं और विद्यार्थी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन करने/उनमें बैठने की तैयारी कर रहे हैं।

12 आर्थिक उत्थान कार्यक्रम

12.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते दिल्ली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वित्त एवं विकास निगम (डी एस सी एफ डी सी) की स्थापना की गयी। अपिव/अल्पसंख्यक/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने का काम भी निगम को सौंपा गया। निगम को अब अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसी (एससीए) घोषित किया गया है। डीएससीएफडीसी इन समुदायों के आर्थिक उत्थान के लिए संबद्ध शीर्ष निगमों के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम लागू कर रहा है। यह निगम अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक उत्थान के लिए लाभार्थियों को ऋण प्रदान करता है।

12.2 विभाग अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 'दिल्ली स्वरोजगार योजना' नाम का एक कार्यक्रम डीएससीएफडीसी के माध्यम से लागू कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली में उद्यम लगाने के इच्छुक उद्यमी को 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। पिछले 8 वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम की उपलब्धियां विवरण 17.24 में दर्शायी गई हैं।

विवरण 17.24

क्र सं	वर्ष	शीर्ष	उपलब्धि	व्यय (लाख में)
1	2015-16	कंपोजिट ऋण स्कीम	46	45.55
2		शैक्षिक ऋण स्कीम	11	36.93
3		दिल्ली स्वरोजगार योजना	70	173.45
4		प्रशिक्षण	682	10.52
5	2016-17	कंपोजिट ऋण स्कीम	187	238.92
6		शैक्षिक ऋण स्कीम	14	18.69
7		दिल्ली स्वरोजगार योजना	43	165.02
8	2017-18	कंपोजिट ऋण स्कीम	208	451.81
9		शैक्षिक ऋण स्कीम	16	22.34
10		दिल्ली स्वरोजगार योजना	34	109.70
11	2018-19	कंपोजिट ऋण स्कीम	236	470.85
12		शैक्षिक ऋण स्कीम	9	34.47
13		दिल्ली स्वरोजगार योजना	13	70.78
14	2019-20	कंपोजिट ऋण स्कीम	249	410.05
15		शैक्षिक ऋण स्कीम	9	16.37
16		दिल्ली स्वरोजगार योजना	10	36.40
17	2020-21	कंपोजिट ऋण स्कीम	361	375.00
18		शैक्षिक ऋण स्कीम	7	23.48
19		दिल्ली स्वरोजगार योजना	4	13.50
20	2021-22	कंपोजिट ऋण स्कीम	217	299.61
21		शैक्षिक ऋण स्कीम	5	17.53
22		दिल्ली स्वरोजगार योजना	16	76.60
23		व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	872	171.08
24	2022-23	कंपोजिट ऋण स्कीम	135	171.08
25		शैक्षिक ऋण स्कीम	4	19.00
26		दिल्ली स्वरोजगार योजना	4	16.20
27		व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	823	300.38

स्रोत : अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग

13. अजा बस्तियों में सुधार

विभाग अजा बस्तियों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए “अजा बस्ती सुधार” कार्यक्रम लागू कर रहा है। इसके अंतर्गत उन अजा बस्तियों में खड़जा बिछाना, सड़क निर्माण, नालियां बनाना, चौपालों/सामुदायिक केंद्र का निर्माण आदि विकास कार्य किये जा रहे हैं, जिनमें जनगणना रिकार्ड के अनुसार अनुसूचित जातियों की आबादी 33 प्रतिशत से अधिक हो। दिल्ली सरकार ने कैबिनेट निर्णय संख्या 2474 दिनांक 24.05.2017 के तहत वृद्धाश्रम का निर्माण, पार्कों का विकास, व्यायामशाला, स्ट्रीट लाइट, सीवर लाइन आदि की स्थापना जैसे कार्य शामिल करके विकास कार्यों का दायरा बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत डीएससीएसटी द्वारा दिल्ली सरकार की अनुमोदित कार्यकारी एजेंसी के माध्यम से कार्य निष्पादित किया जा रहा है। विगत आठ वर्षों के अनुमानित कार्य एवं व्यय की जानकारी विवरण 17.25 के अन्तर्गत दी गई है।

विवरण 17.25

अजा बस्तियों में सुधार और चौपालों के निर्माण पर खर्च

वर्ष	चौपालों की संख्या	सड़कों की संख्या	अन्य	व्यय (करोड़ रुपये में)
2014-15	12	09	-	37.63
2015-16	31	32	01	29.47
2016-17	29	36	-	25.16
2017-18	30	76	18	48.40
2018-19	24	178	37	49.57
2019-20	29	91	27	34.41
2020-21	3	26	1	0.50
2021-22	7	74	18	34.97
2022-23	19	60	38	48.90
2023-24	2	17	-	6.38

स्रोत : अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग

14 (क) हाथ से मैला उठाने की रोकथाम संबंधी अधिनियम, 2013 (एमएस एक्ट 2013)

डीएससीएसटी हाथ से मैला उठाने की रोकथाम संबंधी अधिनियम, 2013 और इसके अधीन निर्धारित नियमों के कार्यान्वयन के लिए भी नोडल विभाग है। हाथ से मैला उठाने वालों की पहचान के लिए माननीय उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद विभाग ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निर्देशों के अनुरूप जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति भी अधिसूचित की है। सीवर में उतरने के दौरान हुई मौतों के सिलसिले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप मृतक के निकट परिजन के लिए नीचे दी गई मुआवजा राशि जारी की गई है।

वर्ष	रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	मौतों की संख्या	सरकार द्वारा जारी मुआवजा राशि	जारी की गई मुआवजा राशि का स्रोत
2017-18	5	12	प्रत्येक को रुपये 10 लाख	मुख्यमंत्री राहत कोष
2018-19	2	07	प्रत्येक को रुपये 10 लाख	02 मामलों में नियोक्ता; 05 मामलों में आपदा कोष
2019-20	5	10	प्रत्येक को रुपये 10 लाख	05 मामलों में मुआवजे का भुगतान प्रक्रियाधीन है।
2020-21	4	7	प्रत्येक को रुपये 10 लाख	01 मामले में (02 व्यक्तियों को) मुआवजा दिया गया और शेष 03 मामलों में मुआवजे का भुगतान प्रक्रियाधीन है।
2021-22	3	7	प्रत्येक को रुपये 10 लाख	06 मामलों में वर्किंग एजेंसी द्वारा मुआवजा भुगतान किया गया और शेष 01 मामले (30.03.2022) में मृतक परिवार में विवाद के कारण मुआवजे का भुगतान लंबित है।

(ख) अत्याचार निवारण अधिनियम

अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल विभाग के रूप में भी काम करता है।

पिछले 8 वर्षों के दौरान विभाग ने अधिनियम के तहत मुआवजा राशि जारी की है और अजा/अजजा दंपतियों के लिए अंतर्जातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की। ब्यौरा नीचे दिया गया है।

विवरण 17.26

वर्ष	पीड़ितों की संख्या (अत्याचार रोकथाम अधिनियम के तहत)	मुआवजा राशि (लाख रुपये में)
2015-16	21	6.64
2016-17	18	2.65
2017-18	22	35.07
2018-19	11	32.71
2019-20	26	29.81
2020-21	12	16.85
2021-22	21	32.65
2022-23	34	44.50

वर्ष	अंतर्जातीय विवाह करने वाले जुगलों की संख्या	प्रोत्साहन राशि (लाख रुपये में)
2015-16	3	1.50
2016-17	2	1.00
2017-18	3	1.50
2018-19	शून्य	शून्य
2019-20	शून्य	शून्य
2020-21	शून्य	शून्य
2021-22	शून्य	शून्य

अध्याय एक नज़र में

- रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार अपने विभागों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों, वंचित समूहों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजनाएं/कार्यक्रम लागू कर रही है ताकि उनकी बेहतर देखभाल और सहायता सुनिश्चित की जा सके।
- समाज कल्याण विभाग दिव्यांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने, वृद्धों और निराश्रित लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करता है। इसके अलावा विभाग विकलांग व्यक्तियों को भी अवसर प्रदान करता है और अपने कल्याणकारी उपायों के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करता है।

➤	आईसीडीएस योजना बचपन की देखभाल और विकास के लिए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अनोखे कार्यक्रमों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। यह बच्चों और नर्सिंग माताओं के लिए देश की प्रतिबद्धता का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह एक ओर स्कूल-पूर्व गैर-औपचारिक शिक्षा प्रदान करने में मदद करती है, वहीं दूसरी ओर कुपोषण, रुग्णता, सीखने की कम क्षमता और मृत्यु दर के दुष्चक्र जैसी समस्याओं के समाधान में योगदान करती है।
➤	दिल्ली सरकार मार्च, 2022 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 12720 रुपये प्रतिमाह और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 6810 रुपये प्रति माह की दर से संशोधित मानदेय का भुगतान कर रही है।
➤	लाडली योजना के तहत, सितंबर, 2023 तक 12.72 लाख लड़कियों का पंजीकरण किया गया है, जिनमें से 3,56,033 लड़कियों को पहले ही 665.39 करोड़ रुपये (2008-09 से 2023-24 (सितंबर 2023)) का अंतिम परिपक्वता मूल्य प्राप्त हो चुका है।
➤	महिला और बाल विकास विभाग ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के विभिन्न प्रावधानों के तहत 25 बाल संस्थानों की स्थापना की है ताकि देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और कानून का सामना करने वाले किशोरों की भी जरूरतें पूरी की जा सकें।
➤	मिशन वात्सल्य सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप विकास और बाल संरक्षण प्राथमिकताओं को पूरा करने का एक रोडमैप है। यह किशोर न्याय देखभाल और सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के साथ ही “कोई बच्चा पीछे न छूटे” के आदर्श वाक्य के साथ बाल अधिकारों के समर्थन और जागरूकता पर जोर देता है।
➤	2011 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली की महिला जनसंख्या 77.77 लाख है जो कुल जनसंख्या का 46.41 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर, महिला जनसंख्या कुल जनसंख्या का 48.46 प्रतिशत है।
➤	मिशन पोषण का उद्देश्य जीवन-चक्र की अवधारणा के माध्यम से सहक्रियाशील और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण अपनाते हुए कुपोषण को कम करना है। मिशन का लक्ष्य 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों में स्टंटिंग को 38.4 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करना है
➤	एसएसके प्लेटफॉर्म महिलाओं की सामूहिक शक्ति को बढ़ावा देता है और उन्हें अपने और अपने साथियों के लिए मजबूत समर्थन प्रणाली बनाने में मदद करता है। यह महिलाओं को एक साथ आने, मुद्दों पर चर्चा करने, रुचि जगाने और उनसे संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का दोहन करके सर्वोत्तम संभव स्थानीय समाधान खोजने में सक्षम बनाता है।
➤	दिल्ली सरकार विभिन्न उपायों और कार्यक्रमों के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों की पूरी मदद कर रही है ताकि वे पूरी भागीदारी के साथ रह सकें और समाज के हर पहलू में उनकी समान भागीदारी हो।
➤	कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर गरीब परिवारों को एकमुश्त सहायता प्रदान की जा रही है। कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के मामले में लाभ की राशि 20,000/- रुपये है, भले ही मृत्यु का कारण प्राकृतिक या आकस्मिक, कोई भी हो।
➤	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक विभाग दिल्ली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वित्तीय और विकास निगम (डीएससीएफडीसी) के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों के लिए ‘दिल्ली स्वरोजगार योजना’ कार्यक्रम लागू कर रहा है। इस योजना के तहत, दिल्ली में उद्यम शुरू करने के इच्छुक उद्यमी को 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार द्वारा प्रायोजित दुकानों की एक शृंखला है जिसे समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को सस्ती कीमतों पर बुनियादी खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं को वितरित करने का काम सौंपा गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत स्थापित की गई है। दिल्ली भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किए जाने के तुरंत बाद 1 सितंबर 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य था।

- 1.2 दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) एनएफएस अधिनियम, 2013 के तहत सभी खाद्य कार्ड धारकों को गेहूं और चावल तथा केवल अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्ड धारकों को चीनी वितरित करता है। सरकार ने लाभार्थियों की शिकायतों के प्रभावी और समय पर निवारण के लिए दिल्ली लोक शिकायत आयोग को राज्य खाद्य आयोग के रूप में नामांकित किया है। पीडीएस को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार द्वारा सुधार के कई उपाय किए गए हैं जैसे लाभार्थियों को एसएमएस अलर्ट जारी करना और जनता की शिकायतों/कठिनाइयों पर ध्यान देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1967 और 1800-110-841 स्थापित करना।

2 दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति

रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार का सार्वजनिक वितरण नेटवर्क जिसमें दिल्ली भर में 1997 उचित दर दुकानें (एफपीएस) शामिल हैं, 31 मार्च 2023 तक 17.84 लाख डिजिटल खाद्य सुरक्षा कार्डों के माध्यम से 72.78 लाख लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। ये खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड आधार सक्षम हैं। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग एनएफएसए के तहत अनिवार्य रूप से समय-समय पर लाभार्थी डेटा का सत्यापन करता रहा है। पिछले 10 वर्षों में रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार द्वारा जारी उचित मूल्य की दुकानों की संख्या और राशन कार्डों की कुल संख्या नीचे विवरण 18.1 में दी गई है।

विवरण 18.1

दिल्ली में 2013-14 से 2022-23 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	राशन कार्डों की संख्या (लाख में)	उचित दर दुकानों (एफपीएस) की संख्या
1	2013-14	17.79	2396
2	2014-15	17.00	2310
3	2015-16	19.50	2283
4	2016-17	19.41	2254
5	2017-18	19.41	2210
6	2018-19	17.17	2057
7	2019-20	17.50	2029
8	2020-21	17.77	2000
9	2021-22	17.80	2009
10	2022-23	17.84	1997

स्रोत: खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार

मार्च 2023 में दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या 1997 है और मार्च 2023 में प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के पास औसतन लगभग 894 राशन कार्ड हैं। राशन कार्ड और उचित मूल्य की दुकानों का जिलेवार वितरण विवरण 18.2 में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण 18.2

वर्ष 2022-23 में दिल्ली में जिलावार सार्वजनिक वितरण प्रणाली

क्र. सं.	ज़िले	एफपीएस संख्या	प्रतिशत	राशन कार्ड की संख्या	प्रतिशत	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत
1.	मध्य	133	6.66%	135268	7.58%	527134	7.24%
2.	पूर्वी	207	10.37%	163346	9.15%	676065	9.29%
3.	नई दिल्ली	96	4.80%	84690	4.75%	339421	4.66%
4.	उत्तरी	156	7.81%	161057	9.02%	631675	8.68%
5.	उत्तर-पूर्वी	318	15.93%	277819	15.57%	1167242	16.04%
6.	उत्तर-पश्चिमी	301	15.08%	311156	17.44%	1278580	17.57%
7.	दक्षिण	255	12.76%	223223	12.51%	935801	12.86%
8.	दक्षिण-पश्चिमी	294	14.73%	235911	13.22%	945655	12.99%
9.	पश्चिमी	237	11.86%	191972	10.76%	776422	10.67%
कुल		1997	100 %	1784442	100 %	7277995	100 %

स्रोत: खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार

उपरोक्त कथन से यह देखा जा सकता है कि 2022-23 के दौरान उत्तर पश्चिम जिले में सबसे अधिक कार्ड धारकों की संख्या दर्ज की गई, जबकि, दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में उचित मूल्य की दुकानों की सबसे अधिक संख्या बताई गई है।

3. **लाभार्थियों की पात्रता** — विवरण 18.3 के अनुसार लाभार्थी विभिन्न श्रेणियों के तहत खाद्यान्न के हकदार हैं।

विवरण 18.3

प्रतिमाह लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न प्राप्ति पात्रता और दर

क्र. सं.	खाद्य सामग्री	श्रेणी	मात्रा	दर/किलोग्राम
1	गेहूं	एएवाई	25 कि.ग्रा./प्रति कार्ड	2
		पीएचएच	3 कि.ग्रा./प्रति सदस्य	
2	चावल	एएवाई	10 कि.ग्रा./प्रति कार्ड	3
		पीएचएच	2 कि.ग्रा./प्रति सदस्य	
3	चीनी	एएवाई	1 कि.ग्रा./प्रति कार्ड	13.50

स्रोत: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार।

नोट : एएवाई-अंत्योदय अन्न योजना, पीएचएच- प्राथमिकता परिवार श्रेणी।

4. 2021-22 और 2022-23 के दौरान दिल्ली में आवंटित खाद्यान्न और चीनी की मात्रा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इन्हें उपलब्ध कराए जाने से संबंधित जानकारी विवरण 18.4 में दी गई है।

विवरण 18.4
वर्ष 2021-22 और 2022-23
के दौरान दिल्ली में पीडीएस के माध्यम से अनाज और चीनी का वितरण
(मात्रा '000 मीट्रिक टन में)

क्र. सं.	विवरण	मद					
		गेहूं (एनएफएस)		चावल (एनएफएस)		चीनी (एनएफएस के अलावा)	
		2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
1.	आवंटित मात्रा	355.73	283.77	92.00	164.94	0.82	0.76
2.	वितरण के लिए ली गई मात्रा	351.60	282.23	90.97	162.63	0.75	0.68
3.	वितरित मात्रा का प्रतिशत	98.80	99.45	98.80	98.60	91.50	89.47

स्रोत: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार

5. **अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)** देश में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी में निर्धनतम लोगों को भूख से मुक्ति दिलाने की दिशा में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) को सक्षम बनाने के लिए उठाया गया कदम है। इस श्रेणी के लोगों के लिए टीपीडीएस को अधिक प्रभावी और लक्षित बनाने के उद्देश्य से 'अंत्योदय अन्न योजना' की शुरुआत दिसंबर 2000 में उन गरीब परिवारों के लिए की गई जिन्हें वर्ष भर नियमित रूप से दो जून का भोजन नहीं मिल पाता और जिनकी क्रय शक्ति इतनी कम है कि वे अनाज खरीद पाने में सक्षम नहीं हैं। योजना के तहत भूख से जूझ रहे निर्धनतम लोगों को 35 किलोग्राम अनाज (25 किलोग्राम गेहूं और 10 किलोग्राम चावल) प्रति माह, 2 रुपए किलोग्राम गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो ग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। अंत्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को एक किलो चीनी प्रति परिवार प्रतिमाह मुफ्त दिया जा रहा है। 31 मार्च 2023 तक 68,733 परिवारों के 2,80,264 सदस्य दिल्ली में इस योजना के तहत लाभान्वित हुए।

जबकी, 31.03.2023 तक कुल 68674 परिवारों में से लगभग 56700 परिवारों को पात्रता के अनुसार निःशुल्क खाद्यान्न और चीनी दी गई।

6. **कल्याणकारी संस्थाओं/छात्रावास योजना के लिए बीपीएल दरों पर खाद्यान्न**

भारत सरकार की योजना के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सरकारी कल्याणकारी संस्थाओं तथा बाल निकेतन जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रावासों, बालिका गृह, महिलाओं के लिए लघु अवधि आश्रय गृह, विधवा आश्रम, महिलाओं के लिए देखभाल गृह और नारी निकेतन में रह रहे वंचित लोगों को बीपीएल दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के अनुसार इन कल्याणकारी संस्थानों और छात्रावासों के लिए रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है।

7. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा टीडीपीएस में प्रोद्योगिकी आधारित सुधार**

(i) **एफपीएस को राशन भेजने के संबंध में एसएमएस अलर्ट**

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति शृंखला प्रबंधन के कंप्यूटरीकरण के लिए दिल्ली राज्य आपूर्ति निगम में निर्दिष्ट खाद्य वस्तु (SFA) ऑफटेक मॉड्यूल लागू किया गया है। क्षेत्र के

माननीय विधायक की अध्यक्षता में सतर्कता समिति, संबंधित एफएसओ, निरीक्षक और राशनकार्ड धारकों, जिन्होंने वेबसाइट में अपने मोबाइल नंबर पंजीकृत किए हैं, को गोदाम से निर्दिष्ट खाद्य वस्तुएं जारी करने के बारे में एसएमएस अलर्ट भेजा जा रहा है। कोई भी राशनकार्ड धारक www.nfs.delhigovt.nic.in लिंक पर अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत कराकर संबंधित एफपीएस के बारे में एसएमएस प्राप्त कर सकता है।

(ii) ई-राशन कार्ड

ई-राशन कार्ड की सुविधा अप्रैल 2015 से शुरू की गई है। लगभग 18,95,925 राशन कार्ड धारक अपने संबंधित स्थानों से राशनकार्ड डाउनलोड करके लाभ उठा चुके हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और लाभार्थियों तक राशन कार्ड सुविधा तेजी से पहुंचाने में मदद मिली है।

8. PAHAL

1. PAHAL योजना पहले 1 जून 2013 को शुरू की गई थी। इसमें रसोई गैस सब्सिडी प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता के पास आधार नंबर होना अनिवार्य था। उपभोक्ताओं की दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने इसे संशोधित कर इसे 15 नवम्बर, 2014 को फिर से लागू किया।
2. संशोधित PAHAL कार्यक्रम के तहत रसोई गैस उपभोक्ता दो तरीकों से अपने बैंक खाते में सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उपभोक्ता को सीटीसी (कैश ट्रांसफर कम्प्लिएंट) कहा जाता है और इसके साथ ही वह बैंक खाते में सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो जाता है। ये विकल्प इस प्रकार हैं:
 - विकल्प-1 (प्राथमिक): जहां आधार संख्या उपलब्ध हो, उसे नकदी हस्तांतरण का माध्यम बनाया जाता है। इस तरह जिस उपभोक्ता के पास आधार संख्या हो, वह आधार संख्या को एलपीजी उपभोक्ता संख्या और बैंक खाते के साथ जोड़ सकता है।
 - विकल्प-2 (द्वितीयक) : यदि एलपीजी उपभोक्ता के पास आधार संख्या नहीं है, तो वह आधार संख्या का इस्तेमाल किए बिना बैंक खाते में सीधे सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। इस विकल्प को संशोधित योजना से शुरू किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आधार संख्या के अभाव में कोई भी एलपीजी उपभोक्ता बैंक खाते में सब्सिडी से वंचित न हो।

मार्च 2023 को दिल्ली में पहल की स्थिति

रसोई गैस उपभोक्ताओं की कुल संख्या	53,34,023
PAHAL लाभार्थियों (सीटीसी उपभोक्ताओं) की कुल संख्या	42,10,111
आधार एटीसी (संख्या) से जुड़े PAHAL लाभार्थियों की कुल संख्या	39,10,811
आधार एटीसी से जुड़े PAHAL लाभार्थियों की कुल संख्या (प्रतिशत)	92.89%

स्रोत: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार

9. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्नयोजना (पीएमजीकेएवाई)

कोविड-19 महामारी के दौरान अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक पीडीएस लाभार्थियों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिमाह अतिरिक्त पांच किलोग्राम अनाज (चार किलोग्राम गेहूं और एक किलोग्राम चावल) प्रति लाभार्थी सदस्य और एक किलोग्राम दाल प्रतिमाह प्रति परिवार, भारत सरकार द्वारा सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

(फेज-1 और फेज-2) के अंतर्गत निशुल्क उपलब्ध कराया गया। इस योजना को सरकार द्वारा फिर से लागू किया गया। भारत में पीएमजीकेवाई (चरण-III, IV और V) के तहत मई, 2021 से मार्च, 2022 तक, जिसमें सभी एनएफएस लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी केवल 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया गया था। इस योजना को अगले 6 महीने यानी अप्रैल-सितंबर, 2022 (पीएमजीकेवाई-VI) के लिए बढ़ा दिया गया था। परन्तु, गेहूं की आपूर्ति में कमी के कारण, भारत सरकार ने (पीएमजीकेवाई-VI) के तहत प्रति लाभार्थी 5 किलोग्राम अनाज की पात्रता को संशोधित करते हुए 4 किलोग्राम गेहूं के स्थान पर 1.25 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल की बजाय 3.75 किलोग्राम चावल में तब्दील कर दिया था। मई, 2022 से भारत सरकार ने अनाज की मात्रा को फिर से पिछले मानदंडों के अनुसार संशोधित कर दिया। इस योजना को फिर से तीन महीने यानी अक्टूबर-दिसंबर, 2022 (पीएमजीकेवाई-VII) के लिए बढ़ा दिया गया। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, भारत सरकार से उठाई गई कुल मात्रा में से 99.3 प्रतिशत अनाज पात्र लाभार्थियों को वितरित किया गया।

भारत सरकार ने पीएमजीकेवाई के तहत सभी एनएफएस लाभार्थियों (यानी 72.78 लाख) को 1 जनवरी, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक 5 किलोग्राम अनाज (4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल) मुफ्त प्रदान किया है। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने सभी अंत्योदय अन्न योजना (एवाई) कार्डधारकों (यानी 56,700 कार्डधारकों) को 1 किलो चीनी मुफ्त प्रदान की।

10. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड

दिल्ली सरकार ने दिनांक 19.07.2021 से एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना लागू की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सभी उचित दर दुकानों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ई-पीओएस लगाए गए। यह योजना लागू होने के बाद से दिल्ली में राशन का वितरण लाभार्थियों के बायोमैट्रिक (आधार) प्रमाणन के बाद ई-पीओएस के जरिये हो रहा है। यह योजना राशन कार्डों की राज्य के अंदर और अंतरराज्यीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करती है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पीडीएस लाभों तक प्रवासी लाभार्थियों की पहुंच सुलभ बनाती है। भारत सरकार के एकीकृत प्रबंधन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आईएमपीडीएस) पोर्टल के अनुसार, जो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सुविधा के लिए है, दिल्ली में सबसे अधिक यह सुविधा उपलब्ध कराई गई। दिल्ली में यह योजना लागू होने के बाद से इसके तहत पूरे देश में हुए कार्यसंपादन का लगभग 70 प्रतिशत यहां हुआ। एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड से संबंधित जानकारी/इसकी व्यवहार्यता के बारे में जानकारी देने के लिए एक टोल फ्री नंबर- 14445 शुरू किया गया है।

11. मार्केट इंटेलीजेंस सेल (एम-आई सेल)

1. रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार के अंतर्गत खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का मार्केटिंग इंटेलिजेंस सेल, तीन निर्दिष्ट खुदरा बाजारों यानी यूसुफ सराय (उच्च मूल्य), घंटा घर (मध्यम मूल्य), शाहदरा (कम मूल्य) और नया बाजार, खारी बाबली में थोक बाजार से 23 अनिवार्य वस्तुओं की दरें एकत्र करता है। यह कार्य भारत सरकार, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के माननीय मंत्री और उच्च

अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए जियो टैगिंग यानी मूल्य निगरानी प्रणाली के माध्यम से एक मोबाइल ऐप के ज़रिए किया जाता है।

2. फलों और सब्जियों की थोक दरें कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी), [अर्थात् आजादपुर मंडी] से एकत्र की जाती हैं और उन्हें सारणीबद्ध किया जाता है तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों को दैनिक, साप्ताहिक और मासिक रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराया जाता है। बेहतर मूल्य निगरानी और मूल्यांकन के लिए, 23 अनिवार्य वस्तुओं की दरें/कीमतें और केंद्रीय भंडार से दैनिक और साप्ताहिक दरें एकत्र करने के लिए तैनात फील्ड स्टाफ द्वारा दैनिक सर्वेक्षण दरें ली जाती हैं।
3. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे सभी व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, जिनमें खुदरा विक्रेता, बड़ी शृंखला के खुदरा विक्रेता और प्रोसेसर शामिल हैं, जिनके पास दालों, खाद्य तेल का पर्याप्त स्टॉक है, उन्हें अपने स्टॉक की स्थिति भारत सरकार के पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य है। मार्केट इंटेलिजेंस (एमआई) सेल एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इन सभी वस्तुओं की स्टॉक स्थिति पर नियमित रूप से नजर रखता है।
4. भारत सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने और निगरानी करने के लिए गेहूं और चीनी के वास्ते एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है ताकि उपभोक्ताओं को ये वस्तुएं सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सकें, जिसकी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार के पास अनिवार्य वस्तुओं और सब्जियों की कीमतों पर कोई अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण नहीं है।

अध्याय एक नजर में

➤	भारत सरकार द्वारा एनएफएस अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के तुरंत बाद 1 सितंबर, 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को लागू करने वाला दिल्ली पहला राज्य था।
➤	रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार का सार्वजनिक वितरण नेटवर्क, जिसमें दिल्ली भर में 1997 उचित मूल्य की दुकानें (एफपीएस) शामिल हैं, 31 मार्च 2023 तक 17.84 लाख डिजिटल खाद्य सुरक्षा कार्डों के माध्यम से 72.78 लाख लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान कर रहा है।
➤	31 मार्च 2023 तक, दिल्ली में अंत्योदय अन्न योजना के तहत 2,80,264 सदस्यों वाले कुल 68,733 परिवार लाभार्थी थे।
➤	सरकार. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के स्वामित्व वाले/द्वारा संचालित कल्याण संस्थानों और बाल निकेतन, लड़कियों के लिए चिल्ड्रेन होम-I और II, महिलाओं के लिए आप्टर केयर होम, बालिका गृह जैसे अजा/अजजा और अपिव छात्रावासों में रहने वाले निराश्रित लोगों को बीपीएल दरों पर अनाज उपलब्ध करा रही है।
➤	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, भारत सरकार से उठाई गई कुल मात्रा में से 99.3% अनाज पीएमजीकेवाई योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को वितरित किया गया था।

अध्याय-19

जनसांख्यिकीय स्वरूप

क्षेत्रफल

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और इसकी सीमा तीन तरफ हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगती है। यह 28.24–28.53 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 76.50–77.20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 369.35 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र और 1113.65 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्र है। क्षेत्रफल के संदर्भ में यह देश का सबसे बड़ा शहर है। इसकी लंबाई 51.9 किलोमीटर और चौड़ाई 48.48 किलोमीटर है। दिल्ली में 11 जिले हैं, जिनमें 33 तहसील/सब-डिविजन हैं। दिल्ली की दो प्रमुख विशेषताएं यमुना बाढ़ क्षेत्र और रिज (यानी पर्वतमाला) हैं। यह देश के भूकंपीय जोन-IV में स्थित है, जो बड़े भूकंपों का जोखिम दर्शाता है।



2. जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियां :

- 2.1 दिल्ली देश के सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहे शहरों में एक है। शहरीकरण की तीव्र गति के कारण दिल्ली के भू-परिदृश्य में व्यापक बदलाव आया है, जिससे बहुसंख्य ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। दिल्ली में पिछली तीन जनगणनाओं के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का बदलाव विवरण 19.1 में दर्शाया गया है :

विवरण 19.1

क्षेत्रफल-ग्रामीण और शहरी

क्र.स.	क्षेत्र का वर्गीकरण	1991		2001		2011	
		वर्ग कि.मी.	प्रतिशत	वर्ग कि.मी.	प्रतिशत	वर्ग कि.मी.	प्रतिशत
1.	ग्रामीण	797.66	53.79	558.32	37.65	369.35	24.90
2.	शहरी	685.34	46.21	924.68	62.35	1113.65	75.1
3.	कुल	1483.00	100.00	1483.00	100.00	1483.00	100.00

स्रोत : भारत की जनगणना, 1991, 2001 और 2011

- 2.2 2001–2011 की अवधि में शहरी क्षेत्रों में वृद्धि की वार्षिक दर 20.44 प्रतिशत रही। शहरीकरण की गति ने दिल्ली में गांवों की संख्या कम कर दी है। 1961 में दिल्ली में 300 गांव थे, जो 2001 में घट कर 165 रह गए और 2011 में घट कर 112 रह गए। शहरीकृत गांवों की संख्या 1961 में 20 थी, जो 2011 में बढ़ कर 135 हो गई। जनगणना कस्बों की संख्या 1971 में 3 थी, जो 1991 में बढ़ कर 29 और 2011 में बढ़ कर 110 हो गई। इस प्रकार विभिन्न जनगणनाओं में दिल्ली के अधिकाधिक ग्रामीण गांवों को निरंतर जनगणना कस्बे घोषित किया जाता रहा है। परिणाम स्वरूप दिल्ली में ग्रामीण आबादी और ग्रामीण क्षेत्र घटते जा रहे हैं।

3. जनसंख्या

भारत सरकार द्वारा राज्यों के सहयोग से दशकीय आधार पर कराई जाने वाली जनगणना जनसंख्या आंकड़ा उपलब्ध कराने का एकमात्र स्रोत है। देश में पहली सुनियोजित और एक साथ जनगणना 1881 में कराई गयी थी। इस श्रृंखला की 15वीं और अद्यतन जनगणना 2011 में कराई गई थी, जिसके अनुसार 1 मार्च, 2011 को दिल्ली की आबादी 1 करोड़ 67 लाख 80 हजार थी जबकि 1 मार्च, 2001 को यह 1 करोड़ 38 लाख 50 हजार थी। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की 97.50 प्रतिशत आबादी शहरी इलाकों में और शेष 2.5 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में रहती है। इस शहरी आबादी में 2011 की जनगणना के 110 जनगणना कस्बों की आबादी शामिल है। राजस्व विभाग के रिकार्ड के अनुसार ये जनगणना कस्बे दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं और वे दिल्ली के अधिसूचित शहरी क्षेत्र का हिस्सा नहीं हैं।

4. जनसंख्या वृद्धि

- 4.1 पिछले छह दशकों के दौरान दिल्ली और भारत की जनसंख्या और इसमें हुई वृद्धि विवरण 19.2 में दर्शायी गई है।

विवरण 19.2

1951–2011 के दौरान भारत और दिल्ली की जनसंख्या और उसमें हुई वृद्धि

(लाख)

क्र.स.	वर्ष	दिल्ली		भारत		समस्त भारत की आबादी में दिल्ली का हिस्सा
		जनसंख्या	वृद्धि (%)	जनसंख्या	वृद्धि (%)	
1.	1951	17.44	--	3610.88	--	0.48
2.	1961	26.59	52.44	4392.35	21.64	0.61
3.	1971	40.66	52.93	5481.60	24.80	0.74
4.	1981	62.20	53.00	6833.29	24.66	0.91
5.	1991	94.21	51.45	8464.21	23.87	1.11
6.	2001	138.51	47.02	10287.37	21.54	1.35
7.	2011	167.88	21.20	12108.55	17.70	1.39

स्रोत: भारत की जनगणना, (प्राथमिक जनगणना सारांश 2011)

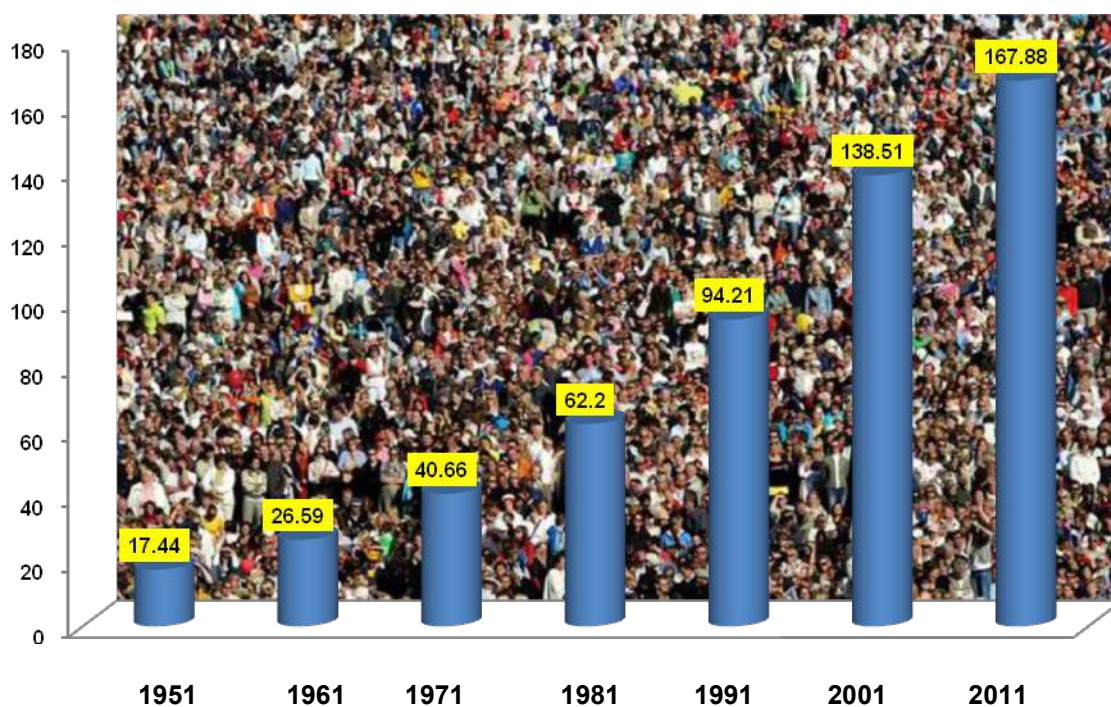
- 4.2 2001–2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 21.2 प्रतिशत रही। दिल्ली की 2011 की जनगणना की यह दशकीय वृद्धि अपने आप में अनूठी रही है क्योंकि 1951 से 1991 तक सभी जनगणनाओं के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 50 प्रतिशत से ऊपर और 2001 में 47

प्रतिशत थी। जनसंख्या की इस प्रवृत्ति का श्रेय एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे *मनरेगा* जैसे विभिन्न रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रमों और वरिष्ठ नागरिकों तथा विधवाओं के लिए पेंशन जैसे कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और दूसरी तरफ गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ आदि एनसीआर प्राथमिकता कस्बों के विकास को दिया जा सकता है, जिनसे दिल्ली में प्रवासन में कमी आई है। पिछले दशक में दिल्ली में जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड की गई वृद्धि दर से 3.5 प्रतिशत अधिक रही है। दिल्ली का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का सिर्फ 0.05 प्रतिशत के लगभग है लेकिन यहां की आबादी समूचे देश की आबादी का 1.39 प्रतिशत है।

- 4.3 विवरण 19.2 से पता चलता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या के मुकाबले दिल्ली की जनसंख्या जहां 1951 में 0.48 प्रतिशत थी वहीं यह 2011 में बढ़कर 1.39 प्रतिशत हो गयी। 1971-81 में दिल्ली में जनसंख्या वृद्धि की दर 53.00 प्रतिशत रिकॉर्ड की गई। पिछले दशक में दिल्ली में जनसंख्या वृद्धि दर 2.12 प्रतिशत वार्षिक थी जो राष्ट्रीय स्तर की जनसंख्या वृद्धि दर से 0.35 प्रतिशत अधिक रही। 1951-2011 की अवधि में दिल्ली की जनसंख्या चार्ट 19.1 में दर्शायी गई है।

चार्ट 19.1
दिल्ली की जनसंख्या : 1951-2011

(लाख)



5. जिलावार जनसंख्या

- 5.1 1991 की जनगणना के समय दिल्ली को एकल जिला प्रदेश घोषित कर दिया गया था। 1996 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने राजपत्र अधिसूचना द्वारा 9 जिलों और 27 उप-संभागों का गठन कर दिया। 2001 की जनगणना दिल्ली के सभी 9 जिलों और 27 उप-जिलों में कराई गयी

थी। 2001 और 2011 की जनगणनाओं के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जिलावार जनसंख्या विवरण 19.3 में दी गई है।

विवरण 19.3

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जिलावार जनसंख्या : 2001 और 2011

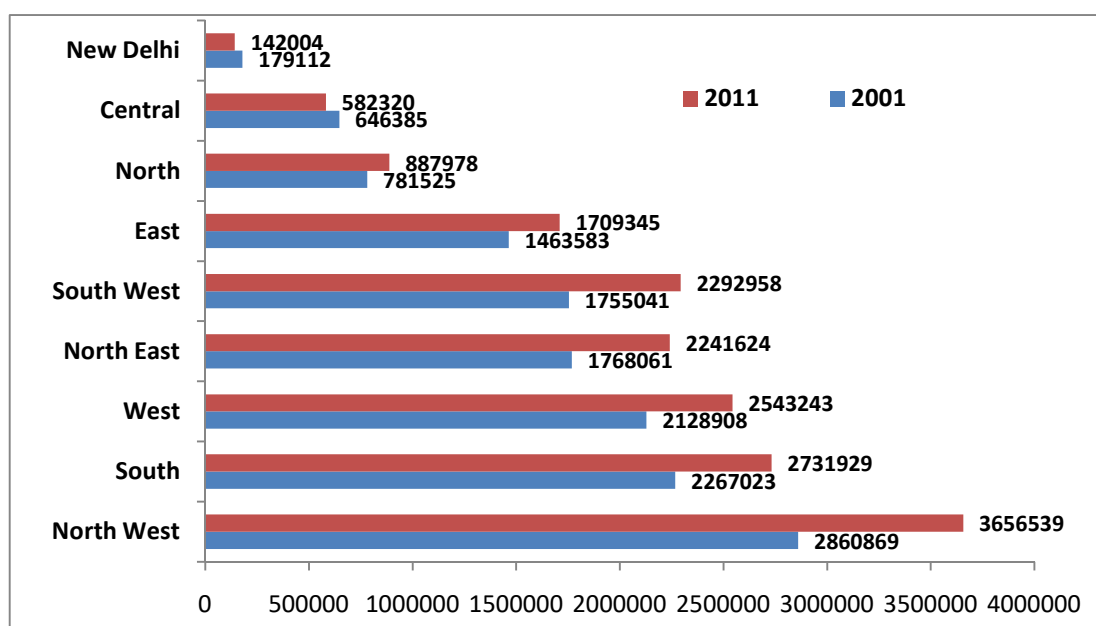
क्रसं	जिले	2001			2011		
		संख्या	प्रतिशत	रैंक	संख्या	प्रतिशत	रैंक
1.	उत्तर-पश्चिम	2860869	20.65	1	3656539	21.78	1
2.	दक्षिण	2267023	16.37	2	2731929	16.27	2
3.	पश्चिम	2128908	15.37	3	2543243	15.15	3
4.	उत्तर पूर्वी	1768061	12.77	4	2241624	13.35	5
5.	दक्षिण पश्चिमी	1755041	12.67	5	2292958	13.66	4
6.	पूर्वी	1463583	10.57	6	1709345	10.18	6
7.	उत्तरी	781525	5.64	7	887978	5.29	7
8.	मध्य दिल्ली	646385	4.67	8	582320	3.47	8
9.	नई दिल्ली	179112	1.29	9	142004	0.85	9
	कुल	13850507	100.00		16787941	100.00	

स्रोत: भारत की जनगणना, (प्राथमिक जनगणना सारांश 2011)

- 5.2 विवरण 19.3 से स्पष्ट है कि 2011 में दिल्ली में 53 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी तीन जिलों—उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पश्चिमी जिलों में रहती थी। 2001 और 2011 में दिल्ली की जिलावार जनसंख्या चार्ट 19.2 में दर्शायी गई हैं

चार्ट 19.2

दिल्ली की जिलावार जनसंख्या— 2001 और 2011



6. लिंग अनुपात

- 6.1 जनसंख्या के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं के विश्लेषण के लिए लिंग अनुपात महत्वपूर्ण संकेतक होता है। यह वास्तव में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का अनुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में स्त्री-पुरुष अनुपात 868 था। पिछले दशक में दिल्ली के लिंग अनुपात में बढ़ोतरी हुई और यह 2001 के 821 की तुलना में बढ़कर 2011 में 868 पर पहुंच गया। राष्ट्रीय और राज्य, दोनों स्तरों पर इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए कन्या भ्रूण हत्या रोकने और गर्भावस्था में सन्तान का लिंग पता लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने जैसे अनेक कड़े उपाय लागू किए गए। 2001 और 2011 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का जिलावार लिंग अनुपात विवरण 19.4 में दिखाया गया है।

विवरण 19.4

2001 और 2011 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का जिलावार लिंग अनुपात

क्र सं	जिले	लिंग अनुपात			
		2001	रैंक	2011	रैंक
1.	उत्तर पूर्वी	849	1	886	2
2.	पूर्वी	843	2	884	3
3.	मध्य	842	3	892	1
4.	पश्चिम	830	4	875	4
5.	उत्तर	826	5	869	5
6.	उत्तर पश्चिम	820	6	865	6
7.	दक्षिण	799	7	862	7
8.	नई दिल्ली	792	8	822	9
9.	दक्षिण दक्षिण पश्चिमी	784	9	840	8
	दिल्ली	821		868	

स्रोत: भारत की जनगणना, (प्राथमिक जनगणना सारांश 2011)

- 6.2 भारत के अधिकांश उत्तरी राज्यों में 2001 और 2011 की जनगणना के लिंग अनुपात के आंकड़ों से चिंताजनक स्थिति का संकेत मिलता है। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तरी राज्यों में लिंग अनुपात विवरण 19.5 में दिया गया है।

विवरण 19.5

भारत के उत्तरी राज्यों में लिंग अनुपात-2001 और 2011

क्र.सं.	राज्य	लिंग अनुपात	
		2001	2011
1.	जम्मू-कश्मीर	892	889
2.	हिमाचल प्रदेश	968	972
3.	पंजाब	876	895
4.	चंडीगढ़	777	818
5.	उत्तराखंड	962	963
6.	हरियाणा	861	879
7.	राजस्थान	921	928
8.	उत्तर प्रदेश	898	912
9.	दिल्ली	821	868
	भारत	933	943

स्रोत: भारत की जनगणना, (प्राथमिक जनगणना सारांश 2011)

- 6.3 नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) में पंजीकृत जन्मों की संख्या के बारे में सूचना विवरण 19.6 में दी गई है।

विवरण 19.6

सीआरएस के अंतर्गत पंजीकृत जन्मों की संख्या—लिंगवार

क्र.स.	वर्ष	जन्म			लिंग अनुपात
		कुल	पुरुष	महिला	
1.	2001	296287	163816 (55.29)	132471 (44.71)	809
2.	2002	300659	164184 (54.61)	136475 (45.39)	831
3.	2003	301165	165173 (54.84)	135992 (45.16)	823
4.	2004	305974	167849 (54.86)	138125 (45.14)	823
5.	2005	324336	178031 (54.89)	146305 (45.11)	822
6.	2006	322750	176242 (54.61)	146508 (45.39)	831
7.	2007	322044	174289 (54.12)	147755 (45.88)	848
8.	2008	333908	166583 (49.89)	167325 (50.11)	100
9.	2009	354482	185131 (52.22)	169351 (47.78)	915
10.	2010	359463	189122(52.61)	170341(47.39)	901
11.	2011	353759	186870(52.82)	166889(47.18)	893
12.	2012	360473	191129(53.02)	169344(46.98)	886
13.	2013	370000	195226(52.76)	174774(47.24)	895
14.	2014	373693	197078(52.73)	176615(47.26)	896
15.	2015	374012	197080(52.69)	176932(47.31)	898
16.	2016	379161	199358(52.58)	179738(47.40)	902
17.	2017	367046	191876(52.28)	175090(47.70)	913
18.	2018	362803	188494(51.96)	174196(48.01)	924
19.	2019	365868	190527(52.08)	175267(47.90)	920
20.	2020	301645	155973(51.71)	145597(48.27)	933
21.	2021	271786	140604(51.73)	131112(48.24)	932
22.	2022	300350	155670(51.83)	144581(48.14)	929

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, दिल्ली की जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी वार्षिक रिपोर्ट

- 6.4 नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) के अंतर्गत पंजीकृत जन्म विवरण के अनुसार दिल्ली में लिंग अनुपात की सकारात्मक तस्वीर दिखाई देती है। लिंग अनुपात 2001 में 809 था, जो 2022 में बढ़ कर 929 हो गया। 2005 से 2008 की अवधि में लिंग अनुपात में बढ़ोतरी का श्रेय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के कल्याण के लिए शुरू की गई अनेक योजनाओं को दिया जा सकता है।

7. जनसंख्या घनत्व

- 7.1 दुनिया के विभिन्न स्थानों से आमतौर पर प्राप्त होने वाले तुलनात्मक आंकड़ों को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्षेत्रफल की प्रति यूनिट आबादी ही जनसंख्या घनत्व होती है। इसे आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जबकि राष्ट्रीय

जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 में दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक था। 2001 और 2011 में दिल्ली का ज़िलावार जनसंख्या घनत्व विवरण 19.7 में दिया गया है।

विवरण 19.7

2001 और 2011 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का ज़िलावार जनसंख्या घनत्व

क्र सं	ज़िला	जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति)			
		2001	रैंक	2011	रैंक
1.	उत्तर पूर्वी	29,468	1	36155	1
2.	मध्य	25,855	2	27730	2
3.	पूर्वी	22,868	3	27132	3
4.	पश्चिम	16,503	4	19563	4
5.	उत्तर	13,246	5	14557	5
6.	दक्षिण	9,068	6	11060	6
7.	उत्तर पश्चिम	6,502	7	8254	7
8.	नई दिल्ली	5,117	8	4057	9
9.	दक्षिण पश्चिम	4,169	9	5446	8
	दिल्ली	9340		11320	

स्रोत: भारत की जनगणना, (प्राथमिक जनगणना सारांश 2011)

- 7.2 विवरण 19.7 से स्पष्ट है कि दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक 36155 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व 4057 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर नई दिल्ली जिले का है। पिछले दशक के दौरान नई दिल्ली जिले में जनसंख्या घनत्व में कमी का रुख रहा और यह 2001 के 5117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से घट कर 2011 में 4057 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह गया।

8. परिवारों का आकार

एक घर में एक साथ रहने वाले लोगों की संख्या को ही आमतौर पर परिवार का आकार कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में कुल 3340538 परिवार थे। दिल्ली में परिवार का औसत आकार 5.02 था। इससे संकेत मिलता है कि एक घर में औसतन पांच से अधिक सदस्य शामिल हैं। वर्ष 2011 में पचास प्रतिशत से ज्यादा परिवारों के सदस्यों की संख्या पांच से ज्यादा थी। 2001 और 2011 में दिल्ली में विभिन्न आकारों वाले परिवारों की ब्यौरेवार जानकारी विवरण 19.8 में दर्शायी गई है।

विवरण 19.8

दिल्ली में आकार के हिसाब से परिवारों का वितरण— 2001 और 2011

क्रसं	परिवार का आकार	परिवारों की संख्या		परिवारों की कुल संख्या का प्रतिशत	
		2001	2011	2001	2011
1.	एक सदस्यीय	99786	123106	3.90	3.70
2.	दो सदस्यीय	206925	252370	8.10	7.60
3.	तीन सदस्यीय	295216	428403	11.56	12.80
4.	चार सदस्यीय	544289	803065	21.31	24.00
5.	पांच सदस्यीय	506711	681142	19.84	20.40
6.	छह से आठ सदस्यीय	680065	853773	26.63	25.60
7.	नौ या उससे अधिक सदस्यीय	221157	198679	8.66	5.90
	कुल परिवार	2554149	3340538	100.00	100.00

स्रोत: भारत की जनगणना 2011

9. साक्षरता दर

2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में साक्षरता दर 86.02 प्रतिशत थी जबकि 2001 में यह 81.67 प्रतिशत थी। इसमें पुरुषों की साक्षरता दर 90.9 प्रतिशत और महिलाओं की साक्षरता दर 80.8 प्रतिशत थी। दिल्ली में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की साक्षरता दर क्रमशः 81.9 और 86.3 प्रतिशत रही।

10. जनसंख्या का आयुवार वितरण

- 10.1 जनसंख्या का आयुवार वितरण भविष्य की मानव क्षमता, कार्यरत जनसंख्या के दायित्व खासकर अपने बच्चों और वृद्ध माता पिता की देखरेख के दायित्व की गंभीरता का सबसे प्रभावी संकेतक है। दो जनगणना अवधि में दिल्ली की जनसंख्या के आयुवार वितरण का ब्यौरा विवरण 19.9 में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण 19.9

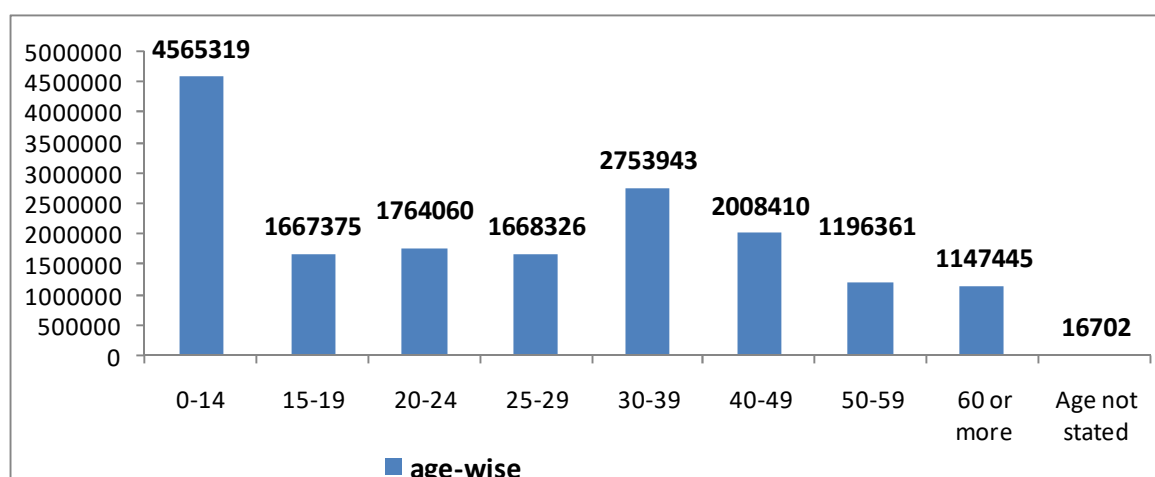
दिल्ली की जनसंख्या का आयुवार वितरण: 1991, 2001 और 2011

क्रसं	आयु वर्ग	1991		2001		2011	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	0-14	3273482	34.75	4492939	32.44	4565319	27.19
2.	15-19	914871	9.71	1427979	10.31	1667375	9.93
3.	20-24	982866	10.43	1426860	10.30	1764060	10.51
4.	25-29	956788	10.16	1358925	9.81	1668326	9.94
5.	30-39	1438035	15.26	2211006	15.96	2753943	16.40
6.	40-49	867731	9.21	1432467	10.34	2008410	11.96
7.	50-59	504149	5.35	759505	5.48	1196361	7.13
8.	60 या उससे अधिक	439520	4.67	719650	5.20	1147445	6.83
9.	आयु वर्णित नहीं	43202	0.46	21176	0.15	16702	0.1
कुल		9420644	100.00	13850507	100.00	16787941	100.00

स्रोत: भारत की जनगणना, (प्राथमिक जनगणना सारांश 2011)

- 10.2 विवरण 19.9 से पता चलता है कि 2011 में दिल्ली की कुल जनसंख्या का एक तिहाई भाग ऐसे बच्चों का था जिनकी आयु शून्य से 14 वर्ष के बीच थी और इसमें प्रतिशत बदलाव की दर भी कम से कम रही। अन्य सभी आयु वर्गों में भी लगभग यही स्थिति थी, यह या तो एक समूह में घनात्मक या सतत आयु वर्गों में ऋणात्मक थी। 2011 में दिल्ली की जनसंख्या का आयुवार वितरण चार्ट 19.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 19.3
दिल्ली में जनसंख्या का आयु वार वितरण-2011



11. महानगरों की जनसंख्या

11.1 भारत में महानगरों की जनसंख्या, विवरण 19.10 में प्रस्तुत की गई है।

विवरण 19.10
भारत के कुछ महानगरों की जनसंख्या 2001 और 2011

क्र.स.	महानगर	जनसंख्या (संख्या)		स्थान	
		2001	2011	2001	2011
1.	मुम्बई (श.स.)	16434386	18394912	1	1
2.	दिल्ली	13850507	16787941	2	2
3.	कोलकाता (श.स.)	13251339	14057991	3	3
4.	चेन्नई (श.स.)	6686140	8653521	4	4
5.	बंगलौर (श.स.)	5701446	8420435	6	5
6.	हैदराबाद (श.स.)	5756729	7677018	5	6

स्रोत: भारत की जनगणना 2011

श.स. — शहरी संकुलन

11.2 विवरण 19.10 से पता चलता है कि जनसंख्या की दृष्टि से महानगरों में दिल्ली 2001 और 2011 में लगातार दूसरे स्थान पर रही। 2001 में मुम्बई की जनसंख्या 1 करोड़ 64 लाख 30 हजार थी, जो दिल्ली की जनसंख्या से 25.8 लाख ज्यादा थी। 2011 में (जनगणना 2011) मुम्बई और दिल्ली की आबादी का अंतर घटकर 16.1 लाख रह गया। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के तेजी से विकास का पता चलता है।

11.3 जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोग बड़े शहरों में रहने लगेंगे। बड़ी संख्या में लोग 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले बड़े शहरों में रहेंगे जिन्हें मेगासिटी के रूप में जाना जाता है।

12. दिल्ली का शहरी-ग्रामीण परिवेश

- 12.1 21वीं शताब्दी के शुरू में 93 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी शहरी क्षेत्रों में रह रही थी जबकि 1901 में केवल 53 प्रतिशत लोग शहरों में रहते थे। इससे साफ पता चलता है कि राष्ट्रीय राजधानी में शहरीकरण की गति कितनी तेज़ है। इस शताब्दी में दिल्ली में शहरीकरण की गति विवरण 19.11 में दर्शायी गयी है।

विवरण 19.11

1901-2011 के दौरान दिल्ली में शहरीकरण की प्रवृत्ति

क्र.स.	वर्ष	जनसंख्या (संख्या)			वृद्धि (प्रतिशत)	
		कुल	शहरी	कुल शहरी का प्रतिशत	दशकीय	एईजीआर
1	1901	405819	214115	52.76		
2	1911	413851	237944	57.50	11.13	1.1
3	1921	488452	304420	62.32	27.94	2.5
4	1931	636246	447442	70.33	46.98	3.9
5	1941	917939	695686	75.79	55.48	4.4
6	1951	1744072	1437134	82.40	106.58	7.3
7	1961	2658612	2359408	88.75	64.17	5.0
8	1971	4065698	3647023	89.70	54.57	4.4
9	1981	6220406	5768200	92.73	58.16	4.6
10	1991	9420644	8471625	89.93	46.87	3.8
11	2001	13850507	12905780	93.18	52.34	4.2
12	2011	16787941	16368899	97.50	26.83	1.92

स्रोत : भारत की जनगणना अस्थाई जनसंख्या आंकड़े, रा.रा.क्षे. दिल्ली शृंखला 8, 2011 का पेपर 1
नोट : एईजीआर का अर्थ है - वार्षिक तीव्र वृद्धि दर

- 12.2 दिल्ली में पिछली जनगणना के दौरान जिलावार शहरी और ग्रामीण आबादी की जानकारी विवरण 19.12 में दर्शायी गयी है।

विवरण 19.12

दिल्ली में जिलावार शहरी और ग्रामीण आबादी : 2011

क्र.स.	जिला	जनसंख्या (संख्या)			शहरी आबादी का प्रतिशत
		शहरी	ग्रामीण	कुल	
1.	उत्तर पश्चिम	3442589	213950	3656539	94.15
2.	उत्तर	870232	17746	887978	98.00
3	उत्तर पूर्व	2220097	21527	2241624	99.04
4.	पूर्व	1705816	3530	1709346	99.79
5.	नई दिल्ली	142004	--	142004	100.00
6.	मध्य	582320	--	582320	100.00
7.	पश्चिम	2536823	6420	2543243	99.75
8.	दक्षिण पश्चिम	2149282	143676	2292958	93.73
9.	दक्षिण	2719736	12193	2731929	99.55
	दिल्ली	16368899	419042	16787941	97.50

स्रोत : भारत की जनगणना-2011 के प्राथमिक आंकड़े

- 12.3 विवरण 19.12 से पता चलता है कि दिल्ली के दो जिले यानी मध्य और नई दिल्ली में वर्ष 2011 में शत प्रतिशत शहरी आबादी थी। शेष सभी जिलों में 90 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरों में रहती थी।

13. जीवनांक दरें

- 13.1 जीवनांक दरें ही राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर सर्वाधिक प्रयुक्त आंकड़े हैं, जिनमें आमतौर पर जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर शामिल हैं, जिन्हें नीचे परिभाषित किया गया है।

क) जन्म दर:—जन्म दर किसी जनसंख्या की उर्वरता का एक सरल माप है और जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। यह किसी निर्दिष्ट क्षेत्र और वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या को इंगित करती है।

ख) मृत्यु दर :—मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के मूल घटकों में से एक है और संबंधित आंकड़ें जनसांख्यिकीय अध्ययन और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन के लिए आवश्यक हैं। मृत्यु दर मौतों की गणना के सबसे सरल उपायों में से एक है और इसे एक निश्चित क्षेत्र और समय अवधि में प्रति हजार जनसंख्या पर मौतों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।

ग) शिशु मृत्यु दर :—शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), जिसे व्यापक रूप से किसी देश या क्षेत्र के समग्र स्वास्थ्य परिदृश्य के अशोधित संकेतक के रूप में स्वीकार किया जाता है, को किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए एक निश्चित समय अवधि में प्रति हजार जीवित जन्मों में शिशु मृत्यु (एक वर्ष से कम) के रूप में परिभाषित किया जाता है।

दिल्ली में जीवनांक दरों (दोनों नागरिक पंजीकरण प्रणाली और नमूना पंजीकरण प्रणाली) के बारे में जानकारी विवरण 19.13 में प्रस्तुत की गई है।

- 13.2 नागरिक पंजीकरण प्रणाली में सरकारी कार्यालयों और निर्दिष्ट अधिकारियों के नेटवर्क की मदद से जीवनांक घटनाओं (जन्म और मृत्यु) को कानूनी रूप से पंजीकृत किया जाता है तथा इनके बारे में पर्याप्त ब्यौरा निरंतर, स्थायी और अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाता है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली को जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों को मापने के माध्यम के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 10 वर्ष में होने वाली जनगणना से किसी समयविशेष की जनसंख्या की जानकारी उपलब्ध होती है जबकि जीवनांक आंकड़ों से जनसंख्या के प्रवाह का पता चलता है।
- 13.3 दिल्ली में, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण तीन स्थानीय निकायों अर्थात् दिल्ली नगर निगम (पूर्ववर्ती दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

विवरण 19.13

दिल्ली में जीवनांक दरें : सीआरएस और एसआरएस

क्र.स.	वर्ष	*वर्ष के मध्य अनुमानित आबादी (लाख)	जीवनांक दरें (प्रति एक हजार)					
			जन्म दर		मृत्यु दर		शिशु मृत्यु दर	
			सीआरएस*	एसआरएस	सीआरएस*	एसआरएस	सीआरएस*	एसआरएस
1.	2003	144.86	20.78	17.3	6.07	5.0	17	28
2.	2004	147.68	20.72	18.4	5.76	4.7	13	32
3.	2005	150.54	21.52	18.6	6.24	4.6	13	35
4.	2006	153.47	21.05	18.4	6.45	4.7	18	37
5.	2007	156.45	20.58	18.1	6.46	4.8	25	36
6.	2008	159.49	20.94	18.4	6.77	4.8	18	35
7.	2009	162.58	21.77	18.1	6.89	4.4	19	33
8.	2010	165.74	21.66	17.8	7.48	4.2	22	30
9.	2011	169.14	20.92	17.5	6.63	4.3	22	28
10.	2012	172.92	20.87	17.3	6.05	4.2	24	25
11.	2013	176.70	20.94	17.2	5.50	4.1	22	24
12.	2014	180.47	20.71	16.8	6.72	3.8	22	20
13.	2015	184.25	20.30	16.4	6.76	3.6	23	18
14.	2016	188.03	20.16	15.5	7.53	4.0	21.35	18
15.	2017	191.82	19.13	15.2	7.10	3.7	20.83	16
16.	2018	195.61	18.55	14.7	7.44	3.3	23.81	13
17.	2019	199.40	18.35	14.4	7.29	3.2	24.12	11
18.	2020	203.19	14.85	14.2	7.03	3.6	20.37	12
19.	2021	207.03	13.13	NA	8.28	NA	23.60	NA
20.	2022	210.96	14.24	NA	6.07	NA	23.82	NA

*वर्ष 2011 से राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के नवीनतम जनसंख्या अनुमानों के अनुसार संशोधित।

- 13.4 विवरण 19.13 से अनुमान लगाया जा सकता है कि सीआरएस के तहत 2003 से 2022 के दौरान दिल्ली की जीवनांक दरों, शिशु जन्म और शिशु मृत्यु दर, दोनों में ही मिश्रित प्रवृत्ति रही है। यह देखा जा सकता है कि सीआरएस के अंतर्गत मृत्यु दर में भी मिश्रित प्रवृत्ति रही है। एसआरएस प्रणाली के अंतर्गत जन्म, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर तीनों में ही कमी की प्रवृत्ति रही है।

14. प्रवासन

- 14.1 दिल्ली में बाहर से आकर बस जाने वालों की संख्या का अनुमान जन्म और मृत्यु दरों तथा जनसंख्या में कुल वृद्धि पर आधारित होता है। विवरण 19.14 से पता चलता है कि 2022 के दौरान

जनसंख्या की संभावित वृद्धि 1.72 लाख थी जबकि बाहर से आकर बसने वालों की अनुमानित संख्या 2.21 लाख थी। 2003 से 2022 के बीच प्रवासन की प्रवृत्ति विवरण 19.14 में दी गई हैं।

विवरण 19.14

दिल्ली में बाहर से आकर बसने वालों की संख्या— 2003–2022

(लाख)

क्र.स.	वर्ष	*वर्ष के मध्य में अनुमानित आबादी	पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या वृद्धि	कुल		प्राकृतिक वृद्धि	प्रवासन
				जन्म	मृत्यु		
1.	2003	144.86	2.76	3.01	0.88	2.13	0.63
2.	2004	147.68	2.82	3.06	0.85	2.21	0.61
3.	2005	150.54	2.86	3.24	0.94	2.30	0.56
4.	2006	153.47	2.93	3.23	0.99	2.24	0.69
5.	2007	156.45	2.98	3.22	1.01	2.21	0.77
6.	2008	159.49	3.04	3.34	1.08	2.26	0.78
7.	2009	162.58	3.09	3.54	1.12	2.42	0.67
8.	2010	165.74	3.16	3.59	1.24	2.35	0.81
9.	2011	169.14	3.40	3.53	1.12	2.41	0.99
10.	2012	172.92	3.78	3.60	1.05	2.55	1.23
11.	2013	176.70	3.78	3.70	0.97	2.73	1.05
12.	2014	180.47	3.77	3.74	1.21	2.53	1.24
13.	2015	184.25	3.78	3.74	1.25	2.49	1.29
14.	2016	188.03	3.78	3.79	1.42	2.37	1.41
15.	2017	191.82	3.79	3.67	1.36	2.31	1.48
16.	2018	195.61	3.79	3.63	1.46	2.17	1.62
17.	2019	199.40	3.79	3.66	1.45	2.21	1.58
18.	2020	203.19	3.79	3.02	1.43	1.59	2.2
19.	2021	207.03	3.84	2.72	1.71	1.01	2.83
20.	2022	210.96	3.93	3.00	1.28	1.72	2.21

स्रोत : जन्म एवं मृत्यु महापंजीयक कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

* राष्ट्रीय जनसंख्या आयुक्त द्वारा वर्ष 2011 के लिए लगाए गए अद्यतन अनुमान के अनुसार संशोधित।

नोट : 1. जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कुल जन्म और मृत्यु संख्या के अंतर के बराबर होती है।

2. बाहर से आकर बसी जनसंख्या, जनसंख्या की कुल वृद्धि और प्राकृतिक रूप से बढ़ी जनसंख्या के अंतर के बराबर होती है।

15. जनसंख्या अनुमान

विवरण 19.15
आयु-वार अनुमानित जनसंख्या 2011-2036

(आंकड़े संख्या '000' में)

वर्ष	आयु समूह	भारत	दिल्ली	हरियाणा	उत्तर प्रदेश	राजस्थान	पंजाब	उत्तराखंड
2011	0-14 वर्ष	373893	4570	7539	71892	23819	7096	3134
	15-29 वर्ष	334458	5041	7399	55954	19275	7925	2887
	30-44 वर्ष	247730	3867	5187	35995	12852	5940	1942
	45-59 वर्ष	153236	2147	3051	21178	7705	3865	1228
	60 और ऊपर	101538	1163	2176	14792	4897	2919	894
	सभी आयु समूह	1210855	16788	25351	199812	68548	27743	10086
2016	0-14 वर्ष	362202	4498	7416	70581	23570	6584	2884
	15-29 वर्ष	359600	5500	7997	64494	21500	8157	3216
	30-44 वर्ष	271914	4496	5910	39642	14297	6574	2187
	45-59 वर्ष	179173	2688	3623	24711	9091	4490	1422
	60 और ऊपर	118185	1496	2508	16658	5784	3336	1046
	सभी आयु समूह	1291074	18677	27455	216087	74240	29140	10755
2021	0-14 वर्ष	349990	4479	7362	69468	23121	6181	2708
	15-29 वर्ष	371426	5791	8208	68947	22722	7922	3329
	30-44 वर्ष	297203	5119	6735	44698	16088	7309	2511
	45-59 वर्ष	206817	3279	4287	29021	10518	5096	1640
	60 और ऊपर	137570	1904	2890	18772	6833	3828	1208
	सभी आयु समूह	1363006	20571	29483	230907	79281	30339	11399
2026	0-14 वर्ष	339222	4586	7254	68479	22570	5871	2592
	15-29 वर्ष	367415	5883	8103	67450	22751	7385	3227
	30-44 वर्ष	324725	5761	7596	52284	18290	7950	2909
	45-59 वर्ष	231717	3884	4941	32873	11841	5644	1853
	60 और ऊपर	162829	2424	3407	21774	8189	4468	1409
	सभी आयु समूह	1425908	22540	31299	242859	83642	31318	11993
2031	0-14 वर्ष	323258	4723	6969	62951	21204	5520	2542
	15-29 वर्ष	356593	5955	8041	66122	22523	6900	2993
	30-44 वर्ष	349924	6304	8223	60579	20444	8199	3242
	45-59 वर्ष	255574	4513	5651	36457	13237	6267	2096
	60 और ऊपर	193426	3056	4063	25853	9789	5201	1653
	सभी आयु समूह	1478775	24552	32946	251963	87198	32087	12524
2036	0-14 वर्ष	306374	4910	6676	56989	19943	5181	2436
	15-29 वर्ष	345498	6081	8039	65022	22224	6520	2832
	30-44 वर्ष	362336	6685	8472	64914	21753	7990	3363
	45-59 वर्ष	280642	5139	6458	41385	15031	6988	2416
	60 और ऊपर	227438	3777	4823	30680	11610	5978	1928
	सभी आयु समूह	1522288	26591	34469	258990	90563	32658	12974

स्रोत: जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट, जुलाई 2020, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

विवरण 19.16
आयु-वार अनुमानित जनसंख्या 2011-2036

(आंकड़े प्रतिशत में)

वर्ष	आयु समूह	भारत	दिल्ली	हरियाणा	उत्तर प्रदेश	राजस्थान	पंजाब	उत्तराखंड
2011	0-14 वर्ष	30.88	27.22	29.74	35.98	34.75	25.58	31.07
	15-29 वर्ष	27.62	30.03	29.19	28.00	28.12	28.57	28.62
	30-44 वर्ष	20.46	23.03	20.46	18.01	18.75	21.41	19.25
	45-59 वर्ष	12.66	12.79	12.04	10.60	11.24	13.93	12.18
	60 और ऊपर	8.39	6.93	8.58	7.40	7.14	10.52	8.86
	सभी आयु समूह	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2016	0-14 वर्ष	28.05	24.08	27.01	32.66	31.75	22.59	26.82
	15-29 वर्ष	27.85	29.45	29.13	29.85	28.96	27.99	29.90
	30-44 वर्ष	21.06	24.07	21.53	18.35	19.26	22.56	20.33
	45-59 वर्ष	13.88	14.39	13.20	11.44	12.25	15.41	13.22
	60 और ऊपर	9.15	8.01	9.13	7.71	7.79	11.45	9.73
	सभी आयु समूह	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2021	0-14 वर्ष	25.68	21.77	24.97	30.08	29.16	20.37	23.76
	15-29 वर्ष	27.25	28.15	27.84	29.86	28.66	26.11	29.20
	30-44 वर्ष	21.80	24.88	22.84	19.36	20.29	24.09	22.03
	45-59 वर्ष	15.17	15.94	14.54	12.57	13.27	16.80	14.39
	60 और ऊपर	10.09	9.26	9.80	8.13	8.62	12.62	10.60
	सभी आयु समूह	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2026	0-14 वर्ष	23.79	20.35	23.18	28.20	26.98	18.75	21.61
	15-29 वर्ष	25.77	26.10	25.89	27.77	27.20	23.58	26.91
	30-44 वर्ष	22.77	25.56	24.27	21.53	21.87	25.38	24.26
	45-59 वर्ष	16.25	17.23	15.79	13.54	14.16	18.02	15.45
	60 और ऊपर	11.42	10.75	10.89	8.97	9.79	14.27	11.75
	सभी आयु समूह	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2031	0-14 वर्ष	21.86	19.24	21.15	24.98	24.32	17.20	20.30
	15-29 वर्ष	24.11	24.25	24.41	26.24	25.83	21.50	23.90
	30-44 वर्ष	23.66	25.68	24.96	24.04	23.45	25.55	25.89
	45-59 वर्ष	17.28	18.38	17.15	14.47	15.18	19.53	16.74
	60 और ऊपर	13.08	12.45	12.33	10.26	11.23	16.21	13.20
	सभी आयु समूह	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2036	0-14 वर्ष	20.13	18.46	19.37	22.00	22.02	15.86	18.78
	15-29 वर्ष	22.70	22.87	23.32	25.11	24.54	19.96	21.83
	30-44 वर्ष	23.80	25.14	24.58	25.06	24.02	24.47	25.92
	45-59 वर्ष	18.44	19.33	18.74	15.98	16.60	21.40	18.62
	60 और ऊपर	14.94	14.20	13.99	11.85	12.82	18.30	14.86
	सभी आयु समूह	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

स्रोत: जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट, जुलाई 2020, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

विवरण 19.17
आयु-वार अनुमानित जनसंख्या वृद्धि 2011-2036

(आंकड़े प्रतिशत में)

वर्ष	आयु समूह	भारत	दिल्ली	हरियाणा	उत्तर प्रदेश	राजस्थान	पंजाब	उत्तराखंड
2011-2021	0-14 वर्ष	-6.39	-1.99	-2.35	-3.37	-2.93	-12.89	-13.59
	15-29 वर्ष	11.05	14.88	10.93	23.22	17.88	-0.04	15.31
	30-44 वर्ष	19.97	32.38	29.84	24.18	25.18	23.05	29.30
	45-59 वर्ष	34.97	52.72	40.51	37.03	36.51	31.85	33.55
	60 और ऊपर	35.49	63.71	32.81	26.91	39.53	31.14	35.12
	सभी आयु समूह	12.57	22.53	16.30	15.56	15.66	9.36	13.02
2021-2026	0-14 वर्ष	-3.08	2.39	-1.47	-1.42	-2.38	-5.02	-4.28
	15-29 वर्ष	-1.08	1.59	-1.28	-2.17	0.13	-6.78	-3.06
	30-44 वर्ष	9.26	12.54	12.78	16.97	13.69	8.77	15.85
	45-59 वर्ष	12.04	18.45	15.26	13.27	12.58	10.75	12.99
	60 और ऊपर	18.36	27.31	17.89	15.99	19.84	16.72	16.64
	सभी आयु समूह	4.61	9.57	6.16	5.18	5.50	3.23	5.21
2021-2031	0-14 वर्ष	-7.64	5.45	-5.34	-9.38	-8.29	-10.69	-6.13
	15-29 वर्ष	-3.99	2.83	-2.03	-4.10	-0.88	-12.90	-10.09
	30-44 वर्ष	17.74	23.15	22.09	35.53	27.08	12.18	29.11
	45-59 वर्ष	23.57	37.63	31.82	25.62	25.85	22.98	27.80
	60 और ऊपर	40.60	60.50	40.59	37.72	43.26	35.87	36.84
	सभी आयु समूह	8.49	19.35	11.75	9.12	9.99	5.76	9.87
2021-2036	0-14 वर्ष	-12.46	9.62	-9.32	-17.96	-13.75	-16.18	-10.04
	15-29 वर्ष	-6.98	5.01	-2.06	-5.69	-2.19	-17.70	-14.93
	30-44 वर्ष	21.92	30.59	25.79	45.23	35.21	9.32	33.93
	45-59 वर्ष	35.70	56.72	50.64	42.60	42.91	37.13	47.32
	60 और ऊपर	65.33	98.37	66.89	63.43	69.91	56.17	59.60
	सभी आयु समूह	11.69	29.26	16.91	12.16	14.23	7.64	13.82

स्रोत: जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट, जुलाई 2020, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

- 15.1 जनसंख्या पूर्वानुमान संबंधी तकनीकी समूह, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने जुलाई, 2020 में जनसंख्या पूर्वानुमान के बारे में रिपोर्ट तैयार की है। पिछले डेटा का उपयोग करते हुए, पूर्व धारणाओं के आधार पर, जनसंख्या के भावी परिदृश्य के बारे में अनुमान लगाना एक वैज्ञानिक प्रयास है। घटक पद्धति के आधार पर जनसंख्या के बारे में परिकल्पना करना सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत विधि है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और प्रवासन दर से निर्धारित होती है। घटक पद्धति लागू करते हुए, इक्कीस राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पर विचार किया गया है।
- 15.2 2011–2036 की अवधि में भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ से बढ़कर 152.2 करोड़ होने की उम्मीद है—यानी 1.0 प्रतिशत की वार्षिक दर से, पच्चीस वर्षों में 25 प्रतिशत की वृद्धि। परिणामस्वरूप, जनसंख्या का घनत्व 368 से बढ़कर 462 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा।
- 15.3 दिल्ली की जनसंख्या 2011–2036 की अवधि के दौरान 167.88 लाख से बढ़कर 265.91 लाख होने की उम्मीद है — यानी सालाना 2.3 प्रतिशत की दर से, पच्चीस वर्षों में 58 प्रतिशत वृद्धि। परिणामस्वरूप, जनसंख्या का घनत्व 11320 से बढ़कर 17930 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा।
- 15.4 विवरण 19.16 से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 2011 और 2036 के बीच, घटती प्रजनन क्षमता के कारण, भारत की जनसंख्या में 15 वर्ष से कम आयु समूह का अनुपात 30.8 से घटकर 20.1 प्रतिशत रह जाएगा; मध्यम आयु-समूह (15–59 वर्ष) और वरिष्ठ आयु समूह (60 वर्ष और अधिक) के अनुपात में काफी वृद्धि होना तय है। 15–59 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग में जनसंख्या का अनुपात 2011 में 60.7 प्रतिशत से बढ़कर 2036 में 64.9 प्रतिशत होने की उम्मीद है।
- 15.5 15 वर्ष से कम आयु की दिल्ली की जनसंख्या का अनुपात 27.22 से घटकर 18.46 प्रतिशत होने का अनुमान है; मध्यम आयु-समूह (15–59 वर्ष) और वरिष्ठ आयु समूह (60 वर्ष और अधिक) के अनुपात में काफी वृद्धि होना तय है। 15–59 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग में जनसंख्या का अनुपात 2011 में 65.85 प्रतिशत से बढ़कर 2036 में 67.33 प्रतिशत होने की उम्मीद है।
- 15.6 अखिल भारतीय स्तर पर जनसंख्या में वृद्धि 2021 और 2036 के बीच 11.69 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि इसी अवधि के दौरान दिल्ली में 29.26 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

अध्याय एक नज़र में

➤	दिल्ली देश के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है। शहरीकरण की तीव्र गति के कारण, दिल्ली का परिदृश्य अधिसंख्य ग्रामीण से अधिसंख्य शहरी में बदल गया है।
➤	2001–2011 के दौरान शहरी क्षेत्र में वृद्धि 20.44 प्रतिशत देखी गई। जनगणना 2011 के अनुसार, दिल्ली की लगभग 97.50 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में और शेष 2.5 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।

➤	पिछले दशक के दौरान दिल्ली में जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर 2.12 प्रतिशत प्रति वर्ष थी, जो राष्ट्रीय स्तर 0.35 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक थी।
➤	सीआरएस के तहत दिल्ली में पंजीकृत जन्म के अनुसार लिंग अनुपात सकारात्मक तस्वीर दर्शाता है, जो 2001 में 809 से बढ़कर 2022 में 929 हो गया।
➤	21 वीं सदी की शुरुआत में, 1901 में 53 प्रतिशत की तुलना में 93 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में थी।
➤	अखिल भारतीय स्तर पर जनसंख्या वृद्धि 2021 और 2036 के बीच 11.69 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि इसी अवधि के दौरान दिल्ली के लिए 29.26 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

अध्याय 20

दिल्ली में गरीबी रेखा

गरीबी एक ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्तियों या समुदायों के पास संसाधनों, योग्यता और अवसरों का अभाव होने के कारण वे जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। गरीबी उन मुद्दों में से एक है जो समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, सरकारों, सिविल सोसायटी संगठनों तथा मानव कल्याण और विकास से संबंधित लगभग सभी अन्य संगठनों को आकर्षित करते रहे हैं। यह एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है, जिसमें कोई व्यक्ति आरामदायक जीवनशैली के लिए समुचित जीवन स्तर बनाए रखने में नाकामयाब हो जाता है।

1. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण शहरों संगठन के 68वें दौर (जून 2011 से जुलाई 2012) के आधार पर योजना आयोग ने गांवों और शहरों में गरीबी रेखा की राज्यवार रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके अनुसार दिल्ली में ग्रामीण गरीबी रेखा का स्तर 1145 रुपये और शहरों में 1134 रुपये होने का अनुमान व्यक्त किया गया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यह क्रमशः 816 रुपये और 1000 रुपये है। दिल्ली की विशिष्ट गरीबी रेखा, विवरण 20.1 में दी गई है।

विवरण 20.1

दिल्ली की गरीबी रेखा का स्तर

(प्रतिव्यक्ति मासिक रु.)

क्र सं	वर्ष	ग्रामीण	शहरी
1.	1973-74	49.95	67.95
2.	1977-78	59.37	80.17
3.	1983	88.57	123.29
4.	1987-88	122.90	176.91
5.	1993-94	233.79	309.48
6.	1996-97	289.31	404.96
7.	1999-2000	362.68	454.11
8.	2004-2005	541.39	642.47
9.	2009-10	747.80	1040.3
10.	2011-12	1145.00	1134.00

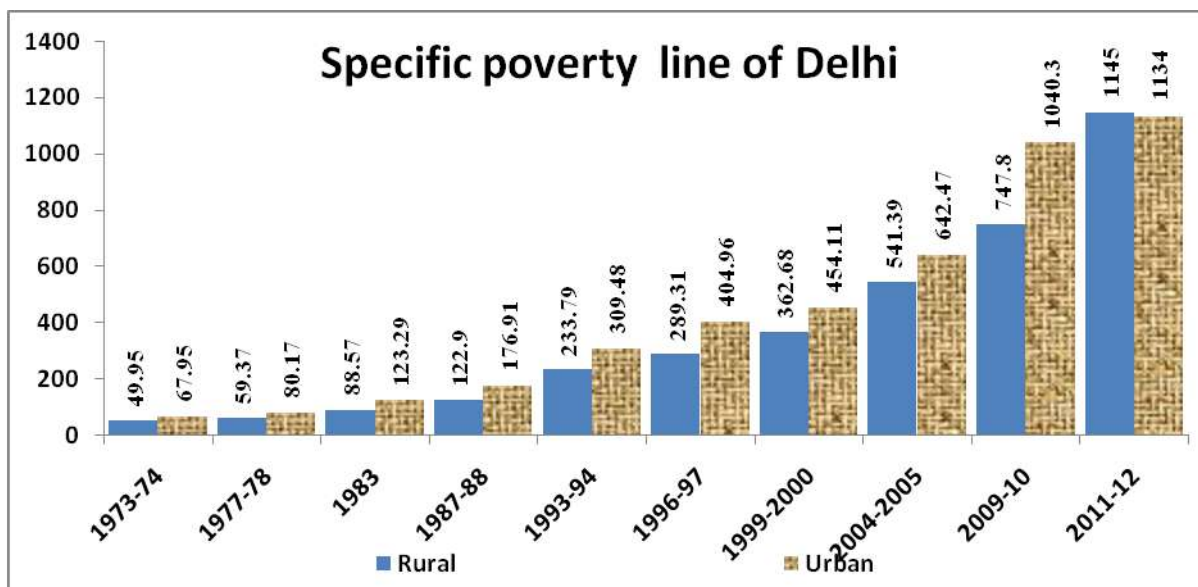
स्रोत : योजना आयोग (नीति आयोग), भारत सरकार

2. विवरण 20.1 से स्पष्ट पता चलता है कि वर्ष 2011-2012 के दौरान योजना आयोग के निर्धारकों के अनुसार न्यूनतम जीवन-स्तर बनाए रखने के लिए शहरी दिल्ली में हर व्यक्ति को प्रतिमाह 1134 रुपये की जरूरत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह राशि प्रति व्यक्ति 1145 रुपये प्रतिमाह आंकी गई। उपरोक्त कथन स्पष्ट रूप से इसका संकेत देता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह अपेक्षित राशि में प्रति वर्ष पर्याप्त वृद्धि हुई है। दिल्ली की विशिष्ट गरीबी रेखा के बारे में जानकारी चार्ट 20.1 में दर्शायी गई है।

चार्ट 20.1

दिल्ली की विशिष्ट गरीबी रेखा

(प्रतिव्यक्ति मासिक रु.)



3. 1973–2012 के दौरान दिल्ली में गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वालों की संख्या के बारे में जानकारी विवरण 20.2 में प्रस्तुत की गयी है।

विवरण 20.2

दिल्ली में गरीबी रेखा से नीचे के लोग – शहरी और ग्रामीण

(संख्या लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	शहरी		ग्रामीण		कुल	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	1973-74	21.78	95.36	1.06	4.64	22.84	100.0 (49.61)
2.	1977-78	16.81	92.57	1.35	7.43	18.16	100.0 (33.23)
3.	1983	17.95	97.61	0.44	2.39	18.39	100.0 (26.22)
4.	1987-88	10.15	99.02	0.10	0.98	10.25	100.0 (12.41)
5.	1993-94	15.32	98.78	0.19	1.22	15.51	100.0 (14.69)
6.	1999-2000	11.42	99.39	0.07	0.61	11.49	100.0 (8.23)
7.	2004-2005	18.9	93.10	1.4	6.90	20.4	100.0 (13.1)
8.	2009-10	22.9	98.28	0.30	1.29	23.3	100.0 (14.2)
9.	2011-12	16.46	97.05	0.50	2.95	16.96	100.0 (9.91)

स्रोत : दिल्ली सांख्यिकीय हैंडबुक

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल जनसंख्या के प्रतिशत से संबंधित हैं।

4. विवरण 20.2 और 20.3 से यह स्पष्ट है कि 1973–74 के दौरान दिल्ली की करीब आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। 2011–12 में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 16.96 लाख होने का अनुमान लगाया गया था जो दिल्ली की कुल आबादी का 9.91 प्रतिशत है। 1999–2000 में दिल्ली की कुल जनसंख्या में से गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वालों की संख्या घटकर 8 प्रतिशत के एकअंकीय स्तर पर आ गयी। भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की

सरकार द्वारा शुरू किये गये विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की वजह से भारत और दिल्ली में गरीबी के स्तर में भारी गिरावट आयी है। दिल्ली और राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी के स्तर में गिरावट के विभिन्न कारण हैं, जैसे सेवा क्षेत्र में भारी विकास। अध्ययन की अवधि के दौरान भारत और दिल्ली में गरीबी के स्तर के बारे में सूचना विवरण 20.3 में दी गयी है।

विवरण 20.3

दिल्ली और भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग

(प्रतिशत)

क्र. सं.	वर्ष	भारत	दिल्ली
1.	1973-74	54.88	49.61
2.	1977-78	51.32	33.23
3.	1983	44.48	26.22
4.	1987-88	38.26	12.41
5.	1993-94	35.97	14.69
6.	1999-2000	26.10	8.23
7.	2004-2005	37.2	13.1
8.	2009-2010	29.8	14.2
9.	2011-2012	21.92	9.91

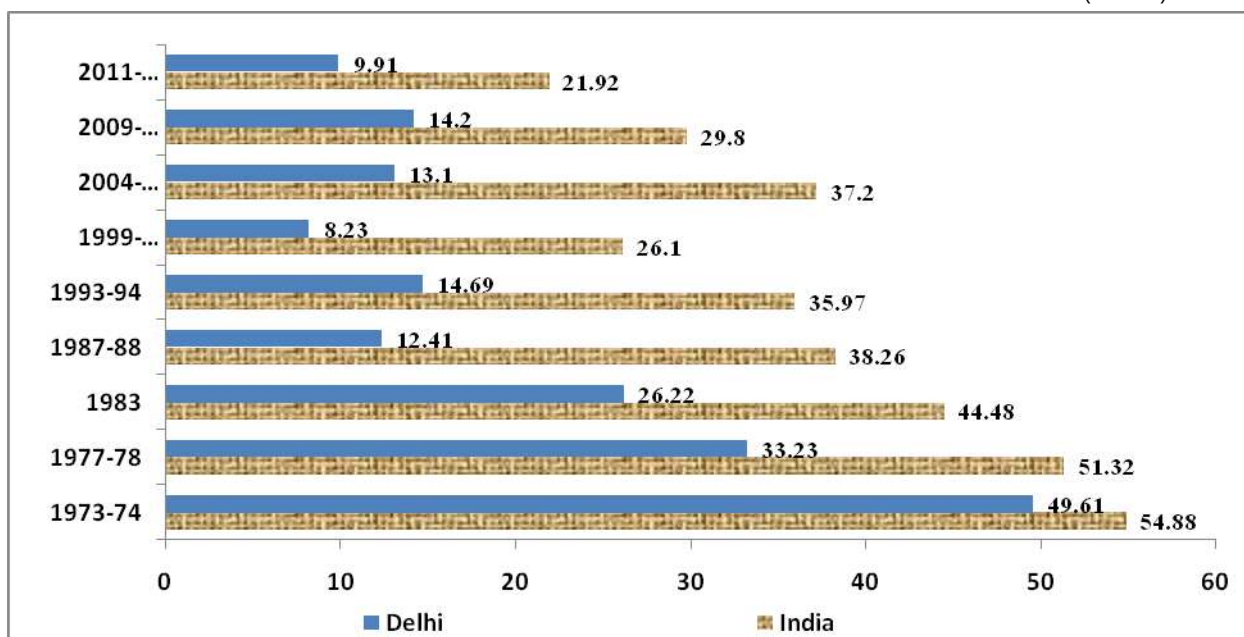
स्रोत : दिल्ली सांख्यिकीय हैंडबुक

5. विवरण 20.3 में यह देखा जा सकता है कि अध्ययन की अवधि के दौरान दिल्ली की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वालों का प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर से हमेशा कम रहा है। 2011-12 के दौरान देश की 21.92 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी, जबकि दिल्ली के लिए यह संख्या 9.91 प्रतिशत थी। भारत और दिल्ली में 1973-74 से 2011-12 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या के बारे में जानकारी चार्ट 20.2 में दी गयी है।

चार्ट 20.2

दिल्ली और भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले

(प्रतिशत)



घरेलू उपभोक्ता व्यय का अर्थ है किसी परिवार द्वारा संदर्भ अवधि के दौरान घरेलू खपत पर किया गया व्यय। यह वस्तुओं के विभिन्न समूहों जैसे भोजन, ईंधन, प्रकाश, कपड़े, जूते, विविध माल व सेवाओं और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग का कुल मौद्रिक मूल्य है। एकत्र की गई जानकारी में संदर्भ अवधि के दौरान परिवार के स्तर पर घरेलू उपभोग की जाने वाली सभी वस्तुओं (यानी वस्तु और सेवाओं) के मौद्रिक मूल्य का योग शामिल है। यह न केवल परिवार की स्थिति तय करने के लिए उपयोगी है, बल्कि शोधकर्ताओं को गरीबी रेखा, पोषण की स्थिति, भोजन की पर्याप्तता आदि पर आगे के अध्ययन के लिए आवश्यक विवरण प्रदान करने के लिए भी उपयोगी है। ये राज्य स्तर पर जनसंख्या के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न स्तरों पर विवरण के प्राथमिक स्रोत हैं। घरेलू उपभोक्ता व्यय घरेलू खपत की मात्रा और मूल्य के बारे में जानकारी एकत्रित करता है। किसी परिवार के लिए खाद्य और गैर-खाद्य पदार्थों के लिए मासिक प्रति व्यक्ति व्यय इसके कुल खपत व्यय को इसके आकार से विभाजित किया जाता है और प्रति माह (30 दिन) के आधार पर व्यक्त किया जाता है।

- 6.1 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा समय-समय पर कराये जाने वाले सर्वेक्षणों के दौरों के आधार पर अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय “दिल्ली के घरेलू उपभोक्ता खर्च का स्तर और स्वरूप” नाम की एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। 63वें दौर (जुलाई 2006–जून 2007), 64वें दौर (जुलाई 2007–जून 2008), 66वें दौर (जुलाई 2009–जून 2010) और 68वें दौर (जुलाई 2011–जून 2012) के अनुसार खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं पर प्रति व्यक्ति खर्च के बारे में जानकारी विवरण 20.4 में दी गयी है।

विवरण 20.4

दिल्ली में खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं पर प्रति व्यक्ति मासिक व्यय

क्र सं	दौर/क्षेत्र	खाद्य	खाद्येतर	कुल
1.	63 वां दौर (जुलाई 2006–जून 2007)			
	क. शहरी	733.53	1238.66	1972.19
	ख. ग्रामीण	553.05	751.22	1304.27
	ग. कुल	697.40	1141.07	1838.47
2	64वां दौर (जुलाई 2007–जून 2008)			
	क. शहरी	770.21	1307.83	2078.04
	ख. ग्रामीण	740.72	962.58	1703.30
	ग. कुल	767.72	1278.71	2046.43
3	66वां दौर (जुलाई 2009–जून 2010)			
	क. शहरी	1036.21	1868.66	2904.87
	ख. ग्रामीण	771.28	989.75	1761.03
	ग. कुल	1014.48	1796.57	2811.05
4	68वां दौर (जुलाई 2011–जून 2012)			
	क. शहरी	1489.02	2352.52	3841.54
	ख. ग्रामीण	1182.74	1378.41	2561.16
	ग. कुल	1461.54	2265.12	3726.66

स्रोत: डीईएस, राराक्षे, दिल्ली सरकार

- 6.2 विवरण 20.4 से यह अर्थ निकाला जा सकता है कि सभी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों (एनएसएस) में गैर खाद्य वस्तुओं पर प्रति व्यक्ति खर्च खाद्य वस्तुओं की अपेक्षा कहीं अधिक था। 68वें दौर के दौरान कुल प्रति व्यक्ति व्यय 66वें एनएसएस दौर की तुलना में 32.57 प्रतिशत बढ़ गया है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 68वें दौर के अनुसार खाद्य वस्तुओं पर प्रति व्यक्ति खर्च 39.22 प्रतिशत रहा और बाकी 60.78 प्रतिशत गैर खाद्य वस्तुओं पर हुआ।
- 6.3 खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं पर औसत मासिक घरेलू खर्च के बारे में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आखिरी चार दौरों में प्राप्त सूचना (परिवार का औसत आकार 4.06) विवरण 20.5 में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण 20.5
दिल्ली में औसत मासिक घरेलू खर्च

क्र सं	दौर/क्षेत्र	खाद्य	खाद्येतर	कुल
1.	63 वां दौर (जुलाई 2006–जून 2007)			
	क. शहरी	3312.26	5593.14	8905.40
	ख. ग्रामीण	2929.21	3978.85	6908.06
	ग. कुल	3244.89	5309.22	8554.11
2.	64वां दौर (जुलाई 2007–जून 2008)			
	क. शहरी	3445.38	5850.37	9295.75
	ख. ग्रामीण	3308.01	4298.86	7606.87
	ग. कुल	3433.78	5719.28	9153.06
3.	66वां दौर (जुलाई 2009–जून 2010)			
	क. शहरी	4407.12	7947.66	12354.78
	ख. ग्रामीण	3647.99	4681.26	8329.25
	ग. कुल	4350.66	7704.73	12055.40
4.	68वां दौर (जुलाई 2011–जून 2012)			
	क. शहरी	6055.23	9566.70	15621.93
	ख. ग्रामीण	4696.16	5473.08	10169.24
	ग. कुल	5930.61	9191.34	15121.95

स्रोत: डीईएस, राराक्षे दिल्ली सरकार

- 6.4 विवरण 20.5 से यह देखा जा सकता है कि दिल्ली में 66वें दौर के मुकाबले में 68वें दौर खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं पर औसत मासिक घरेलू खर्च 25.44 प्रतिशत बढ़ा। गैर खाद्य वस्तुओं पर औसत मासिक घरेलू खर्च 68वें दौर में 60.78 प्रतिशत रहा जो 68वें दौर के गैर खाद्य वस्तुओं के प्रति व्यक्ति मासिक खर्च के बराबर ही है।
- 6.5 शहरी दिल्ली और शहरी भारत में खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता खर्च की जानकारी विवरण 20.6 में प्रदर्शित की गई है।

विवरण 20.6

शहरी दिल्ली और शहरी भारत में 2011-12 में खाद्य और खाद्येतर वस्तुओं की मासिक प्रति व्यक्ति व्यय का प्रतिशत वितरण

क्र. सं.	मद	शहरी	
		दिल्ली	भारत
(I)	खाद्य वस्तुएँ		
1.	अनाज	4.59	6.61
2.	चना	0.12	0.11
3.	अनाज के प्रतिस्थानी	0.00	0.05
4.	दलहन और उनके उत्पाद	1.21	1.93
5.	दूध और उसके उत्पाद	10.69	7.01
6.	चीनी	0.97	1.04
7.	नमक	0.07	0.10
8.	खाद्य तेल	1.95	2.66
9.	अंडा, मछली और मांस	1.47	3.65
10.	सब्जियाँ	4.59	4.63
11.	फल (ताजा)	2.40	2.64
12.	फल (मेवा)	0.66	0.78
13.	मसाले	1.53	2.42
14.	पेय पदार्थ, रिफ्रेशमेंट, आदि	8.50	8.98
15.	खाद्य : कुल (1-14)	38.76	42.62
(II)	गैर खाद्य वस्तु		
16.	पान/तम्बाकू/मादक पदार्थ	1.02	1.61
17.	ईंधन और प्रकाश	6.30	6.69
18.	वस्त्र और बिस्तर	6.29	5.37
19.	जूते	1.26	1.00
20.	शिक्षा	7.65	6.90
21.	चिकित्सा (संस्थागत)	1.23	1.96
22.	चिकित्सा (गैर-संस्थागत)	1.92	3.58
23.	मनोरंजन	1.77	1.61
24.	लघु टिकाऊ वस्तुएं	0.59	0.30
25.	प्रसाधन वस्तुएं	2.14	2.11
26.	अन्य घरेलू उपभोज्य वस्तुएं	1.96	1.78
27.	वाहन को छोड़कर उपभोक्ता सेवाएं	6.97	5.60
28.	वाहन	8.86	6.52
29.	किराया	5.80	6.24
30.	कर एवं शुल्क	1.48	0.82
31.	टिकाऊ वस्तुएं	6.01	5.30
32.	गैर खाद्य कुल (16-31)	61.24	57.38
33.	कुल व्यय (15+32)	100.00	100.00

स्रोत : शहरी दिल्ली के लिए-अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, साराक्षे, दिल्ली सरकार, और शहरी भारत के लिए : एमओएसपीआई, भारत सरकार (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण का 68वां दौर 2011-12)

- 6.6 विवरण 20.6 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शहरी दिल्ली में परिवारों द्वारा खर्च हर 100 रुपये में से 38.76 रुपये खाद्य वस्तुओं पर और बाकी 61.24 रुपये गैर खाद्य वस्तुओं पर खर्च हुए। शहरी भारत के लिए यह खर्च खाद्य और गैर-खाद्य पदार्थों के लिए क्रमशः 42.62 रुपये और 57.38 रुपये रहा।

7. गरीबी उन्मूलन के लिए की गई पहल

- 7.1 2015 के बाद से दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, बिजली और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के नागरिकों को सब्सिडी प्रदान की है। गरीब लोगों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजना/कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसे मुख्य योजनाएं/कार्यक्रम हैं:-

- वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता
- दिव्यांगों को वित्तीय सहायता
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
- संकट में महिलाओं को वित्तीय सहायता
- लाडली योजना
- बेटियों की शादी करने के लिए गरीब विधवाओं को, और अनाथ लड़कियों को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता।
- पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों को ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्गों के कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों के लिए स्टेशनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता और मेरिट छात्रवृत्ति
- मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक से संबंधित विद्यार्थियों को कॉलेज/व्यावसायिक संस्थानों में छात्रवृत्ति
- पाठ्य पुस्तकों की मुफ्त आपूर्ति
- मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों के लिए – छात्रवृत्ति और वजीफा
- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम
- पीडीएस
- दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से उपभोक्ताओं को सब्सिडी
- डिस्कॉम के माध्यम से उपभोक्ताओं को सब्सिडी
- दिल्ली भवन और अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं
- सरकारी अस्पतालों और आम आदमी मोहल्ला क्लीनिकों में मुफ्त/कम लागत वाला इलाज
- महिला यात्रियों के लिए डीटीसी/क्लस्टर बसों में मुफ्त बस सेवाएं

- 7.2 इसके अलावा, वर्ष 2017 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने विभिन्न प्रकार के कामगार/कर्मचारी अर्थात् अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और लिपिकीय और पर्यवेक्षी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को भी संशोधित और सवर्धित किया है। इस कदम से गरीबी कम करने और लाभार्थी समूह के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में मदद मिलेगी।

- दिल्ली के नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक जीवन के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सभी सब्सिडी के संचयी प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, योजना विभाग, रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार, की सहायता से सेंटर फॉर मार्केट रिसर्च एंड सोशल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मार्च, 2020 के दौरान परिवारों के 3450 नमूनों का अध्ययन किया गया था।
- अध्ययन में यह पाया गया कि पिछले तीन महीनों में, सभी सर्वेक्षित परिवार, कम या शून्य बिजली बिल द्वारा लाभान्वित हुए हैं, जबकि 76.1 प्रतिशत, कम या शून्य पानी के बिल आने पर लाभान्वित हुए हैं, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त/कम लागत वाले उपचार द्वारा 64.7 प्रतिशत लाभान्वित हुए हैं, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का लाभ 58 प्रतिशत परिवारों द्वारा उठाया गया है और 43.7 प्रतिशत परिवार, मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा की सुविधा से लाभान्वित हुए हैं।
- दिल्ली के नागरिकों को उपर्युक्त सभी सब्सिडी के कारण, अब एक परिवार में औसतन 2464/- रुपये प्रति माह की बचत हो रही है। हर महीने, प्रति परिवार में कम या शून्य बिजली बिल के कारण 715/- रुपये की, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या कम लागत वाले उपचार के कारण रुपये 693/- मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा का लाभ उठाकर रुपये 554/- कम या शून्य जल बिल के कारण रुपये 255/- तथा बस की मुफ्त सवारी का लाभ उठाकर 247/- रुपये की बचत हो रही है।
- अध्ययन में आगे कहा गया है कि यद्यपि कम या शून्य बिजली बिल के कारण अधिक संख्या में परिवारों को लाभ होता है, लेकिन एक महीने में सबसे अधिक बचत मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा (रुपए 1267/-) से होती है, इसके बाद सरकारी अस्पताल में मुफ्त या कम लागत के इलाज की सुविधा से (रुपए 1071/-) बचत होती है, फिर कम या शून्य बिजली बिल (रुपए 715/-), महिलाओं के लिए मुफ्त बस की सवारी (426/- रुपये) और कम या शून्य पानी बिल (रुपए 325/-) से बचत होती है।
- अधिकांश परिवारों (61.6%) ने सूचित किया कि उन्होंने सब्सिडी के कारण बचाए गए अतिरिक्त धन को पहले ही खर्च कर दिया है; 28.4% ने इस धन को एफडी, पोस्ट ऑफिस, बीमा, बैंक बचत, संपत्ति, आदि में निवेश किया है; और 7.2% परिवार निकट भविष्य में यह धन खर्च करने वाले हैं और 2.8% परिवारों ने सब्सिडी के कारण हुई अतिरिक्त बचत राशि को उधार दिया है।
- सब्सिडी के कारण हुई अतिरिक्त बचत राशि को पहले ही खर्च कर चुके परिवारों में से 50.7% ने उसे खाद्य और पेय पदार्थों (फल, सब्जी, दाल, चावल, आटा, चाय, कॉफी, अल्पाहार चीजों आदि) पर व्यय किया, 13.1% ने शिक्षा से संबंधित खरीद (किताबें, स्टेशनरी, परियोजना सामग्री, ट्यूशन) के लिए खर्च किया, 10.1% ने चिकित्सा उपचार और दवाओं के लिए खर्च किया/खर्च करने वाले हैं, 7.9% ने कपड़े और सामान (कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन, जूते, काले चश्मे, आभूषण आदि) के लिए व्यय किया, 7.3% परिवारों ने उपकरणों/परिसंपत्तियों (सेल फोन, टीवी, फ्रिज, मिक्सी, स्टोव, माइक्रोवेव, साइकिल, मोटरसाइकिल आदि) के लिए, 6.7%, ने मनोरंजन (फिल्मों, संगीत, पिकनिक, यात्राएं) और 4.5% परिवारों ने अन्य उद्देश्यों के लिए व्यय किया है।

8. निष्कर्ष

"नागरिकों और स्थानीय अर्थव्यवस्था की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर दिल्ली सरकार की सब्सिडी के प्रभाव के अध्ययन" के परिणामों ने दिल्ली में विभिन्न सरकारी सेवाओं के तहत दी जाने वाली सब्सिडी के प्रभाव के विभिन्न पहलुओं का आकलन किया। इस अध्ययन से पता चला

कि सब्सिडी से लाभान्वित परिवारों की बचत और व्यय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। लाभान्वित परिवारों ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली में विभिन्न सरकारी सेवाओं के तहत सब्सिडी प्रदान करने में कुछ भी बुरा नहीं है। ये लाभ आय को बनाए रखते हैं और निम्न आय समूहों के लिए बुनियादी सेवाएं प्रदान करते हैं और इस प्रकार समाज के कल्याण को बनाए रखने में मदद करते हैं। इस प्रकार, अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है कि दिल्ली में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए प्रदान की जाने वाली सब्सिडी समाज के निचले तबके के लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए जारी रखी जा सकती है।

अध्याय एक नज़र में

➤	गरीबी रेखा दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1145/- रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 1134/- रुपये अनुमानित की गई थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर क्रमशः 816/- रुपये ग्रामीण और 1000/- रुपये शहरी भारत के लिए अनुमानित की गई थी।
➤	1999-2000 में दिल्ली में गरीबी के स्तर में गिरावट आयी और यह एकल अंक में जनसंख्या का 8 प्रतिशत दर्ज हुआ।
➤	2011-12 के दौरान, भारत की 21.92 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी से नीचे थी, जबकि दिल्ली में यह 9.91 फीसदी थी।
➤	शहरी दिल्ली में परिवारों द्वारा खर्च किए गए प्रति सौ रुपये लगभग 38.76 खाद्य पदार्थों पर और शेष 61.24 गैर-खाद्य पदार्थों पर खर्च किए गए। सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 68वें दौर के अनुसार भारत में यह खर्च क्रमशः खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं के लिए 42.62 और 57.38 था।

रोज़गार और बेरोज़गारी

रोज़गार

बेरोज़गारी की दर श्रम की आपूर्ति का पूरी तरह उपयोग न हो पाने का कारगर मानदंड है। यह ऐसे लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में अर्थव्यवस्था की असमर्थता को दर्शाता है जो काम तो करना चाहते हैं, मगर कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि वे रोजगार के लिए उत्सुक हैं और इसे पाने के लिए सक्रिय प्रयास भी कर रहे हैं। बेरोज़गारी परिवारों की प्रयोज्य आय पर बुरा असर डालती है, क्रय शक्ति नष्ट करती है, कर्मचारियों का हौसला गिराती है और अर्थव्यवस्था के उत्पादन को घटा देती है। बेरोज़गारी से व्यक्ति अपनी पहचान और आत्म सम्मान खोता है, परिवार की ओर से भारी तनाव और सामाजिक दबाव जैसे अनेक नकारात्मक मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम पड़ते हैं और भविष्य में श्रम बाजार में अपनी स्थिति को लेकर भारी अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बेरोज़गारी कम होने से सरकार के ऋण कम होते हैं और आर्थिक विकास को तेज करने में मदद मिलती है। अगर बेरोज़गारों को काम मिलता है तो वे आपनी आय को खर्च भी करते हैं, जिसका अच्छा गुणक प्रभाव पड़ता है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। रोजगार से आर्थिक प्रगति और विकास को बढ़ावा मिलता है। इससे श्रमिक उपयोगी वस्तु और सेवाएं उत्पादित करते हैं जिसके लिए उन्हें मजदूरी मिलती है जिसे वे उत्पादित सामान की खरीद में खर्च कर सकते हैं।

1.1 रोजगार और बेरोज़गारी के विभिन्न घटकों, जैसे 'रोजगारशुदा', 'बेरोज़गार,' 'श्रम शक्ति,' और 'श्रम शक्ति से बाहर' की व्याख्या नीचे की गयी है।

(क) **श्रमिक (या रोजगारशुदा)** : ऐसे लोग जो संदर्भित अवधि में किसी आर्थिक गतिविधि में लगे हैं या जो आर्थिक गतिविधियों में अपनी संलग्नता के बावजूद बीमारी, घायल होने, या किसी शारीरिक अक्षमता, खराब मौसम, त्योहार—उत्सव, सामाजिक या धार्मिक आयोजन या इसी तरह के किसी अन्य आकस्मिक कारण से काम पर उपस्थित नहीं हो सके हैं, श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। पारिवारिक खेती या खेती से इतर आर्थिक गतिविधियों में बिना मजदूरी लिए मदद करने वालों को भी श्रमिक माना जाता है। सभी श्रमिकों को उनके काम के दायरे में आने वाली विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कोई एक ऐसा नाम मोटेतौर पर दे दिया जाता है जिस आर्थिक गतिविधि में वे काम कर रहे या संलग्न माने जाते हैं।

(ख) **काम ढूँढ़ रहे या काम के लिए उपलब्ध (यानी बेरोज़गार)** : ऐसे लोग जिन्होंने संदर्भित अवधि में काम की कमी के कारण कार्य नहीं किया लेकिन सेवायोजन कार्यालय, बिचौलियों, मित्रों, रिश्तेदारों या संभावित नियोक्ता से आवेदन करके काम धंधा ढूँढ़ने की कोशिश की है या मौजूदा कामकाजी हालात और मजदूरी पर काम करने की दिलचस्पी या अपनी उपलब्धता व्यक्त की है, उन्हें भी 'काम खोज रहे या काम के लिए उपलब्ध' (यानी बेरोज़गार) माना जाता है।

(ग) **श्रम शक्ति** : ऐसे लोग जो संदर्भित अवधि में 'काम कर रहे हैं' (यानी रोजगारशुदा) या 'काम ढूँढ़ रहे हैं' या काम के लिए उपलब्ध हैं' (यानी बेरोज़गार) मिलकर श्रमशक्ति का निर्माण करते हैं।

- (घ) **श्रम शक्ति से बाहर** : ऐसे लोग जो विभिन्न कारणों से संदर्भित अवधि में न तो 'काम में लगे हैं' और न 'काम खोज रहे हैं' या इसके लिए उपलब्ध हैं 'श्रमशक्ति से बाहर' माने जाते हैं। इस श्रेणी में आने वाले लोगों में विद्यार्थी, घरेलू काम करने वाले लोग, किराये पर निर्वाह करने वाले, पेंशनर, प्रेषण से प्राप्त धनराशि पर निर्वाह करने वाले, भिक्षावृत्ति करने वाले, दुर्बल और दिव्यांगजन, बहुत छोटे बच्चे या बहुत वृद्ध लोग, वेश्यावृत्ति में लगे लोग आदि, और बीमारी की वजह से काम नहीं कर रहे कैजुवल श्रमिक इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

- 1.2 2001 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या 138.50 लाख थी। 2011 की जनगणना में यह बढ़कर 167.88 लाख हो गई! इससे पता चलता है कि 2001 से 2011 के बीच दिल्ली की जनसंख्या औसतन 2.12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी है। इसी अवधि में दिल्ली की कुल जनसंख्या में कामगारों का अनुपात भी 0.46 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। 1981–2011 के दौरान समूचे भारत में और दिल्ली में कुल जनसंख्या तथा श्रमिक जनसंख्या और गैर-श्रमिक जनसंख्या के बारे में जानकारी विवरण 21.1 में दी गई है।

विवरण 21.1

भारत और दिल्ली में श्रमिक और गैर श्रमिक 1981–2011

(लाख में)

क्र. स.	विवरण	1981		1991		2001		2011	
		भारत	दिल्ली	भारत	दिल्ली	भारत	दिल्ली	भारत	दिल्ली
1.	कुल कामगार	2446.04 (35.70)	20.02 (32.19)	3141.30 (37.11)	29.80 (31.63)	4023.60 (39.11)	45.45 (32.82)	4818.90 (39.79)	55.87 (33.28)
2.	गैर कामगार	4405.81 (64.30)	42.18 (67.81)	5322.61 (62.89)	64.41 (68.37)	6262.51 (60.89)	93.05 (67.18)	7289.7 (60.21)	112.00 (66.72)
3.	कुल जनसंख्या	6851.85 (100.00)	62.20 (100.00)	8463.91 (100.00)	94.21 (100.00)	10286.11 (100.00)	138.50 (100.00)	12108.6 (100.00)	167.87 (100.00)

स्रोत : भारत की जनगणना, 1981, 1991, 2001 और 2011

नोट : कोष्ठक में दिए आंकड़े कुल जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

- 1.3 विवरण 21.1 से पता चलता है कि 1981 में दिल्ली में काम धंधे में लगे लोगों का प्रतिशत 32.19 था जो 1991 में घटकर 31.63 प्रतिशत और 2001 में मामूली बढ़कर 32.82 प्रतिशत और 2011 में बढ़ कर 33.28 प्रतिशत हो गया। 1981–2011 के दौरान दिल्ली में रोजगार में लगे लोगों की संख्या में 5.96 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि हुई जबकि गैर श्रमिकों की संख्या में 5.51 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई। इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर भी समान प्रवृत्ति रही, जहां श्रमिकों की वृद्धि गैर-श्रमिकों से अधिक थी, और वार्षिक अंतराल 1.05 प्रतिशत था। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर और दिल्ली में, दोनों जगह रोजगार में लगे लोगों की हिस्सेदारी बढ़ी है। चूंकि दिल्ली देश के पूर्ण शहरीकरण वाले राज्यों में से है, इसलिए रोजगार में लगे लोगों और गैर श्रमिकों की वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर की दर से ज्यादा है। इसी अवधि में जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ दिल्ली में रोजगार में लगे और गैर श्रमिक लोगों का प्रतिशत योगदान भी बढ़ा। 1981–2011 के दौरान दिल्ली और भारत में रोजगार में लगे और गैर श्रमिक लोगों की संख्या में वृद्धि का और ब्यौरा विवरण 21.2 में दिया गया है।

विवरण 21.2
भारत और दिल्ली में श्रमिक और गैर श्रमिक लोगों की संख्या में वृद्धि 1981-2011

क्र. स.	विवरण	1981-91		1991-2001		2001-2011		1981-2011	
		भारत	दिल्ली	भारत	दिल्ली	भारत	दिल्ली	भारत	दिल्ली
1.	श्रमिक								
	क. पूर्ण वृद्धि (लाख)	695.26	9.78	882.30	15.65	795.3	10.42	2372.8	35.85
	ख. वृद्धि (प्रतिशत)	28.42	48.85	28.09	52.5	19.7	22.9	97.0	179.0
2.	गैर-श्रमिक								
	क. पूर्ण वृद्धि (लाख)	916.80	22.23	939.90	28.64	1027.19	18.95	2883.8	69.82
	ख. वृद्धि (प्रतिशत)	20.81	52.70	17.66	44.47	16.40	20.36	65.45	165.5
3.	कुल								
	क. पूर्ण वृद्धि (लाख)	1612.06	32.01	1822.20	44.29	1822.49	29.37	5256.75	105.67
	ख. वृद्धि (प्रतिशत)	23.53	51.46	21.53	47.01	17.7	21.2	76.7	169.88

स्रोत : भारत की जनगणना 1981, 1991, 2001 और 2011

- 1.4 जनगणना के अनुसार मुख्य श्रमिक वे थे जो वर्ष के दौरान 183 दिनों (या 6 महीने) या ज्यादा के लिए आर्थिक दृष्टि से किसी उत्पादक गतिविधि में लगे हुए थे। सीमान्त श्रमिक वे थे जो वर्ष में 183 दिन (या छह महीने) से भी कम अवधि तक ही काम पाते थे। आमतौर पर श्रमिक वर्ग में मुख्य और सीमान्त, दोनों ही प्रकार के श्रमिक शामिल हैं। पिछली छह जनगणना के दौरान श्रमिकों (मुख्य और सीमान्त दोनों), गैर श्रमिकों और दिल्ली की जनसंख्या के आंकड़े विवरण 21.3 में दिए गए हैं।

विवरण 21.3
दिल्ली में श्रमिक, गैर-श्रमिक और जनसंख्या : 1961-2011

(संख्या में)

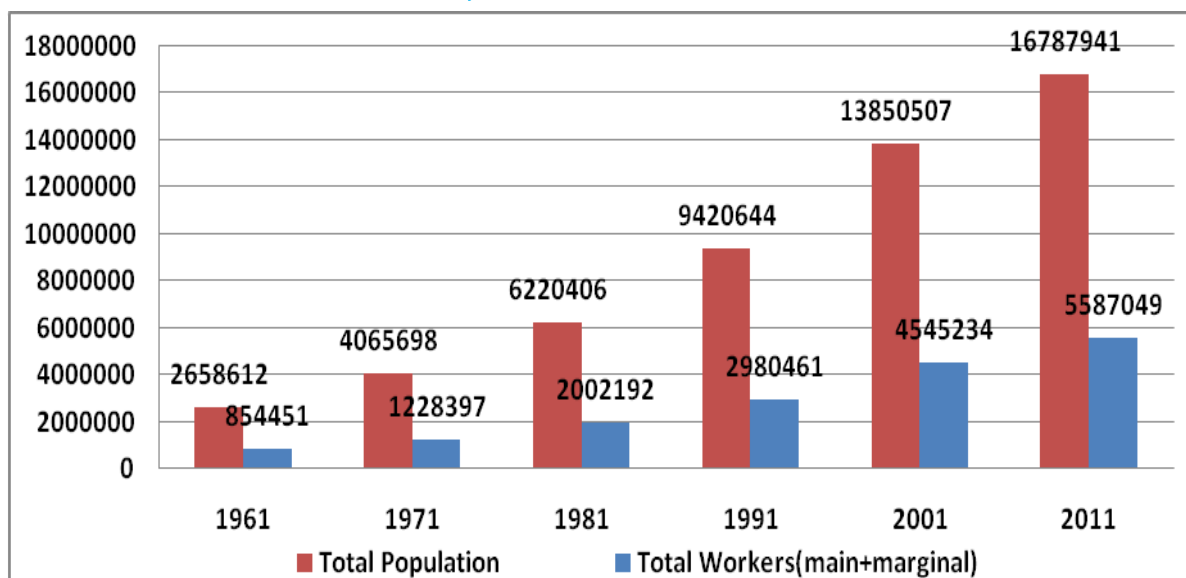
क्र. स.	वर्ष	श्रमिक			गैर-श्रमिक	कुल जनसंख्या
		मुख्य	सीमान्त	कुल		
1.	1961	लागू नहीं	लागू नहीं	854451 (32.14)	1804161 (67.86)	2658612
2.	1971	लागू नहीं	लागू नहीं	1228397 (30.21)	2837301 (69.79)	4065698
3.	1981	1986399 (31.94)	15793 (0.25)	2002192 (32.19)	4218214 (67.81)	6220406
4.	1991	2968377 (31.51)	12084 (0.13)	2980461 (31.64)	6440183 (68.36)	9420644
5.	2001	4317516 (31.17)	227718 (1.65)	4545234 (32.82)	9305273 (67.18)	13850507
6.	2011	5307329 (31.61)	279720 (1.67)	5587049 (33.28)	11200892 (66.72)	16787941

स्रोत : भारत की जनगणना, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011

नोट : कोष्ठक में दिए आंकड़े कुल जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

- 1.5 विवरण 21.3 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दिल्ली की जनसंख्या का एक तिहाई हिस्सा ही बाकी दो तिहाई लोगों की भी देख-रेख करता है। इसे आमतौर पर श्रमिक वर्ग का निर्भरता बोझ कहा जाता है। उपरोक्त तालिका से यह भी देखा जा सकता है कि 1961 और 1971 की जनगणनाओं में मुख्य और सीमान्त श्रमिकों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई और उन्हें केवल श्रमिकों के वर्गों में दिखाया गया है। पिछली जनगणना में दिल्ली में श्रमिकों की कुल संख्या का सर्वाधिक 5 प्रतिशत सीमांत श्रमिक के रूप में दर्शाए गए। 1961–2011 के दौरान दिल्ली में श्रमिकों, गैर-श्रमिकों और जनसंख्या के आंकड़े चार्ट 21.1 में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 21.1
दिल्ली में श्रमिक एवं गैर श्रमिक और जनसंख्या : 1961–2011



- 1.6 शहरीकृत क्षेत्रों में आमतौर पर देखा गया है कि प्राथमिक कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत बहुत ही कम है। दिल्ली में भी यही स्थिति दिखाई देती है जहां सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है। 2011 में दिल्ली में श्रमिकों की श्रेणीवार जानकारी (मुख्य और सीमान्त दोनों प्रकार के श्रमिकों के बारे में) विवरण 21.4 में दी गई है।

विवरण 21.4
दिल्ली में श्रमिकों की श्रेणीवार संख्या-2011

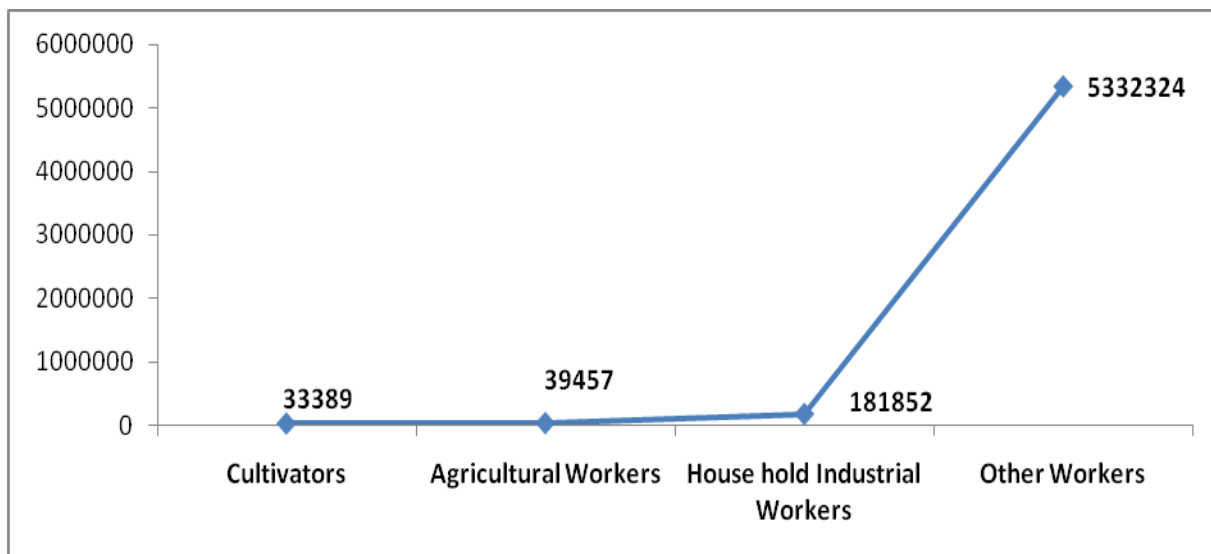
क्र.स.	श्रमिकों की श्रेणी	श्रमिक (संख्या)			कुल श्रमिकों का प्रतिशत
		पुरुष	महिला	कुल	
1.	कृषक	27458	5940	33389	0.60
2.	खेतिहर मज़दूर	31352	8123	39457	0.71
3.	घरेलू औद्योगिक श्रमिक	152758	29094	181852	3.25
4.	अन्य श्रमिक	4550458	781866	5332324	95.44
5.	कुल श्रमिक	4762026	825023	5587049	100.00

स्रोत: दिल्ली स्टैटिस्टिकल हैंडबुक, 2019; जनगणना 2011

- 1.7 विवरण 21.4 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 2011 में दिल्ली में कुल श्रमिकों में से महिला श्रमिकों का प्रतिशत कम था और उनकी संख्या लगभग 15 प्रतिशत थी। दिल्ली के श्रमिकों में बड़ा हिस्सा अन्य श्रमिकों का था जिनमें औद्योगिक तथा तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों में लगे श्रमिक शामिल थे, जिनकी कुल श्रमिक संख्या में भागीदारी 95 प्रतिशत थी। दिल्ली में श्रमिकों की श्रेणीवार जानकारी चार्ट 21.2 में दी गई है।

चार्ट 21.2

दिल्ली में श्रमिकों की श्रेणीवार संख्या-2011



2. दिल्ली में रोजगार सर्वेक्षण :

- 2.1 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) अपने विभिन्न दौर के अध्ययनों के ज़रिये रोजगार में लगी और बेरोजगार, दोनों प्रकार की श्रमशक्ति के विशेष पहलुओं की जानकारी एकत्र करता है। एनएसएसओ के सर्वेक्षणों के विभिन्न दौर में दिल्ली के बारे में एकत्र जानकारी विवरण 21.5 में दर्शायी गई है।

विवरण 21.5

दिल्ली में रोजगार एनएसएस दौर (राज्य प्रतिदर्श)

(लाख)

क्र.स.	एनएसएसओ के दौर	अनुमानित आबादी	नियोजित व्यक्ति	कुल अनुमानित आबादी में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत
1.	55वां दौर (जुलाई 1999—जून 2000)	132.98	38.94	29.29
2.	57वां दौर (जुलाई 2001—जून 2002)	139.50	41.75	29.93
3.	59वां दौर (जनवरी—दिसम्बर 2003)	148.28	45.49	30.68
4.	60वां दौर (जनवरी—जून 2004)	151.28	48.57	32.11
5.	61वां दौर (जुलाई 2004—जून 2005)	155.69	50.55	32.47
6.	62वां दौर (जुलाई 2005—जून 2006)	160.21	54.26	33.87
7.	64वां दौर (जुलाई 2007—जून 2008)	169.55	57.08	33.66
8.	66वां दौर (जुलाई 2009—जून 2010)	163.54	52.97	32.39
9.	68 वां दौर (जुलाई 2011—जून 2012)	170.89	57.06	33.39

स्रोत : अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा. क्षे. दिल्ली सरकार

2.2 विवरण 21.5 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 1999–2000 में 55वें दौर के सर्वेक्षण के वक्त जहां दिल्ली में रोजगार में लगे लोगों की अनुमानित संख्या 38.94 लाख थी, वहीं 2011–12 में 68वें दौर के सर्वेक्षण के समय यह बढ़कर 57.06 लाख हो गई। एनएसएसओ के 64वें और 66वें दौर के सर्वेक्षणों को छोड़कर अन्य सभी सर्वेक्षणों में दिल्ली की कुल जनसंख्या में रोजगार में लगे लोगों का प्रतिशत लगातार बढ़ा है और यह अंतर क्रमशः 0.21 प्रतिशत और 1.27 प्रतिशत रहा है। एनएसएसओ सर्वेक्षणों के अनुसार दिल्ली में रोजगार संबंधी जानकारी चार्ट 21.3 में दर्शायी गई है।

चार्ट 21.3

दिल्ली में रोजगार की स्थिति— एनएसएस दौर के अनुमानों (राज्य प्रतिदर्श) के अनुसार

(लाख)



स्रोत : अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा. क्षे. दिल्ली सरकार

2.3 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) की सिफारिश पर पहला आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जुलाई 2017 से जून 2018 के दौरान किया गया था और उसके बाद से यह सर्वेक्षण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्य श्रम बल भागीदारी और रोजगार की स्थिति का आकलन करना है।

दिल्ली में 2020–21, 2021–22 और 2022–23 के दौरान श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात और बेरोजगारी दर के बारे में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

विवरण 21.6 (क)

दिल्ली में सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार 2020-21 से 2022-23 के दौरान अनुमानित क्षेत्रवार श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात और बेरोजगारी दर (सभी आयु वर्ग के लिए) प्रतिशत में

क्र.स.	वर्ष	लिंग	श्रम बल भागीदारी दर			श्रमिक जनसंख्या अनुपात			बेरोजगारी दर		
			ग्रामीण	शहरी	सभी	ग्रामीण	शहरी	सभी	ग्रामीण	शहरी	सभी
1.	2020-21	पुरुष	55.8	58.1	58.0	52.3	54.4	54.4	6.3	6.2	6.2
		स्त्री	6.9	10.8	10.7	6.8	10.1	10.0	1.1	6.5	6.4
		सभी	34.4	36.0	36.0	32.4	33.8	33.7	5.8	6.3	6.3
2.	2021-22	पुरुष	63.7	57.2	57.5	61.0	54.3	54.5	4.3	5.2	5.1
		स्त्री	6.0	9.5	9.4	6.0	8.9	8.8	0.0	6.2	6.0
		सभी	35.6	34.8	34.8	34.2	32.9	33.0	3.9	5.3	5.3
3.	2022-23	पुरुष	57.6	57.0	57.1	51.4	56.1	56.0	10.7	1.6	1.8
		स्त्री	2.9	11.6	11.3	2.9	11.3	11.1	0.0	2.2	2.2
		सभी	30.5	35.9	35.7	27.4	35.3	35.0	10.2	1.7	1.9

स्रोत – वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2020-21, 2021-22 और 2022-23, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार। संदर्भ अवधि – जुलाई से जून

ऊपर दिये गये विवरणों में यह देखा जा सकता है कि दिल्ली में 2020-2021 के दौरान बेरोजगारी दर 6.3 प्रतिशत थी, जो 2022-23 में घट कर 1.9 प्रतिशत रह गई।

रोजगार उद्योग (एनआईसी-2008 का उद्योग अनुभाग) के अनुसार वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए सामान्य कामकाजी व्यक्तियों (पीएस+एसएस) का प्रतिशत वितरण अगले विवरण में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण 21.6 (ख)

विवरण : रोजगार उद्योग (एनआईसी-2008 का उद्योग अनुभाग) के अनुसार वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए सामान्य कामकाजी व्यक्तियों (पीएस+एसएस) का प्रतिशत वितरण

वर्ष	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	व्यक्ति (ग्रामीण+शहरी)			
		कृषि क्षेत्र (एनआईसी 2008 का प्रभाग 01-03)	द्वितीयक क्षेत्र (एनआईसी 2008 का प्रभाग 05-43)	तृतीयक क्षेत्र (एनआईसी 2008 का प्रभाग 45-99)	सभी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2021-22	दिल्ली	1.89	32.74	65.35	100.0
	अखिल भारत	45.46	24.88	29.66	100.0
2022-23	दिल्ली	0.28	32.76	66.94	100.0
	अखिल भारत	45.76	25.30	28.93	100.0

स्रोत - वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2021-22 और 2022-23, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, के आधार पर परिगणित। संदर्भ अवधि - जुलाई से जून

*उद्योग अनुभाग यू (प्रभाग 99) एनआईसी 2008 के लिए कोई प्रतिदर्श पर्यवेक्षित नहीं किया गया।

नोट :

व्यापक ढांचा
(अनुभाग और प्रभाग)
एनआईसी-2008

1. कृषि क्षेत्र: (प्रभाग 01 - 03)

➤ अनुभाग क : कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग (प्रभाग 01 - 03)

2. द्वितीयक क्षेत्र : (प्रभाग 05 - 43)

➤ अनुभाग ख : खनन और उत्खनन (प्रभाग 05 - 09)

➤ अनुभाग ग : विनिर्माण (प्रभाग 10 - 33)

➤ अनुभाग घ : बिजली, गैस, भाप और एयर कंडीशनिंग आपूर्ति (प्रभाग 35)

➤ अनुभाग ङ : जल आपूर्ति; सीवरेज, अपशिष्ट प्रबंधन और उपचार गतिविधियाँ (प्रभाग 36 - 39)

➤ अनुभाग च : निर्माण (प्रभाग 41 - 43)

3. तृतीयक क्षेत्र : (प्रभाग 45 – 99)

- अनुभाग छ : थोक और खुदरा व्यापार; मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों की मरम्मत (प्रभाग 45 – 47)
- अनुभाग ज : परिवहन और भंडारण (प्रभाग 49 – 53)
- अनुभाग झ : आवास और खाद्य सेवा गतिविधियाँ (प्रभाग 55 – 56)
- अनुभाग ञ : सूचना और संचार (प्रभाग 58 – 63)
- अनुभाग ट : वित्तीय और बीमा गतिविधियाँ (प्रभाग 64 – 66)
- अनुभाग ठ : रियल एस्टेट गतिविधियाँ (प्रभाग 68)
- अनुभाग ड : व्यावसायिक, वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियाँ (प्रभाग 69 – 75)
- अनुभाग ढ : प्रशासनिक और सहायता सेवा गतिविधियाँ (प्रभाग 77 – 82)
- अनुभाग ण : लोक प्रशासन और रक्षा; अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा (प्रभाग 84)
- अनुभाग त : शिक्षा (प्रभाग 85)
- अनुभाग थ : मानव स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य गतिविधियाँ (प्रभाग 86 – 88)
- अनुभाग द : कलाएं, मनोरंजन और मनोविनोद (प्रभाग 90 – 93)
- अनुभाग ध : अन्य सेवा गतिविधियाँ (प्रभाग 94 – 96)
- अनुभाग न : नियोजित के रूप में परिवारों की गतिविधियाँ; परिवारों का स्वयं के उपयोग के लिए अविभाजित वस्तुएं— और सेवाएं का उत्पादन (प्रभाग 97 – 98)
- अनुभाग प : बाह्यक्षेत्रीय संगठनों और निकायों की गतिविधियाँ (प्रभाग 99)

उपरोक्त कथन से यह देखा गया है कि दिल्ली में, 2022–23 में केवल 0.28% कामकाजी व्यक्ति (पीएस+एसएस) कृषि क्षेत्र में लगे हुए थे और 66.94% कामकाजी व्यक्ति तृतीयक क्षेत्र में लगे हुए थे। परंतु, इसके साथ ही, अखिल भारतीय स्तर पर, 45.76% कामकाजी व्यक्ति कृषि क्षेत्र में लगे हुए थे और जबकि 28.93% कामकाजी व्यक्ति तृतीयक क्षेत्र में लगे हुए थे।

2021–22 और 2022–23 के दौरान प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए रोजगार में व्यापक स्थिति के आधार पर सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में श्रमिकों का प्रतिशत वितरण नीचे प्रस्तुत किया गया है।

विवरण 21.6 (ग)

प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए रोजगार में व्यापक स्थिति के आधार पर
जुलाई 2021-जून 2022 के दौरान सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में श्रमिकों का प्रतिशत वितरण

ग्रामीण+शहरी व्यक्ति				
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	स्व-रोजगार	नियमित दिहाड़ी/वेतन	कैजुअल श्रमिक	सभी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आंध्र प्रदेश	43.4	23.8	32.8	100.0
अरुणाचल प्रदेश	71.9	23.0	5.1	100.0
असम	61.2	19.5	19.3	100.0
बिहार	59.0	10.0	31.0	100.0
छत्तीसगढ़	66.8	16.2	17.0	100.0
दिल्ली	31.1	65.8	3.1	100.0
गोवा	37.1	55.8	7.1	100.0
गुजरात	54.5	31.6	14.0	100.0
हरियाणा	44.6	35.0	20.4	100.0
हिमाचल प्रदेश	69.1	20.3	10.6	100.0
झारखंड	66.3	13.1	20.6	100.0
कर्नाटक	48.1	25.7	26.1	100.0
केरल	38.3	30.9	30.8	100.0
मध्य प्रदेश	63.4	13.4	23.2	100.0
महाराष्ट्र	45.7	29.4	24.9	100.0
मणिपुर	64.3	27.8	7.9	100.0
मेघालय	47.7	19.9	32.4	100.0
मिजोरम	68.8	24.9	6.3	100.0
नागालैंड	63.5	29.4	7.1	100.0
ओडिसा	60.1	14.7	25.2	100.0
पंजाब	44.3	30.9	24.8	100.0
राजस्थान	68.9	17.1	14.0	100.0
सिक्किम	55.2	37.9	6.9	100.0
तमिलनाडू	36.8	30.3	32.9	100.0
तेलंगाना	63.9	20.8	15.4	100.0
त्रिपुरा	52.0	17.3	30.6	100.0
उत्तराखंड	59.8	29.0	11.2	100.0
उत्तर प्रदेश	70.9	12.1	17.0	100.0
पश्चिम बंगाल	49.9	21.8	28.3	100.0
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	42.5	27.7	29.8	100.0
चंडीगढ़	26.7	62.6	10.6	100.0
दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	23.1	74.0	2.9	100.0
जम्मू एवं कश्मीर	62.4	22.1	15.5	100.0
लद्दाख	55.4	27.2	17.4	100.0
लक्षद्वीप	23.4	49.9	26.7	100.0
पुदुच्चेरी	34.7	48.9	16.4	100.0
अखिल भारत	55.8	21.5	22.7	100.0

स्रोत - वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2021-22, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

विवरण 21.6 (घ)

प्रत्येक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के लिए रोजगार में व्यापक स्थिति के आधार पर जुलाई 2022-जून 2023 के दौरान सामान्य स्थिति (पीएस + एसएस) में श्रमिकों का प्रतिशत विवरण

ग्रामीण+शहरी व्यक्ति				
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	स्व-रोजगार	नियमित दिहाड़ी/वेतन	कैजुअल श्रमिक	सभी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आंध्र प्रदेश	45.5	23.1	31.3	100.0
अरुणाचल प्रदेश	74.3	20.8	4.9	100.0
असम	57.2	10.8	31.9	100.0
बिहार	63.9	8.5	27.6	100.0
छत्तीसगढ़	67.3	14.6	18.1	100.0
दिल्ली	34.6	59.6	5.8	100.0
गोवा	35.1	57.2	7.7	100.0
गुजरात	53.2	30.3	16.5	100.0
हरियाणा	45.3	37.2	17.5	100.0
हिमाचल प्रदेश	71.8	20.0	8.2	100.0
झारखंड	69.9	12.0	18.1	100.0
कर्नाटक	48.5	27.2	24.4	100.0
केरल	39.7	32.9	27.4	100.0
मध्य प्रदेश	63.8	14.8	21.3	100.0
महाराष्ट्र	47.9	30.0	22.1	100.0
मणिपुर	69.9	24.8	5.3	100.0
मेघालय	48.0	17.7	34.2	100.0
मिजोरम	69.1	25.9	4.9	100.0
नागालैंड	67.0	27.6	5.4	100.0
ओडिसा	64.3	12.7	23.0	100.0
पंजाब	45.1	33.4	21.5	100.0
राजस्थान	69.8	16.3	13.9	100.0
सिक्किम	61.9	30.1	8.1	100.0
तमिलनाडू	35.7	31.6	32.7	100.0
तेलंगाना	60.1	22.7	17.2	100.0
त्रिपुरा	56.7	17.8	25.4	100.0
उत्तराखंड	66.4	23.8	9.8	100.0
उत्तर प्रदेश	71.2	12.8	16.0	100.0
पश्चिम बंगाल	54.6	21.3	24.1	100.0
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	44.1	41.4	14.5	100.0
चंडीगढ़	20.6	71.9	7.5	100.0
दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	33.7	62.5	3.8	100.0
जम्मू एवं कश्मीर	68.3	19.4	12.4	100.0
लद्दाख	66.9	20.1	13.0	100.0
लक्षद्वीप	37.2	36.7	26.1	100.0
पुदुच्चेरी	29.7	52.9	17.3	100.0
अखिल भारत	57.3	20.9	21.8	100.0

स्रोत - वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2022-23, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

➤ **श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर):** एलएफपीआर को जनसंख्या में श्रम बल में व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

नियोजित व्यक्तियों की संख्या+बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

X 100

कुल जनसंख्या

विवरण 21.6 (ड)

सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार राज्यवार श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर)

(प्रतिशत में)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	15-29 वर्ष			15-59 वर्ष			15 वर्ष और अधिक			सभी आयु वर्ग (0+)		
	ग्रामीण+शहरी (जुलाई 2019-जून 2020)											
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आंध्र प्रदेश	63.1	31.3	47.4	84.3	43.7	63.5	78.1	39.2	58.2	61.3	31.7	46.3
अरुणाचल प्रदेश	39.1	18.7	30.1	70.0	23.6	48.0	68.8	22.9	47.5	52.0	16.7	35.3
असम	55.4	15.8	34.7	81.8	17.4	49.5	77.0	16.4	46.9	55.6	12.4	34.6
बिहार	47.8	4.0	26.9	75.1	9.7	42.5	73.0	9.5	41.8	47.1	6.4	27.5
छत्तीसगढ़	66.3	37.5	51.9	84.7	56.8	70.7	82.3	53.1	67.6	60.2	40.2	50.3
दिल्ली	59.0	12.7	38.8	79.6	17.4	51.3	73.5	16.1	47.3	57.5	12.8	37.2
गोवा	63.6	31.7	47.2	82.8	31.8	57.1	75.7	28.2	51.5	59.6	22.6	40.9
गुजरात	63.8	24.0	45.1	83.3	34.2	59.6	79.4	31.1	55.9	61.1	24.3	43.3
हरियाणा	59.8	10.5	36.8	79.9	18.0	50.6	73.7	15.7	45.8	54.5	11.9	34.3
हिमाचल प्रदेश	67.3	50.9	59.4	85.2	70.3	77.6	82.0	65.0	73.2	63.9	51.8	57.7
झारखंड	60.6	25.4	42.5	81.4	38.9	59.8	76.9	35.7	55.9	52.3	25.9	39.3
कर्नाटक	63.5	28.5	46.3	83.8	37.8	60.8	77.4	33.8	55.5	60.4	26.6	43.5
केरल	54.3	25.8	39.8	79.9	36.7	56.5	71.7	31.9	50.3	56.4	26.3	40.5
मध्य प्रदेश	68.0	23.7	47.2	84.0	41.1	63.3	80.0	37.7	59.4	59.1	28.0	44.1
महाराष्ट्र	55.9	23.9	41.1	80.5	42.4	62.1	75.6	38.7	57.5	58.7	30.6	45.0
मणिपुर	43.8	21.7	32.6	74.9	31.4	52.9	70.9	29.9	50.3	51.9	22.8	37.5
मेघालय	49.3	22.1	35.6	75.9	47.5	61.5	75.3	45.7	60.2	48.1	28.9	38.2
मिजोरम	42.3	28.9	35.8	75.3	39.5	57.7	69.8	37.0	53.8	56.6	30.4	43.9
नागालैंड	58.1	34.4	46.5	80.4	43.3	62.4	76.0	43.0	60.3	60.2	33.7	47.5
ओडिसा	66.2	30.1	47.7	84.7	37.4	60.6	78.3	33.1	55.3	58.1	25.9	42.1
पंजाब	67.4	23.7	47.9	82.9	26.7	56.2	77.2	23.7	51.6	60.9	18.9	40.8
राजस्थान	60.6	25.7	43.6	80.0	40.5	60.4	76.2	38.6	57.6	53.6	28.2	41.2
सिक्किम	61.0	51.1	56.4	81.9	61.8	72.4	79.8	59.4	70.4	63.9	49.1	57.1
तमिलनाडू	63.6	26.8	44.8	84.4	43.8	63.3	77.9	40.2	58.4	61.6	32.4	46.6
तेलंगाना	58.8	29.7	44.7	81.2	48.4	64.5	75.7	44.3	59.9	60.0	36.2	48.2
त्रिपुरा	62.0	12.6	36.9	82.4	26.1	54.2	78.1	24.2	51.2	60.7	19.1	40.1
उत्तराखंड	58.4	23.8	42.3	78.6	34.8	57.1	74.6	31.8	53.4	56.5	24.8	41.0
उत्तर प्रदेश	57.5	9.7	34.3	78.0	18.3	48.2	76.0	17.7	47.1	52.6	12.7	33.2
पश्चिम बंगाल	66.8	18.4	42.2	85.0	26.0	55.3	80.0	24.0	52.1	62.7	19.0	41.1
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	63.4	42.3	53.9	84.4	40.8	63.8	75.9	35.9	57.0	62.1	29.2	46.4
चंडीगढ़	59.5	15.7	35.5	83.0	23.3	53.3	77.3	20.4	48.5	56.7	15.8	36.5
दादरा नगर हवेली	81.0	40.1	65.7	89.2	52.8	74.6	89.5	52.3	74.4	69.6	37.7	56.1
दमन एवं दीव	84.0	28.5	66.3	90.6	40.9	71.1	87.9	35.8	66.4	70.2	27.9	52.5
जम्मू एवं कश्मीर	52.4	31.1	42.5	77.5	40.8	59.4	74.3	37.4	56.3	54.3	28.5	42.0
लद्दाख	40.0	35.5	38.1	76.2	56.6	67.3	72.8	51.1	62.8	51.9	38.0	45.7
लक्षद्वीप	78.1	29.4	54.9	90.6	33.0	61.5	81.2	29.7	55.6	66.0	22.8	44.0
पुदुच्चेरी	54.3	29.3	43.0	79.1	36.8	58.5	71.6	31.6	51.7	54.6	25.3	40.4
अखिल भारत	60.0	20.6	40.9	81.2	32.3	56.9	76.8	30.0	53.5	56.8	22.8	40.1

पी एस: प्रमुख स्थिति

एसएस : गौण स्थिति

विवरण 21.6 (च)

सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार राज्यवार श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर)

(प्रतिशत में)

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	15-29 वर्ष			15-59 वर्ष			15 वर्ष और अधिक			सभी आयु समूह (0+)		
	ग्रामीण+शहरी (जुलाई 2020—जून 2021)											
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आंध्र प्रदेश	63.0	31.2	47.5	84.1	50.0	66.8	77.6	45.1	61.1	60.8	36.1	48.4
अरुणाचल प्रदेश	41.2	19.4	31.1	74.5	28.1	52.4	73.0	27.6	51.4	53.2	20.1	37.5
असम	52.7	20.9	37.3	83.0	26.6	55.8	79.2	24.6	52.7	59.5	18.6	39.7
बिहार	42.8	5.2	25.7	72.2	10.9	42.2	71.0	10.7	41.9	46.0	7.4	27.9
छत्तीसगढ़	59.5	37.8	49.0	80.2	57.5	68.9	76.2	53.9	65.2	57.3	41.6	49.6
दिल्ली	57.8	13.0	38.0	79.1	15.3	50.4	72.3	13.8	45.6	58.0	10.7	36.0
गोवा	51.7	28.8	42.0	77.5	31.0	55.2	68.7	27.3	48.5	55.5	22.6	39.6
गुजरात	65.8	25.6	47.4	83.6	36.5	60.9	78.4	33.1	56.3	60.9	26.4	44.3
हरियाणा	58.9	11.3	37.3	79.3	21.7	51.9	72.4	19.1	46.9	53.9	14.6	35.3
हिमाचल प्रदेश	64.8	47.5	56.6	85.6	68.6	77.0	81.7	62.6	71.9	63.7	51.0	57.3
झारखंड	66.2	32.5	50.0	82.9	47.0	65.1	78.9	43.9	61.6	55.0	31.7	43.6
कर्नाटक	62.5	23.9	43.1	83.6	39.7	61.4	78.4	35.9	56.9	60.4	28.9	44.7
केरल	51.7	24.9	38.3	79.6	38.9	58.1	72.2	33.2	51.3	57.8	27.5	41.8
मध्य प्रदेश	68.9	27.0	49.8	84.6	44.1	65.1	81.4	40.5	61.4	60.6	30.3	45.8
महाराष्ट्र	57.2	23.2	41.3	80.6	40.2	60.9	75.4	36.0	56.0	59.1	28.7	44.2
मणिपुर	31.7	12.6	22.3	69.9	23.1	46.4	65.4	21.4	43.4	47.6	16.3	32.4
मेघालय	49.7	30.0	39.6	76.3	53.3	64.5	75.4	51.6	63.1	47.4	32.0	39.4
मिजोरम	40.1	25.0	33.0	74.6	42.9	59.0	70.3	41.7	56.5	55.8	33.3	45.0
नागालैंड	56.0	39.4	48.0	79.3	47.9	63.6	74.1	47.6	61.3	57.8	37.2	47.9
ओडिसा	65.7	24.8	45.2	85.0	35.7	59.9	80.1	33.2	56.5	61.6	26.4	44.1
पंजाब	63.7	17.1	41.6	82.5	25.7	54.5	77.2	23.1	50.4	59.5	18.5	39.4
राजस्थान	60.3	27.0	44.1	79.4	42.5	61.3	75.7	39.9	58.1	54.3	29.5	42.3
सिक्किम	62.1	33.8	48.1	84.3	62.9	73.7	82.5	61.1	72.1	68.9	52.7	61.2
तमिलनाडू	63.1	26.0	44.3	84.6	46.3	64.7	78.5	43.0	60.0	62.2	35.4	48.5
तेलंगाना	57.1	24.8	42.0	80.4	50.0	65.4	76.0	45.4	60.8	60.0	36.4	48.4
त्रिपुरा	64.8	14.5	37.8	86.3	33.4	59.2	80.6	30.8	55.6	60.8	24.8	43.3
उत्तराखंड	56.3	19.6	39.1	77.8	33.3	55.9	72.5	31.5	52.3	54.3	24.7	40.1
उत्तर प्रदेश	61.4	12.1	37.4	79.5	23.5	51.5	77.3	22.6	50.1	54.4	16.7	36.0
पश्चिम बंगाल	68.5	21.1	44.7	86.2	31.6	58.3	81.7	28.7	54.9	64.6	23.4	44.0
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	65.3	48.1	57.6	86.3	48.3	67.8	80.9	46.1	64.0	66.8	38.5	53.1
चंडीगढ़	46.7	19.2	33.2	76.6	27.8	52.1	68.7	24.1	46.4	54.6	19.5	37.3
दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	60.9	21.4	45.5	79.6	32.6	59.1	76.9	30.6	56.3	60.0	25.1	44.9
जम्मू एवं कश्मीर	51.4	29.3	40.9	77.5	46.8	62.3	74.0	43.4	59.0	55.8	32.8	44.6
लद्दाख	22.7	27.3	24.7	75.4	76.7	76.0	72.4	69.6	71.1	57.1	53.3	55.4
लक्षद्वीप	53.3	22.9	36.9	83.8	21.7	51.6	74.5	19.4	46.3	52.0	15.3	34.4
पुदुच्चेरी	63.7	22.8	42.1	86.4	34.2	59.0	76.9	29.3	51.6	61.7	23.4	41.3
अखिल भारत	60.1	21.1	41.4	81.2	35.2	58.4	77.0	32.5	54.9	57.5	25.1	41.6

पी एस: प्रमुख स्थिति

एसएस : गौण स्थिति

विवरण 21.6 (छ)

सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार राज्यवार श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर)

(प्रतिशत में)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	15-29 वर्ष			15-59 वर्ष			15 वर्ष और अधिक			सभी आयु समूह (0+)		
	ग्रामीण+शहरी (जुलाई 2021–जून 2022)											
	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आंध्र प्रदेश	66.0	30.5	47.9	85.0	47.9	65.7	78.2	43.3	60.4	62.5	34.7	48.3
अरुणाचल प्रदेश	38.0	18.2	28.4	72.0	32.3	52.8	69.5	31.2	51.1	51.5	22.4	37.3
असम	63.7	22.6	42.9	84.6	30.9	58.2	79.5	28.2	54.2	56.6	21	39.4
बिहार	48.9	4.2	27.3	75.6	11.0	43.8	72.2	10.2	41.8	46.5	6.7	27.2
छत्तीसगढ़	67.3	36.5	51.4	85.2	55.6	70.3	81.9	51.6	66.5	60.5	39.2	49.8
दिल्ली	57.8	13.4	37.9	79.5	14.2	49.7	72.6	12.2	44.6	57.5	9.4	34.8
गोवा	60.0	25.8	43.3	85.0	25.7	56.2	73.6	20.7	47.3	58.8	17	38.3
गुजरात	68.9	28.5	50.1	84.7	37.5	62.2	79.9	34.4	58.0	61.7	27	45.2
हरियाणा	56.6	13.5	37.4	76.9	21.4	51.0	71.4	19.1	46.7	53.9	14.6	35.4
हिमाचल प्रदेश	68.5	49.2	58.9	86.4	71.2	78.6	82.7	66.1	74.2	64.2	52.3	58.1
झारखंड	66.3	37.1	51.2	83.2	47.7	65.1	79.3	45.2	61.9	55.4	32.8	44.1
कर्नाटक	62.7	19.8	41.7	84.1	35.3	60.1	77.2	31.8	54.7	61.2	24.8	43.1
केरल	56.4	26.9	41.9	80.9	42.1	60.5	73.4	37.0	54.0	59.1	30.3	43.9
मध्य प्रदेश	68.6	24.0	47.6	85.2	44.1	65.3	81.9	41.0	62.0	61	30.2	46
महाराष्ट्र	59.0	23.7	42.8	81.5	41.9	62.4	76.4	38.4	57.9	59.5	30	45.2
मणिपुर	36.3	17.1	26.9	72.0	25.3	48.6	65.5	23.4	44.7	47.5	17.4	32.8
मेघालय	50.1	33.9	41.9	75.8	51.1	63.4	74.4	50.2	62.1	47.2	32.2	39.6
मिजोरम	37.9	24.6	31.9	73.4	37.5	56.2	67.4	34.7	51.6	52.5	25.2	38.9
नागालैंड	50.1	39.9	45.1	81.4	53.1	67.7	75.8	51.5	64.2	54.8	34.5	44.7
ओडिसा	65.7	26.1	45.2	84.5	36.4	60.1	78.9	32.9	55.8	58.8	25.2	42.1
पंजाब	65.9	20.3	45.8	82.2	26.7	56.0	77.2	24.0	51.8	61.1	19.3	41.3
राजस्थान	58.3	26.9	43.2	78.4	43.3	61.2	74.6	40.0	57.4	54.8	30	42.6
सिक्किम	67.0	39.8	53.2	87.1	61.6	74.7	83.5	57.8	71.0	67.7	47.5	58
तमिलनाडू	61.7	24.5	43.1	84.1	44.4	63.9	77.5	40.7	58.6	61.1	33	46.9
तेलंगाना	59.7	28.6	44.5	82.7	49.8	66.3	76.6	44.7	60.7	58.4	35.7	47.3
त्रिपुरा	60.5	15.4	38.7	84.0	29.6	57.1	76.7	26.7	52.2	60.7	21.5	41.6
उत्तराखंड	56.3	22.6	40.9	76.1	34.6	55.9	71.7	33.1	52.8	54.3	26.1	40.8
उत्तर प्रदेश	59.5	15.3	37.8	79.2	27.4	53.2	77.0	26.3	51.6	53.1	18.7	36.2
पश्चिम बंगाल	68.0	20.1	44.1	86.0	30.5	58.2	80.7	27.9	54.6	63.3	22.3	43.2
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	66.5	36.5	52.0	87.9	49.2	68.9	82.0	45.7	64.1	64.4	35.8	50.3
चंडीगढ़	52.0	15.2	35.5	76.3	18.9	49.2	70.4	16.8	45.1	54.8	13.5	35.5
दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	82.2	31.6	63.3	89.7	45.4	71.4	88.5	43.0	69.4	70.1	33.2	54.4
जम्मू एवं कश्मीर	58.5	34.9	47.0	80.9	48.1	64.8	77.1	44.9	61.5	57.9	34.1	46.4
लद्दाख	37.9	30.9	34.1	76.6	45.8	61.3	73.6	46.5	60.1	53.9	35.5	44.9
लक्षद्वीप	49.2	24.0	37.3	81.0	18.9	50.0	73.2	16.8	44.9	56.3	13.3	35.1
पुदुच्चेरी	60.4	27.2	44.4	82.9	40.5	61.2	74.3	35.7	54.4	58.3	28.3	42.9
अखिल भारत	61.2	21.7	42.0	81.8	35.6	58.9	77.2	32.8	55.2	57.3	24.8	41.3

पी एस: प्रमुख स्थिति। एसएस : गौण स्थिति

स्रोत - वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2021-22, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

विवरण 21.6 (ज)

सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार राज्यवार श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर)

(प्रतिशत में)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	15-29 वर्ष			15-59 वर्ष			15 वर्ष और अधिक			सभी आयु समूह (0+)		
	ग्रामीण+शहरी (जुलाई 2022–जून 2023)											
	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आंध्र प्रदेश	63.3	32.4	48.2	83.6	51.5	67.3	77.2	45.8	61.1	60.7	36.9	48.6
अरुणाचल प्रदेश	49.4	35.3	42.5	79.0	60.3	70.0	77.2	58.7	68.2	57.5	41.9	49.8
असम	84.0	11.4	46.6	92.7	20.5	56.8	90.1	20.3	55.4	42.0	13.9	30.8
बिहार	50.8	11.6	31.4	77.6	23.9	50.9	74.6	22.4	48.9	47.0	14.7	31.4
छत्तीसगढ़	72.8	45.9	59.8	86.8	64.1	75.6	83.5	59.8	71.8	62.6	44.9	53.9
दिल्ली	53.4	14.2	35.4	79.0	16.3	50.4	74.4	14.8	46.7	57.1	11.3	35.7
गोवा	61.1	38.1	50.4	82.6	34.4	58.5	72.4	28.1	50.0	59.3	23.0	40.9
गुजरात	70.8	33.5	52.9	86.5	46.2	67.0	82.0	42.3	62.6	62.6	32.7	48.1
हरियाणा	57.5	12.5	37.3	79.0	23.5	52.8	72.9	20.7	47.9	54.8	15.9	36.3
हिमाचल प्रदेश	66.4	58.4	62.4	86.2	76.6	81.3	83.1	71.4	77.1	64.7	57.9	61.3
झारखंड	64.4	34.9	49.0	82.7	49.5	65.7	78.6	45.8	61.9	53.0	32.1	42.6
कर्नाटक	61.0	25.4	44.3	81.8	43.2	62.9	75.4	38.1	57.0	59.2	30.3	45.0
केरल	54.2	27.5	40.6	80.5	42.8	60.3	73.7	37.5	54.3	58.6	31.3	44.3
मध्य प्रदेश	72.9	29.2	52.1	86.8	47.5	67.8	83.4	44.3	64.5	62.3	33.4	48.4
महाराष्ट्र	60.0	26.6	44.4	82.4	44.9	64.2	77.4	40.7	59.4	60.7	32.0	46.7
मणिपुर	45.0	19.7	32.8	76.5	34.5	55.7	70.6	31.3	51.1	52.3	22.5	37.3
मेघालय	57.1	44.9	50.7	80.8	63.0	71.7	79.6	60.9	70.0	49.5	38.4	43.8
मिजोरम	31.1	25.2	28.4	73.7	49.5	61.9	67.2	45.1	56.4	50.6	32.7	41.7
नागालैंड	52.0	43.1	47.8	82.1	66.2	74.4	79.3	65.2	72.5	55.9	40.2	47.8
ओडिसा	62.2	36.1	48.9	84.6	49.4	66.6	78.1	44.7	61.3	58.5	34.0	46.2
पंजाब	67.1	24.6	47.5	83.4	30.9	57.9	78.3	27.6	53.5	62.0	21.8	42.3
राजस्थान	58.6	34.5	47.0	78.6	50.5	64.8	74.8	47.9	61.5	54.5	35.8	45.4
सिक्किम	54.6	50.3	52.6	84.6	71.1	78.1	82.1	68.6	75.7	68.0	56.1	62.3
तमिलनाडू	55.3	22.9	39.9	81.2	43.9	62.3	74.5	40.5	57.1	58.9	33.2	46.0
तेलंगाना	57.1	26.6	42.8	81.8	50.4	66.5	75.6	44.8	60.3	59.2	35.0	47.1
त्रिपुरा	55.8	19.7	38.7	81.4	39.2	60.4	74.9	35.2	55.1	60.6	28.5	44.5
उत्तराखंड	56.3	30.5	43.7	79.0	41.1	60.1	73.5	38.7	56.0	55.7	29.4	42.5
उत्तर प्रदेश	64.5	17.5	41.4	82.2	32.1	56.9	79.3	31.2	55.2	54.8	22.2	38.7
पश्चिम बंगाल	68.2	25.4	46.6	87.0	36.9	61.8	80.8	33.8	57.3	63.1	26.8	45.1
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	69.9	52.1	60.8	88.7	53.5	71.2	82.4	49.6	66.5	66.8	40.4	54.0
चंडीगढ़	54.4	20.4	37.0	81.3	24.9	54.0	72.3	21.4	47.5	57.9	17.3	38.2
दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	80.8	41.1	63.7	90.7	38.8	68.4	89.2	37.6	66.6	68.3	25.9	48.7
जम्मू एवं कश्मीर	55.9	39.5	47.7	81.1	53.8	67.6	76.5	50.2	63.5	56.2	37.7	47.2
लद्दाख	39.5	28.1	34.7	69.7	61.0	65.6	62.2	59.1	60.7	47.1	46.2	46.7
लक्षद्वीप	55.8	19.2	35.9	81.6	20.0	46.4	69.2	17.3	39.9	51.5	13.5	30.5
पुदुच्चेरी	58.2	25.2	41.1	81.4	38.9	58.2	74.8	33.6	52.5	58.6	27.9	42.5
अखिल भारत	63.5	24.5	44.5	83.2	39.8	61.6	78.5	37.0	57.9	56.2	27.8	42.4

पी एस: प्रमुख स्थिति। एसएस : गौण स्थिति

स्रोत - वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2022-23, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

उपरोक्त विवरण से यह देखा गया है कि वर्ष 2021-22 में दिल्ली में सभी आयु वर्ग के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 34.8 प्रतिशत थी, जबकि 2022-23 में यह 35.7 प्रतिशत थी और अखिल भारत स्तर पर यह क्रमशः 41.3 प्रतिशत और 42.4 प्रतिशत थी।

- **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर):** डब्ल्यूपीआर को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या

x100

कुल जनसंख्या

विवरण 21.6 (झ)

सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार राज्यवार श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)

(प्रतिशत में)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	15-29 वर्ष			15-59 वर्ष			15 वर्ष और अधिक			सभी आयु समूह (0+)		
	ग्रामीण+शहरी (जुलाई 2019–जून 2020)											
	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आंध्र प्रदेश	51.9	26.3	39.3	79.7	41.7	60.3	74.1	37.6	55.5	58.2	30.4	44.2
अरुणाचल प्रदेश	30.5	13.4	22.9	65.6	21.3	44.7	64.7	20.8	44.3	48.9	15.1	32.9
असम	41.1	10.7	25.2	76.0	14.9	45.4	71.8	14.2	43.2	51.9	10.7	31.9
बिहार	39.1	3.7	22.2	70.5	9.5	40.1	69.0	9.4	39.7	44.4	6.3	26.0
छत्तीसगढ़	58.3	35.0	46.6	80.9	55.6	68.2	78.9	52.1	65.4	57.7	39.5	48.7
दिल्ली	46.3	9.2	30.1	72.7	15.6	46.7	67.4	14.5	43.3	52.6	11.5	34.0
गोवा	50.4	21.1	35.4	77.1	27.8	52.3	70.7	24.9	47.3	55.7	19.9	37.6
गुजरात	59.7	23.1	42.5	81.2	33.8	58.3	77.5	30.7	54.7	59.7	24.0	42.4
हरियाणा	49.8	8.1	30.3	74.6	16.8	47.3	69.0	14.7	42.9	51.0	11.2	32.1
हिमाचल प्रदेश	57.3	45.7	51.7	80.9	68.1	74.4	78.4	63.1	70.5	61.1	50.3	55.6
झारखंड	51.7	24.3	37.6	76.4	38.3	57.0	72.5	35.2	53.6	49.3	25.6	37.6
कर्नाटक	56.7	22.2	39.8	80.8	35.3	58.0	74.8	31.7	53.1	58.4	24.9	41.7
केरल	39.9	11.9	25.7	72.9	30.5	50.0	66.5	27.1	45.3	52.2	22.4	36.5
मध्य प्रदेश	61.7	22.3	43.3	80.7	40.5	61.3	77.1	37.2	57.7	57.0	27.6	42.8
महाराष्ट्र	49.8	21.5	36.8	77.4	41.3	59.9	72.9	37.7	55.7	56.6	29.8	43.6
मणिपुर	30.3	13.6	21.8	67.6	27.9	47.6	64.5	26.8	45.5	47.2	20.3	33.8
मेघालय	46.4	18.8	32.5	74.2	45.8	59.8	73.8	44.1	58.6	47.0	27.9	37.2
मिजोरम	33.0	23.8	28.6	70.7	37.2	54.3	65.7	34.9	50.7	53.3	28.7	41.4
नागालैंड	16.8	10.9	13.9	58.9	30.2	45.0	57.2	31.1	44.8	45.3	24.4	35.3
ओडिसा	51.1	26.2	38.3	78.0	35.7	56.5	72.7	31.8	51.9	53.8	24.9	39.5
पंजाब	55.0	19.1	39.0	76.6	24.5	51.8	71.7	21.8	47.8	56.5	17.4	37.8
राजस्थान	51.7	23.4	37.9	75.1	39.3	57.4	72.1	37.6	55.0	50.6	27.5	39.4
सिक्किम	55.6	48.5	52.3	79.6	60.7	70.6	77.8	58.5	68.8	62.3	48.2	55.9
तमिलनाडू	50.4	21.1	35.5	79.1	41.6	59.6	73.5	38.3	55.3	58.1	30.9	44.2
तेलंगाना	43.9	23.3	33.9	74.4	45.4	59.7	69.9	41.8	55.7	55.3	34.1	44.8
त्रिपुरा	55.6	10.9	32.9	79.4	25.3	52.3	75.5	23.5	49.6	58.7	18.6	38.9
उत्तराखंड	46.6	19.5	34.0	72.0	32.7	52.7	68.8	30.1	49.5	52.1	23.4	38.1
उत्तर प्रदेश	50.1	8.7	29.9	73.9	17.7	45.9	72.4	17.2	45.1	50.0	12.4	31.7
पश्चिम बंगाल	56.5	16.5	36.2	80.3	25.1	52.6	76.1	23.1	49.7	59.5	18.3	39.2
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	50.6	17.0	35.5	79.0	29.3	55.5	71.2	25.9	49.8	58.2	21.2	40.6
चंडीगढ़	52.2	13.7	31.1	78.2	21.4	50.0	72.7	18.8	45.5	53.3	14.6	34.2
दादरा नगर हवेली	74.6	40.1	61.7	85.4	52.8	72.3	85.8	52.3	72.2	66.8	37.7	54.4
दमन एवं दीव	79.3	25.8	62.2	88.0	39.7	69.1	85.3	34.8	64.5	68.2	27.2	51.0
जम्मू एवं कश्मीर	45.5	22.4	34.7	73.8	35.9	55.1	71.2	33.1	52.5	52.0	25.2	39.2
लद्दाख	40.0	35.5	38.1	76.1	56.6	67.2	72.6	51.1	62.7	51.8	38.0	45.6
लक्षद्वीप	58.7	9.0	35.0	80.7	25.7	52.9	72.6	23.1	48.0	59.0	17.8	38.0
पुदुच्चेरी	40.8	18.4	30.7	73.7	32.8	53.8	67.0	28.4	47.7	51.1	22.7	37.3
अखिल भारत	51.0	17.6	34.7	76.7	30.9	53.9	73.0	28.7	50.9	53.9	21.8	38.2

पी एस: प्रमुख स्थिति;

एसएस : गौण स्थिति

विवरण 21.6 (अ)

सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार राज्यवार श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)

(प्रतिशत में)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	15-29 वर्ष			15-59 वर्ष			15 वर्ष और अधिक			सभी आयु समूह (0+)		
	ग्रामीण+शहरी (जुलाई 2020–जून 2021)											
	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आंध्र प्रदेश	52.1	27.7	40.2	79.6	48.6	63.9	73.8	43.9	58.6	57.8	35.2	46.5
अरुणाचल प्रदेश	33.5	13.5	24.3	71.0	25.5	49.2	69.7	25.1	48.5	50.8	18.2	35.3
असम	45.2	16.5	31.3	80.1	24.7	53.4	76.6	22.9	50.5	57.5	17.3	38.1
बिहार	35.4	4.5	21.3	68.3	10.5	40.1	67.5	10.4	39.9	43.7	7.2	26.6
छत्तीसगढ़	53.8	36.2	45.3	77.4	56.7	67.1	73.7	53.2	63.6	55.4	41.1	48.4
दिल्ली	48.9	10.7	31.9	74.1	14.3	47.2	67.8	12.9	42.7	54.4	10.0	33.7
गोवा	40.9	17.9	31.2	70.1	26.3	49.1	62.4	23.5	43.4	50.4	19.4	35.5
गुजरात	61.9	24.6	44.8	81.6	35.8	59.5	76.6	32.4	55.0	59.5	25.9	43.3
हरियाणा	50.3	9.0	31.6	73.8	20.5	48.5	67.7	18.1	44.0	50.4	13.8	33.1
हिमाचल प्रदेश	55.1	43.0	49.4	81.6	66.8	74.1	78.4	61.1	69.5	61.1	49.8	55.4
झारखंड	59.3	31.7	46.1	79.0	46.6	62.9	75.4	43.6	59.6	52.6	31.5	42.2
कर्नाटक	57.8	21.0	39.3	81.1	38.5	59.6	76.4	34.9	55.3	58.8	28.1	43.5
केरल	38.6	12.1	25.3	72.8	32.3	51.4	66.8	28.2	46.1	53.5	23.3	37.6
मध्य प्रदेश	64.5	26.1	47.0	82.4	43.6	63.7	79.4	40.1	60.2	59.1	30.0	44.9
महाराष्ट्र	50.3	20.8	36.5	76.9	39.0	58.5	72.3	35.0	53.9	56.6	27.9	42.6
मणिपुर	24.9	9.8	17.4	65.8	21.7	43.6	61.7	20.1	41.0	45.0	15.4	30.5
मेघालय	47.4	28.2	37.5	75.1	52.2	63.3	74.3	50.5	62.0	46.7	31.4	38.7
मिजोरम	34.3	21.4	28.3	71.8	41.2	56.8	67.9	40.2	54.5	53.9	32.1	43.4
नागालैंड	25.2	17.5	21.5	62.8	38.0	50.4	59.9	38.5	49.5	46.8	30.0	38.6
ओडिसा	53.1	22.1	37.5	79.0	34.6	56.4	75.1	32.2	53.5	57.7	25.5	41.7
पंजाब	53.3	12.2	33.8	77.6	23.3	50.9	73.0	21.1	47.2	56.2	17.0	37.0
राजस्थान	50.8	24.9	38.2	74.1	41.4	58.1	71.2	39.0	55.3	51.0	28.9	40.3
सिक्किम	59.2	32.5	46.0	83.1	62.3	72.8	81.5	60.6	71.3	68.0	52.3	60.5
तमिलनाडू	51.6	19.3	35.3	79.6	43.7	60.9	74.3	40.8	56.9	58.9	33.6	46.0
तेलंगाना	48.5	20.1	35.2	76.0	47.7	62.0	72.1	43.4	57.8	56.9	34.8	46.0
त्रिपुरा	57.2	12.6	33.2	83.1	32.4	57.1	77.9	29.9	53.8	58.7	24.1	41.9
उत्तराखंड	44.0	16.0	30.9	71.3	31.4	51.7	66.9	29.9	48.7	50.2	23.5	37.4
उत्तर प्रदेश	54.3	10.7	33.1	75.5	22.7	49.1	73.8	21.9	48.0	51.9	16.2	34.5
पश्चिम बंगाल	60.3	19.4	39.7	82.4	30.8	56.1	78.4	28.1	53.0	62.0	22.8	42.4
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	56.1	25.7	42.4	82.8	38.6	61.3	77.8	37.4	58.2	64.2	31.2	48.3
चंडीगढ़	37.7	17.4	27.8	70.0	26.7	48.3	63.0	23.2	43.1	49.9	18.7	34.5
दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	52.8	20.0	40.0	75.5	32.0	56.6	73.0	30.0	54.0	57.0	24.6	43.0
जम्मू एवं कश्मीर	43.1	22.7	33.4	73.5	42.9	58.4	70.5	39.9	55.5	53.2	30.2	42.0
लद्दाख	17.6	9.8	14.3	74.2	73.0	73.6	71.4	66.3	69.1	56.3	50.7	53.8
लक्षद्वीप	34.7	6.2	19.4	77.4	14.0	44.5	68.9	12.5	40.1	48.2	9.9	29.7
पुदुच्चेरी	50.5	14.2	31.3	80.9	31.2	54.8	72.3	26.9	48.1	58.0	21.5	38.5
अखिल भारत	52.3	18.5	36.1	77.2	33.9	55.7	73.5	31.4	52.6	54.9	24.2	39.8

पी एस: प्रमुख स्थिति;

एसएस : गौण स्थिति

विवरण 21.6 (ट)

सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार राज्यवार श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)

(प्रतिशत में)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	15-29 वर्ष			15-59 वर्ष			15 वर्ष और अधिक			सभी आयु समूह (0+)		
	ग्रामीण+शहरी (जुलाई 2021-जून 2022)											
	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आंध्र प्रदेश	55.7	26.0	40.6	80.6	46.1	62.7	74.6	41.8	57.8	59.6	33.5	46.2
अरुणाचल प्रदेश	27.9	11.5	20.0	66.7	29.1	48.5	64.7	28.2	47.1	47.9	20.3	34.4
असम	56.4	19.2	37.6	81.5	29.3	55.8	76.8	26.8	52.1	54.6	20.0	37.8
बिहार	38.9	3.6	21.8	70.3	10.7	40.9	67.7	9.9	39.3	43.5	6.5	25.6
छत्तीसगढ़	62.3	34.5	47.9	82.6	54.5	68.4	79.6	50.6	64.9	58.8	38.3	48.5
दिल्ली	52.1	11.9	34.1	75.3	13.3	47.1	68.9	11.5	42.3	54.5	8.8	33.0
गोवा	45.8	13.7	30.1	76.3	20.6	49.2	66.3	16.6	41.6	53.1	13.6	33.8
गुजरात	64.6	27.5	47.3	82.6	37.1	60.9	78.1	33.9	56.8	60.3	26.7	44.3
हरियाणा	44.3	9.2	28.7	69.8	19.3	46.2	65.0	17.4	42.5	49.1	13.3	32.3
हिमाचल प्रदेश	58.2	44.5	51.3	81.8	68.5	75.0	78.9	63.8	71.2	61.2	50.5	55.8
झारखंड	62.8	36.4	49.2	80.8	47.2	63.6	77.2	44.8	60.7	53.9	32.5	43.2
कर्नाटक	55.8	17.7	37.1	81.0	34.3	58.1	74.6	31.0	53.0	59.1	24.2	41.7
केरल	42.8	14.6	28.9	73.9	35.5	53.7	68.0	32.0	48.8	54.7	26.2	39.7
मध्य प्रदेश	63.9	23.3	44.7	82.8	43.7	63.9	79.7	40.6	60.7	59.5	30.0	45.1
महाराष्ट्र	52.8	20.7	38.0	78.2	40.6	60.1	73.6	37.3	55.9	57.3	29.2	43.6
मणिपुर	26.8	10.3	18.7	66.2	21.8	44.0	60.6	20.3	40.6	44.0	15.1	29.8
मेघालय	47.5	30.2	38.8	74.4	49.2	61.7	73.0	48.4	60.5	46.4	31.0	38.6
मिजोरम	31.7	17.0	25.0	70.2	34.3	53.0	64.6	32.0	48.9	50.3	23.2	36.8
नागालैंड	34.9	27.6	31.3	73.9	47.5	61.1	69.3	46.4	58.4	50.1	31.1	40.6
ओडिसा	51.3	22.2	36.3	78.3	34.7	56.2	73.6	31.4	52.4	54.8	24.1	39.5
पंजाब	54.9	14.2	37.0	77.0	24.2	52.0	72.8	21.9	48.5	57.6	17.6	38.6
राजस्थान	49.6	24.7	37.6	73.4	42.2	58.0	70.2	39.0	54.7	51.6	29.3	40.6
सिक्किम	64.4	36.2	50.2	86.1	60.1	73.4	82.6	56.5	69.9	67.0	46.4	57.0
तमिलनाडू	49.8	19.2	34.5	79.2	42.4	60.5	73.5	39.1	55.8	57.9	31.7	44.6
तेलंगाना	52.3	23.4	38.2	79.2	47.4	63.4	73.6	42.6	58.1	56.2	34.0	45.3
त्रिपुरा	55.3	11.7	34.2	81.8	28.2	55.3	74.9	25.5	50.6	59.0	20.5	40.2
उत्तराखंड	43.6	18.8	32.3	68.7	32.7	51.2	65.1	31.6	48.7	49.3	24.9	37.6
उत्तर प्रदेश	54.4	14.3	34.7	76.4	26.9	51.5	74.5	25.8	50.1	51.4	18.4	35.1
पश्चिम बंगाल	59.4	18.8	39.1	82.1	29.9	56.0	77.5	27.4	52.7	60.7	21.9	41.7
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	55.9	21.3	39.2	83.9	42.1	63.3	78.5	39.2	59.2	61.6	30.7	46.4
चंडीगढ़	43.8	12.2	29.6	71.6	17.4	46.0	66.3	15.5	42.2	51.5	12.5	33.3
दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	76.3	27.0	57.9	86.0	41.4	67.5	85.0	39.4	65.8	67.3	30.4	51.6
जम्मू एवं कश्मीर	52.1	27.6	40.2	77.9	43.7	61.1	74.5	41.1	58.3	55.9	31.2	44.0
लद्दाख	28.3	29.8	29.1	72.8	44.9	59.0	70.3	45.8	58.1	51.5	34.9	43.4
लक्षद्वीप	31.0	6.4	19.4	70.3	12.3	41.3	63.7	10.9	37.2	49.0	8.6	29.1
पुदुच्चेरी	47.9	22.9	35.8	76.9	38.8	57.4	69.2	34.4	51.2	54.3	27.2	40.4
अखिल भारत	53.5	19.1	36.8	77.9	34.3	56.3	73.8	31.7	52.9	54.8	24.0	39.6

स्रोत - वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2021-22, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

पी एस: प्रमुख स्थिति। एसएस: गौण स्थिति

विवरण 21.6 (ठ)

सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार राज्यवार श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)

(प्रतिशत में)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	15-29 वर्ष			15-59 वर्ष			15 वर्ष और अधिक			सभी आयु समूह (0+)		
	ग्रामीण+शहरी (जुलाई 2022–जून 2023)											
	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आंध्र प्रदेश	54.3	26.4	40.7	79.8	49.4	64.3	73.9	44.0	58.6	58.2	35.4	46.6
अरुणाचल प्रदेश	39.6	30.3	35.1	74.8	57.5	66.4	73.3	56.0	64.9	54.6	40.0	47.4
असम	81.3	10.0	44.6	91.4	19.8	55.8	88.9	19.6	54.5	41.5	13.5	30.2
बिहार	42.9	10.8	27.0	73.7	23.5	48.7	71.2	22.0	47.0	44.8	14.5	30.2
छत्तीसगढ़	67.2	43.1	55.6	84.1	62.7	73.6	81.2	58.6	70.1	60.8	44.0	52.6
दिल्ली	50.1	13.3	33.2	77.5	16.0	49.4	73.1	14.5	45.8	56.0	11.1	35.0
गोवा	49.0	22.4	36.6	76.2	29.1	52.6	66.8	24.0	45.1	54.7	19.6	37.0
गुजरात	67.0	31.9	50.3	84.7	45.5	65.8	80.4	41.7	61.5	61.4	32.2	47.2
हरियाणा	47.9	9.8	30.8	73.7	22.3	49.4	68.2	19.7	44.9	51.3	15.2	34.1
हिमाचल प्रदेश	58.8	50.3	54.6	82.6	72.0	77.2	80.3	67.6	73.8	62.4	54.8	58.6
झारखंड	60.2	34.4	46.7	80.5	49.3	64.5	76.8	45.5	60.9	51.8	31.9	41.9
कर्नाटक	56.2	22.8	40.5	79.6	42.1	61.2	73.6	37.2	55.6	57.7	29.5	43.9
केरल	43.0	15.5	28.9	75.8	37.4	55.2	70.2	33.5	50.5	55.8	27.9	41.2
मध्य प्रदेश	69.6	28.0	49.8	85.2	46.9	66.6	81.9	43.8	63.4	61.2	33.0	47.6
महाराष्ट्र	53.1	24.2	39.6	79.3	43.8	62.0	74.7	39.8	57.6	58.6	31.3	45.3
मणिपुर	36.5	15.3	26.3	72.6	32.9	52.9	67.2	29.9	48.7	49.8	21.5	35.5
मेघालय	49.7	34.2	41.6	77.3	57.7	67.3	76.3	56.0	65.8	47.4	35.2	41.2
मिजोरम	28.3	21.1	25.1	72.4	47.9	60.5	66.0	43.8	55.2	49.7	31.7	40.7
नागालैंड	41.2	36.4	38.9	77.8	63.7	70.9	75.4	62.9	69.4	53.2	38.8	45.8
ओडिसा	51.7	33.0	42.2	80.1	48.1	63.8	74.4	43.6	58.9	55.8	33.2	44.4
पंजाब	56.8	18.6	39.2	78.6	28.0	54.0	74.2	25.2	50.2	58.8	19.9	39.7
राजस्थान	50.2	31.4	41.1	73.9	48.9	61.6	70.8	46.5	58.8	51.5	34.8	43.4
सिक्किम	51.2	42.7	47.2	83.2	68.7	76.2	80.9	66.4	74.0	66.9	54.4	60.9
तमिलनाडू	46.9	17.5	32.9	77.5	41.5	59.3	71.4	38.6	54.7	56.5	31.6	44.0
तेलंगाना	48.7	22.3	36.3	77.7	48.4	63.4	72.0	43.1	57.7	56.4	33.6	45.1
त्रिपुरा	52.3	18.6	36.4	80.0	38.8	59.4	73.7	34.8	54.3	59.7	28.1	43.9
उत्तराखंड	48.3	26.1	37.5	75.1	39.2	57.2	70.1	37.0	53.5	53.1	28.2	40.6
उत्तर प्रदेश	59.9	16.3	38.5	79.8	31.5	55.4	77.2	30.6	53.9	53.3	21.8	37.8
पश्चिम बंगाल	63.1	23.9	43.3	84.8	36.1	60.3	79.0	33.1	56.1	61.7	26.3	44.1
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	62.4	30.0	45.9	84.9	42.6	63.9	79.1	39.8	60.0	64.2	32.4	48.8
चंडीगढ़	49.7	19.6	34.3	77.7	24.2	51.8	69.2	20.8	45.6	55.4	16.8	36.7
दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	79.3	36.5	60.9	89.4	36.4	66.6	88.0	35.4	65.0	67.4	24.4	47.5
जम्मू एवं कश्मीर	49.9	32.4	41.2	78.4	50.0	64.3	74.2	46.9	60.7	54.5	35.3	45.1
लद्दाख	30.5	17.4	25.0	65.2	56.7	61.2	58.3	55.6	57.0	44.2	43.4	43.8
लक्षद्वीप	32.4	11.5	21.0	73.0	17.0	41.0	62.3	14.8	35.5	46.4	11.5	27.1
पुदुच्चेरी	45.5	18.6	31.6	76.4	36.5	54.7	70.7	31.6	49.6	55.4	26.3	40.1
अखिल भारत	57.3	21.9	40.1	80.2	38.5	59.5	76.0	35.9	56.0	54.4	27.0	41.1

स्रोत - वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2022-23, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

पी एस: प्रमुख स्थिति। एसएस: गौण स्थिति

उपरोक्त विवरण से यह देखा गया है कि वर्ष 2021-22 में दिल्ली में सभी आयु वर्ग के संदर्भ में श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 33.0 प्रतिशत था, जबकि 2022-23 में यह 35.0 प्रतिशत था और अखिल भारत स्तर पर यह क्रमशः 39.6 प्रतिशत और 41.1 प्रतिशत था।

- **बेरोजगारी दर (यूआर):** यूआर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

X100

नियोजित व्यक्तियों की संख्या+बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

विवरण 21.6 (ड)

सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार राज्यवार बेरोजगारी दर (यूआर)

(प्रतिशत में)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	15-29 वर्ष			15-59 वर्ष			15 वर्ष और अधिक			सभी आयु समूह (0+)		
	ग्रामीण+शहरी (जुलाई 2019-जून 2020)											
	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आंध्र प्रदेश	17.6	15.9	17.1	5.5	4.4	5.1	5.0	4.1	4.7	5.0	4.1	4.7
अरुणाचल प्रदेश	22.0	28.5	23.8	6.3	9.6	7.0	5.9	9.5	6.7	5.9	9.5	6.7
असम	25.9	32.5	27.5	7.1	14.3	8.3	6.7	13.6	7.9	6.7	13.7	7.9
बिहार	18.2	9.4	17.6	6.2	1.8	5.7	5.6	1.7	5.1	5.7	1.7	5.3
छत्तीसगढ़	12.0	6.8	10.1	4.5	2.0	3.5	4.1	1.9	3.3	4.1	1.9	3.3
दिल्ली	21.6	27.5	22.5	8.7	10.3	9.0	8.4	9.8	8.6	8.5	9.8	8.7
गोवा	20.8	33.2	25.1	6.9	12.5	8.5	6.6	11.9	8.1	6.6	11.9	8.1
गुजरात	6.4	3.8	5.8	2.6	1.1	2.2	2.4	1.1	2.0	2.4	1.1	2.0
हरियाणा	16.8	22.4	17.6	6.6	6.7	6.7	6.3	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5
हिमाचल प्रदेश	15.0	10.3	13.0	5.1	3.2	4.2	4.4	2.8	3.7	4.4	2.8	3.7
झारखंड	14.8	4.4	11.6	6.2	1.3	4.6	5.7	1.3	4.2	5.6	1.3	4.2
कर्नाटक	10.7	22.0	14.1	3.7	6.6	4.6	3.4	6.2	4.2	3.4	6.2	4.2
केरल	26.5	53.7	35.4	8.7	17.1	11.6	7.4	15.1	10.0	7.4	15.1	10.0
मध्य प्रदेश	9.3	5.6	8.4	4.0	1.4	3.2	3.7	1.4	3.0	3.7	1.4	3.0
महाराष्ट्र	10.8	10.0	10.6	3.9	2.6	3.5	3.5	2.4	3.2	3.5	2.4	3.2
मणिपुर	31.0	37.1	33.1	9.7	11.2	10.1	9.1	10.4	9.5	9.1	11.1	9.7
मेघालय	6.1	15.1	8.9	2.2	3.7	2.8	2.1	3.6	2.7	2.1	3.6	2.7
मिजोरम	21.9	17.5	20.2	6.0	5.9	6.0	5.8	5.6	5.7	5.8	5.6	5.7
नागालैंड	71.1	68.2	70.1	26.7	30.1	27.8	24.8	27.6	25.7	24.8	27.8	25.8
ओडिसा	22.9	12.8	19.6	7.9	4.3	6.7	7.1	4.1	6.2	7.3	4.1	6.3
पंजाब	18.4	19.7	18.7	7.6	8.4	7.8	7.1	8.0	7.3	7.1	8.2	7.4
राजस्थान	14.7	9.1	13.1	6.1	2.8	5.0	5.5	2.5	4.5	5.5	2.5	4.5
सिक्किम	8.8	5.1	7.2	2.9	1.8	2.4	2.5	1.7	2.2	2.5	1.7	2.2
तमिलनाडू	20.8	21.2	20.9	6.3	5.2	5.9	5.7	4.7	5.3	5.7	4.7	5.3
तेलंगाना	25.4	21.5	24.2	8.4	6.1	7.5	7.6	5.8	7.0	7.7	5.8	7.0
त्रिपुरा	10.3	13.6	10.8	3.6	2.9	3.5	3.3	2.8	3.2	3.3	2.8	3.2
उत्तराखंड	20.3	17.9	19.7	8.5	6.0	7.7	7.8	5.6	7.1	7.8	5.6	7.1
उत्तर प्रदेश	12.9	10.6	12.6	5.2	2.9	4.8	4.8	2.7	4.4	4.9	2.7	4.5
पश्चिम बंगाल	15.4	10.1	14.2	5.5	3.7	5.0	4.9	3.6	4.6	5.0	3.6	4.6
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	20.2	59.9	34.2	6.4	28.2	13.0	6.3	27.7	12.6	6.3	27.3	12.6
चंडीगढ़	12.2	12.8	12.3	5.8	7.8	6.2	6.0	7.6	6.3	6.0	7.6	6.3
दादरा नगर हवेली	7.9	0.0	6.1	4.4	0.1	3.1	4.1	0.1	3.0	4.1	0.1	3.0
दमन एवं दीव	5.6	9.6	6.2	2.9	2.8	2.9	2.9	2.7	2.9	2.9	2.7	2.9
जम्मू एवं कश्मीर	13.3	27.9	18.3	4.7	12.2	7.2	4.2	11.6	6.7	4.3	11.6	6.7
लद्दाख	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1
लक्षद्वीप	24.8	69.5	36.2	11.0	22.2	14.0	10.6	22.2	13.7	10.6	22.2	13.7
पुदुच्चेरी	24.8	37.3	28.7	6.8	10.9	8.1	6.4	10.3	7.6	6.4	10.3	7.6
अखिल भारत	15.1	14.6	15.0	5.5	4.5	5.2	5.0	4.2	4.8	5.1	4.2	4.8

पी एस: प्रमुख स्थिति; एसएस : गौण स्थिति

विवरण 21.6 (ढ)
सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार राज्यवार बेरोजगारी दर (यूआर)

(प्रतिशत में)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	15-29 वर्ष			15-59 वर्ष			15 वर्ष और अधिक			सभी आयु समूह (0+)		
	ग्रामीण+शहरी (जुलाई 2020–जून 2021)											
	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आंध्र प्रदेश	17.3	11.1	15.3	5.3	2.8	4.4	4.9	2.7	4.1	4.9	2.7	4.1
अरुणाचल प्रदेश	18.6	30.3	21.9	4.7	9.5	6.0	4.5	9.3	5.7	4.5	9.3	5.7
असम	14.4	20.9	16.1	3.5	7.1	4.3	3.3	6.8	4.1	3.3	6.8	4.1
बिहार	17.3	14.4	17.0	5.4	3.0	5.1	4.8	2.8	4.6	5.0	2.8	4.7
छत्तीसगढ़	9.6	4.2	7.5	3.5	1.4	2.7	3.3	1.3	2.5	3.3	1.3	2.5
दिल्ली	15.5	18.1	15.9	6.4	6.6	6.4	6.3	6.4	6.3	6.2	6.4	6.3
गोवा	20.9	37.7	25.8	9.6	15.1	11.1	9.1	14.1	10.5	9.2	14.1	10.5
गुजरात	5.9	4.0	5.5	2.4	2.1	2.3	2.3	2.0	2.2	2.3	2.0	2.2
हरियाणा	14.5	20.1	15.3	6.9	5.5	6.6	6.5	5.3	6.3	6.5	5.3	6.3
हिमाचल प्रदेश	15.1	9.4	12.8	4.7	2.7	3.8	4.1	2.4	3.3	4.0	2.4	3.3
झारखंड	10.5	2.2	7.9	4.8	0.8	3.4	4.4	0.7	3.1	4.4	0.7	3.1
कर्नाटक	7.4	12.2	8.8	2.9	3.0	2.9	2.6	2.8	2.7	2.7	2.8	2.7
केरल	25.3	51.2	33.7	8.6	17.0	11.6	7.5	15.1	10.1	7.5	15.1	10.1
मध्य प्रदेश	6.4	3.3	5.6	2.6	1.0	2.1	2.4	0.9	1.9	2.4	0.9	1.9
महाराष्ट्र	12.1	10.4	11.6	4.6	3.0	4.1	4.1	2.7	3.7	4.1	2.7	3.7
मणिपुर	21.4	22.7	21.8	5.9	6.1	5.9	5.6	5.8	5.6	5.6	5.8	5.6
मेघालय	4.8	6.3	5.3	1.6	2.1	1.8	1.5	2.0	1.7	1.5	2.0	1.7
मिजोरम	14.4	14.5	14.4	3.7	3.9	3.8	3.4	3.6	3.5	3.4	3.6	3.5
नागालैंड	54.9	55.5	55.2	20.8	20.8	20.8	19.2	19.2	19.2	19.2	19.5	19.3
ओडिसा	19.2	10.8	16.9	7.0	3.3	5.9	6.3	3.1	5.3	6.3	3.1	5.4
पंजाब	16.4	28.8	18.8	5.9	9.2	6.7	5.5	8.6	6.2	5.5	8.4	6.2
राजस्थान	15.7	7.8	13.4	6.6	2.5	5.2	6.0	2.2	4.7	6.1	2.2	4.8
सिक्किम	4.6	3.9	4.4	1.4	0.9	1.2	1.3	0.9	1.1	1.3	0.9	1.1
तमिलनाडू	18.3	25.6	20.4	5.9	5.6	5.8	5.3	5.0	5.2	5.3	5.0	5.2
तेलंगाना	15.0	19.0	16.1	5.5	4.5	5.1	5.2	4.4	4.9	5.2	4.4	4.9
त्रिपुरा	11.8	13.2	12.1	3.8	3.1	3.6	3.4	2.9	3.2	3.4	2.9	3.2
उत्तराखंड	21.8	18.3	21.0	8.3	5.6	7.5	7.7	5.0	6.9	7.7	5.0	6.9
उत्तर प्रदेश	11.5	11.8	11.6	5.1	3.2	4.6	4.5	2.9	4.2	4.5	2.9	4.2
पश्चिम बंगाल	12.0	8.3	11.1	4.4	2.3	3.8	4.0	2.2	3.5	4.0	2.2	3.5
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	14.1	46.6	26.3	4.1	20.1	9.6	3.8	18.8	9.1	3.8	18.8	9.1
चंडीगढ़	19.4	9.1	16.5	8.6	4.0	7.3	8.2	4.0	7.1	8.7	4.0	7.5
दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	13.3	6.6	12.1	5.1	1.8	4.3	5.0	1.8	4.2	5.0	1.8	4.2
जम्मू एवं कश्मीर	16.1	22.6	18.3	5.2	8.4	6.4	4.7	8.0	5.9	4.7	8.0	5.9
लद्दाख	22.3	64.0	42.3	1.5	4.8	3.0	1.4	4.8	2.9	1.4	4.8	2.9
लक्षद्वीप	34.9	72.8	47.6	7.6	35.3	13.6	7.4	35.3	13.4	7.4	35.3	13.4
पुदुच्चेरी	20.7	37.8	25.6	6.4	8.7	7.1	6.0	8.2	6.7	6.0	8.2	6.7
अखिल भारत	13.0	12.5	12.9	4.9	3.7	4.6	4.5	3.5	4.2	4.5	3.5	4.2

पी एस: प्रमुख स्थिति; एसएस : गौण स्थिति

विवरण 21.6 (ण)
सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार राज्यवार बेरोजगारी दर (यूआर)

(प्रतिशत में)

ग्रामीण+शहरी (जुलाई 2021-जून 2022)												
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	15-29 वर्ष			15-59 वर्ष			15 वर्ष और अधिक			सभी आयु समूह (0+)		
	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आंध्र प्रदेश	15.6	14.8	15.3	5.2	3.7	4.6	4.6	3.5	4.2	4.6	3.5	4.2
अरुणाचल प्रदेश	26.5	36.9	29.7	7.4	9.9	8.1	7.0	9.5	7.7	7.0	9.4	7.7
असम	11.4	15.0	12.4	3.7	5.2	4.1	3.5	5.0	3.9	3.5	4.9	3.8
बिहार	20.5	15.3	20.1	7.0	3.0	6.5	6.4	2.8	5.9	6.4	2.8	6.0
छत्तीसगढ़	7.6	5.4	6.7	3.0	1.9	2.6	2.8	1.8	2.4	2.8	2.1	2.5
दिल्ली	9.7	11.0	9.9	5.3	6.0	5.4	5.1	6.0	5.3	5.1	6.0	5.3
गोवा	23.6	47.1	30.5	10.3	20.0	12.4	9.9	19.7	12.0	9.8	19.7	12.0
गुजरात	6.3	3.5	5.6	2.5	1.3	2.1	2.3	1.3	2.0	2.3	1.3	2.0
हरियाणा	21.6	32.0	23.3	9.3	9.4	9.3	8.9	9.1	9.0	8.9	9.1	9.0
हिमाचल प्रदेश	15.1	9.5	12.8	5.3	3.8	4.6	4.6	3.4	4.0	4.6	3.4	4.0
झारखंड	5.4	1.9	4.1	3.0	0.9	2.2	2.7	0.8	2.0	2.7	0.8	2.0
कर्नाटक	11.0	10.8	10.9	3.7	2.7	3.4	3.4	2.5	3.2	3.4	2.5	3.2
केरल	24.0	45.7	30.9	8.6	15.8	11.2	7.4	13.5	9.6	7.4	13.5	9.6
मध्य प्रदेश	6.9	3.1	6.0	2.8	1.0	2.2	2.6	0.9	2.1	2.6	0.9	2.1
महाराष्ट्र	10.5	12.7	11.1	4.1	3.2	3.8	3.7	2.9	3.5	3.7	2.9	3.5
मणिपुर	26.2	39.6	30.4	8.1	13.9	9.6	7.6	13.0	9.0	7.6	13.0	9.0
मेघालय	5.2	10.8	7.5	1.9	3.8	2.7	1.8	3.7	2.6	1.8	3.7	2.6
मिजोरम	16.6	30.7	21.5	4.4	8.5	5.7	4.1	7.9	5.4	4.2	7.9	5.4
नागालैंड	30.3	30.8	30.5	9.2	10.6	9.7	8.6	9.8	9.1	8.6	9.8	9.1
ओडिसा	21.9	14.9	19.8	7.4	4.6	6.5	6.7	4.4	6.0	6.7	4.4	6.0
पंजाब	16.6	30.1	19.2	6.4	9.4	7.0	5.7	8.7	6.4	5.8	8.7	6.4
राजस्थान	14.9	8.4	13.0	6.4	2.7	5.1	5.8	2.5	4.7	5.8	2.5	4.7
सिक्किम	3.8	9.0	5.8	1.2	2.5	1.7	1.1	2.3	1.6	1.1	2.3	1.6
तमिलनाडू	19.4	21.6	20.0	5.8	4.5	5.3	5.2	4.0	4.8	5.2	4.0	4.8
तेलंगाना	12.3	18.3	14.2	4.1	5.0	4.5	3.9	4.8	4.2	3.9	4.8	4.2
त्रिपुरा	8.6	24.0	11.5	2.7	4.9	3.2	2.5	4.5	3.0	2.8	4.5	3.3
उत्तराखंड	22.6	16.7	21.1	9.8	5.2	8.4	9.2	4.7	7.8	9.2	4.7	7.8
उत्तर प्रदेश	8.6	6.7	8.2	3.6	2.0	3.2	3.3	1.8	2.9	3.3	1.8	2.9
पश्चिम बंगाल	12.6	6.9	11.3	4.4	2.0	3.8	4.0	1.8	3.4	4.0	1.8	3.5
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	16.0	41.6	24.7	4.5	14.5	8.0	4.3	14.1	7.8	4.3	14.1	7.8
चंडीगढ़	15.8	19.9	16.6	6.2	8.0	6.5	5.9	8.0	6.3	5.9	7.9	6.3
दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	7.1	14.4	8.5	4.2	8.7	5.4	4.0	8.5	5.2	4.0	8.5	5.2
जम्मू एवं कश्मीर	10.9	20.8	14.4	3.8	9.0	5.7	3.4	8.5	5.2	3.4	8.5	5.2
लद्दाख	25.4	3.4	14.6	5.0	1.9	3.8	4.4	1.6	3.3	4.4	1.6	3.3
लक्षद्वीप	37.1	73.4	48.1	13.2	35.2	17.4	13.0	35.2	17.2	13.0	35.2	17.2
पुदुच्चेरी	20.7	15.8	19.3	7.3	4.0	6.2	6.8	3.7	5.8	6.8	3.7	5.8
अखिल भारत	12.6	11.8	12.4	4.8	3.6	4.4	4.4	3.3	4.1	4.4	3.3	4.1

पी एस: प्रमुख स्थिति / एसएस : गौण स्थिति

स्रोत - वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2021-22, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

विवरण 21.6 (त)
सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार राज्यवार बेरोजगारी दर (यूआर)

(प्रतिशत में)

ग्रामीण+शहरी (जुलाई 2022-जून 2023)												
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (1)	15-29 वर्ष			15-59 वर्ष			15 वर्ष और अधिक			सभी आयु समूह (0+)		
	पुरुष (2)	महिला (3)	सभी (4)	पुरुष (5)	महिला (6)	सभी (7)	पुरुष (8)	महिला (9)	सभी (10)	पुरुष (11)	महिला (12)	सभी (13)
आंध्र प्रदेश	14.3	18.5	15.7	4.6	4.2	4.4	4.2	4.0	4.1	4.2	4.0	4.1
अरुणाचल प्रदेश	19.9	14.1	17.6	5.3	4.7	5.1	5.0	4.5	4.8	5.0	4.5	4.8
असम	3.2	12.1	4.3	1.3	3.5	1.7	1.3	3.4	1.7	1.3	3.4	1.7
बिहार	15.4	7.0	13.9	5.1	1.6	4.3	4.6	1.6	3.9	4.6	1.6	3.9
छत्तीसगढ़	7.7	6.1	7.1	3.0	2.1	2.7	2.8	2.0	2.4	2.8	2.0	2.5
दिल्ली	6.1	6.2	6.1	1.9	2.3	2.0	1.8	2.2	1.9	1.8	2.2	1.9
गोवा	19.8	41.3	27.4	7.8	15.2	10.0	7.7	14.7	9.7	7.7	14.7	9.7
गुजरात	5.3	4.5	5.1	2.1	1.4	1.8	1.9	1.3	1.7	1.9	1.3	1.7
हरियाणा	16.8	21.3	17.5	6.8	4.9	6.4	6.4	4.7	6.1	6.4	4.7	6.1
हिमाचल प्रदेश	11.4	13.9	12.5	4.1	6.0	5.0	3.4	5.3	4.3	3.5	5.3	4.4
झारखंड	6.5	1.6	4.7	2.6	0.6	1.8	2.3	0.6	1.7	2.3	0.6	1.7
कर्नाटक	7.8	10.4	8.5	2.6	2.5	2.6	2.5	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4
केरल	20.6	43.8	28.7	5.8	12.6	8.4	4.8	10.7	7.0	4.8	10.7	7.0
मध्य प्रदेश	4.6	3.9	4.4	1.9	1.3	1.7	1.8	1.2	1.6	1.8	1.2	1.6
महाराष्ट्र	11.6	9.1	10.9	3.9	2.5	3.4	3.5	2.3	3.1	3.5	2.3	3.1
मणिपुर	18.8	22.0	19.7	5.2	4.7	5.0	4.8	4.5	4.7	4.8	4.5	4.7
मेघालय	13.0	23.8	18.0	4.4	8.4	6.2	4.3	8.2	6.0	4.2	8.2	6.0
मिजोरम	8.9	16.4	11.9	1.8	3.1	2.3	1.7	3.0	2.2	1.7	3.0	2.2
नागालैंड	20.8	15.6	18.5	5.2	3.8	4.6	4.9	3.5	4.3	4.9	3.5	4.3
ओडिसा	16.9	8.6	13.8	5.3	2.6	4.3	4.7	2.4	3.9	4.7	2.4	3.9
पंजाब	15.3	24.5	17.5	5.7	9.3	6.7	5.2	8.7	6.1	5.2	8.7	6.1
राजस्थान	14.4	9.0	12.5	6.0	3.2	4.9	5.4	2.9	4.4	5.4	2.9	4.4
सिक्किम	6.2	15.0	10.2	1.6	3.4	2.4	1.5	3.1	2.2	1.5	3.1	2.2
तमिलनाडू	15.1	23.8	17.5	4.5	5.3	4.8	4.1	4.7	4.3	4.1	4.7	4.3
तेलंगाना	14.7	16.2	15.1	4.9	4.0	4.6	4.7	3.8	4.4	4.7	3.8	4.4
त्रिपुरा	6.3	5.6	6.1	1.7	1.2	1.5	1.5	1.1	1.4	1.5	1.1	1.4
उत्तराखंड	14.2	14.3	14.2	5.0	4.7	4.9	4.6	4.2	4.5	4.7	4.2	4.5
उत्तर प्रदेश	7.1	6.6	7.0	2.9	1.9	2.6	2.6	1.8	2.4	2.7	1.8	2.4
पश्चिम बंगाल	7.5	6.0	7.1	2.5	2.1	2.3	2.2	2.0	2.2	2.2	2.0	2.2
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	10.7	42.3	24.6	4.3	20.3	10.3	4.0	19.8	9.7	4.0	19.8	9.7
चंडीगढ़	8.6	3.7	7.2	4.4	3.0	4.1	4.3	2.9	4.0	4.3	2.9	4.0
दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	1.9	11.0	4.4	1.4	6.3	2.6	1.4	5.9	2.5	1.4	5.9	2.5
जम्मू एवं कश्मीर	10.7	18.0	13.7	3.3	7.0	4.8	3.0	6.5	4.4	3.0	6.5	4.4
लद्दाख	22.9	38.0	28.1	6.5	7.0	6.7	6.3	6.0	6.1	6.3	6.0	6.1
लक्षद्वीप	42.0	40.4	41.6	10.5	15.0	11.6	10.0	14.4	11.1	10.0	14.4	11.1
पुदुच्चेरी	21.7	26.2	23.2	6.2	6.0	6.1	5.5	5.8	5.6	5.5	5.8	5.6
अखिल भारत	9.7	10.6	10.0	3.6	3.2	3.4	3.3	2.9	3.2	3.3	2.9	3.2

पी एस: प्रमुख स्थिति। एसएस : गौण स्थिति

स्रोत - वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2022-23, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

उपरोक्त विवरण से यह देखा गया है कि वर्ष 2021-22 में दिल्ली में सभी आयु वर्ग के संदर्भ में बेरोजगारी दर (यूआर) 5.3 प्रतिशत थी, जबकि 2022-23 में यह 1.9 प्रतिशत थी और अखिल भारत स्तर पर यह क्रमशः 4.1 प्रतिशत और 3.2 प्रतिशत थी।

विवरण 21.6 (थ)

विभिन्न राज्यों के शहरी क्षेत्र के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के अनुसार
त्रैमासिक बेरोजगारी दर (यूआर) आयु समूह 15 वर्ष और उससे अधिक

(प्रतिशत में)

राज्य	जुलाई- सितम्बर 2021	अक्टूबर- दिसम्बर 2021	जनवरी- मार्च 2022	अप्रैल-जून 2022	जुलाई- सितम्बर 2022	अक्टूबर- दिसम्बर 2022	जनवरी- मार्च 2023	अप्रैल- जून 2023
आंध्र प्रदेश	7.9	7.4	8.3	8.4	8.3	8.7	8.7	8.5
असम	10.2	9.0	9.9	8.2	6.3	6.7	8.0	9.0
बिहार	11.6	11.1	10.2	11.3	9.7	10.9	8.0	6.1
छत्तीसगढ़	10.8	11.3	11.7	11.3	11.9	10.6	12.5	11.2
दिल्ली	9.0	9.1	7.8	6.2	4.1	3.9	3.1	2.7
गुजरात	4.9	4.5	4.3	3.1	2.9	3.2	3.0	2.8
हरियाणा	14.0	11.3	13.4	9.5	10.1	11.3	8.8	6.5
हिमाचल प्रदेश	12.5	11.0	10.5	11.1	11.0	10.4	14.5	13.8
झारखंड	13.6	9.6	8.2	7.4	6.8	7.0	8.6	9.8
कर्नाटक	5.5	5.5	4.9	4.6	4.4	4.8	5.1	4.0
केरल	18.2	15.1	13.2	12.5	12.5	8.9	9.7	10.0
मध्य प्रदेश	9.6	9.5	9.4	8.6	8.4	7.6	8.0	7.7
महाराष्ट्र	9.1	7.2	7.0	6.4	6.1	6.8	6.1	6.5
ओडिशा	14.6	14.0	12.6	11.4	10.1	9.8	7.7	6.7
पंजाब	8.2	7.6	7.5	8.2	8.3	8.0	8.9	8.6
राजस्थान	13.4	12.2	12.8	12.8	12.6	13.6	11.9	11.7
तमिलनाडु	10.8	10.2	8.3	8.2	7.7	6.8	6.3	6.8
तेलंगाना	9.5	7.7	6.6	8.3	8.1	9.9	8.4	8.8
उत्तराखंड	17.4	15.5	11.9	11.5	10.3	9.9	6.2	7.4
उत्तर प्रदेश	9.9	9.4	8.9	7.6	7.1	6.5	6.3	6.6
पश्चिम बंगाल	7.8	6.4	5.9	4.9	4.2	4.3	4.2	4.4
जम्मू एवं कश्मीर	16.6	14.4	15.4	13.8	13.0	13.5	12.4	10.9
अखिल भारत	9.8	8.7	8.2	7.6	7.2	7.2	6.8	6.6

इसमें किन्नर भी शामिल हैं।

जम्मू -कश्मीर के आंकड़ों में लद्दाख के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

स्रोत: त्रैमासिक बुलेटिन पीएलएफएस, जुलाई-सितम्बर 2021 से अप्रैल-जून 2023

उपरोक्त विवरण से यह देखा जा सकता है कि शहरी दिल्ली में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में बेरोजगारी दर (यूआर) 9.0 प्रतिशत (जुलाई-सितम्बर 2021 तिमाही में) से घटकर 2.7 प्रतिशत (अप्रैल-जून 2023 तिमाही में) हो गई। अप्रैल-जून 2023 की तिमाही के दौरान अखिल भारत स्तर पर शहरी बेरोजगारी दर 6.6 प्रतिशत रही।

3. दिल्ली में संगठित क्षेत्र में रोजगार

- 3.1 देश का राजधानी शहर होने के नाते, लगभग सभी सरकारी कार्यालय दिल्ली में स्थित हैं। इस तरह सरकारी क्षेत्र में रोजगार के प्रचुर अवसर उपलब्ध हैं। प्रत्याशी सभी उपलब्ध रोजगारों में से अपनी पसंद के प्रशासनिक, वित्तीय, प्रबंधन और कार्यपालक स्तर के व्यवसायों का चयन करते हैं। इन व्यवसायों में अत्यंत आकर्षक पारिश्रमिक भी दिया जाता है।
- 3.2 दिल्ली में निजी क्षेत्र ने भी वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तरह अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। कठिनाइयों के बावजूद इस क्षेत्र में बढ़ते अवसरों ने उम्मीदवारों को तरक्की, प्रतिष्ठा और उभरती हुई संभावनाओं को लेकर जोश जगाया है। दिल्ली में लगभग सभी प्रमुख उद्योगों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल, औषधि निर्माण, मीडिया, मनोरंजन, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं, सेवा संबंधी विभिन्न प्रकार की अन्य गतिविधियों आदि से सम्बद्ध हैं। बड़ी औद्योगिक कंपनियों ने दिल्ली में अपने प्रचालन सक्षमतापूर्वक संचालित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर कार्यालय/केंद्र स्थापित किये हैं। दिल्ली में पिछले एक दशक में संगठित क्षेत्र में रोजगार के बारे में सूचना विवरण 21.7 में दी गई है।

विवरण 21.7 दिल्ली में संगठित क्षेत्र में रोजगार

(संख्या लाख में)

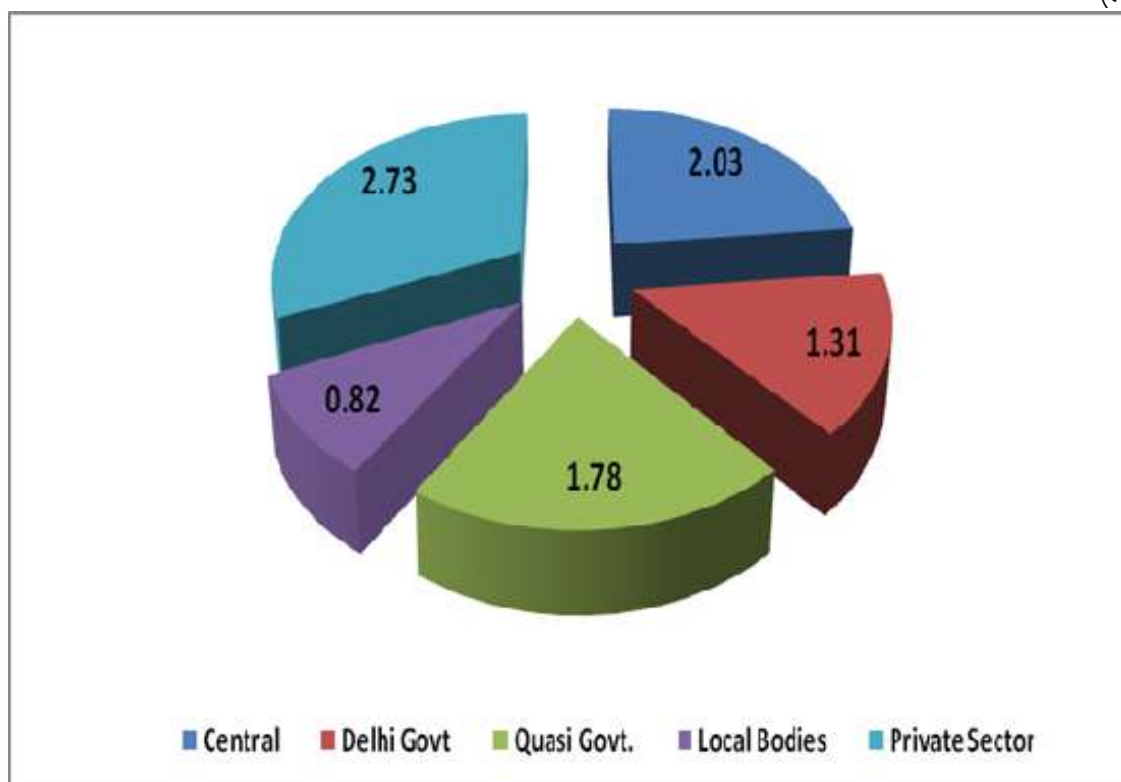
क्र. सं.	वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र					निजी क्षेत्र	कुल
		केंद्रीय	दिल्ली सरकार	अर्द्ध सरकारी	स्थानीय निकाय	उप-जोड़		
1.	2008-09	2.03	1.27	1.79	0.83	5.92	2.51	8.43
2.	2010-11	2.03	1.26	1.81	0.83	5.93	2.46	8.39
3.	2011-12	2.02	1.31	1.60	0.82	5.75	1.91	7.66
4.	2012-13	1.96	1.30	1.31	0.82	5.39	2.31	7.70
5.	2013-14	2.02	1.31	1.46	0.83	5.62	2.85	8.47
6.	2014-15	2.02	1.31	1.59	0.82	5.74	1.99	7.73
7.	2015-16	1.85	1.31	1.60	0.82	5.58	1.99	7.57
8.	2016-17	1.85	1.31	1.60	0.82	5.58	1.96	7.54
9.	2017-18	2.03	1.31	1.78	0.82	5.94	2.73	8.67
10.	2018-19	2.03	1.31	1.78	0.82	5.94	2.73	8.67

स्रोत : रोजगार निदेशालय, रा.रा.राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

- 3.3 विवरण 21.7 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दिल्ली में पिछले दशक के दौरान संगठित क्षेत्र में रोजगार में 2.84 प्रतिशत सालाना की वृद्धि का रुझान देखा गया। इसी अवधि के दौरान निजी क्षेत्र के रोजगार में 8.76 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी दिखाई देती है। सार्वजनिक क्षेत्र, विशेष रूप से केंद्र सरकार, अर्द्ध सरकारी उपक्रमों और स्थानीय निकायों में भी रोजगार के अवसरों में वृद्धि का रुझान देखा गया, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत रोजगार के अवसरों में सकारात्मक वृद्धि दिखाई दी और यह 2008-09 के 1.27 लाख से बढ़कर 2018-19 में 1.31 लाख हो गयी। यानी इसमें 3.14 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई। दिल्ली में 2018-19 के दौरान संगठित क्षेत्र के बारे में जानकारी चार्ट 21.4 में दर्शायी गई है।

चार्ट 21.4
दिल्ली में 2018-19 के दौरान संगठित क्षेत्र में रोजगार

(लाख)



4. दिल्ली में बेरोजगारी की स्थिति

- 4.1 आमतौर पर उस व्यक्ति को बेरोजगार माना जाता है जो काम करने के लिए सक्षम और तैयार हो लेकिन जिसे उपयुक्त काम न मिल पाए। बेरोजगारी की दर का आकलन बेरोजगार श्रमिकों की संख्या को बेरोजगार और रोजगारशुदा, दोनों तरह के श्रमिकों की कुल संख्या (यानी काम करने के इच्छुक और पारिश्रमिक के लिए काम करने में सक्षम) से भाग देकर किया जाता है अथवा बेरोजगारी दर का आकलन श्रम शक्ति के प्रति 1000 व्यक्तियों में से बेरोजगार लोगों की संख्या से भी लगाया जाता है। व्यवहार में काम खोजने वाले बेरोजगार लोगों की असल संख्या जान लेना वाकई बहुत कठिन कार्य है। बेरोजगार श्रमिकों की संख्या का पता लगाने के कई अलग-अलग तरीके हैं। हर तरीके की अपनी-अपनी प्राथमिकताएं हैं और विभिन्न देशों की अलग-अलग प्रणालियों की वजह से उनके बीच बेरोजगारी से जुड़े आंकड़ों की तुलना करना बड़ा कठिन हो जाता है।
- 4.2 2010-2022 के दौरान रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों के बारे में शैक्षिक आधार पर वर्गीकरण की जानकारी विवरण 21.8 में दी गई है।

विवरण 21.8

दिल्ली में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों का शैक्षिक वर्गीकरण-2010-2022

(31 दिसम्बर को)

क्र.सं.	शिक्षा	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2021	2022#
1.	मैट्रिक से कम	73259	91925	106362	128040	137158	147049	144774	149200	154330	1207
2.	मैट्रिक, हायर सेकेंडरी	296047	389742	467479	495423	616019	656088	686859	703041	1475437	26209
3.	स्नातक	86394	113248	138683	158728	180021	195450	209762	236816	261151	15125
4.	स्नातकोत्तर	14323	19249	24491	28167	31839	34033	36403	42242	53252	2797
5.	डिप्लोमा धारक	23361	29139	37554	44934	52532	56576	60098	66588	76064	3565
	कुल	493384	643303	774569	855292	1017569	1083896	1137896	1197887	2020234	48903

स्रोत: दिल्ली स्टैटिस्टिकल हैंडबुक, रोजगार निदेशालय, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली सरकार

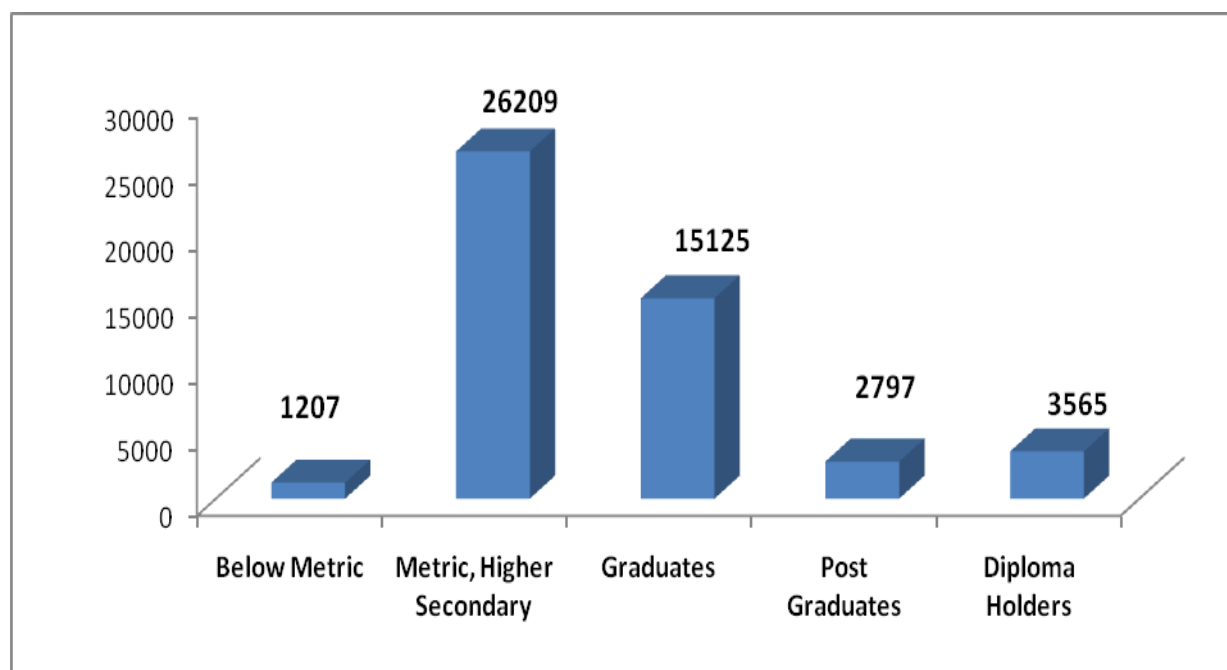
नोट: डिप्लोमा धारक पहले से ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उन्हें कुल योग में शामिल नहीं किया गया है।

#आवेदकों ने केवल वर्ष 2022 के दौरान पंजीकरण कराया और 2021 तक के आंकड़े संचयी हैं।

- 4.3 उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2022 में दिल्ली के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत 44 प्रतिशत बेरोजगारों की शैक्षिक योग्यता स्नातक और उससे अधिक थी। दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों में 56 प्रतिशत से अधिक बेरोजगार मैट्रिकुलेट श्रेणी में, उच्चतर माध्यमिक स्तर या कम की शिक्षा की श्रेणी में थे। 2022 के दौरान उपरोक्त के संबंध में जानकारी चार्ट 21.5 में दर्शाई गई है।

चार्ट 21.5

दिल्ली में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों का शैक्षिक वर्गीकरण-2022



- 4.4 2009-22 की अवधि में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार लोगों के व्यावसायिक आधार पर वितरण के बारे में जानकारी विवरण 21.9 में दी गई है।

विवरण 21.9

2009–2022 के दौरान दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार लोगों का व्यवसायिक आधार पर वर्गीकरण

(31 दिसम्बर को)

क्र.स	व्यवसाय	वर्ष										
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2021	2022#
1.	व्यवसायी	54203	98567	165666	226292	276427	329233	360697	379683	398833	430278	2186
2.	प्रशासन	1117	1453	1897	2656	3429	4148	5008	5645	6365	7170	1852
3.	लिपिकीय	6669	49535	104390	171616	231735	296164	338049	363509	387534	421130	899
4.	बिक्री	-	16933	29651	57247	87043	104047	119048	122604	126858	137253	11
5.	कृषक, मछुचारे, शिकारी, लकड़हारे और अन्य संबंधित	4480	6346	11963	14070	26758	30104	31692	33472	35278	38558	789
6.	उत्पादन और तत्संबंधी कार्य	13532	21428	30892	38389	44895	51061	56165	62263	66312	82585	567
7.	सेवा कर्मिक	44929	64253	124008	169545	214020	251841	277283	294062	309021	342484	56
8.	अकुशल	13693	17939	21536	24450	26782	29049	32033	34258	35415	35631	173
9.	अवर्गीकृत	275906	216930	153300	70304	1691	1809	1834	1868	1915	2094	6
	कुल	414539	493384	643303	774569	912780	1097456	1221809	1297364	1367531	1497183	6539

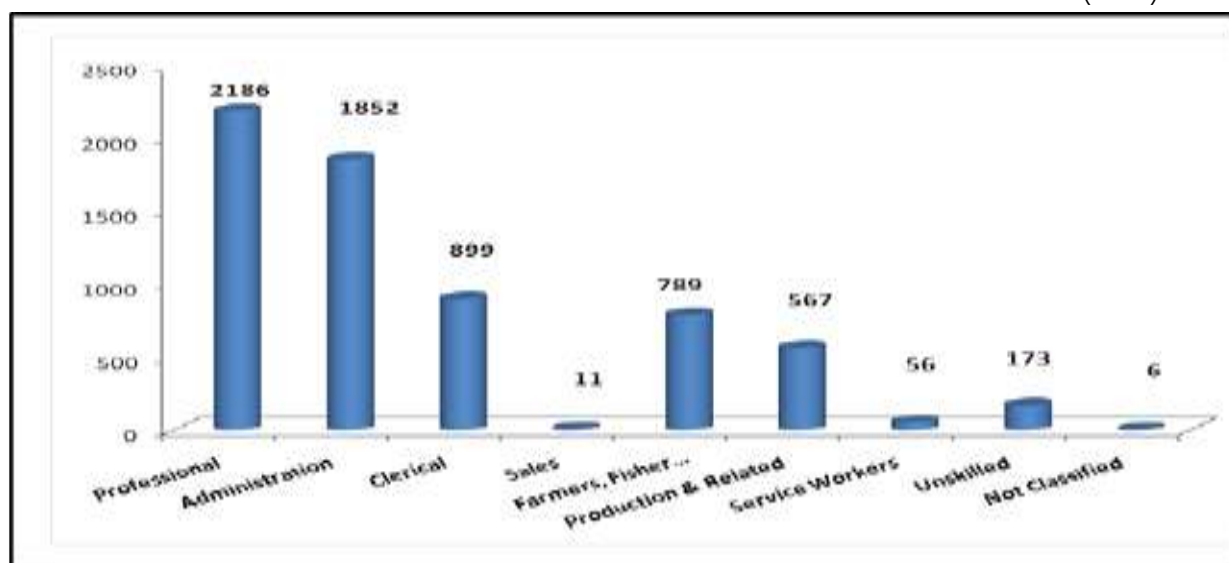
स्रोत: दिल्ली स्टैटिस्टिकल हैंडबुक। #आवेदकों ने केवल वर्ष 2022 के दौरान पंजीकरण कराया और 2021 तक के आंकड़े संचयी हैं।

- 4.5 विवरण 21.9 से अनुमान लगाया जा सकता है कि दिल्ली में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 2009 में 4.14 लाख से बढ़कर 2021 में 14.97 लाख हो गई। यह भी कि 2022 के दौरान बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या 6539 थी। 2022 के दौरान दिल्ली में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों का व्यावसायिक वितरण चार्ट 21.6 में दर्शाया गया है।

चार्ट 21.6

दिल्ली में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों का व्यावसायिक वितरण—2022

(संख्या)



- 4.6 वर्ष 2001–2011 के दौरान राज्यवार जनसंख्या, श्रमिक, श्रमिकों का प्रतिशत एवं श्रमिकों में वृद्धि, वर्ष 1999–2012 के दौरान श्रमिकों एवं गैर-श्रमिकों के आधार पर दिल्ली की जनसंख्या का वितरण एवं दिल्ली में बेरोजगारी की जानकारी क्रमशः तालिका 21.1, 21.2 और 21.3 में प्रस्तुत की गई है।

अध्याय एक नज़र में

➤	2011 की जनगणना में, दिल्ली की जनसंख्या 167.88 लाख के स्तर तक बढ़ गई, जो इस तथ्य को दर्शाती है कि 2001–2011 के दौरान औसतन दिल्ली की जनसंख्या में 2.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
➤	वर्ष 2019–20 में दिल्ली में सभी आयु वर्ग के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 37.2% थी, जबकि 2020–21 में यह 36.0% थी और अखिल भारतीय स्तर पर यह क्रमशः 40.1% और 41.6% थी।
➤	वर्ष 2021–22 में दिल्ली में सभी आयु वर्ग के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 34.8% थी, जबकि 2022–23 में यह 35.7% थी और अखिल भारतीय स्तर पर यह क्रमशः 41.3% और 42.4% थी।
➤	वर्ष 2019–20 में दिल्ली में सभी उम्र के सापेक्ष श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 34% था, जबकि 2021–22 में यह 33.7% था और अखिल भारतीय स्तर पर यह क्रमशः 38.2% और 39.8% था।
➤	वर्ष 2021–22 में दिल्ली में सभी उम्र के सापेक्ष श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 33% था, जबकि 2022–23 में यह 35.0% था और अखिल भारतीय स्तर पर यह क्रमशः 39.6% और 41.1% था।
➤	वर्ष 2019–20 में दिल्ली में सभी आयु वर्ग के संदर्भ में बेरोजगारी दर (यूआर) 8.7% थी, जबकि 2020–21 में यह 6.3% थी और अखिल भारतीय स्तर पर यह क्रमशः 4.8% और 4.2% थी।
➤	वर्ष 2021–22 में दिल्ली में सभी आयु वर्ग के संदर्भ में बेरोजगारी दर (यूआर) 5.3% थी, जबकि 2022–23 में यह 1.9% थी और अखिल भारतीय स्तर पर यह क्रमशः 4.1% और 3.2% थी।
➤	दिल्ली में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत 81% से अधिक बेरोजगार व्यक्ति मैट्रिकुलेट श्रेणी या उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा की श्रेणी में थे।

तालिकाएं

तालिकाएं

तालिका सं	विषय	पृष्ठ संख्या
तालिका 1.1	दिल्ली एक नज़र में	472
तालिका 1.2	दिल्ली की अखिल भारत के साथ तुलना	474
तालिका 2.1	आर्थिक गतिविधि-वार जीएसवीए और जीएसडीपी-प्रचलित मूल्यों पर	475
तालिका 2.2	आर्थिक गतिविधि-वार एनएसवीए और एनएसडीपी-प्रचलित मूल्यों पर	476
तालिका 2.3	आर्थिक गतिविधि-वार जीएसवीए और जीएसडीपी-स्थिर मूल्यों पर	477
तालिका 2.4	आर्थिक गतिविधि-वार एनएसवीए और एनएसडीपी-स्थिर मूल्यों पर	478
तालिका 3.1	2017-18 से योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत सामाजिक सेवा क्षेत्र का व्यय	479
तालिका 3.2	2023-24 के दौरान सामाजिक सेवा क्षेत्र का परिव्यय	480
तालिका 3.3	योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं 2017-18	481
तालिका 3.4	योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं 2018-19	482
तालिका 3.5	योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं 2019-20	483
तालिका 3.6	योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं 2020-21	484
तालिका 3.7	योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं 2021-22	485
तालिका 3.8	योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं 2022-23	486
तालिका 3.9	योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं 2023-24	487
तालिका 4.1	राजस्व प्राप्तियां	488
तालिका 4.2 (क)	दिल्ली सरकार की समेकित निधि में राजस्व प्राप्तियां	489
तालिका 4.2 (ख)	दिल्ली सरकार की समेकित निधि में पूंजी प्राप्तियां	490
तालिका 4.2 (ग)	दिल्ली सरकार की समेकित निधि में प्राप्तियां	491
तालिका 4.3 (क)	दिल्ली सरकार की प्राप्ति, व्यय और अधिशेष/घाटा स्थिति	492
तालिका 4.3 (ख)	दिल्ली सरकार की प्राप्ति, व्यय और अधिशेष/घाटा स्थिति, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में	493
तालिका 4.3 (ग)	दिल्ली सरकार की प्राप्ति, व्यय और अधिशेष/घाटा पिछले वर्ष के प्रतिशत के रूप में	494
तालिका 4.4	सभी राज्यों का योजना और गैर योजना-व्यय, राजस्व और पूंजी विवरण	495
तालिका 4.5 (क)	सामान्य श्रेणी राज्यों के संदर्भ में निजी कर राजस्व	496
तालिका 4.5 (ख)	सामान्य श्रेणी राज्यों के संदर्भ में निजी कर राजस्व जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में	497
तालिका 4.6 (क)	संसाधनों की प्राप्ति 2013-14 से 2016-17	498
तालिका 4.6 (ख)	संसाधनों की प्राप्ति 2017-18 से 2023-24 (ब.अ.)	499
तालिका 4.7	तुलनात्मक वित्तीय संकेतक 2011-12 से 2022-23 (ब.अ.) तक	500
तालिका 4.8 (क)	सामान्य श्रेणी राज्यों के मामले में राजस्व अधिशेष (-)/घाटा (+)	502
तालिका 4.8 (ख)	सामान्य श्रेणी राज्यों के मामले में राजस्व अधिशेष /घाटा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में	503
तालिका 4.9 (क)	2013-14 से 2023-24 (ब.अ.) के दौरान सामान्य श्रेणी राज्यों का व्यय/परिव्यय	504

तालिका सं	विषय	
तालिका 4.9 (ख)	2013-14 से 2022-23 (RE) के दौरान सामान्य श्रेणी राज्यों का व्यय/परिव्यय जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में	505
तालिका 4.10	सामान्य श्रेणी राज्यों और भारत सरकार का जीएसडीपी और जीडीपी वर्तमान मूल्यों पर	506
तालिका 6.1	महीना और वर्ष वार अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक	507
तालिका 6.2	भारत में बड़े शहरों के औद्योगिक श्रमिकों के लिए समूह-वार मूल्य सूचकांक अंक 2021 और 2022	508
तालिका 7.1	दिल्ली का भूमि उपयोग पैटर्न : 2000-01 से 2023-24	509
तालिका 7.2	दिल्ली में 2009-10 से 2023-24 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन और पैदावार	510
तालिका 7.3	दिल्ली में स्रोत-वार सिंचाई और सिंचित क्षेत्र 2013-14 से 2023-24	511
तालिका 7.4	दिल्ली में वर्षा (जुलाई - सितंबर)	511
तालिका 8.1	विभिन्न स्थानों पर यमुना नदी के पानी की वार्षिक औसत गुणवत्ता : अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023	512
तालिका 8.2	दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर नालों के पानी की वार्षिक औसत गुणवत्ता : अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023	513
तालिका 12.1	दिल्ली में मोटर वाहन	514
तालिका 12.2	मोटर वाहन-प्रतिशत योगदान	515
तालिका 12.3	प्रति 1000 जनसंख्या पर वाहन और वार्षिक वृद्धि	516
तालिका 12.4	औसत दैनिक राइडरशिप / यात्री यात्रा और रोलिंग स्टॉक	517
तालिका 13.1	जल कनेक्शन और खपत	518
तालिका 13.2	विभिन्न प्रकार की बस्तियों में सीवरेज सुविधाएँ	519
तालिका 13.3	दिल्ली में जलापूर्ति स्रोत - 2011	520
तालिका 14.1	1961-2011 के दौरान दिल्ली का क्षेत्रफल : ग्रामीण और शहरी	521
तालिका 14.2	जनसंख्या का घनत्व : 1961-2011	521
तालिका 14.3	दिल्ली में पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता और स्रोत के अनुसार परिवारों का वर्गीकरण : 2011	521
तालिका 14.4	इस्तेमाल के आधार पर जनगणना आवास : 1991, 2001, 2011	522
तालिका 14.5	रा. रा. क्षे. दिल्ली में जनगणना टाउन और बसे हुए गांव : 1901-2011	523
तालिका 17.1	भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आबादी : 2011	524
तालिका 21.1	2001-2011 के दौरान राज्यवार जनसंख्या, कार्मिक, कार्मिकों का प्रतिशत और कार्मिकों की संख्या में वृद्धि	525
तालिका 21.2	दिल्ली की जनसंख्या का वितरण- श्रमिक और गैर-श्रमिक	526
तालिका 21.3	दिल्ली में रोजगार कार्यालय के लाइव रजिस्टर पर आवेदक का शैक्षिक वर्गीकरण	527

तालिका 1.1

दिल्ली एक नज़र में

क्र.स.	मद	इकाई	संख्या
1	भौगोलिक क्षेत्रफल	वर्ग कि.मी.	1483
2	ग्रामीण क्षेत्र	वर्ग कि.मी.	369.35
3	शहरी क्षेत्र	वर्ग कि.मी.	1113.65
क	प्रशासनिक व्यवस्था		
4	राजस्व जिले	संख्या .	11
5	ग्रामीण गांव	संख्या	112
6	शहरी गांव	संख्या	135
ख	जनगणना 2011 के अनुसार आबादी		
7	कुल आबादी	(लाख में)	167.88
8	पुरुष	(लाख में)	89.87
9	महिलाएं	(लाख में)	78.01
10	ग्रामीण	(लाख में)	4.19
11	शहरी	(लाख में)	163.69
12	शहरी अनुसूचित जाति	(लाख में)	28.12
13	शहरी जनसंख्या का घनत्व	प्रति वर्ग कि.मी.	11320
14	शहरी साक्षरता की दर	%	86.2
15	लिंग अनुपात	प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां	868
16	शहरी आबादी	%	97.50

तालिका 1.1
दिल्ली एक नज़र में

क्र.स.	मद	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
ग	राज्य की आय									
17	प्रचलित मूल्यों पर जीएसडीपी	₹ करोड	616085	677900	738389	792911	744277	881336	1014688	1107746
18	प्राथमिक क्षेत्र (जीएसवीए)	₹ करोड	9009	9776	13482	13717	12591	13024	14294	15376
19	प्राथमिक क्षेत्र की प्रतिशत	%	1.70	1.67	2.08	1.95	1.89	1.67	1.61	1.58
20	माध्यमिक क्षेत्र (जीएसवीए)	₹ करोड	71616	80987	87160	88310	84910	105791	117510	126897
21	माध्यमिक क्षेत्र की प्रतिशत	%	13.48	13.80	13.45	12.54	12.73	13.59	13.20	13.02
22	तृतीयक क्षेत्र (जीएसवीए)	₹ करोड	450551	496137	547197	602342	569399	659543	758481	832124
23	तृतीयक क्षेत्र की प्रतिशत	%	84.82	84.53	84.47	85.51	85.38	84.74	85.19	85.40
24	प्रतिव्यक्ति आय	₹	295558	318323	338730	355798	322311	376217	430120	461910
घ	वन									
25	वन क्षेत्र	वर्ग कि.मी.	188.77	192.41	192.41	195.44	195.44	195.00	195.00	195.00
26	वन और वृक्षाच्छादित क्षेत्र	वर्ग कि.मी.	299.77	305.41	305.41	324.44	324.44	342.00	342.00	342.00
ङ	विद्युत									
27	कुल वितरण	मि.यू.	26865	26830	29568	30266	26264	27420	30054	उपलब्ध नहीं है
28	औद्योगिक वितरण	मि.यू.	3088	3243	4271	3597	2819	3127	3104	
29	वाणिज्यिक वितरण	मि.यू.	7257	6550	6942	7606	5314	5920	6970	
30	घरेलू वितरण	मि.यू.	14060	14627	15541	16253	16360	16330	17779	
31	अन्य वितरण	मि.यू.	2460	2410	2814	2810	1772	2043	1229	
32	व्यस्तता के समय मांग	मेगावाट	6261	6526	7016	7409	6314	7323	7695	
च	शिक्षा									
33	प्राथमिक +मिडल स्कूल	संख्या	3668	3650	3590	3549	3508	3420	3295	उपलब्ध नहीं है
34	दाखिले	हजार में	3210	3185	3202	3247	3154	3199	3217	
35	माध्यमिक +वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	संख्या	2104	2110	2136	2142	2158	2199	2193	
36	दाखिले	हजार में	1233	1209	1217	1229	1325	1373	1412	
छ	परिवहन									
37	मार्ग लंबाई-दिल्ली मेट्रो (एयरपोर्ट लाइन & रैपिड मेट्रो के साथ)	कि.मी.	194.84	228.78	320.97	347.97	347.97	360.98	362.27	उपलब्ध नहीं है
38	मोटर वाहन	लाख में	103.83	109.86	113.91	118.93	122.53	79.18	79.46	
ज	सहकारी समितियां									
39	सहकारी समितियों की कुल संख्या	No's	5648	5731	5794	5870	5919	5982	5993	उपलब्ध नहीं है
40	कार्यरत सहकारी समितियों की संख्या	No's	3986	4069	4132	4208	4257	4320	4331	
41	सदस्यता	000s	1403	1408	1411	1416	1419	1422	1423	

क्र.स.	मद	इकाई	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
झ	जन सांख्यिकीय स्थिति								
42	जन्म दर	000s	20.16	19.13	18.55	18.35	14.85	13.13	14.24
43	मृत्यु दर	000s	7.53	7.10	7.44	7.29	7.03	8.28	6.07
44	शिशु मृत्यु दर	प्रति 1000 जीवित जन्मों पर	21.35	20.83	23.81	24.12	20.37	23.60	23.82
ञ	स्वास्थ्य								
45	अस्पताल	संख्या	83	88	88	88	88	89	92
46	औषधालय	संख्या	1240	1298	1432	1574	1575	1621	1658
47	प्रति 1000 आबादी पर बिस्तर	संख्या	2.86	2.99	2.96	2.74	2.88	2.89	2.70
ट	फैक्टरियां								
48	कार्यरत फैक्टरियां	संख्या	8968	9059	9121	8622	8643	8613	8690
49	कर्मचारी	संख्या	416833	420156	419578	403517	404602	402733	404169

तालिका 1.2

दिल्ली की अखिल भारत के साथ तुलना

क्र.स.	मद	इकाई	दिल्ली	भारत
	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या			
1	कुल लाख में	लाख में	167.88	12108.55
2	पुरुष	लाख में	89.87	6232.70
3	महिलाएं	लाख में	78.01	5875.85
4	ग्रामीण आबादी	लाख में	4.19	8337.49
5	ग्रामीण आबादी का प्रतिशत	%	2.5	68.86
6	शहरी आबादी	लाख में	163.69	3771.06
7	शहरी आबादी का प्रतिशत	%	97.5	31.14
8	लिंग अनुपात	प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां	868	943
9	2001-2011 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि	%	21.2	17.70
10	साक्षरता की दर	%	86.2	74.04
11	अजा/अजजा आबादी (2011 की जनगणना के अनुपात में)	लाख में	28.123	3059.24
12	प्रचलित मूल्यों पर राज्य/राष्ट्रीय आय			
13	सकल आय (2022-23)	₹ करोड	1107746	29657745
14	निवल आय (2022-23)	₹ करोड	997171	26558402
15	प्रति व्यक्ति निवल आय (2022-23)	₹	461910	185854
16	वृद्धि दर	%		
	2012-13		6.64	5.5
	2013-14		7.17	6.4
	2014-15		9.02	7.4
	2015-16		11.03	8.0
	2016-17		7.60	8.3
	2017-18		5.91	6.8
	2018-19		4.30	6.5
	2019-20		3.69	3.9
	2020-21		-8.96	-5.8
	2021-22		8.76	9.1
	2022-23		7.85	7.2
	2023-24		7.39	7.3

तालिका : 2.1

आर्थिक गतिविधि-वार जीएसवीए और जीएसडीपी-प्रचलित मूल्यों पर

(₹ लाख)

क्र. स	उद्योग	2011-12	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (3 rd स.अ.)	2021-22 (2 nd स.अ.)	2022-23 (1 st स.अ.)	2023-24 (अ.अ.)
1.	कृषि, वानिकी और मछली उद्योग	285663	243293	250202	286679	305306	317774	280242	260081	272003	311994
1.1	फसलें	65965	51384	52738	54670	53773	66747	74691	73447	77611	93579
1.2	पशुधन	217865	190015	195488	229972	249531	248791	203637	184725	193157	217183
1.3	वानिकी एवं काश्तकारी	1007	864	837	764	725	764	699	694	593	500
1.4	मछली उद्योग	826	1030	1139	1273	1277	1471	1216	1214	643	732
2.	खनन और उत्खनन	772879	755418	650679	690930	1042904	1053913	978816	1042350	1157425	1225655
	प्राथमिक क्षेत्र	1058542	998711	900882	977609	1348210	1371687	1259058	1302431	1429429	1537649
3.	विनिर्माण	1890728	3119470	3011670	3068031	3219159	3363696	3358132	4121262	4401436	4595861
4.	विद्युत गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	410629	1318089	1680062	2147575	2204256	2147151	1918221	2246608	2461382	2709940
5.	निर्माण	1666852	2081873	2469835	2883074	3292605	3320146	3214662	4211186	4888137	5383905
	माध्यमिक क्षेत्र	3968208	6519432	7161566	8098680	8716020	8830993	8491015	10579055	11750955	12689706
6.	व्यापार, होटल एवं रेस्तरां	4212068	6496448	6958017	7812044	8959312	9615380	7507603	9063533	11120224	11747066
6.1	व्यापार और मरम्मत सेवाएं	3806351	5941457	6318311	7101562	8155392	8716890	7118329	8446207	10370730	10946165
6.2	होटल एवं रेस्तरां	405718	554990	639706	710482	803920	898489	389275	617327	749495	800901
7.	परिवहन भंडारण और संचार	3928648	6881751	7461384	7737408	7626322	8605556	6888890	8588147	10176057	11435039
7.1	रेलवे	189925	310201	432056	447473	480317	501754	280303	368735	453913	541260
7.2	सड़क परिवहन	664297	843967	923359	1057504	1141218	1157654	746237	1202460	1497044	1582619
7.3	जल परिवहन	546	687	702	865	848	974	887	823	932	956
7.4	हवाई यातायात	98961	440079	484216	481009	255574	444239	212456	256249	298481	341207
7.5	परिवहन के लिए अनुषंगी सेवाएं	2368549	4261868	4587383	4731703	4624610	5215162	4195605	5012589	5774850	6546432
7.6	भंडारण	21247	29396	25521	25397	89466	95929	102820	107788	132609	145925
7.7	प्रसारण संबंधी संचार और सेवाएं	585124	995553	1008147	993456	1034289	1189844	1350582	1639503	2018229	2276640
8.	वित्तीय सेवाएं	5388295	7292183	7761491	8183766	9294701	9629019	9918152	10659114	12247322	13459807
9.	रियल एस्टेट, रिहायशी इकाइयों का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं	7248036	13078145	15250313	16980815	18940974	20888023	21165130	24582676	27655131	30195975
10.	लोक प्रशासन	1956780	2351129	2625665	3319549	3590074	4069627	4249042	4657000	5155546	5777130
11.	अन्य सेवाएं	2562671	4260356	4998221	5580100	6308292	7426593	7211047	8403878	9493862	10597370
	तृतीयक क्षेत्र	25296499	40360012	45055091	49613682	54719676	60234197	56939864	65954349	75848143	83212389
	बुनियादी मूल्यों पर कुल सकल राज्य मूल्य सर्वाधिक	30323249	47878154	53117539	58689972	64783905	70436877	66689937	77835835	89028526	97439743
	उत्पाद कर	4442090	7794019	9143997	9713289	9648511	9734918	8670979	11482226	13635665	14562052
	उत्पाद सब्सिडी	385589	591803	653030	613257	593473	880668	933191	1184485	1195404	1227151
	बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद	34379750	55080370	61608506	67790004	73838943	79291127	74427725	88133577	101468788	110774645
	जनसंख्या (संख्या '00 में)	170080	185200	188980	192770	196560	200350	204140	208010	211950	215880
	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (₹ में)	202139	297410	326005	351663	375656	395763	364592	423699	478739	513131

नोट : स.अ. - संशोधित अनुमान, अ.अ. :- अग्रिम अनुमान,
 #: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा तैयार नवीनतम जनसंख्या अनुमानों का उपयोग किया गया है।
 राउंडिंग आफ के कारण योग नहीं भी मिल सकते हैं।

तालिका 2.2

आर्थिक गतिविधिवार एनएसवीए और एनएसडीपी (प्रचलित मूल्यों पर)

(₹ लाख में)

क्र. स.	उद्योग	2011-12	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (3 rd स.अ.)	2021-22 (2 nd स.अ.)	2022-23 (1 st स.अ.)	2023-24 (अ.अ.)
1.	कृषि, वानिकी और मछली उद्योग	279933	235729	242158	277911	295739	307633	269637	248246	259666	298936
1.1	फसलें	62741	45877	46738	48210	46764	59086	66176	63943	67354	82488
1.2	पशुधन	215467	188117	193677	227877	247212	246596	201843	182718	191412	215573
1.3	वानिकी एवं काश्तकारी	996	797	697	645	577	585	495	461	347	233
1.4	मछली उद्योग	729	938	1046	1180	1186	1366	1124	1123	553	643
2.	खनन और उत्खनन	679588	632047	546394	583959	879533	867232	769647	865313	976107	1049159
	प्राथमिक क्षेत्र	959521	867776	788553	861870	1175273	1174865	1039284	1113559	1235773	1348095
3.	विनिर्माण	1591119	2781576	2676152	2710601	2813121	2941669	2904081	3592692	3848860	4003322
4.	विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	261375	883566	1091226	1484847	1518042	1481716	1278025	1508816	1707884	1920264
5.	निर्माण	1588185	1958130	2318378	2745368	3124148	3120295	2999989	3956089	4622214	5095682
	माध्यमिक क्षेत्र	3440678	5623272	6085756	6940816	7455310	7543680	7182095	9057596	10178958	11019268
6.	व्यापार, होटल एवं रेस्तरां	3927832	5974798	6368963	7106888	8127153	8691225	6499650	7854356	9892505	10419923
6.1	व्यापार और मरम्मत सेवाएं	3554473	5477518	5793411	6452054	7404065	7884022	6207403	7359754	9278127	9769857
6.2	होटल एवं रेस्तरां	373360	497279	575551	654834	723088	807202	292248	494603	614378	650066
7.	परिवहन भंडारण और संचार	3410354	5940776	6407705	6577129	6329647	7093182	5192720	6694114	8229572	9362025
7.1	रेलवे	167350	262940	382135	386316	404753	425847	179780	267287	351540	437962
7.2	सड़क परिवहन	621827	784936	851645	981767	1044552	1050556	655175	1100111	1401623	1489573
7.3	जल परिवहन	354	417	486	614	658	759	679	661	761	794
7.4	हवाई यातायात	26337	362689	407998	404010	180505	270771	27666	35184	57776	76703
7.5	परिवहन के लिए अनुषंगी सेवाएं	2099967	3730451	3987633	4082885	3941713	4478016	3351481	4087109	4823331	5535677
7.6	भंडारण	18189	24685	21439	21362	81584	86949	92277	95288	118415	129971
7.7	प्रसारण संबंधी संचार और सेवाएं	476331	774658	756369	700175	675882	780284	885662	1108474	1476127	1691346
8.	वित्तीय सेवाएं	5303210	7143093	7590562	7996344	9083140	9409694	9660447	10374811	11928566	13108562
9.	रियल एस्टेट, रिहायशी इकाइयों का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं	6659468	11511523	13397767	14995560	16569728	18250539	18359973	21346186	24236615	26509487
10.	लोक प्रशासन	1511908	1888018	2128483	2818834	2968951	3389391	3526125	3837646	4311121	4876448
11.	अन्य सेवाएं	2195529	3900894	4595804	4965668	5816567	6877366	6598558	7680966	8710568	9738394
	तृतीयक क्षेत्र	23008302	36359102	40489284	44460422	48895186	53711397	49837473	57788080	67308947	74014840
	बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य संवर्धित	27408501	42850149	47363593	52263108	57525770	62429942	58058852	67959235	78723678	86382203
	उत्पाद कर	4442090	7794019	9143997	9713289	9648511	9734918	8670979	11482226	13635665	14562052
	उत्पाद सब्सिडी	385589	591803	653030	613257	593473	880668	933191	1184485	1195404	1227151
	बाजार मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद	31465002	50052365	55854560	61363140	66580808	71284192	65796640	78256977	91163940	99717105
	जनसंख्या (संख्या '00 में)	170080	185200	188980	192770	196560	200350	204140	208010	211950	215880
	प्रति व्यक्ति एनएसडीपी (₹ में)	185001	270261	295558	318323	338730	355798	322311	376217	430120	461910

नोट : स.अ. — संशोधित अनुमान, अ.अ. :- अग्रिम अनुमान,

#: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा तैयार नवीनतम जनसंख्या अनुमानों का उपयोग किया गया है।

राउंडिंग आफ के कारण योग नहीं भी मिल सकते हैं।

तालिका 2.3
आर्थिक गतिविधिवार जीएसवीए और जीएसडीपी (स्थिर मूल्यों पर)

(₹ लाख में)

क्र. स	उद्योग	2011-12	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (3 rd स.अ.)	2021-22 (2 nd स.अ.)	2022-23 (1 st स.अ.)	2023-24 (अ.अ.)
1.	कृषि, वानिकी और मछली उद्योग	285663	166190	171205	182471	195838	191339	154915	141157	141875	148418
1.1	फसलें	65965	21598	21776	19899	20360	21433	22633	21668	21745	22735
1.2	पशुधन	217865	143096	147975	161105	174079	168392	130928	118215	119328	124867
1.3	वानिकी एवं काष्ठकारी	1007	704	628	572	523	553	507	464	424	387
1.4	मछली उद्योग	826	793	826	895	876	961	847	810	379	429
2.	खनन और उत्खनन	772879	987245	889967	944463	1127666	1234635	1392072	946080	734037	802604
	प्राथमिक क्षेत्र	1058542	1153436	1061173	1126934	1323504	1425975	1546987	1087237	875912	951022
3.	विनिर्माण	1890728	2805646	2687146	2699746	2757320	2894076	2895500	3226810	3245252	3390857
4.	विद्युत गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	410629	1081183	1293893	1577937	1572047	1474516	1401079	1535980	1521701	1615878
5.	निर्माण	1666852	1623918	1833738	2040987	2264729	2215129	2071708	2555999	2865356	3079213
	माध्यमिक क्षेत्र	3968208	5510747	5814777	6318670	6594096	6583721	6368288	7318788	7632308	8085948
6.	व्यापार, होटल एवं रेस्तरां	4212068	5931558	6245682	6820834	7520089	7947770	6143522	6571832	7389934	7881083
6.1	व्यापार और मरम्मत सेवाएं	3806351	5424481	5670979	6199605	6843664	7202892	5822596	6121644	6887512	7338071
6.2	होटल एवं रेस्तरां	405718	507077	574703	621229	676425	744877	320926	450187	502421	543012
7.	परिवहन भंडारण और संचार	3928648	6609819	6727079	6801592	6292434	6647716	4884311	5378611	6225754	6989920
7.1	रेलवे	189925	263921	332426	337324	355284	304815	142089	209035	238300	292686
7.2	सड़क परिवहन	664297	818177	842530	940529	950574	906744	535615	755620	923509	972844
7.3	जल परिवहन	546	666	640	770	706	763	637	517	575	587
7.4	हवाई यातायात	98961	426631	441828	427803	212879	347954	152491	161026	184129	209742
7.5	परिवहन के लिए अनुषंगी सेवाएं	2368549	4131633	4185811	4208309	3852054	4084825	3011415	3149887	3562437	4024127
7.6	भंडारण	21247	26810	22871	22107	74690	78768	83360	77396	87060	96538
7.7	प्रसारण संबंधी संचार और सेवाएं	585124	941981	900972	864750	846247	923848	958704	1025130	1229744	1393396
8.	वित्तीय सेवाएं	5388295	6758425	7200558	7047155	7424840	7354413	7530988	7531351	7584425	7807565
9.	रियल एस्टेट, रिहायशी इकाइयों का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं	7248036	9883994	10949303	11640513	12653267	13450989	13150569	14544429	15737129	16782365
10.	लोक प्रशासन	1956780	1844708	1978354	2377291	2510097	2740883	2747774	2849580	3094830	3377395
11.	अन्य सेवाएं	2562671	3399058	3822056	4200305	4539920	5045057	4734542	5148781	5663319	6227224
	तृतीयक क्षेत्र	25296499	34427562	36923031	38887689	40940647	43186828	39191707	42024583	45695392	49065552
	बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य सर्वाधिक	30323249	41091745	43798981	46333293	48858247	51196523	47106982	50430608	54203612	58102522
	उत्पाद कर	4442090	6861981	7782894	8259842	8053849	7992544	7026726	8236891	8941420	9618265
	उत्पाद सब्सिडी	385589	391476	405351	391633	379404	572231	770260	627909	546914	496121
	बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद	34379750	47562250	51176524	54201502	56532692	58616836	53363448	58039591	62598118	67224666
	जनसंख्या (संख्या '00 में)	170080	185200	188980	192770	196560	200350	204140	208010	211950	215880
	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (₹ में)	202139	256816	270804	281172	287610	292572	261406	279023	295344	311398

नोट : स.अ. – संशोधित अनुमान, अ.अ. :- अग्रिम अनुमान,

#: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा तैयार नवीनतम जनसंख्या अनुमानों का उपयोग किया गया है।

राउंडिंग आफ के कारण योग नहीं भी मिल सकते हैं।

तालिका 2.4
आर्थिक गतिविधिवार एनएसवीए और एनएसडीपी (स्थिर मूल्यों पर)

(₹ लाख में)

क्र. स.	उद्योग	2011-12	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (3 rd स.अ.)	2021-22 (2 nd स.अ.)	2022-23 (1 st स.अ.)	2023-24 (अ.अ.)
1.	कृषि, वानिकी और मछली उद्योग	279933	160029	164867	175776	188803	184095	147652	133574	133972	140195
1.1	फसलें	62741	17277	17229	15112	15313	16106	16944	15638	15374	16023
1.2	पशुधन	215467	141395	146388	159378	172283	166700	129581	116888	118021	123580
1.3	वानिकी एवं काष्ठकारी	996	645	507	475	410	416	356	309	265	224
1.4	मछली उद्योग	729	712	743	812	797	873	771	739	313	368
2.	खनन और उत्खनन	679588	883997	804109	858620	1000754	1094062	1239524	823237	598376	666967
	प्राथमिक क्षेत्र	959521	1044026	968976	1034397	1189556	1278157	1387176	956811	732348	807162
3.	विनिर्माण	1591119	2500209	2385360	2389423	2418847	2546710	2529110	2837737	2833496	2956418
4.	विद्युत गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	261375	691945	766295	998437	990973	914393	874650	973396	918148	994528
5.	निर्माण	1588185	1508531	1689236	1910245	2109287	2030945	1873890	2333467	2625497	2820180
	माध्यमिक क्षेत्र	3440678	4700685	4840891	5298104	5519107	5492048	5277651	6144599	6377140	6771126
6.	व्यापार, होटल एवं रेस्तरां	3927832	5464941	5723839	6222566	6846085	7207873	5355816	5710631	6472776	6903523
6.1	व्यापार और मरम्मत सेवाएं	3554473	5009427	5205836	5648385	6234671	6535694	5110483	5347366	6062569	6459588
6.2	होटल एवं रेस्तरां	373360	455514	518003	574181	611414	672178	245333	363264	410207	443935
7.	परिवहन भंडारण और संचार	3410354	5783592	5807573	5811961	5222831	5425223	3545696	3957294	4734698	5426139
7.1	रेलवे	167350	222794	289581	286528	295127	245707	65734	136445	157611	206542
7.2	सड़क परिवहन	621827	763110	776771	872728	865514	817038	463920	679447	854019	907821
7.3	जल परिवहन	354	414	443	544	539	584	473	395	454	482
7.4	हवाई यातायात	26337	355115	372519	359587	147838	203007	7113	-5342	10477	25379
7.5	परिवहन के लिए अनुषंगी सेवाएं	2099967	3664713	3662989	3656972	3293264	3493319	2346425	2462670	2852993	3292456
7.6	भंडारण	18189	22623	19265	18725	68424	71681	75234	68743	77880	86831
7.7	प्रसारण संबंधी संचार और सेवाएं	476331	754823	686006	616876	552125	593888	586797	614936	781263	906628
8.	वित्तीय सेवाएं	5303210	6628969	7051013	6887399	7251302	7177629	7325061	7315446	7358542	7571704
9.	रियल एस्टेट, रिहायशी इकाइयों का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं	6659468	8575765	9394700	10024122	10807052	11424470	11019955	12208176	13262933	14153302
10.	लोक प्रशासन	1511908	1423021	1526694	1935488	1981780	2172182	2155842	2231442	2450486	2706845
11.	अन्य सेवाएं	2195529	3081454	3468008	3680870	4141090	4605200	4253339	4626126	5099212	5621665
	तृतीयक क्षेत्र	23008302	30957742	32971828	34562405	36250140	38012576	33655710	36049114	39378648	42383178
	बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य सर्वाधिक	27408501	36702454	38781695	40894906	42958803	44782781	40320537	43150524	46488136	49961466
	उत्पाद कर	4442090	6861981	7782894	8259842	8053849	7992544	7026726	8236891	8941420	9618265
	उत्पाद सब्सिडी	385589	391476	405351	391633	379404	572231	770260	627909	546914	496121
	बाजार मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद	31465002	43172959	46159238	48763115	50633247	52203093	46577003	50759507	54882642	59083610
	जनसंख्या (संख्या '00 में)	170080	185200	188980	192770	196560	200350	204140	208010	211950	215880
	प्रति व्यक्ति एनएसडीपी (₹ में)	185001	233115	244255	252960	257597	260559	228162	244024	258941	273687

नोट : स.अ. – संशोधित अनुमान, अ.अ. :- अग्रिम अनुमान,

#: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा तैयार नवीनतम जनसंख्या अनुमानों का उपयोग किया गया है।

राउंडिंग आफ के कारण योग नहीं भी मिल सकते हैं।

तालिका 3.1

योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत 2017-18 से सामाजिक सेवा क्षेत्र का व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	क्षेत्र	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
		व्यय	प्रतिशत	व्यय	प्रतिशत	व्यय	प्रतिशत	व्यय	प्रतिशत	व्यय	प्रतिशत	व्यय	प्रतिशत
1.	सामान्य शिक्षा	2374.75	16.51	2493.82	15.91	4580.07	22.55	3307.58	17.17	4252.73	13.93	4755.35	14.57
2.	तकनीकी शिक्षा	193.36	1.34	194.16	1.24	160.65	0.79	225.97	1.17	1030.93	3.38	536.75	1.64
3.	खेल और युवा सेवाएं	47.26	0.33	88.33	0.56	91.63	0.45	44.79	0.23	118.11	0.39	69.84	0.21
4.	कला एवं संस्कृति	95.78	0.67	108.48	0.69	103.14	0.51	53.19	0.28	103.74	0.34	65.79	0.20
5.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	1916.83	13.32	2333.64	14.89	2363.53	11.64	3004.71	15.60	4949.19	16.21	4201.81	12.87
6.	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1730.00	12.02	2315.98	14.78	2210.00	10.88	3419.00	17.75	2164.27	7.09	3674.33	11.25
7.	आवास	36.44	0.25	639.99	4.08	59.98	0.30	541.48	2.81	177.7	0.58	132.63	0.41
8.	शहरी विकास	1673.42	11.63	1371.28	8.75	2679.88	13.20	1962.98	10.19	2047.75	6.71	2657.39	8.14
9.	अजा/अजजा/अपिव कल्याण	282.43	1.96	268.24	1.71	295.26	1.45	47.66	0.25	213.55	0.70	169.51	0.52
10.	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	71.52	0.50	80.40	0.51	45.75	0.23	20.91	0.11	48.8	0.16	25.50	0.08
11.	समाज कल्याण	1228.50	8.54	1558.75	9.95	1680.02	8.27	1467.46	7.62	1857.45	6.08	1645.54	5.04
12.	महिला एवं बाल विकास	869.13	6.04	1048.92	6.69	1156.34	5.69	1253.58	6.51	1340.7	4.39	1630.47	4.99
13.	पोषण	236.23	1.64	262.13	1.67	271.20	1.34	291.91	1.52	321.17	1.05	522.07	1.60
14.	नागरिक आपूर्ति	1.61	0.01	1.12	0.01	2.17	0.01	2.79	0.01	298.66	0.98	321.42	0.98
	कुल (सामाजिक सेवाएं)	10757.26	74.77	12765.24	81.45	15699.61	77.31	15643.98	81.23	18924.75	61.99	20408.40	62.51
	अन्य	3630.21	25.23	2906.79	18.55	4607.41	22.69	3614.67	18.77	11606	38.01	12239.20	37.49
	कुल	14387.47		15672.03		20307.02		19258.65		30530.8		32647.60	

तालिका 3.2

2023-24 के दौरान सामाजिक सेवा क्षेत्र का परिव्यय

(करोड़ रुपये)

क्र सं	क्षेत्र	योजनाएं/ कार्यक्रम अनुमोदित परिव्यय	कुल परिव्यय का प्रतिशत
1	सामान्य शिक्षा	5748.00	13.15
2	तकनीकी शिक्षा	667.00	1.53
3	खेल और युवा सेवाएं	203.00	0.46
4	कला एवं संस्कृति	246.00	0.56
5	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	4830.00	11.05
6	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	5442.00	12.45
7	आवास	156.00	0.36
8	शहरी विकास	6206.00	14.20
9	अजा/अजजा/अपिव कल्याण	246.00	0.56
10	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	183.00	0.42
11	समाज कल्याण	2028.00	4.64
12	महिला एवं बाल विकास	1863.00	4.26
13	पोषण	728.00	1.67
14	नागरिक आपूर्ति	208.00	0.48
	कुल (सामाजिक सेवा क्षेत्र)	28754.00	65.80
	अन्य	14946.00	34.20
	कुल बजट	43700.00	100.00

तालिका 3.3

योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं 2017-18

(करोड़ रुपये)

क्र सं	क्षेत्र	योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं		व्यय	संशोधित परिव्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय
		अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय		
1	ग्रामीण विकास	614.00	114.00	106.50	93.42
2	लघु सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	90.00	73.00	69.75	95.55
3	उर्जा	295.00	247.00	221.85	89.82
4	उद्योग	31.00	12.00	6.75	56.25
5	परिवहन	3056.00	2984.00	2824.44	94.65
6	विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण	90.00	48.00	36.16	75.33
7	सचिवालयी आर्थिक सेवाएं	11.00	2.50	0.41	16.40
8	पर्यटन	117.00	18.00	13.18	73.22
9	नागरिक आपूर्ति	12.00	4.00	1.61	40.25
10	सामान्य शिक्षा	2970.00	2677.00	2374.75	88.71
11	तकनीकी शिक्षा	363.00	243.00	193.36	79.57
12	कला एवं संस्कृति	104.00	98.00	95.78	97.73
13	खेल एवं युवा सेवाएं	88.00	65.00	47.26	72.71
14	चिकित्सा	2150.90	1658.00	1482.46	89.41
15	जन-स्वास्थ्य	476.10	494.00	434.37	87.93
16	जल आपूर्ति एवं सफाई	1755.00	1890.00	1730.00	91.53
17	आवास	251.00	41.00	36.44	88.88
18	शहरी विकास	2117.00	1771.00	1673.42	94.49
19	अजा/अजजा/अपिव कल्याण	400.00	366.00	282.43	77.17
20	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	110.00	88.00	71.52	81.27
21	सामाज कल्याण	1272.00	1349.00	1228.50	91.07
22	महिला एवं बाल कल्याण	872.00	957.00	869.13	90.82
23	पोषण	380.00	308.00	236.23	76.70
24	कारागार	65.00	36.00	29.76	82.67
25	लोक निर्माण विभाग	234.00	221.00	182.99	82.80
26	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	550.00	211.00	120.35	57.04
27	कृषि और अनुषंगी सेवाएं	26.00	24.50	18.07	73.76
	कुल	18500.00	16000.00	14387.47	89.92

तालिका 3.4

योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं 2018-19

(करोड़ रुपये)

क्र सं	क्षेत्र	योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं		व्यय	संशोधित परिव्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय
		अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय		
1	ग्रामीण विकास	214.00	214.00	145.08	67.79
2	लघु सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	90.00	78.00	68.84	88.26
3	उर्जा	138.00	421.00	413.18	98.14
4	उद्योग	13.00	8.00	5.38	67.25
5	परिवहन	2568.00	2005.00	1798.09	89.68
6	विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण	61.00	67.00	60.61	90.46
7	सचिवालयी आर्थिक सेवाएं	21.00	22.00	7.98	36.27
8	पर्यटन	44.00	25.00	18.05	72.20
9	नागरिक आपूर्ति	10.00	5.00	1.12	22.40
10	सामान्य शिक्षा	5414.00	2812.00	2493.82	88.68
11	तकनीकी शिक्षा	306.00	243.00	194.16	79.90
12	कला एवं संस्कृति	145.00	137.00	108.48	79.18
13	खेल एवं युवा सेवाएं	154.00	116.00	88.33	76.15
14	चिकित्सा	2656.00	1928.15	1689.01	87.60
15	जन-स्वास्थ्य	603.00	658.00	644.63	97.97
16	जल आपूर्ति एवं सफाई	2350.00	2350.00	2315.98	98.55
17	आवास	122.00	876.00	639.99	73.06
18	शहरी विकास	2984.00	2056.00	1371.28	66.70
19	अजा/अजजा/अपिव कल्याण	355.00	333.00	268.24	80.55
20	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	457.00	181.00	80.40	44.42
21	सामाज कल्याण	1391.00	1629.00	1558.75	95.69
22	महिला एवं बाल कल्याण	1073.00	1178.00	1048.92	89.04
23	पोषण	373.00	291.00	262.13	90.08
24	कारागार	28.00	48.00	20.57	42.85
25	लोक निर्माण विभाग	154.00	179.90	166.30	92.44
26	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	235.00	298.95	186.17	62.27
27	कृषि और अनुषंगी सेवाएं	41.00	40.00	16.54	41.35
	कुल	22000.00	18200.00	15672.03	86.11

तालिका 3.5

योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं 2019-20

(करोड़ रुपये)

क्र सं	क्षेत्र	योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं		व्यय	संशोधित परिव्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय
		अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय		
1	ग्रामीण विकास	415.00	310.00	286.27	92.35
2	लघु सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	215.00	124.00	116.83	94.22
3	उर्जा	150.00	55.00	52.86	96.11
4	उद्योग	10.00	11.00	9.57	87.00
5	परिवहन	3707.00	3285.00	3083.70	93.87
6	विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण	93.00	100.00	58.70	58.70
7	सचिवालयी आर्थिक सेवाएं	62.00	38.00	34.08	89.68
8	पर्यटन	49.00	49.00	38.67	78.92
9	नागरिक आपूर्ति	10.00	5.00	2.17	43.40
10	सामान्य शिक्षा	6601.00	4873.00	4580.07	93.99
11	तकनीकी शिक्षा	384.00	231.00	160.65	69.55
12	कला एवं संस्कृति	184.00	176.00	103.14	58.60
13	खेल एवं युवा सेवाएं	157.00	119.00	91.63	77.00
14	चिकित्सा	2890.00	2026.00	1879.02	92.75
15	जन-स्वास्थ्य	870.00	545.00	484.51	88.90
16	जल आपूर्ति एवं सफाई	2370.00	2210.00	2210.00	100.00
17	आवास	133.00	62.00	59.98	96.74
18	शहरी विकास	3781.00	3028.00	2679.88	88.50
19	अजा/अजजा/अपिव कल्याण	383.00	340.00	295.26	86.84
20	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	321.00	74.00	45.75	61.82
21	सामाज कल्याण	1595.00	1727.00	1680.02	97.28
22	महिला एवं बाल कल्याण	1226.00	1270.00	1156.34	91.05
23	पोषण	383.00	325.00	271.20	83.45
24	कारागार	99.00	234.00	209.54	89.55
25	लोक निर्माण विभाग	303.00	266.00	171.27	64.39
26	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	446.00	677.00	524.84	77.52
27	कृषि और अनुषंगी सेवाएं	163.00	40.00	21.09	52.73
	कुल	27000.00	22200.00	20307.02	91.47

तालिका 3.6

योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं 2020-21

(करोड़ रुपये)

क्र सं	क्षेत्र	कार्यक्रम/परियोजनाएं		व्यय	संशोधित परिव्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय
		अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय		
1.	ग्रामीण विकास	408.00	59.00	51.01	86.46
2.	लघु सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	491.00	139.00	104.66	75.29
3.	उर्जा	125.00	70.00	5.86	8.37
4.	उद्योग	61.00	18.00	6.57	36.50
5.	परिवहन	4328.00	3015.00	2947.40	97.76
6.	विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण	192.00	120.93	97.22	80.39
7.	सचिवालयी आर्थिक सेवाएं	39.00	18.00	7.72	42.89
8.	पर्यटन	212.00	29.00	24.43	84.24
9.	नागरिक आपूर्ति	10.00	108.00	2.79	2.58
10	सामान्य शिक्षा	5721.00	4048.69	3307.58	81.70
11	तकनीकी शिक्षा	442.00	295.00	225.97	76.60
12	कला एवं संस्कृति	258.00	88.00	53.19	60.44
13	खेल एवं युवा सेवाएं	281.00	108.00	44.79	41.47
14	चिकित्सा	3318.00	2406.47	1837.67	76.36
15	जन-स्वास्थ्य	669.00	1366.41	1167.04	85.41
16	जल आपूर्ति एवं सफाई	3724.00	3419.00	3419.00	100.00
17	आवास	124.00	544.00	541.48	99.54
18	शहरी विकास	3329.00	2540.00	1962.98	77.28
19	अजा/अजजा/अपिव कल्याण	431.00	266.00	47.66	17.92
20	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	162.00	43.00	20.91	48.63
21	सामाज कल्याण	1875.00	1710.00	1467.46	85.82
22	महिला एवं बाल कल्याण	1373.00	1433.50	1253.58	87.45
23	पोषण	340.00	418.00	291.91	69.83
24	कारागार	79.00	58.00	44.23	76.26
25	लोक निर्माण विभाग	459.00	241.00	201.11	83.45
26	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	943.00	502.00	106.47	21.21
27	कृषि और अनुषंगी सेवाएं	106.00	36.00	17.98	49.94
	कुल	29500.00	23100.00	19258.65	83.37

तालिका 3.7

योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं 2021-22

(करोड़ रुपये)

क्र सं	क्षेत्र	कार्यक्रम/परियोजनाएं		व्यय	संशोधित परिव्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय
		अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय		
1.	ग्रामीण विकास	309.00	127.00	124.39	97.94
2.	लघु सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	490.00	158.00	119.93	75.91
3.	उर्जा	3223.00	3288.00	3274.32	99.58
4.	उद्योग	46.00	36.00	13.56	37.67
5.	परिवहन	8862.00	7573.00	7262.16	95.9
6.	विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण	214.00	161.00	155.70	96.71
7.	सचिवालयी आर्थिक सेवाएं	30.00	13.00	6.69	51.46
8.	पर्यटन	220.00	53.00	45.16	85.21
9.	नागरिक आपूर्ति	350.00	396.00	298.66	75.42
10	सामान्य शिक्षा	6036.00	4997.00	4252.73	85.11
11	तकनीकी शिक्षा	661.00	1135.00	1030.93	90.83
12	कला एवं संस्कृति	285.00	140.00	103.74	74.1
13	खेल एवं युवा सेवाएं	176.00	131.00	118.11	90.16
14	चिकित्सा	3357.00	3278.00	2781.37	84.85
15	जन-स्वास्थ्य	1886.00	2896.00	2167.82	74.86
16	जल आपूर्ति एवं सफाई	3274.00	2274.00	2164.27	95.17
17	आवास	110.00	203.00	177.70	87.54
18	शहरी विकास	3088.00	2312.00	2047.75	88.57
19	अजा/अजजा/अपिव कल्याण	466.00	425.00	213.55	50.25
20	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	66.00	70.00	48.80	69.71
21	सामाज कल्याण	1906.00	2106.00	1857.45	88.2
22	महिला एवं बाल कल्याण	1521.00	1563.00	1340.70	85.78
23	पोषण	340.00	469.00	321.17	68.48
24	कारागार	45.00	53.00	40.68	76.75
25	लोक निर्माण विभाग	288.00	410.00	353.54	86.23
26	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	400.00	306.00	190.62	62.29
27	कृषि और अनुषंगी सेवाएं	151.00	27.00	19.26	71.33
	कुल	37800.00	34600.00	30530.77	88.24

तालिका 3.8

योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं 2022-23

(करोड़ रुपये)

क्र सं	क्षेत्र	कार्यक्रम/परियोजनाएं		व्यय	संशोधित परिव्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय
		अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय		
1.	ग्रामीण विकास	209.00	129.00	117.54	91.12
2.	लघु सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	883.00	150.00	88.45	58.97
3.	उर्जा	3336.00	3210.00	3182.77	99.15
4.	उद्योग	222.00	32.00	11.21	35.03
5.	परिवहन	8817.00	9807.00	7747.57	79.00
6.	विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण	197.00	165.00	147.56	89.43
7.	सचिवालयी आर्थिक सेवाएं	39.00	14.00	9.53	68.07
8.	पर्यटन	615.00	42.00	37.61	89.55
9.	नागरिक आपूर्ति	204.00	378.00	321.42	85.03
10	सामान्य शिक्षा	5830.00	5508.00	4755.35	86.34
11	तकनीकी शिक्षा	749.00	649.00	536.75	82.7
12	कला एवं संस्कृति	229.00	151.00	65.79	43.57
13	खेल एवं युवा सेवाएं	145.00	85.00	69.84	82.16
14	चिकित्सा	4102.00	3618.00	3422.68	94.6
15	जन-स्वास्थ्य	1504.00	1258.00	779.13	61.93
16	जल आपूर्ति एवं सफाई	6710.00	3800.00	3674.33	96.69
17	आवास	121.00	148.00	132.63	89.61
18	शहरी विकास	3273.00	3513.00	2657.39	75.64
19	अजा/अजजा/अपिव कल्याण	582.00	222.00	169.51	76.36
20	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	101.00	71.00	25.50	35.92
21	सामाज कल्याण	2197.00	2024.00	1645.54	81.3
22	महिला एवं बाल कल्याण	1741.00	1816.00	1630.47	89.78
23	पोषण	450.00	695.00	522.07	75.12
24	कारागार	70.00	68.00	39.73	58.43
25	लोक निर्माण विभाग	370.00	388.00	377.55	97.31
26	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	840.00	728.00	459.21	63.08
27	कृषि और अनुषंगी सेवाएं	64.00	31.00	20.45	65.97
	कुल	43600	38700	32647.60	84.36

तालिका 3.9
योजनाएं/ कार्यक्रम/ परियोजनाएं 2023-24

(करोड़ रुपये)

क्र सं	क्षेत्र	कार्यक्रम/परियोजनाएं	
		अनुमोदित परिव्यय	कुल अनुमोदित परिव्यय का प्रतिशत
1.	ग्रामीण विकास	135.00	0.31
2.	लघु सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	265.00	0.61
3.	उर्जा	3345.00	7.65
4.	उद्योग	110.00	0.25
5.	परिवहन	9048.00	20.7
6.	विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण	186.00	0.43
7.	सचिवालयी आर्थिक सेवाएं	62.00	0.14
8.	पर्यटन	329.00	0.75
9.	नागरिक आपूर्ति	208.00	0.48
10.	सामान्य शिक्षा	5748.00	13.15
11.	तकनीकी शिक्षा	667.00	1.53
12.	कला एवं संस्कृति	246.00	0.56
13.	खेल एवं युवा सेवाएं	203.00	0.46
14.	चिकित्सा	3842.00	8.79
15.	जन-स्वास्थ्य	988.00	2.26
16.	जल आपूर्ति एवं सफाई	5442.00	12.45
17.	आवास	156.00	0.36
18.	शहरी विकास	6206.00	14.2
19.	अजा/अजजा/अपिव कल्याण	246.00	0.56
20.	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	183.00	0.42
21.	सामाज कल्याण	2028.00	4.65
22.	महिला एवं बाल कल्याण	1863.00	4.26
23.	पोषण	728.00	1.67
24.	कारागार	125.00	0.29
25.	लोक निर्माण विभाग	223.00	0.51
26.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1083.00	2.48
27.	कृषि और अनुषंगी सेवाएं	35.00	0.08
	कुल	43700.00	100.00

तालिका 4.1 राजस्व प्राप्तियाँ

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (Prov.)	2023-24 (BE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	कुल राजस्व प्राप्ति (1+2)	27980.69	29584.59	34998.85	34345.74	38667.27	43112.61	47135.82	41863.60	49312.98	62702.84	62752.00
1	निजी कर राजस्व (a से f तक)	25918.69	26603.90	30225.16	31139.89	35717.02	36624.67	36565.87	29425.33	40018.68	47362.56	53565.00
a	स्टाम्प एवं पंजीकरण (भूमि राजस्व सहित)	2969.08	2841.67	3434.11	3145.94	4118.58	4458.73	4609.01	3552.98	5212.09	6022.91	6000.00
b	राज्य उत्पाद कर	3151.63	3422.39	4237.69	4251.40	4453.49	5028.19	5068.01	4108.15	5487.58	5547.97	7365.00
c	वैट	17925.71	18289.31	20245.82	21144.24	11149.17	5885.75	5474.67	4411.20	5099.46	5582.06	5700.00
d	वस्तुओं और सेवाओं पर राज्य कर	NA	NA	NA	NA	13620.84	19186.57	19464.95	15676.15	22263.43	27324.11	31500.00
e	वाहनों पर कर	1409.27	1558.83	1607.01	1808.78	2115.76	2054.75	1948.09	1676.18	1955.68	2884.08	3000.00
f	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	463.00	491.70	700.53	789.53	259.18	10.68	1.14	0.67	0.45	1.44	0.00
2	कुल गैर- कर राजस्व	2062.00	2980.68	4773.69	3205.85	2950.25	6487.94	10569.95	12438.27	9294.30	15340.28	9187.00
(i)	निजी गैर- कर राजस्व (a से c तक)	659.14	632.54	515.40	380.69	766.06	644.17	1096.90	979.67	826.99	580.99	1050.00
a	ब्याज प्राप्ति	379.35	350.52	82.53	81.39	396.25	113.46	404.38	467.96	356.02	58.35	522.60
b	अंश व लाभ	11.95	12.90	12.32	11.28	15.91	14.31	15.84	9.80	89.58	103.79	85.80
c	सेवा प्रभार आदि	267.84	269.13	420.55	288.02	353.90	516.40	676.67	501.91	381.39	418.84	441.60
(ii)	केन्द्र से अनुदान/अन्य प्राप्तियाँ	1402.86	2348.14	4258.29	2825.16	2184.19	5843.77	9473.05	11458.60	8467.31	14759.29	8137.00

स्रोत : 2013-14 से 2021-22 तक वास्तविक वित्त लेखा से और 2022-23 एवं 2024-24 के लिए 2023-24 के बजट दस्तावेज से

तालिका 4.2 (क)

दिल्ली सरकार की समेकित निधि में राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कर राजस्व	गैर कर राजस्व	कुल (2+3)	ब्लॉक ग्रांट	केन्द्रीय कर में अंश	अन्य अनुदान	CSS के लिए अनुदान	कुल राजस्व (5+6+7+8)	कुल राजस्व प्राप्त (4+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2013-14	25918.69	659.14	26577.83	717.81	325.00	1.91	358.14	1402.86	27980.69
2014-15	26603.90	632.55	27236.45	1467.35	325.00	2.95	552.84	2348.14	29584.59
2015-16	30225.16	515.40	30740.56	486.72	325.00	2580.02	866.55	4258.29	34998.85
2016-17	31139.89	380.69	31520.58	550.16	325.00	793.72	1156.28	2825.16	34345.74
2017-18	35717.02	766.06	36483.08	468.84	325.00	863.19	527.16	2184.19	38667.27
2018-19	36624.67	644.17	37268.84	449.99	325.00	4261.75	807.03	5843.77	43112.61
2019-20	36565.87	1096.90	37662.77	472.00	325.00	7506.56	1169.48	9473.04	47135.81
2020-21	29425.33	979.67	30405.00	626.00	325.00	9066.14	1441.46	11458.60	41863.60
2021-22	40018.68	826.99	40845.67	704.43	325.00	6445.96	991.93	8467.31	49312.99
2022-23 (Prov.)	47362.56	580.99	47943.55	635.49	325.00	12817.02	981.79	14759.29	62702.84
2023-24 (BE)	53565.00	1050.00	54615.00	1168.00	---	3802.00	3167.00	8137.00	62752.00

तालिका 4.2 (ख)

दिल्ली सरकार की समेकित निधि में पूँजी प्राप्तियाँ

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	ब्लॉक ऋण	अल्प बचत ऋण/ एनएसएसएफ से ऋण	सीएसएस के अंतर्गत ऋण	ई.ए.पी. के अंतर्गत ऋण	जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में ब्लॉक ऋण	कुल (12+13+14+15+16)	ऋण और अग्रिम (प्राप्ति)	कुल पूँजी प्राप्ति (17+18)
11	12	13	14	15	16	17	18	19
2013-14	3326.39	836.50	0.00	0.00	0.00	4162.89	802.91	4965.80
2014-15	0.00	1764.32	0.00	0.00	0.00	1764.32	227.61	1991.93
2015-16	0.00	2241.13	0.00	0.00	0.00	2241.13	83.42	2324.55
2016-17	0.00	1695.53	0.00	0.00	0.00	1695.53	212.49	1908.02
2017-18	0.00	1906.34	0.00	0.00	0.00	1906.34	690.42	2596.76
2018-19	0.00	2800.00	0.00	80.00	0.00	2880.00	1643.90	4523.90
2019-20	0.00	4540.60	0.00	225.00	0.00	4765.60	822.65	5588.25
2020-21	0.00	9500.00	0.00	0.00	5865.00	15365.00	631.48	15996.48
2021-22	0.00	5000.00	0.00	0.00	6192.67	11192.67	622.78	11815.45
2022-23 (Prov.)	0.00	3251.22	0.00	0.00	0.00	3251.22	1257.66	4508.88
2023-24 (BE)	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.01	10000.01	621.99	10622.00

तालिका 4.2 (ग)

दिल्ली सरकार की समेकित निधि में प्राप्तियाँ

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल राजस्व प्राप्तियाँ (4+9)	कुल पूंजी प्राप्तियाँ (17+18)	वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियाँ (21+22)	प्रारंभिक शेष	कुल उपलब्ध निधियाँ (23+24)
20	21	22	23	24	25
2013-14	27980.69	4965.80	32946.49	1985.74	34932.23
2014-15	29584.59	1991.93	31576.52	880.64	32457.16
2015-16	34998.85	2324.55	37323.40	1517.06	38840.46
2016-17	34345.74	1908.02	36253.76	3644.94	39898.70
2017-18	38667.27	2596.76	41264.03	2635.34	43899.37
2018-19	43112.61	4523.90	47636.51	2972.52	50609.03
2019-20	47135.81	5588.25	52724.06	4363.14	57087.20
2020-21	41863.60	15996.48	57860.08	5900.94	63761.02
2021-22	49312.99	11815.45	61128.44	11292.98	72421.42
2022-23 (Prov.)	62702.84	4508.88	67211.72	11249.08	78460.80
2023-24 (BE)	62752.00	10622.00	73374.00	5426.00	78800.00

तालिका 4.3 (क)
दिल्ली सरकार की प्राप्ति, व्यय और अधिशेष/घाटा स्थिति

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (Prov.)	2023-24 (BE)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	राजस्व प्राप्तियाँ		27980.69	29584.58	34998.85	34345.74	38667.27	43112.61	47135.82	41863.60	49312.98	62702.84	62752.00
2	निजी कर राजस्व		25918.69	26603.90	30225.16	31139.89	35717.02	36624.67	36565.87	29425.33	40018.68	47362.56	53565.00
3	गैर कर राजस्व (के. प्रा. परि. की राजस्व हिस्सेदारी सहित)		2062.00	2980.68	4773.69	3205.85	2950.25	6487.94	10569.95	12438.27	9294.30	15340.28	9187.00
4	पूँजी प्राप्तियाँ		4965.80	1991.94	2324.55	1908.02	2596.76	4523.90	5588.25	15996.48	11815.45	4508.88	10622.00
5	ऋण वसूली		801.05	225.38	82.06	211.36	689.85	1643.49	822.20	631.03	622.33	1257.23	620.99
6	सरकारी कर्मचारियों द्वारा ऋण भुगतान		1.86	2.24	1.36	1.13	0.57	0.41	0.45	0.45	0.45	0.43	1.00
7	केन्द्र से ऋण		4162.89	1764.32	2241.13	1695.53	1906.34	2880.00	4765.60	15365.00	11192.67	3251.22	10000.01
8	कुल प्राप्तियाँ (1+4)		32946.49	31576.52	37323.40	36253.76	41264.03	47636.51	52724.07	57860.08	61128.43	67211.72	73374.00
9	गैर योजना / स्थापना और प्रशासन व्यय (10+12)		19811.41	16960.44	20260.92	23159.80	26735.37	30627.19	30906.45	33244.75	30826.01	32327.80	35100.00
10	राजस्व खाते पर		14904.25	15563.2	17963.2	20594	24446.47	26799.82	27394.79	28878.92	25385.69	26555.49	29056.28
11	जिसमें से - ब्याज भुगतान		2824.29	2774.00	2809.81	2882.52	2870.67	2867.11	2751.87	2873.83	3274.24	3266.36	3094.32
12	पूँजी खाते पर		4907.16	1397.25	2297.69	2565.84	2288.90	3827.37	3511.65	4365.83	5440.32	5772.31	6043.72
13	जिसमें से ऋण भुगतान / अग्रिम भुगतान		1325.29	1346.72	1435.17	1654.62	1682.43	3636.35	2811.10	3265.17	4215.16	4715.16	5040.29
14	योजना / स्कीम / कार्यक्रम / परियोजनाओं व्यय (15+16)		14240.19	13979.66	14934.59	14103.56	14191.48	15618.70	20279.81	19223.29	30346.33	31782.55	43700.00
15	राजस्व खाते पर		7462.28	7946.30	8379.32	8487.59	9307.55	10051.76	12242.22	11534.70	20657.37	21690.45	27927.03
16	पूँजी खाते पर		6777.91	6033.36	6555.27	5615.97	4883.93	5566.94	8037.59	7688.59	9688.96	10092.10	15772.97
17	कुल व्यय (9+14)		34051.60	30940.10	35195.51	37263.36	40926.85	46245.89	51186.26	52468.04	61172.34	64110.35	78800.00
18	राजस्व व्यय (10+15)		22366.53	23509.49	26342.55	29081.55	33754.02	36851.58	39637.02	40413.62	46043.06	48245.94	56983.31
19	पूँजी व्यय (12+16)		11685.07	7430.61	8852.96	8181.81	7172.83	9394.31	11549.24	12054.42	15129.28	15864.41	21816.69
20	राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-) (1-18)		5614.16	6075.09	8656.30	5264.19	4913.25	6261.03	7498.80	1449.98	3269.92	14456.90	5768.69
21	पूँजी अधिशेष (+) / घाटा (-) (4-19)		-6719.27	-5438.67	-6528.41	-6273.79	-4576.07	-4870.41	-5960.98	3942.06	-3313.83	-11355.53	-11194.69
22	वित्तीय घाटा [(1+5+6+13)-17]		-3942.71	218.82	1321.93	-1050.51	113.27	2146.97	-416.68	-6707.79	-7021.42	4565.31	-10385.72
23	प्रारंभिक घाटा (22+11)		-1118.42	2992.82	4131.74	1832.01	2983.94	5014.08	2335.19	-3833.96	-3747.18	7831.67	-7291.40
24	कुल अवशेष (+)/घाटा (-) चालू वित्त वर्ष में (8-17)		-1105.11	636.42	2127.89	-1009.60	337.18	1390.62	1537.81	5392.04	-43.91	3101.37	-5426.00
25	प्रारंभिक बकाया		1985.74	880.63	1517.05	3644.94	2635.34	2972.52	4363.14	5900.95	11292.99	11249.08	5426.00
26	अंतिम बकाया (24+25)		880.63	1517.05	3644.94	2635.34	2972.52	4363.14	5900.95	11292.99	11249.08	14350.45	0.00

तालिका 4.3 (ख)

दिल्ली सरकार की प्राप्ति, व्यय और अधिशेष / घाटा स्थिति, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में

(प्रतिशत में)

क्रम सं.	मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (Prov.)	2022-23 (Prov.)	2023-24 (BE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	राजस्व प्राप्तियां	6.30	5.98	6.35	5.57	5.70	5.84	5.94	5.59	5.55	6.05	5.66
2	निजी कर राजस्व	5.84	5.38	5.49	5.05	5.27	4.96	4.61	3.93	4.50	4.57	4.84
3	गैर कर राजस्व (कै. प्रा. परि. की राजस्व हिस्सेदारी सहित)	0.46	0.60	0.87	0.52	0.44	0.88	1.33	1.66	1.05	1.48	0.83
4	पूँजी प्राप्तियां	1.12	0.40	0.42	0.31	0.38	0.61	0.70	2.14	1.33	0.44	0.96
5	ऋण वसूली	0.18	0.05	0.01	0.03	0.10	0.22	0.10	0.08	0.07	0.12	0.06
6	सरकारी कर्मचारियों द्वारा ऋण भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	केन्द्र से ऋण	0.94	0.36	0.41	0.28	0.28	0.39	0.60	2.05	1.26	0.31	0.90
8	कुल प्राप्तियां (1+4)	7.42	6.38	6.78	5.88	6.09	6.45	6.65	7.73	6.88	6.49	6.62
9	गैर योजना / स्थापना और प्रशासन व्यय (10+12)	4.46	3.43	3.68	3.76	3.94	4.15	3.90	4.44	3.47	3.12	3.17
10	राजस्व खाते पर	3.36	3.15	3.26	3.34	3.61	3.63	3.45	3.86	2.86	2.56	2.62
11	जिसमें से - ब्याज भुगतान	0.64	0.56	0.51	0.47	0.42	0.39	0.35	0.38	0.37	0.32	0.28
12	पूँजी खाते पर	1.11	0.28	0.42	0.42	0.34	0.52	0.44	0.58	0.61	0.56	0.55
13	जिसमें से ऋण भुगतान / अग्रिम भुगतान	0.30	0.27	0.26	0.27	0.25	0.49	0.35	0.44	0.47	0.46	0.46
14	योजना / स्कीम/कार्यक्रम/परियोजनाओं व्यय (15+16)	3.21	2.83	2.71	2.29	2.09	2.12	2.56	2.57	3.41	3.07	3.94
15	राजस्व खाते पर	1.68	1.61	1.52	1.38	1.37	1.36	1.54	1.54	2.32	2.09	2.52
16	पूँजी खाते पर	1.53	1.22	1.19	0.91	0.72	0.75	1.01	1.03	1.09	0.97	1.42
17	कुल व्यय (9+14)	7.67	6.25	6.39	6.05	6.04	6.26	6.46	7.01	6.88	6.19	7.11
18	राजस्व व्यय (10+15)	5.04	4.75	4.78	4.72	4.98	4.99	5.00	5.40	5.18	4.66	5.14
19	पूँजी व्यय (12+16)	2.63	1.50	1.61	1.33	1.06	1.27	1.46	1.61	1.70	1.53	1.97
20	राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-) (1-18)	1.26	1.23	1.57	0.85	0.72	0.85	0.95	0.19	0.37	1.40	0.52
21	पूँजी अधिशेष(+) / घाटा (-)(4-19)	-1.51	-1.10	-1.19	-1.02	-0.68	-0.66	-0.75	0.53	-0.37	-1.10	-1.01
22	वित्तीय घाटा [(1+5+6+13)-17]	-0.89	0.04	0.24	-0.17	0.02	0.29	-0.05	-0.90	-0.79	0.44	-0.94
23	प्रारंभिक घाटा (22+11)	-0.25	0.60	0.75	0.30	0.44	0.68	0.29	-0.51	-0.42	0.76	-0.66
24	कुल अवशेष (+)/घाटा (-) चालू वित्त वर्ष में (8-17)	-0.25	0.13	0.39	-0.16	0.05	0.19	0.19	0.72	0.00	0.30	-0.49
25	प्रारंभिक बकाया	0.45	0.18	0.28	0.59	0.39	0.40	0.55	0.79	1.27	1.09	0.49
26	अंतिम बकाया (24+25)	0.20	0.31	0.66	0.43	0.44	0.59	0.74	1.51	1.27	1.39	0.00

दिल्ली सरकार की प्राप्ति, व्यय और अधिशेष / घाटा पिछले वर्ष के प्रतिशत के रूप में

(प्रतिशत में)

S. No. 1	Item 2	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (Prov.)	2023-24 (BE)
1	राजस्व प्राप्तियां	9.47	5.73	18.30	-1.87	12.58	11.50	9.33	-11.19	17.79	27.15	0.08
2	निजी कर राजस्व	10.61	2.64	13.61	3.03	14.70	2.54	-0.16	-19.53	36.00	18.35	13.10
3	गैर कर राजस्व (के.प्र.यो. में हिस्सेदारी सहित)	-3.17	44.55	60.15	-32.84	-7.97	119.91	62.92	17.68	-25.28	65.05	-40.11
4	पूँजी प्राप्तियां	201.45	-59.89	16.70	-17.92	36.10	74.21	23.53	186.25	-26.14	-61.84	135.58
5	ऋण वसूली	10.83	-71.86	-63.59	157.57	226.39	138.24	-49.97	-23.25	-1.38	102.02	-50.61
6	सरकारी कर्मचारियों द्वारा ऋण भुगतान	-11.43	20.43	-39.29	-16.91	-49.56	-28.07	10.80	-0.95	0.00	-4.31	132.23
7	केन्द्र से ऋण	351.31	-57.62	27.03	-24.34	12.43	51.07	65.47	222.41	-27.15	-70.95	207.58
8	कुल प्राप्तियां (1+4)	21.09	-4.16	18.20	-2.87	13.82	15.44	10.68	9.74	5.65	9.95	9.17
9	गैर योजना / स्थापना और प्रशासन व्यय (10+12)	20.40	-14.39	19.46	14.31	15.44	14.56	0.91	7.57	-7.28	4.87	8.58
10	राजस्व खाते पर	5.25	4.42	15.42	14.65	18.71	9.63	2.22	5.42	-12.10	4.61	9.42
11	जिसमें से ब्याज भुगतान	-1.35	-1.78	1.29	2.59	-0.41	-0.12	-4.02	4.43	13.93	-0.24	-5.27
12	पूँजी खाते पर	113.94	-71.53	64.44	11.67	-10.79	67.21	-8.25	24.32	24.61	6.10	4.70
13	जिसमें से ऋण भुगतान / अग्रिम भुगतान	2.90	1.62	6.57	15.29	1.68	116.14	-22.69	16.15	29.09	11.86	6.90
14	योजना / स्कीम / कार्यक्रम / परियोजनाओं व्यय (15+16)	6.23	-1.83	6.83	-5.56	0.62	10.06	29.84	-5.21	57.86	4.73	37.50
15	राजस्व खाते पर	14.83	6.49	5.45	1.29	9.66	8.00	21.79	-5.78	79.09	5.00	28.75
16	पूँजी खाते पर	-1.85	-10.98	8.65	-14.33	-13.03	13.98	44.38	-4.34	26.02	4.16	56.29
17	कुल व्यय (9+14)	14.04	-9.14	13.75	5.88	9.83	13.00	10.68	2.50	16.59	4.80	22.91
18	राजस्व व्यय (10+15)	8.26	5.11	12.05	10.40	16.07	9.18	7.56	1.96	13.93	4.78	18.11
19	पूँजी व्यय (12+16)	27.02	-36.41	19.14	-7.58	-12.33	30.97	22.94	4.37	25.51	4.86	37.52
20	राजस्व अधिशेष (+) / घाटा (-) (1-18)	14.54	8.21	42.49	-39.19	-6.67	27.43	19.77	-80.66	125.51	342.12	-60.10
21	पूँजी अधिशेष(+) / घाटा (-) (4-19)	-11.03	-19.06	20.04	-3.90	-27.06	6.43	22.39	-166.13	-184.06	242.67	-1.42
22	वित्तीय घाटा [(1+5+6+13)-17]	72.55	-105.55	504.12	-179.47	-110.78	1795.44	-119.41	1509.80	4.68	-165.02	-327.49
23	प्रारंभिक घाटा (22+11)	-293.52	-367.59	38.06	-55.66	62.88	68.04	-53.43	-264.18	-2.26	-309.00	-193.10
24	कुल अवशेष (+) / घाटा (-) चालू वित्त वर्ष में (8-17)	-58.31	-157.59	234.35	-147.45	-133.40	312.43	10.58	250.63	-100.81	-7163.33	-274.95
25	प्रारंभिक बकाया	-57.17	-55.65	72.27	140.26	-27.70	12.79	46.78	35.25	91.38	-0.39	-51.76
26	अंतिम बकाया (24+25)	-55.65	72.27	140.26	-27.70	12.79	46.78	35.25	91.38	-0.39	27.57	-100.00

तालिका 4.4

सभी राज्यों का योजना और गैर योजना-व्यय, राजस्व और पूंजी विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	मद	2013-14	2014-15	मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (RE)	2023-24 (BE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	योजना व्यय	538800.89	689545.47										
a)	राजस्व	312516.70	419388.72	राजस्व व्यय*	1838266.66	2088891.91	2340080.61	2638122.34	2791632.28	2957843.94	3327197.02	4037555.75	4343959.56
b)	पूंजी	226284.19	270156.75										
II.	गैर-योजना व्यय	1167343.63	1336237.08										
a)	राजस्व	1067233.51	1217899.07	पूंजीगत व्यय*	521962.07	621323.44	584518.60	699591.00	703370.33	739648.39	902733.19	1222601.80	1435611.45
b)	पूंजी	100110.12	118338.01										
III.	कुल राजस्व	1706144.52	2025782.55	कुल खर्च	2360228.73	2708215.35	2924599.21	3337713.34	3495002.61	3697492.32	4229930.21	5260157.55	5779571.01
IV.	III के प्रतिशत के रूप में I	31.58	34.04	कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	77.89	77.06	80.01	79.04	79.87	80.00	78.66	76.76	75.16
V.	III के प्रतिशत के रूप में II	68.42	65.96	कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय	22.11	22.94	19.99	20.96	20.13	20.00	21.34	23.24	24.84

स्रोत: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन (राज्य सरकारों के वित्त)

* योजना और गैर योजना, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार विलय कर दिया गया।

तालिका 4.5 (क)

सामान्य श्रेणी राज्यों के संदर्भ में निजी कर राजस्व

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (RE)	2023-24 (BE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आन्ध्र प्रदेश	64124	42618	39907	44181	52414	58677	57601	57409	70979	84343	102599
2	बिहार	19961	9450	25449	23742	29708	30858	30144	30342	34855	41387	49700
3	छत्तीस गढ़	14343	15707	17075	18945	21989	21889	22118	22889	27084	32800	38000
4	गोआ	3582	3896	3975	4261	4988	4871	4701	4241	5805	6331	8589
5	गुजरात	56372	61340	62649	64443	73646	80565	79008	70266	97678	133410	138848
6	हरियाणा	25567	27635	30929	34026	41836	42744	42825	41914	53377	65336	75717
7	झारखण्ड	9380	10350	11479	13299	14488	14752	16771	16880	21290	24720	30857
8	कर्नाटक	62604	70180	75550	82956	90335	97537	102363	97053	120739	143883	173303
9	केरल	31995	35233	38995	42176	48160	51019	50323	47661	58341	70189	81039
10	मध्य प्रदेश	33552	36567	40214	44194	49943	52125	55824	54459	66237	78137	86500
11	महाराष्ट्र	108598	115064	126608	136592	171686	188341	188945	164255	220927	275786	298181
12	उड़ीसा	16892	19828	22527	22852	31070	31015	32315	34258	40748	47000	53000
13	पंजाब	24079	25570	26690	27747	31496	31811	29995	30053	37327	44140	51835
14	राजस्थान	33478	38673	42713	44372	54342	58205	59245	60283	74808	92719	114169
15	तमिलनाडु	73718	78657	80476	85941	96472	106138	107462	106153	122866	151871	181182
16	तेलंगाना	NA	29288	39975	48408	58177	65040	67597	66650	91271	110592	131029
17	उत्तरप्रदेश	66582	74172	81106	85966	109605	122816	122826	119897	147368	185238	262634
18	पश्चिम बंगाल	35831	39412	42492	45466	57701	61831	60669	60287	71082	79500	88596
19	दिल्ली	25919	26604	30225	31140	35717	36625	36566	29425	40019	47363	53565
20	सभी राज्य	712419	779278	847145	912912	1130460	1214845	1223993	1171878	1472520	1802296	2123047

स्रोत: अन्य राज्यों के लिए - रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन (राज्य सरकारों के वित्त) 2023-24 और दिल्ली के लिए वास्तविक 2013-14 से 2023-24 (BE) वित्त लेखा से

तालिका 4.5 (ख)

सामान्य श्रेणी राज्यों के संदर्भ में निजी कर राजस्व जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (RE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आन्ध्र प्रदेश	13.81	8.12	6.60	6.46	6.67	6.72	6.22	6.00	6.26	6.40
2	बिहार	6.29	2.76	6.85	5.64	6.34	5.84	5.18	5.35	5.36	5.51
3	छत्तीस गढ़	6.93	7.10	7.58	7.21	7.78	6.69	6.42	6.58	6.66	7.17
4	गोआ	9.97	8.15	7.22	6.77	7.19	6.78	6.26	5.60	7.03	NA
5	गुजरात	6.98	6.65	6.09	5.52	5.54	5.40	4.89	4.35	5.04	NA
6	हरियाणा	6.40	6.32	6.24	6.06	6.55	6.12	5.85	5.65	6.13	6.57
7	झारखण्ड	4.97	4.74	5.56	5.63	5.37	4.83	5.40	5.69	5.93	6.28
8	कर्नाटक	7.67	7.68	7.23	6.87	6.78	6.59	6.35	5.97	6.15	6.42
9	केरल	6.88	6.87	6.94	6.64	6.86	6.47	6.19	6.18	6.26	NA
10	मध्य प्रदेश	7.63	7.62	7.43	6.80	6.88	6.28	6.02	5.66	5.83	5.91
11	महाराष्ट्र	6.58	6.47	6.44	6.21	7.30	7.45	7.11	6.25	7.11	NA
12	उड़ीसा	5.70	6.31	6.86	5.82	7.06	6.22	6.01	6.34	6.07	6.07
13	पंजाब	7.25	7.20	6.84	6.50	6.69	6.21	5.59	5.56	6.08	6.56
14	राजस्थान	6.08	6.28	6.27	5.83	6.53	6.39	5.93	5.91	6.14	6.56
15	तमिलनाडु	7.61	7.33	6.84	6.60	6.58	6.51	6.16	5.94	5.93	6.42
16	तेलंगाना	NA	5.79	6.92	7.35	7.76	7.59	7.11	7.07	8.08	8.42
17	उत्तरप्रदेश	7.08	7.33	7.13	6.67	7.61	7.76	7.22	7.29	7.46	8.21
18	पश्चिम बंगाल	5.29	5.49	5.33	5.21	5.92	5.61	5.15	5.22	5.21	5.11
19	दिल्ली	5.84	5.38	5.49	5.05	5.27	4.96	4.61	3.93	4.50	4.57
20	सभी राज्य	6.34	6.25	6.15	5.93	6.61	6.43	6.09	5.91	6.27	6.62

स्रोत: रिजर्व बैंक आफ इंडिया बुलेटिन (राज्य सरकारों के वित्त) 2022-23, दिल्ली और अन्य राज्यों के लिए

तालिका 4.6 (क)

संसाधनों की प्राप्ति 2013-14 से 2016-17

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
A	कर राजस्व (1 से 5)	25918.69	26603.9	30225.16	31139.89
1	वैट	17925.71	18289.31	20245.82	21144.24
2	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क (भूमि राजस्व समेत)	2969.08	2841.67	3434.11	3145.94
3	मोटर वाहनों पर कर	1409.27	1558.83	1607.01	1808.78
4	आबकारी कर	3151.63	3422.39	4237.69	4251.4
5	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क (a से c)	463	491.7	700.53	789.53
a	मनोरंजन कर (केबल टीवी कर समेत)	146.14	150.84	241.28	264.07
b	सट्टेबाजी कर	10.1	9.88	19.28	33.29
c	विलासिता कर	306.76	330.98	439.97	492.17
B	स्वयं गैर कर राजस्व (1 से 3)	659.14	632.55	515.4	380.69
1	ब्याज	379.35	350.52	82.53	81.39
2	लाभांश और लाभ		12.9	12.32	11.28
3	सेवा शुल्क और अन्य	279.79	269.13	420.55	288.02
C	केंद्रीय करों में हिस्सेदारी	325	325	325	325
D	भारत सरकार से गैर योजना अनुदान	1.91	2.95	2580.02	793.72
E	राजस्व प्राप्तियां (A+B+C+D)	26904.74	27564.4	33645.58	32639.3
F	शुद्ध गैर योजना राजस्व व्यय	14904.25	15563.19	17963.23	20585.32
G	वर्तमान राजस्व से शेष (E-F)	12000.49	12001.21	15682.35	12053.98
H	विविध पूंजी प्राप्तियां (1-2)	-777.86	-1169.64	-2214.27	-2361.99
1	पूंजी प्राप्तियां	4129.3	227.61	83.42	212.49
2	गैर योजना पूंजीगत व्यय	4907.16	1397.25	2297.69	2574.48
I	अल्प बचत ऋण	836.5	1764.32	2241.13	1695.53
J	दिल्ली के अपने संसाधन (प्रारंभिक शेष को छोड़कर) (G+H+I)	12059.13	12595.89	15709.21	11387.52
K	केंद्रीय योजना सहायता	1075.95	1550.19	1303.27	1706.44
L	भारत सरकार से अन्य अनुदान	0	470	50	0
M	वार्षिक योजना के लिए कुल संसाधन (प्रारंभिक शेष के बिना) (J+K+L)	13135.08	14616.08	17062.48	13093.96
N	प्रारंभिक शेष	1985.74	880.64	1517.06	3644.94
O	वार्षिक योजना के लिए कुल संसाधन (प्रारंभिक शेष के साथ) (M+N)	15120.82	15496.72	18579.54	16738.9
P	योजना परिव्यय/व्यय (i + ii)	14240.19	13979.66	14934.6	14103.56
i	योजना	13927.49	13378.95	14145.7	13204.54
ii	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	312.7	600.71	788.9	899.02
Q	संसाधन अधिशेष (O-P)	880.63	1517.06	3644.94	2635.34

तालिका 4.6 (ख)

संसाधनों की प्राप्ति 2017-18 से 2023-24 (ब.अ.) (करोड़ रुपये में)

क्र सं	मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (Prov.)	2023-24 (BE)
1	कर राजस्व (I से V)	35717.02	36624.67	36565.87	29425.33	40018.68	47362.56	53565.00
i	वैट/एसजीएसटी	24770.01	25072.32	24939.62	20087.35	27362.89	32906.17	37200.00
क	वैट	11149.17	5885.75	5474.67	4411.20	5099.46	5582.06	5700.00
ख	एसजीएसटी	13620.84	19186.57	19464.95	15676.15	22263.43	27324.11	31500.00
ii	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	4118.58	4458.73	4609.01	3552.98	5212.09	6022.91	6000.00
iii	मोटर वाहनों पर कर	2115.76	2054.75	1948.09	1676.18	1955.68	2884.08	3000.00
iv	राज्य आबकारी कर	4453.49	5028.19	5068.01	4108.15	5487.58	5547.97	7365.00
v	अन्य कर	259.18	10.68	1.14	0.67	0.45	1.44	0.00
क	मनोरंजन कर (केबल टीवी कर समेत)	83.76	1.86	0.09	0.04	0.00	0.16	0.00
ख	सट्टेबाजी कर	5.40	-1.13	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
ग	विलासिता कर	170.02	9.95	1.04	0.65	0.36	1.28	0.00
	अन्य रसीदें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
2	स्वयं गैर कर राजस्व	766.06	644.17	1096.89	979.67	826.99	580.99	1050.00
3	पूँजी प्राप्ति	690.42	1643.90	822.65	631.48	622.78	1257.66	621.99
4	केंद्रीय करों में हिस्सेदारी	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	0.00
5	जीएसटी/ वैट/ सीएसटी क्षतिपूर्ति	847.53	4182.00	7436.00	5521.65	6445.96	12817.02	3802.00
6	केंद्रीय योजना सहायता (सीएसएस सहित)	581.74	807.03	1169.48	1441.46	991.93	981.79	3167.00
7	भारत सरकार से अन्य अनुदान	429.92	529.74	542.56	4170.49	704.43	635.49	1168.01
8	लघु बचत निधि	1906.34	2800.00	4540.60	9500.00	5000.00	3251.22	10000.00
9	ई.ए.पी. के अंतर्गत ऋण	0.00	80.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले ब्लॉक	0.00	0.00	0.00	5865.00	6192.67	0.00	0.00
11	प्रारंभिक शेष	2635.34	2972.52	4363.14	5900.94	11292.98	11249.08	5426.00
12	कुल निधिया	43899.37	50609.03	57087.19	63761.02	72421.42	78460.80	78800.00
13	कुल व्यय (I + II)	40926.85	46245.89	51186.26	52468.04	61172.34	64110.35	78800.00
I	स्थापना और प्रशासनिक व्यय	26735.37	30627.19	30906.45	33244.75	30826.01	32327.80	35100.00
क	राजस्व	24446.47	26799.82	27394.79	28878.92	25385.69	26555.49	29056.28
ख	पूँजी	2288.90	3827.37	3511.65	4365.83	5440.32	5772.31	6043.72
II	कार्यक्रम व्यय	14191.48	15618.70	20279.81	19223.29	30346.33	31782.55	43700.00
क	राजस्व	9307.55	10051.76	12242.22	11534.70	20657.37	21690.45	27927.03
ख	पूँजी	4883.93	5566.94	8037.59	7688.59	9688.96	10092.10	15772.97

क्र. सं.	मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (BE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	राजस्व प्राप्तियां											
	सभी राज्य	1369187	1591583	1832885	2046400	2321241	2620353	2670138	2586622	3225165	3912171	4309041
	दिल्ली	27981	29585	34999	34346	38667	43113	47136	41864	49313	62703	62752
2	राजस्व व्यय											
	सभी राज्य	1379750	1637288	1838267	2086892	2340081	2638122	2791632	2957844	3327197	4037556	4343960
	दिल्ली	22367	23509	26343	29082	33754	36852	39637	40414	46043	48246	56983
3	राजस्व अधिशेष (+) / घाटा (-)											
	सभी राज्य	-10563	-45704	-5382	-40492	-18840	-17769	-121495	-371222	-102032	-125385	-34919
	दिल्ली	5614	6075	8656	5264	4913	6261	7499	1450	3270	14457	5769
4	राज्यों के निजी कर राजस्व											
	सभी राज्य	712419	779278	847145	912912	1130460	1214845	1223993	1171878	1472520	1802296	2123047
	दिल्ली	25919	26604	30225	31140	35717	36625	36566	29425	40019	47363	53565
5	राज्य निजी कर राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में											
	सभी राज्य	51.63%	47.60%	46.08%	43.75%	48.31%	46.05%	43.85%	39.62%	44.26%	44.64%	48.87%
	दिल्ली	115.88%	113.16%	114.74%	107.08%	105.82%	99.38%	92.25%	72.81%	86.92%	98.17%	94.00%
6	राज्यों का निजी गैर कर राजस्व											
	सभी राज्य	132543	143666	153653	169536	179638	218745	260891	175676	246917	284014	356268
	दिल्ली	659	633	515	381	766	644	1097	980	827	581	1050
7	राज्य का निजी गैर राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में											
	सभी राज्य	9.61%	8.77%	8.36%	8.12%	7.68%	8.29%	9.35%	5.94%	7.42%	7.03%	8.20%
	दिल्ली	2.95%	2.69%	1.96%	1.31%	2.27%	1.75%	2.77%	2.42%	1.80%	1.20%	1.84%
8	ब्याज भुगतान											
	सभी राज्य	168900	190415	214250	251300	293120	319235	351389	387028	427409	472328	519260
	दिल्ली	2824	2774	2810	2883	2871	2867	2752	2874	3274	3266	3094

9	ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तिओं के प्रतिशत के रूप में														
	सभी राज्य	12.34%	11.96%	11.69%	12.28%	12.63%	12.18%	13.16%	14.96%	13.25%	12.07%	12.05%			
	दिल्ली	10.09%	9.38%	8.03%	8.39%	7.42%	6.65%	5.84%	6.87%	6.64%	5.21%	4.93%			
10	राज्यों की बकाया देनदारियां, (मार्च अन्त)														
	सभी राज्य	2471260	2703760	3218130	3809360	4292500	4786770	5350716	6155000	6876179	7496127	8331953			
	दिल्ली	32080	32467	33304	33344.8	33568.7	32732.3	34461.8	40696.7	41481.5	40017.6	-----			
11	कुल राजकोषीय अधिशेष (+) / घाटा (-)														
	सभी राज्य	-247850	-327190	-420670	-534330	-410490	-462770	-524710	-804574	-654678	-923810	-948261			
	दिल्ली	-3943	219	1322	-1051	113	2147	-417	-6708	-7021	4565	-10386			
12	सकल घरेलू उत्पाद														
	सभी राज्य	11233522	12467959	13771874	15391669	17090042	18899668	20103593	19829927	23471012	27240712	29657745			
	दिल्ली	443960	494803	550804	616085	677900	738389	792911	744277	881336	1014688	1107746			
13	स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में कुल राजकोषीय घाटा														
	सभी राज्य	-2.21%	-2.62%	-3.05%	-3.47%	-2.40%	-2.45%	-2.61%	-4.06%	-2.79%	-3.39%	-3.20%			
	दिल्ली	-0.89%	0.04%	0.24%	-0.17%	0.02%	0.29%	-0.05%	-0.90%	-0.80%	0.45%	-0.94%			
14	राजस्व अधिशेष (+) / घाटा (-) जीडीपी के प्रतिशत के रूप में														
	सभी राज्य	-0.09%	-0.37%	-0.04%	-0.26%	-0.11%	-0.09%	-0.60%	-1.87%	-0.43%	-0.46%	-0.12%			
	दिल्ली	1.26%	1.23%	1.57%	0.85%	0.72%	0.85%	0.95%	0.19%	0.37%	1.42%	0.52%			
15	राज्यों का बकाया ऋण -जीडीपी के प्रतिशत के रूप में														
	सभी राज्य	22.00%	21.69%	23.37%	24.75%	25.12%	25.33%	26.62%	31.04%	29.30%	27.52%	28.09%			
	दिल्ली	7.23%	6.56%	6.05%	5.41%	4.95%	4.43%	4.35%	5.47%	4.71%	3.94%	----			
स्रोत: (i) राज्य वित्त - 2023-24 के बजट का अध्ययन, दिल्ली और अन्य राज्यों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक। (ii) वित्त वर्ष 2013-14 से 2021-22 के आंकड़े एमओएसपीआई, भारत सरकार से लिए गए हैं। (iii) अखिल भारतीय जीडीपी के आंकड़े एमओएसपीआई, भारत सरकार द्वारा 01.08.2023 को जारी प्रेस वक्तव्य से लिए गए हैं।															

तालिका 4.8 (क)

सामान्य श्रेणी राज्यों के मामले में राजस्व अधिशेष (-)/घाटा (+)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (BE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आन्ध्र प्रदेश	-340.00	24190.00	7300.00	17190.00	16151.70	13898.60	26440.50	35540.50	8,610.8	29,107.6	22,316.7
2	बिहार	-6440.00	-5850.00	-12510.00	-10820.00	-14823.00	-6896.60	-698.90	11325.10	422.4	28,348.7	-4,479.0
3	छत्तीसगढ़	810.00	1560.00	-2370.00	-5520.00	-3417.30	-683.80	9608.60	6856.70	-4,642.0	-2,661.2	-3,500.1
4	गोआ	350.00	-280.00	-130.00	-700.00	-510.60	-355.10	218.80	664.70	-59.5	-545.3	-669.5
5	गुजरात	-4720.00	-5330.00	-1700.00	-5950.00	-5231.60	-3212.00	-1944.80	22547.90	-6,408.4	-6,693.6	-9,038.3
6	हरियाणा	3880.00	8320.00	11680.00	15910.00	10562.50	11270.40	16990.10	22385.60	20,333.3	18,005.1	16,949.0
7	झारखण्ड	-2710.00	230.00	-4090.00	-1970.00	-1805.60	-5896.30	-1961.00	3113.90	-6,944.0	-9,453.2	-13,661.1
8	कर्नाटक	-350.00	-530.00	-1790.00	-1290.00	-4517.30	-678.80	-1185.40	19337.50	13,666.2	5,996.5	12,522.7
9	केरल	11310.00	13800.00	9660.00	15480.00	16928.20	17461.90	14495.30	25829.50	29,539.3	19,915.5	23,942.2
10	मध्यप्रदेश	-5880.00	-6270.00	-5740.00	-3770.00	-4629.30	-8814.60	2800.90	18356.20	-4,814.5	-1,499.0	-412.8
11	महाराष्ट्र	5080.00	12140.00	5340.00	8540.00	-2082.50	-11974.60	17115.60	41141.80	16,374.3	19,965.2	16,122.4
12	उड़ीसा	-3330.00	-5860.00	-10140.00	-9260.00	-13367.00	-14189.70	-2430.40	-9076.40	-43,471.9	-17,461.1	-26,738.6
13	पंजाब	6540.00	7590.00	8550.00	7310.00	9455.30	13134.60	14284.90	17296.40	18,468.2	23,890.8	24,588.8
14	राजस्थान	1040.00	3220.00	5950.00	18110.00	18534.30	28900.20	36371.30	44001.50	25,870.0	32,310.1	24,895.7
15	तमिलनाडु	1790.00	6410.00	11990.00	12960.00	21593.90	23459.40	35908.80	62325.90	46,538.0	30,476.0	37,540.4
16	तेलंगाना	NA	-370.00	-240.00	-1390.00	-3459.40	-4337.10	6254.10	22298.00	9,334.8	-2,979.9	-4,881.7
17	उत्तर प्रदेश	-10070.00	-22390.00	-14340.00	-20280.00	-12551.90	-28249.60	-67560.10	2367.10	-33,430.1	-53,907.3	-68,511.6
18	पश्चिम बंगाल	18920.00	17140.00	9100.00	16090.00	9807.00	10398.70	19660.90	29527.30	32,000.3	39,663.3	30,924.1
19	दिल्ली	-5614.16	-6075.09	-8656.29	-5264.19	-4913.25	-6261.00	-7498.80	-1450.00	-3,269.9	-14,456.9	-5,768.7

स्रोत: अन्य राज्यों के लिए - रिजर्व बैंक आफ इंडिया बुलेटिन (राज्य सरकारों के वित्त) 2023-24 और दिल्ली के लिए 2013-14 से 2022-23 एवं 2023-24 (BE) का वास्तविक वित्त लेखा से

तालिका 4.8 (ख)

सामान्य श्रेणी राज्यों के मामले में राजस्व अधिशेष (-)/घाटा (+) जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में

(प्रतिशत में)

क.सं.	राज्य	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (RE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आन्ध्र प्रदेश	-0.07	4.61	1.21	2.51	2.05	1.59	2.86	3.71	0.76	2.21
2	बिहार	-2.03	-1.71	-3.37	-2.57	-3.16	-1.31	-0.12	2.00	0.06	3.77
3	छत्तीसगढ़	0.39	0.71	-1.05	-2.10	-1.21	-0.21	2.79	1.97	-1.14	-0.58
4	गोआ	0.97	-0.59	-0.24	-1.11	-0.74	-0.49	0.29	0.88	-0.07	NA
5	गुजरात	-0.58	-0.58	-0.17	-0.51	-0.39	-0.22	-0.12	1.40	-0.33	NA
6	हरियाणा	0.97	1.90	2.36	2.83	1.65	1.61	2.32	3.02	2.34	1.81
7	झारखण्ड	-1.44	0.11	-1.98	-0.83	-0.67	-1.93	-0.63	1.05	-1.94	-2.40
8	कर्नाटक	-0.04	-0.06	-0.17	-0.11	-0.34	-0.05	-0.07	1.19	0.70	0.27
9	केरल	2.43	2.69	1.72	2.44	2.41	2.22	1.78	3.35	3.17	NA
10	मध्यप्रदेश	-1.34	-1.31	-1.06	-0.58	-0.64	-1.06	0.30	1.91	-0.42	-0.11
11	महाराष्ट्र	0.31	0.68	0.27	0.39	-0.09	-0.47	0.64	1.57	0.53	NA
12	उड़ीसा	-1.12	-1.86	-3.09	-2.36	-3.04	-2.85	-0.45	-1.68	-6.48	-2.25
13	पंजाब	1.97	2.14	2.19	1.71	2.01	2.56	2.66	3.20	3.01	3.55
14	राजस्थान	0.19	0.52	0.87	2.38	2.23	3.17	3.64	4.32	2.12	2.29
15	तमिलनाडु	0.18	0.60	1.02	0.99	1.47	1.44	2.06	3.49	2.25	1.29
16	तेलंगाना	NA	-0.07	-0.04	-0.21	-0.46	-0.51	0.66	2.37	0.83	-0.23
17	उत्तर प्रदेश	-1.07	-2.21	-1.26	-1.57	-0.87	-1.79	-3.97	0.14	-1.69	-2.39
18	पश्चिम बंगाल	2.80	2.39	1.14	1.84	1.01	0.94	1.67	2.55	2.35	2.55
19	दिल्ली	-1.26	-1.23	-1.57	-0.85	-0.72	-0.85	-0.95	-0.19	-0.37	-1.40

तालिका 4.9 (क)

2013-14 से 2015-16 के दौरान सामान्य श्रेणी राज्यों का योजना व्यय और 2016-17 से 2023-24 (ब.अ.) के दौरान सामान्य श्रेणी राज्यों का विकास व्यय
(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (RE)	2023-24 (BE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आन्ध्र प्रदेश	42185.34	32340.00	38510.00	98730.00	97992.00	109034.80	106060.40	117831.90	119530.40	162277.50	192560.20
2	बिहार	33677.55	42170.00	59970.00	89370.00	95620.00	105416.40	92485.30	111174.70	131922.10	201165.40	163965.20
3	छत्तीसगढ़	19497.69	27280.00	38030.00	45070.00	52060.00	57124.10	61689.70	57887.00	62998.50	86433.90	93257.90
4	गोआ	2732.21	2630.00	4500.00	7430.00	8740.00	8936.70	9007.60	9672.70	11553.10	15825.00	16949.20
5	गुजरात	42740.47	48890.00	58350.00	89860.00	102210.00	113738.90	117538.40	125720.70	132260.10	165037.50	192450.20
6	हरियाणा	15712.16	17750.00	42070.00	57260.00	60570.00	64059.90	71286.00	61422.90	71832.20	87214.90	100343.30
7	झारखण्ड	11192.75	18170.00	35210.00	43580.00	47380.00	44228.70	46543.60	50431.00	51323.20	67074.00	83024.40
8	कर्नाटक	44259.56	50700.00	59210.00	123990.00	136290.00	154532.20	157824.40	162221.40	191284.20	192611.40	214820.10
9	केरल	10924.97	14110.00	17370.00	55480.00	57230.00	60130.40	52645.60	78761.50	83167.40	79655.10	84371.90
10	मध्यप्रदेश	32367.42	39330.00	55160.00	116360.00	122800.00	126156.10	133963.90	141559.70	167447.80	181356.50	202867.10
11	महाराष्ट्र	45152.55	47190.00	69590.00	164370.00	173990.00	197185.00	216107.70	216884.90	248394.70	348518.50	345841.50
12	उड़ीसा	22957.31	29640.00	40060.00	65810.00	72810.00	83812.40	89808.10	84372.60	98101.40	134701.40	160407.50
13	पंजाब	3263.48	7510.00	10660.00	71310.00	29560.00	39778.40	52462.60	42223.50	54828.40	68425.90	73830.20
14	राजस्थान	31705.21	43130.00	97960.00	117450.00	123820.00	132572.10	136808.60	133528.80	168672.90	203282.30	219859.50
15	तमिलनाडु	43794.97	50610.00	59290.00	135150.00	121680.00	139695.40	145105.40	177518.10	189454.90	199631.00	220797.70
16	तेलंगाना	NA	23080.00	41630.00	92370.00	83950.00	93483.30	97216.00	109728.90	128735.30	179668.90	225086.70
17	उत्तर प्रदेश	63088.81	75830.00	107730.00	208490.00	186700.00	223914.30	226278.30	217144.20	258257.60	382040.20	430258.50
18	पश्चिम बंगाल	28159.37	39240.00	52860.00	94900.00	106500.00	122673.70	116681.30	121552.40	149351.20	171796.00	190988.50
19	दिल्ली	14240.19	0.00	0.00	27040.00	30370.00	32269.70	36324.50	38649.90	44937.40	53318.50	56911.40

आर्थिक सर्वेक्षण, दिल्ली 2023-24

स्रोत : स्टेट फाइनैन्स-ए स्टडी ऑफ बजट्स, 2023-24 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य राज्यों के लिए और दिल्ली के लिए 2013-14 से 2022-23 एवं 2023-24(BE) स्टेट फाइनैन्स खाता, से

* योजना और गैर योजना, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार विलय कर दिया गया।

तालिका 4.9 (ख)

2013-14 से 2015-16 के दौरान सामान्य श्रेणी राज्यों का योजना व्यय और 2016-17 से 2022-23 (RE) के दौरान सामान्य श्रेणी राज्यों का विकास व्यय जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में

क्र.सं.	राज्य	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (RE)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आन्ध्र प्रदेश	9.09	6.16	6.37	14.43	12.47	12.48	11.46	12.32	10.54	12.31
2	बिहार	10.62	12.30	16.14	21.23	20.40	19.97	15.89	19.60	20.29	26.77
3	छत्तीसगढ़	9.43	12.34	16.89	17.15	18.41	17.46	17.90	16.65	15.50	18.89
4	गोआ	7.61	5.50	8.17	11.80	12.60	12.44	12.00	12.78	13.99	NA
5	गुजरात	5.29	5.30	5.67	7.70	7.69	7.62	7.27	7.78	6.83	NA
6	हरियाणा	3.94	4.06	8.49	10.20	9.48	9.17	9.74	8.28	8.25	8.77
7	झारखण्ड	5.94	8.31	17.04	18.45	17.56	14.47	15.00	17.00	14.30	17.04
8	कर्नाटक	5.42	5.55	5.67	10.27	10.22	10.45	9.80	9.98	9.75	8.59
9	केरल	2.35	2.75	3.09	8.74	8.16	7.63	6.48	10.21	8.92	NA
10	मध्यप्रदेश	7.36	8.19	10.19	17.91	16.91	15.20	14.44	14.72	14.74	13.71
11	महाराष्ट्र	2.74	2.65	3.54	7.48	7.40	7.80	8.13	8.25	7.99	NA
12	उड़ीसा	7.74	9.43	12.19	16.75	16.53	16.81	16.71	15.62	14.62	17.38
13	पंजाब	0.98	2.11	2.73	16.70	6.28	7.76	9.77	7.81	8.93	10.17
14	राजस्थान	5.75	7.01	14.37	15.44	14.87	14.54	13.70	13.10	13.85	14.38
15	तमिलनाडु	4.52	4.72	5.04	10.38	8.31	8.57	8.32	9.93	9.15	8.44
16	तेलंगाना	NA	4.56	7.20	14.03	11.19	10.90	10.23	11.64	11.40	13.68
17	उत्तर प्रदेश	6.71	7.49	9.47	16.18	12.97	14.15	13.31	13.20	13.08	16.92
18	पश्चिम बंगाल	4.16	5.46	6.63	10.88	10.93	11.13	9.90	10.52	10.95	11.05
19	दिल्ली	3.21	0.00	0.00	4.39	4.48	4.37	4.58	5.17	5.06	5.15

स्रोत : स्टेट फाइनेंस-ए स्टडी ऑफ बजट्स, 2023-24 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य राज्यों के लिए और दिल्ली के लिए विस्तृत अनुदान मांगें 2013-14 से 2015-16 और 2016-17 से 2022-23 (RE) स्टेट फाइनेंस-ए स्टडी ऑफ बजट्स, 2023-24 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से

* योजना और गैर योजना, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार विलय कर दिया गया।

तालिका 4.10

सामान्य श्रेणी राज्यों और भारत सरकार का जीएसडीपी और जीडीपी वर्तमान मूल्यों पर

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आन्ध्र प्रदेश	464272	524976	604229	684416	786135	873721	925839	956788	1133837	1317728
2	बिहार	317101	342951	371602	421051	468746	527976	581855	567263	650302	751396
3	छत्तीसगढ़	206833	221118	225163	262802	282737	327107	344648	347752	406416	457608
4	गोआ	35921	47814	55054	62976	69352	71853	75032	75705	82604	NA
5	गुजरात	807623	921773	1029010	1167156	1329095	1492156	1617143	1616106	1937066	NA
6	हरियाणा	399268	437145	495504	561424	638832	698940	732195	741850	870665	994154
7	झारखण्ड	188567	218525	206613	236250	269816	305695	310305	296664	358863	393722
8	कर्नाटक	816666	913923	1045168	1207608	1333240	1479391	1611134	1625073	1962725	2241368
9	केरल	465041	512564	561994	634886	701588	788286	812935	771724	932470	NA
10	मध्यप्रदेश	439483	479939	541068	649823	726284	829805	927855	961643	1136137	1322821
11	महाराष्ट्र	1649647	1779138	1966225	2198185	2352782	2528854	2657371	2627542	3108022	NA
12	उड़ीसा	296475	314250	328550	392804	440395	498611	537502	540150	670881	774869
13	पंजाब	332147	355102	390087	426988	471014	512510	537031	540853	614227	673107
14	राजस्थान	551031	615642	681482	760587	832529	911519	998679	1019442	1218193	1413620
15	तमिलनाडु	968530	1072678	1176500	1302639	1465051	1630209	1743144	1788074	2071286	2364514
16	तेलंगाना	451580	505849	577902	658325	750050	857427	950090	942814	1128907	1313391
17	उत्तर प्रदेश	940356	1011790	1137808	1288700	1439925	1582180	1700062	1645317	1974532	2257575
18	पश्चिम बंगाल	676849	718082	797300	872527	974700	1102054	1179097	1155821	1363926	1554992
19	दिल्ली	443960	494803	550804	616085	677900	738389	792911	744277	881336	1014688
20	अखिल भारतीय जीडीपी	11233522	12467959	13771874	15391669	17090042	18899668	20103593	19829927	23471012	27240712

स्रोत:- वित्त वर्ष 2013-14 से 2022-23 के लिए जीडीपी/जीएसडीपी के आंकड़े एमओएसपीआई, भारत सरकार की 01.08.2023 को जारी 2011-12 श्रृंखला से लिए गए हैं।

तालिका 6.1

महीना और वर्ष वार अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक
(आधार वर्ष 2011-12=100)

महीना/वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6	7	8
अप्रैल	109.0	113.2	117.3	121.1	119.2	132.0	152.3
मई	110.4	112.9	118.3	121.6	117.5	132.9	155.0
जून	111.7	112.7	119.1	121.5	119.3	133.7	155.4
जुलाई	111.8	113.9	119.9	121.3	121.0	135.0	154.0
अगस्त	111.2	114.8	120.1	121.5	122.0	136.2	153.2
सितम्बर	111.4	114.9	120.9	121.3	122.9	137.4	151.9
अक्टूबर	111.5	115.6	122.0	122.0	123.6	140.7	152.9
नवम्बर	111.9	116.4	121.6	122.3	125.1	143.7	152.5
दिसम्बर	111.7	115.7	119.7	123.0	125.4	143.3	150.5
जनवरी	112.6	116.0	119.2	123.4	126.5	143.8	150.7
फरवरी	113.0	116.1	119.5	122.2	128.1	145.3	150.9
मार्च	113.2	116.3	120.0	120.4	129.9	148.9	151.0
वार्षिक औसत	111.6	114.9	119.8	121.8	123.4	139.4	152.5
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	1.7	2.9	4.3	1.7	1.3	13.0	9.4

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका 6.2

भारत में बड़े शहरों के औद्योगिक श्रमिकों
के लिए समूह-वार मूल्य सूचकांक अंक 2022 और 2023 (आधार वर्ष 2016=100)

(औसत वार्षिक सूचकांक)

क्र. स.	शहर	खाद्य	पान, सुपारी, तम्बाकू और मादक द्रव्य	ईंधन और प्रकाश	आवास	वस्त्र, बिस्तर और फुटवियर	विविध	सामान्य सूचकांक
1.	अखिल भारतीय							
	क. 2022	129.3	145.4	171.0	120.0	127.6	126.3	129.2
	ख. 2023	138.1	155.5	174.2	124.6	137.3	133.0	136.4
	ग. प्रतिशत परिवर्तन	6.8	6.9	1.9	3.8	7.6	5.3	5.6
2.	दिल्ली							
	क. 2022	130.7	138.7	117.1	120.4	151.7	120.1	125.7
	ख. 2023	136.7	143.9	121.4	123.0	159.4	124.3	130.3
	ग. प्रतिशत परिवर्तन	4.6	3.7	3.7	2.2	5.1	3.5	3.7
3.	मुंबई							
	क. 2022	128.2	137.9	169.5	116.2	118.6	111.5	122.7
	ख. 2023	134.1	141.7	179.4	120.2	127.5	114.3	127.7
	ग. प्रतिशत परिवर्तन	4.6	2.8	5.8	3.4	7.5	2.5	4.1
4.	चेन्नई							
	क. 2022	131.9	150.9	165.2	105.9	112.9	133.4	127.3
	ख. 2023	148.6	152.1	151.4	106.3	119.6	138.1	135.1
	ग. प्रतिशत परिवर्तन	12.7	0.8	(-)8.4	0.4	5.9	3.5	6.1
5.	कोलकाता							
	क. 2022	127.4	170.7	207.3	162.1	123.4	118.1	137.4
	ख. 2023	127.7	179.3	207.5	169.5	126.3	120.3	139.6
	ग. प्रतिशत परिवर्तन	0.2	5.0	0.1	4.6	2.4	1.9	1.6

स्रोत : श्रम ब्यूरो चंडीगढ़

तालिका 7.1

दिल्ली का भूमि उपयोग पैटर्न : 2000-01 से 2023-24

(क्षेत्र हैक्टेयर्स में)

क्र स	वर्ष	गांव के कागजात के अनुसार वन क्षेत्र (विशेष वन भूमि)	खेती के लिए उपलब्ध नहीं	जुताई न किए जा सकने वाले अन्य क्षेत्र	परती भूमि	विपुल क्षेत्र	कुल फसल क्षेत्र
1.	2000-01	147488	76597	11143	11544	34034	52817
2.	2001-02	147488	116988	11143	19427	29116	48445
3.	2002-03	147488	106006	11143	18649	29477	43391
4.	2003-04	147488	89326	11141	19014	26971	41509
5.	2004-05	147488	88442	11162	19389	24214	36957
6.	2005-06	147488	88442	11143	19287	23809	36041
7.	2006-07	147488	95798	9294	19287	23109	34981
8.	2007-08	147488	93944	11143	19345	23056	33078
9.	2008-09	147488	93864	11077	19522	23025	32288
10.	2009-10	147488	91425	11144	19227	22575	33700
11.	2010-11	147488	92700	11144	20043	22124	31366
12.	2011-12	147488	90875	11144	19234	22885	36445
13.	2012-13	147488	91058	11144	19230	23118	35178
14.	2013-14	147488	92701	11124	19225	23150	34312
15.	2014-15	147488	92700	11124	19225	23150	34312
16.	2015-16	147488	92700	11124	19225	23150	34312
17.	2016-17	147488	92700	11124	19225	23150	34750
18.	2017-18	147488	92700	11124	19225	23150	34750
19.	2018-19	147488	92700	11124	19225	22300	33455
20.	2019-20	147488	92700	11124	19225	29000	43500
21.	2020-21	147488	92700	11124	19225	29241	43569
22.	2021-22	147488	92700	11124	19225	29000	47850
23.	2022-23	147488	92700	11124	19225	29000	47850
24.	2023-24	147488	92700	11124	19225	29000	42450

स्रोत : 1. विकास विभाग, रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार

2 दिल्ली सांख्यिकीय हैंड बुक, डीईएस, रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार

तालिका 7.2

दिल्ली में 2009-10 से 2023-24 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन और पैदावार

(उत्पादन मीट्रिक टन में)
(पैदावार कि.ग्रा./हैक्टेयर में)

क्र.स.	वर्ष	गेहूं	बाजरा	ज्वार	धान
1.	2009-10				
	क. उत्पादन	92480	2979	31681	28512
	ख. पैदावार	4340	1875	960	4180
2.	2010-11				
	क. उत्पादन	87385	2876	32270	28625
	ख. पैदावार	4350	1878	965	4250
3.	2011-12				
	क. उत्पादन	82142	2689	30328	30297
	ख. पैदावार	4340	1872	965	4180
4.	2012-13				
	क. उत्पादन	84802	3815	30082	29652
	ख. पैदावार	4360	1878	966	4322
5.	2013-14				
	क. उत्पादन	86498	3815	30082	29652
	ख. पैदावार	5232	1878	966	4322
6.	2014-15				
	क. उत्पादन	85558	3817	NA	25904
	ख. पैदावार	4419	2513	906	4292
7.	2015-16				
	क. उत्पादन	83419	3256	3034	25256
	ख. पैदावार	4379	2197	960	4292
8.	2016-17				
	क. उत्पादन	87182	3278	3065	25891
	ख. पैदावार	4443	2190	960	4335
9.	2017-18				
	क. उत्पादन	83419	3256	3035	25256
	ख. पैदावार	4311	2197	960	4314
10.	2018-19				
	क. उत्पादन	82876	3249	3032	25240
	ख. पैदावार	4312	2198	961	4316
11.	2019-20				
	क. उत्पादन	82870	3240	3000	25200
	ख. पैदावार	4311	2196	952	4315
12.	2020-21				
	क. उत्पादन	83631	5340	2810	29620
	ख. पैदावार	4360	4030	953	4800
13.	2021-22				
	क. उत्पादन	81405	3750	2750	28530
	ख. पैदावार	4500	2747	952	4659
14.	2022-23				
	क. उत्पादन	80678	4648	2850	25861
	ख. पैदावार	4650	3250	950	4600
15.	2023-24				
	क. उत्पादन	80213	4864	2520	25392
	ख. पैदावार	4650	3200	900	4600

स्रोत : 1. विकास विभाग, रा. रा. क्षे., दिल्ली सरकार
2 दिल्ली सांख्यिकीय हैंड बुक, डीईएस, रा. रा. क्षे., दिल्ली सरकार

तालिका 7.3

दिल्ली में स्रोत-वार सिंचाई और सिंचित क्षेत्र 2013-14 से 2023-24

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र.स.	स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	नहर	2225	2225	2218	2240	2246	2236	2235	2235	2235	2225	2225
2.	कुएँ	19561	19561	19533	19727	19777	19635	19635	22465	22465	19561	19561
3.	शुद्ध क्षेत्र सिंचित	21786	21786	21751	21967	22023	21871	21870	24700	24700	21786	21786
4.	एक से अधिक फसल के तहत सिंचित क्षेत्र	7875	7900	7678	7756	7775	7762	7760	14328	18850	7875	7900
5.	सकल क्षेत्र सिंचित	29661	29661	29429	29723	29798	29633	29630	39028	43550	29661	29661

स्रोत : 1. विकास विभाग, रा. रा. क्षे., दिल्ली सरकार
2 दिल्ली सांख्यिकीय हैंड बुक, डीईएस, रा. रा. क्षे., दिल्ली सरकार

तालिका 7.4

दिल्ली में वर्षा (जुलाई – सितंबर)

(मिमी में)

क्र.स.	विवरण	जुलाई	अगस्त	सितंबर
	सामान्य	210.60	247.70	125.40
1.	2006	313.30	98.00	129.60
2.	2007	163.10	214.30	85.60
3.	2008	146.20	301.70	165.40
4.	2009	161.20	216.60	191.20
5.	2010	239.60	455.10	332.90
6.	2011	111.70	190.30	225.80
7.	2012	94.80	378.80	54.80
8.	2013	340.50	321.40	94.40
9.	2014	103.00	139.10	82.60
10.	2015	235.20	181.60	22.00
11.	2016	292.50	122.70	75.00
12.	2017	170.5	173.00	158.50
13.	2018	313.2	198.5	237.8
14.	2019	199.2	119.8	74.1
15.	2020	236.9	237.0	20.9
16.	2021	507.10	214.50	413.30
17.	2022	286.3	41.4	164.5
18.	2023	384.6	91.8	82.7

स्रोत : क्षेत्रीय मेट्रोलॉजिकल सेंटर, नई दिल्ली और दिल्ली सांख्यिकीय हैंड बुक

तालिका 8.1

विभिन्न स्थानों पर यमुना नदी के पानी की वार्षिक औसत गुणवत्ता :
अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023

क्र सं	स्थान	पीएच (मिग्रा/लीटर)	सीओडी (मिग्रा/लीटर)	बीओडी (मिग्रा/लीटर)	डीओ (मिग्रा/लीटर)
	जल गुणवत्ता मानदंड	6.5-8.5	-	3 मिग्रा/लीटर या कम	5 मिग्रा/लीटर या अधिक
1	पल्ला	7.29	27.44	2.02	8.57
2	वजीराबाद	7.37	42.89	7.58	5.49
3	आईएसबीटी पुल	7.36	114.22	34.67	0.86
4	आईटीओ पुल	7.32	91.00	29.00	1.51
5	निजामुद्दीन पुल	7.23	136.56	38.56	0.66
6	ओखला बैराज	7.40	150.33	41.56	0.41
7	आगरा नहर ओखला बैराज	6.51	134.56	36.67	0.28
8	असगरपुर में यमुना नदी (शाहदरा और तुगलकाबाद नालों के संगम के बाद)	7.3	166.3	47.7	0.20

तालिका 8.2

दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर नालों के पानी की वार्षिक औसत गुणवत्ता :
अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023

क्र.स.	माप/नाला	पीएच	टीएसएस	सीओडी	बीओडी
	जल गुणवत्ता मानदंड	5.5-9.0 (मिग्रा/लीटर)	100 (मिग्रा/लीटर)	250 (मिग्रा/लीटर)	30 (मिग्रा/लीटर)
1	नजफगढ़ नाला	7.31	92.00	227.44	48.44
2	मैटकाफ हाउस ड्रेन	No Flow			
3	खैबर पास ड्रेन	No Flow			
4	स्वीपर कालोनी ड्रेन	No Flow			
5	मैगजीन रोड ड्रेन	No Flow			
6	आईएसबीटी ड्रेन	7.47	84.67	215.44	42.11
7	तांगा स्टैंड ड्रेन	No Flow			
8	सिविल मिल ड्रेन	No Flow			
9	पावर हाउस ड्रेन	7.16	88.89	226.67	42.78
10	सेन नर्सिंग होम ड्रेन	7.30	97.56	251.22	45.11
11	ड्रेन नम्बर 14	No Flow			
12	इंद्रपुरी ड्रेन	7.09	93.11	247.78	47.44
13	सोनिआ विहार ड्रेन	7.32	98.22	262.33	46.67
14	कैलाश नगर ड्रेन	7.30	75.11	171.78	37.11
15	शास्त्री पार्क ड्रेन	7.12	55.33	152.22	31.11
16	बारापूला ड्रेन	7.50	80.44	229.11	45.22
17	महारानी बाग ड्रेन	7.37	88.44	258.22	45.89
18	ओल्ड आगरा कैनाल ड्रेन	No Flow			
19	जैतपुर ड्रेन	7.38	82.00	211.89	44.78
20	तुगलकाबाद ड्रेन	7.30	82.67	229.89	44.89
21	सरिता विहार पुल	7.30	69.56	181.44	35.56
22	एलपीजी बोटलिंग प्लांट के निकटवर्ती ड्रेन	No Flow			
23	सरिता विहार पुल के निकटवर्ती ड्रेन	7.53	56.50	149.50	28.75
24	शाहदरा ड्रेन	7.42	103.33	308.00	53.56
25	साहिबाबाद ड्रेन	7.32	102.44	296.56	50.78
26	मोलर बंध ड्रेन	7.28	67.33	203.78	37.56
27	अबुल फज़ल ड्रेन	No Flow			
28	सपलीमेंट्री ड्रेन	7.38	75.78	200.22	42.11

स्रोत : दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

तालिका 12.1
दिल्ली में मोटर वाहन

क्र सं	वर्ष	कार और जीप	मोटर साइकल और स्कूटर	एम्बुलेंस	ऑटो रिक्शा	टैक्सी	बसें	अन्य यात्री वाहन	ट्रैक्टर	मालवाहक वाहन (सभी प्रकार)	अन्य	कुल
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2005-06	1471858	3078660	2088	74188	20646	25511	18378	4811	128193	5803	4830136
2	2006-07	1599463	3335763	2222	74200	25891	26491	19751	4859	137983	5803	5232426
3	2007-08	1729695	3578199	2226	75297	30704	26933	18967	4855	155871	4637	5627384
4	2008-09	1863574	3808503	2294	83965	4001	28453	19766	4970	170398	4637	6026561
5	2009-10	2017882	4065789	2392	86501	45169	30560	20371	5058	188353	4637	6466713
6	2010-11	2177525	4352963	2503	88200	57887	33067	21178	5148	204428	4637	6947536
7	2011-12	2347276	4654706	2589	88216	68965	34251	23214	5558	223534	4676	7452985
8	2012-13	2483886	4980227	1459	76603	71112	19942	11380	1638	139123	1738	7785608
9	2013-14	2625250	5296163	1519	78750	74758	19641	11289	1651	149147	106	8258274
10	2014-15	2790566	5681265	1527	81633	79606	19729	11284	1637	160156	28	8827431
11	2015-16	2986579	6104070	2990	198137	91073	34365	6368	281159			9704741
12	2016-17	3152710	6607879	3059	105399	118308	35206	59759	300437			10382757
13	2017-18	3246637	7078428	3220	113074	118060	35285	76231	315080			10986015
14	2018-19	3249670	7556002	2358	113240	109780	32218	81422	246861			11391551
15	2019-20	3311579	7959753	2287	114891	122476	33302	85477	263112			11892877
16	2020-21	3384736	8239550	2289	114869	112401	33294	91887	274324			12253350
17	2021-22	2076113	5268685	1145	93578	85033	17522	114504	261318			7917898
18	2022-23	2071115	5294900	1172	93654	83278	17232	118506	265739			7945596

स्रोत : रा रा क्षेत्र दिल्ली सरकार की सूचना टेक्नोलॉजी शाखा द्वारा भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को उपलब्ध कराया गया वाहन 4.0 साफ्टवेयर

तालिका 12.2

मोटर वाहन-प्रतिशत योगदान

क्र सं	विवरण	2006 -07	2007 -08	2008 -09	2009 -10	2010 -11	2011 -12	2012 -13	2013 -14	2014 -15	2015 -16	2016 -17	2017 -18	2018 -19	2019 -20	2020 -21	2021- 22	2021- 22
1	कारें और जीपें	30.57	30.74	30.92	31.2	31.34	31.50	31.90	31.78	31.61	30.77	30.36	29.55	28.53	27.85	27.62	26.22	26.07
2	मोटर साइकिल और स्कूटर	63.75	63.58	63.2	62.87	62.65	62.46	63.97	64.13	64.35	62.90	63.64	64.43	66.33	66.93	67.24	66.54	66.64
3	एम्बुलेंस	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02
4	आटोरिक्शा	1.42	1.34	1.39	1.34	1.27	1.18	0.98	0.95	0.92	2.04	1.02	1.03	0.99	0.97	0.94	1.18	1.18
5	टैक्सियां	0.49	0.54	0.66	0.7	0.83	0.93	0.91	0.90	0.90	0.94	1.14	1.07	0.96	1.03	0.92	1.07	1.05
6	बसें	0.51	0.48	0.47	0.47	0.48	0.46	0.26	0.23	0.22	0.35	0.33	0.32	0.28	0.28	0.27	0.22	0.22
7	अन्य यात्री वाहन	0.38	0.34	0.33	0.32	0.30	0.31	0.14	0.13	0.12	0.07	0.58	0.69	0.71	0.72	0.75	1.45	1.49
8	ट्रैक्टर	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.02	0.02	0.01	2.90	2.89	2.86	2.17	2.21	2.24	3.30	3.35
9	मालवाहक वाहन (सभी प्रकार के)	2.64	2.77	2.83	2.91	2.94	3.00	1.78	1.80	1.81								
10	अन्य	0.11	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.02	0.001	0.003								
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

स्रोत : रा रा क्षेत्र दिल्ली सरकार की सूचना टेक्नोलॉजी शाखा द्वारा भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को उपलब्ध कराया गया वाहन 4.0 साफ्टवेयर

तालिका 12.3

प्रति 1000 जनसंख्या पर वाहन और वार्षिक वृद्धि

क्र सं	वर्ष	वाहन		वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)	प्रति 1000 जनसंख्या पर वाहन
		संख्या	वृद्धि		
1.	2005-06	48,30,136	3,62,982	8.13	317
2.	2006-07	52,32,426	4,02,290	8.33	337
3.	2007-08	56,27,384	3,94,958	7.55	356
4.	2008-09	60,26,561	3,99,177	7.09	374
5.	2009-10	64,66,713	4,40,152	7.30	393
6.	2010-11	69,47,536	4,80,823	7.44	415
7.	2011-12	74,52,985	5,05,449	7.27	436
8.	2012-13	77,85,608	3,32,783	4.46	446
9.	2013-14	82,58,284	4,72,676	6.07	465
10.	2014-15	88,27,431	5,69,147	6.89	491
11.	2015-16	97,04,741	8,77,310	9.94	530
12.	2016-17	1,03,82,757	6,78,016	6.99	556
13.	2017-18	1,09,86,015	6,03,258	5.81	598
14.	2018-19	1,13,91,551	4,05,536	3.69	616
15.	2019-20	1,18,92,877	5,01,326	4.40	643
16.	2020-21	1,22,53,350	3,60,473	3.03	655
17.	2021-22	79,17,898*	-43,35,452*	-35.38*	472
18.	2022-23	79,45,596*	27,698*	0.34*	473

* दिल्ली सरकार ने 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगा दी है

तालिका 12.4

औसत दैनिक राइडरशिप / यात्री यात्रा और रोलिंग स्टॉक
(एयरपोर्ट लाइन और रैपिड मेट्रो के साथ)

वर्ष	राइडरशिप	परिचालन मार्ग (किमी)	रोलिंग स्टॉक (No. of Cars)
2007-08	6,25,000	64.750	280
2008-09	7,22,000	73.990	280
2009-10	9,19,000	95.260	376
2010-11	12,59,000	159.471	844
2011-12	16,60,000	165.142	1,022
2012-13	19,26,000	165.142	1,094
2013-14*	22,04,908	188.050	1,282
2014-15*	24,02,850	191.120	1,306
2015-16*	26,15,050	209.970	1,392
2016-17*	28,00,792	209.970	1,468
2017-18*	25,87,271	249.460	1,888
2018-19*	25,93,090	342.070	2188
2019-20**	27,80,000***	359.230	2,242
2020-21** (07.09.2020 – 31.03.2021)	8,78,000***	359.230	2,280
2021-22**	25,16,068***	360.975	2282
2022-23**	46,26,592***	362.98	2304

* एयरपोर्ट लाइन सहित। डीएमआरसी ने 30.06.2013 के कारोबार संचालन समय की समाप्ति के बाद परिचालन को अपने हाथ में ले लिया है।

** रैपिड मेट्रो भी शामिल है। DMRC ने 22.10.2019 को ऑपरेशन को संभाल लिया है

*** यात्री यात्रा (पैसंजर जर्नी किसी यात्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले कॉरिडोर की संख्या के संदर्भ में मेट्रो यात्रा की गणना करती है।)

तालिका 13.1
जल कनेक्शन और खपत

क्र सं	वर्ष	कनेक्शन (सं)		खपत (एलकेएलडी)			कुल	खपत (गैलन/ दिन)
		मीटर युक्त	बिना मीटर के	घरेलू	वाणिज्यिक और औद्योगिक	एनडीएमसी/ एमईएस		
1.	1976-77	210931	28673	1174	387		1561	30.38
2.	1977-78	239854	22633	1414	364		1778	33.17
3.	1978-79	258307	20159	1529	352		1881	33.65
4.	1979-80	314763	16131	1519	364		1883	32.26
5.	1980-81	355157	13143	1542	411		1953	32.07
6.	1981-82	386167	12620	1556	509		2065	32.24
7.	1982-83	409184	11396	1648	490		2138	32.16
8.	1983-84	437251	11185	NA	NA		NA	NA
9.	1984-85	475009	10457	1929	507		2436	33.65
10.	1985-86	501174	10054	2524	513		3037	40.22
11.	1986-87	547000	26000	2918	483		3401	43.27
12.	1987-88	580000	30000	NA	NA		NA	NA
13.	1988-89	625000	126000	NA	NA		NA	NA
14.	1989-90	637914	206850	3534	523		4067	45.57
15.	1990-91	678461	226960	4013	527		4540	49.03
16.	1991-92	700923	245451	4049	556		4605	47.66
17.	1992-93	745029	253977	4082	567		4649	46.66
18.	1993-94	804180	294174	4087	424		4511	43.74
19.	1994-95	826624	311262	4057	433		4490	42.04
20.	1995-96	853807	315687	4114	627		4841	43.76
21.	1996-97	915974	284917	8377	1478		9855	80.24
22.	1997-98	934170	290217	8120	1408		9528	94.11
23.	1998-99	959432	297182	8451	1491		9942	51.00
24.	1999-00	997057	300102	8451	1491		9942	51.00
25.	2000-01	1034724	312000	9295	1475		10770	50.00
26.	2001-02	102326	313112	9296	1640		10936	40.00
27.	2002-03	1139373	322460	9624	1312		10936	39.50
28.	2003-04	1173693	329278	9770	1332		11102	39.00
29.	2004-05	1216542	335052	9842	1343		11185	48.02
30.	2005-06	1256040	342867	9770	1332		11102	47.50
31.	2006-07	1296094	340651	10976	955		11931	48.00
32.	2007-08	1329953	346501	11102	1160		12262	48.00
33.	2008-09	1338944	373354	11997	1260*		13257*	50.00
34.	2009-10	1427768	357256	12143*	1258*		13671*	50.00
35.	2010-11	1480441	314774	13754*	--		13754*	50.00
36.	2011-12	1540968	399930	12789*	1296*		14085*	50.00
37.	2012-13	1647363	330445	--	--		13938	--
38.	2013-14	1777207	287108	--	--		13478	--
39.	2014-15	1862753	265925	--	--		14085	50.00
40.	2015-16	1919238	394689	--	--		14914* \$	48.00
41.	2016-17	1986509	178845	5731.35	611.76		6343.11	48.00
42.	2017-18	2082967	159249	5593.26	807.93		6401.19	--
43.	2018-19	2193825	154012	6451.85	1540.69		7992.54**	--
44.	2019-20	2284805	80856	8165.53	532.76		8698.29	--
45.	2020-21	2460674	116326	7049.93	524.18		7574.11	--
46.	2021-22	2543757	119235	463046715KI (365 days) i.e. 12.69 LKLD	6381235KI (365 days) i.e. 1.75LKLD	41642923KI (365 days) i.e. 1.14 LKLD	568501989 (365 days) i.e. 15.58 LKLD	45.00
47.	2022-23	2648316	115773	476570856KI (365 days) i.e. 13.05 LKLD	35052067 KI (365 days) i.e. 0.96 LKLD	50068799 KI (365 days) i.e. 1.37 LKLD	561691722 (365 days) i.e. 15.38 LKLD	--

स्रोत: दिल्ली जल बोर्ड

नोट : एलकेएलडी – लाख किलो लीटर प्रति दिन,

*जल हानियों सहित,

\$ अलग-अलग विवरण उपलब्ध नहीं है।

** NDMC/MES 532.76 सहित

तालिका 13.2

विभिन्न प्रकार की बस्तियों में सीवरेज सुविधाएं

क्र सं	वर्ष	बस्ती		
		शहरी गांव	नियमित अनधिकृत कालोनियां	जे जे पुनर्वास बस्ती
1	बस्तियां			
	2001	135	567	44
	2003	135	567	44
	2007	135	567	44
	2008	135	567	44
	2009	135	567	44
	2010	135	567	44
	2011	135	567	44
	2012	135	567	44
	2013	135	567	44
	2014	135	567	44
	2015	135	567	44
	2016	135	567	44
	2017	135	567	44
	2018	135	567	44
	2019	135	567	44
	2020	135	567	44
	2021	135	567	44
	2022	135	567	44
	2023	135	567	44
2.	बस्तियों में सीवरेज सुविधाएं			
	2001	93	402	44
	2003	93	458	44
	2007	107	517	44
	2008	108	523	44
	2009	111	530	44
	2010	111	535	44
	2011	111	535	44
	2012	118	535	44
	2013	129	541	44
	2014	129	541	44
	2015	129	541	44
	2016	129	541	44
	2017	129	541	44
	2018	129	541	44
	2019	130	541	44
	2020	130	541	44
	2021	130	557	44
	2022	130	557	44
	2023	130	557	44

तालिका 13.3

दिल्ली में जलापूर्ति स्रोत – 2011

क्र सं	स्रोत	परिवारों की संख्या		
		ग्रामीण	शहरी	कुल
1.	सभी स्रोत	79115 (100)	3261423 (100)	3340538 (100)
2.	नल	47004 (59.50)	2669789 (81.90)	2716793 (81.30)
3.	हैंडपंप / ट्यूबवेल	22567 (28.50)	435410 (13.40)	457977 (13.70)
4.	कुएं	250 (0.30)	2917 (0.10)	3167 (0.10)
5.	नदी / नहर / तालाब / झरने सहित अन्य	9294 (11.80)	153307 (4.70)	162601 (4.90)

स्रोत : भारत की जनगणना – 2011

नोट : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं

तालिका 14.1

1961–2011 के दौरान दिल्ली का क्षेत्रफल : ग्रामीण और शहरी

(वर्ग किलोमीटर)

क्र सं	वर्ष	शहरी		ग्रामीण		कुल	
		क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत
1	1961	326.54	22.0	1157.52	78.0	1484.00	100.0
2	1971	446.30	30.0	1038.70	70.0	1485.00	100.0
3	1981	591.80	40.0	891.10	60.0	1483.00	100.0
4	1991	700.23	47.0	782.77	53.0	1483.00	100.0
5	2001	924.68	62.0	558.32	38.0	1483.00	100.0
6	2011	1113.65	75.0	369.35	25.0	1483.00	100.00

स्रोत : भारत की जनगणना, भारत के महापंजीयक

तालिका 14.2

जनसंख्या का घनत्व : 1961–2011

क्र सं	Years	जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति)			शहरी आबादी (लाख)
		शहरी	ग्रामीण	कुल	
1	1961	7225	258	1792	23.59 (88.72)
2	1971	8172	403	2738	36.47 (89.69)
3	1981	9745	507	4194	57.68 (92.73)
4	1991	12098	1212	6532	84.72 (89.94)
5	2001	13957	1592	9240	129.06 (93.18)
6	2011	14698	1135	11320	163.34 (97.50)

स्रोत : भारत की जनगणना, भारत के महापंजीयक

नोट : कोष्ठक में आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

तालिका 14.3

दिल्ली में पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता और स्रोत के अनुसार परिवारों का वर्गीकरण : 2011

क्र सं	सुविधाएं	परिवार	प्रतिशत
I.	परिवारों की कुल संख्या	3340538	100.00
II.	पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता		
	क) शोधित स्रोत से	2511646	75.19
	ख) अशोधित स्रोत से	205147	6.14
	ग) कवर किए गए कुएं	2541	0.08
	घ) हैंडपंप	177049	5.30
	ङ) ट्यूबवेल	280605	8.40
	च) तालाब/सरोवर/झील	40086	1.20
	छ) कोई अन्य	120259	3.60
III.	पेयजल स्रोत की उपलब्धता		
	क) परिसर के भीतर	2618982	78.4
	ख) परिसर के निकट	514443	15.4
	ग) परिसर से दूर	207113	6.20

स्रोत : भारत की जनगणना, 2011 मकान, परिवार, सुविधाएं और परिसंपत्तियां

तालिका : 14.4

इस्तेमाल के आधार पर जनगणना आवास : 1991, 2001, 2011

क्र सं	विवरण	1991		2001		2011	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
I.	जनगणना आवासों की संख्या	2,446,143	100.00	3,379,956	100.0	4605555	100.00
1.	रिक्त जनगणना आवास	293,677	12.00	377,790	11.18	512691	11.13
2.	अधिकृत जनगणना आवास	2,152,466	88.00	3,002,166	88.82	4092864	88.87
II	उपयोग के अनुसार अधिकृत जनगणना आवास						
1	कुल	2,152,466	100.00	3002,166	100.00	4092864	100.00
2	आवास	1,713,952	79.63	2,316,996	77.18	3176329	88.90
3	आवास एवं अन्य उपयोग	88,386	4.11	135,406	4.51	137575	77.6
4	दुकान/कार्यालय	172,701	8.02	319,233	10.63	377299	3.4
5	स्कूल, कालेज आदि	--	--	7,620	0.25	9709	9.2
6	होटल लॉज गैस्ट हाउस आदि	2,734	0.13	6,005	0.2	7754	0.2
7	अस्पताल, औषधालय आदि	--	--	7,661	0.26	7853	0.2
8	फैक्टरी, वर्कशाप, वर्कशेड आदि	86,170	4	80,165	2.67	90945	2.2
9	पूजा स्थल	3,974	0.18	8,249	0.27	8668	0.2
10	अन्य गैर-आवासीय उपयोग	84,549	3.93	120,831	4.00	237244*	5.8

स्रोत : भारत की जनगणना, 1991, 2001, और 2011, भारत के महापंजीयक

*इनमें अधिकृत बंद पड़े जनगणना आवास शामिल हैं।

तालिका : 14.5

रा. रा. क्षे. दिल्ली में जनगणना टाउन और बसे हुए गांव : 1901–2011

क्र. सं.	वर्ष	संख्या		अभ्युक्ति
		गांव	नगर	
1	1901	--	2	1901 और 1911 उस समय दो टाउन थे, अर्थात् दिल्ली म्युनिसिपल कमेटि और शाहदरा (उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से स्थानांतरित)
2	1911	--	2	
3	1921	314	1	1921 उससमय केवल एक टाउन था, अर्थात् दिल्ली म्युनिसिपल कमेटि
4	1931	307	3	1931, उस समय तीन टाउन थे, यानी 1. पुरानी दिल्ली, जिसमें म्युनिसिपैलिटी, सिविल स्टेशन नोटिफाइड एरिया और लाल किला, 2 नई दिल्ली या इम्पीरियल दिल्ली और 3 शाहदरा
5	1941	305	9	1941 की जनगणना दिल्ली म्युनिसिपैलिटी, दिल्ली छावनी, दिल्ली सिविल लाइंस और लालकिला अलग अलग टाउन थे। इसके अतिरिक्त नरेला, नजफगढ़ और महरौली को भी पहली बार उनके शहरी स्वरूप को देखते हुए अलग टाउनों के रूप में समझा गया। इस प्रकार टाउनों की संख्या 9 हो गई।
6	1951	304	10	1951 पश्चिम दिल्ली नाम का एक और टाउन शामिल किया गया। इस प्रकार टाउनों की कुल संख्या बढ़ कर 10 हो गई।
7	1961	276	3	दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन (डीएमसी) की स्थापना 1958 में हुई 1961 में एनडीएमसी और दिल्ली छावनी को छोड़ कर सभी टाउनों को दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन के अंतर्गत लाया गया। इसके साथ ही टाउनों की कुल संख्या घटकर तीन रह गई।
8	1971	243	3	टाउनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
9	1981	214	30	1981 वैधानिक टाउनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। संघ शासित प्रदेश में जनगणना टाउन की धारणा 1981 की जनगणना में पहली बार अपनाई गई। तदनु रूप 27 गांवों को जनगणना टाउन समझा गया और इस तरह टाउनों की कुल संख्या 30 हो गई।
10	1991	199	32	1991, 1981 की जनगणना के 27 टाउनों में से छह का डीएमसी (यू) में विलय हो गया और 2 जनगणना टाउन गैर वर्गीकृत करदिए गए। 10 गांवों को पहली बार जनगणना टाउन के रूप में मान्यता दी गई। इसप्रकार टाउनों की कुल संख्या बढ़ कर 32 हो गई। (वैधानिक टाउन्स-3 जनगणना टाउन-29)
11.	2001	158	62	2001 की जनगणना 1991 की जनगणना के तीन टाउनों का शहरीकरण किया गया और दो जनगणना टाउन अवर्गीकृत किए गए। पहली बार 35 गांवों को जनगणना टाउन समझा गया। इस प्रकार टाउनों की कुल संख्या 62 हो गई। (वैधानिक टाउन 3, जनगणना टाउन 59)
12	2011	105	113	2011 की जनगणना के अस्थाई परिणामों, परिपत्र संख्या 2 के अनुसार 2011 की जनगणना के लिए 112 गांव हैं, जिनमें से 105 आबाद हैं। इसके बाद रा.रा.क्षे. दिल्ली के 113 जनगणना टाउन हो गए हैं जिनमें से 55 नए जनगणना टाउन हैं। (वैधानिक टाउन 3, जनगणना टाउन 110)

स्रोत : 1. भारत की जनगणना 2011, सीरीज-8, जनगणना आंकड़ों पर एक नज़र, जनगणना निदेशालय।
2. शहरी विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स।

तालिका 17.1

भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आबादी : 2011

(लाख में)

क्र सं	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अजा आबादी	अजजा आबादी	कुल जनसंख्या में अजा/अजजा का प्रतिशत	
				अजा	अजजा
1.	आंध्र प्रदेश	138.78	59.18	16.4	7.0
2.	अम्णाचल प्रदेश	---	9.51	---	68.8
3.	असम	22.31	38.84	7.2	12.4
4.	बिहार	165.67	13.36	15.9	1.3
5.	गोआ	0.25	1.49	1.7	10.2
6.	गुजरात	40.74	89.17	6.7	14.8
7.	हरियाणा	51.13	---	20.2	---
8.	हिमाचल प्रदेश	17.29	3.92	25.2	5.7
9.	कर्नाटक	104.75	42.49	17.1	7.0
10.	केरल	30.40	4.85	9.1	1.5
11.	मध्य प्रदेश	113.42	153.17	15.6	21.1
12.	महाराष्ट्र	132.76	105.10	11.8	9.4
13.	मणिपुर	0.97	9.02	3.8	35.1
14.	मेघालय	0.17	25.56	0.6	86.1
15.	मिजोरम	0.01	10.36	0.1	94.4
16.	नागालैंड	---	17.10	---	86.5
17.	उड़ीसा	71.88	95.91	17.1	22.8
18.	पंजाब	88.60	--	31.9	--
19.	राजस्थान	122.21	92.38	17.8	13.5
20.	सिक्किम	0.28	2.06	4.6	33.8
21.	तमिलनाडु	144.38	7.95	20.0	1.1
22.	त्रिपुरा	6.55	11.67	17.8	31.8
23.	उत्तर प्रदेश	413.57	11.34	20.7	0.6
24.	पश्चिम बंगाल	214.63	52.97	23.5	5.8
25.	जम्मू कश्मीर	9.25	14.93	7.4	11.9
26.	उत्तराखंड	18.92	2.91	18.8	2.9
27.	झारखंड	39.86	86.45	12.1	26.2
28.	छत्तीसगढ़	32.74	78.23	12.8	30.6
संघ शासित प्रदेश					
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	---	0.28	---	7.5
2.	चंडीगढ़	1.99	---	18.9	---
3.	दादरा नगर हवेली	0.062	1.78	1.8	52.0
4.	दमन और दीव	0.061	0.15	2.5	6.3
5.	दिल्ली	28.12	---	16.8	---
6.	लक्षद्वीप	--	0.61	---	94.8
7.	पांडिचेरी	1.96	---	15.7	---
	भारत	2013.78	1042.81	16.6	8.6

स्रोत : जनसंख्या का स्वरूप भारत की जनगणना, 2011, भारत के महापंजीयक

तालिका 21.1

2001–2011 के दौरान राज्यवार जनसंख्या, कार्मिक, कार्मिकों का प्रतिशत और
कार्मिकों की संख्या में वृद्धि

(लाख में)

क्र सं	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जनसंख्या		कार्मिक		कार्मिकों की कुल जनसंख्या का प्रतिशत		2001–2011 में कार्मिकों में प्रतिशत वृद्धि
		2001	2011	2001	2011	2001	2011	
1.	आंध्र प्रदेश	762.10	845.80	348.94	394.23	45.79	46.61	12.98
2.	अम्णाचल प्रदेश	10.98	13.84	4.83	5.88	43.99	42.49	21.74
3.	असम	266.56	312.06	95.39	119.70	35.79	38.36	25.48
4.	बिहार	829.99	1040.99	279.75	347.25	33.71	33.36	24.13
5.	गोआ	13.48	14.59	5.23	5.77	38.80	39.55	10.33
6.	गुजरात	506.71	604.40	212.56	247.68	41.95	40.98	16.52
7.	हरियाणा	211.45	253.51	83.77	89.17	39.62	35.17	6.45
8.	हिमाचल प्रदेश	60.78	68.65	29.92	35.59	49.23	51.84	18.95
9.	जम्मू कश्मीर	101.44	125.41	37.54	43.23	37.01	34.47	15.16
10.	कर्नाटक	528.51	610.95	235.35	278.73	44.53	45.62	18.43
11.	केरल	318.41	334.06	102.84	116.19	32.30	34.78	12.98
12.	मध्य प्रदेश	603.48	726.27	257.94	315.74	42.74	43.47	22.41
13.	महाराष्ट्र	968.78	1123.74	411.73	494.28	42.50	43.99	20.05
14.	मणिपुर	21.67	28.55	10.70	13.04	49.38	45.87	21.86
15.	मेघालय	23.18	29.67	9.70	11.86	41.85	39.97	22.27
16.	मिजोरम	8.89	10.97	4.67	4.87	52.53	44.39	4.28
17.	नागालैंड	19.90	19.78	8.48	9.74	42.61	49.24	14.86
18.	उड़ीसा	368.05	419.74	142.76	175.42	38.79	41.79	22.88
19.	पंजाब	243.59	277.43	91.27	98.97	37.47	35.67	8.44
20.	राजस्थान	565.07	685.48	237.67	298.86	42.06	43.60	25.75
21.	सिक्किम	5.41	6.11	2.63	3.08	48.61	50.41	17.11
22.	तमिलनाडु	624.06	721.47	278.78	328.85	44.67	45.58	17.96
23.	त्रिपुरा	31.99	36.74	11.60	14.70	36.26	40.01	26.72
24.	उत्तर प्रदेश	1661.98	1998.12	539.84	658.15	32.48	32.94	21.92
25.	पश्चिम बंगाल	801.76	912.76	294.82	347.56	36.77	38.08	17.89
26.	उत्तराखंड	84.89	100.86	31.34	38.72	36.92	38.39	23.55
27.	झारखंड	269.46	329.88	101.09	130.98	37.52	39.71	29.57
28.	छत्तीसगढ़	208.34	255.45	96.80	121.80	46.46	47.68	25.83
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	3.56	3.80	1.36	1.53	38.20	40.26	12.50
30.	चंडीगढ़	9.01	10.55	3.40	4.04	37.74	38.29	18.82
31.	दादरा नगर हवेली	2.20	3.44	1.14	1.57	51.82	45.64	37.72
32.	दमन और दीव	1.58	2.43	0.73	1.21	46.20	49.79	65.75
33.	दिल्ली	138.50	167.88	45.45	55.87	32.82	33.28	22.93
34.	लक्षद्वीप	0.61	0.65	0.15	0.19	24.59	29.23	26.67
35.	पांडिचेरी	9.74	12.48	3.43	4.45	35.22	35.66	29.74
	भारत	10286.11	12108.70	4023.60	4818.9	39.11	39.8	19.76

स्रोत : जनसंख्या का स्वरूप भारत की जनगणना, 2011, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त

तालिका 21.2

दिल्ली की जनसंख्या का वितरण— श्रमिक और गैर-श्रमिक

(संख्या लाख में)

क्र सं	एन एस एस ओ सर्वेक्षण दौर	बेरोजगार	कार्मिक	कार्मिकों से इतर	जनसंख्या	बेरोजगार श्रमिकों का प्रतिषत	बेरोजगार श्रमिकों का प्रतिषत
1.	55वां दौर (1999-2000)	38.94 (29.29)	5.59 (4.20)	44.54 (33.49)	88.44 (66.51)	132.98 (100.00)	12.55
2.	57वां दौर (2001-02)	41.75 (29.93)	2.95 (2.12)	44.70 (32.05)	94.80 (67.95)	139.50 (100.00)	6.60
3.	59वां दौर (2003)	45.49 (30.68)	2.21 (1.49)	47.70 (32.17)	100.58 (67.83)	148.28 (100.00)	4.63
4.	60वां दौर (2004)	48.57 (32.11)	2.94 (1.94)	51.51 (34.05)	99.77 (65.95)	151.28 (100.00)	5.71
5.	61वां दौर (2004-05)	50.55 (32.47)	1.65 (1.06)	52.20 (33.53)	103.49 (66.47)	155.69 (100.00)	3.16
6.	62वां दौर (2005-06)	54.26 (33.87)	2.28 (1.42)	56.54 (35.29)	103.67 (64.71)	160.21 (100.00)	4.02
7.	64वां दौर (2007-08)	57.08 (33.66)	3.19 (1.88)	60.27 (35.54)	109.28 (64.46)	169.55 (100.00)	5.29
8.	66वां दौर	52.97 (32.39)	1.74 (1.07)	54.71 (33.45)	108.83 (66.55)	163.54 (100.00)	3.18
9.	68वां दौर (जुलाई 2011- जून 2012)	57.06 (33.39)	2.66 (1.56)	59.73 (34.95)	111.16 (65.05)	170.89 (100.00)	4.46

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

नोट: कोष्ठक में संख्या कुल जनसंख्या का प्रतिषात है।

तालिका 21.3

दिल्ली में रोजगार कार्यालय के लाइव रजिस्टर पर आवेदक का शैक्षिक वर्गीकरण

क्र.स.	वर्ष	बेरोजगार व्यक्ति (संख्या)					पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि
		मैट्रिक से कम	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	स्नातक स्नातकोत्तर	अन्य डिप्लोमाधारी	कुल	
1.	1997	251514	562633	261433	21873	1097453	1.49
2.	1998	273364	559068	273476	22280	1128188	2.80
3.	1999	253606	496918	194908	20689	966121	-14.37
4.	2000	238386	528554	203081	20646	990667	2.54
5.	2001	230695	562781	193941	18825	1006242	1.57
6.	2002	233695	594999	210548	19763	1059005	5.24
7.	2003	226663	635623	216917	19774	1098977	3.77
8.	2004	160434	294928	164815	16023	636200	-42.11
9.	2005	186662	296527	176537	14126	673852	5.92
10.	2006	171601	216894	140366	28006	556867	-17.36
11.	2007	125302	180477	126240	19076	451495	-18.92
12.	2008	145637	201266	140719	19297	506919	12.28
13.	2009	51575	297757	56441	8766	414539	-18.22
14.	2010	73259	296047	100717	23361	493384	19.02
15.	2011	91925	389742	132497	29139	643303	30.39
16.	2012	106362	467479	163174	37554	774569	20.41
17.	2013	128040	495423	186895	44934	855292	10.42
18.	2014	137158	616019	211860	52532	1017569	18.97
19.	2015	141749	656088	229483	56576	1083896	6.51
20.	2016	144774	686859	246165	60098	1137896	4.98
21.	2017	149200	703041	279058	66588	1197887	5.27
22.	2021	154330	1475437	314403	76064	2334637	94.90
23.	2022#	1207	26206	17922	3565	48903	----

स्रोत : दिल्ली सांख्यिकीय हैंड बुक

नोट : पीजी का अर्थ है पोस्ट ग्रेजुएट, ओडीएचएस-अन्य डिप्लोमा धारक

2018, 2019 और 2020 के लिए, रोजगार निदेशालय की ईएमआई शाखा डेटा प्रदान करने में असमर्थ थी

आवेदकों ने केवल वर्ष 2022 के दौरान पंजीकरण कराया और 2021 तक का आंकड़ा संचयी है



योजना विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार
मार्च 2024